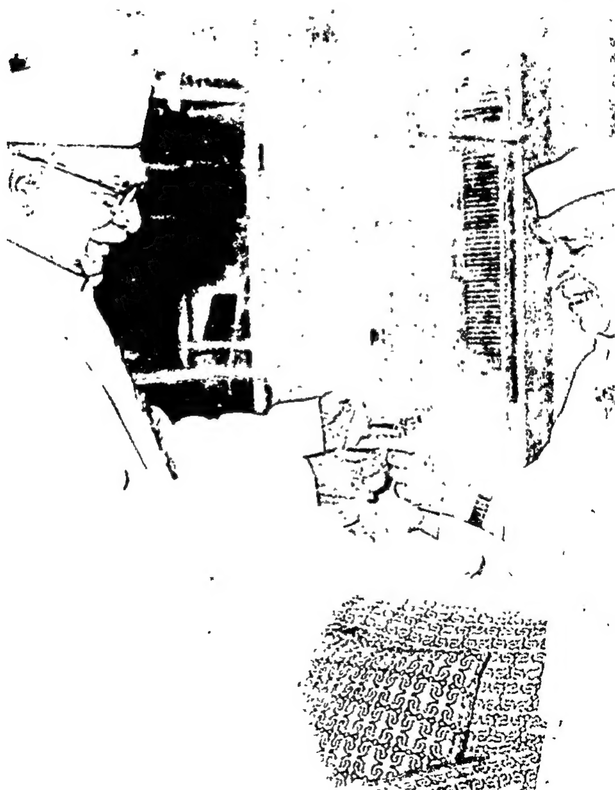
भारतीय समाचार

१५ जून, १९६० (२४ ज्येष्ठ, १८८२)





राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद १६ मई को बरेली की नगरपालिका द्वारा भेंट किया गया मान-पत्र स्वीकार करते हुए

[illegible] नेहरू संयुक्त अरब गणराज्य में करनाक मंदिर [illegible] भारत की यात्री में श्री नेहरू १७ से १९ मई तक उस [illegible] लक्सर में "राजाओं की घाटी" और पुरातत्व की [illegible]



संयुक्त अरब गणराज्य के प्रेसीडेंट, परम श्रेष्ठ श्री गमाल अब्दुल नासर १७ मई को काहिरा हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते हुए



भारतीय

समाचार

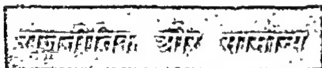
वर्ष ३ | १५ जून, १९६० | २५ ज्येष्ठ, १८८२ | अङ्क १०

एक प्रति रु० ०.४५ १ शिलिंग १४ सेंट   वार्षिक मूल्य रु० ९.०० १८ शि. ३.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के विदेश यात्रा से लौटने पर राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में उनका स्वागत करते हुए

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



अप्रैल १९६० में विशेष पुलिस संगठन का कार्य

अप्रैल १९६० में केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय के विशेष पुलिस संगठन ने ११४ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ खुफी जांच शुरू की, जो अब भी जारी है। इनमें १६ गजटेड अधिकारी भी शामिल हैं।

गजटेड अधिकारियों में प्रतिरक्षा मंत्रालय के ५ कमीशन-प्राप्त अधिकारी, रेल, निर्माण, आवास और पूर्ति तथा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के २-२, और वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति, वित्त तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों का १-१ अधिकारी शामिल है।

इन ११४ कर्मचारियों में से १२ के खिलाफ खुफी जाच पूरी हो चुकी है और मुकदमा दायर कर दिया गया है। इनके खिलाफ धोखादेही आदि का आरोप लगाया गया है।

जाली पार-पत्र

एक ट्रैवलिंग एजेंट फर्म के डायरेक्टरों, मैनेजरों आदि ५० व्यक्तियों को पार-पत्रों में जालसाजी करने के अपराध में पकड़ा गया। इन जाली पार-पत्रों से ३९ व्यक्ति भारत से बाहर चले गए थे, जिन्हें पकड़ कर भारत वापस लाया गया। एक अन्य मामले में एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के पांच डायरेक्टरों और १ सेक्रेटरी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। इन व्यक्तियों को जाली शेयर बनाने और धोखा देने के अपराध में पकड़ा गया था।

दंड

अप्रैल के महीने में ७ सरकारी कर्मचारियों और ५ अन्य व्यक्तियों को ५ साल तक की कैद की सजा दी गई और कुल मिला कर ५५,३०० रु० जुर्माना किया गया।

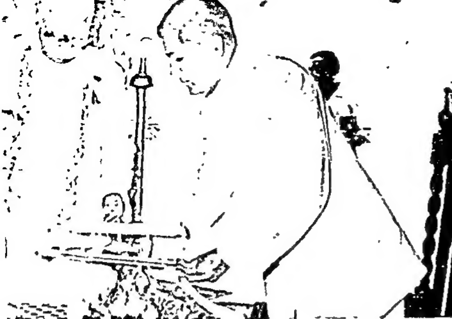
एक सब-पोस्ट मास्टर श्री रणधीर सिंह को गबन के अपराध में ५ साल की सख्त कैद और ५४ हजार का जुर्माना हुआ।

विभागीय कार्रवाई

आलोच्य मास में २६ सरकारी कर्मचारियों को उनके विभागों से दंड दिया। चार को नौकरी से बर्खास्त और १ को जबर्दस्ती रिटायर कर दिया गया। दस कर्मचारियों का या तो वेतन कम कर दिया गया या वेतन में वृद्धि नहीं दी गई।

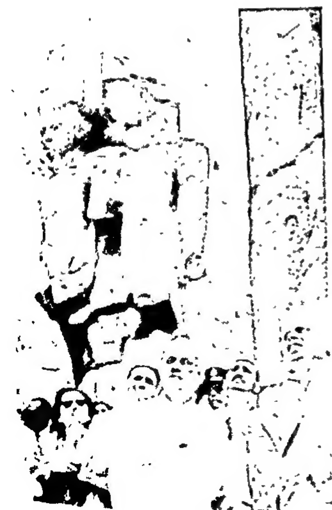
एक अवर सचिव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वह एक फर्म से कुछ व्यापार करता था और उस फर्म को सरकारी मदद दिलवा रहा था।

अप्रैल में तीन व्यक्ति रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़े गए। इनमें एक सप्लाई स्टेशन का कैप्टन था जो एक ठेकेदार से ५०० रु० घूस ले रहा था। २ रेल-कर्मचारियों को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।



राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद १६ मई को बरेली की नगरपालिका द्वारा भेंट किया गया मान-पत्र स्वीकार करते हुए

जवाहरलाल नेहरू संयुक्त अरब गणराज्य में करना मंदिर
। से भारत की वापसी में श्री नेहरू १७ से १९ मई तक उस
हा। उन्होंने लक्सर में "राजाओं की घाटी" और पुरातत्व की
महत्वपूर्ण स्थल देखे



संयुक्त अरब गणराज्य के प्रेसीडेंट, परम श्रेष्ठ श्री गमाल अब्दुल नासर १७ मई को काहिरा हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते हुए



भारतीय समाचार

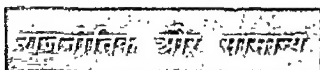
वर्ष ३ | १५ जून, १९६० / २५ ज्येष्ठ, १८८२ | अङ्क १०

एक प्रति रु० ०.४५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ९.०० १८ शि. ३.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के विदेश यात्रा से लौटने पर राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में उनका स्वागत करते हुए

(*'भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं* का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



अप्रैल १९६० में विशेष पुलिस संगठन का कार्य

अप्रैल १९६० में केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय के विशेष पुलिस संगठन ने ११४ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ खुली जांच शुरू की, जो अब भी जारी है। इनमें १६ गजटेड अधिकारी भी शामिल हैं।

गजटेड अधिकारियों में प्रतिरक्षा मंत्रालय के ५ कमीशन-प्राप्त अधिकारी, रेल, निर्माण, आवास और पूर्ति तथा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के २-२, और वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति, वित्त तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों का १-१ अधिकारी शामिल हैं।

इन ११४ कर्मचारियों में से १२ के खिलाफ खुली जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमा दायर कर दिया गया है। इनके खिलाफ धोखादेही आदि का आरोप लगाया गया है।

जाली पार-पत्र

एक ट्रैवलिंग एजेंट फर्म के डायरेक्टरों, मैनेजरों आदि ५० व्यक्तियों को पार-पत्रों में जालसाजी करने के अपराध में पकड़ा गया। इन जाली पार-पत्रों से ३९ व्यक्ति भारत से बाहर चले गए थे, जिन्हें पकड़ कर भारत वापस लाया गया। एक अन्य मामले में एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के पांच डायरेक्टरों और १ सेक्रेटरी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। इन व्यक्तियों को जाली शेयर बनाने और धोखा देने के अपराध में पकड़ा गया था।

दंड

अप्रैल के महीने में ७ सरकारी कर्मचारियों और ५ अन्य व्यक्तियों को ५ साल तक की कैद की सजा दी गई और कुल मिला कर ५५,३०० रु० जुर्माना किया गया।

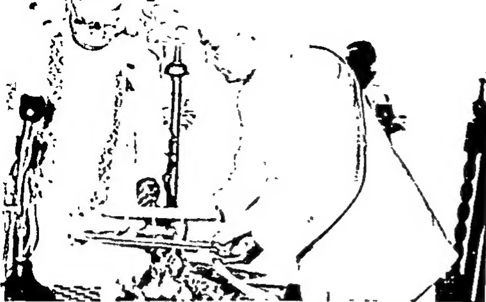
एक सब-पोस्ट मास्टर श्री रणधीर सिंह को गबन के अपराध में ५ साल की सख्त कैद और ५४ हजार का जुर्माना हुआ।

विभागीय कार्रवाई

आलोच्य मास में २६ सरकारी कर्मचारियों को उनके विभागों ने दंड दिया। चार को नौकरी से बर्खास्त और १ को जबर्दस्ती रिटायर कर दिया गया। दस कर्मचारियों का या तो वेतन कम कर दिया गया या वेतन में वृद्धि नहीं दी गई।

एक अवर सचिव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वह एक फर्म से कुछ व्यापार करता था और उस फर्म को सरकारी मदद दिलवा रहा था।

अप्रैल में तीन व्यक्ति रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़े गए। इनमें एक सप्लाई स्टेशन का कैप्टन था जो एक ठेकेदार से ५०० रु० घूस ले रहा था। २ रेल-कर्मचारियों को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

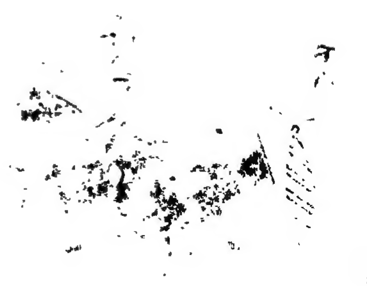


राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद १६ मई को बरेली की नगरपालिका द्वारा भेंट किया गया मान-पत्र स्वीकार करते हुए

री, श्री जवाहरलाल नेहरू संयुक्त अरब गणराज्य में करनाक मंदिर । लक्सर से भारत को वापसी में श्री नेहरू १७ से १९ मई तक उस रहे थे, जहां उन्होंने लक्सर में "राजाओं की घाटी" और पुरातत्व की अन्य महत्वपूर्ण स्थल देखे



संयुक्त अरब गणराज्य के प्रेसीडेंट, परम श्रेष्ठ श्री गमाल अब्दल नासर १७ मई को काहिरा हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते हुए



भारतीय

समाचार

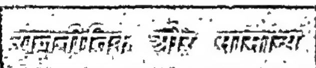
वर्ष ३ | १५ जून, १९६० / २५ ज्येष्ठ, १८८२ | अङ्क १०

एक प्रति रु० ०.४५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ९.०० १८ शि. ३.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के विदेश यात्रा से लौटने पर राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में उनका स्वागत करते हुए

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



अप्रैल १९६० में विशेष पुलिस संगठन का कार्य

अप्रैल १९६० में केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय के विशेष पुलिस संगठन ने ११४ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ खुली जांच शुरू की, जो अब भी जारी है। इनमें १६ गजटेड अधिकारी भी शामिल हैं।

गजटेड अधिकारियों में प्रतिरक्षा मंत्रालय के ५ कमीशन-प्राप्त अधिकारी, रेल, निर्माण, आवास और पूर्ति तथा इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के २-२, और वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति, वित्त तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों का १-१ अधिकारी शामिल है।

इन ११४ कर्मचारियों में से १७ के खिलाफ खुली जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमा दायर कर दिया गया है। इनके खिलाफ धोखादेही आदि का आरोप लगाया गया है।

जाली पार-पत्र

एक ट्रैवलिंग एजेंट फर्म के डायरेक्टरों, मैनेजरों आदि ५० व्यक्तियों को पार-पत्रों में जालसाजी करने के अपराध में पकड़ा गया। इन जाली पार-पत्रों से ३९ व्यक्ति भारत से बाहर चले गए थे, जिन्हें पकड़ कर भारत वापस लाया गया। एक अन्य मामले में एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के पांच डायरेक्टरों और १ सेक्रेटरी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। इन व्यक्तियों को जाली शेयर बनाने और धोखा देने के अपराध में पकड़ा गया था।

दंड

अप्रैल के महीने में ७ सरकारी कर्मचारियों और ५ अन्य व्यक्तियों को ५ साल तक की कैद की सजा दी गई और कुल मिला कर ५५,३०० रु० जुर्माना किया गया।

एक सब-पोस्ट मास्टर श्री रणधीर सिंह को गबन के अपराध में ५ साल की सख्त कैद और ५४ हजार का जुर्माना हुआ।

विभागीय कार्रवाई

आलोच्य मास में २६ सरकारी कर्मचारियों को उनके विभागों में दंड दिया। चार को नौकरी से बर्खास्त और १ को जबर्दस्ती रिटायर कर दिया गया। दस कर्मचारियों का या तो वेतन कम कर दिया गया या वेतन में वृद्धि नहीं दी गई।

एक अवर सचिव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वह एक फर्म से कुछ व्यापार करता था और उस फर्म को सरकारी मदद दिलवा रहा था।

अप्रैल में तीन व्यक्ति रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़े गए। इनमें एक सप्लाई स्टेशन का कैप्टन था जो एक ठेकेदार से ५०० रु० घूस ले रहा था। २ रेल-कर्मचारियों को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।



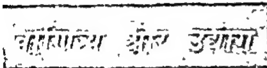
सीमा-शुल्क की रियायत अन्य चीजों पर लागू

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की २० मई की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्यात होने वाले सिल्क के कपड़े में काम आने वाले नायलन के धागे के सीमा-शुल्क के वापस करने की योजना की गई है।

नायलन के धागे के अलावा अल्यूमिनियम की कुछ दस्तकारियों की चीजों, नारियल के बने बैडमिंटन और टेनिस के बल्लों, प्लास्टिक के सामान और चाय की पेटियों में भी सीमा-शुल्क में छूट देने की व्यवस्था की गई है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की नयी शाखा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे नगर कैराना में १ जून, १९६० को स्टेट बैंक आफ इंडिया की नयी शाखा खुल जाएगी। इसका उद्घाटन वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई करेंगे। यह स्टेट बैंक आफ इंडिया की ४००वीं शाखा होगी।



सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल का उत्पादन और सफाई

सन् १९६५ तक भारत को हर साल १ करोड़ ६० लाख टन तेल की जरूरत होगी और १९७५ तक यह जरूरत ३ से ४ करोड़ टन तक बढ़ जाएगी। इसी प्रकार तेल उद्योग में सरकार के हाथ डालने का कारण कुछ आर्थिक और राजनैतिक है।

लगभग ३० वर्ष पहले खम्भात क्षेत्र में गोंगा में एक भारतीय ने अपने बलबूते पर खुदाई करके गैस का पता लगाया, लेकिन धनाभाव के कारण यह काम आगे नहीं बढ़ सका। देश और विदेश की तेल कम्पनियों को इस बात की पूरी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। इससे अधिक और क्या तर्क इस पक्ष में हो सकता है कि सरकार को तेल उद्योग में हाथ डालना चाहिए।

सारे संसार में तेल कम्पनियां गुट्ट बना कर काम करती हैं। तेल उद्योग के विकास के लिए सूझबूझ और धन के अलावा साहस के साथ काम करने की आवश्यकता है और केवल मुनाफे की दृष्टि से इस उद्योग को नहीं बढ़ाया जा सकता। इन सब बातों को देखते हुए केवल सरकार या सरकारी कम्पनी ही बड़े पैमाने पर और निर्भीकता से काम कर सकती है। हमारे अब तक के परीक्षण ने भी इसी बात की पुष्टि की है। भारत में ४ लाख वर्गमील क्षेत्र ऐसा है, जिसमें तेल मिलने की सम्भावना है। अगस्त १९५६ में भारत सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नियुक्त किया था और अक्तूबर १९५९ में इसे संसद के अधिनियम द्वारा स्वायत्त आयोग का रूप दे दिया गया। इस आयोग ने ज्वालामुखी, खम्भात और शिवसागर में खुदाई कराई है और बहुत-से स्थानों पर भूगर्भ सम्बन्धी पड़तालें कराई हैं। कई स्थानों पर तेल भरी पट्टियों का पता लगा है। खम्भात में जो पांच कुएं खोदे गए हैं, उनमें तेल मिलने के आसार हैं और खान तथा तेल मंत्री ने हाल में ही कहा था कि यहां तेल का अच्छा भण्डार है और हमें इसी के आसपास एक तेल-शोधक कारखाने की भी योजना करनी होगी।

उन्होंने आगे बताया कि तेल की खोज में भारत के अपने मित्र देशों, रूस, अमरीका, कनाडा, रूमानिया, प० जर्मनी, और ब्रिटेन से सहायता मिली है। भारत को तेल के लिए प्रतिवर्ष १ अरब रु० देना होता है। इस राशि में समुद्र-तट पर स्थित तीनों तेल-शोधक कारखानों के लिए खरीदे जाने वाले कच्चे तेल का मूल्य भी शामिल है। इस १ अरब रु० के अलावा, भारत को विदेशों को मुनाफा भेजने, मशीनों की घिसाई और शिल्पियों की सेवाओं के लिए काफी रुपया देना पड़ता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह खर्च १½ से २ अरब रु० तक होगा, इसलिए तीसरी योजना में तेल की खोज को वही स्थान दिया जाएगा, जो दूसरी योजना में इस्पात उद्योग को दिया गया है। इस दृष्टि से भारत सरकार ने देशी और विदेशी तेल उद्योगपतियों को भारत में तेल की खोज करने का निमंत्रण दिया है। इस काम के लिए ऐसी शर्तें रखी जाएंगी जो दोनों पक्षों को मान्य हों।

तेल-शोधक कारखानों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मालवीय ने कहा कि इस समय देश में चार कारखाने हैं और ये सब निजी हैं। सब तेल कम्पनियां करीब ५५ लाख टन तेल प्रतिवर्ष निकालती हैं। भारत सरकार ने बिहार में बरौनी और आसाम में गुवाहाटी में दो तेल-शोधक कारखाने स्थापित करने का निश्चय किया है। जब ये कारखाने चालू हो जाएंगे, तब देश में ८३ लाख टन तेल साफ किया जा सकेगा। तीसरी योजना की अवधि में यह क्षमता बढ़कर १ करोड़ ४० लाख टन हो जाएगी।

तेल की सफाई के बराबर ही तेल के वितरण और ढुलाई का महत्व है। इसने भारतीय तेल कम्पनी बनाई है, जो सरकारी कारखानों के पेट्रोल और पेट्रोल की चीजों

बार ही वितरण नहीं करेगी, बल्कि विदेशों से पेट्रोल की चीजें मंगाकर देश में बांटेगी।

अभी तक पेट्रोल और इसकी चीजें रेल या मोटरों आदि से ढोई जाती हैं। हम आजकल देश में दूर-दूर तक नल बिछाने की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं। ७२० मील लम्बी नलों की लाइन बिछाई भी जा रही है जो नाहरकटिया से बरौनी तक कच्चा तेल पहुंचाएगी। गउहाटी में एक पाइप-मिल भी खड़ी की जा रही है। विदेशों से नलों के मंगाने में ढुलाई पर जो खर्च आता है उसका उपयोग इस मिल के निर्माण में किया जा रहा है।

१६५६ में बैंक व्यापार की प्रगति

सन् १९५९ में देश की अर्थ-व्यवस्था में विशेष मुदृढता आई, यद्यपि मुद्रा बाहुल्य में कोई कमी नहीं हुई। सरकारी उद्योग-धंधों में पूंजी अधिक लगी और निजी उद्योग-धंधों में भी पिछले साल से अधिक धन लगाया गया। इस साल व्यापारी बैंकों की जमा पूंजी में २ अरब ५३ करोड़ रु० की वृद्धि हुई और यह राशि १८ अरब १६ करोड़ रु० तक पहुंच गई। १९५८ में यह वृद्धि २ अरब १६ करोड़ रु० की थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक ओर लोग बैंकों में अपना रुपया जमा कराना पसन्द करने लगे हैं और दूसरी ओर बैंक भी अपने काम को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

यह बात रिजर्व बैंक की १९५९ की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट में कही गयी है।

अनुसूचित बैंकों के ऋण

पिछले साल अनुसूचित बैंकों ने पहले से बहुत अधिक, ९१ करोड़ रु० कर्ज दिया। १९५८ में ११ करोड़ रु० ही इस प्रकार दिया गया था। चूंकि बैंकों के पास धन कहीं अधिक जमा कराया गया, इसलिए जमा और ऋण का अनुपात १९५८ के ५८८ प्रतिशत से घटकर ५२ २ प्रतिशत रह गया। उद्योगों को बैंकों ने अक्तूबर में समाप्त वर्ष में २० करोड़ रु० अग्रिम दिया, जबकि पिछले साल १८ करोड़ रु० ही दिया था। कुल अगाऊ रकम में से उद्योगों के लिए इस वर्ष ४५ प्रतिशत दी गई। पिछले पांच साल में पहली बार यह अनुपात इतना गिरा है, अक्तूबर १९५८ में यह ४८ प्रतिशत था।

ऋण नीति

इस वर्ष दामों के बढ़ने के डर से ऋण देने में काफी सावधानी बरती गई और कई मदों के लिए ऋण देने पर नियंत्रण रखा गया। अनाज और चीनी के अलावा मूंगफली और तेलहनों पर भी ऋण देने में नियंत्रण रखा गया। इसी प्रकार बैंकों को आदेश दिया गया कि वे अधिक कारबार वाले दिनों में कच्चे माल और तैयार माल को रोके रखने के लिए अधिक ऋण न दें। रिजर्व बैंक ने यह प्रयत्न भी किया कि अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक से अधिक धन पाने की आशा न करें। इसके लिए ऋण की सीमा पिछले साल के मुकाबले आधी कर दी गई।

सरकारी हुंडियों की बिक्री

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष रिजर्व बैंक ने ६६ करोड़ रु० की सरकारी हुंडियों की शुद्ध बिक्री की। पिछले वर्ष सरकारी हुंडियों की बिक्री १ अरब १७ करोड़ रु० की रही थी। अमरीका के पी० एल०–४८० के अन्तर्गत स्टेट बैंक को मिली पूंजी के कारण भी हुंडियों के बिकने में मदद मिली। अनुसूचित बैंकों ने १९५९ में १५० करोड़ रु० की हुंडियां लीं। पिछले वर्ष २०४ करोड़ रु० की ली थीं। इसके मुकाबले इन बैंकों के ट्रेजरी बिल १५ करोड़ रु० से बढ़कर ७१ करोड़ रु० के हो गए।

नफा-नुकसान

रिपोर्ट में बैंकों के नफा-नुकसान की समीक्षा की गई है और कहा गया है कि भारत के उन २५ बड़े बैंकों को, जिनमें से प्रत्येक के पास ५ करोड़ रु० या अधिक जमा था, इस वर्ष कुछ नफा ही रहा, यानी इनका शुद्ध लाभ पिछले साल से ३० लाख रु० बढ़कर ७९ करोड़ रु० हो गया। १९५८ में ७.६ करोड़ रु० और १९५७ में ८४ करोड़ रु० का लाभ हुआ था।

वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों को चाहिए कि वे उद्योगों को मध्यम अवधि के लिए कर्ज दें, क्योंकि पुनर्वित्त निगम भी ऐसी सुविधाएं दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय बैंकों को इस बारे में जांच करनी चाहिए कि ग्राहकों को मिलने वाली किस सुविधा पर बैंकों का क्या खर्च पड़ता है और उसी हिसाब से उनसे वसूली करनी चाहिए। इसी तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना की दृष्टि से भी कई प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए। इस काम में रिजर्व बैंक भी हर तरह की सहायता करने को तैयार है।

सरकारी कारखानों में उत्पादन

हाल में ही जो आंकड़े मिले हैं, उनसे पता चलता है कि सरकारी कारखानों में १९५९-६० में उत्पादन बढ़ा है। कई कारखानों का आजकल विस्तार हो रहा है और आशा है १९६०-६१ में इन कारखानों का उत्पादन और बढ़ेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल कारखाने (बंगलौर) में ७०० से अधिक मशीनें तैयार हुईं, जिनका मूल्य लगभग ३ करोड़ रु० है। इस प्रकार उत्पादन पिछले साल से ३० प्रतिशत बढ़ा। इस कारखाने का तीसरी पंचवर्षीय योजना का उत्पादन लक्ष्य २,००० मशीनों का रखा गया है।

सिंदरी उर्वरक कारखाने का उत्पादन १९५९-६० में ३॥ लाख टन रहा, जबकि वार्षिक उत्पादन-लक्ष्य ३.३ लाख टन का था। हिन्दुस्तान केबुल कारखाने ने १९५९-६० में ६९१ मील लम्बे टेलीफोन के केबुल बनाए, जिनका मूल्य १ करोड़ १५ लाख रु० होता है। इस प्रकार यहां का उत्पादन पिछले साल से ५.७ प्रतिशत बढ़ा।

राष्ट्रीय यंत्र कारखाने में पिछले साल के ४४ लाख रु० के मुकाबले इस साल ५३ लाख ७० हजार रु० के यंत्र बने। हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स कारखाने (पिम्परी) में १४ प्रतिशत पेनीसिलीन अधिक बनी। नाहन फाउंड्री और प्रागा टूल्स फैक्टरी में भी इस वर्ष उत्पादन कुछ बढ़ा।

भिलाई कारखाने में इस्पात का उत्पादन

भिलाई इस्पात कारखाने में मई के तीसरे सप्ताह तक १ लाख टन इस्पात की सिल्लियां बनकर तैयार हुईं।

इस कारखाने में २४ दिसम्बर, १९५९ को सिल्लियों का उत्पादन शुरू हुआ था।

अब तक भिलाई कारखाने से ८८,०० टन इस्पात की सिल्लियां देश के रि-मिलों को भेजी जा चुकी हैं।

१९५९ में खनिज उत्पादन

'रतीय खान कार्यालय ने अनुमान लगाया ' है कि देश में १९५९ में १ अरब ३९ ड ८० लाख टन खनिज निकाला गया, कि १९५८ में १ अरब ३७ करोड ६० लाख निकाला गया था। इसमें पेट्रोलियम और [-शक्ति कानून, १९४८, के अंतर्गत आने । खनिज शामिल नहीं है।

इस प्रकार १९५९ में १९५८ की अपेक्षा ज उत्पादन में २ करोड़ २० लाख टन, ,ीन् १.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि यले, लोहे, क्रोमाइट, सीसे और जस्ते, प्सम, डौलेमाइट और चूने के पत्थर का पादन तथा सोने का भाव बढ़ने से हुई।

१९५९ में ९४ करोड ८० लाख रु० के ल्य का ४ करोड़ ७८ लाख ३० हजार टन यला निकाला गया। अन्य खनिजों का त्पादन इस प्रकार रहा: तांबा ४,०४,००० न; सोना ५,१४४ किलोग्राम; इलमेनाइट ,०३,००० टन; लोहा ७९,००,००० टन; ने का पत्थर १,०६,००,००० टन; मैंगनीज २,००,९०० टन; अभ्रक २८,६९४ टन; तौर नमक ३२,००,००० टन।

मूल्य की दृष्टि से १९५९ में कम मूल्य का वनिज निकाला गया। १९५८ में इसके मूल्य त सूचक अंक (१९५१ को आधार=१०० मानकर) १२६ था, जो १९५९ में गिरकर १२५.६ रह गया।

बिहार में सर्वाधिक उत्पादन

१९५९ में सबसे अधिक खनिज बिहार में निकाला गया। वहां कुल उत्पादन का ३६ प्रतिशत, अर्थात् ५० करोड़ ३० लाख रु० का खनिज निकाला गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कुल उत्पादन का २२ प्रतिशत और मध्य प्रदेश में ११ प्रतिशत खनिज निकाला गया।

निर्यात

१९५९ में ४७ करोड़ रु० के मूल्य का खनिज विदेशों को भेजा गया, जबकि १९५८ में ४६ करोड़ रु० का भेजा गया था। सबसे अधिक निर्यात जापान को किया गया और उसके बाद अमरीका तथा ब्रिटेन को।

धातुओं का उत्पादन

१९५९ में कुल १ अरब ५५ करोड़ ४० लाख रु० मूल्य का धातु तैयार किया गया, जबकि १९५८ में १ अरब ११ करोड़ ५० लाख रु० का किया गया था। इस साल पिछले साल की तुलना में ४ लाख ७६ हजार टन अधिक, अर्थात् कुल १८ लाख टन तैयार इस्पात बना। लौह मैंगनीज का उत्पादन भी ४५ हजार से बढ़कर ६० हजार टन हो गया।

धातुओं का आयात गिरा

१९५९ में १ अरब २३ करोड़ रु० का धातु विदेशों से मंगाया गया, जबकि १९५८ में १ अरब ३२ करोड़ ८० लाख रु० का मंगाया गया था। इसमें लोहे और इस्पात का प्रतिशत ६७ था। अन्य धातुओं में अलुमुनियम, तांबा, सीसा, टीन और जस्ता बाहर से मंगाया गया।

१९५९ में विदेशों से मांग गिरने के कारण मैंगनीज का भाव गिरा। तांबे और जस्ते की खपत बढ़ने तथा सप्लाई कम होने से इन दोनों धातुओं का भाव बढ़ा।

१९५९ में खनिज लोहे का उत्पादन

देश में खनिज लोहे के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। १९५९ में ७९ लाख ३० हजार टन लोहा निकाला गया, जबकि १९५८ में ६१ लाख ३० हजार टन निकाला गया था। इस प्रकार १९५९ में खनिज लोहे के उत्पादन में १८ लाख १० हजार टन, अर्थात् २९ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

१९५९ में बिहार में कुल उत्पादन का ४१ प्रतिशत और उड़ीसा में ३३ प्रतिशत लोहा निकाला गया। इन दोनों राज्यों में पिछले साल की तुलना में क्रमशः ९ लाख ७२ हजार टन और ४ लाख १८ हजार टन अधिक लोहा निकाला गया।

मध्य प्रदेश में ७७ प्रतिशत, अर्थात् १ लाख ८० हजार टन अधिक, बम्बई में १ लाख ६४ हजार टन अधिक और मैसूर में ५५ हजार टन अधिक लोहा निकाला गया।

इस्पात के तीन सरकारी कारखानों के चालू होने और प्राइवेट कारखानों के बढ़ने से देश में खनिज लोहे की मांग काफी बढ़ी। जापान, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी यूरोप से भी इसकी काफी मांग आई।

१९५९ में इस्पात कारखानों को ५६ लाख ६१ हजार टन खनिज लोहा दिया गया, जबकि १९५८ में ३५ लाख ११ हजार टन दिया गया था। इस प्रकार १९५९ में इससे पिछले साल की तुलना में ६१ प्रतिशत अधिक लोहा दिया गया।

१९५९ में १९५८ से ३२ प्रतिशत अधिक खनिज लोहा विदेशों को भेजा गया।

सबसे अधिक खनिज लोहा जापान भेजा गया। वहां के लिए किरिबुरु खान को बढ़ाया जा रहा है, जिससे २० लाख टन लोहा निकाला जा सकेगा। जापान को ४० लाख टन और लोहा भी भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश में बैलादिला खान खोदने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

१९५९ में डोलोमाइट का उत्पादन

डोलोमाइट का उत्पादन १९५५ से बढ़ता रहा है। १९५९ में इसका उत्पादन ३ लाख २५ हजार टन हुआ, जो कि पिछले सभी वर्षों से अधिक था। उड़ीसा में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। देश में पाए जाने वाले कुल डोलोमाइट का ९७ प्रतिशत इस राज्य में मिलता है।

डोलोमाइट लोहे और इस्पात के कारखाने की भट्ठियों के भीतर लगाया जाता है। तीन नये इस्पात कारखानों की स्थापना और टाटा इस्पात कारखाने के विस्तार के कारण डोलोमाइट की मांग बहुत बढ़ गई है। इसलिए उड़ीसा के अतिरिक्त बम्बई और राजस्थान में भी डोलोमाइट का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है और अब वहां भी काफी परिमाण में यह मिलने लगा है।

जनवरी-मार्च १९६० में तांबे का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार जनवरी-मार्च, १९६० में देश की खानों में कुल १,०६,४७२ टन खनिज तांबा निकाला गया। पिछले साल की इसी अवधि में ९८,९६१ टन खनिज तांबा निकाला गया था। इस प्रकार लगभग ८ प्रतिशत अधिक तांबा निकाला गया। यह सारा तांबा बिहार राज्य के सिंहभूम जिले में निकाला गया।

इसी अवधि में २,२१० टन तांबा (धातु) बनाया गया, जबकि १९५९ की इसी अवधि में १,७९८ टन तांबा (धातु) बना था।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

इंजीनियरी माल का आजकल जितना निर्यात हो रहा है, उसको देखते हुए यह आशा बनती है कि कुल निर्यात दूसरी योजना के लक्ष्य से ६० प्रतिशत बढ़ जाएगा। योजना के पांच वर्षों में २० करोड़ रु० का इंजीनियरी माल बाहर भेजने का निश्चय किया गया था, किन्तु अनुमान है कि दिसम्बर १९६० तक ३८ करोड़ रु० मूल्य के माल का निर्यात हो जाएगा।

१९५८ तक तीन वर्षों में प्रतिवर्ष करीब ६ करोड़ ३० लाख रु० का इंजीनियरी माल बाहर जाता रहा लेकिन पिछले साल निर्यात एकदम बढ़ कर ७ करोड़ रु० तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, यह माल ९८ देशों में गया। चालू वर्ष, १९६० के लिए इंजीनियरी माल निर्यात वृद्धि परिषद ने ८॥ करोड़ रु० के निर्यात का लक्ष्य रखा है। परिषद, निर्यात के लिए इंजीनियरी माल तैयार करने वालों को लोहा और इस्पात तथा दूसरा कच्चा माल दिलाती है। इन व्यापारियों को गारंटी देनी होती है कि वे नियत मात्रा में माल का निर्यात अवश्य करेंगे।

भारत ने अब बड़ी मात्रा में साइकिलों, बिजली की बत्तियों, रेडियो, छुरी-कांटों, बिजली के पंखों, इस्पात के फर्नीचर, बिजली के सामान, सिलाई की मशीनों आदि का निर्यात शुरू किया है।

अलग-अलग क्षेत्रों का हिसाब लगाने से पता चलता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को भारत से २.७८ करोड़ रु० का इंजीनियरी माल भेजा गया, पश्चिम एशिया को १.५९ करोड़ रु०, अफ्रीका को ८३ लाख रु०, उत्तरी और मध्य अमरीका को १.३७ करोड़ रु० का और यूरोप को ३२ लाख रु० का माल भेजा गया।

पुस्तकों का निर्यात

पिछले साल भारत ने लगभग १ करोड़ रु० की पुस्तकें बाहर भेजीं। पुस्तकें मंगाने वाले देशों में पाकिस्तान, बर्मा, लंका, इण्डोनेशिया, मलाया, ब्रिटेन, अमरीका मारीशस, सिंगापुर, केनिया और अदन हैं।

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पुस्तकों का निर्यात बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इस काम के लिए इस वर्ष जून में देश के प्रमुख प्रकाशकों और पुस्तक निर्यातकों की बैठक कलकत्ता में बुलाई जाएगी।

मंत्रालय की हाल की पड़ताल से पता चला है कि पाकिस्तान, अमरीका, जापान, हांगकांग, फिलिपाइन, मारीशस, बर्मा, मलाया और आस्ट्रेलिया को अधिक पुस्तकें भेजी जा सकती हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि इंजीनियरी और शिल्पिक विषयों की पुस्तकों के सस्ते संस्करणों की इन देशों में काफी खपत हो सकती है। भारतीय कला, पुरातत्व, सभ्यता और जन-जीवन सम्बन्धी सचित्र पुस्तकें भी इन देशों में आसानी से बेची जा सकती हैं। पश्चिम एशिया के देशों को कुरान की प्रतियां काफी संख्या में निर्यात की जा सकती हैं।

पड़ताल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ देशों में तमिल, गुजराती, उर्दू और मराठी आदि भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की खपत हो सकती है। पाकिस्तान में कानून, कहानी और उपन्यास, फिल्मी पत्रिकाएं और इंजीनियरी आदि की पुस्तकों की भी मांग है। पूर्वी पाकिस्तान में अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तकों के अलावा उर्दू और बंगाली साहित्य की पुस्तकों की काफी खपत है। तमिल की पुस्तकें मलाया और लंका को निर्यात की जा सकती हैं।

प्लास्टिक के समान का निर्यात

भारत ने १९५९-६० में ७० लाख रु० का प्लास्टिक का सामान बाहर भेजा, जबकि १९५५-५६ में ७ लाख रु० का ही सामान बाहर भेजा गया था। भारत से चश्मे के फ्रेम, फाउंटेन पेन, चूड़ियां, छतरियों की मूठें आदि बाहर भेजी जाती हैं।

भारत से ये चीजें विशेषकर दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के देशों को भेजी जाती हैं।

भारत सरकार ने प्लास्टिक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। प्लास्टिक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक परिषद बनाई गई है। परिषद ने विदेशों में इस सामान की बिक्री की पड़ताल के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। निर्यात के लिए जो सामान बनाया जाता है, उसे तैयार करने में काम आने वाले कच्चे माल पर शुल्क की छूट भी दी जाती है।

क्या आप जानते हैं!

सूती कपड़े का उत्पादन और निर्यात

- अनुमान है कि फरवरी १९६० में देश की सूती कपड़ा मिलों में १३ करोड़ ८० लाख पौंड सूत और ४० करोड़ २० लाख गज कपड़ा बना।
- सन् १९५९ में भारत से ६१ करोड़ रु० के सूती कपड़े का निर्यात हुआ, जबकि १९५८ में इससे १५ करोड़ रु० कम का निर्यात हुआ था।
- जनवरी-नवम्बर, १९५९ में लगभग १७२ करोड़ ६० लाख गज हथकरघे का कपड़ा बना, जबकि १९५८ की इसी अवधि में १६४ करोड़ २० लाख गज कपड़ा बना था।
- जनवरी-नवम्बर, १९५९ में मिलों में बने और हथकरघे के कुल ७३ करोड़ ३० लाख गज कपड़े का निर्यात हुआ। १९५८ की इसी अवधि में ५६ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा निर्यात हुआ था।
- सूती कपड़े का निर्यात मुख्यतः इंगलैंड, अदन, सऊदी अरब, लंका, बर्मा, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, नाइजीरिया, केन्या, सूडान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और अमरीका को हुआ।
- लंका, मलाया, नाइजीरिया, अदन, सिंगापुर और इंगलैंड ने हथकरघे का कपड़ा बहुत खरीदा।

इसी अवधि में २,२१० टन तांबा (धातु) बनाया गया, जबकि १९५९ की इसी अवधि में १,७९८ टन तांबा (धातु) बना था।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

इंजीनियरी माल का आजकल जितना निर्यात हो रहा है, उसको देखते हुए यह आशा बनती है कि कुल निर्यात दूसरी योजना के लक्ष्य से ४० प्रतिशत बढ़ जाएगा। योजना के पांच वर्षों में २० करोड़ रु० का इंजीनियरी माल बाहर भेजने का निश्चय किया गया था किन्तु अनुमान है कि दिसम्बर १९६० तक २८ करोड़ ० मूल्य के माल का निर्यात हो जाएगा।

१९५८ तक तीन वर्षों में प्रतिवर्ष करीब ८ करोड़ ३० लाख रु० का इंजीनियरी माल बाहर जाता रहा, लेकिन पिछले साल निर्यात एकदम बढ़ कर ७ करोड़ रु० तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, यह माल ९८ देशों में गया। चालू वर्ष, १९६० के लिए इंजीनियरी माल निर्यात वृद्धि परिषद ने ८॥ करोड़ रु० के निर्यात का लक्ष्य रखा है। परिषद, निर्यात के लिए इंजीनियरी माल तैयार करने वालों को लोहा और इस्पात तथा दूसरा कच्चा माल दिलाती है। इन व्यापारियों को गारंटी देनी होती है कि वे नियत मात्रा में माल का निर्यात अवश्य करेंगे।

भारत ने अब बड़ी मात्रा में मोटरगाड़ियों, बिजली की बत्तियों, रेडियो, छुरी-कांटों, बिजली के पंखों, इस्पात के फर्नीचर, बिजली के सामान, सिलाई की मशीनों आदि का निर्यात शुरू किया है।

अलग-अलग क्षेत्रों का हिसाब लगाने से पता चलता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को भारत से २.७४ करोड़ रु० का इंजीनियरी माल भेजा गया, पश्चिम एशिया को १.५९ करोड़ रु०, अफ्रीका को ८३ लाख रु०, उत्तरी और मध्य अमरीका को १.३७ करोड़ रु० का और यूरोप को ३२ लाख रु० का माल भेजा गया।

पुस्तकों का निर्यात

पिछले साल भारत ने लगभग १ करोड़ रु० की पुस्तकें बाहर भेजीं। पुस्तकें मंगाने वाले देशों में पाकिस्तान, बर्मा, लंका, इन्डोनेशिया, मलाया, ब्रिटेन, अमरीका थाईदेश, सिंगापुर, केनिया और अदन हैं।

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय पुस्तकों का निर्यात बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इस काम के लिए इस वर्ष जून में देश के प्रमुख प्रकाशकों और पुस्तक निर्यातकों की बैठक कलकत्ता में बुलाई जाएगी।

मन्त्रालय की हाल की पड़ताल से पता चला है कि पाकिस्तान, अमरीका, जापान, हांगकांग, फिलिपाइन, थाईदेश, बर्मा, मलाया और आस्ट्रेलिया को अधिक पुस्तकें भेजी जा सकती हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि इंजीनियरी और चिकित्सा विषयों की पुस्तकों के सस्ते संस्करणों की इन देशों में काफी खपत हो सकती है। भारतीय कला, पुरातत्व, सभ्यता और जन-जीवन सम्बन्धी सचित्र पुस्तकें भी इन देशों में आसानी से बेची जा सकती हैं। पश्चिम एशिया के देशों को कुरान की प्रतियां काफी संख्या में निर्यात की जा सकती हैं।

पड़ताल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ देशों में तमिल, गुजराती, उर्दू और बंगाली आदि भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की खपत हो सकती है। पाकिस्तान में कानून, कहानी और उपन्यास, फिल्मी पत्रिकाएं और इंजीनियरी आदि की पुस्तकों की भी मांग है। पूर्वी पाकिस्तान में अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तकों के अलावा उर्दू और बंगाली साहित्य की पुस्तकों की काफी खपत है। तमिल की पुस्तकें मलाया और लंका को निर्यात की जा सकती हैं।

प्लास्टिक के सामान का निर्यात

भारत ने १९५९-६० में ७० लाख रु० का प्लास्टिक का सामान बाहर भेजा, जबकि १९५५-५६ में ७ लाख ० का ही सामान बाहर भेजा गया था। भारत से चश्मे के फ्रेम, फाउंटेन पेन, चूड़ियां, छतरियों की मूंठें आदि बाहर भेजी जाती हैं।

भारत से ये चीजें विशेषकर दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के देशों को भेजी जाती हैं।

भारत सरकार ने प्लास्टिक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। प्लास्टिक की चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए एक परिषद बनाई गई है। परिषद ने विदेशों में इस सामान की बिक्री की पड़ताल के लिए अपने तिनिधि भेजे। निर्यात के लिए जो सामान बनाया जाता है, उसे तैयार करने में काम आने वाले कच्चे माल पर शुल्क की छूट भी दी जाती है।

क्या आप जानते हैं ?

सूती कपड़े का उत्पादन और निर्यात

○ अनुमान है कि फरवरी १९६० में देश की सूती कपड़ा मिलों में १३ करोड़ ८० लाख पौंड सूत और ४० करोड़ २० लाख गज कपड़ा बना।

○ सन् १९५९ में भारत से ६१ करोड़ रु० के सूती कपड़े का निर्यात हुआ, जबकि १९५८ में इससे १५ करोड़ ० कम का निर्यात हुआ था।

○ जनवरी-नवम्बर, १९५९ में लगभग १७२ करोड़ ६० लाख गज हथकरघे का बना, जबकि १९५८ की इसी अवधि में १६४ करोड़ २० लाख गज कपड़ा बना था।

● जनवरी-नवम्बर, १९५९ में मिलों में बने और हथकरघे के कुल ७३ करोड़ ३० लाख गज कपड़े का निर्यात हुआ। १९५८ की इसी अवधि में ५६ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा निर्यात हुआ था।

● सूती कपड़े का निर्यात मुख्यतः इंगलैंड, अदन, सऊदी अरब, लंका, बर्मा, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, नाइजीरिया, केन्या, सूडान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और अमरीका को हुआ।

● लंका, मलाया, नाइजीरिया, सिंगापुर और इंगलैंड ने हथकरघे का बहुत खरीदा।

फ़ाउंटेनपेनों का निर्यात

ने बाहर भेजी जाने वाली नयी चीजों फाउंटेनपेन भी हैं और १९५९ में ति से २ लाख रु० की विदेशी मुद्रा ई।

ये फाउंटेनपेन मुख्यत. पश्चिमी ण-पूर्वी एशिया के देशों को भेजे गए। अगले कुछ वर्षों में इनका निर्यात गा। देश में फाउंटेनपेन उद्योग करीब पुराना ही है और इतनी अवधि में देश की प्राय. सारी जरूरत पूरी करने हो गया है। १९५९ में करीब १ करोड़ न फाउंटेनपेन बने। फाउंटेनपेन के निब आदि प्रायः सारे हिस्से देश में ते हैं।

व ३,००० व्यक्ति तो सीधे इसी उद्योग हैं। इस समय उद्योग के सामने उन फाउंटेनपेनों की समस्या है जो ऐसे छोटे-छोटे कारखानों में बनते हैं जिनके अच्छी मशीनें आदि नहीं हैं। इस उद्योग ए विदेशी विशेषज्ञ बुलाने के बारे में भी र किया जा रहा है।

छ लोगों ने 'बाल' पेन बनाने की प्रकट की है। विदेशी हिस्से लगाकर पेन देश में बनने भी लगे हैं। इस तरह के स्वदेशी फाउंटेनपेन जल्दी ही बाजार में जाएंगे।

निर्यात की जाने वाली चीजों के लिए लोहा और इस्पात का कोटा

रत सरकार ने अब निर्यात के लिए बनाई जाने वाली ४०० रुपये मूल्य की लोहे चीजों के लिए भी ढलवा लोहे का कोटा का निश्चय किया है। अब तक यह कोटा ०० रुपये से कम मूल्य की चीजों के लिए ही दिया जाता था। यह रियायत ढलवां हे की उत्पत्ति अधिक होने के कारण दी ई है।

यह सूचना इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के लोहा और इस्पात विभाग की २० मई की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

निर्यात किए जाने वाले सामान के बनाने मार्च में १९५७ में छूट दी गई, उसके कारण तैयार माल के भाव गिर गए। इस बात को ध्यान में रख कर अक्तूबर १९५९ में इस्पात लोहा और इस्पात का कोटा देने के लिए चीजों की मूल्य सीमा कुछ घटा दी गई।

इस्पात का कोटा पिछले वर्ष की तरह ८०० रुपये या अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए ही दिया जाएगा।

मूल्य सीमा में की गई कमी को लागू करते समय निर्यात वृद्धि परिषद यह जांच कर लेगी कि इस्पात और ढलवा लोहे की केवल तैयार चीजें ही बाहर भेजी जाएं।

ओखला और राजकोट के मशीनें बनाने और काम सिखाने के केन्द्र

ओखला के विदेशी मशीनों और यंत्रों की तरह की मशीनें और यंत्र बनाने वाला तथा काम सिखाने वाला केन्द्र पूरा होने वाला है।

यहां लगने वाली प्राय: सारी मशीनें, जिनका मूल्य ३६ लाख रु० के लगभग है, यहां पहुंच गई हैं और यथास्थान लगाई जा रही हैं। लकड़ी के काम और धातु के काम के विभाग चालू हो गए हैं। यह केन्द्र पश्चिम जर्मनी की सहायता से स्थापित किया जा रहा है।

राजकोट केन्द्र

इसी तरह के राजकोट के केन्द्र में काम सीखने वालों का पहला दल काम सीखने लगा है। मुलम्मा चढ़ाने, लकड़ी के काम और ढालने के विभागों में मशीनें लग चुकी हैं। राजकोट का केन्द्र अमरीका के शिल्प सहयोग मण्डल की सहायता से चलेगा।

इन केन्द्रों में ऐसी शिक्षा दी जाती है जो आजकल के कारीगरों के लिए बहुत उपयोगी है। यहां उद्योगों में काम आने वाले विदेशी यंत्रों और मशीन टूलों के नमूने तैयार करके कारखानों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए दिए जाएंगे। मद्रास में गिंडी में और हावड़ा में ऐसे ही दो केन्द्र खोलने के लिए भी भारत सरकार ने धन दिया है। हावड़ा के केन्द्र के लिए जापान सरकार से और गिंडी केन्द्र के लिए पश्चिम जर्मन सरकार से सहायता मिलेगी। तीसरी योजना की अवधि में इस तरह के और भी केन्द्र खुलेंगे।

टिनप्लेटों का प्रतिधारण मूल्य

भारत सरकार ने १९५७ से अगले चार साल के लिए टिनप्लेटों का औसत प्रतिधारण (रिटेन्शन) मूल्य निश्चित किया है। ये मूल्य इस प्रकार हैं: १९५७—प्रति टन ८९९ रु०; १९५८—प्रति टन १,०७८ रु०; १९५९—प्रति टन १,०५५ रु० और १९६०—प्रति टन १,०७० रु०।

उद्योग अदालत ने अब मजदूरों को तदर्थ भत्ता देने के लिए अधिसूचना निकाली है। इसलिए १९५७ के मूल्य में प्रति टन ४.३ रु० और जोड़ दिया गया है। पहले इसे जोड़ना अस्वीकार कर दिया गया था।

सरकार ने १९५८ और १९५९ के मूल्य निश्चित करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा कि टीन की सलाखों और टाटा पैकिंग की सप्लाई कम होने के कारण १९५८ में टिनप्लेटों का उत्पादन केवल ५७,८७७ टन रहा, जबकि तटकर आयोग ने ७४,००० टन उत्पादन का अनुमान लगाया था। १९५९ में भी उत्पादन ६७,९०० टन रहा, जबकि तटकर आयोग ने ७७,५०० टन का अनुमान लगाया था।

प्रतिधारण मूल्य में निम्नलिखित दर से पैक करने के दाम भी लेने की अनुमति दी जाएगी :

- १९५७ : टीन की पत्तियों वाले डिब्बों में बंद करने के लिए प्रति टन २२.३६ रु०; और एक साथ पैक करने के लिए प्रति टन ९.९५ रु०।
- १९५८ : उक्त तरीकों से ही पैकिंग के लिए क्रमशः प्रति टन २३.५४३ रु० और प्रति टन ११५ रु०।
- १९५९ और १९६० : उक्त तरीकों से ही पैकिंग के लिए क्रमशः प्रति टन २५.४१९ रु० और प्रति टन ११.५ रु०।

पिछला इतिहास

भारत सरकार ने अपने ७ सितम्बर, १९५९ के प्रस्ताव में कहा था कि यदि टिनप्लेट कम्पनी आफ इंडिया को टीन की सलाखें और टाटा पैकिंग कम मिले तथा कम्पनी का खर्च तटकर

आयोग के अनुमान से इतना अधिक बढ़े कि उनके लाभ में अत्यधिक कमी हो जाए, तो सरकार कम्पनी की अर्जी पर विचार करेगी।

टिनप्लेट कम्पनी ने सितम्बर १९५९ में अर्जी दी कि कच्चा माल कम मिलने के कारण १९५८ में उसका उत्पादन घटकर आयोग के अनुमान से बहुत कम रहा। अक्तूबर १९५९ में कम्पनी ने पुनः आवेदन भेजा और कहा कि सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है, उसमें परिवर्तन किया जाए।

कम्पनी ने अपनी अर्जी में दो बातों का जिक्र किया। एक तो टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर प्रतिधारण मूल्य कम न करना, और दूसरे प्रतिधारण मूल्य की सिफारिश करते समय आयोग द्वारा कुछ तथ्यों की अवहेलना। सरकार ने पहली बात पर विचार करने का निर्णय किया है। वह दूसरी बात पर विचार नहीं करेगी।

बढ़िया जिलेटिन का निर्माण

खालों से बढ़िया किस्म का जिलेटिन बनाने की एक विधि राष्ट्रीय रसायन-शास्त्र प्रयोगशाला, पूना में विकसित की गई है।

इस विधि को छोटे पैमाने पर परखने के लिए प्रयोगशाला में जो प्रयोगात्मक संयंत्र बनाया गया है, उसमें एक पाली में लगभग २०० पौंड कतरनों से जिलेटिन निकाला जा सकता है। प्राप्त होने वाली जिलेटिन और ग्लू (सरेस) की कुल मात्रा सूखी कतरनों के वजन की ८८ प्रतिशत पाई गई है। जिलेटिन और प्राप्त ग्लू लगभग बराबर मात्रा में होते हैं।

प्रयोगशाला में खाल के स्थान पर हड्डियों से जिलेटिन बनाने के सम्बन्ध में भी खोज-बीन की गई है। परन्तु हड्डियों से जिलेटिन बनाना उसी दशा में आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकता है जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सस्ता हो और इस क्रिया में बनने वाले उपजात-डाईकैल्शियम फास्फेट का समुचित उपयोग करना सम्भव हो।

जिलेटिन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, जो अनेक चीजों में काम आता है। बढ़िया किस्म का जिलेटिन खाद्य, दवाई और फोटोग्राफी उद्योगों में इस्तेमाल होता है, जबकि टैक्निकल किस्म का जिलेटिन चिपकाव बनाने के काम में आता है। आजकल देश में विभिन्न किस्मों के जिलेटिन की आवश्यकता विदेशों से माल मंगा कर पूरी की जाती है। १९५८ में ७,००,००० रु० मूल्य का १८० टन जिलेटिन मंगाया गया था।

यह जानकारी 'विज्ञान प्रगति' के ज्येष्ठ (मई-जून, १९६०) के अंक में दी गई है।

वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण

दूसरी योजना के शुरू से अब देश में कितने वैज्ञानिक यंत्र बनने लगे हैं।

१९५६ में देश में बने यंत्रों की कीमत ६३ लाख रु० थी, जबकि पिछले साल २ करोड़ रु० मूल्य के यंत्र बने।

अभी हाल में सरकार ने उद्योगों में काम आने वाले यंत्र बनाने की दो योजनाएं मंजूर की हैं। इनमें पिरामीटर (अधिक ऊष्मता नापने का यंत्र), तापमापक, नियंत्रक यंत्र, थर्मोकपुल आदि यंत्र बनाये जाएंगे। अब तक ये यंत्र विदेशों से मंगाये जाते रहे हैं।

देश में एक्स-रे की मशीनें भी शीघ्र ही बनने लगेंगी। सरकार ने प्रतिवर्ष ९० लाख रु० के एक्स-रे की मशीनें बनाने वाली तीन योजनाएं स्वीकार की। दो फर्मों ने बाक्स-कैमरे बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रतिवर्ष १२,००० कैमरे बनाने की क्षमता वाली एक भारतीय फर्म में भी पिछले साल के अंत में कैमरे बनने लगे थे। दूसरी फर्म पश्चिम जर्मन की एक फर्म के सहयोग से बाक्स-कैमरे बना रही है।

मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का काम सरकार ने सम्भाला

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की १६ मई की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-'क' के अन्तर्गत भारत सरकार ने भीलवाड़ा (राजस्थान) की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लि० का कामकाज अपने हाथ में ले लिया है। श्री एम० एम० सदाशिवन को इस मिल का नियंत्रक नियुक्त किया गया है।

यह मिल १ दिसम्बर, १९५९ से बंद थी। आशा है कि अब इस मिल में काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा।

रंग-रोगन के नए कारखानों को लाइसेंस

भारत सरकार ने कुल २०,००० टन रंग-रोगन और वार्निश तैयार करने के नए कारखाने बनाने के लिए लाइसेंस देने का निर्णय किया है।

हाल में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा योजना आयोग ने जो पड़ताल की और तेल से बनने वाली वस्तुओं तथा प्लास्टिक के उद्योगों की विकास परिषद ने जो अनुमान लगाया, उससे पता चलता है कि तीसरी योजना में उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र में और अधिक रंग-रोगन तथा वार्निश के कारखाने खोलने की जरूरत पड़ेगी।

नए कारखानों में से आधे उत्तरी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में तथा आधे कारखाने दक्षिणी क्षेत्र के मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में खोले जाएंगे।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा लोगों को प्रशिक्षण

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन अब तक लगभग ६,००० लोगों को विभिन्न काम सिखा चुका है। यह संगठन विभिन्न किस्म के प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इनके अन्तर्गत छोटे उद्योगों के लिए लोगों को प्रबन्ध की और सामुदायिक विकास खंडों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

कारीगरों को काम के तरीके सुधारने की भी शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से अब तक लगभग १,६०० कारीगरों को फायदा हो चुका है। इन कारीगरों को अच्छे औजारों से काम करना और उत्पादन बढ़ाने के तरीके सिखाए गए हैं।

प्रबन्ध की शिक्षा देने के अन्तर्गत अब तक १,७५० लोगों को हिसाब-किताब रखने, सामान बेचने आदि के अच्छे तरीके सिखाए जा चुके हैं।

कोलम्बो योजना जैसे शिल्प सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे उद्योगों के लिए उच्च शिक्षा देने के ख्याल से ४४ व्यक्तियों को विदेशों में भी भेजा जा चुका है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशियों को भी भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

का चूर्ण बनाने की नयी विधि

। गाद्य अनुसंधान सस्था (फूड लॉजिकल रिसर्च इस्टिट्यूट) ने र चूर्ण बनाने की एक नई विधि । है, इस विधि के अनुसार लहसुन को हाथों से दबा कर गिरियां को ग जाता है। इसके बाद इन गिरियो हल मे साफ करके सुखा लिया जाता और साफ गिरियों का आवश्यकता-रीक चूर्ण बना कर हवाबन्द डिब्बो या जाता है।

रधि से बना हुआ चूर्ण मसाले के रूप औषधियां बनाने के काम आ सकता

विधि से चूर्ण बनाने तथा गिरी को प्रचलित विधि से लगभग चौथाई र मेहनत की बचत होती है। इस तैयार किया हुआ चूर्ण रंग मे बढ़िया दिष्ट होता है। इससे औषधियां भी यार होती है।

कपास की बिक्री पर नियन्त्रण

त सरकार ने कपास की बिक्री पर सख्त नियन्त्रण रखने का एक आदेश जारी है। १ अगस्त, १९६० के बाद कपास उन मिलों को ही बेची जा सकेगी, जिन्हें इल कमिश्नर नामजद करेगा। उपयुक्त रों कपास की किस्म प्रमाणित किया और मिलों को निर्धारित दामों पर ही खरीदनी पड़ेगी।

ह इसलिए किया गया है ताकि कपास रित दामों पर ही खरीदी जाए। इस साल स के व्यापार में बहुत-से नाजायज तरीके ए गए है जिनसे कपास की कीमतें निर्धा-दामों से काफी बढ़ गई है। यह नियन्त्रण ण की जाने वाली कपास पर लागू नही ।

वियना की व्यापार-प्रदर्शनी में भारत भाग लेगा

भारत सरकार ने वियना की अन्तर्राष्ट्रीय शरद्-ऋतु व्यापार प्रदर्शनी में भाग का निश्चय किया है। यह प्रदर्शनी ४ से सितम्बर, १९६० तक होगी।

प्रदर्शनी में भाग लेने का उद्देश्य विदेशों में भारतीय माल की खपत बढाने के लिए प्रचार करना है। वियना योरोप के बीच में स्थित है। अतः भारतीय तैयार माल को आगे बढाने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा।

भिलाई में इस्पात पिण्ड ढालने के सांचों का निर्माण

भिलाई इस्पात कारखाने में इस्पात पिण्ड ढालने के सांचे बनने शुरू हो गए हैं। अभी हाल मे ७ टन के इस्पात पिण्ड का सांचा बनकर तैयार हुआ है। आगे चलकर कारखाने में हर रोज ऐसे ८ सांचे बनने लगेंगे।

इस्पात बनते समय पहले द्रव्य के रूप में रहता है, जिसे सांचों में डाल कर पिण्ड बनाए जाते हैं। सांचों के आकार-प्रकार के अनुसार इन पिण्डों का वजन ५ से १० टन तक होता है।

कुछ समय पहले से ढलवां लोहे के सांचे बन रहे हैं।

मार्च १९६० में खनिज लोहे का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुमान के अनुसार मार्च, १९६० में ८ लाख ३० हजार टन खनिज लोहा निकाला गया।

इसे मिला कर जनवरी से मार्च १९६० तक २५ लाख ५३ हजार टन खनिज लोहा निकाला गया। यह पिछले साल की इस तिमाही से ३१ प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष की इस तिमाही में १९ लाख ३१ हजार टन खनिज लोहा निकाला गया था।

सबसे अधिक ३,२३,००० टन लोहा उड़ीसा में निकाला गया। बिहार में २,३५,००० टन लोहा निकाला गया। इसके अलावा मैसूर में १,१२,००० टन, मध्य प्रदेश में ७८,००० टन और बम्बई में ४२,००० टन खनिज लोहा निकाला गया।

इस महीने लोहा और इस्पात कारखानों को ५,९१,००० टन खनिज लोहा भेजा गया तथा १,८५,००० टन खनिज लोहे का निर्यात किया गया।

क्या आप जानते हैं?

भारत का खिलौना उद्योग

● देश में अनेक प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं—देवताओं की मूर्तियां, छोटे-छोटे पशु, पक्षी, फल आदि। इन खिलौनों तथा गुड़ियों में हमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के पहरावे, आभूषण, आदि की भी झांकी मिलती है।

● उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास और मैसूर के खिलौने प्रसिद्ध हैं। अपने विशेष प्रकार के खिलौने बनाने के लिए लखनऊ, मथुरा, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, कृष्णनगर, कलकत्ता, बरहमपुर, कोण्डपल्ली, तिरुचिरापल्ली, तिरुवांकुर, नासिक, गोकक और सावन्तवाड़ी प्रसिद्ध हैं।

● उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चिकनी मिट्टी के, राजस्थान में पेपरमैशी (लुगदी) और कपड़े के तथा मध्य प्रदेश में लकड़ी और मुलायम पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। दक्षिण के पूर्वी क्षेत्र में हल्के पीले अथवा लाल रंग की लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं।

● शुरू से ही कुम्हार मिट्टी के बर्तन के अलावा मूर्तियां और खिलौने भी बनाते आए हैं। अब रबड़ और प्लास्टिक के भी खिलौने बनने शुरू हो गए हैं।

● दक्षिण भारत के तटवर्ती जिले सीपी की चिड़िया और नाव बनाने तथा हैदराबाद सुपारी के चाय के छोटे सेट और बर्तन बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है।

● पश्चिम बंगाल मे कृष्णनगर खिलौनों का बहुत बड़ा केन्द्र है। वहां बाजा बजाती हुई मानव मूर्तियां, गुड़ियां, जानवर आदि अनेक प्रकार के खिलौने बनाए जाते है।

● विजयवाड़ा के निकट कोण्डपल्ली के खिलौनों में कारीगरी देखने लायक होती है। ये खिलौने लकड़ी के बनाए जाते है।

● गावों और कस्बों में खिलौने बनाने के छोटे उद्योग चल रहे हैं। इसके अलावा अनेक सस्थाएं और कारीगर भी बिक्री के लिए खिलौने बनाते है।

● खिलौनों से बच्चों को शिक्षा देने में बड़ी सरलता होती है। इसलिए अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल ने लकड़ी के शिक्षाप्रद खिलौने बनाने के लिए बम्बई मे *आजमायशी केन्द्र* खोला है। इस केन्द्र मे खिलौनो के नए नमूने और डिजाइन तैयार किए जाते है। इन्हें देश के विभिन्न केन्द्रों में भेज दिया जाता है, ताकि वे इन नमूनों और डिजाइनो के आधार पर खिलौने बनाएं।

● अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल बम्बई के केन्द्र को 'खिलौनों की राष्ट्रीय कारीगरी संस्था' बनाने पर विचार कर रहा है।

श्रम और रोजगार

सरकारी कारखानों में कर्मचारियों को सुख-सुविधाएं

विभिन्न सरकारी कारखानों में कर्मचारियों को सुख-सुविधा की व्यवस्था में १९५९-६० में और भी अधिक वृद्धि हुई। सिन्दरी के खाद-कारखाने, कलकत्ते की नेशनल इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी, बंगलौर की हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी तथा अन्य सरकारी कारखानों में भी कर्मचारियों के रहने के लिए मकानों, डाक्टरी सहायता, मनोरंजन क्लबों तथा शिक्षा के केन्द्र आदि की व्यवस्था में इस वर्ष बहुत विस्तार किया गया। हिन्दुस्तान केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स कम्पनी के प्रायः सब कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था कर दी गई है। एक छोटा-सा अस्पताल चालू है और १०० पलंगों का एक अस्पताल बन रहा है।

सिन्दरी में कर्मचारियों की सुख-सुविधा की व्यवस्था के लिए एक कोष ७ लाख रु० से स्थापित किया गया है। इस कोष का प्रबन्ध कर्मचारियों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधि मिल कर करते हैं। पूना की हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स फैक्टरी में श्रमिकों को मुफ्त दूध देने की एक योजना प्रारम्भ की गई है तथा बच्चों की शिक्षा की भी मुफ्त व्यवस्था है। भोपाल बिजली के कारखाने में कर्मचारियों के लिए अस्पताल, मनोरंजन क्लब और उपहारगृह आदि बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

सरकारी कारखानों में लाभ के हिस्से में से बोनस देने की प्रथा नहीं है। परन्तु कई कारखानों में श्रमिकों को विशेष रूप से अनुदान दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, सिन्दरी के कारखाने में १९५८-५९ में ५०० रु० से कम वेतन पाने वालों को १६ लाख रुपये वितरित किए गए। हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी ने अपने कर्मचारियों को इसी प्रकार की एक योजना के अनुसार १ लाख रुपये वितरित करने का निश्चय किया है। पिम्परी के पेनिसिलीन कारखाने में १९५९-६० में २ लाख रुपये वितरित किए गए।

बड़े बंदरगाहों में रोजगार की स्थिति

भारत के बड़े-बड़े बंदरगाहों में रोजगार की स्थिति काफी स्थिर है। इन बंदरगाहों में सितम्बर १९५८ के अन्त तक कुल जितने मजदूर काम कर रहे थे, उनमें से औसतन ४४.१८ प्रतिशत मजदूर ऐसे थे जिनकी नौकरियां १० साल या उससे भी अधिक समय पुरानी थीं। यह बात भारत सरकार के श्रम कार्यालय द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन और कांदला बंदरगाहों में मजदूरों की स्थिति के संबंध में किए गए अध्ययन से पता लगी है।

इस अध्ययन से पता चलता है कि इन बंदरगाहों से बहुत कम मजदूरों को काम से अलग किया गया। सितम्बर १९५८ में समाप्त हुए वर्ष में काम से अलग किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या २.०५ प्रतिशत थी। इनमें से ५० प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारी अवकाश प्राप्ति की अवस्था के कारण या मृत्यु के कारण काम से अलग हुए।

ठेके पर काम

अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार इन ६ बंदरगाहों में काम करने वाले ७३,४८६ मजदूरों में से ६९,४८५ मजदूर सीधे भर्ती किए गए थे और ४,००१ मजदूर ठेकेदारों के द्वारा काम पर लगे। ठेके पर मजदूर मुख्यतः इमारती काम या मरम्मत आदि के लिए लगाए जाते हैं। बड़े बंदरगाहों में स्त्री कर्मचारी नहीं के बराबर हैं। कांदला को छोड़ कर बाकी बंदरगाहों में मजदूरनियां मुश्किल से १ प्रतिशत हैं। कांदला में इनकी संख्या ३.९२ प्रतिशत है।

वेतन स्थिति

मासिक वेतन अथवा रोजनदारी का अध्ययन करने पर पता चला कि बम्बई और कलकत्ता के बंदरगाहों में कोई निश्चित नियम से वेतन नहीं दिए जाते जिसके परिणाम-स्वरूप अधिकांश कामों के लिए भिन्न-भिन्न वेतन-क्रम चालू हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग में भी वेतन-दरें अलग-अलग हैं। मद्रास और कोचीन बंदरगाहों में वेतन दर कुछ निश्चित हैं। विभिन्न बंदरगाहों में वेतन-दरों को उचित आधार पर निश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण

दिसम्बर १९५९ में कामदिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में १४ लाख २० हजार ९०१ लोगों के नाम दर्ज थे। इनमें से २ लाख ४८ हजार ४८९, यानी १७.५ प्रतिशत सरकारी नौकरी चाहते हैं।

केन्द्रशासित प्रदेश मणिपुर में ७,२१८ और पाण्डिचेरी में २,२९८ व्यक्तियों ने कामदिलाऊ दफ्तरों में अपना नाम दर्ज कराया। ये सब लोग केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं। त्रिपुरा के काम चाहने वालों में ९७ प्रतिशत केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं।

जम्मू-कश्मीर के कामदिलाऊ दफ्तरों में रजिस्टरशुदा २,४३० व्यक्तियों में से २,२६१ और उड़ीसा के २०,९९२ में से १८,९३३ सरकारी नौकरी चाहते हैं। इनके अलावा आंध्र के ५६.७ प्रतिशत, मद्रास के ३५ प्रतिशत और राजस्थान के ५४.८ प्रतिशत रजिस्टरशुदा काम चाहने वाले सरकारी नौकरी चाहते हैं।

भिलाई के फालतू कर्मचारियों को काम दिलाने का प्रयत्न

भोपाल के हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कारखाने के चार अफसर भिलाई इस्पात कारखाने के फालतू कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए आजकल वहां गए हुए हैं।

सैनिक कारखानों और रेलों के इसी तरह के भर्ती दल भिलाई जाकर पहले ही अपनी जरूरत के कर्मचारियों की भर्ती कर चुके हैं। भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण-कार्य धीमा हो जाने के कारण जो कर्मचारी बेकार हुए हैं, उन्हें दण्डकारण्य योजना और तेल-शोधक कारखानों आदि में काम देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

गई कारखाने के निर्माण-कार्य के लिए
ने कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं
, जितनों की पहले थी और कारखाने
की खानों को मिला कर यहां १९६०
भग २५ हजार कर्मचारी छाट दिए
। छटनी इस ढंग से की जाएगी कि कम
कर्मचारियों को बेकार होने की नौबत
नये कर्मचारियों को पहले और पुराने
रियों को बाद में अलग किया जाएगा।
रियों को काम दिलाने के लिए कारखाने
रगारियों ने भिन्न-भिन्न कारखानों और
। को भी लिखा है।

वास तथा नियोजन के केन्द्रीय महा-
ट (दिल्ली) ने भी भिलाई के फालतू
रियों को काम दिलाने में हर तरह की
ता करने का वचन दिया है। मध्य प्रदेश
मन्वय समिति अपने क्षेत्र में इन कर्म-
रों को लगाने का और क्षत्रीय परिषद
केन्द्रीय समन्वय समिति, मध्यप्रदेश से
काम दिलाने का प्रयत्न करेगी।

कार्यालय द्वारा औद्योगिक झगड़ों के फैसलों का अध्ययन

न्यायाधिकरणों और पंचों ने दिसम्बर १९५९ को समाप्त छमाही में २०९ य दिए। इनमें से १२७ यानी ६०.८ प्रति- दोनों पक्षों के आपसी फैसलों के अनुसार । केवल कपड़ा उद्योग में ही ९४ निर्णय लकों और मजदूरों के आपसी समझौतों अनुसार हुए।

भारत सरकार का श्रम कार्यालय समय- मय पर निर्णयों और समझौतों का यह जानने लिए अध्ययन करता है कि मजदूरों के तन, भत्ते और बोनस में कुछ वृद्धि हुई या ही। १९५९ की दूसरी छमाही में २०९ र्णय और ५ महत्वपूर्ण समझौते हुए।

बोनस के ८० मामले

श्रम कार्यालय की जांच से पता चलता है र कुल मामलों में से ८० मामले बोनस सम्बन्धी ६, ५६ मूल वेतन सम्बन्धी, ५९ मूल वेतन और महंगाई भत्ते सम्बन्धी तथा बाकी २३ वेतन महंगाई भत्ते से सम्बन्धित थे।

महंगाई भत्ते में वृद्धि

इस छमाही में दिल्ली, कानपुर और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सब स्थानों पर सूती कपड़ा कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता मिला। अहमदाबाद में महंगाई भत्ता ८५.३१ रु० से बढ़कर ९२.७५ रु०, बड़ौदा में ७५.९५ रु० से ८३.४८ रु० और बम्बई में ८३.४९ रु० से ८९.३४ रु० हो गया। इस अवधि में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, जिसके अनुसार उडीपी (मैसूर) में २१ हथकरघा कारखानों में मजदूरी २ आना रुपया बढ़ा दी गई।

मार्च १९६० में औद्योगिक झगड़ों की स्थिति

मार्च १९६० में ९५ नये औद्योगिक झगड़े प्रारम्भ हुए। इस प्रकार, इस महीने में किसी भी समय झगड़ों की अधिक से अधिक संख्या १२५ तक रही। इनमें १९ तालाबन्दी भी शामिल हैं। पिछले महीने भी नये झगड़े ९५ हुए थे। परन्तु किसी भी समय चलने वाले अधिक से अधिक औद्योगिक झगड़ों की संख्या १३३ थी।

इस महीने ९० झगड़े समाप्त हुए। इनमें से ५५ ऐसे थे जो पांच दिन से अधिक जारी नहीं रहे और सात झगड़े ३० दिन से अधिक चलते रहे। इस महीने में इन औद्योगिक झगड़ों के कारण काम के कुल ४ लाख ७० हजार २५८ जन-दिनों की हानि हुई, जिसमें से ३ लाख ४० हजार ७८ दिनों की हानि विभिन्न प्रकार का माल तैयार करने वाले संगठनों में हुई। पश्चिम बंगाल में काम के दिनों की हानि सबसे अधिक हुई। इसके बाद क्रमशः बम्बई, मद्रास और बिहार का स्थान रहा।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमण्डल

जिनेवा में १ जून से २३ जून, १९६० तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का ४४वां अधिवेशन हो रहा है। इसमें भारतीय शिष्टमण्डल के नेता बिहार के श्रम मंत्री, श्री विनोदानन्द झा हैं।

शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों के नाम ये हैं. सरकार के प्रतिनिधि : आसाम के श्रम मंत्री, श्री बिश्वदेव शर्मा (प्रतिनिधि); श्रम और नियोजन मंत्रालय के सचिव, श्री पी० एम० मेनन (अतिरिक्त प्रतिनिधि और सलाहकार); जिनेवा में भारत के महावाणिज्य दूत, श्री ए० एम० मेहता (सलाहकार); जिनेवा में भारतीय महावाणिज्य दूत के श्रम सहकारी, डा० एम० डी० मीरानी (सलाहकार)।

मालिकों के प्रतिनिधि . एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इण्डिया, बम्बई, के अध्यक्ष, श्री नवल एच० टाटा (प्रतिनिधि); एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इण्डिया, बम्बई, के मंत्री, श्री टी० एस० स्वामीनाथन (सलाहकार); भारतीय व्यापार मण्डल, कलकत्ता, के मंत्री, श्री सी० ए० पांडे (सलाहकार)।

मजदूरों के प्रतिनिधि : राष्ट्रीय मजदूर संघ, बम्बई के मंत्री, श्री जी० डी० अम्बेकर (प्रतिनिधि); लिग्नाइट माइन नेशनल वर्कर्स यूनियन, नैवेली, के मंत्री, श्री एम० एन० मैसक्रेनहस (सलाहकार); इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन, लखनऊ, के मंत्री, श्री राजाराम पाण्डे (सलाहकार)।

उद्योग कर्मचारियों को मकानों के लिए मिलने वाली सहायता में वृद्धि

अब उद्योग कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए पूरी लागत के बराबर सहायता मिल सकेगी। आशा है इस सुविधा से लाभ उठाने के लिए कल-कारखानों के कर्मचारियों को मकान बनाने वाली सहकार समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

मकान की पूरी लागत के बराबर सहायता देने के लिए सरकारी सहायता से उद्योग कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की योजना को उदार बनाया गया है और भविष्य निधि योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है। मकान बनाने की उक्त योजना के अधीन मकान की लागत का आधा कर्ज मिलता था। उसे बढ़ा कर ६५ प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा २५ प्रतिशत के बराबर सहायता मिलती है और बाकी १० प्रतिशत अब कर्मचारी अपनी भविष्य निधि में से ले सकेगा, जो उसे वापस नहीं करना पड़ेगा।

सहायता स्वीकृत एजेंसियों, जैसे सहकारी समितियों, कारखानों के मालिकों, नगरपालिकाओं आदि के जरिए दी जाती है।

बिना परिवार वाले मजदूरों के लिए होस्टल

केन्द्रीय सरकार ने मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत बिना परिवार वाले मजदूरों के लिए होस्टल या बारेंके बनाने की इजाजत देने का निश्चय किया है। अब तक केवल मजदूरों के लिए दो-दो कमरों वाले क्वार्टरों की इमारतें और मकान बनाने के लिए जमीन सुधारने के वास्ते ही सहायता दी जाती थी।

होस्टल का किराया भी कमरों वाले मकान का आधा होगा।

कलकत्ता, कानपुर और अहमदाबाद जैसे स्थानों पर, जहां बहुत-से मजदूर अपने परिवारों को गांव में छोड़कर रहते हैं, होस्टलों की काफी मांग होगी।

मजदूर और परिवहन

राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ का सम्मेलन

मैसूर में २९ मई को राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रेल मन्त्री, श्री जगजीवन राम ने कहा कि वेतन आयोग की जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उनको शीघ्र ही अमल में लाने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है और इस सम्बन्ध में सरकारी निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

रेल मन्त्री ने कहा कि न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में सरकार आयोग की सिफारिशों से अधिक कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि देश की अर्थ-व्यवस्था इससे अधिक भार सहन नहीं कर सकती। सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिश के अनुसार, चौथी श्रेणी के सबसे निचले वर्ग के कर्मचारियों का औसत वेतन ७८ रु० ३३ नये पैसे से बढ़कर ८८ रु० ७५ नये पैसे हो जाएगा। मकान के किराये और नगर भत्ते की दरें भी बढ़ाई जा रही हैं। मकान का भत्ता देने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उन्हें भी और नरम किया जा रहा है। अधिकांश महंगाई भत्ता मूल वेतन में मिल जाने से कर्मचारियों को पर्याप्त फायदा होगा और पेंशन पाने के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गई हैं, उनसे सभी वर्गों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने तथा पिछला बकाया देने आदि में कुछ समय लगेगा। परन्तु इसके लिए सरकार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि यह काम शीघ्र से शीघ्र पूरा हो सके।

रेल मन्त्री ने कहा कि वेतन आयोग की जो सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं, उनके कारण रेलों का खर्च १३ करोड़ रु० प्रतिवर्ष बढ़ जाएगा। यह खर्च प्रतिवर्ष और भी अधिक बढ़ता जाएगा। इसे पूरा करने के लिए सरकार को १ अप्रैल, १९६० से माल-भाड़े की दरों में कुछ हेर-फेर भी करनी पड़ी है।

काम के घंटे बढ़ाये जाने और आकस्मिक छुट्टियां कम किये जाने की कुछ आलोचना की जाती है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि यह निश्चय केवल दफ्तरी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। रेलों के कर्मचारियों में १० प्रतिशत से भी कम दफ्तरी कर्मचारी हैं। इसलिए काम के घंटों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिश का प्रभाव ९० प्रतिशत रेल कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। जहां तक छुट्टियों का सम्बन्ध है, वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण रेलवे कर्मचारियों को तीन राष्ट्रीय छुट्टियां मिलेंगी, जो अभी तक उन्हें नहीं मिलती थीं। यह निश्चय ही उनके बड़े लाभ की बात है।

रेलवे पास और पी० टी० ओ० के सम्बन्ध में किए जाने वाले आन्दोलन का जिक्र करते हुए मन्त्री महोदय ने कहा कि यह उचित नहीं है। सरकार ने स्थिति को यथापूर्व रखने का निश्चय कर लिया है और कोई भी नया निश्चय रेलवे कर्मचारियों के संघों से बातचीत किए बिना नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस बात को फिर दोहराते हैं कि इस विषय पर निर्णय करने से पूर्व रेलवे संगठनों से परामर्श किया जाएगा।

नये वेतन-क्रम निर्धारित करते समय कुछ विचित्र परिस्थितियां उपस्थित हो सकती हैं। परन्तु रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों के संघों को यह विश्वास पहले ही दिला दिया है कि कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रत्येक विषय पर बड़ी सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा।

मन्त्री महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों में पारस्परिकता की भावना होनी चाहिए। अधिकारियों को चाहिए कि वे अनुशासन का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई काम पूरा नहीं होता। परन्तु साथ ही उन्हें कर्मचारियों की सुख-सुविधा, भलाई और सहूलियतों का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलें राष्ट्रीय उद्योग हैं और इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों में कोई संघर्ष नहीं हो सकता। अफसरों और कर्मचारियों के सम्बन्ध सुदृढ़ होने चाहिए और उनमें आपसी विश्वास की भावना पैदा होनी चाहिए। मन्त्री महोदय ने कहा कि यात्रियों की सुख-सुविधा, रेलवे माल की चोरी तथा रेलों में भ्रष्टाचार की रोकथाम आदि बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जिनके सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारी और उनके संगठन बहुत कुछ कर सकते हैं।

तीसरी श्रेणी के सोने के नये डिब्बे

लम्बी यात्रा करने वाली ६ रेल गाड़ियों में शीघ्र ही तीसरी श्रेणी के सोने के लिए नये डिब्बे जोड़ दिए जाएंगे, जिनमें ५०० मील से ज्यादा की यात्रा करने वाले मुसाफिर अतिरिक्त किराया दिए बिना यात्रा कर सकें। ये डिब्बे तले-ऊपर तीन सीटों वाले पुराने डिब्बों के स्थान पर चालू होंगे, जिनमें आजकल प्रति रात्रि का ३ रु० किराया लगता है।

ये नये डिब्बे दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रेस, बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस, मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस, नयी दिल्ली-हावड़ा वातानुकूलित एक्सप्रेस, नयी दिल्ली-बम्बई सेंट्रल वातानुकूलित एक्सप्रेस और नयी दिल्ली-मद्रास सेंट्रल वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाए जाएंगे। संबंधित रेल प्रशासन इस बात का निर्णय करेंगे कि ये डिब्बे कब से चालू किये जाएं।

आशा है कि अगले चार महीनों में ऐसे और ने प्राप्त हो जाएंगे। इनके प्राप्त होने रेलगाड़ियों की आवश्यकतानुसार इन्हें निम्नलिखित गाड़ियों में जोड़ दिया जाएगा: टी० एक्सप्रेस, पंजाब मेल, हावड़ा-... मेल, सियालदा-पठानकोट एक्सप्रेस, ... मेल, तूफान एक्सप्रेस, हावड़ा-...गर मेल, हावड़ा-बम्बई मेल, हावड़ा-...बाद एक्सप्रेस, मद्रास-बम्बई एक्सप्रेस, ...डिया एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस, ...-देहरादून एक्सप्रेस, मद्रास-बंगलौर हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस और बम्बई-...णगी एक्सप्रेस।

...ल ही में रेल मन्त्री ने यह घोषणा की ... अगले साल के मध्य तक ५०० मील ...दा की प्रत्येक मुसाफिर गाड़ी में तीसरी ... के सोने का कम से कम एक नया डिब्बा ... जोड़ दिया जाएगा।

...ल मंडल के नये अतिरिक्त सदस्य

...र रेल के वर्तमान चीफ आपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट श्री आर० बी० लाल को रेल ...ल का स्थानापन्न अतिरिक्त सदस्य ...(...) नियुक्त किया गया है। इनकी ...र श्री एम० आर० कल्याणरमण के ... पर हुई है। श्री कल्याणरमण छुट्टी ... हैं और छुट्टी की समाप्ति पर रिटायर ...।

...लाल ने २१ मई को अपने पद का कार्य-भार ग्रहण किया है।

...दी अरब के लिए रेडियो-टेलीफोन की दरों में परिवर्तन

...दी अरब में अधिकारियों ने रेडियो-टेलीफोन की दरों में परिवर्तन कर दिया ... जून से जद्दा के अलावा सऊदी अरब के ... स्थानों के लिए पहले तीन मिनट बातचीत का ... रु० लगेगा। हर अति-... मिनट की बातचीत के लिए १५ रु० ... लिया जाएगा।

जद्दा को रेडियो-टेलीफोन करने के लिए ... तीन मिनट का पहले की तरह ४० रु० ... हर अतिरिक्त मिनट के १३ रु० ३० ... देना होगा।

मंझले बन्दरगाह विकास समिति का प्रतिवेदन

मंझले बन्दरगाह विकास समिति ने सिफारिश की है कि चार मझले बन्दरगाहों का इस प्रकार विकास किया जाए और वहां आधुनिक सुविधाएं दी जाएं कि वे सारे साल चालू रह सकें। इस काम पर कुल ३७ करोड़ ७६ लाख रु० खर्च होगा। यह सिफारिश मद्रास में तूतीकोरन, मैसूर में मंगलौर, उड़ीसा में प्रदीप और गुजरात में पोरबन्दर के बारे में की गई है। समिति का कहना है कि तूती-कोरन और मंगलौर बन्दरगाहों के विकास को प्रथम प्राथमिकता दी जाए, जिन पर क्रमशः १० करोड़ २७ लाख रु० और १२ करोड़ ७० लाख रु० खर्च होगा। प्रदीप पर ९ करोड़ ५४ लाख रु० और पोरबन्दर पर ५ करोड़ २५ लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। इन दोनों के विकास को द्वितीय प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। समिति ने देश के समुद्रतट के २१ अन्य छोटे और मझले बन्दरगाहों का विकास करने की सिफारिश की है।

यह समिति भारत सरकार ने अक्तूबर १९५८ में स्थापित की थी। केन्द्रीय परिवहन और संचार मन्त्रालय के विकास सलाहकार और संयुक्त सचिव, श्री एम० पी० मथरानी इसके अध्यक्ष थे। समिति से कहा गया था कि वह कुछ मझले बन्दरगाहों का चुनाव करे, जिनका आधुनिक ढंग पर विकास किया जा सके और उनके लिए उचित प्राथमिकता निर्धारित करे। इस सम्बन्ध में देश की और क्षेत्रीय जरूरतों, इंजीनियरी के पहलुओं आदि पर भी विचार करने को कहा गया था। आज-कल इस समिति की रिपोर्ट परिवहन और संचार मन्त्रालय के विचाराधीन है।

खनिज लोह का निर्यात

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भविष्य में बन्दरगाहों का काम बढ़ता जाएगा और खासकर खनिज लोह के निर्यात में वृद्धि होने से इनका विकास बहुत जरूरी है। समिति ने सिफारिश की है कि मंगलौर और प्रदीप के अलावा आन्ध्रप्रदेश में काकिनाडा और मसू-लिपटनम, मद्रास में कुड्डलोर, मैसूर में कारवार, और महाराष्ट्र में रेडी बन्दरगाहों का इस प्रकार विकास किया जाए कि यहां से कुल ४५ लाख टन खनिज लोह का निर्यात हो सके।

समिति का कहना है कि केरल के नीन्द-कारा बन्दरगाह को मझला बन्दरगाह बनाया जाए, ताकि यहां प्रतिवर्ष ४ लाख टन सामान लादा और उतारा जा सके। इस पर लगभग ९२ लाख ५० हजार रु० खर्च होने का अनु-मान है। इस काम को समिति ने सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सिफारिश की है।

कलकत्ता बन्दरगाह की सफाई के लिए नया जहाज

कलकत्ता के बन्दरगाह की सफाई के लिए ५३ लाख रु० का सफाई जहाज खरीदने के बारे में बातचीत करने के लिए बन्दरगाह के चार अधिकारियों की टोली २२ मई को हालैंड रवाना हुई। इस जहाज के आ जाने पर हुगली से बालू मिट्टी निकालने के काम में और सुविधा हो जाएगी। जहाजों के बन्दर-गाह तक आने के लिए हुगली में मिट्टी निकालने का काम लगातार चलता रहता है।

कलकत्ता बन्दरगाह के डिप्टी कन्जरवेटर, कमांडर सी० जे० मोहन इस टोली के नेता हैं। कमांडर मोहन जहाज का निरीक्षण करेंगे और इसके आवश्यक सुधार का भी प्रबन्ध करेंगे, जिससे कलकत्ता पहुंचते ही यह जहाज काम करना शुरू कर दे।

नये 'मैतेना' सफाई-जहाज के आ जाने पर बन्दरगाह की सफाई के पांच जहाज हो जाएंगे। वर्तमान चार जहाजों में से दो काफी पुराने और दो हाल ही में खरीदे हुए हैं। वर्तमान सफाई जहाज 'भागीरथी' के नमूने पर एक नया जहाज बनाने का आर्डर दिया जा चुका है। अगले साल के शुरू में इस जहाज के मिल जाने की आशा है। एक और सफाई-जहाज बनाने का आर्डर देने पर विचार किया जा रहा है।

बन्दरगाहों की दुर्घटनाओं की जांच

भारत सरकार ने बड़े बन्दरगाहों के अधि-कारियों को आदेश दिये हैं कि कानूनी तौर पर लाजिमी न होने पर भी बन्दरगाह क्षेत्र की ऐसी प्रत्येक दुर्घटना की, जिसमें कर्म-चारी की मृत्यु हो जाए, जांच की जाए।

इसका उद्देश्य यह है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाए और ऐसे उपाय किए जाएं कि ऐसी दुर्घटनाएं दुबारा न हों।

अब तक कलकत्ता बन्दरगाह में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की जांच विभागीय अध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। बम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम् और कांडला बन्दरगाहों के अधिकारियों को भी इसी प्रकार जांच करने का आदेश दिया गया है। विभिन्न बन्दरगाहों के अधिकारियों ने जांच के नियम बनाए हैं।

प्रत्येक दुर्घटना की जांच करने में बचाव के अधिक प्रयत्न किए जाएंगे और रक्षा के विभिन्न साधनों का उपयोग होगा। साथ ही बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन होगा।

बन्दरगाहों में इन नियमों का पालन कराने के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। कर्मचारियों को बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं।

भारत-फ्रांस हवाई-समझौता

भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के प्रतिनिधियों ने नयी दिल्ली में हवाई-मार्ग के बारे में २० मई को जो बातचीत शुरू की थी, वह २३ मई को समाप्त हो गयी। दोनों ने एयर इण्डिया इण्टरनेशनल और एयर फ्रांस के विमानों की एक-दूसरे के क्षेत्र में उड़ानों के बारे में अन्तरिम समझौता किया।

इस समय एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के विमान सप्ताह में दो बार पेरिस होते हुए न्यूयार्क जाते हैं और एयर फ्रांस के विमान सप्ताह में तीन बार भारत होते हुए सुदूर पूर्व जाते हैं। अब प्रतिनिधि इस पर सहमत हो गए हैं कि अप्रैल १९६१ से एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के विमान सप्ताह में चार बार पेरिस होते हुए न्यूयार्क और एयर फ्रांस के भी इतनी ही बार भारत होते हुए जा सकते हैं।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता, नागरिक उड़ान के महानिदेशक श्री के० एम० राहा और फ्रांस सरकार के प्रतिनिधि-मण्डल के नेता वहां के नागरिक उड़ान के निदेशक श्री पियरे सौना थे।

अन्तर्राष्ट्रीय तार संचार संघ की प्रशासन परिषद का वार्षिक सम्मेलन

जिनेवा में २८ मई से अन्तर्राष्ट्रीय तार संचार संघ की प्रशासन परिषद का १५वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। यह सम्मेलन लगभग ५ सप्ताह तक चलेगा। इसमें भारत की ओर से परिवहन और संचार मंत्रालय के सलाहकार श्री एन० वी० गदागर भाग ले रहे हैं।

यह परिषद इस संघ की सबसे बड़ी संस्था है और यह अन्तर्राष्ट्रीय तार संचार सम्मेलनों में किए गए निर्णयों को लागू करवाती है। भारत पहली बार १९५२ में इस परिषद का सदस्य चुना गया था। १९५९ में यह दुबारा इस परिषद का सदस्य चुना गया।

पूर्वी अफ्रीका के लिए रेडियो-टेलीफोन

२३ मई से भारत से पूर्वी अफ्रीका के लिए रेडियो-टेलीफोन करने का समय बढ़ा दिया गया है। अब रविवार के अलावा, अन्य सब दिन दोपहर १२ बजे से १-४५ बजे तक पूर्वी अफ्रीका को रेडियो-टेलीफोन किया जा सकता है।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था

१ जून, १९६० से भारत से आस्ट्रेलिया को रेडियो-टेलीफोन करने का समय बढ़ाया जा रहा है। अब रविवार के अलावा सब दिन सुबह ११-४५ से १ बजे दोपहर तक रेडियो-टेलीफोन किया जा सकता है।

भारत और फ्रांसीसी सहारा के बीच रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था

भारत से फ्रांसीसी सहारा के कोलम्ब-बेचार, अल-औद और हस्सी-मसूद एक्सचेंजों को सुबह ११-३० बजे से रात को १२-१५ बजे (भारतीय स्टैंडर्ड समय) तक रेडियो-टेलीफोन किए जा सकते हैं।

खाद्य और कृषि

दिल्ली में केन्द्रीय गोदाम

खेती की पैदावार को वैज्ञानिक ढंग से रखने के लिए दिल्ली में ६०० टन की क्षमता का एक केन्द्रीय गोदाम खोला गया है। यह गोदाम शक्तिनगर में केन्द्रीय गोदाम निगम की ओर से खोला गया है। इससे सहकारी समितियों, किसानों और व्यापारियों की जरूरतें पूरी होंगी। इसकी क्षमता जल्दी ही ७,५०० टन तक बढ़ा दी जाएगी। फल और सब्जी जैसे जल्दी नष्ट होने वाले पदार्थों को रखने के लिए एक ठंडा गोदाम बनाया जा रहा है।

केन्द्रीय गोदाम निगम ने देश में अब तक २६ गोदाम खोले हैं।

टिड्डी दलों के आने की पूर्व सूचना

भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वे ने ऐसे तरीके निकाले हैं, जिनसे टिड्डी दलों के आने की पहले से सूचना मिल सकेगी। ये सूचनाएं टिड्डी दलों को नष्ट करने वाली टुकड़ियों के बहुत काम की हैं।

हाल में टिड्डियों की पिछली टांगों पर रीढ़ की हड्डी होने के बारे में नयी जानकारी हुई है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि किस जाति की टिड्डियां दल बनाकर उड़ती हैं और कौन नहीं। इससे टिड्डी दलों के आने की पहले से सूचना देने में बहुत मदद मिलेगी।

पशु-चिकित्सा के अध्यापकों के लिए *पुनरभ्यास पाठ्यक्रम*

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद १ जून, १९६० से भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था, आइजट नगर में पशु-पोषण संबंधी एक पुनरभ्यास पाठ्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह पाठ्यक्रम ६ सप्ताह का होगा।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य पशु-चिकित्सा कालेजों के अध्यापकों को पशु-चिकित्सा संबंधी विभिन्न विषयों की, विशेषतः पशु-पोषण के संबंध में नवीनतम जानकारी देना है।

की चीजों में मिलावट रोकने के नियमों में संशोधन

५ के खाने की चीजों में मिलावट रोकने के नियमों के संशोधन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार । इसके स्वीकृत होने पर देश भर के ों को फोटो लगा हुआ पहचान का ना होगा । इस समय फेरी वालों को ा बिल्ला लगाना होता है, जिस पर का नम्बर आदि खुदा होता है । शोधन से राज्य सरकारों को खिसारी की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार मिल जाएगा । खिसारी खाने से टांगों को लकवा मार जाता है ।

एक संशोधन के अनुसार 'टोन्ड' दूध में फारमेल्नि मिलाने की इजाजत दी जाएगी । कच्चे दूध की शुद्धता की जो कसौटी है, वह उबले दूध पर भी लागू होगी । फल के शर्बतों में २५ प्रतिशत फल का रस रहना आवश्यक होगा । अदरख का रंग उडाने के लिए चूने के प्रयोग की इजाजत दी जाएगी । मारगरीन में कोई भी रंग मिलाने की इजाजत नहीं होगी ।

ो योजनाएं और बिजली

८-५९ में बड़ी और मंझली योजनाओं से सिंचाई

९५८-५९ में चार बहुमुखी नदी घाटी जनाओं—भाखड़ा नंगल, दामोदर गम, तुंगभद्रा और हीराकुड से २५ रड़ जमीन की सिंचाई हुई । इनमें से नंगल योजना द्वारा पंजाब और राज- में १९ लाख ५० हजार एकड़ जमीन ाई हुई । दामोदर घाटी निगम से ल में २ लाख ३५ हजार एकड़ जमीन हीराकुड से उड़ीसा में २ लाख ८५ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई । तुंगभद्रा से मैसूर और आंध्र प्रदेश में १ लाख ार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई । वैसे, रों योजनाओं से कुल ३७ लाख एकड़ की सिंचाई हो सकती थी ।

रों गयों बड़ी और मंझली सिंचाई ओं की कुल जितनी सिंचाई क्षमता [illegible] ८० प्रतिशत [illegible] उपयोग माना है, १९५९-६१ इन दो वर्षों में सिंचाई क्षमता और वास्तविक उप- [illegible] जारी रहेगा ।

[१९५०-६१ में सब प्रकार के साधनों [illegible] लाख एकड़ जमीन की सिंचाई । इनमें से २२० लाख एकड़ जमीन की बड़ी और मंझली सिंचाई योजनाओं हुई । इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय के अन्त तक बड़ी और मंझली योजनाओं से ३३५ लाख एकड़ और जमीन की सिंचाई होने लगेगी ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, अर्थात् १९७५-७६ तक लगभग १८ से १९ करोड़ एकड़ जमीन के लिए सिंचाई की सुविधाएं कर देने का विचार है । आशा है, इसमें से लगभग ९ करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई बड़ी और मंझली योजनाओं द्वारा होने लगेगी ।

पहली और दूसरी योजनाओं में जो बड़ी और मंझली सिंचाई योजनाएं शामिल की गई हैं, उन पर लगभग १,४०० करोड़ रु० की लागत का अनुमान है ।

भाखड़ा योजना की प्रगति

भाखड़ा बांध अब १ मई, १९६० को अपनी सबसे गहरी नींव से ५३४ फुट की ऊंचाई तक बन गया है और इसके बाईं तरफ के बिजलीघर में ९० हजार किलोवाट के यंत्र के अक्तूबर १९६० में चालू हो जाने की सम्भावना है ।

बिजलीघर का निर्माण काफी आगे बढ़ चुका है और इसके टर्बाइन, जेनरेटर, ट्रान्सफार्मर तथा बिजली का बोर्ड करीब-करीब पूरे हो चुके हैं और १९६१ में ये काम करने लगेंगे । कोटला और गंगुवाल बिजलीघरों के बिजली बनाने वाले तीसरे यंत्र भी जनवरी-अप्रैल, १९६१ में तैयार हो जाएंगे । ये दोनों बिजलीघर नंगल नहर पर हैं ।

भाखड़ा और नंगल के बिजलीघरों की क्षमता अप्रैल, १९६१ में ९६ हजार किलोवाट से बढ़कर ६ लाख ४ हजार किलोवाट हो जाएगी ।

पंजाब और राजस्थान में बिजली की अधिकांश लाइनें तैयार हो चुकी हैं । ६६ के० वी० की ९५० मील लम्बी बिजली की लाइनें पंजाब में लग चुकी हैं और करीब १५० मील लम्बी राजस्थान में । इसके अलावा चार छोटे बिजलीघर भी बनकर करीब-करीब तैयार हो चुके हैं । इनमें से दो पंजाब में सोलन और शिमला में हैं और दो राजस्थान में रतनगढ़ और बीकानेर में बन रहे हैं ।

राजस्थान को पिछली जनवरी से भाखड़ा-नंगल योजना की बिजली मिलनी शुरू हुई । यह बिजली श्रीगंगानगर के छोटे बिजलीघर से मिल रही है ।

उत्तर-पश्चिम नदी आयोग के सुझाव

पंजाब की सरकार बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए एक केन्द्र खोलेगी । देश में इस प्रकार का यह दूसरा केन्द्र होगा । इसे खोलने का सुझाव उत्तर-पश्चिम नदी आयोग की हाल में हुई चंडीगढ़ की बैठक में दिया गया था । बैठक में पंजाब, जम्मू, उत्तर रेल और केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के चीफ इंजीनियर; भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग की वेधशालाओं के महानिदेशक; हिमाचल प्रदेश के जंगल विभाग के इंस्पेक्टर जनरल और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि उपस्थित था ।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक नदी में बाढ़ की पूर्व सूचना देने के केन्द्र खोलने से नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी । प्रत्येक राज्य में बाढ़ के आंकड़ों को एकत्रित करने के विशेष कार्यालय खोले जाएं ।

आयोग ने यह भी कहा है कि भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग वर्षा-मापक यंत्रों की निर्धारित जांच करे, ताकि हर साल एक-तिहाई यंत्रों की जांच हुआ करे । हिमालय क्षेत्र की वेधशालाएं जल और ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करती रहें । इस समय हिमालय क्षेत्र में ८० वेधशालाएं हैं : नेपाल में ५८, सिक्किम में ३ और भूटान में १९ ।

नवम्बर १९५८ में सबसे पहले आजमाइशी तौर पर दिल्ली में एक केन्द्र खोला गया था। यह यमुना नदी के बारे में आंकड़े एकत्र करता है। केन्द्र ने पिछले वर्ष यमुना के बाढ़ के वेग की ठीक-ठीक सूचना दो दिन पहले दी, जिससे दिल्ली में नदी के किनारों के गांवों को सम्पत्ति नष्ट होने से बचाई जा सकी।

दूसरी और तीसरी योजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कुल ५८ लाख किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता हो जाएगी।

तीसरी योजना यानी १९६५-६६ के अन्त तक, इसके अलावा ६० लाख किलोवाट बिजली और बनने लगेगी। इसमें से २४ लाख किलोवाट बिजली उन योजनाओं से पैदा होने लगेगी जो दूसरी योजना में पूरी नहीं हो सकेंगी। बाकी ३६ लाख किलोवाट नयी योजनाओं से बनने लगेगी। इसमें से ३ लाख किलोवाट बिजली उस अणु-बिजली केन्द्र में बनेगी जो तीसरी योजना में स्थापित किया जाने वाला है। इस प्रकार १९६५-६६ में देश में कुल १ करोड़ १८ लाख किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता हो जाएगी।

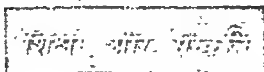
इसके साथ-साथ बिजली वितरित करने के लिए बिजली की लाइनें भी बढ़ा दी जाएंगी। दूसरी योजना के अन्त तक ऐसी कुल ३५ हजार मील लम्बी लाइनें बन चुकेंगी। तीसरी योजना में इसके अलावा ३५ हजार मील लम्बी हाई वोल्टेज लाइनें और बनाने का विचार है।

सिंचाई और जल निकास सम्बन्धी विश्व-सम्मेलन

मैड्रिड, 'स्पेन' में ३० मई, १९६० से अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग का चौथा सम्मेलन हो रहा है, जो सात दिन चलेगा। यह आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्य संस्था है। इसमें ४५ देशों के लगभग ७०० प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन में भारत की ओर से चार सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल भाग ले रहा है। केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एन० डी० गुलाटी इस मण्डल के नेता हैं। अन्य सदस्य हैं:—उत्तर प्रदेश के मुख्य इंजीनियर श्री जी० के० अग्रवाल; पंजाब के मुख्य इंजीनियर श्री जी० एस० सिंह; और बम्बई के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्री ई० सी० सलडाना। केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के सदस्य श्री यादव मोहन इस आयोग के महामंत्री हैं।

[अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग की स्थापना सन् १९५० में हुई थी और नयी दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय खोला गया था। स्थापना के समय ११ देश इसके सदस्य थे और अब इसके ४५ देश सदस्य बन चुके हैं। अब तक विशेष विषयों पर इस आयोग के तीन सम्मेलन—१९५१ में नयी दिल्ली में; १९५४ में अल्जीयर्स में और १९५७ में सानफ्रांसिस्को में—हो चुके हैं।]



देवनागरी लिपि का संशोधित स्वरूप

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देवनागरी लिपि का अंतिम संशोधित स्वरूप प्रकाशित कर दिया गया है। यह स्वरूप सन् १९५९ के शिक्षा मंत्री सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित है।

यह सूचना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की २९ मई की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि हिन्दी में कामकाज करने में वे इसी संशोधित लिपि का व्यवहार करें।

देवनागरी लिपि के अक्षरों का एक रूप निश्चित करने के लिए और छपाई तथा टाइपराइटिंग की सुविधा की दृष्टि से इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

इस विषय पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकार का भी ध्यान गया था। इसी उद्देश्य से नवम्बर सन् १९५३ में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक सम्मेलन किया था, जिसने देवनागरी लिपि में कुछ संशोधन किए। जनवरी १९५५ में भारत सरकार ने इस सम्मेलन के निश्चयों को स्वीकार किया और राज्य सरकारों को भी अपने हिन्दी के कामकाज में इसी संशोधित रूप का व्यवहार करने का सुझाव दिया।

राज्य सरकारों से जो जवाब आए उनसे पता चला कि अनेक राज्यों को सन् १९५३ के लखनऊ सम्मेलन के निश्चय पूरी तरह स्वीकार्य नहीं हैं। इस सम्मेलन के कुछ निश्चयों का हिन्दी-जगत में भी स्वागत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सन् १९५३ से १९५७ के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन निश्चयों पर अमल करने में बहुत व्यावहारिक कठिनाइयां मालूम पड़ीं।

इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्तूबर १९५७ में एक और सम्मेलन इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिए बुलाया। इस सम्मेलन ने पहले सम्मेलन के निश्चयों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की सिफारिश की।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने तब इस प्रश्न पर फिर से विचार किया और इसे शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सामने रखने का निश्चय किया। शिक्षा मंत्री सम्मेलन में यह विषय पेश करने के पहले भारत सरकार ने विशेषज्ञों का भी एक सम्मेलन किया, जिससे शिक्षा मंत्रियों को इस विषय पर विशेषज्ञों की राय मालूम हो सके।

अगस्त १९५९ में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसने सन् १९५३ के लखनऊ सम्मेलन के निश्चयों को सन् १९५७ के सम्मेलन में स्वीकृत संशोधनों के साथ स्वीकार किया और कुछ और स्पष्टीकरण भी किए। शिक्षा मंत्री सम्मेलन के इन निश्चयों को अब कार्यान्वित किया जा रहा है।

खाने की चीजों में मिलावट रोकने के नियमों में संशोधन

१९५५ के खाने की चीजों में मिलावट रोकने के नियमों के संशोधन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है। इसके स्वीकृत होने पर देश भर के फेरी वालों को फोटो लगा हुआ पहचान का कार्ड रखना होगा। इस समय फेरी वालों को धातु का बिल्ला रखना होता है, जिस पर लाइसेंस या नम्बर आदि खुदा होता है।

इस संशोधन से राज्य सरकारों को खिसारी की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार मिल जाएगा। खिसारी खाने से टांगों को लकवा मार जाता है।

एक संशोधन के अनुसार 'टोन्ड' दूध में फारमेलिन मिलाने की इजाजत दी जाएगी। कच्चे दूध की शुद्धता की जो कसौटी है, वह उबले दूध पर भी लागू होगी। फल के शर्बतों में २५ प्रतिशत फल का रस रहना आवश्यक होगा। अदरख का रंग उड़ाने के लिए चूने के प्रयोग की इजाजत दी जाएगी। मारगरीन में कोई भी रंग मिलाने की इजाजत नहीं होगी।

नदी योजनाएं और बिजली

१९५८-५९ में बड़ी और मंझली योजनाओं से सिंचाई

सन् १९५८-५९ में चार बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं—भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी निगम, तुंगभद्रा और हीराकुड से २५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। इसमें से भाखड़ा नंगल योजना द्वारा पंजाब और राजस्थान में १९ लाख ५० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। दामोदर घाटी निगम से प० बंगाल में २ लाख ३५ हजार एकड़ जमीन की और हीराकुड से उड़ीसा में २ लाख ८५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। तुंगभद्रा योजना से मैसूर और आंध्र प्रदेश में १ लाख ५८ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। वैसे, इन चारों योजनाओं से कुल ३७ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती थी।

देश की सभी बड़ी और मझली सिंचाई योजनाओं की कुल जितनी सिंचाई क्षमता थी, उसके ८० प्रतिशत हिस्से का उपयोग हुआ। आशा है, १९५९-६१ इन दो वर्षों में भी कुल सिंचाई क्षमता और वास्तविक उपयोग का यह अनुपात जारी रहेगा।

सन् १९६०-६१ में सब प्रकार के साधनों से कुल ५११ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हुई थी। इसमें से २२० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई बड़ी और मझली सिंचाई योजनाओं द्वारा हुई। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक बड़ी और मझली योजनाओं से ३३५ लाख एकड़ और जमीन की सिंचाई होने लगेगी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, अर्थात् १९७५-७६ तक लगभग १८ से १९ करोड़ एकड़ जमीन के लिए सिंचाई की सुविधाएं कर देने का विचार है। आशा है, इनमें से लगभग ९ करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई बड़ी और मझली योजनाओं द्वारा होने लगेगी।

पहली और दूसरी योजनाओं में जो बड़ी और मझली सिंचाई योजनाएं शामिल की गई हैं, उन पर लगभग १,४०० करोड़ रु० की लागत का अनुमान है।

भाखड़ा योजना की प्रगति

भाखड़ा बांध अब १ मई, १९६० को अपनी सबसे गहरी नींव से ५३४ फुट की ऊंचाई तक बन गया है और इसके बाईं तरफ के बिजलीघर में ९० हजार किलोवाट के यंत्र के अक्तूबर १९६० में चालू हो जाने की सम्भावना है।

बिजलीघर का निर्माण कार्य आगे बढ़ चुका है और इसके टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफार्मर तथा बिजली का सामान करीब-करीब पूरे हो चुके हैं और १९६१ में ये काम करने लगेंगे। कोटला और गंगुवाल बिजलीघरों के बिजली बनाने वाले तीसरे यंत्र भी जनवरी-अप्रैल, १९६१ में तैयार हो जाएंगे। ये दोनों बिजलीघर नंगल नहर पर हैं।

भाखड़ा और नंगल के बिजलीघरों की क्षमता अप्रैल, १९६१ में ९६ हजार किलोवाट से बढ़कर ६ लाख ४ हजार किलोवाट हो जाएगी।

पंजाब और राजस्थान में बिजली की अधिकांश लाइनें तैयार हो चुकी हैं। ६६ के० वी० की ९५० मील लम्बी बिजली की लाइनें पंजाब में लग चुकी हैं और करीब १५० मील लम्बी राजस्थान में। इसके अलावा चार छोटे बिजलीघर भी बनकर करीब-करीब तैयार हो चुके हैं। इनमें से दो पंजाब में सोलन और शिमला में हैं और दो राजस्थान में रतनगढ़ और बीकानेर में बन रहे हैं।

राजस्थान को पिछली जनवरी में भाखड़ा-नंगल योजना की बिजली मिलनी शुरू हुई। यह बिजली श्रीगंगानगर के छोटे बिजलीघर से मिल रही है।

उत्तर-पश्चिम नदी आयोग के सुझाव

पंजाब की सरकार बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए एक केन्द्र खोलेगी। देश में इस प्रकार का यह दूसरा केन्द्र होगा। इसे खोलने का सुझाव उत्तर-पश्चिम नदी आयोग की हाल में हुई चण्डीगढ़ की बैठक में दिया गया था। बैठक में पंजाब, जम्मू, उत्तर रेल और केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के चीफ इंजीनियर; भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग की वेधशालाओं के महानिदेशक; हिमाचल प्रदेश के जंगल विभाग के इंस्पेक्टर जनरल और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि उपस्थित था।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक नदी में बाढ़ की पूर्व सूचना देने के केन्द्र खोलने से नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक राज्य में बाढ़ के आंकड़ों को एकत्रित करने के विशेष कार्यालय खोले जाएं।

आयोग ने यह भी कहा है कि भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग वर्षा-मापक यंत्रों की नियमित जांच करे, ताकि हर साल पुन-निरीक्षण यंत्रों की जांच हुआ करे। हिमालय क्षेत्र की वेधशालाएं जल और ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करती रहें। इस समय हिमालय क्षेत्र में ८० वेधशालाएं हैं : नेपाल में ५८, सिक्किम में ३ और भूटान में १९।

नवम्बर १९५८ में सबसे पहले आजमाइशी तौर पर दिल्ली में एक केन्द्र खोला गया था। यह यमुना नदी के बारे में आंकड़े एकत्र करता है। केन्द्र ने पिछले वर्ष यमुना के बाढ़ के वेग की ठीक-ठीक सूचना दो दिन पहले दी, जिससे दिल्ली में नदी के किनारे के गांवों की सम्पत्ति नष्ट होने से बचाई जा सकी।

दूसरी और तीसरी योजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कुल ५८ लाख किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता हो जाएगी।

तीसरी योजना यानी १९६५-६६ के अन्त तक, इसके अलावा ६० लाख किलोवाट बिजली और बनने लगेगी। इसमें से २४ लाख किलोवाट बिजली उन योजनाओं से पैदा होने लगेगी जो दूसरी योजना में पूरी नहीं हो सकेंगी। बाकी ३६ लाख किलोवाट नयी योजनाओं से बनने लगेगी। इसमें से ३ लाख किलोवाट बिजली उस अणु-बिजली केन्द्र में बनेगी जो तीसरी योजना में स्थापित किया जाने वाला है। इस प्रकार १९६५-६६ में देश में कुल १ करोड़ १८ लाख किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता हो जाएगी।

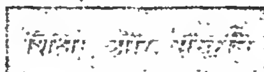
इसके साथ-साथ बिजली वितरित करने के लिए बिजली की लाइनें भी बढ़ा दी जाएंगी। दूसरी योजना के अन्त तक ऐसी कुल ३५ हजार मील लम्बी लाइनें बन चुकेंगी। तीसरी योजना में इसके अलावा ३५ हजार मील लम्बी हाई वोल्टेज लाइनें और बनाने का विचार है।

सिंचाई और जल निकास सम्बन्धी विश्व-सम्मेलन

मैड्रिड, 'स्पेन' में ३० मई, १९६० से अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग का चौथा सम्मेलन हो रहा है, जो सात दिन चलेगा। यह आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्य संस्था है। इसमें ४५ देशों के लगभग ७०० प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन में भारत की ओर से चार सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल भाग ले रहा है। केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एन० डी० गुलाटी इस मण्डल के नेता हैं। अन्य सदस्य हैं:—उत्तर प्रदेश के मुख्य इंजीनियर श्री जी० के० अग्रवाल; पंजाब के मुख्य इंजीनियर श्री जी० एम० मित्रू; और बम्बई के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री ई० सी० सल्दाना। केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के सदस्य श्री मदन मोहन इस आयोग के महामंत्री हैं।

[अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग की स्थापना सन् १९५० में हुई थी और नयी दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय खोला गया था। स्थापना के समय ११ देश इसके सदस्य बने थे और अब इसके ४५ देश सदस्य बन चुके हैं। अब तक विशिष्ट विषयों पर इस आयोग के तीन सम्मेलन—१९५१ में नयी दिल्ली में; १९५४ में अल्जीयर्स में और १९५७ में सानफ्रांसिस्को में—हो चुके हैं।]



देवनागरी लिपि का संशोधित स्वरूप

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत देवनागरी लिपि का अंतिम संशोधित स्वरूप प्रकाशित कर दिया गया है। यह स्वरूप सन् १९५९ के शिक्षा मंत्री सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित है।

यह सूचना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की २९ मई की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि हिन्दी में काम-काज करने में वे इसी संशोधित लिपि का व्यवहार करें।

देवनागरी लिपि के अक्षरों का एक रूप निश्चित करने के लिए और छपाई तथा टाइपराइटिंग की सुविधा की दृष्टि से इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

इस विषय पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकार का भी ध्यान गया था। इसी उद्देश्य से नवम्बर सन् १९५३ में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक सम्मेलन किया था, जिसने देवनागरी लिपि में कुछ संशोधन किए। जनवरी १९५५ में भारत सरकार ने इस सम्मेलन के निश्चयों को स्वीकार किया और राज्य सरकारों को भी अपने हिन्दी के कामकाज में इसी संशोधित रूप का व्यवहार करने का सुझाव दिया।

राज्य-सरकारों से जो जवाब आए उनसे पता चला कि अनेक राज्यों को सन् १९५३ के लखनऊ सम्मेलन के निश्चय पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। इस सम्मेलन के कुछ निश्चयों का हिन्दी-जगत में भी स्वागत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सन् १९५३ से १९५७ के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन निश्चयों पर अमल करने में बहुत व्यावहारिक कठिनाइयां मालूम पड़ीं।

इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्तूबर १९५७ में एक और सम्मेलन इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिए बुलाया। इस सम्मेलन ने पहले सम्मेलन के निश्चयों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की सिफारिश की।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने तब इस प्रश्न पर फिर से विचार किया और इसे शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सामने रखने का निश्चय किया। शिक्षा मंत्री सम्मेलन में यह विषय पेश करने के पहले भारत सरकार ने विशेषज्ञों का भी एक सम्मेलन किया, जिससे शिक्षा मंत्रियों को इस विषय पर विशेषज्ञों की राय मालूम हो सके।

अगस्त १९५९ में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसने सन् १९५३ के लखनऊ सम्मेलन के निश्चयों को सन् १९५७ के सम्मेलन में स्वीकृत संशोधनों के साथ स्वीकार किया और कुछ और स्पष्टीकरण भी किए। शिक्षा मंत्री सम्मेलन के इन निश्चयों को अब ..न्वित किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित वर्णमाला

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ लृ ए

ऐ ओ औ अं अः

मात्राएं

ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ ं ः

व्यंजन

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह ड़ ढ़ ळ

क्ष त्र ज्ञ

अंक

१, २, ३, ४, ५,
६, ७, ८, ९, ०

स्पष्टीकरण

१ हिन्दी में ॠ (दीर्घ ऋ) का प्रयोग नहीं होता, अत: इसे स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

२ संयुक्ताक्षर

(१) खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा कर ही बनाया जाना चाहिए। यथा:

ख्याति, लग्न, विघ्न
कच्चा, छज्जा, नगण्य
[illegible]
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य
शय्या
उल्लेख
व्यास
श्लोक
राष्ट्रीय
स्वीकृत
यक्ष्मा

३. अन्य व्यंजन

(क) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर बनाने का वर्तमान रूप ही कायम रहेगा। यथा:

संयुक्त, पक्का, दफ्तर।
(संयुक्त, पक्का, दफ़्तर नहीं)

(ख) ड़, छ, ट, ठ, ड, ढ, और द के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगा कर ही बनाये जाएं। यथा:

वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या आदि
(वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या नहीं)

(ग) संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप यथावत् रहेंगे। यथा:

प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

(घ) 'श्र' का पुराना रूप जैसा 'श्री' में है वैसा ही कायम रहेगा।

(ङ) 'त्र' के स्थान पर अब 'त' और 'र' का संयुक्त अक्षर 'त्र' रहेगा।

(च) 'ह' का संयुक्त रूप वर्तमान प्रणाली के साथ ही हल् चिह्न, लगाकर भी लिया जा सकेगा। यथा:

चिह्न और चिह्न
(चिह्न नहीं)

(छ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे।

४. अन्य निश्चय जो १९५३ में हुए थे वे ही कायम रहेंगे। यथा:

(१) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

(२) (क) फुलस्टाप को छोड़ कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिये जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। यथा:

(- — , ; । ? ! :)
(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

(ख) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

(ग) जहां तक सम्भव हो टाइपराइटर के मुद्रीपटल में निम्नलिखित चिह्नों को सम्मिलित कर लिया जाए:

(˛ ˙ · % " " ( ) + ×
÷ • = ‿)

(३) अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ( ) प्रचलित रहेंगे।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २३ और २४ जून को अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई। परिषद के प्रधान श्री कृपाल ने इसकी अध्यक्षता की।

परिषद की सिफारिशें

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सुझाव दिया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारे हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल बना दिया जाए। परिषद का कहना है कि इस परिवर्तन पर जो खर्च होगा, उसका फिर से अन्दाज लगाया जाना चाहिए।

परिषद ने सिफारिश की है कि हायर सेकन्डरी स्कूलों के ऐसे अध्यापकों को, जो स्नातक हैं, तुरन्त ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे भी सम्भव हो, दीर्घकालीन या अल्पकालीन पाठ्यक्रम चला कर प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी दूर करने के यत्न किए जाएं। परिषद का सुझाव है कि राज्य सरकारें अपने आवश्यकतानुसार स्वयं ही प्रशिक्षण की योजना तैयार करें।

विज्ञान दिवस

परिषद ने यह प्रस्ताव मान लिया है कि विज्ञान के प्रति छात्रों में और सामान्य जनता में रुचि जगाने के विचार से हर साल १ दिसम्बर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए। परिषद ने सिफारिश की है कि इस अवसर पर देश भर में एक सप्ताह तक विज्ञान प्रदर्शनियां और प्रतियोगिताएं की जाएं।

परिषद के सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने का प्रबन्ध हो। परिषद ने यह सुझाव दिया है कि राज्यों के शिक्षा विभागों को अधिक विज्ञान क्लब खोलने और उनका प्रचार करने के प्रयत्न करने चाहिए। हायर सेकन्डरी स्कूलों को विज्ञान क्लब खोलने का ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए।

स्त्री शिक्षा

लड़कियों और औरतों में शिक्षा का बहुत कम प्रचार है और इसलिए वे देश की उन्नति में उपयुक्त सहयोग नहीं दे पा रही हैं। इस बात को ध्यान में रख कर परिषद ने सिफारिश की है कि तीसरी योजना के मसौदे में स्त्री शिक्षा का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए।

इस परिषद की बैठक में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को शिक्षा की सुविधा देने में यह समस्या काफी हद तक हल हो जाती है। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद ने महिला अध्यापकों को प्रशिक्षण देने और लड़कियों के लिए अधिक स्कूल खोलने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया है।

व्यावसायिक शिक्षा

परिषद का कहना है कि तीसरी योजना में हरेक हायर सेकन्डरी और बहुमुखी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। इस बारे में यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक बहुमुखी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा के सलाहकार नियुक्त किए जाएं।

परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि हायर सेकन्डरी स्कूलों में अंग्रेजी या उन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की कुछ व्यवस्था की जाए जिनके माध्यम से संबंधित राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षा देते हैं ताकि छात्रों को विश्वविद्यालयों में पढ़ते समय कोई दिक्कत न हो।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन विभाग ने भारत सेवक समाज, नयी दिल्ली को अप्रैल से जून, १९६० के बीच श्रम और समाज सेवा शिविर लगाने के लिए ६ लाख रु० का अनुदान दिया है। इस प्रकार के शिविरों के आयोजन के लिए १० हजार ९८१ रु० का अनुदान केरल विश्वविद्यालय को, २ लाख ५५ हजार २५० रु० का अनुदान राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल निदेशालय, नयी दिल्ली को और १३ हजार १०७ रु० का अनुदान भारत और लंका की वाई०एम०सी०ए० परिषद की भारतीय शाखा को दिया गया है।

चार कालेजों में मनोरंजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने के लिए भी अनुदान दिए गए हैं। तिरुपुर के के० सुब्रह्मनिया चेट्टियर हाई स्कूल में मनोरंजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने के लिए मद्रास सरकार को ६ हजार रु० का अनुदान दिया गया है। उसमानिया विश्वविद्यालय को ४ हजार रु० का अनुदान, हैदराबाद के अनवारुल उलूम कालेज में मनोरंजन भवन के निर्माण के लिए दिया गया है; उत्तर प्रदेश सरकार को १७ हजार रु० का अनुदान दिया गया है, जिससे बाके बार के जनता विद्यालय इन्टर कालेज और अलीगढ़ के धर्मसमाज इन्टर कालेज में मनोरंजन भवन और प्रेक्षागार बनवाये जाएंगे। पूना विश्वविद्यालय को पूना के नौरोसजी वाडी कालेज में स्टेडियम बनवाने के लिए ९ हजार ७४ रु० का अनुदान दिया गया है।

चार शिक्षा संस्थाओं को विद्यार्थियों को यात्रा पर ले जाने के लिए ३,९९०.२५ रु० का अनुदान स्वीकार किया गया है। इस अनुदान से लगभग ९१ विद्यार्थी और सात शिक्षक यात्रा का लाभ उठा सकें।

खेलों की राष्ट्रीय संस्था

खेलों की राष्ट्रीय संस्था के संचालक मण्डल की पहली बैठक १८ मई को नयी दिल्ली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मण्डल के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी० एन० कृपाल ने की। संचालक मण्डल ने यह निर्णय किया कि संस्था १ दिसम्बर, १९६० से पटियाला में अपना काम शुरू कर दे। मण्डल ने संस्था के संविधान के मसौदे को भी स्वीकार कर लिया और यह निर्णय किया कि संस्था १८६० के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट २१ के अधीन रजिस्टर्ड करा ली जाए।

श्री एम० एन० कपूर की अध्यक्षता में एक उपसमिति इस बात के लिए नियुक्त की गई कि वह संस्था में प्रवेश के लिए नियम, पाठ्यक्रम इत्यादि बनाए।

मण्डल के अन्य सदस्यों के, जो बैठक में उपस्थित थे, नाम हैं : जनरल के० एस० थिमैया, राजा भालीन्द्र सिंह, श्री एन० एन० वाचू, और श्री एम० एन० कपूर।

खेलों की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना इस उद्देश्य से की जा रही है कि हर प्रकार के खेलों

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित वर्णमाला

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ए

ऐ ओ औ अं अः

मात्राएं

ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ ं ः

व्यञ्जन

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह ड़ ढ़ ळ

क्ष ज्ञ श्र

अंक

१, २, ३, ४, ५,
६, ७, ८, ९, ०

स्पष्टीकरण

१ हिन्दी में ॠ (दीर्घ ऋ) का प्रयोग नहीं होता, अतः इसे स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

२. संयुक्ताक्षर

(१) खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा कर ही बनाया जाना चाहिए। यथा :

ख्याति, लग्न, विघ्न
कच्चा, छज्जा, व्यंजन
नगण्य
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्याय
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य
शय्या
उल्लेख
व्यास
श्लोक
राष्ट्रीय
स्वीकृत
यक्ष्मा

३. अन्य व्यंजन.

(क) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर बनाने का वर्तमान ढंग ही कायम रहेगा। यथा :

संयुक्त, पक्का, दफ्तर।
(संयुक्त, पक्का, दफ़्तर नहीं)

(ख) ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, और द के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगा कर ही बनाये जाएं। यथा :

वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या आदि
(वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या नहीं)

(ग) संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप यथावत् रहेंगे। यथा :

प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

(घ) 'श्र' का पुराना रूप जैसा 'श्री' में है वैसा ही कायम रहेगा।

(ङ) 'त्र' के स्थान पर अब 'त' और 'र' का संयुक्त अक्षर 'त्र' रहेगा।

(च) 'ह' का संयुक्त रूप वर्तमान प्रणाली के साथ ही हल् चिह्न, लगाकर भी किया जा सकेगा। यथा :

चिह्न और चिह्न
(चिह्न नहीं)

(छ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे।

४. अन्य निश्चय जो १९५३ में हुए थे वे ही कायम रहेंगे। यथा :

(१) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

(२) (क) फुलस्टाप को छोड़ कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिये जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। यथा :

(- — , ; ! ? ! :)
(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

(ख) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

(ग) जहां तक सम्भव हो टाइपराइटर के मुद्रीपटल में निम्नलिखित चिह्नों को सम्मिलित कर लिया जाए :

(ˎ ˋ . % " " ( ) + × ÷ * = —)

(३) अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ( ) प्रचलित रहेंगे।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २३ और २४ जून को अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई। परिषद के प्रधान श्री कृपाल ने इसकी अध्यक्षता की।

परिषद की सिफारिशें

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सुझाव दिया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारे हाई स्कूलों को हायर सेकण्डरी स्कूल बना दिया जाए। परिषद का कहना है कि इस परिवर्तन पर जो खर्च होगा, उसका फिर से अन्दाज लगाया जाना चाहिए।

परिषद ने सिफारिश की है कि हायर सेकण्डरी स्कूलों के ऐसे अध्यापकों को, जो स्नातक हैं, तुरन्त ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे भी सम्भव हो, दीर्घकालीन या अल्पकालीन पाठ्यक्रम चला कर प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी दूर करने के यत्न किए जाएं। परिषद का सुझाव है कि राज्य सरकारें अपने आवश्यकतानुसार स्वयं ही प्रशिक्षण की योजना तैयार करें।

विज्ञान दिवस

परिषद ने यह प्रस्ताव मान लिया है कि विज्ञान के प्रति छात्रों में और सामान्य जनता में रुचि जगाने के विचार से हर साल १ दिसम्बर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए। परिषद ने सिफारिश की है कि इस अवसर पर देश भर में एक सप्ताह तक विज्ञान प्रदर्शनियां और प्रतियोगिताएं की जाएं।

परिषद के सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने का प्रबन्ध हो। परिषद ने यह सुझाव दिया है कि राज्यों के शिक्षा विभागों को अधिक विज्ञान क्लब खोलने और उनका प्रचार करने के प्रयत्न करने चाहिए। हायर सेकण्डरी स्कूलों को विज्ञान क्लब खोलने का ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए।

स्त्री शिक्षा

लड़कियों और औरतों में शिक्षा का बहुत कम प्रचार है और इसलिए वे देश की उन्नति में उपयुक्त सहयोग नहीं दे पा रही हैं। इस बात को ध्यान में रख कर परिषद ने सिफारिश की है कि तीसरी योजना के मसौदे में स्त्री शिक्षा का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए।

इस परिषद की बैठक में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को शिक्षा की सुविधा देने से यह समस्या काफी हल हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद ने महिला अध्यापकों को प्रशिक्षण देने और लड़कियों के लिए अधिक स्कूल खोलने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया है।

व्यावसायिक शिक्षा

परिषद का कहना है कि तीसरी योजना में हरेक हायर सेकण्डरी और बहुमुखी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। इस बारे में यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक बहुमुखी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा के सलाहकार नियुक्त किए जाएं।

परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि हायर सेकण्डरी स्कूलों में अंग्रेजी या उन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की कुछ व्यवस्था की जाए जिनके माध्यम से संबंधित राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षा देते हैं ताकि छात्रों को विश्वविद्यालयों में पढ़ते समय कोई दिक्कत न हो।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन विभाग ने भारत सेवक समाज, नयी दिल्ली को अप्रैल से जून, १९६० के बीच श्रम और समाज सेवा शिविर लगाने के लिए ६ लाख रु० का अनुदान दिया है। इस प्रकार के शिविरों के आयोजन के लिए १० हजार ९८१ रु० का अनुदान केरल विश्वविद्यालय को, २ लाख ५५ हजार २५० रु० का अनुदान राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल निदेशालय, नयी दिल्ली को और १३ हजार १०७ रु० का अनुदान भारत और लंका की वाई०एम०सी०ए० परिषद की भारतीय शाखा को दिया गया है।

चार कालेजों में मनोरंजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने के लिए भी अनुदान दिए गए हैं। तिरुपुर के के० सुब्रह्मनिया चेट्टियर हाई स्कूल में मनोरंजन भवन और प्रेक्षागार बनवाने के लिए मद्रास सरकार को ६ हजार रु० का अनुदान दिया गया है। उसमानिया विश्वविद्यालय को ४ हजार रु० का अनुदान, हैदराबाद के अनवारुल उलूम कालेज में मनोरंजन भवन के निर्माण के लिए दिया गया है; उत्तर प्रदेश सरकार को १७ हजार रु० का अनुदान दिया गया है, जिससे बाके बार के जनता विद्यालय इण्टर कालेज और अलीगढ़ के धर्मसमाज इण्टर कालेज में मनोरंजन भवन और प्रेक्षागार बनवाए जाएंगे। पूना विश्वविद्यालय को पूना के नौरोसजी वाडी कालेज में स्टेडियम बनवाने के लिए ९ हजार ७४ रु० का अनुदान दिया गया है।

चार शिक्षा संस्थाओं को विद्यार्थियों को यात्रा पर ले जाने के लिए ३,९९०.२५ रु० का अनुदान स्वीकार किया गया है। इस अनुदान से लगभग ९१ विद्यार्थी और सात शिक्षक यात्रा का लाभ उठा सकें।

खेलों की राष्ट्रीय संस्था

खेलों की राष्ट्रीय संस्था के संचालक मण्डल की पहली बैठक १८ मई को नयी दिल्ली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मण्डल के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी० एन० कृपाल ने की। संचालक मण्डल ने यह निर्णय किया कि संस्था १ दिसम्बर, १९६० से पटियाला में अपना काम शुरू कर दे। मण्डल ने संस्था के संविधान के मसौदे को भी स्वीकार कर लिया और यह निर्णय किया कि संस्था १८६० के सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट २१ के अधीन रजिस्टर्ड करा ली जाए।

श्री एम० एन० कपूर की अध्यक्षता में एक उपसमिति इस बात के लिए नियुक्त की गई कि वह संस्था में प्रवेश के लिए नियम, पाठ्यक्रम इत्यादि बनाए।

मण्डल के अन्य सदस्यों के, जो बैठक में उपस्थित थे, नाम हैं : जनरल के० एम० थिमैया, राजा भालीन्द्र सिंह, श्री एन० एन० वांचू, और श्री एम० एन० कपूर।

खेलों की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना उद्देश्य से की जा रही है कि हर प्रकार के

के अच्छे प्रशिक्षक भारत में ही तैयार हो सकें। संस्था का प्रबन्ध एक स्वायत्त-मण्डल के हाथ में है जिसके ९ सदस्य हैं, जिनका कार्य-काल तीन वर्ष है।

आकाशवाणी केन्द्रों के निदेशकों का सम्मेलन

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के निदेशकों का ३ दिन का सम्मेलन हाल ही में नयी दिल्ली में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन ने 'श्रोता संघ' बनाने की सिफारिश की है। इन संघों को आकाशवाणी में तैयार किए गए रिकार्ड आदि दिए जाएंगे। इनसे आकाशवाणी के कार्यक्रमों के प्रसार में मदद भी की जाएगी।

इन संघों की सदस्यता बहुत ही सीमित होगी। संघों की स्थापना से आकाशवाणी और श्रोताओं में सीधा सम्पर्क बढ़ेगा।

सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर ने किया। उन्होंने कहा कि हमें कार्यक्रम प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कुछ विशेषता प्राप्त करनी चाहिए।

निदेशकों ने 'विविध भारती' कार्यक्रम के विस्तार के बारे में भी विचार किया। 'रवीन्द्र शताब्दी' और आकाशवाणी रजत जयन्ती समारोह के विशेष कार्यक्रमों के बारे में भी विचार किया गया।

लोक-नाटक प्रतियोगिता

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संगीत और नाटक विभाग ने सभी भाषाओं में जो लोक-नाटक प्रतियोगिता की थी, उसमें २८ नाटकों को पुरस्कार दिया गया है। इन पुरस्कारों की सूची २८ मई की एक प्रेस-विज्ञप्ति में दी गयी है।

प्रतियोगिता के लिए कुल ६०३ लोक-नाटक आये थे। इनमें से हिन्दी के दो नाटक प्रथम पुरस्कार के लिए चुने गए। बाकी किसी भी भाषा का कोई भी नाटक प्रथम पुरस्कार के उपयुक्त नहीं समझा गया। अहिन्दी भाषी लेखकों को हिन्दी नाटकों के लिए विशेष पुरस्कार दिए गए।

समय प्रसारण केन्द्र की स्थापना

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी और समय प्रसारित करने का केन्द्र नयी दिल्ली के उपनगर मालवाकी में खोला गया है। दक्षिण एशिया में यह अपने किस्म का पहला केन्द्र है। सबसे समीप के ऐसे ही दो केन्द्र पश्चिम में ट्यूरिनो (इटली) और पूर्व में टोकियो (जापान) में हैं। केन्द्र से समय के जो संकेत प्रसारित किए जाते हैं, इनमें केन्द्र का परिचय संकेत और विश्व-समय (यूनिवर्सल टाइम) बताया जाता है। संकेत में सेकण्ड और मिनट की अलग-अलग तरंगें प्रसारित की जाती हैं। इनसे स्टैंडर्ड टाइम का सही-सही पता चलता है। नयी दिल्ली के केन्द्र से प्रसारित किए जाने वाले समय के संकेत एक सेकण्ड के दसलाखवें हिस्से तक सही होते हैं।

केन्द्र से समय के संकेत १० मेगासाइकिल या ३० मीटर की स्टैंडर्ड बाहक तरंग पर प्रसारित किए जाते हैं। यह प्रसारण सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार तक) भारतीय समय के अनुसार सुबह के ११ बजे से शाम के ४ बजे तक सुना जा सकता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति

अहमदाबाद से प्रकाशित 'संस्कृति' के सम्पादक श्री उमाशंकर जोशी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, बम्बई के प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय के निदेशक डा० मोतीचन्द्र और कलकत्ता के श्री ताराशंकर बनर्जी, संसद-सदस्य को और दो साल के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति मंत्रालय को आकाशवाणी के कार्यक्रम तैयार करने के बारे में सलाह देती है।

छात्रों की यात्राओं के लिए सहायता

शिक्षा मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों और ऊंचे विद्यालयों के छात्रों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक केन्द्रों की यात्राओं के लिए धन की सहायता देने की योजना शुरू की थी, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई है। यह सहायता मंत्रालय के युवक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाती है।

स्कूलों की अर्जियां राज्य सरकारों के जरिये और कालेजों की विश्वविद्यालयों के जरिये आने पर सीधे यह सहायता उन्हीं को दे दी जाती थी। इस पद्धति के कारण काफी समय लग जाता था। अब जुलाई १९५९ से यात्राओं के लिए धन राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में भी राज्य सरकारें छात्रों की यात्रा के लिए सहायता देती रहेंगी। इसलिए सहायता की अर्जियां केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास नहीं, सीधे राज्यों के शिक्षा सचिवों के पास जानी चाहिए। कालेजों की अर्जियों पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति अथवा रजिस्ट्रार की सिफारिश भी होनी चाहिए।

केन्द्रशासित प्रदेशों के स्कूल-कालेजों को सहायता सीधे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से मिलेगी। ये अर्जियां प्रशासन के शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अथवा उप-कुलपति की सिफारिश के साथ शिक्षा मंत्रालय में पहुंचनी चाहिए। यह सूचना शिक्षा मंत्रालय की २३ मई की विज्ञप्ति में दी गई है।

पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

पिछले साल की तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्य सरकारें दसवें दर्जे से ऊपर की शिक्षा देने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देंगी।

इस सम्बन्ध में सभी अर्जियां या पत्र सम्बन्धित राज्य सरकारों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के अधिकारियों को भेजे जा सकते हैं। दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी राज्य सरकार को आवेदन पत्र देना होगा।

सिक्किम के विद्यार्थी जिन राज्यों या केन्द्र-शासित क्षेत्रों में पढ़ते हों, वहां की सरकारों के पास आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

वाणिज्य की शिक्षा के लिए विशेष समिति का दौरा

वाणिज्य शिक्षा सम्बन्धी विशेष समिति की एक उपसमिति, जिसके अध्यक्ष डा० वी० के० आर० वी० राव होंगे, ५ जून से दक्षिणी और पश्चिमी भारत का दौरा करके वहां वाणिज्य शिक्षा की व्यवस्था की जांच करेगी।

उपसमिति के अन्य सदस्य हैं डा० पी० एस० लोकनाथन, प्रो० ए० के० दास गुप्त और डा० ए० एन० अग्रवाल। यह समिति मद्रास, बंगलौर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, तिरु-अनन्तपुरम्, कोयम्बतूर, पूना और बम्बई जाएगी।

वाणिज्य शिक्षा सम्बन्धी १६ सदस्यों की विशेष समिति अ० भा० शिल्प शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डा० हुमायूं कबीर ने नियुक्त की है। इसे देश में वाणिज्य शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की जांच करने और इसमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए रिपोर्ट देने को कहा गया है।

समिति सम्भवतः सितम्बर १९६० तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगी।

शिल्पिक और व्यावसायिक योग्यताओं को मान्यता

शिल्पिक और व्यावसायिक योग्यताओं के जांच मण्डल की सिफारिश पर भारत सरकार ने निम्नलिखित डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों को मान्यता देने का निश्चय किया है। अब इन डिप्लोमा और प्रमाणपत्र वालों को केन्द्रीय सरकार में नौकरी मिल सकेगी।

पश्चिम बंगाल के एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड द्वारा कलकत्ता टेक्नीकल स्कूल, कलकत्ता के छात्रों को दिया गया मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी का डिप्लोमा, और अखिल भारतीय शिल्प शिक्षा परिषद का कमर्शियल आर्ट (पिक्टोरियल) का राष्ट्रीय सर्टिफिकेट तथा आर्ट्स और क्राफ्ट्स का राष्ट्रीय इन्टरमीडिएट प्रमाणपत्र।

अफ्रीकी छात्रों को छात्रवृत्तियां

लोकसभा में २७ अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री, डा० श्रीमाली ने बताया कि भारत में विज्ञान के विषयों की उच्च शिक्षा के लिए १९६०-६१ में ३९ अफ्रीकी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं।

क्या आप जानते हैं ?

भारत में कुष्ठ रोग

● देश भर में २० लाख कुष्ठ रोगी हैं। इनमें से ४ लाख ऐसे रोगी हैं, जिनसे दूसरों को छूत लग सकती है।

● कुष्ठ एक बहुत ही छोटे जीवाणु से फैलता है, जिसे कुष्ठ का बैसिलस (रोगाणु) कहते हैं। कुष्ठ रोगियों की छूत स्वस्थ व्यक्तियों को लग जाती है। कुष्ठ बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है और अंगों के गलने या इसके स्पष्ट लक्षण प्रकट होने में कई वर्ष लगते हैं। इस बीच ऐसा रोगी लोगों से मिलता-जुलता रहता है और छूत फैलती रहती है।

● प्रत्येक कुष्ठ रोगी से छूत नहीं लगती। भारत में कुष्ठ के ३० प्रतिशत रोगी ही ऐसे हैं, जिनसे छूत लग सकती है। छूत उन लोगों को लगती है, जो बहुत काल तक ऐसे कुष्ठ रोगियों के बहुत समीप रहते हैं। बच्चों को बड़ों की बनिस्बत जल्दी छूत लगती है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि वयस्कों को छूत नहीं लग सकती।

● रोग के अधिक बढ़ जाने से ही अधिक छूत नहीं लगती, बल्कि छूत का लगना कुष्ठ की किस्म पर निर्भर करता है। कुष्ठ रोग दो प्रकार का होता है—छुतहा और गैर-छुतहा।

● यह केवल डाक्टर ही बता सकता है कि किस रोगी को छुतहा कुष्ठ है। वैसे साधारण तौर पर ऐसे रोगियों के चेहरे, कानों और अन्य अंगों पर सूजन होती है। इनके शरीर पर मोटे-मोटे चकत्ते या गांठें भी पड़ जाती हैं, जो बाद में रिसने लगती हैं।

● आजकल कुष्ठ के इलाज की अनेक पेटेंट औषधियां हैं। रोग होते ही यदि इलाज शुरू कर दिया जाए तो रोगी एकदम ठीक हो सकता है। ये औषधियां बढ़े हुए रोग में भी फायदा करती हैं।

● यदि कुष्ठ रोगी को बहुत समय तक सल्फोन आदि आधुनिक औषधियां दी जाएं तो उससे छूत न लग सकेगी।

● कुष्ठ नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि कुष्ठ के तमाम रोगियों का ठीक-ठीक निदान करके उनकी चिकित्सा की जाए। केवल इसी ढंग से कुष्ठ को फैलने से रोका जा सकता है।

शहरी क्षेत्रों में मकानों के बारे में विस्थापितों को छूट

पुनर्वास मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में उन विस्थापितों को छूट देने की घोषणा की गई है, जिन्हें गांवों में जमीन अलाट हुई थी, परन्तु जिन्होंने शहरों में निष्क्रान्तों के मकान कब्जे में कर लिए थे।

पंजाब में विस्थापितों को गांवों में जमीन के साथ मकान भी अलाट करने की एक योजना थी। यदि मकान न हो तो उन्हें मकान के लिए जमीन और कुछ अनुदान दिया जाता था। ये मकान गांव में ही दिए जाते थे, परन्तु कुछ विस्थापितों ने निकटवर्ती शहरों में मुसलमान निष्क्रान्तों के मकानों पर कब्जा कर लिया था। योजना के अन्तर्गत उन्हें ये मकान और गांवों में जमीन एक साथ नहीं दी जा सकती। फिर भी, जिनके पास ऐसे मकान थे, उन्होंने अर्जियां दीं कि उनके पास ये मकान काफी अरसे से हैं, इसलिए ये उन्हें ही दे दिए जाएं।

भारत सरकार ने इस मामले पर विचार किया। यदि उनसे ये मकान ले लिए जाएं, तो उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि जिन विस्थापितों को गांवों में मकान या मकान की जमीन और अनुदान नहीं ...

पास यदि शहरों में मकान हैं, तो वे मकान उन्हीं को अलाट कर दिए जाएं और उनसे उन मकानों का दाम वसूल करते समय उतनी रकम की छूट दे दी जाए, जितनी रकम उन्हें गांवों में मकान की जमीन और अनुदान के रूप में दी जाती थी। छूट की दरें ये हैं

(१) जिन्हें १० एकड़ तक जमीन अलाट हुई है. ८०० रु०

(२) जिन्हें १० से ५० एकड़ तक जमीन अलाट हुई हैं १,२०० रु०

(३) जिन्हें ५० एकड़ से अधिक जमीन अलाट हुई हैं १,५०० रु०

यह छूट केवल उन्हीं विस्थापितों को दी जाएगी, जिनके कब्जे में ऐसे मकान हैं, जो अलाट किए जा सकते हों और जो उस गांव से १० मील के अन्दर हों, जहां उन्हें जमीन अलाट की गई है।

अनुसूचित क्षेत्र और आदिम जाति आयोग की बैठक

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग की पहली बैठक नयी दिल्ली में २५ मई को श्री यू० एन० ढेबर की अध्यक्षता में हुई। आयोग ने जांच के विषयों तथा तरीकों पर विचार किया। अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिम जातियों के प्रशासन, संरक्षण और भलाई सम्बन्धी कामों के बारे में अध्ययन करने के लिए आयोग ने तीन उपसमितियां भी नियुक्त कीं।

आयोग को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिम जाति सलाहकार परिषदों के कानूनों पर अमल और अनुसूचित आदिम जातियों की भलाई के काम आदि विषयों पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आयोग को यह रिपोर्ट ३१ दिसम्बर, १९६० तक राष्ट्रपति को देनी है।

पाकिस्तान की अदालतों में छूटी हुई जमानतें

भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल-सम्पत्ति करार हुआ था उसके अन्तर्गत सरकारी हुण्डियों, पोस्ट आफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेटों, डाकखाने के हिसाब और जेवर आदि के रूप में अदालतों में जमा जमानतें पाकिस्तान से प्राप्त हुई हैं।

जिन विस्थापितों के नाम सरकार ने प्रकाशित किए हैं, वे या उनके अधिकृत एजेंट या शेष उत्तराधिकारी अपने दावे छपे हुए फार्मों पर, जो कि डाकखाने से मिल सकते हैं, सभी सबूतों के साथ १५ जुलाई, १९६० तक कस्टोडियन आफ डिपोजिट्स, मसूरी के पास भेज सकते हैं।

दंडकारण्य में दो बांध बनेंगे

दंडकारण्य क्षेत्र में दो बांध बनाए जाएंगे, जिनसे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों को सिंचाई आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। इन दोनों बांधों पर २ करोड़ रु० से भी ज्यादा खर्च आयेगा। ये बांध उड़ीसा के उमेरकोट और मालकानगिरी क्षेत्रों में भास्केल और सतीगुडा नदियों पर बनाए जाएंगे।

हाल ही में प० बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय जब दंडकारण्य आये तो उन्होंने भास्केल नदी के बांध का शिलान्यास किया। यह बांध ५ हजार फुट लम्बा होगा और इससे खरीफ में ११ हजार तथा रबी फसल में ५,५०० एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकेगी।

सतीगुडा नदी के बांध से खरीफ फसल में ३० हजार और रबी फसल में १५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। यह बांध ६ हजार फुट से भी ज्यादा लम्बा होगा।

इन दोनों बांधों की खुदाई के काम में चार हजार लोगों को काम दिया जा सकेगा।



उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षित पुलिस की ट्रेनिंग

राजस्थान में जोधपुर के पास उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षित पुलिस के ट्रेनिंग शिविर का दूसरा चरण २२ मई को समाप्त हो गया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्य मंत्री जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के १,२०० पुलिस शिक्षार्थियों के सम्मुख भाषण देंगे।

ट्रेनिंग का पहला चरण १८ मार्च से १७ अप्रैल तक चला था और इसमें १,१०० अफसरों और कान्स्टेबलों ने शिक्षा पाई। उत्तरी क्षेत्र में यह अपनी किस्म का पहला शिविर था।

शिक्षार्थियों को कवायद और लड़ाई की शिक्षा दी गई। पुलिस के काम की और भी अनेक बातें इन्हें सिखाई गईं। सप्ताहांत में शिक्षार्थियों को जोधपुर के आसपास के स्थानों की सैर कराई गई।

उत्तर क्षेत्र के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त पुलिस दल बनाने की योजना पिछले अक्तूबर में बनाई गई थी। इस दल के पुलिस कर्मचारियों को उत्तरी क्षेत्र के हर राज्य में बारी-बारी से हर साल कुछ दिनों तक शिक्षा दी जाया करेगी।

आफिसर्स ट्रेनिंग यूनिट के कैडेटों का पहला शिविर

१७ मई को चकराता से कुछ दूर कोनाना में आफिसर्स ट्रेनिंग यूनिट के पहले शिविर का उद्घाटन प्रतिरक्षा मंत्री, श्री कृष्णमेनन ने किया।

इस शिविर में देश भर के कुल ६१ कैडेट भाग ले रहे हैं जो राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की वरिष्ठ शाखा से चुने गए हैं। इस प्रकार के शिविर गर्मियों की छुट्टियों में हर साल लगते हैं। उक्त शिविर ६ हफ्ते तक चलेगा और इसमें यह उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो इन कैडेटों को राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की टुकड़ियों में नहीं मिल पाता। आफिसर्स ट्रेनिंग यूनिटों की स्थापना इस खयाल से की गई है कि चुने हुए कैडेटों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे आगे चल कर राष्ट्रीय छात्र सेना के ऐसे कैडेटों को प्रशिक्षण दे सकें। जिन्होंने सेना में भर्ती होना अपना उद्देश्य बना लिया है।

इस साल के पहले तीन महीनों में इस टुकड़ी में ५० हजार छात्र भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया था। श्री मेनन ने कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि ३१ मार्च तक इस टुकड़ी में ५७ हजार से भी ज्यादा छात्र भर्ती हो चुके हैं।

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है —

पंजाब कानून (विस्तार सं. ७) विधेयक

राज्य पुनर्गठन के बाद पंजाब और पेप्सू क्षेत्रों में एक तरह के विषयों पर विभिन्न प्रकार के कानून लागू थे। अब इन कानूनों में समानता लाने के लिए यह विधेयक बनाया गया है।

इस प्रकार का यह सातवां विधेयक है। इसके जरिये पंजाब क्षेत्र में लागू कुछ कानून अब पेप्सू में लागू होंगे और पेप्सू के इस प्रकार के कानून रद्द हो जाएंगे।

आंध्र शिकमी (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

इसमें आंध्र शिकमी कानून, १९५६ की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी गई है। यह कानून शिकमियों को बेदखल करने से बचाने के लिए बनाया गया था।

आंध्र (तेलंगाना) प्रतिहर शिकमी संरक्षण अध्यादेश, १९५६ के लागू होने के दिन जो शिकमी जमीन थी और उसके बाद शिकमी कानून लागू होने तक शिकमियों के साथ जो करार हुए, उनकी अवधि १ जून, १९५६ से ४ साल तक मानी गई। अब यह चार साल की अवधि समाप्त होने वाली है, इसलिए काफी संख्या में शिकमी बेदखल किए जा सकते हैं। इधर पूरे राज्य के लिए एक कानून बनाने पर विचार हो रहा है। परन्तु इसे लागू करने में अभी समय लगेगा। अतः राज्य सरकार ने वर्तमान कानून की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी है।

इटली में भारत के नये राजदूत

परराष्ट्र मंत्रालय की ७ मई की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री सुरेन्द्र नारायण हक्सर इटली में भारतीय राजदूत और अल्बानिया में आमात्य नियुक्त हुए हैं। कुछ समय पहले तक वह अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे।

श्री हक्सर ने २८ मई को नये पद का कार्यभार संभाल लिया।

अफगानिस्तान में भारत के नये राजदूत

परराष्ट्र मंत्रालय की ९ मई की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री जगन्नाथ धमीजा को अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आजकल वे मारीशस में भारतीय आयुक्त हैं। श्री धमीजा जुलाई १९६० में अपना नया कार्य संभाल लेंगे।

नाइजीरिया के भारतीय आयुक्त द्वारा परिचय-पत्र पेश

नाइजीरिया में मनोनीत भारतीय आयुक्त श्री रूप चन्द ने २५ मई, १९६० को लागोस में कार्यवाहक गवर्नर-जनरल के सम्मुख परिचय-पत्र पेश किया। यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की २७ मई की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

लंका में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त

परराष्ट्र मंत्रालय की २७ मई की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री बलराज कृष्ण कपूर को लंका में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। श्री कपूर अभी हाल तक अकारा में भारतीय उच्चायुक्त थे। वह जुलाई में नये पद का भार संभालेंगे।

कनाडा में भारत के नये उच्चायुक्त

परराष्ट्र मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि परराष्ट्र मंत्रालय के विशेष सचिव श्री वीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। वे सितम्बर १९६० में अपना नया पद सम्भाल लेंगे।

रंगून में रवीन्द्र शताब्दी समारोह

२३ मई को रंगून में वर्मा की टैगोर सोसायटी के तत्वाधान में रवीन्द्र शताब्दी समारोह हुआ। इस अवसर पर वर्मा के प्रधान मन्त्री, श्री यू नू ने रवीन्द्र नाथ ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। शताब्दी समारोह में ६०० से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें वर्मा के मुख्य न्यायाधीश, श्री यू मिन्त थइन; उद्योग मन्त्री यू रशीद; वर्मा में अन्य देशों के राजनयिक प्रतिनिधि और रंगून के प्रमुख नागरिक थे।

ईरान को भारतीय मानक संस्था के प्रकाशनों की भेंट

नयी दिल्ली में ३१ मई को भारतीय मानक संस्था की ओर से संस्था के सब प्रकाशनों का एक सेट, जिसमें करीब १,४०० मानक हैं, ईरान के राष्ट्रीय मानक विभाग को भेंट किया गया। मानक संस्था के निदेशक, डा० वर्मा ने यह सेट नयी दिल्ली के ईरानी दूतावास के प्रथम सचिव, श्री एच० हाकिमी को भेंट किया।

भारत में बर्मा की नयी राजदूत

बर्मा के स्व० प्रधान मन्त्री, श्री आंग सैन की धर्मपत्नी श्रीमती महाथिरी थुधम्मा दाव खिन क्यी भारत में श्री थादे महा थ्रे सिथु यू थान आंग के स्थान पर बर्मी राजदूत नियुक्त हुई हैं। यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की २० मई की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

थाई देश में भारतीय राजदूत द्वारा परिचय

थाई देश में नव नियुक्त भारतीय राजदूत, श्री एस० एस० गिल ने १९ मई, १९६० को थाई नरेश को अपने परिचय-पत्र पेश किए। यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की एक प्रेस-विज्ञप्ति में दी गई है।

कोलम्बिया में भारत के राजदूत

चिली में भारत के राजदूत, श्री आर० एस० मणि को कोलम्बिया में भी भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री मणि का निवास-स्थान सान्तिआगो में रहेगा।

यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की २४ मई की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

समाचार-दर्शन

१६ मई से ३१ मई तक

मई

१६—प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री वी० के० कृष्ण मेनन द्वारा नवगांव, मध्य प्रदेश में सैनिक ग्राम कालेज का उद्घाटन

—फिल्म वित्त निगम के ९ सदस्यों के निदेशक मण्डल में भारत सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति

—नयी दिल्ली में राष्ट्रीय बचत के राज्य सलाहकार मण्डलों के निदेशकों और केन्द्रीय सलाहकार मण्डल के सदस्यों की बैठक

१७—भारत-ब्रिटेन-नेपाल की सेना के संयुक्त पर्वतारोही दल का २६,०४१ फुट ऊंची चोटी अन्नपूर्णा-२ पर अभियान सफल हुआ

१८—बम्बई और मद्रास बन्दरगाहों के ट्रस्टों के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों का काम के अनुसार पारिश्रमिक देने की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा पांच व्यक्तियों की समिति नियुक्त

२०—बरौनी (बिहार) और अहमदाबाद (गुजरात) में एक-एक तापीय बिजलीघर के निर्माण के लिए अमरीका के विकास ऋण कोष ने भारत को ३.६५ करोड़ रु० देना सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया

—मझले बन्दरगाहों के विकास से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट नयी दिल्ली में प्रकाशित

२१—उपराष्ट्रपति, डा० राधाकृष्णन द्वारा उटकमंड में छठे अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन

मई

—देश भर में होम गार्ड संगठन को एकरूपता प्रदान करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के होम गार्ड कोर के कार्याधिकारियों की नयी दिल्ली में बैठक

२३—नयी दिल्ली में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक

२४—मलाया के तट से परे हिन्द महासागर में दीर्घकालीन नौसेना-अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े का बम्बई से प्रस्थान

२७—बॉन में भारत और पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अधीन भारत को द्वितीय योजना के विकास-कार्यों के लिए ३ करोड़ रु० का कर्ज मिलेगा

—हवाई सेवा के सम्बन्ध में भारत और फ्रांस सरकार के प्रतिनिधि मण्डलों में नयी दिल्ली में एक समझौता सम्पन्न

—अणुशक्ति के शान्तिमय उपयोगों के बारे में भारत और रूस के सहयोग के प्रश्न पर मास्को में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत शुरू

२९—लन्दन में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में हिस्सा लेने और मध्य-पूर्व के कुछ देशों के दौरे के पश्चात् प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की वापसी

—रेल मन्त्री श्री जगजीवनराम द्वारा मैसूर में नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवेमेन के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली—८ द्वारा सम्पादित तथा
जोडियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली—६ द्वारा मुद्रित

समाचार-दर्शन

१६ मई से ३१ मई तक

मई

१६—प्रतिरक्षा मंत्री, श्री वी० के० कृष्ण मेनन द्वारा नयगांव, मध्य प्रदेश में सैनिक छात्र कालेज का उद्घाटन

—फिल्म वित्त निगम के ९ सदस्यों के निदेशक मण्डल के बारे में भारत सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति

—नयी दिल्ली में राष्ट्रीय बचत के राज्य सलाहकार मण्डलों के निदेशकों और केन्द्रीय सलाहकार मण्डल के सदस्यों की बैठक

१७—भारत-ब्रिटेन-नेपाल की सेना के संयुक्त पर्वतारोही दल का २६,०४१ फुट ऊंची चोटी अन्नपूर्णा-२ पर अभियान सफल हुआ

१८—बम्बई और मद्रास बन्दरगाहों के ट्रस्टों के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को काम के अनुसार पारिश्रमिक देने की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा पांच व्यक्तियों की समिति नियुक्त

२०—बरौनी (बिहार) और अहमदाबाद (गुजरात) में एक-एक तापीय बिजलीघर के निर्माण के लिए अमरीका के विकास ऋण कोष ने भारत को ३·६५ करोड़ रु० देना सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया

—मझले बन्दरगाहों के विकास से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट नयी दिल्ली में प्रकाशित

२१—उपराष्ट्रपति, डा० राधाकृष्णन द्वारा उटकमंड में छठे अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन

मई

—देश भर में होम गार्ड संगठन को एकरूपता प्रदान करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के होम गार्ड और के कार्याधिकारियों की नयी दिल्ली में बैठक

२३—नयी दिल्ली में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक

२४—मलाया के तट से परे हिन्द महासागर में ग्रीष्मकालीन नौसेना-अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े का बम्बई से प्रस्थान

२७—बॉन में भारत और पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अधीन भारत को द्वितीय योजना के विकास-कार्यों के लिए ३ करोड़ रु० का कर्ज मिलेगा

—हवाई सेना के सम्बन्ध में भारत और फ्रांस सरकार के प्रतिनिधि मण्डलों में नयी दिल्ली में एक समझौता सम्पन्न

—अणुशक्ति के शान्तिमय उपयोगों के बारे में भारत और रूस के सहयोग के प्रश्न पर मास्को में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत शुरू

२९—लन्दन में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में हिस्सा लेने और मध्य-पूर्व के कुछ देशों के दौरे के पश्चात् प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की वापसी

—रेल मन्त्री श्री जगजीवनराम द्वारा मैसूर में नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवेमेन के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन ।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली–८ द्वारा सम्पादित तथा
जोडियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली–६ द्वारा मुद्रित

उपयोगी तथा रोचक प्रकाशन



राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण

(१६५२-५६)

मूल्य : डाक व्यय :
३.५० ०.८५

इस पुस्तक में डा० राजेन्द्र प्रसाद के जनवरी, १६५२ से मई, १६५६ तक के भाषण संगृहीत हैं। तिथि-क्रम से दिए गए इन भाषणों तथा लेखों में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है और उनमें डा० राजेन्द्र प्रसाद का व्यक्तित्व-एक राजनीतिज्ञ, विद्वान, इतिहासकार, शिक्षा-शास्त्री, आदर्शवादी, समाज सुधारक और सबसे अधिक एक महान् रचनात्मक विचारक के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

स्वाधीनता और उसके बाद

मूल्य : डाक व्यय :
५.०० १.३५

(जवाहरलाल नेहरू के भाषण १६४६-४६)



भारत द्वारा आजादी प्राप्त करने के पश्चात् प्रायः डेढ़ वर्ष में दिए गए प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रह।

प्रधान मंत्री के अनुपम व्यक्तित्व ने भाषणों के विषयों को एक आधारभूत एकता प्रदान की है। ये भाषण, जिनमें कुछ सामयिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, कुछ में नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार है और कुछ में भावनाओं का संचार है, राष्ट्र को अत्यधिक उद्योग करने के लिए अनुप्रेरित करते हैं।

भारत की एकता का निर्माण



(सरदार पटेल के भाषण)

भारत की आजादी से पूर्व ५८४ देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल को है। उसी महान् नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह।

मूल्य : डाक व्यय :
५.०० १.३०

(रजिस्ट्री व्यय अलग)

२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाएगा। मूल्य अग्रिम आना चाहिए, क्रास्ड पोस्टल आर्डर द्वारा सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य या सीधा लिखें :

प्रकाशन विभाग

पो० बा० नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली—८



मंत्री, श्री वी० के० कृष्णमेनन १६ मई को नवगांव
मध्य प्रदेश) में आर्मी कैडेट कालेज का उद्घाटन करने
पश्चात छात्रों के पहले दल से भेंट करते हुए। उनके
स्थल-सेनाध्यक्ष, जनरल के० एम० थिमैया भी हैं



२७ मई को नयी दिल्ली में नागरिक उड्डयन, भारत सरकार, के महानिदेशक श्री के० एम० राहा (दाएं) और फ्रांस गणराज्य के विमान परिवहन निदेशक श्री पियरे मोगा दोनों देशों के बीच हुए विमान परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री पी० एन० कृपाल १८ मई को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान के गवर्नर-मण्डल की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए



रजिस्टर्ड नं०
डी०-६४



बम्बई के टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा १९५७ में प्रकाशित 'कलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्रीनिवास रामानुजम्' के दो खण्डों का एक सेट भारत सरकार ने हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को भेंट किया, जिसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री कैमविक देख रहे हैं

बर्मा के प्रधान मंत्री, परम श्रेष्ठ ऊ नू १६ मई को रंगून में भारतीय प्रदर्शन-कक्ष का उद्घाटन करने के उपरान्त उसका निरीक्षण करते हुए

भारतीय समाचार



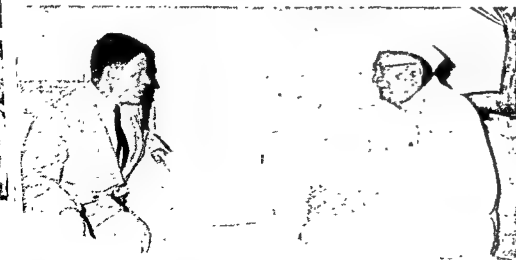
वर्ष ३ | १ जून, १९६० (११ ज्येष्ठ, १८८२) | अङ्क ९



ईरान के शिक्षा मन्त्री, परमश्रेष्ठ डा० महमूद मेहरा (बीच में) ७ मई को तेहरान में भारत-ईरान सांस्कृतिक समझौते को लागू करने वाले आयोग का उद्घाटन करते हुए । बाईं ओर भारतीय राजदूत, श्री टी० एन० कौल हैं



अकरा में हाल में हुए एक समारोह में घाना में भारत के उच्चायुक्त, श्री लखचन्द, घाना के गवर्नर जनरल, परमश्रेष्ठ लार्ड लिस्टोवल को परिचय-पत्र देते हुए



लेबनान के कृषि मन्त्री, परमश्रेष्ठ श्री फौद नज्जेर नयी दिल्ली में ८ मई को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के साथ

भारतीय समाचार

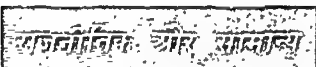
वर्ष ३ | १ जून, १९६० | ११ ज्येष्ठ, १८८२ | अङ्क ९

एक प्रति रु० ०.४५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ९.०० १८ शि. २.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : रूरकेला इस्पात कारखाने की धमन भट्ठी: भारत के औद्योगिक इतिहास में पहली बार रूरकेला में बने २,००० टन इस्पात के स्लैब अप्रैल के अन्त में पश्चिम जर्मनी को निर्यात किए गए।

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म

३० अप्रैल, १९६० को आधी रात के समय दो नये राज्यों—महाराष्ट्र और गुजरात—का जन्म हुआ। बम्बई में हुए एक समारोह में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने महाराष्ट्र राज्य का औपचारिक उद्घाटन किया। गुजरात राज्य का औपचारिक उद्घाटन १ मई को साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में सर्वोदय नेता रविशंकर महाराज के हाथों हुआ।

महाराष्ट्र के नये मन्त्रिमण्डल ने १ मई को बम्बई नगर में और गुजरात के नये मन्त्रिमण्डल ने अहमदाबाद में इसी दिन शपथ ग्रहण की। श्री चव्हाण के नेतृत्व में बने महाराष्ट्र के मन्त्रिमण्डल में १४ मन्त्री और १२ उपमन्त्री हैं। शपथ ग्रहण करने के पश्चात् श्री चव्हाण ने घोषणा की कि नये राज्य का कामकाज अंग्रेजी के स्थान पर मराठी में होगा।

गुजरात के नये मन्त्रिमण्डल के नेता डा० जीवराज मेहता हैं। मुख्य मन्त्री के अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल में ४ मन्त्री और ८ उपमन्त्री हैं। मन्त्रिमण्डल को शपथ गुजरात राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल श्री मेहदीनवाज जंग ने दिलवाई। डा० जीवराज मेहता ने घोषणा की कि जिला और डिवीजन स्तर पर प्रशासन में गुजराती भाषा के प्रयोग के लिए आज्ञा जारी कर दी गई है।

१९५९-६० में परिपालन निदेशालय का कार्य

वित्त मन्त्रालय के परिपालन निदेशालय ने १९५९-६० में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के उल्लंघन के १,२४१ मामले जांच के लिए दर्ज किए। इनमें से विभाग ने २२३ मामलों में अपराधियों पर ५७,२९,३२७ रु० जुर्माना किया।

यह विभाग १ मई, १९५६ को स्थापित हुआ था। तब से अब तक इसने ३,५०३ मामले दर्ज किए। अपराधियों में देश के बड़े-बड़े उद्योग मालिक और व्यापारी हैं। विभाग ने मार्च १९५८ में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामलों का फैसला करना शुरू किया और ३१ मार्च, १९६० तक ४१० फैसले किए, जिनसे ६६,५६,६२० रु० जुर्माना वसूल हुआ। इन मामलों के अलावा ३२ मामलों को न्यायालयों में चलाया गया। इनमें से २६ में अपराधियों को सजाएं मिलीं और ६ मामलों से सम्बन्धित व्यक्ति निरपराध घोषित किए गए। न्यायालयों ने ६२,८०० रु० जुर्माना किया।

विभाग के निर्णय के खिलाफ ५५ अपीलें विदेशी मुद्रा अपील मंडल के सामने दायर की गईं। इनमें से ५० का फैसला मंडल कर चुका है। इन ५० अपीलों में से ४२ खारिज कर दी गईं और ८ के पक्ष में फैसला किया गया।

सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य-क्रम में समन्वय

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालयों के विभिन्न सेवाओं के परीक्षण-काल के कर्मचारियों (प्रोबेशनर्स) के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया है।

मसूरी के राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक का पदनाम बदल कर अब निदेशक, प्रशिक्षण, भारत सरकार कर दिया गया है।

निदेशक, अखिल भारतीय सेवाओं और प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं के लिए एक-सा बुनियादी पाठ्यक्रम बनाएंगे। वे पाठ्यक्रम के आधार पर केन्द्रीय मंत्रालयों की विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं को मिल-जुल कर ट्रेनिंग का कार्यक्रम बनाने में भी मदद देंगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रशिक्षण संस्थाओं में जाकर त्रुटियों को दूर करने के उपाय भी बताएंगे। साथ ही बुनियादी पाठ्यक्रम के आधार पर आई० पी० एस० प्रोबेशनर्स का ट्रेनिंग कार्यक्रम बनाने में पुलिस ट्रेनिंग कालेज, माउंट आबू के कमाण्डेंट को सलाह देंगे।

नयी दिल्ली का सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल भी निदेशक के अधीन हो जाएगा। इसमें केन्द्रीय जूनियर अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है।

लोकसभा का १०वां सत्र

लोकसभा का दसवां सत्र ८ फरवरी से २९ अप्रैल १९६० तक ८२ दिन चला। इस सत्र में ६० बैठकें हुईं जो ४०३ घंटे चलीं। इस अवधि में कुल ४,८५९ प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जिनमें १,८७० तारांकित, २,९७३ अतारांकित और १६ अल्प-कालिक थे।

उन्नीस सदस्यों को सभा से अनुपस्थित होने की अनुमति दी गई।

इस सत्र में २० सरकारी विधेयक पास हुए, जो इस प्रकार हैं :—जेनेवा सम्मेलन विधेयक, १९६०; विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्स्थापन) संशोधक विधेयक, १९६०; निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन (संशोधन) विधेयक, १९६०; दहेज निरोधक विधेयक, १९६०; आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६०; विनियोग विधेयक, १९६०; मोटर गाड़ियां (संशोधन) विधेयक, १९६०; विनियोग (रेलवेज) विधेयक, १९६०; विनियोग (रेलवेज) नं० २ विधेयक, १९६०; विनियोग (वोट आन एकाउण्ट) विधेयक, १९६०; विनियोग (नं० २) विधेयक, १९६०; बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६०; वित्त विधेयक, १९६०; जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६०; मृत्यु कर (संशोधन) विधेयक, १९६०; रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (संशोधन) विधेयक, १९६०; विनियोग (रेलवेज) नं० ३ विधेयक, १९६०; सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, १९६०; इण्डियन बायलर्स (संशोधन) विधेयक, १९६०; और हिन्दू विवाह (प्रक्रिया वैधता) विधेयक, १९६०।

१९६० की पहली तिमाही में विशेष पुलिस का कार्य

विशेष पुलिस संगठन की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष के पहले तीन महीनों में २४ कर्मचारियों को ४ वर्ष तक की सजा और कुल १२,८५० रु० के जुर्माने की सजा दी गई। सजा पाने वालों में २ गजटेड अफसर और ८ गैर-सरकारी लोग थे।

सजा पाने वालों में लाइट हाउस और लाइट शिप डिपार्टमेंट का एक इंजीनियर भी था, जिसे १ साल की सजा और २,००० रु० जुर्माना किया गया।। उसने एक ठेकेदार से रिश्वत ली थी। डाकखाने के सेविंग बैंक के एक क्लर्क को २ साल की कठोर सजा और १ हजार रु० जुर्माना किया गया। उसने ३,००० रु० का गबन किया था।

इनके अतिरिक्त ८१ सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें १० गजटेड अफसर थे, विभागीय सजा दी गई। २१ अफसर या तो नौकरी से अलग कर दिए गए या उनकी नौकरी खतम कर दी गई। एक को सेवा मुक्त कर दिया गया। २२ की वेतन वृद्धि रोक दी गई और २३ को सजाएं दी गईं।

लोहा और इस्पात के १ डिप्टी एसिस्टेंट कंट्रोलर को नौकरी से निकाल दिया गया। उत्तरी रेलवे के एक बिजली के मिस्त्री और ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर (आयात और निर्यात) के एक क्लर्क की नौकरी समाप्त कर दी गई। इसके अतिरिक्त ६० कम्पनियों और उनके लोगों को सजा दी गई जिन्होंने बेईमानी से लाइसेंस प्राप्त कर लिए थे।

मार्च १९६० में विशेष पुलिस संगठन का कार्य-विवरण

मार्च १९६० में भारत सरकार के विशेष पुलिस संगठन ने १०३ मामलों की खुली जांच की। इनमें ९९ सरकारी कर्मचारी थे, जिनमें १९ गजटेड अफसर थे।

इस महीने में २१ मामलों में जांच पूरी करके मुकदमे चलाए गए। दो गजटेड अफसर और १५ अन्य सरकारी कर्मचारियों पर रिश्वत लेने, धोखा देने और अमानत में खयानत करने के अपराधों के मुकदमे दायर किए गए हैं। एक मामले में भारतीय खान कार्यालय के खनिज अर्थ विशेषज्ञ पर सरकारी कागज दिखाने के लिए १४ हजार रु० रिश्वत लेने का अभियोग चलाया गया। एक दूसरे मामले में एक प्राइवेट स्टाक कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी तथा छः अन्य लोगों पर इस बात का मुकदमा दायर किया गया कि उन्होंने एक षड्यन्त्र करके कम्पनी के ३५ लाख रु० का गबन किया। विदेश से माल आयात करने वाली दो कम्पनियों के पांच डायरेक्टरों पर इस अपराध का मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने षड्यन्त्र करके धोखा देकर जाली कागजातों के आधार पर ४० लाख रु० के आयात के लाइसेंस प्राप्त कर लिए।

इनके अतिरिक्त ४७ मामले, जिनमें [illegible] गजटेड अफसर तथा ५१ अन्य कर्मचारी शामिल थे, विभिन्न विभागों को विभागीय कार्रवाई के लिए सुपुर्द किए गए। इस महीने में ९ सरकारी कर्मचारियों और दो गैर-सरकारी व्यक्तियों को चार वर्ष तक के कठोर कारावास और कुल ७,८५० रु० के जुर्माने की सजा दी गई। २९ सरकारी कर्मचारियों को विभागीय दंड दिया गया। इनमें तीन गजटेड अफसर थे।

पद का दुरुपयोग करने पर अवर सचिव बर्खास्त

केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का एक अवर सचिव अपने पद का दुरुपयोग करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है।

अभियुक्त ने १९४८ से १९५२ के बीच सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात, सहायक वाणिज्य आयुक्त, कनाडा और सहायक वित्त सलाहकार, वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा) के पद पर काम किया। इसी समय वह अपने भाइयों की साझेदारी से व्यापार भी करता रहा। अभियुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने भाइयों को आयात-निर्यात के व्यापार संबंधी सरकारी सूचनाएं दीं और भाइयों को बहुत काफी मात्रा में गर्भ निरोधक उपकरण आयात करने के लाइसेंस दिलाए। साथ ही डी० जी० ए०, एस० एम० एस० से एक औषधि खरीदने की सिफारिश की, जिसकी सोल एजेंट उसके भाइयों की फर्म थी।

इस मामले की जांच स्वराष्ट्र मंत्रालय के विशेष पुलिस विभाग ने की थी, जिस पर विभागीय कार्रवाई की गई है।

विशेषज्ञ कर्मचारियों की भरती के तरीके में सुधार

वैज्ञानिक और शिल्पिक कर्मचारियों की भरती के तरीके में कुछ सुधार किए गए हैं। अब केवल केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य नियुक्तियों के लिए भी हर वर्ष चुनाव हुआ करेंगे। चुने हुए कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली जाएगी और आवश्यकतानुसार इस सूची में नाम लिए जाया करेंगे।

ऐसे पदों के लिए जिनके लिए कुछ वर्षों का विशेष अनुभव जरूरी है, वर्ष में १ या २ बार चुनाव हुआ करेंगे। केन्द्रीय लोकसेवा आयोग प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार किया करेगा और इसी सूची से विभिन्न मंत्रालयों के इन श्रेणियों के भिन्न-भिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अगली सूची बनने तक पहली सूची के नामों को, स्थान रिक्त होने पर भेजा जाता रहेगा। मंत्रालय, आयोग को पहले ही रिक्त पदों के बारे में अपनी आवश्यकता बताएंगे।

केन्द्रीय लोकसेवा आयोग ऐसे लोगों से स्वयं पत्र-व्यवहार करता है जो स्पष्ट रूप से योग्य दिखाई देते हैं और जब केवल विज्ञापन [illegible] नहीं मिलते। ऐसी अवस्था में आयोग कोई आखिरी तारीख नियत नहीं करता और जब कुछ उम्मीदवार मिल जाते हैं तो उनसे प्रत्यक्ष भेंट की व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीय सूची के विशेष विभाग में दर्ज व्यक्तियों से आयोग इसी प्रकार सम्पर्क प्राप्त करता है और ऐसे लोगों को अर्जी देने की भी आवश्यकता नहीं होती। आयोग के अध्यक्ष अपनी विदेश यात्राओं में भी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिल्पियों से मिल कर योग्य व्यक्तियों की सूची बनाते हैं और देखते हैं कि आयोग द्वारा विज्ञापित पदों में से किन के लिए कौन योग्य हो सकता है।

पारपत्र का शुल्क बढ़ा

भारत सरकार कुछ समय से पारपत्रों और यात्रा सम्बन्धी अन्य कागजों के वर्तमान शुल्क में परिवर्तन करने पर विचार कर रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र का वर्तमान शुल्क १० रु० है और यह पिछले महायुद्ध के पहले से चला आ रहा है। अब पारपत्रों की छपाई आदि कामों का खर्च काफी बढ़ गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, १ जून, १९६० को या बाद में पारपत्र के लिए दी जाने वाली अर्जियों के साथ १५ रु० शुल्क देना होगा।

ये पारपत्र आजकल के पांच वर्ष की बजाय तीन वर्ष से अधिक के लिए चालू नहीं होंगे। इसी प्रकार पारपत्र में अन्य परिवर्तन कराने का जो एक रुपया शुल्क लिया जाता था, वह हर बार दो रुपया लिया जाएगा। पुराने पारपत्रों के पांच साल पूरे होने पर १ जून, १९६० को या बाद में बहाल कराने पर और नये पारपत्रों को तीन साल पूरे होने पर बहाल कराने पर दो रु० प्रतिवर्ष देना होगा। बहाली अधिक से अधिक तीन वर्ष तक हो सकेगी और इसका शुल्क ६ रु० देना होगा।

३१ मई, १९६० तक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्रों की अर्जियों के साथ १० रु० ही शुल्क देना होगा, लेकिन ये पारपत्र पांच वर्ष की बजाय तीन वर्ष के बनेंगे।

यात्रा सम्बन्धी अन्य कागजों में छोटे-मोटे परिवर्तन कराने के शुल्कों में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन भारत-पाक पारपत्रों, भारत-लंका पारपत्रों, पहचान-पत्रों (सर्टिफिकेट) और अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन यात्रा-पत्रों के शुल्क में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

१९६१ की जनगणना में गांवों के आर्थिक, सामाजिक जीवन से सम्बन्धित पड़ताल

अगले साल जनगणना के समय देश के हर राज्य के ३५-३५ गांवों के ग्रामीण जीवन के आर्थिक और सामाजिक पहलू का अध्ययन किया जाएगा। ये गांव अपनी-अपनी तरह के होंगे। जैसे, कुछ गांव ऐसे होंगे जिनमें अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं, कुछ आदिम जातियों के गांव चुने जाएंगे और कुछ ऐसे जो घरेलू और ग्रामोद्योगों तथा दस्तकारियों की दृष्टि से महत्व रखते हैं।

इस पड़ताल का उद्देश्य यह पता लगाना है कि गांव बसा कैसा है, और यहां शिक्षा, चिकित्सा, डाक-तार आदि की सुविधाएं कितनी हैं। भारत में जनगणना के समय इस तरह की सामाजिक जानकारी पहले भी एकत्र की जाती रही है। इस पड़ताल के लिए जो प्रश्नावली तैयार की गई है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे, जैसे: व्यक्ति उस गांव में कितने दिन से रहता है, उसका कार्य, सम्पत्ति, शिक्षा, भोजन और उसके विवाह, उत्तराधिकार, ऋण, घर के फर्नीचर, आभूषण, उपभोग्य सामग्री और उद्योग-धन्धे आदि।

इसी प्रकार स्थानीय कथा-कहानियों, मकानों, रेल-स्टेशन से दूरी, वर्ष-मार्ग, डाक और तारघर, धार्मिक रीति-रिवाजों, त्योहारों, मनोरंजन-केन्द्रों, सहकारी समितियों और स्कूलों आदि के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे।

राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सरकारी मकान

इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष को नयी दिल्ली में अस्थायी रूप से एक कोठी अलाट की गई है। यह सूचना निर्माण, आवास और पूर्ति उपमंत्री, श्री अनिल कुमार चंद ने १८ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

उन्होंने कहा कि यह निश्चय किया गया है कि अगर अन्य किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अध्यक्ष इसी प्रकार की मांग करे तो उस पर भी विचार किया जाएगा।

सार्वजनिक लेखा समिति के नये सदस्य

लोकसभा सचिवालय की ३० अप्रैल की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि १ मई, १९६० से सार्वजनिक लेखा समिति के लिए जो सदस्य चुने गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :

लोकसभा से : श्री उपेन्द्र नाथ बरमन, श्री फिरोज गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी, श्री आर० एस० किलेदर, श्री विनायक राव के० कोरताकर, श्री टी० मेनन, श्री जी० के० मैनी, श्री एस० ए० मार्टिन, श्री वैष्णव चरन मलिक, श्री टी० आर० नेसवी, श्री शामराव विष्णु परूलकर, श्री पुरुषोत्तम दास आर० पटेल, श्री राधा रमण, डा० एन० सी० सामर्तसिंहर और पंडित द्वारकानाथ तिवारी।

राज्यसभा से : श्रीमती शारदा भार्गव, श्री जशोध सिंह विष्ट, श्री सुरेन्द्र मोहन घोष, डा० श्रीमती सीता परमानन्द, श्री वी० सी० केशव राव, श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी और श्री जसवंत सिंह।

अध्यक्ष ने श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

हिमालय पर्वतारोही संस्था

हिमालय पर्वतारोही संस्था की स्थापना नवम्बर १९५४ में हुई थी। ३१ मार्च, १९६० तक ४३७ छात्रों को पर्वतारोहण की बुनियादी और ८१ प्रशिक्षणार्थियों को उच्च शिक्षा दी गई। दूसरी योजना के अन्त तक ५३५ छात्रों को बुनियादी और १३५ को उच्च ट्रेनिंग दी जाएगी। संस्था ने २०० नवयुवक और युवतियों को पश्चिमी घाट, जबलपुर और सागर में पहाड़ियों पर चढ़ने का अभ्यास कराया। संस्था का खर्च लगभग ३ लाख ० प्रतिवर्ष है। इसमें पूंजीगत व्यय शामिल नहीं है। वास्तविक व्यय लगभग २॥ लाख रु० होता है, जिसे भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार देती है। पूंजीगत व्यय में केन्द्रीय सरकार ७० प्रतिशत और पश्चिम बंगाल की सरकार ३० प्रतिशत देती है। आवर्ती और अनावर्ती व्यय में दोनों का हिस्सा ५०-५० प्रतिशत है। भारत सरकार के हिस्से में प्रतिरक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्रालय २:१ के अनुपात से योग देता है।

यह ऋण २॥ प्रतिशत ब्याज पर लिया गया है और इसे भारतीय मुद्रा में आठ सालाना किस्तों में अदा किया जाएगा। पोलैंड से सामान खरीदने के सब सौदे ३० जून, १९६२ से पहले हो जाएंगे।

इस ऋण से पोलैंड के कारखानों की मशीनें और अन्य सामान खरीदा जाएगा। कारखानों में मशीनें आदि बैठाने के खर्च का भुगतान दोनों सरकारों के व्यापार और भुगतान समझौते के अन्तर्गत अलग से किया जाएगा। सामान की खरीद और बिक्री उस समय के दुनिया के बाजार भाव पर होगी।

किन कारखानों और योजनाओं के लिए इस ऋण का उपयोग किया जाए; इसका अध्ययन करने के लिए देश की एक शिल्पिक टोली पोलैंड जाएगी।

इस ऋण के भुगतान में भारत जो रुपया देगा, पोलैंड उससे व्यापार और भुगतान समझौते के अन्तर्गत भारत से सामान खरीदेगा। भारत ऋण के भुगतान का रुपया पोलैंड के नरोदोवी बैंक, पोलस्की, के नाम पर अलग खाते में जमा करेगा।

इस करार के लिए पोलैंड का आर्थिक शिष्टमंडल हाल में भारत आया था। करार से दोनों देशों के आर्थिक सम्बन्ध और भी सुदृढ़ होंगे।



भारत और अमरीका में खाद्यान्न सम्बन्धी समझौता

वाशिंगटन में ४ मई को अमरीका द्वारा भारत को गेहूं और चावल की बिक्री के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता दोनों देशों में होने वाला पांचवां और सबसे बड़ा है। इसके अन्तर्गत अमरीका भारत को आगामी ४ वर्षों में १ करोड़ ६० लाख मीट्रिक टन गेहूं और १० लाख मीट्रिक टन चावल बेचेगा। इस खरीद से भारत ४० लाख मीट्रिक टन गेहूं और १० लाख मीट्रिक टन चावल का रिजर्व बनाएगा। खाद्यान्न का मूल्य, जिसमें उसके परिवहन का खर्च भी शामिल है, ६०७ करोड़ रुपये होगा और अदायगी रुपयों में होगी। अदा की गई रकम का अधिकतर भाग अर्थात् ५०२ करोड़ रुपया [illegible] सरकार [illegible] वि[illegible] कार्यों के लिए दिया जाएगा—इसमें से आधा ऋण और आधा अनुदान के रूप में होगा। बाकी ९५ करोड़ रुपया अमरीका स्वयं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भारत में खर्च करेगा।

अमरीका की ओर से इस समझौते पर राष्ट्रपति आइजनहावर ने और भारत की ओर से केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री श्री एस० के० पाटिल ने हस्ताक्षर किए।

पोलैण्ड से मिले ऋण का उपयोग : करार पर हस्ताक्षर

पोलैंड ने भारत को १४ करोड़ ३० लाख रु० का जो ऋण मंजूर किया है, उसके उपयोग के करार पर ७ मई को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। करार पर पोलैंड के विदेशी व्यापार के मंत्री, डा० डब्ल्यू० ट्रैम्पजिन्सकी और केन्द्रीय उप-वित्त मंत्री, श्री बलिराम भगत ने हस्ताक्षर किए।

रिजर्व बैंक का अनुसूचित बैंकों को निर्देश

रिजर्व बैंक ने सब अनुसूचित बैंकों को निर्देश दिया है कि ६ मई के पश्चात् वे (अनुसूचित बैंक) अपनी देनदारी में जो भी वृद्धि करें उसका ५० प्रतिशत रिजर्व बैंक में जमा करें। पिछली १२ मार्च से अनुसूचित बैंकों को अपनी देनदारी में वृद्धि का २५ प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक में जमा करवाना पड़ता था। अब यह भाग २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया गया है।

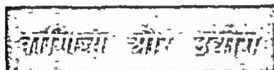
तटकर और उत्पादन-शुल्क सलाहकार परिषद का कार्यकाल

केन्द्रीय सरकार ने तटकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सलाहकार परिषद का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया है।

इस परिषद की स्थापना पिछले साल मई में एक वर्ष के लिए की गई थी।

परिषद के अध्यक्ष राजस्व और असैनिक व्यय मन्त्री, डा० गोपाल रेड्डी हैं। परिषद में उनके अलावा १६ सदस्य हैं। परिषद में केन्द्रीय राजस्व मण्डल के अधिकारियों के अलावा, व्यापार और वाणिज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि और पांच गैर-सरकारी सदस्य हैं।

स्थापना के बाद परिषद की दो बैठक हुई हैं।



भारतीय कोयला परिषद की बैठक

नई दिल्ली में १० मई को केन्द्रीय इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार स्वर्णसिंह की अध्यक्षता में भारतीय कोयला परिषद की बैठक हुई। बैठक में भाषण देते हुए मंत्री महोदय ने सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों से कहा कि उन्हें चाहिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन इस प्रकार बढ़ाएं, जिससे कि कोयले की कमी देश के विकास में कोई बाधा न खड़ी कर सके। उन्होंने कहा कि कोयले का उत्पादन देश की अर्थ-व्यवस्था और विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अतः परिषद को तीसरी योजना में कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में काफी विचार करना चाहिए।

परिषद ने विचार करके यह राय प्रकट की कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोयले के उत्पादन और उसकी बिक्री इस प्रकार रखी जा सकती है, जिससे कि औद्योगिक विकास की सारी आवश्यकता पूरी हो सके।। परन्तु इस बात पर जोर दिया कि इस सम्बन्ध में पहले से योजना बना कर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। परिषद ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और भारतीय खान संघ की गतिविधियों पर विचार किया और इन दोनों संस्थाओं से कोयले के नए भंडारों का पता लगाने और उनके विकास आदि के जो सुझाव रखे, उन पर विचार किया। तीसरी योजना की अवधि में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत-से तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों की भी काफी आवश्यकता होगी। इसकी पूर्ति के लिए अब तक जो उपाय किए गए हैं या भविष्य में किए जाएंगे, उन पर भी परिषद ने विचार किया।

२५,००० रुपये के सेविंग्स सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला

केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के आर्थिक कार्यों के विभाग की ७ मई की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि १६ मई, १९६० से राष्ट्रीय योजना के २५,००० रु० के नये सेविंग्स सर्टिफिकेट बेचे जाएंगे। इस समय ५, १०, ५०, १०० १,००० और ५,००० रु० के सर्टिफिकेट चालू हैं। नये सर्टिफिकेट केवल प्रमाणित प्राविडेंट फण्ड की रकम को लगाने के लिए हैं। आन्ध्र सरकार नये सर्टिफिकेट के बारे में घोषणा कर चुकी है।

चीनी का उत्पादन

इस साल ७ मई, १९६० तक देश में कुल २३ लाख ५० हजार टन चीनी बनाई गई। इस प्रकार पिछले साल के अब तक के उत्पादन (१८.८८ लाख टन) से ४ लाख ६२ हजार टन चीनी अधिक बनी। पिछले पूरे साल में कुल १९ लाख १९ हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

इस साल गन्ने की अच्छी पैदावार और चीनी का उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप इस मौसम में पिछले साल की अपेक्षा अधिक चीनी बनी।

उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए

(१) उत्तर प्रदेश और बिहार में कारखाना पहले चालू करने पर ३१ नये पैसे प्रति-मन के हिसाब से रियायत दी गई। (२) पिछले दो मौसमों के औसत उत्पादन से अधिक चीनी बनाने पर उत्पादन शुल्क में ५० प्रतिशत छूट दी गई। (३) गन्ने की न्यूनतम कीमत बढ़ाई गई।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने इस मौसम में कारखानों में काफी गन्ना सप्लाई करने का प्रबन्ध किया। खाडसारी और बिजली से चलने वाले कोल्हुओं को चीनी मिलों के क्षेत्र के बाहर से गन्ना लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

१ लाख ८५ हजार टन चीनी की निकासी

केन्द्रीय सरकार ने बिक्री के लिए १ लाख ८५ हजार टन चीनी देने का निश्चय किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के चीनी कारखानों से खुली बिक्री के लिए चीनी नहीं दी जाएगी। पर, इन कारखानों को अपने कर्मचारियों को बेचने के लिए कुछ चीनी दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प० बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा के नियन्त्रित क्षेत्रों के कारखानों से चीनी सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा नामजद व्यापारियों को ही दी जाएगी। पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में चीनी या तो सीधे राज्य सरकारों को या उनके द्वारा नामजद व्यापारियों को दी जाएगी। दिल्ली को चीनी वर्तमान नियमों के अनुसार ही दी जाएगी।

यह चीनी २५ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी एस आर ११८८।ई एस एस कामर्स।शुगर और ४ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना जी एस आर ३८६। ई एस एस कामर्स। शुगर, में दिए गए भाव पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की मिलों के लिए चीनी का नियंत्रित एक्स-मिल भाव ३७.८५ रु० प्रति मन है, जबकि पंजाब और दक्षिण बिहार की मिलों के बाहर का नियन्त्रित भाव ३८.३५ रु० प्रति मन है। कानपुर को जो चीनी दी गई है, उसके आई एस एस डी-२९ श्रेणी की चीनी का रेल से-पहुंचता मूल्य ३८.६० रु० और कलकत्ते की चीनी का ३९.८५ रु० प्रति मन है।

यह सूचना खाद्य और कृषि मन्त्रालय के चीनी और वनस्पति निदेशालय की ४ की विज्ञप्ति में दी गई है।

भारतीय इंजीनियर का डीजल इंजन सम्बन्धी आविष्कार

भारतीय रेलों के अनुसंधान और डिजाइन संगठन, शिमला के डिप्टी डायरेक्टर ३२ वर्षीय श्री एम० एम० सूरी ने डीजल इंजनों के संबंध में एक ऐतिहासिक आविष्कार किया है। भारत सरकार ने जर्मनी की एक प्रसिद्ध फर्म को इस आविष्कार का प्रयोग करने और उसकी डिजाइन के डीजल इंजन तैयार करने का एकाधिकार दिया है। श्री सूरी ने डीजल इंजनों में शक्ति संचालन की एक नयी प्रणाली निकाली है जिसका नाम सूरी ट्रांसमिशन रखा गया है। इस आविष्कार के कारण अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और जापान आदि जैसे विकसित देशों की अपेक्षा डीजल इंजनों के निर्माण क्षेत्र में भारत आगे बढ़ गया है।

भारत सरकार ने इस आविष्कार को व्यापारिक पैमाने पर इंजन तैयार करने के लिए अपने हाथ में ले लिया है और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के द्वारा सरकार विश्व के १२ प्रमुख देशों में इस आविष्कार को पेटेंट करा रही है। इस तरह भारत, जापान, आस्ट्रेलिया, अमरीका, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, ब्राजील और कनाडा में इसे पेटेंट करने के प्रार्थना-पत्र दिए गए हैं। ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और भारत में पेटेंट स्वीकृत हो चुके हैं।

इस आविष्कार के अनुसार व्यापारिक पैमाने पर डीजल इंजन तैयार करने का सम्पूर्ण अधिकार जर्मनी की एक फर्म मैसर्स माक को दिया गया है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सूरी ट्रांसमिशन प्रणाली से युक्त ७ डीजल इंजन इस समय माक के कारखाने में पश्चिमी जर्मनी में बन रहे हैं और इसी साल मिल जाएंगे। माक को सारे विश्व में इन इंजनों को बेचने का अधिकार दिया गया है। परन्तु यह शर्त रखी गई है कि जब भी भारत में इनका उत्पादन हो सकेगा तो भारतीय उत्पादकों को इस आविष्कार का प्रयोग करने और भारत में या बाहर सूरी ट्रांसमिशन के डीजल इंजन बेचने का अधिकार होगा।

सूरी ट्रांसमिशन के आविष्कार के कारण डीजल इंजनों का संचालन खर्च बहुत घट जाएगा। इन डीजल इंजनों की सफलता और विश्वभर में इनकी तरजीह मिलने की बात इस पर निर्भर है कि जो ७ इंजन भारतीय रेलों के लिए बनाए जा रहे हैं वे शीघ्रता के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। भारतीय रेलों ने जर्मनी की फर्म को पूरा सहयोग देने का विश्वास दिया है और सूरी ट्रांसमिशन प्रणाली को और भी विकसित करने का कुछ खर्च भी उठाने का आश्वासन दिया है।

कागज उद्योग की समस्याओं पर विचार

नयी दिल्ली में ३ मई को वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय द्वारा आयोजित कागज निर्माताओं, थोक और खरीद व्यापारियों, मुद्रकों और कागज उपयोक्ताओं की एक बैठक में भाषण देते हुए केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्री, श्री लालबहादुर शास्त्री ने कागज उद्योगपतियों और व्यापारियों को यह सलाह दी कि मूल्य सम्बन्धी टटकर आयोग की सिफारिशों को वे स्वीकार कर लें। श्री शास्त्री ने कहा कि टटकर आयोग ने कागज निर्माताओं और उपयोक्ताओं, दोनों के हितों को सामने रख कर इस चीज का अध्ययन किया है। यह सम्भव है कि उद्योगपति इससे पूर्णतः सन्तुष्ट न हों, परन्तु उचित यही है कि इस समय इस मामले को खत्म कर दिया जाए और कुछ समय बीतने के बाद इस बात का उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए फिर से अध्ययन किया जाए।

श्री शास्त्री ने कहा कि कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कागज का उत्पादन बढ़ाना हमारे लिए इस समय सबसे प्रमुख समस्या है। उन्होंने बताया कि तीसरी योजना में ७ लाख टन कागज के उत्पादन का लक्ष्य रखा जाएगा। सरकार छोटे और बीच के दर्जे के नये कारखाने खोलना चाहती है और पुरानों का विस्तार करना चाहती है। पिछले ६ महीनों में प्रतिदिन ५ से १० टन की क्षमता के ६० छोटे कारखानों को लायसेंस दिए गए हैं। इस प्रकार कुल उत्पादन-क्षमता २,२७,००० टन हो जाएगी।

मन्त्री महोदय के भाषण के पश्चात् कागज उत्पादन और वितरण की समस्या पर विचार किया गया। यह निर्णय किया गया कि विभिन्न हितों की प्रतिनिधि दो समितियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें से एक के अध्यक्ष केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री के० बी० लाल और दूसरी के भारत सरकार के कागज और मुद्रण नियन्त्रक श्री सी० ए० सुब्रह्मण्यम होंगे। ये समितियां कागज के वितरण और उत्पादन की समस्या पर विचार करेंगी।

खम्भात के पास नया तेल क्षेत्र

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को खम्भात शहर से १०० मील दक्षिण में नये तेल क्षेत्र का पता चला है। इस क्षेत्र में परीक्षण के लिए भड़ौच से ६ मील दूर अंकलेश्वर में कुआं बनाया गया है।

यह सूचना केन्द्रीय तेल और खान मन्त्री, श्री केशवदेव मालवीय ने १५ मई को लखनऊ में पत्र-प्रतिनिधियों को दी। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार अंकलेश्वर में प्राप्त तेल की किस्म खम्भात के तेल से अच्छी है और यहां तेल की मात्रा भी अधिक है।

मन्त्री महोदय ने बताया कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में खुदाई शुरू हुई थी। कुछ समय खुदाई में लगा और परीक्षण कार्रवाई के दूसरे दिन ही तेल की धारा फूट निकली। मन्त्री महोदय ने कहा कि वैसे अभी अंकलेश्वर की खोज की पूरी सूचनाएं नहीं मिली, फिर भी मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र में अब तक तेल की जो भी खोज हुई है उसमें अंकलेश्वर की खोज सर्वोत्तम है।

दुर्गापुर में इस्पात का उत्पादन आरम्भ

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की पहली खुली भट्ठी से २५ अप्रैल को पहली बार २०० टन पिघला हुआ इस्पात निकला। इस प्रकार इस कारखाने में इस्पात उत्पादन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है।

इस अवसर पर हिन्दुस्तान स्टील लि० के वरिष्ठ अधिकारी और सलाहकार तथा ब्रिटिश फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कारखाने में ऐसी ८ खुली भट्ठियां लगाई जाएंगी। इस पहली भट्ठी में १० दिन पहले आग जलाने का काम शुरू हुआ था। इस भट्ठी में एक बार में २०० टन इस्पात तैयार हो सकता है।

मार्च १९६० में भारत का विदेशी व्यापार

वाणिज्य सूचना और अंक संकलन विभाग, कलकत्ता, की सूचना के अनुसार, मार्च १९६० में जल, थल और हवाई मार्ग से निजी और सरकारी रूप से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े इस प्रकार हैं —

व्यापारी माल इसमें नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान के साथ स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार शामिल नहीं है। निर्यात—५२ करोड़ ९१ लाख रु०, पुनर्निर्यात—४६ लाख रु०, आयात—७५ करोड़ ५८ लाख रु०। आयात के आंकड़ों में उस सरकारी सामान का मूल्य शामिल नहीं है, जिसका अभी हिसाब होना बाकी है।

कोष नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—२ करोड़ ४१ लाख रु०, सोना—बिल्कुल नहीं, चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य। नोटों का आयात—२२ लाख रु०, सोना—१ लाख रु०, चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य।

व्यापार तुला व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात से २२ करोड़ ३० लाख रु० कम रहा।

यह सूचना वाणिज्य सूचना और अंक संकलन विभाग, कलकत्ता, की ८ मई की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

घटिया खनिज से तापसह ईंटें बनाने की विधि

राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला (जमशेदपुर) ने घटिया खनिज क्रोम से तापसह पदार्थ बनाने की विधि निकाली है। यह खनिज क्रोम अभी तक इस काम नहीं आता था। तापसह पदार्थ की ईंटें या प्लास्टर इस्पात की और दूसरी भट्ठियों में अंदर लगाया जाता है।

घटिया खनिज क्रोम से तापसह ईंटें आदि बनाने का तरीका प्रायः वही है जो क्रोम-मैग्नेसाइट से तापसह पदार्थ बनाने का है। इस आविष्कार का महत्व यह है कि इस विधि से घटिया क्रोम से भी तापसह पदार्थ के लिए आवश्यक अनुपात में धातु मिल जाती है। अभी तक जिस बढ़िया क्रोम से तापसह पदार्थ बनते हैं, वह केवल उड़ीसा और बिहार में ही मिलता है। नयी विधि से सेलम और विशाखापत्तनम् में भी ये पदार्थ बनाए जा सकेंगे। इनके लिए आवश्यक मशीनें वही हैं, जो क्रोम-मैग्नेसाइट से तापसह पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होती हैं।

विदेशी अनियंत्रित व्यापार क्षेत्रों का अध्ययन : राज्य मंत्री का विदेश प्रस्थान

परिवहन और संचार राज्य मंत्री, श्री राजबहादुर ने अमरीका और पश्चिम जर्मनी की चार सप्ताह की यात्रा पर १३ मई को भारत से प्रस्थान किया। इस दौरान वे न्यूयार्क, सैनफ्रांसिस्को और लास-एंजिल्स बन्दरगाहों के पास का और वहां के अनियंत्रित व्यापार क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे।

पश्चिमी जर्मनी में श्री राजबहादुर हैम्बर्ग और ब्रेमन बन्दरगाहों तथा इनके अनियंत्रित व्यापार क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार ने कांडला बन्दरगाह में अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र खोलने की हाल ही में योजना बनाई है। श्री राजबहादुर हैम्बर्ग जहाज कारखाना भी देखेंगे। वे इन दोनों देशों में सड़क परिवहन का भी अध्ययन करेंगे।

श्री राजबहादुर अमरीका के मुख्य ट्रैवल एजेंट्स और पर्यटन उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों से भी मिलेंगे। वे उन्हें यह बताएंगे कि भारत में पर्यटकों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं। भारत में पर्यटन के बारे में श्री राजबहादुर अमरीका में रेडियो और दूरदर्शन पर भी कई भेंट-वार्ताएं प्रसारित करेंगे।

नेफा में प्लाइवुड का कारखाना

लोकसभा में १६ अप्रैल को परराष्ट्र मंत्रालय में संसदीय सचिव श्री जोगेन्द्र नाथ हजारिका ने एक वक्तव्य में बताया कि १७ मार्च, १९६० को नेफा में खोले जाने वाले प्लाइवुड कारखाने के बारे में बताया गया था कि मंत्रालय लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी के ५१ प्रतिशत शेयर खरीदेगा।

वास्तविक स्थिति यह है कि १९५५ में जब नेफा प्रशासन ने नामसाग बरदुरिया रिजर्व फारेस्ट के कुछ हिस्सों को पट्टे पर देने के लिए आवेदन-पत्र मांगा था, तो उसमें एक शर्त यह थी कि जंगलात के लिए लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी बनाई जाएगी, जिसमें आदिम जातियों की ओर से ५१ प्रतिशत पूंजी लगाने और प्रबन्ध में हिस्सा लेने का नेफा प्रशासन का अधिकार रहेगा।

अब स्थिति यह है कि आसाम रेल और ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड ने, जिसके साथ प्लाइवुड कारखाना खड़ा करने की बाबत बातचीत चल रही है, प्रस्ताव भेजा है कि वह सामान्य शेयरों या तरजीही शेयरों का ४० प्रतिशत तक का हिस्सा लेने को तैयार है।

टाइपराइटरों का निर्माण

राज्यसभा में २१ अप्रैल को उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई शाह ने बताया कि टाइपराइटरों का निर्माण १९५६ के १३,४२० से बढ़कर पिछले साल २१,४३७ हो गया।

टाइपराइटरों के तीन कारखानों को स्टैण्डर्ड टाइपराइटर बनाने का लाइसेंस दिया गया है और इनमें काम हो रहा है। छोटे टाइपराइटरों (पोर्टेबल) के लिए एक कारखाने को लाइसेंस दिया गया है और अनुमान है कि यह जल्दी ही चालू हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइपराइटर कारखानों की उत्पादन क्षमता ३३,००० टाइपराइटर की है, जबकि छोटे टाइपराइटर के कारखानों की १२ हजार है।

श्री शाह ने बताया कि अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, असमी और तमिल, इन सात भाषाओं के टाइपराइटर बनाए गए हैं।

उद्योग मन्त्री ने बताया कि अक्तूबर १९५८ से पूरे बने टाइपराइटर के आयात पर रोक लगा दी गई है। इसी अवधि से टाइपराइटर के हिस्सों के संबंध में पूरे कोटे के ४० प्र० श० या पूरे टाइपराइटरों के आयात के ५ प्र०श० के बराबर आयात की अनुमति दी गई है।

औद्योगिक बस्तियां

इस साल पहली जनवरी को देश में कुल ३४ औद्योगिक बस्तियां थीं, जिसमें कुल ४३२ कारखाने चालू थे। राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है :—मद्रास में ६; केरल और बम्बई में ५-५; बिहार में ४; पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में २-२; आसाम, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में १-१। २ बस्तियां सामुदायिक विकास खण्ड के क्षेत्रों में और ४ प्रारम्भिक योजना क्षेत्रों में हैं।

क्या आप जानते हैं ?

अभ्रक का उत्पादन

● अभ्रक के उत्पादन में भारत सबसे आगे है। विश्व की कुल जरूरत का ८० प्रतिशत उत्तम अभ्रक भारत ही सप्लाई करता है।

● अभ्रक में कई अद्भुत गुण हैं। यह अधिकांश कम हानि (लो-लास) कन्डेन्सर बनाने में काम आता है जो रेडियो, राडार तथा दूसरे बिजली के ऐसे यन्त्रों में लगते हैं, जो भिन्न-भिन्न तापक्रम, दबाव और नमी में काम करते हैं। इन स्थितियों में बहुत अच्छे कन्डेन्सर ही काम देते हैं। अभ्रक में बिजली की धारा प्रवाहित नहीं होती।

● पिछले सालों में तेजी से कृत्रिम डाइ-एलेक्ट्रिक्स (बिजली के धारा-प्रवाह को रोकने वाले पदार्थ) बनने के बावजूद अभ्रक का महत्व कम नहीं हुआ है क्योंकि इसके बने हुए बिजली के इन्सुलेटर ऊंची किस्म के होते हैं।

● आम तौर से अभ्रक की किस्मों की छटाई, रंग, लहर और धारी तथा धब्बे के आधार पर की जाती है। केवल अच्छी किस्म का लाल (रूबी) अभ्रक उत्तम प्रकार के कन्डेन्सर बनाने के लिए ठीक होता है।

● सेंट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट, कलकत्ता ने अभ्रक की विभिन्न किस्मों की पहचान के लिए एक औजार बनाया है।

● इंस्टिट्यूट अभ्रक की रद्दी का उपयोग करने का अनुसन्धान कर रहा है। संस्था ने रद्दी से ऐसी ईंटें बनाने का तरीका मालूम किया है, जिनमें ताप का असर नहीं होता। ये ईंटें काम में लाई जा रही हैं।

● इंस्टिट्यूट ने अभ्रक को भिगो कर पीसने का तरीका भी मालूम किया, जो व्यापारिक तौर पर अपनाया जा रहा है। इसके अलावा जमीन के अभ्रक का रंग बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है।

● १९५९ की पहली छमाही में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बन्दरगाहों से ११,४३७ टन अभ्रक बाहर भेजा गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ४ करोड़ २५ लाख रु० का १०,८१३ टन अभ्रक भेजा गया था।

बेतार के पुर्जों के निर्माण के लिए नयी योजनाएं

केन्द्रीय सरकार ने देश में रेजिस्टर, कैपे-सिटर, पोटेन्शियो-मीटर और वाल्यूम कन्ट्रोल, वैरिएबल कन्डेंसर, लाउडस्पीकर और बैंड बदलने के स्विच आदि बेतार-यंत्रों के पुर्जों को देश में बनाने की नयी योजनाओं को लाइसेंस देने का निश्चय किया है। योजनाएं इलैक्ट्रानिक पुर्जे बनाने की होनी चाहिए न कि बाहर से मंगाये हुए हिस्से जोड़कर पुर्जे तैयार करने की।

यह कार्रवाई देश में रेडियो और इलेक्ट्रानिक उद्योग को बढ़ाने और इनमें आत्म-निर्भर होने के लिए की जा रही है। देश में १९५१ से अब लगभग तिगुने रेडियो बन रहे हैं। १९५९ में २ लाख १० हजार रेडियो बनाए गए। रेडियो की मांग बेहद बढ़ने के कारण तीसरी योजना में काफी ज्यादा रेडियो बनाने होंगे। इस समय रेडियो के बहुत से पुर्जे बाहर से मंगाने पड़ते हैं।

पानी मृदु करने वाली राल बनाने की नई विधि

पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने ऐसी राल बनाई है, जिससे बॉयलरों, वातानुकूलित मशीनों, बर्फ बनाने की मशीनों आदि के लिए पानी मृदु किया जाता है।

यह राल काजू के छिलकों के तेल से बनती है। यह तेल काफी सस्ता मिल जाता है। प्रति-वर्ष काजू के छिलके का ६ हजार से ८ हजार टन तक तेल निर्यात हो जाता है। इस तेल से उक्त किस्म की राल बनाने की विधि आज-मायशी तौर पर निकाली गई है।

इस विधि का ब्योरा 'रिसर्च एण्ड इंडस्ट्री' मासिक पत्रिका के मई १९६० के अंक में दिया गया है।

उक्त विधि से एक घनफुट राल की लागत ४१ रु० बैठती है। यह लागत विदेशी रालों की लागत से काफी कम है। इसे बनाने की मशीन भी देश में ही आसानी से बनाई जा सकती है।

मशीनी औजारों का आयात

भारत सरकार ने माल वाले आयातकों को कुछ प्रकार के मशीनी औजार मंगाने का लाइसेंस देने का निश्चय किया है। ये लाइसेंस ७० प्रतिशत साधारण और ३० प्रतिशत मुक्त मुद्रा के आधार पर दिए जाएंगे। ये लाइसेंस चालू छमाही में दिए जाएंगे।

नकली रेशम का धागा

भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के नकली रेशम के धागे बनाने के कारखाने खड़े करने की योजना स्वीकार की है, जिससे प्रतिवर्ष ७ करोड़ ८० लाख पौंड धागा और बनने लगेगा। इसमें १ करोड़ ६० लाख पौंड धागा रेशे से बनाया जाएगा और १ करोड़ पौंड नकली रेशम से तथा ९० लाख पौंड रेयन टायर कार्ड से बनेगा। आशा है तीसरी योजना में उत्पादन शुरू हो जाएगा।

यह सूचना केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो ने २५ अप्रैल को लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि इतना अधिक उत्पादन होने पर भी देश की जरूरत पूरी नहीं होगी। श्री कानूनगो ने बताया कि रेयन ग्रेड लकड़ी की लुग्दी बनाने की कुछ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और कुछ पर विचार हो रहा है। लुग्दी से नकली रेशम के धागे बनाये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के पूरा होने पर तीसरी योजना के अंत तक देश आत्मनिर्भर हो सकता है।

झलाई करने-वालों को सर्टिफिकेट

गवर्नमेंट टेस्ट हाउस, अलीपुर, कलकत्ता में शीघ्र ही झलाई (वेल्डिंग) करने वालों का परीक्षण करने और उन्हें सर्टिफिकेट देने के लिए एक विभाग खुलने वाला है।

आजकल इमारती कामों में और पानी के जहाजों में झलाई का काम काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में सरकारी विभागों और उद्योगों में यह महसूस किया जा रहा है कि झलाई करने वालों को प्रमाणपत्र देने के लिए एक केन्द्रीय विभाग खोला जाए।

जो झलाई करने वाले प्रमाण-पत्र लेना चाहेंगे, उन्हें उक्त टेस्ट हाउस में अपनी परीक्षा देनी होगी। वहां उन्हें झलाई का सारा सामान देकर नमूने के तौर पर झलाई कराई जाएगी और उनके काम का स्तर जांच कर सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

१९५८-५९ में कर्मचारियों की भविष्य-निधि योजना

कर्मचारियों की भविष्य-निधि (प्राविडेंट फंड) योजना १९५८-५९ में कुल मिला कर ७,०२४ कारखानों आदि में लागू थी, जबकि १९५७-५८ में यह योजना केवल ६,५२८ कारखानों में लागू थी। इसकी सदस्य-संख्या भी १९५७-५८ में २४.२७ लाख से बढ़ कर १९५८-५९ में २५.४३ लाख हो गई।

यह जानकारी भविष्य निधि योजना की १९५८-५९ की रिपोर्ट में दी गई है।

इस वर्ष भविष्य निधि योजना अधिनियम एक और उद्योग पर लागू हुआ और इस प्रकार इसके अन्तर्गत उद्योगों की संख्या बढ़ कर ३८ हो गई। मार्च १९५९ के अन्त तक भविष्य-निधि में १ अरब ३२ करोड़ रु० जमा हुआ। इसमें कर्मचारियों को लौटाई जाने वाली रकम शामिल नहीं है। मार्च १९५८ के अन्त तक इस मद में १ अरब १० करोड़ रु० जमा था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आलोच्य वर्ष में योजना को बढ़ाने के स्थान पर इसको सुदृढ़ करने की ओर अधिक ध्यान दिया गया। योजना में इस वर्ष यह संशोधन किया गया कि सदस्य चाहें तो अपने या अपने कुटुम्बियों के भयानक और लम्बे रोगों की चिकित्सा के लिए निधि से कुछ समय के लिए रुपया उधार ले सकते हैं। दूसरे संशोधन के द्वारा कर्मचारियों को अपने वेतन और महगाई भत्ते का ८⅓ प्रतिशत तक जमा कराने की अनुमति दी गई। अभी तक ६¼ प्रतिशत ही जमा कराया जा सकता था। इस वर्ष सरकारी और स्थानीय संस्थाओं के कारखानों आदि को भी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का लाभ पहुचाने का निश्चय किया गया।

भविष्य निधि की दर : विचार के लिए शिल्प समिति नियुक्त

केन्द्रीय सरकार ने यह जाच करने के लिए एक शिल्प-समिति नियुक्त की है कि भविष्य निधि की दर ६¼ प्रतिशत से ८⅓ प्रतिशत करने के प्रस्ताव के लागू होने पर कौन-कौन से उद्योग इस अतिरिक्त भार को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।

श्री एम० आर० मेहर समिति के अध्यक्ष हैं। श्री जी० एन० देसाई, डा० डी० टी० लकड़ावाला, डा० आर० सी० कूपर और श्री जी० डी० अम्बेकर समिति के अन्य सदस्य हैं। डा० कूपर मालिकों के और श्री अम्बेकर मजदूरों के प्रतिनिधि हैं। इन स्थायी सदस्यों के अलावा, मालिकों और मजदूर संगठनों को विभिन्न उद्योगों की जाच के समय एक-एक सदस्य नामजद करने को कहा जाएगा।

आरम्भ में जिन ६ उद्योगों की जाच की जाएगी, उनकी सूची भारत सरकार के सूचना-पत्र में प्रकाशित की गई है। ये उद्योग इस प्रकार हैं (१) सीमेंट, (२) सिगरेट, (३) इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल और जनरल इंजीनियरी, (४) लोहा और इस्पात, (५) कागज और (६) कपड़ा। अन्य चार उद्योगों की जाच के बाद सीमेंट और कपड़ा उद्योग के बारे में विचार किया जाएगा।

समिति के विचारणीय विषयों में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि समिति को जाच के समय खास-खास उद्योगों में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी या रिटायर होने पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। यह भी हिदायत की गयी है कि समिति को अपनी राय देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य-निधि की दर बढ़ने से छोटे कारखानों के अस्तित्व को तो खतरा नहीं पैदा हो जाएगा।

समिति का प्रधान कार्यालय बम्बई में होगा।

पुनस्संस्थापन मंत्रालय के छटनी किए गए कर्मचारियों को नौकरी

पुनस्संस्थापन मंत्रालय के छटनी किए हुए २,१९० कर्मचारियों में से अब तक ६१४ को पुनस्संस्थापन और नियोजन के महानिदेशक की सहायता से अन्यत्र नौकरी मिल चुकी है। इनमें से लगभग २५० कर्मचारियों को तो सेना के प्रधान कार्यालयों में भर्ती किया जा चुका है। ६० कर्मचारी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में नौकरी पा चुके हैं। आशा है, इस दफ्तर में कुछ और लोगों को नौकरी मिल जाएगी। बाकी लोगों को केन्द्रीय सरकार के अन्य दफ्तरों में नौकरी मिल चुकी है। डाक-तार के महानिदेशक के अधीन विभिन्न कार्यालयों में कुछ जगहें खाली हैं, जहां इन छटनी किए हुए कर्मचारियों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हिन्दुस्तान स्टील लि०, इंडिया रिफाइनरीज, पर्यटन के महानिदेशालय, भारी इंजीनियरी कारपोरेशन और हिमाचल प्रदेश सरकार में भी नौकरी दिलाने के विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पुनस्संस्थापन मंत्रालय के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के छटनी किए गए अधिकारियों के बारे में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से यह व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार में अन्यत्र नौकरी दिलाने पर विचार किया जाए।

गोरखपुर श्रम संगठन के बारे में संसद की अनौपचारिक समिति की सिफारिशें

गोरखपुर के मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने वाली संसद की अनौपचारिक समिति ने सुझाव दिया है कि गोरखपुर श्रम संगठन का मजदूर भर्ती करने का काम केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के पुनस्संस्थापन और नियोजन महानिदेशालय को सौंप दिया जाए। कोयला-खानों के लिए मजदूर भर्ती करने वाला संगठन (कोल फील्ड्स रेक्रूटिंग आर्गनाइजेशन) मजदूरों की भलाई के जो काम करता है, उन्हें कोयला खान कल्याण निधि संगठन को सौंप दिया जाना चाहिए।

गोरखपुर श्रम संगठन को सरकार चलाती है। इस संगठन का काम गोरखपुर और आस-पास के क्षेत्रों के कोयला-खानों के लिए मजदूर भर्ती करना है। कोल फील्ड्स रेक्रूटिंग आर्गनाइजेशन की स्थापना खान-मालिकों ने की है। गोरखपुर के मजदूर इसी संगठन की मार्फत कोयला-खानों में काम करने जाते हैं।

गोरखपुर श्रम संगठन को भंग करने के निश्चय को लागू करने की योजना तैयार करने के वास्ते सितम्बर १९५९ में संसद की अनौपचारिक समिति नियुक्त की गई थी। केन्द्रीय श्रम उपमंत्री, श्री आबिद अली समिति के अध्यक्ष थे।

काम का ब्योरा

समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि पुनस्संस्थापन और नियोजन महानिदेशालय को कोयला खानों में काम चाहने वाले मजदूरों की भर्ती और डाक्टरी जांच कराने का काम करना चाहिए। खानों में भेजने से पहले जिन केन्द्रों में मजदूरों को रखा जाता है, महानिदेशालय को उनकी व्यवस्था अपने हाथ में लेनी चाहिए और रेकार्ड दफ्तर का काम भी तब तक संभालना चाहिए, जब तक खानों और गोरखपुर में अस्पतालों की व्यवस्था नहीं हो जाती।

खानों में मजदूर हित के कामों के लिए कल्याण निधि संगठन को एक त्रिदलीय समिति नियुक्त करनी चाहिए।

बराबरी का बर्ताव

जो सुविधाएं गोरखपुर के मजदूरों को मिलती हैं वे सब कोयला-खान मजदूरों को मिलें, इसके लिए समिति ने सुझाव दिया है कि कल्याण निधि संगठन को एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। मजदूरों के होस्टलों में उन मजदूरों को भी जगह मिलनी चाहिए जो खानों पर अपने परिवार के बिना रहते हैं और होस्टल में रहना चाहते हैं। गोरखपुर का जो मजदूर होस्टल में न रहना चाहे, उसे बाहर रहने की इजाजत दी जानी चाहिए। गोरखपुर के मजदूरों को खानों पर अपने परिवारों को ले जाने की भी इजाजत दी जानी चाहिए। सब मजदूरों के साथ चाहे वे स्थानीय हों या बाहर से आए हों, एक-सा बर्ताव होना चाहिए।

स्थायी नौकरी

समिति ने रिपोर्ट में बताया है कि खान मालिक ऐसी व्यवस्था करने को तैयार हैं जिस से मजदूर बराबर नौकरी में रहें। पर गोरखपुर के मजदूर थोड़े समय के लिए काम चाहते हैं, जिसमें उन्हें काम छोड़ कर घर जाने और काम पर वापस आने की पूरी छूट हो। अतः समिति ने सिफारिश की है कि जो मजदूर चाहे उनकी नौकरी स्थायी कर देनी चाहिए।

आसाम के चाय-बगानों के कर्मचारियों के लिए सुख-सुविधा-कोष

राष्ट्रपति ने आसाम के चाय के बगीचों के कर्मचारियों की सुख-सुविधा के कोष के अधिनियम को स्वीकृति दे दी है। इस कानून में एक ऐसे कोष की स्थापना की व्यवस्था की गई है जो आसाम के चाय-बगानों के कर्मचारियों की सुख-सुविधा के लिए आवश्यक कार्यों पर व्यय किया जा सकेगा।

राज्य सरकार को मालूम हुआ है कि चाय-बगानों के मालिकों के पास श्रमिकों का बहुत-सा रुपया बकाया पड़ा है। इस अधिनियम द्वारा इस धन को बगानों के कर्मचारियों की भलाई के लिए कानून के अन्तर्गत स्थापित होने वाले कोष द्वारा खर्च किया जा सकेगा।

अप्रैल १९६० में दिल्ली में मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक

भारत सरकार के श्रम कार्यालय के अनुसार, दिल्ली में मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक (१९४९ को आधार=१०० मान कर) अप्रैल १९६० में २ अंक गिर कर ११७ रह गया।

गेहूं का भाव गिरने के कारण खाद्य समूह का सूचक अंक २ अंक गिरा। लट्ठे और कमीज के कपड़े का भाव गिरने के कारण कपड़ा समूह का सूचक अंक १ अंक गिरा। कपड़ा धोने के साबुन के भाव में गिरावट होने के कारण फुटकर समूह का सूचक अंक भी १ घट गया। ईंधन और प्रकाश समूह का सूचक अंक पहले जितना ही रहा।

मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक (१९४४ को आधार=१०० मान कर) अप्रैल १९६० में १५४.६९ रहा, जबकि पिछले महीने यह सूचक अंक १५६.५८ था

अगस्त १९५९ को आधार=१०० मान कर दिल्ली में मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक अप्रैल १९६० में ४०३.४३ रहा। यह सूचक अंक पिछले महीने के सूचक अंक से ४.९३ कम है।

स्नातकों की नौकरी का सार्वदेशिक सर्वे

भारत सरकार के पुनस्संस्थापन और नियोजन का महानिदेशालय नमूने के तौर पर अखिल भारतीय सर्वे कर रहा है, जिसमें स्नातकों की नौकरी, आय आदि के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है। यह सूचना उन स्नातकों से इकट्ठी की जा रही है, जिन्होंने १९५४ में विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त की है। इस सर्वे से यह भी मालूम किया जाएगा कि इन स्नातकों ने कालिजों में जो विषय पढ़े, उनका नौकरी से क्या सम्बन्ध है; अब तक कितने स्नातकों को और कैसी-कैसी नौकरियां मिल चुकी हैं; कितनों ने आगे पढ़ाई जारी रखी आदि आदि।

इस सर्वेक्षण में आगरा, आंध्र और पटना विश्वविद्यालयों के १९५० के स्नातक भी शामिल कर लिए गए हैं। यह सर्वे विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया जा रहा है जिन्होंने स्नातकों के पते दिए हैं।

लगभग २२ हजार स्नातकों को प्रश्नावली की प्रतियां भेज दी गई हैं।

बड़ौदा रियासत के कर्मचारियों को बीमा कोष का लाभांश

भारत सरकार ने बड़ौदा रियासत के कर्मचारियों को बीमा कोष की पालिसियों पर लाभांश निम्नलिखित दर से देने की घोषणा की है :

(क) ३१ मार्च, १९५७ को जो पालिसियां चालू थी, उन पर १ अप्रैल, १९५० से ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिए १० रु० प्रति हजार सालाना की दर से प्रत्यावर्ती लाभांश दिया जाएगा।

(ख) १ अप्रैल, १९५७ को पूरी पालिसियों और दूसरे मूल्यांकन की तारीख तक १० रु० प्रति हजार सालाना की दर से अंतरिम लाभांश मिलेगा।

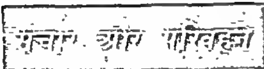
इस कोष को डाक-तार विभाग ने १ अप्रैल, १९५० को अपने हाथ में लिया और उसे बन्द कोष की तरह चलाया। ३१ मार्च, १९५७ को इसे डाक जीवन बीमा फंड में मिला दिया गया। यह निर्णय किया गया है कि बड़ौदा रियासत की बीमा पालिसियों पर, जो ३१ मार्च, १९६० से चालू रहेंगी, वही लाभांश

दिया जाएगा, जो डाक जीवन बीमा फंड के १९४० के बाद की अधार निधि बीमा पालिसियों पर दिया जाएगा। यह ३१ मार्च, १९५७ के बाद की मूल्यांकन अवधियों के लिए होगा।

कारखाना मजदूरों के लिए मकान

मध्य प्रदेश, बम्बई और मद्रास में कारखाना मजदूरों के लिए मकान बनाने की सहायता देने के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों ने अप्रैल १९६० में २,९३५ मकान बनाने मंजूर किए हैं। बम्बई और मद्रास में कारखानों के मालिक या सहकारी समितियां ये मकान बनवाएंगी। मध्य प्रदेश में मजदूरों के लिए राज्य सरकार स्वयं मकान बनवाएगी।

इन मकानों पर कुल ९१ लाख रु० की लागत का अनुमान है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में कारखाना मजदूरों के लिए ४६,५८० मकान बनाने की अनुमति दी जा चुकी है। दिसम्बर १९५९ के अंत तक ४४,९२६ मकान बन कर तैयार हो चुके थे।



मजगांव स्थित पी० एंड ओ० ग्रुप वर्कशाप का हस्तांतरण

१४ मई को बम्बई में एक विशेष समारोह में मजगांव गोदी का प्रबन्ध केन्द्रीय प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री कृष्णमेनन को औपचारिक ढंग से सौंप दिया गया। अभी हाल ही में प्रतिरक्षा विभाग ने इस गोदी को अपने हाथ में लिया है।

भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन की इस विशाल समुद्री और औद्योगिक संस्था को अधिकार में लेने से देश के औद्योगिक विकास में नये अध्याय का सूत्रपात हुआ है। यह समुद्री जहाज निर्माण उद्योग के राष्ट्रीयकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है।

राष्ट्र की नौसेना को शक्तिशाली बनाने के लिए यह एक वरदान है। इससे देश में नौसेना के जहाजों के डिजाइन बनाने और उनके निर्माण में सहायता मिलेगी। प्रतिरक्षा विभाग के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

ब्रिटिश जहाज निर्माण मिशन के सुझावों के अनुसार मजगांव गोदी में लड़ाई के बड़े-बड़े समुद्री जहाज बनने लगेंगे। इसके पहले नौसेना के जहाजों की मरम्मत पर सरकार को काफी धन व्यय करना पड़ता था। अब काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

पिछला इतिहास

मजगांव गोदी पिछली शताब्दी में बनी थी। यह ३५ एकड़ में फैली है। इसमें दो सूखी गोदी हैं। एक में बड़े जहाज आ सकते हैं और दूसरे में बन्दरगाहों के छोटे जहाज। ६ स्लिपवेज हैं, जिनमें १५० टन के जहाज बनाए जा सकते हैं या उनकी मरम्मत हो सकती है।

इन कारखानों ने दोनों महायुद्धों की जरूरतों को सफलता के साथ पूरा किया। इससे इनकी क्षमता का पता चलता है। दूसरे महायुद्ध (१९३९-४५) में ४,६७८ जंगी जहाजों और व्यापारी जहाजों की मरम्मत के साथ-साथ नये जहाज भी बनाए।

महायुद्ध के बाद पी० एण्ड ओ० समूह कम्पनी को बहुत घाटा हुआ। देश के विभाजन के बाद माल, डाक और सवारी जहाजों की सेवाओं में कमी आ गई। कम्पनी ने स्थिति सम्भालने की बड़ी कोशिश की और नये काम शुरू किए। जब भारत में इस्पात काफी और सस्ता बनने लगेगा तो इस गोदी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा। फारस की खाड़ी की अमरीकी तेल कम्पनियों के ३०० टन के और रायल नौसेना के ५०० टन के और भारतीय बन्दरगाहों के कई प्रकार के जहाज बनने लगेंगे। मजगांव गोदी में १०१२० अश्वशक्ति के कम्पवेल इंजन भी बनते हैं। इस साल १००० इंजन बनेंगे, जिनमें २० प्रतिशत सामान विदेशी होगा। जैसे-जैसे देश में इस्पात सुलभ होता जाएगा वैसे-वैसे कारखाने का काम भी बढ़ता जाएगा।

मरम्मतों का काम

पी० एंड ओ० कम्पनी और उसकी सहायक कम्पनी पिछले सौ साल से पूरब के देशों में जहाजी मरम्मत का काम करती आ रही है। देश में जहाजरानी उद्योग के विस्तार से मरम्मत आदि का काम बढ़ेगा। इसके अलावा नौसेना के कई प्रकार के जहाज भी बनाए जाएंगे। यहां कम खर्च में भारतीय और विदेशी जहाजों की मरम्मत होगी।

सेना की आवश्यकता की पूर्ति

इस गोदी से सेना की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। सेना द्वारा पुल बनाने के सामान और इंजन तथा आयुध कारखानों में बनने वाले मोटर ट्रक और ट्रैक्टर और दूसरे इंजन के सामान भी बनने लगेंगे। इस कारखाने से विदेशी विनिमय की कठिनाई भी दूर होगी। इस समय पश्चिमी बेड़े पर ३ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

सेना के नियंत्रण में मजगांव गोदी के कारखाने अपनी पुरानी कार्यकुशलता हासिल करेंगे। यहां तेल के टैंक, समुद्र की सफाई करने वाले जहाज आदि भी बनने लगेंगे।

आठवां राज्य परिवहन सम्मेलन

राज्यों के परिवहन संस्थानों के प्रतिनिधियों के आठवें वार्षिक सम्मेलन में सड़क परिवहन अधिकारियों के लिए एक केन्द्रीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था खोलने की योजना मंजूर की गई है। इस संस्था के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्यों के परिवहन संस्थान रुपया देंगे। इसके लिए कुछ विदेशी सामान और विशेषज्ञों की भी सहायता लेने को कहा गया है।

सम्मेलन में यह विचार प्रकट किया गया कि आजकल पुर्जों का आयात बहुत कम हो रहा है। अतः सम्मेलन ने सिफारिश की है कि इन पुर्जों का आयात कोटा बढ़ा दिया जाए ताकि राज्यों के परिवहन संस्थानों की बसों आदि की मरम्मत आदि करने में कोई दिक्कत न रहे।

सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की है कि चिकनाई वाले तेलों को फिर से साफ करके प्रयोग में लाना चाहिए। इससे काफी विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। इस उद्योग में नौसिखियों को प्रशिक्षण देने के बारे में केन्द्रीय श्रम और नियोजन मंत्रालय का जो प्रस्ताव है, वह भी इस सम्मेलन ने मंजूर कर लिया। इस संबंध में यह भी सिफारिश की गई है कि

यह प्रस्तावित योजना ड्राइवरों, कंडक्टरों आदि को छोड़कर फिटरों, वेल्डरों, बिजली आदि का काम करने वालों पर ही लागू की जाए।

परिवहन सम्मेलन में बसों द्वारा १ मन तक के पार्सलों की ढुलाई की सिफारिश की गई।

सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गई कि परिवहन से जो लाभ होता है उसका कुछ प्रतिशत एक कोष में जमा किया जाए तथा यह रकम यात्रियों को और सुविधा देने तथा कर्मचारियों के भलाई के कामों में लगाई जाए। यात्रियों की सुविधा के लिए उपयुक्त बस स्टेशन तथा शेल्टर, प्रतीक्षालय और पीने के पानी की उचित व्यवस्था करने की भी सिफारिश की गई।

यह सम्मेलन बंगलौर में हुआ और उसकी अंतिम बैठक २३ अप्रैल को मैसूर में हुई। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय परिवहन विभाग के सचिव, श्री आर० एल० गुप्त ने की।

रेलों के जनरल मैनेजरों की बैठक

नयी दिल्ली में रेलों के जनरल मैनेजरों और रेल मण्डल की ३ दिन की बैठक २९ अप्रैल को समाप्त हुई। इस अवसर पर रेल मंत्री, श्री जगजीवन राम और दोनों रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां और श्री एम० वी० रामस्वामी ने भाषण दिए। रेल मण्डल के अध्यक्ष श्री कर्नैल सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में रेलों के काम तथा रेल की समस्याओं पर नये ढंग से विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि रेल के शिल्पिक अधिकारी दफ्तरों में बैठकर काम करने की बजाय अधिक समय दफ्तरों से बाहर काम करें। जनरल मैनेजरों से यह कहा गया कि वे खर्च में यथासाध्य कमी करने तथा कम कर्मचारियों से काम चलाने की कोशिश करें।

इसके अलावा बैठक में जिन बातों पर विचार किया गया उनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं : जनता को अधिक सुविधा देना, माल और पारसल रखने के शेड में सुधार, ठीक समय पर रेल चलाने की ओर अधिक कोशिश और जनता की शिकायतों की जल्दी सुनवाई। बैठक में शिल्पिक समस्याओं पर भी काफी देर तक बातचीत हुई।

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के उद्घाटन पर विशेष डाक मुहर

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के उद्घाटन के उपलक्ष में डाक और तार विभाग ने २ मई, १९६० को बम्बई, अहमदाबाद और बड़ौदा के बड़े डाकघरों में एक खास तरह की मुहर लगाई।

उस दिन बम्बई के बड़े डाकघरों में जो भी पत्र आया, या वहां से गया, उस पर महाराष्ट्र राज्य के उद्घाटन की सूचक-मुहर लगाई गई। अहमदाबाद और बड़ौदा के बड़े डाकघरों में आने और वहां से जाने वाले पत्रों पर गुजरात राज्य के उद्घाटन की सूचक-मुहर लगाई गई।

वैसे इन राज्यों का उद्घाटन १ मई को हुआ। किन्तु १ मई को रविवार होने के कारण डाकघर बन्द रहे, अतः ये मुहरें २ मई को लगाई गईं।

रेलों में नयी नियुक्तियां

रेल मंत्रालय (रेल मण्डल) की ४ मई की एक विज्ञप्ति में रेलों के जनरल मैनेजरों की नियुक्तियों और तबादलों की घोषणा की गई है।

उत्तर रेल के वर्तमान वरिष्ठ सहायक जनरल मैनेजर श्री हरबस सिंह को उत्तर-पूर्व रेल का जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। श्री बी० बी० माथुर के स्थान पर, उत्तर पूर्व रेल के जनरल मैनेजर, श्री एम० एस० रामसुब्बन को प० रेल के इसी पद पर बदला गया है। श्री माथुर उत्तर रेल के जनरल मैनेजर बनाए गए हैं। आप श्री एम० के० कौल का स्थान ले रहे हैं। श्री कौल सेवा निवृत्त होने से पहले की छुट्टी पर चले गए हैं।

ईराक को प्रेस-तार

ईराक को भेजे जाने वाले प्रेस तार अब केवल अरबी और फारसी में ही दिए जा सकेंगे। यह सूचना समुद्रपारीय संचार सेवा के महानिदेशक को ईराक के अधिकारियों ने दी है।

कान्दला में अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र बनाने की योजना

परिवहन और संचार मंत्रालय ने कांदला बन्दरगाह में अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र बनाने की विस्तृत योजना तैयार कर ली है। इस योजना के अनुसार प्रस्तावित अनियंत्रित व्यापार-क्षेत्र में, कुछ सीमित नियमों को छोड़ कर, सीमा-शुल्क, आयात, निर्यात और मुद्रा-नियंत्रण के कोई भी कानून लागू नहीं होंगे।

यह क्षेत्र उद्योग और व्यापार, दोनों का ही केन्द्र होगा। इस क्षेत्र में बाहर से सामान लाने तथा यहां से बाहर सामान ले जाने के लिए आयात-निर्यात के लाइसेंस मुक्त रूप से जारी किए जाएंगे।

भारत के जो व्यापारी विदेशों में बसे हैं, वे इस क्षेत्र में उद्योग शुरू कर सकेंगे। इस क्षेत्र में खोले जाने वाले उद्योगों को देश के और भागों के समान ही कर आदि की छूट और सुविधाएं दी जाएंगी।

इस योजना के बारे में लोगों की राय जानने के लिए मंत्रालय, देश के विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मण्डलों तथा व्यापारिक संस्थाओं और विदेशों में बसे भारतीयों के पास भेज रहा है। योजना पर विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के सुझाव प्राप्त होने के बाद उसे अन्तिम रूप दिया जाएगा।

यह अनियंत्रित व्यापार क्षेत्र लगभग चौथाई वर्ग मील या १६० एकड़ के क्षेत्रफल में बसा होगा। इसके चारों ओर काफी ऊंचे कंटीले तार का घेरा होगा। अभी तक इस क्षेत्र के लिए स्थान निश्चित नहीं किया गया।

इस क्षेत्र से बाहर सामान ले जाने तथा बाहर से यहां सामान लाने की देखरेख सीमा-शुल्क अधिकारियों के हाथ में होगी। क्षेत्र का प्रबन्ध कांदला बन्दरगाह प्रशासन करेगा।

क्षेत्र की दैनिक समस्याओं के बारे में बन्दरगाह प्रशासन को सलाह देने के लिए बन्दरगाह प्रशासन तथा वाणिज्य और उद्योग के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की जाएगी।

जो लोग इस क्षेत्र में अपने गोदाम या कारखाने बनवाना चाहेंगे, उन्हें पट्टे पर जमीन दी जाएगी। यदि मांग हुई तो बन्दरगाह प्रशासन किराये पर गोदाम आदि की भी व्यवस्था करेगा। इस क्षेत्र में पीने के पानी तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था भी बन्दरगाह प्रशासन करेगा।

करों में छूट

इस व्यापार क्षेत्र में कायम किए जाने वाले उद्योगों को करों में विराम आदि के लिए छूट की वही सुविधाएं होंगी, जो सामान्य नियमों के अनुसार देश के और भागों में उद्योगों को दी जाती हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों पर भारतीय आय कर कानून लागू होगा।

अनियन्त्रित व्यापार क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के वही नियम होंगे, जो भारत के और भागों में हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय परिवहन विभाग की सलाह से लाइसेंस जारी करेगा।

खुला आयात-निर्यात

अनियन्त्रित व्यापार क्षेत्र में बाहर से सामान लाने तथा क्षेत्र से बाहर सामान ले जाने के लिए आयात-निर्यात के लाइसेंस मुक्त रूप से जारी किए जाएंगे। आयात और निर्यात के लाइसेंस जारी करने का आशय यह नहीं है कि आयात-निर्यात पर नियन्त्रण हो, बल्कि क्षेत्र की प्रगति को देखने के लिए आयात-निर्यात का हिसाब रखना है। लाइसेंस जारी करने का उद्देश्य यह भी है कि इस क्षेत्र से भारत के और भागों में चोरी-छिपे माल न ले जाया जा सके।

कच्चा, अर्ध-तैयार और तैयार माल आयात करने की अनुमति इस शर्त पर ही दी जाएगी कि उसका मूल्य निर्यात से चुकता किया जाएगा। आयात किए गए माल का हिसाब विदेशी बैंकों में जमा मुद्रा से या किसी विदेशी बैंक या किसी दूसरे देश के नागरिक से उधार ली गई विदेशी मुद्रा से भी किया जा सकेगा।

अनियन्त्रित व्यापार-क्षेत्र से होने वाले निर्यात के बदले में प्राप्त विदेशी मुद्रा भारत के विदेशी मुद्रा कोष में जमा कर दी जाएगी। यदि कोई कच्चा, अर्ध-तैयार या तैयार माल उधार लिया गया होगा, तो उसका हिसाब निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा में से कर दिया जाएगा।

सरकार को आशा है कि इस अनियन्त्रित व्यापार-क्षेत्र की स्थापना से इस क्षेत्र में देशी और विदेशी मशीनों तथा अन्य सामग्री से विभिन्न उद्योग स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इससे कांडला क्षेत्र में, विशेषकर गांधीधाम बस्ती में, रोजगार की सुविधाएं बढ़ेंगी।

इस योजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव परिवहन और संचार मंत्रालय के सचिव के पास ३१ जुलाई, १९६० तक पहुंच जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में कौन-से उद्योग स्थापित किए जाएं और कौन-से न किए जाएं, इस बारे में जो भी सुझाव होगा, उसका सरकार स्वागत करेगी।

फ्रांसीसी सहारा के लिए रेडियो फोन व्यवस्था

अब भारत से फ्रांसीसी सहारा के कोलम्ब-बेचर, अल-आऊद और हस्सी-मेसाऊद को रेडियो टेलीफोन किया जा सकता है।

इस व्यवस्था की सूचना देते हुए समुद्र-पारीय संचार सेवा के महानिदेशक ने कहा है कि जो रेडियो-टेलीफोन इन स्थानों के लिए स्टेशन होकर जाते हैं, उनके लिए तीन मिनट की बातचीत के ६० रु० लगेंगे। इसके बाद हर अतिरिक्त मिनट का २० रु० देना होगा। इसके अलावा, ३ ७० रु० रिपोर्ट चार्ज के लिए लिये जाएंगे। रेडियो टेलीफोन हर रोज ११॥ बजे सुबह से दोपहर १२॥ बजे तक किए जा सकते हैं।

एयर इंडिया इंटरनेशनल की जेट सेवा के उद्घाटन पर विशेष डाक मुहर

१९ अप्रैल को ब्रिटेन और १४ मई को अमरीका के लिए एयर इण्डिया इंटरनेशनल की जेट सेवा का उद्घाटन हुआ। इन जेट वायुयानों से जो डाक गई, डाक विभाग ने उस पर विशेष मुहर लगाई है। विशेष मुहर बम्बई के जनरल पोस्ट आफिस के फिलाटेलिक ब्यूरो में लगाई गई।

तार से इंगलैण्ड पत्र भेजने की व्यवस्था बन्द

समुद्रपारीय संचार सेवा के महानिदेशक को लंदन के अधिकारियों से सूचना मिली है कि ब्रिटेन को तार से पत्र भेजने और पाने की जो व्यवस्था थी, वह बंद कर दी गई है। अब एल० टी०, ई० एल० टी० और जी० एल० टी० श्रेणी के तार ब्रिटिश डाक के जरिये नहीं भेजे जा सकेंगे।

नदी योजनाएं और बिजली

नदीघाटी योजनाओं में जन-सहयोग से सरकारी खर्च में किफायत

सन् १९५५ से नदी घाटी योजनाओं के निर्माण में सरकार को जनता का काफी सहयोग मिल रहा है। गैर-सरकारी संस्थाएं और जनता सिंचाई और बिजली योजनाओं में १९५५ से १९५९ तक कुल १ करोड़ ९२ लाख रु० की सहायता दे चुकी है। इस सहयोग से लगभग ६५ करोड़ घनफुट जमीन की खुदाई हो चुकी है। यह काम भारत के उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे तक और पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे तक २५-२५ फुट चौड़ी सड़कें बनाने के बराबर है। यह जन-सहयोग मुख्यतः बिहार की कोसी योजना, आंध्र प्रदेश की नागार्जुनसागर योजना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की चम्बल घाटी विकास योजना और दिल्ली की दो बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं के काम में मिला।

इस प्रकार के जन-सहयोग से इन योजनाओं के खर्च में काफी बचत हुई है और सरकार को फायदा हुआ है। उदाहरणार्थ, कोसी योजना में सेवा संस्थाओं ने जो काम किया, उससे सरकार को लगभग ५ लाख रु० का फायदा

हुआ । इसके अलावा नागार्जुनसागर और चम्बल योजनाओं में जमीन की खुदाई के काम में जितने खर्च का अनुमान था, उसमें लगभग ५ प्रतिशत की बचत हुई ।

भारत सेवक समाज

नदी घाटी योजनाओं के काम में सहायता देने वाली मुख्य संस्था भारत सेवक समाज है । सन् १९५९-६० में सिंचाई और बिजली मंत्रालय ने भारत सेवक समाज को जन-सहयोग संगठित करने के लिए ढाई लाख रु० का ऋण दिया था । भारत सेवक समाज ने १९५५-५८ में कोसी योजना में जनता की सहायता से ४० करोड़ घनफुट जमीन की खुदाई की और बाढ़ रोकने के लिए लगभग २८० लाख वर्ग फुट जमीन पाटी । १९५९ में समाज ने १६ करोड़ ४ लाख घनफुट और जमीन की खुदाई की ।

नागार्जुनसागर योजना में १९५६-५८ में जनता की मदद से २ करोड़ ६७ लाख ८२ हजार घनफुट जमीन की खुदाई की गई । इसी अवधि में राजस्थान में चम्बल घाटी योजना की दाईं मुख्य नहर के लिए ४ करोड़ ६ लाख घन फुट जमीन की खुदाई हुई । १९५९ में भी छोटी नहरों के लिए १ करोड़ २० लाख घन फुट की खुदाई हुई ।

सन् १९५९ में जन-सहयोग से शाहदरा बांध के काम में ७६ लाख घनफुट जमीन की और नजफगढ़ नाला के काम में २० लाख घनफुट जमीन की खुदाई हुई ।

अधिक गांवों में बिजली

१९६०-६१ तक १०,००० से कम आबादी वाले १७,४०० गांवों और कस्बों में बिजली लग जाएगी । हाल के अनुमान के अनुसार तीसरी योजना में १५,००० और गांवों तथा कस्बों में बिजली लग जाएगी । इस प्रकार १९६५-६६ तक कुल ३२,४०० गांवों और कस्बों में बिजली पहुंच जाएगी ।

१९५५-५६ में १०,००० से कम आबादी वाले ७,४०० कस्बों और गांवों में ही बिजली थी । इस प्रकार दूसरी और तीसरी योजनाओं में इससे दुगुने गांवों में बिजली पहुंच जाएगी ।

दूर-दूर के गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए दो कार्यक्रम बनाए गए हैं । पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में बिजली लगाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र से सहायता मिलती है ।

दूसरे कार्यक्रम में छोटे उद्योग-धंधों को बिजली देने की व्यवस्था है जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सके । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने १९५९-६० तक १५ करोड़ ८० लाख रु० राज्य सरकारों को दिया ।

जिन ८,८९३ गांवों और कस्बों में ३१ मार्च, १९५९ तक बिजली लग गई थी उन्हें बिजली, ग्रिड-लेन से मिलती है । शेष स्थानों को बिजली छोटे-छोटे डीजल से चलने वाले बिजली घरों से मिलती है ।

पहाड़ी इलाकों में २५ से ५० किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता वाले पन-बिजली घर बनाने की योजना है ।

देहातों तक बिजली पहुंचाने पर कम खर्च आए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है । इस काम के लिए केन्द्रीय जल और बिजली आयोग ने राज्यों के मुख्य इंजीनियरों की मदद से लाइन लगाने के लिए विशेष प्रकार के डिजाइन बनाए हैं जिन पर कम लागत आती है ।

देहातों तक बिजली ले जाने के लिए जो सामान जरूरी है वह प्रायः पूरा देश में बनाया जाता है । स्विच गियर और आकाश से बिजली गिरने पर लाइन के बचाव के लिए लगाए जाने वाले यंत्र (लाइटनिंग एरेस्टर्स) ही बाहर से मंगाए जाते हैं । पर ये भी तीसरी योजना में देश में बनने लगेंगे ।

बिजली के खम्भों के लिए लकड़ी की बल्लियां काम में लाई जाती हैं । जहां पर बल्लियां नहीं मिलतीं, वहां पर कंकरीट के खम्भे लगाए जाते हैं । ये खम्भे देश में ही बनते हैं ।

जम्मू-कश्मीर बाढ़ नियन्त्रण समिति की बैठक

श्रीनगर में ११ मई को जम्मू-कश्मीर बाढ़ नियन्त्रण समिति की तीसरी बैठक हुई । राज्य के प्रधान मन्त्री की अनुपस्थिति में राज्य विकास मन्त्री, श्री कोतवाल ने बैठक की अध्यक्षता की । केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मन्त्रालय के सचिव श्री एम० आर० सचदेव, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अध्यक्ष श्री एम० हयात और बाढ़ मुख्य इंजीनियर श्री आर० डी० धीर भी बैठक में उपस्थित थे ।

बाढ़ नियन्त्रण कार्यों की कुछ समस्याओं पर बैठक में विचार किया गया । बैठक में यह घोषणा की गई कि योजना आयोग की सलाहकार समिति ने जेहलम की आउटफाल चैनल की क्षमता बढ़ाने के लिए ८ करोड़ २१ लाख रुपये की मंजूरी दे दी है । जम्मू और कश्मीर राज्य में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के आयोजन सम्बन्धी समस्याओं पर बैठक में विचार किया गया । इसके अतिरिक्त आवश्यक मशीनें आदि जुटाने की समस्या पर भी विचार हुआ ।

माही नदी पर बांध

राजस्थान में माही नदी पर बांसवाड़ा से करीब १० मील पर जो बांध बनाया जाएगा, उससे गुजरात और राजस्थान की लगभग १ ३ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी और यहां के पानी से आगे चल कर लगभग ४५,००० किलोवाट बिजली बनेगी । इस योजना की नींव ७ मई को केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने रखी ।

माही के बांध से जो जलाशय बनेगा, उसका नाम जमनालाल बजाज सागर रखा जाएगा और इसमें ६० अरब घनफुट पानी जमा होगा । बांध ११,८५० फुट लम्बा होगा और इसका कुछ भाग कच्चा और कुछ पत्थर का होगा । कच्चा बांध १४० फुट ऊंचा रहेगा और पक्का अपनी गहरी से गहरी नींव से २१० फुट । इसके पानी निकलने के रास्ते से बाढ़ के दिनों में ५।। लाख घन फुट पानी प्रति सेकिंड निकल सकेगा । बांध के ऊपर एक सड़क भी बनायी जाएगी ।

क्या आप जानते हैं ?

अणु-बिजली बनाने के काम में प्रगति

● केन्द्रीय सरकार ने १९५८ में अणु शक्ति आयोग स्थापित किया था और इसे देश में अणु शक्ति के विकास के लिए प्रबन्ध और वित्त सम्बन्धी पूरे अधिकार और स्वतन्त्रता दी गई है।

● १९५९-६० की सबसे महत्वपूर्ण घटना खनिज यूरेनियम से ईंधन तत्व तैयार करना है।

● ट्राम्बे के यूरेनियम धातु यंत्र और फ्यूअल एलीमेंट फेब्रीकेशन फैसिलिटी में इतना ईंधन तत्व बन सकता है, जो भारत-कनाडा अणु भट्ठी और प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करने वाली अन्य भट्ठियों की जरूरत पूरी कर सके। ये भट्ठियां इस वर्ष चालू हो जाएंगी और इन्हें इतना बढ़ाया जा सकता है कि आगे चलकर ये २५० मेगावाट बिजली बनाने वाले बिजलीघर को अणु शक्ति से चला सकें।

● देश में अणु शक्ति से चलने वाला पहला बिजलीघर बनाने के लिए आरम्भिक काम शुरू हो चुका है। बिहार में यूरेनियम खोदने की व्यवस्था की गई है और यहां से जो खनिज यूरेनियम मिलेगा वह इस बिजलीघर को चलाने के लिए काफी होगा।

● इस खान से खनिज यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए ट्राम्बे में एक यंत्र बनाया जा रहा है, जो खान के पास ही लगाया जाएगा।

● भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि इस समय की देश की ६० लाख किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता के मुकाबले २५ वर्ष बाद हमारी जरूरत ५ करोड़ किलोवाट की हो जाएगी।

● हिमालय और दूसरे इलाकों की नदियों आदि को मिलाकर भारत में करीब ४ करोड़ ३० लाख किलोवाट बिजली तैयार की जा सकती है। अगले २५ वर्षों में इसमें से लगभग आधी का उपयोग हो सकेगा। दूसरे, भारत में कोयले का भंडार भी सीमित है और वह भी देश के पूर्वी भागों में ही पाया जाता है। इसलिए कोयले से अधिक बिजली नहीं बनाई जा सकती। रेल-कारखानों के लिए भी काफी कोयले की जरूरत है जो अभी और बढ़ेगी। इसी प्रकार तेल से भी हमारे देश में बिजली-घर नहीं चलाए जा सकते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि बिजली तैयार करने के लिए हमें अणु शक्ति का अधिकाधिक उपयोग करना होगा।

खाद्य और कृषि

केन्द्रीय गन्ना समिति की २९ वीं बैठक

३ मई को नयी दिल्ली में केन्द्रीय गन्ना समिति की २९वीं बैठक का समारम्भ करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री डा० पंजाबराव देशमुख ने कहा कि ईख की पैदावार के पिछले कुछ साल के आकड़ों को देखने से पता लगता है कि पैदावार का लक्ष्य निर्धारित करने, साधनों का अनुमान लगाने अथवा योजना में ही कोई अन्य त्रुटि रह जाने के कारण ईख की पैदावार का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।

मंत्री महोदय ने कहा कि १९५८-५९ में प्रति एकड़ १४.७ टन की उपज सन्तोषजनक है। १९५७-५८ में प्रति एकड़ १३.४ टन उपज हुई थी।

किसानों को खेती के सुधरे हुए तरीकों के इस्तेमाल का बढ़ावा देने की आवश्यकता की चर्चा करते हुए डा० देशमुख ने कहा कि यदि किसानों को सुधरे हुए तरीकों के लाभ और उनके इस्तेमाल की सही विधि के बारे में बताया जाए तो वे लोग इन्हें अवश्य व्यवहार में लाएंगे। मंत्री महोदय ने आशा प्रकट की कि अधिक सहकारियां खुलने और ऋण की अच्छी व्यवस्था होने पर स्थिति में सुधार होगा।

डा० देशमुख ने कहा कि देश के ईख अनुसंधान केन्द्रों में पिछले २५ सालों में बहुत महत्वपूर्ण खोज हुई है।

श्री अमीर रजा का भाषण

इस अवसर पर भाषण देते हुए केन्द्रीय कृषि और खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और केन्द्रीय गन्ना समिति के अध्यक्ष, श्री अमीर रजा ने कहा कि तीसरी योजना में ९ करोड़ २५ लाख टन ईख पैदा करने और ३० लाख टन चीनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री रजा ने कहा कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि ईख की उपज बढ़ाने के अनुसंधान बड़े पैमाने पर किए जाएं।

अनुसंधान कार्य की प्रगति के बारे में बताते हुए श्री अमीर रजा ने कहा कि १९५८-५९ में देश भर के ईख अनुसंधान केन्द्रों में गन्ने की किस्म सुधारने और प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की ८५ योजनाओं पर काम हुआ।

१९५८-५९ में ४८ लाख एकड़ जमीन में गन्ने की खेती हुई, जबकि इससे पहले साल ५० लाख एकड़ जमीन में खेती हुई थी। इस वर्ष ७ करोड़ १ लाख टन ईख पैदा हुई, जबकि दूसरी योजना में ७ करोड़ २० लाख टन का लक्ष्य रखा गया है।

समिति की सिफारिशें

समिति की बैठक ४ मई को समाप्त हुई। इस बैठक में ईख की पैदावार बढ़ाने और इस बारे में अनुसंधान के काम की प्रगति आदि की समीक्षा की गई और अगले साल के लिए कई नयी योजनाएं मंजूर की गईं। यह बैठक दो दिन तक चली।

समिति ने आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) में और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में, जहां गुड़ और खांडसारी बनती है, ईख की खेती बढ़ाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मंजूर की हैं। ईख को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मारने के बारे में भी एक आजमायशी योजना स्वीकृत की गई।

समिति ने एक विशेष उपसमिति नियुक्त की है, जो यह जांच करेगी कि बढ़िया किस्म का गुड़ और खांडसारी बनाने के लिए क्या-क्या अनुसंधान हुए हैं। यह उपसमिति भविष्य में अनुसंधान करने के बारे में भी कुछ सुझाव देगी। आजकल लगभग ६० प्रतिशत ईख, गुड़ और खांडसारी बनाने में ही खप जाती है।

समिति ने गन्ने की एकसाली, अधसाली रतून आदि फसलों में भी अत्यधिक गन्ना वालों को इनाम देने का निश्चय कि[illegible]।

इजराइल में सहकारिता आन्दोलन : अध्ययन टोली की रिपोर्ट

इजराइल की सहकारी समितियों के काम की जानकारी हासिल करने के लिए भारत की जो अध्ययन टोली इजराइल गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। टोली के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: बिहार के विकास कमिश्नर श्री बी० डी० पांडे, आंध्र प्रदेश एपेक्स मार्केटिंग सोसायटी के श्री ए० सुब्बा रेड्डी, पूना की सुभाष कोआपरेटिव फार्मिंग के श्री एम० वी० मायदेव, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के श्री एम० एम० पुरी; पश्चिम बंगाल के सहकारिता के रजिस्ट्रार श्री ए० के० दत्त और उत्तर प्रदेश की कोआपरेटिव फेडरेशन के उप रजिस्ट्रार श्री डी० एम० वर्मा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल में सहकारिया बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। इजराइल का २८ प्र०श० व्यापार सहकारिता के आधार पर होता है। इजराइल की तीन-चौथाई खेती सहकारी ढंग से होती है और अनाज की बिक्री का प्रबन्ध सहकारिया ही करती हैं।

इजराइल के आतरिक व्यापार का ३० प्रतिशत सहकारिया करती हैं। सड़क परिवहन का तो लगभग पूरा काम सहकारिया ही करती हैं।

इजराइल का सहकारिता सबंधी कानून भारत के सहकारिता कानून के आधार पर ही बनाया गया है और उसी रूप में अब तक लागू है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिता के कानून के कारण सहकारिता के काम के बढ़ने में बाधा नहीं है। इस बाधा का कारण कहीं और खोजना होगा।

सहकारी खेती

इजराइल में सहकारी खेती काफी सफल रही है। पर हम इसे भारत के लिए उदाहरण नहीं मान सकते, क्योंकि इजराइल की सारी जमीन ज्यूइश नेशनल फंड या अन्य सरकारी एजेंसियों की है। अतः इससे हमारी इस समस्या का कोई हल नहीं मिलता कि किसान जो अब तक अपने खेतों को जोतते बोते आए हैं, अपनी जमीन सहकारी खेती के लिए दे दें। इसके अलावा इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता कि यह व्यक्तिगत रूप से खेती करने से अधिक लाभप्रद रही है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि समय और आवश्यकता के अनुसार सहकारिता के नियमों में सुधार किया जाना चाहिए।

इजराइल के सहकारिता आन्दोलन में सबसे महत्वपूर्ण काम चोटी की सहकारियों का है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि भारत में सहकारिता को बढ़ाने के लिए ऐसी सहकारियां बनाई जानी चाहिए जो छोटी सहकारियों का मार्गदर्शन करें।

सहकारी हाट व्यवस्था

इजराइल में सहकारी हाट व्यवस्था की सफलता से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपज बढ़ाने और किसानों को ऋण देने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इससे सहकारी हाट व्यवस्था करने की हमारी नीति का महत्व भी प्रकट हो जाता है।

इजराइल में, सहकारियों द्वारा मजदूरी पर काम करने वालों के शोषण के प्रश्न पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सहकारिता की सफलता और इसके मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि भारत में इस बात का ध्यान रखा जाए कि सहकारियों के लिए काम करने वाले मजदूरों का शोषण न हो।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल में सहकारिता की सफलता का श्रेय उन समाजसेवियों को है, जिन्होंने इसकी सफलता के लिए अथक परिश्रम किया है। भारत में सहकारिता की सफलता के लिए भी ऐसे लगन वाले समाजसेवियों की जरूरत है।

शेष समाचार

१९५८-५९ में सहकारी कृषि ऋण समितियों की प्रगति

सहकारी कृषि ऋण समितियों के १९५८-५९ के आंकड़ों से जो अभी प्रकाशित हुए हैं, पता लगता है कि इस अवधि में समितियों ने सब प्रकार उन्नति की है।

इस अवधि में समितियों की संख्या में १६,५६८ की वृद्धि हुई और उनकी कुल संख्या १.८३ लाख से कुछ अधिक हो गई। वर्ष के अन्त में इन समितियों की सदस्य-संख्या १.१९ करोड़ थी, जो १९५७-५८ की संख्या से १६.८ लाख अधिक है। समितियों के सदस्यों की औसत संख्या भी पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रही।

इन समितियों की हिस्सा-पूंजी और चालू पूंजी में भी काफी वृद्धि हुई। १९५८-५९ में इन समितियों में कुल ९.८७ करोड़ रु० जमा थे, जबकि १९५७-५८ में यह संख्या ८.६१ करोड़ थी। इससे पता चलता है कि समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ सहकारिता आन्दोलन में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।

विवरण की अवधि में किसानों ने समितियों से ऋण भी अधिक लिया। इस वर्ष समितियों ने उन्हें १२५.४३ करोड़ रु० दिए। यह संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा २९.३८ करोड़ अधिक है।

एक अन्य उत्साहजनक बात यह है कि विवरण की अवधि में किसानों ने ऋण का भुगतान भी पहले से अधिक किया। अच्छे प्रबन्ध तथा ठीक कारोबार करने और अपने आन्तरिक साधनों में सुधार करने के कारण इस वर्ष लेखा परीक्षा द्वारा पहली और दूसरी कक्षा में रखी समितियों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

कुछ सहकारी समितियों को कर सम्बन्धी छूट

१९६० के वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित १९२२ के भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की आय पर जो कर लगता है, उसकी स्थिति इस प्रकार है :

(१) जिन सहकारियों की आय पर आय कर नहीं लगता, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) जो सहकारी समिति बैंक का काम करती है या अपने सदस्यों को ऋण देती है। इनमें निम्नलिखित सहकारी समितियां आती हैं :
१. प्राथमिक (प्राइमरी) ऋण समितियां; २. जिला और केन्द्रीय सहकारी बैंक; ३. राज्य सहकारी बैंक; ४. जमीन गिरवी रखने वाले बैंक (प्राथमिक और केन्द्रीय), ५. गैर-किसानों की ऋण समितियां, जैसे शहरी बैंक; ६. कर्मचारियों की ऋण और बचत समितियां, आदि।

(ख) घरेलू उद्योगों की सहकारी समितियां।

(ग) वे सहकारी समितियां जो अपने सदस्य-किसानों की कृषि उपज को बेचने का प्रबन्ध करती हैं। इनमें प्राथमिक, केन्द्रीय और राज्यों की हाट-व्यवस्था समितियां शामिल हैं;

२ खेती के औजार, बीज, पशु और ऐसे अन्य सामान जो खेती-बाड़ी के काम आते हैं, उन्हें खरीद कर अपने सदस्यों को देने वाली समितियां

(घ) अपने सदस्यों की कृषि उपज से सामान तैयार करने वाली समितियां, जैसे बिना बिजली की तेल की घानियां और हाथ से धान की कुटाई करने वाली समितियां आदि।

(च) प्राथमिक दूध समितियां —अपने सदस्यों के यहां होने वाला दूध लेकर संघीय दूध सहकारी समितियों को भेजने वाली समितियां।

यदि उक्त सहकारी समितियां ऊपर लिखे कामों के अलावा कोई अन्य काम करती हैं, तो उन्हें इन कामों से होने वाले नफे पर आयकर देना होगा। पर १५ हजार रु० से जितना अधिक लाभ होगा, उसी पर कर लगेगा।

(२) जिन सहकारी समितियों की आय के कुछ हिस्से पर कर लगता है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) संख्या (१) में बतायी गयी समितियों के अलावा अन्य समिति।

संख्या (१) में बतायी गयी सहकारी समितियों के अलावा किसी भी सहकारी समिति के १५ हजार रु० के लाभ तक कोई कर नहीं लगेगा। परिवहन समितियों, मकान बनाने वाली समितियों आदि के १५ हजार रु० से अधिक के लाभ पर ही कर लगता है।

(ख) कृषि उपज से सामान तैयार करने में बिजली का इस्तेमाल करने वाली सहकारी समितियां :—

सहकारी चीनी मिल, सहकारी कताई मिल, तेल मिल आदि उद्योगों से चलने वाली सहकारी समितियों के लाभ पर तब तक कोई कर नहीं लगेगा जब तक कि उद्योगों में लगाई पूंजी पर ६ प्र०श० से अधिक लाभ न हो। यह व्यवस्था किसी ऐसी सहकारी समिति के काम प्रारम्भ करने के वर्ष से और उसके बाद अगले ६ वर्ष तक जारी रहेगी, बशर्ते कि आयकर कानून की धारा १५ में उल्लिखित शर्तें पूरी की गई हों।

(ग) उपभोक्ता समितियां —

जब कोई उपभोक्ता समिति अपने सदस्यों को बेचने के लिए थोक सामान खरीदेगी, तो मूल्य में जितनी छूट समिति अपने सदस्यों को देगी, उसे कुल लाभ में से घटाकर कर लगाया जाएगा।

सरकार को आशा है कि इन रियायतों से सहकारी समितियां मजबूत होंगी और वे अपने साधन बढ़ा सकेंगी।

यह सूचना सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के सहकारिता विभाग की ३ मई की विज्ञप्ति में दी गयी है।

ऋण सहकार समिति की प्रगति

१९५८-५९ में कृषि ऋण तथा बहुमुखी समितियों की संख्या में १६,५६८ की वृद्धि हुई। इस वर्ष के अंत में इनकी संख्या १ लाख ८३ हजार से कुछ अधिक थी। इनकी सदस्य संख्या १ करोड़ १९ लाख थी जो १९५७-५८ से १६ लाख ८० हजार अधिक थी।

१९५८-५९ में इन समितियों के पास ९ करोड़ ८७ लाख रु० जमा था। पिछले साल यह राशि ८ करोड़ ६३ लाख रु० थी।

इस वर्ष किसानों को अधिकांश कर्ज इन समितियों से ही मिला। इस वर्ष समितियों ने १ अरब २५ करोड़ ४३ लाख रु० अपने सदस्यों को उधार दिया जो पिछले साल से २९ करोड़ ३४ लाख रु० अधिक था।



अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की बैठक

अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद ने ३० अप्रैल को नयी दिल्ली में अपने तेरहवें अधिवेशन में तीसरी और उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के लिए अध्ययन गोष्ठी की सिफारिशों को और उसके सामान्य दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन के सभापति केन्द्रीय सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री डा० हुमायूं कबीर थे। प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षण के कार्यकारी समूह ने जो रिपोर्ट परिषद के सम्मुख रखी, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के लिए बराबर जोरदार प्रयत्नों की आवश्यकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना की अवधि में इस काम पर २०१ करोड़ रु० खर्च होंगे, जिसमें से ११० करोड़ रु० दूसरी योजना के कामों को पूरा करने और ९१ करोड़ रु० नयी योजनाओं पर खर्च करने होंगे। परिषद ने इन सुझावों का समर्थन करते हुए सिफारिश की है कि विद्यार्थियों में विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम के अलावा विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि प्रशिक्षकों की कमी को पूरा करने के लि

बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि कुछ नयी संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए, जिनमें राउरकेला में एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का भी सुझाव है। इस तरह १५ में से ९ राज्यों में अपने अपने प्रादेशिक कालेज हो जाएगें। परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि शेष राज्यों में भी प्रादेशिक कालेजों की स्थापना के प्रयत्न करने चाहिए।

परिषद ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार को चाहिए कि जल के साधनों का विकास करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने की जो सुविधाएं रुड़की विश्वविद्यालय में प्राप्त है, उनसे लाभ उठाएं। इसके लिए परिषद ने सुझाया कि प्रत्येक राज्य को अपने यहा के अफसरों को अधिक संख्या में प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में जगहे सुरक्षित रखने के प्रश्न पर भी परिषद ने विस्तार से विचार किया। परिषद ने यह स्वीकार किया कि उनके लिए प्रवेश और शिक्षा की विशेष रूप से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। परिषद ने सुझाव दिया कि प्राय २५ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में सुरक्षित रहने चाहिए और खास-खास क्षेत्रों में १० प्रतिशत तक छात्र और रखे जा सकते हैं। परिषद ने यह भी कहा कि इन श्रेणी के छात्रों को प्रवेश के समय १० नम्बर तक की रियायत देनी चाहिए। परन्तु ये रियायतें हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि १० या १५ वर्ष के भीतर धीरे-धीरे इन रियायतों को समाप्त कर देना चाहिए।

योग्य परन्तु गरीब विद्यार्थियों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० में वजीफा देने की जो योजना चलाई थी, उसका परिषद ने स्वागत किया। यह प्रस्ताव किया गया कि तीसरी योजना में इस योजना को और भी बढाना चाहिए, जिससे प्राविधिक और इंजीनियरिंग संस्थाओं में पढने वाले २० से लेकर २५ प्रतिशत तक विद्यार्थियों को सहायता दी जा सके।

श्री हुमायूं कबीर का भाषण

"हम दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में हैं और शीघ्र ही तीसरी योजना में प्रवेश करने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है कि हम इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि पिछले १० वर्षों में शिल्पिक शिक्षा में कितनी प्रगति हुई और भविष्य में हमें किन समस्याओं का सामना करना है तथा बदलती आवश्यकता के अनुसार हमें कार्यक्रम बनाना है"—ये शब्द परिषद की १३वीं बैठक में भाषण देते हुए केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, तथा शिल्पिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री हुमायूं कबीर ने कहे।

श्री कबीर ने कहा कि इस अवधि में इस बात की कोशिश की गई कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा दी जाए। किन्तु तीसरी योजना में इस बात पर जोर देना है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए।

श्री कबीर ने बताया कि देश में चार उच्च औद्योगिक संस्थाएं खोली जानी थी। दूसरी और तीसरी संस्था दूसरी योजना के अन्त तक खुल जानी चाहिए तथा चौथी संस्था तीसरी योजना की अवधि में। बम्बई और मद्रास में दो संस्थाएं खुल गई हैं और कानपुर में चौथी संस्था जुलाई-अगस्त में खुल जाएगी।

खड़गपुर की संस्था को चालू हुए ९ वर्ष हो गए हैं और इस समय वहां अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में १,५०० विद्यार्थी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में २५० हैं। बम्बई की संस्था जुलाई १९५८ में खोली गई थी। मद्रास की संस्था में जुलाई १९५९ से पढाई शुरू हो गई थी और यह पहली संस्था है जहां शुरू से ही ५ साल का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाने लगा। यहां २ जर्मन प्रोफेसर और २ जर्मन शिल्पिक हैं। इसके अलावा कई भारतीय शिक्षक उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी भेजे गए।

श्री कबीर ने बताया कि पढाई की सुविधा बढाने से ही कोई लाभ न होगा, जब तक कि छात्रवृत्तियों की भी संख्या न बढाई जाए, क्योंकि शिल्पिक शिक्षा की पढाई बहुत खर्चीली है और गरीब किन्तु प्रतिभाशाली छात्र इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए सरकार ने १९५९-६० में योग्यता तथा साधन के आधार पर छात्रवृत्ति देने की योजना चलाई और उस साल डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम के १,०३९ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई।

शिल्पिक संस्थाओं में प्रशिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पिछले साल एक योजना चलाई गई थी, जिसके अन्तर्गत इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के १४६ प्रतिभाशाली स्नातकों को चुन कर ट्रेनिंग के लिए शिल्पिक शिक्षा के ५ केन्द्रों में भेजा गया है।

श्री कबीर ने आगे बताया कि शिल्पिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान रखना है कि देश के सभी वर्ग इससे लाभ उठा सके। यह भी देखना है कि जिन लोगों को ये सुविधाएं दी जाती हैं वे इससे पूरा लाभ उठा पाते हैं या नहीं। संस्थाओं में संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के छात्रों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित हैं और आंकड़े जमा करने पर यह पता चला है कि पिछड़े वर्ग के छात्र अन्य छात्रों से पढ़ाई में पीछे नहीं हैं।

शिल्पिक शिक्षा की तीसरी योजना को तैयार करने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने में सहायता देने के लिए जो विचारक दल नियुक्त किया गया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार तीसरी योजना की अवधि में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में ४८,००० डिग्री-प्राप्त शिल्पिकों और ८२,००० डिप्लोमा-प्राप्त शिल्पिकों की आवश्यकता पड़ेगी। शिल्पिक शिक्षा की जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनसे तीसरी योजना की अवधि में ४९,००० डिग्री-प्राप्त और ७६,००० डिप्लोमा-प्राप्त शिल्पिक तैयार हो जाएगें। इसलिए तीसरी योजना को कार्यान्वित करने में शिल्पिक कर्मचारियों की कमी की आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिल्पिक कर्मचारियों की पूर्ति और मांग की बीच की खाई को वर्तमान संस्थाओं की क्षमता बढाकर पाट दिया जाएगा।

श्री कबीर ने कहा कि यह ठीक है कि तीसरी योजना में हमारी आर्थिक स्थिति एक नया मोड लेगी। चौथी योजना में पिछली तीन योजनाओं की अपेक्षा कृषि और उद्योगों में अधिक तेजी से विकास होगा। इसी लिए तीसरी योजना की अवधि में शिल्पिक शिक्षा का विस्तार करने की योजनाएं बनानी होंगी, जिससे कि चौथी योजना की अवधि में शिल्पिक कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जा सके।

विचारक दल ने तीसरी योजना में शिल्पिक संस्थाओं में छात्रों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की।

दूसरी योजना में इन संस्थाओं में भर्ती किए जाने वाले छात्रों की जो संख्या तय की गई थी उसमें कई गुनी संख्या बढ़ा दी गई है। इससे यह पता चलता है कि किस प्रकार प्रशिक्षित शिल्पिक कर्मचारियों की मांग बढ़ती जा रही है और मांग का सही पता लगाना कितना कठिन है।

श्री कबीर ने कहा कि इस समय हम डिग्री प्राप्त शिल्पिकों से यह काम लेते हैं जो अन्य देशों में डिप्लोमा प्राप्त शिल्पिक करते हैं। इसलिए देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों और प्रौद्योगिकों की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना पड़ेगा। योजना आयोग ने तीसरी योजना में शिल्पिक शिक्षा के लिए कम से कम १७६.८९ करोड़ रु० की व्यवस्था की है। इस राशि को कम करने के माने यह होंगे कि निर्धारित लक्ष्य में कटौती की जाए किन्तु इसमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी हो जाने के कारण औद्योगिक और कृषि कार्यक्रमों को चलाने में दिक्कत होगी।

श्री कबीर ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की कि देश में जिस तेजी से कला और विज्ञान की शिक्षा देने के कालेज खुल रहे हैं उस तेजी से शिल्पिक शिक्षा के कालेज नहीं खोले जा रहे हैं। यह अच्छा हो यदि अब देश में शिल्पिक शिक्षा के कालेज अधिक तेजी से खोले जाएं।

श्री कबीर ने अन्त में परिषद तथा उसकी कई समितियों के कार्यों की सराहना की।

अ० भा० प्रारम्भिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन

केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया है। अब परिषद में २७ सदस्य होंगे। परिषद के अध्यक्ष भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार श्री के० जी० सैयदैन होंगे।

अध्यक्ष के अतिरिक्त परिषद में प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि होगा। एक प्रतिनिधि केन्द्र-शासित क्षेत्रों का होगा तथा एक-एक प्रतिनिधि योजना आयोग, केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल, और माध्यमिक शिक्षा विस्तार निदेशालय का होगा तथा एक ट्रेनिंग कालेज का प्रिंसिपल होगा। इनके अतिरिक्त परिषद में बुनियादी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले ३ विशेषज्ञ प्रतिनिधि होंगे। संसद का कोई ऐसा सदस्य, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो, परिषद में संसद का प्रतिनिधि होगा। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का कोई अधिकारी परिषद का सदस्य सचिव होगा।

अ० भा० प्रारम्भिक शिक्षा परिषद का गठन भारत सरकार ने जुलाई १९५७ में किया था। परिषद की स्थापना प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार तेजी से करने तथा संविधान के अनुच्छेद ४५ में निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी। परिषद भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं को प्रारम्भिक शिक्षा के मामलों में सलाह देती है; संविधान के ४५वें अनुच्छेद में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाती है तथा आवश्यकता होने पर कार्यक्रमों में संशोधन करती है, प्रत्येक राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करती है या तैयार कराती है; प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित प्रशासकीय तथा वित्तीय समस्याओं पर अनुसंधान में सहायता देती है और अनुसंधानों के परिणामों को प्रकाशित करती है।

परिषद प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है और प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के लिए आवश्यक पथ-प्रदर्शन करने के लिए सर्वे और विशेष पड़ताल करती है।

प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठियां

मई और जून में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से चार क्षेत्रीय गोष्ठियां कर रहा है। तीसरी योजना में मुफ्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यक्रम लागू करने के बारे में बुनियादी बातें इन गोष्ठियों में विचारार्थ विषय हैं।

पहली गोष्ठी १० से १४ मई तक पुरी में हुई। इसमें आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दूसरी गोष्ठी २० मई से २५ मई तक महाबलेश्वर में होगी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

तीसरी गोष्ठी में आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल, पांडीचेरी, मिनिकाय और लक्षद्वीप के प्रतिनिधि विचार-विमर्श करेंगे। यह गोष्ठी ३ से ८ जून तक बंगलौर में होगी। चौथी गोष्ठी शिमला में होगी, जो २५ जून से ३० जून तक चलेगी। इसमें पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

इन गोष्ठियों में राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि मुफ्त प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम लागू करने में क्या कठिनाइयां होंगी और उन्हें किस प्रकार हल किया जाना चाहिए।

संस्कृत के विकास के लिए सहायता

शिक्षा मन्त्रालय की १२ मई की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने स्वेच्छा से संस्कृत का काम करने वाली शिक्षा-संस्थाओं और पाठशालाओं को धन की सहायता देने की योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार पुराने संस्कृत विद्यालयों आदि को बढ़ाने के लिए तथा शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध करने के लिए अनावर्तक अनुदान देती है। विद्यालयों के आम खर्च के लिए अनुदान नहीं दिया जाता।

संसदीय हिन्दी परिषद को अनुदान

नयी दिल्ली संसदीय हिन्दी परिषद को सन् १९५९-६० में हिन्दी के प्रचार और उन्नति के प्रयोजन के लिए ५,४०० रु० का अनुदान मंजूर किया गया है। यह अनुदान केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के हिन्दी प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है।

विश्वविद्यालय में दाखले से पूर्व अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर हर छात्र को एक वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा करनी होगी। आवश्यक सेवा करने के उपरान्त ही किसी छात्र को विश्वविद्यालय में दाखला मिलेगा। यह घोषणा हाल ही में शिक्षा मन्त्री, डा० श्रीमाली ने की। उन्होंने यह भी बताया कि तीसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ साल तक की उम्र के लड़के और लड़कियों में से ८० प्रतिशत सरकार की नि:शुल्क आरम्भिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे।

कापीराइट अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पहली स्पेनिश पुस्तक

१९५७ के कापीराइट अधिनियम के अंतर्गत भारत में रजिस्टर होने वाली पहली स्पेनिश पुस्तक "लास विस्तास दे ला रीना दे साबा" है। यह पुस्तक अभी तक अप्रकाशित है और इसके लेखक भारत में चिली के राजदूत श्री माइगुएल सिरानो हैं।

रवीन्द्र शताब्दी कोष

रवीन्द्र शताब्दी कोष में ५ मई, १९६० तक ४ लाख ३९ हजार ९९५ रु० ३० नये पैसे प्राप्त हो चुके हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर छात्रों और सामान्य जन तक से इस कोष में दान प्राप्त हो रहा है।

महाकवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर की १००वीं जयन्ती मई १९६१ में देश भर में मनाई जाएगी। इस शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए गत वर्ष एक केन्द्रीय समिति बना दी गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री श्री नेहरू हैं।

वनस्पति विज्ञान में ग्रीष्मकालीन स्कूल

दार्जिलिंग में २ जून, १९६० से दो सप्ताह के लिए वनस्पति विज्ञान में ग्रीष्मकालीन स्कूल लगेगा। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और भारत के वनस्पति विज्ञान सर्वे विभाग के लगभग ४० अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे।

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मन्त्रालय ने इसका आयोजन किया है और डा० हुमायूं कबीर इसका उद्घाटन करेंगे।

नेशनल बुक ट्रस्ट का कार्य-विवरण

अगले दो या तीन महीने में नेशनल बुक ट्रस्ट की २३ और पुस्तकें छप कर बाजार में आ जाएंगी। ये पुस्तकें अंग्रेजी और ११ भारतीय भाषाओं में हैं। इन पुस्तकों की पाण्डुलिपियां प्रेस में हैं।

इन पुस्तकों में श्री एम० विश्वेश्वरैया की 'मेमायर्स आफ माई वर्किंग लाइफ' और श्री पाल केरस की 'दि गोस्पल आफ बुद्ध' हैं। इनके अलावा श्री जवाहर लाल नेहरू की 'इंडिया टुडे एण्ड टुमारो'; डा० राधाकृष्णन् की 'कल्कि'; श्री ए०जी० खेवड़े की 'ज्वालामुखी'; डा० सफदर एश की 'हिन्दुस्तानी ड्रामा' और डा० सी० वी० रमन की 'आस्पेक्ट्स आफ साइंस' पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। डा० एस० दत्त की 'महापरिनिर्वाण कथा' बंगला में छप रही है।

नेशनल बुक ट्रस्ट ने अब तक ९ पुस्तकें प्रकाशित भी कर दी हैं। प्रकाशित पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: श्री सी० राजगोपालाचारी की 'दि वायस आफ दि अन्‌इनवाल्व्ड' अंग्रेजी में; श्री जवाहर लाल नेहरू की 'इंडिया टुडे एण्ड टुमारो' का हिन्दी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम और मराठी अनुवाद; डा० एस० राधाकृष्णन की 'कल्कि' का तेलुगू और मराठी अनुवाद और मराठी में श्री खेवड़े की 'ज्वालामुखी।' इन पुस्तकों में से अधिकांश का असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगू, उर्दू; कश्मीरी और सिंधी भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। अनुवाद का काम प्रसिद्ध साहित्यकारों को सौंपा जाता है।

इनके अलावा १२० अन्य पुस्तकें भी प्रकाशन के लिए तैयार की जा रही हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट बहुत सी पांडुलिपियों के अलावा ७९ और पुस्तकों के प्रकाशन पर भी विचार कर रहा है।

सस्ते दामों पर अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए १९५७ में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई। नेशनल बुक ट्रस्ट भारत के प्राचीन साहित्य, भारतीय लेखकों की उत्तम पुस्तकों और विदेशी भाषाओं के प्रसिद्ध ग्रंथों के अनुवाद का काम करता है। ट्रस्ट भारतीय चित्रों, मूर्तियों और अन्य कला वस्तुओं की अनुकृतियां भी तैयार करता है।

खेल-कूद की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना

केन्द्रीय सरकार ने खेल-कूद की एक राष्ट्रीय संस्था खोलने का निश्चय किया है, जिसमें विभिन्न खेलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

इस संस्था की स्थापना अखिल भारतीय खेल परिषद की सलाह पर की जा रही है। यह संस्था पटियाला में होगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने १४ लाख रु० के मूल्य की भूमि, इमारतें आदि दी हैं।

इस संस्था का प्रबन्ध एक स्वशासी मंडल करेगा, जिसमें ९ सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा वित्त सलाहकार और मंडल का सचिव भी होगा। संस्था के निदेशक जिनकी नियुक्ति मंडल करेगा, इसके पदेन सदस्य-सचिव होंगे। मंडल के सदस्यों की नियुक्ति साधारणतया तीन वर्ष के लिए की जाएगी।

मंडल में केन्द्रीय सरकार ने इन व्यक्तियों को नामजद किया है- शिक्षा मन्त्रालय के संयुक्त सचिव, श्री पी०एन० कृपाल (अध्यक्ष); सेनाध्यक्ष, जनरल के० एस० तिमैया (सदस्य); राजकुमारी अमृतकौर, संसद सदस्य (सदस्य); राजा भालेन्द्र सिंह, भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष (सदस्य)', नयी दिल्ली के माडर्न स्कूल के प्रिंसिपल, श्री एम० एन० कपूर (सदस्य); भारत सरकार के वित्त सचिव, श्री एन० एन० वांचू (वित्त सलाहकार)। इनके अलावा अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद और पंजाब सरकार दो सदस्य नामजद करेगी।

छात्रावास बनाने के लिए ऋण देने के तरीके में संशोधन

केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से दानी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाली शिक्षा संस्थाओं को छात्रावास बनाने के लिए ऋण

देने के तरीके में संशोधन कर दिया है। अभी तक केन्द्रीय सरकार इन संस्थाओं को सीधे ही ऋण दे देती थी। नये तरीके के अनुसार यह राशि राज्य सरकारों को दे दी जाएगी। राज्य सरकारें अपने बजट में इन शिक्षा संस्थाओं को ऋण देने की व्यवस्था करेंगी।

इन शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर राज्य सरकारें छात्रावास बनाने के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज की जितनी रकम छोड़ देती हैं, केन्द्रीय सरकार उतनी ही राशि सहायता अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को देती है। राज्य सरकारें अपने बजट में इस राशि के लिए भी व्यवस्था करती हैं।

अब तक स्वीकृत ऋण

केन्द्रीय सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि अब तक जिन शिक्षा संस्थाओं को ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरा ऋण दिया नहीं गया, उसकी शेष राशि भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय स्वयं ही उन संस्थाओं को दे देगा।



शिक्षा संस्थाओं को छात्रावास बनाने के लिए ऋण देने का कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों, हाई स्कूलों, हायर सेकण्डरी स्कूलों, बहुद्देशीय स्कूलों, ट्रेनिंग कालेजों तथा बुनियादी शिक्षा संस्थाओं को ऋण दिए जाते हैं। १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार ने शारीरिक शिक्षा संस्थाओं को भी ऋण देने का निश्चय किया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए १ करोड़ ६० लाख रु० की व्यवस्था है।

हिन्दी शिक्षण के लिए राज्यों को सहायता

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से ५ अहिन्दी भाषी राज्यों को सन १९५९-६० में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए ७,१९,७९२ रु० के अनुदान दिए गए। यह सहायता इन राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेरित कार्यक्रम चलाने के लिए दी गई है।

धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर : भारत में पड़ताल

भारत में अब तक जो पड़ताल की गई है, उससे पता चलता है कि धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा धूम्रपान करने वालों को फेफड़े का कैंसर होने का ज्यादा खतरा है। सिगरेटें जितनी भी ज्यादा पी जाएंगी, खतरा उतना ही अधिक होगा।

पड़ताल से पता चलता है कि हमारे देश में फेफड़े के कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा नहीं हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल में १९४१ से १९५६ तक ३६,५५० रोगी आए, जिनमें से केवल ५२१, को यानी १.४३ प्रतिशत को, फेफड़े का कैंसर था।

भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र ने टाटा मेमोरियल अस्पताल में १९५२ से १९५४ के बीच भर्ती हुए १,४६० मरीजों की जो पड़ताल की, उससे पता चलता है कि तम्बाकू खाने से मुख्यतः मुंह का कैंसर होता है, तम्बाकू पान और सिगरेट आदि पीने से जीभ के पिछले हिस्से में और भोजन की नली के ऊपरी भाग में कैंसर होने का खतरा रहता है। खाली धूम्रपान करने वालों के गले के ऊपरी भाग और भोजन की नली के आस-पास कैंसर होता है।

हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ३० वर्ष से ऊपर की उम्र के ३४ हजार स्वस्थ व्यक्तियों का जो सर्वे किया गया, उससे पता चलता है कि धूम्रपान करने और तम्बाकू खाने से व्यक्ति के शरीर में कैंसर के कारण पैदा हो जाते हैं।

भारत में सिगरेट मुख्यतः बड़े शहरों में ही पी जाती है। देहाती क्षेत्रों में लोग हुक्का, चिलम या बीड़ी पीते हैं। हुक्का या चिलम पीने से जो धुआं अन्दर जाता है, वह पानी या गीला कपड़ा बीच में होने के कारण साफ होकर जाता है और उसके हानिकारक तत्व सम्भवतः मुंह से या श्वास की नली से नहीं पहुंच पाते। बीड़ी पीने में धुआं फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता, यह जीभ के पिछले भाग या गले के ऊपरी भाग में ही जमा हो जाता है।

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उससे गले की सूजन, खांसी, फेफड़े की सूजन आदि रोग हो जाते हैं और भूख भी कम हो जाती है। कभी-कभी फेफड़े की सूजन बहुत बढ़ भी जाती है और उससे फेफड़े का कोई भयानक रोग हो सकता है।

ब्रिटेन और अमरीका में पड़ताल

ब्रिटेन और अमरीका में जो पड़ताल की गई है, उससे भी यह पता लगता है कि धूम्रपान फेफड़े के कैंसर का काफी बड़ा कारण हो सकता है। ब्रिटेन की चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में विभिन्न देशों में इस सम्बन्ध में किए गए अनुसंधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि परिषद की राय में धूम्रपान फेफड़े के कैंसर का सीधा कारण हो सकता है। तम्बाकू के धुएं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जिनसे यह रोग हो सकता है।

ब्रिटेन में की गई पड़ताल से यह पता चलता है कि फेफड़े के कैंसर से धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा धूम्रपान करने वालों की मृत्यु अधिक संख्या में होती है। इस कैंसर के कारण अधिक धूम्रपान करने वाले को मौत का अधिक खतरा होता है। पड़ताल से यह भी पता चलता है कि पाइप पीने वालों की अपेक्षा इस रोग से सिगरेट पीने वाले अधिक मरते हैं। पड़ताल से यह भी पता चलता है कि धूम्रपान छोड़ देने वालों की अपेक्षा कैंसर होने पर भी धूम्रपान जारी रखने वालों को मृत्यु का अधिक खतरा होता है।

अमरीका में जो पड़ताल की गई है, उससे पता चलता है कि जिन लोगों को सांस की नली में कैंसर हुआ, उनमें धूम्रपान करने वालों की संख्या अधिक थी।

नये दन्त चिकित्सालय

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने अब तक इस योजना काल में विभिन्न राज्यों के जिला अस्पतालों में १०७ दन्त चिकित्सा विभाग खोलने के लिए अनुदान दिया है। इनमें से ५८ अब तक खुल चुके हैं।

विभिन्न राज्यों में स्वीकृत और खुले दन्त चिकित्सा विभागों का

प्रकार है : आंध्र प्रदेश—स्वीकृत १८, खुले १०, असम—३, ०; बिहार—१२, ४; जम्मू और कश्मीर—७, ७, केरल—७, ४, मैसूर—३, ३, मध्य प्रदेश—५, २; मद्रास—१०, ७, उड़ीसा—८, ०, पंजाब—७, ७, राजस्थान—१२, १०, उत्तर प्रदेश—८, ८ और पश्चिम बंगाल—११, ०।

१९५६-५९ में राज्य सरकारों को दन्त चिकित्सालय खोलने के लिए ५,६०,३९१ रुपये का अनुदान दिया गया।

दूसरी योजना की अवधि में सारे देश के जिला अस्पतालों में ३५० दन्त चिकित्सा विभाग खोलने की योजना है। नये दन्त चिकित्सा विभाग खोलने का खर्च केन्द्र और राज्यों की सरकारें मिल कर उठाती हैं।

मार्च १९६० में स्वास्थ्य की स्थिति

मार्च २६, १९६० तक मिली प्रारम्भिक सूचनाओं के अनुसार १९ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले सप्ताह में सलेम जिले में ५ व्यक्तियों को ताऊन (प्लेग) हुआ, जिनमें २ की मृत्यु हो गई। देश के कुछ जिलों में चेचक और हैजा होने के समाचार मिले हैं।

हैजा : आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में और प० बंगाल के मिदनापुर जिले तथा कलकत्ता शहर में कुछ लोगों को हैजा हुआ। मार्च के दूसरे सप्ताह में आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले और प० बंगाल के बर्दवान जिले में भी हैजा होने के समाचार मिले।

चेचक : आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम्, प० गोदावरी, कृष्णा, नेल्लूर, अनन्तपुर, चित्तूर जिलों में; आसाम के नौगांव जिले में; बम्बई के वृहद् बम्बई और वर्धा जिले में; मैसूर के कोलार, बेलगांव, बीजापुर, चिकमागलूर, बेल्लारी, धारवाड और दक्षिण कनाडा जिलों में; मद्रास के दक्षिण अरकाट, तिरुचिरापल्ली, तंजौर, रामनाथपुरम्, उत्तर अरकाट, कोयमबतूर जिलों और मद्रास शहर में; उत्तर प्रदेश के आगरा, इलाहाबाद, बिजनौर, बुलन्दशहर, फरुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में; प० बंगाल के बर्दवान और मिदनापुर जिलों में और पांडिचेरी में कुछ लोगों को चेचक हुई। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल; बम्बई के अमरावती; उड़ीसा के बालकनाल, कोरापुट और मयूरभंज; मैसूर के चितलदुर्ग और रायचूर; राजस्थान के नागौर और उत्तर प्रदेश के मथुरा और फतेहपुर जिलों में भी चेचक की छुटपुट सूचनाएं मिली हैं।

क्यासनूर जंगल रोग : १२ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले पखवाड़े में मैसूर राज्य के शिमोगा जिले में १७ व्यक्तियों को यह रोग हुआ जबकि पिछले पखवाड़े में १५ आदमियों को यह रोग हुआ था।

गैस्ट्रोएन्ट्राइटिस : १२ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले पखवाड़े में उत्तर प्रदेश में ९८ व्यक्तियों को यह रोग हुआ, जिनमें ६ की मृत्यु हो गई; जबकि २७ फरवरी, १९६० को समाप्त होने वाले पखवाड़े में ४३ व्यक्तियों को यह रोग हुआ और १ की मृत्यु हुई।

इनफ्लुएंजा : आसाम, बम्बई और पश्चिम बंगाल में यह रोग होने की छुटपुट सूचनाएं मिली हैं।

प० बंगाल के विस्थापितों को डाक्टरी सहायता

भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के विस्थापितों के लिए जो शिविर स्थापित किए हैं उनमें अस्पताल, औषधालय तथा सेवा-गाड़ियों और डाक्टरी कर्मचारियों पर अब तक १ करोड़ ११ लाख रु० खर्च हो चुका है। बीमारों को विशेष प्रकार का भोजन मिलने की सुविधा के लिए विशेष भत्ता दिया जाता है। क्षय-रोग के बीमारों के लिए ६०० पलंग विभिन्न अस्पतालों में सुरक्षित किए गए हैं। इन पर सरकार को ७१ लाख रु० खर्च करने पड़े हैं। जो बीमार अस्पताल में भर्ती होने की प्रतीक्षा में रहते हैं उन्हें और उनके आश्रितों को मासिक भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार अभी तक ५७ लाख रु० दिए जा चुके हैं।

यह सूचना केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय द्वारा हाल में ही प्रकाशित एक पुस्तिका में दी गई है, जिसमें प० बंगाल के शरणार्थियों को दी गई डाक्टरी सहायता पर खर्च का विवरण दिया गया है।

पुस्तिका में यह भी बताया गया है कि सरकार द्वारा किए गए उपायों की सफलता इसी से प्रकट होती है कि विस्थापितों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है और उनमें मृत्यु संख्या प्रति हजार ८ से अधिक नहीं है, जो कि भारत की शेष आबादी की मृत्यु संख्या के प्राय: बराबर ही है।

तपेदिक की नयी दवा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमरकर ने २१ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ने जो तपेदिक की नयी दवा निकाली है, अभी तक उसका कोई नाम नहीं रखा गया है। यह दवा किसी आयुर्वेदिक बूटी से नहीं बल्कि मिट्टी की फफूंद से तैयार की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह दवा अभी तक किसी मरीज पर आजमाई नहीं गई है।



आसाम में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का पुनर्वास

केन्द्रीय पुनस्संस्थापन मंत्रालय ने आसाम सरकार के परामर्श से राज्य में रहने वाले उन विस्थापितों को, जो अभी बसाए नहीं जा सके हैं, इस वर्ष बसाने का निश्चय किया है।

आसाम में पूर्वी पाकिस्तान से आए ४ लाख ८७ हजार विस्थापित हैं।

आसाम सरकार ने विस्थापितों को फिर से बसाने की कठिनाइयों के बारे में जो पड़ताल की है, उससे पता चला है कि विस्थापितों को व्यापार, खेती या मकान बनाने के लिए ऋण देने की समस्या प्रमुख है।

३५ लाख रु० का ऋण

इस काम के लिए केन्द्रीय पुनस्संस्थापन मंत्रालय ने आसाम सरकार को ३५ लाख रु० दिया है। इस रकम में शहरों में मकान बनाने के लिए २२ लाख रु०, शहरों में व्यापार के

लिए ३ लाख रु०, गावों मे छोटे धन्धों के लिए २ लाख रु०, गावों में मकान बनाने के लिए २ लाख रु० रखा गया है।

राज्य सरकार विस्थापितों को ऋण देने के बाद इन्हें फिर से बसाने के विभिन्न कार्यों को सम्बन्धित स्थायी विभागों को सौंप देगी।

आसाम सरकार राज्य में बसे हुए विस्थापितों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उद्योग खोलने की योजनाओं पर भी विचार कर रही है।

विस्थापितों के प्रशिक्षण पर ७॥ करोड़ रु० खर्च

पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए जो विस्थापित पश्चिमी बंगाल में बसे हैं, उनके लिए नौकरी और काम प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने अब तक ७॥ करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए हैं। केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में इस खर्च का विवरण दिया गया है। इस रकम में से विस्थापितों को प्राविधिक शिक्षा देने, छोटे और मध्यम श्रेणी के कुटीर उद्योग स्थापित करने तथा सरकारी संस्थाएं और शिक्षण तथा उत्पादन के संयुक्त केन्द्र स्थापित करने पर धन खर्च किया गया है।

पुस्तिका में बताया गया है कि अभी तक ३८ हजार से अधिक विस्थापितों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और २,३०० से अधिक इस समय विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। २ करोड़ ८९ लाख रु० मध्यम श्रेणी के उद्योग-धंधों को दिए गए हैं, जिनमें ७,८०० से अधिक विस्थापितों को काम मिला है। १,३०,००,००० रु० से अधिक पश्चिमी बंगाल के राज्य परिवहन विभाग को दिए गए हैं, जिसमें ३,४०० से अधिक विस्थापितों को काम मिला है।

प्रशिक्षण तथा उत्पादन के संयुक्त केन्द्र विस्थापितों के कैम्पों और अन्य केन्द्रों में स्थापित किए गए हैं। इन पर ११॥ लाख से अधिक रुपये खर्च हुए हैं और १,८०० से अधिक लोगों को काम मिला है।

ऐसे नगरों में और अन्य स्थानों में जहां विस्थापित अधिक संख्या में रहते हैं, गैर-सरकारी उद्योगों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जिससे वहां ऐसे उद्योग-धंधे स्थापित हो सकें, जिनमें विस्थापित लोग काम करके आजीविका प्राप्त कर सकें।

कम आय वालों के लिए मकान बनवाने की योजना

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को भी कम आय वालों के लिए मकान बनवाने की योजना के अन्तर्गत कर्ज देने का निश्चय किया है। इस योजना के अनुसार ६ हजार रु० तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों और उनकी सहकार समितियों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाता है।

यह योजना १९५४ में शुरू की गई थी। तब से लेकर दिसम्बर १९५९ के अंत तक ७६,६३० मकान बनाने की अनुमति दी गई और इसमें से ४५,८४८ मकान बन चुके हैं। दिसम्बर १९५९ के अंत में १५,८७० मकान बन रहे थे। इस अवधि में ४,६७४ एकड़ जमीन ली गई और इसमें से २,८३२ एकड़ जमीन मकान बनाने योग्य बनाई गई। दूसरी योजना में इस काम के लिए ३५ करोड़ ६० लाख रु० रखा गया है। आशा है योजना के अंत तक राज्य, इसमें से ३५ करोड़ १४ लाख रु०, यानी ९९.१ प्रतिशत ले लेंगे।

इस योजना के अंतर्गत जमीन के मूल्य सहित मकान की लागत का ८० प्रतिशत और अधिक से अधिक ८,००० रु० प्रति मकान के हिसाब से कर्ज दिया जाता है। राज्य सरकारों को जमीन को मकानों के लायक बनाने के लिए भी थोड़ी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है।

दूसरी योजना में पिछड़ी जातियों की कल्याण योजनाएं

दूसरी योजना के अन्त तक, पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए ९१ करोड़ रु० की निर्धारित रकम में से प्रायः ९० प्रतिशत रकम खर्च हो जाएगी।

चालू साल में इस कार्य के लिए २६ करोड़ ९३ लाख रु० की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना के पहले तीन सालों में (१९५६-१९५९) केन्द्रशासित क्षेत्रों और राज्यों में ३३ करोड़ ९ लाख रु० व्यय हुआ जो ३७ प्रतिशत था।

केन्द्रीय सरकार ने कमियों को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं। अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ही वार्षिक योजना बना ली जाती है। राज्यों को अधिकार है कि केन्द्र की औपचारिक स्वीकृति मिलने के पहले कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए वे कदम उठा सकते हैं।

केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई भाग ९ किश्तों में राज्य सरकारों को अग्रिम के रूप में दिया जाता है। राज्य की सरकारें हर तीन महीने में खर्च का ब्यौरा देती हैं।

इसमें राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों के खर्च को बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के घटा-बढ़ा सकती हैं। वे किसी कार्यक्रम की निर्धारित रकम का २५ प्रतिशत दूसरे कार्यक्रम में लगा सकती हैं। परन्तु योजना के मूल कार्यक्रमों की प्राथमिकता में कोई हेर-फेर नहीं होना चाहिए।

राज्यों में नशाबन्दी की कार्रवाई

भारत के प्रायः सब राज्यों में क्रमशः नशाबंदी की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में तो पूरी तरह नशाबंदी लागू भी हो चुकी है।

नशाबंदी की समस्या कई तरीकों से हल की जा रही है। धीरे-धीरे सप्ताह में अधिक दिन नशाबंदी की जाएगी, शराब में अधिक पानी मिलाया जाएगा और शराब की दुकानें बस्तियों से हटा कर दूर भेजी जाएंगी। कुछ राज्यों में जलपानगृहों आदि में शराब बंद कर दी गई है और बाकी में भी बन्द कर दी जाएगी। मद्रास आदि राज्यों में जहां पूरी नशाबंदी है, कानून को और कठोर बनाया जा रहा है।

पुराने हैदराबाद राज्य में ताड़ी और शराब की दुकानों को आबादी से बाहर भेजने का निश्चय किया गया है। आसाम में नशाबंदी कानून दक्षिण कामरूप में भी लागू कर दिया गया है। कुछ चाय बगीचों के क्षेत्रों में ३० यू. पी. की शराब बेचने की मनाही कर दी गई है।

बिहार में एक नशाबंदी मंडल बनाया गया है, जो मद्यनिषेध सम्बन्धी सरकारी

पर समय-समय पर विचार करता है। मैसूर ने शराब की दुकानों की फीस बढ़ा दी है, नशाबंदी वाले इलाकों से शराब की दुकानें १-१ मील दूर हटा दी हैं और शराब का विज्ञापन करना दंडनीय घोषित कर दिया है।

पंजाब में विद्यार्थियों और २५ वर्ष से कम अवस्था वाले सब व्यक्तियों को सरकार की इजाजत के बगैर शराब नहीं बेची जा सकती। इसी प्रकार और कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं।

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि उन्हें शराब से दूर रह कर जनता के सामने उदाहरण कायम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्य भर में गांजे की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। इसी प्रकार वहां २६,३९८ वर्ग मील के नशाबंदी वाले क्षेत्र में अफीम की भूसी नहीं बेची जा सकती।

कल-कारखानों के कर्मचारियों को नशे से दूर रखने के लिए पश्चिम बंगाल ने उद्योग क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन शराब की बिक्री बंद कर दी है और अन्य दिन भी शराब बेचने के घंटे कम कर दिए हैं।

दिल्ली में शराबों के विज्ञापन छापने और प्रकाशित करने पर पाबंदी है। यहां २५ वर्ष से कम अवस्था के व्यक्तियों को शराब नहीं बेची जा सकती। देसी शराब की दुकानें घटा कर ७ से २ कर दी गई हैं। इन दुकानों के साथ चलने वाले ढाबे बंद कर दिए गए हैं, लाइसेंस और बेची जाने वाली शराब की मात्रा कम कर दी गई है। क्लबों को लाइसेंस दिए गए हैं और क्लबों के सदस्यों को ही विलायती शराब बेची जा सकती है। नशाबंदी सप्ताह में १ की बजाय २ दिन लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय और धार्मिक त्यौहारों को भी शराब की दुकानें बंद रहती हैं। विदेशी शराब की दो बोतलों और बीयर की ८ बोतलों से अधिक पास रखना अपराध है।

हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में पूरी तरह नशाबंदी है। अन्य क्षेत्रों में देसी शराब की दुकानें घटा दी गई हैं। अंडमान-निकोबार में सप्ताह में ५ दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं। विदेशी शराब का आयात वहां बंद है और ताड़ी की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं।

दूसरी योजना में नये मकान

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में ५ लाख से भी ज्यादा मकान बन कर तैयार हो जाएंगे जिन पर कुल १,००० करोड़ रु० खर्च होगा। इसमें से लगभग ५०० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में खर्च होगा। तीसरी योजना में मकान बनाने पर १,४०० करोड़ रु० खर्च करने का विचार है।

यह सूचना लोकसभा में निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्री श्री क्यामम्बल्ली नेगलराया रेड्डी ने अपने मंत्रालय की अनुदान मांगों की बहस के उत्तर में दी।

दण्डकारण्य में भूमि सुधार

दण्डकारण्य में भूमि सुधार का काम और तेजी से करने के लिए केन्द्रीय पुनर्संस्थापन मंत्रालय नयी तरह के कुछ ट्रैक्टर विदेशों से मंगा रहा है। इन ट्रैक्टरों की खरीद के लिए १ करोड़ ३० लाख रु० की व्यवस्था की गई है। इस रुपये से पूरे साज-सामान सहित ४५ ट्रैक्टर खरीदे जाएंगे।

इस राशि में से ९५ लाख रु० की मशीनें और ट्रैक्टर अमरीका से खरीदे जाएंगे।

केन्द्रीय पुनर्संस्थापन मंत्रालय पूरे साज-सामान से युक्त ७५ कोमात्सु ट्रैक्टर आयुध कारखानों के महानिदेशक के द्वारा खरीदने की व्यवस्था कर रहा है।

इस समय केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन से लिये गए ४५ ट्रैक्टर उमेरकोट क्षेत्र में जंगलों की सफाई का काम कर रहे हैं। २८ कोमात्सु ट्रैक्टर पारलकोट क्षेत्र में लगे हुए हैं।

यदि ये सभी ट्रैक्टर समय पर आ गए, तो अगली फसल के अन्त तक दण्डकारण्य की ७० हजार एकड़ भूमि सुधार दी जाएगी।

अब तक उमेरकोट क्षेत्र में ६ हजार एकड़ भूमि पूरी तरह खेती योग्य बनाई जा चुकी है। पारलकोट जंगल में भी ७ हजार एकड़ भूमि को साफ करके खेती योग्य बनाया जा चुका है।

मिलों, कारखानों आदि को परिवार आयोजन के लिए अनुदान

भारत सरकार ने मिलों, कारखानों, फर्मों, उद्योग संस्थानों आदि को परिवार आयोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर साल १,००० रु० का अनुदान देने का निश्चय किया है, ताकि वे अपने कर्मचारियों को गर्भ-निरोधक उपकरण दे सकें।

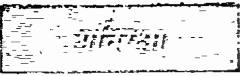
संबंधित राज्य का प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी जिन कारखानों आदि की सिफारिश करेगा, उन्हीं को यह अनुदान दिया जाएगा। उन्हें अपने कर्मचारियों और मजदूरों के लिए परिवार आयोजन केन्द्र भी खोलने पड़ेंगे। इसके लिए भारत सरकार मुफ्त साहित्य बांटेगी और प्रशिक्षण की भी सुविधाएं देगी।

गन्दी बस्तियों की सफाई की १२ योजनाएं स्वीकृत

केन्द्रीय सरकार गंदी बस्तियों की सफाई की १२ और योजनाओं पर विचार कर चुकी है और अब उन पर अमल किया जाएगा। इन योजनाओं के अन्तर्गत केरल, मैसूर, बम्बई, मद्रास, राजस्थान और पंजाब की गंदी बस्तियों में रहने वाले १,४३१ परिवारों के लिए नये मकान बनाए जाएंगे।

ये योजनाएं राज्य सरकारों ने मार्च १९६० में तैयार की थीं। केन्द्रीय सरकार ने इन पर विचार किया और इनके अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों को रहने लायक कुछ और अच्छा बनाने के संशोधनों के साथ इन्हें स्वीकार कर लिया। राज्य सरकारों को इन योजनाओं पर अमल करने के लिए कह दिया गया है। योजनाओं के अन्तर्गत ३८५ मकान बनाए जाएंगे तथा सब सुविधाओं से युक्त १,०४६ प्लाट होंगे। इन पर कुल खर्च अनुमानतः ३१ लाख ५१ हजार रु० होगा।

गंदी बस्तियों की सफाई की योजना मई, १९५६ में तैयार की गई थी। इसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों में मार्च १९६० तक ४१,२३९ मकान बनाने की १५६ योजनाएं स्वीकार की गईं। इनमें से १६,४८७ मकान या तो बन चुके हैं या जल्दी ही बन कर तैयार हो जाएंगे।



छात्र सैनिकों में नेतृत्व के गुण पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के सीनियर डिवीजन के छात्रों के लिए १९५९ में साहसिक काम करने की शिक्षा देने के लिए विशेष पाठ्यक्रम रखे गए थे। ऐसा अनुभव हुआ है कि ये पाठ्यक्रम छात्र सैनिकों में नेतृत्व के गुण, सहयोग की भावना, एक साथ मिल कर काम करने की प्रवृत्ति, अनुशासन और स्वतन्त्र रूप से शीघ्र ही निश्चय करने की क्षमता पैदा करने में बहुत सफल हुए। अतएव भारत सरकार ने अब कुछ संशोधनों के साथ ऐसे पाठ्यक्रम स्थायी रूप से आयोजित करने का निश्चय किया है।

ये पाठ्यक्रम १७ दिन के होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक छात्र सैनिक अधिकारी तथा ३० छात्र सैनिक भाग लेंगे। इनमें से जो राज्य या केन्द्र पाठ्यक्रम आयोजित करेगा, उसका एक अधिकारी तथा चार छात्र सैनिक होंगे। शेष केन्द्रों से दो-दो छात्र सैनिक बुलाए जाएंगे।

नेतृत्व के गुण पैदा करने के लिए आयोजित किए जाने वाले ये पाठ्यक्रम इस वर्ष २ मई से १८ मई तक कोडईकनाल, २३ मई से ८ जून तक रानीखेत, और २३ मई से ८ जून तक ही, गुलमर्ग, दिल्ली और माउंट आबू तथा २ मई से १८ मई तक दार्जिलिंग और मंसूर में होंगे। शिलांग में एक शिविर पहले ही लग चुका है।

देश भर के छात्र सैनिकों को एक स्थान पर इकट्ठा करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीनियर डिवीजन के छात्र और छात्रा सैनिकों के कुल चार अखिल भारतीय शिविर चुने हुए केन्द्रों में लगेंगे। धर्मशाला, सिकन्दराबाद और माउंट आबू में २५ अप्रैल से ८ मई तक शिविर लगे। शिलांग में २३ मई से शिविर लगेगा।

नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

३ मई को नयी दिल्ली में नौसेना मुख्य कार्यालय में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक बैठक हुई। इसमें नौसैनिक कर्मचारियों की नौकरी की स्थिति आदि के बारे में विचार-विमर्श हुआ।

नौसेनाध्यक्ष वाइस-एडमिरल आर० डी० कटारी ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें नौसेना के उपाध्यक्ष रीयर-एडमिरल ए० के० चटर्जी, भारतीय नौसैनिक बेड़े के फ्लैग आफिसर कमांडिंग रीयर-एडमिरल बी० एस० सोमन और भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा नौसेना मुख्य कार्यालय के प्रमुख स्टाफ अधिकारियों ने भाग लिया। रीयर एडमिरल ए० चक्रवर्ती भी इस बैठक में आमंत्रित थे।

पिछले साल वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में जो निर्णय किए गए थे, उनकी भी इस बैठक में समीक्षा की गई।

पंचमढ़ी का सैनिक संगीत स्कूल

सेना के बैंडों की भारतीय धुनें केवल देश में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि विदेशों में भी पसन्द की जाने लगी हैं। अमरीका, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, अफगानिस्तान, वियतनाम गणराज्य, चीन, जापान, लंका और राष्ट्रमंडल के दूसरे देशों ने इन धुनों के बारे में जानकारी मांगी। अब तक ३५ धुनों की मांग विदेशों से आई है। उन्हें प्रकाशकों से खरीदने की अनुमति दे दी गई है।

पचमढ़ी के स्थल सेना शिक्षा केन्द्र में १९५० में एक संगीत स्कूल की स्थापना की गई। इस स्कूल में पुरानी देशी फौजी धुनों का अभ्यास शुरू किया गया। रेजिमेंट के सैनिकों को बैंड बजाने की शिक्षा भी दी जाती है। पिछले दशक में भारतीय धुनों के अनुसंधान और उनकी रचना के कार्य पर जोर दिया गया। स्कूल में स्थल सेना के सैनिकों के अलावा नौसेना, वायुसेना और पुलिस के बैंड वालों को शिक्षा दी जाती है। बैंड मास्टर का डिप्लोमा कोर्स ३ साल का और रेजिमेंट के सैनिकों का कोर्स ११ महीने का है। ढोल, बिगुल, तुरही, बांसुरी बजाने वालों को २२ हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है।

'आई. एन. एस. तलवार' नौसेना को प्राप्त

पनडुब्बी नाशक जहाज 'आई. एन. एस. तलवार' २६ अप्रैल को बर्केनहेड (ब्रिटेन) में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। भारतीय कमांडर वी० के० डाग इस नये जहाज की कमान संभालेंगे।

'आई एन एस तलवार' इस तरह भारतीय नौसेना को मिलने वाला दूसरा जहाज है। इससे पहले जुलाई १९५८ में नौसेना ने 'आई एन एस त्रिशूल' को लिया है।

परीक्षणों के बाद इस जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा।

दिल्ली छावनी में कल्याण केन्द्र

दिल्ली और राजस्थान क्षेत्र के जी० ओ० सी० मेजर जनरल विक्रमसिंह ने ४ मई को दिल्ली छावनी में परिवार कल्याण केन्द्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया।

यह केन्द्र जूनियर कमीशंड आफिसरों और अन्य सैनिकों के परिवारों की भलाई के लिए है, जो पहले से ही चालू है। इस केन्द्र में सूचना-कक्ष, बच्चों के मनोरंजन का कक्ष और सिलाई का कक्ष है। यहां सिलाई, दस्तकारी और पढ़ाई-लिखाई की कक्षाएं लगती हैं और सैनिकों के बच्चों को मुफ्त दूध भी दिया जाता है।

सेना का फालतू सामान

पिछले साल शिल्पिक दल ने सेना के ऐसे सामान की पड़ताल की जो आमतौर पर वार्षिक जांच के समय फालतू घोषित कर दिया जाता है और जिसकी सूचना सप्लाई और डिस्पोजल के महानिदेशक को भेज दी जाती है।

दल ने स्टोर की जांच यह पता लगाने के लिए की कि इसमें से कितना सामान थोड़ी मरम्मत या रद्दोबदल के बाद या उसी रूप में काम में लाया जा सकता है। शिल्पिक दल ने इसमें से २८ करोड़ रु० के सामान को फिर से इस्तेमाल करने की सिफारिश की है।

१ अप्रैल, १९५९ को लगभग ३ करोड़ रु० का सामान डिस्पोजल के लिए था और उस की सूचना सप्लाई और डिस्पो[illegible] [illegible]निदेशक को दी गई।

पड़ताल दल में तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि, आर्डनेंस फैक्टरी के महानिदेशक, प्रतिरक्षा उत्पादन, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट और भारत एलेक्ट्रानिक के महानिदेशक थे।

खुफिया पुलिस के अफसरों को प्रशिक्षण

खुफिया विभाग के पुलिस अफसरों के कलकत्ता के ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण की अवधि १५ दिन और बढ़ा दी गई है। अब तक यहां पर ३ महीने की ट्रेनिंग होती थी। अफसरों को अपने काम का व्यावहारिक ज्ञान कराने की दृष्टि से ट्रेनिंग का समय बढ़ाया गया है।

स्कूल में ३०-३० अफसरों की टोलियों को ट्रेनिंग दी जाती है। कम से कम ५ साल के अनुभव वाले अफसरों को राज्य सरकारें ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं। ट्रेनिंग का खर्च भी राज्य सरकारें ही देती हैं।

यहां ट्रेनिंग देने का यह उद्देश्य है कि खुफिया विभाग के अफसर मामलों की छानबीन में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल कर सकें और अन्य अफसरों को ट्रेनिंग देने में मदद कर सकें।

पिछले साल राज्यों के लगभग ९० पुलिस अफसरों को इस स्कूल में ट्रेनिंग दी गई।

रेलों की प्रादेशिक सेना के ग्रुप-कमांडरों की बैठक

१० मई को नयी दिल्ली में रेलों की प्रादेशिक सेना की टुकड़ियों के ग्रुप कमांडरों की बैठक आरम्भ हुई। बैठक का उद्घाटन रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने किया। बैठक में प्रतिरक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और इसमें प्रादेशिक सेना में रेल कर्मचारियों की भर्ती, सेना के शिविरों के दिनों में उनकी कुछ कामों से छुट्टी और १९६०-६१ के शिक्षण कार्यक्रम पर विचार किया गया।

श्री शाहनवाज खां ने अपने भाषण में कहा कि प्रादेशिक सेना की रेल-टुकड़ियों को किसी भी संकट के समय बहुत काम करना होगा, क्योंकि ऐसे समय उन्हीं पर रेलों के चलाने की जिम्मेवारी होगी। रेल मण्डल और प्रशासन अपने कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में काम करने की पूरी सुविधाएं देंगे।

स्त्रियों की शाखा

दिल्ली के गृहरक्षक संगठन में ४०-४० लड़कियों के दो दल भी काम कर रहे हैं। इन्हें इन्द्रप्रस्थ कालेज और तीसहजारी में प्राथमिक चिकित्सा, कवायद, घायलों और रोगियों को ले जाने और आग बुझाने की मामूली शिक्षा दी जा रही है। संकट के समय स्त्रियों को सबसे बड़ा काम करना होगा—संचार-साधनों को संभालने का। इसके लिए ४० लड़कियों को टेलीफोन और अन्य संचार-साधनों से काम लेना सिखाया जा रहा है। इन्हें मोटर चलाना भी सिखाया जाएगा। मई के अंत में दिल्ली में १० दिन का एक शिविर लगेगा, जिसमें समाज कल्याण और सार्वजनिक सेवाओं आदि के भिन्न-भिन्न कामों से दल के सदस्यों को परिचित कराया जाएगा।

दिल्ली में गृहरक्षक संगठन पिछले साल जून में स्थापित हुआ था। इसके लिए बम्बई के १९४७ के होम गार्ड अधिनियम को दिल्ली में लागू किया गया और चीफ कमिश्नर को यहां भी संगठन स्थापित करने का अधिकार दिया गया। गृहरक्षक दल के सदस्य आवश्यकता पड़ने पर लोगों की जान-माल की रक्षा करते हैं।

केरल उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश

न्यायमूर्ति श्री पी० गोविन्द मेनन को केरल उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। श्री मेनन इस समय केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। नये पद का कार्य-भार संभालने के दिन से वे उस पद पर नियुक्त समझे जाएंगे।

गुजरात के मुख्य न्यायाधीश

स्वराष्ट्र मंत्रालय की १ मई की एक विज्ञप्ति में सूचना दी गई है कि राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति श्री सुन्दरलाल त्रिकमलाल देसाई को १ मई से गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।



राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

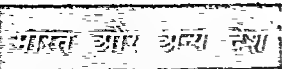
राजस्थान का भंडार (संशोधन) विधेयक, १९५९

इस कानून का उद्देश्य राजस्थान में केन्द्र और राज्य के भंडार निगमों द्वारा जमा कराए हुए माल पर रुपया उधार देने पर पाबन्दी लगाना है। वास्तव में भंडारों का यह मूल सिद्धान्त है कि इन्हें रुपया कर्ज नहीं देना चाहिए।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, बन्धक भंडार अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस पाने वाले भंडारों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

दिल्ली के गृहरक्षक संगठन में लड़कियों की शाखा

दिल्ली के गृहरक्षक-(होमगार्ड) संगठन में लड़कों और लड़कियों के लिए एक अलग शाखा खड़ी की गई है, जिसका नाम 'जूनियर गार्ड्स' है। इसके सदस्यों को कवायद, आग बुझाना आदि सिखाया जाता है। इनके लिए एक हवाई राइफल क्लब खोला जा रहा है और इन्हें बेतार तथा लकड़ी के काम की शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। विमानों की जानकारी के लिए इन्हें व्याख्यान सुनवाए जाएंगे।



अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पेट्रोलियम समिति की बैठक

जिनेवा में २५ अप्रैल से ६ मई, १९६० तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पेट्रोलियम समिति का छठा अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में पेट्रोलियम उद्योग के मालिकों और कर्मचारियों के मसलों पर विचार किया गया।

इस अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

सरकारी प्रतिनिधि : जिनेवा में भारत के महावाणिज्य दूत के श्रम सलाहकार, डा० एम० टी० मेसानी और लन्दन में भारत के उच्चायुक्त के प्रथम सचिव (वाणिज्य), श्री डी० एम० जैसरीवर।

मालिकों के प्रतिनिधि : बम्बई की बर्मा शैल आयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लि० के उद्योग सम्पर्क मैनेजर श्री आर० बी० ऐवरा और बम्बई की स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी के सहायक कर्मचारी सम्पर्क मैनेजर श्री वी० एम० जिलानी।

मजदूरों के प्रतिनिधि : बम्बई की बर्मा शैल रिफाइनरीज वर्कर्स यूनियन के महासचिव श्री एन० टी० मूल, और नयी दिल्ली की अ० भा० पेट्रोलियम मजदूर फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्री टी० सी० एन० मेनन, सलाहकार सदस्य।

बम्बई के काल्टैक्स (इंडिया) लि० के मजदूर सम्पर्क मैनेजर श्री टी० वी० लालवानी मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ सलाहकार के रूप में जाएंगे।

अमरीकी उपराष्ट्रपति को भारतीय भेंट

न्यूयार्क में भारत के वाणिज्य दूत, श्री गोपाल मेनन ने ४ मई को अमरीका के उपराष्ट्रपति श्री रिचर्ड निक्सन को निकल की चढ़ाई की हुई एक सुराही भेंट की। इस पर प्राचीन भारतीय परम्परानुसार विभिन्न चित्र आदि बने हुए थे। यह भेंट अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के भारतीय मण्डप में दी गयी।

यह प्रदर्शनी ४ मई से न्यूयार्क में शुरू हुई है। इसमें भारत ने दस्तकारी, हथकरघे के कपड़े, इंजीनियरी का हल्का सामान, कच्चा सामान आदि रखा है।

भारत अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का सदस्य

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, श्री हुमायूं कबीर ने २० अप्रैल को राज्यसभा में बताया कि भारत अब अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का स्थायी सदस्य होगा।

देश में हुए अंतरिक्ष सम्बन्धी अनुसंधान के बारे में बताते हुए श्री कबीर ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष में नैनीताल की वेधशाला में कृत्रिम उपग्रहों की कक्षा को अंकित करने का कैमरा लगाया गया। यह कैमरा अमरीका के स्मिथ सोनियन इंस्टिट्यूट के सहयोग से लगाया गया है।

मंत्री महोदय ने बताया कि देश के कुछ वैज्ञानिक और शिल्पिक संगठन उपग्रहों से भेजे जाने वाले संकेतों को सुनते हैं। इसके अलावा कई साल से ट्रांसमीटरों की सहायता से वायुमंडल के ऊपरी भाग और अंतरिक्ष का अध्ययन किया जा रहा है।

समाचार-दर्शन

१ मई से १५ मई तक

मई

१—बम्बई पुनर्गठन विधेयक के अन्तर्गत दो नये राज्यों, महाराष्ट्र और गुजरात, का जन्म

२—नयी दिल्ली में हुए एक समारोह में उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने १९५९ की श्रेष्ठ फिल्मों पर राजकीय पुरस्कार वितरित किए

—संसद की सार्वजनिक लेखा समिति का पुनर्गठन

३—भारत सरकार द्वारा अखिल भारत प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के पुनर्गठन की घोषणा

४—वाशिंगटन में भारत और अमरीका की सरकारों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर, जिसके अन्तर्गत अमरीका भारत को आगामी ४ वर्षों की अवधि में १ करोड़ ६० लाख मीट्रिक टन गेहूं और १० लाख मीट्रिक टन चावल बेचेगा

—नयी दिल्ली में भारतीय रक्षा समिति की दो दिन की बैठक आरम्भ

७—नयी दिल्ली में भारत और पोलैण्ड की सरकारों के बीच भारत को पोलैण्ड से १४ ३ करोड़ रुपये के मिलने वाले ऋण के उपयोग के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर

मई

—राजस्थान में बांसवाड़ा के निकट माही बहुउद्देशीय योजना के जमनालाल बजाज सागर बांध का केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोरार जी देसाई द्वारा शिलान्यास

९—दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्टील रोलिंग मिल्स का पहला यूनिट चालू

—भारतीय एवरेस्ट अभियान दल द्वारा दक्षिण कोल पर २६,००० फुट की ऊंचाई पर छठा कैम्प बनाया गया

१०—केन्द्रीय इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री, सरदार स्वर्णसिंह की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में भारतीय कोयला परिषद की बैठक आरम्भ

१२—भारत सरकार द्वारा एक टेकनीकल कमेटी इस बात का अध्ययन करने के लिए नियुक्त कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले प्रावीडेंट फण्ड की दर में वृद्धि का भार कौन-कौन से उद्योग उठाने में असमर्थ हैं

१४—गुजरात में खम्भात से लगभग १०० मील दक्षिण की ओर अंकलेश्वर में तेल की प्राप्ति हुई।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, दिल्ली–८ द्वारा सम्पादित तथा
जोडियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली–६ द्वारा मुद्रित



। प्रादेशिक सेना के ग्रुप कमाण्डरों की बैठक के उद्घाटन के अवसर
मई को नयी दिल्ली में रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां



के विदेश व्यापार मन्त्री, डा० डब्ल्यू ट्रेम्पिन्स्की (बायें) नयी दिल्ली
मई को उपराष्ट्रपति, डा० राधाकृष्णन के साथ



। अरब गणराज्य सरकार के समाज कल्याण और श्रम विभाग के डा०



राजस्थान में सिंचाई और बिजली निर्माण के लिए माही नदी
वाले बांध का शिलान्यास करते हुए केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोरार

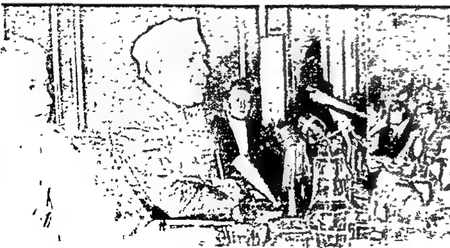


राजदूत, परमश्रेष्ठ श्री

रजिस्टर्ड नं०
डी०-६४१

लन्दन में राष्ट्रमण्डल प्रधान मन्त्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए भारतीय प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू अपना पुराना स्कूल हैरो, जहा वे १९०५ से १९०७ तक पढ थे, भी देखने गए। स्कूल के छात्र प्रधान मन्त्री का अभिवादन करते हुए

२ मई को लन्दन के इण्डिया हाउस में हुई प्रेस कांफ्रेंस में प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू प्रश्नों का उत्तर देते हुए



भारतीय समाचार



वर्ष ३ | १५ मई, १९६० (२५ वैशाख, १८८२) | अङ्क



फिलीपीन्स के उपराष्ट्रपति परमश्रेष्ठ श्री दायसदादो मेकपगल और श्रीमती मेकपगल २९ अप्रैल को नयी दिल्ली में उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन के साथ



प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू नयी दिल्ली में २७ अप्रैल को युगोस्लाविया के परराष्ट्र मन्त्री परम-श्रेष्ठ श्री कोका पोपोविक के साथ



नयी दिल्ली में हुई भारत-पाक सूचना सलाहकार समिति की बैठक का एक चित्र—भारतीय शिष्टमण्डल के नेता सूचना और प्रसारण मन्त्री डा० बालकृष्ण केसकर और पाकिस्तानी शिष्टमण्डल के नेता वहां के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सूचना मन्त्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो (बायें से तीसरे) बैठक में भाग लेते हुए

भारतीय समाचार

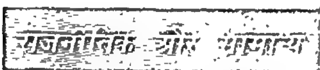
वर्ष ३ | १५ मई, १९६० / २५ वैशाख, १८८२ | अङ्क ८

एक प्रति रु० ०.२५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : १९ अप्रैल को पालम हवाई अड्डे पर चीन के प्रधान मन्त्री परम श्रेष्ठ श्री चाऊ-इन लाइ, प्रधान मन्त्री नेहरू के साथ

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



नेहरू-चाऊ वार्ता पर संयुक्त विज्ञप्ति

भारत के प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के निमन्त्रण पर चीन के प्रधान मन्त्री, श्री चाऊ-इन लाइ सीमा सम्बन्धी विवाद पर विचार-विमर्श करने १९ अप्रैल को भारत पधारे और २६ अप्रैल को उन्होंने भारत से प्रस्थान किया।

बातचीत के उपरान्त एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, जिसके मूल पाठ में कहा गया है —

भारतीय प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के आमन्त्रण पर चीन के महामान्य प्रतिनिधि, श्री चाऊ-इन लाइ १९ अप्रैल को दोनों सरकारों के बीच उत्पन्न सीमा-क्षेत्र विषयक कतिपय मतभेदों पर वार्ता के लिए नयी दिल्ली आए। महामान्य श्री चाऊ-इन लाइ के साथ महामान्य उपप्रधान मन्त्री मार्शल चेन यी, महामान्य उप-परराष्ट्र मन्त्री श्री चाग हान फू और चीन सरकार के अन्य अधिकारी भी आए थे। २६ अप्रैल के प्रातः महामान्य चीनी प्रधान मन्त्री और इनके दल के लोगों की भारत-यात्रा समाप्त हुई।

दोनों प्रधान मन्त्रियों की परस्पर कई दीर्घ, स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण वार्ताएं हुईं। महामान्य चीनी प्रधान मन्त्री और उपप्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत सरकार के अन्य कई वरिष्ठ मन्त्रियों से भी लम्बी वार्ताएं की।

सीमा समस्या पर दोनों प्रधान मन्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण पूरी तरह समझाए। दोनों सरकारों के विचार अच्छी तरह समझे गए, किन्तु उत्पन्न मतभेद इससे निबट न पाया। उभय प्रधान मन्त्रियों का मत था कि दोनों पक्ष के अधिकारी अपनी-अपनी सरकारों के पास की तथ्यगत सामग्री की परस्पर जाच करें।

इसलिए दोनों प्रधान मन्त्रियों ने स्वीकार किया कि उभय सरकारों के अधिकारी मिल कर उभय सरकारों के पास सीमागत प्रश्न पर उनकी निर्भरता के सभी ऐतिहासिक कागजपत्र, अभिलेख, लेखा, मानचित्र आदि की जाच, छानबीन एवं अध्ययन कर अपनी-अपनी सरकारों को रिपोर्ट दें। इस रिपोर्ट में उन प्रश्नों की तालिका दी जाए जिन पर सहमति रही हो और जिन पर सहमति न हो सकी हो एवं जिन पर और अधिक पूर्ण रूप की जाच तथा स्पष्टीकरण अपेक्षित हैं।

यह भी तय पाया कि अधिकारीगण जून और सितम्बर, सन् १९६० के बीच क्रमश: उभय राजधानियों में बैठकें करें। पहली बैठक पीकिंग में हो और रिपोर्ट सितम्बर के अन्त तक दोनों सरकारों को मिल जाए। ... सामग्रियों की जब तक जाच चले तब

उभय पक्ष द्वारा इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाए कि सीमा-क्षेत्र में झगड़े-बखेड़े न होने पाए।

दोनों प्रधान मन्त्रियों ने इस मुलाकात के अवसर का लाभ उठा कर विश्व की कतिपय अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी वार्ता की। दोनों प्रधान मन्त्रियों ने भावी शिखर सम्मेलन का स्वागत किया और आशा प्रकट की कि उससे विश्व-तनाव घटेगा, आणविक अस्त्रों का उत्पादन एवं प्रयोग घटेगा तथा निरस्त्रीकरण का कार्य अग्रसर होगा।

लोकसभा में प्रधान मन्त्री का वक्तव्य

२६ अप्रैल को प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने चीन के प्रधान मंत्री, श्री चाऊ-इन-लाइ से हुई बातचीत के सम्बन्ध में सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए और संयुक्त विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखी।

प्रधान मंत्री ने कहा कि २५ की रात को संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद प्रधान मंत्री, चाऊ-इन-लाइ ने संवाददाताओं से एक भेंट में अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। इसकी पूरी रिपोर्ट अभी मैंने नहीं देखी है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है उससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं जो प्रायः हमारे दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते और भारत सरकार के दृष्टिकोण से तो निश्चित ही नहीं।

प्रधान मंत्री, श्री चाऊ-इन-लाइ ने संवाददाता सम्मेलन में सीमा-विवाद के सम्बन्ध में कहा था कि मेरे विचार में दोनों पक्षों के समान दृष्टिकोण मोटे तौर पर ६ बातों में प्रकट किए जा सकते हैं। प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने उन विचारों से असहमति प्रगट करते हुए लोकसभा में उनका उल्लेख किया, जो इस प्रकार है—

(१) दोनों देशों में सीमा सम्बन्धी विवाद है।

(२) दोनों के बीच की सीमा तक दोनों देशों का प्रशासनिक नियन्त्रण है।

(३) दोनों देशों की सीमा निर्धारित करते समय सीमा के सभी क्षेत्रों में कुछ भौगोलिक सिद्धान्त समान रूप से लागू होने चाहिए, जैसे—जल विभाजक रेखा, नदी घाटियां, पहाड़ी दर्रे आदि।

(४) सीमा का प्रश्न हल करते समय हिमालय और काराकोरम पर्वतों के सम्बन्ध में दोनों देशों की जनता की राष्ट्रीय भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए।

(५) जब तक सीमा के बारे में कोई समझौता न हो जाए तब तक दोनों देशों को क्षेत्रीय दावों की शर्तें नहीं रखनी चाहिए और उन्हें उसी हद तक रहना चाहिए जहां तक उनका नियन्त्रण है।

(६) सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत में सहूलियत की दृष्टि से दोनों देश समस्त सीमा-क्षेत्र में गश्त न लगाएं।

श्री नेहरू ने कहा कि मैं चीनी प्रधान मंत्री के 'इस विशिष्ट रवैये से सहमत नहीं,' लेकिन दो-एक बातें स्पष्ट कर देना चाहता।

श्री नेहरू ने कहा कि चीनी प्रधान मंत्री से जो बातचीत हुई उसमें हमारा कहना यह था कि चीनी सेना हमारे इलाके में घुस आई है और उनका कहना था कि ये क्षेत्र आज से नहीं दो सौ वर्ष पूर्व से सिन्क्यांग अथवा तिब्बत के चीनी अधिकारियों के वास्तविक नियंत्रण में रहे हैं। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत इन बुनियादी तथ्यों में इतना अन्तर है कि आगे की बातचीत के लिए कोई समान आधार नहीं मिला। अब, इस बातचीत के बाद भी हमारा कहना यही है कि उनकी सेनाएं अभी हाल में ही इन क्षेत्रों में घुसी हैं, वे एक दिन में ही इतने लम्बे-चौड़े क्षेत्र में नहीं घुस आईं, वरन् लगभग डेढ़ वर्ष के अन्दर आई हैं। पश्चिमी सीमा-क्षेत्र के बारे में हमारा यही कथन है और हम इस पर दृढ़ हैं। इसके उत्तर में चीन का कहना है कि दो सौ वर्षों से यह क्षेत्र उनके वास्तविक अधिकार में रहा है।

श्री नेहरू ने कहा कि हमारा कथन तथ्यों पर आधारित है और हमारे पास जो सामग्री है उससे हम तथ्यों को प्रमाणित भी करने को तैयार हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, चीनियों की स्थिति ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो बुनियादी तौर से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त उनकी तरफ से पश्चिमी और पूर्वी सीमा-क्षेत्रों के दो मामलों को एक प्रकार का ही सिद्ध करने की कोशिश की गई। यानी चीनियों का कहना है कि पूर्वी सीमा क्षेत्र में भारत पिछले ५-७ या ८-१० वर्षों में धीरे-धीरे वहां तक आगे बढ़ा है, जिसे भारतीय मैकमहोन रेखा कहते हैं।

इसलिए, श्री नेहरू ने आगे कहा कि, पूर्णतः भिन्न तथ्यों के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। अगर तथ्य भिन्न हों, उनकी व्याख्या भिन्न हो तो तर्क भी अलग-अलग ही होंगे, क्योंकि व्याख्या और तर्क, दोनों तथ्यों पर ही आधारित होते हैं। अतः यह तय पाया गया कि भारत सरकार और चीन सरकार के पास जो सामग्री है उसकी जांच करके तथ्यों का पता लगाया जाए। मैंने सुझाव दिया कि यह काम अभी और यहीं किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी अधिकांश सामग्री यहां नहीं है। इसलिए इस दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हो सकी।

प्रधान मंत्री नेहरू ने कहा कि ऐसी स्थिति में तय हुआ कि अधिकारीगण सामग्री की पूरी पड़ताल करें। यह स्पष्ट ही है कि इन अधिकारियों को समाधान सुझाने या सिफारिश करने का अधिकार नहीं होगा। वे तो कुछ आधारभूत तथ्यों की जांच करेंगे और बताएंगे कि कौन-से तथ्य ऐसे हैं जिन पर दोनों देश सहमत अथवा असहमत हैं और कौन-से ऐसे हैं जिनके बारे में और पड़ताल की जानी चाहिए। इससे कुछ तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे और यह मालूम हो सकेगा कि उनका दावा किन तथ्यों पर आधारित है।

भारत में विदेशी मिशनरी

स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने, २७ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि १ जनवरी, १९५९ को भारत में ४,८०२ विदेशी मिशनरियों के नाम दर्ज थे। इनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार थी : आंध्र प्रदेश ४०६; आसाम २७०; बिहार ६७२; बम्बई ६८०; जम्मू-कश्मीर १५; केरल २५३, मध्य प्रदेश २५६; मद्रास ८१२; मैसूर २७२, उड़ीसा ११६; पंजाब ९५; राजस्थान २७, उत्तर प्रदेश ५२४; पश्चिम बंगाल ३५४, दिल्ली ४५; मणिपुर २ और अंडमान और निकोबार द्वीप ३।

लोकसभा के सदस्य का त्यागपत्र

श्री चौखामून गोहेन ने, जिन्हें आसाम के भाग 'ख' आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा का सदस्य नामजद किया गया था, १५ अप्रैल, १९६० से सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर निर्णय

राजभाषा आयोग की रिपोर्ट पर संसदीय समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद का निर्णय २९ अप्रैल को संसद की मेज पर रख दिया गया।

राष्ट्रपति ने अपने आदेश में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद ३४४ खंड ४ के अनुसार लोकसभा के २० और राज्यसभा के १० सदस्यों की एक समिति राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने और राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी सम्मति प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की गई थी। समिति ने ८ फरवरी, १९५९, को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में समिति के सामान्य दृष्टिकोण के सम्बन्ध में निम्न बातें महत्व की हैं —

(१) भारत के संविधान में राजभाषा के सम्बन्ध में एक पूर्ण योजना है, जिसमें इस समस्या के प्रति लचीला दृष्टिकोण रखा गया है। इस योजना के ढांचे के अन्दर रहते हुए उसमें आवश्यक परिवर्तन भी किये जा सकते हैं।

(२) विभिन्न राज्यों में शिक्षा के माध्यम तथा सरकारी काम के लिए अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह स्वाभाविक है कि प्रादेशिक भाषाएं अपना उचित स्थान प्राप्त करें, इसलिए केन्द्रीय सरकार में किसी भारतीय भाषा का प्रयोग करना एक व्यावहारिक आवश्यकता हो गई है। परन्तु इस परिवर्तन के लिए कोई निश्चित तिथि रखने की आवश्यकता नहीं। परिवर्तन बिल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए और कुछ समय में धीरे-धीरे इस प्रकार होना चाहिए कि लोगों को कम से कम असुविधा हो।

(३) १९६५ तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा रहेगी और हिन्दी गौण राजभाषा रहेगी। १९६५ के बाद जब हिन्दी केन्द्र की मुख्य राजभाषा बन जाएगी तो अंग्रेजी एक गौण राजभाषा के रूप में जारी रहेगी।

(४) इस समय केन्द्रीय सरकार के किसी भी काम के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड ३ के अनुसार ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि संसद द्वारा स्वीकृत कानून के अनुसार निर्धारित कामों के लिए जब तक आवश्यक हो, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे।

(५) संविधान के अनुच्छेद ३५१ की इस व्यवस्था का बड़ा महत्व है कि हिन्दी का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि वह भारत की संयुक्त संस्कृति के सभी तत्वों को प्रकट करने का साधन बन सके। हर तरह से इस बात को प्रोत्साहन देना चाहिए कि सरल और सादे शब्दों का प्रयोग किया जाए।

संसदीय समिति की रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों की मेज पर अप्रैल १९५९ में रखी गयीं। लोकसभा में इस रिपोर्ट पर २ से ४ सितम्बर, १९५९, तक और राज्यसभा में ८ से ९ सितम्बर, १९५९ तक विचार हुआ। लोकसभा में प्रधान मंत्री ने ४ सितम्बर, १९५९, को राजभाषा के प्रश्न पर सरकारी दृष्टिकोण की मुख्य बातें रखीं।

राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४४ खंड ६ के अनुसार संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करके जो आदेश जारी किया है, उसके मुख्य अंश नीचे दिये जाते हैं

शब्दावली

समिति ने राजभाषा आयोग की जो सिफारिशें मुख्यतः स्वीकार कीं, वे ये हैं (१) शब्दावली तैयार करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द स्पष्ट, सुनिश्चित और सरल हों, (२) जहां कहीं उचित हो, अंतर्राष्ट्रीय शब्द स्वीकार करने चाहिए, (३) नयी शब्दावली तैयार करने में जहां तक सम्भव हो, समस्त भारतीय भाषाओं में एकरूपता रखनी चाहिए, और (४) हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं में नयी शब्दावली तैयार करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें जो प्रयत्न कर रही हैं, उनके समीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। समिति ने यह भी कहा है कि विज्ञान और प्राविधिक विज्ञान के सम्बन्ध में जहां तक हो सके, सभी भारतीय भाषाओं में एक ही शब्दावली होनी चाहिए और वह अंग्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों से जहां तक हो, मिलती-जुलती होनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि वैज्ञानिकों और प्राविधिकों का एक स्थायी आयोग नियुक्त किया जाए जो शब्दावली तैयार करने के प्रयत्नों का समीकरण करे और समस्त भारतीय भाषाओं में प्रयोग करने के लिए अधिकृत शब्दावलियां जारी करे।

राष्ट्रपति ने शिक्षा मंत्रालय को यह आदेश दिया है कि वह शब्दावलियों के तैयार करने के सम्बन्ध में किये गये अब तक के काम की जांच करे और समिति द्वारा स्वीकार किये गये सिद्धांत के अनुसार शब्दावलियों को तैयार कराने का प्रयत्न करे। वैज्ञानिक और प्राविधिक शब्दों के सम्बन्ध में जहां तक हो सके, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को न्यूनतम परिवर्तन के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मूल शब्द वही होने चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावलियों में हैं, परन्तु उनसे बने अन्य शब्दों का भारतीयकरण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय शब्दावलियों को तैयार करने के लिए की गई व्यवस्थाओं के समीकरण की योजना भी तैयार करेगा और समिति के सुझाव के अनुसार वैज्ञानिक और प्राविधिक शब्दावलियों को तैयार करने के लिए एक स्थायी आयोग की भी नियुक्ति करेगा।

प्रशासनिक पुस्तिकाओं और कार्य-विधि संबन्धी अन्य साहित्य का रूपान्तर

प्रशासनिक पुस्तिकाओं और कार्य-विधि सम्बन्धी साहित्य के अनुवाद के लिए यह आवश्यक है कि इन सब में सभी शब्द एक ही प्रकार के हों। समिति ने राजभाषा आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार किया है कि यह काम किसी एक ही संगठन द्वारा पूरा होना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय इस प्रकार की सभी पुस्तिकाओं और कार्य-विधि सम्बन्धी साहित्य का अनुवाद करा सकता है। परन्तु विधि विहित नियमों, आदेशों और उपनियमों का अनुवाद वह नहीं कराएगा। विधि मंत्रालय अधिनियमों के अनुवाद के साथ-साथ विधि विहित नियमों, उपनियमों और आदेशों का अनुवाद भी करा सकता है। इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि इनके अनुवाद में सभी भारतीय भाषाओं में एक ही प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाए।

प्रशासनिक कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा

समिति ने सिफारिश की है कि ४५ वर्ष से

कम आयु के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी जरूर सीखनी चाहिए । परन्तु यह बात तीसरी श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी । जो लोग हिन्दी में उचित योग्यता प्राप्त न कर सकें, उन्हें कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी । हिन्दी की शिक्षा के लिए मुफ्त व्यवस्था की जाएगी । स्वराष्ट्र मन्त्रालय यह व्यवस्था करेगा कि केन्द्रीय सरकार के टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों को हिन्दी टाइप और हिन्दी आशुलिपि (स्टेनोग्राफी) की शिक्षा दी जाए ।

शिक्षा मन्त्रालय इस बात का प्रयत्न करेगा कि शीघ्र ही हिन्दी टाइपराइटरों के लिए एक स्वीकृत की-बोर्ड तैयार कराया जाए ।

हिन्दी का प्रचार

समिति ने आयोग की यह सिफारिश स्वीकार की है कि हिन्दी प्रचार का काम सरकारी रूप से होना चाहिए । जो अच्छी गैर-सरकारी संस्थाएं यह काम कर रही हैं, उन्हें सरकारी सहायता मिलनी चाहिए और जहां ऐसी संस्थाएं नहीं हैं, वहां सरकार को स्वयं आवश्यक संगठन स्थापित करने चाहिए ।

शिक्षा मन्त्रालय को राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया है कि वह हिन्दी प्रचार के लिए अब तक जो व्यवस्था है, उसकी जांच करके समिति की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे ।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि शिक्षा, और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मन्त्रालय मिल कर ऐसी व्यवस्था करें, जिससे भाषा विज्ञान और साहित्य के सम्बन्ध में अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन मिले । दोनों मन्त्रालय ऐसी योजना बनाएंगे, जिससे भारत की सभी भाषाएं एक-दूसरे के समीप आएं और संविधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार हिन्दी का विकास किया जा सके ।

केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों के-लिए कर्मचारियों की भर्ती

समिति की राय में केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों को अपने आंतरिक कामों में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए और जनता से सम्पर्क के लिए वहां की प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए । केन्द्रीय सरकार को अपने स्थानीय कार्यालयों में अंग्रेजी की जगह हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की योजनाएं बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय जनता को विभागीय साहित्य और आवश्यक फार्म जहां तक हो सके, उनकी प्रादेशिक भाषा में ही प्राप्त हों । समिति की राय में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी मंडल की जांच करके उसे प्रादेशिक आधार पर विकेन्द्रित करना चाहिए और भर्ती करने की प्रणाली और योग्यता में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना चाहिए ।

राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि यह सुझाव सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए । परन्तु स्थानीय कार्यालयों के उन कर्मचारियों की भर्ती में जिन्हें साधारण तौर पर उस क्षेत्र से बाहर नहीं भेजा जाएगा, निवास सम्बन्धी कोई योग्यता नहीं रखी जाएगी ।

समिति ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि केन्द्रीय सरकार में नौकरी प्राप्ति के लिए हिन्दी का साधारण ज्ञान अवश्य होना चाहिए । परन्तु इसके लिए काफी समय लेना चाहिए और योग्यता बहुत साधारण होनी चाहिए । कोई कमी रह जाए तो वह नौकरी के समय में भी दूर की जा सकती है ।

राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि अभी यह सिफारिश केन्द्रीय सरकार के उन स्थानीय कार्यालयों में अमल में आनी चाहिए, जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हैं, दूसरी जगह नहीं । ये सिफारिशें भारतीय लेखा परीक्षा और हिसाब कार्यालय में भी अमल में नहीं आएगी ।

शिक्षा संस्थाएं

समिति ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी आदि शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा जारी रहे । परन्तु राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि शिक्षण के कुछ या सभी विषयों के लिए हिन्दी का प्रयोग जारी करने के सम्बन्ध में उचित कदम उठाये जा सकते हैं ।

जहां सम्भव हो, हिन्दी में फौजी शिक्षा देने के लिए प्रतिरक्षा मन्त्रालय शिक्षा पुस्तकें आदि तैयार कराए ।

(ख) समिति ने यह भी कहा था कि ट्रेनिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें बैठने वालों को सब या कुछ पर्चे अंग्रेजी या हिन्दी किसी में भी करने की अनुमति दी जाए । इसके अलावा विशेषज्ञों की एक समिति भी नियुक्त होनी चाहिए जो इस पर विचार करे कि बिना कोटा पद्धति चलाए, क्या प्रादेशिक भाषाओं में भी परीक्षा देने की सुविधा दी जा सकती है ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय प्रवेश परीक्षा के लिए हिन्दी को ऐच्छिक माध्यम बनाने के लिए, और प्रादेशिक भाषाओं को भी माध्यम बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के लिए कार्रवाई कर सकता है ।

अ० भा० और ऊंची केन्द्रीय नौकरियों में नियुक्ति

(क) परीक्षा का माध्यम—समिति की राय है कि (१) माध्यम अंग्रेजी रहे और कुछ समय के बाद हिन्दी को भी दूसरा या ऐच्छिक माध्यम बनाया जाए; और जब तक आवश्यक हो उम्मीदवारों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में से किसी में भी परीक्षा देने की आजादी रहे, और (२) एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए जो इस पर विचार करे कि बिना कोटा पद्धति को चलाये क्या प्रादेशिक भाषाओं को भी माध्यम बनाया जा सकता है ।

कुछ समय के बाद हिन्दी को दूसरा ऐच्छिक माध्यम बनाने के लिए स्वराष्ट्र मन्त्रालय केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सलाह से कार्रवाई कर सकता है । प्रादेशिक भाषाओं को भी ऐच्छिक माध्यम बनाने से गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने की जरूरत नहीं ।

(ख) भाषा के प्रश्न पत्र—समिति की राय है कि समुचित सूचना देकर परीक्षा में एक ही स्तर के दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होने चाहिए । एक हिन्दी का और दूसरा किसी दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा का ।

फिलहाल केवल हिन्दी भाषा का एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र रखा जा सकता है । प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवार जो इस पर्चे में भी पास हो नियुक्ति के बाद हिन्दी की विभागीय परीक्षा में बैठने से बरी कर दिये जाएं ।

अंक

जैसा कि समिति ने कहा है केन्द्रीय मन्त्रालयों के हिन्दी प्रकाशनों में विषय और पाठकों के

अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय अंको के अलावा देवनागरी अंकों के व्यवहार के बारे में एक-सी बुनियादी नीति होनी चाहिए। अस्तु वैज्ञानिक, टेक्निकल और अंक सम्बन्धी प्रकाशनों में, जिनमें केन्द्रीय बजट साहित्य भी शामिल है, सर्वत्र अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही व्यवहार होना चाहिए।

अधिनियमों और विधेयकों की भाषा

(क) समिति ने राय दी है कि संसद के कानून अंग्रेजी में बनाये जाते रहें। परन्तु उनका हिन्दी में अधिकृत अनुवाद भी दिया जाना चाहिए।

विधि मंत्रालय यथासमय संसद में स्वीकृत कानूनों का अधिकृत हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक कानून बना सकता है।

विधि मंत्रालय प्रादेशिक भाषाओं में भी इन कानूनों का अनुवाद कराने का प्रबन्ध कर सकता है।

(ख) समिति ने यह भी राय दी है कि जिन राज्य विधान मंडलों में हिन्दी से किसी भिन्न भाषा में कानून बनाया जाए उसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए। अंग्रेजी अनुवाद के लिए संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड ३ में व्यवस्था है।

यथासमय राज्यों के विधेयकों और कानूनों आदि के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए कानून बनाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा

राज भाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जब भाषा बदलने का समय आए तब सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी हो। समिति ने इस सिफारिश को स्वीकार किया।

उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में आयोग ने हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के पक्षापक्ष पर विचार किया और सिफारिश की कि जब भाषा परिवर्तन का समय आए तब सभी प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसले, डिग्री और आदेश हिन्दी में दिए जाएं। परन्तु समिति की राय है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर उच्च न्यायालयों के संबंध में राज्य की भाषा में भी फैसले, डिग्री आदि देने की व्यवस्था की जा सकती है।

समिति की यह राय कि यथासमय सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी में काम होना चाहिए, सिद्धांत में स्वीकार है और परिवर्तन का समय आने पर इस संबंध में कार्रवाई आवश्यक होगी।

उच्च न्यायालयों के बारे में जैसा कि समिति ने सुझाया है विधि मंत्रालय यथासमय कानून द्वारा इस बात की व्यवस्था करेगा कि राष्ट्रपति की पहले से स्वीकृति लेकर राज्यों के उच्च न्यायालयों को हिन्दी या राज्य भाषा में काम करने की इजाजत दी जाए।

कानून की भाषा बदलने की तैयारी

आयोग ने कानूनी शब्द-कोश तैयार करने, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कानूनों को हिन्दी में भी पास करने, कानूनी शब्दावली का विकास करने और जिस अवधि में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कानून बनाये जाएंगे और अदालती काम होगा उसमें परिवर्तन के लिए और तैयारी करने के संबंध में जो सिफारिशें की हैं उनसे समिति सहमत है। इसके अलावा समिति ने यह राय दी है कि कानूनी शब्दावली बनाने और कानूनों के अनुवाद करने का कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक स्थायी आयोग या ऊंची समिति स्थापित की जाए जिसमें देश की विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं के कानून विशेषज्ञ रहें। समिति की यह भी राय है कि राज्य सरकारों से कहा जाए कि वे केन्द्रीय अधिकारियों से सलाह करके आवश्यक कार्रवाई करें।

तदनुसार कानूनी शब्दावली (जो जहां तक हो सके सभी भारतीय भाषाओं के काम आये) बनाने और हिन्दी में कानूनों का अनुवाद कराने के लिए विधि मंत्रालय कानूनी विशेषज्ञों का स्थायी आयोग नियुक्त करने की कार्रवाई कर सकता है।

हिन्दी का व्यवहार बढ़ाने का कार्यक्रम

समिति की राय है कि संघ की राज भाषा के रूप में हिन्दी का व्यवहार बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार कार्यक्रम बनाए और उस पर अमल करे। फिलहाल केन्द्रीय सरकार के काम में अंग्रेजी के व्यवहार पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाए।

अस्तु स्वराष्ट्र मंत्रालय ऐसा कार्यक्रम या योजना तैयार कर सकता है जिससे केन्द्रीय शासन में हिन्दी का व्यवहार बढ़े और संविधान के अनुच्छेद ३४३ खंड २ के सरकार के कामों में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का भी चलन हो। इसी कार्यक्रम पर यह निर्भर होगा कि अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का व्यवहार कितना बढ़ता है। समय-समय पर इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि हिन्दी में काम करने में कहां तक प्रगति हो रही है और कार्यक्रम में भी उचित हेर-फेर करना होगा।

१९५८ में अपराधों की स्थिति

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय ने १९५८ में अपराधों की स्थिति के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उससे पता लगता है कि १९५८ में डाकेजनी की घटनाओं में १६.२ प्रतिशत कमी हुई। १९५७ में डाकेजनी की ५,५६० घटनाएं हुई थी, जबकि १९५८ में इनकी संख्या ४,६५८ रही।

जालसाजी की घटनाएं भी ११.८ प्रतिशत कम हुई। १९५७ में जालसाजी के ६२९ मामले हुए थे, जबकि आलोच्य वर्ष में ५५५ ही हुए। लूट और नकबजनी की घटनाएं भी ४ प्रतिशत कम हुई।

पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराधों की संख्या लगभग पिछले वर्षों के बराबर ही रही। १९५६ में ५,८५,२१७; १९५७ में ५,८०,३७१ और १९५८ में ५,९०,९८७ ऐसे अपराध हुए।

हत्याओं की संख्या २.३ प्रतिशत, भगाने तथा अपहरण के अपराधों की संख्या ३.८ प्रतिशत, विश्वासघात की घटनाओं की ४.३ प्रतिशत और धोखाधड़ी के मामलों की १ २ प्रतिशत रही।

विभिन्न राज्यों में अपराधों की स्थिति

आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, और मैसूर में ऐसे अपराधों की संख्या, जिनमें सीधे पुलिस के हस्तक्षेप की जरूरत हो, कम रही। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागा पहाड़ियों तथा त्वेनसाग के केन्द्र-शासित क्षेत्रों में भी ऐसे अपराधों की संख्या कम रही। लेकिन इन अपराधों की संख्या केरल में २८.८ प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर में ८.७ प्रतिशत, मध्य प्रदेश में १०.९ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में २० प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में २६ प्रतिशत, त्रिपुरा में ४३.५ प्रतिशत और दिल्ली में ६.४ प्रतिशत बढ़ी।

कलकत्ता और कानपुर इन दो शहरों में भी अपराधों की सख्या बहुत बडी । कलकत्ता शहर में १९५७ मे १०,७२५ अपराध हुए थे, जबकि आलोच्य वर्ष मे १२,२४७ हुए । कानपुर मे १९५७ में अपराधो की सख्या १,४६१ थी, जबकि १९५८ मे १,८२८ रही।

अनिर्णीत मामले

१९५७ के अन्त मे १,४९,३४४ मामले अदालतों के विचाराधीन थे और ५५,६६४ मामले पुलिस की जाच के लिए बाकी थे । आलोच्य वर्ष मे पुलिस मे ५,९०,९८७ मामले रजिस्टर कराये गये । ५,३९,६०३ मामलों मे जाच नही की गई । २,५६,३९२ मामलों मे अभियोग लगाये गये । इनमें से १,३७,०४६ मामलों में सजाए हुई, ७८,६६६ मामलो में अपराधी बरी हो गये और ४०,६८० मामले वापस ले लिये गये ।

पुलिस कर्मचारियों की हत्या

आलोच्य वर्ष में ५६ पुलिस अधिकारी और सिपाही अपना काम करते हुए मारे गये और १,७३९ घायल हुए । अकेले पजाब मे ही १२ पुलिस कर्मचारी मारे गये । मध्य प्रदेश, मद्रास और बिहार, प्रत्येक में ६ कर्मचारी, आसाम और उत्तर प्रदेश मे ४-४ पुलिस कर्मचारी तथा राजस्थान और मैसूर प्रत्येक में ३ पुलिस कर्मचारी मारे गये ।

बाल अपराध

आलोच्य वर्ष मे सात वर्ष से २१ वर्ष तक की उम्र के २९,७७४ बच्चे हत्या, लूट, नकबजनी और चोरी आदि के अपराध मे पकडे गये । इनमें से १,८१३ लडकिया थी । अपराध करने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा सख्या १७ से २१ वर्ष तक के बच्चों की थी ।

विशेष पुलिस दल की १९५९ की रिपोर्ट

विशेष पुलिस दल की १९५९ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल दल के पास जितनी शिकायतें आई, उनमें हर तीन अर्जियों में एक अर्जी बिना नाम की अथवा जाली नाम से आई ।

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५९ में दल के पास निपटाने के लिए ४,५३१ शिकायतें थी । इनमें पिछले साल की ५३६ शिकायतें भी शामिल हैं । ६०० शिकायत बहुत मामूली और अस्पष्ट थी; परन्तु १,१०० शिकायतें फौरन ही सम्बन्धित विभागों को भेज दी गयी ।

बाकी २,८२३ शिकायतों में २५५ शिकायतें झूठी पाई गयी और ७४४ शिकायतें सम्बन्धित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दी गयी । ६१४ को जांच करने के लिए रखा गया । साल के अंत में ५०४ शिकायतें जांच के लिए बाकी थी ।

मुकदमे

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५९ मे २०० सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया । इनमें २२ गजेटेड अधिकारी थे ।

१९५९ मे ४९ गजेटेड अधिकारियों, ५५१ गैर-गजेटेड अधिकारियों और २ अन्य सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाना था । इसमें वे भी शामिल है, जिनके मामले इससे पिछले साल से चले आ रहे थे ।

इनमें से अदालत ने १३ गजेटेड और १९० गैर-गजेटेड अधिकारियों के मुकदमों का फैसला किया, जिनमें १० गजेटेड और १०८ गैर-गजेटेड अधिकारियों को जुर्माने के अलावा १ साल से ३ साल तक की कडी कैद की सजा दी गई ।

३८६ गजेटेड अधिकारियों की जांच

रिपोर्ट मे बताया गया है कि १९५९ में १,९७७ सरकारी कर्मचारियों के मामलो की जाच की गई । इनमें ३८६ गजेटेड अधिकारी थे । लगभग २०० कर्मचारियों के मामले अदालत को और ८२९ के मामले विभागीय कार्रवाई के लिए भेजे गए । १९ मामले अन्य तरीकों से निपटाए गए और १३४ कर्मचारियों के मामले, सबूत न होने के कारण, रद्द कर दिए गये । साल के अंत में कुछ मामलों पर कार्रवाई होनी बाकी थी ।

१९५९ में जो नये मामले आए, उनमें २८ गजेटेड-अधिकारियों के भी शामिल थे । ये २८ और अन्य २०७ गजेटेड अधिकारी इस प्रकार थे : अवर सचिव और उससे ऊपर के पद के सचिवालय अधिकारी–४; अवर सचिव से नीचे के पद के सचिवालय अधिकारी–५; इक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सभी मत्रालयों और विभागों के) और उससे ऊपर के पद के इंजीनियर–३५; इक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सभी मत्रालयों और विभागों के) से नीचे के पद के इंजीनियर–५०; विभागाध्यक्ष और उससे ऊपर के पद के रेलवे अधिकारी–१; विभागाध्यक्ष से नीचे के पद के रेलवे अधिकारी–१०; सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी–२६; निर्माण, आवास और पूर्ति मत्रालय तथा खाद्य और कृषि मत्रालय के निदेशक, उपनिदेशक आदि–४; आयात और निर्यात नियंत्रक–५; आय कर अपीली अदालत के सदस्य–१; आय कर अधिकारी–८; उत्पादन कर और सीमा शुल्क अधिकारी–५; कारपोरेशन और सरकारी सगठनों के बड़े अधिकारी–१३; अन्य श्रेणी–१ के अधिकारी–४० और अन्य श्रेणी-२ के अधिकारी–२८ ।

जाली आयात लाइसेंस

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५९ में, इससे पिछले साल के आयात और निर्यात से सम्बन्धित धोखाधडी और जालसाजी के ७३ मामले जांच के लिए बाकी थे । १९५९ में ८६ और नये मामले आए। इनमें से ३९ मामले अदालत को और ३१ विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिए गए । १० मामले सबूत न होने से रद्द कर दिए गए। कुछ की कानूनी जाच हो रही थी और कुछ जाच के लिए बाकी थे ।

इन मामलों में, ५८ कम्पनियो ने गलत जानकारी या जाली कागजात देकर ५० लाख रु० के १३९ लाइसेंस प्राप्त किए थे । इनके अलावा २५ कम्पनियों ने १३४ लाख रु० के ६२ लाइसेंसों का गलत उपयोग किया।

१९५९ में १२९ कम्पनियो का नाम मान्य कम्पनियों की सूची से काट दिया गया ।

सजा

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५९ में जितने मामलो में सजाए दी गई, उतनी इससे पिछले ७ वर्षों में किसी भी साल नही दी गई ।

इसी प्रकार, इस साल अधिक कर्मचारियों को विभागीय दण्ड दिया गया । १९५९ में ३६३ में से ३२५ को विभागीय दण्ड दिया गया ।

विशेष जज

स्वराष्ट्र मंत्रालय के कहने पर कुछ राज्यों ने विशेष पुलिस दल के मुकदमो की सुनवाई

के लिए विशेष जज और विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

१९५९ में छापा मारकर ४४ मामले पकड़े गए, जिनमें ४८ सरकारी कर्मचारी शामिल थे। इनमें एक बम्बई के लाइट हाउस विभाग का रेजिडेंट इंजीनियर था, जो एक ठेकेदार से १,००० रु० लेता हुआ पकड़ा गया।

कलकत्ता में तस्कर सोना

वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने १६ मार्च को लोकसभा में बताया कि १५ फरवरी, १९६० को कलकत्ता में एक बैंक मैनेजर के पास से लगभग ७८,६०० रु० का ११४ तोला सोना और सोने के जेवर जब्त किये गये थे। इस सिलसिले में दो नेपाली पकड़े गए थे, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। इस मामले की तहकीकात हो रही है। श्री देसाई ने यह बात एक प्रश्न के उत्तर में कही। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार को यह विश्वास हो कि नेपाल से भारत में सोने की तस्करी बढ़ रही है।

विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन

केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय में परिपालन निदेशालय ने फरवरी और मार्च, १९६० में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के उल्लंघन के २४ मामलों का निर्णय किया। विभिन्न अभियुक्तों पर, जिनमें फर्मों के प्रोप्राइटर और साझीदार भी शामिल हैं, कुल १५,००५ रु० का जुर्माना किया गया।

जाली पासपोर्ट के लिए मुकदमा

विशेष पुलिस ने ५० व्यक्तियों के ऊपर जाली पासपोर्ट रखने के लिए मुकदमा चलाया। विशेष पुलिस ने इन मामलों की जांच के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त किये हैं। इन कर्मचारियों ने जालंधर, बम्बई, कोचीन और मद्रास आदि विभिन्न स्थानों का दौरा किया।

राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह

२६ अप्रैल को राष्ट्रपति-भवन में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने पिछले गणतंत्र दिवस पर घोषित सम्मानों का वितरण किया। उन्होंने २० व्यक्तियों को सम्मान-पदक दिए। इनमें एक पद्म विभूषण, चार पद्म भूषण और पन्द्रह पद्म श्री पाने वाले थे।

ग्यारह सम्मानित व्यक्ति समारोह में नहीं शामिल हो सके।

मौन संस्कृत विद्वानों और एक फारसी के विद्वान को भी मानपत्र मिला। उनको भी पिछले स्वतन्त्रता दिवस पर मानपत्र देने की घोषणा की गई थी।

सम्मानितों में ४ महिलाएं भी हैं। बाकी शिक्षा, विज्ञान, संगीत, खेल-कूद, सरकारी सेवा, साहित्य और कला के क्षेत्र में ख्याति पाने वाले व्यक्ति हैं।

सन् १९५४ में सम्मान देने की यह परम्परा शुरू की गई थी। तब से अब तक २३८ व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। इनमें भारत रत्न ८, पद्म विभूषण १८; पद्म भूषण १०१ और पद्म श्री १११ हैं।

जनगणना में काम के आंकड़े

अगले साल जो जनगणना होगी, उसमें लोगों के काम, नौकरी आदि के अनुसार आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। इस बार पहले की जनगणनाओं की तरह लोगों की आय या आर्थिक स्थिति के आधार पर आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाएंगे।

काम करने वाले व्यक्तियों में उन सबको शामिल किया जाएगा, जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे वे परिवार में बिना तनख्वाह के काम करते हों और चाहे वे काम करने वाले बच्चे हों।

जो लोग कुछ काम नहीं करते, उन्हें छात्रों, गृहिणियों, शिशुओं, अवकाशप्राप्त, किराये की आमदनी खानेवालों, भिखारियों, आवारों, कैदियों, मानसिक रोगियों और आश्रमों में रहने वालों की श्रेणियों में रखा जाएगा। जो लोग पहली बार नौकरी की तलाश में हैं या जो पहले नौकरी कर चुके हैं और अब नौकरी की तलाश में हैं, उनकी भी अलग-अलग श्रेणियां बनाई जाएंगी। घरेलू काम करने वालों के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे।

सन् १९६१ की जनगणना का काम १० फरवरी की सुबह से शुरू होगा और १ मार्च तक चलेगा। ३ मार्च को शाम तक यह काम दोहराया जाएगा और इस समय तक जो मौतें या नये जन्म होंगे, उनका भी हवाला ले लिया जाएगा।

अनिर्णीत चुनाव याचिकाएं

लोकसभा में ३० मार्च को विधि उपमन्त्री, श्री रामचन्द मार्तण्ड हाजरनवीस ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १५ मार्च, १९६० को निर्वाचन न्यायाधिकरण के पास पिछले आम चुनावों की ७ ऐसी चुनाव याचिकाएं पड़ी थीं, जिनका निर्णय होना बाकी था। ये सभी याचिकाएं विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के खिलाफ हैं। इनमें से ५ उत्तर प्रदेश की हैं। तथा एक-एक पंजाब और बिहार की। श्री हाजरनवीस ने बताया कि लोकसभा तथा विधानसभा की ४ चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी हैं। विधानसभा सम्बन्धी चुनाव याचिकाओं की अपील के १० मामले सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं।

अशोक होटल के हिस्से

राज्यसभा में १८ अप्रैल को निर्माण, आवास और पूर्ति उपमंत्री, श्री अनिल कुमार चन्दा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कुछ व्यक्तियों ने नयी दिल्ली के अशोक होटल लिमिटेड के जो [illegible] रु० के मूल्य के शेयर लिये थे, [illegible] सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री चन्दा ने बताया कि [illegible] में अशोक होटल के हिसाब-किताब की जांच नहीं की गई है। हिसाब-किताब की जांच के बाद ही यह बताया जा सकता है कि होटल को कितना लाभ हुआ। [illegible] कि ऋण का [illegible] खर्च काटकर [illegible] साढ़े आठ लाख रु० का [illegible]

बताई गई है। इन पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक होने पर इसमें भी कुछ हेर-फेर किया जा सकता है।

स्टेपल रेशों से बने कपड़ों के ऊपर लगने वाले शुल्क की एकमुश्त दरा (कम्पाउंडेड) में भी कुछ कमी की गई है, जो करघों और पालियों की संख्या पर निर्भर होगी। छोटे कारखानों के ऊपर लगने वाले शुल्क में करीब ३३ प्रतिशत कमी हो जाएगी।

कटपीस में वे कपड़े माने जाएंगे जिनकी लम्बाई २३ गज होगी बजाय २ गज के। साइकिल के फ्री-व्हीलों और रिमों के छोटे निर्माताओं पर जो महीने में १,५०० फ्री-व्हील और १,००० रिम से अधिक नहीं बनाते उत्पादन शुल्क की दर आधी हो जाएगी। अन्तरदाही इंजनों और बिजली की मोटरों के छोटे निर्माताओं को भी इस प्रकार से रियायत दी जाएगी—किसी एक कलेण्डर महीने में पहले १०० अश्व शक्ति पर २० प्रतिशत और दूसरे १०० अश्व शक्ति पर १० प्रतिशत; बशर्ते कि इस महीने से पहले १२ महीनों में उसने ३०० अश्व शक्ति से अधिक की निकासी न की हो।

पुराने अलुमुनियम से और ऐसी धातु की कतरनों से, जिन पर पहले शुल्क अदा किया जा चुका है, बनने वाली अलुमुनियम पर भी कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा। पर इनसे चद्दरें और चक्र बनाने पर २०० और मीट्रिक टन के हिसाब से शुल्क लगेगा। मध्यम दर्जे के दफ्ती (पेपर बोर्ड) के कारखानों को रियायत देने के लिए अब रियायत और कम दर की सीमा ३,००० टन की बजाय ५ हजार टन की जा रही है।

इन सब रियायतों के फलस्वरूप मूल उत्पादन करों की आय ४९ लाख रु० और अतिरिक्त उत्पादन करों की आय १४ लाख ० प्रतिवर्ष कम हो जाएगी। इन रियायतों को तुरत लागू करने के लिए २० अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रत्यक्ष करों में रियायत

सहकारी समितियों की खेती और घरेलू उद्योगों के अलावा अन्य कारोबार से होने वाली १० हजार से अधिक आय पर कर लगाया गया था। अब इसमें यह संशोधन किया जा रहा है कि १५ हजार से अधिक आय पर ही कर लगाया जाएगा। इसके अलावा सहकारी समितियों को महाजनी या लेनदेन में और अपने सदस्यों को उधार देने में, चाहे वे शहरों में हों या देहातों में, जो आय होगी उस पर भी कर नहीं लगेगा। इससे प्रारंभिक सहकारी समितियों को ऋण देने वाले सहकारी बैंकों को सुविधा होगी। इसी प्रकार शहरों में कर्मचारियों की ऋण सहकारी समितियों की कारोबारी आय पर भी कर नहीं लगेगा। इसी तरह प्रारंभिक दूध सहकारी समिति अपने सदस्यों से दूध लेकर जो बड़ी सहकारी समितियों को देगी उसके लाभ पर भी कर नहीं लगेगा। इसी तरह खेती की जिन्सों को तैयार करके बेचने से सहकारी समितियों को जो लाभ होगा उस पर भी कर नहीं लगेगा। इस रियायत से उन सहकारी समितियों को लाभ होगा जो अपने सदस्यों से गन्ना लेकर गुड़ बनाते हैं, बशर्ते कि वे गुड़ बनाने में बिजली का इस्तेमाल न करें। बिजली की कैद इसलिए रखी गई है कि चीनी के कारखाने इससे लाभ न उठा लें।

आय कर कानून की धारा १५-सी के अन्तर्गत नये उद्योगों से कुछ दिनों तक कर नहीं लिया जाता। सहकारी समितियां यदि कोई उद्योग शुरू करेंगी तो उन पर ७ वर्ष तक कर नहीं लगेगा। माननीय सदस्यों को इससे विश्वास हो जाएगा कि सरकार सहकारी आन्दोलन को कितना प्रोत्साहन देना चाहती है।

उपभोक्ता सहकारी समितियों ने आशंका प्रकट की है कि उनके कुल लाभ पर कर लगेगा, पर यह बात नहीं है। ये सहकारी समितियां अपने सदस्यों को रियायती दर पर बेचने के लिए जिन चीजों की रियायती भाव पर थोक खरीद करेंगी उस रियायत को उनके शुद्ध लाभ में नहीं शामिल किया जाएगा। कम्पनियों के तरजीही हिस्सेदारों को भी कम्पनी कर के परिवर्तित ढांचे से कुछ शिकायत है। उनका कहना है कि कम्पनियों के वास्तविक कर में जो कमी की गयी है उससे साधारण हिस्सेदारों का लाभांश तो साधारण तरीके से बढ़ाया जा सकता है पर कई कम्पनियों ने तरजीही हिस्सेदारों का लाभांश नहीं बढ़ाया है। इसी सिलसिले में तरजीही कर से मुक्त शेयरों की परिभाषा के बारे में भी विवाद उठा है। हिस्सेदारों को कम्पनी से क्या मिलना चाहिए, यह उनके बीच के करार पर निर्भर है और सरकार इस पर कोई फैसला नहीं दे सकती। परन्तु सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि जब कम्पनियों के वास्तविक (इफेक्टिव) करों की दर घटाई गई थी तो यह आशा की गई थी कि इसका लाभ सब हिस्सेदारों को मिलेगा, चाहे वे साधारण हों या तरजीही। साधारण हिस्सेदारों को इसका लाभ देने में किसी विशेष कार्रवाई की जरूरत नहीं है। पर तरजीही हिस्सेदारों को यह लाभ देने के लिए कम्पनियों को विशेष कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार को आशा है कि ऐसा किया जाएगा। कुछ महीनों तक यह देखा जाएगा कि ऐसा किया जाता है या नहीं और यदि नहीं किया जाएगा तो सरकार तरजीही हिस्सेदारों को अधिक लाभांश दिलाने के लिए कानून भी बना सकती है। परन्तु लाभांश में यह वृद्धि उन्हीं तरजीही शेयरों पर मिलेगी जो १-४-१९६० के पहले जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद जो तरजीही हिस्से जारी किये जाएंगे उनके लेने वालों को कर की नई दर का पता है और वे शेयर लेते समय यह स्पष्ट करा लेंगे कि उनको कितना लाभांश मिलेगा।

संयुक्त अरब गणराज्य से चावल : बिक्री की रकम के बारे में करार

देश में मिस्र के १ लाख टन चावल की बिक्री से मिस्र को जो ४ करोड़ रु० के लगभग रकम मिलेगी, उसके उपयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा काहिरा की मिस्र फारेन ट्रेड कम्पनी के बीच करार हो गया है।

करार के अन्तर्गत मिस्र कम्पनी भारत से लगभग १-१ करोड़ रु० की चाय और पटसन का सामान खरीदेगी। एक करोड़ रु० का वह सामान खरीदा जाएगा, जिसकी सूची भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के १ अगस्त, १९५९ के व्यापार और भुगतान करारनामे में दी गई है। इसके अलावा १ करोड़ रु० का सरकारी आवश्यकता का सामान खरीदा जाएगा।

सरकारी सामान की खरीद के बारे में समझौते में कहा गया है कि यदि यह सामान

छः महीने के अन्दर-अन्दर न खरीदा गया तो इन राशि में भी चावल और पटसन का सामान खरीद लिया जाएगा। यह खरीद एक साल के अन्दर कर ली जाएगी।

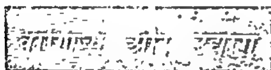
भारत को चावल की सप्लाई अप्रैल १९६० में शुरू होगी और जुलाई १९६० तक पूरा चावल सप्लाई कर दिया जाएगा।

डाकखाने के सेविंग्स बैंक भुगतान-घरों में शामिल

डाकखाना के सेविंग्स बैंक में अनुसूचित बैंकों की तरह चेकों से लेन-देन का चलाने के लिए सेविंग्स बैंक को भुगतान-घरों का उप-सदस्य (सब-मेम्बर) बनाने का निश्चय किया गया है। जहां पर भुगतान-घरों की सुविधा है, वहां अब डाकघर के सेविंग्स बैंक के चेकों को अनुसूचित बैंक स्वीकार करेंगे। यह सुविधा बड़े और छोटे डाकघरों (सब-पोस्ट आफिस) में मिलेगी।

यद्यपि देश के महत्वपूर्ण डाकघरों में चेक-पद्धति लागू की गई है, फिर भी लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भुगतान-घरों की सुविधा न होने से व्यापारी सेविंग्स बैंक के चेकों को नहीं लेते। अनुसूचित बैंकों को इन चेकों के भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और खर्च भी अधिक पड़ता है। बैंक, निगम और अन्य संस्थाओं को सेविंग्स बैंक के चेकों के भुगतान के लिए अपना अलग प्रबन्ध करना पड़ता है। इन कठिनाइयों के कारण बहुत-सी संस्थाएं सेविंग्स बैंक के चेकों को नहीं लेती। यह कठिनाई दूर हो जाएगी।

जहां पर भुगतान-घर नहीं है, वहां के सेविंग्स बैंक के चेकों के भुगतान के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया है। ऐसी जगहों में ये चेक डाकखाने, रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक में भुनाए जा सकते हैं।



सरकारी व्यापार शिष्टमण्डल की रिपोर्ट

"पश्चिम यूरोप के देशों में अब यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि उनमें और भारत में आपसी आयात और निर्यात काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर भारत उन देशों को अपना निर्यात नहीं बढ़ा सकता तो वहां से भारत को होने वाले आयात को काफी धक्का लग सकता है।" यह विचार भारत सरकार के व्यापार शिष्टमंडल ने व्यक्त किया है, जो सितम्बर-अक्तूबर, १९५९ में इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और पश्चिमी जर्मनी की यात्रा पर गया था।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री के० बी० लाल इस शिष्टमंडल के नेता और श्री मदन मोहन रुइया, जो उस समय भारतीय वाणिज्य और उद्योग संस्थाओं के संघ के अध्यक्ष थे, इसके वैकल्पिक नेता होकर गए थे। इस शिष्टमंडल में कुछ सरकारी अधिकारी और कुछ प्रमुख व्यापारी भी थे। २५ अप्रैल को लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने इस शिष्टमंडल की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी।

इधर पिछले कुछ वर्षों में इंगलैंड को छोड़कर अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों से भारत को कच्चे सामान, पूंजीगत माल और अन्य मशीनों आदि का आयात काफी बढ़ा है। किन्तु इन देशों को भारत से होने वाले निर्यात में कोई खास घट-बढ़ नहीं हुई है। १९५७ में भारत को इन देशों के आयात-निर्यात से २०८ करोड़ ८७ लाख रु० का और १९५८ में १४२ करोड़ ९७ लाख रु० का घाटा हुआ। यह घाटा भारत के विदेशी व्यापार में कुल घाटे का ४८ प्रतिशत है।

इस शिष्टमंडल ने अपनी ३४ दिन की यात्रा में सरकारी प्रतिनिधियों और संस्थाओं से, यूरोपीय आर्थिक आयोग और प्रमुख व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा बैंक-मालिकों से बातचीत की। इस बातचीत के फलस्वरूप इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सरकारों से मंडल ने व्यापार समझौते किए। बेल्जियम सरकार ने यह इच्छा प्रकट की कि वहां भारतीय सामान का निर्यात बढ़े।

इन समझौतों और शिष्टमंडल की यात्रा का यही मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय माल के निर्यात को प्रोत्साहन मिले। शिष्टमंडल ने विभिन्न व्यापारियों और उद्योगपतियों से अपनी बातचीत में यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि पश्चिम यूरोपीय देशों में भारतीय माल की कितनी खपत और मांग है तथा वहां भविष्य में भारतीय सामान का किस प्रकार निर्यात बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय कच्चा माल

रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम यूरोप में बहुत से कच्चे माल की खपत है और यह सामान भारत से निर्यात हो सकता है। अभी तक इन देशों के व्यापारी इसी बात का प्रयत्न करते रहे हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा माल भारतीय बाजारों में जाए, किन्तु उन्होंने यह जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि उन्हें भारत से अच्छा कच्चा सामान भी मिल सकता है। अब पश्चिम यूरोप के देशों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, अतः वहां भारतीय माल की काफी खपत हो सकती है। किन्तु इस सम्बन्ध में ठोस प्रगति तभी हो सकती है जबकि उन देशों के और भारत के व्यापारियों में आपसी व्यापारिक सम्बन्ध और दृढ़ हों।

भारतीय व्यापार को खतरा

रिपोर्ट का कहना है कि पश्चिम यूरोप में भारतीय सामान की काफी मांग है किन्तु साथ ही उसे अन्य देशों के सामान से होड़ भी करनी पड़ती है। हालांकि इन देशों में खपत बढ़ने के बहुत अच्छे आसार हैं, किन्तु इस बात का भी खतरा है कि इन देशों की सरकारें अपनी व्यापार नीति कठोर न बना लें। हो सकता है कि ये देश अपने देशी सामान की खपत पर ही जोर देने लगें। अगर ऐसा हुआ तो इन देशों के साथ भारतीय व्यापार बढ़ाना कठिन हो जाएगा और अब तक के व्यापार को भी धक्का लगेगा।

किन्तु शिष्टमंडल का विचार है कि इन देशों के कुछ विशेषज्ञ यह समझते हैं कि प्रगति के लिए उदार नीति बनाना बहुत

है। रिपो... यह आशा प्रकट की गई है कि
... यूरोप में औद्योगीकरण तेजी
चूंकि ... अतः उन देशों का कच्चा सामान
में ... कर मंगाना पड़ेगा। कुछ समय बाद
... की सरकारें यह महसूस करने लगेंगी
... का निर्यात व्यापार तभी बढ़ सकता
... वे अपने यहां आयात को भी अच्छी
... ए देंगी।

ठोस कार्रवाई की जाए

रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम यूरोप देशों को भारत का निर्यात व्यापार बढ़ाने ... लिए कई क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई करनी ... गी। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत सरकार और भारतीय उद्योगपति, दोनों ही पश्चिमी यूरोप से आर्थिक सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। वहां के देशों में भी यह विचार है कि अगर भारत में उनका निर्यात बढ़े तो उनके यहां भारतीय सामान का आयात भी बढ़ सकता है। अतः रिपोर्ट में यह आशा व्यक्त की गई है कि भारतीय सरकार अपनी व्यापार नीति और उदार बनाएगी। ऐसा होने से भारतीय निर्यातक पश्चिम यूरोप को सीधे ही न केवल कच्चे माल का बल्कि तैयार माल का भी निर्यात आसानी से बढ़ा सकेंगे।

विदेशों की मांग का सवाल

रिपोर्ट में भारतीय निर्यातकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे पश्चिम यूरोपीय देशों की जरूरतों का खयाल रखें। भारतीय व्यापारियों को चाहिए कि वे यूरोपीय देशों के व्यापारियों की सलाह से केवल ऐसे सामान का निर्यात करें जिसकी उन्हें जरूरत हो। अगर पश्चिम यूरोप के उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार माल बने और उपयुक्त दामों पर उन्हें दिया जाए तो भारत के निर्यात व्यापार को काफी बढ़ावा मिल सकता है। इस सम्बन्ध में, शिष्टमंडल के विचार से यह परम आवश्यक है कि भारतीय माल की किस्म पर नियंत्रण रखा जाए, सामान का पैकिंग अच्छा हो और व्यापारिक झगड़ों का संतोषजनक निपटारा करने की व्यवस्था हो।

१९५८ में सामान्य बीमा कारोबार

भारत सरकार के बीमा नियंत्रक ने हाल ही में 'भारतीय बीमा वर्ष-ग्रंथ, १९५९' प्रकाशित किया है, जिससे पता चलता है कि १९५८ में भारतीय बीमा कम्पनियों का सामान्य (जनरल) बीमे का कारोबार पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है। १९५८ में भारतीय बीमा कम्पनियों को प्रीमियम से १२ करोड़ ९६ लाख रु० की आय हुई, जबकि १९५७ में १० करोड़ ९६ लाख रु० की हुई थी। १९५८ में आग बीमों से ४ करोड़ ३६ लाख रु०, जहाजी बीमों से २ करोड़ ५९ लाख रु० और फुटकर बीमे से ६ करोड़ १ लाख ० की आय हुई। भारत में विदेशी बीमा कम्पनियों को भी १९५७ की अपेक्षा १९५८ में आग बीमे और फुटकर बीमे के प्रीमियम से ज्यादा आय हुई। जहाज बीमे से इस साल विदेशी कम्पनियों को कम आय हुई। १९५८ में इन कम्पनियों को प्रीमियम से कुल ७ करोड़ १९ लाख रु० की आय हुई।

भारतीय कम्पनियों को विदेशों में भी १९५८ में पिछले साल से आग बीमे के अलावा अन्य सामान्य बीमे से ज्यादा प्रीमियम मिला। इस साल भारतीय कम्पनियों को विदेशों में कुल १२ करोड़ २ लाख की किश्तें मिलीं; जिनमें से ६ करोड़ ६५ लाख रु० आग बीमे से, २ करोड़ ३६ लाख रु० जहाज बीमे से और ३ करोड़ १ लाख रु० फुटकर बीमे से मिले।'

सन् १९५७ में भारत में सामान्य बीमे के कारोबार के सूचक अंक में ०.५ की वृद्धि हुई थी, जबकि १९५८ में ६.१ की वृद्धि हुई।

बीमा कम्पनियों की संख्या

३१ दिसम्बर, १९५९ को बीमा अधिनियम, १९३८ के अंतर्गत एक या एक से ज्यादा किस्म का साधारण बीमा करने वाली १७७ कम्पनियां दर्ज थीं। इनमें से ९० कम्पनियां भारतीय और ८७ विदेशी थीं। इनमें से ५० भारतीय और ३८ विदेशी कम्पनियां दोनों किस्म का सामान्य बीमा कर रही थीं, ११ भारतीय और १८ विदेशी कम्पनियां २ किस्म का, तथा २९ भारतीय और ३१ विदेशी कम्पनियां सिर्फ एक प्रकार का सामान्य बीमा करने वाली थीं। इनमें भारत के जीवन बीमा निगम का नाम शामिल नहीं है, जो जीवन बीमा और फुटकर बीमा करने के लिए दर्ज है।

भारतीय कम्पनियों में से ४७ कम्पनियां बम्बई राज्य में दर्ज थीं और बीमे की किश्तों से होने वाली कुल आय की ६२ प्रतिशत आय इन कम्पनियों को हुई। भारत में अभारतीय कम्पनियों को जो आय हुई, उसकी ७१ प्रतिशत आय ब्रिटेन की कम्पनियों को हुई जिनकी संख्या यहां ६४ थी।

भारतीय बीमा कम्पनियों को आग बीमे से ७ करोड़ ९४ लाख रु०, जहाज बीमे से ४ करोड़ ३७ लाख रु० और फुटकर बीमे से ७ करोड़ ७२ लाख रु० की, अर्थात् कुल २० करोड़ ३ लाख रु० की प्रीमियम के रूप में आय हुई। अभारतीय कम्पनियों का कुल ९ करोड़ ६३ लाख रु० का कुल प्रीमियम बैठा, जिसमें से आग बीमे का ४ करोड़ ६८ लाख रु०, जहाज बीमे का २ करोड़ ३२ लाख रु० और फुटकर बीमे का २ करोड़ ६३ लाख रु० हुआ। भारत के बाहर भारतीय कम्पनियों को आग बीमे से २ करोड़ १९ लाख रु० की, जहाज बीमे से १ करोड़ ७२ लाख रु० की और फुटकर बीमे से २ करोड़ ७४ लाख रु० की, अर्थात् कुल ६ करोड़ ६५ लाख रु० की प्रीमियम के रूप में आय हुई।

भारत में और विदेशों में भारतीय कम्पनियों का १९५८ में पिछले साल की अपेक्षा आग और फुटकर बीमे का प्रीमियम बढ़ा, जबकि जहाज बीमे का प्रीमियम कम हुआ। विदेशी कम्पनियों को भारत में फुटकर बीमे की किश्तों से १९५८ में १९५७ से ज्यादा आय हुई, जबकि आग और जहाज बीमे से कम की आय हुई।

सम्पदा

भारतीय बीमा कम्पनियों की ३१ दिसम्बर, १९५८ को ५१ करोड़ ७९ लाख रु० की सम्पदा थी, जबकि १९५७ के अंत में ४९ करोड़ ८ लाख और १९५६ में ४३ करोड़ की थी। ३१ दिसम्बर, १९५८ में कुल सम्पदा का १५.१ प्रतिशत सरकारी सिक्यूरिटियों और ३.९ प्रतिशत विदेशी सरकार की सिक्यूरिटियों, २७.५ प्रतिशत भारतीय कम्पनियों के शेयरों और ऋण-पत्रों, १.७ प्रतिशत जमीन और इमारत आदि, २१.६ प्रतिशत जमा, नकदी और स्टाम्पों पर, १८ प्रतिशत

ऋण और ५.८ प्रतिशत फुटकर मदों में लगा था। बाकी लेनदारी का ०.४ प्रतिशत ब्याज में और २२.२ प्रतिशत एजेंटों में पावना था।

इसी अवधि में अभारतीय बीमा कम्पनियों की भारत में ११ करोड़ २१ लाख रु० की सम्पदा थी। इस सम्पदा का २३.५ प्रतिशत सरकारी और सरकारी अधिकारियों की सिक्यूरिटियों, २४.४ प्रतिशत कम्पनियों के शेयरों और ऋण-पत्रों, २.७ प्रतिशत जमीन और मकान आदि, २९.३ प्रतिशत जमा, नकदी और स्टाम्पों में, ७.२ प्रतिशत ऋण और ९.१ प्रतिशत फुटकर मदों में लगा था। बाकी लेनदारी का ०.३ प्रतिशत ब्याज में और ८.५ प्रतिशत एजेंटों में पावना था।

बीमे के खर्च का ब्योरा

आग बीमा व्यवसाय में भारतीय बीमा कम्पनियों ने अपनी किस्तों की वास्तविक आय का ३३ प्रतिशत कर और फुटकर मदों पर, १४ प्रतिशत कमीशन पर और ३६ प्रतिशत दावों पर व्यय किया। इसके बाद उनके पास वास्तविक आय का १७ प्रतिशत बच रहा। इसी प्रकार अभारतीय कम्पनियों ने वास्तविक आय का ३४ प्रतिशत कर और फुटकर मदों पर, १४ प्रतिशत कमीशन पर और २३ प्रतिशत दावों पर खर्च किया और २८ प्रतिशत रकम बची रही।

जहाजी बीमा व्यापार में भारतीय बीमा कम्पनियों ने अपनी कुल आय का १९ प्रतिशत कर और फुटकर मदों पर, ७ प्रतिशत कमीशन पर और ५७ प्रतिशत दावों पर खर्च किया और १७ प्रतिशत रकम बचा रही। अभारतीय कम्पनियों ने इन मदों पर अपनी कुल आय का क्रमशः २७ प्रतिशत, ९ प्रतिशत और ४९ प्रतिशत खर्च किया। इसके बाद उनके पास १५ प्रतिशत रकम बचा रही।

फुटकर बीमा व्यवसाय का ब्योरा देते हुए बताया गया है कि किस्तों की वास्तविक आय में कर और फुटकर मदों पर २६ प्रतिशत, कमीशन पर १२ प्रतिशत और दावों पर ५२ प्रतिशत व्यय किया गया। इसके बाद उनके पास कुल आय का १० प्रतिशत बच रहा। अभारतीय कम्पनियों के ये आंकड़े इस प्रकार हैं: ३३ प्रतिशत, १३ प्रतिशत, ४१ प्रतिशत। १३ प्रतिशत बाकी बच रहा।

प्रबन्ध पर खर्च

बीमा नियंत्रक ने रिपोर्ट में बताया है कि १९५८ में १९५७ के मुकाबले अधिक भारतीय कम्पनियों ने अधिनियम की ४०वीं धारा का उल्लंघन किया। पर १९५८ में १९५७ के मुकाबले कम विदेशी कम्पनियों ने इस धारा का उल्लंघन किया। १९५७ में इस धारा का उल्लंघन करने वाली तीन-चौथाई कम्पनियों को अधिनियम की ६४ एम (२) धारा के अनुसार चेतावनी दी गई। १९५८ में १३४ भारतीय और विदेशी कम्पनियां काम कर रही थीं। इनमें से २७ ने १९५३ से ५८ तक उस धारा का ४ या इससे अधिक बार उल्लंघन किया। इनमें से २२ कम्पनियों को १९५३ से १९५७ तक एक या अधिक बार चेतावनी दी गई।

बीमा नियंत्रक ने बताया है कि जिन कम्पनियों ने १९३९ के बीमा नियमों के १७ डी नियम में निर्धारित खर्च से कम खर्च किया है, उनकी आय घटी है। बीमा कम्पनियों के १९५६ से १९५८ तक के हिसाब को देखकर बीमा नियंत्रक ने बताया कि प्रबन्ध के वास्तविक और निर्धारित खर्च का अंतर बहुत कम हुआ है। १९५८ में तो वास्तविक खर्च निर्धारित खर्च से अधिक हुआ है।

प्रशासक द्वारा प्रबन्ध

भारत इंश्योरेन्स कम्पनी लि० और जुपिटर जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि० का प्रबन्ध प्रशासक के हाथ में है। ३१ दिसम्बर, १९५८ को भारत इंश्योरेन्स कम्पनी लि० की जीवन बीमा निधि ८ करोड़ ७३ लाख रु० और जुपिटर जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि० की २ करोड़ ८५ लाख रु० थी। इन कम्पनियों का कुल बीमा क्रमशः २० करोड़ ३६ लाख रु० और ८ करोड़ ९३ लाख रु० रहा।

झगड़ों का निबटारा

१९३८ के बीमा अधिनियम की ४७वीं धारा के अंतर्गत बीमा नियंत्रक के पास केवल एक झगड़ा निबटारे के लिए आया। १९५९ में जीवन बीमा निगम ने २ दावों का भुगतान किया। वर्ष के अंत में २ अर्जियों पर विचार हो रहा था।

आय-व्यय

भारतीय बीमा कम्पनियों को कुल २५ करोड़ ५६ लाख रु० की आय हुई। इसमें से भारत में बीमे की किस्तों से १२ करोड़ ९६ लाख रु० की; विदेशों में बीमे की किस्तों से १२ करोड़ २ लाख रु० की; सूद, किराये आदि से ३७ लाख रु० की और अन्य साधनों से २१ लाख रु० की आय हुई। इस अवधि में कुल २२ करोड़ ९० लाख रु० खर्च हुए। इनमें से १२ करोड़ ५६ लाख रु० दावों के रूप में, ३ करोड़ ३३ लाख रु० कमीशन पर, ६ करोड़ ७७ लाख रु० विभिन्न खर्चों पर और २४ लाख रु० फुटकर कामों पर खर्च हुए। बाकी के २ करोड़ ६६ लाख रु० में से १ करोड़ ५७ लाख रु० आरक्षित कोष में और १ करोड़ ९ लाख रु० हानि और लाभ के खाते में जमा कर दिया गया। १ करोड़ ९० लाख रु० की इस लाभ वाली रकम में से पिछले साल की २० लाख रु० की हानि निकाल कर जो रकम बची, वह और ब्याज आदि की आय की ९४ लाख रु० और फुटकर आय की २४ लाख रु० की कुल रकम, अर्थात् २ करोड़ ७ लाख रु० हानि और लाभ के खाते में और हानि-लाभ विनियोग खाते में इस प्रकार जमा कर दी गयी —

प्रबन्ध खर्च— १४ लाख रु०
कर देने पर खर्च— ७६ लाख रु०
किसी विशेष कोष या खाते
में हस्तान्तरित— ३३ लाख रु०
१९५८ का लाभांश— ४० लाख रु०
फुटकर— २० लाख रु०
शेष जो अगले साल के लिए
रख दिया गया— २४ लाख रु०

१ जनवरी, १९५९ को आधार इंश्योरेन्स कम्पनी लि० का व्यापार हिन्दुस्तान आइडियल इंश्योरेन्स कम्पनी लि० को सौंप दिया गया। १९५९ में अदालतों ने पोरबन्दर की धर्मसी मोरारजी मेरीन इंश्योरेन्स कम्पनी लि०, बड़ौदा की रिलायन्स इंश्योरेन्स सोसायटी लि० और बम्बई की विश्वभारती इंश्योरेन्स कम्पनी लि० को धंधा बन्द करने का आदेश दिया।

बीमा एजेंट

१९५९ में ६७ हजार १६१ बीमा एजेंटों को लाइसेंस दिए गए।

भारतीय बीमा संघ

साधारण बीमा करने वाली कम्पनियों के लिए भारतीय बीमा संघ ने काम के जो नियम बनाए हैं, उनका परिपालन संघ का शासन विभाग करता रहा। बीमा नियंत्रक इस विभाग के प्रधान हैं। इसका मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में और शाखाएं बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं।

नियम का उल्लंघन

नियमों का उल्लंघन करने वालों की वार्षिक पुस्तिका में प्रकाशित सूची से पता चलता है कि १९५३ से १९५८ तक २१ कम्पनियों ने चार या अधिक बार, ११ कम्पनियों ने तीन बार और १६ कम्पनियों ने दो बार अपने हिसाब का ब्यौरा समय से जांच के लिए नहीं भेजा।

१९५८ में २५ कम्पनियों ने अपने हिसाब का ब्यौरा समय से जांच के लिए नहीं भेजा, जबकि १९५७ में ४७ कम्पनियों ने समय से हिसाब नहीं भेजा था। बीमा नियंत्रक ने कहा कि समय से हिसाब का ब्यौरा न भेजने वाली कम्पनियों की संख्या में बहुत कमी हुई है, फिर भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। बीमा नियंत्रक ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि बहुत-सी बीमा कम्पनियां हिसाब का ब्यौरा भेजने के बहुत दिन बाद तक भी अनेक पूरक ब्यौरा नहीं भेजतीं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की १९५९-६० की रिपोर्ट

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने १९५९-६० में सरकारी सामान की खरीद के लिए २.६५ करोड़ रु० के ठेके लिये। १९५५-५६ में ५ लाख रु० से भी कम का सामान सरकार ने खरीदा था। यह सूचना निगम की १९५९-६० की रिपोर्ट में दी गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह लघु उद्योगों से सरकारी सामान की खरीद के बारे में सप्लाई और डिस्पोजल के महानिदेशालय ने कुछ निश्चित नियम बनाए हैं, उसी प्रकार के नियम विभिन्न रेलों में भी बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने ऐसे कारखानों की एक सूची तैयार की है जो रेलों को उनकी मांग के अनुसार माल सप्लाई कर सकते हैं।

निगम ने छोटे-छोटे कारखानों को किस्तों पर सामान देने की जो योजना बनाई है, इस वर्ष उसमें और भी अधिक सामान खरीदा गया। लघु उद्योग कारखानों की इस योजना के अंतर्गत १.२७ करोड़ रु० कीमत की १,२०० मशीनें सप्लाई की गई। देश के अल्प-विकसित क्षेत्रों में चल रहे कारखानों को इस योजना के अन्तर्गत मशीनें आदि सप्लाई करने में कुछ और विशेष सुविधाएं देने के बारे में विचार किया जा रहा है।

सहायक उद्योग

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष निगम ने सहायक उद्योग स्थापित करने के बारे में भी काफी प्रयत्न किए और उनमें सफलता भी मिली। बंगलौर की लघु उद्योग सेवा संस्था ने इस क्षेत्र के कुछ औद्योगिकों को बड़े उद्योगों के साथ छोटे-छोटे सहायक उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार मद्रास, कलकत्ता, पटना और बम्बई में भी सहायक उद्योग खोलने की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं।

लघु उद्योगों में तैयार सामान को बेचने में भी निगम द्वारा स्थापित थोक दुकानों से काफी सहायता मिली। इस समय ऐसी ९ दुकानें काम कर रही हैं। १९५९-६० में इन दुकानों ने १६ लाख रु० का सामान बेचा।

निर्यात

निगम ने लघु उद्योगों द्वारा तैयार किए गए ६ लाख रु० के जूते रूस, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और बलगेरिया को निर्यात किए। इसी प्रकार चमड़े के सामान, सूती मोजे-बनियान आदि, खेल के सामान, कांच के मोती आदि भी निर्यात किए गए।

प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र

ओखला और राजकोट में लघु उद्योगों के प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र खोलने का काम अब करीब-करीब पूरा हो चुका है। ओखला में कारखाने की इमारत का निर्माण-कार्य ७० प्रतिशत पूरा हो गया है। इस केन्द्र में करीब ३६ लाख रु० की मशीनें लगाई जाएंगी, जिनमें से लगभग ३२ लाख रु० की मशीनें लगाई जा चुकी हैं। राजकोट में गत फरवरी माह से पहले वर्ग की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस केन्द्र में भी अधिकांश मशीनें लगाई जा चुकी हैं।

१९५८-५९ में राष्ट्रीय यन्त्र कारखाने का उत्पादन

केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय यंत्र कारखाने में १९५८-५९ में, पिछले साल से ४७ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा और ५० प्रतिशत माल अधिक बिका। इस प्रकार कारखाने को इस वर्ष २ लाख ४८ हजार रु० का लाभ हुआ। यह जानकारी कारखाने की १९५८-५९ की रिपोर्ट में दी गई है। कारखाने की यह दूसरी वार्षिक रिपोर्ट है और इसे उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने २५ अप्रैल को लोकसभा की मेज पर रखा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५८-५९ में ४४ लाख १२ हजार रु० के यंत्र बने। १९५७-५८ में ३० लाख १ हजार रु० के और १९५६-५७ में २३ लाख [illegible] हजार रु० के यंत्र तैयार हुए थे। इसी प्रकार १९५८-५९ में ४५ लाख ३० हजार रु० की बिक्री हुई, १९५७-५८ में ३० लाख ५० हजार रु० की और १९५६-५७ में २४ लाख १६ हजार रु० की।

जैसा कहा जा चुका है इस साल कारखाने ने २ लाख ४८ हजार रु० का लाभ दिखाया। यह लाभ ३ लाख ९३ हजार रु० घिसाई कोष में रखने के बाद बचा। पिछले सालों में यह कारखाना घाटा देता रहा है। १९५७-५८ में ६ लाख ७८ हजार रु० का घाटा हुआ था।

घड़ियां बनाने का सरकारी कारखाना

लोकसभा में २० अप्रैल को उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने बताया कि जापानी घड़ी कम्पनी के सहयोग से भारत में घड़ी का जो कारखाना खोला जा रहा है, वहां जब पूरी तरह से काम होने लगेगा तो उससे सालाना १ करोड़ से १॥ करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

श्री शाह ने बताया कि घड़ी कारखाने का काम हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने को सौंपा गया है, क्योंकि दोनों कारखानों के काम में बहुत समानता है। इस कारखाने में १९६२ में किसी समय काम शुरू हो जाएगा।

कारखाना चालू होने के पहले साल में घड़ी के ५४ प्रतिशत पुर्जे देश में ही बनाए जाएंगे और ४ साल में ८८ प्रतिशत पुर्जे यहीं बनाए जाने लगेंगे । कारखाने में १ करोड़ से १।। करोड़ तक रुपया लगाया जाएगा, जिसमें से ७० करोड़ रु० विदेशी मुद्रा में होगा, जो विदेशों से यंत्र और उपकरण आदि मंगाने में खर्च किया जाएगा । इसके लिए इंजीनियरों तथा दस्तकारों को जापानी कम्पनी के सहयोग से भारत और जापान में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी ।

श्री शाह ने बताया कि अनुमान है कि कारखाने में सालाना ३ लाख ६० हजार से ४ लाख तक हाथ की घड़ियां बनाई जा सकेंगी ।

हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी

रूपनारायणपुर में सरकारी क्षेत्र की जो हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी है, उसमें ८० प्रतिशत देशी कच्चा माल इस्तेमाल होता है । फिलहाल इस फैक्टरी में टेलीफोन के ८५० मील लम्बे ड्राई कोर तार और ३०० मील लम्बे कार्डन-क्विड(?) तार बनाने की क्षमता है ।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने २५ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी । श्री शाह ने कहा कि इस फैक्टरी का विस्तार करने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इन पर अंतिम निर्णय किया जाएगा । ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं : (१) अतिरिक्त सामान लगा कर, कई पारियों में २,०००-२,५०० मील तक लम्बे ड्राई कोर तार बनाए जाएं, (२) तांबे का तार बनाने वाला संयंत्र लगाया जाए, और (३) प्लास्टिक के इन्सुलेटेड तार बनाने की मशीन लगाई जाए ।

सरकारी कारखानों में बनी चीजों की खरीद

२५ अप्रैल को लोकसभा में, सरकार द्वारा सरकारी कारखानों की चीजों को प्राथमिकता देने का प्रश्न उठाए जाने पर निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्री, श्री के० सी० रेड्डी ने सदन की मेज पर निम्नलिखित वक्तव्य रखा :

सरकारी कारखानों में बने सामान की खरीद के बारे में सामान खरीद समिति की सिफारिशों के आधार पर मई १९५६ में सामान्य नीति बनाई गई थी । इसमें कहा गया था कि अगर नियत समय में, उपयुक्त दामों पर और आवश्यक प्रकार की चीजें मिल जाएं तो, जहां तक सम्भव हो, यह सामान सरकारी कारखानों से ही खरीदा जाए । इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकारी कारखाने उपरोक्त शर्तें पूरी कर सकें तो उनके सामान को प्राथमिकता दी जाए । सरकारी कारखानों का सामान खरीदते समय कीमतों में कोई रियायत नहीं दी जाती । वैसे कुछ माल जैसे टेलीफोन के तार, बिजली का सामान, गणित सम्बन्धी और वैज्ञानिक औजार, तार संचार उपकरण आदि केवल सरकारी कारखानों से ही खरीदे जाते हैं । अगर सरकारी कारखाने ऐसा कोई सामान नहीं बना पाते, तब वह और किसी जगह से खरीद लिया जाता है ।

मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का प्रतिधारण मूल्य

मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के इस्पात के औसत प्रतिधारण मूल्य में २ रु० प्रति टन वृद्धि करने का भारत सरकार ने निश्चय किया है । यह वृद्धि १ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिए की गई है । इसी अवधि के लिए उक्त कारखाने में बनने वाले सब तरह के लोहे के ढोंकों के प्रतिधारण मूल्य में भी १ रु० प्रति टन की वृद्धि की गई है ।

आजकल इस कारखाने में बनने वाले इस्पात का औसत प्रतिधारण मूल्य ४२५ रु० प्रति टन है ।

मई १९५९ में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स ने यह मांग की थी कि कोयले, कोक, खनिज लोहे आदि की कीमतें बढ़ जाने से उत्पादन खर्च भी काफी बढ़ गया है, अतः उसका प्रतिधारण मूल्य बढ़ा दिया जाए । टटकर आयोग ने भी अपनी १९५६ की रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि उक्त स्थिति में इस कारखाने को कुछ रियायत दी जाएं । अतः अब भारत सरकार ने प्रतिधारण मूल्य बढ़ाने का निश्चय किया है ।

आयात नियन्त्रण संगठन का कार्य विवरण

अक्तूबर १९५९ से मार्च १९६० तक की अवधि में आयात नियंत्रण संगठन के दफ्तर में आयात लाइसेंस के लिए २,१२,२९६ अर्जियां मिलीं । इससे पहले इतनी अर्जियां कभी नहीं आई थीं ।

अर्जियां मिलने के साथ-साथ उनका निपटारा भी किया जाता रहा । इस अवधि में पांडिचेरी को छोड़कर कुल १,८३५ आवेदन-पत्र ऐसे थे, जिनके बारे में फैसला होना बाकी था ।

संगठन ने आयात सम्बन्धी लाइसेंसों के बारे में निर्णय करने के अलावा आयात नीति, अपील और नियमों के बारे में विभिन्न वाणिज्य और व्यापार मंडलों आदि के पत्रों का भी उत्तर दिया । आलोच्य अवधि में इस प्रकार के ८ लाख से अधिक पत्र आये । आयात निर्यात नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के कारण ४४ फर्मों का नाम खारिज किया गया ।

ब्रिटेन को चाय का निर्यात

१९६० के पहले ३ महीनों में भारत से ब्रिटेन को ४ करोड़ ९३ लाख पौंड चाय का निर्यात हुआ । पिछले साल इसी अवधि में ३ करोड़ ४ लाख पौंड चाय ब्रिटेन भेजी गई थी । यह सूचना वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने २५ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी ।

उपमंत्री महोदय ने बताया कि लंदन के नीलाम में १ जनवरी से ८ अप्रैल, १९६० तक उत्तरी भारत की चायों का भाव ५२.३४ पेंस रहा । पिछले साल की इसी अवधि का भाव ५०.८२ पेंस था । दक्षिण भारत की चायों के भाव इस साल ४९.३५ पेंस और पिछले साल ४१.६५ पेंस रहे । श्री सतीश चन्द्र ने अपने उत्तर में उत्तर और दक्षिण भारत की चायों के कलकत्ता, कोचीन के नीलामों के भावों का भी ब्यौरा दिया ।

भारतीय बीमा संघ

साधारण बीमा करने वाली कम्पनियों के लिए भारतीय बीमा सघ ने काम के जो नियम बनाए है, उनका परिपालन सघ का शासन विभाग करता रहा। बीमा नियत्रक इस विभाग के प्रधान है। इसका मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में और शाखाए बम्बई, कलकत्ता और मद्रास म है।

नियम का उल्लंघन

नियमो का उल्लघन करने वालो की वार्षिक पुस्तिका मे प्रकाशित सूची मे पता चलता है कि १९५३ मे १९५८ तक २१ कम्पनियों ने चार या अधिक बार, ११ कम्पनियो ने तीन बार और १६ कम्पनिया ने दो बार अपने हिसाब का ब्यौरा समय मे जाच के लिए नही भेजा।

१९५८ मे २५ कम्पनियों ने अपने हिसाब का ब्यौरा समय से जाच के लिए नही भेजा, जबकि १९५७ में ४७ कम्पनियों ने समय से हिसाब नही भेजा था। बीमा नियत्रक ने कहा कि समय से हिसाब का ब्यौरा न भेजने वाली कम्पनियों की सख्या मे बहुत कमी हुई है, फिर भी स्थिति बहुत सतोपजनक नही है। बीमा नियत्रक ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि बहुत-सी बीमा कम्पनिया हिसाब का ब्यौरा भेजने के बहुत दिन बाद तक भी अनेक पूरक ब्यौरा नही भेजती।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की १९५९-६० की रिपोर्ट

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने १९५९-६० में सरकारी सामान की खरीद के लिए २.६५ करोड रु० के ठेके लिये। १९५५-५६ मे ५ लाख रु० से भी कम का सामान सरकार ने खरीदा था। यह सूचना निगम की १९५९-६० की रिपोर्ट में दी गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह लघु उद्योगों से सरकारी सामान की खरीद के बारे में सप्लाई और डिस्पोजल के महानिदेशालय ने कुछ निश्चित नियम बनाए है, उसी प्रकार के नियम विभिन्न रेलो में भी बनाने के लिए रेल मत्रालय ने आदेश दिए है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने ऐसे कारखानो की एक सूची तैयार की है जो रेलो को उनकी माग के अनुसार माल सप्लाई कर सकते है।

निगम ने छोटे-छोटे कारखानो को किस्तो पर सामान देने की जो योजना बनाई है, इस वर्ष उसमें और भी अधिक सामान खरीदा गया। लघु उद्योग कारखानो को इस योजना के अतर्गत १.२७ करोड रु० कीमत की १,२०० मशीनें सप्लाई की गई। देश के अल्प-विकसित क्षेत्रो में चल रहे कारखानो को इस योजना के अन्तर्गत मशीने आदि सप्लाई करने मे कुछ और विशेष सुविधाए देने के बारे में विचार किया जा रहा है।

सहायक उद्योग

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष निगम ने सहायक उद्योग स्थापित करने के बारे में भी काफी प्रयत्न किए और उनमें सफलता भी मिली। बगलौर की लघु उद्योग सेवा सस्था ने इस क्षेत्र के कुछ औद्योगिको को बडे उद्योगों के साथ छोटे-छोटे सहायक उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार मद्रास, कलकत्ता, पटना और बम्बई में भी सहायक उद्योग खोलने की योजनाए तैयार की जा चुकी है।

लघु उद्योगो मे तैयार सामान को बेचने मे भी निगम द्वारा स्थापित थोक दुकानो से काफी सहायता मिली। इस समय ऐसी ९ दुकाने काम कर रही है। १९५९-६० में इन दुकानो ने १६ लाख रु० का सामान बेचा।

निर्यात

निगम ने लघु उद्योगो द्वारा तैयार किए गए ६ लाख रु० के जूते रूस, पोलैड, पूर्वी जर्मनी और बलगेरिया को निर्यात किए। इसी प्रकार चमडे के सामान, सूती मोजे-बनियान आदि, खेल के सामान, काच के मोती आदि भी निर्यात किए गए।

प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र

ओखला और राजकोट में लघु उद्योगो के प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र खोलने का काम अब करीब-करीब पूरा हो चुका है। ओखला मे कारखाने की इमारत का निर्माण-कार्य ७० प्रतिशत पूरा हो गया है। इस केन्द्र मे करीब ३६ लाख रु० की मशीने लगाई जाएगी, जिनमे से लगभग ३२ लाख रु० की मशीने लगाई जा चुकी है। राजकोट म गत फरवरी माह से पहले वर्ग की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस केन्द्र में भी अधिकाश मशीने लगाई जा चुकी है।

१९५८-५९ में राष्ट्रीय यन्त्र कारखाने का उत्पादन

केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय यंत्र कारखाने मे १९५८-५९ मे, पिछले साल से ४७ प्रतिशत उत्पादन बढा और ५० प्रतिशत माल अधिक बिका। इस प्रकार कारखाने को इस वर्ष २ लाख ४८ हजार रु० का लाभ हुआ। यह जानकारी कारखाने की १९५८-५९ की रिपोर्ट मे दी गई है। कारखाने की यह दूसरी वार्षिक रिपोर्ट है और इसे उद्योग मत्री, श्री मनुभाई शाह ने २५ अप्रैल को लोकसभा की मेज पर रखा।

रिपोर्ट मे बताया गया है कि १९५८-५९ मे ४४ लाख १२ हजार रु० के यत्र बने। १९५७-५८ मे ३० लाख १ हजार रु० के और १९५६-५७ मे २३ लाख [illegible] हजार रु० के यत्र तैयार हुए थे। इसी प्रकार १९५८-५९ में ४५ लाख ३० हजार रु० की बिक्री हुई, १९५७-५८ मे ३० लाख ५० हजार रु० की और १९५६-५७ में २४ लाख १६ हजार रु० की।

जैसा कहा जा चुका है इस साल कारखाने ने २ लाख ४८ हजार रु० का लाभ दिखाया। यह लाभ ३ लाख ९३ हजार रु० घिसाई कोष मे रखने के बाद बचा। पिछले सालो में यह कारखाना घाटा देता रहा है। १९५७-५८ में ६ लाख ७८ हजार रु० का घाटा हुआ था।

घड़ियां बनाने का सरकारी कारखाना

लोकसभा मे २० अप्रैल को उद्योग मत्री, श्री मनुभाई शाह ने बताया कि जापानी घडी कम्पनी के सहयोग से भारत मे घडी का जो कारखाना खोला जा रहा है, वहा जब पूरी तरह से काम होने लगेगा तो उससे सालाना १ करोड से १॥ करोड रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

श्री शाह ने बताया कि घडी कारखाने का काम हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने को सोपा गया है, क्योंकि दोनो कारखानो के काम मे बहुत समानता है। इस कारखाने में १९६२ में किसी समय काम शुरू हो जाएगा।

कारखाना चालू होने के पहले साल में घड़ी के ५४ प्रतिशत पुर्जे देश में ही बनाए जाएंगे और ४ साल में ८४ प्रतिशत पुर्जे यहीं बनाए जाने लगेंगे। कारखाने में १ करोड़ से १॥ करोड़ तक रुपया लगाया जाएगा, जिसमें से ७० करोड़ रु० विदेशी मुद्रा में होगा, जो विदेशों से यंत्र और उपकरण आदि सामान में खर्च किया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरों तथा कर्मचारियों को जापानी कम्पनी के सहयोग से भारत और जापान में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी।

श्री शाह ने बताया कि अनुमान है कि कारखाने में सालाना ३ लाख ६० हजार से ४ लाख तक हाथ की घड़ियां बनाई जा सकेंगी।

हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी

रूपनारायणपुर में सरकारी क्षेत्र की जो हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी है, उसमें ८० प्रतिशत देशी कच्चा माल इस्तेमाल होता है। फिलहाल इस फैक्टरी में टेलीफोन के ८७० मील लम्बे ड्राई कोर तार और २०० मील लम्बे कोएक्सियल तार बनाये जा सकते हैं।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने २५ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। श्री शाह ने कहा कि इस फैक्टरी का विस्तार करने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही उन पर अन्तिम निर्णय किया जाएगा। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं (१) अतिरिक्त मशीन लगा कर, कई पारियों में २,०००-२,५०० मील तक लम्बे ड्राई कोर तार बनाए जाएं, (२) तांबे का तार बनाने वाला संयंत्र लगाया जाए, और (३) प्लास्टिक के इन्सुलेटेड तार बनाने की मशीन लगाई जाए।

सरकारी कारखानों में बनी चीजों की खरीद

२५ अप्रैल को लोकसभा में, सरकार द्वारा सरकारी कारखानों की चीजों को प्राथमिकता देने का प्रश्न उठाए जाने पर निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्री, श्री के० सी० रेड्डी ने सदन की मेज पर निम्नलिखित वक्तव्य रखा :

सरकारी कारखानों में बने सामान की खरीद के बारे में सामान खरीद समिति की सिफारिशों के आधार पर मई १९५६ में सामान्य नीति बनाई गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर नियत समय में, उपयुक्त दामों पर और आवश्यक प्रकार की चीजें मिल जाएं तो, जहां तक सम्भव हो, यह सामान सरकारी कारखानों से ही खरीदा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकारी कारखाने उपरोक्त सारी शर्तें पूरी कर सकें तो उनके सामान को प्राथमिकता दी जाए। सरकारी कारखानों का सामान खरीदते समय कीमतों में कोई रियायत नहीं दी जाती। कैसे कुछ सामान जैसे टेलीफोन के तार, बिजली का सामान, मशीन सम्बन्धी और वैज्ञानिक औजार, तार संचार उपकरण आदि केवल सरकारी कारखानों से ही खरीदे जाते हैं। अगर सरकारी कारखाने ऐसा कोई सामान नहीं बना सकते, तब वह और किसी जगह से खरीद लिया जाता है।

मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का प्रतिधारण मूल्य

मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के इस्पात के औसत प्रतिधारण मूल्य में २ रु० प्रति टन वृद्धि करने का भारत सरकार ने निश्चय किया है। यह वृद्धि १ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिए की गई है। इसी अवधि के लिए उक्त कारखाने में बनने वाले सब तरह के लोहे के ढोकों के प्रतिधारण मूल्य में भी १ रु० प्रति टन की वृद्धि की गई है।

आजकल इस कारखाने में बनने वाले इस्पात का औसत प्रतिधारण मूल्य ४२५ रु० प्रति टन है।

मई १९५९ में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स ने यह मांग की थी कि कोयले, कोक, खनिज लोहे आदि की कीमतें बढ़ जाने से उत्पादन खर्च भी काफी बढ़ गया है, अतः उसका प्रतिधारण मूल्य बढ़ा दिया जाए। टैरिफ आयोग ने भी अपनी १९५६ की रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि उक्त स्थिति में इस कारखाने को कुछ रियायत दी जाएं। अतः अब भारत सरकार ने प्रतिधारण मूल्य बढ़ाने का निश्चय किया है।

आयात नियन्त्रण संगठन का कार्य विवरण

अक्तूबर १९५९ से मार्च १९६० तक की अवधि में आयात नियन्त्रण संगठन के दफ्तर में आयात लाइसेंस के लिए २,१२,२९६ अर्जियां मिलीं। इससे पहले इतनी अर्जियां कभी नहीं आई थीं।

अर्जियां मिलने के साथ-साथ उनका निपटारा भी किया जाता रहा। इस अवधि में पांडिचेरी को छोड़कर कुल १,८३५ आवेदन-पत्र ऐसे थे, जिनके बारे में फैसला होना बाकी था।

संगठन ने आयात सम्बन्धी लाइसेंसों के बारे में निर्णय करने के अलावा आयात नीति, अपील और नियमों के बारे में विभिन्न वाणिज्य और व्यापार मंडलों आदि के पत्रों का भी उत्तर दिया। आलोच्य अवधि में इस प्रकार के ८ लाख से अधिक पत्र आये। आयात निर्यात नियन्त्रण कानूनों के उल्लंघन के कारण ४४ फर्मों का नाम खारिज किया गया।

ब्रिटेन को चाय का निर्यात

१९६० के पहले ३ महीनों में भारत से ब्रिटेन को ४ करोड़ ९३ लाख पौंड चाय का निर्यात हुआ। पिछले साल इसी अवधि में ३ करोड़ ४ लाख पौंड चाय ब्रिटेन भेजी गई थी। यह सूचना वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने २५ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

उपमंत्री महोदय ने बताया कि लंदन के नीलाम में १ जनवरी से ८ अप्रैल, १९६० तक उत्तरी भारत की चायों का भाव ५२.३४ पेंस रहा। पिछले साल का इसी अवधि का भाव ५०.८२ पेंस था। दक्षिण भारत की चायों के भाव इस साल ४९.३५ पेंस और पिछले साल ४१.६५ पेंस रहे। श्री सतीश चन्द्र ने अपने उत्तर में उत्तर और दक्षिण भारत की चायों के कलकत्ता, कोचीन के नीलामों के भावों का भी ब्योरा दिया।

आंध्र प्रदेश और आसाम में कोयले का उत्पादन-मूल्य

केन्द्रीय इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार स्वरन सिंह ने २२ अप्रैल को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में आंध्र प्रदेश और आसाम में कोयले के उत्पादन-मूल्य के बारे में मूल्य निर्धारण समिति की सिफारिशों का विवरण पेश किया, जो इस प्रकार है.

आसाम

(१) खासी पहाड़ियों की खानों में कोयले का चालू भाव कायम रखा जाए। चेरापूंजी खान के ऊंचे भाव को घटाकर इस क्षेत्र की अन्य खानों के बराबर किया जाए।

(२) आसाम रेलवेज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी की खानों के आजकल के पहुंचते-मूल्य (एफ० ओ० आर०) और खासी पहाड़ी क्षेत्र के बाहर की अन्य खानों के दाम में कोई परिवर्तन न किया जाए। इन खानों के पहुंचते-दाम घटा दिए जाए। नजरिया खान से रेल-डिब्बे तक ले जाने का खर्च ३ रु० प्रतिटन और अन्य खानों का ५० न० पै० प्रति टन फी मील कर दिया जाए।

आंध्र प्रदेश

(१) मध्य प्रदेश, बम्बई और उड़ीसा की खानों की तरह सिंगरेनी कोयले की भी किस्में निर्धारित की जाएं।

(२) जब तक कोयले की किस्में निर्धारित न हो जाए तब तक विभिन्न श्रेणी का कोयला इस भाव पर बेचा जाए :

	चालू भाव		श्रेणी के आधार पर तीनों खानों के कोयले का प्रस्तावित दाम			
कोयले का साइज	कोठा-गुडियन और तदूर खानें	येल्लन्दु खान	श्रेणी १	श्रेणी २	चुनी हुई श्रेणी (जब ऐसे कोयले का उत्पादन शुरू हो जाएगा)	श्रेणी ३
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	०
राउंड कोल	२७ ००	२६.००	२७ १२	२६.००	२८.००	२४ ८१
सैपरेटर नट कोल १" से २"	२७ ००	२६ ००	२७ १२	२६ ००	२८ ००	२४.८१
नट कोल ½" से १"	२५.५०	२४.५०	२५ ६२	२४.५०	२६ ५०	२३ ३१
आर० ओ० एम० कोल	२६.५०	२५.५०	२६.६२	२५.५०	२७ ५०	२४ ३१
न० २ कोल	२६ ००	२५ ००	२६.१२	२५ ००	२७ ००	२३.८१
स्लैक कोल ०" से ½" और ०" से १"	२४.००	२३.००	२४ १२	२३.००	२५ ००	२१ ८१
रफ स्लैक ०" से २"	—	२५.००	२६ १२	२५ ००	२७ ००	२३ ८१

सरकार ने यह सुझाव मान लिए हैं। आसाम की खानों के कोयले के पुनर्निर्धारित दाम २९ जनवरी, १९६० को प्रकाशित किए गए। सिंगरेनी कोयले के दाम, कोयले मंडल द्वारा श्रेणी-निर्धारण के बाद प्रकाशित किए जाएंगे।

हार्ड कोक की अधिकतम कीमतें निर्धारित

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की २६ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने हार्ड कोक की अधिकतम कीमतें निर्धारित कर दी है। हार्ड कोक के वितरण पर जो कण्ट्रोल है, उसमें भी कुछ रियायत दी गई है।

यह निश्चय कोयला कीमत पुनर्निर्धारण समिति की पूरक रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो इस समिति ने दिसम्बर १९५९ में दी थी। बंगाल-बिहार की और मध्य प्रदेश, बम्बई तथा उड़ीसा की आसपास की कोयला खानों के सम्बन्ध में इस समिति ने अपनी मुख्य रिपोर्ट दिसम्बर १९५८ में ही दे दी थी।

समिति ने अपनी पूरक रिपोर्ट में कहा था कि अगले कुछ वर्षों में जितनी मांग होगी, उससे ज्यादा कोयला होगा और काफी बच भी रहेगा। अतः समिति ने सिफारिश की थी कि हार्ड कोक की कीमतों और वितरण पर से कण्ट्रोल हटा लिया जाए।

सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निश्चय किया है कि कण्ट्रोल एक दम हटाने की बजाय आहिस्ता-आहिस्ता हटाया जाए। अतः सरकार ने हार्ड कोक की अधिकतम कीमतें निर्धारित करने की प्रणाली अपनाई है। बंगाल-बिहार की खानों के सम्बन्ध में आजकल जो भाव निर्धारित है, अब वही अधिकतम भाव माना जाएगा। मध्य प्रदेश और बम्बई की खानों (जो भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों के पास है) के कोयले का अभी तक कोई भाव निर्धारित नहीं था। बंगाल-बिहार की खानों के कोयले के अधिकतम भावों में बंगाल-बिहार की खानों से भिलाई तक और राउरकेला तक प्रति टन हार्ड कोक का रेल-भाड़ा मिला कर जो कीमतें बैठेंगी,

यही क्रमश: मध्य प्रदेश और बम्बई की खानों के कोयले की अधिकतम कीमतें मानी जाएगी।

अत: बंगाल-बिहार की खानों के कोयले के भाव से मध्य प्रदेश की खानों के कोयले का भाव १६ रु० ५६ न० पै० और बम्बई की खानों के कोयले का भाव ११ रु० ३५ न०पै० ज्यादा बैठेगा।

इन 'अधिकतम कीमतों' के निर्धारित हो जाने से हार्ड कोक के वितरण पर जो कण्ट्रोल है, वह कुछ कम हो जाएगा। अब उपभोक्ताओं को अपनी मर्जी की खानों से कोयला लेने की छूट होगी। किन्तु इसके लिए कोयला नियंत्रक से अनुमति लेनी होगी ताकि यातायात उद्योग को कोयला मिलने में कोई कठिनाई न हो।

हार्ड कोक की ये निर्धारित कीमतें २६ अप्रैल से ही लागू हो गई हैं।

यूरेनियम और बेरिल की नयी खानों की खोज पर पुरस्कार

भारत सरकार के अणु शक्ति विभाग की २७ अप्रैल को एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यूरेनियम और बेरिल की खान का पता लगाने पर पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित शर्तें और नियम हैं

यूरेनियम : १० हजार रु० का पुरस्कार

१. (क) नयी खान यूरेनियम की उन खानों से कम से कम ३० मील दूर होनी चाहिए जिनका पता सरकार को लग चुका है;

(ख) नयी खान में कम से कम ५० शार्ट टन (२,००० पौंड प्रति टन) कच्ची धातु हो।

(ग) इस कच्ची धातु में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय तत्व ०.१ प्रतिशत यू ३°८ से कम न हो।

२. छोटे भंडारों का पता लगाने पर छोटे इनाम दिए जाएंगे, परन्तु १ (क) और (ग) की शर्तें पूरी होनी चाहिए।

३. नये क्षेत्रों से 'क' और 'ग' शर्तों के अनुसार कम से कम २ पौंड वजन की कच्ची धातु के नमूने भेजने पर १० से १०० रु० तक के इनाम दिए जाएंगे।

बेरिल : २,००० रु० का पुरस्कार

१. नयी खान में ५० टन बेरिल का भंडार हो, जिसमें १० प्रतिशत बी ई° या ऊंची किस्म का बेरिल हो। ये खानें सरकार को मालूम खानों से ५० मील दूर हों।

२. बेरिल के छोटे भंडारों का पता लगाने पर आनुपातिक छोटे पुरस्कार दिए जाएंगे। ऐसे भंडारों में कम से कम १० टन बेरिल मिले। साथ ही ऊपर दी हुई किस्म और दूरी की शर्तें पूरी हों।

पुरस्कार के लिए भेजे गए नमूनों की जांच अणुशक्ति विभाग करेगा और आवश्यक हुआ तो खान का भी परीक्षण करके पुरस्कार दिया जाएगा। केन्द्रीय सरकार को नयी खान का निर्णय करने का अधिकार है और अणुशक्ति विभाग के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अणु शक्ति विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कार नहीं मिलेगा।

चूना पत्थर की नन्दिनी खान में मशीनों का प्रयोग

नन्दिनी खान में खनन के लिए मशीनें लगाई जा रही हैं। इससे भिलाई इस्पात कारखाने को साढ़े सात लाख टन चूने का पत्थर मिल सकेगा। मशीनें लगाने का काम तेजी से हो रहा है। खान में छेद करने की चार मशीनें लगाई जा चुकी हैं तथा खान और पत्थर तोड़ने के कारखाने के बीच पांच मील लम्बी रेल लाइन भी बनाई जा चुकी है।

यह खान भिलाई इस्पात कारखाने से १४ मील दूर है और इसके तथा कारखाने के बीच बड़ी रेल लाइन बना दी गई है।

देश में नन्दिनी खान ही इस्पात कारखानों की मांग को पूरा करने वाली चूने की पहली खान है जहां सभी कामों के लिए मशीन प्रयोग में लाई जाएगी।

नन्दिनी में एक आधुनिक ढंग की औद्योगिक बस्ती भी बनाई जा रही है, जहां सभी नागरिक सुविधाएं होंगी।

जनवरी-फरवरी १९६० में तांबे का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार जनवरी-फरवरी, १९६० में देश की खानों में कुल ६६,७७८ मीट्रिक टन तांबा निकाला गया। पिछले साल की इसी अवधि में ६५,०९१ मीट्रिक टन तांबा निकाला गया था।

यह सारा तांबा बिहार राज्य के सिंहभूम जिले में निकाला गया। इसी अवधि में कुल १,४०७ मीट्रिक टन तांबा (धातु के रूप में) बनाया गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में १,०८६ मीट्रिक टन तांबा बना था, अर्थात् इस बार २९ प्र०श० अधिक तांबा बना।

रूसी सहायता से दवा-कारखाना

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने २८ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि रूस की सहायता से सनतनगर (आंध्र प्रदेश) में दवाएं बनाने का कारखाना खोला जाएगा। इस कारखाने में प्रतिवर्ष ८५० टन दवाएं बन सकेंगी और इस पर लगभग ८ करोड़ ५० लाख रु० खर्च होगा।

इस कारखाने का पूरा विवरण तैयार करने के लिए मार्च १९६० में रूसी विशेषज्ञों को आवश्यक हिदायतें दे दी गई थीं। श्री शाह ने कहा कि इस विवरण के मिल जाने के बाद यह निश्चित हो जाएगा कि इस कारखाने पर वास्तव में कुल कितना खर्च आएगा और इसका उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा।

कायरोलाइट

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने २८ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि कॉयर बोर्ड ने "कायरोलाइट" नामक एक ऐसा पदार्थ तैयार किया है, जिससे सिगरेट की राख की प्यालियां, ट्रे, स्विच, बिजली के होल्डर और अन्य दैनिक उपयोग का सामान बन सकता है। यह पदार्थ प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसके बारे में और भी अनुसंधान चल रहा है कि इसका बड़े पैमाने पर कहां तक इस्तेमाल हो सकता है।

कागज उद्योग

उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई शाह ने एक प्रश्न के उत्तर में २१ अप्रैल को राज्यसभा में बताया कि अनुमान है कि तीसरी योजना में देश कागज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, हालांकि थोड़ी मात्रा में विशेष किस्म के कागजों का आयात करना पड़ेगा। चालू वर्ष में कागज के कई नये कारखानों को लाइसेंस दिया गया है और इस प्रकार कागज कारखानों की उत्पादन-क्षमता बढ़कर सालाना ८ लाख ४६ हजार टन हो जाएगी। १९५९ में उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अंतर्गत ३ कागज कारखानों को लाइसेंस दिया गया। इसमें से एक में हाल में ही काम शुरू हो गया है। इन कारखानों के अलावा मद्रास में बड़े पैमाने पर सालाना २० हजार टन की उत्पादन क्षमता वाला एक कारखाना खोलने की योजना है। यह योजना पिछले साल स्वीकार की जा चुकी है। ३१ छोटे कारखाने खोलने की योजना भी १९५९ में स्वीकृत हो चुकी है और इनकी कुल उत्पादन क्षमता सालाना ७४,८२४ टन होगी।

पुस्तक छपाई का कागज

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में १८ अप्रैल को बताया कि सरकारी कोशिशों के फलस्वरूप पुस्तक छापने के कागज की सप्लाई में सुधार हुआ है। इससे पाठ्य-पुस्तकों और अन्य पुस्तकों के प्रकाशकों को कागज मिलने में सुविधा होगी।

उपमंत्री ने बताया कि छपाई के कागज के वितरण पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। कागज बनाने वालों ने १९५७ को खरीद के आधार पर कागज देना स्वीकार किया है। भारत सरकार ने तटकर आयोग को कागज उद्योग की समस्याओं पर विचार करने को कहा था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के कागज का उचित दाम तय किया। सरकार ने इन सुझावों को मान लिया और जनवरी १९६० से कागज की नयी कीमत-दर को लागू किया।

उपमंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम बाकी कमी को पूरा करने के लिए २५,००० टन कागज बाहर से मंगाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इससे अधिक मात्रा में कागज मंगाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार की एक अर्जी भारत सरकार को मिली है, जिसमें सहारनपुर में प्रतिदिन १५० टन अखबारी कागज और ५० टन लुगदी बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए १९५१ के उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस देने की प्रार्थना की गई है। इस अर्जी पर विचार किया जा रहा है। इस कारखाने का वास्तविक खर्च तो मालूम नहीं पर राज्य सरकार ने १० करोड़ ६० लाख रु० की पूंजी लगाने का हिसाब लगाया है।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने एक प्रश्न के उत्तर में २० अप्रैल को लोकसभा में दी।

तार और तार की चीजों के लिए मंडल की नियुक्ति

भारत सरकार ने तार और तार से बनी चीजों के लिए डाक्टर ए० के० बोस की अध्यक्षता में ६ सदस्यों का मंडल नियुक्त किया है।

मंडल इस बात का पता लगाएगा कि १९६१-६५ की अवधि में तार और तार की चीजें बनाने के लिए उद्योगों को कच्चे माल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही मंडल यह भी मालूम करेगा कि एसी-एस-आर तार की रस्सी, इलेक्ट्रोड्स, दुपहिया साइकिल और अन्य उद्योगों में तार खींचने की कितनी क्षमता है।

मंडल ३० जून, १९६० तक सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।

क्या आप जानते हैं!

कागज उद्योग की प्रगति

- भारत में प्रति व्यक्ति २ पौंड कागज का इस्तेमाल करता है, जबकि अमरीका में इसकी खपत ४१८ पौंड प्रति व्यक्ति है। यूरोपीय देशों और जापान में यह १००-२०० पौंड तक है। अतः भारत में कागज उद्योग का विकास बहुत महत्व रखता है।

- १९५९ में २० करोड़ रु० का कागज और कागज की चीजें बनीं, और इस वर्ष देश में २,९२,००० टन कागज बना, जो दस साल पहले के उत्पादन से तिगुना था। इसके बावजूद देश में कागज का अभाव है और उसकी मांग बढ़ती जा रही है।

- दूसरी योजना में ४,५०,००० टन क्षमता के कारखाने खड़े करने और उनमें ३,५०,००० टन कागज बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक ५,३०,००० टन की क्षमता के कारखाने खड़े किए जा चुके हैं।

- आजकल देश के कारखानों में ३ लाख २४ हजार टन कागज बनाया जा सकता है। ३ लाख ६४ हजार टन और कागज बनाने के लिए मशीनें आदि मंगाने के लाइसेंस दिए गए हैं।

- तीसरी योजना में ९ लाख टन की क्षमता के कारखाने खड़े करने तथा उत्पादन ७ लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

- कागज बनाने में काम आने वाली चीजों और बनाने के तरीकों के बारे में सहकारी ढंग से अनुसंधान करने पर जोर दिया जा रहा है।

- हाल में अखबारी कागज बनाने में काफी प्रगति हुई है। देश में ३ या ४ और कारखाने खड़े करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हर एक कारखाने की क्षमता १०० टन प्रतिदिन होगी।

- देश में खास तौर से बांस से कागज बनाया जाता है। प्रायः उन सभी भागों में, जहां बांस मिलता है, कारखाने चालू हैं। आसाम में और कारखाने खुलने वाले हैं। अतः उद्योग को और दूसरे कच्चे माल से कागज बनाना पड़ेगा। गन्ने की खोइया इसके लिए सबसे अच्छी है।

- केवल खोइया से कागज बनाने का एक कारखाना खड़ा किया जा रहा है। दो और कारखानों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनमें खोइया अधिक इस्तेमाल होगी। यदि देश के सभी चीनी कारखानों की खोइया कारखानों को मिलने लगे तो केवल इसी से प्रतिवर्ष १७ लाख टन कागज बनने लगे।

बड़े टायरों का निर्माण

देश में १९५६ में ६ लाख ४० हजार बड़े टायर बने थे ; १९५९ में इनकी संख्या बढ़कर ८ लाख १० हजार हो गई। फिर भी यातायात बढ़ने के कारण अब भी देश में ७५,०००—१,००,००० बड़े टायरों की और जरूरत पड़ती है।

यह सूचना १६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने दी।

उन्होंने बताया कि इसकी शिकायतें आई है कि अनेक स्थानों पर बड़े टायर ऊंचे दाम पर बिकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान कारखानों को टायर का निर्माण बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और टायर बनाने की चार नयी योजनाएं भी स्वीकार की गई हैं। इससे देश में दो-तीन साल बाद हर साल २५ लाख टायर बनने लगेंगे। तब देश की मांग पूरी करने के अलावा ये निर्यात भी किए जा सकेंगे। अतः इस समय टायरों की जो कमी है, वह केवल कुछ ही समय के लिए है। फिलहाल यह कमी राज्य व्यापार निगम विदेशों से टायर मंगाकर दूर कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार अच्छी मात्रा वाले आयातकों और बड़ी परिवहन कम्पनियों को विदेशों से टायर मगाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि टायरों के वितरण और मूल्य पर कोई नियत्रण नही है, फिर भी तटकर आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने टायरों के जो मूल्य निर्धारित किए है, उन्हें टायर कम्पनियों ने मान लिया है।

श्रम और रोजगार

कोयला खानों की त्रिदलीय उद्योग समिति की बैठक

कोयला खानों की त्रिदलीय उद्योग समिति ने यह निश्चय किया है कि कोयला खानों के मजदूरों के वेतन की वर्तमान दरें २६ मई, १९६० के बाद भी जारी रहें। यह निश्चय तब तक के लिए किया गया है, जब तक वेतन मंडल के लिए कोयला खान मजदूरों की मांग पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। कोयला खानों के मजदूरों का वेतन बढ़ाने का निर्णय मई १९५६ में एक साल के लिए लागू हुआ था। लेकिन बाद में यह एक-एक साल के लिए बढ़ा दिया जाता रहा। अब यह निर्णय २६ मई, १९६० को समाप्त होने वाला है।

२४ अप्रैल को नयी दिल्ली में केन्द्रीय श्रम मंत्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा की अध्यक्षता में त्रिदलीय उद्योग समिति की बैठक हुई।

श्री नन्दा ने बैठक में कहा कि कोयला उद्योग के मजदूरों के वेतन आदि के प्रश्न पर कई न्यायाधिकरण अखिल भारतीय स्तर पर विचार कर चुके हैं। किन्तु फिर भी अगर सरकार यह समझेगी कि वेतन में परिवर्तन करने की कोयला खान मजदूरों की मांग जायज है तो सरकार वेतन मंडल स्थापित करने की बात मान जाएगी।

खान मजदूरों के जूतों के सम्बन्ध में जो सिफारिशें दी गई थी, उन्हें समिति ने मान लिया है। इन सिफारिशों में खास किस्म के जूतों का विवरण तैयार किया गया है, जिन्हें पहनने से खान मजदूरों के पैर में चोट लगने की सम्भावना कम रहेगी।

डाक्टरनियों, अध्यापिकाओं आदि की कमी : योजना आयोग का अनुमान

योजना आयोग ने हाल ही में यह अनुमान लगाया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कितनी औरतों की जरूरत पड़ेगी। इस बात का अध्ययन करने के लिए स्वराष्ट्र मंत्रालय के जनशक्ति निदेशालय, श्रम और नियोजन मंत्रालय के पुनर्संस्थापन और नियोजन निदेशालय तथा शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी सहायता ली गई।

अनुमान है कि १९६०-६१ में ३,२२० और १९६५-६६ में ४,३६० डाक्टरनियों की कमी रहेगी। डाक्टरों से यह कमी पूरी नही हो सकती, क्योंकि आशा है सब मिलाकर १९६०-६१ में ७,००० और १९६५-६६ में ५,००० डाक्टरों की कमी रह जाएगी। इस समस्या का दिलचस्प पहलू यह है कि डाक्टरनियों की कमी १९६०-६१ की अपेक्षा १९६५-६६ में ज्यादा होगी, जबकि डाक्टरों के सम्बन्ध में इसका उल्टा है।

दूसरी योजना के अंत में देश में कुल जितनी नर्सें होनी चाहिए, उससे लगभग ३,३०० कम नर्सें काम कर रही होंगी। किन्तु १९६५-६६ में १,४०० नर्सों की ही कमी रह जाएगी। तीसरी योजना के अंत में सबसे ज्यादा कमी दाइयों और सहायक नर्स-दाइयों की होगी। भविष्य में यह कमी कुछ हद तक दूर हो सकती है। इस अध्ययन में कहा गया है कि इस कमी को, खासकर सहायक नर्स-दाइयों की कमी को पूरा करने के शीघ्र प्रयत्न किए जाएं। इसके लिए प्रशिक्षण देने वाली अधिक संस्थाएं खोली जानी चाहिए।

६ से १७ साल तक की उम्र की लड़कियों के लिए शिक्षा की ज्यादा व्यवस्था की जा रही है और यह आगे भी बढ़ती रहेगी। किन्तु अध्यापिकाओं को सिखाने की सुविधाएं आगे भी लगभग वही रहेंगी जो दूसरी योजना में दी गई है। अतः अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक, माध्यमिक और हाई स्कूल स्तर पर १८,५२० प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी रहेगी।

समाज कल्याण के कामों में और उद्योगों में दक्ष तथा अर्ध-दक्ष स्त्री कर्मचारियों की मांग के भी, इस अध्ययन में अनुमान लगाए गए हैं।

पुनर्संस्थापन मंत्रालय के छंटनी किए हुए कर्मचारियों को नौकरी

केन्द्रीय पुनर्संस्थापन मंत्रालय के छंटनी किए हुए लगभग ५०० कर्मचारियों को दूसरे सरकारी विभागों में नौकरियां दी जा

चुकी है। विभिन्न मंत्रालयों में इन कर्मचारियों को नौकरियां दिलाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उनकी देख-रेख स्वराष्ट्र मंत्रालय के एक विशेष सचिव कर रहे हैं।

विशेष विभाग

छंटनी किए हुए कर्मचारियों को फिर से नौकरी दिलाने के काम में सहायता देने के लिए नियोजन निदेशालय में एक विशेष विभाग बना दिया गया है। इस विशेष विभाग का काम एक उच्च अधिकारी को सौंपा गया है।

केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले उन कार्यालयों को भी जिनके कर्मचारी सेंट्रल सेक्रेटेरियेट सर्विस में नहीं आते, सभी रिक्त स्थान न भरने के आदेश दे दिए गए हैं। अब इन जगहों पर छंटनी किए हुए कर्मचारी ही नियुक्त किए जाएंगे।

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय ने विभिन्न रेलों तथा डाक-तार महानिदेशक को एक पत्र लिखा है जिसमें छंटनी किए हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। इन दोनों विभागों ने काफी संख्या में छंटनी किए हुए कर्मचारियों को अपने यहां नौकरी पर लगा भी लिया है।

प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के गजेटेड अधिकारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोकसेवा आयोग ने स्वराष्ट्र मंत्रालय की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है कि अन्य सरकारी विभागों में इस प्रकार के जो भी रिक्त स्थान हों उनपर छंटनी किए हुए इन अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। लोक सेवा आयोग इन स्थानों के लिए बाहर से उम्मीदवार केवल तभी मांगेगा जब छंटनी किए हुए कर्मचारियों में से योग्य उम्मीदवार न मिलेंगे। स्वराष्ट्र मंत्रालय ने लोक सेवा आयोग से छंटनी किए हुए कर्मचारियों को सेक्रेटेरियेट सर्विस की परीक्षाओं में बैठने के लिए उम्र की छूट देने की भी प्रार्थना की है।

जनवरी-फरवरी १९६० में औद्योगिक सम्बन्ध

जनवरी १९६० में १०८ नये औद्योगिक झगड़े हुए। इस तरह इस महीने में किसी भी समय चालू झगड़ों की अधिक से अधिक संख्या १४१ रही। इनमें २२ तालाबंदियां थीं। पिछले महीने में १०४ नये विवाद हुए थे और १२८ विवाद किसी भी समय में अधिक से अधिक चालू थे।

भारत सरकार के श्रम संगठन के अनुसार जनवरी में औसतन ५.७ दिन तक कोई झगड़ा किसी समय चलता रहा। दिसम्बर में यह औसत ५.२ दिन का था। जनवरी में १०७ झगड़े समाप्त हुए। इनमें से ७४ ऐसे थे, जो पांच दिन या उससे कम चालू रहे थे और ६ झगड़े ३० दिन से अधिक चालू रहे।

इस महीने में कुल ४ लाख २३ हजार ७७ काम के दिनों की हानि हुई। इसमें से ८३.८ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५४ हजार ६७१ काम के दिनों की हानि विभिन्न प्रकार का माल तैयार करने वाले उद्योगों में हुई। खानों और खदानों तथा परिवहन और यातायात के उद्योग में क्रमशः २३,५६९ और २१,५८६ काम के दिनों की हानि हुई। दूसरे उद्योगों में साधारणतया हानि कम रही।

फरवरी १९६०

फरवरी १९६० में ९५ नये औद्योगिक झगड़े हुए। इस तरह इस महीने में किसी भी समय चालू झगड़ों की अधिक से अधिक संख्या १३३ रही। इनमें २३ तालाबंदियां थीं।

भारत सरकार के श्रम संगठन के अनुसार फरवरी में औसतन ६.६ दिन तक कोई झगड़ा किसी समय चलता रहा, जबकि जनवरी में यह अवधि ५.७ दिन थी। इनमें से १०६ झगड़े उसी महीने समाप्त हो गए, जबकि ७२ झगड़े ५.५ दिन से अधिक नहीं चले और ७ झगड़े ऐसे थे जो ३०-३० दिन से अधिक चले।

उत्पादन उद्योग उपसमूह में कुल ३,०६,०३७ (७४.१ प्रतिशत) जन-दिनों की हानि हुई। 'खनन' उपसमूह में ४४,१५२ जन-दिनों, 'निर्माण' उपसमूह में २८,२०० जन-दिनों और 'सफाई सेवाओं' में १६,१३० जन-दिनों की हानि हुई।

फरवरी में सबसे अधिक जन-दिनों की हानि प० बंगाल में (२,७९,४२३), हुई। इसके बाद बम्बई का नम्बर आता है, जहां ९३,९०७ जन-दिनों की हानि हुई। बिहार में १६,४४१ और मद्रास में १४,४६८ जन-दिनों की हानि हुई। पिछले महीने के आंकड़ों की तुलना करने पर यह पता चलता है कि इस महीने बिहार, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में अधिक जन-दिनों की हानि हुई। बाकी सब अन्य राज्यों में कम हानि हुई।

उत्पादन उद्योगों में औद्योगिक झगड़ों का सूचक अंक (१९५१ को आधार=१०० मानकर) ८६ रहा। पिछले महीने यह १०० था।

भिलाई इस्पात कारखाने में दुर्घटनाएं

दिसम्बर १९५६ में काम शुरू होने के समय से फरवरी १९६० के अंत तक भिलाई इस्पात कारखाने के ७० हजार कर्मचारियों में से ९३४ दुर्घटनाग्रस्त हुए। दुर्घटना में मरे और अपंग हुए व्यक्तियों की संख्या १६५ है।

यह सूचना केन्द्रीय इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री, सरदार स्वरन सिंह ने २१ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

मन्त्री महोदय ने बताया कि जिन दुर्घटनाओं में किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई उनकी विस्तृत जांच की गई। बिजली से हुई दुर्घटनाओं की भी जांच की गई।

कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए सरदार स्वरन सिंह ने कहा कि कारखाने के सब इंजीनियरों और ठेकेदारों को सुरक्षा के नियमों के पालन के बारे में आवश्यक आदेश दिए गए हैं। ठेकेदार इन नियमों का ठीक से पालन करें, इसकी देखभाल के लिए कारखाने के अधिकारियों को कह दिया गया है। कारखाने में बिजली का खतरनाक काम करने वाले कर्मचारियों को रबड़ के दस्ताने, और गद्दियां आदि सुरक्षा के सामान दिए गए हैं। कारखाने में सुरक्षा इंजीनियर भी नियुक्त हैं। हर महीने सुरक्षा समिति की बैठक होती है। समिति जो सुझाव देती है, उन्हें लागू किया जाता है।

१९५९ को दूसरी छमाही में नागरिक उड्डयन की प्रगति

१९५९ की दूसरी छमाही में भारत में नागरिक उड्डयन की प्रगति के विवरण से पता लगता है कि इस अवधि में एअर इंडिया इंटरनेशनल ने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ६०,९३,५२९ किलोमीटर की उड़ानों की व्यवस्था की। इनमें ४७,१६३ लोगों ने यात्रा की और १४,५८,५९९ किलोग्राम माल-असबाब तथा ४,३५,८०९ किलोग्राम डाक ढोई गई। इससे पहले के छः महीनों में वायुयानों ने ६०,६१,६०७ किलोमीटर की उड़ानें कीं, ४३,३३३ लोगों ने यात्रा की और ११,६९,०६२ किलोग्राम माल-असबाब और ४,७३,००८ किलोग्राम डाक ढोई गई थी। १९५८ की दूसरी छमाही में ये आंकड़े इस प्रकार थे : ५७,३४,२५० किलोमीटर की उड़ानें, ४२,७७७ यात्री, ९,७२,३२६ किलोग्राम माल-असबाब और ४,१३,४२२ किलोग्राम डाक।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने इस छमाही में अपनी निश्चित सेवाओं के अनुसार १,३६,३५,११५ किलोमीटर की उड़ानों की व्यवस्था की। इनमें ३,१६,९७९ लोगों ने यात्रा की, १,४९,९१,७६१ किलोग्राम माल-असबाब और २९,८६,३०४ किलोग्राम डाक ढोई गई। १९५९ की पहली छमाही में वायुयानों ने १,४०,२६,७४९ किलोमीटर की उड़ानें कीं, ३,२७,६८५ लोगों ने यात्रा की और १,५८,८४,६३४ किलोग्राम माल असबाब तथा २९,२९,५२६ किलोग्राम डाक ढोई गई थी। १९५८ की दूसरी छमाही में वायुयानों ने १,४६,१७,८९८ किलोमीटर की उड़ानें कीं, २,९९,०७४ लोगों ने यात्रा की, और १,९०,७९,५०३ किलोग्राम माल-असबाब और २८,१७,१७३ किलोग्राम डाक ढोई गई।

१ दिसम्बर, १९५९ से इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने अपनी सेवाओं में कुछ परिवर्तन किए हैं। दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इंदौर-बम्बई के मार्ग पर सप्ताह में तीन बार नयी उड़ानों की व्यवस्था की गई है। कलकत्ता और बम्बई और दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन बार वाइकाउंट वायुयान आते-जाते हैं। पटना-काठमांडू मार्ग पर प्रति सप्ताह १० बार उड़ान की व्यवस्था की गई और १४ दिसम्बर, १९५९ से उसे बढ़ाकर प्रति सप्ताह १२ बार कर दिया गया। बम्बई और बंगलौर के बीच में स्काईमास्टर वायुयानों की सीधी उड़ान की व्यवस्था की गई। पहले इस मार्ग पर डकोटा वायुयान उड़ते थे।

दिल्ली-चंडीगढ़-कुल्लू मार्ग पर प्रति सप्ताह दो बार की उड़ान की नयी व्यवस्था ३ अक्तूबर, १९५९ से प्रारम्भ की गई थी। परन्तु ३ नवम्बर, १९५९ को इसे बंद कर दिया गया।

रात में डाक की उड़ान

इस छमाही में रात में डाक की उड़ान करने वाले वायुयानों द्वारा प्रायः २१,४०८ लोगों ने यात्रा की ७,५५,९२५ किलोग्राम माल-असबाब और ९,२७,२१२ किलोग्राम डाक ढोई गई। १९५९ की पहली छमाही में इन उड़ानों द्वारा २२,६४३ लोगों ने यात्रा की थी और ७,०४,८२२ किलोग्राम माल-असबाब और ९,७६,२३२ किलोग्राम डाक ढोई गई थी।

जुलाई से दिसम्बर तक प्रतिदिन औसतन ११६ लोगों ने यात्रा की और ४,१०८ किलोग्राम माल-असबाब और ५,०३९ किलोग्राम डाक ढोई गई। इससे पहली छमाही में प्रतिदिन १२५ लोगों ने यात्रा की थी और ३,८९४ किलोग्राम माल-असबाब तथा ५,३९४ किलोग्राम डाक ढोई गई थी।

दिसम्बर १९५९ के अंत में भारत में नागरिक उड्डयन विभाग के प्रबन्ध में ८५ हवाई अड्डे थे। १९५९ के अंत में इलाहाबाद के सिविल एवियेशन ट्रेनिंग सेंटर में १३५ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। इनमें एक नेपाली और तीन सिंगापुर के छात्र भी थे। विवरण की छमाही में २५ विद्यार्थियों ने ट्रेनिंग सेंटर के फ्लाइंग स्कूल में उड़ने की शिक्षा पूरी की।

दिसम्बर १९५९ के अंत तक भारत में उड़ने की शिक्षा देने वाले १९ ऐसे क्लब थे, जिन्हें सरकारी सहायता मिलती थी। इनके मुख्य कार्यालय बंगलौर, बड़ौदा, बेगमपेट, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गोहाटी, इंदौर, जयपुर, जालन्धर छावनी, लखनऊ (कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी में उपकेन्द्र), मद्रास, नागपुर, पटना, और त्रिवेन्द्रम में थे।

विवरण की छमाही में १४ बड़ी हवाई दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें भारत में रजिस्टर्ड १३ और विदेश में रजिस्टर्ड एक वायुयान दुर्घटना-ग्रस्त हुए। तीन दुर्घटनाएं घातक सिद्ध हुईं, जिनमें ८ व्यक्ति मारे गए। इनमें से ५ वायुयानों के कर्मचारी और तीन यात्री थे।

जहाज बनाने के कारखानों के सहायक उद्योगों की सलाहकार समिति

परिवहन और संचार मंत्री, श्री राजबहादुर ने १९ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में एक विवरण रखा, जिसमें बताया गया है कि जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने के काम आने वाले पुर्जे बनाने के सहायक उद्योगों की सलाहकार समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में मुख्यतः क्या सिफारिशें की हैं।

वे मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

इस्पात के नए कारखानों में सुयोजित कार्यक्रम बनाकर देशी सामान से ही जहाजों के लिए इस्पात की प्लेटें और सेक्शन बनाने को ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यंत्र आदि बनाने का कार्यक्रम बनाया जाए और प्रत्येक यंत्र बनाने की प्राथमिकता निश्चित की जाए।

यंत्रों की किस्म, सूक्ष्मता आदि के बारे में भारतीय मानक तैयार करने का प्रबन्ध किया जाए। मालवाही जहाज के डिजाइन के मानक तैयार करने पर भी विचार किया जाए।

भारतीय मानक संस्था में जहाज सम्बन्धी विशेषज्ञों की अलग से समिति बनाई जाए और उसमें जहाजरानी तथा जहाज निर्माण उद्योग, जहाज सम्बन्धी यंत्रों के निर्माता, जहाजरानी से सम्बन्धित संस्थाओं और सम्बन्धित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हों।

निर्माताओं के लिए बम्बई और कलकत्ता में जहाजों के यंत्रों के प्रदर्शन कक्ष बनाए जाएं।

जहाजरानी के महानिदेशक देश में ही अधिक यंत्र आदि बनाने, आयात को कम करने और निर्माताओं आदि को टेक्निकल सलाह देने के लिए उचित व्यवस्था करे।

जहाजरानी महानिदेशक को (१) जहाजरानी, (२) जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग, तथा (३) सहायक उद्योगों के लिए जरूरत के मुताबिक विदेशी मुद्रा का कोटा सौंपा जाए। महानिदेशक ही को के लिए आयात नियंत्रण अधिकारियों को सिफारिशें भेजें और उनसे कोटा हासिल करे।

जहाजी सामान बनाने का कार्यक्रम तैयार करने और उसे चलाने में महानिदेशक को मदद देने के लिए सलाहकार समिति बनाई जाए, जिसमें जहाजरानी कम्पनियों, जहाज निर्माताओं, जहाज की मरम्मत करने वालों, जहाजी सामान बनाने वालों, आयात नियंत्रण अधिकारियों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा, नौसेना तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों के प्रतिनिधि हों।

समिति ने डीजल इंजन, सेण्ट्रिफ्यूगल पम्प, बिजली का सामान, तार के रस्से, आग बुझाने के उपकरण आदि जरूरी चीजों के बारे में भी सिफारिशें की हैं।

विदेशी जहाज कम्पनियों को भाड़े की अदायगी

विदेशी जहाज कम्पनियों को भारतीय बन्दरगाहों तक माल की ढुलाई के लिए १९५८ में कुल ७७ करोड़ ५० लाख रु० भाड़ा दिया गया।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री, श्री बलिराम भगत ने २० अप्रैल को राज्यसभा में दी।

श्री भगत ने कहा कि १९५४ में ३४ करोड़ ४७ लाख रु०, १९५५ में ४३ करोड़ ६ लाख रु०, १९५६ में ६६ करोड़ ५७ लाख रु० और १९५७ में ९४ करोड़ ९४ लाख रु० भाड़ा दिया गया।

प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री ने जो वक्तव्य सदन की मेज पर रखा, उससे पता चलता है कि १९५४ से १९५८ तक की अवधि में जिन विदेशी कम्पनियों ने भारतीय माल ढोया, वे अमरीका, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स, जापान, पोलैंड, जर्मनी और इटली की थी। इसी वक्तव्य से यह भी पता चलता है कि १९५७ और १९५८ में अमरीकी जहाजों ने अधिक माल पहुंचाया क्योंकि अमरीका के 'पब्लिक लॉ ४८०' के अंतर्गत जो अन्न हम मिल रहा है, उसका कम से कम आधा अमरीकी जहाजों से ढोया जाना आवश्यक है।

मोटरगाड़ियों की दुबारा बिक्री पर रोक

श्री मनुभाई शाह ने एक प्रश्न के उत्तर में २० अप्रैल को लोकसभा में बताया कि मोटरकार (बिक्री तथा वितरण) नियंत्रण आदेश के अनुसार नयी मोटरकार को पहली खरीद के बाद २ साल तक बेचना मना है। यह आदेश केवल हिन्दुस्तान एम्बैसेडर, फियट '११००' और स्टैंडर्ड '१०' पर ही लागू होता है। यह नियंत्रण ट्रकों और बसों पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि इनका उत्पादन काफी बढ़ रहा है। इसके लिए विदेशी मुद्रा काफी मिल रही है। १९५९ में १९,०९९ ट्रक बने जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है।

सड़क परिवहन में सुधार के लिए सुझाव

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने परिवहन उत्पादकता विशेषज्ञों की जो टोली विदेश भेजी थी, उसने सुझाव दिया है कि जो नियम परिवहन के विस्तार में बाधक हों, उन्हें रद्द कर देना चाहिए। टोली ने तीसरी और उसके बाद की योजनाओं में सड़कें बनाने को तरजीह देने, सरकारी परिवहन विभागों और गैर-सरकारी परिवहन संगठनों का काम चलाने के लिए प्रशासकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करने, छोटे संचालकों की सहकारियां बनाने, मोटरों की मरम्मत और विदेशों से पुर्जे मंगाने के लिए विदेशी-मुद्रा की सुविधा देने की भी सिफारिश की है।

टोली अपनी पूरी रिपोर्ट इस महीने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को दे देगी। परिषद और सरकार रिपोर्ट पर विस्तार से विचार करेगी।

यह सूचना केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने २९ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार परिषद की बैठक

रेल मंत्री, श्री जगजीवनराम ने १९ अप्रैल को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार परिषद की ११वीं बैठक का समारम्भ करते हुए बताया कि अगले साल के मध्य से ५०० मील से अधिक दूर जाने वाली सभी रेलगाड़ियों में कम से कम एक-एक तीसरे दर्जे के सोने के डिब्बे लगा दिए जाएंगे। इनमें ५०० मील से अधिक यात्रा करने वाले यात्री बिना अतिरिक्त किराया दिए सो सकेंगे। इन डिब्बों में तिहरी बर्थ होंगी। अब तक सोने के तीसरे दर्जे के २०० डिब्बे बनाने के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि जो यात्री इससे अधिक आराम चाहते हों, उनके लिए दुहरी बर्थ वाले डिब्बे रहेंगे और उनसे एक रात के लिए ३ रु० के हिसाब से अतिरिक्त किराया लिया जाएगा। इनमें ५०० मील से अधिक या कम, सभी प्रकार की यात्रा करने वालों को जगह दी जाएगी।

रेल मंत्री ने बताया कि ऐसे नगरों की सूची बनाने के लिए आदेश दिया जा चुका है, जिनकी आबादी १०,००० से अधिक है और जो अपने सबसे नजदीक के रेल स्टेशन से ५ मील से अधिक दूर हैं। उन नगरों में रेल आउट-एजेंसी खोलने पर विचार किया जाएगा।

माल-डिब्बों की मांग

रेल मंत्री ने बताया कि फरवरी १९६० के अंत में बड़ी लाइन में लगभग ४६,००० और छोटी लाइन में ३३,००० माल-डिब्बों की मांग रही, जबकि फरवरी १९५९ के अंत में बड़ी लाइन में लगभग २५,००० और छोटी लाइन में ३०,००० माल-डिब्बों की मांग थी। इससे पता चलता है कि देश में तेजी से आर्थिक प्रगति हो रही है और रेल कर्मचारियों के लिए यह एक चुनौती है कि वे इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का प्रयत्न करें।

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मालगाड़ियां समय पर चलती रही हैं और "क्रैक ट्रेन" चालू होने से माल की ढुलाई भी तेजी से हुई है।

नयी रेलगाड़ियां

उन्होंने कहा कि इस साल डाकगाड़िया, एक्सप्रेस तथा पैसेंजर गाड़ियां सामान्यत: निर्धारित समय पर चलीं और पहुंचीं।

रेलगाड़ियों में यात्रियों की भीड़भाड़ को कम करने में भी हम प्रयत्नशील रहे। इसके लिए हमने गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाए और नयी रेलगाड़ियां शुरू कीं।

हमने इस साल १ अप्रैल से हैदराबाद और मद्रास के बीच सीधी एक्सप्रेस गाड़ी चलाई, बिलासपुर और बीना के बीच कटनी होते हुए नयी गाड़ी शुरू की तथा हरिद्वार और वाराणसी के बीच सप्ताह में एक बार आने-जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी चलाई।

यात्रियों की सुविधा

उन्होंने कहा कि हमने सभी रेलों को आदेश दिया है कि वे सभी स्टेशनों पर पीने के पानी का प्रबन्ध करें और जरूरत पड़ने पर वहां हृपम्प लगाएं।

इस समय १०५ स्टेशनों पर और १९ गाड़ियों में रेल ने खाने-पीने का प्रबन्ध किया है। हाल में मद्रास सेंट्रल और बम्बई चर्चगेट स्टेशनों पर भी यह प्रबन्ध कर दिया गया है और मध्य रेलवे में बम्बई-दिल्ली पंजाब मेल तथा बम्बई-कलकत्ता (नागपुर होते हुए) डाकगाड़ियों में भी जल्दी ही प्रबन्ध कर दिया जाएगा।

चलती गाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। हमने स्वराष्ट्र मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों से कहा है कि वे स्टेशनों पर सुरक्षा का प्रबन्ध और अधिक सुगठित करें। इस सम्बन्ध में मैंने भी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातें की हैं। हमारे अधिकारी भी इसके लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं।

उन्होंने कहा कि हमने भी अपने रेल-सुरक्षा दल को आवश्यक हिदायतें दी हैं और कहा है कि वे स्टेशनों पर गाड़ियों के रुकने पर और चलने से पहले सुरक्षा सम्बन्धी सभी चीजों की जांच कर लें। स्त्रियों के डिब्बों का विशेष खयाल रखें।

मैंने संसद में रेल बजट पेश करते हुए कहा था कि स्त्रियों के डिब्बों के लिए प्रयोग के तौर पर एक विशेष प्रकार का यंत्र बनाया गया है। इससे डिब्बे के अन्दर बटन दबाते ही गार्ड के कमरे में घंटी बजने लगेगी और लाल बत्ती जल जाएगी तथा डिब्बे के दोनों ओर बत्तियां जल जाएंगी। यह प्रयोग दक्षिण और उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के अलावा सभी रेलवे की एक डाकगाड़ी और एक एक्सप्रेस गाड़ी में किया जाएगा। वास्तव में कुछ गाड़ियों में ये यंत्र लगाए जा चुके हैं।

परिषद की कार्रवाई

१९ अप्रैल को आरम्भ हुई यह बैठक २० अप्रैल को समाप्त हो गई। इसमें रेल प्रयोक्ताओं को सुविधाएं देने, सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करने, बिना टिकट यात्रा करने आदि बातों पर विचार किया गया।

परिषद ने नवम्बर १९५९ से फरवरी १९६० तक की अवधि की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि ठीक समय पर रेलें चलाने के काफी प्रयत्न किए गए हैं और इनके फलस्वरूप अब ८५ प्रतिशत एक्सप्रेस और मेल गाड़ियां तथा ९० प्रतिशत पैसेंजर गाड़ियां ठीक समय पर चलने लगी हैं।

परिषद के सदस्यों ने रेल का उपयोग करने वालों को सुविधाएं देने के बारे में कई सुझाव दिए। कुछ सदस्यों ने रेलों में भीड़ का जिक्र किया। इस बारे में परिषद को यह बताया गया कि भीड़ कम करने के लिए अधिक डिब्बे लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और दूसरी योजना के अंत तक इस स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा।

इस परिषद ने गाड़ियों की रफ्तार, रेलों में चोरी, रास्ते में सामान खो जाने आदि कई विषयों पर विचार किया।

इस बैठक में दोनों रेल उपमंत्रियों, कृषि, उद्योग तथा क्षेत्रीय रेल सलाहकार समितियों और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा रेल मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों ने भी भाग लिया।

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने का हजारवां इंजन

चित्तरंजन कारखाने में बनाया गया बड़ी लाइन का एक भाप इंजन १५ अप्रैल को मध्य रेलवे को दिया गया। इस कारखाने में बनाया गया यह हजारवां इंजन है। इस तरह देश ने इंजन निर्माण में पहली मंजिल पूरी कर ली है।

चित्तरंजन कारखाने में इंजन बनाने का काम २६ जनवरी, १९५० को शुरू हुआ था और उसी साल १ नवम्बर को पहला इंजन बन कर तैयार हुआ। १९५०-५१ में सिर्फ ७ इंजन बने थे, जबकि १९५५-५६ में १२९ और पिछले साल १७३ बनाए गए।

यहां पहले आयातित सामानों को जोड़कर इंजन तैयार करने का काम शुरू किया गया था और अब ९० प्रतिशत से अधिक हिस्से इसी कारखाने में बनाए जाने लगे हैं। कारखाने ने इतनी प्रगति दस वर्षों के अन्दर ही की है। १९५४-५५ में प्रति इंजन २॥ लाख रु० का सामान आयात किया जाता था, जबकि अब यह घटकर प्रति इंजन ७० हजार रु० तक हो गया है। इस्पात के तीनों नये कारखानों के चालू हो जाने के बाद आयातित माल की संख्या और भी घट जाएगी और यह सिर्फ नाममात्र को रह जाएगी।

उत्पादन के नये तरीकों तथा उत्पादन में वृद्धि के कारण प्रति इंजन लागत में भी कमी हो गई है और यह ७ लाख ५० हजार रु० से घटकर ४ लाख रु० से कुछ अधिक रह गई है। पिछले ५ वर्षों से चित्तरंजन कारखाने में तैयार किए गए इंजन के दाम उसी प्रकार के व दूर से मंगाए गए इंजनों से कम रहे हैं।

भारत इंजन के डिजाइन और उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और ऐसी स्थिति आ गई है कि यहां से इंजन निर्यात किए जा सकते हैं। तीसरी योजना में भाप के इंजन बनाने के अलावा चित्तरंजन कारखाना बिजली के इंजन भी बनाएगा। पहला इंजन दूसरी योजना के अंत तक बन जाएगा।

रेलों की १०७वीं वर्षगांठ

१६ अप्रैल को देश भर में भारतीय रेलों की १०७वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर १० से १६ अप्रैल, १९६० तक रेल सप्ताह मनाया गया।

१८५३ में १६ अप्रैल को भारत में पहली ट्रेन बम्बई तथा कुर्ला के बीच चली थी। यह फासला कुल २१ मील का है। वास्तव में यह ट्रेन भारत में ही नहीं पूरे एशिया में चलने वाली पहली ट्रेन थी। आज देश में ३५ हजार मील लम्बी रेल लाइन है और रेलों में

ग्यारह लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। रेलें सरकार का सबसे बड़ा संगठन है और उसमें १३ अरब ५७ करोड़ रु० की पूंजी लगी है। देश की रेल गाड़ियां हर साल औसतन १३ करोड़ ५० लाख टन माल और १ अरब, ४२ करोड़ २० लाख यात्रियों को ले जाती हैं। इनमें १०,३०० रेल इंजन, १९,००० सवारी डिब्बे और २,८९,००० माल डिब्बे लगते हैं।

बिजली की रेलगाड़ियां

भारत में सबसे पहले १९२५ में बिजली की रेलगाड़ियां बम्बई के आसपास चलीं। दूसरी योजना में ८० करोड़ की लागत से ८२६ मील लम्बे रेल मार्ग पर बिजली की रेलें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलों के सामान का डिजाइन तैयार करने का रेल विभाग का अलग संगठन है। देश में रेल इंजन बनाने के दो, सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने वाला एक तथा मरम्मत आदि के कई कारखाने हैं।

रेल सप्ताह में नयी दिल्ली में कला और हस्तकला प्रदर्शनी हुई, इसमें ७०० चीजें रखी गई थीं और प्रदर्शनी को २५ से भी ज्यादा विभागों में बांटा गया था। इसमें रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों की जो कलात्मक वस्तुएं रखी गई थीं, उनमें कुल ७७ को पुरस्कार दिए गए।

भारत-पाक रेल सुविधा वार्ता

पाकिस्तान के रेल मंडल के अध्यक्ष, श्री एस० सुहरावर्दी के नेतृत्व में पाकिस्तान का एक शिष्टमंडल १४ अप्रैल को नयी दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल ने भारतीय शिष्टमंडल से पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल-यात्रा की सुविधा के बारे में बातचीत की। पूर्वी पाकिस्तान होकर पश्चिम बंगाल से आसाम और त्रिपुरा तक रेल-यात्रा की सुविधा के बारे में भी बातचीत की गई।

पाकिस्तान के शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: पाकिस्तान रेल मंडल के अध्यक्ष श्री एस० सुहरावर्दी; पाकिस्तान रेल मंडल के वित्त आयुक्त श्री मुश्ताक अहमद; स्वराष्ट्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री हमीदुद्दीन; वित्त मंत्रालय के निरीक्षण निदेशक, श्री एस० एम० अब्बास और परराष्ट्र मंत्रालय के उपसचिव, श्री अताउल्ला।

भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: रेल मंडल के अध्यक्ष, श्री के० बी० माथुर; रेल मंडल के इंजीनियरी सदस्य, श्री करनैल सिंह; स्वराष्ट्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री फतेह सिंह; परराष्ट्र मंत्रालय के उपसचिव, श्री नरेन्द्र सिंह और केन्द्रीय राजस्व मंडल के सदस्य, श्री डी० पी० आनन्द।

भोपाल और बीना के बीच दोहरी लाइन

बीना और भोपाल के बीच ८६ मील लम्बे रेल-मार्ग पर, जहां दोहरी लाइन नहीं है, वहां दोहरी लाइन डाली जा रही है। इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए ३८.४५ मील में दोहरी लाइन डाली जा रही है। भोपाल और भोपाल कॉर्ड के बीच १.६२ मील लम्बी दोहरी लाइन डाली जा चुकी है और २५ नवम्बर, १९५९ से इस पर रेलों का आना-जाना चालू है। आशा है, दिसम्बर ३१, १९६० तक बाकी सब हिस्सों में भी दोहरी लाइन बिछ जाएगी और इन पर रेलें चलनी शुरू हो जाएंगी। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में रेल उपमंत्री, श्री रामस्वामी ने २७ अप्रैल को राज्यसभा में दी।

रेल मण्डल के नये अध्यक्ष

रेल मंत्रालय (रेल मण्डल) की १९ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि रेल मण्डल के सदस्य (इंजीनियरी) श्री करनैल सिंह को रेल मण्डल का अध्यक्ष और रेल मंत्रालय में पदेन प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इनकी यह नियुक्ति श्री के० बी० माथुर के स्थान पर हुई है। श्री करनैल सिंह ने १८ अप्रैल, १९६० को अपने नये पद का कार्यभार सम्भाला।

श्री करनैल सिंह को रेलवे में काम करते ३२ साल से अधिक समय हो गया है और वे जनवरी १९५७ से रेल मण्डल के सदस्य रहे हैं। इसके पहले वे उत्तर रेल तथा चितरंजन इंजन कारखाने के जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं।

रेल मण्डल के नये सदस्य

रेल मंत्रालय (रेल मण्डल) की २८ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री ई० डब्ल्यू० इस्साक्स को रेल मण्डल का सदस्य (इंजीनियरी) नियुक्त किया गया है। अब तक वे रेल मण्डल के अतिरिक्त सदस्य (मेकेनिकल) थे।

खाद्य और कृषि

सात नये अन्न भंडार

केन्द्रीय भंडार निगम ने ७ नये भंडार बनाए हैं। प्रत्येक भंडार की क्षमता ५,००० टन की है और ये मद्रास, कोयमुत्तूर, कोचीन, अलप्पी, सहारनपुर, डालसिंह सराय और बरहमपुर में हैं।

देश भर में राज्यों के भंडार निगमों के १४५ भंडार और केन्द्रीय भंडार निगम के १९ भंडार हैं। इन सब में २ लाख टन माल भली प्रकार जमा हो सकता है। इस वित्त वर्ष में और भी भंडार बनाए जाएंगे और इनकी संख्या १७९ हो जाएगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ३५० भंडार बनाने का लक्ष्य है।

देश ने अन्नाभाव को दूर करने का निश्चय कर लिया है और इसके लिए ५० लाख टन अन्न का स्टाक करने की योजना है। इस दृष्टि से भंडार बनाने की और अधिक जरूरत है। तीसरी योजना में देश भर में ४३५ भंडार और बनाए जाएंगे।

जुलाई, १९५७ में केन्द्रीय भंडार निगम की स्थापना की गई थी। इसकी अधिकृत पूंजी २० करोड़ रु० रखी गई है। जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर अन्य सब राज्यों में भंडार केन्द्रीय भंडार निगम ही बनाता है।

पंजाब में अनाज सुरक्षित रखने के लिए दो और भंडार

राज्य भंडार निगम ने गेहूं की उपज को अच्छे ढंग से रखने के लिए पंजाब में फाजल्का और नाभा में ३,५०० टन की क्षमता के दो और भंडार खोले हैं। इनके अलावा मोगा में केन्द्रीय भंडार और जगराव में राज्य भंडार पहले से काम कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने इन भंडारों में जिन्स रखने का निश्चय किया है। सरकार ने राज्य भंडार निगम को जगराव, फाजल्का, नाभा, जलालाबाद, सुनाम और धुरी में अपने गोदाम किराये पर देना स्वीकार किया है। अन्तिम तीन स्थानों में गोदामों की उपयोगिता के बारे में जांच हो रही है और जल्दी ही भंडार का प्रबन्ध होगा।

निगम ने पटियाला और कैथल में भंडार की इमारतें बनाने के लिए स्थान का चुनाव किया है। अब तक किराये के मकानों में भंडार थे।

पंजाब राज्य भंडार निगम की स्थापना १९५८ में हुई थी। इसकी अधिकृत पूंजी ५० लाख रु० और चुकता-पूंजी १४ लाख १० हजार रु० थी। इसके आधे हिस्से केन्द्रीय भंडार निगम के और आधे हिस्से राज्य सरकार के हैं। निगम वैज्ञानिक ढंग से जिन्स रखने के अलावा उत्पादकों और व्यापारियों को कर्ज भी देता है।

बगीचा समिति की बैठक

बगीचों से सम्बन्ध रखने वाली त्रिपक्षीय उद्योग समिति ने अब यह सुझाव दिया है कि चाय, कहवे और रबड़ के बगानों के लिए अलग-अलग वेतन मण्डल होने चाहिए। तीनों का अध्यक्ष एक और तीनों में वही स्वतन्त्र सदस्य रखने का भी समिति ने सुझाव दिया है।

समिति ने पहले सारे बगीचा उद्योग के लिए एक ही वेतन मण्डल रखने की सिफारिश की थी। समिति की बैठक २७ अप्रैल को नयी दिल्ली में हुई थी और इसके सभापति श्रम मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा थे। चाय के वेतन मण्डल में मालिकों और मजदूरों के तीन-तीन प्रतिनिधि रखे जाने चाहिए और अन्य दोनों मण्डलों में दो-दो।

१९५९-६० में सोंठ की उपज में वृद्धि

खाद्य मंत्रालय के अर्थ और अंक निदेशालय के अनुमान के अनुसार १९५९-६० में ३७ हजार एकड़ में अदरक (सोंठ) की खेती हुई और १३ हजार ८०० टन पैदावार हुई। १९५८-५९ में, संशोधित अनुमान के अनुसार, ३५ हजार ७०० एकड़ में अदरक (सोंठ) की खेती हुई और १२ हजार ३०० टन उपज हुई। इस प्रकार १९५९-६० में खेती के क्षेत्रफल में १ हजार ३०० एकड़ या ३.६ प्रतिशत और उपज में १ हजार १०० टन या ८.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चालू वर्ष में केरल और बम्बई में अधिक क्षेत्रफल में खेती हुई। केरल और मध्य प्रदेश में अदरक की उपज सबसे ज्यादा हुई। मौसम अच्छा रहने और अधिक जमीन में खेती होने से अदरक की उपज बढ़ी है।

यह सूचना खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ और अंक निदेशालय की २२ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

१९५९-६० में काली मिर्च की पैदावार

खाद्य और कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार १९५९-६० में २ लाख ३२ हजार एकड़ में २५ हजार ८०० टन काली मिर्च पैदा हुई। १९५८-५९ में, संशोधित अनुमान के अनुसार, २ लाख ३० हजार १०० एकड़ में २५ हजार ५०० टन काली मिर्च पैदा हुई।

केरल में बुवाई के समय अच्छा मौसम रहने के कारण अधिक जमीन में खेती होने से क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। पर मैसूर में पहले से कुछ कम जमीन में खेती हुई। केरल में फसल के फलने के समय अच्छा मौसम न रहने के कारण काली मिर्च की उपज घटी है।

यह सूचना खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ और अंक निदेशालय की २२ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

खाद्य सामग्री का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न

राज्य व्यापार निगम भारत में बनी खाद्य सामग्री, बिस्कुट और मिठाई आदि का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में निगम ने जो पड़ताल की थी, उससे पता चला है कि वहां पर भारत की खाद्य सामग्री की खपत की बहुत गुंजाइश है।

१९५९ में भारत ने १ करोड़ २६ लाख रु० के डिब्बा-बन्द फल, सब्जियां सूखे मेवे आदि बाहर भेजे। मछली के निर्यात से २४ लाख रु० की आय हुई। ५७ लाख रु० से अधिक का डिब्बा-बन्द गोश्त विदेशों को भेजा गया। यह सामान पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी और आस्ट्रेलिया आदि देशों को भेजा गया।

सेम को रोकने के उपाय

सेम (पानी जमा होने से दलदल हो जाना) के कारण काफी जमीन खराब हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्यों की तीसरी योजना में नालियां तथा उथले नलकूप बनाने, वर्तमान नहरों की भीतरी दीवार को पक्का करने तथा जमीन के नीचे नालियां बनाने का कार्यक्रम शामिल किया जाएगा।

यह अनुमान लगाया गया है कि पंजाब, बम्बई, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली में ७२ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी भरा हुआ है। यहां १० फुट तक गहरा पानी है।

पंजाब के सबसे अधिक क्षेत्र को इससे नुकसान पहुंचा है। यहां लगभग ७० लाख एकड़ क्षेत्र में पानी भरा है। बम्बई में लगभग ८२ हजार एकड़ तथा जम्मू और कश्मीर में लगभग २९ हजार एकड़ भूमि में दलदल है।

पंजाब में इसको दूर करने के लिए कई उपाय किए गए, जैसे प्रभावित क्षेत्रों में नदियों, बड़े सोतों या झीलों के बाढ़ के पानी को आने से रोकना, पानी की निकासी, सिंचाई की नहरों के बराबर निकासी की नालियां बनाना, नहरों आदि की भीतरी दीवार को पक्का करना, काफी संख्या में नलकूप खोदना, जमीन में नीचे के पानी की सतह ऊंची होने से रोकने के लिए कुएं खोदना। सेम रोकने के लिए अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के उपाय किए जाएंगे। भारत सरकार राज्यों को इसके लिए शिल्पिक सहायता देगी। केन्द्रीय जल और बिजली आयोग इन योजनाओं तथा इनके खर्च के अनुमानों की जांच करेगा।

नदी योजनाएं और बिजली

कोसी बांध के निर्माण-कार्य की प्रगति

बिहार में हनुमाननगर में जो कोसी बांध बन रहा है उसमें लगभग १२ लाख घनफुट, यानी ७वां हिस्सा कंकरीट पड़ चुकी है। इस बांध में करीब ८७ लाख घनफुट कंकरीट डाली जानी है।

कोसी बड़ी भयानक और वेगवती नदी है। इसके आर-पार बनाए जाने वाले बांध में ३,७७० फुट लम्बा पानी निकलने का कंकरीट का रास्ता, १९,००० फुट के कच्चे बांध और १६ मील लम्बे पानी को साधने के बांध बनेंगे। यहां से नहरें भी निकलेंगी। उनसे पूर्णिया और सहरसा जिलों की १४.०५ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा नेपाल के सप्तारी जिले में भी २०,००० एकड़ में सिंचाई होगी। कोसी नहर प्रणाली की सहायता से ३॥ लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकेगा। नयी भूमि में खेती होने से पैदावार करीब १ करोड़ ७ लाख ३० हजार मन बढ़ेगी।

बांध और नहरें निकलने के स्थान पर १६ करोड़ ७९ लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। आशा है बांध आदि सारा काम १९६३ तक पूरा हो जाएगा।

१९५९-६० का काम

१९५९-६० में बांध का निर्माण-कार्य संतोषजनक रहा। बाईं तरफ के नीचे के फाटक, पूर्वी कच्चा बांध और पानी साधने के बांध और मुख्य नहर का हेड रेगुलेटर प्रायः तैयार हो गया है। इसके अलावा, मुख्य नहर के लिए मिट्टी डालने का ५८ प्रतिशत और शाखाओं के लिए ८० प्रतिशत काम पूरा हो गया है। हाल में पानी निकलने के रास्ते के ६०० फुट के भाग पर मिट्टी खोदने, शीट पाइल, कंकरीट और पत्थर डालने का काम शुरू किया गया है।

मुख्य नहर के निकलने के स्थान पर १८,००० किलोवाट बिजली बनाने की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा जिलों में तथा नेपाल की तराई में १३ लाख ५९ हजार एकड़ अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पहुंचाने की सम्भावना पर भी विस्तार से विचार किया जा रहा है।

भाखड़ा बांध की दाहिनी सुरंग बन्द

भाखड़ा बांध की दाहिनी सुरंग बंद करने का काम पिछले महीने पूरा हो गया। अब भाखड़ा-नंगल योजना का काम पहले की तरह चलने लगा है।

हायस्ट चेम्बर (फाटकघर) के ऊपर की ओर से आने वाला नदी का पानी जिन साइफोनों से प्रति सेकिंड ३२० घनफुट की गति से बह रहा था, उन्हें बन्द कर दिया गया है। इस प्रकार दाहिनी सुरंग पक्की तरह से बन्द हो गई है।

फाटकघर में ५० फुट तक कंकरीट भरा जा चुका है। शेष १२ फुट भी शीघ्र ही भर जाएगा।

अब हायस्ट चेम्बर के नीचे दाहिनी सुरंग की डाट (प्लग) को पुख्ता करने का काम तेजी से चालू हो जाएगा। आशा है कि अगले दो महीनों में ८० फुट तक यह डाट मजबूत हो जाएगी।

निचली ओर एक काफर बांध बनकर तैयार होने वाला है, जिससे पानी घूमकर दाहिनी सुरंग में न जा सके। दाहिनी सुरंग में से पानी निकालने के लिए बड़े-बड़े पम्प लगाये गये हैं। ये पम्प एक मिनट में ५,००० गैलन पानी फेंक सकते हैं।

२१ अगस्त, १९५९ की दुर्घटना से भाखड़ा बांध की जो क्षति हुई थी, उसकी मरम्मत पूरी हो चुकी है, दाहिनी सुरंग और इसकी नालियों को बन्द करने का काम भी जो पहले से हो रहा था, जून १९६० तक पूरा हो जाएगा।

माइथान और पंचेत बिजलीघर

दामोदर घाटी निगम के माइथान बिजलीघर में ६० हजार किलोवाट बिजली बन सकती है। इसमें २०-२० हजार किलोवाट बिजली बनाने वाले ३ यंत्र हैं। निगम के पंचेत बिजलीघर में बिजली बनाने वाला एक ही यंत्र है, जो ४० हजार किलोवाट बिजली बना सकता है।

यह सूचना सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने २९ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। श्री हाथी ने कहा कि आजकल इन दोनों बिजलीघरों में जितनी भी बिजली बनती है, उस सबका पूरा उपयोग हो रहा है।

आंध्र प्रदेश की सिंचाई और बिजली योजनाएं

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने २६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९६०-६१ में आंध्र प्रदेश की बड़ी और मझली सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए १६ करोड़ ६४ लाख ८४ हजार रु० मंजूर किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :

बहुद्देशीय	—	१०,००,००,००० रु०
सिंचाई	—	३,००,००,००० रु०
बिजली	—	३,६४,८४,००० रु०

आसाम में धारक बांध के लिए जांच पड़ताल

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने एक प्रश्न के उत्तर में २७ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग और आसाम सरकार के इंजीनियरों की एक टोली ने जनवरी १९६० में एक भूगर्भवेत्ता की सहायता से धारक नदी के मैनाधर बांध के स्थान का निरीक्षण किया। टोली ने सुझाव दिया है कि बाढ़ की रोकथाम के लिए २००-२५० फुट ऊंचा मिट्टी का बांध बनाया जा सकता है।

उपमंत्री ने बताया कि आसाम सरकार के निवेदन पर यह जांच की गई थी।

उड़ीसा की कुशभद्रा नदी के तटबंध

कुशभद्रा नदी के दाएं तटबंध का पाटपुर से धनुआ तक का १० मील का भाग और बाएं किनारे का पाटपुर से नेतपुर तक

का ८ मील का हिस्सा बन चुका है। इस समय तटबंधों को और आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। इन दोनों ओर के तटबंधों से क्या फायदा होगा इस बारे में विस्तार से जांच की जा रही है। जब नदी इन दोनों के बीच अच्छी तरह बहने लगेगी तब उन्हें और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

यह सूचना २९ अप्रैल को लोकसभा में सिंचाई तथा बिजली उपमंत्री श्री जयसुखलाल हाथी ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

श्री हाथी ने बताया कि राज्य सरकार ने खबर दी है कि दाएं नदी तट को जलपाडा से शिलिगुड़ी तक बढ़ाने की मूल योजना छोड़ दी गई है और टाल्लदी से सूर शाह तक पानी निकालने को एक नहर निकालने की योजना को मंजूरी दी गई है। यह काम जल्दी ही, यानी जमीन लेने के बाद शुरू हो जाएगा। जमीन लेने की अतिरिक्त कार्रवाई की जा रही है।

दंडकारण्य के पहले बांध का शिलान्यास

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, डा० विधान चन्द्र राय ने २६ अप्रैल को कोरापुट से ८ मील दूर दंडकारण्य क्षेत्र में एक बांध का शिलान्यास किया। केन्द्रीय पुनर्स्थापन मंत्री श्री मेहर चन्द खन्ना भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

डा० राय ने बांध की सफलता की शुभ-कामना की और कहा कि इससे पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को ही लाभ होगा ही, साथ ही वहां के आदिवासियों को भी फायदा होगा।

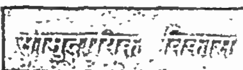
इस बांध पर १ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। यह बांध ५,२०० फुट लम्बा होगा और इससे १६ हजार एकड़ से भी ज्यादा जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इससे ११ गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा, जिनमें से प्रत्येक में विस्थापितों के ५०-५० परिवार रहते हैं। दंडकारण्य योजना के अधिकारी अब तक ६,००० एकड़ जंगली जमीन साफ कर चुके हैं और विस्थापितों के लिए मकान बनवाने भी शुरू कर दिए हैं।

इस अवसर पर पुनर्स्थापन मंत्री श्री खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्र का विकास पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों और इस क्षेत्र में रहने वालों, दोनों के हित में हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहां सिंचाई के लिए पानी की बहुत जरूरत है, अतः इस बांध का निर्माण दंडकारण्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्री खन्ना ने आदिवासियों को यह आश्वासन दिया कि दंडकारण्य के विकास से उन्हें भी समान लाभ होगा।

बंगलौर में बिजली अनुसंधान संस्था की स्थापना

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने २६ अप्रैल को लोकसभा में बंगलौर की बिजली अनुसंधान संस्था में बिजली पैदा करने और उसको विभिन्न भागों में पहुंचाने तथा उसके उपयोग के बारे में अनुसंधान किया जाएगा। साथ ही बिजली के सामानों के बारे में भी खोज होगी।

श्री हाथी ने बताया कि भारत की अन्य अनुसंधान संस्थाओं में इस प्रकार के अनुसंधान की सुविधा नहीं है। केवल बंगलौर की भारतीय विज्ञान संस्था (इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस) में अनुसंधान के साधन उपलब्ध हैं। इससे बिजली अनुसंधान संस्था को लाभ होगा, इसलिए इसकी स्थापना बंगलौर में की जा रही है।



२२२ पूर्व-विस्तार खंड खोलने की अनुमति

केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय ने ११ राज्यों और केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में अप्रैल १९६० से २२२ पूर्व-विस्तार खंड खोलने की अनुमति दी है।

इनका राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश–२२, बिहार–२९, बम्बई–३३, मध्य प्रदेश–१८, मद्रास–१६, पंजाब–९, उड़ीसा–१६, उत्तर प्रदेश–६६, मैसूर–१२, राजस्थान–१०, केरल–७, मणिपुर–१, त्रिपुरा–१ और नेफा–२।

राज्य सरकारें इन खंडों के लिए क्षेत्रों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखेंगी कि वहां के रहने वाले आत्मनिर्भर और सहयोगी हों। गांवों में सफाई हो और पंचायतें तथा सहकारी समितियां काम करती हों।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि नये खंड अन्न-उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से खोले जाएं। उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाए, जहां गेहूं और धान की खेती होती हो। सिंचाई की सुविधा हो या काफी वर्षा होती हो।

राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया गया है कि ग्रामदान में दिये गये गांवों और ऐसे गांवों में जहां पिछड़ी हुई जातियों के लोग अधिक हैं, खंड खोलने में प्राथमिकता दी जाए। किन्तु यह कोशिश की जाए कि विकास खंडों के अन्तर्गत प्रायः सभी जिले आ जाएं। पूर्व-विस्तार खंड पुराने विकास खंडों के पड़ोस में खोले जाएं। यह भी प्रयत्न किया जाए कि ये खंड कृषि या पशु-विज्ञान विद्यालयों अथवा विस्तार खंड ट्रेनिंग केन्द्रों के आसपास हों।

प्रथम चरण के २०० विकास खण्ड

केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय ने अप्रैल १९६० में राज्य सरकारों को २०० पूर्व-विस्तार खंड प्रथम चरण के खंडों में बदलने की अनुमति दी है। इनका राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है

आंध्र प्रदेश—१८, बिहार—२३, बम्बई—२४, मध्य प्रदेश—१५, मद्रास—१३, उड़ीसा—१२, पंजाब—७, उत्तर प्रदेश—४३, पश्चिम बंगाल—१५, मैसूर—१०, राजस्थान—८, केरल—५, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश—१-१, और उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण—४।

राज्य सरकारें पूर्व विस्तार खंडों को प्रथम चरण के विकास खंड बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगी कि उन गांवों के लोग आत्म-निर्भर और सहयोगी हैं या नहीं।

इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां गेहूं और धान की खेती होती है और जहां सिंचाई की सुविधाएं या वर्षा भी अच्छी होती है।

शिक्षा और संस्कृति

आकाशवाणी की कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक

आकाशवाणी की केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक २२ अप्रैल को नयी दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक में विविध भारती कार्यक्रम का समय एक घंटा और बढ़ाने का निश्चय किया गया। सदस्यों ने इस कार्यक्रम की लोकप्रियता पर भी सन्तोष प्रगट किया।

बैठक के सभापति, केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर थे।

आजकल विविध भारती की सुबह की सभा रविवार और शनिवार को छोड़कर ९-०० बजे समाप्त हो जाती है। अब दुपहर को ११ से १२ तक भी विविध भारती का प्रसारण होगा। नये कार्यक्रम में हलके और लोगों की पसंद के गीत, चुटकुले, और हास्य रस की रचनाएं सुनवाई जाएंगी।

बैठक में बताया गया कि रवीन्द्र शताब्दी मनाने के लिए आकाशवाणी क्या तैयारी कर रही है। शताब्दी समारोह के दिनों में रेडियो से ६ भागों में ३०-३० मिनट तक रवीन्द्र नाथ ठाकुर की जीवनी सुनवाई जाएगी।

शताब्दी के कार्यक्रमों में स्व० रवीन्द्र नाथ ठाकुर के सम्पर्क में आए व्यक्तियों के संस्मरण और कवीन्द्र की वाणी भी सुनवाई जाएगी। आकाशवाणी के पास उनके ४० मिनट तक बजाने लायक रिकार्ड हैं।

डा० केसकर ने बैठक में बताया कि भारतीय नामों के शुद्ध उच्चारण सहित एक सूची हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई है। इस सूची के बनाने का उद्देश्य यह है कि देशी नाम भारत की सब भाषाओं में एक-से और शुद्ध बोले जाएं।

स्कूलों के लिए दूरदर्शन

मंत्री महोदय ने बताया कि यदि अमरीका के फोर्ड फाउंडेशन से बातचीत सफल हुई तो दिल्ली के हर माध्यमिक स्कूल में हम दूरदर्शन सेट लगा सकेंगे। इस प्रकार देश में शिक्षा के लिए दूरदर्शन या टेलीविजन के प्रयोग को और बढ़ाया जाएगा। इससे हमारे इंजीनियरों को भी अनुभव मिल रहा है।

समिति के सदस्यों ने बताया कि देश के १,००० से अधिक गांवों में चल रहे रेडियो ग्राम-गोष्ठियां अच्छा काम कर रही हैं।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रातःकाल जो संगीत सुनवाया जाता है, उसमें संगीत पक्ष की ओर अधिक तथा धार्मिक पक्ष की ओर कम ध्यान देना चाहिए। साथ ही सब धर्मों के संगीत को इस कार्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों के अंश या अनुवाद भी प्रसारित होने चाहिए। केवल धार्मिक ग्रन्थ होने से इस साहित्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इनमें से कुछ तो साहित्य की दृष्टि से भी बहुत उच्च कोटि के हैं।

समिति ने युवकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने का निश्चय किया। इसके लिए देश भर में युवक क्लब स्थापित करने का उपाय सोचा गया।

सभापति के अनुरोध पर समिति ने आकाशवाणी के वाद्यवृन्द संचालक श्री पन्नालाल घोष के देहावसान पर शोक-प्रस्ताव स्वीकार किया।

आकाशवाणी से ६ भाषाओं में 'समकालीन साहित्य' कार्यक्रम

आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में 'समकालीन साहित्य' नामक पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अन्तर्गत पहली पत्रिका का कार्यक्रम २८ अप्रैल को रात के ९-३० बजे दिल्ली 'क' में आरम्भ हुआ।

इस कार्यक्रम में छः भारतीय भाषाओं की चुनी हुई रचनाएं और उनके हिन्दी अनुवाद प्रसारित किए गए।

टेलीविजन पर खर्च

डा० केसकर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में १६ अप्रैल को बताया कि १९५९-६० में टेलीविजन पर औसतन ३२,५०० रु० माहवार खर्च पड़ा।

पांचवां आकाशवाणी साहित्य समारोह

तीन दिन के पांचवें आकाशवाणी साहित्य समारोह (रेडियो लिटरेरी फोरम) का उद्घाटन नयी दिल्ली में १५ अप्रैल, १९६० को केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर ने किया। इस सम्मेलन में १३ भारतीय भाषाओं के १०० साहित्यिकों ने भाग लिया। समारोह में भारतीय साहित्य की गद्य शैली के विकास पर चर्चा हुई।

उच्च शिल्पिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा

उच्च शिल्पिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक-सी परीक्षा करने का विचार है। इस बारे में सम्बन्धित संस्थाओं के अधिकारियों की सलाह से एक-सी परीक्षा करने का ब्योरा तैयार किया गया है।

शुरू में यह परीक्षा बम्बई और खड़गपुर की संस्थाओं में प्रवेश के लिए की जाएगी, जो २ और ३ मई, १९६० को १६ केन्द्रों में होगी। जो उम्मीदवार इंटर या इसके बराबर की कोई परीक्षा पास कर चुके हैं, वे इसमें बैठ सकते हैं। इस परीक्षा में ३-३ घंटे के चार पर्चे होंगे। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा ली जाएगी।

यह सूचना वैज्ञानिक अनुसंधान और सस्कृति मंत्री, डा० हुमायूं कबीर ने २७ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

सातवें अंतर्विश्वविद्यालय युवक समारोह का स्थान

नयी दिल्ली में २३ अप्रैल को आगामी अंतर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के प्रश्न पर विचार करने के लिए २९ विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री पी० एन० कृपाल ने बैठक की अध्यक्षता की।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालयों के सहयोग से युवक समारोह का आयोजन करता है। इस बार ७वां युवक समारोह होगा।

यह समारोह २५ अक्तूबर से ३ नवम्बर, १९६० तक नयी दिल्ली में होगा।

हिन्दी में उत्तम पाठ्य पुस्तकें लिखाने की योजना

शिक्षा मंत्रालय की २७ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने विज्ञान, शिल्प और साहित्य की अच्छी पाठ्य पुस्तकें लिखाने का निश्चय किया है। ये पुस्तकें शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिखाई जाएंगी।

संविधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार भारत सरकार पर जो दायित्व है, उसे पूरा करने और अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के लिए और सरकार की तैयार की हुई शब्दावली के प्रयोग के लिए पाठ्य-पुस्तक तैयार कराने का निश्चय किया गया है। राज्य सरकारों की शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की पुस्तकें लिखाने का भार सब भारत सरकार देगी। पुस्तकें लिखाने की देखभाल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति रहेगी। इन पुस्तकों में भारत सरकार की तैयार की हुई पारिभाषिक शब्दावली अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की जाएगी।

इस योजना की विशेषता यह होगी कि पुस्तकों की बिक्री से जो आय होगी, उसे फिर इसी तरह की पुस्तकों के प्रकाशन पर खर्च किया जाएगा। पुस्तकों में यथासम्भव सरल और विषयानुकूल भाषा का प्रयोग होगा। शुरू में २०० पुस्तकों के अनुवाद की योजना बनाई गई है। भारत सरकार ने विशेषज्ञों की एक उपसमिति भी नियुक्त की है, जो इस सारे काम को विधिवत् चलाएगी।

हिन्दी परीक्षाओं को सरकार की मान्यता

शिक्षा मंत्रालय की २३ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने हिन्दी शिक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए कुछ संस्थाओं की हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता दी है।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इन परीक्षाओं को यह मान्यता समकक्ष डिग्री परीक्षा की हिन्दी योग्यता के ही बराबर है, पूरी डिग्री परीक्षा के बराबर नहीं।

देश भर में ऐसी कई संस्थाएं हैं, जो हिन्दी की परीक्षाएं लेती हैं, किन्तु इन परीक्षाओं को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। अतः ऐसे उम्मीदवारों को, जो ये परीक्षाएं पास करते थे, सरकार में वह नौकरी नहीं मिल पाती थी, जिनमें हिन्दी की योग्यता जरूरी है। इस बारे में कुछ संस्थाओं ने सरकार से मान्यता की मांग की थी। इसके बाद कई समितियों ने इस मामले पर विचार किया।

अब यह मान्यता निम्नलिखित संस्थाओं की परीक्षाओं को दी गई है। जिन परीक्षाओं के हिन्दी स्तर के बराबर ये परीक्षाएं मानी गई हैं, उनके नाम साथ में दिए गए हैं।

	संस्था	परीक्षा	समकक्ष
१	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद	प्रथमा	मैट्रिक
		मध्यमा (विशारद)	बी० ए०
		उत्तमा (साहित्य रत्न)	बी० ए० से ऊंची, किन्तु एम० ए० के बराबर नहीं
२	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	परिचय	मैट्रिक
		कोविद	इंटर
		रत्न	बी० ए०
३	प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद	विदुषी	इंटर
		सरस्वती	बी० ए०
४	हिन्दी विद्यापीठ, देवघर	प्रवेशिका	मैट्रिक
		साहित्यभूषण	इंटर
		साहित्यालंकार	बी० ए०
५	तिरुवांकुर हिन्दी प्रचार सभा, तिरुअनन्तपुरम्	प्रवेश	मैट्रिक
		भूषण	इंटर
६	आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी	प्रबोध	मैट्रिक
		विशारद	इंटर
७	हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	विशारद	मैट्रिक
		भूषण	इंटर
		विद्वान	बी० ए०
८	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ	उत्तमा	मैट्रिक
		भाषा रत्न	इंटर
		साहित्य सुधाकर	बी० ए०
९	महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना	प्रबोध	मैट्रिक
		प्रवीण	इंटर
		पण्डित	बी० ए०
१०	अखिल भारतीय हिन्दी परिषद, आगरा	पारंगत	बी० ए०
११	मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल	प्रबोध	मैट्रिक
		विशारद	इंटर
१२	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलौर	प्रवेश	मैट्रिक
		उत्तमा	इंटर
		रत्न	बी० ए०
१३	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	तीसरी	मैट्रिक
		विनीत	इंटर
		सेवक	बी० ए०
१४	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास	प्रवेशिका	मैट्रिक
		विशारद	इंटर
		प्रवीण	बी० ए०
१५	हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई	काबिल	मैट्रिक
		विद्वान	इंटर

टिप्पणी

(१) कालम १ में उल्लिखित सारी संस्थाओं की उन परीक्षाओं को मान्यता दी गई है, जो कालम २ में हैं और १९६० के अंत तक हो चुकेंगी।

(२) १ से १३ तक की क्रम संख्या वाली संस्थाओं की परीक्षाओं को और तीन साल के लिए अर्थात् १९६३ के अन्त तक मान्यता दी गई है। इसके बाद स्थिति पर फिर से विचार किया जाएगा।

(३) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (क्रम संख्या १३) की परीक्षाएं पास करने वाले केवल उन उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमाओं को मान्यता दी जाएगी, जिन्होंने सवालों के जवाब देवनागरी लिपि में दिए होंगे। विद्यापीठ को अपने डिप्लोमाओं आदि में यह बात स्पष्ट लिख देनी चाहिए कि अमुक उम्मीदवार ने देवनागरी लिपि में सवालों के जवाब दिए हैं। जिन उम्मीदवारों को पहले डिप्लोमा मिल चुके हैं, उन्हें विद्यापीठ से इस बात का प्रमाणपत्र ले लेना चाहिए कि उन्होंने देवनागरी लिपि के माध्यम से परीक्षा पास की है।

(४) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (क्रम संख्या १४) और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई (क्रम संख्या १५) को १९६० से बाद की परीक्षाओं को मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज

राज्यसभा में शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने २५ अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, आसाम, मैसूर, मद्रास की राज्य सरकारें तथा त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप के प्रशासन नये हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज खोलने या हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं।

पंजाब, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारों ने और मणिपुर, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीन द्वीप के प्रशासन ने सूचित किया है कि फिलहाल हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वहां वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से कोई उत्तर नहीं आया है।

डा० श्रीमाली ने यह भी बताया कि १९५९ और १९६० में नीचे लिखी संस्थाओं ने प्रशिक्षण कालेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता के लिए खासतौर से प्रार्थना की थी।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (८१,९०० रु०), मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलोर (१,४२,९०० रु०); हिन्दी प्रेमी मंडली महाविद्यालय, तेनाली, आंध्र प्रदेश (राशि नहीं दी गई) और असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी ने २,८१,००० रु० मांगे थे।

हिन्दी के वैज्ञानिक पर्यायों के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय का कार्य

शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी निदेशालय ने २९-२-६० तक विभिन्न विषयों के २ लाख १६ हजार ६४७ पारिभाषिक शब्द तैयार किए। इनमें से १ लाख २३ हजार ३१८ पारिभाषिक शब्दों को विशेषज्ञ समितियों ने स्वीकार कर लिया है, जिनमें ४०,८९८ पारिभाषिक शब्द विज्ञान के हैं।

हिन्दी निदेशालय में कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायनशास्त्र, प्रतिरक्षा, सामान्य प्रशासन, भौतिकी, समाज विज्ञान तथा गणित आदि विषयों के वैज्ञानिक कोषों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है।

भाषा सम्बन्धी काम करने वाली संस्थाओं को सहायता देने के कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर को ३,१५० रु० स्वीकृत अनुदान की तीसरी किस्त में तेलुगु भाषा के वर्ण-निर्माण और ध्वनि सम्बन्धी अध्ययन के लिए दिया गया। पूना के डेकन कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टिट्यूट को १,२८९ रु० हिन्दी भाषा के इसी प्रकार के अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुदान की अंतिम किस्त भी दी गई।

वाराणसी की नागरी प्रचारिणी सभा को हिन्दी विश्व कोश तैयार करने के लिए स्वीकृत अनुदान की आठवीं किस्त के रूप में ३५ हजार रु० दिए गए। संसदीय हिन्दी परिषद, नयी दिल्ली को १९५९-६० में हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए १२,६३० रु० देना स्वीकार किया गया और नयी दिल्ली के हिन्दी भवन को १९५९-६० के लिए ८४० रु० का अनुदान और स्वीकार किया गया।

हिन्दी के अध्यापकों की नियुक्ति

इस पखवारे में ५ हिन्दी भाषी राज्यों को केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत १९५९-६० में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ७ लाख १९ हजार ७९२ रु० देना स्वीकार किया गया।

संस्कृत का विकास

२४ मार्च, १९६० को केन्द्रीय संस्कृत मण्डल की दूसरी बैठक श्री पतंजलि शास्त्री की अध्यक्षता में हुई। बीकानेर के श्री शार्दूल संस्कृत विद्यापीठ को १०,२०० रु० राजस्थान की सरकार की मार्फत पुस्तकालय के लिए दिए गए।

विधि मन्त्रालय की पारिभाषिक शब्दावली

विधि उपमंत्री, श्री हाजरनवीस ने २५ अप्रैल को राज्यसभा में बताया कि विधि मन्त्रालय अपने अनुवाद कार्य में भाषा विशेषज्ञों के सम्मेलन द्वारा बनाई हुई शब्दावली और भारत के संविधान के क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवाद के पर्यायों का प्रयोग करता है। यह शब्दावली स्वीकार करके प्रकाशित कराई जा चुकी है।

हिन्दी के बड़े लेखकों की रचनाओं का संकलन

शिक्षा मंत्री, डा० श्रीमाली ने एक प्रश्न के उत्तर में २५ अप्रैल को राज्यसभा में बताया कि चुने हुए हिन्दी कवियों और लेखकों की पुस्तकों के वृहत् संकलन को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है।

किन विद्वानों को क्या कार्य सौंपा गया है इसका ब्यौरा यह है :

भारतेन्दु युग के नाटक, पद्य और गद्य साहित्य और तुलसीदास को छोड़कर राम भक्ति शाखा कवियों की कृतियां—प्रोफेसर नंददुलारे वाजपेयी, (सागर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष)

रहीम और गंग की कृतियां—डा० एस० पी० अग्रवाल, (लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर)

नागरीदास की कृतियां—डा० फैयाज अली खां, (किशनगढ़, राजस्थान)

फोर्ट विलियम कालेज के लेखकों और श्रीराम प्रसाद निरंजनी की कृतियां—डा० विश्वनाथ प्रसाद, (आगरा विश्वविद्यालय)।

हिन्दी शिक्षकों का भाषा शिक्षकों के समान वेतन

डा० श्रीमाली ने हिन्दी शिक्षकों के वेतन के सम्बन्ध में २५ अप्रैल को राज्य सभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि आंध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू और कश्मीर, बंगाल, पंजाब राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र—मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप की सरकारों ने लिखा है कि उनके यहां हिन्दी शिक्षकों का वेतनक्रम अन्य भाषा शिक्षकों से कम नहीं है। मद्रास सरकार ने भी यह सिद्धान्त मान लिया है कि वेतनक्रम में हिन्दी शिक्षकों को अन्य भाषा शिक्षकों से किसी भी प्रकार कम नहीं समझा जाएगा। लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीव के केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में हिन्दी पढ़ाने के लिए अलग अध्यापक नहीं है। मैसूर और बम्बई सरकार ने लिखा है कि वे इस विषय पर सूचना एकत्र कर रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

हिन्दी के दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन

शिक्षा मंत्री, डा० श्रीमाली ने २५ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हिन्दी के उच्च श्रेणी के उन ग्रंथों का जो अब उपलब्ध नहीं है संशोधित संस्करण निकालने का काम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सौंपा गया है।

इस योजना के अंतर्गत फिलहाल केवल विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो और परमाल रासो को प्रकाशन के लिए चुना गया है। इसके लिए २० हजार रुपये के स्वीकृत अनुदान में से ५,००० रुपया प्रयाग विश्वविद्यालय को दे दिया गया है।

महाभारत का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूं कबीर ने २५ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारत सरकार ने महाभारत का उड़िया भाषा में अनुवाद और मलयालम में उसकी टीका प्रकाशित करने के लिए सहायता दी है। श्री कबीर ने यह भी बताया कि सरकार ने असमिया भाषा में अनुवाद के लिए १०,००० रु० मंजूर किया है।

मंत्री महोदय ने बताया कि मूल ग्रंथों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए सहायता देते समय राज्य सरकार की सिफारिश, अनुवादक की ख्याति और उद्देश्य पर ध्यान दिया जाता है।

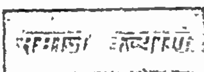
संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों के लिए पुरस्कार

शिक्षा मंत्रालय की २२ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने संस्कृत की अच्छे स्तर की तीन पाठ्य पुस्तकों को पुरस्कार देने का निश्चय किया है। ये पुस्तकें मुख्यतः माध्यमिक या निम्न माध्यमिक स्कूलों के १० से १३ साल तक के छात्रों के लिए लिखी होनी चाहिए। इन पुस्तकों पर २,४०० रु० ; २,१०० रु० और १,८०० रु० के पुरस्कार दिए जाएंगे।

पुरस्कार के लिए पुस्तकों के मसौदे ३१ जुलाई, १९६० तक शिक्षा मंत्रालय के विशेष अधिकारी (संस्कृत) के पास पहुंच जाने चाहिए।

अश्लील साहित्य बेचने वालों की गिरफ्तारी

राज्यसभा में २५ अप्रैल को प्रश्नोत्तर के समय श्री पन्त ने बताया कि दिल्ली में चोरी से अश्लील पुस्तकें आदि बेचने पर १० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके खिलाफ मुकदमे चले। पुलिस पुस्तकों की दुकानों पर जाती है और अश्लील साहित्य बेचने वालों को पकड़ती है।



शिविरों में रहने वाले विस्थापितों को फिर से बसाने के लिए निर्णय

केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री, श्री मेहर चन्द खन्ना ने २१ अप्रैल को राज्यसभा में बताया कि शिविरों में रहने वाले विस्थापितों को नोटिस देने, बयानानामा योजना और विस्थापितों को शिविरों से दण्डकारण्य या पश्चिमी बंगाल से बाहर किसी अन्य स्थान पर भेजने पर उनको प० बंगाल के पुनर्वास मंत्री, श्री पी० सी० सेन से सहमति है।

मंत्री महोदय ने यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में दी।

मंत्री महोदय ने बताया कि इन बातों पर विचार करने के लिए १ अगस्त, १९५९ और ३१ मार्च, १९६० के बीच उनकी श्री सेन के साथ ७ बैठकें हुई।

मंत्री महोदय ने बैठकों में हुए निर्णयों का विस्तृत ब्यौरा भी सदन की मेज पर रखा। उसका सारांश इस प्रकार है

(१) अगस्त १९५९ की बैठक इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि किसानों के अलावा शिविरों में रहने वाले अन्य परिवारों को ९० दिन के भीतर अपने आप या सरकार की बयानानामा योजना के अंतर्गत अन्यत्र बसने का प्रबन्ध करने का नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि इस अवधि में ये विस्थापित उक्त व्यवस्था नहीं करते तो उन्हें और उनके परिवार वालों को शिविर से हटा दिया जाएगा।

(२) सितम्बर १९५९ की बैठक

सितम्बर १९५९ में यह निश्चय किया गया कि शिविरों में रहने वाले किसान परिवारों को भी यह नोटिस दिया जाए कि वे दण्डकारण्य जाने के लिए अपनी स्वीकृति दें या बयानानामा योजना के अंतर्गत ९० दिन के भीतर कहीं और बसने का प्रबन्ध कर लें अन्यथा उन्हें भी शिविरों से हटा दिया जाएगा।

(३) २५ दिसम्बर, १९५९ की बैठक

राज्य पुनर्वास मंत्री ने राय दी कि खेती के उपयुक्त जमीन के अभाव में और खेती न करने वाले परिवारों को राज्य में फिर से बसाने के सीमित साधनों के कारण बयानानामा योजना कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही लागू की जा सकती है। दीर्घकालीन विकास

योजनाओं के जरिये कम उपजाऊ जमीनों को सुधारा जा सकता है, परन्तु इतनी लम्बी मियाद तक शिविरों को चलाया नहीं जा सकता। अत जुलाई १९५८ के मंत्रि-सम्मेलन के फैसले के अनुसार भारत सरकार को चाहिए कि वह ३५,००० परिवारों को शिविरों से हटाने का प्रबन्ध करे। एक यह भी सुझाव दिया गया कि इन परिवारों को दो महीने के अन्दर दण्डकारण्य जाने का नोटिस भी देना चाहिए। अगर वे इस अवधि मे वहा नहीं जाए तो उन्हें ६ महीने की सहायता देकर शिविर के रजिस्टर से उनका नाम खारिज कर दिया जाए।

(ख) राज्य मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ६,००० परिवारों को बसा चुकी है। शेष ४,००० परिवारों को बसाने के बारे में भी योजना बनाई जा रही है। परिवारों का चुनाव कर उन्हें खास जगहों में भेजा जाएगा और यदि वे वहा नहीं गए तो उन्हें भी ६ महीने की सहायता देकर उनके नाम रजिस्टर से खारिज कर दिए जाएंगे।

(४) २९ दिसम्बर की बैठक केन्द्र और राज्य के पुनर्स्थापन मंत्रियों ने अपने मंत्रालयों के सचिवों के निर्णय को इन सुझावों के साथ मान लिया

(क) विस्थापितों की जून १९५४ के पहले और जून १९५८ के बाद की स्थिति का अन्तर समाप्त किया जाए।

(ख) कृषक परिवारों और गैर-कृषक परिवारों दोनों को ६० दिन का नोटिस दिया जाए और राज्य सरकार कुछ मामलों में यह मियाद ६० दिन और बढ़ा सकती है।

(ग) राज्य सरकार केन्द्रीय पुनर्स्थापन मंत्रालय को उन परिवारों की सूची भेजेगी, जिनको वह नोटिस देगी। मंत्रालय लेखा-परीक्षक को उनके बारे में सूचित करेगा।

(५) जनवरी १९६० की बैठक में मन्त्रियों ने जनवरी १९६० में २,००० परिवारों को नोटिस देना स्वीकार किया। परिवारों का चुनाव राज्य सरकार करेगी।

(६) २८ जनवरी की बैठक में निश्चय किया गया कि राज्य सरकार और २,००० परिवारों को फरवरी १९६० में दण्डकारण्य जाने का नोटिस देगी।

(७) १७ मार्च, १९६० की बैठक में तय हुआ कि १ महीने तक परिवारों को शिविर छोड़ने का नोटिस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि १४,००० परिवारों को हटाया जा चुका है। अप्रैल १९६० में स्थिति का फिर से अध्ययन करने का निश्चय किया गया।

यह निश्चय हुआ कि जो परिवार दो बार ६० दिनों की मियाद बढ़ाने पर भी नहीं हटे हैं उन्हें १५ अप्रैल, १९६० तक फिर मौका दिया जाए।

विस्थापितों को उम्र और फीस की रियायत

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय की २९ अप्रैल की एक विज्ञप्ति मे बताया गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर से आए विस्थापितों को नौकरी के लिए दी जाने वाली उम्र और फीस की रियायत की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होगी। रियायतों का विवरण इस प्रकार है :

उम्र

(क) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग विस्थापितों को प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित नौकरियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु मे ३ वर्ष की छूट देता है। परन्तु यह रियायत इस शर्त पर दी जाती है कि वह उम्मीदवार केवल उतनी बार परीक्षा में बैठ सकता है, जितनी बार साधारण उम्मीदवार।

(ख) बिना परीक्षा की नियुक्तियों के लिए विस्थापितों की अधिकतम आयु ४५ वर्ष निश्चित है।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विस्थापित उम्मीदवारों को भाग 'क' और 'ख' की उम्र की छूट के साथ-साथ ५ वर्ष की और छूट दी जाती है। यह छूट केन्द्र के राजपत्रित (गजटेड) और अराजपत्रित (नान-गजटेड) तथा अखिल भारतीय सेवाओं में भी दी जाती है।

फीस

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का आवेदन-पत्र तथा परीक्षा की फीस देने में असमर्थ विस्थापितों को छूट देने का अधिकार है, बशर्ते कि उसे विश्वास हो जाए कि उम्मीदवार सचमुच गरीब है।

क्या आप जानते हैं !

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित

● पूर्वी पाकिस्तान से ३१ मार्च, १९६० तक ४१ लाख १७ हजार विस्थापित भारत आए।

● भारत सरकार ने आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इनको बसाने और सहायता देने पर १ अरब ६५ करोड़ ७१ लाख ० खर्च किए।

● लगभग १ करोड़ ४४ लाख रु० शिक्षा पर व्यय हुआ। इसमें ३०९ प्राथमिक पाठशालाएं, २३ माध्यमिक स्कूल और ११ कालेज खोले गए। साथ ही ४४२ गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सहायता दी गई।

● इसके अतिरिक्त विस्थापित छात्रों को छात्रवृत्ति और पुस्तकें दी गईं और फीस माफ की गई। विकलांगों को काम सिखाने और अध्यापकों की ट्रेनिंग तथा शिविरों में शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया।

● अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों के लिए लगभग ६०० पलंग सुरक्षित किए गए। इस पर ७० लाख रु० खर्च हुआ। तपेदिक के अस्पतालों और फेफड़े के रोगियों के दवाखानों (चेस्ट क्लिनिक्स) के निर्माण और उनके औजारों की खरीद पर लगभग २४ लाख रु० खर्च हुआ। तपेदिक के रोगियों को ५७ लाख रु० की सहायता दी गई। विस्थापित शिविरों में १ करोड़ ११ लाख रु० चिकित्सा पर व्यय हुआ।

● केन्द्रीय सरकार ने अकेले पश्चिम बंगाल में ही ८,३२,००० विस्थापित परिवारों को फिर से बसाने में १ अरब २० करोड़ रु० खर्च किया।

● पुनर्वास उद्योग निगम ने पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों को काम दिलाने के लिए १० औद्योगिक योजनाओं को २७ करोड़ रु० ऋण दिया। इनमें १,२०० विस्थापितों को काम मिलेगा।

पश्चिमी बंगाल में विस्थापितों के लिए मकान बनाने पर खर्च

पश्चिमी बंगाल में रहने वाले विस्थापितों के लिए भारत सरकार ने ४१ करोड़ से भी अधिक रुपये मकानों की योजनाओं पर

खर्च किये हैं। २८.४१ करोड़ रु० से अधिक विस्थापितों को मकानों के लिए ऋण के रूप में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त १ करोड़ ७१ लाख रु० के मकान बनाकर सरकार ने विस्थापितों को दिये हैं। यह सूचना पुनर्वास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में दी गई है, जिसमें इस बात का विवरण दिया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों के रहने के लिए मकानों की क्या व्यवस्था की गई है।

दण्डकारण्य में अनुसूचित आदिम जातियों की भलाई के काम

पुनर्स्थापन मंत्रालय दण्डकारण्य के अनुसूचित आदिम वर्ग के लोगों की भलाई के लिए विशेष उपाय कर रहा है। इस क्षेत्र में जितनी भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा उसका २५ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को देने का निर्णय किया गया है। उड़ीसा सरकार को, अनुसूचित जाति के लोगों को बांटने के लिए खेती योग्य बनायी गयी १,७१० एकड़ भूमि दी गयी है।

विस्थापितों को बसाने के लिए गांव का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की गांव के पास की जमीन या जंगलात को न चुना जाए।

इसके अलावा यह भी कोशिश की जाएगी कि सड़क तथा नहर आदि बनाते समय उनके मकानों को न हटाना पड़े। जहां ऐसा करना पड़ेगा वहां उनको या तो नये गांव में या उनके द्वारा बताये गये अन्य क्षेत्र में बसाया जाएगा।

अनुसूचित आदिम जातियों की भलाई के लिए सलाहकार

सड़कें तथा नहरें आदि बनाते समय अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अनुसूचित आदिम जातियों के गांवों में तालाबों में सुधार करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सरकार के इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए दण्डकारण्य में एक सलाहकार नियुक्त किया गया है।

दण्डकारण्य विकास अधिकारियों के पास केन्द्रीय मंत्रालय ने यह आदेश भेजा है कि वे अपने अनुसूचित आदिम जातियों के संगठनों को मजबूत बनाएं। इसके अलावा भलाई की योजनाओं के बारे में उनकी राय जानने के लिए स्थानीय अनुसूचित आदिम जातियों के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी कहा गया है।

अधिकारियों से अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्र खोलने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उनके गांवों में पानी की सफाई की ओर ध्यान देने के लिए विशेष जोर दिया गया।

विस्थापितों को नौकरी के लिए उद्योग

पुनर्स्थापन उद्योग निगम ने १० औद्योगिक योजनाएं मंजूर की हैं, जिन पर कुल मिलाकर २.७ करोड़ रु० का ऋण दिया जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान से आये १,२०० विस्थापितों को नौकरी मिल सकेगी।

यह सूचना १८ अप्रैल को राज्यसभा में पुनर्स्थापन उपमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।



धूम्रपान से फेफड़ों में कैंसर

लोकसभा में २१ अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमरकर ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन दल की रिपोर्ट में इस खोज पर विशेष जोर दिया गया है कि धूम्रपान फेफड़े के कैंसर का प्रमुख कारण है। बम्बई का भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र इस बात का अध्ययन कर रहा है कि किस हद तक धूम्रपान फेफड़े के कैंसर का कारण हो सकता है। यह अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है।

बम्बई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती फेफड़े के कैंसर के १,४६० मरीजों का अध्ययन करने से पता चला है कि बीड़ी पीने से खाने की नली में कैंसर हो जाता है। यह भी पता चला है कि तम्बाकू खाने तथा पीने से मुंह में कैंसर हो जाता है। भारत सरकार कैंसर के कारणों का पता लगाना चाहती है और इस सम्बन्ध में अनुसंधान किए जा रहे हैं।

पाक अधिकृत कश्मीर से लौटे मुसलमानों की सहायता के लिए अनुदान

केन्द्रीय पुनर्स्थापन मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से वापस आये हुए मुसलमानों की सहायता के लिए कश्मीर सरकार को ५० लाख रु० दिया है।

यह सूचना केन्द्रीय पुनर्स्थापन उपमंत्री, श्री पी० एम० नस्कर ने २८ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि ५० लाख रु० में से साढ़े १२ लाख रु० का अनुदान तुरन्त दिया जाएगा और शेष रु० जरूरत पड़ने पर। श्री नस्कर ने बताया कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गये हैं, उनकी जमीनें २१,००० हिन्दू-सिख विस्थापित परिवारों में बांट दी गयी हैं। काफी मुसलमान परिवार भारत वापस आ गये हैं और बाकी बाद में आ सकते हैं। उनकी जमीनों पर काबिज हिन्दू-सिख परिवारों को ज्यों का त्यों रहने देने का निर्णय किया गया है। उसकी एवज में यह धन राशि सरकार को दी गयी है जिससे वे मुस्लिम परिवार फिर बसाये जा सकें।

कुष्ठ रोकथाम समिति की बैठक

नयी दिल्ली में २० अप्रैल को कुष्ठ की रोकथाम के लिए सलाह देने वाली समिति का दो दिन का सम्मेलन समाप्त हुआ। समिति ने तीसरी योजना में कुष्ठ की रोकथाम के लिए अधिक केन्द्र खोलने की सिफारिश की है। सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमरकर ने की।

समिति ने सिफारिश की है कि तीसरी योजना में डाक्टरों को कुष्ठ की रोकथाम की ट्रेनिंग देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति ने कहा है कि कुष्ठ निवारण के ७ करोड़ रु० की मंजूरी कम है।

राज्य

१९५९ में राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति

सन् १९५९ में राष्ट्रपति ने १५६ विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दी। इसमें से एक-तिहाई विधेयक भूमि, खेती और काश्तकारी सुधार के बारे में थे।

२७ विधेयक बिचौलियों को हटाने, वन-संरक्षण, भूमि को खेती योग्य बनाने और भूमि को छोटे हिस्सों में बटने से रोकने के लिए कानून बनाने या वर्तमान कानूनों में सुधार करने के लिए बनाये गये थे। १३ विधेयक बेदखली रोकने, जमीन पर हक देने तथा काश्तकारों की सुधार के लिए मुआवजा देने के बारे में हैं। ११ विधेयक भूमि अधिग्रहण के बारे में हैं।

इस प्रकार के विधेयक सबसे अधिक बम्बई से आये। ऐसे विधेयकों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है बम्बई–११ ; पंजाब–७ ; मध्य प्रदेश और राजस्थान–६-६ ; आंध्र प्रदेश—५ ; मद्रास–४ ; और उड़ीसा–३ ; बिहार, केरल, मैसूर तथा पश्चिम बंगाल–२-२ और उत्तर प्रदेश–१।

इसके अलावा किराया नियंत्रण, पंचायत, बिक्री कर, नगरपालिका और आवश्यक वस्तु नियंत्रण सम्बन्धी विधेयक भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गये।

१५६ विधेयकों में से २४ बम्बई, १८ राजस्थान, १४ मध्य प्रदेश, १३ पंजाब और १२-१२ आंध्र प्रदेश और बिहार से आये। इसके अलावा मद्रास से ११, केरल से १०, मैसूर और पश्चिम बंगाल से ९-९, उत्तर प्रदेश से ७, उड़ीसा से ४ और आसाम से ३ विधेयक आये।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में १६ अप्रैल को दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों की बैठक स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द बल्लभ पन्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केरल ने सूचना दी कि वह भी दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के संयुक्त पुलिस संगठन में शामिल होने को तैयार है। केरल के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, आंध्र, मद्रास और मैसूर के इंस्पेक्टर जनरलों से मिलकर इसके सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करने पर विचार करें।

श्री पंत ने इस योजना को स्वीकार करने के लिए राज्यों से अनुरोध करते हुए कहा था कि इसके द्वारा प्रत्येक राज्य का अपना भार कम हो जाता है और उन्हें अलग-अलग अधिक पुलिस नहीं रखनी पड़ती।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आवश्यक संरक्षण पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर भी इस बैठक में विचार हुआ। रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। श्री पंत ने इस बात की प्रशंसा की कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सर्वसम्मति से दी है। भारत सरकार ने अपने मेमोरंडम में जो संरक्षण भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुझाये थे, उन्हें इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया। इन सिफारिशों को अमल में लाने में जो कठिनाइयां हों, उन पर विचार करने के लिए एक स्थायी समिति नियुक्त की गई, जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होंगे। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के सचिव इस समिति के भी सचिव होंगे।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद ने जून १९५८ में उदकमंडलम् में हुई अपनी बैठक में क्षेत्रीय विद्युत वितरण संगठन स्थापित करने की जो सिफारिश की थी, उसके सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया है, इसकी सूचना बैठक में दी गई। समिति ने सिफारिश की थी कि इस क्षेत्र के राज्यों में बिजली के वितरण के लिए संयुक्त व्यवस्था की जाए। बैठक में स्वीकार किया गया कि प्रत्येक विस्तार से रिपोर्ट तैयार करके केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा योजना आयोग के सामने रखें।

बैठक में इस बात पर फिर से जोर दिया गया कि गांवों के क्षेत्रों में शीघ्रता के साथ बिजली पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारत सरकार और योजना आयोग से अनुरोध किया गया कि वह गांवों में बिजली पहुंचाने की योजनाओं के लिए या तो बिना ब्याज के रुपया उधार दें या वैसे ही सहायता दें।

स्वराष्ट्र मन्त्री का भाषण

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने बैठक में भाषण करते हुए कहा कि शासन के यन्त्र को इतना चुस्त बनाना चाहिए कि वह भविष्य में आने वाले भारी उत्तरदायित्व को सम्भाल सके। पन्त जी ने कहा कि इधर कुछ वर्षों में अनाज की पैदावार काफी बढ़ी है। हमारा यह लक्ष्य है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनाज का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया जाए। यह तभी सम्भव है जब हम अपने प्रयत्नों में कुछ भी कमी न आने दें। इसके लिए हर राज्य सरकार को पूरी ताकत से काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा खाद्य स्थिति अच्छी रही है। सौभाग्यवश इस क्षेत्र में ऐसी बाढ़ और अन्य आपदाएं भी नहीं आईं, जैसी देश के अन्य क्षेत्रों में आईं।

दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों ने बिजली बनाने, गांवों में बिजली लगाने, सड़के बनाने, नए पुल बनाने और शिक्षा के काम में जो प्रगति की है, उसकी पन्त जी ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोचीन में दूसरा जहाज कारखाना खोलने का निश्चय हो चुका है और अब वहां इसके लिए जमीन आदि ली जा रही है। विदेशी शिल्पियों की सलाह से बंगलौर में घड़ी बनाने का कारखाना खोलने की योजना तैयार हो गयी है। उदकमण्डलम् में कच्ची फिल्में बनाने और मद्रास में सर्जरी के औजार बनाने के कारखाने खोलने की भी तैयारी हो गयी है।

उन्होंने कहा कि नैवेली योजना में काफी प्रगति हुई है और सम्भवतः १९६१ में वहां पहला बिजलीघर चालू हो जाएगा। उसके दो साल बाद वहां लिग्नाइट और उर्वरक का पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मद्रास राज्य और उसके आसपास के क्षेत्र में छोटे उद्योग भी शुरू हो जाएंगे।

पन्त जी ने कहा कि तीसरी योजना की रूपरेखा स्पष्ट हो गयी है। यदि हमें शीघ्र

आत्मनिर्भर बनना है, तो हम अगले पांच वर्षों में पिछले वर्षों से काफी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी योजना बहुत अच्छी तरह चले, इसके लिए हमें हर प्रकार से तैयारी करनी होगी।

उन्होंने कहा कि योजना को चलाने के लिए कुशल कर्मचारी आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध को क्षेत्रीय समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। समिति को चाहिए कि इस विषय पर बराबर ध्यान रखे। पन्त जी ने कहा कि मैसूर को आरम्भ से ही परिषद का सदस्य समझा गया था। अब उसे परिषद का बाकायदा सदस्य बना दिया गया है। उसे दक्षिण क्षेत्र में शामिल करने के लिए राज्य पुनर्गठन कानून में संशोधन किया जा रहा है।

मिजो पहाड़ी जिले में चावल की सप्लाई

१८ अप्रैल को खाद्य उपमंत्री, श्री थामस ने मिजो पहाड़ी जिले में फसल खराब होने और अन्नाभाव हो जाने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकार वहां धान और चावल पहुंचाने के बारे में क्या कर रही है।

उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि मिजो पहाड़ी जिले में चूहों ने फसल को बरबाद कर दिया है। लेकिन अब वहां ६ विमानों द्वारा चावल गिराया जा रहा है। इसके अलावा नावों और मोटरों द्वारा भी चावल पहुंचाया जा रहा है। ३ अप्रैल, १९६० तक वहां १,९०,५९५ मन चावल और धान पहुंचाया जा चुका था। जनवरी १९६० के अंत तक ६२,४४९ मन चावल पहुंचाया गया था। बाकी चावल १ फरवरी, १९६० और ३ अप्रैल, १९६० के बीच विमानों, नावों और मोटरों आदि से भेजा गया।

छ सौ टन चावल कलकत्ता से जहाज से चिटगांव भेजा जा रहा है, जहां से नदी के रास्ते यह मिजो पहाड़ी जिले में डेमागिरि पहुंचाया जाएगा।

पर्याप्त स्टाक

आसाम सरकार का अनुमान है कि इस जिले की सारी आबादी को, अक्तूबर में अगली फसल आने तक ५ लाख टन चावल की जरूरत होगी। इसमें से ३ अप्रैल तक करीब १,९०,००० मन तो वहां पहुंच ही चुका है और मैं नहीं समझता कि जिले में अन्न का इतना अकाल है, जितना कुछ सदस्यों ने बताया है।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह आसाम सरकार को १०,००० टन चावल देने को राजी हो गई है और इसमें से ६,३८९ टन चावल पहुंच भी चुका है। श्री थामस ने अपने वक्तव्य में कहा कि आसाम में केन्द्रीय सरकार के पास चावल का काफी स्टाक है। लेकिन भंडार आदि की व्यवस्था न होने के कारण आसाम सरकार २,००० टन प्रति मास से अधिक चावल नहीं ले रही है। आसाम सरकार से कह दिया गया है कि वह गुवाहाटी के केन्द्रीय गोदाम से जितना चावल चाहे ले सकती है।

आसाम सरकार, मिजो पहाड़ी जिले में २१.६० रु० मन चावल बेच रही है। इस भाव पर सरकार घाटा उठाकर चावल दे रही है। चावल की ढुलाई का सारा खर्च आसाम सरकार देगी। इस अन्न की सहायता पर राज्य सरकार को करीब ३ करोड़ रु० खर्च करना होगा।

कुछ पहले कुछ लोगों के भूख से मरने की खबरें मिली थीं, पर फरवरी १९६० के अंत में आसाम सरकार ने इन खबरों की सचाई के बारे में जांच की और ये सब झूठी निकलीं। इसके बाद मिजो जिला परिषद के चीफ एक्जीक्यूटिव अफसर ने फिर कुछ मौतें होने की खबर दी है। आसाम सरकार से इनके बारे में भी जांच करने को कहा गया है।

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने घोषणा की है कि गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में रहेगा। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वश्री सुन्दर लाल त्रिकमलाल देसाई, कान्तिलाल ठाकुरदास देसाई, जयशंकर मणिलाल शेलट, नोमानभाई महमदभाई मियाभाई और वदरेवू सादिर राजू को गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

शिलांग में आयात-निर्यात नियंत्रण कार्यालय

आसाम राज्य के लिए १ अप्रैल, १९६० से शिलांग में आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण कार्यालय चालू हो जाएगा। यह कार्यालय आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, कलकत्ता के अन्तर्गत काम करेगा।

सड़क परिवहन निगम (प० बंगाल संशोधन) विधेयक, १९५९

यह विधेयक १९५० के सड़क परिवहन निगम अधिनियम में संशोधन करने के लिए बनाया गया है। इससे पश्चिम बंगाल सरकार को उत्तर बंगाल तथा कलकत्ता क्षेत्र में राजकीय परिवहन की व्यवस्था को विभाग के हाथों से हटाकर दो स्वशासी संस्थाओं को सौंपने का अधिकार दिया गया है।

विधेयक में, परिवहन में लगी हुई सरकारी पूंजी तथा राज्य सरकार के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को इन दोनों स्वशासी संस्थाओं को देने की भी व्यवस्था है।

इस समय राजकीय परिवहन विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं विधेयक में स्वशासी संस्था स्थापित होने पर उनकी नौकरी सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था है।

बर्दवान विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९

इस विधेयक के अनुसार प० बंगाल में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित होगा। यह विश्वविद्यालय हावड़ा जिले को छोड़कर सारे बर्दवान डिवीजन के लिए होगा। इसमें आर्ट्स और साइंस के अलावा इंजीनियरी, माइनिंग और मेटलर्जी आदि शिल्पिक विषयों की पढ़ाई होगी।

दिल्ली नगर निगम को बस्तियों में सुधार के लिए अनुदान

दिल्ली की किंग्सवे कैम्प और कई बस्तियों के सुधार के लिए २० लाख ८२ हजार रु० देना मंजूर किया है। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में पुनर्स्संस्थापन उपमन्त्री, श्री पूर्णेन्दु शेखर नस्कर ने २१ अप्रैल को राज्यसभा में दी।

प्रतिरक्षा

३० व्यक्तियों को बहादुरी के लिए अशोक-चक्र

राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में २७ अप्रैल को एक समारोह में राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कुल ३० व्यक्तियों को अशोक चक्र (श्रेणी २ और ३) के तमगे प्रदान किए। ये तमगे २५ सैनिकों, २ गाव-चौकीदारों और ३ असैनिकों को मिले, जिन्होंने नागा पहाड़ी-तुएनसाग क्षेत्र में और अन्यत्र अपनी बहादुरी तथा साहस का परिचय दिया है।

असैनिकों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउण्ट विमान का पायलट भी है, जिसने ओलों और तूफान में बड़ी सावधानी से बिना किसी क्षति के अपना विमान उतार लिया था। डाक सेवा निदेशालय की एक स्टाफ कार के ड्राइवर को भी तमगा दिया जा रहा है। इस ड्राइवर ने एक बार बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया था, जिसके फलस्वरूप बहुत-सा सरकारी रुपया एक लुटेरे के चंगुल में जाने से बच गया।

पुरस्कार पाने वालों में चार की मृत्यु हो चुकी है अतः उनके तमगे उनके निकटतम सम्बन्धियों को दिए गए।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज का उद्घाटन

प्रधान मन्त्री ने २७ अप्रैल को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज का उद्घाटन किया। इस कालेज में सेनाओं और असैनिक विभागों के ऊंचे अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में देश की रक्षा के सामरिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और औद्योगिक पहलुओं को स्थान दिया जाएगा। साथ ही ऊंचे अफसरों के एक स्थान पर एकत्र होने से एक-दूसरे के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने का भी सबको अवसर मिलेगा।

प्रतिरक्षा कालेज में शुरू में ११ महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और लगभग २५ अफसर एक साथ भर्ती होंगे। कालेज के कमांडेंट ले० जनरल के० बहादुर सिंह हैं। इनके अलावा तीनों सेनाओं के कई ऊंचे अफसर और एक आई०सी०एस० अधिकारी यहां अध्यापन कार्य करेंगे। कालेज नयी दिल्ली में तीस जनवरी मार्ग पर एक बड़ी इमारत में खुला है।

वायुसैनिकों को पुरस्कार

वायुसेनाध्यक्ष, एयर-मार्शल एस० मुखर्जी ने २७वें वायुसेना दिवस के अवसर पर १९ वायुसैनिकों को उत्कृष्ट सेवा, दीर्घ सेवा तथा सदाचार के पदक प्रदान किए हैं।

उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पदक के साथ-साथ वार्षिक वृत्ति तथा दीर्घ सेवा और सदाचार के पदक के साथ ग्रेच्युटी दी जाती है। ये पुरस्कार सबसे पहले १९५५ में दिए गए थे।

सूचना

लगभग ढाई वर्ष पूर्व पाक्षिक 'भारतीय समाचार' का प्रकाशन इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि इसमें सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत किया जा सके। इस अल्पकाल में 'भारतीय समाचार' ने काफी लोकप्रियता प्राप्त की है।

हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि पत्रिका का स्तर ऊंचा रहे और इसे अधिक आकर्षक बनाया जाए। परन्तु न चाहते हुए भी, लागत में निरन्तर वृद्धि होने के कारण अब हमें पत्रिका की एक प्रति का मूल्य ०.४५ नये पैसे और वार्षिक चन्दा ९.०० रुपये करना पड़ रहा है।

नया मूल्य १ जून, १९६० (अंक नं० ९) से लागू होगा। परन्तु वार्षिक ग्राहकों को 'भारतीय समाचार' पुराने मूल्य पर तब तक मिलेगा, जब तक उनका वर्तमान चन्दा समाप्त नहीं हो जाता।

हमें आशा है कि भविष्य में भी पाठकों की इस पत्रिका पर उतनी ही कृपा बनी रहेगी जितनी अब तक रही है।



इन्डोनेशियाई स्थल सेना के उपाध्यक्ष की भारत-यात्रा

इन्डोनेशिया की स्थल सेना के उपाध्यक्ष मेजर जनरल गातोत सुब्रतो १६ अप्रैल को १६ दिन की यात्रा पर भारत आये। वे १७ अप्रैल को मद्रास से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली पहुंचे।

घाना में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा परिचय-पत्र पेश

घाना में भारत के उच्चायुक्त, श्री सूबचन्द ने २० अप्रैल को गवर्नर जनरल, लार्ड लिस्टोवल को अपना परिचयपत्र पेश किया।

ब्रिटिश गायना के मन्त्री की भारत-यात्रा

ब्रिटिश गायना के प्राकृतिक साधन मंत्री श्री बी० एच० बैन और वहां की सरकार के सचिव, श्री जी० ई० लक भारत की १५ दिन की यात्रा पर ६ अप्रैल को नयी दिल्ली पहुंचे।

मलाया में भारतीय उच्चायुक्त मनोनीत

परराष्ट्र मन्त्रालय की २७ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में, मन्त्रालय के संयुक्त सचिव, श्री योगेन्द्र कृष्ण पुरी को मलाया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा की गई है। श्री पुरी सिंगापुर के लिए भी भार[त] के आयुक्त का काम करेंगे और साथ सारावाक, ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो और [ब्रूनेई] भी आपके क्षेत्राधिकार में रहेंगे। श्री पु[री] अपना नया पद अगस्त १९६० में संभालेंगे।

जापान में भारत के नये राजदूत की नियु[क्ति]

रंगून में भारत के राजदूत, श्री लाल[जी] महरोत्रा को जापान में भारत का राज[दूत] नियुक्त किया गया है। आशा है वे जुला[ई] १९६० में अपना नया कार्य संभाल लेंगे।

यह सूचना परराष्ट्र मन्त्रालय की २[७] अप्रैल की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

हनोई विश्वविद्यालय को भारतीय पुस्तकें भेंट

हनोई में भारतीय महावाणिज्य दूत ने [..] मार्च को भारत सरकार की ओर से हनो[ई] विश्वविद्यालय को १४९ भारतीय पुस्तकें भेंट में दीं।

समाचार-दर्शन

१६ अप्रैल से ३० अप्रैल तक

अप्रैल

१६—दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की पांचवीं बैठक नयी दिल्ली में केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त की अध्यक्षता में सम्पन्न

—नयी दिल्ली में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय परामर्श मण्डल की बैठक सम्पन्न

१७—नयी दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की १५वीं बैठक सम्पन्न

१८—पाकिस्तान और भारत में एक दूसरे को रेलों की सुविधा देने के सम्बन्ध में नयी दिल्ली में हो रही वार्ता स्थगित

१९—भारत-चीन सीमा के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए चीन के प्रधान मन्त्री, परमश्रेष्ठ श्री चाऊ-इन लाइ का नयी दिल्ली आगमन

—रेलवे प्रयोक्ताओं की राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद की दो दिन की बैठक नयी दिल्ली में आरम्भ

२०—फिल्मों, वस्त्रों, कम्प्रेस्ड इंजनों, साइकिल के हिस्सों इत्यादि पर लगने वाले उत्पादन शुल्क में कुछ रियायतों की भारत सरकार द्वारा घोषणा

—नयी दिल्ली में कुष्ठ सलाहकार समिति की दो दिन की बैठक शुरू

२३—भारत में बायोगैस और बायो-फरटिलाइजर तैयार करने वाली मशीनें बनाने के लिए नयी दिल्ली में भारत सरकार और हंगरी की केमोलिम्पेक्स में एक समझौते पर हस्ताक्षर

—कलकत्ते में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और बर्मा आयल कम्पनी (पाइप लाइन) लिमिटेड, में असम आयल पाइप लाइन प्रोजेक्ट के लिए ५१ हजार टन हाई टेस्ट लाइन पाइप सप्लाई करने के लिए समझौता

२४—कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा कालेज के शिक्षकों और अधिकारी-छात्रों के १७ सदस्यीय शिष्टमण्डल का भारत के दौरे पर नयी दिल्ली आगमन

अप्रैल

२५—भारतीय और चीनी प्रधान मन्त्री में भारत-चीन सीमा-विवाद के सम्बन्ध में हुई वार्ता के बारे में नयी दिल्ली से एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी

—बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६०, को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली—इस विधेयक के अनुसार १ मई को बम्बई राज्य महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों में बांट दिया जाएगा

—दुर्गापुर के इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी ने इस्पात बनाना आरम्भ किया

२६—बिर्कनहेड (ब्रिटेन) में हुए एक समारोह में पनडुब्बीमारक जहाज 'आई० एन० एस० तलवार,' भारतीय नौसेना में शामिल

—राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने गणतन्त्र दिवस अलंकार वितरित किए

—युगोस्लाविया के परराष्ट्र मन्त्री, परमश्रेष्ठ श्री कोका पोपोविक का ५ दिन की यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन

२७—भारत की १० दिन की यात्रा पर फिलीपीन के उपराष्ट्रपति, परमश्रेष्ठ श्री दायसदादो मैकपगल का नयी दिल्ली आगमन

—राष्ट्रपति द्वारा सैनिकों को वीरता के लिए ३० अशोक चक्र प्रदान किए गए

२८—नयी दिल्ली में भारत-पाक सूचना परामर्शदात्री समिति की दो दिन की बैठक सम्पन्न

—आकाशवाणी द्वारा एक नया मासिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'समकालीन साहित्य' आरम्भ

२९—संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित

३०—प्रौद्योगिक शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद की १३वीं बैठक नयी दिल्ली में सम्पन्न।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, [illegible]-८ द्वारा सम्पादित तथा
ओरियंटल प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली-६ द्वारा

उपयोगी तथा रोचक प्रकाशन



राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण

(१९५२-५६)

मूल्य : डाक व्यय :
३.५० ०.८५

इस पुस्तक में डा० राजेन्द्र प्रसाद के जनवरी, १९५२ से मई, १९५६ तक के भाष संगृहीत हैं। तिथि-क्रम से दिए गए इन भाषणों तथा लेखों में अनेक विषयों पर प्रकाश डाल गया है और उनमें डा० राजेन्द्र प्रसाद का व्यक्तित्व एक राजनीतिज्ञ, विद्वान, इतिहासका शिक्षा-शास्त्री, आदर्शवादी, समाज सुधारक और सबसे अधिक एक महान् रचनात्मक विचार के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

स्वाधीनता और उसके बाद

(जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)

मूल्य : डाक व्यय :
५.०० १.३५



भारत द्वारा आजादी प्राप्त करने के पश्चात् प्रायः डेढ़ वर्ष में दिए गए प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषणों का संग्रह।

प्रधान मंत्री के अनुपम व्यक्तित्व ने भाषणों के विषयों को एक आधारभूत एकता प्रदान की है। ये भाषण, जिनमें कुछ सामयिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, कुछ में नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार है और कुछ में भावनाओं का संचार है, राष्ट्र को अत्यधिक उद्योग करने के लिए अनुप्रेरित करते है।

भारत की एकता का निर्माण

(सरदार पटेल के भाषण)

भारत की आजादी से पूर्व ५८४ देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय स्वर्गीय सरद वल्लभभाई पटेल को है। उसी महान् नेता के २७ विविध विषयक भाषणों का संग्रह।

मूल्य : डाक व्यय :
५.०० १.३०

(रजिस्ट्री व्यय अलग)

२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाएगा।
मूल्य अग्रिम आना चाहिए, क्रास्ड पोस्टल आर्डर द्वारा सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य या सीधा लिखें :

प्रकाशन विभाग

पो० बा० नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८



नयी दिल्ली में २७ अप्रैल को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज के उद्घाटन के अवसर पर प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू उपस्थित लोगों के सम्मुख भाषण देते हुए



नयी दिल्ली में १६ अप्रैल को दक्षिण-क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्री श्री गोविंद वल्लभ पन्त



नयी दिल्ली में १६ अप्रैल को हुए एक समारोह में केन्द्रीय रेल मन्त्री श्री जगजीवन राम १२ रेल कर्मचारियों को उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रत्येक को चांदी का एक मेडल और ५०० रु० का कैश सर्टीफिकेट देते हुए

रजिस्टर्ड नं०
डी०-९४१



नयी दिल्ली में २६ अप्रैल को हुए एक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद संस्कृत के विद्वान पण्डितराज आत्मबापू शर्मा को सम्मान-पत्र देते हुए

नयी दिल्ली में हुए ग्रीष्म नाटक समारोह के अन्तर्गत २७ अप्रैल को खेले जाने वाले शूद्रक के मृच्छकटिकम् नाटक के हिन्दी रूपान्तर का एक दृश्य

भारतीय समाचार



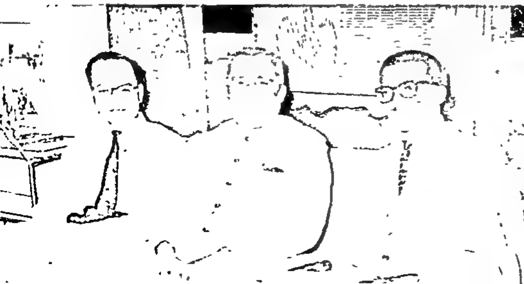
वर्ष ३ | १ मई, १९६० (११ वैशाख, १८८२) | अङ्क ७



सोनीपत के समीप एक गांव म ६ अप्रैल को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद आचार्य विनोबा भावे के साथ। बाईं ओर पंजाब के राज्यपाल श्री एन० वी० गाडगिल हैं



१३ अप्रैल को नयी दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन की स्थापना के ५ वर्ष पूरे हुए—केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई भवन का निरीक्षण करते हुए



आजकल भारत के १५ दिन के दौरे पर आए हुए ब्रिटिश गियाना के प्राकृतिक साधन मन्त्री, श्री बी० एच० बेन (दाए) नयी दिल्ली में ११ अप्रैल को केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री, श्री एस० के० पाटिल के साथ

भारतीय

समाचार

वर्ष ३ | १ मई, १९६० | ११ वैशाख, १८८२ | अङ्क ७

एक प्रति रु० ०.३५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

आवरण चित्र : नयी दिल्ली में १२ अप्रैल को हुए एक समारोह में राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद श्री उदयशंकर को संगीत नाटक अकादमी का १९५९-६० का पुरस्कार देते हुए

मुख्य विषय

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)

राष्ट्रपति नासिर की भारत-यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति

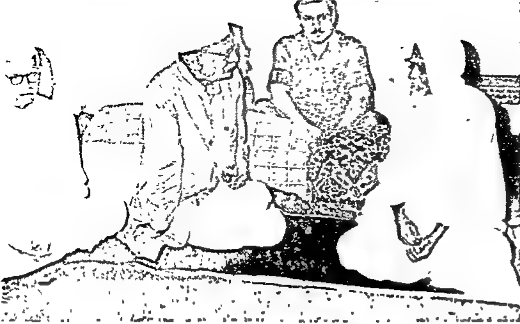
संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, परम-श्रेष्ठ गमाल अब्दुल नासिर की १२ दिन की राजकीय यात्रा की समाप्ति पर ९ अप्रैल को नयी दिल्ली में यह संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई

भारत सरकार के निमन्त्रण पर संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, परमश्रेष्ठ गमाल अब्दुल नासिर २९ मार्च से १० अप्रैल, १९६० तक भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ परराष्ट्र मंत्री डा० महमूद फौजी, राष्ट्रपति से सम्बन्धित विषयों के मंत्री श्री अली साबरी, नगर और देहात विषयक मामलों के मंत्री श्री टुमा अल अबाद अल्लाह और संयुक्त अरब गणराज्य के अन्य उच्चाधिकारी भी थे।

राष्ट्रपति और उनके दल ने भारत के कुछ प्रमुख नगरों की यात्रा की। दिल्ली में राष्ट्रपति नासिर ने भारत के संसद के सदस्यों के समक्ष भाषण किया, अलीगढ़ में उन्हें अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने डाक्टरी की उपाधि से अलंकृत किया और बम्बई में उन्होंने मिस्री-सारियाई कपास उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वैज्ञानिक संस्थाओं और ग्राम विकास योजनाओं को भी देखा। भारत में वह जहां कहीं भी गए, जनता ने उनका हार्दिक और मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। भारत सरकार का यह मत है कि जनता ने जो उत्साह दिखाया वह वास्तव में अपने देश की स्वतंत्रता की पुष्टि करने वाले एक नेता के प्रति श्रद्धांजलि-स्वरूप था। इससे उस मैत्री भाव का भी प्रचुर प्रमाण मिला जो युगों से भारत की जनता और अरब देशों की जनता के बीच रहा है।

दिल्ली आवास के दौरान राष्ट्रपति नासिर और प्रधान मंत्री नेहरू में संसार की स्थिति और परस्पर हित के विषयों पर अनेक बार बातचीत हुई। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने किसी गुट से न मिलने की नीति में अपनी निष्ठा और सभी देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के संकल्प को दोहराया। उनका यह मत है कि एशिया और अफ्रीका के हाल ही में स्वतन्त्र हुए देशों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की मार्फत सहायता और सहयोग का स्वागत होगा, परन्तु किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

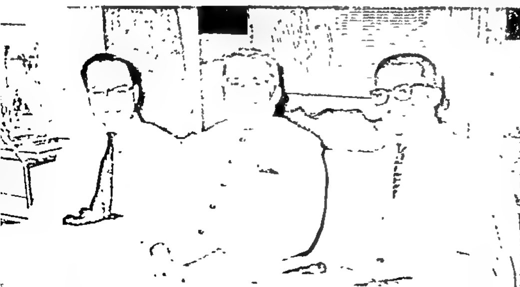
राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में हो रही कमी का स्वागत किया। उन्होंने राज्याध्यक्षों के होने वाले सम्मेलन का भी स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की कि तनाव कम करने का उनका प्रयत्न सफल होगा। उन्होंने संकल्प किया कि शांति का वातावरण उत्पन्न करने और संघर्ष के अवसर कम करने वाले किसी भी समझौते का वे समर्थन करेंगे।



सोनीपत के समीप एक गांव म ६ अप्रैल को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद आचार्य विनोबा भावे के साथ। बाईं ओर पंजाब के राज्यपाल श्री एन० वी० गाडगिल हैं



१३ अप्रैल को नयी दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन की स्थापना के ५ वर्ष पूरे हुए—केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई भवन का निरीक्षण करते हुए



आजकल भारत के १५ दिन के दौरे पर आए हुए ब्रिटिश गियाना के प्राकृतिक साधन मन्त्री, श्री बी० एच० बेन (दाएं) नयी दिल्ली में ११ अप्रैल को केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री, श्री एस० के० पाटिल के साथ

भारतीय समाचार

वर्ष ३ | १ मई, १९६० / ११ वैशाख, १८८२ | अङ्क ७

एक प्रति रु० ०.३५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : नयी दिल्ली में १२ अप्रैल को हुए एक समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद श्री उदयशंकर को संगीत नाटक अकादमी का १९५९-६० का पुरस्कार देते हुए

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



राष्ट्रपति नासिर की भारत-यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति

संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, परमश्रेष्ठ गमाल अब्दल नासिर की १२ दिन की राजकीय यात्रा की समाप्ति पर ९ अप्रैल को नयी दिल्ली में यह संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई :

भारत सरकार के निमंत्रण पर संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, परमश्रेष्ठ गमाल अब्दल नासिर २९ मार्च से १० अप्रैल, १९६० तक भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ परराष्ट्र मंत्री डा० महमूद फौजी, राष्ट्रपति से सम्बन्धित विषयों के मंत्री श्री अली साबरी, नगर और देहात विषयक मामलों के मंत्री श्री टुमा अल अवाद अल्लाह और संयुक्त अरब गणराज्य के अन्य उच्चाधिकारी भी थे।

राष्ट्रपति और उनके दल ने भारत के कुछ प्रमुख नगरों की यात्रा की। दिल्ली में राष्ट्रपति नासिर ने भारत के संसद के सदस्यों के समक्ष भाषण किया, अलीगढ़ में उन्हें अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने डाक्टरी की उपाधि से अलंकृत किया और बम्बई में उन्होंने मिस्री-गोरियाई कपास उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वैज्ञानिक संस्थाओं और ग्राम विकास योजनाओं को भी देखा। भारत में वह जहां कहीं भी गए, जनता ने उनका हार्दिक और मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। भारत सरकार का यह मत है कि जनता ने जो उत्साह दिखाया वह वास्तव में अपने देश की स्वतंत्रता की पुष्टि करने वाले एक नेता के प्रति श्रद्धांजलि-स्वरूप था। इससे उस मैत्री भाव का भी प्रचुर प्रमाण मिला जो युगों से भारत की जनता और अरब देशों की जनता के बीच रहा है।

दिल्ली आवास के दौरान राष्ट्रपति नासिर और प्रधान मंत्री नेहरू में संसार की स्थिति और परस्पर हित के विषयों पर अनेक बार बातचीत हुई। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने किसी गुट से न मिलने की नीति में अपनी निष्ठा और सभी देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के संकल्प को दोहराया। उनका यह मत है कि एशिया और अफ्रीका के हाल ही में स्वतन्त्र हुए देशों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की मार्फत सहायता और सहयोग का स्वागत होगा, परन्तु किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में हो रही कमी का स्वागत किया। उन्होंने राज्याध्यक्षों के होने वाले सम्मेलन का भी स्वागत किया और यह आशा व्यक्त की कि तनाव कम करने का उनका प्रयत्न सफल होगा। उन्होंने संकल्प किया कि शांति का वातावरण उत्पन्न करने और संघर्ष के अवसर कम करने वाले किसी भी समझौते का वे समर्थन करेंगे।

अणु-बमों का परीक्षण स्थगित करने के लिए इस समय जिनेवा में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हुई अब तक की प्रगति का भी राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने स्वागत किया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि अविलम्ब कोई अन्तिम समझौता हो जाएगा और इस प्रकार सारे संसार की दुश्चिन्ता दूर हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि जब अणु-बमों के परीक्षण को स्थायी रूप से निषिद्ध करने के विषय पर समझौते के लिए राह ढूंढी जा रही है और इस दिशा में काफी प्रगति भी हो चुकी है तब हाल ही में अफ्रीका के एक प्रदेश में जनता की इच्छा और विश्व-जनमत के विरुद्ध अणु-बमों का विस्फोट किया गया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के परीक्षण आगे नहीं किए जाएंगे।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने इस समय जिनेवा में चल रही निरस्त्रीकरण वार्ता के विषय में भी बातचीत की। उनका यह मत था कि तनाव कम करने और शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति हो। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि राष्ट्र संघ की १० राष्ट्रों का निरस्त्रीकरण समिति की बैठक के परिणामस्वरूप निरस्त्रीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में हुई घटनाओं पर भी बातचीत की। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि अफ्रीका की जनता में जागृति फैल रही है और महाद्वीप के करोड़ों लोगों में स्वतंत्रता का भाव जागृत हो रहा है। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि अफ्रीका के कई देश स्वतन्त्र हो गए हैं और यह आशा व्यक्त की कि जो राष्ट्र अभी तक स्वतन्त्र नहीं हुए हैं वे शीघ्र स्वतन्त्र हो जाएंगे। उन्होंने इस बात का भी स्वागत किया कि एशिया और अफ्रीका की जनता में, जिनके सामने समान समस्याएं हैं और जो इन समस्याओं को परस्पर सहयोग और सद्भाव द्वारा हल करने के लिए निश्चय-बद्ध हैं, भाई-चारे और एकता का भाव बढ़ रहा है।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने इस बात की निन्दा की कि अफ्रीका के कुछ भागों में राज्य की नीति के रूप में जातिगत भेदभाव बरता जा रहा है और मूल मानव अधिकारों की अवहेलना की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में निर्दोष लोगों की जो हत्या की गई उस पर उन्होंने विशेष रूप से खेद और क्षोभ प्रकट किया। इन घटनाओं से सारे संसार के सभ्य लोगों को धक्का पहुंचा है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि इन नीतियों को अपनाने और उन पर अमल करने वालों पर विश्व जनमत का प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अपना यह मत दोहराया कि फिलिस्तीन का प्रश्न राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र, राष्ट्र संघ के प्रस्तावों और फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण निपटारे के विषय में १९५५ के बांडुंग सम्मेलन में एकमत से स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने अल्जीरिया की स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और अपना यह मत दोहराया कि अल्जीरियाई जनता का आत्म-निर्णय और स्वतंत्रता का अधिकार माना जाना चाहिए और उसी के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अर्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर भी बातचीत की। वे इस बात पर सहमत थे कि इन देशों के सामने एक सी ही समस्याएं हैं और उनके लिए तथा सारे संसार के लिए यह हितकर होगा कि वे एक-दूसरे से मिलकर काम करें।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि दोनों देशों के बीच मैत्री और सद्भाव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह मैत्री और सद्भाव विश्व की समस्याओं के प्रति समान दृष्टिकोण और समान उद्देश्य रखने के कारण ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरे सहयोग के कारण भी उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि दोनों देशों में सभी प्रकार का सहयोग निरन्तर बढ़ता रहेगा और राष्ट्रपति नासिर की वर्तमान भारत यात्रा से मैत्री और सद्भाव के सम्बन्ध और भी मजबूत होंगे।

चीन सरकार का नवीनतम पत्र

परराष्ट्र उपमन्त्री, श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने १२ अप्रैल को लोकसभा की मेज पर चीन सरकार के उस पत्र की एक प्रति रखी जो भारत सरकार को उनके १२ फरवरी के पत्र के उत्तर में मिला है।

इस पत्र में चीन सरकार ने फिर यह कहा है कि भारत और चीन की सीमा के बाकायदा निशान नहीं लगाए गए। इसके अलावा उसने यह भी कहा है कि जिन इलाकों के बारे में इस समय झगड़ा है वे हमेशा चीन के इलाके रहे हैं। चीन सरकार का यह दावा है कि इनमें बहुत से इलाके न केवल चीन के हैं, बल्कि उन पर बाकायदा चीन सरकार का नियन्त्रण रहा है। चीन सरकार का यह पत्र भारत सरकार को ३ अप्रैल को मिला था।

चीन सरकार ने अपने पत्र में लिखा है कि दोनों देशों का झगड़ा एक अस्थायी और साधारण-सा झगड़ा है। जरूरत तो इस बात की है कि आने वाले हजारों वर्षों में इन दोनों राष्ट्रों में मित्रता और सहयोग बना रहे।

पत्र में दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों के बीच नयी दिल्ली में होने वाली बातचीत की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस बातचीत का बहुत महत्व है और दोनों सरकारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चीन सरकार को आशा है कि दोनों पक्ष इस बात की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के लोगों को और उन सबको जो भारत और चीन में मित्रता देखना चाहते हैं निराश न होना पड़े।

हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं उन पर निश्चय ही विजय पाई जा सकती है और सीमा की समस्या हल की जा सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे को उचित बात मानने की भावना से काम करें।

चीन सरकार ने आगे चल कर अपने पत्र में लिखा है, कि यह पत्र कुछ बड़े-बड़े सवालों के बारे में अपना रवैया स्पष्ट करने के लिए लिखा जा रहा है। इसका उद्देश्य दलीलबाजी में पड़ना नहीं, बल्कि यह है कि एक दूसरे के

दृष्टिकोण को समझा जाए और जहां तक हो सके आपसी मतभेद कम किए जाएं ताकि दोनों प्रधान मन्त्रियों का काम आसान हो सके ।

पत्र में यह बात दोहराई गई है कि चीन और भारत के बीच सीमा के बारे में कभी कोई ऐसी संधि या समझौता नहीं हुआ जिसके आधार पर दोनों देशों की सीमा के बाकायदा निशान लगाए जा सकें । पत्र में भारत के इस दावे को भी गलत बताया गया है कि चीन और भारत के बीच की जल-विभाजन रेखा ही दोनों देशों की सीमा है और अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार ऐसी प्राकृतिक सीमा को, जिसमें कभी तबदीली न आती हो, स्पष्ट करने की जरूरत नहीं होती ।

आपको याद होगा कि भारत ने अपने पत्र में यह लिखा था कि दोनों देशों की सीमा प्राकृतिक और परम्परागत है और सीमा के बहुत-से भाग की समझौतों द्वारा पुष्टि भी हो चुकी है । इसके अलावा कई शताब्दियों से इसे दोनों देशों की सीमा माना जाता रहा है । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ समय पहले तक चीन की किसी सरकार ने इस सीमा को गलत नहीं बताया और सीमा तक के किसी इलाके पर अपना दावा नहीं किया ।

चीन सरकार ने अपने पत्र में फिर यह कहा है कि चीन मैकमहोन रेखा को नहीं मानता । लद्दाख के बारे में पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार ने अपनी बात के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया । इसके अलावा यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने सीमा के मध्यम भाग के मतभेद वाले इलाकों के बारे में कोई नई दलील नहीं दी ।

चीन सरकार ने अन्त में इस बात पर खुशी जाहिर की है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी सीमा के बारे में समझौता करना चाहती है ताकि मामला दोस्ती से निबट जाए और सीमा पर झड़पें होने का खतरा दूर हो सके ।

राज्यसभा के सदस्य का इस्तीफा

राज्यसभा के सदस्य श्री नरोत्तम रेड्डी ने १५ मार्च, १९६० से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है । वे आंध्र प्रदेश से चुने गए सदस्य थे ।

भारत-पाक नहरी पानी विवाद : सिंचाई मन्त्री का वक्तव्य

सिंचाई और बिजली मंत्री, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने ६ अप्रैल को लोकसभा में भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में इस आशय का वक्तव्य दिया :

६ मई, १९५९ को मैंने सदन में बताया था कि पाकिस्तान को अस्थायी रूप से सिन्ध क्षेत्र की नदियों का पानी देने के बारे में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन में १७ अप्रैल, १९५९ को एक करारनामे पर हस्ताक्षर किए थे । उस करारनामे की प्रति भी सदन में रखी गई थी ।

फिर १५ फरवरी, १९६० को मैंने सदन को बताया था कि हमें सिन्ध क्षेत्र की नदियों के बारे में सन्धिपत्र का कच्चा मसौदा मिला और उस मसौदे पर विचार किया जा रहा है, परन्तु जब तक हमें मसौदे के साथ पूरी अनुक्रमणिका भी नहीं मिलती, तब तक उस पर हम विचार प्रकट नहीं कर सकते ।

यह सही है कि १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक के तदर्थ करारनामे की अवधि समाप्त हो चुकी है । फिर भी वाशिंगटन में विश्व बैंक के अन्तर्गत नहरी पानी सन्धि-पत्र को अन्तिम रूप देने पर बात चल रही है । इसमें पानी देने के अस्थायी प्रबन्ध के बारे में भी बात हो रही है और यह प्रबन्ध अब अधिक समय तक के लिए किया जाएगा । परन्तु साथ ही पाकिस्तान में एवजी नहरें बनने के साथ-साथ भारत से पाकिस्तान को पूर्वी नदियों से कम पानी दिया जाने लगेगा । यह प्रबन्ध नहरी पानी सन्धि का ही अंग माना जाएगा ।

सदस्यों को याद होगा कि पिछली बार भी जब तदर्थ करारनामे की अवधि समाप्त हो गई थी, तब भी पाकिस्तान को उसी करारनामे के आधार पर पानी दिया जाता रहा, ताकि वहां के किसानों को दिक्कत न उठानी पड़े । इसका हमें दुःख है कि अब तक हम करारनामे की अवधि न बढ़ा सके और नहरी-पानी सन्धि भी न कर सके, फिर भी हम पिछले करारनामे के अनुसार ही पानी देते रहेंगे ।

१९५९ में विदेशी शिष्टमंडलों का भारत आगमन

१९५९ में १८ देशों के २४ शिष्टमंडल भारत आए । इनमें से ६ व्यापार शिष्टमंडल, ३ सांस्कृतिक और २ सद्भावना शिष्टमंडल थे । शेष शिष्टमंडल संसद-सदस्यों, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों आदि के थे ।

सबसे अधिक यानी ३ शिष्टमंडल सोवियत रूस से आए । इनके अलावा यूगोस्लाविया, पाकिस्तान और हंगरी से २-२ शिष्टमंडल आए । जिन देशों से १-१ शिष्टमंडल आया, उनके नाम इस प्रकार हैं : अफगानिस्तान, बर्मा, कम्बोडिया, चेकोस्लोवाकिया, कनाडा, ईराक, जापान, पोलैंड, स्वीडन, सूडान, अमरीका, ब्रिटेन और वियतनाम ।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

पिछले साल देश में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने बहुत-से विदेशी प्रतिनिधि आए । दस सम्मेलनों में तो प्रायः प्रत्येक देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया ।

सरकारी कारखानों के प्रबन्ध और शिल्पिक सहायता संगठन तथा समाज-सेवाओं के शासन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की दो गोष्ठियां हुईं । राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन ने भी २-२ गोष्ठियां कीं ।

इनके अलावा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, वर्कर्स इंटरनेशनल सेमिनार, अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन, विद्यार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी और विश्व युवक सम्मेलन भी देश में हुआ ।

पारपत्र के नियमों का उल्लंघन

स्वराष्ट्र मंत्री, श्री पन्त ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि १९५९ में अमृतसर सीमा पर ३२४ व्यक्ति पारपत्र (पासपोर्ट) के नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया ।

उन्होंने कहा कि अवैध रूप से सीमा पार करने वालों को रोकने के लिए चौकसी आदि की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है ।

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में सम्पर्क

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मन्त्रालय में नौकरी की शर्तों और काम के तरीकों को सुधारने के बारे में विचार करने के लिए कर्मचारी परिषद बनी हुई हैं। इनके सदस्यों को सरकारी कर्मचारी ही चुनते हैं।

ये परिषद ब्रिटेन की ह्विटले परिषदों के ही ढंग की हैं और इनके अन्तर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को मिल कर विचार करने का मौका दिया जाता है। इस प्रकार परस्पर बातचीत करने से दोनों एक-दूसरे के दृष्टि-कोण को समझते हैं और विवादास्पद विषयों का जल्दी ही निपटारा हो जाता है। इसके अलावा दोनों के व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ते हैं और वे अपने काम में अधिक रुचि लेने लगते हैं।

परिषद के दो भाग हैं वरिष्ठ और कनिष्ठ। वरिष्ठ परिषद के सदस्य सरकार द्वारा नामजद अधिकारी और सेक्शन अफसरों, असिस्टेंटों, स्टेनोग्राफरों, क्लर्कों आदि के प्रतिनिधि होते हैं। कनिष्ठ परिषद में दफ्तरी, रिकार्ड सार्टर, चपरासी, जमादार, मेहतर आदि सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं।

परिषद में लगभग हर २० कर्मचारियों के पीछे एक प्रतिनिधि होता है, जो २ साल के लिए चुना जाता है। परिषद की ३ महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य होती है।

स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने बड़े अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे अपने मातहतों की कठिनाइयों और विचारों को जानने का प्रयत्न करें, ताकि उन्हें काम के सही तरीके बताए जा सकें और साथ ही अधिकारियों और कर्म-चारियों में अच्छे सम्बन्ध बने रहें। इसके अलावा सभी मंत्रालयों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कर्मचारियों की कठिनाइयों पर सहानुभूति से तथा जल्दी ही विचार करें।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन

पेंशन के लिए महगाई भत्ता जोड़ने के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। यह सूचना २ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने दी।

उन्होंने बताया कि जिन असैनिक कर्म-चारियों (इनमें सेना के असैनिक कर्मचारी भी शामिल हैं) को ३१ दिसम्बर, १९४६ तक महगाई भत्ता मिलता था, उन्हें पेंशन देने के लिए आधा महगाई भत्ता जोड़ा जाता है। जो सरकारी कर्मचारी १ जनवरी, १९४७ से ३१ दिसम्बर, १९४९ तक के बीच रिटायर हुए हैं, उन्हें भी नौकरी के अन्तिम तीन वर्षों के वेतन आदि के औसत का हिसाब लगा कर पेंशन दी जाती है। परन्तु जो ३१ दिसम्बर, १९४९ के बाद और १५ जुलाई, १९५२ से पहले रिटायर हुए हैं, उन्हें पेंशन में ये रियायत नहीं दी गयी।

उन्होंने कहा कि यह रियायत स्थायी रूप से नहीं दी जा रही है। ३१ दिसम्बर, १९४९ के बाद रिटायर होने वालों को यह रियायत इसलिए नहीं दी गयी क्योंकि १९४६ के केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया था और फल-स्वरूप बाद में पेंशन भी अधिक मिलने लगी।

१५ जुलाई, १९५२ को महगाई भत्ता आयोग नियुक्त किया गया था। उसकी सिफा-रिश पर आधे महगाई भत्ते को 'महगाई वेतन' मान लिया गया और उसे पेंशन आदि के लिए वेतन में शामिल किया जाने लगा। आयोग के सुझाव पर ही यह सुविधा १५ जुलाई, १९५२ से ही लागू मानी गयी; इस प्रकार १५ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला।

उन्होंने यह भी बताया कि १५ जुलाई, १९५२ से पहले रिटायर होने वाले, बहुत कम पेंशन पाने वालों की भी १ अप्रैल, १९५६ से पेंशन बढ़ायी गयी है।

नौकरी के फार्मों में जाति नहीं लिखी जाएगी

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि नौकरी, शिक्षा और अदालती कार्रवाई के लिए जो फार्म भरे जाते हैं, उनमें *व्यक्तियों की जाति न लिखी जाए।*

नये फार्मों या रजिस्टरों में राष्ट्रीयता और धर्म का ही उल्लेख होगा। फार्मों में यह भी लिखा जाएगा कि व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का है या नहीं। विधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं, उसके लिए इन जातियों का उल्लेख होना जरूरी है।

धर्म का उल्लेख इस लिए जारी रखा गया है क्योंकि इससे आवश्यक आंकड़े इकट्ठा करने में मदद मिलती है।

इससे पहले स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सलाह मांगी थी। राज्यों ने नौकरी आदि के फार्मों में जाति लिखना बन्द करने की सलाह दी।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बम्बई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने केन्द्र को लिखा है कि उन्होंने पहले ही फार्मों में जाति लिखना बंद करने के आदेश दे दिए हैं।

१९६१ की जनगणना में भी जाति न लिखने का निश्चय किया है। पर इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति लिखी जाएगी।

नदियों का बहाव-परिवर्तन : उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा विवाद

उत्तर प्रदेश और बिहार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वह अपने प्रभाव से, घाघरा और गंगा की धारा बदलने से उत्पन्न होने वाली समस्या को हल करने का प्रयत्न करे। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इसके हल के लिए बातचीत की है और उनकी और भी बैठकें होंगी। दोनों सरकारें यह चाहती हैं कि कोई ऐसी पक्की सीमा निश्चित हो जाए जिससे बार-बार जमीन के बारे में झगड़े खड़े न हों। यह सूचना ७ अप्रैल को लोकसभा में स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

स्वराष्ट्र मन्त्री ने बताया कि सितम्बर १८८८ की एक अधिसूचना में घाघरा की गहरी धारा को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के सरन जिले की सीमा और गंगा की गहरी धारा को उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के शाहबाद जिले की सीमा निश्चित किया गया था। नदियों के बार-बार मार्ग बदलने से जमीन और उस पर खड़ी फसलों के स्वामित्व के बारे में झगड़े पैदा हो जाते हैं।

पुनर्गठित राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के मामले

राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सरकारी कर्मचारियों की हर १० शिकायतों में से ८ का फैसला किया जा चुका है। यह काम उन सलाहकार समितियों ने किया है जो इस काम के लिए नियुक्त की गई थीं।

एक सलाहकार समिति, जिसमें केन्द्रीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य श्री पी० एन० सप्रू हैं, केन्द्र में काम करती है। यह गजटेड अफसरों की शिकायतों पर विचार करती है। इसी तरह की एक-एक समिति आंध्र प्रदेश, बम्बई, मैसूर, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और राजस्थान में काम कर रही है। यह समिति गैर-गजटेड अफसरों की शिकायतों पर विचार करती है। इन समितियों में राज्यों के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य और राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक-एक प्रतिनिधि होता है।

१९५९ के अंत तक केन्द्रीय सलाहकार समिति ने १,२६५ शिकायतों में से ७४१ पर विचार किया। राज्यों की सलाहकार समितियों ने १,६५१ शिकायतों में से १,४५२ का फैसला किया। पुनर्गठित राज्यों के १ लाख से भी ऊपर कर्मचारियों का वेतन भी दुबारा निश्चित किया गया।

उत्तर प्रदेश और पंजाब के नये सीमावर्ती जिले

राज्यसभा में ६ अप्रैल को स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने बताया कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों से मिले हुए तिब्बत सीमा के निकट के क्षेत्रों में नये जिले बनाए जाएंगे और इन्हें पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में शामिल किया जाएगा।

पंजाब में ऐसा एक और उत्तर प्रदेश में ऐसे तीन जिले उप-आयुक्त के अन्तर्गत बनाए गए हैं। इन जिलों में सब-डिवीजनल अधिकारी के अन्तर्गत कई सब-डिवीजन हैं। कर्मचारियों का खर्च केन्द्रीय सरकार उठाएगी।

राज्यसभा के नामजद सदस्य

राज्यसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल २ अप्रैल, १९६० को पूरा हुआ, उनके रिक्त स्थानों को भरने के लिए राष्ट्रपति ने ४ व्यक्तियों को नामजद किया है। इन सदस्यों के नाम ये हैं :

(१) श्री ताराशंकर बन्द्योपाध्याय
(२) श्री एम० सत्यनारायण
(३) प्रो० ए० आर० वाडिया, और
(४) श्री के० एम० पणिक्कर

संविधान के अनुच्छेद ८० के अधीन राष्ट्रपति को राज्यसभा में १२ ऐसे सदस्यों को नामजद करने का अधिकार है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा सरीखे विषयों का विशेष ज्ञान हो या इनमें से किसी भी एक क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव हो।

उत्तर प्रदेश में अणु-बिजली केन्द्र

उत्तर प्रदेश के बिजली मण्डल ने तीसरी योजना में शामिल करने के लिए केन्द्र के पास जो बिजली कार्यक्रम भेजा है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अणु-बिजली केन्द्र स्थापित करने की भी योजना है। इस केन्द्र में ३ लाख किलोवाट बिजली बनेगी और इस पर ६० करोड़ रु० का खर्च आएगा।

यह सूचना सिंचाई और बिजली मंत्री, श्री जयसुख लाल हाथी ने ११ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। श्री हाथी ने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार करते समय इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार, योजना आयोग और अणु-शक्ति आयोग से विचार-विमर्श किया जाएगा।

चिन्ह लगाकर मतदान

चुनाव आयोग और राज्यों के चुनाव अधिकारियों ने यह राय प्रगट की है कि केवल दुर्गम और पिछड़े हुए इलाकों को छोड़कर सारे देश में अगला आम चुनाव मतदान-पत्र पर चिन्ह लगाने के तरीके से कराया जा सकता है। यह सूचना केन्द्रीय विधि उपमंत्री, श्री आर० एम० हाजरनवीस ने ११ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया है।

उपमंत्री ने बताया कि फरवरी १९६० में बंगलौर में मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन ने उप-चुनावों और केरल के चुनाव के अनुभव के आधार पर अगला आम चुनाव मतदान-पत्र पर चिन्ह लगाने की प्रणाली से कराने पर विचार किया।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के नये सदस्य

२ अप्रैल की एक प्रेस-विज्ञप्ति में सूचना दी गई है कि राष्ट्रपति ने श्री एम० ए० वेंकटरमण को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है।



राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशें

आयोजन मंत्री ने लोकसभा की मेज पर, राष्ट्रीय विकास परिषद की चौदहवीं बैठक (मार्च १९६०) की सिफारिशों और निर्णयों का यह ब्योरा रखा

राष्ट्रीय विकास परिषद ने आयोजन आयोग द्वारा प्रस्तुत तीसरी पंचवर्षीय योजना के मसविदे और योजना के साधनों के तखमीनों पर विचार किया। परिषद ने मूल्य नीति, प्राथमिकताओं और ९,९५० करोड़ रु० लगाने की योजना और सरकारी क्षेत्र में ७,००० करोड़ रु० खर्च करने से सम्बन्ध रखने वाले अन्य कई विषयों पर भी विचार किया।

तीसरी योजना के उद्देश्य

परिषद ने सहमति प्रकट की कि तीसरी योजना में इन बातों की पूर्ति की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए :

(१) तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय में कम से कम ५ प्रतिशत की वृद्धि हो और इस ढंग से पूंजी लगाई जाए कि बाद की योजनाओं में भी यह वृद्धि जारी रहे।

(२) अनाज की दृष्टि से देश आत्म-निर्भर हो और उद्योगों तथा निर्यात के लिए भी पैदावार बढ़े।

(३) देश में इस्पात, ईंधन और बिजली के मूल उद्योग और खासकर मशीन बनाने के उद्योग स्थापित हों, ताकि करीब १० वर्षों में देश में उद्योग-धंधे बढ़ाने के लिए सब जरूरी चीजें देश में ही तैयार हो सकें।

(४) रोजगार काफी बढ़ें।

(५) आमदनी और दौलत की असमानता कम हो और आर्थिक साधनों का अधिक समान बंटवारा हो।

परिषद ने समझ लिया कि योजना का लक्ष्य, राष्ट्रीय आय के १०-११ प्रतिशत से बढ़ाकर १४.५ प्रतिशत पूंजी के नियोजन का, और आंतरिक बचत को राष्ट्रीय आय के ८ प्रतिशत से बढ़ाकर १२ प्रतिशत करने का है। परिषद को यह भी पता लगा कि शुरू के अनुमानों से, मसविदे में तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में कुल २७-२८ प्रतिशत की वृद्धि का हिसाब लगाया गया है।

विशाल योजना के लिए आवश्यक चीजें

विकास की विशाल योजना को पूरा करने के लिए परिषद ने इन बातों को अनिवार्य माना है :

(१) खेती की पैदावार में तेजी से वृद्धि और देश की जन-शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग।

(२) सरकारी उद्योगों का कुशलता और किफायत से चलाया जाना और इनसे अधिक से अधिक लाभ उठाना।

(३) मूल्य सम्बन्धी सुनियोजित नीति।

(४) इमारतें आदि बनाने के काम और खर्च में कमी करना।

(५) शासन प्रबन्ध में ऊंचे दर्जे की और कुशलता लाने के जोरदार प्रयत्न करना।

(६) योजना में रोजगार के निर्दिष्ट लक्ष्य के अनुसार सरकारी और निजी उद्योग-धंधों में, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाना।

परिषद ने इस्पात आदि सामान का ठीक तरह से उपयोग करके निर्माण-कार्यों में किफायत करने पर जोर दिया।

मूल्य निर्धारण

परिषद इस पर सहमत हुई कि १७ अप्रैल, १९६० को मुख्य मंत्रियों की विशेष बैठक में चीजों के मूल्य निर्धारित करने पर विचार हो। जब मूल्य निर्धारित कर दिए जाएं तब उन्हीं के आधार पर तीसरी योजना बनाई जाए।

इस सिलसिले में कहा गया कि खास तौर पर अनाज और कृषि जिंसों के भाव निरंतर बदलते रहते हैं, जिससे उपलब्ध साधनों में कमी हो जाती है और लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पाते।

आय के साधन

परिषद इससे भी सहमत हुई कि सरकारी क्षेत्र की ७० अरब रु० की योजनाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त कर लगाए जाएं, जिनसे १६ अरब ५० करोड़ रु० प्राप्त हो सकें। इसमें से ११ अरब ५० करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार और ५ अरब रु० राज्य सरकारों के कर से प्राप्त किया जाए।

परिषद में कहा गया कि इस सम्बन्ध में योजना आयोग और राज्य मिलकर योजना आयोग के आय के साधन सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करें।

प्राथमिकता

परिषद इससे सहमत हुई कि तीसरी योजना में सबसे ऊंची प्राथमिकता कृषि को दी जाए। इसके साथ ही इस्पात, मशीन निर्माण, ईंधन और बिजली जैसे बुनियादी उद्योगों को भी ऊंची प्राथमिकता मिले, क्योंकि देश का आर्थिक विकास इन्हीं पर निर्भर है।

कारीगरी की शिक्षा के बारे में सुझाव दिया गया कि सभी बड़े सरकारी तथा निजी कारखानों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए।

सरकारी क्षेत्र

योजना आयोग ने तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए जो आरम्भिक योजना बनाई है, उस पर परिषद ने विचार किया। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों ने बिजली, सड़क, ग्राम तथा लघु उद्योग, कारीगरी की शिक्षा आदि के विकास के बारे में अनेक सुझाव दिए।

क्षेत्रीय विकास

परिषद इससे सहमत हुई कि जिन क्षेत्रों में खनिज साधनों की कमी से उद्योग नहीं बढ़े, वहां इन्हें बढ़ाया जाए। कृषि, लघु उद्योग, छोटे बिजली घर आदि को बढ़ाया जाए।

ग्राम और लघु उद्योग

ग्राम और छोटे उद्योगों को सहायता दी जाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

खादी के उत्पादन को बढ़ाया जाए और धीरे-धीरे उसे छूट देना कम किया जाए।

खानों की पट्टेदारी

खानों की पट्टेदारी पर रायल्टी के बारे में काफी पहले जो निर्णय किए गए थे, उनमें अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन किए जाएं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सलाह से इन पर विचार करे।

नेपाल को आर्थिक सहायता

भारत सरकार ने नेपाल के विकास कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना में लगभग १८ करोड़ रु० की सहायता देना स्वीकार किया है। इसमें वे रकमें भी शामिल हैं जो वर्तमान १० करोड़ रु० की सहायता में से और पूर्वी कोसी (चतरा) नहर के लिए मंजूर की गई तीन से चार करोड़ रु० में से, खर्च होने से बचेंगी।

यह सूचना केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने १२ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

वित्त मंत्री ने बताया कि दूसरी योजना में नेपाल को नकद अनुदान, टेक्निकल और अन्य कर्मचारियों की सेवाएं, मशीनों आदि के रूप में १० करोड़ रु० की सहायता देना मंजूर किया गया। अनुमान है कि १ अप्रैल,

१९५६ से ३१ मार्च, १९६० तक ३,६८,२२-८७२ रु० की तिल्पिक और आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। बजट में दूसरी योजना की शेष अवधि में २,८३,५८,००० रु० की व्यवस्था की गई है।

जीवन बीमा निगम का विदेशों में व्यापार

सन् १९५९ में भारतीय जीवन बीमा निगम ने विदेशों में कुल ९ करोड़ ४७ लाख रु० के नये बीमे किए, जबकि १९५८ में ५ करोड़ ६२ लाख रु० के बीमे किए थे।

यह सूचना ६ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने एक वक्तव्य में दी। वक्तव्य में बताया गया है कि जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से पहले भूतपूर्व बीमा कम्पनियों ने पुराने बीमे फिर से चालू करने के लिए जो समझौते किए थे, उनके अन्तर्गत निगम प्रतिवर्ष २५ लाख रु० प्रीमियम वसूल कर रहा है। राष्ट्रीयकरण के बाद निगम ने जो पालिसियां दीं, उनमें से बन्द को फिर से चालू करने के समझौतों के अन्तर्गत १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक १ लाख २० हजार रु० और १९५८ में २ लाख २० हजार रु० प्रीमियम के रूप में वसूल हुआ। १९५९ के बारे में ये आकड़े प्राप्त नहीं हैं।

भारत में विदेशी चाय कम्पनियों को लाभ

१४ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने एक वक्तव्य रखा। इसमें बताया गया है कि भारत में विदेशी चाय कम्पनियों को कुल कितना लाभ और लाभांश हुआ और कितना उन्हें दिया गया।

इस वक्तव्य के अनुसार विदेशों में रहने वालों को १९५८-५९ में ५ करोड़ २० लाख रु० (अस्थायी आकड़े) और १९५७-५८ में ५ करोड़ ८० लाख रु० का लाभ और लाभांश हुआ। इसमें से विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को १९५८-५९ में ४ करोड़ ८० लाख रु० और १९५७-५८ में ५ करोड़ ३० लाख रु० का लाभ हुआ। बाकी रुपया उन ज्वाइट स्टाक कम्पनियों का लाभांश था, जो भारत में रजिस्टर थी।

सन् १९५८-५९ में ६ करोड़ ७० लाख रु० (अस्थायी आकड़े) और १९५७-५८ में ७ करोड़ ३० लाख रु० का लाभ और लाभांश भारत से बाहर भेजा गया। इसमें से विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को १९५८-५९ में ६ करोड़ ३० लाख रु० और १९५७-५८ में ६ करोड़ ८० लाख रु० का लाभ मिला। बाकी रुपया भारत में रजिस्टर ज्वाइट स्टाक कम्पनियों को लाभांश के रूप में मिला।

सम्पदा शुल्क की वसूली

वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ११ अप्रैल को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि सरकार को १९५९ में सम्पदा शुल्क का २ करोड़ ६१ लाख ५९ हजार ३१२ रु० मिला। १९५९ में ८ हजार ५२२ सम्पत्तियों का मूल्य आक कर, उन पर शुल्क लगाया गया। १५ अक्तूबर, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक २५ हजार ८५४ सम्पत्तियों को आंका गया।

मंत्री महोदय ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने शुल्क अदा कर दिया है और जिन्होंने अभी तक नहीं अदा किया उनके नाम सम्पदा शुल्क नियंत्रक से मांगे गए हैं। इनके नामों की सूची तैयार हो जाने पर उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

श्री देसाई ने कहा कि यह कहना गलत है कि बहुत-से व्यक्तियों से सम्पदा शुल्क विभाग की ढील के कारण शुल्क नहीं वसूल किया जा सका है।

चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड : चुंगी और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वापसी

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ३ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्यात बढ़ाने के इरादे से, भारत सरकार उन चीजों पर चुंगी और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वापसी की छूट देना चाहती है, जो चाय की पेटियां बनाने के काम आने वाले प्लाईवुड के निर्माण में काम आती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना का मसविदा जारी किया है, जिसमें प्रति १०० वर्गफुट प्लाईवुड के पीछे १.२९ रु० की वापसी की दर सुझायी गयी है।

इण्टरनल कम्बशन इंजनों पर उत्पादन कर लगाने का आधार

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ७ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि १९६० के वित्त विधेयक के अन्तर्गत स्टेशनरी इटर्नल कम्बशन (एक जगह लगे हुए अतर्दाही) इंजनों पर ५ प्रतिशत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया है। कर लगाने के लिए उनकी कीमत कैसे कूती जाए, इसके लिए भारत सरकार ने हार्स-पावर के हिसाब से उनके दाम १,६०० से ४,४०० रु० तक निर्धारित किए हैं। ५ अश्व-शक्ति के नीचे और १९ अश्व-शक्ति के ऊपर के इंजनों की कीमतें नहीं तय की गई हैं। इस व्यवस्था को तुरन्त लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

आयात-निर्यात बैंक से ऋण

अमरीका के आयात-निर्यात बैंक ने जिन कामों के लिए ऋण देना स्वीकार किया है उनके लिए १ जनवरी, १९६० तक दुनिया भर से ९ करोड़ ९८ लाख ७० हजार डालर के टेंडर मांगे गए हैं। यह सूचना वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने ११ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

उन्होंने यह भी बताया कि अमरीका का आयात-निर्यात बैंक अमरीका से माल खरीदने के लिए ही ऋण देता है। पर भारत सरकार ने सभी देशों से टेंडर मांगे हैं और इसके बाद यह निश्चय किया जाएगा कि माल अमरीका से खरीदना चाहिए और अमरीका के बैंक से ऋण लेना चाहिए या नहीं।

वाणिज्य और उद्योग

सन् १९५९ में औद्योगिक उत्पादन

सन् १९५९ के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल की अपेक्षा ८ १ प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक अंक संकलन निदेशक के आंकड़ों के अनुसार १९५९ के औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक १५१० है, जबकि १९५८ का १३९७ था, अर्थात् १९५९ के सूचक अंक में ११.३ की वृद्धि हुई।

औद्योगिक उत्पादन में ११.३ अंक की वृद्धि अब तक की सबसे अधिक है। अगर कपड़े का उत्पादन छोड़ दिया जाए तो १९५९ के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल की अपेक्षा १२ प्र०श० की वृद्धि हुई।

सन् १९५७ की कीमतों को आधार मान कर १९५९ का औद्योगिक उत्पादन, कपड़े को छोड़ कर १,३५९ करोड़ १२ लाख रु० का हुआ। पिछले साल इससे १४७ करोड़ रु० कम का उत्पादन हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल—१९५६ की अपेक्षा १९५९ के औद्योगिक उत्पादन का मूल्य ३० प्र० श० अधिक था।

आलोच्य वर्ष में चीनी मिल की मशीनें, डीजल इंजिन, मशीनी औजार, मोटर-गाड़ी, तैयार इस्पात, अलुमुनियम, सुपर-फास्फेट, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, सीमेंट, कागज आदि के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। कपड़े, बिजली के सामान और कुछ प्रकार की रासायनिक चीजों के उत्पादन में सबसे कम वृद्धि हुई।

सन् १९५९ में देश में ३१ नयी चीजें पहली बार बननी शुरु हुईं। इनमें हाथ से कपड़ा सीने की सुइयां, कुछ प्रकार के वर्म, साइकिल और मोटर साइकिल के स्पोक बनाने वाली मशीनें, फोटो-फ्लैश लैम्प, विटामिन 'ए' और 'बी-१२', रंगीन कांच की चादरें और कांच की पिचकारियां शामिल हैं।

दूसरी योजना की प्रगति

रासायनिक चीजों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में १४९ करोड़ रु० के रसायन बने थे, जबकि १९५९ में २०९ करोड़ रु० से भी ज्यादा के रसायन बने। कास्टिक सोडा और सोडा-ऐश जैसी मुख्य रासायनिक चीजों में अब देश लगभग आत्म-निर्भर हो गया है। आशा है इस साल के बाद ६ प्रकार के रसायनों का आयात बिलकुल बन्द किया जा सकेगा।

सन् १९५६ में लगभग ३० करोड़ रु० की मशीनें बनी थी, जबकि १९५९ में ५४ करोड़ रु० की मशीनें बनीं। बिजली के सामान का उत्पादन भी ५२ करोड़ रु० से बढ़ कर ७० करोड़ रु० हो गया। रेडियो, बिजली के पंखे, *लैम्प और अन्य सामान में अब देश आत्म-निर्भर* हो गया है। इनमें से कुछ सामान तो निर्यात भी किया जा सकता है। १९५९ में लगभग १ लाख टेलीफोन बने, जबकि दूसरी पंचवर्षीय *योजना के आरम्भ में यहां एक भी टेलीफोन* नहीं बना था।

मोटर-गाड़ी उद्योग

पिछले साल ८३ करोड़ ४० लाख रु० की मोटर-गाड़ियां और यातायात संबंधी अन्य सामान बना, जबकि १९५६ में ६७ करोड़ ८० लाख रु० का बना था। इस अवधि में *साइकिलों के उत्पादन में* सबसे अधिक वृद्धि हुई।

सन् १९५६ में लगभग २३६ करोड़ रु० की धातुएं और धातुओं की चीजें बनी थी, जबकि १९५९ में ३२३ करोड़ ५० लाख रु० की बनी। इनमें तैयार इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। खनिज लौह और लोहे के ढोकों का उत्पादन १९५६ से लगभग दुगुना हो गया है।

अन्य उद्योगों में सीमेंट, कांच, वनस्पति, और कागज उद्योग के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई।

अधिक उत्पादन के लिए ४९ उद्योगों को नये लाइसेंस

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ऐसे ४९ उद्योगों की सूची बनाई है, जिनको उत्पादन बढ़ाने के लिए नये यंत्र आदि लगाने के लाइसेंस खुले आम दिए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे उद्योगों की भी सूची बनाई गई है जिन्हें और उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। समय-समय पर इस सूची में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं।

यह सूची इस खयाल से बनाई गई है कि उन उद्योगों को सरकार बिना किसी विलम्ब के लाइसेंस दे दे, जो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार से आज्ञा लेते हैं। इन सूचियों के *अनुसार इंजीनियरी का सामान बनाने* वाले २२ और अन्य सामान बनाने वाले २७ उद्योगों को खुले आम लाइसेंस दिए जाएंगे।

इंजीनियरी उद्योग

जिन इंजीनियरी उद्योगों को नये यंत्र आदि लगाने के लाइसेंस दिए जाएंगे, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं - बायलर और भाप बनाने वाले कारखाने; औद्योगिक मशीनें; *मशीनी औजार*; जमीन खोदने की मशीनें; उद्योगों में काम आने वाले औजार; बिजली के स्विच गीयर; मीटर पढ़ने, वैज्ञानिक और ऐनक उद्योग में काम आने वाले औजार, *कनवेयर चेन*; इमारती मशीनें; होजरी का सामान, बुनने की मशीनें; बर्फ बनाने की मशीनें; डेरी सम्बन्धी औजार आदि।

अन्य २७ उद्योग

इनके अलावा, *गन्धक का तेजाब; प्रयोग*-शालाओं के काम के बर्तन; बिजली में काम आने वाले कांच के बर्तन; रेफ्रैक्टरी; हाई टेन्शन इन्सुलेटर; साइकिलों के टायर और ट्यूब; रबड़ के जूते; पंखों के पट्टे; टेक्नीकल, खाने के और फोटो उद्योग सम्बन्धी गैलेटाइन; तैयार चमड़ा; कांच की चादरें; कांच की छड़ें और प्लेटें; चीनी मिट्टी के बर्तन; *टाइलें आदि बनाने वाले उद्योगों को भी नये* यंत्र आदि लगाने के लाइसेंस दिए जाएंगे।

वे उद्योग जिन्हें लायसेंस नहीं मिलेंगे

जिन उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने के नये *लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे*, उनकी सूची में

७२ उद्योग हैं। इनमें इंजीनियरी का सामान बनाने वाले ३२ उद्योग हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं : ढले हुए वायर मेश; वायर नेल्स; वाइब्रेटेड रिविट; बेदाग इस्पात और अलोह धातुओं के घेरे, चादरें, छड़ और बर्तन; ट्यूबिन बाबिन; लकड़ी के पेंच; लोहे के रिवाइ और सिड़कियां; कन्डुइट पाइप; कांटा के तार; इस्पात की रेलिंग, बाईसिकलों के आरे; मुड़े हुए दरमे; रेडियो सेट; बिजली के लैम्प, बिजली के तार; रेफ्रीजरेटर, कमरा ठंडा रखने वाले यन्त्र; पर्दैन लाइट; लालटेन, तांबे के तार, जस्ते की पत्तियां; लोह मैंगनीज, ड्रम और बैरल, टीन के पीपे; साइकिलें और साइकिलों के पुर्जे (इनमें रिम, गद्दियां और फार्क हैड फिटिंग शामिल नहीं हैं) आदि।

जिन गैर-इंजीनियरी उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नये यन्त्र लगाने के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, उनके नाम इस प्रकार हैं वनस्पति तेल (बिनौले के तेल को छोड़ कर); साबुन, सुपर फास्फेट, नकली रेशम के बने कपड़े, विस्फोटक पदार्थ, आयातित सामान से बने रंग, ए० सी० की चद्दरें; विटामिन ए, सल्फा दवाएं, आपरेशन के काम आने वाली चीजें (जैसे तान, लिको-प्लास्ट, प्लास्टर आफ पेरिस की पट्टियां आदि) क्लोराइड हाइड्रेट, मैलमेलिक एसिड, सोडियम सिलीसिलेट, मैलीमिलिक, मैली-मिलिक एसिड, पोटैशियम क्लोरेट; कैल-शियम कार्बाइड, हाइड्रोजन पैरक्साइड, कैलशियम कार्बोनेट; सोडियम सल्फाइट, और बाई-सल्फाइट, दियासलाई उद्योग, सल्फर डाइआक्साइड; सोडियम एलम्यूनेट, आतिशबाजी, वाटरप्रूफ कपड़ा, तरल ग्लूकोज, सिगरेट आदि।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि सूती कपड़े के तकुओं और करघा पर नकली रेशम के कपड़े बनाने के आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार तांबा और पीतल की चद्दरें, चक्के या छड़ें बनाने वाले उन कारखानों के लाइसेंस के आवेदन-पत्रों पर भी विचार नहीं किया जाएगा, जो १ अक्तूबर, १९५३ को नहीं थे। तांबे और पीतल के बर्तनों के उन कारखानों के लाइसेंस के आवेदन-पत्रों पर भी विचार नहीं किया जाएगा, जो १ मार्च, १९५७ को नहीं थे।

छोटे उद्योगों के उत्पादकता दल की रिपोर्ट

हाल में ही जो अध्ययन दल स्वीडन, जर्मनी, अमरीका और जापान के छोटे उद्योगों का अध्ययन करने विदेश यात्रा पर गया था, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमरीका और जापान की तरह छोटे उद्योगों को सुवि-धाएं देने के लिए भारत में भी कानून बनने चाहिए। इन कानूनों के जरिये छोटे उद्योग-मालिकों से कुछ काम सहकारी तरीके से कराने, माल के ठेके उठाने और सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने आदि का यत्न होना चाहिए। हाल में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने अमरीका के विदेश सहयोग मिशन की सहायता से ७ अध्ययन दल नियुक्त किए थे, जिनमें से एक दल चार देशों की यात्रा करने गया था।

दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि छोटे उद्योगों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन सब राज्यों में इन उद्योगों के समुचित विकास के लिए केन्द्र को कुछ बातें अपनी ओर से करनी चाहिए और लघु उद्योग मंडल को अमरीका तथा जापान के कानूनों जैसे कानूनों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

उद्योग सहकार समितियां

रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान में छोटे कारखाने वाले कुछ काम इकट्ठे कराते हैं, जिससे उनको किफायत होती है। भारत में भी छोटे उद्योगों को इसी प्रकार काम करना चाहिए। इससे हर कारखाने की उत्पादकता बढ़ेगी।

दल ने बड़े कारखाने वालों को छोटे कामों, यानी छोटे-मोटे पुर्जे या हिस्से बनाने के ठेके देने की प्रणाली को अच्छा बताया है। यह प्रणाली अपनाने से राज्यों में छोटे-छोटे सहायक उद्योग पनपेंगे और बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों के बढ़ाने में दिलचस्पी लेनी होगी। इस व्यवस्था से बड़े उद्योग, छोटे उद्योगों को बढ़ाना अपना ही काम समझेंगे, क्योंकि इनसे उनका काफी काम हल्का हो जाएगा। सरकारी उद्योगों को भी छोटे काम ठेके पर कराने का सुझाव दिया गया है। नये बड़े उद्योगों को उन छोटी चीजें बनाने के लाइसेंस नहीं देने चाहिए, जिनके उत्पादन की क्षमता काफी है। अमरीका की तरह भारत में भी साझी-कर्ज प्रणाली और साझे-खर्च से छोटे उद्योगों के लिए थोड़े-थोड़े समय के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में छोटे उद्योगों के विकास कमिश्नर के उद्योग-डिजाइन केन्द्र को बढ़ाकर उद्योग शिक्षा केन्द्र का रूप देने की भी सिफारिश की गई है। यहां देसी कच्चे माल और नये आकर्षक डिजाइनों के बारे में खोज होनी चाहिए।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन

भारत सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। यह आयोग पहली बार अप्रैल १९५७ में नियुक्त किया गया था और उसका कार्यकाल ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हो गया।

वैकुण्ठ लालूभाई मेहता को आयोग का अध्यक्ष पुन नियुक्त किया गया है। सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं श्री ए० डबल्यू० सहस्रबुद्धे, श्री प्राणलाल सुन्दरजी कपाडिया, श्री ध्वज प्रसाद साहू और श्री के० अरुणा-चलम।

सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग मण्डल का भी पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष पुन श्री वैकुण्ठ लालूभाई मेहता को नियुक्त किया गया। अन्य सदस्यों के नाम ये हैं—सर्वश्री सहस्रबुद्धे, प्राणलाल सुन्दरजी कपा-डिया, ध्वज प्रसाद साहू, के० अरुणाचलम, द्वारकानाथ वी० लेले, आर० श्रीनिवासन, जी० वेंकटाचलपथी, विचित्र नारायण शर्मा, झवेरभाई पी० पटेल, वी० वी० जेराजनी, धानन्द प्रसाद चौधुरी, आर० एस० हुकेरिकर, सतीशचन्द्र दास गुप्ता, टी० एस० गोखले, गोपीचन्द भार्गव, अक्षय कुमार करन, पी० वी० नरसिंह राव, दिवाकरन वर्ता, कृष्णदास गांधी, यू० एन० ढेबर, एन० आर० सोन, आर० के० पाटिल, गोकुलभाई भट्ट श्रीमती अमलप्रभा दास।

चाय उद्योग को यन्त्रादि की सहायता

भारत सरकार ने चाय मण्डल की एक योजना स्वीकार कर ली है, जिस पर लगभग २ करोड रु. खर्च होगा। इसके अन्तर्गत सरकार चाय के बागान और कारखानो को किश्तों में मशीनें तथा यन्त्र आदि देगी। जिन चाय बागान और कारखानों ने सहायता के लिए अर्जियां दी है, उनके लिए चाय मण्डल मशीनें और यन्त्र खरीदेगा। इन्हे वह चाय बागान और कारखानों को देगा और उनका मूल्य किश्तों में वसूल करेगा।

यह सूचना ८ अप्रैल को लोकसभा मे एक प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दी।

उन्होंने बताया कि योजना का ब्योरा इस प्रकार है (१) मण्डल एक चाय के बाग या कारखाने को २ लाख रु० से अधिक मूल्य की मशीन और यन्त्र नही देगा। जो बाग या कारखाना इन्हें लेना चाहता हो वह अर्जी भेजे; (२) अर्जी स्वीकार होने पर वे मशीन और यन्त्र के मूल्य का १० प्रतिशत जमानत के रूप में मण्डल के पास जमा कर दे। मशीन आदि लग जाने के बाद उन्हे १० प्रतिशत और देना होगा, (३) मशीन आदि की बाकी रकम ७ सालाना किश्तों में दी जाए, और (४) मशीन आदि के मूल्य पर ६ प्रतिशत ब्याज लगेगा, परन्तु सहकारी समितियों में से केवल ४॥ प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा।

चाय की बिक्री

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश की साधारण चाय की बिक्री के लिए विदेशों में काफी तगड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके आंकड़े मालूम नहीं है कि देश में कितनी साधारण चाय पैदा होती है; फिर भी चाय उद्योग ने अनुमान लगाया है कि देश में कुल जितनी चाय पैदा होती है, उसमें ५०-६० प्रतिशत साधारण चाय होती है।

उन्होंने बताया कि विदेशों में भारतीय चाय की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी आदि में भाग लिया जाता है। इसके अलावा मिस्र और आस्ट्रेलिया में जन-सम्पर्क कार्यालय भी खोले गए हैं। चाय मण्डल के दो अधिकारी काहिरा और सिडनी में काम कर रहे हैं। सभी देशों को चाय के चूरे के निर्यात के लिए भी लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस-प्राप्त व्यापारी चाय का जितना चूरा चाहें भेज सकते हैं। निर्यात की दर और उत्पादन शुल्क भी कम कर दिया गया है। साधारण चाय वाले क्षेत्रों से सबसे कम, अर्थात् २ नया पैसा पौण्ड उत्पादन शुल्क लिया जाता है। त्रिपुरा और कछार के चाय बागान को खाद और चाय की ढुलाई में छूट दी जाती है।

चर्म उद्योग विकास परिषद की बैठक

नई दिल्ली में ११ अप्रैल को चमड़े और चमड़े के माल सम्बन्धी विकास परिषद का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २० लाख जोड़े जूते-चप्पल आदि के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था। पर इस समय तक लक्ष्य से कहीं अधिक निर्यात हो चुका है। १९५९ के पहले ११ महीनों में २ करोड १७ लाख रु० के २२ लाख ५० हजार जोडे जूते-चप्पल बाहर भेजे गए।

श्री शाह ने कहा कि तीसरी योजना के दौरान इन जूते-चप्पलो का उत्पादन बढ़ाकर १५ करोड़ ३० लाख जोडे (दूसरी योजना का लक्ष्य १० करोड़ २० लाख जोड़े) किया जाएगा। इसमें से ४०-५० लाख जोडों के निर्यात के बारे में विचार किया जा रहा है। यदि हमने विदेशों के बाजारो के अनुकूल माल तैयार किया तो निर्यात और भी बढ़ सकता है।

बढ़ती हुई मांग

मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले कई सालो से दुनिया में चमड़े का उत्पादन प्रायः एक-सा रहा है, लेकिन मांग तेजी से बढ़ रही है— कुछ तो आबादी बढ़ने के कारण और दूसरे लोगों के रहन-सहन के ऊंचा हो जाने के कारण। इस कारण उपलब्ध चमड़े का उचित उपयोग ही होना चाहिए और जहां तक हो सके इसके बदले दूसरी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए।

संसार भर की खालों के उत्पादन का १४.६ प्रतिशत भारत में होता है और देश के चमड़ा कमाने के उद्योग को कच्ची खालों की कमी नही हो सकती। बहुत-से कारखानों में तो उनकी क्षमता से कम काम हो रहा है। अब खालों का निर्यात तो बन्द नहीं कर दिया गया बल्कि अन्य देशों से खाले मगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश के चमड़ा कमाने के उद्योग की मांग पूरी की जा सके।

देश में चमड़े का अधिकांश भाग छोटे और घरेलू उद्योग में बनता है। अभी चमड़ा उद्योग के बारे में आवश्यक आंकड़े और जानकारी नही है। इसलिए इसके विकास के लिए जरूरी पड़ताल कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। उत्पादन के आधुनिक तरीके अपनाने से लाभ होगा। अमरीका के शिल्प सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत यूरोप, अमरीका, ब्रिटेन और जापान की उत्पादकता का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजने का विचार भी अच्छा है। इस दल के भेजने से निस्सन्देह लाभ होगा।

मशीनों का निर्माण

श्री मनुभाई शाह ने बताया कि देश से प्रतिवर्ष लगभग २५ करोड रु० के कमाए हुए चमड़े और खालों तथा चमड़े के जूतों और अन्य माल का निर्यात होता है। इसके मुकाबले हमें ४-५ करोड रु० की मशीनों और दूसरी चीजों का आयात करना होता है। चमड़ा उद्योग की कई जरूरी चीजें भारत में ही बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। दूसरे, देश में रसायन और इंजीनियरी उद्योग काफी बढ़ रहे हैं और अगले कुछ सालों में ही उद्योग की अधिकांश जरूरत देश में पूरी होने लगेगी।

इस्पात की चीजों का आयात : अप्रैल-सितम्बर १९६० की नीति

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (लोहा और इस्पात विभाग) की १ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित चीजों के लिए पुराने आयात-कों को अप्रैल-सितम्बर की अवधि के लिए मूल कोटे के ७॥ प्रतिशत सामान का आयात लाइसेंस देने का निश्चय किया है :

(१) उद्योगों में काम आने वाली छीलन, (२) औजारी और मिश्रित इस्पात :- इसमें बेदाग इस्पात की चादरें, पट्टियां और छड़ें शामिल नही है। (३) सब तरह के तार; और (४) पेटियां बांधने वाली पत्तियां।

इन चीजों के लाइसेंसों के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रक कलकत्ता, लोहा और इस्पात उप-नियंत्रक, बम्बई या लोहा और इस्पात सहायक नियंत्रक, मद्रास के पास १५ जून, १९६० तक आवेदनपत्र पहुंच जाने चाहिए।

वास्तविक उपभोक्ता निम्नलिखित चीजों का आयात कर सकते हैं, जिनके लिए उपयुक्त अधिकारी की मार्फत अर्जी देनी होगी :

(१) टीन की प्लेटें—मुख्य और गौण।
(२) सीसा मिश्रित टीन की प्लेटें।
(३) सब तरह के तार।
(४) पेटियां बांधने की पत्तियां।
(५) इस्पात की पट्टियां, टेप आदि।
(६) बेदाग इस्पात की चादरों के अलावा औजारी और मिश्रित इस्पात।
(७) बर्तन उद्योग के अलावा अन्य उद्योगों के लिए बेदाग इस्पात की चादरें।
(८) उद्योगों में काम आने वाली छीलन।
(९) गढ़ाई के औजार—जो मशीनों में नहीं चलते।
(१०) छीलन—जिनमें चादरें बन सकें।
(११) पहिये, टायर और धुरियां।
(१२) कोल्ड रोल्ड और डीप ड्राइंग क्वालिटी चादरें।
(१३) हाई टेन्साइल इस्पात।
(१४) स्वीडन की तारकोल लोहे का छड़ और काम किए हुए लोहे की छड़।
(१५) कपड़ा और जूट उद्योग में काम आने वाले रिंग फ्रेमों की नीज़ वार।
(१६) काली और गाल्वेनाइज्ड प्लेन चादरें—२४ जी और पतली।
(१७) बिजली के काम में आने वाली इस्पात की चादरें।

कुछ वास्तविक उपभोक्ताओं को ३० सितम्बर, १९५९ के सार्वजनिक सूचना-पत्र की शर्तों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, १९५९ की अवधि के लिए भी औजारी और मिश्रित इस्पात के आयात लाइसेंस दिए जा चुके हैं। अतः अब इस अवधि के लिए ये आयात लाइसेंस केवल उन नये कारखानों को ही दिए जाएंगे जिन्हें अभी तक ये लाइसेंस नहीं मिले हैं। ऐसे पुराने कारखानों को भी ये लाइसेंस दिए जा सकते हैं जो उपर्युक्त अधिकारी की मार्फत अपनी अर्जी भिजवाते समय यह लिखवा लें कि उन्हें वास्तव में औजारी और मिश्रित इस्पात की जरूरत है।

वास्तविक उपभोक्ताओं को अपनी अर्जी १५ अगस्त, १९६० तक भेज देनी चाहिए। आवश्यक सर्टिफिकेट के लिए उपयुक्त अधिकारी के पास ये अर्जियां १५ जून, १९६० तक पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद भेजी जाने वाली अर्जियां रद्द कर दी जाएंगी।

कांडला में खुला व्यापार क्षेत्र : श्री राजबहादुर का वक्तव्य

कांडला बन्दरगाह और गांधी धाम बस्ती के भविष्य की ओर हम हमेशा ध्यान देते रहे हैं और यहां पर रोजगार बढ़ाने तथा छोटे-बड़े उद्योग शुरू करने के बारे में विचार करते रहे हैं। अब हमने वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सलाह से कांडला क्षेत्र में एक खुला व्यापार क्षेत्र बनाने की अस्थायी योजना बनाई है। यह हमारे देश के लिए बिल्कुल नयी चीज है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा।

यह जानकारी परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राजबहादुर ने ९ अप्रैल को लोकसभा में एक वक्तव्य में दी।

उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि इस सारे क्षेत्र को ऊंचे और कांटेदार तार से घेर देने का विचार है, ताकि यहां से माल लाने-ले-जाने पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके। यहां विदेशों से कच्चा और अर्ध-तैयार माल मंगाकर उससे दूसरी चीजें तैयार करने की सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे बड़ी सुविधा और प्रोत्साहन यह होगा कि यहां मंगाए जाने वाले माल पर आयात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अबाध या खुले व्यापार क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी लाइसेंस आवश्यक होगा और सरकार उन पर अपनी आंख रखेगी। इस सब का उद्देश्य यह है कि किसी ऐसे उद्योग को स्थापित करने की इजाजत न दी जाए जिससे बाकी देश के किसी उद्योग से अनुचित होड़ हो। यदि कभी इस क्षेत्र में आसपास के देशों को निर्यात करने के लिए विदेशी तैयार माल मंगवाकर भरने की इजाजत मांगी गई तो उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन सोने, हीरे, घड़ियों आदि के आयात की इजाजत नहीं दी जाएगी।

इस क्षेत्र में माल के आयात और निर्यात का पूरा-पूरा हिसाब रखा जाएगा, ताकि यहां का माल बाकी देश में चोरी से न पहुंचाया जा सके। दूसरे, माल के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आमदनी का पूरा लाभ उठाने के लिए भी हिसाब रखना जरूरी है। इस क्षेत्र से देश में आने वाले माल पर आयात सम्बन्धी आम प्रतिबन्ध होंगे।

अंत में श्री राजबहादुर ने कहा कि इस योजना के सारे पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जा रहा है और जल्दी ही इसका प्रचार किया जाएगा। इसके बाद व्यापारियों और उद्योगपतियों की जो राय हमें मालूम होगी, उसके आधार पर सरकार इस योजना को शुरू करने के बारे में अंतिम निर्णय करेगी। अभी हमारा खयाल है कि इस योजना से कांडला में उद्योग-धंधे बढ़ेंगे और वहां की अर्थ-व्यवस्था उन्नत होगी।

फूलों के पौधों का निर्यात

सन् १९५७ से १९५९ तक के तीन वर्षों में भारत से १ लाख ७२ हजार रु० के फूलों के पौधे निर्यात हुए। यह निर्यात मुख्यतः अमरीका, इंगलैण्ड, प० जर्मनी, नीदरलैण्ड, फिनलैण्ड और कुवैत को हुआ। यह सूचना वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति उपमंत्री, डा० मनमोहन दास ने ११ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

डा० दास ने यह भी बताया कि भारत सरकार शिलांग में फूल-बाग खोलने की सोच रही है जिसमें रंग-बिरंगे और विभिन्न किस्म के नये-नये फूल लगाए जाएंगे। यह उद्यान १९६२-६३ तक बन कर तैयार होगा।

फरवरी १९६० में भारत का विदेशी व्यापार

कलकत्ता के वाणिज्य, सूचना और अंक विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरवरी १९६० में जल, थल और हवाई मार्ग से निजी और सरकारी रूप से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े इस प्रकार हैं :

व्यापारी माल : इसमें नेपाल, तिब्बत,

सिक्किम और भूटान के साथ स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार शामिल नहीं है। निर्यात—४७ करोड़ ९ लाख रु०; पुनर्निर्यात—२ करोड़ ७२ लाख रु०; आयात—६९ करोड़ १२ लाख रु०। आयात के आंकड़ों में उस सरकारी सामान का मूल्य शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना अभी बाकी है।

कोष. नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—१ करोड़ २८ लाख रु०; सोना—बिल्कुल नहीं, चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—१ लाख रु०। नोटों का आयात—५२ लाख रु०; सोना—६ लाख रु०; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य।

व्यापार तुला. व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात से १९ करोड़ ४७ लाख रु० कम रहा।

यह सूचना वाणिज्य सूचना और अंक विभाग, कलकत्ता, की ९ अप्रैल की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

डी० डी० टी० के भाव में कमी

हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि० ने टेक्निकल डी डी टी के दाम में २० प्रतिशत कमी करने की घोषणा की है। यह ४ रु० प्रति किलोग्राम के स्थान पर ३.२० रु० प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची जाएगी। इसी प्रकार फार्म्यूलेटेड डी डी टी के बिक्री-भाव में १८ प्रतिशत कमी की गई है और यह ३.४० रु० प्रति किलोग्राम के स्थान पर २.८० रु० प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची जाएगी।

हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि०, दिल्ली और अल्वाई में डी डी टी के सरकारी कारखानों का प्रबन्ध करता है।

मार्च १९५५ में जब से दिल्ली का डी डी टी कारखाना चालू हुआ है, तब से दोनों तरह के डी डी टी. के भाव निरन्तर घटाए जा रहे हैं। यह चौथा मौका है जब डी डी टी. का दाम घटाया गया है।

देश में डी डी टी. का उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अल्वाई के कारखाने में डी डी टी. का उत्पादन पिछली जनवरी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उस महीने यहां २५० टन से अधिक फार्म्यूलेटेड डी.डी.टी. तैयार की गई। इस प्रकार वहां २२३ टन के मासिक लक्ष्य से ही अधिक डी डी.टी. नहीं तैयार की गई बल्कि कारखाने की क्षमता से भी अधिक तैयार की गई। कारखाने की उत्पादन क्षमता २४० टन प्रतिमास है।

दिल्ली के कारखाने में पिछले ६ महीनों का टेक्निकल डी.डी टी. का औसत उत्पादन प्रति मास १३० टन है, जो कि कारखाने की सामान्य उत्पादन क्षमता से १२ प्रतिशत अधिक है। उत्पादन में यह वृद्धि, बेहतर तरीकों तथा कर्मचारियों की कुशलता के कारण हुई।

डी० डी० टी० बनाने की नयी विधि

इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च की योजना के अधीन नेशनल केमिकल लैबोरेटरी ने पानी में घुलने वाली डी डी टी. बनाने की एक सरल विधि निकाली है। इस नयी विधि से डी डी टी. को ठण्डा या गरम पीसकर बनाया जा सकता है।

गरम पिसने की विधि से निर्मित पेस्ट वैटेएबल एमलसन पाउडर से अच्छा होता है। इस पेस्ट के कण बहुत पतले होते हैं और खुरदरी सतह पर भी कीटाणुओं पर इसका अच्छा असर होता है। इस पेस्ट में डी डी टी. के कण के ऊपर एक तह होती है, जो मारक दवा को कीटाणु के शरीर तक पहुंचा देती है।

इस विधि से प्रतिदिन २५०-३०० पौण्ड डी डी टी बनाकर परीक्षा की गई है। यह विधि सुगम तथा सरल है। इसका कारखाना किसी भी स्थान में स्थापित किया जा सकता है, जहां कच्चे पदार्थ, बिजली आदि उपलब्ध हों।

भारत में डी डी टी का वार्षिक उत्पादन २,८०० है। इसके अतिरिक्त कुछ आयात करना पड़ता है। १९५८ में और १९५९ के पहले नौ महीनों में क्रमशः ९,९२४ और ११,९३० टन डी.डी.टी का आयात हुआ।

अम्बर चरखा

दिसम्बर १९५९ के अन्त में देश में कुल ३,२३८ उत्पादन केन्द्र, निरीक्षकों को सिखाने के ६१ विद्यालय, बढ़ईगिरी सिखाने के २७ विद्यालय और अम्बर चरखा बनाने के १०८ बड़े और ४८५ छोटे सरंजाम कार्यालय थे। इसके अलावा, बुनकरों को भी सिखाने के अनेक केन्द्र थे। यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने ७ अप्रैल को राज्य-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

श्री शाह ने बताया कि अप्रैल १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक बुनकरों को कुल २,८२,४९९ अम्बर चरखे बांटे गए थे, जिनमें से १,७०,००० चरखे चालू थे। उन्होंने कहा कि ऊन बुनने का अभी कोई अम्बर चरखा नहीं बनाया गया है। वैसे इस तरह का अच्छा चरखा बनाने के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है।

भिलाई इस्पात कारखाने का उत्पादन

भिलाई इस्पात कारखाने में ११ अप्रैल तक १ लाख टन इस्पात तैयार हो चुका है। भिलाई में १२ अक्तूबर, १९५९ से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ जबकि भारत में रूसी राजदूत श्री आई० ए० बेनेदिक्तोव ने पहली खुली भट्ठी का उद्घाटन किया। तब से दो खुली भट्ठियां चालू की जा चुकी हैं: पहली १७ दिसम्बर, १९५९ को और दूसरी मार्च १९६० में।

हर भट्ठी में प्रति दिन ५०० टन इस्पात तैयार हो सकता है। भिलाई इस्पात कारखाने में सालाना १० लाख टन इस्पात तैयार करने के लिए ऐसी ६ भट्ठियां चाहिए। बाकी भट्ठियां बनाई जा रही हैं और इस साल के अन्त तक बन कर तैयार हो जाएंगी।

अब तक ५५,००० टन इस्पात की सिलें आदि देश की विभिन्न री-रोलिंग मिलों को भेजी जा चुकी हैं।

क्रोमाइट का उत्पादन

भारत में १९५९ में ८५,००० मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया। पिछले साल इसका उत्पादन ६४,००० टन हुआ था। इस प्रकार इसके उत्पादन में इस साल पिछले साल से ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सबसे अधिक उत्पादन ८१,००० टन उड़ीसा में हुआ और बाकी बिहार, मैसूर और बम्बई में।

चीनी उद्योग में लागत

टटकर आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय

चीनी उद्योग की लागत के बारे में टटकर आयोग ने १९५९ में जो रिपोर्ट दी थी, उन पर भारत सरकार के निर्णय ४ अप्रैल, १९६० के सूचना-पत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं। टटकर आयोग की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय निम्नलिखित हैं

टटकर आयोग ने ४ क्षेत्र निश्चित किए हैं और उनके लिए अलग-अलग लागत-सूचियां तैयार की हैं। ये चार क्षेत्र हैं (१) उत्तरी क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब राज्य आते हैं, (२) बम्बई राज्य, (३) मध्य प्रदेश और राजस्थान, (४) दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्य आते हैं। आयोग ने केरल में दक्षिणी क्षेत्र के लिए निर्धारित लागत-सूची और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व आसाम में उत्तरी क्षेत्र के लिए निर्धारित लागत-सूची अपनाने को कहा है।

आयोग ने सिफारिश की है कि लागत-सूची में दिए गए उत्पादन-मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक कारखाने को नियोजित पूंजी पर होने वाले लाभ का १२ प्रतिशत भाग बोनस, ग्रेच्युटी, ऋण तथा ऋण-पत्रों का ब्याज, विशेष शेयरों पर लाभांश तथा मैनेजिंग एजेंटों का कमीशन और आय कर देने के लिए छोड़ना चाहिए। इसके बाद जो लाभ बचे, उस पर सभी क्षेत्रों के अधिकांश कारखानों को उचित लाभांश घोषित करने की अनुमति देनी चाहिए।

कारखाने से बाहर का मूल्य निर्धारित करने में सुधार आदि के लिए अलाउंस देने की आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की, क्योंकि आयोग का मत है कि सभी कारखानों के लिए इस प्रकार का अलाउंस जरूरी और उचित नहीं है। आयोग ने सुझाव दिया है कि जिन कारखानों को सुधार आदि के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, वे वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं से सहायता लें।

भारत सरकार ने आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यह निश्चय किया है कि चीनी का नियंत्रित मूल्य निर्धारित करते समय आयोग द्वारा तैयार की गई लागत-सूचियों को ध्यान में रखा जाए।

भारत सरकार का विचार है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब के मौजूदा नियंत्रित मूल्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। दक्षिण बिहार के सम्बन्ध में सरकार का यह विचार है कि उन पर भी उत्तर बिहार के कारखानों की तरह मूल्य नियंत्रण का नियम लागू होना चाहिए।

यह सूचना चीनी और वनस्पति निदेशालय की विज्ञप्ति में दी गई है।

१९६०-६१ के लिए गन्ने का भाव

भारत सरकार ने सब सम्बन्धित बातों पर विचार करने के बाद, १९६०-६१ के लिए वैक्यूअम पैन फैक्ट्रियों में पिराई के लिए गन्ने का भाव निम्न प्रकार रखा है

(१) कारखाने पर गन्ने का भाव १ रु० ६२ नया पैसा प्रति मन और कारखाने की तरफ से गन्ना इकट्ठा करने वाले स्टेशनों पर १ रु० ५० नया पैसा प्रतिमन,

(२) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के आदेश से जहां पूरे राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र में चीनी की कीमत के अनुसार ही गन्ने का भाव निर्धारित करने के नियम लागू हैं, वहां पर यदि किसानों को अधिक दाम मिलना हो तो बाद में उसका भी भुगतान होना चाहिए।

यह सूचना खाद्य और कृषि मंत्रालय के खाद्य विभाग की १ अप्रैल की विज्ञप्ति में दी गई है।

१९६०-६१ में गन्ने के भाव में चालू भाव से कोई अन्तर नहीं हुआ है।

अक्तूबर १९५९ में १ रु० ४४ नया पैसा से भाव बढ़ा कर १ रु० ६२ नया पैसा कर दिया गया था। यह भाव कारखाने पर का था। कारखाने की तरफ से गन्ना इकट्ठा करने वाले स्टेशनों पर गन्ने का भाव १ रु० ३१ नया पैसा से बढ़ा कर १ रु० ५० नया पैसा प्रतिमन कर दिया गया था। चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये भाव निर्धारित किए गए थे।

चीनी की निकासी

केन्द्रीय सरकार ने बिक्री के लिए १ लाख ८५ हजार टन चीनी देने का निश्चय किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और पंजाब के चीनी कारखानों से खुली बिक्री के लिए चीनी नहीं दी जाएगी। पर इन कारखानों को अपने कर्मचारियों को बेचने के लिए कुछ चीनी दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, बम्बई राज्य, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा के नियंत्रित क्षेत्रों के कारखानों से चीनी सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा नामजद व्यापारियों को ही दी जाएगी। पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में चीनी या तो सीधे राज्य सरकारों को या उनके द्वारा नामजद व्यापारियों को दी जाएगी। दिल्ली को चीनी वर्तमान नियमों के अनुसार ही दी जाएगी।

यह चीनी २५ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी एस आर ११८८/ई एस एम० कामर्स/शुगर और ४ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी एस आर ३८६/ ई एस एम० कामर्स/शुगर, में दिए गए भाव पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की मिलों के लिए चीनी का नियंत्रित एक्स-मिल भाव ३७ ८५ रु० प्रति मन है, जबकि पंजाब की मिलों के बाहर का नियंत्रित भाव ३८ ३५ रु० प्रति मन है। कानपुर को जो चीनी दी गई है, उसके आई एस एस डी-२९ श्रेणी की चीनी का रेल से पहुंचता मूल्य ३८ ६० रु० और कलकत्ते की चीनी का ३९.८५ रु० प्रति मन है।

यह सूचना खाद्य और कृषि मंत्रालय के चीनी और वनस्पति निदेशालय की ६ अप्रैल की विज्ञप्ति में दी गई है।

दक्षिण बिहार के चीनी कारखानों में मूल्य-नियंत्रण

केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के चीनी तथा वनस्पति निदेशालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने दक्षिण बिहार में आई-एस० एस० डी-२९ ग्रेड चीनी का कारखाना-भाव ३८ रु० ३५ न० पै० मन निश्चित किया है। यह नियंत्रण तुरन्त लागू होगा। अन्य श्रेणी की चीनी का भाव भी

सूचना देनी होगी कि उनके यहा कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं।

इस अधिनियम के उद्देश्यो को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ नियमों का मसौदा तैयार किया है और यह प्रकाशित किया जा चुका है। सम्बन्धित व्यक्तियों की राय जानने के बाद यह पक्की तौर पर तैयार होगा।

भिलाई से मजदूरों की छंटनी : इस्पात मन्त्री का वक्तव्य

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार स्वरन सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में हाल ही में एक वक्तव्य लोकसभा की मेज पर रखा। वक्तव्य के अनुसार भिलाई इस्पात कारखाने की कई यूनिटों के पूरे बन जाने पर उसका इमारती काम अब कम होता जा रहा है। बाकी यूनिटें भी बनाई जा रही हैं। अब उत्पादन में कमी होने के कारण धीरे-धीरे इमारती कर्मचारियों की छंटनी करना आवश्यक हो गया है।

हिन्दुस्तान स्टील लि० में इमारती कर्मचारियों की छटनी शुरू हो गई है और ५,०१७ मजदूरों को पहली अप्रैल से १ महीने का नोटिस दिया जा चुका है। भिलाई इस्पात कारखाने से लगभग २५,६०० इमारती कर्मचारियों की छटनी करने की सम्भावना है। इस साल के अन्त तक थोड़े-थोड़े कर्मचारी छटनी किए जाएंगे।

छटनी हुए कर्मचारियों को दूसरा काम दिलाने में यथासम्भव सहायता दी जा रही है। उन लोगों को कामदिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराने की सलाह दी जा रही है, जिससे कि वे अन्य स्थानों में नौकरी पा सकें। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अन्य योजनाओं को अपने यहां से छटनी किए जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता आदि के बारे में विवरण भेजने की व्यवस्था कर ली है, जिससे वहां उन्हें लगा लिया जाए तथा बाहर से नियुक्ति न हो। श्रम और नियोजन मंत्रालय भी इस मामले की ओर ध्यान दे रहा है।

मजदूरों को मकान बनाने के लिए भविष्य निधि से धन

अब कारखानों के मजदूर अपने लिए मकान बनवाने या खरीदने के लिए अपनी भविष्य निधि में से अंतिम धन ले सकेंगे और उन्हें यह धन वापस करने की भी जरूरत नहीं होगी। भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२, में इस आशय का संशोधन किया है।

कारखाना-मजदूरों को मकान बनाने की सहायता देने की योजना के अन्तर्गत यह सुविधा दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत कोई भी मजदूर जो भविष्य निधि मे रुपये जमा करवाता है, मकान बनवाने के लिए अपने १२ महीने का मूल वेतन या भविष्य निधि में उसके कुल धन या मकान की लागत में उसके अपने हिस्से के बराबर का धन, इसमें जो भी कम हो, ले सकता है। अगर कोई मजदूर अलग से मकान बनवाना या खरीदना चाहता है तो वह अपने १२ महीनों का कुल मूल वेतन या भविष्य निधि में अपने कुल हिस्से के बराबर का धन, जो भी कम हो, ले सकता है।

शुरू-शुरू में कर्मचारी भविष्य निधि योजना केवल ६ प्रकार के उद्योगों में लागू की गई थी, जो अब ४१ तरह के उद्योगों में लागू है। दिसम्बर १९५९ के अन्त तक यह योजना ७,१८२ कारखानों पर लागू थी, जिनमें कुल २६ लाख ४६ हजार मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों की भविष्य निधि में कुल १ अरब ६० करोड़ रु० जमा था। इसमें वह रकम शामिल नहीं है, जो मजदूरों को बीमे का प्रीमियम चुकाने के लिए दे दी गई थी।



सीमा सड़क विकास मंडल

सीमा क्षेत्रों में सड़क परिवहन के विकास आदि की नीति बनाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने जो मंडल स्थापित किया था, उसका विवरण १२ अप्रैल को लोकसभा में एक वक्तव्य में दिया गया। यह वक्तव्य प्रधान मंत्री की ओर से परराष्ट्र उपमंत्री, श्रीमती लक्ष्मी नन्दन मेनन ने एक प्रश्न के उत्तर में सदन की मेज पर रखा।

इस वक्तव्य में बताया गया है कि प्रधान मंत्री इस मंडल के अध्यक्ष और प्रतिरक्षा मंत्री, श्री कृष्ण मेनन इसके उपाध्यक्ष हैं। मंडल के अन्य सदस्य इस प्रकार है - कश्मीर मामलों के सचिव ; परिवहन मंत्रालय के सचिव ; प्रतिरक्षा मंत्रालय के सचिव ; वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा) के वित्त सलाहकार ; सड़क परिवहन के सलाहकार इंजीनियर ; स्थल और वायुसेनाओं के अध्यक्ष ; क्वार्टरमास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बी० एम० कौल ; प्रतिरक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एच० सी० सरीन ; संयुक्त सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय ; मेजर जनरल के० एन० दुबे, सीमा सड़कों के महानिदेशक और श्री एस० के० मुकर्जी, सदस्य सचिव।

इस मंडल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

(१) सीमा क्षेत्रों मे विकास योजनाओं और अन्य गतिविधियों को ध्यान मे रखकर परिवहन विकास की नीति बनाना और प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं को लागू करवाना।

(२) उपयुक्त संस्थाओं को परिवहन विकास की योजनाएं चालू करवाने का उत्तरदायित्व देना तथा उनके लिए आवश्यक सामान और कर्मचारियों की व्यवस्था करना।

(३) प्रत्येक योजना का खर्च मंजूर करना और उनकी देखभाल रखना। अगर किसी योजना के पूरा होने में विलम्ब हो या विलम्ब की सम्भावना हो तो आवश्यक सहायता की व्यवस्था करना।

श्रीमती मेनन ने कहा कि सार्वजनिक हित में यह बताना असम्भव है कि किन-किन क्षेत्रों को क्या प्राथमिकता दी गई है।

कान्दला बन्दरगाह में रेत की सफाई

परिवहन और संचार मन्त्री, डा० पी० सुब्बारायन ने ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कान्दला बन्दरगाह में रेत साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है।

डा० सुब्बारायन ने बताया कि कान्दला बन्दरगाह के मुख पर दो मील चौड़ी रेती है, जिसे कलदारा खोल कहते हैं। इस रेती के ऊपर से जहाजों के आने-जाने के लिए जलमार्ग है। यह कलदारा खोल बराबर टूटता रहता है और जहाजों के आने-जाने का मार्ग भी टूटता रहता है। अत: अब इस मार्ग की सफाई करना जरूरी हो गया है।

पूना का केन्द्रीय पानी और बिजली अनुसंधान केन्द्र यह परीक्षण कर रहा है कि इस मार्ग को किस प्रकार स्थायी बनाया जाए, क्योंकि आजकल इस क्षेत्र में अन्य कई काम हो रहे हैं, अत: अभी इस केन्द्र को परीक्षण पूरे करने में काफी समय लगेगा।

डा० सुब्बारायन ने कहा कि फिलहाल इस मार्ग या धार में से रेत की सफाई करना ही उपयुक्त समझा गया है। इस काम के लिए सन् १९५९ के आरम्भ में विशाखापत्तनम बन्दरगाह से रेत साफ करने वाला 'विशाखा' जहाज कान्दला बन्दरगाह में लाया गया। इसने तीन महीने तक यह काम किया, जिस पर लगभग १० लाख रु० खर्च हुए। अब मई १९६० में फिर इस जहाज से यह काम कराने का इरादा है और इस बार भी इस काम पर पहले जितना ही खर्च आने का अनुमान है।

अब कान्दला बन्दरगाह के लिए रेत खोदने का एक जहाज अलग से खरीदने का निश्चय किया गया है। परिवहन विभाग के सलाहकार इस सम्बन्ध में शिल्पिक बातों पर विचार कर रहे हैं। जब इस बारे में कोई निश्चय हो जाएगा, तभी जहाज खरीदने का आर्डर दे दिया जाएगा।

पाल के जहाजों का निर्माण

दूसरी पचवर्षीय योजना की शेष अवधि में पाल से चलने वाले आधुनिक डिजाइनों के जहाज बनाने वालों को सहायता देने के लिए १५ लाख रु० रखा गया है। यह सहायता ऋण के रूप में दी जाएगी। यह सूचना ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में परिवहन और संचार मन्त्री, डा० पी० सुब्बारायन ने दी। उन्होंने बताया कि ऋण देने की शर्तें, नियम आदि तैयार किए जा रहे हैं।

इसके लिए शीघ्र ही नौसेना का एक विशेषज्ञ नियुक्त किया जाने वाला है जो पाल के जहाजों के नक्शों की जांच करेगा और उनके डिजाइन आदि के बारे में शिल्पिक सलाह देगा।

अंडमान आदि द्वीपों से सम्पर्क बढ़ाने का प्रयत्न

अक्तूबर से कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर तक सप्ताह में एक बार हवाई जहाज चला करेगा। संदेश भेजने और पाने में अधिक सुविधा हो, इसके लिए लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनद्वीप में बेतार के तार के ४ केन्द्र भी खोले गये हैं।

कलकत्ता से कार-निकोबार तक सप्ताह में एक बार डाक लेकर जो हवाई जहाज आता है, वह अब पोर्ट ब्लेयर भी जाया करेगा। सरकार ने देश से लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनद्वीप की यात्रा के लिए एक जहाज भी चलाया है। इस जहाज का कुल वजन ७११ टन और रफ्तार १० समुद्री मील (१ समुद्री मील—६,०८० फुट) प्रति घंटा है। द्वीपों के बीच की यात्रा के लिए जो नावें चलती हैं, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। इन उपायों से भारत के इन द्वीपों से सम्पर्क बढ़ेगा और इनके विकास में भी मदद मिलेगी।

फ्रांसीसी विमान की दुर्घटना

पिछले महीने की २३ तारीख को एक फ्रांसीसी विमान वाराणसी के हवाई अड्डे पर टकरा गया था। इस निजी विमान में ३ फ्रांसीसी नागरिक यात्रा कर रहे थे। विमान के अवशेषों में ४२१५ तोले के १३ सोने के टुकड़े मिले। इस सोने का मूल्य ५४,००० रु० होता है। इसके अलावा एक *नीलम और कुछ मामूली आभूषण भी मिले।*

यह सूचना वित्त उपमंत्री, श्री बलिराम भगत ने एक प्रश्न के उत्तर में १२ अप्रैल को राज्यसभा में दी।

उपमंत्री ने बताया कि तीनों फ्रांसीसी पेरिस से कराची होते हुए पालम पहुंचे थे। उनके कागजों से पता चलता है कि वे कलकत्ता और हांगकांग होते हुए टोकियो जा रहे थे। इस बात की जांच की जा रही है कि इनकी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या था।

रेलों द्वारा बुक किए हुए कोयले का इस्तेमाल

रेल उपमन्त्री श्री सलेम वेंकटप्पा रामस्वामी ने ९ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अगर कभी रेलों के पास कोयला खतम हो जाता है तो वे बुक किया हुआ कोयला ही अपने इस्तेमाल में ले लेती है। जब भी ऐसा किया गया है तभी कोयला कंट्रोलर को और जिसके नाम कोयला बुक है, उसको तार द्वारा इसकी सूचना दे दी जाती रही है। श्री रामस्वामी ने इस बात की पुष्टि की कि उत्तर रेलवे के क्षेत्र में कांच का सामान बनाने वाले कुछ कारखानों के नाम एक बार ३० वैगन कोयला बुक हुआ था जो रास्ते में रेलों ने अपने काम में ले लिया था।

अन्य कुछ प्रश्नों के उत्तर में रेल उपमन्त्री ने बताया कि ऐसी हालत में अगर किसी ऐसे कारखाने के बन्द हो जाने का भय हो जिसके नाम वह कोयला बुक हो तो कोयला कंट्रोलर अन्य किसी प्रकार उस कारखाने को कोयला भिजवाने की व्यवस्था कर देता है। जहां तक सम्भव हो, रेलें भी ऐसे कारखानों को अपने पास से कोयला दे देती हैं। श्री रामस्वामी ने कहा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए रेलें अपने वास्ते अधिक कोयला मंगा रही हैं।

दिल्ली के पास माल डिब्बों का नया कारखाना

रेल सामग्री समिति की सिफारिश पर नयी दिल्ली के मेसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज को माल-डिब्बे बनाने की अनुमति दी गई थी। इस कम्पनी ने दिल्ली के पास नागलोई में कारखाना खड़ा किया है। अभी तक इन्हें १०० सी आर. किस्म के माल-डिब्बों का आजमाइशी आर्डर दिया गया है पर अभी कोई डिब्बा सप्लाई नहीं किया गया है। आशा है कारखाना जल्दी ही चालू हो जाएगा।

यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री शाह नवाज खां ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में १३ अप्रैल को लोकसभा में दी।

चित्तरंजन रेल कारखाने के कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस

चितरंजन कारखाने के उन मजदूरों और चार्जमैन तक के स्तर के सुपरवाइजरों को, जो इंजन बनाने के काम में लगे हुए हैं, प्रोत्साहन के लिए बोनस दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मजदूरों के मूल वेतन का आधा तक दिया जाता है।

यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने १ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

श्री खां ने बताया कि दिसम्बर १९५९ में मजदूरों को कुल ८९ हजार रु० का ऐसा बोनस दिया गया, जबकि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सब मजदूरों का कुल मूल वेतन २,२४,००० रु० बैठता है।

राजमण्ड्री से सामलकोट तक दोहरी रेल-लाइन

दूसरी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण रेल के राजमण्ड्री-वाल्टेयर सैक्शन पर राजमण्ड्री की द्वारपुडी होते हुए सामलकोट तक की ३१.२५ मील लम्बी लाइन को ही दोहरा करने का निश्चय किया गया था। यह सूचना देते समय रेल उपमन्त्री, श्री सलेम वेंकटप्पा रामस्वामी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राजमण्ड्री से द्वारपुडी तक की १२.५ मील लम्बी लाइन को दोहरा करने का ८३ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। द्वारपुडी से सामलकोट तक की लाइन का काम शुरू हो गया है।

केन्द्रीय सरकार का रेल-पुलिस पर व्यय

लोकसभा में रेल उपमन्त्री, श्री सलेम वेंकटप्पा रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में ९ अप्रैल को बताया कि राज्य सरकार के अधीन सरकारी रेलवे पुलिस, केन्द्रीय रेल मन्त्रालय में डेपुटेशन पर नहीं है। फिर भी रेल मन्त्रालय ने १९५९-६० में 'आर्डर ड्यूटी' के लिए ९.४ लाख रु० दिए। 'अपराध की ड्यूटी' (कानून पुलिस) का खर्च राज्य सरकारों ने स्वयं उठाया।

रेल मन्त्रालय के अनुसंधान कार्यालय शिमला जाएंगे

रेल मन्त्रालय के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के दिल्ली और चित्तरंजन स्थित कार्यालयों को शिमला भेजा जा रहा है। चित्तरंजन का नक्शा कार्यालय फिलहाल वहीं रहेगा। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के दिल्ली कार्यालय की कुछ शाखाओं का काम बन्द हो गया है। ३५ अप्रैल तक पूरा कार्यालय शिमला पहुंच जाने की आशा है।

रेलगाड़ी में आकाशवाणी संगीत तथा समाचार

नयी दिल्ली से मद्रास जाने वाली वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी में प्रयोग के तौर पर रेडियो से संगीत और समाचार सुनाने का प्रबन्ध किया गया है। यह संगीत और समाचार केवल वातानुकूलित सवारी डिब्बों और खाने के डिब्बे में ही सुने जा सकते हैं।

अभी यह प्रबन्ध केवल एक वातानुकूलित रेलगाड़ी में किया गया है। यह हर शनिवार को नयी दिल्ली से मद्रास को और हर सोमवार को मद्रास से नयी दिल्ली को रवाना होती है। यही रेलगाड़ी हर बुधवार को नयी दिल्ली से हावड़ा और हर शुक्रवार को हावड़ा से वापस नयी दिल्ली के लिए रवाना होती है।

मध्य रेलवे में खुले स्कूल

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने ११ अप्रैल को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि मध्य रेलवे ५५ स्थानों पर खुले स्कूल चला रही है। इन स्कूलों पर लगभग १६,५०० रु० सालाना खर्च होता है और यह खर्च कर्मचारी हितकारी कोष से दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि अन्य रेलों से भी कहा गया है कि वे अपने कर्मचारी हितकारी कोष की समितियों को भी इसी प्रकार के स्कूल चलाने की सलाह दें।

नदी योजनाएं और बिजली

नदी घाटी योजनाओं के खर्च में किफायत

सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुख लाल हाथी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि नागार्जुनसागर, भाखड़ा-नंगल और हीराकुड नदी-घाटी योजनाओं के निर्माण खर्च में काफी किफायत की गई है।

श्री हाथी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा, जिस में बताया गया है कि नागार्जुनसागर योजना में ३ करोड ५२ लाख रु०, भाखड़ा-नंगल योजना (भाखड़ा बांध) में ४ करोड १२ लाख रु० और हीराकुड बांध योजना में सवा करोड रु० की बचत की गई है।

नागार्जुनसागर योजना के निर्माण में कंक्रीट की जगह सीमेंट-गारे की चिनाई की गई, जिससे १ करोड़ २६ लाख रु० की बचत हुई। हीराकुड बांध योजना में भी कुछ मुख्य स्थानों पर कंक्रीट की जगह सीमेंट-गारा लगाया गया, जिससे सवा करोड रु० की बचत हुई। नागार्जुनसागर बांध में क्रेनों के उपयोग और माल ढोने के साधनों आदि में भी किफायत की गई।

भाखड़ा बांध के निर्माण में इंजनों, गाड़ियों आदि की बजाय तारों और पेटियों आदि के सहारे माल की ढुलाई हुई, जिससे १ करोड़ ६७ लाख रु० की बचत हुई। सीमेंट में किफायत करने से ५६ लाख रु० की बचत की गई।

शरावती घाटी योजना की प्रगति

सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुख लाल हाथी ने १ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आशा है, मैसूर की शरावती घाटी योजना का पहला चरण दिसम्बर १९६२ तक पूरा हो जाएगा। श्री हाथी ने सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा जिसमें बताया गया है कि शरावती घाटी योजना का निम्नलिखित निर्माण कार्य

रा हो चुका है :—

लिगनमक्की का मुख्य बांध : पानी निकालने के लिए बांध के बाईं ओर १०० फुट और दाईं ओर १८९ फुट लम्बी गैलरी बन चुकी है। जमीन की खुदाई आदि हो रही है।

तन्दा बलाले बांध : किनारे की दीवारें नींव के ऊपर १० से २० फुट तक चिनी जा चुकी हैं। पानी निकालने की गैलरी का निर्माण भी जोरों पर है।

लिगनमक्की बांध से मल्लाली तक सुरंग बनाने के लिए खुदाई हो रही है।

हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाने की योजनाएं

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ६ अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाने की योजनाओं के बारे में लोकसभा में निम्नलिखित वक्तव्य दिया

सिरमूर जिले में नाहन-पावटा घाटी और पावटा-मिनस तथा रेणुका तहसील के देहाती इलाके में बिजली लगाने की दो योजनाएं हैं। नाहन-पावटा घाटी में बिजली लगाने का काम प्रायः पूरा हो गया है। अनुमान है कि जून १९६० तक सबसे आखिरी गांव सिलाई तक बिजली के तार लगा दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस योजना के खास-खास काम पूरे हो जाएंगे। ब्रांच लाइन लगाने का काम भी जारी है। आशा है कि इस योजना में शामिल सब गांवों तक मार्च १९६१ तक बिजली पहुंच जाएगी।

विस्मा और आसपास के क्षेत्र में बिजली ले जाने पर योजना आयोग की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के लिए रुपया मंजूर करने के वास्ते हिमाचल प्रदेश कार्रवाई कर रहा है। आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद काम शुरू हो जाएगा। आशा है कि मार्च १९६१ के अंत तक इस योजना का अधिकांश काम पूरा हो जाएगा।

भाखड़ा-नंगल से नाहन को १९५६ में, पावटा को १९५८ में, सिरमूर जिले के निहालगढ़, कोलार, माजरा आदि को १९५९ में बिजली मिली। पांवटा-मिनस की योजना के अन्तर्गत सटावन, कमराह और ददाहू में बिजली लगाई जा चुकी है। भदल में अक्तूबर, १९६० तक बिजली लग जाने की आशा है।

खाद्य और कृषि

१९५९-६० में सनई की पैदावार

सन् १९५९-६० में सनई की पैदावार में १ हजार टन की कमी होगी। चालू वर्ष में अन्तिम प्राक्कलन के अनुसार सनई की खेती का रकबा ८ लाख १३ हजार एकड़ और फसल ८० हजार टन है, संशोधित आंशिक प्राक्कलन ८,०७,००० एकड़ और ३१,००० टन का था। प्राक्कलन के अनुसार १९५९-६० में खेती के रकबे में ७ हजार एकड़ की वृद्धि (०·७ प्रतिशत) और सनई के उत्पादन में १,००० टन (१·२ प्रतिशत) कमी होगी। ये आंकड़े खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ और अंक निदेशालय की एक विज्ञप्ति में दिए गए हैं।

सनई की खेती के रकबे में वृद्धि मुख्यतः मध्य प्रदेश और बिहार में हुई। उपज में यह वृद्धि कुछ तो बुवाई के समय अच्छे मौसम तथा कुछ सनई के भाव बढ़ जाने के कारण हुई। बम्बई में सनई की खेती का रकबा कुछ घटा।

उत्तर प्रदेश में सनई की उपज में जो कमी हुई है, उसका कारण यह है कि उसके कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई और कुछ में सूखा पड़ा। बिहार राज्य में उपज अधिक होने के कारण यह कमी कुछ हद तक पूरी हो गई है।

भूमि अधिग्रहण और विकास योजना के अन्तर्गत राज्यों को ऋण

केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्रालय की भूमि अधिग्रहण और विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने सात राज्यों को ३८ लाख रु० के ऋण देना स्वीकार किया है। इस राशि में से आंध्र प्रदेश को ३,२५,००० रु०, बम्बई को १५,००,००० रु०, मद्रास को ४,२५,००० रु०, मैसूर को २,२०,००० रु०, उड़ीसा को ६०,००० रु०, पंजाब को २,७०,००० रु० और उत्तर प्रदेश को १०,००,००० रु० का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण १० किश्तों में अदा किया जाएगा और इस पर ४ प्र०श० की दर से ब्याज होगा।

क्या आप जानते हैं !

पटसन का उत्पादन

● जनवरी से सितम्बर १९५९ की अवधि में इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन की सदस्य मिलों ने पटसन का ७,८२,००० टन माल तैयार किया।

● इसी अवधि में ६,७५,३६६ टन माल विदेशों को भेजा गया। इससे ८४ करोड़ ६७ लाख रु० की विदेशी मुद्रा कमायी गयी। १९५८ की इसी अवधि में ६,१४,३३७ टन माल के निर्यात से लगभग ८० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी।

● पटसन का माल खरीदने वाले देशों में जोरदार प्रचार करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन को १९५९-६० में १·२५ लाख रु० की सहायता दी।

● भारत, पटसन की फसल के जुलाई १९५८ से जून १९५९ के साल में पहली बार कच्चे पटसन की पैदावार में आत्मनिर्भर हुआ। इस अवधि में पैदावार ६७ लाख ५९ हजार गांठ हुई, जबकि पटसन उद्योग की जरूरत ६५ लाख गांठ की थी।

● जुलाई-जून १९५८-५९ में पाकिस्तान से केवल ३,३०,२०० गांठें कच्चा पाट मंगाया गया, जबकि १९५७-५८ की इसी अवधि में ६,७५,००० टन पाट का आयात हुआ था। इस समय पाकिस्तान से केवल पटसन की कतरनें, जिनसे अमरीका में कपास बांधने के थैले बनते हैं और बहुत बढ़िया किस्म का पटसन ही मंगाया जाता है।

● क्योंकि १९५८-५९ में कच्चे पटसन की फसल बहुत बढ़िया हुई, इसलिए १० साल बाद १९५९-६० में राज्य व्यापार निगम के जरिये विदेशों को भी इसका कुछ निर्यात किया गया।

● पाट मिलों को आधुनिक ढंग का करने के लिए राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम अब तक २२ कम्पनियों को ४,५५,५८,७६२ रु० के कर्ज की मंजूरी दे चुका है।

चित्तरंजन रेल कारखाने के कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस

चित्तरंजन कारखाने के उन मजदूरों और चार्जमैन तक के स्तर के सुपरवाइजरों को, जो इंजन बनाने के काम में लगे हुए हैं, प्रोत्साहन के लिए बोनस दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मजदूरों के मूल वेतन का आधा तक दिया जाता है।

यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने १ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

श्री खां ने बताया कि दिसम्बर १९५९ में मजदूरों को कुल ८९ हजार रु० का ऐसा बोनस दिया गया, जबकि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सब मजदूरों का कुल मूल वेतन २,२४,००० रु० बैठता है।

राजमण्ड्री से सामलकोट तक दोहरी रेल-लाइन

दूसरी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण रेल के राजमण्ड्री-वाल्टेयर सेक्शन पर राजमण्ड्री की द्वारपुडी होते हुए सामलकोट तक की ३१.२५ मील लम्बी लाइन को ही दोहरा करने का निश्चय किया गया था। यह सूचना देते समय रेल उपमन्त्री, श्री सलेम वेंकटप्पा रामस्वामी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राजमण्ड्री से द्वारपुडी तक की १२.५ मील लम्बी लाइन को दोहरा करने का ८३ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। द्वारपुडी से सामलकोट तक की लाइन का काम शुरू हो गया है।

केन्द्रीय सरकार का रेल-पुलिस पर व्यय

लोकसभा में रेल उपमन्त्री, श्री सलेम वेंकटप्पा रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में ९ अप्रैल को बताया कि राज्य सरकार के अधीन सरकारी रेलवे पुलिस, केन्द्रीय रेल मन्त्रालय में डेपुटेशन पर नहीं है। फिर भी रेल मन्त्रालय ने १९५९-६० में 'आर्डर ड्यूटी' के लिए ९४ लाख रु० दिए। 'अपराध की ड्यूटी' (क्राइम पुलिस) का खर्च राज्य सरकारों ने स्वयं उठाया।

रेल मन्त्रालय के अनुसंधान कार्यालय शिमला जाएंगे

रेल मन्त्रालय के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के दिल्ली और चित्तरंजन स्थित कार्यालयों को शिमला भेजा जा रहा है। चित्तरंजन का नक्शा कार्यालय फिलहाल वहीं रहेगा। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के दिल्ली कार्यालय की कुछ शाखाओं का काम बन्द हो गया है। २५ अप्रैल तक पूरा कार्यालय शिमला पहुंच जाने की आशा है।

रेलगाड़ी में आकाशवाणी संगीत तथा समाचार

नयी दिल्ली से मद्रास जाने वाली वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ी में प्रयोग के तौर पर रेडियो से संगीत और समाचार सुनाने का प्रबन्ध किया गया है। यह संगीत और समाचार केवल वातानुकूलित सवारी डिब्बों और खाने के डिब्बे में ही सुने जा सकते हैं।

अभी यह प्रबन्ध केवल एक वातानुकूलित रेलगाड़ी में किया गया है। यह हर शनिवार को नयी दिल्ली से मद्रास को और हर सोमवार को मद्रास से नयी दिल्ली को रवाना होती है। यही रेलगाड़ी हर बुधवार को नयी दिल्ली से हावड़ा और हर शुक्रवार को हावड़ा से वापस नयी दिल्ली के लिए रवाना होती है।

मध्य रेलवे में खुले स्कूल

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने ११ अप्रैल को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि मध्य रेलवे ५५ स्थानों पर खुले स्कूल चला रही है। इन स्कूलों पर लगभग १६,५०० रु० सालाना खर्च होता है और यह खर्च कर्मचारी हितकारी कोष से दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि अन्य रेलों से भी कहा गया है कि वे अपने कर्मचारी हितकारी कोष की समितियों को भी इसी प्रकार के स्कूल चलाने की सलाह दें।

नदी योजनाएं और बिजली

नदी घाटी योजनाओं के खर्च में किफायत

सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ६ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि नागार्जुनसागर, भाखड़ा-नंगल और हीराकुड नदी-घाटी योजनाओं के निर्माण खर्च में काफी किफायत की गई है।

श्री हाथी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा, जिस में बताया गया है कि नागार्जुनसागर योजना में ३ करोड़ ५२ लाख रु०, भाखड़ा-नंगल योजना (भाखड़ा बांध) में ४ करोड़ १२ लाख रु० और हीराकुड बांध योजना में सवा करोड़ रु० की बचत की गई है।

नागार्जुनसागर योजना के निर्माण में कंक्रीट की जगह सीमेंट-गारे की चिनाई की गई, जिससे १ करोड़ २६ लाख रु० की बचत हुई। हीराकुड बांध योजना में भी कुछ मुख्य स्थानों पर कंक्रीट की जगह सीमेंट-गारा लगाया गया, जिससे सवा करोड़ रु० की बचत हुई। नागार्जुनसागर बांध में क्रेनों के उपयोग और माल ढोने के साधनों आदि में भी किफायत की गई।

भाखड़ा बांध के निर्माण में इंजनों, गाड़ियों आदि की बजाय तारों और पेटियों आदि के सहारे माल की ढुलाई हुई, जिससे १ करोड़ ६७ लाख रु० की बचत हुई। सीमेंट में किफायत करने से ५६ लाख रु० की बचत की गई।

शरावती घाटी योजना की प्रगति

सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने १ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आशा है, मैसूर की शरावती घाटी योजना का पहला चरण दिसम्बर १९६२ तक पूरा हो जाएगा। श्री हाथी ने सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा जिसमें बताया गया है कि शरावती घाटी योजना का निम्नलिखित निर्माण कार्य

पूरा हो चुका है :—

लिगनमक्की का मुख्य बांध : पानी निकालने के लिए बांध के बाईं ओर ४०० फुट और दाईं ओर १८९ फुट लम्बी गैलरी बन चुकी है। जमीन की खुदाई आदि हो रही है।

तला बनाते बांध : किनारे की दीवारें नींव के ऊपर १० से २० फुट तक चिनी जा चुकी है। पानी निकालने की गैलरी का निर्माण भी जोरों पर है।

लिगनमक्की बांध से मस्तानी तक सुरंग बनाने के लिए खुदाई हो रही है।

हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाने की योजनाएं

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ६ अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाने की योजनाओं के बारे में लोकसभा में निम्नलिखित वक्तव्य दिया

सिरमूर जिले में नाहन-पावटा घाटी और पावटा-मिनस तथा रेणुका तहसील के देहाती इलाके में बिजली लगाने की दो योजनाएं हैं। नाहन-पावटा घाटी में बिजली लगाने का काम प्राय पूरा हो गया है। अनुमान है कि जून १९६० तक सबसे आखिरी गांव सिलाई तक बिजली के तार लगा दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस योजना के खत्म-खत्म काम पूरे हो जाएंगे। शाख लाइन लगाने का काम भी जारी है। आशा है कि इस योजना में शामिल सब गांवों तक मार्च १९६१ तक बिजली पहुंच जाएगी।

शिमला और आसपास के क्षेत्र में बिजली ले जाने पर योजना आयोग की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के लिए रुपया मंजूर करने के वास्ते हिमाचल प्रदेश कार्रवाई कर रहा है। आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद काम शुरू हो जाएगा। आशा है कि मार्च १९६१ के अंत तक इस योजना का अधिकांश काम पूरा हो जाएगा।

भाखड़ा-नंगल से नाहन को १९५६ में, पावटा को १९५८ में, सिरमूर जिले के निहालगढ़, कोलार, माजरा आदि को १९५९ में बिजली मिली। पावटा-मिनस की योजना के अन्तर्गत सटावन, कमराहू और ददाहू में बिजली लगाई जा चुकी है। सदल में अक्तूबर, १९६० तक बिजली लग जाने की आशा है।

खाद्य और कृषि

१९५९-६० में सनई की पैदावार

सन् १९५९-६० में सनई की पैदावार में १ हजार टन की कमी होगी। चालू वर्ष में अन्तिम प्राक्कलन के अनुसार सनई की खेती का रकबा ८ लाख १३ हजार एकड़ और फसल ८० हजार टन है, संशोधित आंशिक प्राक्कलन ८,०७,००० एकड़ और ९१,००० टन का था। प्राक्कलन के अनुसार १९५९-६० में खेती के रकबे में ७ हजार एकड़ की वृद्धि (०.७ प्रतिशत) और सनई के उत्पादन में १,००० टन (१.२ प्रतिशत) कमी होगी। ये आंकड़े खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ और अंक निदेशालय की एक विज्ञप्ति में दिए गए हैं।

सनई की खेती के रकबे में वृद्धि मुख्यत मध्य प्रदेश और बिहार में हुई। उपज में यह वृद्धि कुछ तो बुवाई के समय अच्छे मौसम तथा कुछ सनई के भाव बढ़ जाने के कारण हुई। बम्बई में सनई की खेती का रकबा कुछ घटा।

उत्तर प्रदेश में सनई की उपज में जो कमी हुई है, उसका कारण यह है कि उसके कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई और कुछ में सूखा पड़ा। बिहार राज्य में उपज अधिक होने के कारण यह कमी कुछ हद तक पूरी हो गई है।

भूमि अधिग्रहण और विकास योजना के अन्तर्गत राज्यों को ऋण

केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्रालय की भूमि अधिग्रहण और विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने सात राज्यों को ३८ लाख रु० के ऋण देना स्वीकार किया है। इस राशि में से आंध्र प्रदेश को ३,२५,००० रु०, बम्बई को १५,००,००० रु०, मद्रास को ४,२५,००० रु०, मैसूर को २,२०,००० रु०, उड़ीसा को ६०,००० रु०, पंजाब को २,७०,००० रु० और उत्तर प्रदेश को १०,००,००० रु० का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण १० किश्तों में अदा किया जाएगा और इस पर ४ प्र०श० की दर से ब्याज होगा।

क्या आप जानते हैं !

पटसन का उत्पादन

● जनवरी से सितम्बर १९५९ की अवधि में इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन की सदस्य मिलों ने पटसन का ७,८२,००० टन माल तैयार किया।

● इसी अवधि में ६,७५,३६६ टन माल विदेशों को भेजा गया। इससे ८४ करोड़ ६७ लाख रु० की विदेशी मुद्रा कमायी गयी। १९५८ की इसी अवधि में ६,१४,३३७ टन माल के निर्यात से लगभग ८० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी।

● पटसन का माल खरीदने वाले देशों में जोरदार प्रचार करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन को १९५९-६० में १.२५ लाख रु० की सहायता दी।

● भारत, पटसन की फसल के जुलाई १९५८ से जून १९५९ के साल में पहली बार कच्चे पटसन की पैदावार में आत्मनिर्भर हुआ। इस अवधि में पैदावार ६७ लाख ५९ हजार गांठ हुई, जबकि पटसन उद्योग की जरूरत ६५ लाख गांठ की थी।

● जुलाई-जून १९५८-५९ में पाकिस्तान से केवल ३,३०,२०० गांठ कच्चा पाट मंगाया गया, जबकि १९५७-५८ की इसी अवधि में ६,७५,००० टन पाट का आयात हुआ था। इस समय पाकिस्तान से केवल पटसन की कतरनें, जिनसे अमरीका में कपास बांधने के थैले बनते हैं और बहुत बढ़िया किस्म का पटसन ही मंगाया जाता है।

● क्योंकि १९५८-५९ में कच्चे पटसन की फसल बहुत बढ़िया हुई, इसलिए १० साल बाद १९५९-६० में राज्य व्यापार निगम के जरिये विदेशों को भी इसका कुछ निर्यात किया गया।

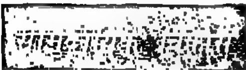
● पाट मिलों को आधुनिक ढंग का करने के लिए राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम अब तक २२ कम्पनियों को ४,५५,५८,७६२ रु० के कर्ज की मंजूरी दे चुका है।

गर्मी में मछलियों के यातायात के लिए रेल के ठण्डे डिब्बे

इस साल गर्मी में मछलियों के यातायात के लिए आजमाइशी तौर पर रेल के ६ ठंडे डिब्बे चलाये जाएंगे ।

इसमें से पहला डिब्बा बम्बई के पास माटुंगा में मध्य रेल की गाडी और डिब्बा वर्कशाप में तैयार किया जा रहा है और अप्रैल के अंत तक तैयार हो जाएगा । डिब्बे की बोगियां तो पेरम्बूर का सवारी डिब्बा कारखाना तैयार कर रहा है । बाकी नीचे का ढाचा आदि एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा तैयार किया जा रहा है । डिब्बों को ठंडे रखने के यंत्र विदेशों से मंगाए गए हैं ।

ये डिब्बे खाद्य और कृषि मंत्रालय की ओर से बनाए जा रहे हैं और इसका एक नमूना नयी दिल्ली के विश्व कृषि मेले में दिखाया गया था ।



क्षेत्र-सहायकों को ट्रेनिंग : सामुदायिक विकास मन्त्रालय की योजना

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लगे सरकारी, गैर-सरकारी तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच निकट सम्पर्क रखने के उद्देश्य से ११ क्षेत्र-सहायकों की एक टोली बनाई जाएगी । आरम्भ में यह टोली ६ महीने के लिए बनाई जाएगी ।

क्षेत्र-सहायक पद पर ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा, जो ग्रामीण विद्यालयों के स्नातक हों । ये लोग राज्य सरकारों और केन्द्रीय सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय तथा ट्रेनिंग देने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच सम्पर्क रखेंगे तथा उनके काम का समन्वय करेंगे । इस तरह इन लोगों को गांवों की उन्नति के कामों का प्रत्यक्ष अनुभव भी हो जाएगा ।

राज्य सरकारें गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता से १६ लाख पंचों, ५ लाख युवक नेताओं, ५ लाख महिला कार्यकर्त्रियों, २ लाख पंचायत समितियों या विकास कमेटियों के सदस्यों को विकास खण्ड स्तर पर ट्रेनिंग दे रही हैं । इनके अलावा १॥ लाख पंचायत सेक्रेटरी भी ट्रेनिंग पा रहे हैं ।

क्षेत्र सहायकों की यह छोटी-सी टोली गैर-सरकारी संस्थाओं की दैनिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देगी । यह टोली शिक्षार्थी शिविरों में प्रशिक्षार्थियों के बीच भी रहेगी ।

राज्यों में पंचायत राज की स्थापना के बाद गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का महत्व और भी बढ़ गया है । ग्राम-सुधार और देहाती इलाकों के विकास में पंचायतें महत्वपूर्ण योग दे रही हैं ।

वर्ष का सर्वोत्तम ग्राम सेवक

मैसूर राज्य में चित्रदुर्ग जिले के दवनगीर खण्ड के ग्राम सेवक श्री वी० एस० करजिगी को देश का सर्वश्रेष्ठ ग्राम सेवक माना गया है । इसलिए उन्हें इस साल का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया ।

यह पुरस्कार २,५०० रु० का है और सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्री, श्री दे ने ७ अप्रैल को यह पुरस्कार साइकिल तथा राष्ट्रीय प्लान सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में श्री करजिगी को दिया ।

सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय ने सामुदायिक विकास खण्डों में ग्राम सेवकों और गांव वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए पिछले साल से यह अखिल भारतीय पुरस्कार शुरू किया है । इसके अन्तर्गत देश के, राज्य के और जिले के सर्वश्रेष्ठ ग्राम सेवकों को पुरस्कार दिए जाते हैं ।

पिछले साल का राष्ट्रीय पुरस्कार आसाम की गारो पहाड़ियों के रेस्लेलपाडा विकास खण्ड के ग्राम सेवक को दिया गया था ।

राज्यों में जो सबसे अच्छे ग्राम सेवक माने जाते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ ग्राम सेवक चुना जाता है और उसे यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है ।

पुरस्कार के लिए केन्द्रशासित क्षेत्रों को एक राज्य माना जाता है । चुनाव एक केन्द्रीय समिति करती है, जिसके सदस्य सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय के संसदीय सचिव तथा संसद सदस्य होते हैं ।

वर्ष का सर्वोत्तम गांव

इस साल चित्रदुर्ग जिले (मैसूर राज्य) में दवनगीर खण्ड के अवरगीर गांव को देश में सर्वोत्तम गांव होने के लिए ५ हजार रु० का नगद पुरस्कार दिया जाएगा । यह गांव अलूर सर्कल में आता है, जिसके ग्राम सेवक को सर्वोत्तम ग्राम सेवक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है ।

सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय ने देश, राज्य और जिले भर के सर्वोत्तम गांव को पुरस्कार देने की योजना पिछले साल चलाई थी । गांव वालों को विकास कार्य में ग्राम सेवकों को सक्रिय सहयोग देने की प्रेरणा देने के लिए ही यह योजना चलाई गई है । खेती, पशुपालन, सिंचाई तथा सहकारिता में महत्वपूर्ण कार्य के आधार पर ही सर्वोत्तम गांव का चुनाव किया जाता है ।

सर्वोत्तम ग्राम पुरस्कार योजना, ग्राम सेवक पुरस्कार योजना का पूरक है । देश भर में चुने गए सर्वोत्तम गांव को ५ हजार रु० का पुरस्कार दिया जाता है । इसी प्रकार राज्यों में अच्छे गांव के लिए हजार-हजार रु० के १५ पुरस्कार हैं तथा जिलों में ढाई-ढाई सौ रु० के ११ पुरस्कार हैं ।

पुरस्कार का रुपया गांव की पंचायत को दिया जाता है-जो इसे खेती की उपज बढ़ाने तथा विकास कार्यक्रमों में खर्च करती है । जिन गांवों में पंचायत नहीं है उनके विकास मण्डल को रुपया दिया जाता है ।

सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के नामों में परिवर्तन

राजपुर (देहरादून) की सामुदायिक विकास शिक्षकों की शिक्षण संस्था—ट्रेनर्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम अब 'दि इन्स्टिट्यूट आफ स्टडी फार इंस्ट्रक्टर्स आफ कम्युनिटी डेवलपमेंट' कर दिया गया है । सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा चलाए जाने वाले

ओरियन्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर्स का नाम भी बदल कर अब 'ओरियन्टेशन ऐन्ड स्टडी सेन्टर्स' कर दिया गया है। इन संस्थाओं के नाम, इनके ट्रेनिंग के तरीकों में परिवर्तन किए जाने के कारण बदले गए हैं।

मसूरी की सामुदायिक विकास की अध्ययन और अनुसन्धान संस्था सामुदायिक विकास के कार्यकर्ता तैयार करने की प्रमुख संस्था होगी।

यह सूचना सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय के सामुदायिक विकास विभाग की ७ अप्रैल की विज्ञप्ति में दी गई है।

<u>क्या आप जानते हैं ?</u>

सहकारिता आन्दोलन

● भारत में लगभग ५५ वर्ष पहले सहकारिता आंदोलन का श्रीगणेश हुआ था और १९५७-५८ के अन्त में सहकारी समितियों की संख्या २ लाख ५७ हजार थी। इनके २ करोड़ १० लाख सदस्य थे। इनकी हिस्सा-पूंजी और रक्षित राशि १८७ करोड़ रु० तथा चालू पूंजी ६९६ करोड़ रु० थी।

● इनमें सबसे महत्वपूर्ण खेती के लिए ऋण देने वाली सहकारी समितियां थीं, जिनकी संख्या १ लाख ६७ हजार या ६४.९ प्रतिशत थी। ये २ लाख ६९ हजार गावों में फैली थीं।

● अन्य समितियों में अधिक संख्या बुनकर तथा औद्योगिक सहकारी समितियों की क्रमश: ९,६०८ और १०,११७ थी। इसके बाद गन्ना सप्लाई समितियों का नम्बर आता है, जो खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में काम कर रही हैं।

● कृषि-ऋण समितियां दो प्रकार की होती हैं : (१) थोड़े या मध्यम अवधि के लिए, और (२) लम्बी अवधि के लिए कर्ज देती हैं।

● थोड़ी मियाद का ऋण गांव की प्राथमिक सहकारी समितियां देती हैं। वे बीज, उर्वरक और खेती के अन्य सामान भी उधार देती हैं। १६ प्रतिशत ग्रामीण परिवार, या १ करोड़ २ लाख लोग इन समितियों के सदस्य हैं।

● प्राथमिक समितियों की अपनी पूंजी और जमा पूंजी से सदस्यों की मांग पूरी नहीं होती। अत उन्हें केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण लेना पड़ता है। केन्द्रीय सहकारी बैंक, सहकारी समितियों के संघ होते हैं और इनका नियन्त्रण और प्रबन्ध ये समितियां करती हैं।

● १९५७-५८ के अंत में ४१८ केन्द्रीय सहकारी बैंक काम कर रहे थे। इनकी चुकता हिस्सा पूंजी और रक्षित राशि २४ करोड़ ९१ लाख रु० थी। इनके पास ६६ करोड़ रु० जमा कराया था।

● इन बैंकों ने राज्य सहकारी बैंकों और दूसरे बैंकों से ४९ करोड़ ८० लाख रु० कर्ज लिया। राज्य सहकारी बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायता देता है। इस बैंक का नियन्त्रण और स्वामित्व अधिकांश में केन्द्रीय बैंकों के हाथ में होता है।

● राज्य सहकारी बैंकों की चुकता पूंजी ११ करोड़ ९२ हजार रु० थी। इनमें ४४ करोड़ ४४ लाख रु० जमा था और इन्होंने ५१ करोड़ ६९ लाख रु० ऋण प्राप्त किया था।

● राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऋण देता है। रिजर्व बैंक राज्य सहकारी संस्थाओं को रियायती दर पर बैंक दर से २ प्रतिशत कम का ऋण देता है। १९५८-५९ में रिजर्व बैंक ने इस प्रकार ७० करोड़ रु० ऋण दिया।

● सहकारी-भूमि-बंधक बैंक लम्बी मियाद के लिए कर्ज देते हैं। १९५७-५८ में १७ भूमि बंधक बैंक थे, जिन्होंने ४ करोड़ ६२ लाख रु० कर्ज दिए।



अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की बैठक

नई दिल्ली में ११ अप्रैल को अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की बैठक हुई। परिषद ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान) पटियाला में खोला जाए। परिषद ने इस संस्थान के स्थान के बारे में सभी बातों पर विचार करके यह सुझाव दिया है।

इस बैठक में राजकुमारी अमृतकौर को सर्वसम्मति से परिषद का उपाध्यक्ष चुन लिया गया।

परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके वियतनाम को हरा कर 'रबर' जीतने के उपलक्ष्य में भारत की टेबल टेनिस की टीम को बधाई दी। यह मैच भारत में ही हुआ था।

परिषद ने अखिल भारतीय कुश्ती संघ को मान्यता प्रदान करना स्वीकार कर लिया। इस संघ ने जब आवेदनपत्र दिया था, तब उसका नाम इंडियन स्टाइल रेसलिंग फेडरेशन था।

आन्ध्र प्रदेश और केरल की राज्य खेल-कूद परिषदों ने खेल-कूद सम्बन्धी साज-सामान खरीदने के वास्ते सहायता के लिए जो आवेदन पत्र दिए थे उन पर परिषद ने विचार करने के बाद सिफारिश की कि दोनों अर्जियों की जांच करने और अनुदान की रकम निश्चित करने के लिए राजकुमारी अमृतकौर और श्री एम० एन० कपूर की एक समिति बनाई जाए।

आल इंडिया लान टेनिस एसोसिएशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना परिषद ने मंजूर नहीं की। परिषद का कहना है कि इसी काम के लिए राज कुमारी प्रशिक्षण योजना पर काफी बड़ी धन-राशि खर्च हो रही है, इसलिए दूसरी योजना चलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, परिषद ने यह परामर्श देने का फैसला किया कि ऐसोसिएशन, राजकुमारी प्रशिक्षण योजना के संयोजकों से मिल-जुल कर ऐसी योजना बनाए जिसे राजकुमारी योजना के अन्तर्गत नियुक्त प्रशिक्षक ही चलाए।

आल इंडिया लान टेनिस एसोसिएशन ने वार्षिक इन्टर-स्टेट जूनियर चैम्पियनशिप आरम्भ करने और १९६० में प्रशिक्षण-शिविर लगाने के लिए जो अनुदान मांगे थे उन पर भी परिषद ने विचार किया गया। परिषद ने यह सिफारिश की कि प्रशिक्षण-शिविर पर स्वीकार्य व्यय का ७५ प्रतिशत तक

चैम्पियनशिप के लिए ५,००० रु० तक अनुदान दिया जा सकता है। परिषद ने अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन आफ इंडिया को भी ९८२ रु० का अनुदान देना स्वीकार किया। यह रकम अमरीकन ट्रैक एण्ड फील्ड टीम की भारत-यात्रा के समय अप्रैल १९५९ में आयोजित खेल-कूद पर किए गए खर्च के सिलसिले में दी गई है।

इस वर्ष अगस्त-सितम्बर में रोम में जो ओलम्पिक खेल-कूद समारोह होने जा रहा है उसके सिलसिले में परिषद ने अपने अध्यक्ष को यह अधिकार दिया कि यदि वह उचित समझें तो ओलम्पिक समारोह में भाग लेने के लिए नेशनल राइफल ऐसोसिएशन के दो प्रतिनिधियों को भारतीय टीम के साथ भेजने के लिए अनुदान की मंजूरी दे सकता है।

राजस्थान राज्य खेल-कूद परिषद ने इस वर्ष मई-जून में कुछ प्रशिक्षण शिविर लगाने की जो योजना विचारार्थ भेजी थी, उससे परिषद ने सैद्धान्तिक रूप में सहमति प्रकट की।

परिषद की यह बैठक पटियाला महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्राचीन स्मारकों की देखभाल राज्यों को सौंपी गई

भारत सरकार के ९ अप्रैल के गजट में देश के भिन्न-भिन्न भागों के १०७ प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों को केन्द्र के संरक्षण से मुक्त करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकारें अब इन स्मारकों की देखभाल करेंगी।

यह निर्णय केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार मंडल की स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार किया गया है। भारत में ऐतिहासिक स्मारक तीन प्रकार के हैं : पहले वे जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनकी देखभाल केन्द्रीय सरकार करती है, दूसरे वे जो महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन पहली श्रेणी के बराबर नहीं और इनकी देखभाल राज्य सरकारें करती हैं। तीसरे स्मारक स्थानीय महत्व के हैं और इनका प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं के हाथ में है।

भारत सरकार पिछले कुछ समय से इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का प्रबन्ध और अच्छा हो। इस समय ५,००० राष्ट्रीय स्मारक केन्द्रीय सरकार की सूची में हैं। और हर साल इस सूची में नाम बढ़ते रहते हैं। यह सोचा गया कि खास-खास और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को ही केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन रखने से अधिक अच्छी देखभाल की जा सकेगी और स्मारकों के देश भर में फैले होने के कारण बहुतों का प्रबन्ध राज्य सरकारें ही अच्छी तरह कर सकती हैं।

केन्द्रीय अनुदान

जिन प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय सूची में से निकालकर राज्य सरकारों को सौंपा जा रहा है, उनकी मरम्मत और देखभाल के लिए राज्यों को सहायता देने का भी विचार चल रहा है।

१९५८ का प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थान तथा अवशेष अधिनियम, १९०४ के इसी तरह के कानून से अधिक कारगर है। नया कानून १५ अक्तूबर, १९५९ से लागू हुआ है और इसके अनुसार देश भर में प्राचीन स्थानों की खुदाई आदि का काम सुनियोजित ढंग से चल सकेगा। केरल, पश्चिम बंगाल, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बम्बई, आसाम और मध्य प्रदेश ने भी अपने-अपने पुरातत्व विभाग स्थापित किए हैं।

केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से हटाकर जो स्मारक अब राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं, उनकी देखभाल राज्य सरकारें अपने ही ढंग से करेंगी। इसके लिए केन्द्र से भी कुछ सहायता मिलेगी।

'गोदान' का अनुवाद

लोकसभा में १४ अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने बताया कि 'भारत की प्रतिनिधि क्लासिक कृतियों का पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद' करने की यूनेस्को की योजना के अन्तर्गत 'गोदान' का अनुवाद अंग्रेजी और फारसी भाषा में प्रकाशित होगा। इसका फारसी में अनुवाद तैयार हो गया है और छप रहा है। अंग्रेजी में भी अनुवाद पूरा हो गया है और छपना बाकी है।

आकाशवाणी दिल्ली के लिए प्रेक्षागार

आकाशवाणी नयी दिल्ली के ब्राडकास्टिंग हाउस में प्रेक्षागार (आडिटोरियम) बनाया जा रहा है। ३१ मार्च को निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्री, श्री रेड्डी ने नींव के लिए मिट्टी खोद कर इसके निर्माण का आरम्भ किया। इसमें सूचना और प्रसारण मन्त्री, डा० केसकर ने भी उनका साथ दिया।

यह प्रेक्षागार ४० फुट ऊंचा तिमंजला बनेगा और इसका कुल रकबा ३९,४४१ वर्ग फुट होगा। यह वातानुकूलित होगा और इसके हाल में ६५० व्यक्ति बैठ सकेंगे। अगले साल आकाशवाणी की रजत जयन्ती मनाई जाएगी। इससे पहले ही यह प्रेक्षागार तैयार हो जाएगा।

इसे इस तरह बनाया जाएगा, जिससे इसमें टेलिविजन और फिल्में दिखाई जा सकें, संगीत कार्यक्रम किया जा सके और संगीत तथा नाटक विभाग के नाटक दिखाए जा सकें।

अब तक आकाशवाणी के संगीत सम्मेलन, नाटक समारोह आदि शामियाने में होते थे और इससे काफी दिक्कत होती थी। प्रेक्षागार बनने से यह दिक्कत दूर हो जाएगी।

मानव शास्त्र के केन्द्रीय सलाहकार मण्डल की बैठक

नई दिल्ली में ९ अप्रैल को मानव शास्त्र के केन्द्रीय सलाहकार मंडल की तीसरी बैठक हुई। केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति उपमंत्री, डा० मनमोहन दास ने बैठक की अध्यक्षता की।

अनुसंधान कार्य बढ़ाने के लिए केन्द्रीय मानव शास्त्र विभाग और विश्वविद्यालयों के सहयोग, आदिमजातियों, विशेषकर दक्षिण भारत की आदिम जातियों पर ग्रन्थ तैयार करने आदि विषयों पर बैठक में विचार किया गया। बैठक में मानव शास्त्र विभाग के कुछ कार्यक्रमों को बढ़ाने पर भी विचार किया गया।

मानव शास्त्र विभाग, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के मानव शास्त्र सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों में मेल बैठाने के लिए सलाहकार मंडल बनाया गया था। केन्द्र और राज्य सरकारों को मानव शास्त्र सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सलाह देना मंडल का प्रमुख कार्य है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

बंगला फिल्म 'अपुर संसार' को १९५९ का सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया है और इसे राष्ट्रपति का स्वर्ण-पदक मिला है। इस फिल्म के निर्माता को २० हजार रु० और निर्देशक को ५ हजार रु० दिया जाएगा।

कहानी-चित्र का दूसरा पुरस्कार हिन्दी के 'हीरा मोती' को मिला है और उनके निर्माता को १० हजार ० और निर्देशक को २॥ हजार रु० का पुरस्कार मिलेगा। अखिल भारतीय श्रेष्ठता-पत्र पाने वाला तीसरा फिल्म 'सुजाता' (हिन्दी) है। ये निर्णय फिल्मों के राजकीय पुरस्कारों की केन्द्रीय समिति ने लिये हैं।

प्रतियोगिता में ५९ कहानी-चित्र, ७७ वृत्तचित्र, ११ बालचित्र, ६ शिक्षात्मक चित्र और ५ छोटे चित्र भेजे गये और पहले इन्हें क्षेत्रीय समितियों ने देखा। केन्द्रीय समिति ने १७ कहानी-चित्र, ४ बालचित्र और ८ वृत्तचित्र देखे। इन चित्रों को क्षेत्रीय समितियों ने छांट कर भेजा था।

भारत सरकार ने इस साल से दो और पुरस्कार शुरू किये हैं। एक १६ मिलीमीटर के शिक्षात्मक चित्रों के लिए और दूसरा ३५ मिलीमीटर के छोटे चित्रों के लिए। बच्चों के चित्रों की लम्बाई निश्चित कर दी गई है। ३५ मिलीमीटर के चित्र अधिक से अधिक ८ हजार फुट और १६ मिलीमीटर के ३,२०० फुट के होने चाहिए। अंग्रेजी के बालचित्र 'वट मृग' को अखिल भारतीय श्रेष्ठता-पत्र के लिए चुना गया है। वृत्तचित्रों में यह स्थान 'कथाकली' को मिला है और इसके निर्माता को २ हजार रु० और निर्देशक को ५०० रु० नकद पुरस्कार दिया जाएगा। 'मयूराक्षी' वृत्तचित्र को केवल अखिल भारतीय श्रेष्ठता-पत्र मिलेगा।

क्षेत्रीय पुरस्कारों के लिए हिन्दी के 'अनाड़ी', असमिया के 'पुवाहन' तमिल के 'बागपिरिविर्न', और तेलुगु के 'नम्मिन वण्टू' को चुना गया है और उन्हें राष्ट्रपति का रजतपदक दिया जाएगा। बंगला के 'विचारक', तमिल के 'वीरपांडिय कट्टबोम्मन' और 'कल्याण परिशु', तेलुगु के 'माईण्टि महालक्ष्मी' और 'जय भेरी', कन्नड़ के "जगत ज्योति बसवेश्वर" और मलयालम के 'चतुरंगम' को श्रेष्ठता-पत्र मिलेंगे।

जिस केन्द्रीय समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है, उसके अध्यक्ष डा० के० बी० मेहता थे और इस समिति की बैठकें नयी दिल्ली में २३ मार्च से २ अप्रैल, १९६० तक हुई। इसने ५७ घंटों तक चित्र देखे।

छपाई और डिजाइनों के लिए राजकीय पुरस्कारों के नियम

पुस्तकों और दूसरी प्रकाशन सामग्रियों की अच्छी छपाई और डिजाइन आदि को प्रोत्साहन देने के लिए इधर कुछ सालों से जो राजकीय पुरस्कार शुरू किए गए हैं, उनके नियम केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय ने प्रकाशित किए हैं।

नियमों में, जो अभी लागू हो रहे हैं, दो इनाम और एक श्रेष्ठता का प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की गई है। पहला पुरस्कार ताम्र-पत्र होगा, जिस पर चांदी की कलई चढ़ी होगी, राज्य-चिन्ह 'सत्यमेव जयते', पुरस्कार का विवरण तथा पुरस्कार पाने वाले का नाम अंकित होगा। दूसरा पुरस्कार भी ताम्र-पत्र ही होगा, लेकिन इसका आकार पहले पुरस्कार से छोटा होगा। इस पर भी पहले पुरस्कार की ही भाषा लिखी होगी। श्रेष्ठता-पत्र मोटे कागज पर होगा और इस पर कोई खिलता हुआ डिजाइन और पुरस्कार का विवरण दिया होगा।

पुरस्कार इस सामग्री पर दिए जाएंगे अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की बच्चों की सचित्र तथा अन्य कला-पुस्तकें, भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के समाचार-पत्र, विज्ञापन, कला-पत्रिकाएं और वार्षिक पत्रिकाएं, संस्थाओं की पत्रिकाएं, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की पत्रिकाएं (वार्षिक पत्रिकाएं नहीं), इश्तिहार, फोल्डर (आफसेट फोटोग्रेव्योर और लेटरप्रेस), डायरियां (देवनागरी), टाइप फेस, प्रचार-पत्रिकाएं, लेबिल, सजिल्द पुस्तकें, पैकेजिंग और दुकानों के काउंटरों पर सजाने की चीजें।

सरकार इच्छानुसार इनमें से किसी भी चीज को निकाल भी सकती है। उसी सामग्री पर इनाम मिल सकेगा, जिसका सारा डिजाइन भारत में बना हो और छपाई आदि भी भारत में ही हुई हो।

पुरस्कारों का निर्णय छपाई उद्योग, विज्ञापनदाताओं, कलाकारों और प्रकाशकों के प्रतिनिधियों की एक समिति करेगी। इस समिति के सदस्यों और अध्यक्ष को सरकार नामजद करेगी। समिति के सदस्य अवैतनिक होंगे और पुरस्कार का निर्णय करने के लिए कार्यविधि समिति ही तय करेगी।

माध्यमिक शिक्षा के सुधारों पर अध्यापकों की राय

देश भर में माध्यमिक शिक्षा में जो सुधार किए जा रहे हैं, पांच प्रमुख अध्यापकों ने उन्हें बहुत उपयोगी बताया है। ये अध्यापक कानपुर, दिल्ली, कूच-बिहार, चन्द्रनगर और प० बंगाल के हैं। हाल में शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, "न्यू पैटर्न आफ सेकेण्डरी एजूकेशन" में इन अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अनुभव और विचार दिए गए हैं।

एक अध्यापक ने कहा है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे वैकल्पिक विषयों में पढ़ाने के लिए अधिक समय मिल सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जो विद्यार्थी भाषाओं में फेल होते हैं, पर अपने चुने हुए विषयों में अच्छे हैं, उन्हें व्यवसाय सिखाने के लिए पोलिटेकनिक स्कूल खोले जाएं।

एक अन्य अध्यापक ने पाठ्यक्रम को सरल बनाने का सुझाव दिया है। एक तीसरे अध्यापक का मत है कि स्कूलों में ऐसे विद्यार्थी तैयार करने की आवश्यकता है, जो समाज के लिए उपयोगी हों।

अध्यापकों ने छात्रों की अनुशासनहीनता दूर करने और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के बारे में भी सुझाव दिए हैं।

विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल

अगस्त १९५९ से अब तक विदेशों से ७ सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल भारत आए। इनमें से ३ मण्डल यूगोस्लाविया से और १-१ उत्तरी वियतनाम, रूमानिया, पूर्व जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया से आए। यह सूचना ११ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति उपमन्त्री, डा० मनमोहनदास ने दी।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ में ९ सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को भेजे गए। इनमें से ६ मण्डलों को सरकार ने भेजा और ३ को सरकार ने विदेश जाने के लिए मदद दी। ये मण्डल अफगानिस्तान, बेल्जियम, जापान, नेपाल, फ्रांस, स्विट्ज़रलैण्ड, रूस, यूगोस्लाविया, पोलैण्ड और रूमानिया गए।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कम से कम उम्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निश्चय किया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की उम्र कम से कम १७ साल की होनी चाहिए। किन्तु तुरन्त ही यह नियम लागू नहीं किया जा सकता, अतः आयोग ने विश्वविद्यालयों को यह सुझाव देने का निश्चय किया कि फिलहाल डिग्री कक्षाओं में १६ से कम की उम्र के छात्रों को भर्ती न किया जाए।

यह सूचना १२ अप्रैल को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने एक वक्तव्य में दी।

वक्तव्य में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कम से कम उम्र निर्धारित करने का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश विश्वविद्यालय इतनी छोटी आयु के छात्रों को प्रविष्ट कर लेते हैं जिनका काफी बौद्धिक विकास नहीं हुआ होता और जो उच्च शिक्षा का भी फायदा नहीं उठा पाते।

अधिकांश विश्वविद्यालयों ने कुछ शिल्पिक पाठ्यक्रमों के अलावा प्रवेश के लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं कर रखी है। डा० श्रीमाली ने कहा कि विश्वविद्यालय से पहले ११ वर्ष तक की शिक्षा की योजना बन जाने के बाद उक्त सुझाव से कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी।

विदेशी छात्रों को हिन्दी की छात्रवृत्तियां

एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में १४ अप्रैल को डा० श्रीमाली ने बताया कि १९ विदेशी छात्रों को भारत में हिन्दी का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां दी गयी हैं। इनमें दो रूसी छात्र हैं।

बहरों की शिक्षा

विकलांगों की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने देश में बहरों की शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र स्थापित करने की योजना पर हाल में ही विचार किया था। यह योजना एक विशेष समिति ने तैयार की थी।

यह सूचना १२ अप्रैल को राज्यसभा में, शिक्षा मंत्री, डा० कालू लाल श्रीमाली ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने समाज सेवी संगठनों से भी बहरों के शिक्षा और चिकित्सा केन्द्र खोलने के लिए भी सरकारी सहायता देने के वास्ते अर्जियां मांगी थीं। हमारे पास अभी तक कोई उपयुक्त प्रार्थना नहीं आई है।

साहित्य सेवियों को सहायता

लोकसभा में १४ अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मन्त्री, श्री हुमायूं कबीर ने बताया कि १९५८-५९ में 'साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोगों को गरीबी की हालत में वित्तीय सहायता देने' की योजना के अधीन १०७ लेखकों को सरकारी मदद दी गई है। इनमें से आठ हिन्दी के लेखक हैं।



दिल का आपरेशन

कानपुर के एक डाक्टर ने एक कुत्ते के दिल की गति २७ मिनट तक रोक कर सफलतापूर्वक दिल का आपरेशन किया। यह सूचना ६ अप्रैल को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मन्त्री, श्री करमरकर ने दी।

उन्होंने बताया कि देश में अनेक शहरों में आपरेशन के लिए कुछ समय तक दिल की गति रोकने के प्रयोग किए जा रहे हैं। बम्बई और वेल्लोर में तो मनुष्यों पर भी प्रयोग किए गए हैं।

फिल्म डिवीजन के कर्मचारियों पर हमला

सूचना और प्रसारण मंत्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर ने १२ अप्रैल को लोकसभा में बताया कि यह सच है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में फोटो लेते समय फिल्म डिवीजन के कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने हमला किया। फिल्म डिवीजन के कर्मचारियों के पास फोटो लेने की अनुमति थी।

मंत्री महोदय ने बताया कि पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि भारतीय दण्ड संहिता की ४३५/४२७ वीं धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की जांच हो रही है।

मंत्री महोदय ने यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में दी।

विश्वविद्यालयों को दक्षिण भारतीय भाषाएं पढ़ाने के लिए अनुदान

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में १४ अप्रैल को केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने बताया कि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९५९-६० वर्ष के दौरान दिल्ली और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों को ५९,६५० रु० की आवर्ती और अनावर्ती राशि दी।

खून का जमना रोकने की दवा

पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने मामूली उपकरणों से खून का जमना रोकने का एक रासायनिक पदार्थ तैयार किया है। इस रासायनिक पदार्थ का नाम '४-हाइड्रोक्सी कूमरीन' है। खून के जमने और इसमें गाठें पड़ने से हृदय रोग हो जाते हैं। इस

तरह के पदार्थों से बहुत-से हृदय रोगियों को जीवन-दान मिला है। यह पदार्थ चूहे मारने की दवाएं बनाने में भी काम आता है।

क्या आप जानते हैं ?

भारत में तपेदिक की स्थिति

● राष्ट्रीय तपेदिक पड़ताल विभाग की जांच से पता चलता है कि देश के ५० लाख व्यक्ति (कुल जनसंख्या का १.३ प्रतिशत) फेफड़े की तपेदिक के रोगी हैं। इनमें लगभग १५ लाख (०.४ प्रतिशत) रोगी ऐसे हैं, जिनको छूने से दूसरों को रोग लग सकता है।

● यह भी पता चला है कि तपेदिक छोटी उम्र के लोगों में कम और बड़ी उम्र के लोगों में अधिक है। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम पाया गया है। खास तौर से बड़ी उम्र के रोगियों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है।

● पक्के मकानों की अपेक्षा कच्चे मकानों में रहने वालों को तपेदिक अधिक होती है, अर्थात् गरीबों को यह रोग अधिक होता है और शहरों और कस्बों की तुलना में गांवों में तपेदिक कुछ कम अवश्य है, पर खास अंतर नहीं।

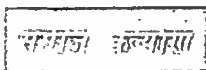
● यह पड़ताल भारतीय चिकित्सा-अनुसंधान परिषद की उपसमिति ने कराई। भारत सरकार के तपेदिक-सलाहकार डा० पी० वी० बेंजामिन इसके अध्यक्ष थे। यह पड़ताल १९५५ में आरम्भ की गई थी और १९५८ में समाप्त हुई।

● यह पड़ताल केवल फेफड़ों की तपेदिक के बारे में की गई, क्योंकि यह ज्यादा छूतही और खतरनाक होती है।

● पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, बम्बई और केरल के चुने हुए शहरों और गांवों में विभिन्न श्रेणियों के लोगों की जांच की गई। इसमें ६ शहरों, ३० कस्बों और १५१ गांवों के लगभग ३ लाख लोगों की परीक्षा की गई।

● सब का काम नयी दिल्ली, पटना, हैदराबाद और तिरुअनन्तपुरम् के तपेदिक केन्द्रों, कलकत्ते के हाइजीन ऐंड पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट और यू० एम० टी० सैनेटोरियम, मदनपल्ली (आंध्र प्रदेश) को सौंपा गया था।

● इस पड़ताल में ५ साल से छोटे बच्चों को छोड़ कर बाकी सभी लोगों का एक्स-रे किया गया और जिनमें रोग होने की शंका थी उनके रक्त, थूक आदि की भी जांच की गई।



पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को रियायत

केन्द्रीय सरकार के हाल के निश्चय के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए ८ लाख से अधिक विस्थापितों को गुजारे के लिए जो ऋण दिया गया था, उसे सहायता मान लिया गया है। इस ऋण की राशि ५॥ करोड़ रु० है।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाएं खोलने के लिए राज्य सरकारों को जो ऋण दिया गया था, उसे भी अनुदान मान लिया जाएगा। गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को स्कूलों की इमारतें आदि बनाने के लिए जो ऋण दिया गया था, उसमें छूट देने के लिए प्रत्येक मामले पर अलग से विचार होगा। संस्था की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऋण में छूट दी जाएगी। इन ऋणों में से सरकार ने १ करोड़ रु० का ऋण माफ करने का निश्चय किया है।

सरकार ने विस्थापितों को मकान बनाने, कृषि और व्यापार के लिए ऋण देने के नियमों को और ढीला करने का निश्चय किया है। इस निश्चय के अनुसार व्यापार के लिए जो ऋण दिए गए हैं, उनकी अदायगी १० साल में, और खेती तथा मकान बनाने के लिए जो ऋण दिए गए हैं, उनकी अदायगी २० साल में करने की छूट दी जाएगी। पहले ये ऋण ६ से १० साल तक में चुकाने होते थे।

शहरी विस्थापितों को मकान के मामले में छूट

पंजाब के शहरों में पश्चिम पाकिस्तान के जिन विस्थापितों के पास निष्क्रान्तों के मकान हैं, उन्हें भारत सरकार ने छूट देने का निर्णय किया है। इस छूट से उन विस्थापितों को लाभ पहुंचेगा जिन्हें गांवों में जमीन अलाट की गई है, परन्तु शहरों में जिनके पास निष्क्रान्तों के मकान हैं।

जिन्हें १० एकड़ तक जमीन अलाट की गई है उन्हें ८०० रु०, जिन्हें १० से ५० एकड़ तक जमीन अलाट की गई है, उन्हें १,२०० रु० और जिन्हें ५० एकड़ से अधिक जमीन अलाट की गई है, उन्हें १,५०० रु० की छूट दी जाएगी।

इस घोषणा के अमल में आने से निष्क्रान्तों के मकानों का मूल्य वसूल करने में विस्थापितों को कुल ३५ लाख रु० की छूट मिलेगी।

पिछला इतिहास

भारत विभाजन के बाद पश्चिम पंजाब से जो विस्थापित पंजाब और भूतपूर्व पेप्सू राज्य में आए थे उन्हें वहां एक योजना के अन्तर्गत जमीन दी गई थी। इस योजना के अन्तर्गत वहां प० पंजाब से आए किसानों को खेती योग्य जमीन और मकान दिए गए। जिन्हें मकान नहीं दिए जा सके, उन्हें गांवों में ही मकान के लिए जमीन और कुछ अनुदान दिया गया। परन्तु कुछ विस्थापितों ने निकट के शहरों में निष्क्रान्तों के मकानों पर कब्जा कर लिया। बाद में उन्होंने निवेदन किया कि ये मकान उन निष्क्रान्तों के हैं, जिनकी निकट के गांवों में जमीन थी, इसलिए अब उन्हें (विस्थापितों) ही गांव की मकान योग्य जमीन के बदले ये मकान अलाट कर दिए जाएं।

सरकार ने इस पर विचार किया और निर्णय किया कि जिन विस्थापितों को गांवों में मकान या मकान बनाने योग्य जमीन और अनुदान नहीं दिया गया, उन्हें शहरों में निष्क्रान्तों के वे मकान दे दिए जाएं, जिनमें

रह रहे हैं। इन मकानों का मूल्य वसूल करते समय उनसे उतनी रकम कम ली जाए, जो उन्हें गाव में मकान बनाने के लिए दी जाती, तथा जो मकान बनाने योग्य जमीन का मूल्य होता।

इसमें एक कठिनाई यह थी कि प्रत्येक विस्थापित को मकान बनाने के लिए जो जमीन दी जाती उसका मूल्य आंकना पड़ता। इसलिए अधिकारियों को इस दिक्कत से बचाने के लिए तथा काम जल्दी निपटाने के लिए यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक विस्थापित के लिए अलग-अलग हिसाब लगाने की बजाय, मकान के मूल्य में छूट देने की दर को ही निश्चित कर दिया जाए। इसी निर्णय के आधार पर सरकार ने उक्त दरें निश्चित की हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय पर खर्च

शिक्षा मन्त्री, डा० श्रीमाली ने ११ अप्रैल को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय पर १९५६-५७ में ५,२९,९१७ रु० ६३ न० पै०; १९५७-५८ में ५,६९,०३८ रु० ७९ न० पै०; और १९५८-५९ में ६,२९,९५४ रु० ४८ न० पै० खर्च हुआ। इसमें से सभापति के वेतन पर २४,००० रु० वार्षिक और अन्य कर्मचारियों पर ३,८१,७४३ रु० ३७ न० पै०; ४,०४,०२७ रु० ३४ न० पै० और ४,३८,९९९ रु० १० न० पै० खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त इन तीनों वर्षों में सफर भत्ते पर क्रमशः ३१,३५७ रु० १२ न० पै०, ४७,२३२ रु० ६१ न० पै० और ४७,९३४ रु० २३ न० पै० और फुटकर खर्च ९२,८१७ रु० १४ न० पै० ९३,७७८ रु० ८४ न० पै० और १,१९,०५ रु० १५ न० पै० हुआ।



दण्डकारण्य में दो विशाल फार्मों की स्थापना

पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों के लाभ के लिए दण्डकारण्य में एक-एक हजार एकड के दो विशाल फार्म बनाए जा रहे हैं। ये फार्म परलकोट (म० प्रदेश) और उमेरकोट (उडीसा) में होंगे; दण्डकारण्य विकास प्रशासन ने इन फार्मों के लिए २५ लाख रु० मजूर किए हैं।

प्रत्येक फार्म में बीज, बागबानी, डेरी, मुर्गी-पालन और मछली-पालन की पाच शाखाएं होंगी। ये फार्म २,५०० विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए बनाए जा रहे हैं।

उमेरकोट फार्म पर प्रारम्भिक काम शुरू हो गया है। स्थान चुन लिया गया है, जगल साफ कर दिया गया है और फार्म की हद-बंदी कर दी गई है। फार्म की सीमा में एक बड़ा तालाब खोदा जा रहा है। फार्म के लिए बीज भी खरीद लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश का नारी निकेतन

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ११ अप्रैल को शिक्षा मन्त्री डा० श्रीमाली ने बताया कि नारी निकेतन, मंडी (हिमाचल प्रदेश) में १९५८ में ९ स्त्रियां और १९५९ में ४२ स्त्रियां प्रविष्ट हुईं। इन्हें सिलाई, कढ़ाई और बिनाई का काम सिखाया गया। इन पर दो वर्षों में क्रमश: २६,९६९ रु० और २७,९२४ रु० ८७ न० पै० खर्च हुए।

वायुसेना दिवस

पहली अप्रैल को देश में भारतीय वायुसेना की २७वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनायी गयी। इस अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, प्रतिरक्षा मन्त्री, प्रतिरक्षा उपमन्त्री तथा वायुसेनाध्यक्ष ने शुभकामना के संदेश भेजे। इस अवसर पर बम्बई में विमानों का एक विशाल प्रदर्शन हुआ।

वायुसेना का इतिहास

पहली अप्रैल १९३३ को पुराने विमान, क्रेनवेल में शिक्षित ६ अधिकारी और १९ हवाई सिपाहियों की एक टुकडी से भारतीय वायुसेना की शुरुआत की गई।

५ साल बाद इसमें दो और टुकड़ियां जोडी गयीं और इस प्रकार इसके नम्बर १ स्क्वाड्रन की स्थापना हुई।

उस समय वायुसेना का मुख्य काम सेना को सहयोग देना था और इसी की ट्रेनिंग वायुसैनिकों को दी जाती थी। १९३७ और १९३९ में उत्तर-पश्चिमी सीमांत में कबायलियों से लड़ाई के समय वायुसेना के सैनिकों को पहली बार युद्ध का अनुभव हुआ। यह प्रदेश बड़ा दुर्गम है और यहा उडान में बड़ी कुशलता की जरूरत पड़ती है।

दूसरे विश्वयुद्ध तक वायुसेना का अधिक विस्तार नहीं हुआ। १९३९ में भी इसमें केवल १६ अधिकारी, २६९ वायुसैनिक और कुछ विमान थे। जब दिसम्बर १९४२ में, जापानी सेना बिल्कुल निकट आ गई, तब यहां शासन ने वायुसेना को बढ़ाने की कार्रवाई की।

फलत. सैनिकों को उड़ान सिखाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोला गया और तटवर्ती प्रदेश की रक्षा के लिए कराची, जुहू, दमदम, मद्रास, कोचीन और विशाखापत्तनम् में हवाई अड्डे बनाए गए। इस प्रकार दो साल के अन्दर भारतीय वायुसेना में ९ स्क्वाड्रन हो गए जिनमें ७ के पास हरिकेन विमान और दो के पास वेनजेंस बमवर्षक विमान थे।

विश्वयुद्ध में भारतीय वायुसेना

भारतीय वायुसेना बहुत छोटी थी और उसके साधन भी सीमित थे, फिर भी उसने दूसरे विश्वयुद्ध में बर्मा की लड़ाई में शत्रु सेना पर हमला करने, चित्र लेने और संदेश भेजने का काम बडी खूबी से किया। इम्फाल और अराकान में इसने १४ वीं सेना की बहुत मदद की। शत्रु के मोरचों, सामग्री भण्डारों और रेलों आदि पर इसने बडी सफलता से हमले किए।

वायुसेना ने इस कार्य के सम्मान में उसके नाम के आगे 'शाही' (रायल) शब्द जोड़ दिया गया (भारत गणराज्य बनने पर यह शब्द हटा दिया गया)। युद्ध के बाद जापान पर अधिकार करने के लिए जो ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की सेना भेजी गयी, उसमें भारतीय वायुसेना का भी एक दस्ता शामिल किया गया।

विश्वयुद्ध के बाद

विश्वयुद्ध के खतम होने तक इसके ९ दस्तों में एक ट्रांसपोर्ट (परिवहन) दस्ता भी जुड़ गया था और इसके अनेक ट्रेनिंग केन्द्र और मरम्मत डिपो आदि खुल गए थे। युद्ध के पहले की अपेक्षा, काफी बड़ी हो जाने पर भी देश की जरूरत को देखते हुए यह छोटी ही थी।

युद्ध के बाद, इसमें ब्रिटिश वायुसेना के अफसरों, शिक्षकों और कारीगरों के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त करने पर विशेष जोर दिया गया और अगस्त १९४७ तक इसका काफी भारतीयकरण हो चुका था। सन् १९५४ में एयर मार्शल एस० मुकर्जी इसके पहले भारतीय सेनाध्यक्ष बने और यह पूर्ण रूप से भारतीय बन गयी।

भारत के विभाजन से वायुसेना को भी काफी नुकसान हुआ। इसके दो दस्ते और अनेक केन्द्र पाकिस्तान में चले गए। इसके अलावा इसका संगठन भी काफी अस्त-व्यस्त हुआ, परन्तु इसे फिर से सुसंगठित करने के लिए डट कर प्रयत्न किए गए और इसे संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी।

१९४९ में भारतीय वायुसेना का पुनर्गठन हुआ और प्रादेशिक कमानों को खतम करके इसे ट्रेनिंग और परिचालन कमानों में बांटा गया। सन् १९५५ में मेन्टेनेंस (मरम्मत) कमान स्थापित की गयी। कुछ ही महीने पहले, पूर्वी एयर कमान स्थापित की गयी है, जिससे इसका संगठन और अच्छा हो गया है।

नये विमान और ट्रेनिंग

भारतीय वायुसेना में अब सभी जेट विमान हैं। पहले इसमें हार्ट, हरिकेन, डकोटा, बेंजेम, स्पिटफायर और टेम्पेस्ट आदि सभी विमान बारी-बारी से आए। सन् १९४९ में इसमें जेटचालित 'वैम्पायर' विमान आए। तब से इसमें बराबर नए ढंग के विमान लिए जा रहे हैं। इस समय इसमें तूफानी, मिस्टर, हण्टर, नैट और कैनबरा जैसे दुनिया के अच्छे से अच्छे विमान हैं। इसके अलावा फेयर चाइल्ड सी-११९ और वाइकाउंट परिवहन विमान भी हैं।

सैनिकों को युद्ध कौशल की अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देना आवश्यक है। इसके लिए सन् १९४९ में हर प्रकार की ट्रेनिंग देने की योजना बनायी गयी। फलस्वरूप यहां विमानों के उड़ाने, देखभाल करने और उनके शिल्प की शिक्षा के अनेक केन्द्र खुले। इनमें पर्याप्त संख्या में देश के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के साथ ही पड़ोसी देशों के सैनिकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है।

भारतीय वायुसेना के दस्तों ने मित्र देशों की यात्राएं की हैं। कोरिया और हिन्द-चीन में इसने शान्ति कराने में भी सहायता दी।

स्वराज्य के बाद वायुसेना में भी छात्र-सैनिक और सहायक सैनिक दस्ते खोले गए। छात्र-सैनिक दस्तों में छात्रों को वायुसेना का काम सीखने का मौका मिलता है और सहायक दस्तों की स्थापना से देश में दूसरी पांत तैयार हुई है। इनको और बढ़ाने से देश की रक्षा की व्यवस्था और दृढ़ होगी।

देश में फौजी सामान बनाने में भी काफी उन्नति की है। अनेक औजार और मशीनें अब देश में बनने लगी हैं तथा एस०टी० गाड़ियां और विमान बनाने का काम भी शुरू हो गया है, जो अभी तक विदेशों से आते थे।

सुसंगठित सेना

भारतीय वायुसेना की उन्नति और कुशलता का श्रेय इसके ट्रेनिंग केन्द्रों, इंजीनियरी तथा सामान विभागों, आधुनिक ढंग के हवाई-अड्डों और अन्य अंगों को है।

भारतीय वायुसेना दुनिया की किसी भी सेना से कुशलता में टक्कर ले सकती है। कश्मीर युद्ध में, अकाल और बाढ़ग्रस्त इलाकों में सामान गिराने में और अन्य कामों में उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया है।

वायुसेना देश की स्वतन्त्रता की सजग प्रहरी है। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए भारतीय वायुसेना हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार है।

सेना के कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्री, श्री वेंगलील कृष्ण मेनन ने हाल ही में संसद में बताया कि स्थल सेना को विभिन्न श्रेणियों में भर्ती होने के लिए पढ़ना-लिखना जानने से लेकर हाई स्कूल तक की योग्यता निर्धारित है। फिर भी थोड़े से अनपढ़ भी लिए जाते हैं। सभी श्रेणियों के लिए भर्ती के समय परीक्षा ली जाती है। केवल अनपढ़ उम्मीदवारों और उन उम्मीदवारों की परीक्षा नहीं ली जाती, जो हाई स्कूल से नीचे की योग्यता वाली नौकरियों के उम्मीदवार होते हैं और जो पढ़े-लिखे होने की सनदें पेश करते हैं। नौसेना में भर्ती के लिए कक्षा ४ से लेकर हाई स्कूल तक की योग्यता जरूरी है। केवल सफाई करने वालों (स्वीपर) के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है।

वायुसेना की अधिकांश नौकरियों के लिए कम से कम मैट्रिकुलेशन की योग्यता रखी गयी है। कुछ नौकरियों में हाई स्कूल फेल भी, जो सरल गणित जानते हैं और अंग्रेजी लिख-बोल सकते हैं, लिये जाते हैं। सभी कर्मचारियों की भर्ती-परीक्षा (टेस्ट) ली जाती है। स्वराज्य के बाद स्थल सेना में परीक्षा की नयी व्यवस्था की गयी है। अनपढ़ों को भर्ती के बाद ट्रेनिंग के समय पढ़ाया जाता है। इस प्रकार तीनों सेनाओं का प्रत्येक सैनिक ट्रेनिंग समाप्त करने तक देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख-पढ़ सकता है।

नौसेना के सिखाई विमान की दुर्घटना : प्रतिरक्षा मन्त्री का वक्तव्य

४ अप्रैल को लोकसभा में एक सदस्य के नौसेना के सिखाई विमान के टकरा जाने की घटना की ओर ध्यान दिलाने के नोटिस के जवाब में प्रतिरक्षा मंत्री, श्री कृष्ण मेनन ने लोकसभा में यह वक्तव्य दिया .

भारत सरकार को यह घोषणा करते हुए दुःख है कि मंगलवार २२ मार्च, १९६० को नौसेना का सोलेंड विमान सं० १०४ उड़ान सिखाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान कोचीन के नौसैनिक अड्डे से उसी दिन उड़ा और ९-५० बजे तक भी लौट कर नहीं आया। बाद में यही धारणा पक्की हो गई कि करीब ९-३० बजे यह विमान कोचीन से १० मील दक्षिण में और तट से करीब १ मील दूर समुद्र में गिर गया।

इस विमान में नौसेना के २ चालक अफसर थे। उनमें से एक सब-लेफ्टिनेंट ए० के० महरा बहुत घायल हुए और मछुओं ने उनकी जान बचाई। उन्हें ले जाकर कोचीन के नौसैनिक अस्पताल में भर्ती किया गया और अब वे

स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। दूसरे अफसर सब-लेफ्टिनेंट ए० के० डॉ० गुप्ते विमान के साथ ही डूब गए। उनका शव बाद में बहकर दुर्घटना-स्थल से करीब ४ मील पर किनारे आ लगा। पीड़ितों के सम्बन्धियों को सूचित कर दिया गया है।

विमान के अवशेष का पता लग गया है और उन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। दुर्घटना का कारण अभी मालूम नहीं हुआ है। एक जाच मण्डल को आदेश दिया गया है कि वह पता लगाए कि दुर्घटना किन परिस्थितियों के कारण हुई।

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की पड़ताल

सेना के एक सगठन ने राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के बारे में जो पड़ताल की है, उससे पता चलता है कि इससे देश के नवयुवकों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में कितना फायदा हुआ है। दल के किशोर अपने सहपाठियों से शरीर और खेल में अच्छे साबित हुए हैं। प्राथमिक चिकित्सा, आग बुझाने, तैराकी और हाथ की कारीगरी में भी ये किशोर काफी कुशल पाये गये हैं।

यह पड़ताल समूचे भारत के चुने हुए कालेजों में दल के १,८५० किशोरों और उनके ९१० असैनिक सहपाठियों की, की गयी। पड़ताल के लिए देश के विभिन्न भागों में १५ कालेजों का चुनाव किया गया, जिनमें राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की टुकड़ियां कायम थी। इन कालेजों में छात्र सैनिकों के पास २,००० प्रश्नावलियां भेजी गयीं और ८७ प्रतिशत लड़कों ने इनका उत्तर दिया। पता चला कि खेलकूद में दल के कैडेटों ने दूसरों से अधिक पुरस्कार पाये। केवल ½ छात्रों ने बताया कि एन० सी० सी० ट्रेनिंग से पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। २१.६ प्रतिशत कैडेटों ने कहा कि उन्होंने सैनिक शिक्षा लेने के लिए एन० सी० सी० में शामिल हुए। २० प्रतिशत कैडेट सेवा भाव से, १५.८ प्रतिशत ने अनुशासन सीखने के लिए और १३ प्रतिशत सेना में जाने के लिए, राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल में भर्ती हुए। इन कैडेटों ने वफादारी, अनुशासन, नियमित उपस्थिति, समय की पाबंदी और जिम्मेदारी निभाने में भी अच्छे अंक पाए, पर पढ़ाई में वे दूसरे लड़कों से कम रहे।

पुलिस कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए राज्यों को अनुदान

पुलिस कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के हेतु राज्य सरकारों को अब तक ९ करोड़ रु० से भी अधिक ऋण दिया जा चुका है।

पहले मकान पर होने वाले खर्च का आधा राज्य सरकार को देना पड़ता था और आधा भारत सरकार ऋण के रूप में देती थी। परन्तु अब भारत सरकार ने यह बंदिश हटा दी है।

राज्य सरकार ऋण को बीस सालाना किश्तों में लौटाती हैं। पहली किश्त ऋण मिलने के ५ साल बाद लौटाई जाती है।

राज्य सरकारों को १९५६-५७ से १९५८-५९ तक जो ऋण दिया गया उसका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है: मद्रास—१ करोड़ ६ लाख रु० से अधिक; उत्तर प्रदेश—[illegible] लाख रु०; प० बंगाल—७० लाख रु०; बम्बई—६३ लाख रु०; आंध्र प्रदेश—लगभग ५८ लाख रु०; उड़ीसा—लगभग ५८ लाख रु०; मध्य प्रदेश—३८ लाख रु०, केरल—३४ लाख रु०; आसाम—२१ लाख रु०; मैसूर—३३ लाख रु०; बिहार—३ लाख रु०; पंजाब—१५ लाख रु०, राजस्थान—२१ लाख रु० और जम्मू-कश्मीर—९ लाख रु०।

अवैतनिक कप्तान की नियुक्ति

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की २६ मार्च की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अवैतनिक लेफ्टिनेंट सतीश के० ईरानी को स्थलसेना में अवैतनिक कप्तान के पद पर नियुक्त किया है।



मणिपुर क्षेत्र की प्रगति

केन्द्र-शासित क्षेत्र मणिपुर के चालू वर्ष के बजट में विकास आदि के कार्यों पर ५ करोड़ २५ लाख ९७ हजार रु० के व्यय की व्यवस्था है। मणिपुर की आय ३९ लाख ८९ हजार रु० है। इस प्रकार बजट में आय से १३ गुना व्यय की व्यवस्था है। यह घाटा केन्द्रीय सरकार पूरा करेगी, जिसने जल्दी से जल्दी विकास करने के लिए मणिपुर को केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रखा है।

मणिपुर के बजट में सड़कों तथा सामाजिक भलाई के कामों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। दूसरी योजना में सड़कों के लिए १ करोड़ ८६ लाख ७२ हजार रु० की व्यवस्था है, जिसमें से १ करोड़ १६ लाख ७२ हजार रु० इस वर्ष अप्रैल तक खर्च हो जाएंगे। शेष राशि अगले वर्ष अप्रैल तक खतम हो जाएगी।

इम्फाल से तमेंगलाग के बीच ७४ मील लम्बी सड़क पर अब मोटर चल सकती है। बाकी हिस्से में जीप आ सकती है। २८ मील लम्बी कछार रोड अभी नयी बनी है और इसकी एक-तिहाई दूरी तक जीप जा सकती है।

शिक्षा का प्रसार

मणिपुर भारत के उन इने-गिने क्षेत्रों में से है जहां ८० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं। १९५८ में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या १० हजार बढ़ी। मणिपुर में २ डिग्री कालेज तथा शिल्पिक शिक्षा की २ संस्थाएं हैं। मणिपुर से बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि १५ प्रतिशत बढ़ा दी गई है।

सिंचाई और पैदावार

मणिपुर में सिंचाई के लिए छोटी-छोटी नहरों का जाल-सा बिछा दिया गया है। इन नहरों से पिछले वर्ष २,९०० एकड़ से भी अधिक भूमि की सिंचाई हुई। १,६०० एकड़ से अधिक भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाया गया है।

मणिपुर अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक अनाज पैदा करता है और प्रतिवर्ष वहां से

बाकी मात्रा में चावल लिया जाता है। पिछले वर्ष मौसम खराब होने के कारण वसूल किया गया चावल आवश्यकता के समय वहीं बांटने के लिए स्टाक में रखा गया। अप्रैल से दिसम्बर १९५९ के बीच इनमें से १२,६८४ मन चावल और १,४८२ मन गेहूं निकाला गया।

प्रशासन

मणिपुर का प्रशासन एक जिला यूनिट की तरह चलाया जाता है। उसकी अपनी अलग प्रादेशिक परिषद है जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पशु-चिकित्सा आदि मामलों की देखभाल करती है।

यह केन्द्र-शासित क्षेत्र है और केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय एक सलाहकार समिति की मदद से इसका शासन करता है। इस परिषद में मणिपुर के संसद सदस्य तथा वहां के कुछ और लोग होते हैं।

मणिपुर भारत की सीमा पर स्थित ८,६३८ वर्ग मील का क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या लगभग ५ लाख ८० हजार है। यहां के अधिकांश निवासी नागा, कुकी आदि आदिवासी जातियों के लोग हैं। मणिपुर तथा हिन्दी यहां की भाषाएं हैं।

गांवों में भी होम गार्ड

होम गार्ड संगठन की अब दो शाखाएं होंगी शहरी और ग्रामीण। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि अगर सम्भव हो तो गांवों में भी होम गार्ड योजना शुरू करने पर विचार किया जाए।

होम गार्ड संगठन एक स्वयंसेवी संस्था है और यह सभी राज्यों में स्थापित की जा रही है। यह संगठन बाढ़, भूकम्प, आग, महामारी आदि जैसे आपत्काल में सरकार की सहायता करता है। इसके सदस्यों को जान-माल की सुरक्षा के लिए जो भी काम दिया जाता है, वह करना पड़ता है।

३० जून, १९५९ को विभिन्न राज्यों में होम गार्ड के प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी : पश्चिम बंगाल—३२,०१५; बिहार—४,१५०; उत्तर प्रदेश—९,९०,६३८; मध्य प्रदेश—४,४२०; और बम्बई—११,३२,७७५।

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

राजस्थान काश्तकारी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५८

इस विधेयक में कृषि योग्य भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक कितनी कृषि योग्य भूमि हो, इस बारे में विचार करने के लिए राजस्थान सरकार ने १९५३ में सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने सितम्बर १९५७ में अपनी रिपोर्ट पेश की।

मौजूदा विधेयक इस समिति की सिफारिशों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्देशों तथा योजना आयोग के सुझावों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। विधेयक में भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे की अदायगी के बारे में भी व्यवस्था है।

बम्बई सहकारी समिति (विस्तार) विधेयक, १९६०

यह विधेयक बम्बई राज्य में फरवरी १९६० में जारी किए गए बम्बई सहकारी समिति (विस्तार) अध्यादेश के स्थान पर लागू होगा। बम्बई राज्य के पुनर्गठन के बाद सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित सहकारी कानूनों को एक-सा बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी, जिसके सुझावों पर अलग से विचार हो रहा है।

इन सुझावों पर अंतिम निर्णय होने से पूर्व बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, १९२५ को अध्यादेश के जरिये लागू किया गया। इसके स्थान पर वर्तमान विधेयक बनाया गया है। बम्बई राज्य के वर्तमान विभाजन को ध्यान में रखकर दोनों भागों के लिए अलग सहकारी न्यायाधिकरण बनाने का प्रस्ताव है।

बम्बई का खादी और ग्रामोद्योग विधेयक, १९६०

यह विधेयक, फरवरी १९६० में जारी किये गये बम्बई के खादी और ग्रामोद्योग अध्यादेश के स्थान पर बनाया गया है। बम्बई राज्य में इस संबंध में अलग-अलग अधिनियम लागू होते थे, उन नियमों को एकत्र करने के लिए ही यह अध्यादेश जारी किया गया था।

इस विधेयक के अनुसार सरकार को क्षेत्रीय मण्डल बनाने का भी अधिकार होगा; जिससे कि जिस दिन से बम्बई राज्य का विभाजन होगा उसी दिन से ये दोनों क्षेत्रीय मण्डल बिना नया कानून बनाए नये राज्यों में काम करने लग जाएंगे।

इसके अलावा इसमें नये मण्डलों को वित्त संबंधी विशेष अधिकार देने की व्यवस्था की गयी है जिससे कि सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को चालू करने में देर न लगे।



रूस के भूगर्भ और प्राकृतिक साधन मंत्री का भारत आगमन

रूस के भूगर्भ और प्राकृतिक साधन मन्त्री, श्री पी० वाई० एन्त्रोपोव एक पखवाड़े के दौरे पर भारत आए हैं। इनके साथ दो अन्य भूगर्भशास्त्री हैं। श्री केशवदेव मालवीय ने पालम हवाई-अड्डे पर दल का स्वागत किया। भारत में रूसी राजदूत और खान, ईंधन तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारी भी वहां उपस्थित थे।

स्विट्जरलैंड के मनोनीत राजदूत द्वारा परिचय-पत्र पेश

स्विट्जरलैंड के मनोनीत राजदूत, श्री जैक्वेस अलबर्ट कटट ने २२ मार्च को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद को रा[illegible]न में अपने परिचय-पत्र पेश [illegible]

समाचार-दर्शन

१ अप्रैल से १५ अप्रैल तक

अप्रैल

१—भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पांच साला ब्याज-रहित इनामी बाँडों की बिक्री सारे देश में शुरू

—देश भर के वायुसेना केन्द्रों में वायुसेना दिवस मनाया गया

२—नयी दिल्ली में डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा भारत के बार एसोसिएशन का उद्घाटन

४—चीनी की १९५९ की लागत के सम्बन्ध में तट कर आयोग की रिपोर्ट पर भारत सरकार के निर्णयों की घोषणा

—दक्षिण विहार की चीनी मिलों पर भी भारत सरकार द्वारा मूल्य नियन्त्रण लागू

—नयी दिल्ली में अखिल भारत निर्माता संघ का दो दिन का सम्मेलन आरम्भ

६—ब्रिटिश गियाना के प्राकृतिक साधनों के मन्त्री, श्री वी० एच० वेन का भारत की १५ दिन की यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन

—राज्यसभा का अधिवेशन शुरू

७—भारत में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया

८—भारत के एक सप्ताह के दौरे पर युगोस्लाविया से एक सांस्कृतिक शिष्टमण्डल का नयी दिल्ली आगमन

—राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा नियुक्त लघु उद्योग उत्पादकता दल की रिपोर्ट प्रकाशित

९—नयी दिल्ली में केन्द्रीय तत्व नर-शास्त्र सलाहकार मण्डल की तीसरी बैठक सम्पन्न

अप्रैल

१०—संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम गमाल अब्दल नासिर, बम्बई से कराची रवाना

—रेलवे सप्ताह समारोह आरम्भ

११—भारत सरकार के १२ फरवरी के ज्ञापन के उत्तर में चीन से मिलने वाला ३ अप्रैल का पत्र संसद के दोनों सदनों में पेश

—नयी दिल्ली में अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की ११वीं बैठक सम्पन्न

१२—पुर्तगाल के भारतीय क्षेत्र में से होकर दादरा और नागर हवेली जाने के अधिकार की मांग पर हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा फैसले की घोषणा

—नयी दिल्ली में हुए विशेष समारोह में डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का वितरण

१४—पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भारतीय रेलों द्वारा तथा पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच पूर्व पाकिस्तान की रेलों द्वारा आने-जाने की सुविधाओं के बारे में बातचीत करने पाकिस्तान के शिष्टमण्डल का नयी दिल्ली आगमन

१५—नयी दिल्ली में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्री, डा० केसकर द्वारा ५वें आकाशवाणी साहित्य समारोह का उद्घाटन

—पटना में अखिल भारतीय कानून सम्मेलन आरम्भ।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली–८ द्वारा सम्पादित तथा
ओडियन्स प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली–६ द्वारा मुद्रित

इन पत्रिकाओं को अपने वाचनालय में सम्मिलित कीजिए

आजकल : इस लोकप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेखों, कविताओं तथा कहानियों के अतिरिक्त कला, संस्कृति व अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख पढ़िए ।
वार्षिक शुल्क ६.०० रुपये।

बाल-भारती : नन्हे-मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका, जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियां, शिक्षाप्रद कविताएं, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं । वार्षिक शुल्क ४.०० रुपये ।

योजना : सब क्षेत्रों में हुई प्रगति का आलोचनात्मक मूल्य आंकने वाला, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पथ-प्रदर्शक हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ छपने वाला पाक्षिक पत्र । वार्षिक शुल्क २.५० रुपये ।

कुरुक्षेत्र : सचित्र मासिक पत्र, जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं । वार्षिक शुल्क २.५० रुपये ।

बिक्री बढ़ाने के लिए इन पत्रिकाओं में विज्ञापन दीजिए

प्रकाशन विभाग

पो. बा. नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

स्थायी महत्व की पुस्तकें

सुन्दर सजधज—कम दाम

	मूल्य	डाक खर्च
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१९५२-१९५६)	३.५०	०.८५
भारत के पक्षी—राजेश्वरप्रसादनारायण सिंह	१२.५०	१.५०
स्वाधीनता और उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण १९४६-४९)	५.००	१.३५
भारत १९५८	४.५०	०.७५
भारतीय कविता—१९५३	५.००	१.७५
भारत की एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण)	५.००	१.३०
भारतीय वास्तुकला के ५,००० वर्ष	२.००	०.२५
कर-जांच आयोग के प्रतिवेदन का संक्षिप्त सार	२.५०	०.७५
योजना से खुशहाली	०.७५	०.२०
अशोक के धर्म लेख	१.००	०.२५
पंचांग सुधार	०.३५	०.१५
तपेदिक के रोगियों की घरेलू देखभाल	०.३५	०.१५

(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)

पच्चीस रुपये या इससे अधिक की पुस्तकों पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा ।

प्रकाशन विभाग

पो. बा. नं० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

जकल भारत के दौरे पर
ए हुए युगोस्लाव सांस्कृतिक
ष्टमण्डल के सदस्य ९ अप्रैल
। नयी दिल्ली में उपराष्ट्रपति
० राधाकृष्णन के साथ

क विकास और सहकारिता मन्त्री, श्री एस० के० डे ८ अप्रैल को
र्वोत्तम ग्राम सेवक, श्री बी० एस० करजिगी (मैसूर राज्य के चित्र-
के दारानगर खण्ड के ग्राम सेवक) को पुरस्कार देते हुए

नयी दिल्ली में ६ अप्रैल को अमरीकी राजदूत परमश्रेष्ठ श्री एल्सवर्थ
कानून शास्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की कार्यकारी समिति की
अमरीकी ज्यूरिसप्रुडेंस सम्बन्धी कुछ पुस्तकें भारत के प्रधान न्यायाधी
बी० पी० सिन्हा को भेंट करते हुए





रजिस्टं
डी०-११

रूस में भारतीय राजदूत, श्री के० पी० एस० मेनन भारत सरकार की ओर से नाटक कला के जूनाकार्स्की इन्स्टीट्यूट को मास्को में एक वीणा भेंट करते हुए

रेलवे सप्ताह समारोह के अन्तर्गत नयी दिल्ली म होने वाली दस्तकारी प्रदर्शनी म प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हुए रेल मन्त्री की पत्नी श्रीमती राम



१६२

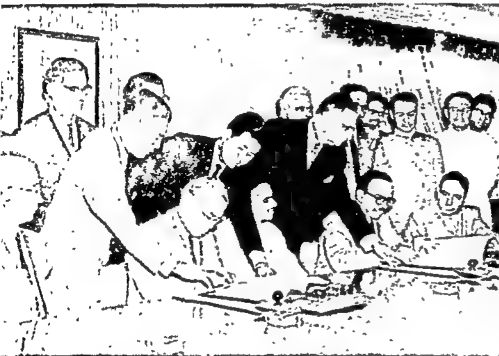
भारतीय समाचार



वर्ष ३ १५ अप्रैल, १९६० (२६ चैत्र, १८८२) अङ्क



क्यूबा के मनोनीत राजदूत, श्री यूजेनिओ सोलेर अलोंसो राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद को १७ मार्च को अपने प्रमाणपत्र पेश करते हुए



जापान की सिटिज़न वाच कम्पनी के अध्यक्ष, श्री ई. यामदा (बायें से दूसरे) और केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री आर. वी. रमण (बायें से दूसरे) नयी दिल्ली में २५ मार्च को एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए, जिसके अनुसार जापानी फर्म की सहायता से भारत में घड़ियां बनाने का एक सरकारी कारखाना खड़ा किया जाएगा

भारत के दौरे पर आए हुए ४ सिक्किमी अध्यापकों के साथ नयी दिल्ली में २१ मार्च को केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्री, श्री हुमायूं कबीर





भारतीय समाचार

वर्ष ३ | १५ अप्रैल, १९६०
२६ चैत्र, १८८२ | अङ्क ६

एक प्रति रु० ०.३५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्दुल गमाल नासिर २९ मार्च को नयी दिल्ली में उनसे मिलने आये भारतीय प्रधान मन्त्री का स्वागत करते हुए

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए ।)



चीन के प्रधान मंत्री की भारत-यात्रा : श्री नेहरू का वक्तव्य

प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने २१ मार्च को लोकसभा में निम्नलिखित वक्तव्य दिया

मुझे चीन गणराज्य के प्रधान मंत्री से उनके यहा आने के बारे मे उत्तर मिला है। सदन को याद होगा कि मैंने उनके यहा आने के लिए २० अप्रैल की तारीख सुझाई थी। उन्होंने मोटे तौर से इसे मान लिया है, अर्थात उन्होंने सुझाया है कि वे १९ अप्रैल को यहा आए और २५ अप्रैल तक यहा रहे। मैं इसके बारे में सदन को सूचित करना चाहता था।

चीनी प्रधान मन्त्री का १९ मार्च का पत्र

चीनी प्रधान मन्त्री, श्री चाऊ एन-लाई ने भारतीय प्रधान मंत्री के उस पत्र के उत्तर में जिसमें उन्हें नयी दिल्ली आमन्त्रित किया गया है, निम्नलिखित पत्र लिखा है —

पेकिंग,
मार्च १९, १९६०

प्रिय प्रधान मन्त्री जी,

चीन में भारत के राजदूत, श्री पार्थसारथी ने ५ मार्च को आपका पत्र भिजवाया। आपका सुझाव है कि मैं २० अप्रैल के करीब दिल्ली आऊं। मुझे इस समय आने में सुविधा होगी और यह मुझे पूरी तरह स्वीकार है। यदि आपको और भारत सरकार को सुविधा हो तो मैं सात दिन के लिए १९ अप्रैल से २५ तक दिल्ली रुकने को तैयार हूं।

मैं आपसे पुन: मिलने और आपके महान देश की यात्रा करने को बहुत उत्सुक हूं।

हार्दिक सम्मान सहित।

(हस्ताक्षर)—चाउ एन-लाई,
चीन लोक गणराज्य की 'राज्य-परिषद का प्रधान मन्त्री

संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति भारत में

संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, श्री गमाल अब्दुल नासिर भारत की १३ दिन की यात्रा के लिए २९ मार्च, १९६० की शाम को दिल्ली पहुचे। दिल्ली पहुचने पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, दिल्ली के मेयर, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्यों तथा उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

भारत में राष्ट्रपति नासिर और उनका दल दिल्ली के अतिरिक्त अलीगढ, भाखडा-नंगल, आगरा, आसनसोल, मद्रास, बंगलौर, पूना, खडकवासला और बम्बई का दौरा करेगा। १० अप्रैल को वे बम्बई से कराची चले जाएगे।

राष्ट्रपति नासिर के साथ इस यात्रा में उनके दल में अन्य लोगों के अतिरिक्त ये लोग भी शामिल हैं अरब गणराज्य के विदेश मन्त्री, डा० महमूद फौजी, प्रेसिडेंट के मामलों के मन्त्री श्री अली साबरी, सीरिया क्षेत्र की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष और सार्वजनिक निर्माण तथा योजना मन्त्री, डा० नूरुद्दीन कोहाला, ग्रेंड चेम्बरलेन श्री अली रशीद, और भारत में संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत, श्री अहमद हसन अल फेकी।

द० अफ्रीका में गोलीबारी : प्रधान मन्त्री का वक्तव्य

दक्षिण अफ्रीका की लंगा बस्ती और अन्य स्थानों पर पुलिस ने जो गोली चलाई, उस पर लोकसभा में स्थगन-प्रस्ताव रखा गया। इस स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है, उसमें बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता। यह ठीक है और मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन केपटाउन के पास लंगा बस्ती में जो कुछ हुआ है, उससे हर इन्सान के दिल को चोट पहुंची। विशेषकर भारत और सम्भवतः एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों के नागरिकों को भी इससे बहुत तकलीफ हुई है। मैं समझता हूं कि इससे यूरोप और अमरीका के लोगों को भी बहुत चोट पहुंची होगी, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है, जो ऐतिहासिक घटना-क्रम को बदलने में समर्थ होती है। सदियों की गुलामी के बाद आज अफ्रीका में स्वतन्त्रता और आत्मविश्वास की लहर फैल रही है। बहुत-से देश आजाद हो गए हैं और बहुत-से देश शीघ्र ही आजाद हो जाएंगे। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में थोड़े से लोग जो यूरोप से आकर बस गए हैं, वहां के मूल निवासियों के लिए वर्ण-भेद की नीति पर कानून बना रहे हैं। यूरोप से आकर बसे हुए लोगों को भी नागरिकता का पूर्ण अधिकार है, पर वे अनिवार्यतः अल्पसंख्यक ही हैं। इन अल्पसंख्यकों ने अफ्रीकियों के लिए विशेष पास लेकर घूमने का कानून बनाया। जब अफ्रीकियों ने इसका शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया तो पुलिस से उनका संघर्ष हो गया और उसके परिणाम-स्वरूप अनेक लोगों की मृत्यु हुई।

वैसे किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की जान लेना बुरा है। पर इस प्रकार अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने वालों पर गोली चलाना इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह विश्व में होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं की पूर्व सूचना है। मैं यह नहीं समझता कि इस प्रकार के दमन से अफ्रीकियों की आजादी की आवाज को दबाया जा सकेगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एशिया के हर देश के और हर दल के लोग अफ्रीकियों की आजादी की लड़ाई के प्रति पूरी सहानुभूति रखेंगे।

श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस समय इस स्थगन प्रस्ताव पर इस रूप में विचार करना सही नहीं है। पर यह बात मुझे स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में यह सदन इस विषय में अपने विचार किस रूप में प्रकट करेगा।

प्रधान मन्त्री ने कहा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हम दक्षिण अफ्रीका की सरकार से इस बात पर विरोध प्रकट करें। पर दक्षिण अफ्रीका से हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं। अतः विरोध-पत्र भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बारे में क्या करेगा, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव उठाया गया तो हम इसका पूरा समर्थन करेंगे। यह प्रश्न वहां किस रूप में उठाया जाएगा और अन्य देश इसका किस रूप में समर्थन करेंगे, यह मैं नहीं कह सकता।

प्रधान मन्त्री ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के इस हत्या-कांड से मुझे जलियांवाला बाग के हत्या-कांड की याद आती है। सब लोग यह बात जानते हैं कि जलियांवाला बाग के हत्या-कांड के बाद देश में क्या प्रतिक्रिया हुई। यह स्पष्ट है कि वर्ण-भेद की नीति और एक जाति पर दूसरी जाति का प्रभुत्व एशिया और अफ्रीका का कोई भी देश स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नेहरू ने कहा कि इस दुर्घटना पर औपचारिक रूप से सदन को अपने विचार प्रकट करने की इसलिए आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हर कोई इस सदन के प्रत्येक सदस्य और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के इस सम्बन्ध में विचार जानता है। मैंने आप लोगों के कहने पर इस घटना पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसे बहुत गंभीर घटना समझता हूं।

भारत-पाक वित्त वार्ता पर श्री देसाई का वक्तव्य

हाल में रावलपिंडी में भारत और पाकिस्तान के वित्त मन्त्रियों में जो वार्ता हुई थी, उसके बारे में वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने ३० मार्च को लोकसभा में इस आशय का वक्तव्य दिया

सदन को याद होगा कि पिछले अगस्त महीने में वित्तीय विषयों पर मेरी पाकिस्तान के वित्त मन्त्री से बातचीत हुई थी और इसके बारे में मैंने ५ सितम्बर को इसी सदन में एक वक्तव्य दिया था। बातचीत में तय हुआ था कि दोनों देशों के अधिकारी मिलकर उन रकमों को छांटें और केन्द्र और बटे हुए राज्यों के लेनदेन चिट्ठे तैयार करें, जिनके आधार पर विभाजन ऋण तय होना है। उस निर्णय के अनुसार दोनों देशों के अधिकारियों की तीन बैठकें हुईं, एक कराची में और दो नयी दिल्ली में। मुझे इस बात की खुशी है कि अधिकारियों ने अधिकांश बातों के बारे में एक सहमत चिट्ठा तैयार कर लिया है। फिर भी कुछ बड़ी-बड़ी मदों के बारे में सहमति नहीं हुई। इनमें से मुख्य हैं (१) सैनिक सामग्री का बटवारा और उसका मूल्यांकन, (२) विभाजन के समय का बाकी आय कर और वह रकम जो उस दिन तक कर लगाने योग्य थी और बाद में उस पर कर लगाया गया होता, और (३) पेंशन की देनदारी। इन तीनों मदों की रकमें काफी बड़ी हैं और इनके आकने के लिए आवश्यक जानकारी अधूरी है और जल्दी मिलती नहीं। अधिकारियों के पूरी कोशिश करने पर भी इस बारे में वे आगे नहीं बढ़ सके और अंत में यह मामला दोनों देशों के

मन्त्रियों के सामने आया। हमने भी इनकी कुछ और देनदारी के बारे में फैसला करने की कोशिश की। लेकिन सही आंकड़े न मिलने के कारण न तो कर्ज की रकम तय हो सकती है और न भुगतान की किस्तें ही निश्चित की जा सकती हैं, जो अगस्त १९५२ में ही शुरू हो जानी चाहिए थीं। इसलिए अब स्थिति फिर पहले जैसी है। विभाजन ऋण का निर्धारण न होने से उन मदों का भी भुगतान रुका है, जो तय हैं।

मुझे इससे सन्देह नहीं कि इस अंतिम वार्ता का कुछ नतीजा न निकलने से दोनों देशों में कुछ निराशा होगी। फिर भी मैं इस असफलता से निराश नहीं हुआ हूं। मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि मोटी रकमों के बारे में आखिरी रूप से कोई निश्चय करना न आसान है और न उचित। पाकिस्तान के वित्त मन्त्री भी हमारी ही तरह उचित और अन्तिम फैसले के लिए बहुत इच्छुक हैं। हमारा विचार-विमर्श बहुत मित्रता और सहयोग के वातावरण में हुआ और हम दोनों अन्त तक, यानी मेरे हवाई अड्डे को चलने तक इस बारे में बराबर बातचीत करते रहे। हम दोनों अनुभव करते हैं कि हमें अपने मतभेद दूर करने के लिए भविष्य में भी कोशिश करते रहना चाहिए और हम दोनों ने जल्दी ही एक बार फिर मिलने का निश्चय किया है। मैं सदन और जनता से अनुरोध करता हूं कि वे इस बातचीत के समाप्त होने तक मेरी तरह धीरज से काम लें।

वित्त मंत्रियों की बैठक

भारत और पाकिस्तान के वित्त मन्त्रियों की ३ दिन की बैठक २४ मार्च, १९६० से रावलपिण्डी में हुई।

दोनों मन्त्रियों की बातचीत से पहले २२ और २३ मार्च को रावलपिण्डी में दोनों सरकारों के अधिकारियों की बैठक हुई। बातचीत में भाग लेने वाले भारतीय अधिकारियों के नाम ये हैं: वित्त मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री के० पी० मथरानी, संयुक्त सचिव श्री शिव नाम सिंह और अवर सचिव श्री आर० सरन। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के डिप्टी गवर्नर श्री एम० वी० रंगाचारी उनके साथ वित्त मंत्री के सलाहकार के रूप में गए। सभी अधिकारी २८ मार्च को दिल्ली वापस आ गए।

भारतीय आकाशी सीमा का उल्लंघन : प्रतिरक्षा मंत्री का वक्तव्य

कई सूत्रों से हमें विदेशी विमानों द्वारा अपनी आकाशी सीमा के उल्लंघन के बारे में सूचनाएं मिली हैं। इन सूत्रों के बारे में बताना सार्वजनिक हित में नहीं है। फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि १८ दिसम्बर, १९५९ के मेरे वक्तव्य के बाद उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में जिन विमानों ने उड़ानें कीं, वे पहचाने नहीं जा सके। ये सब उड़ानें दिन छिपने के बाद और भोर से पहले रात में हुईं। अधिकांश सूचनाएं विमान उड़ने की आवाजों की हैं। कई बार विमान की लाल बत्तियां दिखाई पड़ने की भी खबरें मिलीं। कई बार जेट विमान की भी आवाज सुनाई पड़ी। हमें इस अवधि में अभी तक ४२ बार विदेशी विमानों की आवाजें आने या बत्तियां दिखाई देने की सूचना मिली है। यह भी सम्भव है कि एक ही विमान की कई जगह और कई व्यक्तियों को आवाज सुनाई दी हो। इसलिए इन उड़ानों में विमानों की संख्या निस्सन्देह ४२ से कम होगी। हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि ये उड़ानें एक ही तरह की हैं और आवाजें हमेशा उत्तर की ओर जाकर विलीन हो गयीं।

यह सूचना प्रतिरक्षा मंत्री, श्री वेंगलील कृष्णन कृष्णमेनन ने १८ मार्च को लोकसभा में एक वक्तव्य में दी।

ये घटनाएं ६ फरवरी से २३ फरवरी तक की हैं। हमारे विशेषज्ञों का विचार है कि ये उड़ानें देखभाल के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि रात में बहुत ऊंचाई से जमीन पर का कुछ नहीं दिखाई दे सकता और यदि इनका उद्देश्य फोटो लेना हो तो रोशनी फेंकी जानी चाहिए। लेकिन यह रोशनी (फ्लैश) कभी नहीं दिखाई दी। इसलिए इनका उद्देश्य कुछ और ही होना चाहिए।

इसके बाद श्री मेनन ने उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में १५ फरवरी से २३ फरवरी के बीच विदेशी विमानों की उड़ानों का जिक्र किया। इनके बारे में हमारे पंजाब और प० बंगाल के स्थलसैनिक और वायुसैनिक अड्डों से हमें सूचनाएं मिली हैं। ये सब विमान पहचान लिये गए और ये पाकिस्तान को लौट गए।

विदेशियों के प्रवेश-पत्र

सन् १९५९ में भारत में ३२,२८३ विदेशियों को प्रवेश की अनुमति दी गई। १९५८ में यह संख्या ३२,०७३ थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विदेशियों को भारत के प्रवेश-पत्र देने में किसी प्रकार की कमी हुई है। अभी तक कई विदेशी दूतावासों से इस बारे में सूचना नहीं मिली है।

यह सूचना २४ मार्च को स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने एक वक्तव्य में लोकसभा में दी।

वक्तव्य में कहा गया है कि प्रवेश-पत्र पाने वाले कुल विदेशियों की संख्या इन दोनों वर्षों में इस प्रकार रही: अमरीकी १३,८६५ और १०,५०३, बर्मी ९१५ और ३,१८१, फ्रांसीसी १,९८३ और २,१७८, जर्मन २,५७७ और ३,०५० और रूसी १,३६५ और १,३४६।

१९२० के पारपत्र अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रमण्डल के देशों (पाकिस्तान, लंका और ईसाई मिशनरियों को छोड़कर) और आयर के नागरिकों के अलावा सब विदेशियों को भारत में प्रवेश करने या भारत में होकर यात्रा करने के लिए अपनी सरकार के पारपत्र के साथ-साथ भारत सरकार से प्रवेश-पत्र लेना भी जरूरी है।

भारत में विदेशी मिशनरी

१ जनवरी, १९५९ तक देश में ४,८०२ विदेशी मिशनरी थे। १९५९ में २८२ मिशनरियों को प्रवेश-पत्र दिए गए, किन्तु इनमें से कितने यहां वास्तव में आए, इस बारे में ठीक जानकारी नहीं है।

यह सूचना १६ मार्च को लोकसभा में स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने एक प्रश्न के उत्तर में दी। मन्त्री महोदय ने बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी १९५९ तक भारत में विदेशी मिशनरियों को ५ करोड़ ६ लाख ३० हजार रु० मिला।

भूटान को भारतीय इंजीनियर

भूटान में सड़कें बनाने के लिए वहां की सरकार को भारत सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दिया है। इस [illegible]

की देखरेख में भूटान के भीतर ५ सड़कें बनाई जाने की सम्भावना है।

यह सूचना निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री, श्री क्यासम्बल्ली चेंगलराया रेड्डी ने १७ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

जनवरी-फरवरी १९६० में विशेष पुलिस संगठन का काम

इस वर्ष जनवरी महीने में १० सरकारी कर्मचारियों तथा तीन और लोगों को एक वर्ष तक की कैद और ३ हजार रु० जुर्माने की की सजा दी गई। इनके खिलाफ केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रालय के विशेष पुलिस संगठन ने मुकदमा चलाया था।

इसी महीने ९ और मामलों के मुकदमे दायर किए गए, जिनमें ११ गैर-गजटेड अधिकारियों पर धोखाधड़ी आदि का इल्जाम लगाया गया था। २९ सरकारी कर्मचारियों को विभागीय सजा दी गई। इनमें ५ गजटेड अधिकारी भी थे। २ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। ३ कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया। १ कर्मचारी की नौकरी खत्म कर दी गई तथा २३ अन्य कर्मचारियों को दूसरी सजाएं दी गईं।

इनके अतिरिक्त २० कर्मचारियों के खिलाफ उनके विभागों के उपयुक्त कारंवाई करने को कहा गया।

७२ मामलों में खुली जांच शुरू की गई। इनमें ६५ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनमें से ११ गजटेड अधिकारी हैं।

फरवरी मास का काम

फरवरी १९६० में स्वराष्ट्र मंत्रालय की विशेष पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमों के कारण २३ सरकारी कर्मचारी, जिनमें २ गजटेड अफसर भी हैं, अदालतों के सामने मुकदमों में पेश हैं। इन पर धोखा देने, भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग के अभियोग हैं।

इस महीने में पांच सरकारी कर्मचारी और ३ गैर-सरकारी व्यक्तियों को अदालतों से सजा मिली। उन्हें एक मास तक की सजा और कुल मिलाकर १,७०० रु० का जुर्माना किया गया।

विभागीय कारंवाई के कारण ४ सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया, १४ की वेतन-वृद्धि रोकी गई तथा ५ को अन्य प्रकार से दंड दिया गया।

फरवरी में ८ मामलों में लोगों के विरुद्ध जाल डालकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। ७ सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। १ गैर-सरकारी व्यक्ति को एक ऐसा रजिस्ट्री लिफाफा स्वीकार करते पकड़ा गया, जिसमें कुछ विदेशी माल के आयात के लिए लाइसेंस था। उसने झूठे कागजात पेश करके एक झूठी फर्जी कम्पनी के नाम से ये लाइसेंस प्राप्त किया था।

इस महीने में १०७ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जिनमें २० गजटेड अफसर थे, खुली जांच भी प्रारम्भ की गई। गजटेड अफसरों में ७ रेलों के थे, ४ प्रतिरक्षा मंत्रालय के, ३ केन्द्र-शासित प्रदेशों के और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और दामोदर घाटी निगम और दुर्गापुर इस्पात कारखाने में से प्रत्येक का एक-एक अफसर था।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था की कार्य-परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २० मार्च को प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग की कार्य-परिषद की ८वीं बैठक हुई। इस बैठक में यह बात सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई कि हिमालय पर्वतारोहण संस्था का उच्च पाठ्यक्रम बदला जाए जिससे यह प्रारंभिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ इस प्रकार चल सके कि प्रति वर्ष २० व्यक्ति पर्वतारोहण की उच्च शिक्षा शुरू कर सकें।

परिषद ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि देश के अधिकतर राज्यों से छात्र पर्वतारोहण सीखने के लिए संस्था में आते हैं। विभिन्न राज्यों में चट्टानों पर चढ़ाई का पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव परिषद ने स्वीकार कर लिया। संस्था के प्रिंसिपल, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का कार्य-काल २ वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। बैठक में पश्चिम बंगाल के प्रधान मन्त्री, डा० विधान चन्द्र राय, महाराजा पटियाला; केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मन्त्रालय के सचिव, प्रो० एम० एस० ठैकर और श्री एम० एल० खेतान भी उपस्थित थे।

निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय के मुख्य टेक्नीकल परीक्षक की रिपोर्ट

निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्रालय के मुख्य टेक्नीकल परीक्षक की छमाही रिपोर्ट में बताया गया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो नयी इमारतें आदि बनाई हैं, उनकी किस्म अच्छी है। विभाग के काम की बराबर जांच की जाती रही है, इसलिए ठेकेदार तथा विभाग के अधिकारी अच्छी इमारतें बनाने में प्रयत्नशील रहे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इमारतों आदि के मरम्मत का काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में विभाग को आदेश दिए जाने चाहिए। पैसे के भुगतान में अनियमितताएं रही हैं और अनेक गलतियां दुहराई गई हैं। जांच से पता चला है कि लगभग २० लाख रु० का अधिक भुगतान कर दिया गया। ये बातें मुख्य इंजीनियर को बता दी गयी हैं, ताकि वे ऐसी गलतियां रोकने के लिए उचित कारंवाई करें।

मुख्य टेक्नीकल परीक्षक का कार्यालय १९५७ में खोला गया था। तब से उसने ३१ मामले अनुशासनात्मक कारंवाई के लिए निगरानी टुकड़ी (विजिलेंस सेक्शन) को भेजे। इनमें से अब तक २३ अधिकारियों को चेतावनी देने से वेतन घटाने तक का दण्ड दिया जा चुका है। इनमें ६ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, १० सहायक इंजीनियर और ७ सेक्शन अधिकारी थे। ठेकेदारों के विरुद्ध भी उचित कारंवाई की गई। जिन मामलों में बहुत अधिक अनियमितता पाई गई, उनमें सम्बन्धित अधिकारी और ठेकेदार, दोनों के विरुद्ध कारंवाई की गई।

यह कार्यालय विशेष पुलिस दल के सहयोग से काम करता है। इसने दल को अब तक ४९ मामलों की जांच करने में मदद दी।

यह कार्यालय केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम की जांच करने के लिए खोला गया, ताकि विभाग का खर्च कम हो और उसमें

काम पर नियंत्रण रखे। कार्यान्वय काम के दौरान तथा काम पूरा होने पर भी जांच करना है और बिल, ठेके मजदूरों के रजिस्टर आदि को भी देखना है।

स्वराष्ट्र मन्त्रालय द्वारा काम जल्दी निपटाने के लिए कदम

सरकारी कामकाज को जल्दी निपटारा करने के लिए स्वराष्ट्र मन्त्रालय ने अपने अनुभागों (सेक्शन) और काम के ढंग का पुनर्गठन किया है और अपने नीचे काम करने वाले दफ्तरों के प्रमुखों को अधिक वित्तीय अधिकार दे दिए हैं।

अब हर मंत्रालय सचिव अपने अधीन उप-सचिवों, अवर-सचिवों और अनुभाग-अधिकारियों (सेक्शन अफसरों) से हर महीने मिलता है और बचे हुए मामलों को निपटाने के बारे में विचार किया जाता है।

कुछ दिन पहले स्वराष्ट्र सचिव ने मन्त्रालय के अनुभागों के काम की जांच के लिए अफसरों का एक दल नियुक्त किया था और अनुभागों के काम का इस ढंग से बटवारा किया गया कि १० प्रतिशत कर्मचारियों की कमी की जा सकी।

काम का इस रीति से पुनर्गठन किया गया है कि कहीं भी दुहरा काम न हो। अनुभाग के काम को या तो उपसचिव देख ले या अवर-सचिव, दोनों नहीं।

नीचे के दफ्तरों के प्रमुखों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए गए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) और दिल्ली के मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) अब २५ लाख रु० के खर्च की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। इसी प्रकार मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान-निकोबार द्वीपों के मुख्यायुक्त १० लाख रु० तक की योजनाओं को स्वीकार कर सकेंगे।

मंत्रालय ने यह भी निश्चय किया है कि जब किसी योजना को आयोजन आयोग वार्षिक योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दे, तो फिर इस पर अमल करने के लिए केन्द्रीय सरकार की इजाजत की जरूरत नही होगी।

लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा

२१ मार्च को लोकसभा में स्वराष्ट्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री, श्री दातार ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दिसम्बर १९५८ में लोअर डिवीजन क्लर्कों की जो परीक्षा हुई थी, उसमें १,२६५ उम्मीदवार केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा सफल घोषित किए गए। इसमें से ९१२ उम्मीदवारों को नौकरी दी जा चुकी है और २६ को जल्दी ही नौकरी दी जाएगी।

श्री दातार ने बताया कि बाकी ३२७ उम्मीदवार विभिन्न मन्त्रालयों और सेण्ट्रल सेक्रेटेरियट क्लेरिकल सर्विस स्कीम में शामिल अन्य दफ्तरों में तथा रेल मण्डल में अस्थायी लोअर डिवीजन क्लर्क हैं। इन लोगों को नौकरी नहीं दी गई है।

सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर

निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्री, श्री रेड्डी ने ९ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अब तक २८,७६८ सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं और ३८,०८५ को अभी तक नहीं दिये जा सके।

उन्होंने बताया कि पहली और दूसरी योजना में सरकार ने २७,६३९ क्वार्टर बनाने की स्वीकृति दी थी। इनमें से १७,८०० क्वार्टर बनाये जा चुके हैं। बाकी बन रहे हैं।

केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का अध्ययन

हिन्दी पढ़ाने की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के तीसरी श्रेणी और उससे ऊंची श्रेणी के ६१,७०६ अधिकारियों ने हिन्दी पढ़ी। हिन्दी सीखने वालों को नगद पुरस्कार दिए गए तथा सर्विस-बुक में उनके नाम दर्ज किए गए।

यह सूचना ३० मार्च को लोकसभा में स्वराष्ट्र मन्त्रालय में मन्त्री, श्री बलवन्त नगेश दातार ने दी।



राष्ट्रीय विकास परिषद की चौदहवीं बैठक

नयी दिल्ली में १९ मार्च को राष्ट्रीय विकास परिषद का चौदहवां अधिवेशन शुरू हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा कि तीसरी योजना को अंतिम रूप देते समय हमें चौथी और पांचवीं योजनाओं को भी ध्यान में रखना होगा। *पिछले कुछ वर्षों में हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके कारण अब हम आयोजना की विभिन्न* बातों पर ज्यादा अच्छी तरह विचार करने की स्थिति में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितनी कड़ी मेहनत करते हैं।

श्री नेहरू ने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति संसद में आपने भाषण में कह चुके हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मूल उद्योगों, कृषि उत्पादन और ग्राम-विकास के बारे में पक्की बुनियाद डालना है। पिछले दो-तीन वर्षों में देश ने उत्पादन के आधुनिक तरीके अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा निश्चय ही कुछ असंतुलन पैदा हो गया है लेकिन ऐसा होना अनिवार्य है क्योंकि हम बरसों में किए जाने वाले काम को कुछ ही समय में कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री नेहरू ने कहा कि एक प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था में भाव चढ़ते ही हैं, हां, अगर भाव एक खास सीमा से आगे बढ़ जाए तो उन पर *नियंत्रण रखना ही होता है।*

श्री नेहरू ने कहा कि कृषि और उद्योग में कोई संघर्ष नहीं है। मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुए बिना और औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। स्पष्ट है कि आधुनिक तरीके अपनाये बिना और बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास किए बिना रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। इस्पात और मशीनें बनाने के मूल उद्योगों का विकास होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर देश में इन दो क्षेत्रों में प्रगति नहीं होती तो

हमें हमेशा ही अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा ।

सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों के विषय में श्री नेहरू ने कहा कि इनके सम्बन्ध में भावात्मक दृष्टि अपनाना ठीक नहीं है । संविधान में आर्थिक सत्ता के कुछ व्यक्तियों के हाथ में जाने देने के खिलाफ स्पष्ट निर्देश हैं। कुछ व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक सत्ता का रहना निजी सेनाएं रखने के समान है ।

श्री नेहरू ने कहा औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव से सरकार की नीति और रवैये का पता चलता है। इससे संकेत मिलता है कि देश के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना लाभकारी होगा ।

गांवों में नये तरीके शुरू करने की चर्चा करते हुए श्री नेहरू ने कहा कि अंततः कृषि की प्रगति किसानों पर निर्भर करती है । किसानों को जिन बातों से प्रोत्साहन मिलता हो, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए । इसी उद्देश्य से सामुदायिक विकास आन्दोलन शुरू किया गया है और सहकारी आन्दोलन दृढ़ करने की कोशिश की गई है ।

देश की आर्थिक योजना बनाने से सम्बद्ध सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद ने २० मार्च को तीसरी योजना के लिये योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए स्मरण-पत्र के मसविदे पर और विभिन्न कार्यों के लिए निश्चित राशियों पर प्रारम्भिक विचार-विनिमय पूरा कर लिया । योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुल मिला कर सत्तर अरब रुपया खर्च किया जाएगा जिसमें से ५९ अरब ५० करोड़ रुपया कारखाने, पुल आदि बनाने पर खर्च किया जाएगा ।

योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि तीसरी योजना में प्रारम्भिक आयोजन के लिए विभिन्न मदों में रुपये की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी : उद्योग और खनिज १३ अरब रुपये, परिवहन और संचार १४ अरब ५० करोड़ रुपये, समाज सेवा और सम्बद्ध कार्य १२ अरब ५० करोड़ रुपये, और कृषि तथा सामुदायिक विकास १० अरब रुपये ।

अनुमान लगाया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में तीसरी योजना के दौरान ४० अरब रुपया खर्च होगा जिसका ब्यौरा इस प्रकार है : उद्योग और खनिज १० अरब रुपये, देहातों में मकानों की व्यवस्था और निर्माण १० अरब ७५ करोड़ रुपये और कृषि ८ अरब रुपये ।

बैठक में प्रधान मन्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि योजना आयोग ने जो भी अनुमान पेश किए हैं, वे इस समय अंतिम नहीं हैं । इनमें से कुछ पर योजना आयोग और केन्द्रीय मन्त्रालयों की समिति के बीच और आगे विचार किया जा रहा है । योजना आयोग और यह समिति उन सब परिवर्तनों पर विचार करेगी जो हाल ही के विचार विनिमय में सामने आए हैं । यह प्रस्ताव मूल रूप से एक आधार है, जिस पर केन्द्रीय मन्त्रालय और राज्य सरकारें अगली कार्रवाई शुरू कर सकती हैं ।

स्वराष्ट्र मन्त्री श्री पन्त ने कहा कि एक ही जगह बहुत-से उद्योग इकट्ठे न हो जाएं, यह सिद्धान्त पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कुछ सीमाओं को देखते हुए कभी-कभी बहुत-से उद्योग एक ही जगह बनाना अनिवार्य-सा हो जाता है । उन्होंने कहा कि यह उचित ही होगा कि कुछ बड़े-बड़े कारखानों पर बहुत अधिक ध्यान केन्द्रित न किया जाए । बहुत अधिक खर्च किए बिना हर राज्य खेती, छोटे पैमाने के उद्योग और औद्योगिक सहकार संस्थाएं बनाकर अपने लोगों की भलाई के लिए काफी काम कर सकता है ।

श्री नेहरू ने स्वराष्ट्र मन्त्री के विचारों से सहमति प्रकट की और कहा कि बड़े-बड़े कारखाने बनाना जरूरी है, लेकिन खेती, छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटी पनबिजली योजनाओं पर और जोर दिया जा सकता है ।

कुछ राज्यों के वित्त मन्त्रियों ने कहा कि घटिया किस्म का कोयला और घटिया किस्म के खनिज लौह को विकसित करना बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये चीजें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के इलाके से बाहर देश के अनेक भागों में उपलब्ध हैं ।

मलेरिया उन्मूलन के लिए अमरीकी सहायता

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को चलाने के लिए इस वर्ष डी.डी.टी. की सप्लाई में जिस कमी का अनुमान था वह २५ मार्च को भारत सरकार और अमरीकी शिल्पिक सहयोग मिशन के बीच हुए एक समझौते के फलस्वरूप दूर हो जाएगी । शिल्पिक सहयोग मिशन से २१ लाख २४ हजार डालर और भारत सरकार से २५ लाख ५२ हजार डालर, डी.डी.टी. खरीदने के लिए मिलेंगे । यह कीटनाशक औषधि मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही है । मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए शिल्पिक सहयोग मिशन ने पहले ४ लाख ५६ हजार डालर देने स्वीकार किए थे, जिससे माइक्रोस्कोप और जीपें आदि खरीदी जानी थीं । अब इस राशि का एक अंश डी डी टी खरीदने पर व्यय किया जाएगा ।

पिछला वर्ष मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का पहला पूर्ण वर्ष था । इस वर्ष के दौरान जो अनुभव हुए, उनसे पता चला कि अभी अमरीकी अनुदान के अन्तर्गत जितना डी डी टी मिल रहा है, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए उससे अधिक की जरूरत पड़ेगी । भारत सरकार और अमरीका ने मिल कर जो कदम उठाए, उनके फलस्वरूप एक समझौता २५ मार्च को हुआ जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी ।

इस समझौते से पहले अमरीका ने मलेरिया उन्मूलन और मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिए ३७.२ करोड़ रु० की सहायता दी थी।

सात वर्ष पहले यह अनुमान था कि भारत में प्रति वर्ष ७ करोड़ ५० लाख लोगों को मलेरिया होता है और उससे ८ लाख व्यक्ति मरते हैं । १९५३ में भारत सरकार ने मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया था और १९५८ में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित किया गया ।

मलेरिया निरोधक आन्दोलन की सफलता का पता मलेरिया के रोगियों की संख्या में हुई कमी से चलता है । १९५९ में कुल ४० लाख व्यक्तियों को मलेरिया हुआ और इस रोग से १० हजार व्यक्ति मरे । अगले कुछ वर्षों में जब मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तब रोगियों की संख्या लाखों में नहीं, बल्कि सैकड़ों में ही रह जाएगी ।

इस समझौते पर वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री एन सी. सेनगुप्ता, आई. सी एस. और अमरीका के श्री सी टाइलर वुड ने हस्ताक्षर किए ।

विश्व बैंक का प्रतिनिधि मण्डल भारत में

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के ६ प्रतिनिधियों का एक मण्डल १० सप्ताह तक भारत में ठहर कर, तीसरी पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए भारत की अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले भी इसी तरह का एक मण्डल भारत आया था। अब इस प्रतिनिधि मण्डल को विश्व बैंक के अध्यक्ष भेज रहे हैं, जिन्होंने हाल में भी तीन विद्वानों को भारत भेजा था।

प्रतिनिधि मण्डल के नेता, श्री माइकेल हाफमैन, जो आर्थिक विकास संस्था के निदेशक भी हैं, २६ मार्च को दिल्ली पहुंच गए। एक और सदस्य, श्री पीटर राइट भी उनके साथ आए और अन्य दो सदस्य भी बाद में पहुंच गए। पांचवां सदस्य अगले महीने के मध्य तक भारत आएगा और छठा सदस्य नयी दिल्ली में ही है।

प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई से मिल कर, भारत सरकार के अन्य अधिकारियों से चार दिन तक बातचीत करेंगे। ये लोग आयोजन आयोग के उपाध्यक्ष, श्री वी० टी० कृष्णमाचारी से भी मिलेंगे। ३ अप्रैल को ये लोग देश के दौरे पर निकल जाएंगे और बहुत-से स्थानों पर उद्योगों, सामुदायिक विकास योजनाओं आदि को देखेंगे तथा विभिन्न व्यक्तियों से विचार-विमर्श करेंगे। अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में ये लोग नयी दिल्ली लौट आएंगे और फिर भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत करेंगे।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया में कोलम्बो योजना के विशेषज्ञ

इस साल फरवरी के अंत में दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में कोलम्बो योजना के अंतर्गत ४२७ विशेषज्ञ काम कर रहे थे। इन विशेषज्ञों का काम इन देशों में नये उद्योग और शिल्प आदि चालू करना और पहले से चालू उद्योगों को बढ़ावा देना है।

इनमें से ४० विशेषज्ञ भारत में हैं। इंडोनेशिया में सबसे अधिक—१२० विशेषज्ञ हैं। अन्य देशों में कोलम्बो योजना के विशेषज्ञों का ब्योरा इस प्रकार है : फिलीपाइन्स—७३; लंका—६२, बर्मा—१४, कम्बोडिया—६; लाओस—१६, मलाया—१६; नेपाल—५; उत्तर बोर्नियो—३, पाकिस्तान—१५, सरावाक—१२, सिंगापुर—४; थाई देश—२५ और वियतनाम—१५।

ये विशेषज्ञ अमरीका, कनाडा, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के हैं। सबसे अधिक २२६ विशेषज्ञ अमरीका के हैं। इनके अलावा ब्रिटेन के ४९, कनाडा के ३९, आस्ट्रेलिया के ३६, भारत के ३, जापान के ३४ और न्यूजीलैंड के ३० विशेषज्ञ हैं।

इनमें धातुकर्म, हवाई पड़ताल, केमिकल इंजीनियरी, जल जीव-विज्ञान, हवाई जहाज की इंजीनियरी, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की ट्रेनिंग और गृह विज्ञान के विशेषज्ञ हैं।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पूना के अनुसन्धान केन्द्र के लिए उपकरण

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुख लाल हाथी ने २८ मार्च को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि पूना के केन्द्रीय पानी और बिजली अनुसन्धान केन्द्र को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ४ लाख ६० हजार रु० के उपकरण उपहार में मिले हैं। श्री हाथी ने कहा कि ये उपकरण नदी और बाढ़ नियंत्रण, बन्दरगाहों के विकास, नदी-घाटी योजनाओं के बांधों और मिट्टी तथा नींव इंजीनियरी सम्बन्धी अनुसन्धानों में काम आएंगे।

अनुसन्धान केन्द्र को १९५४-५५ से दिसम्बर १९५९ तक कोलम्बो योजना के अन्तर्गत जो सामान मिला है, उपमन्त्री महोदय ने उसकी सूची भी सदन की मेज पर रखी।

पीतल के अधन्ने और इकन्नियां

सरकार आना-पाइयों के सब सिक्कों का चलन धीरे-धीरे बंद करने का निश्चय कर चुकी है। इसी नीति के अनुसार पीली इकन्नियों और अधन्नों का चलन बन्द किया गया।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री, श्री बलिराम भगत ने २१ मार्च को लोकसभा में एक वक्तव्य में दी, जिसे उन्होंने सदन की मेज पर रखा।

वक्तव्य में कहा गया है कि ३० नवम्बर, १९५९ तक ३ अरब ४ करोड़ ९६ लाख पीतल की इकन्नियां और अधन्ने ढाले गए। इनमें से १ अरब ७२ करोड़ ४८ लाख इकन्नियां थीं और १ अरब ३२ करोड़ ४८ लाख अधन्ने थे। इसी तारीख तक दोनों तरह के १ अरब १९ करोड़ ४२ लाख सिक्के वापस ले लिए गए। इनमें से ८१ करोड़ ७० लाख इकन्नियां थीं और ३७ करोड़ ७२ लाख अधन्ने। बाकी ९० करोड़ ७८ लाख इकन्नियां और ९४ करोड़ ७६ लाख अधन्ने या तो खो गए या नष्ट हो गए या बर्मा और पाकिस्तान में चल रहे हैं या खजानों आदि को नहीं लौटाए गए, जहां वे अभी लिए जा सकते थे।



नया भारत-पाक व्यापार समझौता

२१ मार्च को वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय और पाकिस्तान के व्यापार शिष्टमण्डल की एक संयुक्त विज्ञप्ति में भारत और पाकिस्तान में एक नये व्यापार करार की घोषणा की गई है। इस करार पर अभी अमल शुरू हो जाएगा और यह २ साल तक चलेगा। यदि दोनों में से कोई सरकार करार को खतम करने का नोटिस नहीं देगी तो इसे १ साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

दोनों शिष्टमण्डलों ने पहले के व्यापार करार को भी २० मार्च, १९६० तक बढ़ाने के बारे में एक-दूसरे को पत्र दिए हैं।

नए करार के अनुसार अब दोनों देश एक-दूसरे को २ करोड़ रु० की बजाय ४ करोड़ १० लाख रु० तक का माल भेज सकेंगे।

लिए ३ दिसम्बर, १९५९ को कराची में हुए सीमित भुगतान करार को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान भारत को १ करोड रु० की पटसन की कटिंग देगा और १ करोड से बढाकर १॥ करोड रु० की कपास का निर्यात करेगा। इसके बदले भारत पाकिस्तान को १ करोड रु० का लोहा और इस्पात और ७० लाख रु० की बजाय १॥ करोड रु० का सीमेंट और बीडी की पत्ती देगा।

अन्य सामग्री के अलावा इन चीजों को भी दोनों देशों के आयात-निर्यात मे शामिल कर लिया गया है : पाकिस्तान मे पान, फिल्म, मछली (सूखी और नमक लगी), दवाए (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेधा नमक, सुपारी, कपोक इत्यादि और भारत से पान, फिल्मे, मसाले, मूगफली और पत्थर।

नये व्यापार करार के साथ दो सूचिया है। एक सूची मे भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली चीजो के नाम है और दूसरी मे पाकिस्तान से भारत को मिलने वाली चीजो के। दोनो देशो मे एक-दूसरे के व्यापार के लिए वही सुविधाए दी जाएगी जो निकटतम सम्बन्ध वाले देशो को मिलती है।

व्यापार-वार्ता के लिए पाकिस्तान का प्रतिनिधि मण्डल १४ मार्च को दिल्ली पहुचा था। इसके नेता पाकिस्तान के वाणिज्य मन्त्री, श्री हफीजुर रहमान थे। शुरू मे श्री हफीजुर रहमान और भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री मे बातचीत हुई और फिर दोनो शिष्टमण्डलो के अधिकारियो मे। पिछला व्यापार समझौता ३१ जनवरी १९६० को खतम हो गया था।

करार पर भारत की ओर से श्री के० बी० लाल ने और पाकिस्तान की ओर से श्री आई० ए० खा ने हस्ताक्षर किए।

पिछले समझौते की तरह भारत से पाकिस्तान कोयला, कड़ी तथा मुलायम लकडी और पत्थर भेजने के लिए दोनों देशो की सरकारो ने एक सधि की। इस सधि के अन्तर्गत पाकिस्तान भारत को कच्ची पटसन भी भेजने को राजी हो गया है। पटसन की किस्म तथा मात्रा के बारे में बाद मे तय किया जाएगा। कोयले के यातायात मे दिक्कतो के बावजूद भारत पिछले व्यापार समझौते के अन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को प्रति मास १ लाख टन कोयला भेजने के अलावा हर महीने ३० हजार टन अतिरिक्त कोयला रेल या जहाज से पाकिस्तान को पहुचाने की व्यवस्था करेगा।

पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बगाल, आसाम और त्रिपुरा की सीमा पर दस मील तक की पट्टी पर रहने वाले लोगों की प्रति दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार समझौते की अनुसूची 'घ' मे जो व्यवस्था की गई थी, उसके बढाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। पाकिस्तान प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि सीमा व्यापार वैध व्यापार नही रह पाता, किन्तु वह इस प्रश्न पर फिर विचार करने को सहमत है।

दोनों देशों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि विभिन्न वस्तुओ, जैसे—कच्चा पटसन, कपास, कोयला, अखबारी कागज, लोहे के ढोके, कई प्रकार के इस्पात, सीमेंट और लकडी तथा इमारती लकडी के उत्पादन तथा आदान-प्रदान मे दोनों देश के सहयोग की पूरी गुजायश है।

दोनो प्रतिनिधि मण्डलों ने यह आशा प्रकट की कि नये व्यापार करार से दोनो देशो के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढेगा।

साल मे कम से कम एक बार इस समझौते के बारे मे समीक्षा की जाएगी तथा हर छ महीने पर राज शिष्टाचार अधिकरणो की भी समीक्षा होगी।

करार पर हस्ताक्षर होने के समय श्री लालबहादुर शास्त्री, श्री हफीजुर रहमान, भारत मे पाक उच्चायुक्त श्री ए० के० ब्रोही और पाकिस्तान मे भारतीय उच्चायुक्त, श्री राजेश्वर दयाल भी उपस्थित थे।

कच्चे लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में भारत-जापान करार

२१ मार्च को लोकसभा मे खान और तेल मन्त्री, श्री केशवदेव मालवीय ने बताया कि भारतीय खनिज लोहे के निर्यात के बारे मे बातचीत करने वाली समिति और जापान इस्पात मिशन के बीच समझौता हुआ है और ८ मार्च, १९६० को इस आशय के करारनामे पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की मुख्य शर्तें इस प्रकार है :

(१) जापान को बैलाडिला क्षेत्र की लोहा खानों से १९६६ के मध्य से १५ साल तक सालाना लगभग ४० लाख टन लोहा दिया जाएगा। जापान को यह लोहा १८ मार्च, १९५८ के समझौते के अन्तर्गत किरीबुरु की खानों तथा अन्य खानो से लोहा देने के अलावा दिया जाएगा।

(२) खानों का विकास, विशाखापत्तनम बन्दरगाह और खान के बीच मे रेल चलाना और बन्दरगाह में मशीन से माल लादने आदि की व्यवस्था करना।

(३) भारत में न पाई जाने वाली मशीनों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए २ करोड़ १० लाख अमरीकी डालर के बराबर आर्थिक सहायता।

(४) राउरकेला और किरीबुरु समझौते की तरह ही बातचीत के द्वारा हर साल कच्चे लोहे का भाव निर्धारित करना, और

(५) भारत से जापान को लोहा ले जाने के लिए भारतीय जहाजों का अधिक से अधिक उपयोग करना।

अरब गणराज्य से चावल के आयात के लिए समझौता

नयी दिल्ली मे २१ मार्च को अरब गणराज्य से चावल मगाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अतर्गत भारत, अरब गणराज्य से १ लाख टन चावल मगाएगा। इसका भुगतान रुपये मे होगा। पर यह रुपया विदेशी मुद्रा मे नहीं बदला जा सकेगा। इस रु० से अरब गणराज्य भारत से पटसन, चाय आदि सामान खरीदेगा।

समझौते पर भारत की ओर से खाद्य महानिदेशक, श्री सी० ए० रामकृष्ण ने और अरब गणराज्य की ओर से काहिरा की मिस्र ट्रेडिंग कम्पनी के श्री ताहा अब्द-अल मोत्तालेब ने हस्ताक्षर किए।

१९५९ में चमड़े का निर्यात

वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर मे १७ मार्च को लोकसभा मे बताया कि १९५९ मे २८ करोड ६२ लाख रु० का चमडा बाहर भेजा गया, जबकि १९५८ मे केवल १८ करोड़ ३६ लाख रु० का भेजा गया था। उन्होंने बताया कि निर्यात वृद्धि परिषद चमड़े का निर्यात बढाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है।

अप्रैल-सितम्बर १९६० की आयात नीति

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की २१ मार्च की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार के आज के असाधारण गजट में अगली छमाही, अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, १९६० के लिए आयात नीति की घोषणा कर दी गई है।

मोटे तौर पर यह आयात नीति पिछली छमाही की आयात नीति के ही समान है। इस बार कुछ ऐसे सामान का आयात कोटा बढ़ा दिया गया है, जिनकी देश में बहुत आवश्यकता है। इसके बदले कुछ ऐसे सामान का कोटा घटा दिया गया है, जिनकी अब देश को ज्यादा जरूरत नहीं है या जिस सामान का अब देश में उत्पादन बढ़ गया है।

विभिन्न उद्योगों में काम आने वाले कच्चे सामान के आयात के लिए इस बार ज्यादा विदेशी मुद्रा रखी गई है। एग्जहास्ट पंखों और ब्लोअरों, लाइटनिंग अरेस्टरों और हाई वोल्टेज फ्यूजों, कुछ तरह के ट्रांसफार्मरों, स्विचों वायु और तेल सर्किट ब्रेकरों, मोटर-साइकिल और स्कूटर के पुर्जों, पानी के मोटर और वाद्य यंत्रों के पुर्जों के आयात के लिए अधिक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है। तांबे और पीतल के टुकड़ों का भी आयात कोटा बढ़ा दिया गया है। आशा है पुराने आयातक इन अलौह धातुओं का वितरण सरकारी नियमों के अनुसार ही करेंगे।

कुछ देशी चीजों का उत्पादन बढ़ जाने के कारण इन चीजों का आयात कोटा घटा दिया गया है: बायलर ट्यूब, मैकेनिकल ट्यूबिंग, बाइफरकेटेड रिविट, बढ़ईगिरी के आरे और रेतियां, चमड़े के पट्टे, गैम्बियर, गम अरेबिक, डामर, सनोवर का तेल, कपड़ा उद्योग में काम आने वाले कुछ रसायन, जैसे सोडे का हाइड्रोसल्फाइट, कार्बोक्सीमेथिल, सेल्युलोज और उसके लवण, कुछ तरह की औषधियां जैसे, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनेमाइड, विटामिन बी-१२, कुछ प्रकार के रसायन, जैसे बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार-बाइड, अमोनियम फास्फेट, क्यूप्रस ओक्साइड, स्टोविंग पेस्ट और स्टोविंग चूर्ण आदि और मोटर गाड़ियों के कुछ पुर्जे, जैसे—बिजली का भोंपू, गैस्केट, पिन वाल्व लिफ्टिंग और एग्जहास्ट पोपेट वाल्व।

वास्तविक उपभोक्ताओं को अब और अधिक वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।

३४ वस्तुओं के आयात के लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी गई है। जिन चीजों के लाइसेंस की अवधि बढ़ाई गई है, उनमें मुख्य चीजें इस प्रकार हैं—बच्चों के लिए दूध, नकली और असली सन, कागज के सामान, रबड़ के गर्भ निरोधक उपकरण, छापेखाने की मशीनें, मशीनी औजार, कोलतार के रंग रासायनिक वस्तुएं इत्यादि।

आयात लाइसेंस जारी करने में देर न हो, इस उद्देश्य से अक्तूबर १९५९ से मार्च १९६० तक की छमाही में पुराने लाइसेंसों को ही चालू करने की जो योजना अपनाई गई थी, उसे अप्रैल-सितम्बर १९६० की आयात नीति में भी अपनाया जाएगा। विशेषकर उद्योगों की सुविधा के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं और अच्छी साख वाले कुछ आयातकों को उपलब्ध विदेशी मुद्रा को ध्यान में रख कर वार्षिक लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है।

इससे कई अनुसूचित क्षेत्रों के उद्योगों तथा छोटे उद्योगों को काफी सहायता मिलेगी। इससे निर्यातकों को सुविधा होने के अलावा लाइसेंस में संशोधन करने तथा उसकी अवधि बढ़ाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा इससे आयातक विदेशी व्यापारियों से लम्बी अवधि तक माल सप्लाई करने की व्यवस्था कर सकेंगे तथा माल की ढुलाई के लिए पहले से ही प्रबन्ध कर सकेंगे और कच्चे माल की सप्लाई भी हो सकेगी। इस प्रकार उत्पादन कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से चलाने की व्यवस्था की जा सकेगी।

बिजली के पंखों का निर्यात

सन् १९५९ में भारत से बिजली के लगभग २८,००० पंखे बाहर भेजे गए। इनका मूल्य ३८॥ लाख रु० है। इस वर्ष २४ बड़ी-बड़ी फर्मों ने ७,३१,१०० पंखे तैयार किए।

यह सूचना उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई शाह ने २२ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। आपने बताया कि छोटे बिजली उद्योगों की विकास परिषद ने देश की वार्षिक जरूरत ८॥ लाख पंखों की आंकी थी। विदेशों से पंखों का आयात बन्द है।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री, श्री सतीश चन्द्र ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि यूरोप का जलवायु ठंडा होने के कारण वहां भारतीय पंखों की खपत की बहुत कम गुंजाइश है। दूसरे, वहां यूरोप के कारखानों से भी कड़ा मुकाबला है।

अफीम का उत्पादन और निर्यात

नार्कोटिक्स विभाग की सितम्बर १९५९ को समाप्त होने वाले साल की रिपोर्ट से पता चला है कि गाजीपुर और नीमच की सरकार की अफीम फैक्टरियों में कुल ८१ लाख रु० का फायदा हुआ। यह लाभ पिछले साल के लाभ से १२ लाख रु० ज्यादा है।

इस साल १९५७-५८ की अपेक्षा अफीम के उत्पादन और निर्यात में भी वृद्धि हुई। आलोच्य वर्ष में २०,४२२ मन अफीम बनी, जबकि इससे पिछले साल १७,६०२ मन अफीम बनी थी। इस साल ७४,२०५ एकड़ जमीन में पोस्त की खेती हुई, जबकि पिछले साल ६३,९३४ एकड़ में हुई थी।

आलोच्य वर्ष में ३ करोड़ ४३ लाख रु० की ५२० टन अफीम का निर्यात हुआ, जो १९५७-५८ के निर्यात से ७७ टन अर्थात् मूल्यानुसार ५० लाख रु० ज्यादा है। अफीम की खरीद का भाव ३३ रु० से ३७ रु० प्रति सेर रखा गया था। इस साल किसानों से २ करोड़ ७० लाख रु० की अफीम की पत्तियां खरीदी गईं, जबकि पिछले साल २ करोड़ २० लाख रु० की खरीदी गई थी।

इस साल अफीम की तस्करी रोकने के काफी प्रयत्न किए गए, जो बहुत सफल रहे। अफीम का अवैध व्यापार रोकने के लिए भी समय-समय पर कार्रवाई की गई।

अप्रैल-जून १९६० की तिमाही में सीमेंट पैक करने की नयी दर

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की २४ मार्च की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने पहली अप्रैल १९६० से शुरू होने वाली अगली तिमाही के लिए नये डी० डब्ल्यू हैवी सीज किस्म के बोरों में सीमेंट

लिए ३ दिसम्बर, १९५९ को कराची में हुए सीमित भुगतान करार को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान भारत को १ करोड रु० की पटसन की कटिंग देगा और १ करोड से बढ़ाकर १॥ करोड रु० की कपास का निर्यात करेगा। इसके बदले भारत पाकिस्तान को १ करोड रु० का लोहा और इस्पात और ७० लाख रु० की बजाय १॥ करोड रु० का सीमेंट और बीडी की पत्ती देगा।

अन्य सामग्री के अलावा इन चीजों को भी दोनों देशों के आयात-निर्यात में शामिल कर लिया गया है पाकिस्तान से पान, फिल्म, मछली (सूखी और नमक लगी), दवाए (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेंधा नमक, सुपारी, कपोक इत्यादि और भारत से पान, फिल्में, मसाले, मूगफली और पत्थर।

नये व्यापार करार के साथ दो सूचियां हैं। एक सूची में भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली चीजों के नाम हैं और दूसरी में पाकिस्तान से भारत को मिलने वाली चीजों के। दोनों देशों मे एक-दूसरे के व्यापार के लिए वही सुविधाए दी जाएगी जो निकटतम सम्बन्ध वाले देशों को मिलती है।

व्यापार-वार्ता के लिए पाकिस्तान का प्रतिनिधि मण्डल १४ मार्च को दिल्ली पहुचा था। इसके नेता पाकिस्तान के वाणिज्य मन्त्री, श्री हफीजुर रहमान थे। शुरू मे श्री हफीजुर रहमान और भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री मे बातचीत हुई और फिर दोनों शिष्टमण्डलों के अधिकारियों मे। पिछला व्यापार समझौता ३१ जनवरी १९६० को खतम हो गया था।

करार पर भारत की ओर से श्री के० बी० लाल ने और पाकिस्तान की ओर से श्री आई० ए० खा ने हस्ताक्षर किए।

पिछले समझौते की तरह भारत से पाकिस्तान कोयला, कड़ी तथा मुलायम लकड़ी और पत्थर भेजने के लिए दोनों देशों की सरकारों ने एक संधि की। इस संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान भारत को कच्ची पटसन भी भेजने को राजी हो गया है। पटसन की किस्म तथा मात्रा के बारे में बाद में तय किया जाएगा। कोयले के यातायात में दिक्कतों के बावजूद भारत पिछले व्यापार समझौते के अन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को प्रति मास १ लाख टन कोयला भेजने के अलावा हर महीने ३० हजार टन अतिरिक्त कोयला रेल या जहाज से पाकिस्तान को पहुचाने की व्यवस्था करेगा।

पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बगाल, आसाम और त्रिपुरा की सीमा पर दस मील तक की पट्टी पर रहने वाले लोगों की प्रति दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार समझौते की अनुसूची 'घ' में जो व्यवस्था की गई थी, उसके बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। पाकिस्तान प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि सीमा व्यापार वैध व्यापार नहीं रह पाता, किन्तु वह इस प्रश्न पर फिर विचार करने को सहमत है।

दोनों देशों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि विभिन्न वस्तुओं, जैसे—कच्चा पटसन, कपास, कोयला, अखबारी कागज, लोहे के ढांके, कई प्रकार के इस्पात, सीमेंट और लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के उत्पादन तथा आदान-प्रदान में दोनों देश के सहयोग की पूरी गुजायश है।

दोनों प्रतिनिधि मण्डलों ने यह आशा प्रकट की कि नये व्यापार करार से दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

साल मे कम से कम एक बार इस समझौते के बारे में समीक्षा की जाएगी तथा हर छ महीने पर राज शिष्टाचार अधिकरणों की भी समीक्षा होगी।

करार पर हस्ताक्षर होने के समय श्री लालबहादुर शास्त्री, श्री हफीजुर रहमान, भारत मे पाक उच्चायुक्त श्री ए० के० ब्रोही और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त, श्री राजेश्वर दयाल भी उपस्थित थे।

कच्चे लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में भारत-जापान करार

२१ मार्च को लोकसभा में खान और तेल मन्त्री, श्री केशवदेव मालवीय ने बताया कि भारतीय खनिज लोहे के निर्यात के बारे में बातचीत करने वाली समिति और जापान इस्पात मिशन के बीच समझौता हुआ है और ८ मार्च, १९६० को इस आशय के करारनामे पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :

(१) जापान को बैलाडिला क्षेत्र की लोहा खानों से १९६६ के मध्य से १५ साल तक सालाना लगभग ४० लाख टन लोहा दिया जाएगा। जापान को यह लोहा १८ मार्च, १९५८ के समझौते के अन्तर्गत किरीबुरु की खानों तथा अन्य खानों से लोहा देने के अलावा दिया जाएगा।

(२) खानों का विकास, विशाखापत्तनम बन्दरगाह और खान के बीच में रेल चलाना और बन्दरगाह मे मशीन से माल लादने आदि की व्यवस्था करना।

(३) भारत मे न पाई जाने वाली मशीनों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए २ करोड़ १० लाख अमरीकी डालर के बराबर आर्थिक सहायता।

(४) राउरकेला और विज़ाग समझौते की तरह ही बातचीत के द्वारा हर साल कच्चे लोहे का भाव निर्धारित करना; और

(५) भारत से जापान को लोहा ले जाने के लिए भारतीय जहाजों का अधिक से अधिक उपयोग करना।

अरब गणराज्य से चावल के आयात के लिए समझौता

नयी दिल्ली में २१ मार्च को अरब गणराज्य से चावल मगाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अतर्गत भारत अरब गणराज्य से १ लाख टन चावल मगाएगा। इसका भुगतान रुपये मे होगा। पर यह रुपया विदेशी मुद्रा मे नहीं बदला जा सकेगा। इन रु० से अरब गणराज्य भारत से पटसन, चाय आदि सामान खरीदेगा।

समझौते पर भारत की ओर से खाद्य महानिदेशक, श्री सी० ए० रामकृष्ण ने और अरब गणराज्य की ओर से काहिरा की मिस्र ट्रेडिंग कम्पनी के श्री ताहा अब्द-अल मोतालेब ने हस्ताक्षर किए।

१९५९ में चमड़े का निर्यात

वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर में १७ मार्च को लोकसभा में बताया कि १९५९ मे २८ करोड ६२ लाख रु० का चमडा बाहर भेजा गया, जबकि १९५८ मे केवल १८ करोड ३६ लाख रु० का भेजा गया था। उन्होंने बताया कि निर्यात वृद्धि परिषद चमड़े का निर्यात बढाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है।

१९५८-५९ के अन्त तक ५ मामले विचाराधीन थे।

कानून भंग करने के लिए दण्ड

१९५८-५९ में कम्पनी अधिनियम विभाग ने कम्पनियों तथा उनके अधिकारियों के खिलाफ २,४९५ मुकदमे दायर किए। पिछले वर्षों के ७३८ मामलों को मिलाकर कम्पनी अधिनियम विभाग ने कुल ५,११० मुकदमे चलाए। इनमें से ३,४७४ मामलों का अदालत ने फैसला किया, जिनमें २,१३१ मामलों में सजाएं हुईं। पिछले ३ वर्षों में अदालतों ने कम्पनी अधिनियम भंग करने वालों पर कुल १८० लाख रु० के जुर्माने किए।

प्रादेशिक शाखाओं को अधिकार

कम्पनी अधिनियम प्रशासन विभाग की एक विशेष बात यह रही है कि उसने कुछ विशेष अधिकार केन्द्रीय सरकार से हटा कर प्रादेशिक शाखाओं के अधिकारियों को दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह प्रयोग १९५७-५८ में शुरू किया गया। प्रयोग बहुत सफल रहा है और इससे आवश्यक कार्रवाई बहुत जल्दी होती है।

नये कारखाने खोलने की स्वीकृति के सामान्य नियम

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय ने नये कारखाने खोलने की स्वीकृति देने के बारे में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए हैं। ये नियम इस उद्देश्य से निर्धारित किए गए हैं कि स्वीकृति देने का काम जल्दी हो सके। सरकार ने इन निर्णयों की सूचना बड़े-बड़े वाणिज्य और उद्योग मण्डलों को दे दी गई है।

सामान्यतः नये कारखाने खोलते समय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मुख्यतः तीन बातों की स्वीकृति लेनी पड़ती है : (१) विदेशी फर्मों के सहयोग की शर्तों पर स्वीकृति, (२) लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा विचार किए जाने के बाद नये कारखाने की जगह तथा क्षमता के बारे में स्वीकृति, और (३) नये कारखाने के लिए मशीनें और सयन्त्र मंगाने पर होने वाले विदेशी मुद्रा के खर्च पर स्वीकृति।

विदेशी फर्मों के शिल्पिक सहयोग अथवा वित्तीय सहयोग के बारे में साधारणतः तो हरेक मामले में अलग से विचार करने की जरूरत होती है। लेकिन, मोटे तौर पर यह नियम रखा गया है कि शिल्पिक सहयोग सम्बन्धी समझौता सीमित समय के लिए होना चाहिए और किसी भी हालत में यह समय १० वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एक और बात जिसे सरकार महत्व देती है, वह यह है कि समझौते में भारत से निर्यात के बारे में कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। यदि सभी देशों को निर्यात के लिए छूट देना सम्भव न हो, तो कम से कम कुछ देशों के लिए निर्यात की छूट तो होनी ही चाहिए।

विदेशी फर्मों से सहयोग के समझौतों पर स्वीकृति देने में एक बड़ी कठिनाई बहुधा इस शर्त के कारण होती है कि इन कारखानों के लिए आवश्यक कुछ चीजें केवल सहयोग देने वाली फर्मों से ही आयात की जाएं। यह बात तो समझ में आती है कि भारतीय हिस्सेदार अपने कारखाने के लिए आवश्यक चीजें अपने विदेशी सहयोगियों से खरीदें, लेकिन सरकार इस बात के विरुद्ध है कि इस सम्बन्ध में कोई भी शर्त समझौते में रखी जाए और इस तरह भारतीय फर्म की पसन्द पर पाबन्दी लगा दी जाए।

विदेशी फर्मों से सहयोग के समझौतों से एक और आपत्तिजनक बात यह होती है कि वे कम से कम रायल्टी की राशि निश्चित करना चाहती हैं। जब रायल्टी आदि का भुगतान कारखाने के उत्पादन से सम्बन्धित है, तो सही तरीका यह होता है कि उत्पादन में कमी अथवा वृद्धि के साथ रायल्टी की राशि भी घटती-बढ़ती जाए और ऐसी कोई शर्त न हो कि उत्पादन का ध्यान रखे बिना कोई राशि दी जाए।

लाइसेंस देने वाली समिति के काम में जल्दी

नये कारखानों की जगह और क्षमता आदि के बारे में सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजी गई अर्जियों पर जल्दी फैसला करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। लाइसेंस देने वाली समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी हुआ करेंगी। इसके अलावा जिन उद्योगों में और नये कारखाने खोलने की गुंजाइश नहीं है, उनके बारे में यह फैसला किया गया है कि अगले ६ या १२ महीनों तक किसी भी अर्जी पर विचार न किया जाए। ऐसे उद्योगों की भी सूची तैयार की गई है, जिनमें नये कारखाने खोलने की अनुमति मुक्त रूप से दी जा सकती है।

इस सम्बन्ध में सरकार एक नये और महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि जिन कारखानों में १०० से कम मजदूर काम करते हैं, और जिनकी जमा-पूंजी १० लाख रु० से कम है, उन्हें उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

इन निर्णयों के परिणामस्वरूप अब लाइसेंस देने वाली समिति के पास मुख्यतः बड़े-बड़े कारखानों, विशेष प्रदेशों में उद्योगों के विकास, कच्चे माल की प्राप्ति, बन्दरगाह सम्बन्धी समस्याएं आदि ही विचार के लिए रह जाएंगी।

मशीनों का आयात

देश के पास विदेशी मुद्रा के सीमित साधन होने के कारण मशीनों आदि के आयात के लिए लाइसेंस या तो उन्हें दिए जाते हैं जो स्वयमेव विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सकें या ऐसे कारखानों को दिए जाते हैं, जिनके लिए मशीनें आदि मंगाने के लिए किन्हीं विशेष देशों से ऋण आदि की सुविधाएं प्राप्त हैं।

ऐसे मामलों में जहां विदेशी मुद्रा की व्यवस्था प्रार्थी स्वयं करना चाहता हो, सरकार केवल ऐसी स्थिति में ही स्वीकृति देगी जब मशीनों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा कम्पनी की हिस्सा-पूंजी में शामिल हो या वह दीर्घकालीन ऋण के रूप में हो। ऐसे कारखानों के मामले में, जिनके लिए मंगाई जाने वाली मशीन की रकम की अदायगी थोड़े ही समय में करने की व्यवस्था हो, सरकार केवल ऐसी स्थिति में ही स्वीकृति देगी, जब आयात की जाने वाली मशीनों से बहुत जल्दी कुछ बचत हो सके या विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

अब ऐसी आशा है कि अधिकांश उन देशों से, जिनसे भारत मशीनें आदि खरीदता है, ऋण की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन इन ऋणों की राशि थोड़ी है और उनके अन्तर्गत आयात की मांग बहुत है। अतः मशीनों के आयात की अर्जी देते समय प्रार्थी को केवल अर्जी में मुद्रा-क्षेत्र ही न लिख कर स्पष्ट रूप से यह लिखना चाहिए कि वह किस देश से मशीन मंगाएगा। साथ ही अर्जी में यह भी लिखना चाहिए कि यदि उस विशेष देश से आयात सम्भव न हो, तो और किन देशों से मशीनें मंगाई जा सकती हैं।

पैकिंग की नयी दर तय कर दी है। यह दर प्रति टन सीमेंट (२० बोरे) की पैकिंग पर १२ रु० ८० न०पै० के हिसाब से होगी।

सीमेंट की पैकिंग की दर हर तिमाही में पिछले ९ महीनों में पैकिंग के सामान के न्यूनतम तथा अधिकतम बाजार भाव के औसत के आधार पर तथा प्रतिटन १.२५ रु० अतिरिक्त खर्च शामिल करके तय की जाती है। इस हिसाब से जनवरी-मार्च की तिमाही में यह दर १२ रु० ९ न०पै० प्रति टन निर्धारित की गई थी।

कम्पनी अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ की रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ की रिपोर्ट में बताया गया है कि आलोच्य वर्ष में नये रजिस्ट्रेशनों की संख्या काफी बढ़ी है और आशा है कि भविष्य में यह वृद्धि जारी रहेगी।

मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षों में कम्पनी अधिनियम १९५६ के काम की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कम्पनियों के इतिहास में पहली बार इस कानून के लागू होने से कम्पनियों के संचालन और प्रशासन संबंधी उन मूल तत्वों पर ध्यान दिया गया है जो कम्पनियों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बहुत आवश्यक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक कम्पनी अधिनियम प्रशासन का रवैया बहुत ही नरमी का रहा है। लेकिन अब पिछले २ वर्षों में लोग अधिनियम की व्यवस्थाओं को पूरी तरह समझ चुके हैं और अब समय आ गया है कि अधिनियम की धाराओं को कड़ाई से लागू किया जाए।

नये रजिस्ट्रेशन

पिछले ३ वर्षों में नयी कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन बराबर बढ़ा है। १९५६-५७ में नयी रजिस्टर हुई कम्पनियों की संख्या ८४८, १९५७-५८ में ९६१ और १९५८-५९ में १,०९५ रही। इस तरह पिछले ३ वर्षों में २,९०४ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वर्ष नयी कम्पनियों की रजिस्ट्रेशन संख्या में वृद्धि हुई है और ऐसा लगता है कि वृद्धि का यह रुख आगे भी जारी ही नहीं रहेगा बल्कि और बढ़ेगा भी।

पिछले ३ वर्षों में जो २,९०४ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं उनमें से २०७ पब्लिक कम्पनियां तथा २,६९७ प्राइवेट कम्पनियां थीं। नयी कम्पनियों की सबसे अधिक संख्या बम्बई, प० बंगाल और मद्रास राज्यों तथा दिल्ली में रही। इन चारों स्थानों में २,२६८ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं।

नयी कम्पनियों में से ३५ प्र०श० कम्पनियां प० बंगाल की और २० प्र०श० बम्बई की थीं। अधिकांश नयी कम्पनियां या तो औद्योगिक कम्पनियां थीं या वित्त व्यवस्था करने वाली कम्पनियां थीं।

६० प्र०श० नयी कम्पनियां छोटी कम्पनियां थीं, जिनकी अधिकृत पूंजी ५ लाख रु० से कम थी। १ करोड़ अथवा उससे भी अधिक अधिकृत पूंजी वाली बड़ी कम्पनियों की संख्या ७८ थी।

१९५८-५९ के अन्त तक कम्पनियों की कुल संख्या २७,४७९ थी, जिनमें से ७,७६० पब्लिक कम्पनियां थीं और १९,७१९ प्राइवेट कम्पनियां थीं। इन सब कम्पनियों की कुल चुकता पूंजी अनुमानतः १५ अरब १० करोड़ रु० थी। इसमें से ७ अरब ८४ करोड़ रु० की पूंजी पब्लिक कम्पनियों की और ७ अरब २६ करोड़ रु० की पूंजी प्राइवेट कम्पनियों की थी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ऐसी सब कम्पनियों को जो काम नहीं कर रही हैं रजिस्टर से निकाल देना चाहती है। यह काम संभवतः १९६० में पूरा हो जाएगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से कम्पनी अधिनियम लागू हुआ है तब से ३३८ पब्लिक कम्पनियां बदल कर प्राइवेट कम्पनियां बनीं। इनमें से २२७ पहले वर्ष में, ५४ दूसरे वर्ष में और ५७ तीसरे वर्ष यानी १९५८-५९ में बदली हैं।

चुकता पूंजी में वृद्धि

रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षों में चालू कम्पनियों की चुकता पूंजी ४ अरब ८६ करोड़ रु० बढ़ी है। इस वृद्धि में ३५८ करोड़ रु० की वृद्धि सरकारी कम्पनियों में और १२८ करोड़ रु० की वृद्धि गैर-सरकारी कम्पनियों में हुई। सरकारी कम्पनियों में से केवल हिन्दुस्तान स्टील लि० की ही ३०० करोड़ रु० की पूंजी बढ़ी।

१९५८-५९ के अन्त तक सरकारी कम्पनियों की कुल संख्या १०३ थी, जिनकी कुल चुकता पूंजी ४२४ करोड़ रु० थी। पिछले ३ वर्षों में ४७ नयी सरकारी कम्पनियां स्थापित की गई हैं।

कम्पनियों द्वारा ऋण

कम्पनी अधिनियम की धारा २९५ के अन्तर्गत यदि कोई पब्लिक कम्पनी किसी डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर के संबंधी या किसी ऐसी फर्म या प्राइवेट कम्पनी को, जिसमें डायरेक्टर का हाथ हो या किसी और पब्लिक कम्पनी को जिसका नियंत्रण ऋण देने वाली कम्पनी के डायरेक्टर के हाथ में हो, ऋण देना चाहे तो उसे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार का ११.५७ करोड़ रु० का ऋण देने के लिए १५१ अर्जियां स्वीकृति के लिए आईं, जिनमें से ७.१३ करोड़ रु० का ऋण देने के लिए ७० अर्जियां स्वीकार की गईं।

यदि कोई कम्पनी किन्हीं दूसरी कम्पनियों में पूंजी लगाना चाहे तो उसे अधिनियम की ३७२ और ३७३ धाराओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस प्रकार की ९० अर्जियां सरकार की स्वीकृति के लिए आईं, जिनमें कुल ८ करोड़ रु० की पूंजी लगाने के लिए स्वीकृति मांगी गई थी। इनमें से ८० प्र०श० अर्जियां स्वीकार की गईं।

कम्पनियों के मामलों में जांच

कम्पनी अधिनियम की धारा २३५, २३७ और २४७ के अन्तर्गत कम्पनियों के मामलों अथवा स्वामित्व के संबंध में जांच की जा सकती है। पिछले ३ वर्षों में अधिनियम की धारा २३३ और २३७ के अन्तर्गत कुप्रबन्ध के कारण ८४ कम्पनियों के लिए इंस्पेक्टर नियुक्त करने के मामले सामने आए। इनमें से ४७ मामले १९५६-५७ में; २०, १९५७-५८ में और १७, १९५८-५९ में आए। पूरी पड़ताल के बाद १४ मामलों की छानबीन करने के आदेश दिए गए और ६५ मामलों में आवश्यकता न होने के कारण इंस्पेक्टर नियुक्त नहीं किए गए।

१९५८-५९ के अन्त तक ५ मामले विचाराधीन थे ।

कानून भंग करने के लिए दण्ड

१९५८-५९ में कम्पनी अधिनियम विभाग ने कम्पनियों तथा उनके अधिकारियों के खिलाफ २,४९५ मुकदमे दायर किए। पिछले वर्षों के ३,३१८ मामलों को मिलाकर कम्पनी अधिनियम विभाग ने कुल ५,११० मुकदमे चलाए। इनमें से ३,४३४ मामलों का अदालत ने फैसला किया, जिनमें २,१३१ मामलों में सजाएं हुई । पिछले ३ वर्षों में अदालतों ने कम्पनी अधिनियम भंग करने वालों पर कुल १.८० लाख रु० के जुर्माने किए ।

प्रादेशिक शाखाओं को अधिकार

कम्पनी अधिनियम प्रशासन विभाग की एक विशेष बात यह रही है कि उसने कुछ विशेष अधिकार केन्द्रीय सरकार से हटा कर प्रादेशिक शाखाओं के अधिकारियों को दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह प्रयोग १९५७-५८ में शुरू किया गया। प्रयोग बहुत सफल रहा है और इससे आवश्यक कार्रवाई बहुत जल्दी होती है।

नये कारखाने खोलने की स्वीकृति के सामान्य नियम

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय ने नये कारखाने खोलने की स्वीकृति देने के बारे में कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए हैं। ये नियम इस उद्देश्य से निर्धारित किए गए हैं कि स्वीकृति देने का काम जल्दी हो सके। सरकार ने इन निर्णयों की सूचना बड़े-बड़े वाणिज्य और उद्योग मण्डलों को दे दी गई है।

सामान्यतः नये कारखाने खोलते समय वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय से मुख्यतः तीन बातों की स्वीकृति लेनी पड़ती है : (१) विदेशी फर्मों के सहयोग की शर्तों पर स्वीकृति, (२) लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा विचार किए जाने के बाद नये कारखाने की जगह तथा क्षमता के बारे में स्वीकृति, और (३) नये कारखाने के लिए मशीनें और सयन्त्र मंगाने पर होने वाले विदेशी मुद्रा के खर्च पर स्वीकृति।

विदेशी फर्मों के शिल्पिक सहयोग अथवा वित्तीय सहयोग के बारे में साधारणतः तो हरेक मामले में अलग से विचार करने की जरूरत होती है। लेकिन, मोटे तौर पर यह नियम रखा गया है कि शिल्पिक सहयोग सम्बन्धी समझौता सीमित समय के लिए होना चाहिए और किसी भी हालत में यह समय १० वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एक और बात जिसे सरकार महत्व देती है, वह यह है कि समझौते में भारत से निर्यात के बारे में कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। यदि सभी देशों को निर्यात के लिए छूट देना सम्भव न हो, तो कम से कम कुछ देशों के लिए निर्यात की छूट तो होनी ही चाहिए।

विदेशी फर्मों से सहयोग के समझौतों पर स्वीकृति देने में एक बड़ी कठिनाई बहुधा इस शर्त के कारण होती है कि इन कारखानों के लिए आवश्यक कुछ चीजें केवल सहयोग देने वाली फर्मों से ही आयात की जाएं। यह बात तो समझ में आती है कि भारतीय जिम्मेदार अपने कारखाने के लिए आवश्यक चीजें अपने विदेशी सहयोगी से खरीदें, लेकिन सरकार इस बात के विरुद्ध है कि इस सम्बन्ध में कोई भी शर्त समझौते में रखी जाए और इस तरह भारतीय फर्म की पसन्द पर पाबन्दी लगा दी जाए।

विदेशी फर्मों से सहयोग के समझौतों में एक और आपत्तिजनक बात यह होती है कि वे कम से कम रायल्टी की राशि निश्चित करना चाहती हैं। जब रायल्टी आदि का भुगतान कारखाने के उत्पादन से सम्बन्धित है, तो सही तरीका यह होता है कि उत्पादन में कमी अथवा वृद्धि के साथ रायल्टी की राशि भी घटती-बढ़ती जाए और ऐसी कोई शर्त न हो कि उत्पादन का ध्यान रखे बिना कोई राशि दी जाए।

लाइसेंस देने वाली समिति के काम में जल्दी

नये कारखानों की जगह और क्षमता आदि के बारे में सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजी गई अर्जियों पर जल्दी फैसला करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। लाइसेंस देने वाली समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी हुआ करेंगी। इसके अलावा जिन उद्योगों में और नये कारखाने खोलने की गुंजाइश नहीं है, उनके बारे में यह फैसला किया गया है कि अगले ६ या १२ महीनों तक किसी भी अर्जी पर विचार न किया जाए। ऐसे उद्योगों की भी सूची तैयार की गई है, जिनमें नये कारखाने खोलने की अनुमति मुक्त रूप से दी जा सकती है।

इस सम्बन्ध में सरकार एक ने और महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि जिन कारखानों में १०० से कम मजदूर काम करते हैं, और जिनकी जमा-पूंजी १० लाख रु० से कम है, उन्हें उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

इन निर्णयों के परिणामस्वरूप अब लाइसेंस देने वाली समिति के पास मुख्यतः बड़े-बड़े कारखानों, विशेष प्रदेशों में उद्योगों के विकास, कच्चे माल की प्राप्ति, बन्दरगाह सम्बन्धी समस्याएं आदि ही विचार के लिए रह जाएंगी।

मशीनों का आयात

देश के पास विदेशी मुद्रा के सीमित साधन होने के कारण मशीनों आदि के आयात के लिए लाइसेंस या तो उन्हें दिए जाते हैं जो स्वयमेव विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सकें या ऐसे कारखानों को दिए जाते हैं, जिनके लिए मशीनें आदि मंगाने के लिए किन्हीं विशेष देशों से ऋण आदि की सुविधाएं प्राप्त हैं।

ऐसे मामलों में जहां विदेशी मुद्रा की व्यवस्था प्रार्थी स्वयं करना चाहता हो, सरकार केवल ऐसी स्थिति में ही स्वीकृति देगी जब मशीनों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा कम्पनी की हिस्सा-पूंजी में शामिल हो या वह दीर्घकालीन ऋण के रूप में हो। ऐसे कारखानों के मामले में, जिनके लिए मंगाई जाने वाली मशीन की रकम की अदायगी थोड़े ही समय में करने की व्यवस्था हो, सरकार केवल ऐसी स्थिति में ही स्वीकृति देगी, जब आयात की जाने वाली मशीनों से बहुत जल्दी कुछ बचत हो सके या विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

अब ऐसी आशा है कि अधिकांश उन देशों से, जिनसे भारत मशीनें आदि खरीदता है, ऋण की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन इन ऋणों की राशि थोड़ी है और उनके अन्तर्गत आयात की मांग बहुत है। अतः मशीनों के आयात की अर्जी देते समय प्रार्थी को केवल अर्जी में मुद्रा-क्षेत्र ही न लिख कर स्पष्ट रूप से यह लिखना चाहिए कि वह किस देश से मशीन मंगाएगा। साथ ही अर्जी में यह भी लिखना चाहिए कि यदि उस विशेष देश से आयात सम्भव न हो, तो और किन देशों से मशीनें मंगाई जा सकती हैं।

पैकिंग की नयी दर तय कर दी है। यह दर प्रति टन सीमेंट (२० बोरे) की पैकिंग पर १२ रु० ८० न०पै० के हिसाब से होगी।

सीमेंट की पैकिंग की दर हर तिमाही में पिछले ९ महीनों में पैकिंग के सामान के न्यूनतम तथा अधिकतम बाजार भाव के औसत के आधार पर तथा प्रतिटन १.२५ रु० अतिरिक्त खर्च शामिल करके तय की जाती है। इस हिसाब से जनवरी-मार्च की तिमाही में यह दर १२ रु० ९ न०पै० प्रति टन निर्धारित की गई थी।

कम्पनी अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ की रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम प्रशासन की १९५८-५९ की रिपोर्ट मे बताया गया है कि आलोच्य वर्ष में नये रजिस्ट्रेशनो की सख्या काफी वढी है और आशा है कि भविष्य मे यह वृद्धि जारी रहेगी।

मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षो मे कम्पनी अधिनियम १९५६ के काम की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट मे बताया गया है कि देश मे कम्पनियों के इतिहास मे पहली बार इस कानून के लागू होने से कम्पनियो के सचालन और प्रशासन संबंधी उन मल तत्वों पर ध्यान दिया गया है जो कम्पनियों की सुव्यवस्थित ढग से चलाने के लिए बहुत आवश्यक हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक कम्पनी अधिनियम प्रशासन का रवैया बहुत ही नरमी का रहा है। लेकिन अब पिछले २ वर्षों में लोग अधिनियम की व्यवस्थाओं को पूरी तरह समझ चुके हैं और अब समय आ गया है कि अधिनियम की धाराओ को कड़ाई से लागू किया जाए।

नये रजिस्ट्रेशन

पिछले ३ वर्षों म नयी कम्पनियो का रजिस्ट्रेशन बरावर बढ़ा है। १९५६-५७ मे नयी रजिस्टर हुई कम्पनियो की सख्या ८४८, १९५७-५८ में ९६१ और १९५८-५९ मे १,०९५ रही। इस तरह पिछले ३ वर्षों में २,९०४ नयी कम्पनिया रजिस्टर हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वर्ष नयी कम्पनियो की रजिस्ट्रेशन संख्या में वृद्धि हुई है और ऐसा लगता है कि वृद्धि का यह रुख आगे भी जारी ही नही रहेगा वल्कि और बढ़ेगा भी।

पिछले ३ वर्षों में जो २,९०४ नयी कम्पनिया रजिस्टर हुई उनमें से २०७ पब्लिक कम्पनियां तथा २,६९७ प्राइवेट कम्पनियां थीं। नयी कम्पनियों की सबसे अधिक संख्या बम्बई, प० बगाल और मद्रास राज्यों तथा दिल्ली में रही। इन चारो स्थानों में २,२६८ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुई।

नयी कम्पनियो में से ३५ प्र०श० कम्पनिया प० बगाल की और २० प्र०श० बम्बई की थी। अधिकांश नयी कम्पनिया या तो औद्योगिक कम्पनियां थीं या वित्त व्यवस्था करने वाली कम्पनिया थी।

६० प्र०श० नयी कम्पनिया छोटी कम्पनियां थी, जिनकी अधिकृत पूजी ५ लाख रु० से कम थी। १ करोड़ अथवा उससे भी अधिक अधिकृत पूजी वाली बडी कम्पनियों की सख्या ७८ थी।

१९५८-५९ के अन्त तक कम्पनियों की कुल संख्या २७,४७९ थी, जिनमें से ७,७६० पब्लिक कम्पनियां थी और १९,७१९ प्राइवेट कम्पनिया थीं। इन सब कम्पनियो की कुल चुकता पूजी अनुमानत: १५ अरब १० करोड रु० थी। इसमें से ७ अरब ८४ करोड रु० की पूजी पब्लिक कम्पनियों की और ७ अरब २६ करोड रु० की पूजी प्राइवेट कम्पनियों की थी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ऐसी सब कम्पनियों को जो काम नही कर रही है रजिस्टर से निकाल देना चाहती है। यह काम सभवत. १९६० में पूरा हो जाएगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से कम्पनी अधिनियम लागू हुआ है तब से ३३८ पब्लिक कम्पनियां बदल कर प्राइवेट कम्पनिया बनी। इनमें से २२७ पहले वर्ष मे, ५४ दूसरे वर्ष मे और ५७ तीसरे वर्ष यानी १९५८-५९ में बदली हैं।

चुकता पूंजी में वृद्धि

रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च १९५९ में समाप्त हुए ३ वर्षों में चालू कम्पनियो की चुकता पूंजी ४ अरब ८६ करोड रु० बढ़ी है। इस वद्धि में ३५८ करोड रु० की वृद्धि सरकारी कम्पनियों में और १२८ करोड़ रु० की वृद्धि गैर-सरकारी कम्पनियो में हुई। सरकारी कम्पनियों में से केवल हिन्दुस्तान स्टील लि० की ही ३०० करोड रु० की पूंजी बढ़ी।

१९५८-५९ के अन्त तक सरकारी कम्पनियो की कुल सख्या १०३ थी, जिनकी कुल चुकता पूंजी ४२४ करोड रु० थी। पिछले ३ वर्षों में ४७ नयी सरकारी कम्पनियां स्थापित की गई हैं।

कम्पनियों द्वारा ऋण

कम्पनी अधिनियम की धारा २९५ के अन्तर्गत यदि कोई पब्लिक कम्पनी किसी डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर के सबधी या किसी ऐसी फर्म या प्राइवेट कम्पनी को, जिसमें डायरेक्टर का हाथ हो या किसी और पब्लिक कम्पनी को जिसका नियत्रण ऋण देने वाली कम्पनी के डायरेक्टर के हाथ में हो, ऋण देना चाहे तो उसे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार का ११.५७ करोड रु० का ऋण देने के लिए १५१ अर्जिया स्वीकृति के लिए आई, जिनमें से ७.१३ करोड़ रु० का ऋण देने के लिए ७० अर्जिया स्वीकार की गईं।

यदि कोई कम्पनी किन्ही दूसरी कम्पनियों मे पूजी लगाना चाहे तो उसे अधिनियम की ३७२ और ३७३ धाराओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस प्रकार की ९० अर्जिया सरकार की स्वीकृति के लिए आई, जिनमे कुल ८ करोड़ रु० की पूंजी लगाने के लिए स्वीकृति मांगी गई थी। इनमें से ८० प्र०श० अर्जिया स्वीकार की गईं।

कम्पनियों के मामलों में जांच

कम्पनी अधिनियम की धारा २३५, २३७ और २४७ के अन्तर्गत कम्पनियां के मामलों अथवा स्वामित्व के संबध में जाच की जा सकती है। पिछले ३ वर्षों मे अधिनियम कीधारा २३५ और २३७ के अन्तर्गत कुप्रबन्ध के कारण ८४ कम्पनियों के लिए इंस्पेक्टर नियुक्त करने के मामले सामने आए। इनमें से ४७ मामले १९५६-५७ में; २०, १९५७-५८ में और १७, १९५८-५९ में आए। पूरी पड़ताल के बाद १४ मामलों की छानबीन करने के आदेश दिए गए और ६५ मामलों में आवश्यकता न होने के कारण इंस्पेक्टर नियुक्त नहीं किए गए।

बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत जमशेदपुर, बर्नपुर और भद्रावती के कारखानों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई। जमशेदपुर में २० लाख टन, बर्नपुर में १० लाख टन और भद्रावती में १ लाख टन इस्पात बनाने का लक्ष्य रखा गया।

इनके अलावा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में तीन इस्पात कारखाने खोलने का निश्चय किया गया। इन कारखानों में आरम्भ में १० लाख टन इस्पात पिण्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया। भिलाई, दुर्गापुर और बर्नपुर में ७ लाख ५० हजार टन ढलवा लोहा भी बनाने का निश्चय किया गया। इस प्रकार दूसरी योजना में ६० लाख टन इस्पात पिण्डों से इस्पात का ४५ लाख टन तैयार माल बनाने और बिक्री के लिए ७ लाख ५० हजार टन ढलवा लोहा बनाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

इस्पात की मांग

तीसरी योजना की इस्पात की आवश्यकता के अनुसार ही यह निर्धारित किया जाएगा कि कितना और किस प्रकार का इस्पात बनाया जाए। तीसरी योजना में लगभग १९॥ अरब रु० खर्च करने का प्रस्ताव है। पर अभी तक योजना की रूपरेखा के बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ है। अतः रूपरेखा निर्धारित होने से पहले यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि किस किस्म का कितना इस्पात बनाया जाए, क्योंकि रेलों, इमारती काम और उद्योगों के लिए अलग-अलग किस्म के इस्पात की आवश्यकता होती है।

इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य

इंजीनियरी के सामान की आवश्यकताओं को देखते हुए लोहा और इस्पात विभाग ने यह निश्चय किया है कि तीसरी योजना में १ करोड़ टन इस्पात बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

तीसरी योजना में इस्पात की आवश्यकता पर विचार करने के लिए व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद (नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च) ने जो समिति नियुक्त की थी, उसने भी यही राय दी है।

रेल की पटरियां बनाने में काम आने वाले स्लीपर, नल और बहुत-सी मशीनों के पुर्जे ढालने में ढलवां लोहे की जरूरत होती है। लोहे के ढले हुए नलों की मांग भी बहुत बढ़ रही है। आशा है कि आगे इसकी मांग ४ लाख टन से ५ लाख टन तक हो जाएगी। इसके अलावा अन्य सामान की ढलाई के लिए लगभग १५ लाख टन ढलवां लोहे की जरूरत होगी। अतः ढलवा लोहे के उत्पादन का लक्ष्य २० लाख टन रखना उचित है।

चालू कारखानों का विस्तार

हर कोई इस बात से सहमत है कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों को, इस्पात की मांग और लाभ को देखते हुए बढ़ाया जाए। इस्पात कारखानों को क्रूमिंग मिल का उत्पादन बढ़ाने से सबसे अधिक लाभ होता है।

इन तीनों कारखानों की क्रूमिंग मिलों से लगभग २५-२५ लाख टन तक ब्लूम बनाए जा सकते हैं। इनका उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकता है। पर उत्पादन बढ़ाते समय माल की खपत, विदेशी मुद्रा और ढलवा लोहा बनाने और उसकी बिक्री की सुविधा को भी ध्यान में रखना होगा।

भिलाई कारखाने को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध है, पर इस कारखाने में इस्पात पिण्डों से पटरियां, इमारती काम का इस्पात का सामान और बिलेट ही बनाए जा सकते हैं। अतः कारखाने में अधिक इस्पात बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार के माल की कितनी मांग है।

दूसरी योजना के अन्त तक इमारत बनाने में काम आने वाले इस्पात का जितना भारी और हल्का सामान तथा चौड़े गाटर तैयार होने लगेंगे, उससे अधिक की तीसरी योजना में जरूरत नहीं होगी। तीसरी योजना में १ लाख ५० हजार टन भारी पटरियों, फिश प्लेटों तथा स्लीपरों की और आवश्यकता पड़ने की उम्मीद है।

विभिन्न प्रकार के इस्पात की मांग को देखते हुए भिलाई में अधिक इस्पात पिण्ड बनाने का निश्चय किया गया है, जिससे क्रूमिंग मिल से पूरा उत्पादन हो सके। पर कुछ साल तक २५ लाख टन इस्पात पिण्ड नहीं बनाए जा सकेंगे। इस दौरान २१ लाख टन इस्पात पिण्ड और ४ लाख टन ढलवां लोहा बनाया जा सकेगा।

राउरकेला का विस्तार

इस्पात की वर्तमान खपत को देखते हुए राउरकेला के कारखाने में [illegible] पिण्डों का उत्पादन बढ़ाकर १८ लाख टन और दुर्गापुर में १६ लाख टन करने का निश्चय किया गया है। इस्पात उद्योग का एकांगी विकास नहीं किया जा सकता। इसका निर्णय देश के साधनों और अन्य विकास-कार्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो तीसरी योजना में १ करोड़ टन इस्पात और २० लाख टन ढलवा लोहा बनाने की लक्ष्य-पूर्ति के स्थान पर उतना ही इस्पात बनाया जाना चाहिए जो नितान्त आवश्यक है। पर आवश्यक इस्पात बनाने के लिए भी मैं समझता हूं कि एक और कारखाना बनाना पड़ेगा।

चौथे कारखाने का स्थान

पहले बोकारो (बिहार) में तीसरा इस्पात कारखाना खोलने की बात थी। पर बोकारो तक यातायात की अच्छी सुविधा न होने के कारण दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में यह कारखाना खोला गया। पर बोकारो कई कारणों से इस्पात कारखाने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। यह करगली, बोकारो और झरिया की कोयला खानों के बहुत पास है। हालांकि खनिज लोहा यहां से कुछ दूर पड़ेगा; पर जो मालगाड़ियां करगली और झरिया से राउरकेला और भिलाई के कारखानों को कोयला ले जाएंगी वे ही वापसी में बोकारो के लिए खनिज लोहा लाएंगी। बोकारो में कारखाने के लिए जमीन सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है। पर कारखाने की इमारत बनाना शुरू करने और कारखाना कितना बड़ा हो, इसका निश्चय तीसरी योजना के बारे में कुछ और निर्णय हो जाने के बाद होगा।

भिलाई इस्पात कारखाने की तीसरी खुली भट्ठी तैयार

भिलाई इस्पात कारखाने की तीसरी खुली भट्ठी (ओपन हर्थ फर्नेस) बन कर तैयार हो गई है। इस भट्ठी में आग जलाई जा चुकी है। अब शीघ्र ही इसमें इस्पात बनने लगेगा।

यह भट्ठी एक बार में २५० टन इस्पात बना सकती है। इससे पहले जो दो भट्ठियां चालू हुई है, उनमें भी इतना ही इस्पात [illegible] है। यह तीसरी भट्ठी प्रति [illegible] ५०० टन इस्पात बनाएगी।

चौथी खुली भट्ठी भी तैयार की जा रही है। इस भट्ठी पर पानी ठंडा करने की मशीन लगाई जा रही है। भिलाई कारखाने में ऐसी ६ खुली भट्ठियां होंगी। इनमें से प्रत्येक में २५० टन इस्पात बन सकेगा। इन ६ भट्ठियों से प्रति वर्ष १० लाख टन इस्पात के पिंड बनेंगे। इनसे ६ लाख २० हजार टन तैयार इस्पात और १ लाख ५० हजार टन इस्पात की बिलैटें बनेंगी।

खनिज तांबे का उत्पादन

भारत के खान कार्यालय की १७ मार्च की सूचना के अनुसार भारत में जनवरी १९६० में ३०,५३८ मेट्रिक टन खनिज तांबे का उत्पादन हुआ, जबकि उससे पिछले साल जनवरी में ३१,७३५ मेट्रिक टन हुआ था। ये आंकड़े बिहार के सिंहभूमि जिले की खानों के हैं।

जनवरी १९६० में ६७६ मेट्रिक टन तांबा तैयार हुआ, जबकि १९५९ के इसी महीने में ५९६ मेट्रिक टन हुआ था। इस तरह १९६० में १३ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जनवरी १९६० में सीसे और जस्ते का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुमान के अनुसार देश में जनवरी १९६० में १३,८१८ मेट्रिक टन सीसा और जस्ता निकाला गया, जबकि जनवरी १९५९ में १३,४४० मेट्रिक टन सीसा और जस्ता निकाला गया था। यह पूरा उत्पादन राजस्थान के उदयपुर जिले की जवार खानों में हुआ है।

सीसा बिहार में टूडू के कारखाने में साफ किया जाता है। भारत में जस्ता साफ करने का कोई कारखाना न होने के कारण इसे जापान भेजा जाता है। जनवरी १९६० में ३१० मेट्रिक टन शुद्ध सीसा प्राप्त हुआ।

फरवरी १९६० में सूती कपड़े का उत्पादन

टेक्सटाइल कमिश्नर की १७ मार्च की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि फरवरी १९६० में सूती कपड़ा मिलों में १३ करोड़ ८० लाख पौंड सूत और ४० करोड़ २० लाख गज कपड़ा बनाया गया। फरवरी १९६० के अन्त में इन मिलों के पास कपड़े की कुल २ लाख ६० हजार गांठें थीं। इनमें से १ लाख ४० हजार गांठें बिकी नहीं थीं और १ लाख २० हजार गांठें बिकी हुई थीं, जो उठाई नहीं गई थीं।

वैज्ञानिक परिषद के संचालक मण्डल की बैठक

नयी दिल्ली में २२ मार्च को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मण्डल तथा २३ मार्च को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संचालक मण्डल की बैठक हुई। बैठकों की अध्यक्षता प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने की।

बंगलौर की राष्ट्रीय हवाई इंजीनियरी प्रयोगशाला को बढ़ाने और आसाम में क्षेत्रीय अनुसंधानशाला खोलने की योजनाओं को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

बंगलौर की प्रयोगशाला में वायुयान की शब्द की गति से भी तेज उड़ान के परीक्षण के लिए शीघ्र ही वायु सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। बैठक में इस बात की भी सिफारिश की गई कि प्रयोगशाला विमान कारखानों और उड़ान विभागों के सहयोग से काम करे और जो समस्याएं उसके पास भेजी जाएं, उन्हें हल करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।

आसाम की क्षेत्रीय अनुसंधानशाला में आरम्भ में व्यावहारिक रसायनशास्त्र और इंजीनियरी विभाग होंगे।

१९६०-६१ में रबर निर्माता संघ को अनुसंधान कार्य के आवर्तक खर्च का आधा खर्च देने की मंजूरी दी गई।

केन्द्रीय पेट्रोलियम संस्था

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संचालक मण्डल ने देहरादून में केन्द्रीय पेट्रोलियम संस्था स्थापित करने के लिए ११ सदस्यों की कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की भी मंजूरी दी। खान और तेल मन्त्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे। यह संस्था पेट्रोलियम सम्बन्धी अनुसंधान, ट्रेनिंग और जानकारी इकट्ठा करने का काम करेगी।

मण्डल ने जीव-विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान को बढ़ाना स्वीकार किया है। अनुसंधान के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार गोष्ठियां करने के प्रस्ताव को भी संचालक मण्डल ने स्वीकार कर लिया है।

बैठक में बहुत-सी अनुसंधान योजनाओं और छात्रवृत्तियों को फिर से मंजूरी दी गई।

बैठक में जिन लोगों ने भाग लिया उनमें से कुछ ये हैं :

डा० हुमायूं कबीर, श्री एफ० सी० बधावर, डा० एच० जे० भाभा, प्रो० एस० एन० बोस, श्री जे० जे० गांधी, डा० बी० सी० गुह, डा० के० ए० हमीद, श्री एम० हयात, डा० जीवराज एन० मेहता, श्री एस० एस० खेरा, डा० ए० एन० खोसला, डा० डी० एस० कोठारी, डा० के० एस० कृष्णन, प्रो० पी० महेश्वरी, श्री पी० ए० नारियलवाला, लाला श्रीराम, श्री एम० एस० रंधावा, श्री डा० एन० सेन, श्री मनुभाई शाह, श्री करनैल सिंह, प्रो० एम० एस० थैकर, डा० विक्रम ए० साराभाई, डा० डी० एन० वाडिया, सरदार स्वरन सिंह, श्री के० सी० रेड्डी, श्री वी० के० कृष्णमेनन, प्रो० पी० सी० महलनोबीस, श्री ए० वी० वेंकटेश्वरन, और श्री पी० एम० सुन्दरम।

सोना माखी से गन्धक बनाने के लिए कम्पनी

राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने बिहार के अमजोर क्षेत्र के सोना माखी (पायराइट्स) के भंडारों से गंधक, गंधक का तेजाब और अन्य चीजें बनाने के लिए एक कम्पनी बनाई है।

दि पायराइट्स एण्ड केमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी ५ करोड़ रु० होगी। पूरी पूंजी राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लगाएगा।

निगम ने बिहार के सोना माखी के भंडारों की पड़ताल करने और इससे गंधक बनाने के बारे में सुझाव देने के लिए नार्वे का एक विशेषज्ञ नियुक्त किया था। विशेषज्ञ की सलाह पर ही यह काम शुरू किया जा रहा है।

इस योजना पर ६ से ७ करोड़ रु० तक खर्च आने का अनुमान है। इस योजना के अन्तर्गत हर रोज २०० से ३०० टन तक गंधक तैयार किया जा सकेगा, पर बाद में उत्पादन को और भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

इस समय हर साल देश में १ लाख २० हजार टन गंधक बाहर से मंगाई जाती है।

बड़े-बड़े गन्धक रसायन बनाने में काम आती है। देश में गन्धक के उत्पादन से काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, श्री के० एन० कौल को इस कम्पनी का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निदेशक मंडल में मजदूरों के प्रतिनिधियों के अलावा कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों और सार्वजनिक उद्योग के प्रतिनिधि भी हैं। फिलहाल कम्पनी का दफ्तर नयी दिल्ली में रहेगा।

खंडसारी का थोक और फुटकर भाव

वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने खडसारी के थोक और फुटकर भावों के बारे में २४ मार्च को लोकसभा की मेज पर एक वक्तव्य रखा। वक्तव्य में बताया गया है कि मुजफ्फरनगर में नवम्बर १९५९ में सबसे बढ़िया रवेदार खडसारी का भाव ३६ रु० मन और फुटकर भाव ३८ रु० से ४० रु० मन तक था। इसके बाद के दो महीनों (दिसम्बर १९५९ और जनवरी १९६०) में खडसारी का थोक भाव ४५ रु० मन और फरवरी १९६० में ५० रु० मन रहा। इन महीनों के फुटकर भावों का अभी तक पता नहीं चला है। मेरठ में नवम्बर १९५९ में खडसारी का थोक भाव ४८ रु० था। फुटकर भाव का अभी पता नहीं चला है। दिसम्बर १९५९ में थोक भाव ४० रु० मन और फुटकर भाव ६२ रु० मन था। जनवरी १९६० में थोक भाव ४८ रु० मन और फुटकर भाव ५१ रु० मन रहा। फरवरी १९६० में थोक भाव ४३ रु० मन और फुटकर भाव ४५ रु० मन रहा।

बरेली में नवम्बर १९५९ में खडसारी थोक में ४३ रु० से ४५ रु० मन तक और फुटकर ४८ रु० से ५० रु० मन तक बिकी। दिसम्बर में थोक भाव ४४ रु० से ४६ रु० तक और फुटकर भाव ४९ रु० से ५१ रु० मन तक रहा। जनवरी १९६० में खडसारी का थोक भाव ४४ रु० से ५० रु० मन तक और फुटकर भाव ४९ रु० से ५५ रु० मन तक रहा। फरवरी में खडसारी थोक में ४४ रु० से ४७ रु० मन तक और फुटकर में ४९ रु० से ५२ रु० मन तक बिकी।

हिरी डोलोमाइट खान दुर्घटना : श्रम उपमन्त्री का वक्तव्य

लोकसभा में १७ मार्च को श्रम उपमन्त्री, श्री आबिद अली ने बताया कि २ मार्च को दोपहर ११-३० बजे मध्य प्रदेश की हिरी डोलोमाइट खान में जो दुर्घटना हुई थी उसकी जांच की गई है। जांच से यह पता चला है कि दो कर्मचारी जब बर्मे से खुदाई कर रहे थे तो खान उड़ाने के लिए बिछाई गई एक ऐसी सुरंग में बर्मा से धक्का लग गया जो किसी कारणवश उड़ी नहीं थी। परिणामस्वरूप खान में अचानक विस्फोट हो गया तथा दोनों कर्मचारी मर गए और दो कर्मचारियों के हल्की चोटें लगीं। इन दोनों कर्मचारियों को इलाज के लिए बिलासपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया और अब वे वहां से ठीक होकर आ गए हैं।

इस खान में १,००० कर्मचारी काम कर रहे हैं और इस दुर्घटना से भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है।

कम्पनियों के सचिवों की न्यूनतम योग्यता

केन्द्रीय सरकार ने कम्पनियों के सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने और परीक्षा लेने के बारे में सलाह देने के लिए, सलाहकार मण्डल नियुक्त करने का निश्चय किया है।

आशा है कि मण्डल १ अप्रैल, १९६० से काम शुरू कर देगा। मण्डल में कम्पनियों, भारतीय व्यापार और उद्योग संघों के फेडरेशन और केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। आरम्भ में सदस्यों का कार्यकाल एक साल होगा। कम्पनी कानून विभाग के सचिव मण्डल के अध्यक्ष होंगे। भारतीय व्यापार और उद्योग संघों के फेडरेशन के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य सब सदस्य सरकार द्वारा नामजद होंगे।

सरकार कुछ समय से कम्पनियों में योग्य सचिवों की नियुक्ति पर विचार कर रही थी। इंगलैंड के कम्पनी अधिनियम की तरह, भारतीय अधिनियम में विशेष योग्यता वाले सचिवों की ही नियुक्ति की पाबन्दी नहीं है।

क्या आप जानते हैं ?

देश में सीमेंट उद्योग

- सबसे पहले मद्रास राज्य में १९०४ में पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का कारखाना खोला गया था, परन्तु अन्तत: यह कारखाना असफल ही रहा। इसके ९ वर्ष बाद पोरबन्दर में दूसरा छोटा कारखाना खोला गया, जो अब तक चल रहा है। इसके बाद ही लखेड़ी और कटनी में भी कारखाने खोले गए। उस समय पहला विश्वयुद्ध शुरू हो गया, इसलिए ये कारखाने सफलतापूर्वक चलने लगे।

- १९२० में देश में ९१,२५३ टन सीमेंट तैयार हुआ, जो १९३० में बढ़कर ५,६४,००० टन हो गया। तटकर आयोग के सुझाव पर १९२६ में भारतीय सीमेंट निर्माता संघ स्थापित किया गया।

- सीमेंट की खपत बढ़ाने के लिए १९२७ में कंकरीट संघ और कारखाने में बने सीमेंट की बिक्री के लिए १९६० में सीमेंट बिक्री संघ बना। तब से सीमेंट उद्योग का निरन्तर विस्तार होता रहा। १९४७ में १८ कारखाने थे, जहां १४ लाख ४० हजार टन सीमेंट तैयार होता था। १९५८ में कारखानों की संख्या बढ़कर ३१ हो गई और उत्पादन भी बढ़कर ६० लाख ६० हजार टन हो गया।

- दूसरी योजना में कारखानों की सीमेंट तैयार करने की क्षमता बढ़ाकर १ करोड़ टन तक कर दी जाएगी। सीमेंट के कारखानों को बढ़ाने के लिए अमरीका के शिल्प सहयोग मिशन और विकास ऋण निधि से विदेशी मुद्रा ली गई। *अनुमान है कि १९६२ तक देश* के कारखानों से ही देश की सीमेंट की अधिकांश मांग पूरी होने लगेगी।

- सीमेंट का निर्यात बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। निर्यात के लिए जो ४ लाख टन सीमेंट रखा गया था, उसमें से जनवरी १९६० के अन्त तक ३,०१,४१० टन सीमेंट बाहर भेजने के बारे में कार्रवाई हो चुकी है और लगभग २,३९,००० टन सीमेंट भेज दिया गया।

श्रम और रोजगार

दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने इस बात की जाच कराई है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण सरकारी दफ्तरों और उद्योगों आदि में अब तक कितने लोगों को काम मिला। इस जाच से पता चलता है कि अप्रैल १९५६, यानी दूसरी योजना के शुरू से मार्च १९५९ तक लगभग ११ लाख ३९ हजार व्यक्तियों को काम मिला। मार्च १९५९ के अन्त तक कुल ६३ लाख ७४ हजार व्यक्ति सरकारी नौकरियों में थे।

जांच के लिए २७,७८१ संस्थाओं से जानकारी मांगी गई थी, जिनमें से २३,६५३ यानी ८५.१ प्रतिशत ने यह जानकारी भेजी। जानकारी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि मार्च १९५९ के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में रोजगार २१.८ प्रतिशत बढा। इस अवधि में ४,४३८ नये कारखाने या विभाग आदि स्थापित हुए, जिनमें दिसम्बर १९५८ के अंत तक ३ लाख ३० हजार व्यक्तियों को काम मिला।

केन्द्रीय सरकार मे सबसे अधिक वृद्धि, लगभग ८२ हजार, रेलों मे हुई। डाक-तार विभाग मे ३७ हजार नये लोगों को, शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थाओं मे १० हजार को, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं आदि मे १,७०० और अन्य विभागों में ४८ हजार लोगों को काम मिला। खानों में ४ हजार और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में ४,५०० लोग और लगे। इनमें ठेकेदारों के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। सबसे अधिक वृद्धि प्रशासनिक कार्यालयों (२०.५ लाख से बढ़कर २४ लाख) में हुई। इस वृद्धि से यह नहीं समझना चाहिए कि क्लर्कों आदि की ही भरती अधिक हुई, बल्कि इन प्रशासनिक कार्यालयों और विभागों में बहुत-से ऐसे हैं, जिनमें शिल्पिक और दूसरे काम जानने वाले लोग काम करते हैं।

श्रम मंत्रालय के इस अध्ययन से पता चलता है कि कृषि और पशुपालन आदि में २०.१ प्रतिशत; खान और पत्थर खोदने में २६.७ प्रतिशत; कारखानों में ३३.७ प्रतिशत; इमारतें आदि बनाने में ३०.६ प्रतिशत; बिजली, गैस और पानी के काम में ३० प्रतिशत; व्यापार-वाणिज्य में ९५.८ प्रतिशत; परिवहन तथा संचार में १०.५ प्रतिशत और सेवाओं में १९.२ प्रतिशत अधिक व्यक्तियों को दूसरी योजना के दौरान काम मिला। भारत के कामगर वर्ग का ४ प्रतिशत सरकारी दफ्तरों और उद्योगों में काम करता है। १९५० में सरकारी संगठनों में काम करने वालों का अनुपात ब्रिटेन में २४.३ प्रतिशत और अमरीका में १२.० प्रतिशत था। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में आयोजित अर्थ-व्यवस्था और राष्ट्रीयकरण आदि के बावजूद सरकारी कर्मचारियों का अनुपात काफी कम है।

जांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में रोजगार का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें से ४४.७ प्रतिशत पहले तीन सालों में पूरा हो गया है और यदि रोजगार सम्बन्धी आकडे अधिक सही मिले तो यह अनुपात इससे अधिक होगा। दूसरी योजना की इस अवधि में जो पूजी लगाई गई है, उसके फलस्वरूप अगले दो वर्षों में रोजगार और तेजी से बढ़ेगा।

बैंक विवाद पर श्रम मन्त्री का वक्तव्य

लोकसभा मे २१ मार्च को श्रम मन्त्री, श्री गुलजारीलाल नन्दा ने बैंक विवाद के निर्णय के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखा :

११ मार्च को मैंने लोकसभा में जो वक्तव्य दिया था, उसमें मैंने यह उल्लेख किया था कि बहुत सोचने के बाद सरकार ने यह निर्णय किया कि बैंक विवाद के निर्णय करने का सबसे सही रास्ता यह है कि उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाए। प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए उपयुक्त अध्यक्ष के चुनाव के बारे में शीघ्र ही उचित कार्रवाई की गई। विवाद का महत्व देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया था कि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का जज होना चाहिए। इसके मायने यह है कि विभिन्न राज्य सरकारों से राय ली जाए। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बम्बई उच्च न्यायालय के एक जज ने यह काम संभालना स्वीकार कर लिया है और इस बारे में आज ही अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही साथ बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई विभिन्न मांगों की भी जाच की गई और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।

सरकार ने रिजर्व बैंक और उसके कर्मचारियों के झगड़े पर भी विचार किया तथा यह तय किया गया कि उसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाए।

मुझे बहुत अफसोस है कि स्टेट बैंक वालों की हड़ताल अभी भी चल रही है तथा १९ मार्च को सभी बैंकों के कर्मचारियों ने भी सांकेतिक हड़ताल की। अखिल भारतीय स्टेट बैंक के इंडिया स्टाफ फेडरेशन के अध्यक्ष १६ मार्च को मुझसे मिले तथा १३ मार्च को फेडरेशन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की एक प्रति मुझे दी। अध्यक्ष के साथ मेरी जो बातचीत हुई, उसे देखते हुए मुझे यह उम्मीद थी कि हड़ताल जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। जबकि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में घोषणा की जा चुकी है तो हड़ताल जारी रखने में मुझे कोई तुक समझ में नहीं आती। मैं बैंक कर्मचारियों तथा उनके नेताओं से फिर अनुरोध करता हू कि वे फौरन हड़ताल समाप्त कर दें, ताकि उनकी मागों पर शांति से विचार किया जा सके।

---

६०० कोयला खनकों की दिल्ली यात्रा

२९ मार्च को विशेष रेलगाड़ी से कोयला खानो के लगभग ६०० खनक दो दिन के लिए नयी दिल्ली पहुचे। ये लोग घूमने और अध्ययन करने के लिए १३ दिन तक देश की यात्रा करेंगे। ये २३ मार्च को धनबाद से रवाना हुए और अब तक वाराणसी,

लखनऊ, हरिद्वार, भाखड़ा-नंगल और अमृतसर देख चुके हैं। इनका यात्रा का प्रबन्ध कोयला खान मजदूर हितकारी निधि की ओर से किया गया है।

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर श्रम मन्त्री, श्री गुलजारी लाल नंदा और श्रम उपमन्त्री, श्री आबिद अली ने इनका स्वागत किया और नयी दिल्ली में वे प्रधान मन्त्री से भी मिले।

कामदिलाऊ दफ्तरों की मार्फत भर्ती

जिन पदों की पूर्ति केन्द्रीय लोक सेवा आयोग करता है या जिनकी पूर्ति के लिए विशेष नियम बने हुए हैं, उनके अलावा केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी पदों पर कामदिलाऊ दफ्तरों की मार्फत भर्ती होती है।

यह सूचना स्वराष्ट्र मंत्रालय में मन्त्री, श्री बलवन्त नगेश दातार ने ८ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि कामदिलाऊ दफ्तरों की मार्फत भर्ती करने के नियम सभी दफ्तरों पर लागू हैं।

श्री दातार ने बताया कि अगर किसी दफ्तर को कामदिलाऊ दफ्तरों से उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिलते तो वह दफ्तर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भर्ती कर सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करके जो नियुक्तियां होती हैं, वे अनियमित मानी जाती हैं।

हिन्दी टाइपिंग और शार्टहैंड

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री दातार ने बताया कि नयी दिल्ली में एक केन्द्र खोला गया है, जहां प्रतिवर्ष ४०० व्यक्तियों को हिन्दी टाइपिंग और १०० व्यक्तियों को हिन्दी शार्टहैंड सिखाया जा सकता है।

जनवरी १९६० में कामदिलाऊ दफ्तरों का काम

जनवरी १९६० में कामदिलाऊ दफ्तरों ने कुल २२,१०६ लोगों को काम दिलाया, जबकि इससे पिछले महीने २१,८५८ को दिलाया था। जनवरी में लगभग ७,६३३ मालिकों ने कामदिलाऊ दफ्तरों की मार्फत कर्मचारी भर्ती किए। इस महीने कुल ३३,२१४ लोगों की माग आई, जबकि दिसम्बर १९५९ में ३५,५५३ की माग आई थी।

दिसम्बर १९५९ में २,२०,३१० व्यक्तियों ने कामदिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराए थे, जबकि जनवरी १९६० में १,९३,५१५ ने ही नाम दर्ज कराए। जनवरी के अन्त में कामदिलाऊ दफ्तरों में कुल १४,२५,५८९ लोगों के नाम दर्ज थे। यह संख्या पिछले महीने से ४,६८८ ज्यादा है।

आलोच्य मास में ९ नये कामदिलाऊ दफ्तर खुले। जनवरी के अन्त में देश में कुल २५७ काम दिलाऊ दफ्तर थे।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत, २७ मार्च, १९६० से बिहार, मद्रास, आंध्र प्रदेश और मैसूर के लगभग १९,४५० मजदूरों को इसका लाभ मिलने लगेगा। आंध्र प्रदेश में सिरपुर; बिहार में डालमिया नगर, भजारी और जापला; मद्रास में डालमियापुरम तथा मैसूर में हुबली में यह योजना लागू की जा रही है।

केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि योजना

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर अनिवार्य भविष्य निधि योजना लागू होने से लगभग ३ करोड़ ५० लाख रु० और मिलने का अनुमान है।

यह सूचना २४ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने दी।

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना का विरोध किया है। परन्तु इस सम्बन्ध में जो पत्र आए हैं, उन पर पूरी तरह विचार करने के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि योजना को अनिवार्य करना जरूरी है। इससे, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकार का जो खर्च बढ़ेगा, वह कम हो जाएगा और साथ ही मुद्रा-स्फीति का भी डर नहीं रहेगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के हित में भी इसे अनिवार्य करना जरूरी है।



परिवहन विकास परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २६-२७ मार्च को परिवहन विकास परिषद का दो दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की पहले दिन की बैठक में सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति की कुछ सिफारिशों पर विचार किया गया। परिवहन तथा संचार के राज्य मन्त्री, श्री राजबहादुर बैठक के सभापति थे। परिषद ने उक्त समिति की इस सिफारिश को मान लिया कि सब राज्यों में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जल्दी मुआवजा दिलाने के लिए न्यायाधिकरण बनाए जाएं। इसी प्रकार सड़क दुर्घटनाओं के कारण खोजने और इनको रोकने के उपाय सुझाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने की भी सिफारिश की गई। परिषद ने मसानी-समिति की क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण तथा ... की प्रबन्ध व्यवस्था आदि के बारे में कई सिफारिशों पर विचार किया। समिति के इस सुझाव पर भी परिषद ने विचार करके इसे स्वीकार किया कि हर राज्य में एक परिवहन सलाहकार समिति होनी चाहिए, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, विधानसभाओं के सदस्य, मोटर कम्पनियों के प्रतिनिधि, व्यापारियों के प्रतिनिधि और परिवहन से सम्बन्ध रखने वाले अन्य संगठनों के प्रतिनिधि लिए जाएं।

अपने भाषण में श्री राजबहादुर ने कहा कि सड़क परिवहन पर कर कम होना चाहिए और सब राज्यों में प्रायः एक-से कानून होने चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य इंजीनियरों ने अगले बीस सालों के लिए सड़कों के विकास का एक कार्यक्रम बनाया है। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए ५९० करोड़ रु० की व्यवस्था

की जा रही है, जो बहुत कम है। छोटी और बड़ी सडकों के विकास के लिए कम से कम १,०५० करोड़ रु० जरूर रखना चाहिए, जो योजना के कुल व्यय का १० प्रतिशत से भी कम होगा।

दूसरे दिन की बैठक

दूसरे दिन की बैठक में सर्वसम्मति से यह मांग की गई कि योजना आयोग को तीसरी पचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन और सड़क तथा जल परिवहन के विकास के लिए और अधिक धन रखना चाहिए। इस समय योजना आयोग ने २५० करोड़ रु० सड़कों के लिए, १८ करोड़ रु० सड़क परिवहन के लिए और ५ करोड़ रु० आन्तरिक जल परिवहन के लिए रखे हैं।

केन्द्रीय परिवहन मन्त्री, डा० सुब्बारायन दूसरे दिन की बैठक के अध्यक्ष थे। केन्द्रीय राज्य मंत्री, श्री राजबहादुर तथा उपमंत्री, श्री अहमद मुहीउद्दीन भी उपस्थित थे। राज्यों के परिवहन मंत्रियों के अतिरिक्त बंगाल के मुख्य मंत्री, डा० विधानचन्द्र राय भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक ने यह सुझाव दिया कि धन की अधिक व्यवस्था करने के लिए छोटी बचत का और अधिक उपयोग करना चाहिए।

परिषद ने यह भी सिफारिश की कि परिवहन का काम करने वाले लोगों को गाडियां खरीदने के लिए सुविधाजनक तरीके से रुपया मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार एक वित्त आयोग की स्थापना कर सकती है या कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था करे जिससे मोटर परिवहन का काम करने वालों को रुपया मिल सके। परिषद की राय में इन सुविधाओं के अभाव में ही सडक परिवहन का विकास ठीक तरह से नहीं हो रहा है। परिषद ने इस बात का समर्थन किया कि माल ढोने का काम करने वालों की सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक योजना के रूप में बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, केरल और दिल्ली में इस प्रकार की समितियां स्थापित करने के सुझाव पर विचार किया गया और बम्बई की जगह उड़ीसा को रखना स्वीकार किया गया।

सीमा क्षेत्रों में सड़कों का विकास : उच्चाधिकारी मण्डल नियुक्त

भारत सरकार ने सीमा क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए एक उच्चाधिकारी मण्डल नियुक्त किया है। इस मण्डल के अध्यक्ष, प्रधान मन्त्री तथा उपाध्यक्ष प्रतिरक्षा मन्त्री हैं। मण्डल की पहली बैठक २९ मार्च, १९६० को हुई।

अब तक यातायात की ठीक व्यवस्था न होने के कारण सीमा क्षेत्रों के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा पड़ती थी। मण्डल की नियुक्ति का उद्देश्य सड़कों का इस तरह से विकास करना है कि सीमा क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और अधिक तेजी से हो।

मण्डल को एक सरकारी विभाग के बराबर अधिकार दिए गए हैं तथा उसका अलग वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। मण्डल के अन्य सदस्य ये हैं, यातायात मन्त्रालय के सचिव, यातायात मन्त्रालय में सड़कों के बारे में सलाह देने वाला इंजीनियर, प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सचिव तथा स्वराष्ट्र मंत्रालय में कश्मीर के मामलों के सचिव।

इन क्षेत्रों में सड़कें बनाने की एक योजना तैयार कर ली गई है और मण्डल का यह काम होगा कि वह प्राथमिकताओं के अनुसार योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करे।

विकास कार्यक्रम

सीमा क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में पूरी तरह समन्वय बनाए रखने के लिए मन्त्रिपरिषद के सचिवालय में एक समिति बनाई गई है। विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों तथा स्थानीय प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के सीमा क्षेत्रों में नये जिले बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले का इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर होगा तथा उसे व्यापक प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार होंगे। इन जिलों के प्रशासन के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त कर लिए गए हैं। पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में अभी तक बरफ जमी हुई है और बरफ पिघलने के बाद वहां नये जिले बनाए जाएंगे।

सम्बन्धित राज्यों ने विकास योजनाएं तैयार कर ली हैं और केन्द्रीय सरकार उन पर विचार कर रही है। राज्य सरकारों को जरूरी योजनाओं पर काम शुरू करने का अधिकार दे दिया गया है। ये विकास कार्यक्रम छोटी सिंचाई योजनाओं, पशु-धन के सुधार, चरागाहों के सुधार, कुटीर उद्योग तथा विभिन्न क्षेत्रों को मिलाने वाली सड़कें बनाने के बारे में हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की ओर भी ध्यान दिया जाएगा।

भारत-आस्ट्रेलिया हवाई सेवा

मेलबोर्न में ३ मार्च को भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच हवाई सेवा समझौते के बारे में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई और वह १४ मार्च को समाप्त हुई।

वर्तमान स्थिति के अनुसार १९४९ के समझौते में कुछ संशोधन करने के बारे में दोनों देशों के प्रतिनिधि सहमत थे।

इन प्रतिनिधियों ने एयर इंडिया, क्वान्टास और बी० ओ० ए० सी० की त्रिदलीय साझेदारी पर भी विचार किया और दोनों प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गए कि साझेदारी समझौते की अवधि तक वे वर्तमान हवाई मार्ग से आते-जाते रहें।

भारत के प्रतिनिधि सचार विभाग के सचिव, श्री एम० एम० फिलिप और आस्ट्रेलिया के असैनिक उड़ान के महानिदेशक, श्री डो० जी० एण्डर्सन थे।

पदनूर की रेल वर्कशाप का उत्पादन

लोकसभा में २३ मार्च को रेल उपमन्त्री श्री सलेम वेंकटप्पा रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दक्षिण रेलवे पर पदनूर के सिगनल और दूर सचार वर्कशाप में जो माल तैयार किया गया, उससे १९५९-६० में ५ लाख ७१ हजार रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इस वर्कशाप में १९५९-६० में २२ लाख ४८ हजार रु० का माल तैयार हुआ तथा १ लाख ७९ हजार रु० का मरम्मत का काम किया गया। १९६०-६१ में २४ लाख रु० का माल तैयार करने तथा २ लाख रु० की मरम्मत का काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें ४०० कुशल तथा ३४० अकुशल कर्मचारी हैं।

रेलों को विश्व बैंक से ऋण

रेल उपमन्त्री, श्री सलेम वेंकटप्पा रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में २३ मार्च को लोकसभा में बताया कि रेलों के विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने दूसरी योजना में कुल २२ करोड़ ५० लाख डालर का ऋण दिया। इस साल भी दूसरा ऋण मिलने की सम्भावना है, किन्तु इस बारे में अभी कुछ निश्चित सूचना नहीं मिली है। यह रकम दूसरी योजना में रेलों का विस्तार तथा उनमें सुधार करने के लिए दी गई थी और इसे रेल इंजन, डिब्बे, इंजन के हिस्से तथा रेल सम्बन्धी अन्य उपकरण खरीदने के लिए खर्च करना था।

उपमन्त्री महोदय ने दूसरी योजना में रेल विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से उधार ली गई रकम के बारे में एक वक्तव्य भी सदन की मेज पर रखा।

नयी रेल-लाइनें

रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने १८ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि गडशीला (बालासुडा)—बरसुआ (डूमगाव) लाइन बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आशा है कि इस महीने के अन्त में यह चालू हो जाएगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि विजयवाड़ा-गुडूर लाइन पर फरवरी १९६० तक ८०.५ मील लम्बी दोहरी रेल-लाइन चालू हो चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि नयी लाइनें चालू करने के काम की प्रगति की बराबर जाच की जा रही है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिन लाइनों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, वे दूसरी योजना के अन्त तक पूरी हो जाएं।

आसाम के लिए दूसरी रेल-लाइन

रेल उपमन्त्री, श्री सलेम वेंकटप्पा रामस्वामी ने १८ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आसाम के लिए दूसरी रेल-लाइन बनाने के काम में अभी केवल सर्वे ही पूरा हो पाया है। रेल प्रशासन जल्दी ही इस योजना के सम्बन्ध में रिपोर्ट और उसके खर्च का विवरण पेश करेगा।

मन्त्री महोदय ने बताया कि यह रेल-लाइन बनाने के बारे में तभी कोई फैसला किया जा सकता है, जब रेल मण्डल को यह रिपोर्ट मिल जाए और वह उस पर विचार कर ले।

बिजली के इंजनों का निर्माण

रेल उपमन्त्री, श्री रामस्वामी ने एक प्रश्न के उत्तर में २३ मार्च को लोकसभा में बताया कि चित्तरंजन के रेल इंजन कारखाने में बिजली के इंजन बनाने की व्यवस्था की जा रही है और अनुमान है कि पहला १,५०० वाल्ट का डी० सी० बिजली का इंजन १९६१ के मध्य तक बनकर तैयार हो जाएगा।

श्री रामस्वामी ने बताया कि देश में बिजली का इंजन बनाने के लिए रेल मण्डल ने इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी को बिजली के सारे उपकरण भेजने का ठेका दिया था। यह आर्डर १,५०० वाल्ट के डी० सी० बिजली के इंजन के लिए बिजली के उपकरण भेजने के वास्ते दिया गया था। इन उपकरणों का कुल दाम १,३६,००० पौंड (*ब्रिटेन की बन्दरगाह तक जहाज-लदाई खर्च मुफ्त*) है।

रेलों में लकड़ी के सवारी डिब्बों के स्थान पर इस्पात के डिब्बे

२३ मार्च को लोकसभा में रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने बताया कि जैसे-जैसे रेल के लकड़ी के बने सवारी डिब्बे खराब होते जाएंगे, उनके स्थान पर इस्पात के बने डिब्बे चालू किए जाएंगे। इस प्रकार लकड़ी के बने सारे डिब्बे हटाने में काफी समय लगेगा।

उपमन्त्री महोदय ने बताया कि एक रेल *डिब्बा कारखाना रेलों की माग को पूरा नहीं* कर सकता है। मद्रास सवारी डिब्बा कारखाना, बंगलौर का हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट और कलकत्ते की मेसर्स जेसप क०, ये तीन मिल कर इस्पात के डिब्बे बनाने का काम कर रहे हैं और ये इस्पात के डिब्बों की कुल माग को पूरा कर सकते हैं।

जगाधरी रेल-कारखाने का विस्तार

रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खा ने १८ मार्च को लोकसभा में बताया कि जगाधरी के रेल कारखाने को बढाने की योजना पर अंतिम निर्णय हो गया है। उपमन्त्री महोदय ने कहा कि इस योजना पर ३ करोड़ ३२ लाख रु० लागत आने का अनुमान है। कारखाने के विस्तार के बाद इसमें हर रोज सवारी गाडी के चार पहियें वाले ८ डिब्बों और मालगाड़ी के ४ पहियें वाले ४० डिब्बों की सफाई की जा सकेगी।

श्री शाहनवाज खां ने यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में दी।

काहिरा को प्रेस-संवाद भेजने की व्यवस्था

समुद्रपार संचार सेवा के महानिदेशक द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रपति नासिर की भारत-यात्रा के दौरान नयी दिल्ली से काहिरा को सीधे रेडियो-टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा। समाचारपत्रों के संवाददाताओं और प्रसारण संगठनों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था दिन-रात चालू रहेगी। बम्बई से काहिरा तक की वर्तमान रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था भी चालू रहेगी। इसके अलावा, नयी दिल्ली से काहिरा को सीधे रेडियो द्वारा चित्र भेजने की भी व्यवस्था की गई है।

नदी योजनाएं और बिजली

कुंडा योजना के बिजलीघर का उद्घाटन

२५ मार्च को प्रधान मन्त्री ने मद्रास की कुंडा पनबिजली योजना के एक बिजलीघर का उद्घाटन किया। यह बिजलीघर कोयमत्तूर के पास नीलगिरि जिले में बना है।

यह मद्रास राज्य का दूसरी योजना में बनने वाला सबसे बड़ा बिजलीघर है। कुंडा योजना के बिजलीघरों में १ लाख ८० हजार किलोवाट बिजली बनाई जा सकेगी।

इस योजना के अन्तर्गत दो बिजलीघर बनाए जाएंगे। एक कुंडा नदी के दाहिने किनारे पर और दूसरा कुंडा और पेगम्बहल्ला नदियों के संगम से १॥ मील ऊपर पेगम्बहल्ला के बाएं किनारे पर बनाया जाएगा। इनके अलावा भवानी नदी की सहायक नदियों के पानी के

उपयोग के लिए चार बांध और चार सुरंगे बनाई जा चुकी है।

इन बांधो के जलाशयो में ९ अरब घनफुट पानी इकट्ठा किया जा सकता है। सुरंगों की कुल लम्बाई लगभग ७ मील है। इस योजना से जो बिजली मिलेगी, उससे मद्रास राज्य में नये उद्योग खोलने और गांवों मे बिजली पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी।

यह योजना १९५६ मे शुरू हुई थी और १९६०-६१ में पूरी हो जाएगी।

सिंचाई की २०२ योजनाएं पूरी हुईं

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने १८ मार्च को लोकसभा में बताया कि पहली और दूसरी योजना के दौरान जो बड़ी और मझोली सिंचाई योजनाएं शुरू की गई थी, उनमे से दिसम्बर १९५९ तक ६ बड़ी योजनाएं और १९६ मझोली योजनाएं पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं पर हुए खर्च का विवरण अभी इकट्ठा किया जा रहा है।

मन्त्री महोदय ने बताया कि बड़ी और मझौली सिंचाई योजनाओं से दूसरी योजना के अन्त तक १ करोड ६० लाख ७० हजार एकड भूमि की सिंचाई का लक्ष्य था। इसमे से १ करोड ३० लाख एकड भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकी है। लक्ष्य पूरा होने मे २२ प्रतिशत की कमी शिल्पिक व्यक्तियों की कमी के कारण हुई है।

उत्तर प्रदेश की रामगंगा योजना

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने १८ मार्च को लोकसभा में बताया कि सितम्बर १९५९ के अंत तक उत्तर प्रदेश की रामगंगा योजना के अन्तर्गत कंकरीट पुल का ६४.५ प्रतिशत और खुदाई का ६३ ६ प्रतिशत काम पूरा हो गया था। इस समय तक ६१.७ प्रतिशत औजार भी प्राप्त हो गए थे।

श्री हाथी ने बताया कि केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० में इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को ४५४ लाख ७४ हजार रु० का ऋण दिया।

बंगलौर में बिजली अनुसंधानशाला

भारत सरकार ने २ करोड़ २० लाख रु० की लागत से बंगलौर में बिजली सम्बन्धी अनुसंधानशाला बनाने का निर्णय किया है। यह कार्य दो खण्डों में किया जाएगा। पहले खण्ड पर ३६ लाख ४२ हजार रु० खर्च होगा, जिसे सरकार स्वीकार कर चुकी है।

इस अनुसंधानशाला में इन विषयों पर खोज होगी :

१—हाई वोल्टेज इंजीनियरी
२—बिजली इंजीनियरी
३—यांत्रिक इंजीनियरी
४—हाइड्रोलिक एंड सिविल इंजीनियरी

इस संस्था के लिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष से १६ लाख रु० तक की सहायता देने को तैयार हो गई है।

यह सूचना २३ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने दी।

खाद्य और कृषि

क्या आप जानते हैं ?

कहवा के बारे में कुछ तथ्य

● भारत मे अरेबिका और रोबस्टा जाति का कहवा ज्यादा होता है। इन दोनों किस्म के कहवे की खेती लगभग ढाई लाख एकड़ जमीन में होती है। सन् १९५७-५८ मे देश में लगभग ४३,००० टन कहवा हुआ, जिसमें से लगभग दो-तिहाई अरेबिका किस्म का था।

● तीन-चार साल के अन्दर कहवे का पौधा बीज देने लगता है। एक अच्छे पौधे में आधे से एक पौंड तक बीज उतर आते है। इन लाल बीजों को 'चरी' कहते है और इनसे कहवा बनाने के दो तरीके है। एक तरीका तो यह है कि पके हुए बीजों का गूदा निकाल कर इनमे खमीर उठा कर और धोकर सुखा लेते है। इस प्रकार की काफी को 'पार्चमेंट' या 'प्लाण्टेशन' कहा जाता है। दूसरी विधि में पहले बीजों को सुखा कर उसे छाटते है। इस प्रकार के कहवे को 'चेरी' कहते है। प्लाण्टेशन कहवा 'चेरी' से कुछ महंगा पडता है और बढ़िया भी होता है।

● कहवे मे मिलावट पकडने के कई तरीके हैं। मैसूर की खाद्य अनुसन्धान संस्था मे इसका बहुत आसान तरीका निकाला गया है। एक प्याला पानी मे चौथाई चम्मच कहवे का चूरा घोल कर उबाल लिया जाता है। इसके बाद जब काफी का चूरा नीचे बैठ जाए तो पानी नियार लिया जाता है। फिर चूरे को सुखा कर सोख्ते पर छीट दिया जाता है, ताकि उसके कण अलग-अलग बिखर जाएं। इसके बाद एक घोल, जिसमें २ प्रतिशत कास्टिक सोडा मिला हुआ हो, उस कागज पर छिड़क दिया जाता है, ताकि चूरे के कणों से वह घोल मिल जाए। अगर उस चूरे में इमली या खजूर के बीजों का चूरा मिला हुआ हो तो ५-१० मिनट के अन्दर सोख्ते पर गुलाबी या लाल रंग के निशान बन जाएंगे।

● पौधों से कहवे के जो बीज उतरते है, उनमें सुगन्ध नही होती। जब बीज भूने जाते है, तभी उनमें वह खुशबू आती है, जो बाजार में मिलने वाले कहवे में होती है। कहवा बढ़िया तभी बनता है, जब वह खूब भुन कर लाल हो जाए, लेकिन वह जलने न पाए।

● काफी की सुगन्ध के रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि इनमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा मे ३० रासायनिक तत्व होते हैं। यह सुगन्ध कृत्रिम तरीके से नहीं पैदा की जा सकती।

● एक प्याला काफी में लगभग एक मिलीग्राम नियासिन होता है। यह पानी में घुल जाने वाला विटामिन है, जिसकी मनुष्य के शरीर को बहुत जरूरत होती है।

● इसके अलावा काफी मे रिबोफ्लेविन, पेण्टोथेनिक एसिड, क्लोलाइन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी ६ और बी १२ भी होते है। पर नियासिन को छोड़कर बाकी तत्वों की मात्रा जरूरत से बहुत कम होती है।

मेस्टा का १९५९-६० का अंतिम प्राक्कलन

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अर्थ तथा अंक विभाग की ३० मार्च को एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि १९५९-६० के अंतिम अखिल भारतीय प्राक्कलन के अनुसार देश में मेस्टा की खेती ७,०६,००० एकड़ में और इसकी उपज १०,९८,००० गांठ होने का अनुमान लगाया गया है। १९५८-५९ के संशोधित प्राक्कलन के अनुसार मेस्टा का क्षेत्रफल ८,२५,००० एकड़ और उपज १४,८८,००० गांठ थी। इस प्रकार क्षेत्रफल में १,१९,००० एकड़, यानी १४.४ प्रतिशत और पैदावार में ३,९०,००० गांठों, यानी २६.२ प्रतिशत की कमी हुई।

चालू वर्ष में मेस्टा के क्षेत्रफल में कमी मुख्यतः पश्चिम बंगाल में हुई। पिछले साल मेस्टा के रेशे के भावों की मंदी के कारण इस वर्ष इसकी खेती कम क्षेत्र में हुई। बम्बई में भी कुछ कमी हुई पर बिहार में इसका क्षेत्रफल बढ़ा।

पश्चिम बंगाल में ही इस वर्ष मेस्टा की पैदावार भी कम रही। बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में उपज बढ़ी।



१९६०-६१ की सह० समितियों और गोदामों की योजना

राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम मण्डल ने १९६०-६१ में सहकारी समितिया बढ़ाने के लिए ११ करोड़ ३७ लाख रु० की योजना बनाई है। इसमें ऋण, हाट-व्यवस्था, गोदाम आदि सभी प्रकार की सहकारी समितिया शामिल हैं। राज्य सरकारों को सहकारिता की उन्नति के लिए इसी मंडल के द्वारा अधिकांश केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

१९६०-६१ में नयी साधन सहकारी समितियां बनाकर अथवा वर्तमान समितियों को सुधार कर लगभग २८,४४० साधन सहकारी समितियां तैयार हो जाएंगी। पिछले साल अप्रैल में बड़ी समितिया बनानी बन्द कर दी गई हैं, परन्तु इस समय जो बड़ी समितियां सहायता पाती हैं, उनके लिए योजना में व्यवस्था कर दी गई है।

दूसरी योजना के चौथे साल के अन्त तक देश में लगभग १,५७४ हाट सहकारी समितियां काम करने लगेंगी। योजना में २५७ नयी समितिया बनाने या वर्तमान समितियों को सुधारने का प्रबन्ध किया गया है। इससे १९६०-६१ के अन्त तक इनकी संख्या १,८३१ हो जाएगी।

१९५९-६० तक कारखानों की २३२ सहकारी समितिया बनाने की योजना थी (इसमें चीनी कारखानों की समितिया शामिल नहीं हैं)। अब योजना में १२६ और समितिया खोलने की व्यवस्था रखी गई है। ये समितिया कपास ओटने, धान कूटने, तेल पेरने आदि धंधों की होंगी।

इस साल मार्च के अन्त तक चीनी के २४ कारखाने चालू हो जाएंगे। उनकी हिस्सा-पूंजी में लगाने के लिए २२ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय गोदाम निगम की हिस्सा-पूंजी के लिए भी ४० लाख रु० रखा गया है। इसके अलावा बम्बई, मैसूर, पंजाब और पश्चिम बंगाल में ठंडे गोदाम बनाने के लिए १६ लाख रु० रखा गया है।

१९६०-६१ की योजना में हाट-व्यवस्था सहकारी समितियों के लिए २९३ गोदाम और गांवों में ७१३ गोदाम बनाने की व्यवस्था है। इस समय इनकी संख्या क्रमशः १,३६६ और ३,३४९ है। १९६०-६१ के अन्त तक केन्द्रीय तथा राज्यों के गोदाम निगम भी ३३७ गोदामों में माल रखने का प्रबन्ध करेंगे।



राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में २४ मार्च को ग्राम उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद की सातवीं बैठक का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने कहा कि भारत की विकास योजनाओं को पूरा करने में गांवों के उच्च विद्यालयों के छात्रों को विशेष और निश्चित दायित्व निभाना होगा। इन विद्यालयों के छात्र समाज शिक्षा, और और ग्रामोद्योगों में बहुत योग दे सकते है। विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है, वह न केवल इतनी संकीर्ण है कि काम-धंधे तक ही सीमित हो और न इतनी सामान्य कि किसी विषय का गहरा ज्ञान ही न हो पाए।

राष्ट्रीय परिषद ने इस बात की जांच-पड़ताल की है कि देश के ११ ग्राम विद्यालयों से पढ़ कर निकलने वाले कितने छात्रों को काम मिला। यह संतोष की बात है कि कृषि इंजीनियरी के प्रायः सब स्नातकों को काम मिल गया और डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने वालों में से भी आधों को नौकरी मिली। परिषद ने यह भी सिफारिश की कि ग्राम विद्यालयों से निकलने वाले छात्रों के काम आदि के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाए।

डा० श्रीमाली ने आगे कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन विद्यालयों के सब छात्रों को काम मिले, शायद हमें इन विद्यालयों में प्रवेश पर भी नियंत्रण रखना जरूरी हो जाए।

परिषद, इन विद्यालयों के शिक्षा-क्रम की उपयोगिता आदि को आंकने के लिए समिति बनाने को भी सहमत हो गई और उसने इन विद्यालयों को सरकारी मान्यता देने के नियम स्वीकार कर लिए हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय परिषद ने विद्यालयों के प्रबन्ध के लिए संचालन या प्रबन्ध समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया है। यही समितियां इन विद्यालयों के प्रबन्ध की जिम्मेदार होनी चाहिए। इनमें राष्ट्रीय परिषद, राज्य सरकार या राज्य के विकास आयुक्त आदि के प्रतिनिधि भी रखे जाने चाहिए।

गोष्ठियां और वर्कशाप

परिषद के सदस्यों ने गृह विज्ञान, समाज-कल्याण विस्तार कार्य, सहकार, समाज शिक्षा, कृषि शिक्षा और नागरिक तथा ग्राम-इंजीनियरी के बारे में गोष्ठिया करने और वर्कशाप चलाने के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया।

ग्राम विद्यालयों में, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय के सहयोग से पचायतों और जिलों में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए थोड़े समय के पाठ्यक्रम चलाना स्वीकार कर लिया। ये पाठ्यक्रम गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए होंगे।

राष्ट्रीय परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि जामिया मिलिया के ग्राम विद्यालय की इमारत जल्दी बनाई जाए और विद्यालय की देखरेख के लिए पूरे समय काम करने वाला निदेशक नियुक्त किया जाए। परिषद ने कई ग्राम विद्यालयों की कार्यकारिणी समिति की रिपोर्टों पर विचार करके उन्हे स्वीकार कर लिया।

ग्राम विद्यालयों का उद्देश्य गांवों के छात्रों को उन्ही के वातावरण में ऐसी उच्च शिक्षा देना है जिससे वे गावों का नेतृत्व कर सकें और भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए सीखे हुए कार्यकर्ता मिल सकें।

[श्रीमाली समिति के रिपोर्ट के आधार पर पहली बार १९५६ मे दस ग्राम-विद्यालय स्थापित किए गए। एक और विद्यालय १९५९ मे राजपुरा के कस्तूरबा सेवा मन्दिर में खोला गया। विद्यालयो की शिक्षा में ग्रामोपयोगी व्यावहारिक ज्ञान और कार्य पर अधिक जोर दिया जाता है।]

हिन्दी प्रसार के लिए केन्द्रीय निदेशालय

हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय मे केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई है। सरकार हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों, हिन्दी के प्रचार और प्रसार, विदेशी समझौतों के अनुवाद, कोष आदि तैयार करने के बारे में जो निर्णय करेगी, उसे लागू करने की सारी जिम्मेदारी इस निदेशालय पर होगी।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा-माध्यम : शिक्षा मन्त्री का वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने १६ मार्च को लोकसभा की मेज पर इस आशय का वक्तव्य रखा :

देश के विश्वविद्यालय स्वाधिकारी सगठन है और वे अपने यहां पढ़ाई का माध्यम चुनने के पूरे अधिकारी हैं। इस सम्बन्ध में यदि भारत सरकार उन्हे कोई आदेश देती है तो यह उनके अधिकारों का हनन होगा और नियमानुकूल न होगा।

भारत सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझती है कि विश्वविद्यालयों में पढाई का ऊचा स्तर रहे। इसी को ध्यान में रखकर उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियुक्त किया। यह आयोग मुख्यत. सलाह देने का ही काम करता है। उसका एक काम यह भी है कि वह विश्वविद्यालयों के सहयोग से ऐसे सभी काम करे जिससे विश्वविद्यालयों में पढाई, अनुसंधान और परीक्षा का स्तर ऊचा उठे। पढाई का माध्यम महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका असर देश की शिक्षा के स्तर पर पडता है।

आयोग का प्रस्ताव

१७ और १८ जून, १९५९ को आयोग की बैठक हुई थी, जिसमे उसने पढाई के माध्यम पर विचार किया और यह प्रस्ताव पास किया :

"विश्वविद्यालयों मे पढाई के माध्यम के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए गए और जो काम किए गए, उन्हे आयोग ने देखा और इस पर सहमत है कि एक कार्यालय नियुक्त किया जाए, जो इस प्रश्न का अधिक अध्ययन करे और ऐसी योजना बनाए, जिससे पढाई का माध्यम धीरे-धीरे अंग्रेजी से भारतीय भाषा हो जाए। ऐसा करने में अंग्रेजी का स्तर भी ऊंचा बना रहे। बाद में इस सम्बन्ध में गोष्ठी की जाए।"

इस प्रस्ताव के अनुसार आयोग ने विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा को पढ़ाई का माध्यम बनाने के बारे मे अध्ययन करने के लिए कार्यदल नियुक्त किया। दल की पहली बैठक १५ फरवरी, १९६० को हुई, जिसका आरम्भ आयोग के अध्यक्ष ने किया। दल ने कहा कि उसका मुख्य काम इसके बारे में सुझाव देना है कि यदि कोई विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषा या हिन्दी को पढाई का माध्यम बनाना चाहे तो उसके लिए किस प्रकार तैयारी की जाए। इस पर दल ने विचार किया और निर्णय किया कि सभी सदस्य इस पर अपने सुझाव लिखकर भेजेंगे। इन सब सुझावों पर फिर १९ अप्रैल, १९६० को दिल्ली की बैठक में विचार किया जाएगा।

देश मे अनेक विश्वविद्यालयों ने कुछ कक्षाओं में पढाई का माध्यम हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा को बनाया है या बनाने वाले हैं। देश में ४० विश्वविद्यालयों में से ३६ विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के अधीन हैं। इनका जिम्मा राज्य सरकारों पर ही है। बाकी जो ४ विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं, उन्हे भी भारत सरकार पढाई के माध्यम के बारे में कोई आदेश नही दे सकती।

संगीत नाटक अकादमी के १९५९-६० के पुरस्कार

संगीत नाटक अकादमी ने सगीत, नृत्य नाटक और फिल्मों के लिए १९५९-६० के निम्नलिखित अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है :

हिन्दुस्तानी संगीत

गायन	उस्ताद अल्ताफ हुसेन खा
वादन	उस्ताद वहीद खा (सितार)

कर्नाटक संगीत

गायन	श्री मदुरई मणि अय्यर
वादन	श्री शर्मादेवी एल० सुब्रमण्य शास्त्री (वीणा)

नृत्य

सुप्रसिद्ध रचनात्मक कलाकार श्री उदय शंकर

नाटक

अभिनय	श्री अशरफ खा (गुजराती)
	श्री गोपाल गोविन्द उर्फ नानासाहिब फाटक (मराठी)
	श्री सी० आई० परमेश्वरन पिल्लई (मलयालम)

फिल्म

अभिनय	श्री छवि बिस्वास

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय की स्थापना

भारत सरकार ने हिन्दी साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए आगरा में एक केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय की स्थापना की है। इस महाविद्यालय में हिन्दी के अध्यापकों को शिक्षण देने तथा हिन्दी अध्यापन के सम्बन्ध में अनुसंधान करने की व्यवस्था रहेगी।

महाविद्यालय का प्रबन्ध एक केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल के हाथ में दिया गया है जिसे इस संस्था के प्रबन्ध में पूरे अधिकार होंगे। श्री एम० सत्यनारायण, संसद-सदस्य, इस शिक्षण मंडल के अध्यक्ष होंगे। इस मंडल की एक प्रबन्ध परिषद भी होगी, जो कार्यकारी परिषद के रूप में काम करेगी। मंडल के अध्यक्ष इस परिषद के भी पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त इस परिषद में भारत सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे, जो वही होंगे जो सरकार की ओर से मंडल में होंगे और मंडल के सदस्यों में से ४ को शिक्षा मंत्रालय इस परिषद का सदस्य नियुक्त करेगा। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल और प्रबन्ध परिषद के सदस्यों का कार्य-काल ५ वर्ष होगा।

इस समय प्रबन्ध परिषद के सदस्य इस प्रकार हैं : सर्वश्री एन० नागप्पा, विश्वनाथ प्रसाद, महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार, श्री आर० के० चक्रवर्ती, तथा केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधि।

विदेशों में हिन्दी के प्राध्यापक

जहां तक सरकार को मालूम है दूसरे देशों के साथ-साथ ईरान, नेपाल, सोवियत संघ, पूर्वी अफ्रीका, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज, ब्रिटिश गियाना और जमइका में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। इस बारे में पूरी सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

यह सूचना शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने एक प्रश्न के उत्तर में ३० मार्च को लोकसभा में दी।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार ने प्रो० डी. एन. शर्मा को लेनिनग्राड स्टेट विश्वविद्यालय, सोवियत संघ में हिन्दी और भारतीय साहित्य; श्री केशव चन्द्र सिन्हा को सोवियत संघ की एक पाठशाला में हिन्दी और बंगला और डा० राम कुमार वर्मा को मास्को इन्स्टीट्यूट आफ इण्टरनेशनल रिलेशन्स में हिन्दी पढ़ाने के लिए १९५७-५८ में भेजा था।

सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद (इंडियन काउंसिल फार कल्चरल रिलेशन्स) ने दो सांस्कृतिक प्राध्यापक (एक सितम्बर १९५४ और एक अक्तूबर १९५५ में) कैरेबियन क्षेत्र में भेजा। इसी प्रकार तेहरान विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या (इण्डोलोजी) के लिए भेजा गया (अक्तूबर १९५६) एक आचार्य (प्रोफेसर) उस विश्वविद्यालय में हिन्दी की कक्षाएं भी लेता है।

विदेशी छात्रों के लिए शिविर

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए इस साल गर्मी में कश्मीर और दार्जिलिंग में शिविर लगाने का निर्णय किया है। ये शिविर १६ मई और १४ जून, १९६० में लगाए जाएंगे। इनमें विद्यार्थियों की कुल संख्या के २० प्रतिशत भारतीय विद्यार्थी भी भाग ले सकेंगे। यहां पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के अनुरोध पर ही शिविर के स्थान चुने गए हैं।

कश्मीर का शिविर पहले श्रीनगर में *और फिर गुलमर्ग तथा पहलगाम में लगाया* जाएगा। मौसम के अनुकूल होने पर कोहलाई *ग्लेशियर की भी सैर कराई जाएगी।* दार्जिलिंग के शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थी आसपास के रमणीक स्थान, पर्वतारोहण-संस्था और बौद्ध मठ देखेंगे।

शिविर में भाग लेने के लिए प्रति छात्र २०० रु० शुल्क रखा गया है। इसमें भोजन, आवास, रमणीक स्थानों की सैर, आने-जाने का खर्चा आदि शामिल है।

ये शिविर विदेशी छात्रों को आपस में मिलने और देश के विभिन्न भागों को देखने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही मनोरंजक होते हुए शिक्षाप्रद भी होते हैं। इनमें वाद-विवाद, चर्चा, सांस्कृतिक समारोह आदि होता रहता है। देश के अग्रगण्य शिक्षाविद तथा अन्य विद्वानों को शिविरों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

विभिन्न राज्यों की इंजीनियरी संस्थाओं में समान वेतन-क्रम

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मन्त्री, डा० हुमायूं कबीर ने २४ मार्च को लोकसभा *में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सभी राज्यों* की पालिटेक्नीक संस्थाओं में कर्मचारियों *का वेतन-क्रम एक समान करने का प्रस्ताव है।*

डा० हुमायूं कबीर ने बताया कि डिग्री कोर्स पढ़ाने वाली संस्थाओं के एसिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और वर्कशाप सुपरिंटेंडेंट के लिए समान वेतन-क्रम का प्रस्ताव रखा गया है। प्रिंसिपल और प्रोफेसरों का वेतन-क्रम संबंधित राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के बराबर किया जाएगा।

डा० कबीर ने बताया कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर राज्यों ने यह सूचना दी है कि इस योजना को लागू करने पर उन्हें प्रतिवर्ष ११ लाख ५६ हजार रु० की आवश्यकता पड़ेगी। आसाम और मध्य प्रदेश ने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया है और उनके अनुमित खर्च के ब्योरों की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य राज्यों ने इस योजना को स्वीकार करने के बारे में सूचना नहीं दी है।

व्यावहारिक ज्योतिष में अनुसंधान और ट्रेनिंग

लोकसभा में २१ मार्च को शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने बताया कि *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग* ने दूसरी योजना की अवधि में व्यावहारिक ज्योतिष *विद्या में अनुसंधान और ट्रेनिंग के लिए* निजामिया वेधशाला, उस्मानिया विश्वविद्यालय को चुना था और वहां सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। यह उसने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर किया।

इस प्रयोगशाला के लिए बडी दूरबीन अमरीका में बनाई जा रही है।

डा० श्रीमाली ने बताया कि ज्योतिष-शास्त्र ज्योतिभौतिकी में अनुसंधान और ट्रेनिंग के लिए अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को चुना था।

विश्वविद्यालयों में भर्ती की उम्र

लोकसभा में १६ मार्च को शिक्षा मन्त्री, कालूलाल श्रीमाली ने एक प्रश्न के उत्तर मे बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों मे भर्ती होने के लिए न्यनतम उम्र तय करने का निर्णय किया है।

आयोग को यह कदम इसलिए उठाना पड़ेगा कि यहां के विश्वविद्यालयों में इतनी कच्ची उम्र के छात्र भर्ती किए जाने लगे हैं कि उनके लिए उच्च शिक्षा का पूरा फायदा उठाना सर्वथा ही असम्भव है। छात्रों के लिए न्यूनतम उम्र १७ साल तय करने का विचार है, किन्तु अभी उसे लागू करना कठिन है, इसलिए डिग्री कक्षा के पहले साल में भर्ती होने के लिए न्यूनतम उम्र १६ साल रखी जाएगी।

पंजाब सरकार के इंजीनियरी डिप्लोमाओं को मान्यता

गुरु नानक इंजीनियरी कालेज, लुधियाना और महरचन्द टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, जालन्धर के जिन छात्रों को १९५६ और १९५७ की परीक्षाओं के आधार पर पंजाब सरकार के उद्योग विभाग ने सिविल, मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी के जो डिप्लोमा दिए हैं, उन्हें भारत सरकार ने मान्यता देने का निश्चय किया है।

अब इन डिप्लोमा वालों को सरकार में छोटे पदों पर नौकरी दी जा सकती है। बोर्ड आफ असेसमेंट आफ टेक्नीकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ने जो साधारण नियम बनाए हैं उनके आधार पर यह मान्यता दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

लोकसभा में २४ मार्च को एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मन्त्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य शिक्षा योजनाओं पर १९५६-५९ में १२.४३ लाख रुपये खर्च किए गए और १९५९-६० में २३.६७ लाख रुपये खर्च करने का विचार है। द्वितीय योजना में योजना आयोग ने इसके लिए ४६.६६ लाख रुपये स्वीकार किए हैं। निर्धारित राशि से कम खर्च होने के कारण ये हैं : प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण कुछ योजनाओं को देरी से शुरू करना; कार्यकर्ताओं का अभाव; भवन बनाने के लिए स्थान का न मिलना और बुनियादी स्कूलों के खेतों के लिए जमीन मिलने में कठिनाई।

नागार्जुनकोंडा में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति उप-मन्त्री, डा० मनमोहन दास ने ३० मार्च को लोकसभा में बताया कि नागार्जुनकोंडा में खुदाई में पाषाण युग के छोटे और बड़े पत्थरों के औजार आदि मिले हैं। खुदाई में ईसा की शुरू शताब्दी की बड़ी इमारतें, सिक्के, मूर्तियां और लेख आदि भी मिले।

डा० दास ने बताया कि खुदाई में पाई गई वस्तुएं नागार्जुनकोंडा के संग्रहालय में रखी जाएंगी। यह संग्रहालय नागार्जुनकोंडा में पहाड़ी के ऊपर बनाया जा रहा है।

बाल साहित्य रचनालयों की स्थापना

लोकसभा में ३० मार्च को शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि लेखकों को बाल साहित्य की रचना की कला सिखाने के लिए साहित्य रचनालयों की स्थापना के वास्ते १० राज्यों को १९५५-५६ से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार प्रौढ साहित्य की कला सिखाने के लिए भी १० राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के साहित्य रचनालयों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

१९५९-६० में ३९ लेखकों ने बाल साहित्य रचना की कला की ट्रेनिंग ली।

संस्कृत के प्रचार के लिए अधिक धन

एक प्रश्न के उत्तर में ३० मार्च को लोकसभा में शिक्षा मन्त्री ने बताया कि भारत सरकार ने गत दस वर्षों में संस्कृत के प्रचार के लिए २०,७५,७४३ रु० खर्च किया है और संस्कृत आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् संस्कृत के प्रचार के लिए नियत धन राशि बढ़ा दी है।



गुप्त रोगों के नये चिकित्सालय

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एसोसिएशन फॉर मॉरल एण्ड सोशल हाइजीन को १९६०-६१ में भारत में चार नये गुप्त रोग चिकित्सालय खोलने की अनुमति दी है।

गुप्त रोगों के बारे में की गई जांच से पता लगता है कि बड़े शहरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमानतः ५ से ७ प्रतिशत लोग सिफलिस के रोगी हैं। देहाती क्षेत्रों में गुप्त रोगों के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। हाल ही के कुछ वर्षों में जो पड़तालें की गई हैं, उनसे पता चलता है कि कश्मीर से आसाम तक, हिमालय तराई क्षेत्र में सिफलिस के रोगी बहुत हैं।

अधिकांशतः १५ से ३५ वर्ष की आयु के लोगों में सिफलिस के रोगी बहुत हैं और ८० प्रतिशत रोग इसी आयु-वर्ग के लोगों द्वारा फैलता है।

रोगों की रोकथाम के लिए योजना

दूसरी योजना में गुप्त रोगों की रोकथाम के लिए एक योजना रखी गई है और इसके लिए ८४ लाख २८ हजार रु० की व्यवस्था है। इसमें से ५८ लाख ६७ हजार रु० केन्द्रीय सरकार देगी।

इस योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों की राजधानियों तथा ७५ जिला-मुकामों में एक-एक गुप्त रोग चिकित्सालय खोलने का कार्यक्रम है। भारत सरकार प्रत्येक चिकित्सालय का ७५ प्रतिशत अनावर्तक व्यय उठाएगी, जो अधिक से अधिक १५ हजार रु० तक होगा। प्रत्येक अस्पताल का ५० प्रतिशत आवर्तक व्यय, जो अधिक से अधिक १ लाख ५५ हजार

६० तक होगा, केन्द्रीय सरकार उठाएगी।

योजना की प्रगति

दिसम्बर १९५९ तक तीन राज्यों की राजधानियों तथा ३७ जिला-मुख्यालयों में चिकित्सालय खोले जा चुके हैं। सफदरजंग अस्पताल, नयी दिल्ली, तथा गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, मद्रास, में गुप्त रोग चिकित्सा की ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की गई है।

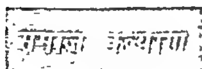
हिमाचल प्रदेश के महासू जिले में रोगों की पड़ताल की जा रही है तथा रोगियों के इलाज की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के जौनसार बावर क्षेत्र में भी जल्दी ही एक पड़ताल शुरू की जाएगी। विभिन्न बन्दरगाहों पर भी ऐसे रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है।

मद्रास में बी० सी० जी० के सूखे टीके बनाने की योजना

भारत सरकार ने मद्रास की बी०सी०जी० टीके की प्रयोगशाला में परीक्षण के तौर पर बी०सी०जी० के सूखे टीके (फ्रीज ड्राइड) बनाने का निर्णय किया है। ये टीके इस साल के मध्य में बनने शुरू हो जाएंगे।

बी०सी०जी० के तरल टीकों को दूर-दूर गावों में ले जाना और उन्हें अधिक समय तक रखना कठिन है। इसलिए सूखे टीके बनाने का निश्चय किया गया।

सूखे टीके बनाने के लिए फ्रांस से मशीनें मंगाई गईं और वहां के इंजीनियरों ने ही देश के कारीगरों को टीके तैयार करने की ट्रेनिंग दी है। इस कारखाने में एक पाली में ५०-६० सूखे टीकों की ४,००० शीशियां (एम्प्यूल) बनाई जा सकती हैं।



राज्य मण्डलों के अध्यक्षों का सम्मेलन

१७ मार्च को नयी दिल्ली में राज्यों के समाज कल्याण सलाहकार मण्डलों के सदस्यों के छठे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने कहा, "सरकार को इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन के काम में उसे जनता का सहयोग मिले तथा अधिक से अधिक लोग इसमें सक्रिय भाग ले सकें।"

मन्त्री महोदय ने कहा कि समाजवादी समाज व्यवस्था में सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ना अनिवार्य है। किन्तु लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण का जो सिद्धान्त अपनाया जा रहा है, उसमें इन कामों में जनता के सहयोग पर अधिक जोर दिया गया है। डा० श्रीमाली ने कहा कि यह आवश्यक है कि महिला और बच्चों की भलाई की तथा शिक्षा की अधिक जिम्मेदारी समाज ले।

मन्त्री महोदय ने कहा कि समाज कल्याण कार्यों में जनता को शामिल करने के प्रश्न पर मन्त्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल और योजना आयोग विचार कर रहा है। डा० श्रीमाली ने कहा कि यहां समाज कल्याण का इतना विशाल क्षेत्र है कि गैर-सरकारी तथा सरकारी संस्थाओं के कामों में कभी भी प्रतिद्वन्द्विता पैदा होने की सम्भावना नहीं है।

डा० श्रीमाली ने समाज कल्याण के काम का स्तर ऊंचा करने पर जोर दिया। केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल लोगों को इस काम में ट्रेनिंग देने के लिए जो काम कर रहा है, डा० श्रीमाली ने उसकी सराहना की। उन्होंने समाज-कार्यकर्ताओं से यह अपील की कि वे खर्च करते समय बहुत सावधानी बरतें।

श्रीमती देशमुख का भाषण

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की अध्यक्ष, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने कहा कि गावों में स्त्रियों, बच्चों और अपंगों के हित के कार्यक्रम सेवा संगठनों के हाथ में रहने बहुत जरूरी हैं। जिन राज्यों में पंचायत अधिनियम लागू हो गए हैं, वहां भी समाज के हित के कार्यक्रमों को अच्छी तरह से चलाने के लिए इन संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है।

समाज सेवी संगठनों का काम

श्रीमती देशमुख ने कहा कि देश में लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण करने का निश्चय किया गया है। अतः आगे के सब सरकारी कार्यक्रम इस बात को ध्यान में रख कर बनाए जाएंगे। पर शासन व्यवस्था में परिवर्तन से यह नहीं होना चाहिए कि जो संस्थाएं राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं, वे समाप्त हो जाएं। सेवा संस्थाएं इस श्रेणी में आती हैं, यदि इन संस्थाओं पर पंचायत समितियों का नियंत्रण रहेगा तो ये कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकेंगी।

श्रीमती देशमुख ने कहा कि यह दावा किया जाता है कि राज्यों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी पंचायत समितियों पर होगी और यही काम करने वाली अन्य किसी संस्था के लिए कोई स्थान नहीं होगा। पर अब तक यह नीति रही है कि स्त्रियों, बच्चों और अपंगों की भलाई के काम समाजसेवी संस्थाएं करें। अब यदि पंचायत समितियों के हाथ में यह काम जाता है तो यह इस नीति के विरुद्ध होगा। दूसरे, पंचायत समितियों के पास कम धन और कम अनुभव होने के कारण समाज हित के कामों की उपेक्षा का भी बहुत डर है। तीसरे, चुनी हुई पंचायतों के हाथ में यह काम होने से इस पर दलगत राजनीति का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, जबकि समाज हित के कामों को राजनीति से अलग रखने की नितान्त आवश्यकता है। साथ ही पंचायत समितियों के हाथ में ही सब काम होने से काम के विकेन्द्रीकरण के स्थान पर उसका केन्द्रीकरण होगा।

श्रीमती देशमुख ने कहा कि ये बातें बहुत महत्व की हैं और यह जरूरी है कि इन पर केन्द्रीय सरकार विचार करे। श्रीमती देशमुख ने बताया कि उन्हें मालूम है कि योजना आयोग और सम्बन्धित मन्त्रालय इस समस्या के सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी आशा है कि इसका कोई हल अवश्य निकल आएगा।

कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग

सामाजिक कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग की आवश्यकता के बारे में बताते हुए श्रीमती देशमुख ने कहा कि सेवा संगठनों को अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का स्वयं प्रबन्ध करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इस काम को पूरी तरह से सरकार पर छोड़ देना ठीक नहीं है।

अनुदान

सरकारी सहायता का जिक्र करते हुए श्रीमती देशमुख ने कहा कि हमें समाज सेवा के काम का अब इतना अनुभव हो गया है कि हम समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान देने के बारे में नियम बना सकें। इन नियमों के बन जाने से बहुत लाभ होने की आशा है। श्रीमती देशमुख ने कहा कि मान्यताप्राप्त समाजसेवी संस्थाओं को शिक्षा संस्थाओं की तरह ही अपने खर्च का निश्चित हिस्सा नियमित रूप से मिलने लगे, इस काम में अभी समय लगेगा।

श्रीमती देशमुख ने समाज कल्याण के अध्ययन दल की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की कि राज्य सरकारें, राज्यों के समाज कल्याण मण्डलों की सिफारिश पर ही समाज-सेवी संस्थाओं को अनुदान दें। साथ ही केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल को केवल पूंजीगत खर्च और विकास कार्यों के खर्च के लिए ही अनुदान देना चाहिए। इससे राज्य सरकारों को नियमित रूप से हर साल कुछ लाख रु० का अनुदान देना होगा। इससे यह भी लाभ होगा कि राज्य सरकारें अपने समाज कल्याण विभागों और समाज कल्याण सलाहकार मण्डलों के लिए अलग-अलग काम निर्धारित कर देंगी। इससे राज्यों के मण्डल बिना किसी कठिनाई के समाजसेवी संस्थाओं को यथा-समय अनुदान दे सकेंगे। समाज के हित की योजनाओं को कुशलतापूर्वक चलाने का यही एकमात्र तरीका है।

श्रीमती देशमुख ने बताया कि केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल और इसके सम्बन्धित संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मान्यता मिली है। देश में हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र संघ की एशिया और सुदूरपूर्व में समाज सेवाओं का प्रबन्ध करने वाली संस्था का सम्मेलन होना इस बात का प्रमाण है।

उन्होंने बताया कि मण्डल को स्वशासी संस्था बनाने पर सरकार विचार कर रही है।

अन्त में श्रीमती देशमुख ने कहा कि समाज सेवा के कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए लगन वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो अपना पूरा समय इसी काम में लगाएं। इन लोगों को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सा काम किस तरीके से किया जाना है। इनकी मदद के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति भी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए।

सम्मेलन की कार्रवाई

सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि समाज कल्याण के कार्यक्रमों की कोई आर्थिक बुनियाद होनी चाहिए। सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की प्रधान, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कर रही थीं।

समाज कल्याण के काम में स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं के महत्व पर विचार किया गया। राज्यों के समाज कल्याण मण्डलों के अध्यक्षों ने यह मत प्रकट किया कि स्त्रियों तथा बच्चों की भलाई के कामों को इन संस्थाओं के हाथ में ही रहने देना चाहिए। पंचायतों तथा जिला परिषदों को उनमें दखल नहीं देना चाहिए। यह मत भी प्रकट किया गया कि ये संस्थाएं पंचायत-समितियों के सहयोग से काम करें।

सम्मेलन में समाज कल्याण कर्मचारियों की नौकरी की स्थिति में सुधार करने पर जोर दिया गया और कहा गया कि समाज कल्याण सेवाओं का एक संवर्ग बना दिया जाए।

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने कहा कि समाज कल्याण के काम का काफी विस्तार हो रहा है और यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की नौकरी की स्थिति में सुधार किया जाए।

समाज हितकारी संस्थाओं को अनुदान

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल ने अपनी पिछली बैठक में समाज के हित के काम करने वाली २,२६८ संस्थाओं को ३५ लाख ३५ हजार रु० के अनुदान मंजूर किए।

६८९ संस्थाओं को पहली बार ही अनुदान दिया गया।

८९३ बाल हितकारी संस्थाओं को ११ लाख ५४ हजार ८०० रु० और स्त्रियों की भलाई के काम करने वाली ८१५ संस्थाओं को १३ लाख १९ हजार रु० अनुदान दिया गया।

अपंगों की देखभाल का काम करने वाली ३६ संस्थाओं को कुल १ लाख ३१ हजार रु० का अनुदान दिया गया। मण्डल ने सार्वजनिक हित के काम करने वाली ५२६ अन्य संस्थाओं को ७ लाख ३० हजार रु० दिया।

केन्द्रीय मण्डल सामुदायिक विकास, शिक्षा के प्रसार, डाक्टरी सहायता, प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति और विशेष साज-सामान खरीदने के लिए सेवा संस्थाओं को अनुदान देता है।

मण्डल ने १९५९ के अन्त तक बच्चों, स्त्रियों और अपंगों के हित के काम करने वाली ५,१७० संस्थाओं को २ करोड़ ९७ लाख रु० की सहायता दी।

विस्थापित दावेदारों को अनिवार्यतः सम्पत्ति अलाट करने की योजना

पुनस्संस्थापन मंत्रालय की २० मार्च की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार ने विस्थापित दावेदारों को अनिवार्यतः सम्पत्ति अलाट करने की योजना घोषित कर दी है।

पश्चिम पाकिस्तान के जिन विस्थापितों ने सम्पत्ति के लिए दावे किए थे, उन्हें सामान्यतः निष्क्रान्त सम्पत्ति या सरकार द्वारा बनाए गए मकान दिए जाते थे। दावेदार को उसके हिसाब का विवरण दे दिया जाता था, जिससे वह इन मकानों में से अपनी इच्छा से उस मूल्य का मकान ले सके।

सरकार ने ऐसे दावेदारों को समय-समय पर रियायतें देने की घोषणाएं भी की थीं। दावेदार इन मकानों को अकेले खरीदने के अलावा अन्य दावेदारों के साथ मिलकर भी खरीद सकता था।

इन रियायतों के बावजूद देखा गया कि दावेदार इनका कोई उपयोग नहीं करते थे और यह समझते थे कि यदि वे मकान नहीं लेंगे, तो सरकार अन्त में उन्हें नकद मुआवजा दे देगी। परन्तु सरकार के लिए यह सम्भव

था, क्योंकि विस्थापितों को जिस निधि से मुआवजा देना था उसमें मुख्यतः सम्पत्ति के रूप ही था ।

पुनर्वास मन्त्रालय को अपना काम खत्म करना है और साथ ही मकान खाली हो रहे हैं । इस सरकार ने जनवरी १९५९ में विज्ञप्ति निकाल कर घोषणा की कि जो विस्थापित मुआवजे का हिसाब पाने के ६ महीने के अन्दर या १५ जुलाई १९५९ तक जो भी बाद में हो सम्पत्ति नहीं ले लेंगे उन्हें सेटलमेंट कमिश्नर स्वयं सम्पत्ति अलाट कर देंगे । बाद में यह तारीख १५ अक्तूबर, १९५९, अथवा उस समय तक बढ़ा दी गई जब सेटलमेंट कमिश्नर उन्हें सम्पत्ति अलाट करें ।

अब सरकार ने ऐसे मामलों को निपटाने के लिए योजना बनाई है जो इस प्रकार है :

(१) जहां तक सम्भव हो, विस्थापित को उतनी ही रकम की सम्पत्ति अलाट की जाएगी जितने का उसका हिसाब होगा ।

(२) यदि सम्पत्ति मुआवजे से अधिक मूल्य की है तो विस्थापित २५ प्रतिशत या १,००० रु० अधिक तक, जो भी कम हो, नहीं देगा ।

(३) परन्तु यदि सम्पत्ति का मूल्य इससे भी अधिक है, तो वह सम्पत्ति विस्थापित को तभी दी जाएगी, जब वह उस अधिक मूल्य को नकद भुगता दे या उतने मूल्य के अन्य विस्थापितों के मुआवजे का हिसाब दे दे ।

(४) यदि विस्थापित को मुआवजे से कम की सम्पत्ति अलाट हुई है और उसका मुआवजा १०,००० रु० तक है, तो उसे ५०० रु० से कम बकाये को ५-५ रु० के नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा और इस हिसाब से भी कुछ बाकी रहा, तो वह नकद दे दिया जाएगा । यदि मुआवजा १०,००० रु० से अधिक का है, तो उसे इसी तरह १,००० रु० तक नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा । यदि उक्त दोनों मामलों में विस्थापित को क्रमशः ५०० रु० या १,००० रु० से अधिक देना है, तो उसे उस पूरी बाकी रकम का हिसाब का नया विवरण दे दिया जाएगा ।

(५) यदि जरूरत पड़ी तो विस्थापित को एक से अधिक मकान अलाट किए जा सकते हैं ।

विस्थापितों का ध्यान विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्स्थापन) नियमावली के नियम १३ के उपनियम (४) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि विस्थापित को जब अनिवार्य सम्पत्ति अलाट कर दी जाती है, तो यह भी मान लिया जाता है कि वह इससे सन्तुष्ट है ।

पिछड़े वर्गों की भलाई पर सरकारी व्यय

पिछड़े वर्गों की भलाई की योजनाओं पर सन् १९५८-५९ में हर महीने औसतन १ करोड़ २० लाख रु० खर्च किए गए । चालू वर्ष में इसके लिए प्रतिमास १ करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था है ।

पिछले साल, १९५८-५९ में, इन योजनाओं पर कुल १४ करोड़ २० लाख रु० खर्च हुआ, जिसमें से ९ करोड़ ९३ लाख ९० हजार रु० केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने बराबर-बराबर दिया और ४ करोड़ २० लाख रु० केवल केन्द्र ने दिया ।

सन् १९५९-६० के लिए १२ करोड़ २० लाख रु० की व्यवस्था है, जिसमें से केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिलकर ५ करोड़ ७७ लाख १५ हजार रु० देंगी और अकेली केन्द्रीय सरकार ६ करोड़ ४३ लाख ३१ हजार ९०० रु० और देगी । इस रकम के अलावा, १ करोड़ १५ लाख ९८ हजार रु० पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति के लिए रखा गया है । दूसरी योजना की अवधि में ९० करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था की गई है ।

'पिछड़े वर्गों' के अन्तर्गत (१) अनुसूचित जातियां, (२) अनुसूचित आदिम जातियां और (३) भूतपूर्व अपराध-वृत्ति वाली जातियां शामिल हैं । संविधान ने भारत सरकार और राज्य सरकारों को इन वर्गों की उन्नति का और अस्पृश्यता आदि के कारण उत्पन्न बाधाओं को हटाने का दायित्व सौंपा है ।

अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ५ करोड़ ५३ लाख और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की संख्या २ करोड़ २५ लाख है । इनके अलावा गैर-अधिसूचित लोगों की संख्या ४० लाख है ।

हरिजनों को विशेष सुविधाएं

३० मार्च को लोकसभा में स्वराष्ट्र उपमन्त्री, श्रीमती वायलेट अल्वा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई व्यक्ति किसी मुसलमान, ईसाई या हिन्दू के साथ शादी करने के बाद भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का अधिकारी होगा ।

विस्थापित सरकारी पेंशनपापताओं का भुगतान

वित्त मन्त्रालय (राजस्व और व्यय विभाग) की २५ मार्च की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पेंशनपापता विस्थापित कर्मचारियों को, जिनकी पेंशन की रकम अभी पाकिस्तान से नहीं मिली है, अग्रिम रूप से पेंशन की रकम देने की वर्तमान व्यवस्था अब ३० सितम्बर, १९६० तक जारी रहेगी ।



नेफा में वीरता के लिए आठ सैनिकों को अशोक चक्र

राष्ट्रपति ने ८ सैनिकों को अशोक चक्र देना स्वीकार किया है । इनमें से सेकंड लेफ्टिनेंट राजमोहन शर्मा, सूबेदार मतलाल पुन, राइफलमैन जट बहादुर थापा और श्री फुदिल्लू अगामी को अशोक चक्र, दूसरी श्रेणी, तथा ग्रेनेडियर सरदारीलाल, लांस-हवलदार बमबहादुर थापा, नायक लाल बहादुर थापा और श्री सोनो लवराज को अशोक चक्र, तीसरी श्रेणी, दिया गया है ।

विशिष्ट सेवाओं के लिए सैनिकों को सम्मान

निम्नलिखित सैनिकों के नाम जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में विशिष्ट सेवाओं तथा निष्ठापूर्वक काम करने के लिए स्थल-सेनाध्यक्ष के पास भेजे गए। इन सैनिकों को प्रशंसा-पत्र प्रदान किए गए हैं और उनकी विशिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में यह बात सेवाओं के लेखे में लिखी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर

मेजर बख्तावर सिंह (आई सी ३२२०), ६ कुमाऊं,

४१३७८९९ नायक थामी चन्द ६ कुमाऊं, और

६२६२४७२ लांस-नायक बहाल सिंह, सिगनल्स रेजिमेंट।

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण

कप्तान अत्तर सिंह (आई सी १०६९२), ७ जम्मू-कश्मीर इन्फेंटरी,

१३७१४५५६ हवलदार अच्छर सिंह ७ जम्मू-कश्मीर इन्फेंटरी,

१११३९६ हव० वीर बहादुर राय, ११ आसाम राइफल्स,

४१४२२४८ लांस-नायक रामलखन सिंह, १५ कुमाऊं,

१३७१४७०७ सिपाही आश बहादुर ७ जम्मू-कश्मीर इन्फेंटरी।

हवलदार डी० एल० थालो को भी रुड़की में विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रशंसापत्र प्रदान किया गया।

मृत सेना-अधिकारियों की विधवाओं को सहायता

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की ३१ मार्च की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सेना के १२ और अधिकारियों की विधवाओं को कुल ६१,०५० रु० देना स्वीकार किया गया है। प्रत्येक को १,८७५ रु० से ८,००० रु० तक मिलेगा। जिन और अधिकारियों की १ जून, १९५३ के बाद मृत्यु हुई, उनकी विधवाओं को सहायता देने पर विचार किया जा रहा है।

तीनों सेनाओं के जिन अधिकारियों की मृत्यु १ जून, १९५३ को या उसके बाद हुई, परन्तु नौकरी करते हुए ही किसी घाव या बीमारी से नहीं हुई, उनकी पत्नियों और बच्चों की सहायता देने के लिए १९५८ में कम्पैशनेट ग्रेच्युटी फण्ड (प्रतिरक्षा सेवा) खोला गया था।

इसके अन्तर्गत ४ लाख रु० रखा गया है, जो उन अधिकारियों के परिवार वालों को दिया जाएगा, जिनकी मृत्यु १ जून, १९५३ को या उसके बाद और १ अप्रैल, १९५८ से पहले हुई। जिनकी मृत्यु १ अप्रैल, १९५८ को या उसके बाद हुई, उनके परिवार वालों को हर साल कुल मिला कर १ लाख रु० दिया जाएगा।

सेना के कमांडरों का सम्मेलन

नयी दिल्ली में २२ मार्च को सेना के कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन में भाषण देते हुए प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री कृष्ण मेनन ने कहा कि कमांडरों को सैनिकों और उनके बच्चों तथा अफसरों के बच्चों की शिक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। श्री मेनन ने कहा कि वर्तमान युग में यह आवश्यक है कि अफसरों और सैनिकों को सामयिक विषयों और विकास कार्यों की जानकारी हो।

सीमान्त विकास मण्डल की स्थापना की चर्चा करते हुए श्री मेनन ने कहा कि शीघ्र ही मण्डल की देखरेख में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने का काम शुरू होगा।

स्थल सेनाध्यक्ष, श्री के० एस० थिमैया ने सम्मेलन का समारम्भ किया। अपने भाषण में श्री थिमैया ने सेना की विभिन्न शाखाओं के कार्यों के बारे में बताया। सम्मेलन में प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सचिव, श्री ओ० पी० रेड्डी, प्रतिरक्षा मन्त्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार श्री डी० एस० कोठारी और उच्च सैनिक अधिकारी उपस्थित थे।

सिख रेजिमेंट की पांचवीं बटालियन फिर से बनी

२२ मार्च को दिल्ली के लाल किले में एक आकर्षक समारोह हुआ, जिसमें भूतपूर्व ११वीं सिख रेजिमेंट की प्रसिद्ध पांचवीं बटालियन को फिर से स्थापित किया गया और इस ७वीं बटालियन को ५वीं बटालियन बनाया गया।

पांचवीं सिख बटालियन १९०१ में स्थापित की गई थी। इस बटालियन ने देश और विदेश में बहुत-सी लड़ाइयों में बड़ा साहस दिखाया है और इसका इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण बन गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंगलैंड की संसद में इस बटालियन की बहुत प्रशंसा की गई थी।

अमरीका के नेशनल वार कालेज के छात्रों की भारत-यात्रा

अमरीका के नेशनल वार कालेज के ३५ अधिकारी-छात्रों का एक दल तीन दिन के लिए २६ मार्च को नयी दिल्ली पहुंचा। इस दल में २७ सदस्य स्थल, नौ और वायु-सेना के तथा ८ सदस्य असैनिक व्यक्ति थे। दल के नेता अमरीका की वायुसेना के मेजर जनरल जार्ड बी० स्मैथ थे। दिल्ली में दल के सदस्य प्रधान मन्त्री श्री नेहरू और प्रतिरक्षा मन्त्री से मिले।

दो पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक

राष्ट्रपति ने वीरता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट, श्री आर० पी० मोदी को पुलिस और अग्नि सेवा पदक तथा एसिस्टेंट कमांडेंट, श्री माधो सिंह को पुलिस पदक दिया है। १९ मार्च के सरकारी सूचना-पत्र में उक्त घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि इन अधिकारियों ने डाकुओं के साथ एक मुठभेड़ में वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया था।



राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

आन्ध्र प्रदेश इमारत (पट्टा, किराया और खाली कराना) नियन्त्रण विधेयक, १९५८

आजकल इमारतों को पट्टे पर देने के नियमन, किराये के नियन्त्रण और किरायेदारों को मकानों से गैर-कानूनन निकालने से रोकने के लिए इस राज्य में दो कानून हैं। इनके

मे एक तो आंध्र क्षेत्र में है और दूसरा तेलंगाना क्षेत्र में । अब उक्त विधेयक से इन दोनों कानूनों में एकरूपता आ जाएगी । आजकल उक्त दोनों कानूनों को लागू करवाने में कुछ कठिनाइयां थीं । अब ये कठिनाइयां भी नये विधेयक के लागू हो जाने पर दूर हो जाएंगी ।

राज्यों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण-सुविधाएं

प्रायः सभी राज्य सरकारें ऐसी पुस्तिकाएं प्रकाशित करेंगी जिनमें उन राज्यों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए प्राप्य प्रशिक्षण की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी ।

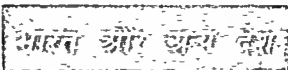
राज्यों के जनशक्ति निदेशालय इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि तीसरी योजना में उन्हें कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी और उनके लिए प्रशिक्षण की क्या सुविधाएं हैं । अब इन निदेशालयों ने केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय के जनशक्ति निदेशालय की सलाह से हाल ही में उक्त पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का काम शुरू किया है ।

कृषि, पशुपालन, मछली पालन, स्वास्थ्य, उद्योग, इंजीनियरी, प्रशासन आदि के क्षेत्र में कितने दक्ष कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, इस बारे में राज्य सरकारें अलग-अलग विस्तृत सर्वे कर रही हैं ।

इसके अलावा पांचों क्षेत्रों—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय क्षेत्र की परिषदों की जनशक्ति समितियां यह अध्ययन कर रही हैं कि उनके अपने-अपने क्षेत्र में कितने शिल्पिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी । ये समितियां यह भी विचार कर रही हैं कि अगर किसी राज्य में प्रशिक्षण देने की कोई संस्था नहीं है तो वह राज्य अपने प्रशिक्षार्थियों को पड़ोसी राज्य में भेज दे । आजकल भी कुछ राज्य अपने यहां के उम्मीदवारों को दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेज देते हैं । उदाहरणार्थ, खेती के काम की शिक्षा देने के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के उम्मीदवारों को पंजाब के कृषि स्कूल में भेजा जाता है । इसके बदले में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम सेवकों को खेती की प्रारंभिक शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा जाता है ।

सितम्बर १९५६ में मंत्रिमण्डल ने जनशक्ति निदेशालय स्थापित करने का निश्चय किया था । नवम्बर १९५६ में यह निदेशालय केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय में खोला गया । जनशक्ति पर मंत्रिमण्डल की समिति जो नीतियां बनाती है, यह निदेशालय उन्हें लागू करता है और उनमें सामंजस्य लाता है ।

यह निदेशालय योजना आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सहायता से काम करता है और विभिन्न मंत्रालयों को जनशक्ति सम्बन्धी समस्याएं हल करने में अपना सहयोग देता है । अब प्रत्येक राज्य में भी एक-एक जनशक्ति अधिकारी नियुक्त है जो इस निदेशालय को अपने राज्य की समस्याएं आदि बताता रहता है ।



मारिशस के चक्रवात-पीड़ितों की सहायता

भारत ने मारिशस के चक्रवात-पीड़ितों की सहायता के लिए जो सामान भेजा था, वह 'एस० एस० जलवीर' द्वारा पोर्ट लुई पहुंच गया तथा ११ मार्च को राजभवन में भारत सरकार की ओर से मारिशस के गवर्नर को भेंट कर दिया गया । इस अवसर पर गवर्नर और लेडी स्कॉट, उपनिवेश सचिव, वित्त सचिव और मंत्री उपस्थित थे ।

मारिशस में भारत के आयुक्त, श्री जे० एन० धमीजा ने भारत सरकार की ओर से मारिशस में चक्रवात-पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए सहायता के लिए भेजी गई वस्तुओं के सम्बन्ध में कागज-पत्र गवर्नर को दिए ।

स्पेन की फुटबाल प्रतियोगिता के लिए भारत द्वारा कप प्रदान

परराष्ट्र मंत्रालय की १८ मार्च की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारतीय खेल-सामान निर्यात वृद्धि परिषद ने स्पेनिश जूनियर लीग फुटबाल चैम्पियनशिप के लिए भारत की ओर से कप प्रदान किया है । यह मैड्रिड के मट्रोपोलिटन स्टेडियम में भारत के नियमित अधिकार स्पष्टार्थ, श्री मुहम्मद यूनस ने विजेताओं को दिया । इस अवसर पर काफी दर्शक उपस्थित थे । ·

ब्यूनॅज़-आयर्स में अशोक वृक्ष की पौध

हाल ही में ब्यूनॅज-आयर्स प्रान्त की राजधानी ला प्लाटा के पीस गार्डन में भारतीय राजदूत, श्री पी० ए० मेनन और श्रीमती मेनन ने अशोक वृक्ष की पौध लगाई और कमल के बीज बोए । ला प्लाटा की नग[illegible] विशेष रूप से यह मैदान बनाया है, जिसमें अर्जेण्टीना से राजनयिक सम्बन्ध रखने वाले सभी देशों के राष्ट्रीय फूलों के पौधे लगाए जाएंगे और पुरातत्व सम्बन्धी अवशेष रखे जाएंगे । यह मैदान विश्व-शांति के लिए उन सब देशों के प्रयत्नों का प्रतीक होगा ।

फिनलैंड में भारतीय राजदूत ने परिचय-पत्र पेश किए

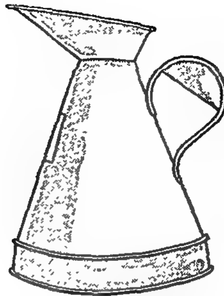
स्वीडन-स्थित भारतीय राजदूत, श्री केवल सिंह फिनलैंड के लिए भी भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं और उन्होंने २५ मार्च, १९६० को फिनलैंड के राष्ट्रपति को हेलसिनकी में अपने परिचय-पत्र पेश किए । स्मरण रहे कि पिछले फरवरी मास में जब फिनलैंड के प्रधान मंत्री भारत आए थे तो भारत और फिनलैंड की सरकारों ने अपने-अपने दूतों का दर्जा बढ़ाकर राजदूत करने का निश्चय किया था ।

क्यूबा के मनोनीत राजदूत द्वारा परिचयपत्र पेश

क्यूबा के मनोनीत राजदूत, श्री यूजनिओ सोलर अलोन्सो ने १७ मार्च को राष्ट्रपति भवन में अपना परिचयपत्र पेश किया ।

भूल-सुधार

'भारतीय समाचार' के १ अप्रैल, १९६० के अंक में तीसरे कवर पृष्ठ पर तीसरे चित्र के परिचय में और 'समाचार-दर्शन' के १३ तारीख के पहले समाचार में 'पश्चिम जर्मनी' के स्थान पर 'पूर्व जर्मनी' पढ़ें ।



और अब तरल पदार्थ मापने के मेट्रिक पैमाने

तरल पदार्थ मापने के मेट्रिक पैमाने—लिटर—का प्रयोग अप्रैल, १९६० से शुरू हो गया है।
रंग-रोगन और पेट्रोल उद्योग ने मेट्रिक प्रणाली अपना ली है।
अब रंग-रोगन लिटरों के हिसाब से बिका करेगा और पेट्रोल का वितरण भी लिटरों के हिसाब से होगा :

परिवर्तन तालिका

१ गैलन = लगभग ४½ लिटर

१ लिटर = १,००० मिलिलिटर

द्रव औंस	मिलिलिटर (मिलि०) (निकटतम मिलि० तक)
१	२८
२	५७
३	८५
४	११४
५ (=१ गिल)	१४२

गिल	मिलिलिटर (मिलि०) (निकटतम मिलिलिटर तक)
१	१४२
२	२८४
३	४२६
४ (=१ पिंट)	५६८

पिंट	लिटर (लि)	मिलिलिटर (निकटतम मिलि० तक)
१		५६८
२ (=१ क्वार्ट)	१	१३६

क्वार्ट	लिटर	मिलिलिटर (निकटतम मिलि० तक)
१	१	१३६
२	२	२७३
३	३	४०९
४ (=१ गैलन)	४	५४६

गैलन	लिटर	मिलिलिटर (निकटतम १० मिलि० तक)
१	४	५५०
२	९	९०
३	१३	६४०
४	१८	१८०
५	२२	७३०
६	२७	२८०
७	३१	८२०
८	३६	३७०
९	४०	९१०
१०	४५	४६०

गैलन	लिटर	मिलिलिटर (निकटतम १०० मिलि० तक)
२०	९०	९००
३०	१३६	४००
४०	१८१	८००
५०	२२७	३००
६०	२७२	८००
७०	३१८	२००
८०	३६३	७००
९०	४०९	१००
१००	४५४	६००

मिलिलिटर	द्रव औंस (निकटतम ¼ द्रव औंस तक)
१०	¼
२०	¾
३०	१
४०	१½
५०	१¾
६०	२
७०	२½
८०	२¾
९०	३¼
१००	३½

लिटर	गैलन	क्वार्ट	पिंट	गिल (निकटतम गिल तक)
१	–	–	१	३
२	–	१	१	२
३	–	२	१	१
४	–	३	१	–
५	१	–	–	३
६	१	१	–	२
७	१	२	–	१
८	१	३	–	–
९	१	३	१	३

मिलिलिटर	पिंट	गिल	द्रव औंस (निकटतम ½ द्रव औंस तक)
२००	–	१	२
३००	–	२	½
४००	–	२	४
५००	–	३	२½
६००	–	४	१
७००	१	०	४½
८००	१	१	३
९००	१	२	१½
१००० (=१ लिटर)	१	३	–

लिटर	गैलन	क्वार्ट	पिंट (निकटतम पिंट तक)
१०	२	१	–
२०	४	१	१
३०	६	२	१
४०	८	३	–
५०	११	–	–
६०	१३	१	–
७०	१५	१	१
८०	१७	२	१
९०	१९	३	–
१००	२२	–	–

समाचार-दर्शन

१५ मार्च से ३१ मार्च तक

मार्च

१६—भारतीय रेलों का अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक के दो सदस्यों के एक दल का तीन सप्ताह के भारत के दौरे पर नई दिल्ली आगमन

—भारत की चार सप्ताह की सद्भावना यात्रा पर युगोस्लाविया से ५ कलाकारों के एक शिष्टमण्डल का बम्बई आगमन

१७—राज्यों के समाज कल्याण मण्डलों के अध्यक्षों का सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ

—लक्ष द्वीपसमूह को बाकी देश से मिलाने के लिए वहां ३ नये बेतार केन्द्रों का उद्घाटन

१९—राष्ट्रीय विकास परिषद् की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में आरम्भ

२१—नई दिल्ली में नये भारत-पाक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

—नई दिल्ली में भारत सरकार और काहिरा की मिस्र व्यापार कम्पनी के बीच भारत को सन् १९६० में एक लाख टन चावल सप्लाई करने के लिए समझौता

—भारत सरकार द्वारा बैंकों के लिए एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाने के निर्णय की घोषणा

२३—दोहरे आयकर से बचाव के भारत-नार्वे समझौते के स्वीकृति-पत्रों का ओसलो में आदान-प्रदान

—ग्राम उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की सातवीं बैठक नई दिल्ली में आरम्भ

२५—भारत में घड़ियों का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में नई दिल्ली में भारत सरकार और जापान की सिटीजन वाच कम्पनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर

—भारत में चल रहे मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के लिए ७,५४० लांग टन अतिरिक्त डी०डी०टी० खरीदने के बारे में नई दिल्ली में भारत सरकार और अमरीकी प्राविधिक सहयोग मिशन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर

मार्च

—कुण्डा पनबिजली योजना के पहले बिजली घर का प्रधान मन्त्री श्री नेहरू द्वारा उद्घाटन

२६—विश्व बैंक के ६ सदस्यों के मिशन के नेता श्री माइकल हाफमैन का नई दिल्ली आगमन

—नई दिल्ली में परिवहन विकास परिषद का दो दिन का सम्मेलन आरम्भ

२७—२४ मार्च को मन्त्रि-स्तर पर शुरू हुई भारत-पाक विर्तीय वार्ता रावलपिंडी में समाप्त

—भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के ३३वें वार्षिक अधि-वेशन का प्रधान मन्त्री द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटन

२८—कम्पनियों में नियुक्त किए जाने वाले सचिवों की मूल योग्यता निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक सलाहका मण्डल नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा

२९—संयुक्त अरब गणराज्य के प्रेज़ीडेंट परम श्रेष्ठ गमाल अब्दुल नासिर का १२ दिन की भारत-यात्रा पर नई दिल्ली आगम

—रूस के भूगर्भ और खान साधनों के मन्त्री, श्री एन्तोपोव ४ सोवियत भूगर्भ शास्त्रियों के साथ १५ दिन की भार यात्रा पर आगमन

३०—ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित छठी राष्ट्रीय क प्रदर्शनी का उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन द्वारा नई दि में उद्घाटन

३१—अप्रैल-सितम्बर १९६० के लिए भारत सरकार की आया नीति की घोषणा

—संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा भारत को बेचे जाने बा चावल के मूल्य की रकम (४ करोड़ रुपये) के उपयोग सम्बन्ध में भारत सरकार और मिस्र व्यापार कम्पनी बीच समझौता।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली–८ द्वारा सम्पादित तथा
ओरियण्ट प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली–६ द्वारा द्दित

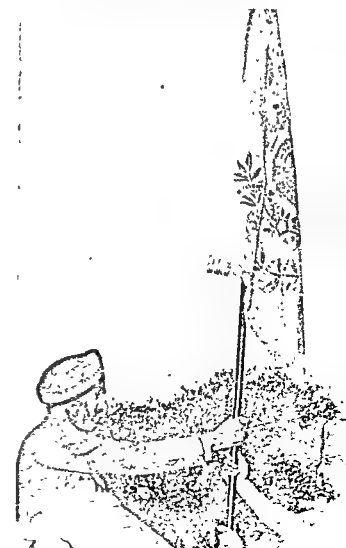
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डा० श्रीमाली नयी दिल्ली में १७ मार्च को राज्यों के समाज कल्याण सलाहकार मण्डलों के अध्यक्षों के छठे वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए



केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्री, श्री के.सी. रेड्डी नयी दिल्ली में ३१ मार्च को आकाशवाणी ऑडिटोरियम की इमारत के निर्माण-कार्य का शुभारम्भ करते हुए



२२ मार्च को दिल्ली के लाल किले में हुए एक समारो
सिख रेजीमेंट की ७वीं बटालियन का नया नामकरण हुआ
इसे ५वीं सिख बटालियन बना दिया गया



रजिस्टर्ड न
डी०–९४



नयी दिल्ली में २७ मार्च को एक समारोह में सोवियत सरकार की ओर से एक घोड़ा और एक गाय सोवियत राजदूत परमश्रेष्ठ श्री बेनेडिक्तोव द्वारा प्रधान मन्त्री को भेंट की गई। चित्र में प्रधान मन्त्री भेंट में मिली गाय 'लेवशा' को कुछ खिला रहे हैं

केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने १ अप्रैल को दिल्ली में इनामी बाण्ड योजना का उद्घाटन किया। चित्र में वित्त मन्त्री, केन्द्रीय सचार और परिवहन मन्त्री, डा० सुब्बारायण ॥ इस अवसर पर खरीदे गए बाड को देख रहे हैं

भारतीय समाचार



वर्ष ३ | १ अप्रैल, १९६० (१२ चैत्र, १८८२) | अङ्क ५



हंगरी के मनोनीत राजदूत डा० लासलो रोजाई राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में १० मार्च को अपने प्रमाण-पत्र राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद को पेश करते हुए



भारत के ३ सप्ताह के दौरे पर आये हुए स्पेनिश प्रेस प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य १३ मार्च को नयी दिल्ली में उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन के साथ



धोलपुर (राजस्थान)
समीप चम्बल नदी पर
नये पुल का १५ मार्च
उद्घाटन करने के बा
प्रधान मंत्री श्री जवाह
लाल नेहरू पुल पर च
हुए—मध्य प्रदेश के मु
मंत्री डा० काटजू भी चि
में दिखायी पड़ रहे

भारतीय समाचार

वर्ष ३ | १ अप्रैल, १९६० | १२ चैत्र, १८८२ | अङ्क ५

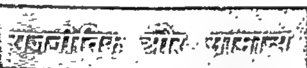
एक प्रति रु० ०.२५ १ शिलिंग १४ सेंट

वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद १५ मार्च को राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली में पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री श्री हफीजुर रहमान से बातचीत करते हुए

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



केन्द्रीय मन्त्रालयों के खर्च में कमी

वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने ८ मार्च को लोकसभा की मेज पर एक वक्तव्य रखा, जिसमें बताया गया है कि केन्द्रीय मितव्यय मंडल के कहने पर विभिन्न मन्त्रालयों के खर्च में कितनी कमी हुई और काम के बेहतर ढंग से चलाने के क्या उपाय किये गये। मन्त्रालयों के खर्च में जो कमी की गई वह इस प्रकार है :

१. लघु उद्योग सेवा संस्थान
१,६५,८०० रु० प्रतिवर्ष

२. स्वराष्ट्र मन्त्रालय : सचिवालय
१,५९,२४० रु० प्रतिवर्ष

३. इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय :
(क) भूगर्भ विभाग (दो कार्यालय)
९७,५०० रु० प्रतिवर्ष
(ख) भारतीय खान कार्यालय (दो कार्यालय)
२०,४६० रु० प्रतिवर्ष

४ स्वास्थ्य मन्त्रालय : ८ कार्यालय
५०,००० रु० प्रतिवर्ष (लगभग)

५ सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय : बजट सैक्शन
१९,१०६ रु० प्रतिवर्ष

६ सूचना और प्रसारण मन्त्रालय : समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार
२५,००० रु० प्रतिवर्ष

७ खाद्य विभाग :
सैक्शनों में
६०,००० रु०
अन्य कामों में
१,०१,००,००० रु०

८ कृषि विभाग : सैक्शनों में
१६,३८९ रु०

९ सिंचाई और बिजली मन्त्रालय : एक सैक्शन
१,५६० रु०

१० वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मन्त्रालय : छात्रवृत्ति शाखा
३०,७९५ रु०

वक्तव्य में कहा गया है कि कर्मचारियों की संख्या घटाकर, कुछ पदों को खत्म करके और दफ्तरों के पुनर्गठन तथा भर्ती के ढंग में सुधार करके खर्च में कमी की गई है।

स्वराष्ट्र मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, सिंचाई तथा बिजली मन्त्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मन्त्रालय, खाद्य विभाग और कृषि विभाग के काम के अध्ययन के नतीजों पर अभी विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य कई मन्त्रालयों और विभागों के बारे में यह सोचा जा रहा है कि खर्च में कितनी और कहां कमी की जा सकती है।

नहरी पानी विवाद : सिंचाई और बिजली मंत्री का वक्तव्य

लोकसभा में १५ मार्च को सिंचाई और बिजली मंत्री, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने भारत-पाक नहरी पानी विवाद सम्बन्धी एक वक्तव्य सदन की मेज पर रखा। वक्तव्य का सारांश इस प्रकार है -

विश्व बैंक ने १ मार्च को जो घोषणा की थी, उसे भारत सरकार ने देखा है। इसमें अन्य कई बातों के अलावा उन बातों का भी जिक्र किया गया है, जो भारत और पाकिस्तान की सरकारों में नहरी पानी के बारे में समझौता करने के लिए हुईं। साथ ही इसमें बैंक की वित्त योजना और उसमें विभिन्न मित्र सरकारों द्वारा भाग लेने का भी जिक्र है।

बैंक की वित्त योजना में, पाकिस्तान को तीन पूर्वी नदियों से सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी की जगह ३ पश्चिमी नदियों से नहरें निकाल कर पानी जुटाने के साथ-साथ सिंचाई और बिजली का अधिक प्रबन्ध करने के लिए कहा गया है। इन नहरों आदि से ऊसर जमीन को भी उपजाऊ बनाया जाएगा।

बैंक नहरी पानी विवाद को सुलझाने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए भारत सरकार कृतज्ञ है और उसे खुशी है कि मित्र सरकारें बैंक की वित्त योजना चलाने में मदद दे रही हैं।

बैंक की वित्त योजना १ अरब डालर की है और यह मुख्यतः पाकिस्तान के लिए है। इसमें भारत की भाखड़ा योजना, राजस्थान नहर योजना आदि शामिल नहीं है। ये योजनाएं भारत के लिए जरूरी हैं और हम इन पर ७० करोड़ डालर खर्च कर रहे हैं।

भारत सरकार को आशा है कि इस समय नहरी पानी विवाद के बारे में वाशिंगटन में जो बातचीत चल रही है, उससे जल्दी ही कुछ समझौता हो जाएगा, परन्तु अभी यह नहीं बताया जा सकता कि भारत बैंक की वित्त योजना में कितना योग देगा।

केन्द्रीय कर्मचारियों को व्यावहारिक शिक्षा

१९५९ के अन्त तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ४६ सरकारी अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों में व्यावहारिक शिक्षा समाप्त कर ली है। इस समय १३ अधिकारियों का दल विभिन्न राज्यों में ट्रेनिंग ले रहा है।

सरकारी कर्मचारी विभिन्न राज्यों में २ साल के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे गांव से लेकर राज्य सचिवालय के विभिन्न कामों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन अधिकारियों को राज्यों की विभिन्न समस्याओं का ठीक से पता चल सके।

उप-चुनावों के परिणामों का विश्लेषण

इस वर्ष १० फरवरी तक हुए ११५ उप-चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है कि उप-चुनावों में कम मतदाताओं ने भाग लिया।

लोकसभा के लिए हुए १३ और राज्य विधान सभाओं के लिए हुए १०२ उप-चुनावों से पता चलता है कि चुनाव-क्षेत्रों में १९५७ के आम चुनावों की अपेक्षा कम मत पड़े—आम चुनावों के दौरान ६३ लाख मत पड़े थे, जबकि इन उप-चुनावों में ५४ लाख मत पड़े।

हालांकि मतदाताओं की संख्या बढ़ी, फिर भी लोकसभा के चुनाव-क्षेत्रों में १३ प्रतिशत कम मत पड़े। आम चुनावों में ४५.०८ प्रतिशत मत पड़े थे, जबकि उप-चुनावों में ३२.१८ प्रतिशत मत पड़े। विधानसभा चुनाव-क्षेत्रों में पड़े मतों में ३.५ प्रतिशत की कमी हुई। आम चुनावों में ४९.९९ प्रतिशत मत पड़े थे, जबकि उप-चुनावों में ४६.२६ प्रतिशत मत पड़े।

इन ११५ चुनाव-क्षेत्रों में उम्मीदवारों की संख्या में भी कमी हुई। पिछले आम चुनावों में ४७४ उम्मीदवार खड़े हुए थे, जबकि उप-चुनावों में ३४८ उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े।

दलगत स्थिति

दलगत स्थिति इस प्रकार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी १३ सीटों में से ४ सीटें खो दी। इनमें से १ सीट प्रजा समाजवादी दल को, १ समाजवादी दल को, १ ससिनि को और १ स्वतंत्र उम्मीदवार को मिली।

राज्य विधानसभा चुनाव-क्षेत्रों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उप-चुनावों में २२ सीटें जीतीं और ४ खोईं, प्रजा समाजवादी दल ने ४ सीटें जीती और ९ खोईं, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने २ सीटें जीती और ४ खोईं, स्वतंत्र उम्मीदवारों ने १५ सीटें जीतीं और १३ खोईं और अन्य दलों ने ८ सीटें जीती और ४ खोईं।

५२ उप-चुनाव सदस्यों की मृत्यु के कारण, २२ उप-चुनाव त्यागपत्र दे देने के कारण और ४२ उप-चुनाव चुनाव-अधिकरण द्वारा पुनः मतदान का आदेश देने के कारण हुए।

लोकसभा के उप-चुनाव

लोकसभा के लिए हुए १३ उप-चुनावों में से ३-३ बिहार और बम्बई राज्यों में, २ उत्तर प्रदेश में और १-१ मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और प० बंगाल में हुआ। इन १३ सीटों के लिए ३९ उम्मीदवार थे, जबकि पिछले आम चुनावों में ४३ उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। आम चुनावों में २४,५८,००० लोगों ने मतदान किया था, जबकि उप-चुनावों में केवल १७,४६,००० लोगों ने मतदान किया।

राज्य विधानसभाओं के उप-चुनाव

राज्य विधानसभा चुनाव-क्षेत्रों के १०२ उप-चुनाव राज्यवार इस प्रकार हुए: आंध्र प्रदेश १४, आसाम ८; बिहार १२; बम्बई १२; केरल १, मध्य प्रदेश ९; मद्रास ८; मैसूर ७; उड़ीसा ७, पंजाब ३; राजस्थान ४, उत्तर प्रदेश १३ और प० बंगाल ४।

इनमें से ३ चुनाव-क्षेत्रों से, जो बिहार, बम्बई और उड़ीसा में थे, २-२ सदस्य चुने गये और बाकी से १-१।

१०२ राज्य विधान सभा चुनाव-क्षेत्रों से जो १०५ सदस्य चुने गये, उनका दलगत वर्गीकरण इस प्रकार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—५७, प्रजा समाजवादी दल—६, भारतीय जनसंघ—३; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी—३, समाजवादी दल—१, अन्य दल—८; और स्वतंत्र उम्मीदवार—२७।

सबसे अधिक मतदान मद्रास राज्य के अरुप्पुकोट्टा चुनाव-क्षेत्र में हुआ, जहां ७२.७ प्रतिशत मत पड़े। सबसे कम मतदान मध्य प्रदेश के कोटा चुनाव-क्षेत्र में हुआ, जहां केवल ८.२८ प्रतिशत मत पड़े।

राज्यसभा की ७२ सीटों का चुनाव

राज्यसभा के ७२ सदस्यों का कार्यकाल २ अप्रैल, १९६० को समाप्त हो जाएगा। इन स्थानों की पूर्ति के लिए राज्य विधान सभाओं के सदस्य और दिल्ली तथा मणिपुर के निर्वाचक गण २४ मार्च को अपने-अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

रिक्त स्थानों का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है : आन्ध्र प्रदेश–६, आसाम–३, बिहार–७, बम्बई–९, केरल–३, मध्य प्रदेश–५, मद्रास–६, मैसूर–४, उड़ीसा–४, पंजाब–४, राजस्थान–३, उत्तर प्रदेश–११, प० बंगाल–५, दिल्ली–१ और मणिपुर–१।

[राज्यसभा के २५० सदस्य होते हैं जिनमें १२ को राष्ट्रपति नामजद करते हैं और शेष चुने जाते हैं। राज्यसभा विघटित नहीं होती। हर दूसरे साल इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। संविधान के चौथे अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य का सदस्य-कोटा निर्धारित किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा करते हैं। केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद के बनाए गए नियमों के अनुसार होता है। नामजद सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।]

केन्द्रीय सूचना सेवा की स्थापना

भारत सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा बनाई है, जो १ मार्च, १९६० से लागू हो गई है। यह घोषणा भारत सरकार के २९ फरवरी, १९६० के असाधारण सूचना-पत्र में की गई।

इस सेवा में आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग, फिल्म डिवीजन, समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय, अनुसंधान और सदर्भ विभाग, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा फील्ड पब्लिसिटी निदेशालय के सम्पादकीय तथा पत्रकारी पदों के कर्मचारी शामिल किए गए हैं।

केन्द्रीय सूचना सेवा में ६ श्रेणियां हैं और इनमें ३५० स्थायी पद हैं।

छावनी कर्मचारियों की मांगें : राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का निर्णय

कुछ छावनी कर्मचारियों और छावनी मण्डलों के झगड़े का फैसला करने के लिए, भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त किया था, उसने अपना फैसला दे दिया है। यह न्यायाधिकरण १९५९ में नियुक्त किया गया था और इसके प्रमुख श्री एफ० जीजीभाई थे।

८ मार्च के सरकारी गजट में फैसले के बारे में जो सूचना प्रकाशित की गई है, उसमें कहा गया है कि न्यायाधिकरण ने छावनी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं माना है, क्योंकि १९२४ के छावनी अधिनियम में स्पष्ट है कि ये लोग छावनी मण्डल के ही नौकर हैं, इसलिए न्यायाधिकरण ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-दर लागू करने की छावनी कर्मचारियों की मांग भी अस्वीकार कर दी है। न्यायाधिकरण ने ५८ छावनियों के कर्मचारियों की हर श्रेणी के वेतन तय कर दिये हैं।

महगाई-भत्ते के बारे में यह निर्णय दिया गया है कि कर्मचारियों को, जिस राज्य में उनकी छावनी हो, उस राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले महगाई भत्ते के बराबर ही यह भत्ता मिले। साथ ही आधा महगाई भत्ता सब कर्मचारियों के वेतन में मिला देने की भी बात कही गई है।

तीसरी और चौथी श्रेणी के जिन छावनी कर्मचारियों को मुफ्त या मण्डल की ओर से किराये पर मकान नही मिला हुआ है, उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर भत्ता दिया जाय।

भविष्य निधि (प्राविडेंट फंड) के बारे में *न्यायाधिकरण का फैसला है कि छावनी* मण्डल इस निधि में कर्मचारियों के हिस्से के बराबर ही अपना हिस्सा दें। इस बारे में १९३७ के छावनी कर्मचारियों के भविष्य निधि नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि उनमें कर्मचारी का हिस्सा ६। प्रतिशत और छावनी मण्डलों का ३½ प्रतिशत निश्चित है।

बोनस के बारे में वर्तमान नियमों के अनुसार ही व्यवस्था जारी रखने का न्यायाधिकरण ने सुझाव दिया है। ग्रेच्युटी देने की कर्मचारियों की माग को न्यायाधिकरण ने नहीं माना है।

तरक्की के बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय है कि यदि और सब बातें बराबर हों तो तरक्की, नौकरी की अवधि के अनुसार ही दी जाए। साथ ही मण्डलों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम बनाए जाए।

न्यायाधिकरण के वेतन सम्बन्धी फैसले पर १ अप्रैल, १९५९ से अमल किया जाएगा।

हिन्दू धर्मस्व निधि जांच आयोग

भारत सरकार कुछ समय से इस विषय पर विचार करती रही है कि भारत भर में हिन्दू सार्वजनिक धर्मस्व निधियों के उचित प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए अथवा अन्य उचित कदम उठाये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में यह महसूस किया गया कि पहले ऐसी निधियों से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

अत सरकार ने डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है। आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, श्री शंकर शरण; बिहार के एडवोकेट जनरल, श्री महावीर प्रसाद, भारत साधु समाज के महासचिव, स्वामी हरिनारायणानन्द और हिन्दू धर्मस्व निधि मण्डल, मद्रास, के अवकाशप्राप्त आयुक्त श्री टी० कामेश्वर राव।

आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा

(क) हिन्दू धर्मस्व निधि की एक संस्था के रूप में साधारण जाच और इस बात की सिफारिश कि ऐसी किन निधियों को सार्वजनिक धर्मस्व निधिया माना जा सकता है,

(ख) हिन्दू धर्मस्व सार्वजनिक निधियों के प्रबन्ध और उनके साधनों के उपयोग के विषय में जाच और इस बात की सिफारिश कि ऐसी निधियों का उचित प्रबन्ध कैसे

सकता है और उनके साधनों का उचित प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है,

(ग) विशेष रूप से इस बात की जांच कि हिन्दू धर्मस्व सार्वजनिक निधियों के पदाधिकारी किस प्रकार निर्वाचित होते हैं— उत्तराधिकारी के रूप में, नामजद प्रतिनिधि के रूप में अथवा किसी अन्य ढंग से ;

(घ) इस बात की जांच कि क्या पदाधिकारी चुनने की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक है और यदि नहीं है तो इस व्यवस्था को सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं,

(च) उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित अन्य किसी विषय की जांच और उसके बारे में प्रतिवेदन ।

आयोग मार्च १९६० के पहले सप्ताह से काम शुरू कर देगा और आशा है कि ३० सितम्बर, १९६० तक केन्द्रीय सरकार को अपना प्रतिवेदन दे देगा ।

विधि मंत्रालय के विधि विभाग में विशेषाधिकारी, श्री एस० पी० सेनवर्मा आयोग के सचिव के रूप में काम करेंगे ।

यह आयोग जांच आयोग अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत नियुक्त किया जा रहा है और उसे जांच आयोग के सभी अधिकार प्राप्त होंगे ।

हिन्दू धर्मस्व निधि आयोग की बैठक

हिन्दू धर्मस्व निधि आयोग की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ५ मार्च को नयी दिल्ली में डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में आयोग की पहली बैठक हुई । बैठक में डा० अय्यर ने बताया कि आयोग को क्या काम करने हैं । उन्होंने यह भी कहा कि पुजारियों और अर्चकों को आरम्भिक ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि धार्मिक काम करने के लिए उन्हें शिक्षा मिल सके और वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें ।

बैठक में आयोग ने निर्णय किया कि आयोग जिन धर्मस्व निधियों के बारे में काम कर रहा है, उनमें गुरुद्वारे शामिल न किए जाएं, क्योंकि उन्होंने पहले ही से काफी नियम बना रखे हैं । इनके अलावा सभी हिन्दू धर्मस्व निधियों— वीरशैव, लिंगपूजक, कबीरपंथी, निर्मल, बौद्ध, जैन तथा ब्रह्मोसमाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और अन्य हिन्दू धर्मस्व निधियों को शामिल किया जाए ।

राज्यों को पत्र

बैठक में आयोग के कार्यक्रम पर विचार किया गया और यह निर्णय हुआ कि राज्य सरकारों से उन सभी मंदिरों और मठों की सूची मांगी जाए, जो उनके राज्य में हैं । बैठक में, प्रश्नावली तैयार करने पर भी विचार हुआ और निर्णय हुआ कि जब यह प्रश्नावली अन्तिम रूप में तैयार हो जाएगी तब उसे समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाए ।

आयोग की अगली बैठक २२ मई, १९६० को उदकमंडलम् में होगी ।

सर्वसाधारण को मत प्रकट करने का निमन्त्रण

हिन्दू धर्मस्व निधि आयोग ने मंदिरों और मठों की देखभाल, उनके कोष के उचित उपयोग और उनके भविष्य के विषय में रुचि रखने वाले सब व्यक्तियों को अपनी टीका-टिप्पणी भेजने का निमन्त्रण दिया है ।

नमूने के तौर पर प्रतिवर्ष जनगणना

विभिन्न राज्यों में हर साल नमूने के तौर पर जनगणना हुआ करेगी जिससे यह पता लगाया जाएगा कि प्रतिवर्ष देश की आबादी में कितनी वृद्धि होती है । यह जनगणना इसी साल से शुरू हो जाएगी ।

इस नमूने की जनगणना के लिए जनगणना कमिश्नर के दफ्तर ने प्रश्नावली तैयार की है । इसमें मुख्य रूप से बच्चों के जन्म और आयु के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाया करेगी । इस जनगणना से यह भी पता चल सकेगा कि जन-संख्या कम करने के उपायों का, जैसे परिवार आयोजन आदि का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है । इसके अलावा बच्चों की आयु से यह पता चलेगा कि देश की औरतें औसतन किस उम्र से, कितने-कितने समय के अन्तर पर और कितने बच्चे पैदा करती हैं ।

यह नमूने की जनगणना प्रतिवर्ष देश के लगभग १ प्रतिशत लोगों के बारे में की जाया करेगी, जिसके लिए सब तरह के गावों और शहरों से कुछ क्षेत्र चुने जाया करेंगे ।

विदेशी पर्यटकों के लिए कूपन-योजना

भारत-भ्रमण के लिए आने वाले विदेशियों को अब कैमरे की फिल्मों, तम्बाकू और शराब की कमी नहीं रहेगी । अब उनके लिए यह सुविधा जुटाने का प्रबन्ध किया गया है ।

भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने एक नयी कूपन-योजना चलाई है । इस योजना के अनुसार विदेशी पर्यटक कैमरे की फिल्म तम्बाकू या अपने पसन्द की सिगरेट और शराब आदि उचित मूल्य पर खरीद सकेंगे । प्रत्येक विदेशी पर्यटक को पर्यटन विभाग के बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता कार्यालयों से कूपन की एक किताब मिलेगी । इन कूपनों से पर्यटक १२५ रु० तक की कैमरे की फिल्में, तम्बाकू या शराब आदि खरीद सकेंगे ।

यह सामान इन्हें देश के १६ शहरों में मिल सकेगा । इसके लिए कुछ दुकानदारों को लाइसेंस दिए गए हैं । इन शहरों के नाम इस प्रकार हैं बम्बई, दिल्ली, मद्रास, आगरा, बनारस, जयपुर, औरंगाबाद, भोपाल, बंगलौर, मैसूर, कोचीन, पुरी, भुवनेश्वर, दार्जिलिंग और श्रीनगर । जिन दुकानों पर विदेशी पर्यटक ये सामान खरीद सकते हैं, उनकी सूची कूपन की किताब के अन्त में दी गई है । इन चीजों की कीमत पर्यटन विभाग ने निश्चित की है । इस कीमत में स्थानीय कर शामिल नहीं किए गए हैं । मूल्य की सूची दुकानदार के पास होगी, जिसे पर्यटक देख सकेंगे । इस योजना के अन्तर्गत जिन दुकानदारों को लाइसेंस दिया गया है, उन्हें मुद्रा-विनिमय का भी लाइसेंस दिया गया है ।

हालांकि चीजों की कीमत रुपयों में रखी गई हैं, पर पर्यटकों को इसका मूल्य उनकी मुद्रा में बताया जाएगा, जिसका भुगतान वे अपनी मुद्रा या पर्यटकों के चेक द्वारा कर सकते हैं । माल खरीदते समय पर्यटक को कूपन पर दुकानदार के सामने हस्ताक्षर करने होंगे । भारत छोड़ते समय इस्तेमाल न किए गए कूपन तटकर अधिकारियों को लौटाने होंगे ।

६०,००० केन्द्रीय कर्मचारियों ने हिन्दी सीखी

भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए देश भर में जो ५६ केन्द्र चालू किए हैं उनमें अब तक ६०,००० कर्मचारियों ने हिन्दी सीखी है।

आशा है कि १९६१-६२ तक केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय की हिन्दी शिक्षा योजना के अन्तर्गत ३ लाख से भी अधिक कर्मचारी हिन्दी सीखेंगे। चालू वर्ष की पहली छमाही में हिन्दी सीखने वाले कर्मचारियों की संख्या १०,००० थी।

कुछ समय पहले तक रेल विभाग का अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का अलग प्रबन्ध था। परन्तु अब वे भी स्वराष्ट्र मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत हिन्दी सीखते हैं। लगभग १,००० रेल कर्मचारी हिन्दी कक्षाओं में शामिल हो चुके हैं।

कर्मचारियों के लिए ९-९ महीने के ३ पाठ्यक्रम—प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ—हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। प्रबोध पाठ्यक्रम उन कर्मचारियों के लिए है जो दक्षिण भारतीय भाषाएं अथवा अंग्रेजी बोलते हैं। प्रवीण पाठ्यक्रम मराठी, गुजराती, बंगाली असमिया, या सम्बद्ध भाषाएं बोलने वालों के लिए है। प्राज्ञ पाठ्यक्रम मैट्रिक के स्तर का है। यह पाठ्यक्रम उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, पश्तो या कोई अन्य सम्बद्ध भाषा है।

तलाक के मामले

देश में १९५८ में विशेष विवाह कानून के अन्तर्गत तलाक के कुल ३५० मामले हुए। उनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार है : आंध्र प्रदेश—१, बम्बई—२८, केरल—६, मध्य प्रदेश—३६, मद्रास—५, मैसूर—२, पंजाब—११२, राजस्थान—१०, उत्तर प्रदेश—३५, प० बंगाल—५१, दिल्ली—४, और त्रिपुरा—१०।

जो लोग विवाह की चालू पद्धति को नहीं अपनाना चाहते थे, उनके लिए १९५४ में विशेष विवाह कानून बनाया गया। यह १ जनवरी, १९५५ से लागू हुआ। इस कानून के अन्तर्गत जो विवाह करना चाहते हैं, उन्हें यह घोषित करना पड़ता है कि वे ईसाई, मुस्लिम, हिन्दू, पारसी, बौद्ध, सिख या जैन धर्म को नहीं मानते।

इस कानून के अन्तर्गत, विवाह अधिकारी के सामने विवाह होता है। स्त्री और पुरुष को पहले विवाह अधिकारी को सूचना भेजनी पड़ती है। अधिकारी यह विवाह तभी कराता है, जब इनमें से एक उसके जिले में कम से कम ३० दिनों से रह रहा हो। विवाह भी सूचना भेजने के एक महीने बाद होता है। इस बीच कोई भी व्यक्ति विवाह के बारे में आपत्ति कर सकता है। विवाह अधिकारी पहले इन आपत्तियों का निर्णय करता है, और तब विवाह कराता है। अधिकारी के निर्णय पर जिला अदालत में अपील की जा सकती है और जिला अदालत का निर्णय अन्तिम माना जाता है।

केन्द्रीय कर्मचारियों की विदेशी पत्नियां

केन्द्रीय सरकार ने भारतीय नागरिकों की विदेशी पत्नियों को भारत का नागरिक बनने में रियायत देने का निश्चय किया है। इस पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक साल तक भारत में रहने की शर्त लागू नहीं होगी।

पर यह छूट उन्हीं स्त्रियों को दी जाएगी जिनका विवाह केन्द्र या राज्य सरकारों के किसी कर्मचारी से हुआ है। इसके लिए १९५६ के नागरिकता नियमों के चौथे नियम में संशोधन किया गया है।

३१ अक्तूबर, १९५९ तक ७२ भारतीय नागरिकों की विदेशी पत्नियां भारतीय नागरिक रजिस्टर की गई। इसी अवधि में ८२ अन्य विदेशियों को नागरिकता के लिए निर्धारित अवधि तक भारत में रहने के कारण भारत की नागरिकता दी गई।

विवाहित स्त्री सम्पत्ति कानून

विवाहित स्त्रियों के सम्पत्ति अधिनियम, १८७४ में कुछ संशोधन किए गए थे। अब १ मार्च, १९६० से यह संशोधित कानून विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) अधिनियम, १९५९, भूतपूर्व 'स' राज्यों और मणिपुर पर भी लागू कर दिया गया है।

सन् १८७४ के मूल कानून के अन्तर्गत यह नियम है कि अगर कोई विवाहित पुरुष अपनी पत्नी अथवा बच्चों के हित में अपने जीवन का बीमा कराए तो उस पालिसी की रकम एक प्रकार से पत्नी और बच्चों की सम्पत्ति मानी जाएगी। उस रकम में किसी महाजन का भी कोई अधिकार नहीं होगा। पुरुष के मर जाने पर भी यह धन उसकी सम्पत्ति का अंश नहीं माना जाएगा।

सम्पत्ति कर अधिनियम, १९५३ के अंतर्गत भी उक्त प्रकार का धन मृत पुरुष की अन्य सम्पत्ति में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उस पर अलग से सम्पत्ति कर लगाया जाता है।

पूंजीगत माल के आयात के लिए नया विभाग

पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस की अर्जियों को तेजी से निपटाने के लिए नई दिल्ली के मुख्य आयात-निर्यात नियन्त्रक कार्यालय में नया विभाग खोला गया है। यह विभाग विशेष अधिकारी के अधीन होगा और जो अर्जियां मुख्य आयात-निर्यात नियन्त्रक के कार्यालय को भेजी जाती हैं, वे अब उक्त विशेष अधिकारी को भेजी जाएं।

परन्तु जो अर्जियां बम्बई और कलकत्ता के संयुक्त मुख्य आयात नियन्त्रकों को भेजी जाती हैं, वे आगे भी उन्हीं को भेजी जाती रहें, विशेष अधिकारी को नहीं।

लाइसेंस देने वाले अधिकारियों का कार्य-क्षेत्र अब इस प्रकार होगा :

१ ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स, बम्बई :
कपड़े की मशीनें, मोजे, बनियान आदि बुनने की मशीनें और उनके पुर्जे,

२ ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स, कलकत्ता :
पटसन और सनई की मशीनें और उनके पुर्जे; कोयला उद्योग की मशीन और कारखाने,

३ चीफ कंट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, नयी दिल्ली
१ लाख रु० से अधिक मूल्य के सभी मशीनी औजार और सभी अन्य कारखाने तथा मशीनें (१ लाख रु० से कम मूल्य के मशीनी औजारों के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा लाइसेंस देगी,

प० पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों के विस्थापितों को सहायता

पुनस्सस्थापन मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने प० पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों के विस्थापितों को प्रति परिवार २,५०० रु० की सहायता देने का निश्चय किया है। इन विस्थापितों की पुनस्सस्थापन अनुदान की अर्जियां इस कारण खारिज कर दी गई थीं कि ये अपने दावे के सबूत में किसी तरह के कागज-पत्र आदि पेश नहीं कर सके थे।

कबायली क्षेत्रों में सम्पत्ति का रिकार्ड रखने वाली कोई स्थानीय संस्थाएं नहीं थीं और न वहां किसी प्रकार का कर देने का ही नियम था। इसलिए ये लोग अपनी जायदाद आदि के बारे में किसी तरह का सबूत पेश नहीं कर सके। भारत सरकार ने इन विस्थापितों की कठिनाइयों को समझ कर यह सहायता देने का फैसला किया है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की योजना

राज्य सरकार के कर्मचारियों को किराये पर मकान देने की केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने ९ राज्यों को ८१ लाख ४० हजार रु० और देना स्वीकार किया है।

इससे पहले, हाल में आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए ८२ लाख रु० स्वीकार किया गया था।

राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के हेतु सहायता मांगी थी। अत केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय ने मार्च १९५९ में यह योजना चलाई। जीवन बीमा निगम भी मंत्रालय के इस सुझाव से सहमत हुआ था कि निगम इस योजना के लिए राज्य सरकारों को ऋण दे। इसके लिए निगम ने १९५८-५९ से १९६०-६१ तक हर साल अधिक से अधिक १ करोड़ रु० तक देने का निर्णय किया था। परन्तु मांग बढ़ने से इस साल २ करोड़ ५० लाख ४० हजार रु० देने का निर्णय किया। इस ऋण पर ५ प्रतिशत ब्याज लगेगा और यह २० वर्षों में चुकाया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारी

सरकार की यह नीति है कि जिन अस्थायी पदों पर तीन साल से ज्यादा समय से कर्मचारी नियुक्त हैं तथा जो दीर्घ काल तक चलने वाले हैं, उन्हें स्थायी बना दिया जाए। तीन साल पुराने अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी समझा जाने लगता है और उन पर नौकरी की सुरक्षा तथा पेंशन आदि के वही नियम लागू होते हैं जो स्थायी कर्मचारियों पर होते हैं।

यह सूचना स्वराष्ट्र मंत्रालय में मंत्री, श्री बलवन्त नगेश दातार ने ७ मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

श्री दातार ने बताया कि १ जनवरी, १९५९ को केन्द्रीय सरकार के अस्थायी और अर्ध-स्थायी कर्मचारियों की संख्या ६,८८,२६४ थी, जो कुल कर्मचारियों की संख्या की ३५.५ प्रतिशत थी।

निर्देशकों के सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्थान परिवर्तन

श्रम उपमंत्री, श्री आबिद अली ने ८ मार्च को राज्यसभा में बताया कि सरकार ने कोनी (बिलासपुर) का निर्देशकों का सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हावड़ा भेजने का निर्णय किया है। यह निर्णय इसलिए किया गया है कि हावड़ा में इंजीनियरी के कई बड़े कारखाने हैं, जहां कई आधुनिकतम उपकरण तथा कुशल इंजीनियर हैं। इन कुशल इंजीनियरों के निर्देशन तथा उपकरणों से निर्देशकों को अधिक अच्छी तरह तथा ठीक ट्रेनिंग दी जा सकेगी।

श्री आबिद अली ने बताया कि इस स्थानान्तरण का लोगों ने थोड़ा-सा विरोध जरूर किया था, किन्तु यह विरोध इस गलतफहमी के कारण किया गया था कि कोनी की पूरी संस्था ही हटाई जा रही है। इसमें ३१६ जगहें थीं, किन्तु उनकी संख्या ४८० कर दी गई है। जगहें और बढ़ाकर ७८४ करने का प्रस्ताव है।



इनामी बांड जारी करने का फैसला

वित्त मंत्रालय के आर्थिक विषय विभाग की २९ फरवरी की एक विज्ञप्ति में सूचना दी गई है कि भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९६० से पचवर्षीय बिनासूदी इनामी बांड, १९६५ जारी करने का निर्णय किया है। ये बांड निम्नलिखित स्थानों से मिलेंगे

१. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बम्बई, कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास, बंगलौर और नागपुर कार्यालयों से ;
२. स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और स्टेट बैंक आफ मैसूर की शाखाओं से जो सरकारी खजाने का कामकाज करती हैं ;
३. न० १ में उल्लिखित स्थानों और उन स्थानों को छोड़कर जहां न० २ में उल्लिखित बैंकों की शाखाएं हों, भारत में सब सरकारी खजानों और उपखजानों से ;
४. सब मुख्य डाकघरों और विभागीय उपडाकघरों से।

इन बांडों के भुगतान की तिथि पहली अप्रैल सन् १९६५ होगी।

ये बांड १०० रु० और ५ रु० के बेयरर बांडों के रूप में जारी किए जाएंगे। इन पर कोई सूद नहीं दिया जाएगा परन्तु प्रति वर्ष हर तिमाही, यानी १ जून, १ सितम्बर, १ दिसम्बर और १ मार्च को इनाम देने के लिए पर्चियां उठाई जाएंगी। इनाम की पहली लाटरी १ सितम्बर १९६० को होगी और आखिरी १ मार्च १९६५ को। भारत सरकार की देखरेख में हर सिरीज के लिए अलग-अलग लाटरी की जाएगी। हर तिमाही पर १०० रु० के बांडों की हर सिरीज पर कुल ९२,००० रु० के ४० इनाम और ५ रु० की हर सिरीज पर कुल ४६,००० रु० के २०८

इनाम दिए जाएंगे। १०० रु० की हर सिरीज में १ करोड़ रु० के (सौ-सौ रुपए के १ लाख) बांड होंगे, और ५ रु० की हर सिरीज में ५० लाख रु० के (पांच-पांच रु० के १० लाख) बांड होंगे। जिस महीने में बांड खरीदा जाएगा उसके बाद दो कलेंडर महीने और पूरे होने पर, प्रत्येक बिका हुआ बांड, इनाम के लिए होने वाली हर लाटरी में शामिल किया जायगा। जिस सिरीज से एक भी बांड बिका होगा, उसके सब बांड लाटरी में शामिल किए जाएंगे पर अनबिके बांडों पर या लाटरी के महीने के पहले जिन बांडों को बिके दो महीने पूरे नहीं हुए हैं, उन पर इनाम नहीं दिए जाएंगे।

हर सिरीज में इनामों की संख्या और रकम निम्नलिखित होगी

१०० रु० के बांडों की प्रत्येक सिरीज में

१ इनाम २५००० रु० का	२५००० रु०
२ इनाम १०००० रु० के	२०००० रु०
५ इनाम ५००० रु० के	२५००० रु०
१२ इनाम १००० रु० के	१२००० रु०
२० इनाम ५०० रु० के	१०००० रु०
१ लाख बांडों की हर सिरीज में हर तिमाही इनाम की कुल रकम	९२००० रु०

५ रु० के बांडों की प्रत्येक सिरीज में

१ इनाम ७५०० रु० का	७५०० रु०
२ इनाम २५०० रु० के	५००० रु०
१० इनाम १००० रु० के	१०००० रु०
२० इनाम ५०० रु० के	१०००० रु०
२५ इनाम १०० रु० के	२५०० रु०
२२० इनाम ५० रु० के	११००० रु०
१० लाख बांडों की हर सिरीज में हर तिमाही इनाम की कुल रकम	४६००० रु०

इनाम की रकम आय कर से बरी होगी और नकद दी जाएगी। इनाम पाने वाले बांडों का ब्योरा भारत के गजट में और अखबारों में, इनाम के लिए लाटरी होने के बाद यथाशीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा।

इनाम की पर्चियां उठाए जाने के बाद इनामी बांड का मालिक किसी भी समय निम्नलिखित कार्यालयों में इनाम का रुपया लेने के लिए अपना दावा बांड के साथ पेश करेगा :

१ रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बम्बई, कलकत्ता, नयी दिल्ली, मद्रास, बंगलौर और नागपुर कार्यालयों में,

२ स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और स्टेट बैंक आफ मैसूर की शाखाओं में जो सरकारी खजाने का कामकाज करती हैं ;

३ नं० १ में उल्लिखित स्थानों और उन स्थानों को छोड़कर जहां नं० २ में उल्लिखित बैंकों की शाखाएं हों, भारत के सब सरकारी खजानों और उप-खजानों में,

४ सब मुख्य डाकघरों में।

रिजर्व बैंक जब दावा स्वीकार कर लेगा, उसके बाद बांड के मालिक को, उस कार्यालय में जहां उसने बांड पेश किया है, इनाम की रकम मिल जाएगी।

इन बांडों की शर्तें और व्यवस्थाएं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ ४ (१)–डब्लू एंड एम। ६०, ता० १ मार्च, १९६० में दी हुई हैं, जो सभी बांड बेचने वाले दफ्तरों में लगी हुई हैं।

निजी क्षेत्र में विदेशी पूंजी

लोकसभा में ११ मार्च को एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा। इसमें बताया गया है कि १९५४ से १९५८ तक भारत में निजी क्षेत्र में कितनी विदेशी पूंजी लगी। इसमें विदेशी बैंकों की पूंजी शामिल नहीं है।

वक्तव्य में बताया गया है कि १९५४-५५ में कुल १७ करोड़ ६० लाख रु०, १९५६ में ३६ करोड़ ८० लाख रु०, १९५७ में ४८ करोड़ ९० लाख रु० और १९५८ में २७ करोड़ ९० लाख रु० (अस्थायी आंकड़े) लगे हुए थे।

इस पूंजी का देशवार ब्योरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

देश का नाम	१९५४-५५ (वार्षिक अनुपात)	१९५६	१९५७	१९५८ (लगभग)
ब्रिटेन	९.६	१५.७	६.३	१.२
अमरीका	४.९	७.१	१०.४	२.९
जर्मनी	१.२	०.२	०.८	०.१
स्विटजरलैंड	०.३	१.६	१.५	०.२
अन्य देश	०.२	०.१	०.९	०.६
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक	१.४	१२.१	३२.०	२५.३
जोड़	१७.६	३६.८	४८.९	२७.९

भारतीय फर्मों को विदेशी-मुद्रा प्राप्ति में सहायता

वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने ११ मार्च को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय एक वक्तव्य में उन भारतीय फर्मों के नाम बताए, जिन्हें अमरीका के आयात-निर्यात बैंक और भारत के उद्योग साख तथा पूंजी नियोजन निगम से कर्ज के रूप में या और किसी तरह १९५९ में (फरवरी १९६० के अंत तक) विदेशी-मुद्रा की सहायता मिली। दो कम्पनियों को अमरीका के बैंक से १८ लाख डालर और १ करोड़ ३५ लाख डालर का कर्ज मिला और ६ कम्पनियों को उद्योग साख तथा पूंजी नियोजन निगम से ४६ लाख ९५ हजार डालर विदेशी-मुद्रा की सहायता मिली। पहली दोनों कम्पनियों ने भारत सरकार की इजाजत से सीधे अमरीकी बैंक से बातचीत की और ऋण भी उन्हें सीधा मिलेगा।

उद्योग साख तथा पूंजी नियोजन निगम ने भारत सरकार की मर्जी और गारंटी से विश्व बैंक से विदेशी-मुद्रा का ऋण ले रखा है, जिसे वह आगे भारतीय कम्पनियों को देता है।

इस वक्तव्य में उन फर्मों के नाम शामिल नहीं हैं, जिन्हें अमरीका के आयात-निर्यात बैंक से भारत सरकार को मिले १५ करोड़

डालर के ऋण में से विदेशी-मुद्रा खर्च करने की अनुमति दी गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ९ उद्योगों को ३० करोड़ २ लाख रु० का माल मंगाने के लाइसेंस दिए गए।

पाकिस्तान में भारतीय निजी पूंजी

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सर्वे के अनुसार १९५५ के अन्त में पाकिस्तान में भारतीय व्यापारियों का कुल १७ करोड़ ८३ लाख रु० लगा हुआ था। इसमें से १७ करोड़ ५६ लाख रु० तो भारतीय ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों ने पाकिस्तानी कम्पनियों के हिस्सों, हुंडियों आदि में लगा रखा था। इसके अलावा भारत में रहने वाले व्यक्तियों ने बैंकों की मार्फत पाकिस्तानी कम्पनियों के हिस्सों आदि में और वहां की कम्पनियों में भारतीय साझेदारों ने कुल २७ लाख रु० लगा रखा था। उक्त तारीख के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इसके बाद कोई सर्वे नहीं किया है। बैंक की सूचना के अनुसार इन आंकड़ों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

यह सूचना वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ११ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। श्री देसाई ने कहा कि अब सरकार लोगों को पाकिस्तान में पूंजी लगाने की अनुमति नहीं देती।

डेनमार्क और भारत के बीच दोहरे कर से बचाव सम्बन्धी समझौता स्वीकृत

डेनमार्क और भारत के बीच आय पर दोहरे कर से बचाव के बारे में कोपेनहेगन में १६ सितम्बर, १९५९ को जो समझौता हुआ था, उस पर दोनों सरकारों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। ९ मार्च को नयी दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिस पर डेनमार्क की ओर से राजदूत श्री अने योग एण्डरसन ने और भारत की ओर से केन्द्रीय राजस्व मंडल के अध्यक्ष, श्री ई० एग० कृष्णामूर्ति ने हस्ताक्षर किये। आय कर अधिनियम की धारा ४९ ए के अन्तर्गत भारत सरकार के असाधारण सूचना पत्र में इस आशय की अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई है। अब यह समझौता दोनों देशों पर लागू हो गया है।

इस समझौते के अन्तर्गत औद्योगिक और व्यापारिक मुनाफों, लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों और पेंशनों पर वही देश कर लगाएगा, जिस में यह आमदनी होगी। भारत में यह समझौता १ अप्रैल, १९५९ से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए विदेशी मुद्रा

लोकसभा में १५ मार्च को परिवहन तथा संचार मंत्री, डा० सुब्बारायन ने एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य में बताया कि सरकार हिंदुस्तान शिपयार्ड को यह आश्वासन देती है कि विदेशी-मुद्रा की कमी तथा जहाज के नये आर्डरों के अभाव के कारण हिंदुस्तान शिपयार्ड के काम में बाधा नहीं पड़ेगी।

मंत्री महोदय ने आगे कहा कि सरकार ने शिपयार्ड की निर्माण क्षमता बढाने का निर्णय किया है और इस बढी हुई क्षमता को भी बनाये रखने के लिए अधिक विदेशी-मुद्रा देने के प्रश्न पर सरकार समय-समय पर विचार करती रहेगी। देश में विदेशी-मुद्रा की स्थिति को देखते हुए शिपयार्ड को आवश्यक विदेशी-मुद्रा दी जाएगी।

जहां तक जहाज के अधिक आर्डरों का प्रश्न है, शिपयार्ड के पास दूसरी योजनावधि तक के लिए पर्याप्त आर्डर हैं। इसके अलावा तीसरी योजना के आर्डरों के लिए शिपयार्ड ने जहाज के मालिकों से बातचीत करनी शुरू कर दी है और यह अनुमान है कि आवश्यक आर्डर शीघ्र ही आएंगे।



१९५८ में खनिज पदार्थों का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के हाल के प्रकाशन से पता चलता है कि १९५५ से देश में खनिज पदार्थों का उत्पादन जिस तरह बढा है वह वृद्धि १९५८ में भी जारी रही। इस वर्ष पिछले वर्ष से ८ करोड़ रु० या ६ प्रतिशत का उत्पादन अधिक हुआ। इस वर्ष का खनिज पदार्थों का कुल उत्पादन १ अरब ३७ करोड़ ३० लाख रु० का हुआ। इसमें पैट्रोल और वे खनिज पदार्थ शामिल नहीं हैं जो १९४८ के अणु-शक्ति अधिनियम के अंतर्गत गिने जाते हैं।

खनिजों का उत्पादन मुख्य रूप से कोयले और अलौह धातुओं के उत्पादन बढ़ने के कारण अधिक रहा है। सबसे अधिक उत्पादन, ८९ करोड़ ९० लाख रु० का ४ करोड़ ६० लाख ७० हजार मैट्रिक टन कोयले का हुआ। इसके बाद कच्चे मैंगनीज (११ करोड़ २४ लाख रु०), नमक (८ करोड़ ४६ लाख रु०), सोना (५ करोड़ रु०), खनिज लोहा (४ करोड़ ८५ लाख रु०), अबरक (२ करोड़ ५२ लाख रु०) और इलमेनाइट (१ करोड़ ८३ लाख रु०) का स्थान है। १९५८ में भारत की कुल राष्ट्रीय आय का १.२ प्रतिशत खनिजों से प्राप्त हुआ।

परिमाण की दृष्टि से खनिजों के उत्पादन का सूचक अंक १९५८ में १२५.८ (आधार १९५१=१००) रहा जो १९५७ के सूचक अंक से २.१ अंक अधिक है। १९५७ का यह सूचक अंक १९५६ से ६.८ अंक अधिक था। भारत में खनिज उत्पादन की दर मुख्य रूप से उद्योगों की हाल की मन्दी के कारण गिरी है और यही स्थिति सारी दुनिया में भी है। इसके कारण अविकसित देशों के खनिज पदार्थों की विदेशों में मांग कम हो गयी।

१९५८ में कोयले का उत्पादन १९५७ से १८ लाख ६० हजार टन अधिक रहा। धातुओं का उत्पादन २६ करोड़ १० लाख रु० का रहा, जो इस वर्ष के खनिज उत्पादन के मूल्य का लगभग ५वां हिस्सा था। खनिज धातुओं में १६ करोड़ ४० लाख रु० की और

धातुएं और ९ करोड़ ७० लाख रु० की अलौह धातुएं निकाली गयीं। इस वर्ष खनिज लोहे, तांबे, बाक्साइट और सीसे का उत्पादन सबसे अधिक रहा।

देश और विदेशों में खनिज लोहे की मांग बढ़ने के कारण उत्पादन भी सबसे अधिक, ६१ लाख टन हुआ। मैंगनीज का उत्पादन गिरा और १९५७ के १६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन से घटकर इस वर्ष १२ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रह गया।

धातुओं को छोड़कर अन्य खनिजों का उत्पादन १३ करोड़ २० लाख रु० का हुआ, जो इस वर्ष के कुल उत्पादन का १० प्रतिशत है। पिछले साल से इन खनिज उत्पादनों का मूल्य १ करोड़ ४० लाख रु० अधिक रहा। इसका कारण अबरक और नमक का उत्पादन बढ़ना है। नमक का उत्पादन भी इस साल सबसे अधिक, ४२ लाख मेट्रिक टन हुआ। इसी प्रकार चूने के पत्थर का उत्पादन भी बढ़ कर १ करोड़ ५ लाख टन पहुंच गया। चूने के पत्थर का उत्पादन बढ़ने से सीमेंट उद्योग भी बढ़ा। इमारती सामान का उत्पादन इस वर्ष १३ करोड़ २० लाख रु० का रहा, जबकि १९५७ में इसका मूल्य ११ करोड़ ८० लाख रु० था।

भारत में १९५८ में १,११,५०,००,००० रु० के मूल्य की धातु का उत्पादन हुआ। धातु के मूल्य में यह वृद्धि लौह धातु के कारण हुई। जोडा में टिस्को के लौह-मैंगनीज कारखाने के कारण लौह-मैंगनीज का उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया है। तैयार इस्पात का उत्पादन ४८,००० मेट्रिक टन घट गया। अलौह धातुओं में अलमुनियम और सीसे का उत्पादन बढ़ रहा है किन्तु सोने का उत्पादन घटा। तांबे का उत्पादन पिछले साल के ही समान रहा।

राज्यवार विश्लेषण

राज्यवार विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि बिहार राज्य में ४८ करोड़ ८० लाख टन धातु निकाली गयी, जो सभी राज्यों में निकाली गयी धातु से सबसे अधिक है। इसके बाद प० बंगाल और मध्य प्रदेश का नम्बर आता है। बिहार, प० बंगाल, बम्बई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धातु का अधिक उत्पादन होने के कारण ही १९५८ में धातु का उत्पादन बढ़ा।

देश की अर्थ-व्यवस्था में धातु विदेशी मुद्रा की आय का मुख्य साधन है। १९५८ में खनिज तथा धातु के निर्यात से ४६ करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी-मुद्रा की आय हुई जो कि उस साल की विदेशी-मुद्रा की आय का ८ प्रतिशत है। १९५७ की तुलना में धातु के निर्यात में २८ प्रतिशत कमी हुई। यह कमी विदेशी बाजारों में कच्चे मैंगनीज की मांग घट जाने के कारण हुई, क्योंकि अमरीका तथा अन्य औद्योगिक देशों में इस्पात का उत्पादन मन्दा पड़ गया था। पिछले सालों की तरह धातुओं में सबसे अधिक निर्यात कच्चे मैंगनीज का किया गया। इसके बाद क्रमशः कच्चे लोहे अबरक, कोयला और इलमेनाइट का नम्बर आता है। भारतीय खनिज धातु की सबसे अधिक मांग अमरीका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया में है।

सन् १९५८ में कुल २ करोड़ ९३ लाख रु० के मूल्य की धातुओं का निर्यात हुआ, जबकि १९५७ में ३ करोड़ ६५ लाख रु० की धातुओं का हुआ था। केवल लोहे और इस्पात की चीजों के निर्यात में ही ९० लाख रु० की कमी हुई। इस साल लगभग सभी धातुओं का निर्यात कम हुआ।

खनिज वस्तुओं के आयात में भी कमी हुई। १९५७ में ९ करोड़ ४० लाख रु० का खनिज सामान आयात हुआ था, जबकि १९५८ में ८ करोड़ रु० के खनिज सामान का आयात हुआ। १९५८ में कुल १३२ करोड़ ८० लाख रु० की धातुओं का आयात हुआ, जो १९५७ के आयात से ३५ प्रतिशत कम था। इसमें से लगभग ६६ प्रतिशत आयात लौह धातुओं का था। लोहे और इस्पात के सामान के आयात में ४९ करोड़ २० लाख रु० की और लोहे के ढोकों के आयात में ४० लाख रु० की कमी हुई। १९५७ में ४३ करोड़ ३० लाख रु० की अलौह धातुओं का आयात हुआ था, जबकि १९५८ में ३४ करोड़ ८० लाख रु० की अलौह धातुओं का आयात हुआ।

खनिज मैंगनीज

सन् १९५८ में सभी प्रकार के खनिज मैंगनीज की कीमतों में गिरावट आई। अबरक के दाम तो वही रहे जो १९५७ में थे और इलमेनाइट ५५ प्रतिशत टी० आई० ओ० २ की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई। इस साल की दूसरी तिमाही में खनिज लौह ६० प्रतिशत एफ ई के दामों में ५ रु० प्रति टन की गिरावट आई।

औद्योगिक क्षेत्र में कई बाधाएं आ जाने से १९५८ में बहुत-से देशों में खनिज पदार्थों का उत्पादन और खपत कम हो गयी। इसका सबसे अधिक प्रभाव अमरीका में पड़ा, जहां कोयले के उत्पादन में १८ प्रतिशत, खनिज लौह के में ३६ प्रतिशत और तांबे के में ९ प्रतिशत की गिरावट आई। किन्तु रूस और चीन में खनिज उत्पादन काफी बढ़ा। इन दोनों देशों में कोयले के उत्पादन में ६६ प्रतिशत और इस्पात के उत्पादन में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा कारखानों को ऋण

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने सूती कपड़ा कारखानों और जूट के कारखानों को अपने यहां नई मशीनें लगाने और काम बढ़ाने के लिए ऋण देने की योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत इन कारखानों को १० लाख रु० तक का ऋण दिया जा सकता है।

इसके अलावा निगम की थोड़े और लम्बे समय के लिए ऋण देने की दो और योजनाएं हैं। ये ऋण भी कारखानों के लिए नई मशीनें खरीदने के लिए दिये जाते हैं।

नई योजना के अन्तर्गत ऋण लेने वाले को एक रुक्का या तमस्सुक लिखना होगा और ऋण की राशि के मूल्य की कोई वस्तु बंधक रखनी होगी। ऋण पांच बराबर किश्तों में चुकाना होगा, पर पहली किश्त ऋण लेने के २ साल बाद देनी होगी।

लम्बी अवधि के लिए ऋण

लम्बी अवधि के लिए आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत निगम ने अब तक २७ सूती कपड़ा मिलों और २४ जूट मिलों को नई मशीनें लगाने के लिए १२॥ करोड़ का ऋण मंजूर किया है। कारखानों ने इसमें से अब तक

५ करोड़ रु० लिया है। शेष रुपया मशीनों की खरीद के बाद उनका दाम चुकाते समय दिया जाएगा।

इसके अलावा निगम ने मशीनी औजार उद्योग को बढ़ाने के लिए ३५ लाख रु० के दो ऋण दिये हैं।

लम्बी अवधि के लिए आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत लिया गया ऋण १५ सालाना किश्तों में चुकाना होता है। पहली किश्त ऋण लेने के १८ महीने बाद देनी होती है।

कम अवधि के ऋण

निगम सूती कपड़ा मिलों और जूट मिलों को देश में बनी आधुनिक मशीनें खरीदने के लिए थोड़े समय के ऋण देता है। पहले इस योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक ५ लाख रु० ऋण दिया जा सकता था, पर अब इसे बढ़ाकर १० लाख रु० कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मशीनें किश्तों पर खरीदी जाती हैं। मशीन के मूल्य का २५ से ४० प्रतिशत चुकाने पर कारखानों को मशीनें दे दी जाती हैं। शेष दाम ५ बराबर किश्तों में चुकाया जाता है।

अब तक थोड़े समय के पांच ऋण दिये जा चुके हैं और शेष अर्जियों पर विचार हो रहा है।

१९५९ में नयी कम्पनियों की रजिस्टरी

पिछले तीन वर्षों में से १९५९ में सबसे ज्यादा नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं। पिछले साल ७५ सार्वजनिक और १,३२४ निजी, अर्थात् कुल १,३९९ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं, जबकि १९५८ में १,०५२ और १९५७ में ९०९ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुई थीं। भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५७ से पहले लागू हुआ था। अतः जब से यह कानून लागू हुआ है तब से नयी कम्पनियों की संख्या हर साल बढ़ रही है।

दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और केरल राज्य शामिल हैं, १९५९ में १९५८ की अपेक्षा दुगुनी से भी ज्यादा नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं। प० बंगाल में सबसे ज्यादा, ३८७ कम्पनियां रजिस्टर हुईं। मद्रास राज्य में ३०९; बम्बई राज्य में २९० और दिल्ली में १४४ नयी कम्पनियां रजिस्टर हुईं।

आलोच्य वर्ष में कुल १९ सरकारी कम्पनियां रजिस्टर हुईं। एक करोड़ रु० या इससे ज्यादा की अधिकृत पूंजी वाली १९ कम्पनियां रजिस्टर हुईं।

भिलाई कारखाने में फरवरी १९६० में लोहे और इस्पात का उत्पादन

भिलाई इस्पात कारखाने में फरवरी १९६० में ३०,४८२ टन इस्पात के ढोंके तैयार हुए। इस प्रकार इस्पात के ढोंकों का कुल उत्पादन ७०,६८६ टन हो चुका है।

इसी महीने में १७,५८६ टन ब्लूम और १६,५२१ टन बिलेट तैयार हुए। लगभग २०,८४० टन बिलेट इस्पात की चादरें बनाने वाले कारखानों को भेजे गये। इस प्रकार अब तक भिलाई से २१,४९० टन बिलेट भेजे जा चुके हैं।

फरवरी में ५१,७६७ टन लोहे का उत्पादन हुआ। इस प्रकार अब तक का कुल उत्पादन ४,३१,२०४ टन तक पहुंच चुका है।

फरवरी के अन्त तक ३,३२,०८८ टन लोहा भिलाई से देश के दूसरे हिस्सों को भेजा जा चुका था।

ट्रैक्टरों का निर्माण

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने ४ मार्च को लोकसभा में बताया कि इस साल के मध्य तक दो कम्पनियां देश में ही ट्रैक्टर बनाने लगेंगी। श्री शाह ने कहा कि एक कम्पनी को हर साल १,२५० ब्रिटिश ट्रैक्टर, और दूसरी को एक जर्मन कम्पनी के सहयोग से हर साल इतने ही ट्रैक्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया है। इन दोनों कम्पनियों को बाहर से कच्चा माल, ट्रैक्टरों के पुर्जे आदि मंगाने के लिए भी लाइसेंस दिए जा चुके हैं।

मंत्री महोदय ने कहा कि देश में अधिक ट्रैक्टर बनाए जा सकें, इसके लिए ट्रैक्टर बनाने की कई योजनाओं पर विचार हो रहा है।

क्या आप जानते हैं !

भारत में औद्योगीकरण

● बीसवीं सदी के मध्य से भारत में नये-नये उद्योग खोले जाने लगे और इस समय देश में जितना उत्पादन है उसका केवल १० प्रतिशत उत्पादन संगठित उद्योग क्षेत्र में होता है, फिर भी हमारे उद्योग कई मानों में यूरोप के उद्योगों के मुकाबले के हैं।

● सूती कपड़ा मिलों का इतिहास सौ साल से भी अधिक पुराना है। जूट, चीनी, कागज, सीमेंट और लोहा तथा सीमेंट उद्योगों ने भी काफी प्रगति की है।

● यह ऐतिहासिक तथ्य रहा है कि जैसे-जैसे देश की अर्थ-व्यवस्था उद्योग-बहुल होती जाती है वैसे-वैसे पूंजीगत उद्योग के अनुपात में उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास घटता जाता है।

● १८४० और १९६० के बीच पूंजीगत उद्योग के विकास और उपभोक्ता वस्तु उद्योग के विकास में बहुत विषमता आ गई है। जापान और जर्मनी में पूंजीगत उद्योगों के विकास की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास तेजी से घटा, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास धीमी गति से कम हुआ और अमरीका, कनाडा, अर्जेण्टाइना और डेनमार्क में तो बहुत ही धीमी गति से घटा।

● भारत में १९४८ से १९५६ तक के आंकड़ों से यह पता चलता है कि इन वर्षों में उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास पूंजीगत उद्योगों की अपेक्षा बहुत तेजी से कम हुआ।

● इन दोनों उद्योगों के विकास के अनुपात में इस विषमता का महत्व यह है कि यह इस बात का परिचायक है कि देश पूंजीगत उद्योगों के महत्व को समझ गया है। यह ठीक है कि शुरू में पूंजीगत उद्योगों से एकदम फायदा नहीं होता, किन्तु आगे चलकर इन्हीं की बदौलत उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन दुगुना-चौगुना होने लगता है और इससे रहन-सहन का स्तर ऊंचा होने में काफी सहायता मिलती है।

छोटे पुर्जों के नये कारखाने

बंगलौर के मेसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के लिए छोटे पुर्जे तथा अन्य उपकरण बनाने के हेतु तीन छोटे कारखाने खोले जा रहे हैं। साथ ही इसकी भी पड़ताल की जा रही है कि उक्त कम्पनी के लिए और भी छोटे कारखाने खोले जा सकते हैं या नहीं। यह सूचना १४ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने दी।

उन्होंने बताया कि बंगलौर की इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि० के लिए पुर्जे बनाने के हेतु स्त्रियों की औद्योगिक सहकारी समिति बनाई गई है।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि कलकत्ता की नेशनल इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी के लिए पुर्जे बनाने के हेतु भी दो छोटे कारखाने खोले जाने वाले हैं। इनमें से एक कारखाने में लकड़ी के डिब्बे बनेंगे और दूसरे में जिग और अन्य औजार।

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में निर्माण-कार्य

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १४ मार्च को लोकसभा में बताया कि बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में अनेक प्रकार के औजार बनाने के बारे में जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री शाह ने बताया कि १९६३-६४ तक इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता ७०० मशीन प्रति साल से बढ़ाकर २,००० मशीन प्रति साल करने की योजना को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

इस समय यहां एच-२२ खराद, वैंटिगनवेल्स टाइप के खराद, पीसने की मशीन और छेदने की मशीन (१॥ इंच और २ इंच)—ये चार तरह की मशीनें बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं।

चीनी बनाने की मशीनों का निर्माण

देश में ६ फर्में चीनी बनाने की मशीनें बना रही हैं। आशा है, अगली जनवरी के पहले ही सहकारी चीनी फैक्टरियों को चार मशीनें दे दी जाएंगी, ताकि वे अगले साल चीनी बनाना शुरू कर सकें।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

अखबारी कागज के उत्पादन की योजनाएं

विदेशी फर्मों से अखबारी कागज बनाने के बारे में दो योजनाएं सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गयी हैं। योजनाएं पेश करने वाले कितनी विदेशी-मुद्रा खर्च करेंगे और उसकी क्या व्यवस्था करेंगे, इन प्रस्तावों पर विचार करने के बाद ही इस बारे में अंतिम निर्णय किया जाएगा।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने ७ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शाह ने कहा कि समाचारपत्रों की बिक्री, आकार और पृष्ठ-संख्या के आधार पर ही उन्हें अखबारी कागज का कोटा दिया जाता है। अगर कोई प्रकाशक यह कहे कि उसके एक अंक की २,००० से ज्यादा प्रतियां बिकती हैं तो उसे किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट या आडिटर से इस बात का प्रमाणपत्र लेना पड़ता है।

प्रत्येक प्रकाशक को जितना अखबारी कागज दिया जाता है, वह उसे पूरा खपाना पड़ता है। श्री शाह ने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई पत्र नियमित रूप से प्रकाशित नहीं होता तो उसका कोटा कम कर दिया जाता है।

अच्छे डिजाइन का पानी का मीटर

भारतीय विज्ञान संस्था ने अच्छे डिजाइन का पानी का मीटर बनाया है। यह मीटर पानी का बहुत धीमा बहाव भी रिकार्ड कर लेता है। आशा है यह मीटर पुराने किस्म के मीटरों से हल्का और सस्ता होगा।

आजकल देश में पांच फर्में विदेशी फर्मों की सहायता से पानी के मीटर बना रही हैं। उनका उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ है। १९५८ में यहां केवल ४०,५०० मीटर बने थे।

वैसे पानी के मीटर बनाने में कुछ खास मशीनों आदि की जरूरत नहीं पड़ती। गरारी काटने वाली छोटी मशीन, एक खराद और ढलाई की एक छोटी-सी मशीन से ही इनका उत्पादन किसी भी कारखाने में आसानी से शुरू किया जा सकता है।

द्रव सोना बनाने की नई विधि

जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुकर्मशाला में द्रव सोना बनाने की एक सरल विधि निकाली गई है। इस पर खर्च कम आता है और माल विदेशों की टक्कर का होता है।

द्रव सोना या सोने का पानी सिरेमिक, चीनी मिट्टी के बर्तनों और कांच की वस्तुओं को सजाने में काम आता है। मूल्य कम होने के कारण यह सस्ती से सस्ती वस्तुओं, जैसे सिरेमिक, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच की चीजों, प्यालों, प्लेटों और चूड़ियों इत्यादि पर लगाया जाता है।

भारत में २२५ से अधिक कांच की फैक्ट्रियां हैं। फिरोजाबाद की ९० फैक्ट्रियां करीब ६ करोड़ रु० की लगभग १०,००० टन चूड़ियां बनाती हैं, जिनमें लगभग १ लाख औंस द्रव सोने की वार्षिक खपत है। भारत में चीनी मिट्टी के बर्तनों की फैक्ट्रियों की भी संख्या बढ़ रही है, वे चीनी मिट्टी के बर्तनों को सजाने के लिए इस द्रव का उपयोग करने लगे हैं।

अभी हाल तक द्रव सोना अधिकतर विदेशों से आयात किया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से देशी कारखानों ने इसका बनाना आरम्भ कर दिया है।

कारों की चोर बाजारी पर नियंत्रण

केन्द्रीय सरकार ने १९५९ के मोटरकार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार कोई व्यक्ति कार खरीदने के दो साल बाद तक उसे बेच नहीं सकेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति कार नियंत्रक की आज्ञा के बिना एक कलेंडर वर्ष में दो नई कारें नहीं खरीद सकेगा।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने ४ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

सोवियत और भारत के मध्य व्यापार

भारत और सोवियत संघ में सन् १९६० में व्यापार के बारे में १४ मार्च को बातचीत पूरी हो गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री के० वी० लाल और सोवियत संघ के विदेश व्यापार विभाग के प्रधान, श्री वी० वी० स्पडेरियन ने एक दूसरे को पत्र दिए, जिसमें इस व्यापार की व्यवस्था का ब्योरा है।

बातचीत के दौरान सोवियत और भारत में व्यापार की समीक्षा की गई। जनवरी से नवम्बर १९५९ तक दोनों देशों में करीब ४१ करोड़ का व्यापार हुआ और सन् १९६० में और भी अधिक होने की आशा है।

सोवियत संघ से भारत मुख्यत लोहा, इस्पात का सामान, तेल के लिए धरती को बेधने के यंत्र, कल-कारखाने का सामान और मशीनें, ट्रैक्टर और खेती के यंत्र, शक्ति पैदा करने के यंत्र, अखबारी कागज, तापसह सामान, पेट्रोल, उर्वरक, निर्माण और परिवहन की मशीनें, कपड़ा मिलों की मशीनें, डाक्टरी का सामान और वीक्षक यंत्र आदि मंगाएगा।

भारत से सोवियत संघ को ये चीजें निर्यात होंगी—चाय, काफी, मसाले, काजू, ऊन, खाल, चमड़ा, तेल और सत्त, कपड़ा, अभ्रक, दस्तकारी, पाट का सामान, चमड़े के जूते, नारियल के रेशे की चीजें, तेल का सामान, सूती और ऊनी कपड़ा और गर्जी-मोजे, गलीचे आदि।

बल्गेरिया के साथ नया व्यापार करार

भारत और बल्गेरिया के बीच ३ मार्च को एक नया व्यापार करार हुआ, जो १ जनवरी, १९६० से तीन साल तक लागू माना जाएगा। इससे पहले १८ अप्रैल, १९५६ को जो व्यापार करार हुआ था, उसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गई।

नए व्यापार करार के अन्तर्गत सभी व्यापारी तथा गैर-व्यापारी लेन-देन का भुगतान रुपये में होगा।

भारत बल्गेरिया से अनेक प्रकार की मशीनें, बिजली तैयार करने की मशीनें, बिजली की मोटरें, इलेक्ट्रो-मेडिकल यंत्र, कास्टिक सोडा, सोडा-एश, प्रतिजीव दवाएं आदि प्रयोगशाला का सामान, चमड़ा रंगने का सामान, कच्चा रेशम, फोटो-पेपर आदि आयात करेगा।

बल्गेरिया भारत से चाय, कहवा, मसाले, वनस्पति तेल, चपड़ा, चमड़ा और खाल, काजू, सिलाई की मशीनें, खेल का सामान, प्लास्टिक का सामान, इंजीनियरी का हल्का सामान, जहाज की रस्सियां, दवाएं और जड़ी-बूटियां, सूती कपड़े, मोजे, बनियान आदि, चमड़े का सामान, ऊनी कपड़े, ऊनी मोजे आदि, पटसन और नारियल के रेशे का सामान, दस्तकारी और हथकरघा सामान, उतारी फिल्में आदि मंगाएगा।

करारनामे पर भारत सरकार की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री के० आर० खिलनानी ने तथा बल्गेरिया सरकार की ओर से बल्गेरिया व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के नेता तथा विदेश व्यापार मंत्रालय के निदेशक ने हस्ताक्षर किए।

भारत ने नवम्बर १९५९ तक ११ महीने में बल्गेरिया को २४ लाख रु० का सामान भेजा और लगभग इतने ही मूल्य का सामान वहां से मंगाया। १९५८ में भारत ने बल्गेरिया को ७ लाख रु० का सामान भेजा और इतने ही मूल्य का सामान वहां से मंगाया।

भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार

२ मार्च को नयी दिल्ली में भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीत समाप्त हुई। दोनों देशों की ओर से क्रमशः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री के० आर० एफ० खिलनानी, और भारत में चेकोस्लोवाकिया के वाणिज्य दूत श्री एल० पेस्ल के बीच व्यापार समझौते सम्बन्धी कागज-पत्रों का आदान-प्रदान हुआ।

चेकोस्लोवाकिया से भारत भेजी जाने वाली मुख्य-मुख्य चीजें इस प्रकार हैं—पूंजीगत सामान, मशीनें, मशीनी औजार, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, और कागज। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची इस प्रकार है: जूट और नारियल के रेशे के सामान, दस्तकारी की वस्तुएं, तिलहन की खली, डिब्बा-बन्द मछली और केकड़ा, वनस्पति तेल, इंजीनियरी का सामान, लोहा और मैंगनीज, अभ्रक और कच्चा लोहा।

भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार, सितम्बर १९५७ के व्यापार समझौते के अनुसार होता है। इस संधि की अवधि गई १९५९ में बढ़ा दी गई थी और यह इस साल के अन्त तक लागू रहेगी।

पिछले साल के पहले ग्यारह महीनों में दोनों देशों के बीच ७ करोड़ ४० लाख रु० का व्यापार हुआ।

भारत और रूमानिया में व्यापार समझौता

नयी दिल्ली में १ मार्च को भारत और रूमानिया की सरकारों के बीच १९६० के लिए व्यापार समझौता हुआ। इस पर भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री के० आर० एफ० खिलनानी और रूमानिया की ओर से भारत में रूमानिया दूतावास के वाणिज्य सलाहकार ने हस्ताक्षर किए।

पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच काफी व्यापार बढ़ा है। आशा है उक्त समझौते के बाद १९६० में यह व्यापार और बढ़ेगा। १९५६ में भारत से रूमानिया को २ लाख रु० का सामान निर्यात हुआ था, जबकि १९५९ के पहले ११ महीनों में १ करोड़ ८१ लाख रु० का सामान निर्यात हुआ। रूमानिया से १९५६ में ३५ लाख रु० का सामान आयात हुआ था, जबकि १९५९ के पहले ११ महीनों में ७० लाख रु० का सामान आयात हुआ।

रूमानिया से भारत को मुख्यतः इन चीजों का आयात होता है: तेल के लिए खुदाई करने के औजार, ट्रैक्टर, अखबारी कागज, मशीनी औजार आदि। भारत से रूमानिया को मिर्च, चाय, कच्चा और सिझा हुआ चमड़ा, सक्रिय लोहा, ऊनी और सूती कपड़े, खेलों का सामान आदि निर्यात होता है।

दस्तकारी की चीजों का निर्यात

पिछले कुछ वर्षों में दस्तकारी की चीजों का निर्यात काफी बढ़ा है। १९५९ में भारतीय दस्तकारी विकास निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक निर्यात हुआ, जिसका मूल्य ७ करोड़ ६० लाख रु० था। उससे पिछले वर्ष यानी १९५८ में ६ करोड़ ६० लाख रु० की दस्तकारी की चीजों का निर्यात किया गया था।

१९५९ में जिन वस्तुओं का निर्यात विशेष रूप से बढ़ा, वे हैं—पीतल और कांसे के बर्तन, चूड़ी और कड़े तथा गलीचे, हाथी दांत की चीजें, लकड़ी की नक्काशी की चीजें और ऊनी फर्श आदि।

भारतीय दस्तकारी विकास निगम ने १९६० में १० करोड़ रु० की दस्तकारी की चीजों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

निर्यात बढ़ाने के उपाय

दस्तकारी की चीजों का निर्यात बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक निगम दस्तकारी की चीजें तैयार करने वालों तथा निर्यात करने वालों को विदेशी फर्मों के आर्डरों के अनुसार माल तैयार कराने के लिए ७ लाख रु० का कर्ज दे चुका है। इससे लगभग १२ लाख रु० से भी अधिक की चीजों का निर्यात हुआ है।

निर्यात बढ़ाने के लिए निगम दस्तकारों द्वारा तैयार की गई चीजों के नमूने बाहर भेजता है। अब तक निगम पश्चिम एशिया के देशों, अमरीका तथा कुछ और देशों को इस प्रकार नमूने भेज चुका है।

निगम दस्तकारों तथा दस्तकारी की चीजों के निर्यातकों को विदेशों के बाजारों की गतिविधियों की नियमित सूचना देता रहता है। दस्तकारी की चीजों को बाहर भेजने के लिए जहाजों पर लादने से पहले निरीक्षण करने की निगम ने व्यवस्था की है। निगम द्वारा दी गई इस सुविधा का विदेशी आयातक पर्याप्त लाभ उठाते हैं।

भारतीय कपड़े का निर्यात

वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो ने प्रश्नोत्तर के समय १ मार्च को लोकसभा में कहा कि यह बात सही है कि भारतीय सूती कपड़े का निर्यात बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कपड़ा मिलें आयातित सूत का २० प्रतिशत अपने पास रख सकती थी, किन्तु अब निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत यह कोटा बढ़ाकर ३० प्रतिशत कर दिया गया है। ३,००० स्वचालित करघे लगाने की भी एक योजना मंजूर की गई है, ताकि निर्यात के लिए बढ़िया कपड़ा बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार समय-समय पर निर्यात प्रोत्साहन योजना की समीक्षा भी करती रहती है।

पाकिस्तान से ताजे फलों का आयात

भारत सरकार ने पाकिस्तान से चालू वित्तीय वर्ष में ताजे फल आयात करने के लिए मुख्य आयातकों को लाइसेंस देने का निर्णय किया है। ये लाइसेंस सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को दिए जाएंगे, जिन्होंने १९४५-४६ से १९५३-५४ तक सुलभ मुद्रा क्षेत्र से तथा ३० जून, १९५६ को समाप्त ४ वर्षों में अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात किया था। सरकार ये लाइसेंस तदर्थ रूप से देगी।

सहकारी समितियों को ताजे फल मंगाने का लाइसेंस देने के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा।

भारत-पाकिस्तान के बीच सीमित भुगतान समझौता हुआ था, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि भारत ताजे फलों का भुगतान रुपयों में करेगा। किन्तु शर्त यह थी कि इस मुद्रा का विनिमय किसी अन्य मुद्रा में नहीं किया जाएगा।

मोटरगाड़ियों पर उत्पादन शुल्क

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यदि निर्माता ने वास्तव में उत्पादन शुल्क दिया है, तो २९ फरवरी, १९६० को मोटरगाड़ियों के जो दाम थे, उसके अलावा खरीदार उत्पादन शुल्क भी देगा।

भारत सरकार ने मोटरगाड़ियों पर उत्पादन शुल्क देने के बारे में वित्त विधेयक, १९६० में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

१ मार्च, १९६० के बाद मोटरगाड़ियों के मूल्य के बारे में गलतफहमी न हो, इसलिए निर्माताओं से कहा गया है कि वे अगले तीन महीने (मार्च, अप्रैल और मई) में अपने विक्रेताओं को प्रत्येक मोटरगाड़ी के साथ प्रमाणपत्र दें कि उस पर वास्तव में उत्पादन शुल्क दिया गया है। प्रमाणपत्र में गाड़ी का चेसिस नम्बर और इंजन नम्बर भी लिखें।

उत्पादन शुल्क पर निर्माता या विक्रेता को कोई लाभ न दिया जाए।

वित्त विधेयक, १९६० में उत्पादन शुल्क की दर इस प्रकार दी गई है :

आटोसाइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, आटोरिक्शा और किसी भी तीन पहिए की मोटरगाड़ी पर—१७५ रु०; रायल आटोमोबाइल क्लब (आर० ए० सी०) द्वारा निर्धारित, १६ हार्सपावर से कम की मोटरगाड़ी पर १,००० रु०; १६ हार्सपावर से अधिक मोटरगाड़ी पर, जिसमें ९ व्यक्ति से अधिक न बैठते हों—३,००० रु० या मूल कीमत का १५ प्रतिशत, जो भी अधिक हो; अन्य मोटरगाड़ियों पर—२,५०० रु० या १२॥ प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

सीमा शुल्क और उत्पादन कर की वापसी

भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुछ कच्चे सामान के सीमा शुल्क और उत्पादन कर में छूट देने का निश्चय किया है। कार्क के डट्टों, चाय की पेटियों, टाइपराइटरों, नर्म इस्पात की पिनों और क्लिपों, वारनिशों और बिजली के सामान के एनेमिल तथा मछली के जालों की डोरियों के बनाने में लगने वाले कच्चे सामान के सीमा शुल्क और उत्पादन कर की वापसी दी जाएगी। कागज की चीजों, पोटाशियम साइट्रेट और नर्म इस्पात की नलियों पर दी जाने वाली छूट की दरों में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

यह सूचना वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की १४ मार्च की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

प्लास्टिक के सामान का निर्यात

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने १४ मार्च को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि अब ऐसी स्थिति हो गई है कि भारत प्लास्टिक के सामान का निर्यात कर सकता है। प्लास्टिक और

लिनोलियम निर्यात वृद्धि परिषद के आंकडों के अनुसार १९५९-६० के पहले १० महीनों में ६२ लाख रु० के मूल्य का प्लास्टिक का सामान बाहर भेजा गया, जबकि १९५५-५६ में सिर्फ ७ लाख रु० का भेजा गया था। निर्यात वृद्धि परिषद ने मिस्र, अदन और सीरिया के बाजारों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी प्रकाशित की है।

जनवरी १९६० में भारत का विदेशी व्यापार

कलकत्ता के वाणिज्य सूचना और अंक विभाग की ११ मार्च की विज्ञप्ति के अनुसार, जनवरी १९६० में जल, थल और हवाई मार्ग से निजी और सरकारी रूप से भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े इस प्रकार हैं

व्यापारी माल इसमें नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान के साथ स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार शामिल नहीं है। निर्यात—५१ करोड ५१ लाख रु० , पुनर्निर्यात–५३ लाख रु० ; आयात–६२ करोड ५३ लाख रु० , आयात के आंकडों में उस सरकारी सामान का मूल्य शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना अभी बाकी है।

कोष नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)–३१ लाख रु० ; सोना–बिलकुल नहीं; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा) –नगण्य । नोटों का आयात–१ करोड १ लाख रु० , सोना–३ लाख रु० ; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)– नगण्य ।

व्यापारतुला · व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात से १० करोड़ ५२ लाख रु० कम रहा।

जहाजरानी में नाप-तोल की मेट्रिक प्रणाली

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने अगस्त १९६० से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, कांदला और विशाखापत्तनम के बन्दरगाहों में जहाजरानी के वाणिज्य सम्बन्धी कामों में नाप-तोल की मेट्रिक प्रणाली चालू करने का निर्णय किया है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क लगाने तथा वसूलने के तरीके में परिवर्तन किया गया है और इसी कारण सरकार ने यह निर्णय किया है। यह नियम किस तारीख को लागू होगा, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।

दशमिक बांटों और मापों के नियंत्रकों का सम्मेलन

राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अधिसूचित क्षेत्रों में १ अक्तूबर, १९६० से दशमिक बांटों और मापों का व्यवहार आवश्यक कर दिया जाएगा।

यह निर्णय राजगिर (बिहार) में दशमिक बांटों और मापों के नियन्त्रकों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन में किया गया, जो ८ मार्च को समाप्त हुआ। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री के० वी० वेंकटाचलम ने की।

इस सम्मेलन में यह भी निर्णय किया गया कि चुने हुए क्षेत्रों के अलावा शेष सभी अन्य क्षेत्रों में भी १ अप्रैल, १९६० से दशमिक बांट और माप लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि तक पुराने बांटों और मापों का उपयोग भी होता रहेगा।

सम्मेलन में दशमिक बाटों और मापों को लागू करने के सम्बन्ध में अब तक हुए विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की गई और इस बात पर संतोष प्रकट किया गया कि इस काम के लिए राज्यों में पर्याप्त कर्मचारी और सामान उपलब्ध हैं। सम्मेलन की राय में दशमिक बांटों और मापों के लागू हो जाने पर जितने बांटों और मापों की मांग होगी, उसे पूरा किया जा सकेगा।

कोयले के अंगार-करण से उपोत्पादन

तीसरी योजना में कोयले के अंगार-करण से प्राप्त होने वाले मुख्य उपोत्पादन कितनी मात्रा में मिल सकते हैं, यह निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। यह समिति इस बात की सिफारिश भी करेगी कि इन उपोत्पादनों का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठायें जाएं। आवश्यकता होने पर समिति उत्पादन व्यय की जांच भी करेगी और बिक्री के मूल्य विशेषकर बेंजीन, टोलीन, जीलीन और नैप्थलीन की कीमतों के बारे में भी सिफारिश करेगी।

वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार, डा० जी० पी० काने समिति के अध्यक्ष होंगे और औद्योगिक सलाहकार श्री एन० श्रीनिवासन वैकल्पिक अध्यक्ष। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे : आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशालय के डा० जी० एस० कसबेकर, इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के उपसचिव श्री के० एस० रघुपति और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्री जे० के० घोष। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विकास अधिकारी, श्री जोगिन्दर सिंह, समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

कस्तूरी की सुगन्ध बनाने की नई विधि

पूना की राष्ट्रीय प्रयोगशाला में कस्तूरी की सुगंध के लिए एक्जालटोन और एक्जाल्टोलाइड बनाने की विधि निकाली गई है। एक्जालटोन और एक्जाल्टोलाइड सरसों के तेल से बनाए जाते हैं। इन्हें कस्तूरी के क्रियाशील मौलिक अंश—मस्कोन—की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस समय विदेशों से जो नकली कस्तूरी मंगाई जाती है उसके ५०० ग्राम का दाम १॥ हजार रु० से ३ हजार रु० तक है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की विधि से बनाई गई कस्तूरी इससे कहीं सस्ती पड़ेगी। अगस्त १९५९ से रसायनशाला में आजमाइश के तौर पर कस्तूरी बनाने का काम हो रहा है।

कस्तूरी की सुगंध बनाने की इस नई विधि की ईजाद से कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृगों को मारने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

प्रयोगशाला में सुगंध के लिए सिविटोन, डिहाइड्रोसिविटोन, साइक्लोहेक्साडेकानोन, आइसोएम्ब्रेटोलाइड और डाइहाइड्रोएम्ब्रेटोलाइड बनाने की भी विधि निकाली गई है। ये पदार्थ भी कस्तूरी की सुगंध बनाने में काम आते हैं।

वस्त्र उद्योग वेतन मण्डल की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय

भारत सरकार ने केन्द्रीय वस्त्र उद्योग वेतन मण्डल की सर्वसम्मत सिफारिशों को मान लिया है और मालिकों, कर्मचारियों और राज्य सरकारों से इन्हें जल्दी से जल्दी लागू करने को कहा है। यदि सिफारिशों के आशय आदि के बारे में किसी प्रकार का सन्देह या कठिनाई हो, तो उसे मालिकों और मजदूरों को आपस में निपटाने या राज्य सरकार की सहायता से तय करने का सुझाव दिया गया है।

सरकार का कहना है कि देश के वस्त्र उद्योग में कर्मचारियों के काम की स्थिति और काम की मात्रा को जल्दी से जल्दी उस ढंग पर लाना चाहिए, जिसका भारतीय श्रम सम्मेलन ने सुझाव दिया है। इस काम को पूरा करने में मालिकों, मजदूर संघों और सरकार को जल्दी से जल्दी हाथ बटाना चाहिए।

वेतन मण्डल की महगाई भत्ता सम्बन्धी सिफारिशों पर जल्दी से जल्दी अमल करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने का निश्चय किया है। यह न्यायाधिकरण इस मामले में मालिकों और मजदूरों की बात सुनकर फैसला देगा। सरकार ने यह भी कहा है कि वेतन मण्डल के सामने अपनी स्थिति रखने के बाद जिन मिलों ने अपनी ओर से मजदूरी या वेतन बढाया है, उसे वेतन मण्डल की सिफारिशों पर अमल करते हुए वृद्धि में शामिल किया जाएगा।

उन कपड़ा मिलों पर वेतन मण्डल की सिफारिशें लागू करने के बारे में सरकार अलग से विचार करेगी, जो इस समय बन्द हैं या जिनके बारे में उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जाच चल रही है।

सरकार का खयाल है कि सिफारिशों का मतलब निकालने में कोई बड़ा मतभेद नहीं होना चाहिए। यदि इनके अमल पर किसी प्रकार की बड़ी कठिनाई सामने आए, तो मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए। ये निर्णय ३ मार्च के सरकारी गजट में प्रकाशित हुए हैं।

वस्त्र उद्योग के लिए त्रिपक्षीय वेतन मण्डल मार्च १९५७ में नियुक्त किया गया था। इसके अध्यक्ष श्री एफ० जीजीभाई थे। मालिकों के प्रतिनिधि श्री अरविन्द एन० मफतलाल और श्री भरतराम, कर्मचारियों के प्रतिनिधि श्री जी० रामानुजम् और श्री एस० आर० वासवदा थे। श्री अशोक मेहता और प्रो० एम० वी० माथुर भी मण्डल के सदस्य थे।

मण्डल की सिफारिशों का सारांश

१ मण्डल के निर्णय सर्वसम्मत हैं और उन्हें एक-दूसरे से अलग करना सिफारिशों की मूल भावना के विरुद्ध होगा।

२ उद्योग, श्रमिकों और उपभोक्ता की भलाई के लिए प्रति कर्मचारी कार्यभार की न्यूनतम मात्रा जितनी जल्दी निश्चित हो जाए, उतना अच्छा है।

३ १ जनवरी, १९६० से ५ वर्ष तक मालिकों और कर्मचारियों, दोनों को न्यूनतम वेतन या मजदूरी पर फिर से विचार करने की माग नहीं करनी चाहिए।

नवीकरण

४ यह सब के हित में है कि उद्योगों का नवीकरण जारी रहे और बम्बई, अहमदाबाद तथा कोयमुत्तूर मिलों के नवीकरण से अगले पाच वर्षों मे वे मिलें लाभ उठाएं, जहा अभी नवीकरण इतना आगे नहीं बढा है।

५ नवीकरण के कारण कर्मचारियो की न तो छटनी होनी चाहिए और न उनके वेतन आदि में किसी प्रकार की कमी। नवीकरण का लाभ मालिकों और कर्मचारियो को उचित अनुपात मे मिलना चाहिए।

६ नवीकरण से उत्पन्न होने वाले झगड़ों को तय करने के लिए विभिन्न क्षेत्र और सारे भारत के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

७ नवीकरण पर तेजी से अमल करने मे अब सरकार के हाथ बटाने का भी समय आ गया है।

वेतन

८. वेतन की दृष्टि से वस्त्र उद्योग को दो श्रेणियों में बांटना चाहिए। बम्बई नगर, बम्बई द्वीप (कुरला समेत), अहमदाबाद, बडौदा, बिलीमोरिया, नवसारी, नादियाद, सूरत, फगवाड़ा, हिसार, दिल्ली, मोदीनगर, कलकत्ता नगर, सारे मद्रास राज्य और बगलौर की मिलें पहली श्रेणी में आनी चाहिए और अन्य स्थानों की दूसरी श्रेणी में।

९ पहली श्रेणी की मिलों के मजदूरों को १ जनवरी, १९६० से औसतन ८ रु० प्रति मास की वृद्धि दी जाएगी। इसके बाद १ जनवरी, १९६२ से प्रत्येक मजदूर को २-२ रु० प्रति मास और मिलने लगेंगे।

१०. इसी प्रकार दूसरी श्रेणी की मिलो के मजदूरों को १ जनवरी, १९६० से औसतन ६ रु० और १ जनवरी, १९६२ से २-२ रु० प्रति मास वृद्धि दी जाएगी।

११ १ जनवरी, १९६० से होने वाली बढोतरी मूल वेतन मे की जाएगी। इसके साथ यह शर्त होगी कि पहली श्रेणी की मिलो के कम से कम वेतन पाने वाले मजदूरों को ७ रु० और दूसरी श्रेणी की मिलो मे कम से कम वेतन पाने वाले मजदूरो को ५ रु० से कम की वृद्धि न दी जाए। १ जनवरी, १९६२ से २ रु० की वृद्धि सभी मजदूरों पर एक-सी लागू होगी।

भत्ते आदि

१२. प्रत्येक शहर के रहन-सहन की चीजो के मूल्य के सूचक अक को ध्यान में रख कर ही वहा के मजदूरो को महगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। अगर किसी शहर में ऐसा कोई सूचक अंक नही है तो निकटतम शहर के सूचक अक को ध्यान मे रखा जाए।

१३ कुछ स्थानो पर महगाई भत्ता नही है, केवल तनख्वाह दी जाती है और कहीं-कहीं महगाई भत्ता निर्धारित है। दोनों ही हालतों में कुल तनख्वाह अन्य स्थानो की अपेक्षा कम बैठती है। इन स्थानो पर रहन-सहन की चीजों के मूल्य के सूचक अक के अनुसार [illegible] युक्त महगाई भत्ता निर्धारित किया [illegible]

१४. मद्रास राज्य में १९३६-३९ की अवधि को आधार मानकर रहन-सहन की चीजों के मूल्य के सूचक अंक में जो वृद्धि हुई है, उसी के अनुसार वहां के मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए।

१५ सन् १९५९ के पहले ६ महीनों के महंगाई भत्ते का जो औसत बैठता है, उसका तीन-चौथाई भाग मूल वेतन में मिला दिया जाए। बाकी २५ प्रतिशत महंगाई भत्ता बना रहे। यह महंगाई भत्ता रहन-सहन की चीजों के मूल्य के सूचक अंक के साथ घटता-बढ़ता रहना चाहिए ।

१६. जहां मूल वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी दी जाती है, वहां ३१ दिसम्बर, १९५९ तक दिए गए मूल वेतन को आधार माना जाएगा। किन्तु १ जनवरी, १९६० से ग्रेच्युटी का आधार वह वेतन होगा, जो मूल वेतन और उक्त तारीख से होने वाली वृद्धि को मिलाकर बैठेगा। लेकिन, अगर इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है तो वह, ग्रेच्युटी का हिसाब लगाते समय, वेतन में से घटा दिया जाएगा।

१७ अन्य कर्मचारियों का वेतन मालिकों और कर्मचारियों को रिपोर्ट के पैरा १०६ की शर्तों के अनुसार निर्धारित कर लेना चाहिए ।

क्लर्क वर्ग के लोगों के वेतनादि

१८ जूनियर और अर्ध-क्लर्कों का वेतन क्रम इस प्रकार होगा

(१) प्रथम श्रेणी की मिलों के जूनियर क्लर्क—७५-५-१०५-७॥-१५०- । दक्षता रोक।-१०-२००-१२॥-२५० रु०

(२) दूसरी श्रेणी की मिलों के जूनियर क्लर्क—६०-५-९०-६-१२०- । दक्षता रोक। -७॥-१५०-१०-२०० रु०

(३) प्रथम श्रेणी की मिलों के अर्ध-क्लर्क—५०-३-८०-। दक्षता रोक। -५-१२५ रु०

(४) दूसरी श्रेणी की मिलों के अर्ध-क्लर्क—४०-३-७०-। दक्षता रोक। -५-१०५ रु०

१९ अगर किसी जूनियर क्लर्क का मूल वेतन नए क्रम के आरम्भिक वेतन से ज्यादा है तो उसका वेतन नए क्रम के उस मूल वेतन से शुरू होगा, जो उसके वर्तमान वेतन के तुरत बाद आता है। इसके बाद उसे नए वेतन-क्रम की दो वार्षिक वृद्धियां दी जाएंगी।

२०. अगर किसी जूनियर क्लर्क का मूल वेतन नए क्रम के आरम्भिक वेतन से कम है तो उसे नए वेतन-क्रम का आरम्भिक वेतन दिया जाएगा और इसके बाद कुल दो वार्षिक वृद्धियां दी जाएंगी।

२१ अर्ध क्लर्कों का वेतन भी उक्त सिद्धांतों पर निर्धारित किया जाएगा।

२२. अगर किसी जूनियर या अर्ध-क्लर्क का वेतन-क्रम या कुल वेतन इन नए वेतन-क्रमों से ज्यादा है, तो उसे वही वेतन मिलता रहेगा, जो अब तक मिल रहा है और वह अधिक वेतन विशेष वेतन कहलाएगा।

२३. अन्य क्लर्कों, स्टेनोग्राफरों आदि का वेतन मालिक, कर्मचारियों की सलाह से, उनके काम को देखकर निर्धारित करेंगे। परन्तु उनका वेतन इस प्रकार निर्धारित हो, जिससे वह जूनियर क्लर्कों के वेतन से अधिक रहे।

२४ दक्षता रोक केवल तभी लगाई जाए जब कर्मचारी के काम में अधिक गिरावट हो।

२५ क्लर्कों के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिलाना उपयुक्त नहीं है। आपरेटिवों के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते की जो राशि मिलाई गई है, वह क्लर्कों को विशेष महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगी। इसके अलावा क्लर्कों को, आपरेटिवों को मिलने वाला महंगाई भत्ता भी मिलेगा और निम्नलिखित राशि भी मिलेगी .

१०० रु० तक मूल वेतन पर —७॥ रु०
१०१ रु० से २०० रु० तक —१५ रु०
२०१ रु० से ३०० रु० तक —२२॥ रु०
३०१ रु० से अधिक —२५ ०

२६ अर्ध-क्लर्कों को भी वह राशि विशेष महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगी, जो आपरेटिवों के मूल वेतन के साथ मिलाई गई है। इसके अलावा उन्हें वह महंगाई भत्ता भी मिलेगा, जो आपरेटिवों को दिया जाएगा।

२७ विशेष महंगाई भत्ता मूल वेतन के अतिरिक्त माना जाएगा और यह नए नियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह विशेष महंगाई भत्ता, भविष्य-निधि और सवेतन छुट्टी का हिसाब लगाते समय जोड़ा जाएगा, परन्तु जहां मूल वेतन पर ग्रेच्युटी दी जाती है, वहां ग्रेच्युटी का हिसाब लगाते समय यह विशेष भत्ता नहीं जोड़ा जाएगा।

२८. अर्ध-क्लर्क के नीचे क्लर्कों की कोई श्रेणी नहीं होगी। अर्ध-क्लर्क को छोड़कर बाकी सबसे कम वेतन पाने वाला क्लर्क जूनियर क्लर्क माना जाएगा और उसे जूनियर क्लर्क का ही वेतन दिया जाएगा।

२९. जूनियर क्लर्क और अर्ध-क्लर्क के लिए जो सिफारिशें की गई हैं, वे १ जनवरी, १९६० से लागू मानी जाएंगी।

३० एक ही प्रकार का काम करने वाले पुरुष और स्त्रियों में कोई अन्तर नहीं माना जाएगा ।

३१ इस समय कर्मचारियों को जो सुविधाएं और लाभ मिलते हैं, मण्डल की सिफारिशें लागू होने के बाद भी उनमें कोई कमी नहीं होगी। यदि किसी को अधिक वेतन मिलता हो तो उसका वेतन कम नहीं किया जाएगा।

३२ इस समय उद्योग की आर्थिक स्थिति ऐसी है, कि मण्डल ने जो सिफारिशें की हैं, उससे अधिक अभी कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी सिफारिशें लागू होने से उद्योग की उन्नति होगी और साथ ही कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा तथा कुशल कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मण्डल को इसका दुःख है कि यह उद्योग सौ वर्षों से चल रहा है, फिर भी इसकी अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि यह अपने कर्मचारियों को उपर्युक्त वेतन दे सके। अब मालिकों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल काम करना चाहिए और कर्मचारियों को भी अपना कर्तव्य भली-भांति समझना चाहिए।

३३ सरकार को १ जनवरी, १९६० से सिफारिशें लागू करवाने के लिए तेजी से प्रयत्न करना चाहिए।

३४ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रों में चीजों के भावों के सही सूचक अंक एकत्र करने चाहिए। यह अच्छा हो यदि भारत सरकार भाव, उत्पादकता, लाभ आदि के आंकड़े रखे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका अध्ययन किया जा सके।

३५ वेतन मण्डल की सिफारिशें उद्योग की मिश्री-जुली तथा कताई मिलों के सभी क्लर्कों और मजदूरों पर लागू होंगी।

सीमेंट वेतन मण्डल की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय

सीमेंट उद्योग के केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशें स्वीकार करते हुए केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि सीमेंट उद्योग में मजदूरों को कितना काम करना पड़ता है, इसकी जांच भी अवश्य होनी चाहिए। मण्डल की सिफारिशों को लागू करने में देर नहीं की जानी चाहिए, पर जितनी जल्दी हो सके, काम की जांच की जानी चाहिए।

सरकार का निर्णय १ मार्च के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया है।

निर्णय इस प्रकार है :

मण्डल की रिपोर्ट और मजदूरों तथा मालिकों के तत्सम्बन्धी मतभेद पर अच्छी तरह विचार करने के बाद सरकार ने निम्नलिखित संशोधनों के साथ मण्डल की सिफारिशों को मंजूर करने का निश्चय किया है

सरकार का विचार है कि सीमेंट उद्योग में मजदूरों को कितना काम करना पड़ता है, इसकी जांच होनी चाहिए। पर इस कारण मण्डल की सिफारिशों को लागू करने में देर करने की जरूरत नहीं है। काम की जांच जितनी जल्दी हो सके, की जानी चाहिए और दूसरे दौर में वेतन बढ़ाने की जो सिफारिश की गई है, उसे जहां जरूरी हो इस जांच के बाद लागू करना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार का सीमेंट कारखानों के मालिकों, मजदूरों और राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे उक्त संशोधन के साथ वेतन मण्डल की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। सरकार को आशा है कि मण्डल की सिफारिशों को लागू करने में जो कठिनाइयां सामने आएंगी, उन्हें मालिक और मजदूर आपसी बातचीत से सुलझाएंगे।

श्री एम० आर० मेहर, आई०सी०एस० (अवकाशप्राप्त) वेतन मण्डल के अध्यक्ष थे। मण्डल में दो स्वतन्त्र सदस्य और मजदूरों तथा मालिकों के दो-दो प्रतिनिधि भी थे।

मंडल की मुख्य सिफारिशों का सारांश

(१) ये सिफारिशें सीमेंट के कारखानों, सीमेंट के कारखानों के मालिकों की चूने के पत्थर की खानों (जिप्सम की खानों के अलावा), उन स्थानों पर, जहां चूना मिश्रित रेत आदि इकट्ठा किया जाता है और चिकनी मिट्टी खोदी जाती है, काम करने वाले मजदूरों पर लागू होंगी। खानों से कारखाने तक चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी और रेत आदि लाने वाले मजदूरों पर भी ये सिफारिशें लागू होंगी। इनके अलावा ये सिफारिशें पारडे प्रोपर्टीज लिमिटेड, एग्रीकल्चरल फार्म्स लिमिटेड की चूना पत्थर खानों के मजदूरों और यूनाइटेड शिपर्स लिमिटेड के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी। यूनाइटेड शिपर्स लिमिटेड के सब कर्मचारियों पर, चाहे वे अपनी कम्पनी के माल ढोने वाले जहाजों या किराए की दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिए गए जहाजों पर काम करते हों, लागू होंगी।

(२) ये सिफारिशें सीमेंट कम्पनियों के अन्य कारखानों—जैसे डालमियानगर में रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के वनस्पति, कागज आदि बनाने के कारखाने, डालमिया सीमेंट (भारत) लि० की तापसह ईंटें आदि और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने और उड़ीसा सीमेंट लि० की तापसह ईंटें आदि बनाने के कारखाने पर लागू नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के चुर्क के सीमेंट कारखाने को चूने का पत्थर सप्लाई करने वाली खानों में काम करने वाले कैदियों पर भी ये सिफारिशें लागू नहीं होंगी। साथ ही सीमेंट कम्पनियों के मुख्य और शाखा कार्यालयों के कर्मचारियों तथा एप्रेंटिसों और काम सीखने वालों पर भी ये सिफारिशें लागू नहीं होंगी।

(३) कारखाने के इमारती काम के लिए ठेके पर रखे हुए या सीमेंट बनाने के काम के अलावा अन्य कामों के लिए अस्थायी रूप से रखे गए मजदूरों पर भी ये सिफारिशें लागू नहीं होंगी। इन मजदूरों के अलावा ठेके पर रखे हुए अन्य सब मजदूरों को वेतन, महगाई-भत्ता, छुट्टी, डाक्टरी सुविधा, काम के घण्टे, समय से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त वेतन और बोनस नियमित रूप से रखे गए मजदूरों के समान ही मिलना चाहिए। कारखानों के मालिकों की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे इस बात का प्रबन्ध देखे कि ठेकेदार मजदूरों को समय पर सही वेतन देते हैं या नहीं। वेतन बांटे जाने के समय कारखाने के मालिक का प्रतिनिधि भी वहां होना चाहिए। सीमेंट की त्रिदल औद्योगिक समिति की हैदराबाद की बैठक की सिफारिशों का हवाला देते हुए मण्डल ने सुझाव दिया है कि जिन कारखानों में सीमेंट बनाने के काम के लिए अभी भी ठेके पर मजदूर रखे जाते हैं (कच्चे माल के लदान और ढुलाई के काम में लगे मजदूरों को छोड़कर) वहां पर मण्डल की सिफारिशें लागू होने के ६ महीने के भीतर ठेके पर मजदूर रखने की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए।

न्यूनतम वेतन

(४) मण्डल ने सिफारिश की है कि उस मजदूर को, जिसके परिवार में तीन सदस्य हों, कम से कम ९४ रु० वेतन दिया जाए। *यह राशि १५वें त्रिदल श्रम सम्मेलन में* स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर सुझाई गई है। कारखानों के मालिक, मजदूरों को जो सुविधाएं देते हैं, उनका ३ रु० काटकर मजदूरों को कुल वेतन ९१ रु० मिलेगा। कुल न्यूनतम वेतन का ब्योरा इस प्रकार है :

न्यूनतम मूल वेतन	–५२ रु०
महगाई भत्ता	–३१ रु० ५० न०पै०
मकान भत्ता	– ७ रु० ५० न०पै०
कुल .	९१ रु०

पर गुजरात और सौराष्ट्र में, जहां पर अन्य स्थानों की अपेक्षा रहन-सहन का खर्च अधिक होने का अनुमान है, कम से कम वेतन १०१ रु० रखा गया है। सुविधाओं का ३ रु० काटने के बाद मजदूरों को ९८ रु० मिलेगा। इसका ब्योरा इस प्रकार है :

न्यूनतम मूल वेतन	–५२ रु०
महगाई भत्ता	–३८ रु० ५० न०पै०
मकान भत्ता	– ७ रु० ५० न०पै०
कुल	९८ रु०

मण्डल ने अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल और अति कुशल कर्मचारियों का जो वेतन-क्रम और महंगाई भत्ता स्थिर किया है, वह इस प्रकार है :—

विवरण	मूल वेतन			महंगाई भत्ता		मकान भत्ता
	न्यूनतम	वार्षिक वृद्धि	अधिकतम	गुजरात और सौराष्ट्र के अलावा अन्य स्थानों पर	गुजरात और सौराष्ट्र में	
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
(क) जहां कर्मचारियों को माहवार वेतन दिया जाता है			एक महीने का वेतन			
अकुशल (अनस्किल्ड)	५२.००	१.३०	६२.४०	३१.५०	३८.५०	७.५०
अर्धकुशल	५७.२०	२.०८	७३.८४	३१.५०+ मूल वेतन का ५ प्रतिशत	३८.५०+ मूल वेतन का ५ प्रतिशत	७.५०
कुशल (स्किल्ड), नीचे दर्जे के	६२.४०	३.९०	९३.६०	३१.५०+ मूल वेतन का १० प्रतिशत	३८.५०+ मूल वेतन का १० प्रतिशत	७.५० (न्यूनतम)
कुशल, ऊंचे दर्जे के	८३.२०	५.२०	१२४.८०	,,	,,	,,
कुशल, बहुत ऊंचे दर्जे के	१०५.०	६.५०	१६९.००	,,		,,
(ग) जहां कर्मचारियों को प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है			एक दिन का वेतन			
अकुशल	२.००	०.०५	२.४०	१.२१	१.४८	०.२९
अर्धकुशल	२.२०	०.०८	२.८४	१.२१+ मूल वेतन का ५ प्रतिशत	१.४८+ मूल वेतन का ५ प्रतिशत	,,
कुशल, नीचे दर्जे के	२.४०	०.१५	३.६०	१.२१+ मूल वेतन का १० प्रतिशत	१.४८+ मूल वेतन का १० प्रतिशत	०.२९ (न्यूनतम)
कुशल, ऊंचे दर्जे के	३.२०	०.२०	४.८०	,,	,,	,,

ऑपरेटिवों के लिए वेतन-क्रम की जो सिफारिश की गई है, वह चपरासी, चौकीदार, ड्राइवर, बंगले के नौकर, बेयरा, रसोइया, माली, जमादार, आया, क्लीनर, क्लब के नौकर, वार्ड ब्वाय और प्रयोगशाला के नौकर आदि पर भी लागू होगी। इसी प्रकार क्लर्कों तथा अन्य शिल्पिक (टेक्नीकल) और निरीक्षक (सुपरवाइजरी) कर्मचारियों के लिए जो वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है, वह इस प्रकार है :

(१) ७०-५-११० — दक्षता रोक — ५-१५० रु० (क्लर्कों का निम्नतम वेतन-क्रम)

(२) ८०-६-१६० — दक्षता रोक — ७-१९६ रु०

(३) ९०-८-१७० — दक्षता रोक — ०-२५० रु०

(४) १००-१०-१८०-१२-२०४ — दक्षता रोक — १२-३०० रु०

(५) ११०-१२-१७०-१६-२६० — दक्षता रोक — १५-३६० रु०

(६) १२०-१३-१८५-१५-२६० — दक्षता रोक — १५-३२०-२०-४०० रु०

(७) १५०-१५-३०० — दक्षता रोक — १०-४६० रु०

जो गैर-मैट्रिक कर्मचारी पहली श्रेणी (क्लर्कों के निम्नतम वेतन-क्रम) में काम कर रहे हैं, उनका वेतन ५ रु० कम, अर्थात् ६५ रु० से शुरू होगा। टैली-चेकर का वेतन-क्रम ६०-४-८० — दक्षता रोक — ८-१०० रु० होना चाहिए। क्लर्कों तथा निरीक्षक कर्मचारियों का वेतन-क्रम उन परिचारिकाओं, कम्पाउण्डरों, स्वास्थ्य निरीक्षकों, सफाई इन्स्पेक्टरों, स्कूल के शिक्षकों आदि पर भी लागू होना चाहिए और उन्हें समुचित ग्रेडों में रख देना चाहिए।

महंगाई भत्ता

(५) ऊपर बताया गया है कि कर्मचारियों को ३१.५० रु० और ३८५० रु० का जो महंगाई भत्ता मिलता है, वह जुलाई १९५९ के अखिल भारतीय उपभोक्ता वस्तु के मूल्य के सूचक अंक (आधार = १९४९) १२३ के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि सौराष्ट्र और गुजरात के अलावा अन्य क्षेत्रों के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सूचक अंक के हर दो अंक पर १.४७ के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जाए तथा गुजरात और सौराष्ट्र के कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों का भत्ता हर दो अंक पर १.५९ रु० के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जाए।

(६) यह वेतन-क्रम और महगाई भत्ता १ जनवरी, १९६० से लागू होगा। शुरू में वेतनों में स्थिरता लाने के लिए यह सिफारिश की गई है कि ६ महीने तक उपभोक्ता वस्तु मूल्य सूचक अंक के घटने-बढ़ने के कारण महगाई भत्ता घटाया-बढ़ाया न जाए। इसके बाद सूचक अंक के अनुसार महगाई भत्ता घटाया-बढ़ाया जा सकता है। गुजरात तथा सौराष्ट्र के कारखानों को छोड़कर बाकी अन्य कारखानों के क्लर्कों और निचली श्रेणी के टेक्नीकल तथा सुपरवाइजरी कर्मचारियों को प्रति मास मूल वेतन का १० प्रतिशत तथा ८० रु० का महगाई भत्ता और सौराष्ट्र तथा गुजरात के कारखानों के कर्मचारियों तथा क्लर्कों को मूल वेतन का १० प्रतिशत तथा ८७ रु० का महगाई भत्ता मिलना चाहिए।

मकान भत्ता

(७) हर कर्मचारी को प्रति मास ७.५० रु० के हिसाब से मकान भत्ता मिलना चाहिए, किन्तु जिन कर्मचारियों को कारखाने के मालिकों की ओर से बिजली लगे पक्के क्वार्टर मिल गए हैं, उनका यह मकान भत्ता काट लिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को इससे खराब क्वार्टर मिलते हैं, उनका भत्ता इस प्रकार कटेगा

बिना बिजली का पक्का क्वार्टर	६ रु०
पक्की दीवार किन्तु कच्ची छत वाले क्वार्टर (जिनमें बिजली हो)	५ रु० ५० न०पै०
पक्की दीवार किन्तु कच्ची छत तथा बिना बिजली वाले क्वार्टर	४ रु०
बिजली वाले कच्चे क्वार्टर	४ रु०
बिना बिजली वाले कच्चे क्वार्टर	२ रु०

कच्चे तथा पक्के क्वार्टरों की परिभाषा इस प्रकार है :

पक्का क्वार्टर :

(क) दीवार —पक्की ईंटों की

(ख) छत —कंकरीट, ईंट या एस्बेस्टस जी० आई० शाट की

कच्चा क्वार्टर :

(क) दीवार —मिट्टी या कच्ची जुड़ाई की ईंटें

(ख) छत —फूस, किरमिच या सिर-कियों की

(८) मकान भत्ते की कटौती का यह नियम अकुशल आपरेटिवों तथा अर्धकुशल आपरेटिवों पर लागू होगा, किन्तु जो कुशल आपरेटिव या क्लर्क या निचली श्रेणी के टेक्नीकल और सुपरवाइजरी कर्मचारी, अकुशल या अर्ध-कुशल कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक अच्छे क्वार्टरों के अधिकारी हैं, उन्हें कारखाने का मालिक ७.५० रु० के निम्नतम मकान भत्ते से अधिक मकान भत्ता दे सकता है। यदि मालिक इन कर्मचारियों को अधिक मकान भत्ता देता है और उन्हें अच्छे टाइप का मकान मिलता है, तो उनका मकान भत्ता काट लिया जाएगा।

काम के अनुसार मजदूरी

(९) काम के अनुसार मजदूरी पाने वाले आपरेटिवों की आय, वेतन मण्डल द्वारा अर्ध-कुशल आपरेटिवों के लिए सिफारिश किए गए वेतन से कम नहीं होनी चाहिए। यदि मालिक यह समझता है कि काम के अनुसार जो वर्तमान वेतन तय किया गया है, वह गलत है, तो वह यूनियन की राय से उसमें परिवर्तन कर सकता है। यदि यूनियन से ऐसा कोई समझौता नहीं है, तो मालिक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार इसका निर्णय कर सकता है। जहां नये कामों के लिए काम के अनुसार वेतन देने की प्रणाली चलाई जाती है, वहां वेतन की दर दोनों पक्षों की राय से तय की जानी चाहिए। जब कोई समझौता न हो सके तो कारखाने का मालिक स्वयं मजदूरी की दर निर्धारित कर सकता है। यदि मालिक द्वारा निर्धारित की गई दर से यूनियन सहमत न हो तो इसको पंच निर्णय से तय किया जा सकता है, बशर्ते कि दोनों पक्ष पंच निर्णायक के चुनाव

में सहमत हों। यदि तब भी कुछ न तय हो सके तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की शरण ली जा सकती है।

(१०) यदि ऐसे कारणों से जिन पर मजदूरों का वश न हो, कारखाने का उत्पादन घट जाए और काम के अनुसार माहवारी पानेवाले या २ रु० रोजदारी पाने वाले आपरेटिवों की माहवारी ५२ रु० या रोजदारी २ रु० से कम पड़े तो उन्हें कम से कम ५२ रु० माहवारी या २ रु० रोजदारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अकुशल कर्मचारियों की तरह मकान तथा महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। किन्तु जहा हड़ताल आदि ऐसे कारणों से उत्पादन में कमी आए, जिन पर मजदूरों का वश है, वहा मजदूरों को काम के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए। जब आपरेटिवों को काम न दिया जाए तो उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए।

स्त्री कर्मचारी

(११) मण्डल ने यह सिफारिश की है कि एक ही काम करने वाली स्त्री कर्मचारी को पुरुष कर्मचारी के समान ही वेतन मिलना चाहिए। जिन कामों के लिए सिर्फ स्त्रिया ही नियुक्त की जाती है, उनके वेतन में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सख्या बहुत कम है।

वेतन का निश्चय

(१२) रिपोर्ट में आपरेटिवों (कारीगर) और क्लर्कों का वेतन निश्चित करने के लिए ब्योरे में कुछ हिदायतें दी गई है। उसमें बताया गया है कि आपरेटिवों का वर्गीकरण उनकी कुशलता, उपयुक्तता और अनुभव के अनुसार किया जाए। यह वर्गीकरण मालिक, आपरेटिवों के सगठनों की सलाह से, सिफारिशों के लागू होने के तीन महीने के अन्दर कर दें। अगर सगठनों को इससे सतोष न हो तो दोनों दल मिलकर एक पच नियुक्त करें और वह पच यह वर्गीकरण करे। इस पर भी संतोष न होतो औद्योगिक विवाद कानून के अन्तर्गत फैसला किया जाए। इस बात का ध्यान में रखा जाए कि वेतन निश्चित करते समय कर्मचारी को वर्तमान वेतन से अधिक ही मिले, कम कदापि न मिले। अकुशल कर्मचारी का यदि सिफारिशें लागू होने तक १२ महीने हो जाएं, तो ५ रु० मासिक की वृद्धि दी जाए। क, ख, ग और घ श्रेणी के कुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारी को क्रमश: ७ रु०, ५॥ रु०, ४ रु० और २॥ रु० अधिक मिलेगा। इसी प्रकार २५० रु० तक पाने वाले जिन क्लर्कों, लोअर टेक्नीकल और सुपरवाइजरी कर्मचारियों को सिफारिशें लागू होने के दिन तक १२ महीने पूरे हो जाए, तो उन्हे ८ रु० अधिक देने की सिफारिश की गयी है। क्लर्कों, लोअर सुपरवाइजरी तथा टेक्नीकल ग्रेडों का वर्गीकरण, मालिक, उनके संगठनों की सलाह से, सिफारिशें लागू होने के दो महीने के अन्दर करे। यह वर्गीकरण भी सिफारिश लागू होने की तारीख से माना जाए। कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाए कि यदि वे चाहें तो अपने वर्तमान ग्रेड में ही रहें या मालिक द्वारा निर्धारित ग्रेड और वेतन को स्वीकार करे। मालिक द्वारा निर्धारित करने के दिन से १० दिन के अन्दर ही वे अपना इरादा सूचित कर दें। एक बार वे जो विकल्प दे देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

बढ़े हुए वेतन का भुगतान

(१३) मण्डल की सिफारिश से यदि वेतन मे काफी वृद्धि होनी है तो वह वृद्धि एक ही बार में न देकर उसे इस तरह धीरे-धीरे बढाया जाए, जिससे वह एक वर्ष के बाद बढकर कुल वृद्धि तक पहुच जाए। जिन कारखानों मे अकुशल कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन, महगाई भत्ता, मकान भत्ता आदि मिलाकर) में २५ रु० या इससे अधिक की वृद्धि होती है, वहा उसे १२ महीना में इस प्रकार बाट दिया जाए

(क) अकुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारियों को महगाई भत्ता ३१॥ रु० या ३८॥ रु० से १० रु० कम दिया जाए। इस बढ़े हुए महगाई भत्ते में, सिफारिशें लागू होने के छ महीने बाद, उपभोग्य वस्तुओं के अखिल भारतीय सूचक अक के अनुसार परिवर्तन किया जाए और १ साल बाद पूरा महगाई भत्ता देना शुरू कर दिया जाए।

(ख) कुशल कर्मचारियों, क्लर्कों और लोअर टेक्नीकल तथा सुपरवाइजरी कर्मचारियों को १२ महीने तक आधा महंगाई भत्ता दिया जाए और उसके बाद पूरा।

(ग) इस प्रकार महंगाई भत्ता देने से किसी भी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि की रकम न रोकी जाए।

नए कारखाने

(१४) मण्डल ने जो मजदूरी और वेतन निश्चित किए है, वे नए कारखानों के कर्मचारियों को, कारखाना स्थापित होने के १८ महीने तक न दिए जाएं; चाहे ये नए कारखाने वर्तमान कारखानों के अन्तर्गत बनाए गए हों या नए खोले गए हों। नए कारखाने १८ महीने तक मजदूरी या वेतन, महगाई भत्ता और मकान भत्ता का ७५ प्रतिशत दें। महगाई भत्ता भी ७५ प्रतिशत ही दिया जाए और अ० भा० सूचक अक के अनुसार उसमें घट-बढ की जाए। परन्तु जो नए कारखाने इस समय ७५ प्रतिशत से अधिक मजदूरी या वेतन आदि दे रहे है, वे आगे भी वही देते रहें।

बोनस

(१५) मण्डल का कहना है कि श्रम अपील अदालत ने बोनस के बारे में जो फारमूला बनाया है, वह ठीक है। बोनस के बारे में मण्डल को मालिकों ने जो सुझाव दिए, वे सगठनों को और सगठनों ने जो सुझाव दिए वे मालिकों को मान्य नहीं है। इसलिए मण्डल ने इसके बारे में कोई सिफारिश न करना ही ठीक समझा है।

ग्रेच्युटी

(१६) मण्डल का विचार है कि उसने वेतन के बारे में जो सिफारिशें की है, उनसे ग्रेच्युटी का भार भी बढ़ेगा। इसलिए जहा मूल वेतन पर ग्रेच्युटी दी जाती है वहा क, ख, ग, घ और ङ श्रेणी के आपरेटरों की ग्रेच्युटी योजना में यह परिवर्तन किया जाए। कर्मचारियों का सेवा-काल दो भागों में बांटा जाए : एक तो नियुक्ति के दिन से लेकर सिफारिशें लागू होने के दिन से पहले तक, और दूसरे, सिफारिशें लागू होने के दिन से आगे। पहले काल में कर्मचारी को सिफारिशें लागू होने से पहले के अंतिम महीने या साल के औसत मूल वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी दी जाए। दूसरे काल में, अंतिम महीने या साल के औसत मूल वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जाए। जिन कारखानों में कुल वेतन पर ग्रेच्युटी दी जाती है, वहा भी इसी तरह किया जाए, ताकि ग्रेच्युटी का भार कम हो।

(१७) सीमेंट उद्योग का कहना है कि मण्डल ने जिन वेतनों की सिफारिश की है, उन्हें सीमेंट के वर्तमान रिटेंशन मूल्य को देखते हुए देना सम्भव नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि यदि सरकार इस बात को नहीं स्वीकारती है तो वह रिटेंशन मूल्य में संशोधन करे, ताकि उद्योग नए वेतन लागू कर सके। नए वेतन लागू होने से जो खर्च बढ़ेगा, उसे पूरा करने के लिए मण्डल ने ये सिफारिशें की हैं : (क) सीमेंट का भाव बढ़ाया जाए, (ख) राज्य व्यापार निगम का लाभ कम किया जाए, या (ग) उत्पादन-शुल्क कम किया जाए। इनमें से (ख) और (ग) उचित मालूम देते हैं। फिर भी अन्त में सरकार को ही यह निर्णय करना है कि अधिक वेतन के लिए धन कहां से लाया जाए।

बैंकों के झगड़ों के बारे में श्रम मन्त्री का वक्तव्य

केन्द्रीय श्रम और नियोजन मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने ११ मार्च को बैंकों के झगड़ों के सम्बन्ध में लोक सभा में निम्नलिखित वक्तव्य दिया —

जैसा कि सदन के सदस्यों को पता होगा, औद्योगिक विवाद (बैंकिंग कम्पनी) निर्णय अधिनियम, १९५५, के अनुसार बैंक पंचाट (संशोधित) ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हो गया। लेकिन कानूनी राय के अनुसार उस पंचाट के अन्तर्गत नौकरी सम्बन्धी सुविधाएं आदि ३१ मार्च, १९५९ के बाद भी तब तक जारी रहेंगी, जब तक कि परस्पर सहमति से अथवा न्याय-निर्णय के द्वारा उनमें संशोधन न कर दिया जाए। सरकार कुछ समय से औद्योगिक झगड़ों को हल करने का अच्छा तरीका निकालने का प्रयत्न कर रही है और इस सिलसिले में मैंने मार्च, १९५९ में मजदूरों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की थी। ८ अगस्त, १९५९ को एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जो मत प्रकट किए गए तथा बाद में सबंधित दलों से जो बातचीत हुई, उनको ध्यान में रखकर इस बारे में और विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं के बारे में सरकार का सामान्यत यह मत है कि अनुशासन नियमावली का अधिक से अधिक पालन किया जाए और मालिकों तथा मजदूरों में आपसी परामर्श तथा सहयोग का वातावरण हो। अदालत द्वारा न्याय-निर्णय की अपेक्षा सरकार वेतन मण्डल नियुक्त करने या झगड़ों को तय करने के लिए इसी प्रकार के और तरीके पसन्द करती है, जिस में सहयोग की भावना हो। इस नीति के अनुसार ही सरकार ने हाल ही में सूती कपड़ा और सीमेंट उद्योगों के लिए नियुक्त वेतन मण्डलों की सिफारिशें स्वीकार की हैं। कुछ और उद्योगों के लिए वेतन-मण्डल यथासम्भव नियुक्त करने का विचार है। बैंकों के झगड़ों को तय करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, यह जानने के लिए मैंने कर्मचारियों तथा मालिकों के प्रतिनिधियों से कई बार बातचीत की है। बहुत से तरीकों पर विचार किया गया, जिनमें वेतन मण्डल या जांच आयोग नियुक्त करने के तरीके भी थे। इन झगड़ों में कुछ पेचीदा मामले होने के कारण तथा विभिन्न दलों के विभिन्न मत होने के कारण सरकार को अंतिम निर्णय करने में कुछ समय लगा। इस सारे मामले में काफी विचार के बाद सरकार ने यह पाया है कि स्टेट बैंक तथा अन्य सभी बैंकों और बैंक कर्मचारियों के झगड़ों को हल करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करना सबसे अच्छा उपाय होगा। तदनुसार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

स्टेट बैंक की मौजूदा हड़ताल के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में ७ मार्च, १९६० को मेरे सहयोगी माननीय वित्त मंत्री महोदय एक संक्षिप्त वक्तव्य दे चुके हैं। मुझे जनवरी, १९६० के शुरू में अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का एक पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि स्टेट बैंक के झगड़े को आपसी सहमति से नियुक्त पंच के द्वारा तय किया जाए। सरकार ने इस सुझाव पर काफी गौर से विचार किया। ४ जनवरी, १९६० को मैंने उन्हें उत्तर दिया कि एक-सी ही मांगों पर विचार करने के लिए दो प्रकार के संगठन नियुक्त करना निरापद नहीं होगा। मैंने खास तौर से उन्हें यह लिखा कि स्टेट बैंक ८ ऐसोसिएटेड बैंकों की पूंजी अधिग्रहण करने वाला है और तब उनकी समस्याएं और बैंकों के समान ही हो जाएंगी। इसी बीच केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध संगठन से दोनों दलों के बीच समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए कहा गया और १५ फरवरी, १९६० को इस सबंध में कुछ हुआ भी। लेकिन जैसा कि सदन को पता है, ४ मार्च, १९६० की शाम से स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। अब, जब कि सरकार ने एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने का फैसला कर लिया है, तो मेरी कर्मचारियों से यह हार्दिक अपील है कि वे हड़ताल वापस ले लें और अपने काम पर लौट आएं।

मजदूर-प्रबन्धक सहयोग से सम्बन्धित गोष्ठी

मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच सहयोग के बारे में दो दिन से नयी दिल्ली में जो गोष्ठी हो रही थी, वह ९ मार्च को समाप्त हुई। इस गोष्ठी में सभी लोगों ने यह मत प्रकट किया कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के द्वारा मजदूरों को प्रबन्ध के काम में हिस्सा देने की योजना की प्रगति यद्यपि धीमी रही है, लेकिन देश में औद्योगिक शान्ति कायम करने में यह काफी सफल हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर सभी ने यह सुझाव दिया कि योजना को और कारखानों आदि में भी लागू किया जाए।

गोष्ठी में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, मजदूरों और मालिकों के केन्द्रीय संगठनों तथा जिन कारखानों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें काम कर रही हैं, उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

केन्द्रीय श्रम मंत्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा ने गोष्ठी की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस योजना को अब केवल आजमाइशी योजना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके जो नतीजे हुए हैं, उनके आधार पर और व्यापक रूप में लागू करना चाहिए।

गोष्ठी में यह मत प्रकट किया गया कि केन्द्र तथा राज्यों में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे यह देखभाल की जा सके कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदें ठीक तरह काम करती हैं और यह योजना दूसरे कारखानों में भी लागू

जा रही है। यह भी तय किया गया कि केन्द्र में एक त्रिदलीय समिति बनाई जाए, जो समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करे। इसी तरह की व्यवस्था राज्यों में भी की जाए।

गोष्ठी में यह कहा गया कि मजदूरों को प्रबन्ध के काम में हिस्सा देने की योजना लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अमल में इस तरह की योजना तभी सफल हो सकती है जब उसे स्वेच्छा से लागू किया जाए। योजना की सफलता आंकने के लिए गोष्ठी ने कुछ आधार निश्चित किये। इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर दिया गया कि उत्पादकता में वृद्धि को योजना की सफलता का सबसे बड़ा आधार मानना चाहिए।

मजदूरों और गंदी बस्ती-निवासियों के लिए आवास योजना

भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से सहायता लेकर कारखानों के मजदूरों और गंदी बस्तियों के रहने वालों के लिए सस्ते आवास बना सकती हैं। इन आवासों में बिना परिवार वाले ऐसे मजदूर और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग रह सकेंगे, जो अपने लिए मकान नहीं बना सकते या बने हुए मकानों का किराया नहीं चुका सकते। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाया है कि इस तरह के बहुत-से आवास बनाने से पहले कुछ चुने हुए स्थानों में ४८ से ६४ तक कमरे बनाकर देखें। इतने कमरे एक साथ बनाने से उनके लिए सफाई आदि की व्यवस्था करना सस्ता रहेगा।

आवास में प्रति व्यक्ति पीछे एक और दो-मंजिली इमारतों में १०४ वर्गफुट के और बहु-मंजिली इमारतों में १०० वर्गफुट के कमरे बनाने ठीक रहेंगे। कमरे का लगभग ३४ वर्ग फुट स्थान रसोई के लिए रखा जा सकता है। आवास के छज्जों और जीनों आदि को छोड़कर एक और दो-मंजिली इमारत में प्रति व्यक्ति ११६ वर्गफुट और कई मंजिली इमारत में ११२ वर्गफुट जगह रखी जाएगी।

इन दोनों योजनाओं के लिए, केन्द्रीय सरकार के निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय की गंदी बस्तियों की सफाई और मजदूरों के वास्ते मकान बनाने के लिए सहायता देने की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता मिलेगी। आवास के प्रति कमरे का खर्च दो कमरे वाले मकानों के स्वीकृत खर्च के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दो कमरों वाले मकानों के लिए जो किराया निश्चित किया गया है, उसके आधे से अधिक एक कमरे का किराया नहीं होना चाहिए। इनमें रहने वालों से सफाई, बिजली, पानी आदि के लिए अधिक से अधिक प्रति व्यक्ति ३ रु० महीना और लिया जा सकता है।

सरकारी सहायता से मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजनाएं

जनवरी १९६० में केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की उद्योग मजदूरों के लिए सरकारी सहायता से मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत मद्रास, मैसूर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ३२,७०,००० रु० की लागत से ९९० मकान बनाने मंजूर किए हैं। २९६ मकान नेपानगर में वहां की नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि० बनाएगी और नागदा में ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) लि० २०० मकान बनाएगी। इसके अलावा मनिराबाद में सालारजंग शुगर मिल्स लि० की ओर से ८२ मकान, भरतपुर में सेण्ट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग क० लि० की ओर से २०० मकान और गोलागोकरन नाथ, जिला खीरी में हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि० की ओर से २१२ मकान बनाए जाएंगे।

इन मकानों के लिए केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय ८ लाख १७ हजार रु० सहायता और ११ लाख २१ हजार रु० ऋण राज्य सरकारों को देगा।



<u>जहाज निर्माण के सहायक उद्योग</u>

स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशें

भारत सरकार जहाज के डीजल इंजन बनाने का कारखाना खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह कारखाना, जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने के कारखानों के लिए सामान और अन्य उपकरण तैयार करने वाले सहायक उद्योग खोलने की योजना के अन्तर्गत खोला जा रहा है।

भारत सरकार ने रियर एडमिरल टी०बी० बोस, भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति नियुक्त की है। इसकी रिपोर्ट में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए सहायक उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

सहायक उद्योग खोलने में दिक्कतें

समिति ने सहायक उद्योग खोलने में सामने आने वाली समस्याओं पर विशेष जोर दिया। जहाज बनाने के कारखाने में जहाज के बहुत थोड़े हिस्से बनाए जाते हैं। जहाज बनाने में काम आने वाले अधिकांश हिस्से अन्य फर्मों से खरीदने पड़ते हैं। इसलिए यदि जहाज निर्माण उद्योग की नींव को मजबूत बनाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत में काम आने वाले सामान बनाने वाले कारखाने फौरन ही देश में खोले जाएं।

ठोस सिफारिशें

समिति ने कई ठोस सिफारिशें की हैं। नये इस्पात कारखानों में सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार जहाज के लिए उचित किस्म की इस्पात की चादरें और सेक्शन बनाने की सिफारिश को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी है। जहाज के उपकरण बनाने का एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और उपकरणों की आवश्यकतानुसार उनका उत्पादन-क्रम भी निर्धारित कर देना चाहिए, जिससे देश जहाज निर्माण तथा मरम्मत उद्योग में आत्मनिर्भर हो सके।

निश्चित समन्वय

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि देश में ही उपकरण तथा सामान तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए जहाजरानी के महानिदेशक को चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे इन कारखानों को खोलने के लिए जो काम किये जाएं उनमें निश्चित समन्वय हो। इसके अलावा, जहाजरानी कम्पनियों के जहाज निर्माताओं तथा मरम्मत करने वालों, आयात नियंत्रण अधिकारियों, नौसेना और वाणिज्य तथा उद्योग की विकास शाखा तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक समिति बनायी जानी चाहिए जो जहाजरानी के महानिदेशक को जहाज के उपकरण बनाने की योजना तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने में मदद पहुंचा सके।

उपकरणों की विविधता

जहाज बनाने के काम आने वाले उपकरणों की विविधता से यह समस्या और भी जटिल हो गयी है। इसमें इस्पात, लकड़ी, प्लास्टिक और अलौह धातु, इन सभी की बनी चीजें काम में आती हैं। इसी प्रकार जहाजों के लिए विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े हजारों यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है।

सहायक कारखाने खोलने में एक अन्य दिक्कत यह है कि जहाजरानी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय नहीं है।

समिति ने भारतीय जहाजरानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक कारखानों की स्थापना के बारे में गम्भीरता से सोचने तथा विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पाल जहाज केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक

भारत सरकार ने नये डिजाइन के पाल जहाज बनाने के लिए योजना आयोग की सलाह से दूसरी योजना के दौरान १५ लाख रु० की आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया है। यह बात केन्द्रीय परिवहन और संचार मंत्रालय में मंत्री, श्री राजबहादुर ने २ मार्च को पाल जहाज केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए बताई।

मंत्री महोदय ने कहा कि पाल जहाज उद्योग की समस्याओं पर विचार करने तथा उन्हें हल करने के लिए जहाजरानी के महानिदेशालय में एक विशेष विभाग बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कच्छ की घाटी के उत्तर-पश्चिमी कोने से लेकर काकिनाड़ा बन्दरगाह के पूर्वी किनारे तक के जितने हिस्से में पाल जहाज चलते हैं उसे चार भागों में बांट दिया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग में एक-एक अधिकारी होगा। इन अधिकारियों के सदर-मुकाम जामनगर, बम्बई, तूतीकोरन और मछलीपत्तनम में होंगे।

मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने चार प्रादेशिक सलाहकार समितियां भी नियुक्त की हैं। ये सलाहकार समितियां अपने-अपने क्षेत्र में पाल जहाज उद्योग का विकास करने के बारे में सलाह देंगी तथा केन्द्रीय सलाहकार समिति की जिन सिफारिशों को सरकार स्वीकार करेगी उन्हें अमल में लाने में मदद देंगी।

ऋण की व्यवस्था

पाल जहाज समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि यदि पाल जहाज उद्योग को जीवित रखना है तो पाल जहाजों को यंत्र-चालित बनाने के लिए इन जहाजों के मालिकों की सहायता की जाए। समिति की इस सिफारिश पर भारत सरकार ने ऋण देने की एक योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत शुरू में १०० टन और उससे अधिक के पाल जहाजों को मशीन-चालित बनाने के लिए कर्ज दिया जाएगा, जो मशीन की कीमत का ७५ प्रतिशत तक होगा।

इस कर्ज पर २॥ प्रतिशत की दर से सूद लिया जाएगा। कर्जा सामान्यतः ५-६ वर्ष में अदा करना होगा, लेकिन कर्ज लेने वाले की स्थिति को देखकर अदायगी का समय और भी बढ़ाया जा सकता है। अभी तक कुल ९ लाख रु० के कर्ज के लिए १९ अर्जियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण किसी का कर्ज मंजूर नहीं किया जा सका।

मल्लाहों की ट्रेनिंग

पाल जहाजों के मल्लाह अपने काम को और अधिक कुशलता से कर सकें इस उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक अल्पकालीन ट्रेनिंग योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। इस ट्रेनिंग के दौरान मल्लाहों को जहाज चलाने, यात्रा के नियम, आग बुझाने के उपकरणों का प्रयोग तथा मौसम-विज्ञान सम्बन्धी बातें बताई जाएंगी।

रेल-डिब्बा कारखाने के उत्पादन में वृद्धि

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने ७ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ में पेराम्बूर के सवारी-गाडी के डिब्बे बनाने के कारखाने में पहले से अधिक डिब्बे बनाए गए।

श्री शाहनवाज खां ने कहा कि १९५९ में ४३४ डिब्बों के ढांचे बनाए गए, जबकि १९५८ में ३४४ डिब्बों के ढांचे बनाए गए थे।

बिजली के रेल इंजनों का निर्माण

चितरंजन के रेल इंजन कारखाने में बिजली के इंजन बनाने का प्रयत्न चल रहा है और आशा है पहला इंजन, जो १,५०० डी० सी० का होगा, अगले साल के मध्य तक तैयार हो जाएगा। यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने प्रश्नोत्तर के समय २ मार्च को लोकसभा में दी।

आसनसोल-राउरकेला लाइन पर बिजली की रेलें

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने लोकसभा में २ मार्च को प्रश्नोत्तर के समय बताया कि आसनसोल से राउरकेला तक की लाइन पर बिजली से रेलें चलाने का काम जारी है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाएगा। इस काम पर जनवरी १९६० के अन्त तक ३ करोड़ ७ लाख रु० खर्च हो चुका था।

राउरकेला-भिलाई रेल-लाइन

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने १० मार्च को लोकसभा में बताया कि राउरकेला और भिलाई के इस्पात कारखाने के बीच की नई दुहरी रेल पटरी पर अप्रैल १९६० से मालगाड़ियां चलने लगेंगी। सवारी गाड़ियां अगले साल मार्च से

में चलनी शुरू होंगी । श्री शाहनवाजखां ने कहा कि दुहरी पटरी बिछाने का काम लगभग पूरा हो गया है ।

उड़ीसा में नयी रेल-लाइनें

उड़ीसा में बिमलगढ से किरीबुरू तक ३० मील लम्बी बड़ी रेल-लाइन बिछाने की पड़ताल हो रही है । आशा है, चालू साल में यह लाइन बिछनी शुरू हो जाएगी । इस पर ४ करोड़ २० लाख रु० खर्च होंगे ।

यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री एस० वी० रामस्वामी ने १ मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी । उन्होंने सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा, जिसमें बताया गया है कि पिछले दो वर्षों में उड़ीसा में दो बड़ी लाइन की पटरियां बिछाई गई हैं । इनमें एक तो १८ मील की नोआमुन्दी-बांसपाणी और दूसरी बराबील से पानपोसगोरगे तक ६ मील लम्बी लाइन हैं । इन पर क्रमश: २ करोड़ ३० लाख रु० और १ करोड़ ११ लाख रु० खर्च हुए हैं । इसके अलावा ४२ मील लम्बी बांडामुंडा-डूमराव लाइन भी बिछाई जा रही है, जिस पर ७ करोड़ ७२ लाख रु० खर्च बैठेगा ।

वक्तव्य में कहा गया है कि उड़ीसा में ११४ मील लम्बी सम्बलपुर-तितिलागढ और १७ मील लम्बी बांडामुंडा-पूर्णपानी बड़ी रेल लाइनें भी बिछाई जा रही हैं । इन पर क्रमश: १४ करोड़ ५९ लाख रु० और २ करोड़ ६८ लाख रु० का खर्च आएगा ।

बरौनी से समस्तीपुर तक बड़ी लाइन

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने ९ मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह बात सही है कि बरौनी से समस्तीपुर तक बड़ी लाइन बढ़ाई जा रही है ।

उपमंत्री महोदय ने कहा कि १९६० के अन्त तक या १९६१ के शुरू में इस लाइन पर मालगाड़ियां चलने लगेंगी । पर सवारी गाड़ियां इसके कुछ महीने बाद तभी चलाई जाएंगी जब इस पटरी को सवारी गाड़ियां चलाने के उपयुक्त समझ लिया जाएगा ।

रेल-लाइन बिछाने के लिए सर्वे

दण्डकारण्य क्षेत्र में कोट्टावलसा से बैलाडिल्ला तक रेल की लाइन बिछाने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के सर्वे किए जा रहे हैं । रायगडा और अन्य स्थानों से होकर यह लाइन बिछाने के बारे में कई प्रस्ताव हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है ।

यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री एस० वी० रामस्वामी ने २ मार्च को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय दी । एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश के अन्य क्षेत्रों को त्रिपुरा से रेल की लाइन द्वारा मिलाने के लिए पठारकंडी-धर्मनगर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में भी सर्वे किया जा रहा है, जो अब पूरा होने वाला है ।

टाटा के रेल इंजनों के दाम

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने ९ मार्च को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार और टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि० के बीच रेल इंजनों के दाम के बारे में जो मतभेद पैदा हो गया है उसका कारण कम्पनी द्वारा रेल इंजनों की कीमत में अलावा खर्च और मालाना बोनस शामिल कर लेना है । कम्पनी ने ये इंजन १ अप्रैल, १९५८ और ३१ मार्च, १९६० के बीच सप्लाई किए हैं ।

उपमंत्री महोदय ने इंजनों के दाम का विस्तृत ब्योरा भी सदन की मेज पर रखा । कम्पनी ने इंजन की कीमत ३,९२,८६१ रु० मांगी है । सरकार ने ३,७४,९९४ रु० देना कहा था और पंच ने इसकी कीमत ३,८०,९१७ रु० सुझाई है ।

भारतीय रेलें शिल्पिक मामलों में आत्म-निर्भर

लगभग १०० वर्षों से भारतीय रेलें शिल्पिक मामलों में विदेशी सलाहकारों पर निर्भर रही हैं । किन्तु अब भारतीय रेलों के विशेषज्ञ पड़ोसी देशों और निजी फर्मों को रेल के इंजन, डिब्बे आदि बनाने के काम में सलाह दे सकते हैं ।

रेल मण्डल ने रिसर्च, डिजाइन और स्टैंडर्ड आर्गेनाइजेशन (आर० डी० एस० ओ०) को अन्य देशों और फर्मों को सलाह देने की अनुमति दे दी है । यह विभाग विशेष जांच-पड़ताल; निर्माण सम्बन्धी समस्याओं, रेल के इंजन और डिब्बों की खरीद, इंजनों के डिजाइन स्वीकार करने और जांच करने आदि के बारे में शिल्पिक सलाह दे सकता है । इस सम्बन्ध में आर०डी०एस०ओ० की सेवाएं प्राप्त करने के लिए उक्त विभाग से कुछ फर्मों आदि ने पूछताछ भी की है ।

घाना द्वारा भारतीय रेल अधिकारियों की मांग

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बर्मा और घाना सरकारों ने अपने यहां की रेलों में काम करने के लिए भारतीय रेलों से ५ पदों के लिए कर्मचारी मांगे थे । उसके लिए उन्हें ९ नाम भेजे जा चुके हैं । इनमें से घाना सरकार ने ... अधिकारियों का चुनाव कर लिया है और उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है ।

बर्मा की मांग

बर्मा सरकार ने लेखा विशेषज्ञ की मांग की थी किन्तु वह पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि बर्मा सरकार ने जिस विशेष व्यक्ति की मांग की उसकी यहां भी जरूरत है और वह नहीं भेजा जा सकता है ।

यूरोप में रेल विशेषज्ञों की नियुक्ति

रेल उपमंत्री, श्री मरेम्म वेंकटप्पा रामस्वामी ने १५ मार्च को लोकसभा में बताया कि एक उच्च मेकैनिकल इंजीनियर को बॉन में रेल उप-सलाहकार (मेकैनिकल) और एक उच्च रेल बिजली इंजीनियर को ज्यूरिख में रेल उप-सलाहकार (बिजली) नियुक्त करने का आदेश जारी किया जा चुका है ।

श्री रामस्वामी ने बताया कि वे सम्पर्क अधिकारियों की तरह काम करेंगे । विदेश में इंजनों के लिए जो आर्डर दिये गये हैं उनका निरीक्षण करने के लिए कुछ एजेंसियां नियुक्त की गयी हैं । ये दोनों अधिकारी इन एजेंसियों के काम का निरीक्षण करेंगे ।

चम्बल नदी पर नया पुल

राजस्थान में धौलपुर के निकट चम्बल नदी पर पुल बनाया गया है, जिससे अब दिल्ली से बम्बई आने के लिए सड़क यातायात में कोई बाधा न रहेगी। १५ मार्च को प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने इस पुल का उद्घाटन किया।

आगरा-बम्बई सड़क चम्बल नदी को पार करती हुई जाती है। इस सड़क पर काफी भारी यातायात रहता है। जहां अब नया पुल बना है, वहां पहले पीपों का ही पुल बना हुआ था। इस पुल पर से केवल ५ टन भार ही जा सकता था और बाढ़ के दिनों में इस पर मोटरगाड़ियां नहीं चल सकती थीं। बाढ़ के दिनों में सारा यातायात और ५ टन से ज्यादा का बोझ नावों आदि द्वारा पार कराया जाता था।

अब इस नये पुल पर से ७० टन तक का बोझ ले जाया जा सकता है। इस पुल की लम्बाई २,८२८ फुट है। यह पानी की निचली सतह से ९० फुट की ऊंचाई पर है। इसके निर्माण में ६ हजार टन सीमेंट और एक हजार टन इस्पात लगा है। इस पर ८३ लाख रु० की लागत आई है।

केन्द्रीय परिवहन विभाग की सड़क शाखा ने इसका डिजाइन तैयार किया था और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसे बनाया है।

दिल्ली में यमुना नदी पर दूसरा पुल

रेल उपमंत्री, श्री रामास्वामी ने ९ मार्च को राज्यसभा में बताया कि गाजियाबाद-मुरादाबाद रेल लाइन और दूसरा जमुना पुल बनने में लगभग तीन साल लगेंगे। इस पुल का नक्शा केन्द्रीय पानी और बिजली अनुसंधान केन्द्र, पूना की सलाह से तैयार किया जा रहा है। नक्शा तैयार हो जाने के बाद पुल बनाने का काम शुरू होगा।

भारतीय रेलों पर मुआवजे के दावे

लोकसभा में रेल उपमंत्री, श्री सलेम वेंकटप्पा रामास्वामी ने २ मार्च को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ में भारतीय रेलों पर मुआवजे के ४ लाख २० हजार २५३ दावे किए गए, जबकि उससे पिछले साल ४ लाख ५३ हजार ६०४ दावे किए गए थे। ये दावे १९५९ में १४ करोड ६७ लाख रु० के और १९५८ में १६ करोड रु० के थे।

श्री रामास्वामी ने बताया कि १९५९ में १ करोड ५२ लाख रु० के २०,७२६ नये दावे किए गए, जबकि १९५८ में १ करोड ५३ लाख रु० के २३,४३९ दावे दायर किए गए थे। १९५९ में ३६ लाख रु० की और १९५८ में ३१ लाख रु० की डिक्रियां मंजूर की गईं।

स्टेशनों पर महिला कुली

एक प्रश्न के उत्तर में रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने लोकसभा में १० मार्च को कहा कि यात्रियों का सामान ढोने के लिए उत्तर रेल पर १५, दक्षिण-पूर्वी रेल पर १४६ और पश्चिम रेल पर ३३८ औरतों को कुली का लाइसेंस दिया गया है। उपमंत्री महोदय ने कहा कि स्टेशनों के कुलियों में स्त्री-कुलियों के लिए कोई कोटा निश्चित नहीं रहता।

कुलियों की भर्ती के नियम के बारे में बताते हुए श्री शाहनवाज खां ने कहा कि साधारणतया कुलियों के चुनाव का काम स्टेशन मास्टर या स्टेशन सुपरिंटेंडेंट करते हैं। कुली के लाइसेंस के लिए व्यक्ति १८ वर्ष से अधिक का होना चाहिए। उसका स्वास्थ्य और चरित्र भी अच्छा होना चाहिए।

नदी योजनाएं और बिजली

भाखड़ा बिजलीघर की क्षति

सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ७ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भाखड़ा बिजलीघर के जो तीन जेनरेटर पानी में डूब गए थे, उनकी मरम्मत की गयी और जांच करके पता चला है कि वे चालू हालत में हैं।

उन्होंने कहा कि मशीनों में टर्बाइनों (चरखों) की मरम्मत भी हो गयी है और जब वे चालू किए जाएंगे, तभी उनकी जांच हो सकेगी।

बिजलीघर के पानी में डूबने से लगभग २०-२५ लाख रु० की हानि हुई है। टर्बाइनों की जांच करने के लिए जापान से एक विशेषज्ञ बुलाया गया था। उन्होंने जांच करके बताया कि वे अच्छी हालत में हैं।

नागार्जुनसागर योजना की प्रगति

२ मार्च को लोकसभा में सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नागार्जुनसागर योजना के काम की प्रगति बहुत सतोषजनक रही, यहां तक कि कुछ काम निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक हो गए हैं। इस योजना के लिए १९५९-६० का अनुमित व्यय ८ करोड ५० लाख रु० था।

श्री हाथी ने बताया कि नागार्जुनसागर योजना के पहले चरण में बाईं नहर में से प्रति सेकंड ११,००० घन फुट पानी बह सकेगा। बांध की दीवारें इस प्रकार बनाई गई हैं कि अगले चरण में पानी निकालने की क्षमता बढ़ाई जा सके। इस योजना के अन्तर्गत बाईं नहर १०८ मील लम्बी बनाई जाएगी। योजना के दूसरे चरण के काम को करने के लिए भारत सरकार के पास आंध्र सरकार का कोई भी प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। इसीलिए बाईं नहर को १०८ मील से अधिक लम्बी बनाने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता है।

सिन्धु की पूर्वी नदियों में पानी की कमी

सिंचाई और बिजली मन्त्रालय की ११ मार्च की विज्ञप्ति में बताया गया है कि सिन्धु की पूर्वी नदियों—रावी, व्यास और सतलज में अक्तूबर और नवम्बर, १९५९ में पानी की सप्लाई असाधारण रूप से अच्छी रही। दिसम्बर के अन्त तक सप्लाई सन्तोषजनक बनी रही। लेकिन जनवरी और फरवरी के महीनों में सामान्यतः जो वर्षा होती है, वह इस बार बिल्कुल नहीं हुई, जबकि नहरों से पानी की मांग काफी है। फरवरी के महीने में पूर्वी नदियों से सामान्य सप्लाई का केवल ५० प्रतिशत पानी ही सप्लाई किया जा सका

इससे रबी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है और पैदावार कम होने की आशंका है।

लेकिन इन दोनों महीनों में इन नदियों में पानी की भारी कमी होने पर भी भारत पाकिस्तान को नुकसान उठाकर भी चालू समझौते के अन्तर्गत स्वीकृत मात्रा में पानी देता रहा है।

मौत नहीं हुई है। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार इस जिले के लोगों को हर प्रकार की मदद देने की हर तरह से कोशिश करेगी।

खाद्य और कृषि

आसाम के मिजो जिले में चावल की सप्लाई

खाद्य उपमंत्री, श्री ए० एम० थामस ने २ मार्च को लोकसभा में आसाम के मिजो जिले में चावल की सप्लाई के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य दिया

१५ फरवरी, १९६० को लोकसभा में, आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में भूख से हुई तथाकथित मौतों के सम्बन्ध में काम रोको प्रस्ताव रखा गया था। पिछले कुछ दिनों में इस बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। काम रोको प्रस्ताव के उत्तर में प्रधान मंत्री ने और मैंने सदन को कुछ जानकारी दी थी। अब सदन को मैं कुछ और जानकारी देना चाहता हूं।

मिजो जिले में लुशाई लोग रहते हैं और यहां बांसों के जंगल बहुत हैं। बांसों के पेड़ में लगभग ५० साल में एक बार फूल लगते हैं और जब भी इनमें फूल लगते हैं यहां चूहे बहुत हो जाते हैं। पिछले साल इन पेड़ों में फूल लगे और मिजो जिले में चूहों की संख्या अंधाधुंध बढ़ गई। इन चूहों को मारने के काफी प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन फिर भी इस जिले में चावल की ६० से ८० प्रतिशत तक फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अब अक्तूबर-नवम्बर, १९६० तक, जब तक अगली फसल पूरी नहीं हो जाती, यहां के लोगों को अनाज देना पड़ेगा। आसाम सरकार का अनुमान है कि अगली फसल तक यहां के लोगों के लिए ५ लाख मन चावल की जरूरत पड़ेगी। आसाम राज्य सरकार के पास चावल का कुछ भण्डार है और उसने केन्द्र से १० हजार टन चावल की और मांग की है। भारत सरकार ने यह मांग पूरी मान ली है।

केन्द्रीय सरकार के गोदामों से वहां चावल भेजना शुरू भी हो गया है और ३,४०० टन चावल भेजा जा चुका है। आजकल कलकत्ते से प्रति दिन २०० टन चावल सिलचर भेजा जा रहा है।

मिजो जिले के ऐजल क्षेत्र में तो सिलचर से सड़क जाती है, लेकिन लुंगलेह क्षेत्र तक कोई सड़क नहीं जाती। आसाम सरकार का अनुमान है कि लुंगलेह क्षेत्र में २ लाख मन चावल की जरूरत पड़ेगी। सिलचर से मिजो जिले को सड़क द्वारा और हवाई जहाजों द्वारा चावल भेजा जा रहा है। भारतीय वायुसेना के ५ जहाज और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक जहाज ऐसे क्षेत्रों में चावल डाल रहा है जहां सड़क से नहीं पहुंचा जा सकता। नावों द्वारा भी कुछ चावल भेजा जा रहा है। १९ फरवरी तक मिजो जिले में लगभग १ लाख मन चावल भेजा जा चुका है। लुंगलेह क्षेत्र का दक्षिणी भाग बर्मा से मिला हुआ है। अतः बर्मा सरकार से भी उस क्षेत्र में हवाई-जहाज द्वारा या कलादन नदी में से नावों द्वारा कुछ चावल भेजने को कहा गया है। पूर्व पाकिस्तान के चिटगांव से होकर भी मिजो जिले में कुछ चावल भेजने की कोशिश की जा रही है। कलकत्ता से चिटगांव तक चावल भेजने का इन्तजाम भी कर दिया गया है। किन्तु पता चला है कि फिलहाल चिटगांव से मिजो के देमागिरी तक नदी में नावें नहीं चल सकती।

जनवरी १९६० तक आसाम सरकार विभिन्न मदों में कुल ४४ लाख ५८ हजार रु० की आर्थिक मदद भी दे चुकी है। फरवरी और मार्च में भी लगभग ५० हजार रु० की सहायता दे दी जाएगी। आगे के महीनों में भी काफी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस सारे मामले में जांच की गई है, जिससे पता चला है कि इस जिले में भूख से कोई

प० बंगाल और उड़ीसा में चावल और धान के भाव

२ मार्च को लोकसभा में खाद्य उपमंत्री, श्री अलुगल मथाई थामस ने एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य में बताया कि यह सच है कि जनवरी १९६० में प० बंगाल और उड़ीसा में चावल के भाव में कुछ वृद्धि हुई है। प० बंगाल में चावल के भाव में यह वृद्धि अनाज के क्षेत्र बनाने के कारण नहीं हुई है क्योंकि इसके कारण ही प० बंगाल को उड़ीसा से चावल और धान लेने की सुविधा हो गई है। प० बंगाल की मण्डियों में धान और चावल काफी तेजी से पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिनों से प० बंगाल में चावल के भाव गिरने शुरू हो गए हैं और भाव प्रति मन १ रु० गिर गया है। इस समय प० बंगाल में साधारण चावल का थोक भाव २२ से २४ रु० प्रति मन है।

क्षेत्र बन जाने के बाद उड़ीसा में चावल और धान के भावों के बढ़ जाने की आशा पहले से ही थी और तब से यहां चावल के थोक भावों में प्रति मन २ रु० के हिसाब से वृद्धि हुई है। यहां मिल के कुटे हुए साधारण चावल का भाव १७ से १८ रु० प्रति मन है। हाथ का कुटा चावल १४ से १५ रु० प्रति मन है।

२१ दिसम्बर, १९५९ को क्षेत्र बन जाने के बाद उड़ीसा से फौरन ही धान और चावल नहीं भेजा जा सकता था, इसके लिए व्यापारियों को खाद्यान्न व्यापारियों के लिए लाइसेंस आदेश के अन्तर्गत अपने को रजिस्टर कराना जरूरी था। इसके अलावा उन्हें नये वसूली आदेश के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य सरकार को चावल देना था। इसमें थोड़ा समय लगा और अब चावल तथा धान उचित मात्रा में उड़ीसा से बाहर भेजा जाने लगा है। अब तक १ लाख टन चावल और धान प० बंगाल को भेजा जा चुका है। सूचना मिली है कि प्रति दिन १०० वैगन के हिसाब से माल भेजा जा रहा है।

सेर के दन जाने से एक ओर तो किसानों को उनकी पैदावार का उचित दाम मिलने लगा है और दूसरी ओर प० बंगाल के उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ है। राज्य सरकार स्थिति का बड़ी सावधानी से अध्ययन कर रही है, जिससे कि आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जा सके।

गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन

केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय के खाद्य विभाग ने ३ मार्च को एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि १९५५ के गन्ना नियंत्रण आदेश में १९५८ में किए गए संशोधन के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि चीनी उत्पादक, गन्ना उत्पादकों को गन्ने का निर्धारित कम से कम मूल्य देंगे और यदि वह आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट (प्राइस लिंकिंग फार्मूला) के नियमों के अनुसार उचित हो, तो भुगतान बाद में भी कर देंगे। पिराई के बाद मौसम में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने कुछ और सुविधाएं दी थीं, जैसे (१) उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में कारखाना जल्दी शुरू करने पर रियायत, और (२) कारखानों द्वारा १९५९-६० में, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ के औसत उत्पादन से जितना उत्पादन अधिक किया जाएगा, उस पर उत्पादन-शुल्क में ५० प्रतिशत की छूट। आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट (प्राइस लिंकिंग फार्मूला) में न तो इन रियायतों का ही उल्लेख था और न चीनी कारखानों द्वारा गन्ना उत्पादकों को निर्धारित कम से कम मूल्य के अतिरिक्त दिए गए अधिक मूल्य के बारे में ही कुछ कहा गया था।

अब भारत सरकार ने प्राइस लिंकिंग फार्मूले में ऐसे उपयुक्त संशोधन कर लिये हैं, जिससे गन्ना उत्पादकों को उपरोक्त रियायतों का लाभ मिल जाए और चीनी उत्पादक उन्हें जो अतिरिक्त मूल्य दें, उसका हिसाब-किताब बाद में किए जाने वाले भुगतान के हिसाब-किताब में शामिल कर लिया जाए।

बिक्री के लिए चीनी

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के चीनी और वनस्पति निदेशालय की ५ मार्च की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने बिक्री के लिए १ लाख ७५ हजार टन चीनी देने का निर्णय किया है।

यह चीनी २५ अक्तूबर, १९५९ की विज्ञप्ति संख्या जी० एस० आर० ११८८/आवश्यक सामान/चीनी, में दिये गये भाव पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की मिलों के लिए मिलों के बाहर चीनी का निर्धारित भाव ३७.८५ रु० प्रति मन है, जबकि पंजाब की मिलों के बाहर का निर्धारित भाव ३८.३५ रु० प्रति मन है। कानपुर को जो चीनी दी गयी है, उसमें आई एस एस डी-२९ श्रेणी की चीनी का रेल में पहुंचता मूल्य ३८.६० और बनारस की चीनी का ३९.८५ रु० प्रति मन है।

चौथे गोदाम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन

केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय के सचिव, श्री बी० बी० घोष ने १ मार्च को नयी दिल्ली में गोदाम के कामों के चौथे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि धनी की उपज के लिए गोदाम वास्तव में एक प्रकार का बैंक है और लोगों को इसका महत्व समझना जरूरी है।

केन्द्रीय गोदाम निगम ने यह पाठ्यक्रम चालू किया है, जो ३१ मार्च, १९६० तक चलेगा। इसमें १३० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद इन्हें देश के विभिन्न गोदामों मे नियुक्त किया जाएगा।

किसानों को महाजनों और बिचौलियों के चक्कर से बचने के लिए ही गोदाम खोलने की योजना बनायी गयी है। इससे जनता को भी बहुत फायदा हो सकता है।

बड़े खेतों की स्थापना सम्बन्धी समिति की बैठक

हाल ही में नयी दिल्ली में दामले समिति की बैठक हुई थी, जिसमे यह पता चला है कि यह सम्भावना है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश के दो क्षेत्रों में सूरतगढ़ फार्म के नमूने पर ट्रैक्टर आदि से खेती की जाए।

बम्बई, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने दो-दो क्षेत्रों में सूरतगढ़ के नमूने पर खेती करने का प्रस्ताव रखा। समिति ने इन ६ प्रस्तावों पर विचार किये। ये प्रस्ताव पंजाब के प्रस्तावों से अलग हैं। इसके अलावा राजस्थान की प० सीमा के किनारे-किनारे कई सेत बनाने का भी प्रस्ताव किया गया था।

समिति ने कहा कि प्रस्तावित क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी नही मिली है। कोई सिफ़ारिश करने के लिए यह जरूरी है कि समिति स्थिति का पूरा अध्ययन करे। यह सम्भावना है कि राजस्थान में सूरतगढ़ से १२ मील दूर ३४,००० एकड़ भूमि में और आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा के पास येमीगाम खण्ड में इस प्रकार की खेती की जाएगी। किन्तु इस मामले में भी समिति को अन्तिम सिफारिश देने के पहले काफी विस्तृत अध्ययन तथा उस स्थान का सर्वेक्षण करना पड़ेगा।

समिति का विचार था कि अन्य राज्यों में ३०,००० एकड़ के भूमि-खण्ड नही मिल पायेंगे। इसलिए यह ठीक होगा यदि १०,००० एकड़ के क्षेत्र की ही सीमा रखी जाए।

केन्द्रीय खाद्य शिल्प विज्ञान अनुसंधानशाला का पौष्टिक आटा

केन्द्रीय खाद्य शिल्प विज्ञान अनुसंधानशाला ने जो पौष्टिक आटा तैयार किया है, उसके बारे मे यह जाच की गयी थी कि वह खाने योग्य है या नही और परीक्षण मे पता लगा कि आटा उपयोग में लाया जा सकता है।

यह सूचना २ मार्च को लोकसभा मे वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूं कबीर ने दी।

डा० कबीर ने बताया कि यह पौष्टिक आटा गेहूं का आटा (७५ प्र०श०), खाने वाला मूंगफली का आटा (८ प्रतिशत) और टैपिओका आटा (१७ प्र०श०) मिलाकर तैयार किया जाता है। गेहूं और मूंगफली के वनस्पति प्रोटीन मिला देने से इसमें प्रोटीन तत्व की किस्म मे भी सुधार हो गया है।

मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकार की सहायता से लखनऊ मे इस आटे का प्रचार

किया गया। इसके प्रचार की अन्य योजनाओं के बारे में राज्य सरकार और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का खाद्य विभाग विचार कर रहा है।

प्रायः प्रत्येक राज्य में पहले से अधिक जमीन में मूंगफली की खेती हुई। इसका कारण बुवाई के समय अच्छा मौसम रहना है। पैदावार घटने का मुख्य कारण, बम्बई और मध्य प्रदेश में फसल को बेहद वर्षा से नुकसान पहुंचना है।

दालों की पैदावार

सन् १९५९-६० में दालों की पैदावार ८ हजार टन अधिक होगी। चालू वर्ष के अंतिम प्राक्कलन के अनुसार खरीफ की दालों का रकबा १,६०,७५,००० एकड़ और फसल १५,६७,००० टन है, ये आंकड़े खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ और अंक निदेशालय की विज्ञप्ति में दिए गए हैं।

इस प्राक्कलन में शामिल उड़द, मूंग, कुल्थी, मटर आदि दालें रबी में भी बोई जाती हैं। इनका प्राक्कलन सन् १९५९-६० की रबी की फसलों में भी होगा। इस प्राक्कलन में दलहन का (चना और तूर छोड़कर) करीब ६० प्रतिशत रकबा शामिल है।

खरीफ की दाल के रकबे में वृद्धि मुख्यतः राजस्थान और कूच बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र और मद्रास में हुई। पंजाब और मैसूर में इसका रकबा कुछ घटा।

फसल में वृद्धि मुख्यतः बम्बई में हुई। मूंग और अन्य दालों की पैदावार बढ़ी और मोठ की घटी।

१९५९-६० में मूंगफली की पैदावार

खाद्य और कृषि मंत्रालय के आर्थिक और अंक संकलन निदेशालय की १० मार्च की एक विज्ञप्ति के अनुसार, देश में १९५९-६० में १ करोड़ ५३ लाख ५ हजार एकड़ जमीन में मूंगफली की खेती हुई और ४३ लाख ९० हजार टन मूंगफली पैदा हुई, जबकि १९५८-५९ में १ करोड़ ४५ लाख ७५ हजार एकड़ जमीन में मूंगफली की खेती हुई थी और ४८ लाख १२ हजार टन मूंगफली पैदा हुई थी। इस प्रकार १९५९-६० में ७ लाख ३० हजार एकड़ अधिक जमीन में खेती हुई और पैदावार ४ लाख २२ हजार टन घटी।

क्या आप जानते हैं ?

मूंगफली और उसकी उपयोगिता

मूंगफली की लगभग ५० किस्में हैं। मूंगफली की खेती विशेषकर आंध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास, सौराष्ट्र और मैसूर में होती है। कुछ मूंगफली बाहर भी भेजी जाती है।

मूंगफली की किस्म और खेती के तरीके के अनुसार इसकी प्रति एकड़ उपज भिन्न-भिन्न होती है। जहां सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहा जाता है, वहां एक एकड़ में 'गुच्छेदार' किस्म की ७५० पौंड और 'फैलवां' किस्म की १ हजार पौंड मूंगफली पैदा होती है। जहां सिंचाई की व्यवस्था है, वहां 'गुच्छेदार' किस्म की २ हजार पौंड और 'फैलवां' किस्म की लगभग २॥ हजार पौंड तक मूंगफली पैदा होती है।

● मूंगफली का विशेषकर तेल निकाला जाता है। यह तेल खाने के काम आता है। मूंगफली के तेल को साफ करके वनस्पति भी बनाया जाता है। मूंगफली का बिना साफ किया हुआ तेल साबुन और ग्लिसरीन बनाने के काम आता है।

तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, उसे जानवरों को खिलाया जाता है या खाद के काम में लाया जाता है। यदि छिलका उतार कर गिरी का तेल निकाला जाए तो इसकी खली आदमियों के खाने के काम भी आ सकती है।

● मूंगफली के आटे में चर्बी की मात्रा कम और प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम और फास्फोरस अधिक होने के कारण यह बहुत पौष्टिक होता है। मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था ने मूंगफली के आटे से कई अच्छे और पौष्टिक खाद्य पदार्थ बनाए हैं। इनमें से एक बहुत उपयोगी खाद्य पदार्थ है। इसमें लगभग ४२ प्रतिशत प्रोटीन, ए, डी, बी और बी २ विटामिन तथा लोहा और कैल्शियम है। इसे रोज १॥ से २ औंस तक खाने से प्रोटीन, विटामिनों और खनिज पदार्थों की आवश्यकता बहुत अंश तक पूरी हो जाती है।

● गेहूं के आटे में ४० प्रतिशत मूंगफली का आटा मिलाकर बिस्कुट बनाने से बिस्कुटों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मूंगफली का आटा मिलाने से बिस्कुटों में प्रोटीन की मात्रा १५ से १६ प्रतिशत तक हो जाती है, जबकि साधारण बिस्कुटों में प्रोटीन केवल ५ से ६ प्रतिशत तक ही रहती है।

● मैसूर की खाद्य अनुसंधान संस्था ने ७५ भाग गेहूं का आटा, १७ भाग टेपिओका का आटा और ८ भाग मूंगफली का आटा मिला कर 'पौष्टिक आटा' बनाया है। यह आटा साधारण आटे की तरह ही रोटी और पूरी बनाने के काम आ सकता है। यह साधारण आटे से २५ प्रतिशत अधिक पौष्टिक होता है।

● कम चर्बी वाला मूंगफली का आटा, टेपिओका आटे की प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेपिओका में अधिकांश स्टार्च ही होता है। टेपिओका में मूंगफली का आटा और सूजी मिलाकर किसी भी चावल का अनाज बनाया जा सकता है। इस नये अनाज में चावल के प्रायः सब गुण होंगे।

● मूंगफली का एक और अच्छा प्रयोग इससे वनस्पति दूध और दही बनाना है। मूंगफली का दूध लगभग गाय के दूध के समान ही गुणकारी होता है। मूंगफली से बनाई हुई दही का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और यह पच भी बहुत जल्दी जाती है।

सामुदायिक विकास

बिहार पंचायत परिषदों की बैठक

रांची में १९ और २० फरवरी, १९६० को बिहार के जिला और अंचलों की पंचायत परिषदों के लगभग ९०० अध्यक्षों और सचिवों की बैठक हुई। इसमें पंचायतों के विकास कार्यक्रमों, ट्रेनिंग, आय, मालगुजारी जमा करने, चुनाव और ग्राम स्वयंसेवक दल के बारे में विचार किया गया।

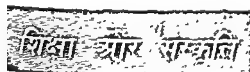
बैठक का समारम्भ करते हुए सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री श्री डे ने कहा कि अनेक राज्यों में बलवन्त राय मेहता समिति की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत राज योजना चल रही है। इसमें बिहार को भी पीछे नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों से पता चला है कि जब तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने में जनता पूरा-पूरा सहयोग नहीं देगी, तब तक हमें पूरी सफलता नहीं मिल सकती। यदि पंचायत राज पूरे उत्साह से काम करें तो राज्यों के विकास कार्यक्रम अवश्य सफल होंगे।

परिषद ने अपनी बैठक में जो प्रस्ताव पास किए उनमें कहा गया कि जब तक पंचायत राज कानून लागू नहीं होता, तब तक आंध्र प्रदेश की तरह, बिहार में भी प्रत्येक जिले में एक-एक खण्ड को पंचायत समिति में बदल दिया जाए।

त्रिपुरा में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

त्रिपुरा के प्रत्येक खण्ड में खण्ड विकास समिति बनाई गई है, ताकि खण्ड अधिकारियों और जनता में सम्पर्क बना रहे तथा लोग खण्ड के कामकाज में रुचि लें। इसमें क्षेत्रीय परिषद के सदस्य, गैर-सरकारी हितकारी संस्थाओं, प्रगतिशील किसानों, सहकारी समितियों और आदिमजातियों के सरदारों के प्रतिनिधि हैं। ग्राम सेवक के क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास कार्यों पर विचार करने के लिए भी ग्राम समितियां बनाई गई हैं। गांवों के नेताओं और खण्ड विकास समिति के सदस्यों को ट्रेनिंग देने के लिए शिविर लगाए जाते हैं। इसके अलावा लोगों में विकास कार्यों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए मेले और गोष्ठियां भी की जाती हैं।



भारत और यूगोस्लाविया में सांस्कृतिक समझौता

भारत और यूगोस्लाविया के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर ११ मार्च को नयी दिल्ली में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो गए। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की वर्तमान मैत्री को और मजबूत करना और विज्ञान, शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में आपसी सद्भाव और सहयोग बढ़ाना है।

यूगोस्लाविया की ओर से भारत स्थित यूगोस्लाव राजदूत ने और भारत की ओर से केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं संस्कृति मंत्री ने हस्ताक्षर किए।

समझौते के पांच खण्ड हैं। समझौता, दोनों देशों की सरकारों की सहमति प्राप्त हो जाने की तारीख से लागू हो जाएगा।

समझौते के अंतर्गत, दोनों देशों की सरकारों ने यह इच्छा प्रकट की है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और कला क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक-दूसरे देश को जाएं, विशेष पाठ्यक्रम चलाने और भाषण करने के लिए दोनों देशों के प्राध्यापक और अनुसंधान कार्यकर्ता भेजे जाएं, छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएं, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कला, क्रीड़ा और पत्रकार संगठनों के सम्मेलनों आदि में प्रतिनिधि भेजे जाएं, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शिक्षा सम्बन्धी सामग्री का विनिमय किया जाए, पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शिल्पिक प्रकाशनों का अनुवाद और विनिमय किया जाए और जहां तक सम्भव हो पुरावशेषों और प्राचीन पाण्डुलिपियों का विनिमय किया जाए, विज्ञान और कला प्रदर्शनियों का और नाटकों, फिल्मों आदि के प्रदर्शन का आयोजन किया जाए और रेडियो, समाचार-पत्रों तथा अन्य ऐसे ही साधनों द्वारा एक-दूसरे की संस्कृति के बारे में जानकारी बढ़ाई जाए।

दोनों देशों की सरकारें खेल-कूद और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करेंगी।

समझौते में यह व्यवस्था भी है कि यदि आवश्यक हुआ तो समझौते को लागू करने के लिए दोनों देशों में एक भारत-यूगोस्लाव सलाहकार समिति भी नियुक्त की जाएगी।

किसी दूसरे देश से किया जाने वाला यह ११वां सांस्कृतिक समझौता है। १९५१ से अब तक भारत तुर्की, ईराक, इंडोनेशिया, जापान, ईरान, पोलैंड, रूमानिया, संयुक्त अरब गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया और रूस से सांस्कृतिक समझौते कर चुका है।

विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाएं

शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने ११ मार्च को लोकसभा में बताया कि इस समय विदेशों के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं :

ब्रिटेन

१	स्कूल आफ ओरियण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज, लंदन विश्वविद्यालय, लन्दन	बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मलयालम, मराठी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू।
२	आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आक्सफोर्ड	संस्कृत

३. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग — संस्कृत

यू० एस० ए० (अमरीका)

१. हारवर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, मैसेचूसेट्स — संस्कृत
२. साउथएशिया रीजनल स्टडीज, यूनिवर्सिटी आफ पेनसिलवेनिया, फिलाडेल्फिया — हिंदी, संस्कृत
३. स्कूल आफ फारेन सर्विस, जार्जटाउन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन-७ — हिन्दी, संस्कृत
४. यूनिवर्सिटी आफ केलिफोर्निया, बर्कले, केलिफोर्निया — संस्कृत
५. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन, न्यूजर्सी — संस्कृत

फ्रांस

१. इन्स्टीट्यूट डि सिविलिजेशन, आदिएन, यूनिवर्सिटी डि पेरिस, आला सोर्बो, पेरिस — भारतीय सभ्यता (जिसमें संस्कृत भी शामिल है)

विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय पीठ

डा० हुमायूं कबीर ने १० मार्च को राज्य-सभा में बताया कि इंडियन कौंसिल आफ कल्चरल रिलेशन्स ने कम्बोडिया विश्व-विद्यालय (फिनौम पेन), अंकारा विश्व-विद्यालय (तुर्की) और तेहरान विश्वविद्यालय (ईरान) में भारतीय विषयों के अध्ययन के लिए पीठ स्थापित की है। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय का भी भारतीय पीठ स्थापित करने का विचार है।

मैड्रिड विश्वविद्यालय में इंडोलोजी पाठ्यक्रम

स्पेन में भारत के निरपूताय श्री मोहम्मद यूनस ने ९ मार्च को मैड्रिड विश्व-विद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के छात्रों के सम्मुख भारत के सम्बन्ध में भाषण दिया। मैड्रिड विश्वविद्यालय अपने यहां इंडोलोजी का पाठ्यक्रम शुरू कर चुका है और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के डाक्टर जुआन रोजर की देखरेख में यह कार्यक्रम चल रहा है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय : शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने १५ मार्च को लोकसभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि कल 'काम रोको प्रस्ताव' के दौरान मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में एक वक्तव्य देने का वायदा किया था। जैसा कि सदन को पता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मौजूदा स्थिति बड़े लम्बे अर्से से चल रही स्थिति का परिणाम है। मैं चाहूंगा कि सदन इस बारे में विचार करते हुए यह बात अपने ध्यान में रखें।

उन्होंने कहा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय में पिछले कुछ समय से चल रही स्थिति के बारे में संक्षेप में उल्लेख करूंगा। मार्च १९५३ में काम्पट्रोलर और आडिटर जनरल ने विश्वविद्यालय के हिसाब-किताब के बारे में उत्तर प्रदेश के एकाउंटेंट जनरल द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रारम्भिक आडिट रिपोर्ट की एक प्रति शिक्षा मंत्रालय को भेजी थी। इस रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में किये गये गबन, हिसाब-किताब में गड़बड़ी तथा कागजों में की गयी हेर-फेर के बारे में बताया गया था। काम्पट्रोलर और आडिटर जनरल ने अनियमितताओं की विभागीय जांच करने का सुझाव दिया था। इस पर विश्वविद्यालय से यह पूछताछ की गयी कि वह रिपोर्ट पर, विशेषतः जांच करने के सुझाव पर क्या कार्रवाई कर रहा है।

विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने जो उत्तर भेजा उसका सारांश यह था कि रिपोर्ट में जो अनियमितताएं बताई गयी हैं उनका कारण हिसाब रखने का गलत तरीका है और असल में जरूरत इस बात की है कि हिसाब रखने के तरीके में सुधार किया जाए। उन्होंने यह भी लिखा कि आडिट रिपोर्ट में जो आपत्तियां की गयी हैं वे सुनिश्चित नहीं हैं। शिक्षा मंत्रालय का यह मत था कि रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताएं बहुत गम्भीर हैं और उन्हें केवल यह कह कर नहीं टाला जा सकता कि वे हिसाब-किताब रखने के गलत तरीके के कारण हुई हैं। मंत्रालय का यह भी मत था कि आडिटर द्वारा बाकायदा लगाये गये आरोपों को यह कह कर नहीं टाला जा सकता कि वे सुनिश्चित नहीं हैं।

यह अनुभव किया गया कि विश्वविद्यालय में जैसी अवस्था है उसको देखते हुए निष्पक्ष जांच जरूरी है। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि ऐसे मामलों में यह अच्छा होगा कि इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए इसकी बजाय कि विजिटर कोई समिति नियुक्त करे यह अच्छा होगा कि विश्वविद्यालय स्वयं ही कार्रवाई करे। इसके बाद ३१ मई, १९५३ को विश्वविद्यालय की वित्त समिति ने अपनी एक विशेष बैठक में इस मामले पर विचार किया और तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की।

मई १९५४ में इस समिति की रिपोर्ट के बारे में विश्वविद्यालय से पूछा गया। इसके बाद भी और भी कई बार विश्वविद्यालय से पूछा गया कि आडिट की ओर से जो विभिन्न आपत्तियां की गयी हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है। १ जून, १९५५ को विश्वविद्यालय की ओर से सरकार को यह बताया गया कि आडिट रिपोर्ट में उठायी गयी आपत्तियों का जवाब देने के बारे में कार्रवाई की जा रही है और जब उनकी आपत्तियों के जवाब तैयार हो जाएंगे तो पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जून १९५५ में विश्वविद्यालय ने आडिट की आपत्तियों का जवाब देना शुरू किया और मार्च १९५६ के अन्त तक जवाब दिये जाते रहे। जून १९५६ में शिक्षा मंत्रालय ने उपकुलपति को लिखा कि उन्होंने जो समिति नियुक्त की थी उसकी न तो बैठक ही हुई है और न वह खत्म ही की गयी है। इस बात को देखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि विश्वविद्यालय के १९५१-५२ और १९५२-५३ के हिसाब-किताब के बारे में पहली आडिट रिपोर्ट विचार के लिए एक समिति को सौंप दी जाए और यह समिति भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे। जुलाई

१९५६ में विश्वविद्यालय की ओर से यह जवाब आया कि जो समिति नियुक्त की गयी थी वह काम नहीं कर सकी और अब विश्वविद्यालय स्वयं ही ऑडिट की आपत्तियों का जवाब देगा और हिसाब-किताब में सुधार करेगा। विश्वविद्यालय की ओर से यह भी बताया गया कि ऑडिट रिपोर्ट में विचाराधीन अर्से में इंजीनियरिंग कालेज में जो भी निर्माण कार्य हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक विशिष्ट विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी है।

ऑडिट की आपत्तियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये उत्तरों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद अप्रैल १९५७ में शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय पर इस बात के लिए जोर दिया कि वित्तीय मामलों में सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। २५ अप्रैल १९५७ को दिये गये जवाब में उपकुलपति ने यह लिखा कि वे खुद इस बात को महसूस करते हैं कि विश्वविद्यालय के हिसाब-किताब के तरीके में तुरन्त ही सुधार करने की और प्रतिवर्ष ऑडिट रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं का उल्लेख किया जाता है उनकी ओर गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्रालय उपकुलपति को बराबर ध्यान दिलाता रहा और उस सह-उपकुलपति ने फरवरी १९५८ में बताया कि १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ की किन-किन ऑडिट-आपत्तियों का जवाब देना अभी बाकी है।

सितम्बर १९५८ में विश्वविद्यालय की वित्त समिति में विजिटर द्वारा नामजद सदस्य को यह आदेश दिया गया कि वह विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति और हिसाब-किताब के बारे में एक नोट तैयार करें। उन्होंने सितम्बर १९५९ में यह नोट प्रस्तुत किया। इस नोट को देखकर सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्वविद्यालय ने आडिट आपत्तियों पर जिस तरह से कार्रवाई की है उसकी खासतौर से तथा सामान्यतः विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों की जाच करने की आवश्यकता है।

उपकुलपति द्वारा अनियमित नियुक्तियां करने योग्य न होने पर भी लोगों को बिना बारी के तरक्की देने तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई एकरूप स्टैंडर्ड न होने के बारे में भी बहुत-सी शिकायतें आई थीं। अतएव यह विचार किया गया कि इन मामलों को भी जाच में शामिल कर लिया जाए। इन सब बातों को देखकर यह तय किया गया कि विजिटर से जाच के लिए आदेश देने की प्रार्थना की जाए और जाच समिति के लिए नाम भी तय कर लिए गए।

इसी समय मुझे विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का एक पत्र मिला। इसमें उन्होंने लिखा था कि विजिटर द्वारा जाच समिति नियुक्त करने का मतलब लोग ऐसा लगाते हैं जैसे कि उपकुलपति या कार्यकारिणी अथवा दोनों ही बिल्कुल अयोग्य अथवा गैर-जिम्मेदार सिद्ध हुए हों। उन्होंने लिखा था कि विजिटर द्वारा इस तरह की समिति नियुक्त करके उपकुलपति तथा कार्यकारिणी को इस प्रकार के आरोपों में लपेटना ठीक नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि विजिटर की ओर से जाच समिति नियुक्त न की जाय, बल्कि इसकी बजाय कार्यकारिणी को जाच समिति नियुक्त करने की अनुमति दी जाय।

उपकुलपति ने यह प्रस्ताव किया था कि समिति के सदस्य वे नियुक्त करें और समिति द्वारा विचारणीय विषय भी तय कर दें। उपकुलपति ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि विजिटर द्वारा जाच समिति नियुक्त करने से विश्वविद्यालय की बहुत बदनामी होगी।

मेरा इरादा विश्वविद्यालय को परेशान करने का नहीं था और मैं यथासम्भव उनकी बात मानने को तैयार था बशर्ते कि मुझे यह आश्वासन दिया जाता कि भारत सरकार जिन मामलों की जाच कराना चाहती है उनकी निष्पक्ष जाच की जाएगी। चूंकि उपकुलपति ने जाच समिति के सदस्य नियुक्त करने और विचारणीय विषय तय करने के बारे में मेरी राय पूरी तरह मानने का प्रस्ताव किया अतएव मैंने यह स्वीकार कर लिया कि विजिटर की बजाय विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी जाच समिति नियुक्त कर दे और मैंने इस समिति के लिए सदस्यों के नाम तथा विषयों की सूची उपकुलपति को भेज दी।

विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने १४ दिसम्बर, १९५९ को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध के बारे में जाच करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति नियुक्त करने का सर्वसम्मति से निश्चय किया। इसी के फलस्वरूप चटर्जी समिति की नियुक्ति की गयी। मैं इसी समिति की जांच के बाद अपना विचार बनाना चाहता था। २ मार्च, १९६० को लोकसभा में एक सदस्य के विश्वविद्यालय के बारे में बहस शुरू करने पर भी मैंने यही बात कही थी कि मैं जाच समिति की रिपोर्ट आने तक इस बारे में प्रतीक्षा करना ही ठीक समझता हू। उपाध्यक्ष ने भी उस समय यही निर्णय दिया।

जाच समिति का त्यागपत्र

अब मैं यह बताना चाहता हू कि जाच समिति ने त्यागपत्र क्यों दिया। ११ मार्च, १९६० को जाच समिति के सदस्यों ने अपने पद से त्यागपत्र देते हुए उपकुलपति को चिट्ठी लिखी और उनसे इसे फौरन स्वीकार करने का अनुरोध किया। समिति के अध्यक्ष ने इस चिट्ठी की एक प्रति मेरे पास भी भेजी। चिट्ठी में कहा गया था कि उपकुलपति के समाचारपत्रों को एक बयान देने के कारण उनका काम करना असम्भव हो गया है। मुझे अभी यह मालूम नहीं कि विश्वविद्यालय ने इस्तीफे के बारे में क्या किया।

इसी बीच मुस्लिम विश्वविद्यालय का ८ मार्च का गजट मुझे देखने को मिला जिसमें विश्वविद्यालय के विरुद्ध सब आरोपों को निराधार बताया गया था। इसी के पृष्ठ २ पर श्री ए० एन० ख्वाजा का वक्तव्य छपा है। इस वक्तव्य में कहा गया है कि मेरे पास वह सारी जानकारी भी है जिससे वह पूरी तरह निर्दोष सिद्ध किये जा सकते थे और मैंने जानबूझ कर उसे सदन के सामने नहीं रखा। मैं इस समय इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि एक विश्वविद्यालय के गजट में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के बारे में इस तरह की नुक्ताचीनी कहां तक ठीक है। २९ फरवरी, १९६० को विश्वविद्यालय ने कुछ सूचना मंत्रालय के पास भेजी थी। इसमें श्री ख्वाजा की पत्नी द्वारा अपनी जमीन बेचने के बारे में भी कुछ जानकारी थी। मुझे यह पता होना सम्भव नहीं था कि वह सदस्य किन बातों को उठाना चाहते हैं। इसलिए उन सूचनाओं में से कुछ बातों के आधार पर जो विश्वविद्याल—



समय-समय पर भेजी जाती रहती हैं किसी आरोप का खंडन या किसी का समर्थन करना मेरे लिए समझदारी न होती।

दूसरे, बिना किसी जांच के किन्हीं आरोपों का खंडन करना या समर्थन करना भी जांच समिति के विरुद्ध होता। वास्तव में मैं उसी अप्रिय स्थिति को टालना चाहता था जो उपकुलपति के बयान से पैदा हो गई और जांच समिति ने इस्तीफा दे दिया। जांच समिति में निस्सन्देह ऐसे स्वतन्त्र और निष्पक्ष व्यक्ति थे जो अवश्य स्वतन्त्र निर्णय ले सकते थे। वास्तव में मैं सदन के सामने ऐसा कोई आभास नहीं देना चाहता था कि विश्वविद्यालय के बारे में सरकार को जानकारी मिली है और उसे सन्तोषजनक पाया गया है, क्योंकि इससे जांच के काम में बाधा आती। इसीलिए मैंने यही ठीक समझा कि निष्पक्ष जांच हो और उसका परिणाम आने की प्रतीक्षा की जाय।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध और व्यय व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए जो उपाय किये जाएं उनमें किसी को विरोध नहीं हो सकता और विश्वविद्यालय के सब शुभाकांक्षी इस तरह मिल कर काम करें जिससे यह विश्वविद्यालय समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सके।

भारतीय भाषाओं में विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों के लिए इनाम

भारतीय भाषाओं में उच्च श्रेणी की विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्रालय ने प्रतिवर्ष १०,००० रु० का इनाम देने की घोषणा की है। यह इनाम इसी साल से किसी एक प्रकाशक को दिया जाएगा।

यह इनाम उस प्रकाशक को दिया जाएगा जो एक साल में किसी भी भारतीय भाषा में विज्ञान सम्बन्धी सर्वोत्तम पुस्तकों की सिरीज प्रकाशित करेगा। सिरीज में कम से कम ५ पुस्तकें होनी अनिवार्य है। यह इनाम किसी लेखक को नहीं दिया जाएगा। ये पुस्तक काफी उच्च स्तर की, साधारण लोगों के पढ़ने के लिए या पाठ्यपुस्तकों के रूप में प्रकाशित होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक स्नातक स्तर से कम की नहीं होनी चाहिए। १९६० में जो पुस्तकें प्रकाशित होंगी उन पर भी विचार किया जाएगा।

बहुत समय से यह अनुभव किया जा रहा है कि भारतीय भाषाओं में विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों की काफी कमी है और ऐसी बढ़िया पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है। आशा है विज्ञान सम्बन्धी अच्छी पुस्तकें छपने से विज्ञान को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।

शिल्प शिक्षा परिषद की समन्वय समिति की बैठक

९ मार्च को नयी दिल्ली में अखिल भारतीय शिल्प शिक्षा परिषद की बैठक में देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिल्प और इंजीनियरी शिक्षा की प्रगति के बारे में विचार किया गया। बैठक के सभापति वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मंत्रालय के सचिव, श्री एम० एस० थैकर थे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिल्प और विज्ञान के क्षेत्र में और अधिक काम किया जाएगा। इस दृष्टि से शिल्प और इंजीनियरी शिक्षा की भावी रूपरेखा बैठक के सदस्यों को बताई गई। इस बात पर भी सदस्यों ने विचार किया कि इंजीनियरी की पंचवर्षीय शिक्षा पाने के लिए छात्रों की न्यूनतम अवस्था क्या निश्चित की जाए।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ८ इंजीनियरी कालेज और ३७ शिल्प विद्यालय चालू हो गए हैं। इसके अलावा एक इंजीनियरी कालेज और १२ शिल्प विद्यालय और स्थापित किए जा रहे हैं। १९५९ में देश के डिग्री कालेजों में १३,५०० और डिप्लोमा विद्यालयों में २०,३०० छात्र प्रवेश पा सकते थे। इन विद्यालयों का और विस्तार किया जा रहा है और इनमें क्रमश: १३,५०० और २५,००० छात्र प्रवेश पा सकेंगे।

आयोजन आयोग की सलाह से केन्द्रीय सरकार ने १९५८ में एक योजना बनाई थी, जिसके अनुसार तीसरे पंचवर्षीय योजनाकाल में ९ क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज और ७७ शिल्प विद्यालय खोले जाएंगे।

परिषद की अगली बैठक अप्रैल १९६० के मध्य में होगी।

उत्तर प्रदेश में तीन-साला डिग्री पाठ्य

उत्तर प्रदेश सरकार, अपने राज्य के वि विद्यालयों में, वर्तमान माध्यमिक शि की व्यवस्था में किसी तरह की हेरफेर बिना ३ साल का पाठ्यक्रम जारी करने तैयार है : यानी २ साल का हाई स्कूल उसके बाद २ साल की इंटरमीडिएट यथापूर्व जारी रखी जाएगी। इसके राज्य सरकार ने यह शर्त रखी है कि ३ डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने में जो अनाव व्यय आए, वह सारा का सारा के सरकार उठाए।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में शि मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने १० को राज्यसभा में दी।

भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनु आयोग से सलाह करके उत्तर प्रदेश सर का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है उससे कहा गया है कि इस पर अमल शुरू करे

उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया कि पहले खर्च के तखमीने भेजने के बाद में कालेजों की संख्या बढ़ गयी है और इस पहले से अधिक खर्च आएगा। इसलिए को न केवल बढ़ा हुआ अनावर्तक व्यय उठाना पड़ेगा, बल्कि इस योजना को करने में होने वाला आवर्तक व्यय भी के सरकार को देना होगा। राज्य सरकार नये प्रस्ताव भी विश्वविद्यालय अनु आयोग के विचारार्थ भेजे जा रहे हैं।

ब्रिटेन की माण्टेसरी संस्थाओं की मान्यता समाप्त

शिक्षा मंत्रालय की १३ मार्च की विज्ञप्ति में बताया गया है कि देश में प्राइमरी से पहले की शिक्षा की का व्यवस्था है। इस कारण भारत सरकार ब्रिटेन की माण्टेसरी संस्थाओं को जो मान्य दी थी, उसे जन १९६१ से वापस लेने निर्णय किया है। भारत में माण्टेसरी शि के लिए ब्रिटेन जाने वाले छात्रों को अब प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

संशोधित देवनागरी लिपि का चलन

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि जिन सरकारी कामकाजों में देवनागरी लिपि चलती है, उनमें वे संशोधित लिपि का प्रयोग कर सकती हैं।

यह सूचना ८ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने दी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य सरकारों को जो सुझाव-पत्र भेजा है, उसकी प्रतिलिपियां केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को भेजी गयी हैं। संशोधित लिपि को प्रचलित होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अब मशीनों, (प्रेस टाइपराइटर) में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा इस समय जो पुस्तकें, रजिस्टर, फार्म आदि हैं, उन्हें हटाकर उनके स्थान पर संशोधित लिपि में नयी पुस्तकें, फार्म आदि तैयार करना भी उचित नहीं है।

१९५९ में प्रसारण का कुल समय

सन् १९५९ में पिछले साल की अपेक्षा आकाशवाणी से विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होने के कुल समय में कुछ वृद्धि हुई। शिमला केन्द्र से विद्यार्थियों का कार्यक्रम, अदमान और निकोबार द्वीपों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित होने और विविध भारतीय कार्यक्रम का समय बढ़ने से यह वृद्धि हुई।

यह सूचना ४ मार्च को लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

रेडियो लाइसेंस लेने की मियाद

भारत सरकार ने रेडियो खरीदने के बाद उसका लाइसेंस लेने में सात दिन की छूट देने का निश्चय किया है। अभी तक रेडियो खरीदने से पहले लाइसेंस लेना होता था। अब नए नियम के अनुसार दुकानदार रेडियो की बिक्री का प्रमाणपत्र देगा और रेडियो की खरीद के सात दिन के भीतर लाइसेंस ले लेना होगा।

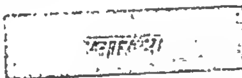
कापीराइट कानून लंका की पुस्तकों पर लागू

भारत सरकार के १४ मार्च, १९६० के असाधारण सूचना-पत्र में प्रकाशित एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि १९५७ का कापीराइट अधिनियम लंका की पुस्तकों पर भी लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की गयी है कि लंका साहित्यिक और कला सम्बन्धी रचनाओं की रक्षा के लिए बर्न यूनियन का सदस्य बन गया है।

जे० जे० इंस्टिट्यूट की रजत-जयन्ती का विशेष डाक-चिन्ह

बम्बई के जे० जे० इंस्टिट्यूट आफ एप्लाइड आर्ट्स की रजत जयन्ती के अवसर पर, जो १७ से १८ मार्च तक मनाई गई, डाक-तार विभाग ने विशेष डाक चिन्ह जारी किया।

कला की शिक्षा देने वाला अपने ढंग का यह एकमात्र विद्यालय है। इसके डिप्लोमा को केन्द्र और राज्यों के लोकसेवा आयोगों ने मान्यता दे रखी है।



कैंसर की चिकित्सा और अनुसंधान के लिए अनुदान

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में कैंसर का इलाज और अनुसंधान करने वाले अस्पतालों और संस्थाओं को ८ लाख रु० अनुदान दिया है। जिन अस्पतालों और संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं, उनके नाम और अनुदान का ब्योरा यह है : चित्तरंजन कैंसर अस्पताल–१,५०,००० रु०; कैंसर इंस्टिट्यूट, मद्रास–२,००,००० रु०; कैंसर इंस्टिट्यूट, कानपुर–२,००,००० रु०, मेडिकल कालेज और अस्पताल, त्रिवेन्द्रम–१,००,००० रु०, कमला नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद–१,००,००० रु० और कैलाश सेवा सदन, बम्बई–५०,००० रु०।

राज्य सरकारों को दूसरी योजना में कैंसर अनुसंधान संस्थाएं स्थापित करने में सहायता देने के लिए ३५ लाख रु० रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय अफ्रीका-एशियाई फिल्म प्रदर्शनी

भारत सरकार ने अफ्रीका-एशिया की पहली अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म प्रदर्शनी में मद्रास के पद्मिनी पिक्चर्स की रंगीन तमिल फिल्म 'वीरपाण्ड्य कट्टबोमन' भेजी है।

यह प्रदर्शनी काहिरा में २९ फरवरी से ११ मार्च तक हुई। इसका आयोजन संयुक्त अरब गणराज्य के संस्कृति और राष्ट्रीय मार्गदर्शन मंत्रालय की ओर से, वहां के सिनेमा संगठन की सहायता से हुआ।

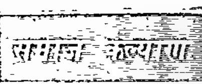
पंजाब दन्त चिकित्सा कालेज के डिप्लोमा को मान्यता

भारत की दंत चिकित्सा परिषद ने पंजाब दंत चिकित्सा कालेज, दंत चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा कालेज, लाहौर (जो अब बन्द हो चुका है) द्वारा १४ अगस्त, १९४७ या उसके पहले दिए गए डिप्लोमाओं को मान्यता दे दी है। इस संस्था को चलाने वाले स्व० डा० सत्यपाल थे।

तपेदिक रोगियों को रेल भाड़े में रियायत

आजकल तपेदिक के रोगियों को उन तपेदिक अस्पतालों, सैनेटोरियमों और चिकित्सालयों तक आने-जाने में रेल के भाड़े में रियायत मिलती है जो उनके अपने राज्य में बसे होते हैं। अब रेल मंडल ने यह रियायत अन्य राज्यों में भी आने-जाने के लिए देने का निश्चय किया है।

रजिस्टरशुदा डाक्टरों के प्रमाणपत्र पेश करने पर यह रियायत दी जाती है। अगर कोई रोगी अकेला यात्रा करे तो उसे केवल एक-चौथाई भाड़ा ही देना पड़ता है। अगर वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ यात्रा करे तो दोनों को एक टिकट ही लेना पड़ता है।



विमोचित जातियों की भलाई के काम

विमोचित जातियों या भूतपूर्व अपराधी वृत्ति की जातियों की भलाई के कामों के लिए १९५९ में ३७ लाख रु० मंजूर किया गया ।

भलाई की योजनाओं में विमोचित जातियों के लोगों के लिए पढ़ाई, जमीन और मकान, गृह उद्योग आदि की व्यवस्था और बच्चों के लिए सुधारगृह बनाने के कार्यक्रम शामिल हैं ।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विमोचित जातियों को फिर से बसाना और इनके बच्चों के लिए ऐसा वातावरण पैदा करना है, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें ।

पहले जरायमपेशा कानून के अन्तर्गत इन जातियों पर बहुत-से प्रतिबंध रहते थे । इन जातियों की जनसंख्या लगभग ४० लाख है । इसका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है : उत्तर प्रदेश १६ लाख ६९ हजार, बम्बई ६ लाख २४ हजार, मद्रास ५ लाख ९५ हजार और मैसूर २ लाख १० हजार ।

विस्थापित परिवारों के विद्यार्थियों को सहायता

एक प्रश्न के उत्तर में ७ मार्च को राज्य-सभा में शिक्षा मंत्री, डा० श्रीमाली ने बताया कि पिछले वर्ष गरीब विस्थापित परिवारों के १७३ विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर १० रु० से ६० रु० तक के मासिक वजीफे मंजूर किये गये । प्रत्येक छात्र को वित्तीय सहायता भी दी गई है जो ५० रु० से ७२० रु० तक की है ।

एक और प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने बताया कि १५ जनवरी, १९६० तक भारतीय राष्ट्रिकों की (जिन में विस्थापित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं) शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं और प्रमाण-पत्रों के बारे में पाकिस्तान में जांच की गई । १,०५१ प्रमाण-पत्रों और योग्यता की पाकिस्तान सरकार ने तसदीक कर दी और १,२२१ मामले उसके पास रुके पड़े हैं ।

विस्थापितों को मुआवजे की अदायगी

प० पाकिस्तान से आए विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए कुल ४ लाख ८६ हजार अर्जियां आई थीं । इनमें से अब केवल ३४ हजार अर्जियों का निपटारा होना बाकी रह गया है । आशा है १९६० के मध्य तक ये अर्जियां भी निपट जाएंगी ।

यह सूचना पुनर्स्सस्थापन और अल्प संख्या मंत्री, श्री मेहर चन्द खन्ना ने ९ मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी ।



छात्र सैनिक दल की राइफल टुकड़ी

छात्र सैनिक दल की नई राइफल टुकड़ी में १९५९-६० में ५० हजार छात्र सैनिकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया था । राइफल टुकड़ी में अब तक २९ हजार छात्र भर्ती हुए हैं । छात्र सैनिक दल निदेशालय में मिली खबर के अनुसार मद्रास में ९,२००, उत्तर प्रदेश में ५,२००, पंजाब में ३,८००, राजस्थान में ३,१००, मध्य प्रदेश में २,०००, मैसूर में १,५००, बम्बई में २,३०० और आंध्र प्रदेश में १,६०० छात्र सैनिक राइफल टुकड़ी में भर्ती हुए हैं ।

कालेजों और विश्वविद्यालयों की अपने यहां छात्र सैनिक दल की टुकड़िया खोलने की मांग पर राइफल टुकड़ी बनाई गई है, जिससे अधिक छात्र सैनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें । १९६०-६१ के वित्त वर्ष के अन्त तक इस टुकड़ी में २॥ लाख छात्र सैनिक भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है । छात्र सैनिक दल की राइफल टुकड़ी में छात्र सैनिकों को सेना की राइफल रेजिमेंटों के नमूने पर ही ट्रेनिंग दी जाएगी ।

१६ वर्ष से अधिक उम्र के लड़के और लड़कियां राइफल टुकड़ी में भर्ती हो सकते हैं । इन लोगों पर कोई सैनिक जिम्मेदारी नहीं होगी । राइफल टुकड़ियों में २००-२०० छात्र सैनिकों की कम्पनियां होंगी । कम्पनी का कमांडर छात्र सैनिक दल का ही अफसर होगा । प्रत्येक कम्पनी में तीन प्लाटून होंगी ।

राइफल टुकड़ियों में हथियारों के साथ कवायदों के अलावा और सब ट्रेनिंग कार्यक्रम छात्र सैनिक दल की सीनियर डिवीजन के अनुसार ही होगा । लड़कियों को भी सीनियर डिवीजन के कार्यक्रम के अनुसार ही ट्रेनिंग दी जाएगी, पर इसमें संकेत भेजने और पाने तथा नर्स का काम आदि भी विशेष रूप से सिखाया जाएगा ।

लोक सहायक सेना की प्रगति

लोक सहायक सेना में मार्च १९६० तक पांच लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था । दिसम्बर १९५९ तक चार लाख पैंतीस हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और आशा है कि अगले तीन महीनों में और ३,५०० लोग ट्रेनिंग ले चुकेंगे । प्रतिरक्षा मंत्री, श्री कृष्ण मेनन ने हाल ही में लोकसभा में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि लोक सहायक सेना के अधिकांश शिविर पहाड़ी भागों में लगाए गए और वहां पानी और बाढ़ का भी काफी प्रकोप रहा । इसलिए इन शिविरों में कम लोगों ने भाग लिया । कभी कभी संक्रामक रोगों के कारण शिविर का स्थान एकदम बदल देना पड़ता था, जिससे इसमें काफी संख्या में लोग भाग नहीं ले सके ।

श्री मेनन ने बताया कि प्रशिक्षार्थियों की कमी पूरी करने के लिए हर साल विशेष शिविर भी लगाए जाते हैं । अब तक इस प्रकार के ३८ शिविर लगाए जा चुके हैं । सन् १९५९-६० में १२ विशेष शिविर लगाने का विचार किया जा रहा है ।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का पुनरभ्यास पाठ्यक्रम

भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी ८ से ७ साल तक काम कर चुके हैं, उनके लिए केन्द्रीय पुलिस ट्रेनिंग कालेज, माउंट आबू में ६ महीने का पुनरभ्यास पाठ्यक्रम चालू होने वाला है।

इस पाठ्यक्रम में ये अधिकारी एक-दूसरे के अनुभव से लाभ उठाएंगे। अपराधियों को पकड़ने में जिन आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है, उनकी भी शिक्षा इन अधिकारियों को दी जाएगी।

भारतीय पुलिस सेवा के युवक अधिकारियों को भी अब इस कालेज में नए ढंग से प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। अब इन्हें पुलिस प्रशासन और सार्वजनिक सेवा की भी शिक्षा दी जाती है और व्यावहारिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस कालेज को बने १० साल हो चुके हैं। यहां प्रतिवर्ष ६० से ७० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

इण्डोनेशिया के वायुसैनिकों को भारत में प्रशिक्षण

इण्डोनेशिया की वायुसेना के सैनिकों का एक दल बहुत जल्दी भारत में ट्रेनिंग के लिए आ रहा है। इण्डोनेशिया के वायुसैनिकों को भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी।

इण्डोनेशिया के वायुसैनिकों का यह दल अब तक विदेश में ट्रेनिंग पाने वाले सब दलों से बड़ा है।

हर ६ महीने बाद ऐसे ही दल भारत में प्रशिक्षण के लिए आएंगे।

इण्डोनेशिया के वायुसैनिकों को भारत में प्रशिक्षण देने का करार १९५६ में हुआ था। इसके अन्तर्गत इण्डोनेशिया के वायुसैनिकों को चार-पांच साल तक भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक

उत्तर प्रदेश के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, श्री सुमेर चन्द वत्स को उनके अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया है। यह घोषणा भारत सरकार के ५ मार्च के सूचना-पत्र में प्रकाशित हुई है।

सैनिक अभ्यास और अध्ययन सप्ताह

विद्युत् और यांत्रिक इंजीनियरी दल केन्द्र ने विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों, यंत्रों और गाड़ियों का अध्ययन करने के लिए ७ मार्च से सैनिक अभ्यास और अध्ययन सप्ताह मनाना आरम्भ किया है।

इस अवसर पर प्रतिरक्षा मंत्री, श्री कृष्णमेनन, स्थल सेनाध्यक्ष, जनरल थिमैया, दक्षिण कमान के जी० ओ० सी-इन-सी, ले० जन० जे० एन० चौधरी आदि उच्चाधिकारी उपस्थित थे।



राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है —

मद्रास भूमि-सुधार योजना विधेयक, १९५९

यह कानून १९४९ के मद्रास के इसी तरह के एक कानून की जगह ले लेगा, क्योंकि पुराने कानून में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनके कारण मद्रास के नीलगिरी आदि कुछ जिलों में भूमि के भयानक कटाव को रोकने के लिए अभीष्ट कदम नहीं उठाए जा सकते थे।

नये कानून के अन्तर्गत राज्य में जमीन को कटने से रोकने और दूसरी तरह के सुधारों को हाथ में लिया जा सकता है। साथ ही इसके द्वारा राज्य सरकार बाढ़ से जमीन की रक्षा करने और जमीन को साफ करने के काम भी पूरे कर सकती है।

लक्ष द्वीप समूह में तीन नये केन्द्र-बेतार

१७ मार्च से अडरोत, अमीनद्वीप और कवरत्ती द्वीपों में तीन नये बेतार-केन्द्र खुल जाने से भारत और लक्षद्वीपसमूह और निकट आ गये हैं। इस नयी बेतार की तार-व्यवस्था का उद्घाटन स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने किया। ये बेतार-केन्द्र डाक-तार विभाग ने स्थापित किए हैं। मिनिकाय में एक बेतार-केन्द्र पहले से काम कर रहा है।

पाकिस्तान के कमांडर-इन-चीफ दिल्ली में

पाकिस्तान की सेना के कमाण्डर-इन-चीफ जनरल मोहम्मद मूसा दो दिन की भारत-यात्रा पर ५ मार्च को दिल्ली पहुंचे। पालम हवाई अड्डे पर स्थल सेनाध्यक्ष जनरल के० एस० थिमैया ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में जनरल मूसा प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन से भी मिले।

जनरल मूसा के निजी सचिव, उनके दो पुत्र और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पुत्र कैप्टेन अख्तर अयूब खां भी उनके साथ दिल्ली पधारे थे।

पूर्व तथा उत्तर क्षेत्रों के लिए आरक्षित पुलिस दल योजना

लोकसभा में ३ मार्च को स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पूर्व तथा उत्तर की क्षेत्रीय परिषदों ने आरक्षित पुलिस दल की योजनाएं स्वीकार कर ली हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद ने इस योजना के बारे में विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी और उसने जो रिपोर्ट दी है वह परिषद की अगली बैठक में पेश की जाएगी। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद ऐसा दल नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं समझती है।

इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य या केन्द्र प्रशासित क्षेत्र अपने यहां आरक्षित पुलिस दल की कुछ पुलिस क्षेत्रीय आरक्षित पुलिस दल के लिए

भेजे, जिससे यह पुलिस दल क्षेत्र में कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर भेजा जा सके। विभिन्न राज्यों में हर साल आरक्षित पुलिस दल को बारी-बारी से थोड़े समय के लिए संयुक्त ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है।

राज्यों में जिला विकास समितियां

आंध्र प्रदेश और राजस्थान सरकार जिलों में विभिन्न विभागों के काम में मेल रखने का काम जिला परिषद को सौंप चुकी हैं। अब मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और आसाम सरकार भी जल्दी ही यही काम करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश ने यह काम अन्तरिम जिला परिषद को और बिहार, बम्बई, केरल और मध्य प्रदेश ने जिला काउंसिल या बोर्ड को सौंपा है। पंजाब में जिलों में स्थायी समितियां बनाई गई हैं और पश्चिम बंगाल में यह काम खण्ड विकास समितियों को सौंपा है।

दिल्ली प्रदेश में सहकारी कृषि समितियां

दिल्ली प्रदेश में इस समय २७ सहकारी कृषि समितियां दर्ज हैं। यह सूचना १० फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री, श्री बी० एस० मूर्ति ने दी।

उन्होंने बताया कि अन्य सहकारी समितियों की तरह सहकारी कृषि समितियां दिल्ली सहकारी बैंक से कर्ज ले सकती हैं। इस समय सरकार की ओर से ऋण या सहायता के रूप में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। परन्तु एक सहकारी समिति को चार साल पहले सामुदायिक विकास खंड के बजट से २०,००० रु० ऋण दिया गया।

दिल्ली प्रदेश की पंचायतें

केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री, श्री बी० एस० मूर्ति ने १० फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि दिल्ली प्रदेश की पंचायतों और ग्रामसभाओं का शासन और नियंत्रण चीफ कमिश्नर से लेकर विकास आयुक्त को दे दिया गया है। इस समय दिल्ली में २०५ ग्राम सभाएं और २२ सर्किल पंचायतें काम कर रही हैं।

पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश

श्री प्रेमचन्द पण्डित को उनके कार्य-भार सम्भालने की तारीख से दो वर्ष के लिए पंजाब उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह सूचना २४ फरवरी की एक प्रेस-विज्ञप्ति में दी गयी है।

मध्य प्रदेश का मकान नियंत्रण (संशोधन) कानून, १९६०

मध्य प्रदेश में १९५५ में मकान नियंत्रण कानून लागू किया गया, जिसकी मियाद ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गई थी। इस कानून को एक साल के लिए और बढ़ाना जरूरी समझा गया, परन्तु उस समय वहां की विधानसभा की बैठक नहीं हो रही थी। अतः ३० दिसम्बर को अध्यादेश जारी किया गया। अब उसी अध्यादेश के स्थान पर यह कानून लागू किया गया है।

दिल्ली में आवारा बच्चे

लोकसभा में ११ मार्च को स्वराष्ट्र उपमंत्री, श्रीमती वायलेट अल्वा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बम्बई बाल अधिनियम १९२४ के अन्तर्गत दिल्ली में १९५९ में १,६५६ आवारा बच्चों को पकड़ा गया। यह अधिनियम दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है।

श्रीमती अल्वा ने कहा कि उन बच्चों को जिन्हें अदालत ने, मामला चलाये जाने के दौरान अभिभावकों के पास छोड़ना उचित नहीं समझा है सुधार-गृहों में भेज दिया गया है।



भारत तथा फिनलैण्ड के राजनयिक सम्बन्ध

परराष्ट्र मंत्रालय की १९ फरवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत और फिनलैण्ड के बीच मैत्री सम्बन्ध को और दृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने दोनों देशों के दूतावासों का स्तर ऊंचा करके उन्हें राज-दूतावास बनाने का निर्णय किया है।

स्वीडन में भारत के राजदूत श्री केवल सिंह फिनलैंड के भी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत में फिनलैण्ड के अमात्य, डा० सिगुर्ड वाल्डेमर वान न्युमर्स को फिनलैण्ड का प्रथम राजदूत बनाया गया है।

भारत और क्यूबा के राजनयिक सम्बन्ध

भारत और क्यूबा की सरकारों ने आपसी सम्बन्ध और दृढ़ करने के ख्याल से तुरन्त ही अपने दूतों का दरजा बढ़ाकर उन्हें राजदूत बनाने का निर्णय किया है।

इस निश्चय के आधार अब अमरीका में भारतीय राजदूत, श्री एम० सी० छागला क्यूबा में भी भारत के राजदूत होंगे और उनका कार्यालय वाशिंगटन में ही रहेगा।

यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की १४ मार्च की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

अगादिर के भूचाल पीड़ितों को भारतीय सहायता

अगादिर (मोरक्को) के भूचाल पीड़ितों को भारत से जो सहायता भेजी जा रही है, उसकी पहली खेप एयर इंडिया इंटर-नेशनल के विमान द्वारा ७ मार्च को पेरिस भेजी गई। वहां से मोरक्को के विमान यह सामान मोरक्को ले जाएंगे।

इन वस्तुओं में पेनिसिलिन, एक्रोमाइसिन, सल्फागुआनिडिन, टी ए बी का टीका, स्ट्रेप्टोमाइसीन, विटामिन की गोलियां और अन्य दवाएं हैं।

मारिशस के नूतन पीढ़ियों को भारत की सहायता

भारत सरकार ने मारिशस के नूतन पीढ़ियों की सहायता के लिए दो लाख रु० की कीमत का सामान भेजा है। इसके अलावा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पैके-जिंग में ५३६ बण्डल, ३,२०० गज खादी का कपड़ा और २,६०० गज खादी भी भेंट की है। यह सब सामान एस० एस० '[illegible]' से रवाना कर दिया गया। जहाज ८ मार्च को पोर्ट लुई पहुंचा।

जकार्ता में भारतीय कला प्रदर्शनी

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मंत्री, श्री हुमायूं कबीर ने २० मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन्डोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई भारतीय कला प्रदर्शनी बहुत सफल रही है। इस प्रदर्शनी के ठीक-ठीक व्यय का अभी पता नहीं लगा है।

तेहरान की प्रदर्शनी में नेहरू जी की पुस्तक सर्वोत्तम घोषित

९ मार्च को तेहरान में ईरान के शिक्षा मंत्री, डा० महमूद मेहरान ने [illegible] की पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में श्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक 'ग्लिम्पसेज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री' के फारसी अनुवाद को १० सर्वोत्तम पुस्तकों में माना गया। इसका फारसी अनुवाद श्री महमूद तफज्जोली ने किया है।

सिक्किम के शिक्षकों की भारत यात्रा

भारत सरकार के निमन्त्रण पर सिक्किम के चार शिक्षकों का एक दल भारत की डेढ़ दो महीने की यात्रा के लिए नयी दिल्ली पहुंचा। इन शिक्षकों ने नयी दिल्ली में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान में ५ से ११ मार्च तक आरम्भिक ट्रेनिंग भी ली।

हंगरी के राजदूत द्वारा परिचय-पत्र पेश

हंगरी के राजदूत डा० लासलो रोजाई ने १० मार्च को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद को अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किए। वे भारत में अपने देश के प्रथम राजदूत हैं।

नीदरलैंड में भारतीय राजदूत द्वारा परिचय-पत्र पेश

नीदरलैंड में भारतीय राजदूत, श्री आर० के० टण्डन ने ३ मार्च को नीदरलैंड की रानी जुलियाना को अपने परिचय-पत्र पेश किए।

ट्यूनिस के पुस्तकालय को भारतीय पुस्तकें

मोरक्को में भारतीय राजदूत, श्री आर० गोवन्दन ने ८ मार्च, १९६० को ट्यूनिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय को भारत सरकार की ओर से ९४ पुस्तकें भेंट कीं।

भेजे, जिससे यह पुलिस दल क्षेत्र में कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर भेजा जा सके। विभिन्न राज्यों में हर साल आरक्षित पुलिस दल को बारी-बारी से थोड़े समय के लिए संयुक्त ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है।

राज्यों में जिला विकास समितियां

आंध्र प्रदेश और राजस्थान सरकार जिलों में विभिन्न विभागों के काम में मेल रखने का काम जिला परिषद को सौंप चुकी हैं। अब मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और आसाम सरकार भी जल्दी ही यही काम करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश ने यह काम अन्तरिम जिला परिषद को और बिहार, बम्बई, केरल और मध्य प्रदेश ने जिला काउंसिल या बोर्ड को सौंपा है। पंजाब में जिलों में स्थायी समितियां बनाई गई हैं और पश्चिम बंगाल ने यह काम खण्ड विकास समितियों को सौंपा है।

दिल्ली प्रदेश में सहकारी कृषि समितियां

दिल्ली प्रदेश में इस समय [illegible] सहकारी कृषि समितियां दर्ज हैं। यह सूचना १० फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री, श्री बी० एस० मूर्ति ने दी।

उन्होंने बताया कि अन्य सहकारी समितियों की तरह सहकारी कृषि समितियां दिल्ली सहकारी क्षेत्र से दर्ज की जाती हैं। इस समय सरकार की ओर से ऋण या सहायता के रूप में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। परन्तु एक सहकारी समिति को चालू साल पहले सामुदायिक विकास खंड के बजट से [illegible],००० रु० ऋण दिया गया।

दिल्ली प्रदेश की पंचायतें

केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री, श्री बी० एस० मूर्ति ने १० फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि दिल्ली प्रदेश की पंचायतों और ग्रामसभाओं का शासन और निरीक्षण दिल्ली कमिश्नर से लेकर विकास आयुक्त को दे दिया गया है। इस समय दिल्ली में २०५ ग्राम सभाएं और २२ सर्किल पंचायतें काम कर रही हैं।

पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश

श्री प्रेमचन्द पण्डित को उनके कार्य-भार सम्भालने की तारीख से दो वर्ष के लिए पंजाब उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह सूचना २४ फरवरी की एक प्रेस-विज्ञप्ति में दी गयी है।

मध्य प्रदेश का मकान नियंत्रण (संशोधन) कानून, १९६०

मध्य प्रदेश में १९५५ में मकान नियंत्रण कानून लागू किया गया, जिसकी मियाद ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गई थी। इस कानून को एक साल के लिए और बढ़ाना जरूरी समझा गया, परन्तु उस समय वहां की विधानसभा की बैठक नहीं हो रही थी। अतः ३० दिसम्बर को अध्यादेश जारी किया गया। अब उसी अध्यादेश के स्थान पर यह कानून लागू किया गया है।

दिल्ली में आवारा बच्चे

लोकसभा में ११ मार्च को स्वराष्ट्र उपमंत्री, श्रीमती वायलेट अल्वा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बम्बई बाल अधिनियम १९२४ के अन्तर्गत दिल्ली में १९५९ में १,११६ आवारा बच्चों को पकड़ा गया। यह अधिनियम दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है।

श्रीमती अल्वा ने कहा कि उन बच्चों को जिन्हें अदालत ने, मामला चलाये जाने के दौरान अभिभावकों के पास छोड़ना उचित नहीं समझा है सुधार-गृहों में भेज दिया गया है।



भारत तथा फिनलैण्ड के राजनयिक सम्बन्ध

परराष्ट्र मंत्रालय की १९ फरवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत और फिनलैण्ड के बीच मैत्री सम्बन्ध को और दृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने दोनों देशों के दूतावासों का स्तर ऊंचा करके उन्हें राजदूतावास बनाने का निर्णय किया है।

स्वीडन में भारत के राजदूत श्री केवल सिंह फिनलैंड के भी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत में फिनलैण्ड के अमात्य, डा० सिगुर्ड वान्डेवर वान न्यूमर्स को फिनलैण्ड का प्रथम राजदूत बनाया गया है।

भारत और क्यूबा के राजनयिक सम्बन्ध

भारत और क्यूबा की सरकारों ने आपसी सम्बन्ध और दृढ़ करने के ख्याल से तुरन्त ही अपने दूतों का दरजा बढ़ाकर उन्हें राजदूत बनाने का निर्णय किया है।

इस निश्चय के अनुसार अब अमरीका में भारतीय राजदूत, श्री एम० सी० छागला क्यूबा में भी भारत के राजदूत होंगे और उनका कार्यालय वाशिंगटन में ही रहेगा।

यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की १४ मार्च की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

अगादिर के भूचाल पीड़ितों को भारतीय सहायता

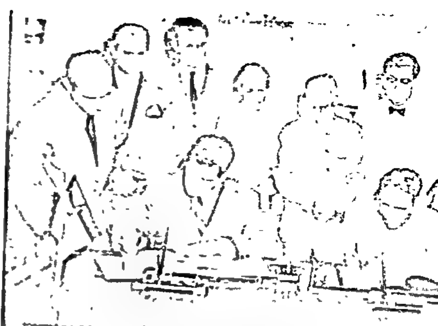
अगादिर (मोरक्को) के भूचाल पीड़ितों को भारत से जो सहायता भेजी जा रही है, उसकी पहली खेप एयर इंडिया इंटर-नेशनल के विमान द्वारा [illegible] मार्च को पेरिस भेजी गई। वहां से मोरक्को के विमान इस सामान मोरक्को ले जाएंगे।

इन वस्तुओं में पेनिसिलिन, एक्रोमाइसिन, सल्फागायनीडिन, टी ए बी का टीका, इंट्रो-माइसीन, विटामिन की गोलियां और अन्य दवाएं हैं।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली-८ द्वारा सम्पादित तथा [illegible] प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली-१ द्वारा मुद्रित



ार्च को नयी दिल्ली में भारत और जापानी इस्पात मिशन में एक ौते पर हस्ताक्षर; चित्र में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय चिव श्री रंगनाथन (दायें) और जापानी इस्पात मिशन के नेता मगानो समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए



नयी दिल्ली में ११ मार्च को भारत और युगोस्लाविया में एक सांस्कृतिक सम हस्ताक्षर हुए—चित्र में केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्री डा० हु और भारत में युगोस्लाव राजदूत परमश्रेष्ठ डूशन कवेडेर समझौते पर हस्ताक्षर क



पश्चिम जर्मनी से आये हुए शिक्षाविदों के शिष्टमण्डल के सदस्य नयी दिल्ली में १५ मार्च को वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्री डा० हुमायूं कबीर के साथ



मानिया से आये बैले और ओपेरा दल सदस्यों का १५ मार्च को दिल्ली रेलवे शन पहुंचने पर लिया गया चित्र

रजिस्टर्ड नं०
डी०-९४१



३ मार्च से दिल्ली में हुई सेना के घोड़ों की प्रदर्शनी में शाह अफगानिस्तान कप जीतने वाला घोड़ा 'शिवाजी' और उनके घुड़सवार मेजर मुहम्मद मिर्जा

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा १५ मार्च से नयी दिल्ली में आयोजित एक समाज कल्याण प्रदर्शनी में मणिपुर स्टाल का दृ

N AC

भारतीय समाचार



वर्ष ३   १५ मार्च, १९६० (२५ फाल्गुन, १८८१)   अङ्क

भारतीय एवरेस्ट पर्वतारोहण-दल के सदस्य नयी दिल्ली में प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ



विश्व बैंक के तत्वावधान में संगठित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शिष्टमण्डल के सदस्य २५ फरवरी को नयी दिल्ली में प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के साथ। बाएं से दाएं : सर ऑलिवर फ्रैंक्स (ब्रिटेन), डा० हरमैन एब्स (पश्चिम जर्मनी), प्रधान मंत्री और श्री चार्ल्स ए० कूम्बस (अमरीका)



गेहूं उपयोग शिष्टमण्डल, जिसमें अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस और अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन के कुल सात प्रतिनिधि हैं, २० फरवरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री, श्री एस० के० पाटिल के साथ



भारतीय समाचार

वर्ष ३ | १५ मार्च, १९६० २५ फाल्गुन, १८८१ | अङ्क ४

एक प्रति रु० ०.३५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : ६ मार्च को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर श्री ऊ नू प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू के साथ

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



सोवियत प्रधान मंत्री की भारत-यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति

सोवियत प्रधान मंत्री महामहिम निकिता ख्रुश्चोव की भारत-यात्रा की समाप्ति पर १७ फरवरी को नयी दिल्ली में निम्नलिखित संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई :—

भारत सरकार के निमंत्रण पर सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, श्री एन० एस० ख्रुश्चोव ११ फरवरी, १९६० को भारत आए और १६ फरवरी, १९६० तक रहे। उनके साथ विदेश मंत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको, संस्कृति मंत्री श्री एन० ए० मिरेलोव, सांस्कृतिक कार्य समिति के अध्यक्ष श्री जी० ए० जुकोव, परराष्ट्र अर्थ-कार्य समिति के अध्यक्ष श्री एस० ए० स्केचेकोव, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के डिप्टी श्री टी० यू० उलजाबयेव, अजरबैजान सोशलिस्ट रिपब्लिक की परराष्ट्र मंत्री श्रीमती टी० ए० वैरोवा, सोवियत संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय के मण्डल के सदस्य श्री ए० एम० मार्कोव और भारत में सोवियत संघ के राजदूत श्री आई० ए० बेनेदिकतोव भी आए।

दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर, जहां भी श्री ख्रुश्चोव गए, जनता ने उनका हार्दिक और सौहार्दपूर्ण स्वागत किया, जिससे जनता के प्रेम और उत्साह का परिचय मिला। जनता द्वारा प्रकट की गई यह सद्भावना विश्व के इस राजनीतिज्ञ के प्रति, जो बड़ी निष्ठा से शांति के लिए प्रयत्न कर रहा है, सम्मान है तथा भारत और सोवियत संघ तथा दोनों देशों की जनता के मित्रतापूर्ण संबंधों का परिचायक है।

दिल्ली में श्री ख्रुश्चोव ने संसद सदस्यों के सम्मुख भाषण किया, विश्व कृषि प्रदर्शनी देखी, दिल्ली के नागरिक अभिनन्दन में भाग लिया तथा और बहुत-से सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया। बाद में वे सूरतगढ़ और भिलाई गए। ये दोनों ही स्थान क्रमशः कृषि और उद्योग क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ की मित्रता के प्रतीक हैं। इन दोनों ही कार्यों में प्राप्त हुई सफलता दोनों देशों के लिए संतोष की बात है तथा भविष्य में दोनों देशों के आर्थिक सहयोग की सफलता का शुभ चिन्ह है। भारत जिस बड़े काम में लगा हुआ है तथा अपनी विकास योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्त.,

. लिए जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी एक झलक श्री ख्रुश्चोव को इन दोनों केन्द्रों में मिली।

श्री ख्रुश्चोव ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रियों से बातचीत की। प्रधान मंत्री से बहुत-से अंतर्राष्ट्रीय मामलों तथा दोनों देशों से सम्बन्धित विशेष मामलों पर बड़ी ही मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई।

हाल ही में दुनिया की गतिविधियों में जो अनुकूल परिवर्तन हुए हैं और जिनसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में काफी कमी हुई है, उन पर दोनों प्रधान मंत्रियों ने संतोष प्रकट किया। दुनिया की स्थिति में यह सुधार दो महान राष्ट्रों के नेताओं—सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष श्री ख्रुश्चोव और अमरीका के राष्ट्रपति श्री आइजनहावर—के प्रयत्नों का परिणाम है। उन्होंने सीधी बातचीत से आपस में जो सम्पर्क स्थापित किया है और जो एक-दूसरे के देश की यात्रा के द्वारा और बढ़ रहा है, उससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वे एक-दूसरे को काफी समझ पाए हैं तथा उसी के कारण सोवियत संघ, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस के चोटी के नेताओं का अगली मई में शिखर सम्मेलन करने का समझौता हुआ है। सभी शांति-प्रेमी लोगों की आशाएं इस सम्मेलन पर तथा ऐसे ही सम्मेलनों पर लगी हुई हैं। सब लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि इन बड़े देशों के नेताओं के प्रयत्न पूरी तरह सफल हों। अपनी ओर से भारत शांति के प्रयत्नों के प्रति सद्भावना प्रकट करता है तथा बराबर उनका नैतिक समर्थन करने का आश्वासन देता है।

भारत के प्रधान मंत्री ने श्री ख्रुश्चोव के पूर्ण निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव का फिर से समर्थन किया। भारत के दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल में अहिंसा का सिद्धान्त अपनाने का प्रयत्न है। इन प्रस्तावों के प्रति सब देशों की, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ की दिलचस्पी इस बात का परिचायक है कि दुनिया के आदमी अणु-युद्ध के खतरों को समझते हैं। अणु-अस्त्रों तथा अन्य विनाशकारी अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर भी दोनों प्रधान मंत्रियों में पूर्ण सहमति थी। उन्होंने यह आशा प्रकट की कि दुनिया के बड़े देश उस प्रस्ताव के आधार पर जो भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के पिछले अधिवेशन में रखा था, अणु-अस्त्रों को समाप्त करने की ओर पहला कदम उठाएंगे। सिर्फ अणु-अस्त्र ही नहीं, पुराने तरीके के अस्त्र भी मानव की प्रगति में बहुत बाधक हैं। हाल ही में सोवियत संघ ने अपनी सशस्त्र सेनाओं में जो कमी की है और जैसी कि वह पहले भी कर चुका है, वह भारत के मत से शांति के स्वप्नों को पूरा करने की ओर महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधान मंत्री श्री नेहरू तथा अन्य भारतीय नेताओं से हुई बातचीत में सोवियत मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष श्री एन० एस० ख्रुश्चोव ने किसी भी गुट में शामिल न होने तथा सैनिक संधियों से अलग रहने की भारत की नीति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ भारत की इस नीति का सम्मान करता है। सोवियत सरकार का यह विश्वास है कि इस नीति को अपनाकर भारत और भारत के प्रधान मंत्री विश्वशांति कायम रखने में बहुत बड़ा योग दे रहे हैं। श्री ख्रुश्चोव ने भारत सरकार तथा भारतीय जनता की इस नीति की सफलता की कामना की और इस बात पर जोर दिया कि शांति को कायम रखने के लिए भारत और सोवियत संघ के संयुक्त प्रयत्न जारी रहेंगे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी होगी तथा दुनिया के देशों में सहयोग बढ़ेगा।

भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता अब पहले से अधिक दृढ़ हुई है और दोनों देश एक-दूसरे को अधिक अच्छी तरह से समझने लगे हैं। दोनों देश शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त को मानते हैं और स्थायी शान्ति कायम करने में सहायता देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इससे दोनों देश एक-दूसरे के और निकट आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य क्षेत्रों में भी उनका बराबर सहयोग है। दोनों देश इसे मानते हैं कि विज्ञान और शिल्प-विज्ञान में जो उल्लेखनीय प्रगति हो रही है, और जिसमें सोवियत संघ सबसे आगे है, उससे मानवता की तब तक ठीक तरह से सेवा नहीं हो सकती, जब तक संसार युद्ध के भय से मुक्त न हो जाए और स्थायी शान्ति स्थापित न हो जाए। निरस्त्रीकरण, देशों के बीच सद्भाव, दुनिया के जो क्षेत्र अब तक गरीब और उपेक्षित रहे उनकी तेजी से उन्नति—इन्हीं से वास्तव में युद्ध रुक सकता है। दोनों प्रधान मंत्रियों ने इस पर विश्वास प्रकट किया है कि इन बातों पर मानवता की शान्तिपूर्ण प्रगति निर्भर है, इसलिए उनके देश इन कामों के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

दोनों प्रधान मंत्रियों को यह जानकर खुशी हुई है कि दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक सम्पर्क भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत और सोवियत संघ के आर्थिक तथा शिल्पिक सहयोग से अनेक योजनाएं चल रही हैं : भिलाई इस्पात कारखाना, जहां उत्पादन शुरू हो गया है और अब जिसकी क्षमता दुगनी की जा रही है; रांची का मशीन बनाने का कारखाना; नेवेली का बिजलीघर; कोरबा कोयला योजना; बरौनी का तेल साफ करने का कारखाना; तेल के लिए खुदाई आदि। सोवियत संघ ने अब तक जो ऋण देना स्वीकार किया, उसके अलावा उसने अभी हाल में १॥ अरब रूबल और देने का निर्णय किया है। यह ऋण तीसरी योजना के बड़े कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। इस सम्बन्ध में श्री ख्रुश्चोव जब दिल्ली में थे, तब एक समझौता हुआ था। उसी समय दोनों देशों के बीच पहली बार संस्कृति, विज्ञान और शिल्प के सहयोग के बारे में भी समझौता हुआ।

श्री ख्रुश्चेव पिछली बार दिसम्बर १९५५ में भारत आए थे तब से ऐसी अनेक बातें हो चुकी हैं, जिनका प्रभाव भारत और दुनिया पर भी पड़ा। श्री ख्रुश्चेव को यहां आकर अब स्वयं यह देखने का मौका मिला है कि भारत ने अपने विकास के लिए, जनता की उन्नति के लिए और लोगों का रहन-सहन ऊंचा करने के लिए जो प्रयत्न किए, उनका क्या परिणाम निकला है। उनके भारत आने से दोनों प्रधान मंत्रियों को फिर उत्कण्ठित मित्रों के समान मिलने और अनेक मामलों पर विचार करने का मौका मिला है। दोनों ने व्यक्तिगत ढंग से जो बातें की हैं, उनसे दोनों का ही लाभ हुआ है; जून १९५५ में भारत के प्रधान मंत्री ने सोवियत संघ की यात्रा करके भारत और सोवियत संघ के बीच जो नए सम्बन्ध जोड़े थे, वे इससे (श्री ख्रुश्चेव की यात्रा से) और दृढ़ हुए हैं।

चीनी प्रधान मन्त्री का पत्र

प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने २६ फरवरी को लोकसभा में चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन-लाई का २६ फरवरी, १९६० का पत्र पेश किया। पत्र पेश करते हुए उन्होंने कहा—

"जैसा कि आप देखेंगे, चीन के प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन-लाई ने भारत आने का मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैंने मार्च के उत्तरार्ध में भेंट करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने लिखा है कि अप्रैल का महीना अधिक उपयुक्त रहेगा। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें अप्रैल का महीना उतना ही उपयुक्त है और हम जितनी जल्दी हो सकेगा एक तिथि निश्चित करने का प्रयत्न करेंगे। मैं अप्रैल के अन्त में, सम्भवत: ३० अप्रैल को, राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाहर जा रहा हूं। चूंकि यह अप्रैल का आखिरी दिन है, इसलिए इसमें कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि बातचीत के लिए चीनी प्रधान मंत्री के भारत आने की तारीख निश्चित हो जाएगी। और साथ ही मुझे विश्वास है कि जब वह भारत आएंगे, तो जैसा हम अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनका भी स्वागत करेंगे।"

पत्र का *हिन्दी अनुवाद*

प्रिय श्री प्रधान मंत्री,

मैं श्रीमान के ५ फरवरी, १९६० के उस पत्र के लिए धन्यवाद देता हूं, जो चीन-स्थित भारतीय राजदूत श्री पार्थसारथी १२ फरवरी को यहां लेकर आए। साथ ही २६ दिसम्बर, १९५९ के चीन लोकगणराज्य के परराष्ट्र मंत्रालय के नोट का जवाब भी भारत सरकार के आदेश पर श्री पार्थसारथी ने हमारे परराष्ट्र मंत्रालय को दिया। भारतीय दूतावास के नोट का जवाब चीनी परराष्ट्र मंत्रालय इसको अच्छी तरह पढ़ कर देगा।

आपने चीन सरकार और मेरे भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों के जल्दी ही मिलने और सीमा के मामले के बारे में शान्तिपूर्ण समझौते का मार्ग ढूंढने से अपनी सहमति प्रकट की है और मुझे मार्च महीने के उत्तरार्ध में दिल्ली आने की दावत दी है। मैं आपके इस मैत्रीपूर्ण निमंत्रण के लिए हृदय से आभारी हूं। चीन सरकार का बराबर यह विश्वास रहा है कि चीनियों और भारतीयों की मित्रता शाश्वत है और दोनों देशों के बीच सीमा के मामले का निपटारा आवश्यक और पूर्णतः सम्भव है। दोनों देशों को कुछ अस्थायी मतभेदों और दुर्भाग्यपूर्ण तथा अनपेक्षित दुर्घटनाओं के कारण सीमा के मामले को शांति से फैसला करने की अपनी इच्छा से तनिक भी नहीं डिगना चाहिए। इसी कारण चीन सरकार आगामी बैठक के बारे में आशाजनक रवैया और विश्वास रखती है। मुझे अपने बारे में यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं एक बार फिर महान भारत की राजधानी में आने, अपने देश की समृद्धि, शक्ति और उन्नति तथा विश्व-शांति के लिए निरन्तर संघर्ष करने वाले महान भारतवासियों को देखने और आपसे तथा उन अन्य मित्रों से मिलने का अवसर पाकर बहुत प्रसन्न हूं, जिनसे अपनी पिछली भारत-यात्राओं में मिलने का मौका मिला। मुझे इस बात की विशेष रूप से आशा है कि हम दोनों के प्रयत्न से वे काली घटाएं छंट जाएंगी, जो हमारे दोनों के देशों पर इस समय छाई हुई हैं, ताकि दोनों देशों के पुराने मैत्री सम्बन्ध मजबूत हो और बढ़ें।

कुछ राज-काज के कारणवश मैं अप्रैल में आपके देश आऊंगा। आने की निश्चित तारीख राजदूतों के जरिये विचार करके तय कर ली जाएगी।

सादर,

चाऊ एन-लाई
प्रधान मंत्री,
चीन लोकगणराज्य की
राज्य परिषद

परमश्रेष्ठ श्री जवाहरलाल नेहरू,
प्रधान मंत्री,
भारतीय गणराज्य, नयी दिल्ली।

भारत-चीन सम्बन्धों पर श्री नेहरू का वक्तव्य

प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने १६ फरवरी को लोकसभा में एक काम रोको प्रस्ताव के उत्तर में निम्नलिखित वक्तव्य दिया :—

मुझे खेद है कि कुछ सदस्य यह समझते हैं कि हमारी नीति में फेरबदल हुई है। मेरे ख्याल में मेरी सरकार की नीति में कोई नहीं हुई है और जो बात राष्ट्रपति ने भाषण में कही थी, वह बात सरकार चीन को भेजे गए पत्र में कही गयी है।

जो कुछ मैंने कहा, उसमें से किसी बात का हवाला देते हुए एक सदस्य ने कहा है कि आज की हालत में दोनों प्रधान मंत्रियों की बैठक से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब मेरे सामने वह सब बातें तो हैं नहीं, जो मैं इस सदन में या अन्य सदन में या पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में या अन्य कहीं कह चुका हूं। मेरी तो सदा यही नीति रही है कि किसी भी व्यक्ति से बात करने पर हल निकल ही आता है। मुझे तो पिछले ४० वर्षों में यही शिक्षा दी गयी है कि बातचीत से मामले सुलझाए जा सकते हैं और मेरे ख्याल में मुझे या इस सदन को यह नीति नहीं अपनानी चाहिए कि हम विचार-विमर्श न करें। हम में से बहुतों ने इसी बात की ट्रेनिंग ली है, *बल्कि यह पालीसी उनके साथ* भी अपनायी है, जिनसे लड़कर हमने आजादी ली है।

लेकिन हमें देखना है कि इस मामले में हमारी क्या पोजीशन है। चीन के प्रधान मंत्री ने जब मुझे रंगून बुलाया तो केवल ७-८ दिन का समय ही दिया। तब मैंने कहा था कि इस बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और इसलिए मैं वहां न जा सका। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं ऐसी हालत में हमेशा मिलने को तैयार हूं, जिससे कुछ नतीजा निकले। इसके बाद मुझे कुछ ऐतिहासिक और अन्य तथ्य मालूम करने में काफी समय लगा। मुझे खेद है कि हमें यह जवाब सदन के सामने रखने में कुछ देरी हुई।

अब इस सदन को यह विचार करना है कि हमारी नीति में फेरबदल हुई है या नहीं। मेरा कहना है कि मेरी या हमारी नीति में कोई फेरबदल नहीं हुई है। हमने अपने पत्र में अपनी नीति बिल्कुल साफ कर दी है। हमारे ख्याल से आजकल की परिस्थिति में दोनों प्रधान मंत्रियों में बातचीत जरूर होनी चाहिए।

इसलिए मेरा कहना है कि हमारी नीति में कोई फेरबदल नहीं हुई। फिर भी यह मामला बड़ा महत्त्वपूर्ण है और इस सदन में इस विचार होना चाहिए। राष्ट्रपति के के सम्बन्ध में यहां जो बहस हो रही है,

इस पर भी विचार किया जा रहा है। हो सकता है आगे भी इस पर विचार किया जाए। मैं इस मामले में सदन की सहायता हर समय लेना चाहूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहां इस समय काम रोको प्रस्ताव रखने की कोई जरूरत नहीं है।

भारत में रहने वाले चीनी

इस समय कलकत्ता में ४,१०७ और कलिम्पोंग में १७९ चीनियों के नाम दर्ज हैं। इनमें से किसी के पास फारमोसा का पासपोर्ट नहीं है। फिर भी कलकत्ता के १,६७६ और कलिम्पोंग के ३८ चीनियों के पास क्यूमिंतांग सरकार के पासपोर्ट हैं, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

भारतीय नागरिक अधिनियम लागू होने के बाद से कलकत्ता के २,००५ और कलिम्पोंग के १२ चीनियों ने भारतीय नागरिकता के लिए अर्जियां दी हैं।

यह सूचना केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने १७ फरवरी को राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि इस समय कलकत्ता में १,१६३ चीनी राज्यविहीन नागरिक हैं। कलिम्पोंग में ऐसा कोई भी चीनी नहीं है।

१९५९ में विदेशियों को भारतीय प्रवेश-पत्र

पिछले वर्ष ७५,७५२ विदेशियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। इनमें से १२,११५ पर्यटक थे और ३,१७७ व्यापारी। मुख्यतः अमरीका से १२,१७२, अफगानिस्तान से ८८३, बर्मा से ९११, फ्रांस से १,३६३, जर्मनी से २,०६०, ईरान से ६५५, इटली से १,०६०, जापान से ५४६, सोवियत रूस से ६६६, स्विट्जरलैंड से ५०० और थाईलैंड से ८२८ आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश-पत्र दिए गए। १९५८ में ३२,२८३ विदेशियों को भारतीय प्रवेश-पत्र दिए गए थे।

१९२० के भारतीय पारपत्र अधिनियम और उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार, भारत में प्रवेश करने वाले हर विदेशी के पास पारपत्र (पासपोर्ट) और भारत में प्रवेश करने या भारत में से गुजरने की अनुमति होनी जरूरी है। राष्ट्रमण्डल के देशों (पाकिस्तान, लंका और मिशनरियों को छोड़कर) और आयर के नागरिकों को प्रवेश-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके पारपत्र विधिवत् होने चाहिए।

१९५९ में नजरबन्द व्यक्ति

निरोधक नजरबंदी अधिनियम के अंतर्गत १९५९ के अंत तक विभिन्न राज्यों में ९६ व्यक्ति नजरबन्द किए गए। इनका राज्य-वार ब्योरा इस प्रकार है:

प० बंगाल ५६, बम्बई १४, मणिपुर १२, मध्य प्रदेश ५, दिल्ली ४, आसाम ३ और पंजाब २।

इनमें से ८८ व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक शांति भंग करने के अपराध में नजरबन्द किए गए। इनका राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है: प० बंगाल ५६, बम्बई १३, मणिपुर १२, मध्य प्रदेश ५, दिल्ली २।

भारत की सुरक्षा और विदेशों से भारत के सम्बन्धों के हित में आसाम और दिल्ली में २-२ तथा पंजाब में १ व्यक्ति नजरबन्द किया गया। बम्बई में १ विदेशी को नजरबन्द किया गया।

छुआछूत के अपराध के मामले

विभिन्न राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों की सूचना के अनुसार जनवरी-जुलाई, १९५९ में छुआछूत (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत १११ मामले दायर हुए थे। इनमें से १५ से लेकर ५० प्रतिशत तक मामलों में अपराधियों को सजा दी गई है।

इनमें बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास और उड़ीसा के आंकड़े शामिल नहीं हैं। अन्य राज्यों के आंकड़े इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल २; केरल २७, मैसूर ४३, पंजाब ३, आंध्र प्रदेश ६, राजस्थान १, उत्तर प्रदेश २०, बिहार ३, मणिपुर १; दिल्ली १ और हिमाचल प्रदेश ४।

यह सूचना स्वराष्ट्र मंत्रालय में मंत्री, श्री बलवन्त नागेश दातार ने १९ फरवरी को लोक-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य में दी।

भ्रष्टाचार के मामले जल्दी निपटाने के लिए विशेष जज

विशेष पुलिस दल भ्रष्टाचार के जो मुकदमे दायर करता है, उनकी सुनवाई के लिए लगभग सभी राज्यों ने अंशकालिक विशेष जज और मेजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की सुनवाई के हेतु पूरे समय के लिए विशेष जज नियुक्त किया है, क्योंकि अदालतों में खून, डकैती आदि के काफी मुकदमे रहते हैं, जिससे भ्रष्टाचार के मुकदमों में देर लग सकती थी।

कुछ समय पहले स्वराष्ट्र मंत्रालय ने राज्यों से कहा था कि वे भ्रष्टाचार के मुकदमों के लिए अलग से जज नियुक्त करें, जिससे उनका जल्दी फैसला हो सके।

विशेष पुलिस दल की हर राज्य में शाखाएं हैं और पूरे समय के लिए सरकारी वकील भी हैं। केवल कुछ विशेष मुकदमों में ही विशेष वकील रखे जाते हैं। यह दल स्वराष्ट्र मंत्रालय के अधीन है और यह घूसखोरी, भ्रष्टाचार, गबन, दुराचरण, धोखाधड़ी आदि को कम करने में प्रयत्नशील है।

दल ने पिछले तीन वर्षों में घूसखोरी, भ्रष्टाचार आदि के २,३८५ और आयात-निर्यात के ७८४ मामलों की जांच की थी। १९५९ में दल ने जिन नये मामलों की जांच की, उनमें १,१६४ सरकारी कर्मचारी शामिल थे, जिनमें से २०७ गजेटेड अधिकारी थे। २०० सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से २२ गजेटेड अधिकारी थे।

केरल के बारे में राष्ट्रपति की घोषणा रद्द

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २२ फरवरी को एक घोषणा पर हस्ताक्षर करके केरल के बारे में अपनी ३१ जुलाई, १९५९ की घोषणा को रद्द कर दिया।

राष्ट्रपति की नयी घोषणा २२ फरवरी के भारत सरकार के सूचना-पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड २ के अनुसार ३१ जुलाई, १९५९ को केरल राज्य के बारे में जो घोषणा की थी, उसे वापस लिया जाता है।

खरीद सलाहकार परिषद की बैठक

केन्द्रीय खरीद सलाहकार परिषद की बैठक में, जो २७ फरवरी को नयी दिल्ली में हुई, यह निश्चय किया गया कि विभिन्न सरकारी विभागों को जिस सामान की जरूरत होती है, उसकी एक स्थायी प्रदर्शनी नयी दिल्ली के प्रदर्शनी-मैदान में रखी जाए। इस प्रदर्शनी का प्रबन्ध केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय करे। इसको देखकर देश के तरह-तरह के सामान बनाने वाले यह जान सकेंगे कि सरकार को किन-किन चीजों की जरूरत होती है।

बैठक के सभापति केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्री, श्री कयामम्बल्ली चेंगलराया रेड्डी थे।

मन्त्रालय के सचिव, श्री एम० आर० सचदेव ने बताया कि पिछले अक्तूबर में जहां ८,०१५ मामले विचाराधीन थे, वहां इस तरह के मामलों की संख्या अब केवल ५,९९३ रह गयी है। इस तरह के अनिर्णीत मामलों का अगले ८ महीनों में फैसला हो जाएगा। यह सुझाव भी मान लिया गया कि वाशिंगटन स्थित भारत सप्लाई मिशन के द्वारा वहां जो टेंडर देख लिया जाए, उसे उस भारतीय व्यापारी को भी बताया जाए, जिसने उस सामान के बारे में टेंडर भरा है।

राइफल क्लबों की स्थिति

देश के युवकों में अनुशासन और निशानेबाजी का शौक बढ़ाने के लिए केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रालय की सहायता से पिछले वर्ष, १९५९ में देश भर में ३०१ राइफल क्लब चल रहे थे, जिनकी सदस्य संख्या ३६,००० से भी ऊपर थी। सबसे अधिक सदस्य २४,७९६ उत्तर प्रदेश में थे और इसके बाद बम्बई (५,४०७) और प० बंगाल (२,३२३) का स्थान था।

राज्यों में राइफल क्लबों की संख्या इस प्रकार थी : आंध्र प्रदेश—७, आसाम—१०, बम्बई—७९, बिहार—२, केरल—३, मद्रास—४, मध्य प्रदेश—१५, मैसूर—१९, उड़ीसा—५, पंजाब—६, राजस्थान—११, उत्तर प्रदेश—९४, प० बंगाल—३७, दिल्ली—१, हिमाचल प्रदेश—५, मणिपुर—१ और त्रिपुरा—२।

राज्य सरकारें इन क्लबों को कारतूस आदि सस्ते दामों पर दिलाती हैं और चांदमारी प्रतियोगिताओं के लिए धन की सहायता करती हैं। १९५८-५९ में नेशनल राइफल एसोसियेशन को १ लाख २० हजार रु० दिया गया।

दिल्ली से बाहर भेजे गए सरकारी कार्यालय

निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्री, श्री कयामम्बल्ली चेंगलराया रेड्डी ने २९ फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा, जिसमें बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से शिमला, ग्वालियर और फरीदाबाद भेजने के बारे में विचार किया जा रहा है। अब तक ये कार्यालय बाहर जा चुके हैं :

मसूरी : आफिस आफ दि कस्टोडियन जनरल आफ इवेकुई प्रापर्टी, मिनिस्ट्री आफ रिहैबिलिटेशन; सेन्ट्रल क्लेम्स आर्गनाइजेशन, मिनिस्ट्री आफ रिहैबिलिटेशन, एपीलेट आफिसर (सेपेरेशन), मिनिस्ट्री आफ रिहैबिलिटेशन; आफिस आफ दि कस्टोडियन आफ डिपॉजिट्स, मिनिस्ट्री आफ रिहैबिलिटेशन; और आई०ए०एस० ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली और स्टाफ कालेज, शिमला।

नागपुर : डाइरेक्टोरेट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एण्ड इन्स्पेक्शन, मिनिस्ट्री आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर; आफिस आफ दि चीफ इन्स्पेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्स, मिनिस्ट्री आफ वर्क्स, हाउसिंग एण्ड सप्लाई, एक्सकेवेशन्स सेक्शन, प्री-हिस्ट्री सेक्शन, एटलस सेक्शन एण्ड मुस्लिम एपिग्राफी सेक्शन आफ दि डिपार्टमेंट आफ आर्कियोलाजी, मिनिस्ट्री आफ साइंटिफिक रिसर्च एण्ड कल्चरल अफेयर्स; और इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स एण्ड फ्युअल, दिल्ली और कलकत्ता।

जयपुर : आफिस आफ दि साल्ट कमिश्नर, मिनिस्ट्री आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री।

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

केन्द्रीय सरकार ने १ अप्रैल, १९५८ से १५ फरवरी, १९६० तक ५०४ राजनीतिक पीड़ितों तथा उनके परिवारों को १३,४२५ रु० की सहायता दी।

यह सूचना २४ फरवरी को लोकसभा में स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने दी। श्री पंत ने बताया कि यह अनुदान, नकद अनावर्तक अनुदान, छोटे ऋण तथा व्यक्तिगत अनुदान के रूप में दिया गया।

[राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में अपना जीवन अर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता देने के लिए हर साल स्वराष्ट्र मंत्रालय को ३ लाख रु० दिया जाता है। यह ऐच्छिक अनुदान होता है। अत्यधिक वीरता या सार्वजनिक हित के लिए महत्वपूर्ण काम करने वालों को भी यह अनुदान दिया जा सकता है।]

हिमाचल प्रदेश में न्याय व्यवस्था

न्यायाधीश, श्री सत्यनारायण राव की यह सिफारिश सरकार ने मान ली है कि हिमाचल प्रदेश में आजकल न्यायालयों की जो व्यवस्था है उसमें कम से कम १० साल तक कोई परिवर्तन न किया जाए। मई १९५७ में न्यायाधीश श्री सत्यनारायण राव से कहा गया था कि वे इस बात की जांच करें कि हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला में पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच खोली जाए या आजकल की व्यवस्था को ही चालू रखा जाए।

यह सूचना स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने २३ फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

श्री पंत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश वकील संघ ने सरकार से यह मांग की थी कि शिमला में पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच खोली जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चार अन्य वकील संघों ने यह मांग की कि वहां आजकल की न्यायालय व्यवस्था ही जारी रहे।

आयोजन और विकास

संसद में १९६०-६१ का बजट पेश

२९ फरवरी, १९६० को लोकसभा में १९६०-६१ का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने निम्नलिखित भाषण दिया —

मैं आपकी अनुमति से भारत सरकार की १९६०-६१ की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अर्थ-व्यवस्था की चालू वर्ष की बड़ी बड़ी घटनाओं का विवेचन आर्थिक समीक्षा में किया गया है और मोटे तौर पर अगले वर्ष की सम्भाव्य स्थिति भी बतायी गयी है। यह समीक्षा बजट-पत्रों के साथ प्रचारित की गयी है। यहां मैं आर्थिक स्थिति के उन्हीं पहलुओं का जिक्र करूंगा जिनका अगले वर्ष के बजट से सीधा सम्बन्ध है।

खेती की पैदावार में १९५८-५९ में बहुत बढ़ती हुई और औद्योगिक उत्पादन में हाल के महीनों में फिर उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पर उत्पादन की इन उत्साहजनक प्रवृत्तियों के बावजूद थोक मूल्यों और रहन-सहन के खर्च में काफी वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक के पास जो विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि है वह इस वर्ष प्रायः स्थिर रही। निर्यात से होने वाली आय में कुछ बढ़ती और आयात में कुछ घटती हुई है, पर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी स्थिति की मजबूती का बड़ा कारण विदेशी सहायता का अधिक मात्रा में उपलब्ध होना ही रहा है। मुद्रा-[illegible] और ऋण सम्बन्धी प्रवृत्तियों से यह प्रकट होता है कि अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीतिकारी प्रभाव काफी प्रबल रहा है। शेयर बाजारों में प्रायः वर्ष भर तेजी रही। इन सब बातों से जाहिर होता है कि अगले वर्ष मूल्यों की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में बहुत सजग रहना और [illegible] रखना तथा [illegible] बढ़ाने का प्रयत्न अधिक तेजी से करना आवश्यक होगा।

[illegible] कुछ वर्षों में जो निवेश (इन्वेस्ट-मेंट) [illegible] है उसका लाभ होने लगा है। हम आशा कर सकते हैं कि अगले वर्षों में उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। साथ ही, देश में खपत और निवेश दोनों के लिए मांग बढ़ रही है और निर्यात बढ़ाने की भारी आवश्यकता बनी हुई है। इस परिस्थिति में इस बात का अधिक से अधिक प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है कि कुल मांग उपलब्धि से बढ़ न जाय। सन् १९६०-६१ दूसरी पंचवर्षीय आयोजना का आखिरी वर्ष है। इस लिए इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि जिस समय वर्ष समाप्त हो और तीसरी आयोजना प्रारम्भ हो उस समय अर्थ-व्यवस्था भली भांति सन्तुलित रहे।

उत्पादन

चालू वर्ष में खेती की पैदावार के लक्षण अच्छे हैं। देश के कुछ भागों में बाढ़ आने और कुछ में सूखा पड़ने पर भी, खरीफ की फसल लगभग उतनी ही अच्छी होने का अन्दाजा है जितनी पिछले वर्ष हुई थी। रबी की फसल की बुआई भी अब तक संतोषजनक रही है। आशा है, १९५९-६० में अन्न की पैदावार का स्तर प्रायः उतना ही ऊंचा रहेगा जितना पिछले साल था। हां, कपास और जूट की उपज में कुछ कमी हो सकती है।

औद्योगिक उत्पादन में १९५९ के पहले दस महीनों में लगभग ७.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि १९५८ की १.७ प्रतिशत की वृद्धि और १९५७ की ३.५ प्रतिशत की वृद्धि से काफी अधिक है। इस वर्ष की एक बड़ी विशेषता यह रही कि लोहे, इस्पात और अलुमीनियम के उत्पादन में वृद्धि हुई जो औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक की वृद्धि के एक-तिहाई से अधिक अंश का कारण थी। जिन अन्य उद्योगों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई उनमें मोटर गाड़ियों, डीजल इंजनों, मशीनी औजारों, चीनी की मशीनों, सुपर-फास्फेटों, सोडा ऐश, सीमेंट तथा कागज और कागज के गत्ते के उद्योग थे। मिल के कपड़े का उत्पादन लगभग उतना ही हुआ जितना १९५८ में हुआ था, पर निकासी निश्चित रूप से अधिक हुई जिसका कुछ कारण निर्यात के लिए मांग का फिर पैदा होना था। हथकरघों और बिजली से चलने वाले करघों के कपड़े के उत्पादन में लगभग १० करोड़ गज की वृद्धि हुई। जूट की बनी वस्तुओं का उत्पादन इस वर्ष १९५८ की अपेक्षा कुछ ही कम रहा, पर पिछले सितम्बर से वह बढ़ रहा है। यद्यपि विदेशी मुद्रा की तंगी बनी हुई है, तो भी कुल मिलाकर इस बात की व्यवस्था करना सम्भव हुआ है कि इस तंगी के कारण औद्योगिक उत्पादन में रुकावट न पड़े। सच तो यह है कि औद्योगिक उत्पादन में, सूचक अंक से प्रकट होने वाली वृद्धि की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि जो उद्योग १९५१ के बाद स्थापित हुए वे इस सूचक अंक में शामिल नहीं हैं।

औद्योगिक उत्पादन की जिस वृद्धि का उल्लेख पहले किया गया है वह अंशतः क्षमता का पहले से अधिक उपयोग किये जाने के कारण हुई है। पर बहुत से उद्योगों में कुल उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है, जैसे लोहे और इस्पात, अलुमीनियम, कागज, मूल रासायनिक वस्तुओं, सीमेंट, बिजली से चलने वाले पम्पों, सिलाई की मशीनों और साइकिलों के उद्योगों में तैयार मशीनों और साजसामान के उत्पादन में भी प्रगति हो रही है। भोपाल में बिजली के भारी यंत्र बनाने के कारखाने के पहले दौर का निर्माण-कार्य प्रायः समाप्त हो रहा है और निश्चय किया गया है कि बाकी दौरों का काम ज्यादा तेजी से किया जाय और क्षमता का काफी विस्तार किया जाय। रांची में भारी मशीनें बनाने के कारखाने की क्षमता भी इतनी बढ़ायी जाती है कि प्रतिवर्ष ८० हजार टन की मशीनें बनायी जा सकें। उर्वरकों (फर्टिलाइजर), औषधियों और दवाओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं (इण्टरमीडियेट्स) के बहुत से कारखाने भी स्थापित किये जा रहे हैं और इनमें तीसरी आयोजना की अवधि में उत्पादन होने लगेगा। देश की औद्योगिक उत्पादन-क्षमता

पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है और तेजी से अधिकाधिक दिशाओं में फैल रही है। सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि यह प्रक्रिया और आगे बढ़े। छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धों को भी सरकार से प्रोत्साहन और समर्थन मिलना जारी है और इन उद्योग-धन्धों को अधिक ऋण देने में बैंकों की सहायता करने की कुछ कार्रवाइयों पर विचार किया जा रहा है।

इस वर्ष जहाजों की संख्या में बराबर वृद्धि होती रही। १९५९ के अन्त में भारतीय जहाजों का कुल टन भार लगभग ७,४०,००० था और अनुमान है कि १९६०-६१ के अन्त तक, आयोजना के लक्ष्य के अनुसार, यह टन भार ९ लाख तक पहुंच जायगा। चालू वर्ष में जहाज विकास निधि (शिपिंग डेवलपमेंट फण्ड) के स्थापित होने से भारतीय जहाजी कम्पनियों को अपने विकास के लिए रुपया पूंजी प्राप्त करने का स्थायी साधन उपलब्ध हो गया है। विदेशी मुद्रा की वर्तमान तंगी की हालत में यह बहुत आवश्यक है कि व्यापारिक बेड़ा बढ़ाया जाय और इस प्रकार वह भारी रकम बचाली जाय जो विदेशी मुद्रा में भाड़े के रूप में निकल जाती है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रयत्न में हमें विदेशी जहाजों के मालिकों से, जिन्होंने अपना काम पहले शुरू किया है, सहयोग और सहायता मिलेगी तथा वे प्रतिबन्धक प्रथाएं त्याग दी जाएंगी जिनके कारण हमारे जहाजों का पूरा उपयोग नहीं हो सकता।

मुद्रा सम्बन्धी प्रवृत्तियां

मुद्रा-उपलब्धि की वृद्धि की गति, जो १९५८ में धीमी पड़ गयी थी, १९५९ में फिर बढ़ गयी। १९५९ में १७० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जब कि इससे पहले के वर्ष में ७५ करोड़ रुपये की हुई थी। बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋणों में १९५९ में उससे पहले के वर्ष की अपेक्षा कम वृद्धि हुई। दूसरी ओर, बैंकों के साथ गैरसरकारी क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले लेन-देनों का मुद्रा-संकोचकारी प्रभाव कम रहा और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में, जिसमें पहले के वर्ष में कमी हुई थी, १९५९ में वृद्धि हुई।

अनुसूचित बैंकों की जमा रकमों में १९५९ में २५४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। सरकारी

अंतिम अनुमानों का सारांश

(लाख रुपयों में)

राजस्व	बजट १९५९-६०	संशोधित १९५९-६०	बजट १९६०-६१
सीमा शुल्क	१३२,७७	१६०,००	१६०,०० +२,५० }*
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	३२४,३२	३५०,८२	३५८,९१ +२१,०३ }*
निगम कर	५८,७५	७८,००	१३५,००
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	८७,६३	७२,६८	५२,९४
मृत सम्पत्ति शुल्क	१४	९	१०
सम्पत्ति कर	१३,००	१२,००	७,००
रेल किराया कर	११	(-)५१	११
व्यय कर	१,००	८०	९०
दान कर	१,२०	८०	८०
अफीम	३,९२	४,२६	५,६९
ब्याज	१०,७५	८,२७	१५,७१
असैनिक प्रशासन	३५,८०	४७,५४	५३,१९
मुद्रा और टकसाल	५५,६०	५५,८७	५७,२२
असैनिक निर्माण कार्य	३,००	३,१३	३,०४
राजस्व के अन्य स्रोत	४१,९३	३५,००	३९,७३
डाक और तार—सामान्य राजस्व में वास्तविक अंशदान	४,२०	४,१६	४७
रेलें—सामान्य राजस्व में वास्तविक अंशदान	५,९८	५,७५	५,६४
जोड़—राजस्व	७८०,१०	८३८,६६	८९६,४५ +२३,५३ }*
[व्यय]			
राजस्व में प्रत्यक्ष व्यय	१०१,६५	१०३,५४	१०७,३३
सिंचाई	१६	१४	१७
ऋण-व्यवस्था	५७,८८	६५,१४	७४,५९
असैनिक प्रशासन	२२२,७३	२३३,३५	२६७,७६
मुद्रा और टकसाल	९,८३	९,८६	१०,२७
असैनिक निर्माण और विविध सार्वजनिक सुधार कार्य	१९,३५	१८,९४	२०,३२
पेंशनें	९,६३	१०,००	१०,११
विविध—			
विस्थापितों पर व्यय	१९,६९	२५,१७	२०,२८
अन्य व्यय	७१,३०	७३,०२	१११,७०
राज्यों को अनुदान आदि	४९,०२	४८,९८	५१,८१
असाधारण मदें	३५,२६	२२,२१	३३,७५
रक्षा सेवाएं (वास्तविक)	२४२,६८	२४३,७०	२७२,२६
जोड़—व्यय	८३९,१८	८५४,०५	९८०,३५
कमी (-)	(-)५९,०८	(-)१५,३९	(-)६०,३७

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) में इन बैंकों द्वारा किये जाने वाले निवेश (इन्वेस्टमेण्ट) में १५१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जब कि १९५८ में २०४ करोड़ रुपये की हुई थी। रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंकों द्वारा लिया जाने वाला वास्तविक ऋण कम था और धन की अधिक आवश्यकता की अवधियों को छोड़ बाकी समय में ऋण की दर का रुख प्रायः नीचे की ओर था। बड़े बड़े बैंकों के एक ऐच्छिक समझौते के अनुसार अक्तूबर १९५८ में जो अधिकतम निक्षेप (डिपाजिट) दरें निश्चित की गयी थीं वे सितम्बर १९५९ में ½ प्रतिशत घटा दी गयीं।

वर्ष के अधिकतर भाग में शेयर बाजारों में तेजी रही और सर्वोच्च प्रतिभूतियों (गिल्ट-एजेड सिक्योरिटीज) के मूल्यों में स्थिरता बनी रही। इस वर्ष नये औद्योगिक निर्गमों (इश्यूज) में से बहुतों के लिए ज्यादा माग रही। परिवर्तनीय लाभांशों वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों के मूल्यों का सूचक अंक, जो १९५८ में १४ प्रतिशत बढ़ गया था, १९५९ में लगभग १७ प्रतिशत और बढ़ गया। बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में जहां यह आवश्यक है कि पूंजी बाजारों में विश्वास और आशा प्रकट हो वहां यह भी आवश्यक है कि सट्टेबाजी की हानिकर प्रवृत्तियों पर कड़ी नजर रखी जाय।

मूल्य

थोक मूल्यों के सामान्य सूचक अंक में जनवरी १९६० में समाप्त हुए बारह महीनों में लगभग ४॥ प्रतिशत की वृद्धि हुई। चावल के मूल्य का सूचक अंक, जो नवम्बर १९५८ में १०८ था, घटकर मार्च १९५९ में ९२ रह गया, पर फिर बढ़कर अक्तूबर में ११२ हो गया। इसके बाद उसमें फिर मौसमी कमी हुई और दिसम्बर १९५९ तक वह लगभग १०१ रह गया। यह सूचक अंक जनवरी १९६० के अन्त में १०४.३ था। गेहूं के, पिछले महीने के अन्त के भाव एक वर्ष पहले के भावों से लगभग २५ प्रतिशत कम थे। कुल मिलाकर, अनाज और दालों के मूल्यों के सूचक अंकों में तो कमी हुई है पर 'खाद्य वस्तुओं' के मूल्यों के सूचक अंकों में वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण खाने के तेलों, गुड़ और चाय के मूल्यों का बढ़ना है। [illegible] के महीनों में औद्योगिक कच्चे माल के [illegible] का सूचक अंक अधिक तेजी से बढ़ा और निर्मित वस्तुओं के मूल्य-सूचक अंक की प्रवृत्ति भी चढ़ाव की ओर दिखाई दी। रहन-सहन के खर्च का अखिल भारतीय सूचक अंक दिसम्बर १९५९ में १२४ था जब कि वह एक वर्ष पहले १२२ था।

शोधन-सन्तुलन

जैसा कि मैंने पहले कहा है, रिजर्व बैंक की स्टर्लिंग परिसम्पद अपेक्षाकृत स्थिर रही। इसका स्तर १९ फरवरी, १९६० को २०३ करोड़ रुपया था, जब कि एक वर्ष पहले यह २११ करोड़ रुपया था। इस अवधि में हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में अपना निर्धारित अंश (कोटा) बढ़ाने के लिए सोने के रूप में अदायगी की और उससे २ करोड़ डालर का रुपया फिर खरीद लिया। यह वृद्धि उत्साह-जनक है, पर साथ ही यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि मूलतः हमारी वर्तमान कमाई हमारी अदायगी से कहीं कम है और यह कमी विदेशी ऋणों और उधारों से पूरी की जा रही है।

१९५८-५९ में, शोधन-सन्तुलन में चालू खाते की कमी ३३९ करोड़ रुपया थी जब कि १९५७-५८ में वह ४७६ करोड़ रुपया थी। आयात में १५७ करोड़ रुपये की कमी हुई। गैर-सरकारी आयात में १७६ करोड़ रुपये की कमी और सरकारी आयात में १९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। निर्यात से होने वाली आय में १९५८-५९ में १९५७-५८ की अपेक्षा लगभग १९ करोड़ रुपये की कमी हुई जिसका मुख्य कारण विदेशों की व्यापारिक मन्दी थी। सरकारी दानों और अन्य अदृश्य मदों में १९५७-५८ की अपेक्षा १९५८-५९ में १ करोड़ रुपया कम प्राप्त हुआ। चालू खाते की ३३९ रुपये की कमी ३२० करोड़ रुपये की पूंजी के आने पर और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से १९ करोड़ रुपये की रकम निकालने पर पूरी हुई। विविध लेनदेनों की मद में बाहर भेजी गयी २३ करोड़ रुपये की वास्तविक रकम को इसमें जोड़ने पर प्रारक्षित निधि में कुल ४२ करोड़ रुपये की कमी हुई।

चालू खाते की कमी १९५९-६० की पहली छमाही में १४२ करोड़ रुपया थी जबकि १९५८-५९ की पहली छमाही में वह २११ करोड़ रुपया थी। निर्यात में इस सुधार का कारण यह था कि निर्यात से होने वाली आय में १९ करोड़ रुपये की वृद्धि और आयात में ५३ करोड़ रुपये की कमी हुई। पर सरकारी दानों से ३ करोड़ रुपया कम प्राप्त हुआ। १४२ करोड़ रुपये की कमी में से २७ करोड़ रुपये की कमी तो विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से इतनी रकम निकाल कर पूरी की गयी और बाकी कमी प्रधानतः विदेशी सहायता से पूरी की गयी।

शोधन-सन्तुलन और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के विषय में चर्चा करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने १९५७ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से २० करोड़ डालर का ऋण लिया था जिसमें सकट के समय लिया गया ७ करोड़ २५ लाख डालर का ऋण शामिल था। इस निधि के नियमों के अनुसार, इस प्रकार का ऋण तीन वर्षों के अन्दर चुका देना पड़ता है। इसलिए हमने इस महीने ५ करोड़ डालर की रकम चुका दी और हमारा विचार है कि २ करोड़ २५ लाख डालर की शेष रकम जून १९६० में चुका दें।

विदेशी सहायता

जैसा कि सभा को मालूम है, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने मार्च १९५९ में मित्र देशों का एक सम्मेलन इसलिए किया था कि उसमें इस बात पर विचार किया जाय कि चालू आयोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने में भारत की सहायता किस प्रकार की जा सकती है। इस सम्मेलन के बाद, ब्रिटेन की सरकार ने १ करोड़ ९० लाख पौंड (लगभग २५ करोड़ रुपये) का ऋण देना मंजूर किया। अमरीका की सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के निमित्त इस्पात का आयात करने के लिए जुलाई १९५९ में विकास ऋण निधि से २ करोड़ डालर (लगभग ९॥ करोड़ रुपये) का और ऋण देना मंजूर किया। २९ करोड़ ७० लाख डालर (लगभग १ अरब २२ करोड़ रुपये) के अन्न और दूसरे कृषि-पदार्थों के आयात के लिए नवम्बर १९५९ में अमरीकी सरकार के साथ पी० एल० ४८० के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। कनाडा ने गेहूं, कच्चे माल, उर्वरकों और बिजली साज-सामान के आयात के लिए कुल २ करोड़ ५० लाख डालर (लगभग ११ करोड़

रुपये) के अनुदान देना मंजूर किया है। चालू वित्त-वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने कुल ८ करोड़ ५० लाख डालर (लगभग ४०॥ करोड़ रुपये) के और ऋण देना मंजूर किया। कुल १ अरब ६८ करोड़ रूबल (लगभग २ अरब १ करोड़ रुपये) के ऋणों और उधारों के लिए रूस के साथ इस वर्ष तीन करारों पर हस्ताक्षर किये गये। इस सहायता का अधिकतर भाग तीसरी आयोजना के लिए है। चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया की सरकारों ने भी तीसरी आयोजना की अवधि में क्रमशः २३ करोड़ रुपये और १९ करोड़ रुपये तक उधार देना मंजूर किया है।

पहले के वर्षों की भांति, हमें आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूज़ीलैण्ड जैसे देशों से कोलम्बो आयोजना के अनुसार सहायता मिलती रही। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के तकनीकी सहायता के बढ़ाये गये कार्यक्रम के अनुसार, संयुक्तराष्ट्र संघ के अन्य विशिष्ट अभिकरणों (एजेंसियों) से, और भारत-अमरीका तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अनुसार तकनीकी सहायता मिली है। हमने भी मित्र देशों को सहायता दी है। हम कोलम्बो आयोजना के अनुसार नेपाल को जो आर्थिक और तकनीकी सहायता दे रहे हैं उसकी रकम चालू वर्ष में अनुमानतः १३३ करोड़ रुपया हो जाएगी। हमने समुद्रपारीय देशों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रस्तुत की हैं और इन देशों की सरकारों की सहायता करने के लिए बहुत-से विशेषज्ञ भेजे हैं।

मैं सितम्बर-अक्तूबर १९५९ में वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि के प्रबन्धक-मण्डलों (बोर्ड्स आफ गवर्नर्स) के वार्षिक अधिवेशनों में सम्मिलित हुआ। बैंक के प्रबन्धक-मण्डल के अधिवेशन में अमरीका का वह प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें कि बैंक के कार्यकारी निदेशकों (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों) से कहा गया है कि वे उन स्थूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विचार करें जिनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की सम्बद्ध संस्था के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इण्टरनेशनल डेवलपमेंट असोसियेशन) स्थापित किया जाय तथा सदस्य सरकारों के पास विचारार्थ भेजने के लिए इस संघ का इकरारनामा (आर्टिकल्स आफ एग्रीमेण्ट) तैयार करे। इस संघ का कार्य यह होगा कि वह ऐसी शर्तों पर अतिरिक्त धन की व्यवस्था करके अल्प-विकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे जिससे ऋण लेने वाले देशों की शोधन-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति पर कम बोझ पड़े। इस संघ के इकरारनामे का मसविदा अब तैयार हो गया है और उस पर सदस्य देश विचार करेंगे।

वित्त वर्ष १९५९-६०

अब मैं चालू वर्ष के संशोधित अनुमान और अगले वर्ष के बजट अनुमान का उल्लेख करूंगा।

चालू वर्ष के बजट में ७८० १० करोड़ रुपये के राजस्व और राजस्व से किये जाने वाले व्यय के लिए ८३९.१८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें राजस्व खाते में ५९ ०८ करोड़ रुपये की कमी रही। वास्तविक आय की प्रवृत्ति को देखते हुए अब अनुमान है कि ८३८ ६६ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी और ८५४ ०५ करोड़ रुपये का व्यय होगा और कमी केवल १५ ३९ करोड़ रुपये की रह जायगी।

राजस्व में ५८ ५६ करोड़ रुपये की वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि सीमा शुल्क (कस्टम्स) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों (यूनियन एक्साइज) से अधिक प्राप्ति हुई। अब अनुमान है कि सीमा शुल्कों की प्राप्ति १३२ ७७ करोड़ रुपये से बढ़कर १६० करोड़ रुपये तक पहुंच जायगी, हमारा मूल अनुमान, जो १९५७-५८ की वास्तविक राजस्व प्राप्ति पर आधारित था, बहुत कम निकला है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से ३५०.८२ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जबकि बजट अनुमान में ३२४ ३२ करोड़ रुपये रखे गये थे। उत्पादन के बढ़ते जाने से राजस्व में सभी ओर सुधार हुआ है, खासकर इस्पात के डलों, सीमेंट और टायर तथा ट्यूब के मामलों में। इस साल खनिज तेलों का शुल्क बढ़ने से भी राजस्व में वृद्धि हुई है। सम्भवतः आयकर की प्राप्ति में, जिसमें निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) भी शामिल है, ५ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, लेकिन सम्पत्ति कर (वैल्थ टैक्स), व्यय कर (एक्सपेंडीचर टैक्स) और दान कर (गिफ्ट टैक्स) से होने वाली कुल प्राप्ति में १ ६ करोड़ [illegible] कमी रहेगी। लोहे और इस्पात के अधिभार से, जं[illegible] लोहा और इस्पात समकरण निधि ([illegible] एण्ड स्टील इक्वेलाइजेशन फण्ड) को अन्त[illegible]रित कर दिया जाता है, ९ करोड़ रुपया प्राप्त होने की सम्भावना है, जबकि पी०एल० ४८० कार्यक्रम के अनुसार अमरीकी सरकार से १३ करोड़ रुपये के कम अनुदान प्राप्त होंगे।

अब इस वर्ष ६१०.३५ करोड़ रुपये का असैनिक (सिविल) व्यय होने का अनुमान है, जबकि मूल बजट में ५९६ ५० करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था और प्रतिरक्षा (डिफेंस) व्यय का अनुमान २४३ ७० करोड़ रुपया है, जब कि मूल बजट में २४२.६८ करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था।

असैनिक व्यय में १३.८५ करोड़ रुपये की वृद्धि कई शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव है। अब ऋण सम्बन्धी अदायगियों पर ७ २६ करोड़ रुपया अधिक खर्च होने का अनुमान है जिसका प्रधान कारण विदेशी ऋणों के ब्याज के लिए ज्यादा अदायगियां किया जाना है। लोहे और इस्पात के अधिभार को इस्पात समकरण निधि में अन्तरित करने से ९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। विस्थापित व्यक्तियों पर ५ ४८ करोड़ रुपया अधिक खर्च हुआ जिसका कारण कुछ बकाया ऋणों का अनुदानों में परिवर्तित किया जाना और निष्क्रान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति की बिक्री की रकम के अन्तरण के लिए और अधिक रुपये की व्यवस्था करना है, निष्क्रान्त-सम्पत्ति की बिक्री की रकम को हिसाब में लेने से पूंजीगत व्यय में, जिससे विस्थापित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए अदायगी की गयी है, कमी हुई है। राजस्व में वृद्धि होने से, अब अनुमान है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से राज्यों के हिस्से की अदा की जाने वाली रकम में, बजट व्यवस्था की अपेक्षा २ १० करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। इस वर्ष कम्पनी करों में परिवर्तन होने के कारण राज्यों के आय कर के हिस्से में जो कमी हुई है उसे पूरा करने के लिए उन्हें ३ ४६ करोड़ रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। ये वृद्धियां, पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अनुसार अमरीका [illegible] होने वाले अनुदानों में, जो [illegible] (स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड)

जायेगी, १३ करोड़ रुपये की कमी होने से अन्ततः प्रतिसन्तुलित (काउण्टर बैलेंस) हो जाएगी।

चालू वर्ष में राजस्व से किये जाने वाले वास्तविक प्रतिरक्षा (डिफेंस) व्यय के संशोधित अनुमान में, बजट अनुमान की अपेक्षा, १०७ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलायी गयी है। इसका कारण वायुसेना के सम्बन्ध में ६ करोड़ रुपये की वृद्धि है, जो जलसेना के व्यय और निष्क्रिय प्रभारों (नान-इफेक्टिव चार्जेज) में कमी और "प्राप्तियां और वसूलियां" शीर्षक के अन्तर्गत कुछ वृद्धि होने से प्रतिसन्तुलित हो गयी है। वायुसेना के बजट में वृद्धि का मुख्य कारण, विदेशों में खरीदे गये सामान के सम्बन्ध में, १९५८-५९ से आगे लायी गयी देनदारियां और वर्ष के अन्दर मंजूर किये गये नये प्रस्ताव हैं। जलसेना के व्यय में कमी का मुख्य कारण सामान के खरीद खर्च में कमी होना है। "निष्क्रिय प्रभार" के अन्तर्गत सेना के कर्मचारियों की पेंशनों में अस्थायी वृद्धियां करने के लिए जो व्यवस्था की गयी थी उसकी इस वर्ष आवश्यकता पड़ने की सम्भावना नहीं है और उसे अगले वर्ष के बजट में शामिल किया गया है।

वित्त वर्ष १९६०-६१

अगले वर्ष के अनुमानों का उल्लेख करने से पहले मैं उन एक दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिनसे इस वर्ष के अनुमानों पर असर पड़ता है। पहली बात का सम्बन्ध साधारण राजस्व (जनरल रेविन्यू) और डाक तथा तार विभाग के बीच हुई वित्तीय व्यवस्था में किये जाने वाले एक बड़े परिवर्तन से है। अभी तक डाक और तार विभाग का अधिशेष (सरप्लस), लगी हुई पूंजी का ब्याज देकर साधारण राजस्व में चला जाता था। अधिशेष का कुछ भाग साधारण राजस्व में जाने वाला अंशदान समझा जाता है और बाकी विभाग द्वारा नियमानुसार रख लिया जाता है जिस पर ब्याज से छुट्टी दी जाती है। हाल में इस व्यवस्था की जांच की गयी थी खासतौर से इस प्रकार से कि डाक और तार विभाग को उसके बढ़ते हुए पूंजी निवेश (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) के मुकाबले, पर्याप्त प्रारक्षित निधि जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सोचसमझकर विचार और प्रौद्योगिक विज्ञान सम्बन्धी प्रगति (टैक्नोलाजिकल एडवान्स) के साथ साथ विभाग के पूंजी निवेश की गति हाल के वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गयी है जिसके परिणामस्वरूप १९४८-४९ में ३८ करोड़ रुपये की लगी हुई कुल पूंजी पिछले वर्ष के अन्त में १२१ करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। किन्तु नवीकरण प्रारक्षित निधि (रिन्यूएल्स रिजर्व फंड) की वृद्धियां पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) के लिए आंशिक रूप से ब्याज पूंजी (इंटरेस्ट-बेयरिंग कैपिटल) से रुपया लेना पड़ा है। इसलिए निश्चय किया गया है कि अगले वर्ष से डाक और तार विभाग को उसी स्थिति में ले आया जाय जिसमें सरकार के दूसरे बड़े बड़े व्यापारिक विभाग हैं, जैसे रेलें (साधारण राजस्व के मुकाबले)। भविष्य में यह विभाग साधारण राजस्व को, लगी हुई मध्यमान (मीन) पूंजी पर, उसी दर से लाभांश (डिवीडेंड) देगा, जो भारतीय रेलों के लिए, वर्ष में समय समय पर लागू होगी। लाभांश देने के बाद, विभाग अधिशेष की बाकी रकम को, अपनी प्रारक्षित निधियों, खासकर नवीकरण प्रारक्षित निधि (रिन्यूएल्स रिजर्व फण्ड) को बढ़ाने के लिए रख लेगा।

दूसरी बात का सम्बन्ध केन्द्रीय वेतन आयोग (सेंट्रल पे कमिशन) से है। यह आयोग अगस्त १९५७ में वेतन आदि उपलब्धियों के ढांचे और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था और इसने अगस्त १९५९ में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। आयोग की कुछ बड़ी बड़ी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों की घोषणा ३० नवम्बर, १९५९ को सदन में कर दी गयी थी। आयोग की दूसरी सिफारिशों की जांच की जा रही है और उनके सम्बन्ध में सरकार के निर्णय, जितनी जल्दी हो सका, घोषित कर दिये जाएंगे। आयोग की सिफारिशों पर अमल करने में सरकार को वार्षिक रूप से, सब मिला कर, जिसमें पहले ही मंजूर की गयी अन्तरिम सहायता भी शामिल है, ४८ करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, जिसके बढ़कर लगभग ५५ करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की सम्भावना है। सरकार द्वारा आयोग की स्वीकृत सिफारिशें १ जुलाई, १९५९ से लागू हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के बजट अनुमानों में कोई व्यवस्था नहीं की गयी, क्योंकि सारी अदायगियां १९६०-६१ में की जायेंगी। इस तरह उस वर्ष के बजट में इस खर्च के लिए एक वर्ष से ज्यादा के लिए व्यवस्था की गयी है।

माननीय सदस्यों ने असैनिक (सिविल) व्यय की वृद्धि के सम्बन्ध में पिछले वर्ष कुछ चिन्ता प्रकट की थी। अधिक से अधिक मितव्ययता करने और साथ ही कार्यकुशलता भी बनाये रखने और सरकारी खर्च को अपव्यय से बचाने के प्रश्न की ओर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। आयोजना सम्बन्धी समिति के विभिन्न दलों और वित्त मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन एकक (स्पेशल रिआर्गेनाइजेशन यूनिट) की रिपोर्टें समय समय पर सदन में पेश की जाती रही हैं। केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा स्थापित आन्तरिक मितव्ययता समितियां व्यय की वृद्धि, विशेषतः विकास से भिन्न कार्यों के लिए होने वाले खर्च पर बराबर नजर रखती हैं। कार्य-प्रणालियों में सुधार करने और कार्यकुशलता के साथ साथ मितव्ययता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक मंत्रालय के कार्यकलाप के विशेष क्षेत्रों में छानबीन शुरू कर दी गयी है। सरकार ने, एक साल के लिए, नयी जगहें बनाने और खाली जगहें भरने पर पाबन्दी लगा दी है, लेकिन ऐसी जगहों का सम्बन्ध यदि पंचवर्षीय आयोजना से होगा या सुरक्षा की दृष्टि से उनकी आवश्यकता होगी, तो फिर यह पाबन्दी नहीं होगी। सफर भत्तों की व्यवस्था में भी तदर्थ (एड हाक) कटौतियां की गयी हैं।

वर्तमान कर-व्यवस्था के आधार पर अगले वर्ष ८९६.४५ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति और ९८०.३५ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है जिससे राजस्व खाते में ८३.९० करोड़ की घटती रहेगी।

सीमा शुल्कों से अनुमानतः उतनी ही राजस्व प्राप्ति होगी जितनी चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में रखी गयी है, अर्थात् १६० करोड़ रुपये। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से ३५८.९१ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है, जो संशोधित अनुमान से ८.०९ करोड़ रुपया अधिक है। इस वृद्धि का कारण यह है कि इस

में उत्पादन की क्रमिक वृद्धि और चालू वर्ष में उत्पादन शुल्कों में की गयी वृद्धि से प्राप्त पूरे साल का राजस्व शामिल है। आय कर और निगम कर की प्राप्तियों में १० करोड़ रुपये की वृद्धि की सम्भावना है। सम्पत्ति कर में ५ करोड़ रुपये की कमी होगी जिसका कारण यह है कि कम्पनियों पर लगने वाला कर उनके आय कर में मिला दिया गया है। अफीम की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम में १.६२ करोड़ रुपये की वृद्धि को छोड़, दूसरे मुख्य शीर्षों से प्राप्त होने वाले राजस्व और चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के बीच भारी अन्तर होने की सम्भावना नहीं है। ब्याज-प्राप्तियों में ७.६६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जिसका मुख्य कारण दो इस्पात कम्पनियों और खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग से होने वाली अनुमानित प्राप्तियां हैं। दूसरे बड़े बड़े परिवर्तनों में से लोहे और इस्पात के अधिभार (सरचार्ज) की प्राप्ति में ७ करोड़ रुपये की वृद्धि और पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीकी सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त ८ करोड़ रुपये का जिक्र किया जा सकता है। लेकिन ये वृद्धियां, डाक और तार विभाग से मिलने वाले अंशदान (कंट्रिब्यूशन) में ४ करोड़ रुपये की कमी होने से अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायगी। इस अंशदान में कमी का कारण वही संशोधित व्यवस्था है जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। कम्पनी आय कर को निगम कर में मिला देने से अगले वर्ष आय कर में से राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से में २७.२६ करोड़ रुपये की कमी रहेगी, लेकिन, जैसा कि मैंने अपने पिछले साल के भाषण में कहा था, इरादा यह है कि उस समय तक एक विशेष अनुदान द्वारा राज्यों के घाटे की पूर्ति की जाती रहे, जब तक अगला वित्त आयोग (फाइनेंस कमिशन) आय कर के बटवारे के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट न दे दे और उसके आधार पर इस प्रयोजन के लिए व्यय अनुमानों में धन की आवश्यक व्यवस्था न कर दी जाय। रिजर्व बैंक के लाभ की रकम ४० करोड़ रुपया रखी गयी है; चालू साल की रकम भी इतनी ही है।

अगले वर्ष ९८०.३५ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है जिसमें से २७२.२६ करोड़ रुपया प्रतिरक्षा सेवाओं पर और ७०८.०९ करोड़ रुपया असैनिक कार्यों पर खर्च होगा।

असैनिक व्यय में, संशोधित अनुमानों की अपेक्षा, अगले साल ९७.७४ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलायी गयी है। देशी और विदेशी ऋणों में सतत वृद्धि होने से ऋण सम्बन्धी अदायगी पर ९.४५ करोड़ रुपया अधिक खर्च होने की सम्भावना है। चालू पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्ष में विकास और सामाजिक सेवाओं पर, जिन में सामुदायिक विकास सम्मिलित है, २७ करोड़ रुपया अधिक खर्च होने का अनुमान है। लोहे और इस्पात सम्बन्धी अधिभार की अपने आप सन्तुलित होने वाली दो मदों और पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से प्राप्त होने वाले अनुदानों के कारण जिनके लिए राजस्व अनुमानों में बराबर की रकम दिखलायी जाती है, १५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। आय कर में से राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से में कमी होने से उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में अगले वर्ष दिये जाने वाले तदर्थ अनुदानों में २८ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। वृद्धि का बाकी हिस्सा कई शीर्षकों में बांट दिया गया है। इन परिवर्तनों के विस्तृत स्पष्टीकरण, सदा की भांति, व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिये गये हैं।

अनुमान है कि अगले वर्ष प्रतिरक्षा व्यय, २४३.७० करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में २७२.२६ करोड़ रुपया होगा। यह २८.५६ करोड़ रुपया अधिक है। स्थल सेना के अनुमान में २६.७५ करोड़ रुपये की वृद्धि और जल सेना के अनुमान में ३.४६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जबकि वायु सेना के खर्च में २.९४ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी। निष्क्रिय प्रभारों में १.२९ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखायी गयी है। प्रतिरक्षा व्यय की सम्पूर्ण वृद्धि मूलतः सशस्त्र सेनाओं के अतिरिक्त दायित्वों, प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी छात्र दल के और अधिक विस्तार तथा पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई अदायगियों की व्यवस्था के कारण है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, निष्क्रिय प्रभारों के अन्तर्गत, सैनिक कर्मचारियों को दी जाने वाली छोटी पेंशनों की रकमों को बढ़ाने के लिए चालू वर्ष में जो व्यवस्था की गयी है उसे अगले वर्ष में ले जाया गया है। वायु सेना के अनुमित व्यय में कमी का मुख्य कारण यही है कि चालू के संशोधित अनुमान में पहले के वर्ष की देनदारियों की भारी रकमों को शामिल कर लिया गया है।

प्रतिरक्षा सेवाओं के अनुमान हमारी सीमाओं के मौजूदा खतरों को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मुझ से यह जानने की आशा न रखेगी कि देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं, या किन उपायों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। हो सकता है, बाद में इसी वर्ष, परिस्थितिवश आवश्यकता पड़ने पर, मुझे अतिरिक्त रुपयों के लिए इस सभा के सामने आना पड़े; किन्तु मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि देश की सुरक्षा को निश्चित बनाने में सभी आवश्यक उपाय करने में सरकार को इस सभा के सभी दलों का समर्थन प्राप्त होगा।

पूंजीगत व्यय

अब मैं पूंजी परिव्यय के लिए बजट में की गयी व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दूंगा। चालू साल के बजट में कुल ४२०.१४ करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए व्यवस्था की गयी थी। इसमें अमरीका से प्राप्त पूंजीगत सहायता को विशेष विकास निधि में अन्तरित करने की वह रकम शामिल नहीं है जिसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। अब पूंजीगत आवश्यकता का संशोधित अनुमान ३६२.८५ करोड़ रुपया, अर्थात् ५७.२९ करोड़ रुपया कम है। बचत मुख्यतः दो शीर्षकों के अन्तर्गत हुई है। अब रेलें १२१.८१ करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में केवल ८५.०३ करोड़ रुपया खर्च करना चाहती हैं। अन्न की खरीद के वास्तविक व्यय में २१.०१ करोड़ रुपये की कमी होगी जिसका मुख्य कारण बिक्री और वसूलियों से पहले की बनिस्बत अधिक प्राप्ति होना है।

पूंजी परिव्यय के इस वर्ष के ३६२.८५ करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले अगले वर्ष की व्यवस्था ३७०.८४ करोड़ रुपये है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को अतिरिक्त अंशदान देने की चालू साल की ९५.२४ करोड़ रुपये की विशेष मद निकाल दी जाय तो चालू साल के संशोधित अनुमान की तुलना में, अगले साल की पूंजीगत आवश्यकताओं में १०३.२३

करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। यह वृद्धि कई शीर्षकों में बांट दी गयी है और आयोजना के अन्तिम वर्ष में आयोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दी गयी अतिरिक्त रकमों को प्रकट करती है। औद्योगिक विकास का परिव्यय, मुख्यतः कोयला और तेल के विकास का खर्च, ३०.५६ करोड़ रुपया अधिक होगा। रेलें और डाक तथा तार विभाग भी, चालू साल को बनिस्बत क्रमशः ३५.७८ करोड़ रुपया और ३.६० करोड़ रुपया अधिक खर्च करेंगे। ऋण के लेनदेन के वास्तविक व्यय में १९.४१ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

अभी बताये गये प्रत्यक्ष पूंजी परिव्यय के अतिरिक्त, राज्यों को ऋण देने के लिए, अनुमानों में इस वर्ष २८३.१८ करोड़ रुपये और अगले वर्ष ३३१.५१ करोड़ रुपये और दूसरी पार्टियों को ऋण देने के लिए, जिनमें पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट), सरकारी स्वामित्व के निगम और विदेशी सरकारें शामिल हैं, इस साल २२१.७४ करोड़ रुपये और अगले साल १०६.७४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

अगले वर्ष के अनुमानों में, आयोजना को अमल में लाने के लिए, कुल ८८९ करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिनमें से १७३ करोड़ रुपया राजस्व बजट में और ७१६ करोड़ रुपया पूंजी बजट से है। इस व्यवस्था में से ६४ करोड़ रुपया राजस्व बजट में और १७५ करोड़ रुपया पूंजी बजट में राज्यों की सहायता के लिए है। इसके अलावा, अपने साधनों से रेलें ३४ करोड़ रुपया और राज्य २५१ करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इस प्रकार १९६०-६१ का सम्पूर्ण आयोजना परिव्यय १,१७४ करोड़ रुपया होगा, जिसमें नदी घाटी आयोजनाओं के उन ऋणों का ब्याज, जो निर्माण की अवधि में पूंजी में जोड़े जाते हैं, और छोटी अवधि के ऋणों का ब्याज शामिल है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों का, १९५८-५९ में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में सम्पूर्ण आयोजना परिव्यय २,४५० करोड़ रुपया था। चालू वर्ष में इस परिव्यय के लिए बजट में १,१२१ करोड़ रुपये की व्यवस्था है और जैसा कि पहले ही बताया गया है, अगले वर्ष १,१७४ करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय का अनुमान है। में साधारणतः होने वाली कमी को छोड़ते हुए, सरकारी क्षेत्र में, पांच वर्ष की अवधि में लगभग ४,६०० करोड़ रुपये का वास्तविक परिव्यय होगा। अनुमान है कि संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश (इन्वेस्टमेंट) उस कुल रकम तक पहुंच जायगा, आयोजना में जिनकी कल्पना की गयी है; हो सकता है यह कुछ बढ़ भी जाय। मुझे विश्वास है कि सिंचाई, बिजली, उद्योग, खनिजों के उत्पादन (माईनिंग) और परिवहन (ट्रांसपोर्ट) और समाज सेवा के क्षेत्र में भी खासी रकमें लगायी जायेंगी।

अर्थोपाय

चालू साल के बजट में २२७ करोड़ रुपये की राजकोष हुंडियों (ट्रेजरी बिल) के वास्तविक विस्तार की व्यवस्था की गयी थी जिनमें से १५ करोड़ रुपये की हुंडियां जनता द्वारा खरीदे जाने के लिए जारी की जानी थीं। सबसे हाल की प्रवृत्तियों के अनुसार अब अनुमान है कि १९० करोड़ रुपये का ही वास्तविक विस्तार होगा। ४७ करोड़ रुपये के इस अन्तर के कई कारण हैं। राजस्व के घाटे में अब ४४ करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पूंजीगत व्यय में ५७ करोड़ रुपये की बचत होगी और दूसरे ऋण शीर्षकों के अन्तर्गत ३२ करोड़ रुपये की। १३३ करोड़ रुपये की यह बचत, विदेशी ऋणों में ७१ करोड़ रुपये की कमी और अन्तिम रोकड़ बाकी (क्लोज़िंग कैश बैलेंस) को ५० करोड़ रुपये के सामान्य स्तर (नार्मल लेवल) तक बनाये रखने की आवश्यकता के कारण १५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करने से अंशतः प्रतिसन्तुलित हो जायगी।

बजट में उधार लेने के जिस कार्यक्रम की कल्पना की गयी थी उसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बजट में मैंने २२५ करोड़ रुपये के एक बाजार ऋण का अनुमान किया था, किन्तु वास्तविक प्राप्ति २२९ करोड़ रुपये की हुई। जुलाई १९५९ में दो ऋण जारी किये गये थे: एक ३॥ प्रतिशत बन्ध-पत्र (बान्ड) १९६९, जो ९८.८५ रुपये के निर्गम मूल्य पर जारी किया गया था और दूसरा ४ प्रतिशत ऋण १९७९, जो सम मूल्य (एट पार) पर जारी किया गया था। ३ प्रतिशत द्वितीय विजय ऋण (विक्टरी लोन) १९५९-६१ और २॥ प्रतिशत हैदराबाद ऋण १९५४-५९ के लिए, जो इसी साल चुकाये जाने थे, खरीदारों (होल्डर्स) को रूपान्तरण (कन्वर्शन) की सुविधाएं दी गयीं। इन ऋणों में जो रुपया लगाया गया उनकी कुल रकम १८४ करोड़ रुपये तक पहुंची जिसमें से ८९ करोड़ रुपया ऋण-रूपान्तरण द्वारा प्राप्त हुआ। बाद में पूंजी लगाने की बाजार की मांग को पूरा करने के लिए ९९.४ रुपये के निर्गम मूल्य पर २५ करोड़ रुपये का ३॥ प्रतिशत बन्ध-पत्र, १९६९ और ९९.६५ रुपये के निर्गम मूल्य पर २० करोड़ रुपये का ३॥। प्रतिशत ऋण १९७४ जारी करने का निश्चय किया गया। सामान्य प्रथा के अनुसार रिजर्व बैंक ने इन निर्गमों को बाजार में बेचने के लिए अपने निवेश खातों में ले लिया।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि १९५८-५९ के बजट भाषण में, रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग (इश्यू डिपार्टमेंट) में रखी राजकोष हुंडियों के एक भाग को ऋणों के रूप में क्रमशः निहित (ग्रेजुएल फंडिंग) करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। जुलाई १९५८ में इस दिशा में कार्य आरम्भ हुआ और रिजर्व बैंक की सलाह से ३०० करोड़ रुपये की राजकोष हुंडियों को निहित किया गया। चालू वर्ष में भी यह काम जारी रहा, जब कि १५० करोड़ रुपये की और भी राजकोष हुंडियों को दिनांकित प्रतिभूतियों (डेटेड सिक्योरिटीज) में निहित किया गया।

हाल के वर्षों में छोटी बचतों में बराबर वृद्धि हुई है। १९५८-५९ में ७८ करोड़ रुपये का वास्तविक संग्रह हुआ जो अब तक का सबसे अधिक संग्रह है। इस वर्ष ८२ करोड़ रुपये तक इकट्ठा होने का अनुमान है, जब कि बजट अनुमान ८५ करोड़ रुपय का है। यद्यपि प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक है, फिर भी इकट्ठा की गयी रकमें अब भी प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपये के औसत से, जिन की कल्पना आयोजना में की गयी है, बहुत कम है। छोटी छोटी रकमें बचाने का आन्दोलन बचत की रकमें इकट्ठा करने के नीरस काम से कहीं बढ़ कर है। साधारण पुरुष और स्त्री को विकास के राष्ट्रीय प्रयत्न में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के कारण इसका मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है। इसलिए मैं देश के प्रत्येक

परिवार से अपील करता हूं कि वह और अधिक बचत करे और इस तरह आन्दोलन को और भी सफल बनाने में अपने हिस्से का अनुदान दे।

बचत आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने इस साल जो कदम उठाये हैं यहां मैं उनका भी जिक्र कर दूं। सभा को स्मरण होगा कि पिछले अधिवेशन में डाकखाना सेविंग बैंक में रुपया जमा कराने वालों और बचत पत्रों (सेविंग सर्टीफिकेटों) के खरीदारों को नाम निर्देशन (नामिनशन) की सुविधा देने का कानून पास किया गया था। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों और कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए वेतन से सीधी बचत करने की एक नयी योजना (पे रोल स्कीम) जारी की गयी है जिसके द्वारा छोटी बचतों में लगाने के लिए कर्मचारियों की अनुमति से उनके वेतन से रकमें काटी जा सकती हैं। केन्द्र और राज्यों की राष्ट्रीय बचत परामर्श समितियां महिला बचत आन्दोलन (वीमेन्स सेविंग्स कैम्पेन) के बचत बोर्डों में मिला दी गयी हैं और इनके संयुक्त बोर्ड बन गये हैं। इनमें से एक केन्द्र में और एक-एक हर राज्य में है और इनमें कार्यकर्त्रियों की भी काफी संख्या है। बचत पत्रों की बिक्री की विभिन्न अभिकरण (एजेंसी) प्रणालियों के सम्बन्ध में छानबीन करके उन्हें वैज्ञानिक स्वरूप दे दी गयी है और आशा है कि शहरी और देहाती इलाकों के लिए जल्दी ही एक प्रामाणिक एजेंसी प्रणाली जारी कर दी जाएगी। अभी एजेंटों को मिलने वाला कमीशन खजानों (ट्रेजरी) की मार्फत मांगा और दिया जाता है, जहां, खास तौर से देहाती इलाकों में, आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह विचार किया गया है कि कमीशन चुकाने की जिम्मेदारी अगले साल डाकखानों को सौंप दी जाय।

समय समय पर कई तरफ से सुझाव आने पर सरकार ने पुरस्कार-पत्र (प्राइज बांड) जारी करने का निश्चय किया है। कल एक अधिसूचना (नोटीफिकेशन) जारी की जायगी जिसमें शर्तों का उल्लेख रहेगा, पुरस्कार-पत्र १ अप्रैल, १९६० से बेचे जायगे। ये पुरस्कार-पत्र वाहक बन्ध-पत्रों (बेयरर बांड्स) के रूप में, दो रकमों के—१०० रुपये और ५ रुपये के—होंगे। इन पुरस्कार-पत्रों पर ब्याज नहीं मिलेगा और ये पांच साल बाद चुका दिये जायगे, लेकिन इनके खरीदारों को उन लाटरियों में शामिल किया जायगा जिन्हें डाल कर हर तिमाही पुरस्कार विजेताओं के नाम निकाले जायगे। पुरस्कार पर आय कर नहीं लगेगा। १०० रुपये वाले पुरस्कार-पत्रों की एक-एक लाख की इकाइयों की प्रत्येक श्रेणी के लिए हर तिमाही कुल ८० पुरस्कार दिये जायगे, जो २५,००० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक के होंगे। ५ रुपये वाले पुरस्कार-पत्रों की दस-दस लाख की इकाइयों की प्रत्येक श्रेणी के लिए हर तिमाही २७८ पुरस्कार दिये जायगे, जो ७,५०० रुपये से लेकर ५० रुपये तक होंगे।

अगले वर्ष के बजट में बाजार ऋण के २५० करोड़ रुपये जमा किये गये हैं, जिनमें उन पुरस्कार-पत्रों की प्राप्तियां भी शामिल हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। छोटी बचतों की वास्तविक रकम ९० करोड़ रुपया रखी गयी है जिस में इस वर्ष की सम्भाव्य प्राप्तियों की तुलना में ८ करोड़ रुपये की थोड़ी-सी वृद्धि को भी हिसाब में ले लिया गया है। सबसे हाल की जानकारी के अनुसार अगले वर्ष ३६२ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है।

अगले वर्ष की सम्पूर्ण बजट स्थिति का सारांश यह है

> कर-व्यवस्था के वर्तमान स्तर के आधार पर राजस्व में ८४ करोड़ रुपये की कमी रहेगी, पूंजी परिव्यय की रकम ३७१ करोड़ रुपये, राज्य सरकारों और दूसरों को दिये जाने वाले ऋणों की रकम ५३१ करोड़ रुपये और ऋण अदा करने की रकम १४० करोड़ रुपया होगी। १,१२६ करोड़ रुपये के इस सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने की दिशा में २५० करोड़ रुपया बाजार ऋणों से, ९० करोड़ रुपया छोटी बचतों से, ३६२ करोड़ रुपया विदेशी सहायता से, १२८ करोड़ रुपया ऋणों की वसूली से और ११९ करोड़ रुपया विविध प्राप्तियों से आयेगा, और घाटा १७७ करोड़ रुपये का रह जायगा जिसे राजकोष हुंडियां जारी करके पूरा किया जायगा।

विकास के लिए आयोजन

राजस्व की इस भारी घटती की समस्या को लेने से पहले मैं कुछ शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि विकास के लिए आयोजन का अभिप्राय क्या है, क्योंकि इसी को सामने रख कर हमारे सभी बजट बनाये जाते हैं। हमारी आयोजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अर्थव्यवस्था को जकड़बन्दी से निकालना और इसे उत्पादन तथा रहन-सहन के ऊंचे स्तरों तक पहुंचाना है। लगभग १० साल पहले हमने इस काम को हाथ में लिया था और अगले वित्त-वर्ष की समाप्ति तक हम दूसरी आयोजना को पूरा कर लेंगे। इस अवधि में हमारी अर्थव्यवस्था ने कई दिशाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है। कोई भी व्यक्ति उन बड़ी बड़ी औद्योगिक प्रायोजनाओं को देख सकता है, जो पूरी होती जा रही हैं और देहात-सुधार के उन विविध कार्यक्रमों की भी झांकी ले सकता है, जो अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई शक्ति से लाभ उठाने के लिए पूरे किये गये हैं और पूरे किये जा रहे हैं। आर्थिक विकास हमारे लिए धूंधला या दूर का आदर्श नहीं है, इसे तो हमें अपने दैनिक चिन्तन और कर्म का अंग बनाना है। निस्सन्देह हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और मुझे सन्देह नहीं कि आगे भी कुछ कठिनाइयां आयेंगी, किन्तु ये कठिनाइयां और दबाव और घोर परिश्रम आर्थिक तथा सामाजिक विकास के ही ढंग हैं।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की समाप्ति पर देश विकास की ऐसी मंजिल पर पहुंच चुकेगा जहां रुकना उसके लिए लाभदायक न होगा। इसलिए यह जरूरी है कि विकास की गति न केवल ज्यों की त्यों रहने दी जाय, बल्कि तेज भी की जाय। यही तीसरी पंचवर्षीय आयोजना का महत्वपूर्ण कार्य है। इस दिशा में सफलता पाने के लिए खेती की पैदावार बढ़ाना सबसे जरूरी है। यह स्वयंसिद्ध है और हम एक क्षण के लिए भी इसे आंखों से ओझल नहीं कर सकते। किन्तु यदि अगले १० या १५ वर्षों में अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से बढ़ना है, तो उद्योग-उत्पादन (माइनिंग), बिजली, वहन और संचार जैसे दूसरे क्षेत्रों का भी तेजी से विकास करना पड़ेगा। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में इस बात को ध्यान में रखना होगा।

के अनुसार (एड वेलोरम) १० प्रतिशत शुल्क लगाने के सम्बन्ध में है। इस तरह के स्थिर (स्टेशनरी) इंजनों पर, जो साधारणतः कारखानों और खेतों के काम आते हैं, मूल्य के अनुसार ५ प्रतिशत की कम दर का शुल्क लगाया जायगा। अनुमान है कि इससे प्रति वर्ष १०७ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

मैं साइकिल के कुछ जरूरी पुर्जों पर भी थोड़ा-सा शुल्क लगाना चाहता हूं। हर 'फ्री ह्वील' पर २ रुपये और हर 'रिम' पर ४ रुपये का शुल्क लगाया जायगा। इस से हर पूरी साइकिल पीछे १० रुपया वसूल होगा, लेकिन पुर्जों को जोड़कर पूरी साइकिल बनाने वाले छोटे-छोटे व्यापारी और साइकिल पुर्जों के निर्माता इस शुल्क की सीमा में नहीं आते। अनुमान है कि इससे हर साल १०० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

अभी बिजली की मोटरों और उनके पुर्जों पर शुल्क नहीं लगता। अब तरह-तरह के कामों के लिए इस्तेमाल में आने वाली सब तरह की मोटरों पर मूल्य के अनुसार ५ प्रतिशत से लेकर १५ प्रतिशत का शुल्क लगाया जायगा। अनुमान है कि इस से हर साल ८६ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

सिनेमा की उतरी हुई (एक्सपोज्ड) फिल्मों पर भी शुल्क लगाया जा रहा है। फिल्मों की किस्म के आधार पर यह १० नये पैसे प्रति मीटर से लेकर ५० नये पैसे प्रति मीटर तक अलग-अलग होगा। समाचार रीलों और छोटी छोटी सहायक फिल्मों (शार्ट) पर कम दर पर शुल्क लगेगा। इससे अनुमानतः ७५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

नये उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में मेरा अन्तिम प्रस्ताव रेशमी कपड़ों के बारे में है, जिस पर प्रति वर्ग गज ३० नये पैसे का शुल्क लगाया जायगा। हथकरघा क्षेत्र पर इस शुल्क का प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे ३० लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

अब मैं कई चीजों के शुल्क की मौजूदा दरों में हेरफेर करने का उल्लेख करूंगा।

सभा को याद होगा कि १९५६ में बड़ी-बड़ी मुसाफिर गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क लगाया गया था, जबकि सभी तिजारती गाड़ियों और छोटी व बीच के दर्जे की गाड़ियों, मोटर साइकिलों और स्कूटरों को छोड़ दिया गया था। अब मैं सभी तरह की मोटर गाड़ियों पर, मूल्य के अनुसार १५ प्रतिशत शुल्क लगा रहा हूं। अनुमान है कि इससे कुल ६२५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

माफ किये गये डीजल तेल पर १९५६ में शुल्क लगाया गया था, जो प्रति गैलन २५ नये पैसे था। यद्यपि तब से, यह शुल्क बढ़ा कर ८० नये पैसे प्रति गैलन कर दिया गया है, फिर भी इस तेल की खपत काफी तेजी से बढ़ रही है। इस तेल की अन्दरूनी पैदावार और खपत के बढ़ते हुए असन्तुलन से देश के विदेशी मुद्रा साधनों पर बहुत दबाव पड़ रहा है। इसलिए मैं शुल्क की बुनियादी दर में २५ नये पैसे प्रति गैलन की और वृद्धि कर रहा हूं। इस से हर साल ५०८ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

बिजली से चलने वाले कारखानों में बने जूतों पर १९५५ में उत्पादन शुल्क लगाया गया था, लेकिन बहुत-से छोटे-छोटे कारखानों को इस शुल्क के क्षेत्र से बाहर रखा गया था। पता लगा है कि कुछ बड़े-बड़े कारखाने, कर से बचने के लिए जान बूझ कर विकेन्द्रीकरण (डिसेंट्रलाइजेशन) की नीति अपना रहे हैं। मुख्यतः राजस्व की रक्षा के लिए, चमड़े या लकड़ी के अलावा दूसरी चीजों से मशीन से बने तलों (सोल) और एड़ियों (हील) पर मैं शुल्क लगा रहा हूं। शुल्क की दर मूल्य के अनुसार १५ प्रतिशत होगी और इससे हर साल २० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

कपड़े के क्षेत्र में दो परिवर्तन करने का विचार है, जिन से कुछ प्राप्ति हो सकेगी। 'स्टेपल' रेशे के धागे से बने कपड़ों, और सूती कपड़े के कटे टुकड़ों पर, जिन्हें 'फेण्ट' कहा जाता है, अभी कोई शुल्क नहीं लगता। अब मेरा प्रस्ताव है कि मौजूदा छूट हटा ली जाय। अब शुल्क के लिए, 'स्टेपल' रेशे के धागे से बने कपड़ों को भी नकली रेशम (आर्टिफीशियल सिल्क) के कपड़ों के बराबर माना जायगा। कटे टुकड़ों के सम्बन्ध में, वर्तमान परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है और इन पर, कपड़े के शुल्क से काफी नीचे के स्तरों पर, परिमाण के आधार पर थोड़े से शुल्क लगाये जायंगे। अनुमान है कि इन परिवर्तनों से प्रति वर्ष १९५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी जिसमें से ६५ लाख रुपया राज्यों को दिया जायगा।

बिजली के पंखों, बल्वों और बैटरियों पर पहले-पहल १९५५ में उत्पादन शुल्क लगाया गया था और तबसे अब तक इन चीजों के शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उत्पादन की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि इन चीजों का उत्पादन बढ़ रहा है और इन पर शुल्क बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा शुल्कों में ५० प्रतिशत वृद्धि और इन चीजों के हिस्सों के शुल्क में भी मुनासिब वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों से प्रति वर्ष ९० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

चाय उद्योग की शिकायत रही है कि विभिन्न सूत्रों द्वारा अनेक स्थलों पर कई करों के लगने से उसे कठिनाई होती है। सम्बद्ध राज्य सरकारों के वित्तीय हितों और इस बात का खयाल रखते हुए कि उनके साधनों पर बुरा असर न पड़े हम उत्पादन शुल्क में मुनासिब हेरफेर कर के इस कठिनाई को दूर करने का रास्ता निकालना चाहते हैं। यह साध्य हो सके इसके लिए हम उत्पादन शुल्क की अधिकतम सीमा को, १९ नये पैसे से बढ़ा कर ३० नये पैसे प्रति पौण्ड कर रहे हैं जिसके लिए अनुमति है। यह सिर्फ अधिकार देने का प्रस्ताव है और इससे, जैसा कि सभा को मालूम है लगे हुए शुल्क की दरों में, जो २ नये पैसे से लेकर १२ नये पैसे प्रति पौण्ड हैं, कोई हेरफेर न होगा।

कुछ और भी छोटे छोटे परिवर्तन किये जा रहे हैं जिन के सम्बन्ध में मैं सभा को थकाना नहीं चाहता। इन परिवर्तनों से प्रति वर्ष २७ लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी, जिसमें से ५ लाख रुपया राज्यों को दिया जायगा।

जिन भिन्न-भिन्न उपायों का मैंने जिक्र किया है उनका उद्देश्य राजस्व में २१.७३ करोड़ रुपये की वृद्धि करना है, जिसमें से ७० लाख रुपया राज्यों को चला जायगा।

जहां तक सीमा शुल्कों (कस्टम्स ड्यूटी) का सम्बन्ध है, मैं शराब और सुरासार (स्पिरिट) और दूसरी तरह की मद्यसारीय शराबों (एल्कोहोलिक लिकर) के शुल्क में वृद्धि करने के सिवा कोई और परिवर्तन करना नहीं चाहता। उत्पादन शुल्कों में परिवर्तन होने से, आवश्यकतानुसार, प्र
(काउण्टर वेलिंग) आयात शुल्क

व्यवस्था की जा रही है, जिससे देशी उत्पादक को हानि न पहुंचे। सीमा शुल्कों में परिवर्तन होने से अगले वर्ष २.५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है।

प्रत्यक्ष कर

अब मैं प्रत्यक्ष करों को लेता हूं। व्यक्तिगत आय कर (इनकम टैक्स) के ढांचे में किसी तरह का परिवर्तन करने का मेरा विचार नहीं है। कम्पनी करों के बारे में नयी योजना को, जो चालू साल के बजट से जारी हुई थी, पूरी तरह से अमल में लाने के उपाय किये जा रहे हैं। १ अप्रैल १९६० को प्रारम्भ होने वाले वित्त वर्ष से, *कम्पनियों पर लगने वाले सम्पत्ति* कर (वेल्थ टैक्स) और अधिक लाभांश (डिविडेण्ड) सम्बन्धी कर को समाप्त करने की नियमित कार्यवाई की जा रही है।

सभा को याद होगा कि पिछले साल, ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले कर-निर्धारण वर्ष (असेसमेण्ट इयर) की पहले से अदायगी करने के लिए, मैंने कम्पनी करों के लिए अस्थायी रूप से ४५ प्रतिशत की दर स्वीकार की थी। इस दर का हमें काफी अनुभव नहीं है। इसलिए इस दर में किसी तरह का हेरफेर करने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इसी को अन्तिम मान लिया जाएगा। छोटी-छोटी कम्पनियों पर, जिन की कुल आमदनी २५,००० रुपये से अधिक नहीं है, ५ प्रतिशत की कम दर से कर लगता रहेगा। पिछले साल मैंने कम्पनी करों की नयी प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ बातों पर विचार करने का वचन दिया था, इसलिए मैं वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) में दो प्रबन्ध (प्रावीजन) ला रहा हूं—एक उन लाभांशों पर कर लगाने के सम्बन्ध में है, जो लाभ की उन रकमों से दिये जा चुके हैं जिन पर पहले कर लग चुका है और दूसरा उन कम्पनियों के करों के बारे में है जिनके दूसरी कम्पनी की हिस्सा पूंजी में ५० प्रतिशत से कम शेयर हैं और राजस्व-अनुमान तैयार करते समय इन्हें मैंने हिसाब में ले लिया है।

मूल स्थान पर ही कर की रकम काट लेने के सम्बन्ध में मैं दो परिवर्तन करना चाहता हूं। सभा को याद होगा कि पिछले साल निश्चय किया गया था कि निवासी व्यक्तियों को दिये गये लाभांशों पर ३० प्रतिशत की दर से और भारतीय कम्पनियों को दिये गये लाभांश पर ४५ प्रतिशत की दर से, मूल स्थान पर ही कर की रकम काट ली जानी चाहिए। आपत्ति की गयी है कि मूल स्थान पर कटौती करने की इस दर में अन्तर होने के कारण कुछ कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं, इसलिए व्यक्तियों और कम्पनियों दोनों की कर की रकम काटने के सम्बन्ध में मैं ३० प्रतिशत की समान दर लागू करना चाहता हूं। इस परिवर्तन से राजस्व प्राप्ति में कमी न हो, इसलिए मैं धारा १८-क में संशोधन करना चाहता हूं, जिस से सरकार भारतीय कम्पनियों से उनके द्वारा प्राप्त लाभांश पर अग्रिम कर के रूप में बाकी १५ प्रतिशत भी वसूल न कर सके।

तरजीही हिस्सेदारों (प्रिफरेंस शेयर-होल्डर्स) को दिये जाने वाले लाभांशों में से मूल स्थान पर ही कर की रकम काटने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है, जान पड़ता है, उसके कारण भी कुछ कठिनाई हो रही है। कम्पनियों को, लाभांश की जो रकम हिस्सेदारों को देनी पड़ती है वह हिस्सेदारों के साथ किये गये उनके करार (कंट्रैक्ट) द्वारा विनियमित होती है, और वर्तमान वित्त अधिनियम के अनुसार, सरकार ऐसी रकमों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुमान न करेगी। इसलिए मैं वित्त विधेयक में ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं जिसमें इन हिस्सेदारों को की जाने वाली अदायगियों में भी उसी तरह कटौती हो जाय जिस तरह किसी और लाभांश के सम्बन्ध में होती है, इन लाभांशों की वास्तविक रकम क्या हो, इसका निर्णय मैं खुद कम्पनियों पर छोड़ता हूं।

अब मैं आय कर अधिनियम (इनकम टैक्स ऐक्ट) में संशोधन करने के सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रस्तावों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा। नये कारखानों को, धारा १५-ग के अनुसार जितनी अवधि के लिए छूट दी जाती है उसमें और पांच साल की वृद्धि करने का विचार है। जिस सीमा तक दानव्य (चैरिटेबल) कार्यों के लिए दिये जाने वाले दान को कर से छूट मिलती है उसे, कुल आमदनी के ५ प्रतिशत या १,००,००० रुपये से, जो भी कम हो, बढ़ा कर कुल आमदनी का ७॥ प्रतिशत या १,५०,००० रुपया, जो भी कम हो, कर देने का प्रस्ताव है। अभी जो रकमें वैज्ञानिक खोज के लिए, वैज्ञानिक गवेषणा सभों (साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशनों) और शिक्षा-शालाओं को दी जाती हैं उन्हें उस हालत में दान देने वाले की व्यापारिक आमदनी का हिसाब लगाते समय बाद दे दिया जाता है जब वैज्ञानिक खोज का सम्बन्ध उस के व्यापार के साथ होता है। विचार है कि यदि ऐसी खोज का सम्बन्ध व्यापार से न भी हो, तो भी इस कटौती की अनुमति होनी चाहिए। प्रस्ताव है कि जिस सम्पत्ति का निर्माण १ अप्रैल, १९५० से पहले हुआ है उसके सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगायी और सम्पत्ति के मालिक द्वारा दी जाने वाली करों की पूरी रकम, सम्पत्ति की कर लगने योग्य आमदनी का हिसाब लगाते समय, बाद दे दी जानी चाहिए, जबकि अभी ऐसे करों की आधी रकम ही बाद दी जाती है। मेरा अगला प्रस्ताव सहकारी समितियों पर कर लगाने के सम्बन्ध में है। अभी ऐसी समितियों की व्यापारिक आमदनी पर कर नहीं लगता। सहकारी समिति *अधिनियम,* १९१२ *के उद्देश्य के अनुसार,* अर्थात् कृषकों, कारीगरों और थोड़े साधनों वाले व्यक्तियों की बचत और अपनी सहायता अपने आप करने को उत्साहित करने के लिए सहकारी समितियों के निर्माण में सहायता देने के विचार से यह छूट उचित ही है। लेकिन जैसा कि सभा को मालूम है, कुछ समय से सहकारी समितियों ने अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ा दिया है और काफी कारबार करने लगी हैं, जिस में बड़े पैमाने पर गैर-सदस्यों के साथ किया जाने वाला कामकाज भी शामिल है। इन समितियों के व्यापारिक लाभ को कर की अदायगी से पूरी छूट देने में कोई तुक नहीं है। इसलिए प्रस्ताव है कि खेती, देहाती कर्ज और घरेलू उद्योग-धन्धों से सम्बन्ध रखने वाली सहकारी समितियों की आमदनी को तो कर से पूरी छूट मिलती रहनी चाहिए, पर दूसरी समितियों के व्यापारिक लाभ को १०,००० रुपये की रकम तक ही छूट मिलनी चाहिए। इन प्रस्तावों से राजस्व पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्यय-कर (एक्सपेंडीचर टैक्स) और दान-कर (गिफ्ट टैक्स) अधिनियमों में कुछ छोटे-छोटे संशोधन करने का विचार है। व्यय-कर

अधिनियम के संशोधनों में भारत में छुट्टी सम्बन्धी यात्रा पर किये गये खर्च और भारत में बच्चों की शिक्षा पर किये गये खर्च को छूट देने की व्यवस्था है। यह भी विचार है कि कर-दाता द्वारा विदेशी सरकार को दिये गये करों की कुल रकम को छूट मिलनी चाहिए, जबकि अभी सिर्फ एक हिस्से को ही मिलती है। दान-कर अधिनियम के संशोधन में व्यवस्था है कि पहले से दिये जाने वाले कर की दर वही होगी, जो निर्धारित मूल्य-निर्धारण के आधार पर दिये जाने वाले कर के लिए है। इन परिवर्तनों से राजस्व पर किसी प्रकार का खास प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

प्रस्तावों का वास्तविक प्रभाव

अब मैं बजट प्रस्तावों के वास्तविक प्रभाव का सारांश बताता हूं। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के परिवर्तनों से, राज्यों को दिये जाने वाले राजस्व को छोड़ कर, २१.०३ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है। सीमा शुल्कों के परिवर्तनों से, जो अधिकांश में केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के परिवर्तनों का परिणाम है, २.५ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। इस तरह कुल २३.५३ करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी, जिससे राजस्व खाते का घाटा ८३.९ करोड़ रुपये से कम होकर ६०.३७ करोड़ और सम्पूर्ण घाटा १७७ करोड़ रुपये से कम होकर १५३ करोड़ रुपया रह जायगा। राजस्व के घाटे को पूरा किये बिना ही छोड़ देने का विचार है, सम्पूर्ण घाटे को पूरा किये बिना ही छोड़ देने का विचार है, सम्पूर्ण घाटे को राजकोष हुंडियां (ट्रेजरी बिल) के विस्तार से पूरा किया जायगा।

निष्कर्ष

अगले वर्ष के बजट का सम्बन्ध चालू पंच-वर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्ष से है और यहां मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि, जहां तक वर्तमान आयोजना को अमल में लाने का सम्बन्ध है, उस वर्ष के अन्त में स्थिति क्या होगी। अपने भाषण में कुछ पहले, मैं बता चुका हूं कि बजट वर्ष के अन्त में आयोजना का कुल खर्च लगभग ४,६०० करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। चालू आयोजना की अवधि में, केन्द्र में, हम ने, आयोजना के दायित्वों को पूरा करने के लिए, जिस में राजस्व बजट से राज्यों को दी गयी सहायता भी शामिल है, राजस्व की भारी रकमें प्राप्त की हैं। मुझे आशा है कि आयोजना की पांच वर्ष की अवधि में, आयोजना के सभी दायित्वों को पूरा कर लेने और राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिए काफी सहायता देने के बाद हमारे पास ५० करोड़ रुपये से भी अधिक का राजस्व अधिशेष (रेविन्यू सर्प्लस) इकट्ठा हो जायगा। मुझे पता है कि आयोजना के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए जिस सीमा तक हमें घाटे की वित्त-व्यवस्था (डेफि-सिट फाइनेंसिंग) का सहारा लेना पड़ा है उसके सम्बन्ध में कुछ आलोचना हुई है। यहां भी मैं यही कहूंगा कि हमारा लेखा इतना खराब नहीं है जितना आलोचक उसे बताना चाहते हैं। आयोजना के पहले तीन वर्षों में घाटे की वित्त-व्यवस्था की कुल रकम लगभग ८८५ करोड़ रुपया थी। चालू वर्ष में—यह मानते हुए कि राज्य सरकारें इसे काफी मात्रा में बढ़ायेंगी नहीं और सम्भावना यही है कि नहीं बढ़ायेंगी—घाटे की वित्त-व्यवस्था की रकम सम्भवतः १९० करोड़ होगी। अगले वर्ष के लिए भी यदि १५३ करोड़ रुपये की रकम मान लें, तो आयोजना की सारी अवधि में घाटे की वित्त-व्यवस्था की कुल रकम १,२०० करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक होगी, जिसकी कल्पना आयोजना में कर ली गयी थी। यद्यपि बचतों के सम्बन्ध में हम उतना अच्छा काम नहीं कर सके जितना करना चाहते थे, फिर भी साधन जुटाने और घाटे की वित्त-व्यवस्था को जहां तक सम्भव और साध्य हुआ कम से कम रकम तक सीमित रहने का हमारा काम, मेरे विचार से, काफी अच्छा रहा है।

फिर भी स्थिति को देख कर सन्तोष कर लेने का कोई कारण नहीं है। दूसरी आयोजना की समाप्ति तीसरी आयोजना के आरम्भ का संकेतमात्र है और यदि देश को पहले से बड़ी आयोजना को संभालना है, जो अनिवार्य है, तो समाज को पहले से अधिक उद्यम और त्याग करना पड़ेगा। जब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था कठिनाइयों को पार कर आत्म-निर्भर नहीं हो जाती, तब तक हमारी प्रगति का मार्ग जटिल बना रहेगा। जब तक ऐसी स्थिति न आयेगी और जिसके अगली योजना की समाप्ति तक आने की आशा की जा सकती है, तब तक हमें करों और बचतों से अधिक से अधिक साधन जुटाने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक करना होगा, ताकि देश, हमें जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ सके। यह तो जानीमानी बात है कि हाथ पर हाथ रख कर बैठ रहने से किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता, भारत जैसे कम विकसित देश का तो और भी नहीं। हमें आगे बढ़ना है और इसके लिए जो भी त्याग करना पड़े करना ही है। मुझे सन्देह नहीं कि ऐसा किया जायगा, इसलिये मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि जो बजट मैं पेश कर रहा हूं उस पर वह इसी दृष्टि से विचार करे।

अक्तूबर १९६० से सफेद दुअन्नी और अधन्ने का चलन बन्द

वित्त मंत्रालय के अर्थ विषयक विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि १ अक्तूबर, १९६० से सफेद दुअन्नियों और अधन्नों का आम चलन बन्द हो जाएगा। इसके बाद ३१ मार्च, १९६१ तक ये सिक्के रिजर्व बैंक की सब शाखाओं में जनता से लिये जाते रहेंगे। रेलों और डाकखानों में भी टिकट आदि लेने या तार देने अथवा रेडियो लाइसेंस का शुल्क आदि देने पर ये सिक्के लिये जाएंगे।

३१ मार्च, १९६१ के बाद भी किसी दूसरी सरकारी सूचना के निकलने तक ये सिक्के रिजर्व बैंक के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर, नयी दिल्ली, बंगलौर और नागपुर स्थित कार्यालयों में लिये जाते रहेंगे।

सफेद इकन्निया और तांबे का पैसा बराबर चलते रहेंगे और इन पर सफेद दुअन्नियों और अधन्नों का चलन बन्द करने की बात लागू नहीं होगी। इसी प्रकार रुपया, अठन्नी चवन्नी भी बराबर चलती रहेंगी।

नेपाल को भारतीय सहायता

वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने २४ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारत नेपाल की विकास योजनाओं के लिए जो शिल्पिक तथा आर्थिक सहायता दे रहा है उसकी कुल राशि १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९६० तक लगभग ३,६८,२२,८७२ रु० हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि नेपाल को सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च १९५९ से निम्नलिखित काम किए गए हैं

(१) ये समझौते हुए : (क) जच्चा-बच्चा और बाल हितकारी केन्द्र के लिए ६ लाख रु० देने के लिए कागज-पत्र बदले, (ख) गांव विकास कार्यक्रम और राप्ती घाटी विकास योजनाओं के लिए २ करोड़ ५० लाख रु० की सहायता देने का समझौता हुआ, और (ग) नेपाल के विभिन्न जिलों में स्थानीय विकास कार्यों के लिए ३० लाख रु० की सहायता के लिए कागज-पत्र बदले।

(२) नेपाल सरकार और विकास मंडलों की मारफत इन संस्थाओं को नकद अनुदान दिया गया : (क) जच्चा-बच्चा और बाल हितकारी मण्डल को १ लाख ५० हजार रु०, (ख) गांव विकास मंडल को १० लाख रु०, (ग) स्थानीय विकास कार्य मण्डल को १० लाख रु०, (घ) त्रिचन्द्र कालेज के विकास के लिए २ लाख रु० और (ङ) राजदूत अपने निर्णय से जो अनुदान देते हैं उससे अब तक विभिन्न शिक्षा और डाक्टरी संस्थाओं को ४ लाख ४५ हजार रु० दिया गया।

(३) ये काम और सर्वे हुए : (क) त्रिदली करार के अन्तर्गत, सड़क बनाने के लिए २९८ मील तक दो फुटा रास्ता बना दिया गया है और २१० मील तक का सर्वे किया गया है। १६० मील तक जीप जाने योग्य और ७८ मील तक मोटरगाड़ी जाने योग्य सड़क बना दी गयी है, (ख) त्रिभुवन राजपथ की देखभाल की गयी और मार्च १९५९ से ८ मील २ फर्लांग तक डामर बिछा दिया गया है और १२ मील ३ फर्लांग तक सड़क पक्की कर दी गयी है, (ग) छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत, फेवाताल बांध की नींव में कंकरीट बिछा दी गयी है और अब वहां गारे-मिट्टी का काम हो रहा है। टीका भैरव योजना में हेडवर्क्स, नहर और रेगुलेटर बना दिए गए और नहरों का काम भी दो-तिहाई पूरा हो गया है। महादेव खोला का काम पूरा होने वाला है। लोअर विजयपुर नहर में हेडवर्क्स और गारे मिट्टी का काम पूरा हो गया है। खज सिंचाई योजना के अन्तर्गत, मुख्य नहर में हेडवर्क्स और गारे मिट्टी का काम पूरा हो गया है और गूलें बनाने का काम चल रहा है, (घ) धूली खेल, कर्की-मयाली और पंचमणे पानी सप्लाई योजनाएं पूरी हो गयी हैं, (ङ) त्रिशूली पन-बिजली योजना के अन्तर्गत बस्ती बनाने, बांध के लिए जमीन साफ करने और वहां तक जाने के लिए ५ मील लम्बी सड़क बनाने के ठेके दे दिए गए हैं, तथा यन्त्र-औजार, मशीनें आदि मंगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है, (च) भैरव, विराट-नगर पोखड़ा और सिमारा में हवाई पट्टियां बन रही हैं। नेपालगंज और जनकपुर में और हवाई अड्डे बनाने के लिए पड़ताल हो चुकी है, (छ) भूगर्भ सर्वे करने की योजना के अन्तर्गत वहां भारतीय भूगर्भ सर्वे के ५ भूगर्भशास्त्री काम कर रहे हैं और काठमाडू में भूगर्भ सर्वे की प्रयोगशाला में निरंतर काम हो रहा है, (ज) २०,३१८ मील का सर्वे हो चुका है और १३,३८० वर्गमील का नकशा तैयार हो गया है, और (झ) नेपाल के पहले आम चुनावों का वृत्तचित्र बनाया जा चुका है।

(४) शिक्षा, बागबानी और सामुदायिक योजनाओं के लिए और शिल्पिक सहायता दी गयी। नेपाली कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए ग्राम संस्था खोली गयी। ट्रेनिंग के बाद इन्हें गांव विकास खण्डों में नियुक्त किया जाएगा। आरम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास तथा नेत्रहीनों के लिए स्कूल खोलने की योजनाएं नेपाल सरकार को भेजी गयी हैं। त्रिभुवन आदर्श विद्यालय को पब्लिक स्कूल के समान बनाने के लिए २ लाख रु० देना स्वीकार किया गया। आदर्श महिला विद्यालय को भी १ लाख २४ हजार रु० देना स्वीकार किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि जो काम भारत सरकार को सौंपे गए, उन्हें तेजी से चलाने के लिए यहां से कुशल कर्मचारी भेजे गए हैं। यहां सिविल इंजीनियरी स्कूल और ग्राम संस्था में नेपाली छात्रों को शिक्षा दी जाती है, ताकि नेपाल को कारीगर मिल सकें।

उन्होंने कहा कि जो काम नेपाल सरकार स्वयं कर रही है, उनके लिए उसने विकास मण्डल बनाए हैं। भारत सरकार इन मण्डलों को कुशल कर्मचारी, धन और सामान देती है।

देहाती क्षेत्रों के बारे में योजना आयोग के सुझाव

गूलें बनाने का काम

योजना आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे कानून बनाकर पंचायतों को सिंचाई साधनों का उपयोग करने वालों से खेतों में गूलों की देखभाल कराने और सिंचाई के साधनों का भरपूर उपयोग कराने का अधिकार दें।

यदि सिंचाई साधनों का लाभ उठाने वाले लोग समय पर गूलें आदि नहीं बनाते, तो उन्हें पंचायतें बनाएं और बाद में लोगों से उनकी लागत वसूल करें। यदि पंचायतें भी यह काम न करें तो सरकार अथवा सरकार की ओर से खण्डों की पंचायत समितियां यह काम करें और बाद में लोगों से इसकी लागत वसूल करें।

देश के अधिकांश क्षेत्रों में गूलों आदि की देखभाल के लिए नियम हैं और वे मालगुजारी के खाते में दर्ज हैं। फिर भी इन नियमों को ठीक तरह से निश्चित करने और स्थानीय लोगों द्वारा उनका पालन कराने के लिए योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें सिंचाई और मेंड़ बांधने तथा भू-संरक्षण की योजनाओं के अन्तर्गत उन नियमों को मिलाकर एक कानून बनाएं।

बम्बई, मद्रास, आंध्र प्रदेश और मैसूर में ऐसे कानून हैं, जिनके अन्तर्गत छोटी सिंचाई के साधनों का उपयोग करने वालों के लिए इनकी देखभाल करना अनिवार्य है। यदि वे देखभाल, मरम्मत आदि नहीं करते तो उसे सरकार करती है और साधनों का उपयोग

करने वालों से उसकी लागत वसूल करनी है। बम्बई में खेतों तक गूलें बनाने के लिए १८७९ में कानून चल रहा है। केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश और मैसूर में कोई कानून तो नहीं है, पर सिंचाई साधनों का लाभ उठाने वालों से उम्मीद की जाती है कि वे खेतों तक गूलें बनाएंगे। उड़ीसा में हाल ही में एक कानून लागू हुआ है और मैसूर में भी कानून बनाया गया है। मेंड बांधने के बारे में भी बम्बई में कानून है। मद्रास में भी १९४९ में कानून बना जो आंध्र प्रदेश पर भी लागू होता है। उस कानून में अब संशोधन किया गया है और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। मैसूर में भी कानून लागू हो चुका है।

सिंचाई साधन

सिंचाई साधनों के लिए ये नियम हैं : बड़ी और मझोली सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत, जिन्हें सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, उन्हें निश्चित अवधि के अन्दर गूल बना देनी चाहिए और हर साल उनकी देखभाल तथा मरम्मत करनी चाहिए। छोटी सिंचाई के अन्तर्गत, सिंचाई का उपयोग करने वालों को नहरों को साफ करना चाहिए और जलाशयों की मरम्मत करते रहना चाहिए। यदि जलाशय की बहुत दिनों से देखभाल नहीं हुई तो उसकी मरम्मत सरकार करेगी अन्यथा उसका उपयोग करने वालों को ही उसकी मरम्मत आदि करनी चाहिए।

मेंड बांधने और भू-संरक्षण के लिए योजना आयोग ने ये सुझाव दिये हैं : सरकार को कानून के अन्तर्गत, नदी की तटबन्दी करने या कुछ गावों के लिए मेंड बांधने के लिए योजना तैयार करने और उसे चलाने का अधिकार होना चाहिए। योजना चलाने से पहले सरकार उसकी घोषणा करे, ताकि यदि कोई चाहे तो आपत्ति उठा सके। जो योजना एक से अधिक गावों के लिए है, उसका तथा नदी के किनारे मेंड लगाने का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। यदि योजना एक ही गाव के लिए है, तो गाव वालों से उसके खेतों के अनुपात से खर्च वसूल करना चाहिए। इसके लिए सरकार या सहकारी समिति उन्हें ऋण दे जिसे वह ५-१० वर्ष में वसूल करे। खेतों में मेंड बनाने आदि का काम वही करे, जिनके खेत हैं।

स्थानीय विकास-कार्यों का विस्तार

आयोजन आयोग ने राज्यों को कुछ ऐसे सुझाव भेजे हैं, जिनसे स्थानीय विकास कार्यों और गाव वालों की आमदनी बढ़ाने के काम बताए गए हैं। इन कामों से गावों में बेकार और गरीब लोगों को रोजगार मिल सकता है और गावों की अर्थ-व्यवस्था सुधर सकती है।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने अप्रैल १९५९ में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गावों में कुछ न्यूनतम सुविधाएं पैदा करने का विचार रखा था। ये सुविधाएं हैं : पीने के पानी की व्यवस्था, हर गाव को पास की बड़ी सड़क या रेल के स्टेशन से मिलाने के लिए सड़कें, हर गाव के लिए स्कूल की इमारत जिसका पंचायत आदि के लिए भी उपयोग हो सके और गावों में पुस्तकालयों का प्रबन्ध। इन कामों के लिए स्थानीय लोग श्रमदान करें तो सरकार भी कुछ सहायता दे सकती है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस तरह के कामों को और अधिक सहायता देने का विचार है, ताकि आगे चलकर ये सुविधाएं देश के सब गावों में हो सकें। आयोजन आयोग का कहना है कि शुरू में राज्य सरकारें पिछड़े और उन क्षेत्रों के लिए अधिक धन रखें, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि के अंतर्गत नहीं आते। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पिछड़े इलाकों के लिए इस मद की कुल राशि का १० प्रतिशत तक खर्च करें। आयोग का सुझाव है कि गावों में तालाब बनाने, ईंधन की लकड़ी के पेड़ लगाने, चरागाह छोड़ने और मछली पालने और पकड़ने जैसे कामों को हाथ में लिया जाए, जिससे व्यक्ति नहीं सारे गाव का लाभ हो। इसी प्रकार मुर्गे-मुर्गियां पालने और ग्रामोद्योग खड़े करने से भी गाव वालों को सामूहिक लाभ होगा। सम्बद्ध विभाग गाव वालों को शिल्पिक जानकारी दें और ऐसी कोशिश की जाए कि इस तरह के कामों से हर ग्राम पंचायत को कम से कम १ हजार रु० वार्षिक की आमदनी होने लगे।

ग्रामीण मजदूरों को काम

खेती की पैदावार बढ़ाने और सामाजिक सम्पत्ति के निर्माण के लिए अकुशल और अर्धकुशल ग्रामीण मजदूरों को निर्माण-कार्य में लगाने की परम आवश्यकता है। यह सुझाव योजना आयोग ने राज्यों को एक पत्र में दिया है। खेती के लिए दी गई नयी सुविधाओं का शीघ्र से शीघ्र लाभ उठाने के लिए ऐसे व्यापक कार्यक्रम बनाने जरूरी हैं, जिनसे मजदूरों को काम मिल सके। इसके लिए श्रम सहकारी समितियों के संगठन की सिफारिश की गई है।

राज्यों की सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, भूमि सुधार कार्यक्रम–निचली जमीन का पानी निकालने तथा ऊसर को उपजाऊ बनाने (जैसे लखनऊ के समीप बनथरा का फार्म)—और जंगल लगाने तथा भूमि संरक्षण तथा सड़क विकास योजनाओं में अकुशल और अर्धकुशल मजदूरों को काम मिल सकता है।

योजना आयोग की राय में काम पूरा हो जाने के बाद उसे किसानों पर बिल्कुल छोड़ देने की पुरानी परिपाटी को बदलना होगा। आज की बदली हुई परिस्थिति में यह बिल्कुल लाभदायक नहीं है। ऐसे निर्माण कार्यों के चार चरण हैं, जो एक-दूसरे से गुथे हुए हैं। इनका तारतम्य नहीं टूटना चाहिए। ये कार्य हैं : पानी इकट्ठा करने के लिए बांध का निर्माण; प्रत्येक गाव में सरलता से पानी पहुचाने के लिए नहरों और नालियों का निर्माण; यह कार्य इस प्रकार होना चाहिए कि खेतों की नालियां समय से बन जाएं, ताकि नहरों में पानी आते ही फसल की सिंचाई शुरू हो जाए; और खेती के तरीकों में ऐसे सुधार किए जाएं कि अधिक से अधिक पैदावार बढ़ायी जा सके। निर्माण-कार्य के प्रत्येक चरण की योजना और अमल में ऐसा सामजस्य होना चाहिए कि प्रभावशाली लाभ हो।

श्रम सहकारी समितियां

यदि इन योजनाओं के जरिये ग्रामीण मजदूरों को अधिक से अधिक काम देना है, तो काम लेने के मौजूदा तरीकों में कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि जहां तक सम्भव हो, ऐसे कार्य विकास खण्ड संगठनों, पंचायतों और गांव सभाओं के से किए जाएं। जहा मुमकिन हो, वहा अधिक श्रम सहकारी समितियां

ऐसी समितियां काम करने के औजारों की सप्लाई और विभाग से ठेके प्राप्त कर सकती हैं। विभिन्न गावों में मजदूरों की टुकड़ियां घरों से सुविधाजनक दूरी पर काम करने के लिए भेज सकती हैं।

सहकारी संगठन से कई लाभ होंगे। नहरों के निर्माण से गांव को बहुत धन मिलेगा, जो खेती की पैदावार बढ़ाने में काम आ सकता है। सहकारी आन्दोलन को बल मिलेगा। राज्यों को देहातियों में बचत और पूंजी लगाने की आदत डालने के लिए प्रबन्ध करना सम्भव होगा। ग्रामीणों में सहकार भावना प्रबल होगी और दूसरे क्षेत्रों में भी सहकारिता का प्रादुर्भाव होगा। ऐसे क्षेत्र राज्य के दूसरे भागों के लिए आदर्श उपस्थित करेंगे।

अपने सुझाव में आयोग ने कहा है कि निर्माण-कार्य ऐसे मौसमों में शुरू किए जाएं, जब ग्रामीण मजदूर दो फसलों के बीच बेकार बैठे हों। योजनाएं काफी पहले बनाई जाएं, ताकि विकास खण्ड संगठनों में आवश्यक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। सभी काम गांव वालों से कराए जाएं और मजदूरी गांव की दर से दी जाए। भारत सेवक समाज और अन्य सहकारियों का उपयोग किया जाए। विकास खण्ड में निर्माण कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी खंड अधिकारियों को सौंपी जाए। ठेकेदारों की जगह पर जहां ग्रामीणों को काम दिए जाएं, वहां काम पूरा करने के लिए औसत समय से अधिक दिया जाए। मजदूरी की भुगतान और काम का माप जल्दी किया जाए। यदि निर्माण-स्थल पर स्थानीय मजदूर न मिल सकें तो काम शुरू होने के पहले बाहर से मजदूर लाने का प्रबन्ध किया जाए। विकास खण्ड स्तर पर कुशल मजदूरों की छोटी टुकड़ी के संगठन के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है।

गांवों की जन-शक्ति का उपयोग

योजना आयोग ने राज्य सरकारों को खेती की पैदावार बढ़ाने और सामुदायिक सम्पत्ति की वृद्धि के लिए देहाती जन-शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव आयोग के एक परिपत्र में दिया गया है जो सभी राज्यों के पास भेजा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक देहात में विस्तृत निर्माण-कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

देश के अधिकांश भाग में खेती वर्षा पर निर्भर करती है। छोटे-छोटे और दूर-दूर होने के कारण खेतों में पैदावार कम होती है। इन कारणों से पूरे साल तक लगातार काम नहीं होता और काफी संख्या में अकुशल मजदूर महीनों बेकार बैठे रहते हैं। देश की बढ़ती हुई आबादी के कारण यह समस्या और भी जटिल होती जा रही है।

इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए यह जरूरी है कि जन-शक्ति के साधन का उचित उपयोग किया जाए। वैज्ञानिक ढंग की खेती की जाए और अवकाश के समय को दूसरे कामों में लगाया जाए ताकि देहाती क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विस्तार के लिए प्रमुख उपाय यह होना चाहिए कि खेती की खुदाई, जुताई आदि अधिकता से की जाए, सिंचाई और और सुधरे हुए तरीके अपनाए जाएं। मिली-जुली फसलों की खेती हो। देहातों में ऐसे उद्योग-धंधे शुरू किये जाएं, जो पास के नगरों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करें, लोगों को दूसरे काम-धंधों में लगाया जाए।

निर्माण-कार्यक्रम

जन-शक्ति का अधिक उपयोग करने के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक देहाती क्षेत्र में निर्माण के व्यापक कार्यक्रम बनाए जाएं। विकास खंड अपनी पंचवर्षीय योजना बनाते समय निर्माण के कार्यक्रम को सबसे अधिक महत्व दें। विकास खंड की योजना में प्रत्येक क्षेत्र के निर्माण कार्य होने चाहिए और इनमें प्रत्येक गांव के लिए योजना होनी चाहिए।

साधारणतया निर्माण-कार्य में ५ प्रकार के काम होंगे। राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं की योजनाएं, जिनमें अकुशल और अर्द्ध-कुशल मजदूरों से काम लिया जाए। दूसरे प्रकार के कार्यक्रम वे होंगे, जो समुदाय स्वयं पूरे करे। तीसरी श्रेणी में ऐसे कार्य शामिल हैं, जिनमें मेहनत-मजदूरी का काम स्थानीय जनता करे और सरकार कुछ सहायता करे। चौथे प्रकार का काम ऐसा होना चाहिए, जिसमें गांव समुदाय की पूंजी का निर्माण हो, ताकि उससे लाभ मिलता रहे और पांचवां पूरक कार्यक्रम होगा, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए होगा जहां काम-धंधे की व्यवस्था कम है।

मकानों के लिए जीवन बीमा निगम की ऋण योजना

जीवन बीमा निगम ने बीमाशुदा व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की एक योजना बनाई है। यह दो महीने के अन्दर चालू हो जाएगी। यह सूचना १९ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उप-मंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने दी।

उन्होंने योजना का ब्योरा सदन की मेज पर रखा। इसमें बताया गया है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और हैदराबाद में जो सम्पत्ति होगी, केवल उसी की जमानत पर ऋण दिया जाएगा।

ऋण के लिए अर्जी देने वाले जिस बीमा-शुदा व्यक्ति का बीमा अर्जी के दिन से ५ वर्ष पहले से चल रहा हो और जिसने सभी किश्तें (प्रीमियम) दे दी हों, तथा जिसकी पालिसी ऋण चुकाने की तारीख से पहले ही पूरी हो जाती हो, उसे इस योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जा सकता है। बीमा की कुल रकम और बोनस (यदि हो तो) मिलकर, कम से कम ऋण और उसके दसवें भाग के योग के बराबर होनी चाहिए। ऋण मिल जाने के बाद उस व्यक्ति को अपनी पालिसी निगम के नाम कर देनी होगी और वह व्यक्ति नियमित रूप से बीमे की किश्तें देता रहेगा।

यह ऋण खरीदी हुई या पट्टे पर ली हुई जमीन पर दिया जाएगा, परन्तु पट्टे की बाकी अवधि कम से कम ३० साल और होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, जिससे पट्टेदार को कुछ कार्रवाई करनी पड़े।

जमीन और मकान की कुल लागत का ७० प्रतिशत ऋण दिया जाएगा; बाकी ३० प्रतिशत खर्च ऋण लेने वाला उठाएगा। ऋण की रकम कम से कम २० हजार रु० और अधिक से अधिक १ लाख रु० होगी।

ऋण उस जमीन और मकान पर दिया जाएगा, जो बाद में तैयार होगा या तैयार हो रहा है। निगम समय-समय पर जमीन और निर्माण को मौके पर देखकर उस समय की लागत का अधिक से अधिक ७० प्रतिशत खर्च देगा। बंधकपत्र पर यह स्पष्ट लिखा रहेगा कि ऋण लेने वाला उस रकम को केवल मकान बनाने पर ही खर्च करेगा, अन्य कामों पर नहीं।

ऋण पर ७ प्रतिशत सालाना ब्याज लगेगा और यदि ऋण नियमित रूप से चुकाया जाए, तो आधा प्रतिशत छूट दी जाएगी।

ऋण अधिक से अधिक २० साल के लिए दिया जाएगा, परन्तु उस समय तक ऋण लेने वाले की उम्र ७० साल से अधिक नहीं हो जानी चाहिए।

ऋण लेने वाले को निगम द्वारा सहायता प्राप्त बीमा कम्पनी से सम्पत्ति का आग आदि का बीमा कराना होगा और उसे हर साल नया कराना होगा।

ऋण लेने वाले को निगम के मौके की जाँच टिकट, रजिस्ट्री आदि सभी चीजों का खर्च उठाना होगा।

अमरीका से एक कारखाने के लिए ऋण

वाशिंगटन के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ने गुड़गाव जिले (पंजाब) के बल्लभगढ़ में औद्योगिक कारखाना खोलने के लिए २ करोड़ रु० का ऋण देने का निर्णय किया है।

यह सूचना १९ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री, श्री बलिराम भगत ने दी।

उन्होंने कहा कि बैंक ने पी एल ४८० रुपया फण्ड में जो रकम व्यापारी कम्पनियों को उधार देने के लिए रखी है, उसमें से गुडइयर टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया (प्रायवेट) को ऋण देने की बात, बैंक ने सिद्धान्त रूप से मान ली है। यह ऋण भारत में जमीन खरीदने और रबर का सामान बनाने के कारखाने के लिए इमारत बनाने तथा भारतीय मशीनें खरीदने पर खर्च किया जाएगा। यह ऋण १५ फरवरी, १९६३ से पहले से ही १८ छमाही किस्तों में चुकाना शुरू किया जाएगा। इस पर ६ प्रतिशत सालाना ब्याज लगेगा, जो छमाही देना होगा।

भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट

कुछ विदेशी खुले बाजारों में भारतीय रुपये का मूल्य गिरा है। इसका कारण भारत सरकार की वह कार्रवाई है, जिसके कारण भारतीय नोटों का चोरी से विदेशों में जाना रुक गया है। यह रुपया सोने और अन्य पाबन्दी वाली चीजों के भारत में चोरी से लाने के बदले बाहर जाता था।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री बलिराम भगत ने २४ फरवरी को लोकसभा में दी।

उन्होंने बताया कि रुपये के मूल्य में भिन्न-भिन्न बाजारों में भिन्न-भिन्न अनुपात में गिरावट आई है। सिंगापुर में मई १९५९ से अब तक २८ प्रतिशत, हांगकांग में जनवरी १९६० में मई १९५९ से ३२ प्रतिशत, लंका और बर्मा में क्रमश १७ और १३ प्रतिशत गिरावट हुई है। न्यूयार्क में नाम मात्र की गिरावट आई है। लंका और बर्मा में गिरावट के बाद भी भारतीय रुपये का मूल्य खुले बाजार में सरकारी मूल्य से अधिक है। नेपाल में भारतीय रुपये का मूल्य ७.८ प्रतिशत घटा है।

रेल-डिब्बे में प्रदर्शनी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का प्रदर्शनी और सिनेमा दिखाने वाला रेल-डिब्बा ३० नवम्बर, १९५९ से १६ फरवरी, १९६० तक ३८ स्टेशनों पर घूम चुका है। यह सूचना १७ फरवरी को लोकसभा में डा० केसकर ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

डा० केसकर ने बताया कि छोटी लाइन पर भी इस प्रकार का एक सवारी-डिब्बा घुमाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

चलती-फिरती प्रदर्शनी-गाड़ियों के बारे में उन्होंने बताया कि इस तरह की ३ गाड़ियां विभिन्न जगहों पर घुमाई जा रही हैं। इन गाड़ियों में रेल के विभिन्न उपकरण दिखाए गए हैं। इनमें से एक गाड़ी जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में घूमेगी, अन्य दो, पूर्व और दक्षिण राज्यों के लिए भेजी गई हैं। ये गाड़ियां उन स्थानों पर जाएंगी, जहां से रेल-लाइन नहीं गुजरती है।

बम्बई में अवैध सोने की प्राप्ति

वित्त उप मंत्री, श्री बलिराम भगत ने १९ फरवरी को लोकसभा में बताया कि २६ दिसम्बर, १९५९ को बम्बई के प्रशिक्षण जहाज 'डफरिन' के कुछ नाविकों को नाव से अपने जहाज पर लौटते समय रोगन के तीन पीपे समुद्र में तैरते हुए दिखाई दिये। तीनों पीपे एक साथ बंधे थे। इन पीपों को खोलने पर इनमें १०-१० तोले की १०० छड़ें मिलीं। इन छड़ों पर किसी अन्य देश की मोहर है। सोने का मूल्य लगभग १ लाख ३० हजार रु० आंका गया है। सोने के मिलने की सूचना पाने पर बम्बई के तटकर अधिकारी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। उपमंत्री महोदय ने कहा कि इस मामले पर अभी कार्रवाई हो रही है। अतः सोना पाने वालों को पुरस्कार देने के बारे में अभी कार्रवाई नहीं की गई है।



साइकिलों और सिलाई की मशीनों का उत्पादन

दूसरी योजना में साइकिलों और सिलाई की मशीनों के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था, वह योजना की अवधि से एक वर्ष पहले ही पूरा हो गया है।

अन्य हल्के इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन से भी ऐसा लगता है कि योजना के लक्ष्य से बढ़कर नहीं तो कम से कम योजना के लक्ष्य के बराबर उत्पादन अवश्य बढ़ जाएगा।

योजना में १२.५ लाख साइकिलों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जबकि १९५९ में और छोटे कारखानों में लगभग १३ लाख साइकिलें बनीं। अब यह आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक देश में साइकिलों का उत्पादन बढ़कर १५ लाख हो जाएगा, जो योजना के लक्ष्य से २.५ लाख अधिक है।

पिछले कुछ वर्षों में साइकिल उद्योग की एक खास बात यह रही कि बाहर से मंगाए गए पुर्जों का कम से कम इस्तेमाल हुआ। समय केवल २ से ५ रु० तक की

पुर्जे प्रत्येक साइकिल में लगते हैं। निकट
व्य में इनका भी इस्तेमाल नहीं होगा और
जना के अन्त तक फ्री-व्हील, चेन, हब जैसे
जो अभी बाहर से भी मगाने पडते है, देश
ही पर्याप्त सख्या मे बनने लगेगे।

साइकिलो का निर्यात भी हाल मे बढा है।
भग एक वर्ष पहले तक साइकिलो का
र्यात नगण्य था। परन्तु पिछले कुछ महीनो
६ लाख रु० मूल्य की ६ हजार साइकिले
हर भेजी गई।

विकास परिषद ने तीसरी योजना के लिए
५ लाख साइकिलो के उत्पादन का लक्ष्य रखा
।

सिलाई की मशीनें

सिलाई की मशीनो के उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। अन्तिम सूचना के अनुसार १९५९ में सिलाई की ३ लाख मशीने बनाई गई। दूसरी योजना में, १९६०-६१ तक इतनी ही मशीनो के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था।

इस उद्योग की भी खास बात यह है कि अब मशीनो के सभी पुर्जे देश ही में बनाए जाते है। कुछ कारखानो को बाहर से मगाए गए पुर्जों का इस्तेमाल करना पडता है, परन्तु प्रत्येक मशीन में ८ से १० रु० तक कीमत के ही विदेशी पुर्जे लगते है। वास्तव में एक फर्म तो मशीन के सभी पुर्जे अपने आप बनाती है और विदेशी पुर्जों का इस्तेमाल नही होता।

देश में सिलाई की मशीनो की जितनी माग है, वह सब अब देश के उत्पादन से पूरी हो जाती है।

सिलाई की मशीनो का निर्यात भी बराबर बढा है। १९५८-५९ में ३० लाख रु० मूल्य की मशीनें बाहर भेजी गई, जबकि १९५५-५६ में ६ लाख ५० हजार रु० मूल्य की मशीनें बाहर भेजी गई थी।

विकास परिषद ने तीसरी योजना में ६ लाख सिलाई की मशीनो के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

अन्य उद्योग

अन्य हल्के इजीनियरी उद्योगो, जैसे टाइपराइटर, ब्लेड, घडियो और लालटेन का उत्पादन भी काफी बढा है। टाइपराइटरो का उत्पादन दूसरी योजना के दौरान में ही शुरू हुआ था। १९५९ में १९५६ के मुकाबले ७० प्रतिशत अधिक टाइपराइटर बने। यह अनुमान है कि १९६०-६१ तक टाइपराइटरो का उत्पादन बढकर ३५ हजार हो जाएगा।

ब्लेड

पिछले ८ वर्ष में ब्लेडो का उत्पादन १६ गुना बढा है। १९५९ में ३९ करोड़ ५० लाख ब्लेड बनाए गए, जबकि १९५१ मे २ करोड ५० लाख ब्लेड बनाए गए थे। यह आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक देश मे ६५ करोड ब्लेड बनने लगेगे।

घड़ी

कलाई घडी, दीवार घडी और अलार्म घडी बनाने के लिए अनेक नयी योजनाए स्वीकार की गई है और उन पर अमल किया जा रहा है। दो कारखाने इस समय बिजली से चलने वाली घडिया बनाते है। लीवर वाली घडिया बनाने की दो योजनाओं पर अमल हो रहा है। अलार्म घडिया बनाने की दो योजनाए स्वीकार की जा चुकी है और अन्य योजनाओं पर विचार हो रहा है। जहा तक कलाई घडियों का सबध है, कुछ फ्रासीसी फर्मों से मिल कर निजी क्षेत्र मे एक कारखाना स्थापित करने की योजना स्वीकार की जा चुकी है। एक जापानी फर्म की सहायता से सरकारी क्षेत्र में भी एक कारखाना खोलने की योजना तैयार हो रही है। इन दोनो योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ७ लाख घड़िया बनेगी।

नयी वस्तुओं का उत्पादन

सिलाई की मशीन की सुइया, हाथ की सिलाई की सुइया, इजेक्शन लगाने की सुइया और प्रेशर-कुकर जैसी अनेक नयी वस्तुओं का उत्पादन देश मे आरम्भ हो गया है और यह उत्पादन धीरे-धीरे बढ रहा है।

१९५९ में खनिज लोहे का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुमान के अनुसार, १९५९ में ७९ लाख ३ हजार मीट्रिक टन खनिज लोहे का उत्पादन हुआ। जबकि १९५८ में ६१ लाख ३० हजार मीट्रिक टन खनिज लोहा निकाला गया था। इस प्रकार १९५९ मे लगभग २९ प्रतिशत उत्पादन बढा।

उन सब राज्यो मे, जहा पर लोहे की खानें है, खनिज लोहे का उत्पादन बढा। बिहार में ३२,२९,००० मीट्रिक टन और उड़ीसा में २९,८१,००० मीट्रिक टन खनिज लोहा निकाला गया। इनके अलावा मैसूर में १०,२०,०००, मध्य प्रदेश में ४,१४,००० और बम्बई मे ३,११,००० मीट्रिक टन खनिज लोहा निकाला गया।

१९५९ में लोहा और इस्पात कारखानो को ५६ लाख ६२ हजार मीट्रिक टन खनिज लोहा भेजा गया। यह १९५८ से ६१ प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष २० लाख १२ हजार मीट्रिक टन खनिज लोहा निर्यात हुआ। यह १९५८ के निर्यात से ९ प्रतिशत अधिक है।

स्कूटरों का निर्माण

केन्द्रीय उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई शाह ने २४ फरवरी को राज्यसभा मे एक प्रश्न के उत्तर मे बताया कि सरकार दो और कम्पनियों को स्कूटर बनाने के लाइसेस देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही विदेशों से काफी सख्या में स्कूटरों के आयात के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

श्री शाह ने बताया कि विदेशी विनिमय के अभाव मे बाहर से पुर्जे न आने के कारण देश में आसानी से स्कूटर नही मिल रहे है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ महीनो मे कई उपाय किए है। उन्होंने बताया कि इस समय प्रति माह ९०० स्कूटर बन रहे है। इस साल के अप्रैल-मई मे जब एक और कारखाने में स्कूटर बनने लगेंगे तो इनकी सख्या प्रति मास १,५०० हो जाएगी। उत्पादन बढाने के लिए विदेशी विनिमय का प्रबन्ध किया जा रहा है, ताकि और अधिक पुर्जे आयात किए जा सकें।

रासायनिक और इंजीनियरी उद्योगों के लिए देशी कच्चा माल

२५ फरवरी को लोकसभा मे उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि चुने हुए रासायनिक तथा इजीनियरी उद्योगो के लिए विदेश मे मगाये जाने वाले कच्चे माल के स्थान पर देशी कच्चा माल इस्तेमाल करने के बारे मे सलाह देने के लिए सरकार ने सयुक्त राष्ट्र विशिष्ट सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत ७ विशेषज्ञो का एक दल भेजने का अनुरोध किया था।

श्री शाह ने बताया कि दल के नेता तथा एक अन्य सदस्य ने काम शुरू कर दिया है।

क्या आप जानते हैं ?

देश में आधुनिक मशीनों के निर्माण की प्रगति

● कोई कम उन्नत देश कितनी मशीनें और मशीनी औजार आदि बनाता है, इससे इस बात की जानकारी हो सकती है कि उसने आधुनिक शिल्प-विज्ञान में कितनी उन्नति की है। भारत अब खास और आम मशीनी औजार जैसे—खराद की मशीनें, बर्मे, पिसाई और रन्दा मशीनें आदि बनाने लगा है। हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना (बंगलौर) इस तरह की मशीनें बनाने वाले बड़े कारखानों में गिना जाता है। यहां की खराद मशीनों आदि में ९५ प्रतिशत भाग देशी ही लगते हैं। बर्मे आदि मशीनों में ८० प्रतिशत पुर्जे देशी इस्तेमाल होते हैं और इस साल से ९५ प्रतिशत होने लगेंगे।

● कुछ ही वर्ष पहले देश में सारी चीनी मिलों की मशीनरी बाहर से मंगायी जाती थी, लेकिन अब इन मशीनों के ८० प्रतिशत हिस्से भारत में ही बनते हैं। बिजली की मशीनों का निर्माण भी देश में बहुत बढ़ गया है। बिजली के ट्रान्सफार्मर, मोटर और स्विचगीयर देश में ही बनते हैं और भोपाल के भारी मशीनों के कारखाने के पूरे हो जाने पर, देश बिजली की हर तरह की मशीनें बनाने लग जाएगा।

● १९५३ में देश में विदेशी पुर्जों को जोड़कर ही मोटरगाड़ियां बनायी जाती थीं लेकिन आज भिन्न-भिन्न प्रकार की मोटरगाड़ियों के ५० से लेकर ७३ प्रतिशत तक हिस्से भारत में ही बनते हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह अनुपात ७५ से ८५ प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

● एक पूरी तरह स्वदेशी पेनिसिलीन कारखाना खड़ा करने का प्रयत्न किया गया है और आशा है इस साल के मध्य में यह कारखाना चालू हो जाएगा। इस कारखाने की सब मशीनें भारत में ही बनायी जा रही हैं।

● गंधक के तेजाब का उत्पादन देशों की औद्योगिक प्रगति का माप माना जाता है। भारत में, १९५१ में केवल १ लाख टन गंधक का तेजाब बनता था, जो १९५८ में बढ़कर २॥ लाख टन हो गया। तेजाब बनाने की सारी मशीनें पहले विदेशों से मंगानी पड़ती थीं, लेकिन हाल ही में ५० प्रतिशत मशीनें देश में ही बनने लगी हैं।

● सिन्दरी का रासायनिक खाद कारखाना विदेशी वैज्ञानिकों ने खड़ा किया था, लेकिन वहां काम करने वाले भारतीयों ने इस कारखाने में इतना अनुभव प्राप्त कर लिया है कि राउरकेला में बनने वाले रासायनिक खाद कारखाने की कुल १६ करोड़ रु० की लागत में से ८ करोड़ रु० का काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया है। इसी प्रकार दूसरे ८ करोड़ रु० के काम में से भी कम से कम ५ करोड़ रु० का काम भारतीय ही करेंगे।

● हिन्दुस्तान जहाज कारखाने ने अपने १२ वर्ष के जीवन में डीजल से चलने वाले आधुनिक ढंग के २८ मालवाही जहाज बनाकर मालिकों को दिये हैं। इनके अलावा तीन और जहाजों को नये सिरे से फिट किया गया है। चार जहाजों का निर्माण चालू है। इनमें से तीन ९॥-९॥ हजार टन के होंगे। इस जहाज कारखाने में यात्री और माल जहाजों के अलावा समुद्री पड़ताल करने वाले जहाज और कई तरह की नावें और जहाजों को खींचने वाले जहाज भी बने हैं।

● रेल डिब्बे बनाने वाले कारखाने में, जहां शुरू के डिब्बों में प्रति डिब्बा पीछे ३७ हजार रु० का कच्चा और दूसरी तरह का विदेशी सामान काम आता था, वहां अब केवल एक डिब्बे में १८ हजार रु० की विदेशी सामग्री लगती है। १९६०-६१ में इस्पात की प्लेटें और मिलने लगेंगी और तब तो, जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है, ये डिब्बे ९५ प्रतिशत स्वदेशी होंगे।

इस्पात कारखानों के इंजीनियरों का उच्च प्रशिक्षण

लोकसभा में १६ फरवरी को इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार स्वरन सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पिछले दो सालों में इस्पात कारखानों में काम करने वाले ४८४ इंजीनियरों को उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया। मंत्री महोदय ने बताया कि इन इंजीनियरों ने ब्रिटेन, अमरीका, रूस, प० जर्मनी और आस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग ली।

निर्यात के लिए कृषि उपज का वर्गीकरण

१९५९ में एगमार्क योजना के अंतर्गत निर्यात के लिए ३० करोड़ २२ लाख रु० की कृषि उपज का वर्गीकरण किया गया। १९५८ में २८ करोड़ ९३ लाख रु० की कृषि उपज का वर्गीकरण किया गया था।

इनमें सन, तम्बाकू, ऊन, सूअर के बाल, अगिनघास के तेल और चंदन के तेल का वर्गीकरण किया गया। कृषि उत्पादन (वर्गीकरण और चिन्हित करना) अधिनियम के अंतर्गत इन वस्तुओं के निर्यात से पहले इनका वर्गीकरण कराना आवश्यक है। वर्गीकरण का काम कृषि और खाद्य मंत्रालय का हाट व्यवस्था और निरीक्षण निदेशालय करता है।

१९५९ में ९८ लाख ५० हजार रु० के मूल्य की सन की ८२ हजार गांठें, १३ करोड़ १० लाख रु० की ९ करोड़ पौंड तम्बाकू की पत्ती, १ करोड़ ७० लाख रु० के ४ लाख ५४ हजार पौंड सूअर के बाल, १२ करोड़ ३६ लाख रु० की ४ करोड़ ७७ लाख पौंड ऊन, ९१ लाख ८० हजार रु० के २० लाख ३० हजार पौंड अगिनघास के तेल और १ करोड़ १५ लाख रु० के २ लाख १६ हजार पौंड चंदन के तेल का वर्गीकरण किया गया।

जबकि १९५८ में सन की ७० हजार गांठें और ३ करोड़ ६० लाख पौंड ऊन का वर्गीकरण हुआ था, १९५९ में सूअर के ७ हजार पौंड बालों और चंदन के ९ हजार पौंड अधिक तेल का वर्गीकरण हुआ।

जस्ते का आयात-कोटा

आयात व्यापार नियंत्रण सूचना में घोषणा की गई है कि भारत सरकार ने जस्ते का आयात-कोटा बढ़ा दिया है। पुराने आयातकों के लिए जनरल और साफ्ट, दोनों कोटे २०-२० प्रतिशत से बढ़ाकर ३०-३० प्रतिशत कर दिए गए हैं।

इस अतिरिक्त कोटे के लाइसेंस के लिए १० मार्च, १९६० तक बन्दरगाहों पर लाइसेंस देने वाले दफ्तरों के पास अर्जी भेज देनी चाहिए।

सोने का तस्कर व्यापार

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने १९५९ में ५३ लाख ३८ हजार ७६९ रु० मूल्य का ४७,५०७ तोले सोना और ३८ गिन्नियां पकड़ीं, जबकि सन् १९५८ में १ करोड़ ६ लाख ४० हजार ११३ रु० के मूल्य का १,०२,४६० तोला सोना ६ गिन्नियां पकड़ी गई थीं।

यह सूचना वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने १६ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि सोना तथा अन्य ऐसी सभी वस्तुओं का, जिनके आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध है, तस्कर व्यापार रोकने के लिए कानूनी और व्यावहारिक उपाय समय-समय पर किए जा चुके हैं।

इसके लिए, सीमा शुल्क अधिकारियों के जांच सम्बंधी अधिकार बढ़ा दिए गए हैं, जहाजों और हवाई जहाजों की खोज करनी आरम्भ कर दी गई है, तटवर्ती और सीमा-प्रान्तों में अचानक गश्त लगाना चालू कर दिया गया है और एक ऐसे यंत्र का उपयोग भी आरम्भ कर दिया गया है, जिसकी सहायता से सोना छिपाए हुए व्यक्ति का या चीज का पता लग जाता है। मंत्री महोदय ने आगे बताया कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत इस अपराध के लिए बड़ा जुर्माना देने और वस्तु कब्जे में लेने की भी व्यवस्था है। इन अपराधों के बारे में राजस्व खुफिया निदेशालय विशेष तत्परता से कार्रवाई करता है। सोने का तस्कर व्यापार बन्दरगाहों, हवाई-अड्डों तथा सौराष्ट्र के किनारों से और गोआ, दमन, प० पाकिस्तान, राजस्थान, बर्मा और पू० पाकिस्तान की सीमाओं पर विशेष प्रचलित है।

दस्तकारी की चीजों पर किस्म नियन्त्रण

अखिल भारतीय दस्तकारी मंडल द्वारा नियुक्त किस्म नियन्त्रण की शिल्प समिति की बैठक २६ फरवरी को नयी दिल्ली में हुई।

बैठक में जरी, कढ़े हुए बटुवे, पेटियां और झालर बनाने में काम आने वाले सुनहरी तार और कसीदाकारी के अन्य सामान की किस्में निर्धारित की गईं। सुनहरी तार और कसीदाकारी का सामान बनाने के प्रमुख केन्द्र सूरत में शीघ्र ही किस्म नियन्त्रण कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

तम्बाकू का निर्यात

लोकसभा में २२ फरवरी को वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५८ में लगभग १४ करोड़ ७० लाख रु० की १० करोड़ ६० लाख पौंड तम्बाकू निर्यात की गई। इतनी अधिक तम्बाकू किसी साल भी निर्यात नहीं की गई थी। जनवरी-नवम्बर, १९५९ तक १२ करोड़ ७५ लाख रु० के मूल्य की ८ करोड़ ३ लाख पौंड तम्बाकू निर्यात की गई।

तम्बाकू का निर्यात-व्यापार घटने न पाए, इसके लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे विदेश के बड़े-बड़े तम्बाकू व्यापारियों और महत्वपूर्ण सिगरेट कारखानों को विभिन्न प्रकार की तम्बाकू के नमूने भेजना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और मेले में भारतीय तम्बाकू का प्रदर्शन और दुतरफा व्यापार समझौतों में तम्बाकू को भी शामिल करना। इसके अलावा जर्मन लोगों की रुचि के अनुसार तम्बाकू पैदा करने के लिए जर्मनी के तम्बाकू विशेषज्ञों के सहयोग से यहां एक योजना भी चलाई जा चुकी है। इसके अलावा तम्बाकू के उत्पादन क्षेत्रों से बन्दरगाह तक रेल द्वारा तम्बाकू ले जाने को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री सतीश चन्द्र ने बताया कि तम्बाकू की किस्म में सुधार करने, दाम घटाने और पीली पत्ती की तम्बाकू का उत्पादन घटाने के लिए तम्बाकू विस्तार सेवा तथा अन्य अनुसंधान केन्द्रों और फार्मों की मार्फत प्रचार करने का विचार किया जा रहा है।

क्या आप जानते हैं ?

देश का निर्यात व्यापार

- पिछले साल देश से ६ अरब २६ करोड़ रु० का माल निर्यात किया गया था और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति सुधर जाने से, आशा है कि भारत दूसरी योजना की अवधि में लक्ष्य, अर्थात् ३० अरब रु० से अधिक का माल निर्यात करेगा।
- पिछले साल जुलाई से निर्यात व्यापार बराबर बढ़ रहा है और १९५९ के अंतिम महीने में यहां से ७१ करोड़ रु० का माल बाहर भेजा गया, जो अब तक के मासिक निर्यात से सबसे अधिक है।
- पिछले साल के पहले ११ महीनों में सबसे अधिक तेल की खली का निर्यात बढ़ा। जनवरी से नवम्बर १९५९ तक १६ करोड़ ६० लाख रु० की तेल की खली बाहर भेजी गई, अर्थात् जनवरी-नवम्बर १९५८ की तुलना में १० करोड़ ५० लाख रु० अधिक की खली भेजी गई।
- १९५९ में कमाया हुआ चमड़ा भी, १९५८ की तुलना में १० करोड़ ५० लाख रु० अधिक का, अर्थात् २८ करोड़ ७० लाख रु० का बाहर भेजा गया। विदेशों में कच्ची खाल और चमड़े की मांग बढ़ने के कारण १९५९ में ये चीजें भी ३ करोड़ रु० अधिक की भेजी गईं।
- १९५८ के मुकाबले १९५९ में, १५ करोड़ ३० लाख रु० अधिक का सूती कपड़ा निर्यात किया गया।
- बोरों का भाव गिरने के बावजूद १९५९ में लगभग १६ करोड़ रु० अधिक का पटसन का सामान बाहर भेजा गया।
- लोहे और इस्पात के टुकड़े भी ३ करोड़ रु० अधिक के, अर्थात् कुल ४ करोड़ रु० के भेजे गये। लोहे के ढांके देश में हाल ही में तैयार होने लगे हैं, फिर भी ये १ करोड़ रु० के निर्यात किये गये।
- सीमेंट का निर्यात भी हाल ही में शुरू हुआ है और १९५९ में लगभग १ करोड़ रु० का सीमेंट निर्यात किया गया।
- १९५९ में ५० लाख रु० के आलू बाहर भेजे गए। इससे पता चलता है कि यदि देश में और अधिक आलू उगाया जाए, तो इसका निर्यात बढ़ सकता है।
- चाय के निर्यात से देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। परन्तु १९५९ में १० करोड़ रु० कम मूल्य की चाय निर्यात हुई। अब दिसम्बर से इसका निर्यात फिर बढ़ने लगा है और इस महीने, नवम्बर से १ करोड़ ५० लाख रु० अधिक की चाय बाहर भेजी गई।
- यदि पिछले साल की ही तरह निर्यात होता रहा तो आशा है कि १९६१ में लगभग ७ अरब रु० का माल बाहर भेजा जाएगा।

समाचार

औद्योगिक सहकारी समितियां

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने २२ फरवरी को लोकसभा में बताया कि सरकार चुनी हुई औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास करना चाहती है। राज्यों में समितियों का चुनाव किया जा चुका है और १०१ चुनी हुई समितियों में विकास कार्यक्रम लागू हो गया है। राज्य सरकारों और सहकारी बैंकों की ओर से ५५ समितियों को २२ लाख रु० से अधिक ऋण दिया जा चुका है। इसके अलावा, २३ समितियों को ३ लाख ३० हजार रु० का अनुदान दिया गया है। सभी एजेंसियों के काम में समन्वय लाने के लिए ८ राज्यों में समितियां बनाई जा चुकी हैं।

श्री शाह ने बताया कि लघु उद्योग सेवा संस्था ने लगभग ६० समितियों को शिल्पिक सहायता दी और बाकी समितियों को जल्दी सहायता पहुंचाने के उपाय किये जा रहे हैं। इनमें से २६ समितियों को माल बेचने में सहायता पहुंचाई गई। इसमें सरकारी आर्डर लेने में मदद पहुंचाना भी शामिल है। १० समितियों को कच्चा माल प्राप्त करने में मदद पहुंचाई गई।

अखिल भारतीय सहकारी चीनी मिल गोष्ठी

तीसरी अखिल भारतीय सहकारी चीनी मिल गोष्ठी में, जो अभी हाल में नयी दिल्ली में हुई, यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि सहकारी चीनी मिलों का एक राष्ट्रीय संघ बनाया जाए। संघ का विधान तैयार करने के लिए ६ सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

गोष्ठी में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी चीनी मिलों द्वारा ३० लाख टन चीनी तैयार करने के लक्ष्य का स्वागत किया गया। आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सहकारी चीनी मिलों की संख्या २५ तक पहुंच जाएगी। सहकारी चीनी मिलों के उत्पादन, प्रबन्ध, उत्पादन-व्यय इत्यादि विषयों पर भी गोष्ठी में विचार किया गया।

तेल की खोज में पश्चिम जर्मनी का सहयोग

खान और तेल मंत्री, श्री केशवदेव ने १७ फरवरी को राज्यसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि देश में तेल निकालने के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भू-भौतिक उपकरण देने और वैज्ञानिक भेजने का जो निश्चय किया था, उसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि गंगा के मैदान में एक साल तक तेल संबंधी पड़ताल करने के लिए पश्चिम जर्मनी ने एक दल मय साज-सामान भेजा। इसका पूरा खर्च पश्चिम जर्मनी ही देगा, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग केवल वहां काम करने का खर्च उठाएगा।

भिलाई कारखाने के रूसी इंजीनियर की दुर्घटना में मृत्यु

२२ फरवरी को भिलाई इस्पात कारखाने के रूसी उप-मुख्य इंजीनियर, श्री एम० पी० पेत्रेन्को की कारखाने की बेलन मिल में दुर्घटना से मृत्यु हो गई और उनका शव हवाई जहाज से मास्को भेज दिया गया है।

दुर्घटना के समय श्री पेत्रेन्को रेल और ढांचा मिल में काम का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक इस्पात का एक भारी दरवाजा उनके ऊपर गिरा और वे उसके नीचे दब गये।

दुर्घटना की जांच के लिए आदेश दिया गया है।

खनिज सीसे-जस्ते का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार, भारत में १९५९ में १ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन खनिज सीसे-जस्ते का उत्पादन हुआ। यह उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में ३८ प्रतिशत अधिक है।

सारा उत्पादन राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जवार खानों से हुआ।

शुद्ध सीसा और जस्ता भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ। १९५९ में ६,४८८ मेट्रिक टन सीसा और ९,९७८ मेट्रिक टन जस्ता उपलब्ध हुआ, जबकि इससे पिछले वर्ष ५,३४१ मेट्रिक टन सीसा और ७,३९१ मेट्रिक टन जस्ता उपलब्ध हुआ था।



भिलाई में हड़ताल से नुकसान : इस्पात मंत्री का वक्तव्य

२५ फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार स्वरण सिंह ने भिलाई इस्पात कारखाने के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में निम्नलिखित वक्तव्य दिया :

मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि १७ और १८ फरवरी को भिलाई में मजदूरों की हड़ताल से कारखाने का काम बन्द रहा। बात यह है कि भिलाई इस्पात कामगर संघ के प्रधान मंत्री, श्री देवमरल दुबे ने कोक भट्टी क्षेत्र के पास १० फरवरी से भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने निर्माण-कार्य में लगे कुछ मजदूरों की छटनी की सम्भावना और मकान, पानी, सुरक्षा आदि की तथाकथित व्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की। १२ और १३ फरवरी को और फिर १६ तारीख को निर्माण-कार्य में लगे कुछ मजदूरों ने काम करना बन्द कर दिया लेकिन समझाने पर उन्होंने काम फिर शुरू कर दिया।

१७ फरवरी की सुबह स्थिति और ज्यादा बिगड़ गयी, जबकि मजदूरों की भीड़ ने एक इंजीनियर को घेर कर मजदूरी बढ़ाने, तरक्की दिलवाने आदि की मांग करनी शुरू की। इस पर इंजीनियर ने समझा बुझाकर मजदूरों को तितर-बितर करना चाहा, लेकिन मजदूरों ने उनके साथ धक्कामुक्की की और उनकी तथा एक अन्य जीप को आग लगा दी। इसके बाद अन्य कई स्थानों पर मजदूरों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और जिला मजिस्ट्रेट कुछ कांस्टेबलों के साथ पुलिस ... गये। फिर भी भीड़ पत्थर

... और कारखाने में काम करने वाले अन्य ...चारियों को तंग करना शुरू कर दिया। ... भट्ठियों में लोहा आदि ले जाने वाले ...ों को घेर लिया गया और फलस्वरूप ...ों धमन भट्ठियों का काम बन्द कर देना ...। इसी दिन शाम को रायपुर डिवीजन के ... वहां पहुंच गए और उन्होंने पुलिस ... इन्तजाम और मजबूत कर दिया।

१८ फरवरी की सुबह को स्थिति और भी ...ब हो गयी। साढ़े दस बजे और दोपहर के ... बिजलीघर में बहुत से आदमी इकट्ठे ... गए और तरल ईंधन के पाइप काट डाले तथा राख के पम्पघर पर कब्जा कर लिया। अतः बिजलीघर का सारा काम बन्द कर देना पड़ा। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने कारखाने के क्षेत्र में दफा १४४ लागू कर दी। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस को बेंत चलानी पड़ी और आंसू गैस छोड़नी पड़ी। अतः कुछ व्यक्तियों को चोट आई और ६० व्यक्ति पकड़े गये।

१८ फरवरी की शाम तक कारखाने की कोक भट्ठी, बिजलीघर और पहली धमन भट्ठी चालू हो गयी थी। कुछ देर बाद दूसरी धमन भट्ठी भी चालू हो गयी। सारी रात पुलिस वहां पहरा देती रही। तब से कोई अन्य वारदात नहीं हुई है और वहां स्थिति सामान्य है। इस गड़बड़ से कारखाने के उत्पादन को काफी धक्का लगा है। इस झगड़े से पहले प्रति दिन वहां करीब १,९५० टन लोहे के ढोके बनते थे, जबकि १७ फरवरी को केवल ६८० टन लोहे के ढोके बने। २० फरवरी से यह उत्पादन बढ़ना शुरू होने लगा है और आशा है कि आज या कल तक सामान्य उत्पादन होने लगेगा।

हड़ताल के दिनों में कारखाने में अमोनियम सल्फेट और गन्धक के तेजाब का तो कुछ भी उत्पादन न हुआ। १७ फरवरी को केवल २४० टन इस्पात बना और १८ तथा १९ तारीख को इस्पात का उत्पादन बन्द रहा। इससे पहले प्रतिदिन ७१० टन इस्पात बनता था। २० फरवरी को बहुत थोड़ा इस्पात बना। आशा है एक दो दिन में इस्पात का सामान्य उत्पादन शुरू हो जाएगा।

हो सकता है एकदम काम बन्द हो जाने के कारण कोक, धमन और भंजन एवं भट्ठियों को काफी नुकसान पहुंचा हो। किन्तु इसका पता तो कुछ समय बाद ही लग पाएगा। इसके अलावा कारखाने को अन्य कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है।

ऐसी हालत में सरकार के लिए जो करना उचित था, वह उसने किया। इस प्रकार के झगड़ों से देश को बहुत हानि होती है। मजदूरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन हिंसा पर उतर आना और गड़बड़ करना मजदूरों के लिए उचित नहीं था।

दमुआ कोयला खान दुर्घटना

मध्य प्रदेश के दमुआ कोयला खान में ५ जनवरी को जो दुर्घटना हुई थी, उसकी ओर ध्यान दिलाने पर श्रम मंत्री के संसदीय सचिव श्री एल० एन० मिश्र ने १७ फरवरी को लोकसभा में इस आशय का वक्तव्य दिया :

माननीय सदस्य जानते हैं कि ५ जनवरी, १९६० को दिन के लगभग १॥ बजे दमुआ कोयला खान में एक दुर्घटना हुई। यह खान मेसर्स कान्हन वैली कोल कम्पनी लि० की है और यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है।

खानों के अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक ने दुर्घटना की जांच की। ऐसा प्रतीत होता है कि पानी से भरी हुई गैलरी के निकट दूसरी गैलरी में कुछ काम किया जा रहा था, तभी दोनों गैलरियों के बीच की परत गिर गई और वहां पानी भर गया। इससे विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले १६ मजदूर मर गये। इस दुर्घटना के जिम्मेदार प्रबन्धक हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

खान जांचने वाले अधिकारियों ने अन्य खानों के प्रबन्धकों की सहायता से खान से पानी निकालना शुरू किया और १७ जनवरी को सुबह ९ बजे तक सभी मृत मजदूरों के शव मिल गए।

इस खान में लगभग २५० कर्मचारी थे। उन्हें अब अन्य जगह नौकरियां दे दी गई हैं।

मृत मजदूरों के परिवारों को खान कर्मचारी आवास सहायता कोष से १००-१०० रु० की सहायता दी गई। खान के प्रबन्धकों ने भी फौरन ही १६०० रु० की सहायता दी। कोयला खान मजदूर हितकारी कोष में भी १२ विधवाओं को दो साल तक १०-१० रु० महीना देने के लिए २,८८० रु० दिया गया है। मृत मजदूरों के स्कूल जाने वाले बच्चों को ३ साल तक ५-५ रु० मासिक छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया गया है। यह सहायता उसके अतिरिक्त है, जो खान-मालिक, मजदूर मुआवजा कानून के अन्तर्गत, मृत मजदूरों के उत्तराधिकारियों को देंगे।

बैंक-कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

भारत सरकार ने बैंक पंचाट आयोग (बैंक अवार्ड कमीशन) द्वारा बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को घटाने या बढ़ाने के बारे में सुझाई गई विधि में कुछ संशोधन किया है। संशोधित विधि के अनुसार हर तिमाही में रहन-सहन के अखिल भारतीय सूचक अंक के ५ अंक के न्यूनाधिक होने पर महंगाई भत्ता घटाया या बढ़ाया जाएगा। १९४४ के सूचक अंक को १०० मानकर, यह तुलना १४४ अंक से की जाएगी। बैंक पंचाट आयोग ने ६ महीने में १० अंक की घट-बढ़ के हिसाब से महंगाई भत्ते में घटबढ़ करने की सिफारिश की थी।

भारत सरकार का इस विधि में संशोधन करने का निर्णय सरकारी सूचना-पत्र में भी प्रकाशित हुआ है। सूचना में कहा गया है कि ३१ मार्च, १९५९ के बाद की जिस तिमाही में भी १४४ से सूचक अंक ५ अंक बढ़े या घटेगा, उसी के हिसाब से अगली तिमाही का महंगाई भत्ता बढ़ाया या घटाया जाएगा। क्लर्कों के लिए हर ५ अंक पर १/६ की घटबढ़ होगी और दूसरे छोटे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की २/३ की।

दिसम्बर १९५७ में स्टेट बैंक आफ इंडिया और इसके कर्मचारियों में समझौता होने के फलस्वरूप, बैंक पंचाट आयोग की बताई हुई विधि में संशोधन किया गया था और उसी समय ६ महीने में १० अंकों की घटबढ़ की बजाय ३ महीने में ५ अंकों की घटबढ़ के हिसाब से महंगाई भत्ते में घटबढ़ करने का निश्चय कर लिया गया था। बाद में अन्य बैंकों के कर्मचारियों ने भी इस बात की शिकायत की कि ६ महीने का समय बहुत अधिक है और ६ महीने के बाद महंगाई भत्ते में परिवर्तन करने से कर्मचारियों को ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी। १९५८ में भारत सरकार ने बैंक पंचाट

आयोग की सिफारिशों में संशोधन करने का निश्चय किया और ३१ दिसम्बर, १९५७ के बाद की किसी भी अवधि के महंगाई भत्ते में आयोग की सुझाई हुई सीमा के अन्दर किसी तरह से भी संशोधन करने का स्वतंत्र अधिकार ले लिया था।

मद्रास में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

मद्रास के तीन उद्योग-केन्द्रों में कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना लागू कर दी गई है और २१ फरवरी से पीलामेड़ पेरियानाय-कनपालयम्, सिवकाशी और राजपालयम् के क्षेत्रों के ८,२०० मजदूरों को इस योजना के लाभ मिलने शुरू हो गए हैं।

सिवकाशी और राजपालयम् में राज्य सरकार की ओर से अस्पताल खोले जाएंगे, जहां कारखानों के मजदूरों को चिकित्सा की सुविधाएं मिलेंगी। पेरियानायकनपालयम् और पीला-मेड़ में चिकित्सा का दूसरा प्रबन्ध होगा। कर्मचारियों को इस योजना के अधीन नकद सहायता देने के लिए कई कार्यालय खोले गए हैं।

कारखानों के मालिकों को अब इस योजना में अपने कारखाने के कुल वेतन-व्यय का १¼ प्रतिशत देना होगा, अब तक मालिकों को योजना को चलाने के लिए ¾ प्रतिशत देना पड़ता था।

कामदिलाऊ दफ्तरों में रजिस्टर्ड बेकार

पिछले साल दिसम्बर १९५८ के अन्त तक कामदिलाऊ दफ्तरों में ११ लाख ८३ हजार २०९ व्यक्तियों के नाम दर्ज थे, किन्तु दिसम्बर १९५९ के अन्त तक १४ लाख २० हजार ९०१ नाम वहां के रजिस्टरों में दर्ज थे। यह सूचना २५ फरवरी को लोकसभा में श्रम उपमंत्री, श्री आबिद अली ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

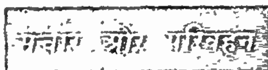
उन्होंने बताया कि १९५८ की अन्तिम तिमाही की अपेक्षा १९५९ की अन्तिम तिमाही में देश के विभिन्न कामदिलाऊ दफ्तरों में काम के उम्मीदवारों के नामों की संख्या में वृद्धि हुई। १९५८ की अन्तिम तिमाही में यह संख्या ५ लाख ७३ हजार ४०६ थी, जबकि १९५९ की तिमाही में यह संख्या बढ़कर ६ लाख १२ हजार ९८५ हो गयी।

दिसम्बर १९५९ में मजदूरों के व्यवहार की चीजों के मूल्य का सूचक अंक

भारत सरकार के श्रम कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, दिसम्बर १९५९ में मजदूरों के व्यवहार की वस्तुओं के मूल्य का सूचक अंक (१९४९ को आधार=१०० मानकर) ११ केन्द्रों में गिरा, २ केन्द्रों में बढ़ा और ३ केन्द्रों में पिछले सूचक अंक पर स्थिर रहा। तिनसुकिया और अकोला में सूचक अंक सबसे अधिक ३ अंक गिरा। दिल्ली, डेहरी-आन-सोन, बरहमपुर, गुवाहाटी, सिल्चर, अजमेर (अगस्त १९५१ से जुलाई १९५२ तक का आधार १०० मानकर) तथा नरेला (१९५३ का आधार=१०० मानकर) १-१ अंक गिरकर, क्रमशः ११९, ९९, ११६, ९९, १०८, १०३ और १०० रह गया।

इन सभी केन्द्रों में से ११ केन्द्रों में खाद्य-समूह का सूचक अंक गिरा, ईंधन और प्रकाश समूह का अंक २ केन्द्रों में गिरा और विविध सामग्रियों का सूचक अंक ३३ केन्द्रों में घटा।

झरिया का सूचक अंक २ अंक बढ़कर १०९ हो गया, जबकि मरकारा का सूचक अंक (आधार १९५३=१००) १ अंक बढ़कर १३१ हो गया। खाद्य-समूह का सूचक अंक दोनों केन्द्रों में बढ़ा और विविध सामग्रियों का सूचक अंक केवल झरिया में बढ़ा। जबलपुर, खड़गपुर और भोपाल में मूल्यों के सूचक अंक में बहुत थोड़ा हेरफेर हुआ और इन केन्द्रों के सूचक अंक क्रमशः १०८, ११६ और ११८ पर स्थिर रहे। जमशेदपुर और मुंगेर केन्द्रों के स्थायी सूचक अंक क्रमशः १२७ और ९१ पर रहे। दिसम्बर, १९५९ में अखिल भारतीय अस्थायी सूचक अंक २ अंक घटकर १२४ रह गया।



१९६०-६१ का रेल बजट

केन्द्रीय रेल मंत्री, श्री जगजीवनराम ने १७ फरवरी को लोकसभा में १९६०-६१ का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों आदि के कारण खर्च में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को पूरा करने के बाद मौजूदा रेल किराये तथा भाड़े के आधार पर अगले वर्ष में लगभग ४.५ करोड़ रु० की बचत होगी।

उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में बजट में २१.१९ करोड़ रु० की बचत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन संशोधित अनुमानों के अनुसार, यह बचत १८.७५ करोड़ रु० होगी। उन्होंने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाले लगभग २० करोड़ रु० के अतिरिक्त खर्च के लिए नये बजट में व्यवस्था कर दी गई है।

मंत्री महोदय ने कहा कि रेलों की बढ़ती हुई जिम्मेदारी के कारण यह आवश्यक हो गया है कि माल भाड़े की दरों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाएं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष पहली अप्रैल से आयात की जाने वाली खनिज वस्तुओं, सैनिक सामान, डाक और रेलों के अपने माल को छोड़कर बाकी सब माल तथा कोयले के भाड़े में प्रति रुपये पीछे ५ नये पैसे का पूरक चार्ज लगाया जाएगा। इस पूरक चार्ज से प्रति वर्ष १४ करोड़ रु० की आय का अनुमान है।

मंत्री महोदय ने ध्यान दिलाया कि माल भाड़ा चार्ज समिति ने सब प्रकार के माल पर १३ प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी, लेकिन १ अक्तूबर, १९५८ से माल भाड़े में केवल ४ प्रतिशत वृद्धि ही की गई थी।

रेल मंत्री ने बताया कि १९६०-६१ में यात्री यातायात से १२५.५० करोड़ रु० की आय का अनुमान है। यह आय पिछले वर्ष की यात्री-यातायात से हुई आय से १.४२ करोड़ रु० अधिक है। मौजूदा माल भाड़े की दरों पर माल यातायात से २९१ करोड़ रु० की का अनुमान है, जो चालू वर्ष के अनुमान से २७ करोड़ रु०

ार मौजूदा किराये-भाड़े की दरों के आधार १९६०-६१ में यातायात से ४५०.५० ोड़ रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है। ल भाड़े में जो पूरक चार्ज लगाया गया है, े लेकर ४६४.५० करोड़ रु० की कुल प्ति का अनुमान है।

बजट में साधारण संचालन पर ३२६.९० रोड़ रु० के व्यय का अनुमान है, जो चालू र्ष के संशोधित अनुमान से ३४.१८ करोड़ ० अधिक है। संचालन-व्यय में हुई इस वृद्धि वेतन आयोग की सिफारिशों को १ जुलाई, ९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक लागू करने ा होने वाली २०.१२ करोड़ रु० को तथा ल-भाड़ा जांच समिति की सिफारिश के अनुसार रेलों द्वारा पब्लिक कैरियर की तरह माल की जोखिम उठाने की जिम्मेदारी लेने के कारण खर्च में होने वाली १ करोड़ रु० की वृद्धि भी शामिल है।

रेलवे बजट एक दृष्टि में

(करोड़ रुपयों में)

	वास्तविक १९५८-५९	संशोधित अनुमान १९५९-६०	बजट अनुमान १९६०-६१
यातायात से कुल प्राप्ति	३९०.२१	४२२.०३	४६४.५०
साधारण संचालन व्यय	२७६.३३	२९१.९२	३२६.९०
शुद्ध विविध व्यय	९.४५	१५.७८	१६.८२
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के लिए विनियम	४५.००	४५.००	४५.००
चालित (वर्क्ड) लाइनों को भुगतान	०.११	०.०७	०.०८
जोड़	३३०.८९	३५२.७७	३८८.८०
शुद्ध रेलवे राजस्व	५९.३२	६९.२६	७५.७०
सामान्य राजस्व को लाभांश	५०.३९	५४.५१	५७.२७
शुद्ध बचत	८.९३	१४.७५	१८.४३

वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाले २० करोड़ रु० का अतिरिक्त खर्च भी इसमें शामिल है।

१९५८-५९ में लाभ-हानि

रेल मंत्री ने बताया कि १९५८-५९ में यात्री-यातायात से ३९०.२१ करोड़ रु० की कुल प्राप्ति हुई, जो संशोधित अनुमान से ४.१७ करोड़ रु० कम थी। आय में यह कमी मुख्यतः माल यातायात तथा थोड़ी-बहुत यात्री-यातायात में हुई। आय में कमी मुख्यतः आर्थिक स्थिति संबंधी कारणों से और अंशतः सड़क-यातायात से होड़ के कारण हुई।

शुद्ध बचत ८.९३ करोड़ रु० हुई, जबकि संशोधित अनुमान १३ करोड़ रु० का था। शुद्ध बचत में इस तरह ४.०७ करोड़ रु० की कमी हुई, जो आय में होने वाली कमी के लगभग बराबर थी। बचत की पूरी राशि विकास निधि में जमा कर दी गई।

दूसरी योजना की प्रगति

रेल मंत्री ने बताया कि दूसरी योजना में रेलों के लिए कुल ११२१.५० करोड़ रु० की राशि रखी गई है। इसमें से मार्च १९६० तक पूरे होने वाले ४ वर्षों में रेलें लगभग ८७२ करोड़ रु० खर्च कर लेंगी। आशा है कि शेष राशि दूसरी योजना के बाकी समय में पूरी खर्च हो जाएगी।

योजना के पहले चार वर्षों में किए गए काम का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि लगभग ७०० मील लम्बी पटरियां दोहरी की जा चुकी हैं और ६०० मील लम्बी नई लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन कामों में इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं को समुचित प्राथमिकता दी गई है। इस्पात तथा कोयला खानों के क्षेत्र में अनेक नई लाइनें बिछाई गई हैं, जिससे इस्पात कारखानों को समय पर कच्चा माल मिल सके।

लगभग ९०० मील लम्बी लाइनें बिछाने के लिए पड़ताल चल रही है।

बिजली की रेलें

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलों की दुर्गापुर-गया, आसनसोल-सिनी-टाटानगर-राउरकेला शाखाओं और राजखरस्वान-डोंगुआपोसी शाखा पर बिजली की रेलें चलाने का काम दूसरी योजना की अवधि में ही पूरा हो जाने की आशा है।

गया-मुगलसराय और खड़गपुर-टाटानगर शाखाओं पर बिजली सम्बन्धी सामान की सप्लाई के लिए जल्दी ही ठेके दे दिए जाएंगे। स्यालदा-रानाघाट और दमदम-बनगाव शाखाओं पर निर्माण का काम चल रहा है। इगतपुरी-भुसावल शाखा पर भी निर्माण-कार्य के लिए सर्वे किया जा रहा है। मद्रास-ताम्बरम्-विल्लुपुरम् शाखा पर ८० प्रतिशत निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और बिजली सम्बन्धी काम शुरू करने के लिए विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

यातायात बढ़ने की आशा

मंत्री महोदय ने कहा कि योजना के तीसरे वर्ष में आर्थिक विकास की गति में कुछ रुकावटें हुईं। लेकिन अब राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था फिर मजबूत दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भविष्य काफी आशाप्रद दिखाई देता है। इस सिलसिले में उन्होंने इस्पात के बढ़ते हुए उत्पादन और मुकामा के पास राजेन्द्र पुल खुलने तथा गुवाहाटी और बरौनी में दो नये तेल-शोधक कारखाने खुलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि आगामी वर्ष में रेलों को १ करोड़ ७० लाख टन अतिरिक्त माल ढोना पड़ेगा और इस प्रकार योजना के अन्त तक १ अरब ६ करोड़ २० लाख टन माल की ढुलाई का जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा हो जाएगा।

योजना के पहले तीन वर्षों के अन्त तक यात्री-यातायात में लगभग १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष में यातायात सबसे अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद है कि योजना के अन्त तक यात्री-यातायात में १५ प्रतिशत की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया था, यातायात उससे कहीं अधिक बढ़ जाएगा।

उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि दूसरी योजना में रेलों को जितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने का अधिकार दिया गया है, उसमें से लगभग १० करोड़ रु० की बचत होगी।

तीसरी योजना और रेलें

तीसरी योजना में रेलों के विकास के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के अनुसार यातायात की सुविधाओं में जितनी वृद्धि की आवश्यकता होगी, उसी के आधार पर रेलों के विकास की योजना बनाई जाएगी। अतएव जब तक कृषि और उद्योग के विकास के बारे में पूरी योजना नहीं बन जाती, तब तक रेलों की विकास योजना अनिश्चित ही रहेगी। उन्होंने बताया कि इस समय योजना आयोग इन बातों पर विचार कर रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा कि अपनी अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हमने बड़ी शीघ्रता से औद्योगिक प्रगति का उद्देश्य रखा है। हमारे इस प्रयत्न में भारी उद्योगों का सबसे अधिक महत्व है। इस बात को देखते हुए निस्सन्देह हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में रेल-यातायात का महत्व बना रहता है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के इस विकास में रेलों के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी, उसे पूरा करने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगी।

यातायात की स्थिति

१९५८-५९ में यातायात की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में कुछ सुस्ती का रुख रहने के कारण यातायात उतना नहीं बढ़ा, जितनी आशा थी, लेकिन चालू वर्ष में रुख अच्छा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के अन्त तक यातायात में १ करोड़ टन से कुछ अधिक वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यह वृद्धि १ करोड़ ४० लाख टन की अनुमानित वृद्धि से कम ही रहेगी। यह कमी मुख्यतः कोयले का उत्पादन कुछ घट जाने के कारण हुई है।

प्रति वैगन पीछे माल की ढुलाई की स्थिति सुधारने का काफी प्रयत्न किया गया है और केवल ३ प्रतिशत वैगन बढ़ा कर १९५८-५९ की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक यातायात हुआ है।

मंत्री महोदय ने व्यापारियों और औद्योगिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि उन्हें यह चाहिए कि जितने दिनों रेलों पर यातायात बहुत रहता है, उन दिनों वे धातुओं तथा कोयले आदि के स्टाक इतने जमा कर लें कि खाली दिनों में रेलें उनको ढो सकें और इस तरह माल ढोने की हमारी जो क्षमता है, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

गाड़ियों की रफ्तार और समय पर पहुंचना

रेल मंत्री ने कहा कि सभी रेलों पर माल-गाड़ियों की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। सुविधाएं और मिलने पर, गाड़ियों की रफ्तार रोकने वाले कारण दूर होने पर तथा रेल प्रशासन के निरन्तर प्रयास से भविष्य में गाड़ियों की रफ्तार और भी तेज होने की आशा है।

यात्री-गाड़ियों के समय से पहुंचने के बारे में रेल मंत्रालय बराबर ध्यान दे रहा है। अप्रैल से अक्तूबर १९५९ तक सभी रेलों में बड़ी लाइन की गाड़ियां ८२.९ प्रतिशत और छोटी लाइन की गाड़ियां ८१.८ प्रतिशत समय से पहुंचीं, जबकि पिछले वर्ष बड़ी लाइन की ७६.३ प्रतिशत गाड़ियां और छोटी लाइन की ७९ प्रतिशत गाड़ियां समय से पहुंची थीं।

इस्पात और कोयला क्षेत्रों में यातायात की समस्या को हल करने के लिए लम्बी और भारी माल ढोने के योग्य गाड़ियां शुरू किए जाने का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जैसे-जैसे उद्योग बढ़ेंगे, वैसे ही वैसे इस प्रकार की गाड़ियां और क्षेत्रों में भी चला दी जाएंगी।

१९५९-६० के संशोधित अनुमान

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के बारे में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले वर्ष के अन्त से यात्री-यातायात में जो वृद्धि शुरू हुई थी, वह इस वर्ष भी कायम रही है। यात्री-यातायात से १२४ करोड़ ८ लाख रु० की आय का संशोधित अनुमान है, जो बजट के अनुमान से ५ करोड़ ७८ लाख रु० अधिक है। इसके अतिरिक्त रेल विभाग की ओर से यात्री-गाड़ियों में खाने-पीने की व्यवस्था करने तथा अन्य साधनों से २ करोड़ ८० लाख रु० आय और बढ़ने का अनुमान है।

माल-यातायात से अब २६४ करोड़ रु० की आय आंकी गई है, जो बजट में अनुमानित २७२ करोड़ ५८ लाख रु० की आय से ८ करोड़ ५८ लाख रु० कम है। लेकिन यात्री-यातायात आदि से आय में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण ४२२ करोड़ ३ लाख रु० की कुल प्राप्ति के अनुमान में कोई फेरबदल नहीं की जाएगी।

चालू वर्ष में रेलों के साधारण संचालन पर बजट में २८३ करोड़ ७१ लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान ८ करोड़ २१ लाख रु० अधिक है। व्यय में हुई इस वृद्धि में से ६ करोड़ रु० की वृद्धि कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो अपरिहार्य थे, जैसे—पटरियों की मरम्मत, बाढ़ के कारण पुलों तथा अन्य चीजों की हानि, कोयले की कीमत में वृद्धि, अच्छी किस्म का कोयला न मिलने के कारण कोयले की खपत में वृद्धि आदि। मंत्री महोदय ने कहा कि खर्च पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखा जा रहा है और केवल ऐसे ही कामों में खर्च किया जाता है जो अनिवार्य हैं।

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में और वर्षों की तरह ४५ करोड़ रु० जमा किए गए हैं। इस प्रकार अब १४ करोड़ ७५ लाख बचत की आशा है। यह राशि विकास-निधि में जमा कर दी जाएगी। चालू वर्ष में निर्माण-कार्य, मशीन और चल-स्टाक पर खर्च का संशोधित अनुमान १९६ करोड़ १० लाख रु० है, जो बजट में स्वीकृत राशि से ३९ करोड़ ८ लाख रु० कम है।

मंत्री महोदय ने कहा कि १९६०-६१ के अन्त तक मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानतः लगभग ७१ करोड़ रु० होंगे। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि दूसरी योजना के शुरू में ९८

पर मौजूदा किराये-भाड़े की दरों के आधार पर १९६०-६१ में यातायात से ४५०.५० करोड़ रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है। माल भाड़े में जो पूरक चार्ज लगाया गया है, उसको लेकर ४६४.५० करोड़ रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है।

बजट में साधारण संचालन पर ३२६.९० करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से ३४.१८ करोड़ रु० अधिक है। संचालन-व्यय में हुई इस वृद्धि में वेतन आयोग की सिफारिशों को १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक लागू करने से होने वाली २०.१२ करोड़ रु० की तथा रेल-भाड़ा जांच समिति की सिफारिश के अनुसार रेलों द्वारा पब्लिक कैरियर की तरह माल की जोखिम उठाने की जिम्मेदारी लेने के कारण खर्च में होने वाली १ करोड़ रु० की वृद्धि भी शामिल है।

१९५८-५९ में लाभ-हानि

रेल मंत्री ने बताया कि १९५८-५९ में यात्री-यातायात से ३९०.२१ करोड़ रु० की कुल प्राप्ति हुई, जो संशोधित अनुमान से ४.१७ करोड़ रु० कम थी। आय में यह कमी मुख्यतः माल यातायात तथा थोड़ी-बहुत यात्री-यातायात में हुई। आय में कमी मुख्यतः आर्थिक स्थिति संबंधी कारणों से और अंशतः सड़क-यातायात से होड़ के कारण हुई।

शुद्ध बचत ८.९३ करोड़ रु० हुई, जबकि संशोधित अनुमान १३ करोड़ रु० का था। शुद्ध बचत में इस तरह ४.०७ करोड़ रु० की कमी हुई, जो आय में होने वाली कमी के लगभग बराबर थी। बचत की पूरी राशि विकास निधि में जमा कर दी गई।

दूसरी योजना की प्रगति

रेल मंत्री ने बताया कि दूसरी योजना में रेलों के लिए कुल ११२१.५० करोड़ रु० की राशि रखी गई है। इसमें से मार्च १९६० तक पूरे होने वाले ४ वर्षों में रेलें लगभग ८७२ करोड़ रु० खर्च कर लेंगी। आशा है कि शेष राशि दूसरी योजना के बाकी समय में पूरी खर्च हो जाएगी।

योजना के पहले चार वर्षों के लिए गए काम का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि लगभग ७०० मील लम्बी पटरियां

रेलवे बजट एक दृष्टि में

(करोड़ रुपयों में)

	वास्तविक १९५८-५९	संशोधित अनुमान १९५९-६०	बजट अनुमान १९६०-६१
यातायात से कुल प्राप्ति	३९०.२१	४२२.०३	४६४.५०
साधारण संचालन व्यय	२७६.३३	२९१.९२	३२६.९०
शुद्ध विविध व्यय	९.४५	१५.७८	१६.८२
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के लिए विनियम	४५.००	४५.००	४५.००
चालित (वर्क्ड) लाइनों को भुगतान	०.११	०.०७	०.०८
जोड़	३३०.८९	३५२.७७	३८८.८०
शुद्ध रेलवे राजस्व	५९.३२	६९.२६	७५.७०
सामान्य राजस्व को लाभांश	५०.३९	५४.५१	५७.२७
शुद्ध बचत	८.९३	१४.७५	१८.४३

वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाले २० करोड़ रु० का अतिरिक्त खर्च भी इसमें शामिल है।

दोहरी की जा चुकी है और ६०० मील लम्बी नई लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन कामों में इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं को समुचित प्राथमिकता दी गई है। इस्पात तथा कोयला खानों के क्षेत्र में अनेक नई लाइनें बिछाई गई हैं, जिससे इस्पात कारखानों को समय पर कच्चा माल मिल सके।

लगभग ९०० मील लम्बी लाइनें बिछाने के लिए पड़ताल चल रही है।

बिजली की रेलें

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलों की दुर्गापुर-गया, आसनसोल-सिनी-टाटानगर-राउरकेला शाखाओं और राजखरस्वान-डोंगुआपोसी शाखा पर बिजली की रेलें चलाने का काम दूसरी योजना की अवधि में ही पूरा हो जाने की आशा है।

गया-मुगलसराय और खड़गपुर-टाटानगर शाखाओं पर बिजली सम्बन्धी सामान की सप्लाई के लिए जल्दी ही ठेके दे दिए जाएंगे। स्यालदा-रानाघाट और दमदम-बोंगांव शाखाओं पर निर्माण का काम चल रहा है। इगतपुरी-भुसावल शाखा पर भी निर्माण-कार्य के लिए म॰ किया जा रहा है। मद्रास-ताम्बरम्-विल्लुपुरम् शाखा पर ८० प्रतिशत निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और बिजली सम्बन्धी काम शुरू करने के लिए विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

यातायात बढ़ने की आशा

मंत्री महोदय ने कहा कि योजना के तीसरे वर्ष में आर्थिक विकास की गति में कुछ रुकावट हुई। लेकिन अब राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था फिर मजबूत दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भविष्य काफी आशाप्रद दिखाई देता है। इस सिलसिले में उन्होंने इस्पात के बढ़ते हुए उत्पादन और मुकामा के पास राजेन्द्र पुल खुलने तथा गुवाहाटी और बरौनी में दो नये तेल-शोधक कारखाने खुलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि आगामी वर्ष में रेलों को १ करोड़ ७० लाख टन अतिरिक्त माल ढोना पड़ेगा और इस प्रकार योजना के अन्त तक १ अरब ६ करोड़ २० लाख टन माल की ढुलाई का जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा हो जाएगा।

योजना के पहले तीन वर्षों के अन्त तक यात्री-यातायात में लगभग १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष में यातायात सबसे अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद है कि योजना के अन्त तक यात्री-यातायात में १५ प्रतिशत की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया था, यातायात उससे कहीं अधिक बढ़ जाएगा।

उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि दूसरी योजना में रेलों को जितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने का अधिकार दिया गया है, उसमें से लगभग ९० करोड़ रु० की बचत होगी।

तीसरी योजना और रेलें

तीसरी योजना में रेलों के विकास के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के अनुसार यातायात की सुविधाओं में जितनी वृद्धि की आवश्यकता होगी, उसी के आधार पर रेलों के विकास की योजना बनाई जाएगी। अतएव जब तक कृषि और उद्योग के विकास के बारे में पूरी योजना नहीं बन जाती, तब तक रेलों की विकास योजना अनिश्चित ही रहेगी। उन्होंने बताया कि इस समय योजना आयोग इन बातों पर विचार कर रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा कि अपनी अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हमने बड़ी शीघ्रता से औद्योगिक प्रगति का उद्देश्य रखा है। हमारे इस प्रयत्न में भारी उद्योगों का सबसे अधिक महत्व है। इस बात को देखते हुए निस्सन्देह हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में रेल-यातायात का महत्व बना रहता है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के इस विकास में रेलों के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी, उसे पूरा करने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगी।

यातायात की स्थिति

१९५८-५९ में यातायात की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में कुछ सुस्ती का रुख रहने के कारण यातायात उतना नहीं बढ़ा, जितनी आशा थी, लेकिन चालू वर्ष में रुख अच्छा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के अन्त तक यातायात में १ करोड़ टन से कुछ अधिक वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यह वृद्धि १ करोड़ ८० लाख टन की अनुमानित वृद्धि से कम ही रहेगी। यह कमी मुख्यतः कोयले का उत्पादन कुछ घट जाने के कारण हुई है।

प्रति वैगन पीछे माल की ढुलाई की स्थिति सुधारने का काफी प्रयत्न किया गया है और केवल ३ प्रतिशत वैगन बढ़ा कर १९५८-५९ की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक यातायात हुआ है।

मंत्री महोदय ने व्यापारियों और औद्योगिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि उन्हें यह चाहिए कि जितने दिनों रेलों पर यातायात बहुत रहता है, उन दिनों वे धातुओं तथा कोयले आदि के स्टाक इतने जमा कर लें कि खाली दिनों में रेलें उनको ढो सकें और इस तरह माल ढोने की हमारी जो क्षमता है, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

गाड़ियों की रफ्तार और समय पर पहुंचना

रेल मंत्री ने कहा कि सभी रेलों पर माल-गाड़ियों की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। सुविधाएं और मिलने पर, गाड़ियों की रफ्तार रोकने वाले कारण दूर होने पर तथा रेल प्रशासन के निरन्तर प्रयास से भविष्य में गाड़ियों की रफ्तार और भी तेज होने की आशा है।

यात्री-गाड़ियों के समय से पहुंचने के बारे में रेल मंत्रालय बराबर ध्यान दे रहा है। अप्रैल से अक्तूबर १९५९ तक सभी रेलों में बड़ी लाइन की गाड़ियां ८२.९ प्रतिशत और छोटी लाइन की गाड़ियां ८१.८ प्रतिशत समय से पहुंची, जबकि पिछले वर्ष बड़ी लाइन की ७६.३ प्रतिशत गाड़ियां और छोटी लाइन की ७९ प्रतिशत गाड़ियां समय से पहुंची थीं।

इस्पात और कोयला क्षेत्रों में यातायात की समस्या को हल करने के लिए लम्बी और भारी माल ढोने के योग्य गाड़ियां शुरू किए जाने का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जैसे-जैसे उद्योग बढ़ेंगे, वैसे ही वैसे इस प्रकार की गाड़ियां और क्षेत्रों में भी चला दी जाएंगी।

१९५९-६० के संशोधित अनुमान

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के बारे में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले वर्ष के अन्त से यात्री-यातायात में जो वृद्धि शुरू हुई थी, वह इस वर्ष भी कायम रही है। यात्री-यातायात से १२८ करोड़ ८ लाख रु० की आय का संशोधित अनुमान है, जो बजट के अनुमान से ५ करोड़ ७८ लाख रु० अधिक है। इसके अतिरिक्त रेल विभाग की ओर से यात्री-गाड़ियों में खाने-पीने की व्यवस्था करने तथा अन्य साधनों से २ करोड़ ८० लाख रु० आय और बढ़ने का अनुमान है।

माल-यातायात से अब २६४ करोड़ रु० की आय आंकी गई है, जो बजट में अनुमानित २७२ करोड़ ५८ लाख रु० की आय से ८ करोड़ ५८ लाख रु० कम है। लेकिन यात्री-यातायात आदि से आय में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण ४२२ करोड़ ३ लाख रु० की कुल प्राप्ति के अनुमान में कोई फेरबदल नहीं की जाएगी।

चालू वर्ष में रेलों के साधारण सचालन पर बजट में २८३ करोड़ ७१ लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान ८ करोड़ २१ लाख रु० अधिक है। व्यय में हुई इस वृद्धि में से ६ करोड़ रु० की वृद्धि कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो अपरिहार्य थे, जैसे—पटरियों की मरम्मत, बाढ़ के कारण पुलों तथा अन्य चीजों की हानि, कोयले की कीमत में वृद्धि, अच्छी किस्म का कोयला न मिलने के कारण कोयले की खपत में वृद्धि आदि। मंत्री महोदय ने कहा कि खर्च पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखा जा रहा है और केवल ऐसे ही कामों में खर्च किया जाता है जो अनिवार्य हैं।

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में और वर्षों की तरह ४५ करोड़ रु० जमा किए गए हैं। इस प्रकार अब १४ करोड़ ७५ लाख बचत की आशा है। यह राशि विकास-निधि में जमा कर दी जाएगी। चालू वर्ष में निर्माण-कार्य, मशीन और चल-स्टाक पर खर्च का संशोधित अनुमान १९६ करोड़ १० लाख रु० है, जो बजट में स्वीकृत राशि से ३९ करोड़ ८ लाख रु० कम है।

मंत्री महोदय ने कहा कि १९६०-६१ के अन्त तक मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानतः लगभग ७१ करोड़ रु० होंगे। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि दूसरी योजना के शुरू में ९८

ार मौजूदा किराये-भाड़े की दरों के आधार . १९६०-६१ में यातायात से ४५०.५० रोड़ रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है। ाल भाड़े में जो पूरक चार्ज लगाया गया है, सको लेकर ४६४.५० करोड़ रु० की कुल ाप्ति का अनुमान है।

बजट में साधारण संचालन पर ३२६.९० ेड़ रु० के व्यय का अनुमान है, जो चालू र्ष के संशोधित अनुमान से ३४.१८ करोड़ ० अधिक है। संचालन-व्यय में हुई इस वृद्धि वेतन आयोग की सिफारिशों को १ जुलाई, ९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक लागू करने ा होने वाली २०.१२ करोड़ रु० की तथा ल-भाड़ा जांच समिति की सिफारिश के नुसार रेलों द्वारा पब्लिक कैरियर की तरह . की जोखिम उठाने की जिम्मेदारी लेने ा कारण खर्च में होने वाली १ करोड़ रु० की वृद्धि भी शामिल है।

रेलवे बजट एक दृष्टि में

(करोड़ रुपयों में)

	वास्तविक १९५८-५९	संशोधित अनुमान १९५९-६०	बजट अनुमान १९६०-६१
यातायात से कुल प्राप्ति	३९०.२१	४२२.०३	४६४.५०
साधारण संचालन व्यय	२७६.३३	२९१.९२	३२६.९०
शुद्ध विविध व्यय	९.४५	१५.७८	१६.८२
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के लिए विनियम	४५.००	४५.००	४५.००
चालित (वर्क्ड) लाइनों को भुगतान	०.११	०.०७	०.०८
जोड़	३३०.८९	३५२.७७	३८८.८०
शुद्ध रेलवे राजस्व	५९.३२	६९.२६	७५.७०
सामान्य राजस्व को लाभांश	५०.३९	५४.५१	५७.२७
शुद्ध बचत	८.९३	१४.७५	१८.४३

वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाले २० करोड़ रु० का अतिरिक्त खर्च भी इसमें शामिल है।

१९५८-५९ में लाभ-हानि

रेल मंत्री ने बताया कि १९५८-५९ में यात्री-यातायात से ३९०.२१ करोड़ रु० की कुल प्राप्ति हुई, जो संशोधित अनुमान से ४.१७ करोड़ रु० कम थी। आय में यह कमी मुख्यतः माल यातायात तथा थोड़ी-बहुत यात्री-यातायात में हुई। आय में कमी मुख्यतः आर्थिक स्थिति संबंधी कारणों से और अंशतः सड़क-यातायात से होड़ के कारण हुई।

शुद्ध बचत ८.९३ करोड़ रु० हुई, जबकि संशोधित अनुमान १३ करोड़ रु० का था। शुद्ध बचत में इस तरह ४.०७ करोड़ रु० की कमी हुई, जो आय में होने वाली कमी के लगभग बराबर थी। बचत की पूरी राशि विकास निधि में जमा कर दी गई।

दूसरी योजना की प्रगति

रेल मंत्री ने बताया कि दूसरी योजना में रेलों के लिए कुल ११२१.५० करोड़ रु० की राशि रखी गई है। इसमें से मार्च १९६० तक पूरे होने वाले ४ वर्षों में रेलें लगभग ८७२ करोड़ रु० खर्च कर लेंगी। आशा है कि शेष राशि दूसरी योजना के बाकी समय में पूरी खर्च हो जाएगी।

योजना के पहले चार वर्षों में किए गए काम का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि लगभग ७०० मील लम्बी पटरियां दोहरी की जा चुकी हैं और ६०० मील लम्बी नई लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन कामों में इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं को समुचित प्राथमिकता दी गई है। इस्पात तथा कोयला खानों के क्षेत्र में अनेक नई लाइनें बिछाई गई हैं, जिनसे इस्पात कारखानों को समय पर कच्चा माल मिल सके।

लगभग ९०० मील लम्बी लाइनें बिछाने के लिए पड़ताल चल रही है।

बिजली की रेलें

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलों की दुर्गापुर-गया, आसनसोल-सिनी-टाटानगर-राउरकेला शाखाओं और राजखरस्वान-डोंगुआपोसी शाखा पर बिजली की रेलें चलाने का काम दूसरी योजना की अवधि में ही पूरा हो जाने की आशा है।

गया-मुगलसराय और खड़गपुर-टाटानगर शाखाओं पर बिजली सम्बन्धी सामान की सप्लाई के लिए जल्दी ही ठेके दे दिए जाएंगे। स्यालदा-रानाघाट और दमदम-बोनगांव शाखाओं पर निर्माण का काम चल रहा है। इगतपुरी-भुसावल शाखा पर भी निर्माण-कार्य के लिए स[illegible] किया जा रहा है। मद्रास-ताम्बरम्-विल्लुपुरम् शाखा पर ८० प्रतिशत निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और बिजली सम्बन्धी काम शुरू करने के लिए विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

यातायात बढ़ने की आशा

मंत्री महोदय ने कहा कि योजना के तीसरे वर्ष में आर्थिक विकास की गति में कुछ रुकावटें हुईं। लेकिन अब राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था फिर मजबूत दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भविष्य काफी आशाप्रद दिखाई देता है। इस सिलसिले में उन्होंने इस्पात के बढ़ते हुए उत्पादन और मुकामा के पास राजेन्द्र पुल खुलने तथा गुवाहाटी और बरौनी में दो नये तेल-शोधक कारखाने खुलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि आगामी वर्ष में रेलों को १ करोड़ ७० लाख टन अतिरिक्त माल ढोना पड़ेगा और इस प्रकार योजना के अन्त तक १ अरब ८ करोड़ २० लाख टन माल की ढुलाई का जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा हो जाएगा।

योजना के पहले तीन वर्षों के अन्त तक यात्री-यातायात में लगभग १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष में यातायात सबसे अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद है कि योजना के अन्त तक यात्री-यातायात में १५ प्रतिशत की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया था, यातायात उससे कहीं अधिक बढ़ जाएगा।

उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि दूसरी योजना में रेलों को जितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने का अधिकार दिया गया है, उसमें से लगभग ९.० करोड़ रु० की बचत होगी।

तीसरी योजना और रेलें

तीसरी योजना में रेलों के विकास के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के अनुसार यातायात की सुविधाओं में जितनी वृद्धि की आवश्यकता होगी, उसी के आधार पर रेलों के विकास की योजना बनाई जाएगी। अतएव जब तक कृषि और उद्योग के विकास के बारे में पूरी योजना नहीं बन जाती, तब तक रेलों की विकास योजना अनिश्चित ही रहेगी। उन्होंने बताया कि इस समय योजना आयोग इन बातों पर विचार कर रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा कि अपनी अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हमने बड़ी शीघ्रता से औद्योगिक प्रगति का उद्देश्य रखा है। हमारे इस प्रयत्न में भारी उद्योगों का सबसे अधिक महत्व है। इस बात को देखते हुए निस्सन्देह हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में रेल-यातायात का महत्व बना रहता है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के इस विकास में रेलों के ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी, उसे पूरा करने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाएगी।

यातायात की स्थिति

१९५८-५९ में यातायात की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में कुछ सुस्ती का रुख रहने के कारण यातायात उतना नहीं बढ़ा, जितनी आशा थी, लेकिन चालू वर्ष में रुख अच्छा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के अन्त तक यातायात में १ करोड़ टन से कुछ अधिक वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यह वृद्धि १ करोड़ ८० लाख टन की अनुमानित वृद्धि से कम ही रहेगी। यह कमी मुख्यतः कोयले का उत्पादन कुछ घट जाने के कारण हुई है।

प्रति वैगन पीछे माल की ढुलाई की स्थिति सुधारने का काफी प्रयत्न किया गया है और केवल ३ प्रतिशत वैगन बढ़ा कर १९५८-५९ की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक यातायात हुआ है।

मंत्री महोदय ने व्यापारियों और औद्योगिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि उन्हें यह चाहिए कि जितने दिनों रेलों पर यातायात बहुत रहता है, उन दिनों वे धातुओं तथा कोयले आदि के स्टाक इतने जमा कर लें कि खाली दिनों में रेलें उनको ढो सकें और इस तरह माल ढोने की हमारी जो क्षमता है, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

गाड़ियों की रफ्तार और समय पर पहुंचना

रेल मंत्री ने कहा कि सभी रेलों पर माल-गाड़ियों की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। सुविधाएं और मिलने पर, गाड़ियों की रफ्तार रोकने वाले कारण दूर होने पर तथा रेल प्रशासन के निरन्तर प्रयास से भविष्य में गाड़ियों की रफ्तार और भी तेज होने की आशा है।

यात्री-गाड़ियों के समय से पहुंचने के बारे में रेल मंत्रालय बराबर ध्यान दे रहा है। अप्रैल से अक्तूबर १९५९ तक सभी रेलों में बड़ी लाइन की गाड़ियां ८२.९ प्रतिशत और छोटी लाइन की गाड़ियां ८१.८ प्रतिशत समय से पहुंची, जबकि पिछले वर्ष बड़ी लाइन की ७६.३ प्रतिशत गाड़ियां और छोटी लाइन की ७९ प्रतिशत गाड़ियां समय से पहुंची थी।

इस्पात और कोयला क्षेत्रों में यातायात की समस्या को हल करने के लिए लम्बी और भारी माल ढोने के योग्य गाड़ियां शुरू किए जाने का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जैसे-जैसे उद्योग बढ़ेंगे, वैसे ही वैसे इस प्रकार की गाड़ियां और क्षेत्रों में भी चला दी जाएगी।

१९५९-६० के संशोधित अनुमान

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के बारे में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले वर्ष के अन्त से यात्री-यातायात में जो वृद्धि शुरू हुई थी, वह इस वर्ष भी कायम रही है। यात्री-यातायात से १२४ करोड़ ८ लाख रु० की आय का संशोधित अनुमान है, जो बजट के अनुमान से ५ करोड़ ७८ लाख रु० अधिक है। इसके अतिरिक्त रेल विभाग की ओर से यात्री-गाड़ियों में खाने-पीने की व्यवस्था करने तथा अन्य साधनों से २ करोड़ ८० लाख रु० आय और बढ़ने का अनुमान है।

माल-यातायात से अब २६४ करोड़ रु० की आय आंकी गई है, जो बजट में अनुमानित २७२ करोड़ ५८ लाख रु० की आय से ८ करोड़ ५८ लाख रु० कम है। लेकिन यात्री-यातायात आदि से आय में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण ४२२ करोड़ ३ लाख रु० की कुल प्राप्ति के अनुमान में कोई फेरबदल नहीं की जाएगी।

चालू वर्ष में रेलों के साधारण संचालन पर बजट में २८३ करोड़ ७१ लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान ८ करोड़ २१ लाख रु० अधिक है। व्यय में हुई इस वृद्धि में से ६ करोड़ रु० की वृद्धि कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो अपरिहार्य थे, जैसे—पटरियों की मरम्मत, बाढ़ के कारण पुलों तथा अन्य चीजों की हानि, कोयले की कीमत में वृद्धि, अच्छी किस्म का कोयला न मिलने के कारण कोयले की खपत में वृद्धि आदि। मंत्री महोदय ने कहा कि खर्च पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखा जा रहा है और केवल ऐसे ही कामों में खर्च किया जाता है जो अनिवार्य हैं।

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में और वर्षों की तरह ४५ करोड़ रु० जमा किए गए हैं। इस प्रकार अब १४ करोड़ ७५ लाख बचत की आशा है। यह राशि विकास-निधि में जमा कर दी जाएगी। चालू वर्ष में निर्माण-कार्य, मशीन और चल-स्टाक पर खर्च का संशोधित अनुमान १९६ करोड़ १० लाख रु० है, जो बजट में स्वीकृत राशि से ३९ करोड़ ८ लाख रु० कम है।

मंत्री महोदय ने कहा कि १९६०-६१ के अन्त तक मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानतः लगभग ७१ करोड़ रु० होंगे। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि दूसरी योजना के शुरू में ९८

रोड़ रु० की राशि से आरम्भ की गई थी। लेकिन अनेक कारणों से इस राशि में से काफी रुपया खर्च हुआ है और वर्ष के अन्त तक इसमें लगभग १८ करोड रु० बाकी रहेंगे। मंत्री महोदय ने कहा कि मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में काफी राशि जमा करने की आवश्यकता को मैं समझता हूं। इस मामले को और बहुत-से महत्वपूर्ण मामलों के साथ विशेष रूप से अगली अभिसमय समिति में रखा जाएगा।

राजस्व आरक्षित निधि में कोई गड़बड़ नहीं है और उसमें ५३ करोड रु० बाकी होंगे।

मंत्री महोदय ने कहा कि १९५९-६० में सामान्य राजस्व से १० करोड ८८ लाख रु० का जो अस्थायी ऋण विकास निधि के लिए लिया गया था वह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में बचत कम होने की आशा है। अतएव यह ऋण बढ़ाकर १४ करोड ८५ लाख रु० कर दिया जाएगा। अगले वर्ष भी ऋण की आवश्यकता होगी, लेकिन उसकी राशि कुछ कम होगी।

अभिसमय समिति

मंत्री महोदय ने बताया कि १९५४ की अभिसमय समिति (कनवेंशन कमेटी) का कार्यकाल ३१ मार्च, १९६१ तक है। उन्होंने कहा कि मैं अगली अभिसमय समिति नियुक्त करने की प्रार्थना करूंगा जो मौजूदा अभिसमय में हुए काम की समीक्षा करे तथा १९६१ से १९६६ तक के अगले अभिसमय के लिए अग्रिम सिफारिशें करे।

वेतन आयोग की सिफारिशें

मंत्री महोदय ने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से वार्षिक खर्च में लगभग १३ करोड रु० की वृद्धि होगी। १९६०-६१ के बजट अनुमानों में वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अगले बजट वर्ष में तथा चालू वर्ष में १ जुलाई, १९५९ से वर्ष के अन्त तक भत्तों आदि का भुगतान करने के लिए लगभग २० करोड रु० की व्यवस्था की गई है।

वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए विशेष व्यवस्था कर दी गई है। फिर भी चालू वर्ष में काम खत्म करना तथा भुगतान करना सम्भव नहीं है। यह भुगतान अगले वर्ष ही किया जाएगा जिसमें चालू वर्ष की राशि भी शामिल होगी।

१९६०-६१ के बजट अनुमान

१९६०-६१ के बजट अनुमानों के सम्बन्ध में रेल मंत्री ने बताया कि यात्री-यातायात में चालू वर्ष से जो वृद्धि शुरू हुई थी, वह कायम रह सकती है। अतएव १९६०-६१ में यात्री-यातायात से १२५ करोड ५० लाख रु० की आय का अनुमान लगाया गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से १ करोड ४२ लाख रु० अधिक है। पार्सल आदि की ढुलाई से २५ करोड रु० की आय का अनुमान है, जो करीब-करीब चालू वर्ष के अनुमान के बराबर हुई है। अगले वर्ष माल-यातायात में १ करोड ७० लाख टन की वृद्धि होने की आशा है। इस आधार पर मौजूदा माल-भाड़े की दर से माल-यातायात से २९१ करोड रु० आय का अनुमान लगाया गया है, जो चालू वर्ष से २७ करोड रु० अधिक है। फुटकर आय का अनुमान १० करोड रु० का है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान के बराबर है। माल-यातायात में यदि थोड़ी बहुत कमी भी हो जाए तो भी यातायात से १९६०-६१ में मौजूदा किराये-भाड़े की दर के आधार पर ४५० करोड ५० लाख रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है।

१९६०-६१ में साधारण संचालन-व्यय का अनुमान ३२६ करोड ९० लाख रु० है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की राशि २९१ करोड ९२ लाख रु० से ३४ करोड ९८ लाख रु० अधिक है। व्यय वृद्धि के इस अनुमान में २० करोड १२ लाख रु० की वह राशि भी शामिल है, जो वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक कर्मचारियों को दी जाएगी। पब्लिक कैरियर की तरह माल की जोखिम उठाने की रेलों ने जो जिम्मेदारी ली है, उसके लिए १९६०-६१ में १ करोड रु० की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त माल-यातायात में वृद्धि होने के कारण भी कुछ खर्च बढ़ेगा।

चालू लाइनों के निर्माण पर १४ करोड़ रु० व्यय का अनुमान है। पूंजीगत व्यय में कुछ और वृद्धि होने के कारण सामान्य राजस्व में २ करोड़ ७५ लाख रु० अधिक देने होंगे।

वेतन आयोग की सिफारिशों आदि के कारण बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के बाद शुद्ध बचत अनुमानत केवल ४ करोड ५० लाख रु० के करीब होगी, जो विकास निधि में जमा कर दी जाएगी।

माल के जोखिम की जिम्मेवारी

पब्लिक कैरियरों की तरह रेलों द्वारा माल के जोखिम की जिम्मेदारी उठाने के बारे में भाड़ा-दर जांच समिति ने जो सिफारिशें की थी, उनकी जांच अब पूरी हो चुकी है। व्यापारियों की भी बहुत अर्से से यह मांग रही है। अतएव इस सिफारिश पर अमल करने का विचार है और उसके लिए जल्दी ही आवश्यक विधेयक पेश किया जाएगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि इन बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के कारण यह आवश्यक है कि माल-भाड़े की दर में उपयुक्त परिवर्तन किया जाए।

माल-भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों पर अमल के सम्बन्ध में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि समिति ने भाड़े में १३ प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी, लेकिन माल-भाड़ा अधिक न बढ़े, इसलिए केवल ४ प्रतिशत वृद्धि ही की जा रही है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मौजूदा स्थिति में खनिज वस्तुओं, सैनिक सामान, डाक और रेलों के अपने सामान को छोड़कर पहली अप्रैल से बाकी सब माल तथा कोयले की भाड़ा-दर में प्रति रुपया पीछे ५ नये पैसे का पूरक चार्ज लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भाड़े में यह वृद्धि औसतन ५ नये पैसे प्रति मन से भी कम, यानी लगभग १/८ नया पैसा प्रति सेर बैठेगी। इस वृद्धि से प्रति वर्ष लगभग १४ करोड रु० की आय का अनुमान है।

मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने जानबूझ कर यह पूरक चार्ज यथासम्भव कम रखा है।

निर्माण-कार्य, मशीन और चल-स्टाक पर बजट में २२२ करोड ८१ लाख रु० व्यय का अनुमान है। इसमें से चल-स्टाक के लिए ७९ करोड ६ लाख रु०, मशीनों के लिए ४ करोड़ ६४ लाख रु०, नई लाइनें बनाने तथा उखड़ी हुई लाइनों को फिर से बिछाने के लिए ५५ करोड ८६ लाख रु०, पटरियों की मरम्मत के लिए २७ करोड २० लाख रु०, चालू लाइनों पर और कामों के लिए ५४ करोड ३० लाख

रु० रख गए हैं। रेल उपयोगकर्ताओं के लिए २ करोड़ ३० लाख रु० तथा कर्मचारियों की सुविधाओं और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए ९ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

ईंधन के खर्च में कमी

रेलों द्वारा खर्च किए जाने वाले कोयले के सम्बन्ध में अगस्त १९५८ में विशेषज्ञ समिति ने जो ४१ सिफारिशें की थीं, उनमें से चार को छोड़कर बाकी सब स्वीकार कर ली गई हैं और उन पर अमल किया जा रहा है। रेलों ने एक संगठन बनाया है, जो इस बात की निगरानी करेगा कि खानों से उसी किस्म का कोयला लादा जाए जैसा रेलों के लिए चाहिए। रेलें कोयला सप्लाई करने वालों से एक ठेका करेंगी, जिससे कि खराब माल मिलने पर वे सख्त कार्रवाई कर सकें और कोयला-नियन्त्रक पर निर्भर न रहें। मंत्री महोदय ने कहा कि यह जरूरी है कि कोयला धोने के कारखाने जल्द से जल्द बनाए जाएं, जिससे कि रेलों को बराबर अच्छी किस्म का कोयला मिल सके।

विदेशी सहायता

रेलों को विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में रेल मंत्री ने बताया कि अमरीका की विकास ऋण निधि से ३ करोड़ डालर के एक और ऋण के बारे में बातचीत करीब-करीब पूरी हो चुकी है।

विश्व बैंक से ८ करोड़ ५० लाख डालर का जो ऋण सितम्बर १९५८ में मिला था, उसका पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है। जुलाई १९५९ में विश्व बैंक से ५ करोड़ डालर का एक और ऋण मिला।

अधिक आत्मनिर्भरता

रेल मंत्री ने कहा कि रेलों ने अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होने की नीति अपनाई है। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में ७ हजार टन क्षमता वाला इस्पात का एक ढलाई कारखाना बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता १० हजार टन तक हो सकेगी।

चित्तरंजन कारखाने में चालू वर्ष में १७३ और अगले वर्ष १६८ इंजन तैयार होने की आशा है। सम्भवतः टेलको चालू वर्ष में १०० इंजन दे देगा और इतने ही इंजन अगले वर्ष तैयार करेगा। मंत्री महोदय ने बताया कि टेलको द्वारा १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९६० तक सप्लाई किए जाने वाले इंजनों का मूल्य निर्धारित करने के लिए जो पंच नियुक्त किया गया था उसने एक इंजन का मूल्य ३ लाख ८० हजार ९१७ रु० निर्धारित किया है। टेलको ने ३ लाख ९२ हजार ८६१ रु० मांगे थे और रेल मंडल ने ३ लाख ७४ हजार ९९४ रु० देने चाहे थे।

चल स्टाक का निर्यात

स्टीम इंजनों में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि अब हम इतने इंजन तैयार करने लगे हैं कि कुछ निर्यात भी कर सकते हैं। हमारे इंजनों का स्टैंडर्ड ऊंचा है और दाम मुकाबले में ठीक हैं। इसी तरह माल डिब्बे और सवारी डिब्बे भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार तो बनाने ही लगे हैं, अब निर्यात के लिए भी बना सकते हैं।

१९५८-५९ में रेलों द्वारा की गई खरीद का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि कच्चे माल और इस्पात को छोड़कर कुल खरीद का केवल १० प्रतिशत ही विदेशों से मंगाया गया। रेल प्रशासन को कुछ खास चीजें छोटे उद्योगों से ही खरीदने के लिए हिदायतें दी गई हैं।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि लोहे की जो चीजें रद्दी हो जाती हैं, उन्हें रद्दी करके बेचने की बजाय ठीक करके उपयोग में लाने के लिए रेलों ने विशेष प्रयत्न शुरू किया है। बड़ी लाइन के जो एक्सिल और इस्पात के स्लीपर कुछ घिस जाते हैं, उन्हें ठीक करके छोटी लाइन पर काम में लाया जाता है।

उत्पादकता विभाग

रेल मंडल के कार्यालय में एक उत्पादकता विभाग खोला गया है, जिसका काम चित्तरंजन कारखाने में उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले बोनस की पद्धति को और रेल कारखानों में भी शुरू करके उत्पादकता बढ़ाना है। यह कदम मजदूर संघों की राय से उठाया गया है और इस काम में उनका पूरा सहयोग है।

रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन का काम और बढ़ाया गया है। अनुसंधान तथा शिल्पिक विकास के कार्यक्रम के बारे में सलाह देने के लिए [illegible] तथा वैज्ञानिकों की एक [illegible]

बनाने का निश्चय किया गया है।

माल यातायात में सुधार के लिए बहुत-से उपाय किए गए हैं। बहुत-से सामानों की ढुलाई में रियायतें दी जाती हैं। ये रियायतें १६ और चीजों पर दी गई हैं। निर्यात के लिए भेजे जाने वाले माल की जल्दी से जल्दी ढुलाई हो सके, इसके लिए ऐसे सब माल को प्राथमिकता की श्रेणी में रख लिया गया है।

दशमिक प्रणाली

रेलों ने १५ सितम्बर, १९५७ से रेल किराया दशमिक सिक्कों में लेना शुरू कर दिया है। १ अक्तूबर, १९५८ से माल-भाड़ा भी दशमिक सिक्कों में लिया जाता है। पहली अप्रैल १९६० से रेलों का व्यावसायिक विभाग नाप-तौल की भी दशमिक प्रणाली अपना लेगा।

यात्रियों को सुविधाएं

रेल मंत्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए काफी हर्ष है कि रेलों में भीड़ को काफी कम कर दिया गया है। १९५८-५९ में १७० नयी गाड़ियां चलाई गईं तथा ८५ गाड़ियों का यात्रा-मार्ग बढ़ाया गया। चालू वर्ष में १ दिसम्बर, १९५९ तक १७८ नई गाड़ियां चालू की गईं तथा ११८ गाड़ियों का यात्रा-मार्ग बढ़ाया गया।

५०० मील से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों को बिना अतिरिक्त चार्ज के सोने की जगह की व्यवस्था के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि उद्देश्य यह है कि दूर की यात्रा वाली हर गाड़ी में कम से कम एक ऐसा डिब्बा जरूर हो। उन्होंने बताया कि बड़ी लाइन के २०० सोने के डिब्बे तथा इतनी ही संख्या में छोटी लाइन के भी सोने के डिब्बे बनाने का आर्डर दे दिया गया है। ये डिब्बे नये डिजाइन के होंगे।

रेल-दुर्घटनाएं

रेल मंत्री ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि चालू वर्ष में कोई बड़ी रेल-दुर्घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यातायात में जितनी वृद्धि हुई है, उसको देखते हुए स्थिति संतोषजनक है। लेकिन फिर भी इस दिशा में शिथिलता नहीं है और रेल-यात्रा को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बराबर [illegible] दिया जा रहा है तथा राज्य सरकारों [illegible] सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बराबर प्रयत्न जारी है। व्यापार मंडलों, अधिकारियों या रेल कर्मचारियों के सहयोग से भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करने के प्रयत्न काफी कारगर हो रहे हैं।

मंत्री महोदय ने इस बात पर दुख प्रकट किया कि बराबर प्रयत्न करने के बाद भी जंजीर खींच कर गाड़ी रोकने की घटनाओं में कमी तो हुई ही नहीं है, बल्कि वे बढ़ ही रही हैं। बिना टिकट यात्रा करने का सिलसिला भी अभी जारी है।

कर्मचारियों को सुविधाएं

दूसरी योजना के पहले तीन वर्षों में कर्मचारियों के लिए ३६ हजार क्वार्टर बनाए जा चुके हैं और चालू वर्ष में ९ हजार और क्वार्टर बनने की आशा है। १९६०-६१ में १० हजार क्वार्टर बनाने की व्यवस्था की गई है। इस तरह योजना के अन्त तक ५५ हजार क्वार्टर बन जाएंगे। मंत्री महोदय ने बताया कि रेल-कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, उनके रहने के लिए छात्रावास बनाए गए हैं, रेल कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, पहलगाव में एक छुट्टीघर बनाया गया है तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के लिए रेलों ने विशेष सुविधाएं दी हैं।

श्रम सम्बन्ध

रेल प्रशासन और रेल-कर्मचारियों के सम्बन्ध पूरे वर्ष बहुत अच्छे रहे। दुर्भाग्य से रेल कर्मचारियों के दो संघों को एक करने के प्रयत्न सफल नहीं हो सके। आखिरकार अगस्त १९५९ में यह निर्णय करना पड़ा कि अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ (आल इण्डिया रेल्वे मैन्स फेडरेशन) को भी वही सुविधाएं दी जाएं, जो भारतीय राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ (नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेल्वेमैन) को प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अब भी आशा है कि ये दोनों संघ एक हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इनकी एकता कर्मचारियों के लिए हितकारी सिद्ध होगी।

मंत्री महोदय ने बताया कि प्रबन्ध के काम में मजदूरों के हिस्सा लेने के बारे में विचार करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं, जो विचाराधीन हैं।

रेल के व्यापारिक विभाग में मेट्रिक माप-तोल

भारतीय रेलों के व्यापारिक विभाग १ अप्रैल, १९६० से माप और तोल की मेट्रिक प्रणाली अपना लेंगे। यह सूचना रेल मण्डल की २१ फरवरी की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

उस दिन से यात्रियों के किराये की तालिका में किराये मीलों के स्थान पर किलोमीटरों के हिसाब से दिए जाएंगे। एक किलोमीटर ०.६२ मील के बराबर होता है।

यात्रियों के किराये पर जो कर लगता है, वह १५, ३० और ५०० मील की दूरी के स्थान पर, २५, ४९, और ८०५ किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाएगा।

माल-भाड़ा भी क्विंटल (१०० किलोग्राम) के हिसाब से लिया जाएगा। एक क्विंटल लगभग २ मन २७ सेर के बराबर होता है।

कोयला ले जाने की दरें भी प्रति टन के स्थान पर प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से सूचित की जाएंगी। एक मेट्रिक टन १,००० किलोग्राम या लगभग ०.९८ टन के बराबर होता है।

माप और तोल की मेट्रिक प्रणाली अपनाने के फलस्वरूप यात्रियों के किराये और माल-भाड़े में कुछ मामूली परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन अनिवार्य है, पर यह कोशिश की गई है कि यह कम से कम हो।

यात्रियों के किराये और माल-भाड़े की छपी हुई तालिकाएं, जिनमें किलोमीटरों के हिसाब से किराया और भाड़ा दिया होगा, मार्च १९६० के आरम्भ में बिक्री के लिए उपलब्ध की जाएंगी।

पटरी के साथ-साथ मीलों के जो निशान लगे हैं, उनको भी धीरे-धीरे किलोमीटरों में बदला जा रहा है।

मालगाड़ियों के डिब्बों पर वजन आदि की जो सूचना लिखी रहती है, वह भी मेट्रिक हिसाब से अंकित की जा रही है।

उत्तर-पूर्व सीमांत में नयी रेल लाइन

रेल मण्डल ने मजूरियाघाट और मालदा के बीच ३३ मील लम्बी बड़ी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। यह काम उत्तर-पूर्व सीमांत रेल प्रशासन को सौंपा गया है।

प० बंगाल में पूर्व रेलवे के तिलदंगा से उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के मालदा तक रेल की लाइन बिछाने की योजना है। यह लाइन फरक्का और मजूरियाघाट से होकर गुजरेगी। इस योजना के अन्तर्गत ही उक्त मंजूरी दी गयी है। जब यह लाइन बिछकर तैयार हो जाएगी तब कलकत्ता से मालदा और उससे आगे के क्षेत्र तक जाने की दूरी में लगभग १०० मील की कमी हो जाएगी। इससे हावड़ा तक की मुख्य लाइन पर यातायात की भीड़ भी कम होने की आशा है।

सन् १९४७ में विभाजन के बाद आसाम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले से देश के बाकी भागों तक रेल यातायात बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गया था। प० दिनाजपुर और मालदा जिलों तक मनिहारीघाट से चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। उक्त लाइन के बिछ जाने से सीधे यातायात की सुविधा हो जाएगी।

रेलों की छोटी लाइनों के लिए इंजन और डिब्बे

१९५९-६० में भारतीय रेलों की छोटी लाइनों के लिए ९८ इंजनों, ९५६ सवारी गाड़ी के डिब्बों और १४८ माल डिब्बों (चार पहियों वाले) की जरूरत हुई।

१ अप्रैल, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक देश में ८० इंजन, ४०२ सवारी गाड़ी के डिब्बे और ३७० माल डिब्बे (चार पहियों वाले) बनाए गए।

यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में २३ फरवरी को लोकसभा में दी।

उत्तरी रेलों पर आउट-एजेंसियां

रेल उपमंत्री, श्री रामस्वामी ने १८ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि उत्तरी रेलवे क्षेत्र में १०,००० या इससे ज्यादा की आबादी वाले कस्बों में, जो स्टेशनों से ५ मील से ज्यादा की दूरी पर हैं, २१ आउट-एजेंसियां चालू हैं।

उन्होंने कहा कि रेल प्रशासनों से शीघ्र ही ज्यादा से ज्यादा आउट-एजेंसियां खोलने को कहा गया है।

रेल कारखानों में सवारी डिब्बों का निर्माण

२६ फरवरी को लोकसभा में रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अप्रैल १९५९ से दिसम्बर १९५९ के अन्त तक रेल के सवारी डिब्बों का बिल्कुल भी निर्यात नहीं किया गया।

श्री शाहनवाज खां ने वक्तव्य में बताया कि इस अवधि में तीसरे दर्जे के ८८९ सवारी डिब्बे बनाए गए हैं। इनमें सोने वाले डिब्बे भी शामिल हैं। ८८९ डिब्बों में से ५७८ डिब्बे बड़ी लाइन के, २७३ छोटी लाइन के और ३८ सकरी लाइन के थे। पेरम्बूर के रेल के सवारी डिब्बे कारखाने में बड़ी लाइन के ३१६ डिब्बे, बंगलौर के हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट में बड़ी लाइन के १५६ डिब्बे और मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता में छोटी लाइन के तीसरे दर्जे के १९३ डिब्बे बनाए गए। विभिन्न रेल कारखानों में १०६ बड़ी लाइन के, ८० छोटी लाइन के और ३८ सकरी लाइन के डिब्बे बनाए गए।

वक्तव्य में बताया गया कि इस अवधि में छोटी लाइन के पहले दर्जे के ५ डिब्बे बनाए गए, किन्तु दूसरे दर्जे के कोई डिब्बे नहीं बनाए गए। वक्तव्य में यह भी बताया गया कि ये डिब्बे किस हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए।

तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सोने की सुविधाएं

केन्द्रीय रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने २५ फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि तीसरे दर्जे के यात्रियों के सोने के सवारी-डिब्बे बनाये जा रहे हैं। जैसे ही ये डिब्बे बनकर तैयार हो जाएंगे, वैसे ही ये सुविधाएं छोटी और बड़ी लाइन पर ५०० मील से अधिक दूर की रेलगाड़ियों में दी जाएंगी।

उपमंत्री ने सदन के सम्मुख एक विवरण पेश किया, जिसमें उन गाड़ियों का ब्योरा दिया गया है, जिनमें ये सुविधाएं मिलेंगी। बड़ी लाइन की दस रेलगाड़ियों और छोटी लाइन की चार रेलगाड़ियों में तीसरे दर्जे के तीन बर्थ वाले डिब्बे लगाये जाएंगे। नये डिजाइन के डिब्बे बड़ी लाइन की दो और छोटी लाइन की एक गाड़ी में चल रहे हैं।

तीसरे दर्जे के दो बर्थ वाले सोने-बैठने के डिब्बे बड़ी लाइन की ३ गाड़ियों और छोटी लाइन की चार गाड़ियों में काम में लाए जा रहे हैं।

रेलों द्वारा इस्पात की कतरनों का उपयोग

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने १८ फरवरी को लोकसभा में बताया कि रेल कारखानों में सालाना लगभग १,३६,००० टन इस्पात की कतरनें निकलती हैं और उन कतरनों को फेंकने की बजाय काम में लाने की एक योजना भारत सरकार ने बनाई है।

श्री शाहनवाज खां ने योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गयी संशोधित योजना में रेल के लिए सामान तैयार करने में अधिक से अधिक इस्पात की कतरनें काम में लाने की व्यवस्था की गई है। योजना के अनुसार इन कतरनों से पिस्टन रॉड, स्लाइड बार, धुरा, बड़ी लाइन के स्लीपर आदि रेल वर्कशाप में बनाये जाएंगे।

रेल विभाग द्वारा कोयले की राख की बिक्री

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने १६ फरवरी को राज्यसभा में बताया कि कोयले की राख की बिक्री से विभिन्न रेलों को हर साल लगभग ५१ लाख ८२ हजार १८३ रु० मिलता है। उपमंत्री महोदय एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उपमंत्री महोदय ने कहा कि साधारणतया राख रेल के कामों में ही इस्तेमाल होती है। जो राख बचती है, उसे नीलाम कर दिया जाता है या टेंडर द्वारा बेच दिया जाता है। रेल विभाग की जरूरत से अधिक होने पर वह राख भी बेची जाती है, जिसमें जले हुए कोयले के आधे इंच से छोटे टुकड़े होते हैं। पर यह राख विकास-कार्यों में लगी हुई सहकारी समितियों, ग्राम उद्योग आयोग आदि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं को बेची जाती है। विधान सभा और संसद के सदस्यों का प्रमाणपत्र होने पर यह राख स्कूलों, छात्रावासों और सार्वजनिक संस्थाओं को भी बेची जाती है।

सड़कों से माल के यातायात का सर्वे

यातायात नीति और समन्वय समिति ने संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से सड़क से माल की ढुलाई के बारे में आंकड़े जमा किए हैं कि सड़कों से किस प्रकार का तथा कितना माल भेजा तथा मंगाया जाता है। समिति ने ये आंकड़े चुनी हुई सड़कों का सर्वे करके जमा किए हैं। अमृतसर-दिल्ली, दिल्ली-कानपुर और कलकत्ता-पटना सड़कों का सर्वे हो चुका है।

योजना आयोग ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में इस समिति की स्थापना की थी।

इस समय बम्बई-बंगलौर सड़क का सर्वे किया जा रहा है। आंकड़े जमा करने के लिए १२ चौकियां स्थापित की हैं। माल ले जाने वाली सभी लारियां तथा ट्रैक्टर यहां रोक लिये जाते हैं तथा उनके माल के परिमाण तथा किस्म की जांच करके उनके आंकड़े जमा किए जाते हैं। ये गाड़ियां कहां से चली हैं तथा उनका गन्तव्य स्थान क्या है, तथा किस प्रकार के परमिट के अन्तर्गत ये लारियां काम कर रही हैं, इस बारे में आंकड़े जमा किए जाते हैं।

यह सूचना यातायात नीति और समन्वय समिति की १४ फरवरी की विज्ञप्ति में दी गई है।

मध्य रेल के नये जनरल मैनेजर

रेल मंत्रालय की १८ फरवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री आर० बी० लाल के स्थान पर श्री डी० आर० खन्ना, चीफ आपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट, मध्य रेलवे को जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। श्री [illegible] ० लाल ने अवकाश ग्रहण कर [illegible]

नदी योजनाएं और बिजली

सिंचाई के साधनों का पूरा उपयोग: विशेषाधिकारियों की रिपोर्ट

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने १५ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सिंचाई के साधनों के उपयोग के बारे में विशेषाधिकारियों की मुख्य सिफारिशों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है। उपमंत्री महोदय ने कहा कि सिंचाई के साधनों के विकास का काम राज्य सरकारों के जिम्मे होने के कारण उनसे इस बारे में उचित कार्रवाई करने को कहा गया है।

श्री हाथी ने एक वक्तव्य भी सदन की मेज पर रखा। वक्तव्य में विशेषाधिकारियों की खास-खास सिफारिशें दी गयी हैं। सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(१) पिछली पड़ताल में जिन खेतों तक पड़ताल हो चुकी है, वहां तक या उनके पास तक सिंचाई के लिए गूलें बनाई जाएं, (२) अनिवार्य सिंचाई-शुल्क लिया जाय, (३) पहले साल सिंचाई-शुल्क में रियायत दी जानी चाहिए, (४) प्रदर्शन और अनुसंधान केंद्र बनाने चाहिए, (५) उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज, खेती के आधुनिक औजार और फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मारने की दवा दी जानी चाहिए, (६) बाजार में अनाज ले जाने के लिए अच्छी यातायात व्यवस्था और बिक्री के लिए अच्छी हाट-व्यवस्था होनी चाहिए, और (७) खेती, राजस्व, सहकारिता आदि विभागों को विकास-कार्यों के लिए मिल-जुल कर आवश्यक प्रबन्ध करने चाहिए।

सिंचाई के साधनों का उपयोग

[illegible] में सिंचाई के साधनों और उनका कहां तक उपयोग हुआ है, इसका ब्योरा भी दिया गया है। ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	राज्य का नाम	मार्च ५८ में कुल कितने एकड़ की सिंचाई सम्भव थी	मार्च ५८ में कुल कितने एकड़ की सिंचाई हुई	प्रतिशत
१	आंध्र प्रदेश	३,२२,७५४	१,७८,०६१	५५
२.	आसाम	कोई भी बड़ी या मध्यम योजना नहीं थी		
३	बिहार	३,६४,५४०	३,००,२४०	८२
४	बम्बई	२,२८,७९२	१,३१,९५५	५९
५.	जम्मू-कश्मीर	१०,०००	३,३३०	३३
६.	केरल	३,३३,३३६	३,२२,९३६	९८
७	मध्य प्रदेश	२५,०००	१६,४०८	६६
८	मद्रास	४,४०,३०२	३,८३,६०२	८७
९	मैसूर	२,४३,५७१	१,२८,१३९	५३
१०	उड़ीसा	२,०७,२००	१,३९,१६०	६८
११	पंजाब	२०,७०,३००	१६,८५,२१०	८२
१२.	राजस्थान	२,८२,७००	२,२९,१४०	८१
१३	उत्तर प्रदेश	१४,०७,७२०	१०,४१,४८६	७४
१४.	प० बंगाल	८,०१,५६०	४,९५,९४७	६२
	कुल जोड़ :	६७,३९,७७५	५०,५५,६१४	७५

राज्यों की बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने यहां की प्रत्येक नदी की बाढ़ के नियंत्रण के लिए विस्तृत योजना बनाएं। यह सूचना १५ फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने दी।

श्री हाथी ने बताया कि जिन राज्यों ने बाढ़ नियंत्रण की दीर्घ योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, उनके नाम इस प्रकार हैं : आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू-कश्मीर (कश्मीर घाटी के लिए मास्टर प्लान और जम्मू योजना की रूपरेखा), केरल, पंजाब (केवल दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए), उड़ीसा (दूसरी योजना के बाद १५ वर्षों के लिए), उत्तर प्रदेश, और प० बंगाल (केवल इन नदियों के लिए— तीस्ता, तोरसा, रायडाक, महानदी, भागीरथी-हुगली और जलढाका)।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे बाढ़ की उच्च स्तरीय समिति के सुझावों के आधार पर अपनी योजनाओं की रूपरेखा फिर से तैयार करें।

चम्बल योजना की प्रगति

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने १५ फरवरी को लोकसभा में बताया कि अगस्त १९६० में चम्बल योजना के बिजलीघर से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी और १९६० की खरीफ की फसल की सिंचाई भी हो सकेगी।

उपमंत्री महोदय ने चम्बल योजना की प्रगति के बारे में एक वक्तव्य सदन की मेज पर रखा।

वक्तव्य में बताया गया है कि जनवरी १९६० तक चम्बल योजना के मध्य प्रदेश वाले भाग में गांधीसागर बांध की चिनाई का काम लगभग ८८.८८ प्रतिशत पूरा हो चुका था। गांधीसागर बांध के बिजलीघर का इमारती काम प्राय: पूरा हो गया है। बिजलीघर से उज्जैन तक बिजली ले जाने के लिए तार लगाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है।

चम्बल योजना के राजस्थान वाले भाग में दिसम्बर १९५९ तक कोटा बांध में फाटक लगाने के अलावा सब निर्माण-कार्य पूरा हो गया था। फाटक लगाने के काम की प्रगति संतोषजनक है और १९६० की खरीफ फसल के लिए कोटा बांध से पानी मिलने लगेगा। बिजलीघर से राजस्थान के विभिन्न भागों को बिजली ले जाने के लिए तार लगाने के काम में पर्याप्त प्रगति हुई है। दाहिनी और बाईं मुख्य नहर के निर्माण का अधिकांश काम पूरा हो गया है।

गंगुवाल और कोटला के बिजलीघर

गंगुवाल और कोटला बिजलीघर नंगल नहर के किनारे पर हैं। इन बिजलीघरों में नंगल नहर के पानी की मदद से ४८-४८ हजार किलोवाट बिजली तैयार होती है, जो पंजाब तथा केन्द्रशासित राज्य दिल्ली को दी जाती है। नंगल नहर में भाखड़ा जलाशय के रास्ते सतलुज नदी का पानी आता है।

दोनों बिजलीघरों में आधुनिक ढंग के यंत्र लगे हुए हैं। गंगुवाल और कोटला बिजलीघरों में इस समय बिजली तैयार करने के दो-दो संयत्र हैं। अब १९६१ के आरम्भ में प्रत्येक में तीसरा संयत्र लगा दिया जाएगा। इससे दोनों बिजलीघरों की बिजली तैयार करने की क्षमता १,५४,००० किलोवाट हो जाएगी।

जाड़ों में दिसम्बर १९५९ से फरवरी १९६० तक सतलुज नदी का पानी इतना कम हो गया था कि वह दोनों बिजलीघरों के लिए पूरा नहीं पड़ा, इसलिए नहर में भाखड़ा जलाशय से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, ताकि दोनों बिजलीघर चालू रहें और आगे खेतों में सिंचाई भी भली प्रकार होती रहे।

६ अक्तूबर से १० दिसम्बर, १९५९ तक बिजली तैयार करने तथा सिंचाई के लिए कुल ९,८४,७०० एकड़ फुट पानी दिया गया, अर्थात् जलाशय से सतलज नदी के पानी के अलावा प्रति सेकण्ड औसतन ७,४६० घनफुट और पानी छोड़ा गया।

फिर ११ दिसम्बर, १९५९ से २० जनवरी, १९६० तक ७८,६०० एकड़ फुट, अर्थात् प्रति सेकण्ड ९५८ घनफुट और पानी छोड़ा गया।

इसके बाद २१ जनवरी से १५ फरवरी तक १८,२१० एकड़ फुट, अर्थात् प्रति सेकण्ड ३५० घनफुट पानी छोड़ा गया।

राजगढ़ (राजस्थान) को भाखड़ा-नंगल से बिजली

राजस्थान में राजगढ़ में जो बिजलीघर बन रहा है, उसे मार्च १९६० के पहले सप्ताह में, भाखड़ा-नंगल से बिजली मिलने लग जाएगी।

श्रीगंगानगर को १५ जनवरी से भाखड़ा-नंगल से बिजली मिलने लगी है और गजसिंहपुर, केसरीसिंहपुर, कर्णपुर तथा रायसिंहनगर और अन्य स्थानों को बिजली पहुंचाने का काम चालू है। इसी प्रकार हनुमानगढ़, संगरिया मंडी और सूरतगढ़ को भी बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। इन कामों के पूरे हो जाने पर राजस्थान के बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों के सब स्थानों को भाखड़ा-नंगल से बिजली पहुंचने लगेगी।

नेपाल, भूटान और सिक्किम में जलविज्ञान केन्द्र

भारत सरकार ने बाढ़-नियन्त्रण के लिए योजना बनाने के हेतु नेपाल, सिक्किम और भूटान में, वहां की सरकारों की सहमति से, कुछ जलविज्ञान तथा ऋतुविज्ञान केन्द्र खोले हैं। यह सूचना १० फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुख लाल हाथी ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि अभी वहां और केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री हाथी ने सदन की मेज पर एक विवरण रखा, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार ने नेपाल में ५८, सिक्किम में ३ और भूटान में २० केन्द्र खोले गए हैं।

आंध्र प्रदेश को सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए अनुदान

भारत सरकार ने १९५६-६० में आंध्र प्रदेश की सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए कुल ३९ करोड़ २५ लाख रु० की सहायता दी है। इसमें १९५९-६० की निर्धारित रकम भी शामिल है।

इस धन राशि में से २४ करोड़ ९६ लाख रु० नागार्जुनसागर योजना तथा ११ करोड़ १० लाख रु० विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दिया गया। अभावग्रस्त क्षेत्रों में सुधार के स्थायी कामों के लिए ३ करोड़ १९ लाख रु० की व्यवस्था की गई।

यह सूचना १५ फरवरी को लोकसभा में केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने एक प्रश्न के उत्तर में दी। श्री हाथी ने सदन की मेज पर एक वक्तव्य भी रखा, जिसमें दूसरी योजना के अंत तक पूरी होने वाली आंध्र प्रदेश की बड़ी और मझली सिंचाई योजनाओं के नाम दिए गए थे।

खाद्य और कृषि

अन्न-भंडारों के काम की शिक्षा

नयी दिल्ली में १ मार्च से अन्न-भंडारों के प्रबन्ध आदि की शिक्षा आरम्भ हो रही है, जिसमें केन्द्र और राज्यों के भंडार निगमों के लगभग १५० कर्मचारी लाभ उठाएंगे।

भंडारों के काम के लिए हाट और उपज के वर्गीकरण, रुपये के लेनदेन, सहकार और को संभालकर रखने आदि के बारे में कर्मचारियों को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इन कर्मचारियों को व्यावहारिक शिक्षण के लिए चन्दौसी, मोगा, नयी दिल्ली और हापुड़ के भंडारों में भेजा जाएगा।

अगस्त-सितम्बर, १९५९ में ...सी तरह की शिक्षा की ...

पशुपालन की नयी योजनाएं

..ीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु पालन की पूर्वी और समशीतोष्ण क्षेत्र । समितियों की दो दिन की बैठक २२ और .३ फरवरी को लखनऊ में हुई । इसमें पशु ..लन सम्बन्धी अनुसंधान की २६ योजनाओं .र विचार किया गया । बैठक में ३० प्रति-नि..ों ने भाग लिया, जिसमें पूर्वी और सम-..ीतो.. क्षेत्रों के राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा भारत सरकार के अधिकारी और विशेषज्ञ भी शामिल थे । बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के पशुपालन के आयुक्त श्री एल० सहाय ने की और उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कृषि और सहकार मंत्री ने किया ।

क्षेत्रीय समितियों के प्रतिनिधि समय-समय पर मिलते हैं और अपने क्षेत्र की पशु-पालन सम्बन्धी अनुसंधान समस्याओं पर बात-चीत करते हैं । इन अवसरों पर विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं को परस्पर विचार-विमर्श का मौका मिलता है ।

पूर्वी और समशीतोष्ण क्षेत्रों की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाएं सुझाई गई । मसलन मवेशियों की कुछ सामान्य बीमारियों का उन्मूलन, मुर्गी के चारे आदि की जानकारी कराने, मछलियों की उत्पत्ति बढ़ाने आदि की योजनाएं ।

केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद की बैठक

बम्बई में २५ फरवरी को केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् की आठवीं वार्षिक बैठक हुई । बैठक में गोसंवर्धन सप्ताह मनाने, अधिक अखिल भारतीय दूध उत्पादन प्रतियोगिताएं करने और अधिक चारा उपजाने की प्रति-योगिताएं शुरू करने पर विचार हुआ । दूध न देने वाली गायों को शहरों से हटाने, गो-शालाएं और पिंजरापोल खोलने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने पर भी बैठक में विचार किया गया ।

केन्द्रीय कृषि मंत्री, श्री सदाशिव कान्होजी पाटिल ने इस अवसर पर पिछले साल की अखिल भारतीय दूध उत्पादन प्रतियोगिता के पहले चार विजेताओं को २-२ हजार रु० का प्रथम पुरस्कार और दूसरे ४ विजेताओं को ५००-५०० रु० का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया ।

[पशुपालकों को गायों की नस्ल सुधारने और पशुपालन के अच्छे तरीके अपनाने में प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रतियोगिताएं की जाती हैं । १० हजार रु० के नकद इनामों और योग्यता के प्रमाण-पत्रों के अलावा, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय के स्वामी को गोपाल-रत्न की उपाधि और पदक भी दिया जाता है ।]

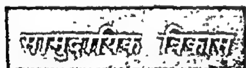
आजमाइशी योजनाओं ने मंद किन्तु व्यापक प्रगति की है । इन पर जो धन व्यय किया गया है उससे लाभ हुआ है । टोली ने देहातों के उद्योग विकास कार्यक्रम और ग्राम सुधार के साधारण कार्यक्रम में मेल और एकीकरण को बहुत आव-श्यक बताया है और इस बात पर जोर दिया है कि इन कार्यक्रमों का औद्योगिक विकास के सामान्य कार्यक्रम के साथ भी समन्वय होना चाहिए । टोली ने यह मत प्रकट किया है कि तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में छोटे उद्योगों के विकास कार्यक्रम में आजमाइशी योजनाओं को महत्व देना चाहिए ।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि तीसरी योजना में प्रत्येक विकास खंड में कम से कम ५ औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित की जाएं और ३०० खानदानी कारीगरों को आर्थिक और शिल्पिक सहायता दी जाए । उद्योग विस्तार अधिकारी को विकास खंड स्तर पर कारीगरी के विशेषज्ञ और अन्य शिल्पिक व्यक्ति सहायता दें ।

देश में कुछ ऐसे गांव हैं, जहां व्यापार और उद्योग की अच्छी प्रगति हो रही है । ऐसे गांवों में 'सामान्य सुविधा केन्द्र' स्थापित किए जाएं । इन क्षेत्रों में ग्रामीण या छोटी उद्योग बस्तियां बसाकर रोजगार का क्षेत्र बढ़ाया जाए । इन बस्तियों का प्रबन्ध किसी समिति या निगम को सौंपा जाए, जो क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता की पड़ताल और उसका सुधार करे । योजना का ढांचा बनाने में सहायता करे, कारखाने की इमारत बनवाए तथा बिजली, रुपये और कच्चे माल का प्रबन्ध करे ।

मार्च १९५९ के अन्त तक २६ आजमाइशी योजनाओं में से २५ काम कर रही थीं । इन पर कुल २ करोड़ ३० लाख रु० खर्च हुआ । ४२ प्रतिशत खर्च—नेय्यतिकरा (४६ लाख रु०), बिहार शरीफ (२८.८ लाख रु०), और काकीनाडा-पेद्दापुरम (२२.१ लाख रु०) योजनाओं पर हुआ । ६ योजनाओं पर ३३ प्रतिशत और दूसरी ६ पर १५ प्रतिशत खर्च किया गया । ३९,००० व्यक्तियों को पूरा और ७९,००० को अंशकालिक काम दिया गया ।

मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में ४ करोड़ रु० का सामान बना, जिसमें से ३ करोड़ ५० लाख रु० की बिक्री हुई । ये सामान खास तौर से सहकारी समितियां और



औद्योगिक योजनाएं

विकास क्षेत्रों की अध्ययन टोली की रिपोर्ट

सामुदायिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक योजनाओं का सर्वेक्षण करने वाली अध्ययन टोली ने सुझाव दिया है कि भविष्य में नगरों में उद्योगों का केन्द्रीकरण रोका जाए । उनका विस्तार देहातों में किया जाए और इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को पूरे अधिकार दिए जाएं । टोली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब तक देहातों में रोजगार दिलाने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक शहरों में लोगों का आना जारी रहेगा ।

यह टोली सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री के संसदीय सचिव, श्री श्यामधर मिश्र की अध्यक्षता में पिछले साल जुलाई में नियुक्त की गई थी । इसने आजमाइशी योजनाओं की कार्य-प्रणाली, सफलताओं और असफलताओं का अध्ययन किया । सामुदायिक विकास खंडों में छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास के उपायों पर विचार किया ।

टोली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अनि-वार्य बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद

सरकारी उत्पादन केन्द्रों में तैयार हुआ। १,०७४ औद्योगिक सहकारी समितियां संगठित की गई और ३७,००० सदस्य बनाए गए तथा १४ लाख ६० हजार (पेड अप) हिस्सा पूंजी जमा हुई। १० क्षेत्रों में छोटी उद्योग बस्तियों की स्वीकृति दी गई, जिनमें ७ पूरी हो गई हैं।

बिहार, मद्रास और केरल के कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकारों की सहायता से सामान बेचने का कार्यक्रम सफलता से चल रहा है।

टोली ने सुझाव दिया है कि जहां बिजली नहीं है या उसका अभाव है वहां पर पेशेवर या खानदानी ग्राम उद्योग सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं।

पेशेवर कारीगरों को उधार नहीं मिलता, क्योंकि वे गरीब होने के कारण जमानत नहीं दे सकते। अतः टोली की राय में इस समस्या को हल करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें अच्छे औजार, बिजली, बिक्री आदि की सहायता देनी चाहिए।

प्रत्येक विकास खंड अपने क्षेत्र में इस बात की पड़ताल करे कि वहां पर कौन-सा उद्योग लाभदायक हो सकता है। प्रत्येक खंड में ऐसा विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाए जो अन्य औद्योगिक विकास कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप में हो।

विकास क्षेत्रों में फसलों की उत्पादन दर

पिछले चार वर्षों में सामुदायिक विकास खण्डों में मुख्य फसलों की उत्पादन दर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रही। यह तथ्य नेशनल सम्पल सर्वे के १९५५-५६ से १९५८-५९ तक के सर्वे से प्रकट होता है।

विकास खण्डों में गेहूं के उत्पादन की दर २० प्रतिशत और चावल की उत्पादन दर १५ प्रतिशत अधिक रही। ज्वार की फसल में तो यह अन्तर और भी स्पष्ट हो जाता है। विकास क्षेत्रों में ज्वार की फसल की उत्पादन दर २५ प्रतिशत अधिक रही।

पहले वर्ष केवल उन विकास खण्डों में सर्वे किया गया, जो १९५३ तक स्थापित किए गए थे। १९५८-५९ में उससे लगभग तीन गुना अधिक क्षेत्र का सर्वे किया गया।

सर्वे का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जो शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तीसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक संख्या में नये कालेज खोलने की आवश्यकता है। इनमें से प्रत्येक कालेज में शिक्षा के लिए आवश्यक सब उपकरण होने चाहिए तथा विद्यार्थियों की संख्या इतनी होनी चाहिए जिससे उनका पूरा ध्यान रखा जा सके।

रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले छात्रों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष ५० हजार के हिसाब से बढ़ रही है। यदि संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो बहुत जल्द ही कुल संख्या १० लाख के करीब हो जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चार नये विश्वविद्यालयों को शामिल करके १९५८-५९ में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या ३५ थी। इसके अतिरिक्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को भी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालयों के अंग होने के नाते कालेजों को भी आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने का नियम जब से बना है, तब से ७१८ कालेज सम्बद्ध हो चुके हैं। इनमें से २६७ कालेजों में १९५८-५९ में अपने यहां शिक्षकों की तनख्वाहें बढ़ाने की योजना लागू की। इस योजना को पूरा करने के लिए आयोग ने लगभग १७ लाख रु० दिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अप्रैल १९५८ से मार्च १९५९ तक की यह रिपोर्ट २३ फरवरी को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने राज्यसभा के सामने रखी।

कालेजों में प्रवेश

अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कालेजों में प्रवेश के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे अनावश्यक रूप से विद्यार्थी कालेजों में भर्ती न हो सकेंगे और इस तरह राष्ट्रीय साधन बरबाद होने से बच जाएंगे। आयोग का कहना है कि विश्वविद्यालय का प्रयोग प्रतीक्षालय की तरह नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें नौकरी मिलने से पहले खाली बैठे छात्र वक्त काटने के लिए आकर भर्ती हो जाएं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सम्भवतः अभी काफी समय तक उच्च शिक्षा के लिए हमें ऐसे विश्वविद्यालयों पर ही निर्भर करना पड़ेगा, जिनमें केवल पढ़ाने की व्यवस्था हो या जिनके साथ कालेज सम्बद्ध हों। इसमें सन्देह नहीं कि आदर्श विश्वविद्यालय वही होगा, जहां छात्र रहते भी हों, लेकिन यह काफी खर्चीली व्यवस्था है। इसके साथ ही ऐसे विश्वविद्यालयों में जब छात्रों की संख्या ५,००० से अधिक बढ़ जाती है तो उनमें न तो शिक्षा ही सन्तोषजनक होती है और न प्रबन्ध ही ठीक हो पाता है। हाल के अनुभवों से पता लगा है कि छात्रों में अनुशासनहीनता की अधिकांश घटनाएं ऐसे ही विद्यालयों में हुई हैं।

शिक्षकों की स्थिति में सुधार

आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि जिन विश्वविद्यालयों में छात्रों के रहने की भी व्यवस्था हो, उनमें छात्रों की संख्या सीमित रखने के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में काफी योग्य छात्रों को ही दाखिला दिया जाए।

आयोग ने इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के वेतन-क्रम बढ़ाए गए हैं। अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहायता देकर शिक्षकों के वेतन-क्रम बढ़ाने के लिए आयोग ने जो योजना रखी थी, उस पर विभिन्न राज्यों के २० विश्वविद्यालयों ने अमल किया है।

वरी को शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने एक विशेष समारोह में पंजाब विश्वविद्यालय को भेंट की।

'अबुल कलाम आजाद' ट्राफी उस विश्वविद्यालय को दी जाती है, जो हर वर्ष राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक छात्रों को भाग लेने के लिए भेजता है। मौलाना आजाद स्वयं खेलों को बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी लेते थे, इसलिए यह पुरस्कार उन्हीं के नाम पर रखा गया है। १९५६-५७ में इसे बम्बई विश्वविद्यालय ने जीता था और अब दो साल से पंजाब विश्वविद्यालय जीत रहा है।

१९५९-६० में दिल्ली में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति उपमंत्री, डा० मनमोहन दास ने प्रश्नोत्तर के समय १९ फरवरी को लोकसभा में १९५९-६० में दिल्ली में हुई पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई का ब्योरा दिया।

डा० दास ने बताया कि निम्नलिखित स्थानों पर खुदाई हुई

(१) लाल कोट : आदम खां के मकबरे के पश्चिम भीतरी दीवार और लाल कोट की दीवार के जोड़ पर जो खुदाई हुई उससे पता चला कि जो नई दीवार मिली है वह किसी पुरानी गढ़ी की है। जिस स्थान पर खुदाई नहीं हुई है, वहां पर पड़ा हुआ मलबा हटाने पर दो अर्ध-वृत्ताकार बुर्ज मिले हैं। लाल कोट की दीवार से कुतुब मीनार के पूरब तक जो खुदाई पिछले साल और इस साल हुई उससे पता चला है कि लाल कोट की भीतरी गढ़ी जितनी समझी जाती रही है, उससे कहीं अधिक सुदृढ़ थी। जिन ऊंची दीवारों को गजनी ने तोड़ा था वे और रणजीत फाटक बाद के बने हुए हैं। ये दीवारें और फाटक गढ़ी की सुरक्षा के लिए या गढ़ी के बाहर रहने वाले साधारण लोगों को परकोटे के भीतर सुरक्षित रहने के लिए बनाए गए होंगे।

(२) कोटला फीरोजशाह : यहां पर हुई खुदाई में उत्तरी परकोटे की पूरब की ओर की दीवार निकली है। इस दीवार में साधारणतया किले की दीवारों में होने वाले बुर्ज नहीं है।

आकाशवाणी में उर्दू का नया कार्यक्रम

२२ फरवरी से आकाशवाणी ने उर्दू का एक नया कार्यक्रम—उर्दू मजलिस शुरू किया। इसका उद्घाटन डा० राजेन्द्र प्रसाद ने किया। कार्यक्रम आधे घण्टे का होता है और इसमें नाटक, वार्ता, बहस, संगीत और समाचार दर्शन, यह सब प्रसारित किया जाता है।

उर्दू मजलिस की एक विशेषता यह है कि इसमें उर्दू साहित्य के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य भी उर्दू अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।



हिमाचल प्रदेश और नागा पहाड़ियों में गलगण्ड की पड़ताल

स्वास्थ्य मंत्रालय का गलगण्ड पड़ताल दल मार्च १९५९ से हिमाचल प्रदेश में पड़ताल कर रहा है। अब तक दल ने बिलासपुर, महासू, मण्डी और सिरमौर जिलों में ३७,६७१ व्यक्तियों की जांच की। इनमें से १०,८७० व्यक्तियों के गले की गिल्टियां बढ़ी हुई थीं। इन जिलों की कुल आबादी ४०,२१० है और वहां २७२ गांव तथा ११९ स्कूल हैं।

एक और दल नागा पहाड़ियों में दिसम्बर १९५९ से पड़ताल कर रहा है। वह अब तक १,५४० व्यक्तियों की जांच कर चुका है। इनमें से ४३३ के गले की गिल्टियां बढ़ी हुई थीं।

ये दल कुछ क्षेत्रों को निर्धारित करेंगे, जहां के लोगों को आयोडीनयुक्त नमक दिया जाएगा। वहां यह नमक साधारण नमक के ही भाव पर दिया जाएगा और इस आयोडीन का खर्च भारत सरकार उठाएगी।

आयोडीनयुक्त नमक बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष कारखाना देगा। यह साभर झील के निकट खड़ा किया जाएगा और इसमें नवम्बर १९६० से आयोडीनयुक्त नमक बनाया जाने लगेगा। इस कारखाने की क्षमता १६,००० टन होगी और इससे २७ लाख ५० हजार व्यक्तियों को आयोडीनयुक्त नमक मिल सकेगा।

दूसरी योजना में गलगण्ड की रोकथाम के लिए १८ लाख रु० रखे गये हैं।



पश्चिमी बंगाल के विस्थापितों को शिविर छोड़ने का नोटिस

पश्चिमी बंगाल के शिविरों में जो विस्थापित परिवार रह रहे हैं, उन्हें शिविर छोड़ने के लिए ९० दिन का नोटिस देने के बारे में केन्द्रीय पुनर्संस्थापन मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। राज्य और केन्द्र के पुनर्संस्थापन मंत्रियों के परामर्श के बाद ही नोटिस दिये गये हैं। इसलिए इस विषय में मतभेद के जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, वे निराधार हैं।

यह सूचना केन्द्रीय पुनर्संस्थापन उपमंत्री, श्री पूर्णेन्दु शेखर नस्कर ने २४ फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य में दी, जो उन्होंने सदन की मेज पर रखा।

श्री नस्कर ने कहा कि शिविरों में रहने वाले विस्थापितों को नोटिस देना हमारी नीति के अनुकूल है और इस पर केन्द्र और राज्यों के मंत्रियों में सलाह होती रहती है। २९ दिसम्बर, १९५९ को पुनर्संस्थापन मंत्रियों की बैठक में ये मुख्य निर्णय हुए :

(१) विस्थापित किसानों को ९० दिन की बजाय ६० दिन में दण्डकारण्य

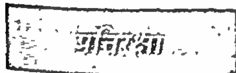
जाने का नोटिस दिया जाए। राज्य सरकार चाहे तो इस मियाद को ६० दिन और बढ़ा सकती है। जो लोग दण्डकारण्य जाने से इन्कार करें उन्हें ६ महीने की वृत्ति देकर शिविर से उनके नाम काट दिए जाएं।

(२) जैसे-जैसे गैर-शरणार्थियों को शिविर से हटाने की आवश्यकता समझी जाए वैसे-वैसे उन्हें शिविरों से हटाया जाए।

पाकिस्तान में विस्थापितों की छूटी हुई चल-सम्पत्ति

पुनर्वास मंत्रालय की १८ फरवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल-सम्पत्ति करार हुआ था, उसके अन्तर्गत भारत सरकार को पाकिस्तान से वहां की कुछ अदालतों में जमा सरकारी जमानतें, डाकखाने के बचत-हिसाब और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बैंकों में जमा रकम का हिसाब आदि प्राप्त हुआ है।

यह सम्पत्ति सबूत मिल जाने पर उनके दावेदारों को दे दी जाएगी।



वायुसेना का बेनीवोलेण्ट एसोसिएशन

वायुसेना के सैनिकों को सहायता देने वाली संस्था, बेनीवोलेण्ट एसोसिएशन ने पिछले साल सैनिकों और उनके परिवार वालों को ७०,००० रु० का अनुदान और २०,००० रु० का ऋण दिया।

एसोसिएशन की वार्षिक बैठक २४ फरवरी को नयी दिल्ली में हुई। उसी में सदस्यों को उक्त जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता एयर कोमोडोर एच० एन० चटर्जी ने की। इसमें ४०० से भी अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

यह एसोसिएशन, मृत वायुसैनिकों के आश्रितों को तथा ऐसे वायुसैनिकों को सहायता देता है, जो बीमार हैं या किसी दुर्घटना से जिनके अंग भंग हो गए हैं। यह एसोसिएशन १९५० में स्थापित हुआ था और यह सदस्यों के चन्दे और दातव्य संस्थाओं तथा दानी व्यक्तियों के चन्दे से चलता है। पिछले साल इसके लिए दिल्ली में जो वायुसेना दिवस मनाया गया था, उससे ११,००० रु० से भी अधिक प्राप्त हुए थे।

वायुसेना प्रधान कार्यालय में नियुक्ति

एयर कमोडोर एच० एन० चटर्जी को वायुसेना के प्रधान कार्यालय में प्रशासन का एयर अफसर इनचार्ज नियुक्त किया गया है।

श्री चटर्जी के स्थान पर जामनगर वायुसेना केन्द्र के कमाण्डिंग अफसर ग्रुप कैप्टेन ओ० पी० मेहरा को वायुसेना प्रधान कार्यालय में एयर अफसर इनचार्ज, नीति और योजना, नियुक्त किया गया है।

असैनिक पदों पर सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति

पिछले तीन वर्षों में, यानी १९५६ से १९५८ तक केन्द्रीय सरकार के असैनिक पदों पर ३३७ सैनिक अधिकारी नियुक्त किए गए। १९५६ में १११, १९५७ में ११३ और १९५८ में ११३ सैनिक अधिकारी नियुक्त किए गए।

ये नियुक्तियां इस लिए की गई कि इन पदों के लिए उपयुक्त योग्यता वाले असैनिक अधिकारी नहीं मिल सके थे।

भर्ती नियम में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे पदों पर जिनके लिए सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक हो, उन पर सैनिक अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।

सैण्डहर्स्ट मिलिट्री अकादमी को जाट रंगरूट की चांदी की मूर्ति भेंट

२३ फरवरी को बरेली के जाट रेजीमेंट केन्द्र में एक दरबार किया गया और रेजीमेंट के कर्नल, ब्रिगेडियर हरभजन सिंह ने अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जे० जे० लियन्स को जाट रंगरूट की एक चांदी की मूर्ति भेंट में दी। यह मूर्ति, सैण्डहर्स्ट की राष्ट्रीय युद्ध अकादमी की भारतीय सैनिक शाखा में रखने के लिए दी गई है। यह मूर्ति, जाट बटालियन को पुरस्कार रूप में मिली मूर्ति की नकल है। यह पुरस्कार मूर्ति १०० साल से अधिक समय से इस बटालियन के पास है।



राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

बम्बई का भीख निरोधक विधेयक, १९५९

इस विधेयक के द्वारा भीख मांगना रोकने तथा भिखमंगों को काम दिलाने के बारे में बम्बई राज्य के लिए एक-सा कानून बनाया गया है। पुनर्गठन से पहले बम्बई राज्य में बम्बई भीख अधिनियम, १९४५ लागू होता था। मराठवाड़ा क्षेत्र में भीख निरोधक अधिनियम लागू होता है। सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ में ऐसा कोई कानून नहीं है। इस विधेयक के द्वारा पूरे बम्बई राज्य में भिखमंगों के बारे में एक-सा कानून लागू होने लगेगा।

उड़ीसा का निजी वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, १९५९

इस विधेयक के द्वारा उड़ीसा के निजी वन संरक्षण अधिनियम, १९४७ की अवधि दो साल और बढ़ा दी गई है। यह अधिनियम वैसे मार्च १९६० को समाप्त हो जाता। निजी वनों की सुरक्षा तथा उन्हें काटने से रोकने के लिए ही यह अधिनियम बनाया गया था।

उड़ीसा राज्य में अभी ऐसी स्थिति नहीं हो पाई है कि यह अधिनियम समाप्त किया जा सके। यह पता चला था कि अधिनियम में सूखी पत्तियों या पेड़ काटने की जो व्यवस्था की गई थी, उसके अन्तर्गत कई हरे पेड़ काटे जा रहे थे। इसे रोकने के लिए ही अधिनियम में यह संशोधन करना पड़ा है।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, दिल्ली–८ द्वारा सम्पादित तथा



नयी दिल्ली में २९ फरवरी को जापानी इस्पात शिष्टमण्डल के नेता श्री शिगो नगानो, केन्द्रीय खान और तेल मंत्री, श्री के० डी० मालवीय के साथ



२७ फरवरी को नयी दिल्ली में संयुक्त राष्ट्रीय विशेष निधि के प्रबन्ध निदेशक, श्री पॉल हॉफमैन, केन्द्रीय श्रम, रोजगार और आयोजन मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा के साथ



जर्मन गणराज्य संघ के विदेश मंत्री, डा० हेनरिख वॉन ब्रेंटानो (दाएं) नयी दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर आगमन के समय परराष्ट्र उपमंत्री, श्रीमती लक्ष्मी मेनन के साथ

रजिस्टर्ड नं०
डी०–६४१



उन्नीसवें सार्वदेशिक खेल-कूद समारोह में, जिसका नयी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में २५ फरवरी को उद्घाटन हुआ, लड़कों को गोला फेंकने की प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले पटियाला के यादवेन्द्र पब्लिक स्कूल के अमर दलजीत सिंह

१७ फरवरी को नयी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय शारीरिक-क्षमता आन्दोलन के उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, श्री के० एल० श्रीमाली छात्रों के मार्च-पास्ट की सलामी लेते हुए

भारतीय समाचार



वर्ष ३ | १ मार्च, १९६० (११ फाल्गुन, १८८१) | अङ्क ३



केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मत्री, डा० हुमायूं कबीर तथा परमश्रेष्ठ श्री० जी० ए० जुकोव, जो सोवियत सघ के विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्धों की मंत्रि-समिति के अध्यक्ष हैं, १२ फरवरी को नयी दिल्ली में भारत और सोवियत संघ के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए। इस अवसर पर श्री जवाहरलाल नेहरू और परमश्रेष्ठ श्री निकिता ख्रुश्चेव भी उपस्थित थे



फिनलैण्ड के प्रधान मंत्री, डा० वी० जे० सुक्सेलेनिन १२ दिन की राजकीय यात्रा पर १३ फरवरी को पालम हवाई अड्डे पहुंचने के बाद श्री नेहरू के साथ



जर्मन जनतन्त्रीय गणतन्त्र मन्त्रि-परिषद के उपाध्यक्ष परमश्रेष्ठ हर हीनरिख राउ, (दायें से दूसरे) जो जर्मनी के वैदेशिक और आन्तरिक व्यापार मंत्री भी हैं, ९ फरवरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री, श्री एस० के० पाटिल के साथ

भारतीय

समाचार

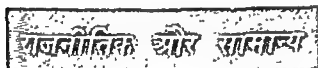
वर्ष ३ | १ मार्च, १९६० | ११ फाल्गुन, १८८१ | अङ्क ३

एक प्रति रु० ०.२५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : सोवियत प्रधान मंत्री परमश्रेष्ठ श्री एन० एस० ख्रुश्चेव १२ फरवरी को उन्हीं के सम्मान में दिल्ली में आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह में प्रधान मंत्री श्री नेहरू को उस झंडे की प्रतिमूर्ति भेंट करते हुए जो सोवियत संघ ने चन्द्रमा पर गाड़ा है

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



संसद के समक्ष राष्ट्रपति का भाषण

८ फरवरी, १९६० को संसद के बजट सत्र का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में निम्न-लिखित भाषण दिया —

बीते वर्ष में मेरी सरकार और हमारे लोग पहले से कहीं अधिक राष्ट्र-निर्माण के काम में संलग्न रहे। देहातों और शहरों में रहने वाले हमारे लोग आर्थिक और सामाजिक उन्नति की आवश्यकताओं और सफलताओं को अधिकाधिक समझने लगे हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण और अपनी स्थिति और रहन-सहन के स्तर में सुधार के लिए आधारभूत मानते हैं।

चीनी अतिक्रमण

हमारी परम्परागत और सुपरिचित सीमाओं को लांघ कर, भारतीय गणराज्य की भूमि के कुछ भागों पर चीनी लोगों के घुस आने से हमारे लोगों को भारी दुःख हुआ है और उनमें ठीक ही व्यापक क्षोभ की भावना फैली है। इनके कारण हमारे साधनों और राष्ट्रनिर्माण के प्रयासों पर बहुत भार पड़ा है। हमें इन सीमावर्ती घटनाओं का दुःख है और अफसोस भी है। हमारे आपसी सम्बन्धों के निर्धारण के लिए जिन सिद्धान्तों को हमने परस्पर स्वीकार किया था चीन द्वारा उनकी अवहेलना के कारण ही ये घटनाएं घटी हैं। हमारी सम्पूर्ण सत्ता के लिए पैदा हुए इन खतरों का मुकाबला करने के हेतु मेरी सरकार ने प्रतिरक्षा और राजनयन के क्षेत्रों में सतर्क और सुविचारित कई कदम उठाये हैं।

मेरी सरकार को खास तौर से इस बात का अफसोस है कि हमारे पड़ोसी ने हमारी सामान्य सीमा पर, जहां हमारी सेना तैनात नहीं थी, सैनिक बल का एकतरफा प्रयोग किया। यह विश्वासघात है, किन्तु उन सिद्धान्तों में जिन्हें हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए आधारभूत मानते हैं अभी भी हमारी आस्था है।

संसद् के सदस्यगण, समय समय पर हमारे प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच पत्रव्यवहार के प्रकाशन द्वारा आप को, हमारे दोनों देशों के बीच जो स्थिति रही है, उससे अवगत रखा गया है। मेरी सरकार ने यह असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इन विवादग्रस्त मामलों को सुलझाने के लिए हम शान्तिपूर्ण प्रयत्न करना चाहते हैं। उतनी ही स्पष्टता से हमने यह भी कहा और दोहराया है कि चीन ने जो रुख अपनाया है और जो एकतरफा कार्य या निर्णय किया है, वह

पथप्रदर्शन और सहकारी समितियों द्वारा आत्म-सहायता की योजनाओं को चालू किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्संस्थापन और कल्याण प्रतिरक्षा की योजनाओं का आवश्यक अंग है और यह सशस्त्र सेनाओं में काम करने वालों में उचित आशा, उत्साह और स्थिरता की भावना का संचार करने का साधन है।

केरल

संसद के सदस्य इस बात से परिचित हैं कि केरल राज्य के सम्बन्ध में ३१ जुलाई, १९५९ को जारी होने वाली उद्घोषणा में, जिसका अनुमोदन लोक सभा और राज्य सभा ने अपने प्रस्तावों द्वारा किया, यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य की विधान सभा के लिए जितनी भी जल्दी सम्भव हो चुनाव किये जाएं। तदनुसार साधारण चुनाव हुए और सारे राज्य में १ फरवरी को मतदान हुआ। इस चुनाव में मत देने वालों की संख्या अभी तक अधिकतम मतदान वाले चुनावों में से रही। शीघ्र ही उद्घोषणा को वापस लेकर राज्य में साधारण वैधानिक व्यवस्था लागू की जायेगी।

संसद के पिछले सत्र में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के सदस्यों के लिए लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में सीटें सुरक्षित रखने सम्बन्धी अभिरक्षण को १० साल तक और बढ़ाने का निश्चय किया गया था, और इस निर्णय से सम्बन्धित संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम के लिए मैं अपनी स्वीकृति दे चुका हूं। हमारे संविधान के अनुच्छेद ३३९ के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में जन-जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में जांच के लिए सरकार एक आयोग की नियुक्ति करने का विचार कर रही है।

संसार के सम्मुख कार्य

१९५९ में संसद ने ६३ विधेयक पारित किये। १५ विधेयक आपके समक्ष विचाराधीन हैं। विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती है। इन प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल होंगे —

दि एटमिक एनर्जी बिल

दि इंडियन टेलिग्राफ (अमेंडमेंट) बिल

दि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डिवेलपमेंट एंड वेयर-हाउसिंग) कारपोरेशन बिल

दि फारवर्ड कांट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट बिल

दि इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन बिल

दि एम्पलाईज प्राविडेंट फंड (अमेंडमेंट) बिल

दि डौक वर्कर्स (रेग्यूलेशन आव एम्पलायमेंट) बिल

दि प्लांटेशन लेबर (अमेंडमेंट) बिल

दि सेंट्रल मेटर्निटी बेनिफिट बिल

दि इंडियन सेल आव गुड्स (अमेंडमेंट) बिल

दि रिलिज्यस ट्रस्ट्स बिल

दि टू-मेम्बर कांस्टिट्यूएंसीज़ (अबोलीशन) बिल

और, दि पेमेंट आव वेजेज़ (अमेंडमेंट) बिल।

मौजूदा बम्बई राज्य के पुनर्गठन और दो अलग राज्यों के संस्थापन के लिए मेरी सरकार एक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर मेरी सरकार अपना निर्णय पहले ही घोषित कर चुकी है। दूसरी सिफारिशें सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। जगन्नाथदास आयोग जांच के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेन्शन आदि में वृद्धि के कारण, अनुमान है, करीब ३१ करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय बैठेगा।

१९६०-६१ वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जाएंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

संसार में तनाव की भावना में ढिलाई और निःशस्त्रीकरण और शान्ति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच उच्च स्तर के सम्मेलनों की संभावनाओं पर मेरी सरकार सन्तोष प्रगट करती है। महान राजनीतिज्ञों, विशेषकर अमरीका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ की मन्त्री परिषद के अध्यक्ष, हमारे देश और देशवासियों की प्रशंसा और सद्भावना के अधिकारी हैं। स्वेच्छा से अपने अपने देश में न्यूक्लीयर विस्फोटों के स्थगन को जारी रखने और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अमरीका और सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रयत्नों का मेरी सरकार स्वागत करती है, पर इस विचार को फिर से दोहराती है कि विध्वंस के अस्त्रों का परीक्षण बन्द होना चाहिए।

बड़े राष्ट्रों के नेताओं में प्रत्यक्ष सम्पर्क और इन प्रवृत्तियों का हम स्वागत करते हैं और इन प्रयासों की सफलता चाहते हैं। हमें विश्वास है कि ये प्रयास विश्व शान्ति के लिए और शस्त्रास्त्रों के संचय की दौड़ को रोकने की सच्ची इच्छा से प्रेरित हुए हैं।

शस्त्रास्त्रों की भयानक उत्पत्ति और उनसे पैदा होने वाले तथा उन पर आश्रित भय और द्वेषों के बीच मेरी सरकार दिल से ऐसे युद्धहीन विश्व की कल्पना जागृत करने वाली नई घटनाओं का स्वागत करती है जिनमें राष्ट्र हथियारों को ही नहीं त्याग देंगे बल्कि आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए युद्ध का परित्याग कर देंगे और अपनी सभी शक्तियों और साधनों को शान्तिपूर्ण विश्व के निर्माण में लगा देंगे।

हमारी सरकार और लोग संसार में शान्ति और सहयोग बनाये रखने के लिए तत्पर हैं। वे शान्तिपूर्ण उपायों और तटस्थता की नीति पर, जिसका आधार हमारा इतिहास और दृष्टिकोण, हमारा विश्वास और व्यवहार और हमारे लोगों की उत्कट इच्छाएं तथा धारणाएं हैं, स्थिर रहने के लिए दृढ़-संकल्प हैं। इस नीति का संसद ने कई अवसरों पर स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है।

मुझे कम्बोडिया, वियेतनाम गणराज्य, वियेतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य, लाओस और लंका की यात्रा करने का सौभाग्य मिला और इन देशों की सरकारों तथा लोगों द्वारा सुखद और उदार स्वागत का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ।

मुझे अपने देश की राजधानी में अमरीका के राष्ट्रपति और बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति का स्वागत करने में हर्ष हुआ। ये दोनों महानुभाव अपने व्यक्तित्व में अपने देशों की शक्ति और महानताओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि विश्व शान्ति के लिए अपने देशवासियों की प्रबल इच्छाओं के प्रतिबिम्ब हैं। सोवियत संघ की मन्त्री परिषद के अध्यक्ष, श्री ख्रुश्चेव के आगमन की, जो हमारे

में एक और शान्ति दूत है, हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। निःशस्त्रीकरण और शांति की खोज में इन दोनों महान देशों और दूसरों के भी प्रयत्नों के पीछे हमारी पूर्ण सद्भावना और नैतिक समर्थन होगा।

मेरी सरकार को अफ़गानिस्तान, आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, घाना, नेपाल और स्वीडन के प्रधान मंत्रियों का स्वागत कर खुशी हुई। संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर, महामहिम मुल्की सम्राट और फिनलैंड के प्रधानमंत्री की हम उत्सुकता से राह देख रहे हैं।

हमारे उप राष्ट्रपति ने फिलिपीन्स, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड की यात्रा की और इन सभी जगह की सरकारों और लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

हमारे प्रधान मंत्री ने अफ़गानिस्तान, ईरान और नेपाल की यात्रा की और वहां उनका सद्भावना से ओतप्रोत स्वागत हुआ।

भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों की एक दूसरे के यहां यात्राओं के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच मैत्री और निकटता की भावना को और दृढ़ता मिली और दोनों देशों के हित में सहयोग का निश्चय हुआ और उसके लिए प्रबल इच्छा प्रकट हुई।

राष्ट्रमंडल के देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को कई राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों में हमारे भाग लेने के कारण बढ़ावा मिला और हमारी आन्तरिक और विदेश नीतियों तथा हमारे आर्थिक विकास कार्यक्रम के प्रति अधिक सद्भावना पैदा हुई।

पाकिस्तान से सम्बन्ध

मुझे खुशी है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों पर समझौता हो गया है। मेरी सरकार को आशा है कि पाकिस्तान के साथ इस समझौते के फलस्वरूप हमारे पड़ोसी के साथ, जिससे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने की हमारी हमेशा इच्छा रही है, सीमा-निर्धारण का कार्य सफलतापूर्वक हो सकेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक मामलों को सुलझाने की दिशा में भी प्रगति हुई है और यह आशा है कि नहरी पानी संबंधी पुराना झगड़ा शीघ्र ही तय हो जाएगा। इन घटनाओं का, जिनसे हमें पूर्ण आशा है कि दोनों देश एक दूसरे के निकट आएंगे, मैं स्वागत करता हूं।

गत २५ सितम्बर, १९५९ को स्वर्गीय एस० डब्लू० आर० डी० भंडारनायके, लंका के प्रधान मंत्री, की हत्या के समाचार से भारत के लोगों और सरकार को बहुत दुःख हुआ और चोट पहुंची। वे भारत के बड़े मित्र थे और हमारे देश में कई बार आए थे। श्रीमती भंडारनायके, उनके बच्चों और लंका के लोगों और सरकार के प्रति हमने हार्दिक समवेदना प्रकट की।

संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने, उपनिवेश देशों की आज़ादी की समस्या, विशेषकर अल्जीरिया के लोगों के निरंतर स्वातन्त्र्य युद्ध के प्रति हमारे देश के लोगों की सहानुभूतिपूर्ण भावना प्रकट की।

कैमरून की, जो अभी तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था, स्वाधीनता का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में अफ्रीका के कई उपनिवेश देश इसी प्रकार राष्ट्र पद प्राप्त कर लेंगे।

दक्षिण अफ्रीकी संघ की सरकार की जाति के आधार पर पृथकता की नीति के कारण उस देश के अधिकांश लोगों को जो उस देश के नागरिक हैं अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़ रहे हैं। इन लोगों में बहुत से मूल भारतीय भी शामिल हैं। यह नीति संयुक्त राष्ट्र के अधिकारपत्र में दिये गये मानवीय अधिकारों के प्रतिकूल है और संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के पिछले सत्र में इस नीति की फिर से घोर निन्दा की गई।

मेरी सरकार ने दक्षिण अमरीका में क्यूबा, वेनज़्वेला और कोलम्बिया से तथा अफ्रीका में गिनी के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है।

संसद के सदस्यगण, मैंने आपके सामने गत वर्ष की प्रमुख घटनाएं, सफलताएं और चिन्ताएं रखी हैं। मैंने आप को उन सब महान कार्यों और भारी जिम्मेदारियों का दिग्दर्शन कराया जो इस समय हमारे सामने हैं। ये सब आपके गम्भीर चिन्तन की अपेक्षा करती हैं। हमारे आर्थिक आयोजन, देश की प्रतिरक्षा और विश्व शान्ति में हमारे योगदान के लिए, देश की सरकार और लोगों को अधिकाधिक आपकी सूझबूझ तथा सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार संसद संविधान के द्वारा इस ऐतिहासिक कार्य को सम्पन्न करेगी।

हमने इस वर्ष अपने नन्हे गणराज्य की ११वीं वर्षगांठ मनाई। हमारा संविधान, जो हमने अपने लिए निश्चित किया और जिसके अनुसार समस्त सत्ता देश की जनता पर आश्रित है और जनता से ही प्रवाहित होती है, स्थिर रहा और उसमें शक्ति का संचार हुआ। मेरी सरकार और हमारे लोगों की नीतियों तथा सफलताओं से हमारे प्रजातन्त्र को बल मिला और उसमें आर्थिक और सामाजिक कल्याण की क्षमता बराबर बढ़ती जा रही है।

हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा स्वातन्त्र्य युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार विकसित हुआ कि अपने राष्ट्रपिता के जीवन और उदाहरण से हमें प्रेरणा मिली। अपने नन्हे गणराज्य के इस ११वें वर्ष में हम अपने अतीत और भविष्य को गर्व और विश्वास के साथ, किन्तु अत्यधिक निश्चिन्तता के साथ नहीं देख सकते हैं। हमारे सामने जो कार्य हैं, वे विशाल हैं। उन्हें सम्पन्न करने के लिए अपने लोगों और देश के प्रशासन में निरन्तर सतर्कता, अधिकाधिक दृढ़ता, अनुशासन और उद्देश्य की भावना की जरूरत है। इस प्रकार ही देश के जन गण के लिए हमारा प्रजातन्त्र यथार्थ और सच्चा हो सकता है।

हमारे विस्तृत साधन और हमारे लोगों की योग्यताएं, निर्माण और उन्नति के उस महान कार्य में लगी हैं, जो हमारे सामने है। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक और विचारणीय है कि हमारे प्रशासन की योग्यता भी उसी कोटि की हो, उसमें बराबर बढ़ती हुई शीघ्रता की भावना लाई जाए, कार्यप्रणाली को सरल और सुबोध बनाया जाए और उसे इस प्रकार चलाया जाए कि उस से सभी वर्गों और श्रेणियों के लोगों का विश्वास बढ़ता जाए और जन-शक्ति तथा समय का अपव्यय न हो।

मेरी सरकार का यह बराबर यत्न रहेगा कि नीतियों के निर्माण और उनको कार्यान्वित होने में जो समय लगता है वह कम से कम हो, सभी वर्गों और आर्थिक तथा सामाजिक स्तरों के लोग हमारी योजनाओं में भाग ले सकें और इस प्रकार योगदान देकर वे आत्मोपयोगिता और ग[illegible] की भावना का अनुभव कर सकें जो हमें स्वतन्त्रता से मिली है।

मेरी सरकार मातृभूमि की स्वाधीनता और हमारे लोगों की गरिमा को बनाए रखने, एकता की भावना को प्रोत्साहित [illegible]

वेतन आयोग : सरकार द्वारा कुछ और निर्णय

वित्त उपमंत्री, श्री बलिराम भगत ने एक प्रश्न के उत्तर में ११ फरवरी को लोकसभा में बताया कि सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर कुछ और निर्णय किए हैं।

श्री भगत ने सदन की मेज पर निम्नलिखित वक्तव्य रखा :—

वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार के निर्णय
१. निम्नलिखित शर्तों के अनुसार, पेंशन के लिए, क्वालिफाइंग सर्विस में अतिरिक्त वर्ष जोड़ने की व्यवस्था की जाए (१) यह सुविधा उन्हीं कर्मचारियों को दी जानी चाहिए जिनकी नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान, विज्ञान, शिल्प अथवा व्यावसायिक क्षेत्र की विशेष योग्यता या अनुभव होना आवश्यक है, जैसे कानून या डाक्टरी। (२) यह सुविधा उन कर्मचारियों को दी जानी चाहिए जिनकी भर्ती २८ साल की उम्र के बाद हुई हो। (३) यह सुविधा देने का निश्चय केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सलाह से करना चाहिए। (४) यह सुविधा तभी दी जानी चाहिए जब कर्मचारी रिटायर होने की निर्धारित उम्र में ही सेवा निवृत्त हो। (५) क्वालिफाइंग सर्विस में नौकरी के पूरे समय का चौथाई समय, पर अधिक से अधिक पांच साल जोड़े जाने चाहिए।	निम्नलिखित संशोधनों सहित स्वीकार : (१) यह सुविधा भविष्य में इन योग्यताओं वाले उन कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, जिनकी भर्ती २५ साल की उम्र के बाद हो। (२) यह सुविधा देने का निश्चय संबंधित मंत्रालय को, कर्मचारी की भर्ती के समय वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय लोकसेवा आयोग की सलाह से करना चाहिए। (३) सेवा निवृत्ति के समय कम से कम १० साल की क्वालीफाइंग सर्विस होनी चाहिए। (४) क्वालीफाइंग सर्विस में अतिरिक्त वर्ष इस प्रकार जोड़े जाएंगे : (क) भर्ती के समय कर्मचारी की उम्र २५ साल से जितने वर्ष अधिक हो, या (ख) नौकरी के पूरे समय का चौथाई समय, या (ग) ५ वर्ष, इन तीनों में से जो भी कम हो।
२. उच्च योग्यता वाले वैज्ञानिकों और शिल्पिकों को, जो ३५ साल या इससे अधिक उम्र में भर्ती हुए हों, पेंशन योजना की बजाय अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने की छूट दी जानी चाहिए।	स्वीकार।
३. जो वैज्ञानिक कर्मचारी पहले ऐसी अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में नौकरी करते थे, जिनका खर्च सरकारी अनुदान या किसी विशेष प्रकार के कर से चलता है, उनकी उक्त संस्थाओं में नौकरी का समय, स्थायी और पेंशन वाले पदों पर नियुक्ति के बाद क्वालीफाइंग सर्विस में जोड़ दिया जाए। बशर्ते कि ये संस्थाएं इन कर्मचारियों की पेंशन के धन का अपना हिस्सा देने को राजी हों।	स्वीकार। जो कर्मचारी किसी अर्द्ध-सरकारी संस्था की अंशदायी भविष्य निधि योजना में रहा हो, उसकी भविष्य निधि का वह भाग जो उक्त संस्था ने अपनी ओर से दिया है, सरकार को दे दिया जाना चाहिए और कर्मचारी की पूरी नौकरी पेंशन के लिए गिनी जानी चाहिए।
४. सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच वैज्ञानिकों और शिल्पिकों का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए यह किया जाना चाहिए कि यदि कोई विश्वविद्यालय किसी सरकारी वैज्ञानिक को अपने यहां बुलाए तो अपने यहां लागू भविष्य निधि की दर से ही वैज्ञानिक की पेंशन के लिए अपने हिस्से का धन दे।	स्वीकार।
५. प्रत्येक श्रेणी में कितने स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसका निश्चय यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और इसके बाद अस्थायी पदों का यही अनुपात सब श्रेणियों में रहना चाहिए।	यदि संबंधित मंत्रालय यह समझते हैं कि उनकी स्थायी रूप से आवश्यकता है तो वर्कशापों और कारखानों के अलावा सब स्थायी विभागों में सब श्रेणियों और ग्रेडों के ८० प्रतिशत तक को, जिनको १-३-५९ को कम से कम तीन साल हो गए हैं, स्थायी कर देना चाहिए।

वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार के उक्त निर्णयों को लागू करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है और वेतन आयोग की शेष सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद पर वक्तव्य

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने १५ फरवरी को लोकसभा में कहा कि भारत-पाकिस्तान नहरी पानी वार्ता सन्तोषजनक रूप में चल रही है और निकट भविष्य में कोई समझौता हो जाने की काफी आशा है।

श्री हाथी ने बताया कि सिन्धु नदी के पानी के बारे में संधि का पहला मसौदा नयी दिल्ली में प्राप्त हो गया है, पर यह मसौदा पूरा नहीं है क्योंकि मसौदे के अनेक परिशिष्ट अभी तक नहीं मिले हैं। संधि के मसौदे पर विचार हो रहा है, लेकिन भारत उस समय तक अपनी राय कायम नहीं कर सकता, जब तक संधि से सम्बद्ध परिशिष्ट भी विचार के लिए न मिल जाएं।

उपमंत्री महोदय भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के विषय में एक वक्तव्य दे रहे थे। इसी प्रकार का एक वक्तव्य राज्यसभा की मेज पर भी रखा गया।

उपमंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया, वह इस प्रकार है

अपने १६ नवम्बर, १९५९ के वक्तव्य में मैंने सदन को सूचित किया कि अगस्त-सितम्बर १९५९ में लन्दन में जो बातचीत हुई, उसमें अनेक बातों पर समझौते की दिशा में काफी प्रगति हुई। मैंने सदन को यह भी बताया था कि बातचीत अक्तूबर १९५९ में वाशिंगटन में भी जारी रही। जिन बातों पर लन्दन में समझौता हुआ था, उन्हें तथा कुछ अन्य बातों को जिन पर वाशिंगटन में समझौता हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप दिया जाना था।

सिन्धु पानी संधि का पहला मसौदा अब मिल गया है परन्तु वह अपूर्ण है, क्योंकि संधि से सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट जैसे—अंतरिम काल में भारत का पानी लेते रहना, अभी नहीं मिला। संधि के मसौदे पर विचार हो रहा है। परन्तु हम उस समय तक कोई राय कायम नहीं कर सकते जब तक संधि से सम्बद्ध परिशिष्ट भी हमारे सामने न हों। संधि का मसौदा गोपनीय है। अतः मैं अभी उसको आपके सामने नहीं रख सकता। पर मैं सदन को यह बता सकता हूं कि बातचीत सन्तोषजनक रूप से चल रही है और निकट भविष्य में कोई समझौता हो जाने की काफी आशा है।

पाकिस्तान के साथ कर्णफुली योजना पर बातचीत

राज्यसभा में ११ फरवरी को सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने बताया कि पाकिस्तान के साथ कर्णफुली योजना के बारे में बातचीत करने के लिए यहां से इंजीनियरों का जो दल ढाका गया था, उसे वहां से योजना के डिजाइन तथा उसके चालू होने की ठीक तारीख के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। यह दल पाकिस्तान में कर्णफुली योजना के अन्तर्गत बनाए जाने वाले कप्टाई बांध के बारे में बातचीत करने के लिए सिंचाई और बिजली मंत्रालय के मुख्य इंजीनियर के नेतृत्व में ढाका गया था।

श्री हाथी ने बताया कि लुशाई पहाड़ी जिले का कुछ क्षेत्र भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत १,८०० फुट लम्बा मिट्टी का बांध बनाया जाएगा और एक जलाशय होगा तथा बिजली घर होगा, जहां शुरू में तो ८०,००० किलोवाट तथा आगे चलकर १,२०,००० किलोवाट बिजली तैयार की जा सकेगी।

भारतीय इंजीनियरों के प्रतिनिधिमण्डल ने यह सुझाव दिया था कि योजना के पहले चरण में तो बिजली त्रिपुरा को दी जाए, किन्तु बाद में आसाम को सप्लाई की जाए। पाकिस्तानी प्रतिनिधि इस सुझाव पर विचार करने के लिए सहमत हैं।

विदेशों में भारतीय इंजीनियर

प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने १० फरवरी को राज्यसभा में कहा कि उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीय इंजीनियरों से कभी कोई सार्वजनिक अपील नहीं की है कि वे भारत लौट आएं। वैसे उन्होंने ४ जनवरी, १९६० को बम्बई में वैज्ञानिक कार्यकर्ता संघ की बैठक में भाषण देते हुए इस विषय का जिक्र जरूर किया था।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि विदेशों में रहने वाले भारतीय इंजीनियरों का पूरा ब्योरा प्राप्त करने के लिए सरकार विशेष प्रयत्नशील है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक और शिल्पिक कर्मचारियों का राष्ट्रीय रजिस्टर बना रखा है। इसमें एक विशेष श्रेणी के अन्तर्गत विदेशों में ३,५०० भारतीय वैज्ञानिकों के नाम हैं। इनमें से १,१०० से भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने सूचना दी है कि वे भारत लौट आए हैं।

प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं को, जो इंजीनियर नियुक्त करती हैं, विदेशों में रहने वाले भारतीय इंजीनियरों का ब्योरा भेज दिया जाता है। इंजीनियरों की एक सूची बनी हुई है जिसमें विदेशों में भारतीय इंजीनियरों के भी नाम हैं और आवश्यकतानुसार उन्हें उपयुक्त नौकरी दे दी जाती है, भले ही वे नौकरी के लिए अर्जी भी न भेजें।

केन्द्रीय लोकसेवा आयोग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भी ऐसे इंजीनियरों को नियुक्त करने के बारे में अपने नियम कुछ आसान कर दिए हैं।

गुलमर्ग में ब्रह्माण्ड किरण प्रयोगशाला

प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने १० फरवरी को राज्यसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि कश्मीर में दो ब्रह्माण्ड किरण प्रयोगशालाएं बनाने का निश्चय किया गया है। इनमें से अतिउच्च प्रयोगशाला अफरवट पर बनाई जाएगी और दूसरी प्रयोगशाला गुलमर्ग में होगी। दोनों प्रयोगशालाओं का सम्बन्ध तारगाड़ी से रहेगा।

गुलमर्ग की प्रयोगशाला बनाने का काम शुरू हो गया है। इस प्रयोगशाला पर ६ लाख २२ हजार ७०० रु० लागत आने का अनुमान है। अफरवट की अतिउच्च प्रयोगशाला और तारगाड़ी की लागत का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

अग्नि निरोधक सप्ताह

इस साल देश भर में ८ से १४ फरवरी तक सप्ताह अग्नि निरोधक मनाया गया। लोगों को आग के खतरे के कारणों और उससे बचने के तरीकों से अवगत कराने के लिए यह सप्ताह हर साल मनाया जाता है। फिल्मों, रेडियो-कार्यक्रम, इश्तिहार और अन्य प्रचार-सामग्री द्वारा लोगों को

जाता है कि किस प्रकार आग से रक्षा की जाए और आग की दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए। बड़े शहरों में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने, आग लगी इमारतों से बाहर निकलने और वहां से लोगों को बचाने के तरीके दिखाए।

देश म हर साल आग से करोड़ों रु० का नुकसान होता है। आग प्रायः लापरवाही, बिजली की खराबी, अंगीठी आदि या नासमझी के कारण लगती । अगस्त १९५५ में सभी राज्यों के मुख्य अग्निरक्षक अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उसकी सिफारिश पर एक स्थायी अग्निरक्षक सलाहकार समिति बनाई गई, जो सरकार को आग से रक्षा की व्यवस्था आदि के बारे में सलाह देती है। स्वराष्ट्र मंत्रालय ने भी आग से रक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए जुलाई १९५६ से नेशनल फायर सर्विस कालेज खोला है।

एवरेस्ट अभियान टोली

हिमालय पर्वतारोहण संस्था के अध्यक्ष कर्नल ज्ञान सिंह के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय टोली एवरेस्ट पर चढ़ने का यत्न करेगी। यह टोली ४-५ मार्च, १९६० को जयनगर से नेपाल में प्रवेश करेगी। इस टोली में १२ व्यक्ति, कुछ वैज्ञानिक, एक डाक्टर, एक शरीर-विज्ञान विशेषज्ञ और लगभग ४० शेरपा होंगे। फरवरी में प्रारम्भिक प्रबन्ध के लिए दिल्ली में दल की बैठक होगी।

१९६१ की जनगणना का समारम्भ

उत्तर-पूर्व सीमांत अभिकरण और नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र के कुछ भागों में १९६१ की जनगणना का काम शुरू हो गया है। इन भागों की बीहड़ और दुर्गम स्थिति के कारण जनगणना का काम समय से पहले शुरू कर दिया गया है और यह अप्रैल १९६० तक समाप्त हो जाएगा।

इसी प्रकार इस साल के सितम्बर-अक्तूबर महीने में लाहौल, स्पीति, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों तथा सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र की जनगणना की जाएगी, क्योंकि इन भागों में नवम्बर से बर्फ गिरने लगती है। इन क्षेत्रों के मशहूर रास्तों की निगरानी चौकियां जनगणना को दुहराने का काम करेंगी।

जनवरी १९६१ में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के एजेंसी क्षेत्र में जनगणना होगी।

१९६१ की जनगणना २२ दिन (१० फरवरी से ३ मार्च) तक चलेगी। आखिरी ३ दिन में सारी गणना को दुहराया जाएगा।



रूस से १॥ अरब रूबल के ऋण के लिए करार

सोवियत संघ ने भारत को १॥ अरब रूबल का जो नया ऋण देना स्वीकार किया है उसके बारे में १२ फरवरी को नयी दिल्ली में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर भारत और सोवियत संघ के प्रधान मंत्री उपस्थित थे।

करार में इस ऋण से होने वाले कार्यक्रमों की सूची और इस संबंध में दोनों देशों में शिल्पिक सहयोग की तफसील दी हुई है।

भारत सरकार की ओर से श्री खेड़ा ने और सोवियत संघ की ओर से श्री स्काचकोफ, सोवियत संघ की मंत्रि-परिषद की वैदेशिक आर्थिक संबंध समिति के अध्यक्ष ने करार पर हस्ताक्षर किए। इस ऋण का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा :

१. भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार जिससे इसकी वार्षिक क्षमता २५ लाख टन हो जाएगी।
२. रांची के भारी मशीन कारखाने का विस्तार, जिससे इसकी वार्षिक क्षमता ८० हजार टन हो जाएगी।
३. खान की मशीनों का कारखाना और इसका विस्तार।
४. बरौनी के तेल शोधक कारखाने को पूरा करना।
५. बिजली के भारी सामान का निर्माण।
६. सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण।
७. कम्बात और अन्य क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और गैस की खोज और उसके निकालने और काम में लाने की व्यवस्था।
८. नैवेली (मद्रास) बिजलीघर की क्षमता को २॥ लाख किलोवाट से बढ़ाकर ४ लाख कि० वा० करना।
९. कोरबा (मध्य प्रदेश) ताप-बिजली-घर में २ लाख किलोवाट उत्पादन-क्षमता की मशीनें और लगाना।
१०. सिंगरौली (उत्तर प्रदेश) में २॥ लाख कि० वा० क्षमता का नया ताप-बिजली-घर खोलना।

पृष्ठभूमि

सोवियत संघ ने भारत को निम्नलिखित सहायता दी है :

सन् १९५५ फरवरी में भिलाई में इस्पात कारखाना बनाने का समझौता हुआ जिसमें अब उत्पादन होने लगा है।

सन् १९५५-५६ में सोवियत विशेषज्ञों ने सोवियत संघ और रूमानिया से यंत्रों और विशेषज्ञों की सहायता से भारत में तेल की खोज का कार्यक्रम बनाया जो इस समय चालू है।

नवम्बर १९५७ में एक और समझौता हुआ जिससे भारत को ६० करोड़ रु० या ५० करोड़ रूबल का ऋण मिला। इससे रांची में भारी मशीनों का कारखाना, दुर्गापुर में कोयले की खान की मशीनों का कारखाना, नैवेली में ताप-बिजलीघर और कोरबा में कोयला खानों के विकास का काम किया जा रहा है।

तीसरी योजना में सोवियत सहायता के बारे में बातचीत करने के लिए मई १९५९ में सरदार स्वरन सिंह की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल रूस गया था। उसी महीने में भारत में दवा का कारखाना खोलने का समझौता हुआ और सितम्बर में बरौनी में तेल-शोधक कारखाना खोलने का निश्चय हुआ

और उसी महीने में मास्को में समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप सोवियत सरकार ने तीसरी योजना के लिए १८० करोड़ रु० का ऋण देना स्वीकार किया। इस ऋण का उपयोग किन कामों में किया जाए इस पर विचार करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण पर सोवियत संघ की वैदेशिक आर्थिक संबंध समिति के अध्यक्ष श्री स्कावकोफ दिसम्बर में भारत आए। उनसे बात करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष समिति बनाई जिसके अध्यक्ष, श्री एम० एस० मेहता थे। श्री स्कावकोफ भिलाई और सम्बलपुर भी गए और वहां से ६ फरवरी को दिल्ली आए जिससे वे श्री ख्रुश्चेव के आगमन के समय सोवियत ऋण से होने वाले कामों की सूची तैयार कर सकें।

मेकैनिकल इंजीनियरी संस्था के लिए यूनेस्को से सहायता

वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, श्री हुमायूं कबीर ने ९ फरवरी को राज्य-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन ने दुर्गापुर में बनाई जाने वाली इंजीनियरी संस्था के लिए अपनी विशेष निधि से सहायता दी है।

मंत्री महोदय ने बताया कि ६ लाख ९१ हजार ४०० डालर की यह सहायता चार साल के लिए सन् १९६० से मिलेगी। सहायता वैज्ञानिक उपकरणों, कलों, औजारों, विशेषज्ञों और छात्रवृत्तियों के रूप में मिलेगी।

मदद इस आधार पर दी जा रही है कि परियोजना के खर्च का बड़ा भाग, भारत सरकार देगी जो इमारत बनाने, कर्मचारियों, दफ्तर और दूसरे स्थानीय खर्चों के रूप में होगा।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण के नियमों के उल्लंघन के मामले

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के परिपालन निदेशालय ने नवम्बर और दिसम्बर, १९५९ तथा जनवरी १९६० में विदेशी मुद्रा नियम के उल्लंघन के ४० मामलों का निर्णय किया। कम्पनी तथा फर्मों के साझेदारों और मालिकों आदि को मिला कर सभी सम्बन्धित व्यक्तियों पर कुल ७०,९४१ रु० का जुर्माना किया गया।

राज्यों की १९६०-६१ की योजनाएं

बम्बई

बम्बई राज्य सरकार और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में बम्बई की १९६०-६१ की वार्षिक योजना के लिए ९८ करोड़ ७५ लाख रु० स्वीकार किया गया।

इसमें से ३५ करोड़ रु० सिंचाई और बिजली योजनाओं पर खर्च होगा। बिजली योजनाओं पर १७ करोड़ ६० लाख रु० होगा, जिसमें से कोयना योजना पर ७ करोड़ ५० लाख रु० खर्च किया जाएगा। राज्य बिजली मण्डल की योजनाओं पर २ करोड़ ७५ लाख रु० खर्च होगा, जिसमें से १३ लाख रु० सवरकात बिजली योजना पर खर्च होगा। सिंचाई पर १७ करोड़ ४० लाख रु० खर्च होगा, जिसमें से उकई और पुरना की बहुमुखी योजनाओं पर क्रमशः ८४ लाख रु० और १ करोड़ ६५ लाख रु० खर्च किया जाएगा। घीर योजना पर १ करोड़ रु० और खड़कवासला योजना पर १ करोड़ ५० लाख रु० खर्च किया जाएगा। महाराष्ट्र क्षेत्र की मोड योजना पर ७५ लाख रु० खर्च होगा।

कृषि तथा सहकारी समिति, पंचायत आदि पर २२ करोड़ ६० लाख रु० खर्च होगा। इसमें से छोटी सिंचाई पर ५ करोड़ ७ लाख रु० और कृषि जिंसों पर ३ करोड़ ९८ लाख रु० खर्च किया जाएगा। इस साल के अन्त तक ३२३ बीज-फार्म बना दिए जाएंगे। भू-संरक्षण योजनाओं पर २ करोड़ ९५ लाख रु०, सहकारी समितियों पर ३ करोड़ २० लाख रु० और पंचायतों पर ३ करोड़ १३ लाख रु० खर्च किया जाएगा।

सामुदायिक विकास के लिए १९६०-६१ में ७ करोड़ ४५ लाख रु० रखा गया है।

१९६०-६१ में बम्बई राज्य में परिवहन पर ८ करोड़ ४० लाख रु० और स्वास्थ्य, मकान, पिछड़ी जातियों के हित, समाज कल्याण, मजदूरों के हित आदि समाज-सेवाओं पर २१ करोड़ ९० लाख रु० खर्च किया जाएगा। इसमें से शिक्षा पर ६ करोड़ ४२ लाख रु०, स्वास्थ्य पर ६ करोड़ ६६ लाख रु० और मकानों पर ५ करोड़ रु० खर्च किया जाएगा।

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने १९५९-६० में ६,५२९ और १९६०-६१ में ४,३२६ मकान बनाने का कार्यक्रम तैयार किया है। बम्बई सरकार ने गांव वालों के लिए मकान बनाने की योजना का भी आरम्भिक काम पूरा कर दिया है। मकान बनाने के लिए १३७ गांव चुन लिए गए हैं और ८२ गांवों की सामाजिक तथा आर्थिक पड़ताल की जा चुकी है। १९६०-६१ में गांवों में मकान बनाने का विचार है।

१९६०-६१ में उद्योगों पर २ करोड़ १९ लाख रु० खर्च होगा, जिसमें से ग्राम तथा छोटे उद्योगों पर १ करोड़ ९३ लाख रु० और बड़े तथा मंझले उद्योगों पर २२ लाख रु० खर्च किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की १९६०-६१ की वार्षिक योजना के लिए ५५ करोड़ रु० मंजूर किया गया है। इसमें राज्य के पहाड़ी इलाकों और पूर्वी जिलों के विकास-कार्य के लिए २ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। यह निर्णय हाल ही में योजना आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक में किया गया।

इस वर्ष की योजना में सबसे अधिक धन १६.१८ करोड़ रु० सिंचाई और बिजली पर खर्च किया जाएगा। इसमें से ११.१२ करोड़ रु० बिजली और ५ करोड़ रु० सिंचाई योजनाओं पर व्यय होगा। रेंड पन-बिजली योजना पर इस वर्ष ६ करोड़ रु० खर्च होंगे। हरदुआगंज में भाप-बिजलीघर बनाने के लिए १ करोड़ ७३ लाख रु० की व्यवस्था की जाएगी। नलकूपों में बिजली लगाने पर २५ लाख रु० व्यय होंगे। राज्य सरकार ने ३५० और नलकूपों के लिए मशीनें मंगाई हैं।

सिंचाई में रामगंगा नदी सिंचाई योजना पर ९५ लाख रु० खर्च होंगे। इससे नहरों का पुनर्निर्माण और पानी का बहाव मोड़ने वाली सुरंगें बनाई जाएंगी।

कृषि कार्यों के लिए ११ करोड़ रु० की व्यवस्था है। इस वर्ष कृषि-उत्पादन में २.८ लाख टन वृद्धि होने का अनुमान है। चालू साल में ७७७ बीज फारम खुल जाएंगे और १९६

६१ में ९९ बीज-फार्म खुलने का अनुमान है। मछली-पालन के नमूने के केन्द्र स्थापित होंगे और मछली रखने के ठंडे गोदाम और ठंडी गाड़ियों का प्रबन्ध किया जाएगा।

सामुदायिक विकास के लिए ७.५ करोड़ रुपये नियत किए गए हैं। १९६०-६१ में ९२ पूर्व-विस्तार खंड और ७४ प्रथम चरण नये खंड खोले जाएंगे। इस वर्ष में १,५०० नयी ग्राम सहकारी समितियां संगठित की जाएंगी। वर्तमान ३,५०० ग्राम-सहकारी समितियों को पुनर्संगठित किया जाएगा।

सामाजिक सेवाओं के लिए ११ करोड़ रु० मंजूर किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पिछड़े वर्गों की भलाई, समाज कल्याण और श्रम हितकारी कार्य शामिल हैं। इसमें से शिक्षा पर ४ करोड़ ७५ लाख रु० और स्वास्थ्य पर ३ करोड़ ३७ लाख रु० खर्च किये जाएंगे।

परिवहन पर ३ करोड़ ३ लाख रु० खर्च होंगे। चालू वर्ष के अंत तक १,३३५ मील लम्बी पक्की सड़कें बन जाएंगी। दूसरी योजना में १,७७२ मील सड़कें बनाने का लक्ष्य है। शेष ४३७ मील सड़कें १९६०-६१ में बनेंगी। चालू वित्त वर्ष के अंत तक ४८ बड़े पुलों पर यातायात शुरू हो जाएगा। १९६०-६१ में ८२ बड़े पुल बनाने का प्रस्ताव है।

उद्योग और खनिज के लिए २ करोड़ ५९ लाख रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें से १ [illegible] ८७ लाख रु० ग्रामीण और छोटे उद्योगों पर खर्च होंगे। सरकारी सीमेंट कारखाने के विस्तार में ५७ लाख रु०, सरकारी सूक्ष्म यंत्र कारखाने के विकास में ४ लाख रु० खर्च होंगे।

लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनद्वीप की वार्षिक योजना

लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनद्वीप की १९६०-६१ की वार्षिक योजना पर ४४ लाख रु० खर्च किया जाएगा। अभी हाल में योजना आयोग, स्वराष्ट्र मंत्रालय और इन द्वीपों के शासन के प्रतिनिधियों ने वार्षिक योजना पर विचार किया।

१९६०-६१ में सबसे अधिक १५ लाख ७० हजार रु० परिवहन पर खर्च किया जाएगा। द्वीपों के बीच ७० मील से लेकर १०० मील तक का फासला होने के कारण विकास-कार्यों के सफलतापूर्वक किए जाने के लिए अच्छे परिवहन का होना बहुत जरूरी है।

समाजसेवा के कामों के लिए १५ लाख ४० हजार रु० रखा गया है। १९६०-६१ में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर ४ हजार हो जाने की आशा है। १९५९-६० में विद्यार्थियों की संख्या ३,३२० थी। १९६०-६१ में अमेनी में एक हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इन द्वीपों का यह पहला हाई स्कूल होगा।

इस समय द्वीपों में ७ सरकारी डिस्पेंसरियां हैं। मिनीकाय की डिस्पेंसरी को अस्पताल बनाने के लिए काम हो रहा है। इस साल द्वीपों में इमारतें बनाने का काम बहुत बढ़ने की आशा है। यहां पर विशेषकर स्कूलों और अस्पतालों की इमारतें बनायी जाएंगी।

इस वर्ष खेती पर ८ लाख रु० खर्च किया जाएगा। इन द्वीपों में केवल नारियल की ही खेती होती है। इसके अलावा बिजली पर १ लाख ३० हजार रु०, घरेलू उद्योगों पर ९४ हजार रु० और सामुदायिक विकास पर १८ हजार रु० खर्च किया जाएगा।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन कर सलाहकार परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में ६ फरवरी को सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन कर सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक में राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री, डा० गोपाल रेड्डी ने बताया कि परिषद ने पिछले सितम्बर में अपनी पहली बैठक में जो सिफारिशें की थीं, सरकार ने उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। यह बैठक ७ फरवरी को समाप्त हुई।

डा० रेड्डी ने सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने जो ३२० सिफारिशें की थीं, उनमें से ३१८ सिफारिशों के बारे में सरकार निर्णय कर चुकी है। कई सिफारिशों के काफी जटिल होने तथा उनमें कानूनी दिक्कतें होने के बावजूद भी काम की यह प्रगति सराहनीय है। मंत्री महोदय ने कहा कि हालांकि जिन विषयों के लिए अन्य विभागों या संस्थाओं से राय लेनी थी या जिनके लिए अतिरिक्त कर्मचारी या रुपयों की जरूरत थी, उन पर फौरन कार्रवाई करना सम्भव न था। किन्तु सरकार इस बात के लिए उत्सुक थी कि सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति की स्वीकृत सिफारिशों को यथाशीघ्र अमल में लाया जाए और इस दिशा में सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

परिषद की कार्रवाही

परिषद के दो दिन के अधिवेशन में ७१ विषयों पर विचार किया गया। अधिवेशन के अध्यक्ष, *केन्द्रीय राजस्व और नागरिक व्यय मंत्री*, डा० बी० गोपाल रेड्डी थे।

सीमा शुल्क प्रशासन के संबंध में प्रायः ३० विषयों पर विचार किया गया। इनमें असबाब संबंधी नियमों का संशोधन, कर निर्धारण के संबंध में मूल्य निश्चित करने की विधि, किसी वस्तु के आयात के समय यदि पूरी जानकारी प्राप्त न हो तो अस्थायी रूप से शुल्क निश्चित करने संबंधी नियम, बड़े-बड़े बंदरगाहों में सीमा शुल्क सलाहकार समितियों की नियुक्ति आदि विषय मुख्य थे। परिषद के सदस्यों ने जो सुझाव दिये उन पर विचार किया गया और प्रत्येक के संबंध में वास्तविक स्थिति उन्हें बतायी गयी। कुछ बातें अमल में लाने के लिए और कुछ आगे विचार के लिए स्वीकृत की गयीं।

सीमा शुल्क के संबंध में कार्यक्रम में जो विषय थे उनके समाप्त होने के बाद सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सदस्य ने परिषद को बतलाया कि उन १५ विषयों के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है जिन्हें विचार के लिए सुझाया गया था, पर जो पहले ही संतोषजनक रीति से तय हो चुके हैं। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि सीमा शुल्क भवनों में सार्वजनिक सम्पर्क और सूचना संबंधी सेवाओं को और भी अधिक अच्छा बनाने के लिए तथा भारतीय सीमा शुल्क की तालिका प्रकाशित करने के लिए तथा समुद्री सीमा शुल्क की पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है।

लोगों को अपना रुपया वापस मिलने में बहुत देर लगती है इसका भी उल्लेख किया गया। परन्तु सीमा शुल्क विभाग की ओर से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये उनसे प्रकट हुआ कि ज्यादातर एक महीने के भीतर रुपये की वापसी की आज्ञा दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि माल निर्यात

करने के संबंध में जो व्यय वहन करना पड़ता है उनमें तो फिर भी कम समय लगता है।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन कर सलाहकार परिषद की स्थापना पिछले वर्ष की गयी थी। इसमें केन्द्रीय राजस्व मण्डल के कर्मचारियों को छोड़कर ११ सदस्य हैं। ६ पदेन सदस्य हैं जो भारतीय व्यापार और उद्योग मण्डलों के संघ, अ० भा० उत्पादक संगठन, अ० भा० आयातकों और निर्यातकों के संगठन तथा भारतीय व्यापार मण्डल के संघ के प्रतिनिधि हैं। शेष ५ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर-सरकारी व्यक्ति हैं।

बिजली करघे के कपड़े पर उत्पादन शुल्क की रियायत

वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग की १० फरवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि बिजली करघे वाले उन कारखानों के लिए, जहां १०० से अधिक तथा ३०० तक बिजली करघे हैं, अप्रैल १९५८ से फरवरी १९६० तक उत्पादन शुल्क की दर में रियायत कर दी गई थी। यह रियायत उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए दी गई थी। इस उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार के पास यह प्रार्थना-पत्र भेजा है कि उद्योग की आर्थिक स्थिति में समुचित सुधार नहीं हो पाया है, इसलिए उत्पादन शुल्क की दर में रियायत देने की तारीख बढ़ा दी जानी चाहिए।

सरकार ने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद इस रियायत की तारीख फरवरी १९६० के बाद बढ़ाने का निर्णय किया है।

संयुक्त अरब गणराज्य का शिष्टमंडल भारत में

१३ फरवरी, १९६० को संयुक्त अरब गणराज्य से तीन सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल नयी दिल्ली आया। इस मंडल ने यहां छोटी बचत योजना के कामों का अध्ययन किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: नेशनल बैंक आफ ईजिप्ट के उप-गवर्नर, श्री एम० अबुसदी; पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक के निदेशक, श्री अहमद मोमी अल दाको और काहिरा के अर्थ मंत्रालय के आर्थिक अनुसंधान विभाग के शिल्पिक कार्यालय के निदेशक, श्री अबदल एल सरही।

यह मंडल यहां पांच दिन ठहरा और उसने वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों और डाक तार विभाग के महानिदेशक के साथ बातचीत की।

१९५७-१९५९ में जारी किए गए बोनस

११ जनवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ में ३ करोड़ ८८ लाख रु० के बोनस शेयर जारी करने की स्वीकृति दी गई, जिसमें से ३५ लाख ८४ हजार रु० के बोनस जारी किए गए; जबकि १९५८ में १०,२५,६२,००० रु० के और १९५७ में १५,५१,९८,००० रु० के बोनस शेयर जारी करने की स्वीकृति दी गई थी और पहले साल, यानी १९५८ में ८,८१,७१,००० रु० के और दूसरे साल १०,११,०५,००० रु० के शेयर जारी किए गए थे।



लघु उद्योगों की प्रगति : जापानी शिष्टमंडल की रिपोर्ट

पिछले साल जापानी विशेषज्ञों का जो शिष्टमंडल भारत के छोटे उद्योगों का अध्ययन करने आया था, उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी है। शिष्टमंडल ने छोटे उद्योगों में धीरे-धीरे अधिक और नई मशीनों का प्रयोग करने की सिफारिश की है। शिष्टमंडल ने अधिक शिल्पिक और आर्थिक सहायता देने की भी सिफारिश की है।

पांच सदस्यों के जापानी शिष्टमंडल के नेता, श्री तेरुहिको इवाताके थे।

शिष्टमंडल ने छोटे उद्योगों के विस्तार के बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार की नीति छोटे उद्योगों के संरक्षण और पालन की बजाय उनके मार्गदर्शन और उत्साह बढ़ाने की होनी चाहिए।

शिष्टमंडल ने कहा है कि छोटे उद्योगों को बढ़ाने का सरकार का कार्यक्रम बहुत सोच-विचार कर तैयार किया गया है और इसमें तथा जापान के कार्यक्रम में बहुत-कुछ समानता है।

आर्थिक सहायता

छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देने की चर्चा करते हुए शिष्टमंडल ने विचार प्रकट किया है कि इस काम के लिए ऋण-बीमा योजना चलाई जानी चाहिए और छोटे उद्योगों की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य में सहकारी बैंक खोले जाने चाहिए। शिष्टमंडल ने यह भी सिफारिश की है कि छोटे उद्योगों को ऋण सरकार से न मिलकर राज्यों के वित्त निगमों से मिलें तो अच्छा हो।

औद्योगिक बस्तियां

शिष्टमंडल ने भारत के औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि यह अपने किस्म का एक निराला कार्यक्रम है, जिससे विशेष उद्योगों के विकास और उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलेगी। इससे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। शिष्टमंडल ने देश के विभिन्न भागों में ऐसी ही और बस्तियां खोलने की सिफारिश की है। शिष्टमंडल ने कहा है कि औद्योगिक बस्तियों को सहकारिता के आधार पर चलाना चाहिए। जिन इलाकों में इन बस्तियों के लिए बिजली न मिले वहां पर डीजल तेल से शक्ति पैदा की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का संगठन और मजबूत करने की सिफारिश की है। शिष्टमंडल ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग निगम खोले जाएं, जो देश में बनी हुई मशीनों को आसान किश्तों पर बेचने का प्रबन्ध करें। ये निगम इसका भी प्रबन्ध करें कि सरकारी विभागों द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की खरीद छोटे उद्योगों से ही हो।

शिल्पिक सहायता और सुविधाएं

जापानी शिष्टमंडल ने लघु उद्योग सहायता संस्थाओं और विस्तार केन्द्रों को अधिक सुदृढ़ बनाने और [illegible]

दिया है, जिससे इनमें अनुसंधान और परीक्षण का काम हो सके। शिष्टमंडल ने इस प्रकार की और अधिक संस्थाएं और केन्द्र खोलने की भी सिफारिश की है।

शिष्टमंडल ने कहा है कि इस समय छोटे उद्योगों के शिल्पिकों की ट्रेनिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस काम के लिए शिष्टमंडल ने सुझाव दिया है कि इन लोगों को सहकारी कारखानों में काम सिखाया जाना चाहिए।

शिष्टमंडल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जहां जरूरत हो, वहां पर विदेशों से शिल्पिक बुलाए जाने चाहिए और भारतीय शिल्पिकों को उचित प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजना चाहिए। शिष्टमंडल ने राज्यों में शिल्पिक समितियों की स्थापना की भी सिफारिश की। ये शिल्पिक समितियां स्थानीय साधनों के विकास और उपयोग के बारे में पड़ताल करेंगी।

छोटे उद्योगों के मालिकों की सहकारी समितियां

शिष्टमंडल ने औद्योगिक सहकारी समितियों के संगठन को मजबूत करने और छोटे उद्योगों के मालिकों की नई सहकारी समितियां बनाने का सुझाव दिया है। इन सहकारी समितियों को कच्चा माल खरीदने, माल को बेचने, भरने और दूसरी जगह भेजने के काम सम्मिलित रूप से करने चाहिए। सबसे छोटी सहकारी समिति एक जिले से कम इलाके में होनी चाहिए। शिष्टमंडल ने अनुसंधान करने, शिल्पिक जानकारी देने, उद्योगों के प्रबन्ध और जनता तथा सरकार में सम्पर्क बनाए रखने के लिए व्यापार संघों की स्थापना की सिफारिश की है।

निर्यात को प्रोत्साहन

शिष्टमंडल ने कहा है कि छोटे उद्योगों में बने सामान का निर्यात बढ़ाना जरूरी है, पर इससे पहले इस माल की बिक्री देश में ही होनी चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि माल की किस्म अच्छी है और दाम भी उचित है। शिष्टमंडल ने राय जाहिर की है कि हथकरघे और दस्तकारी के काम की चीजों के निर्यात की बहुत गुंजाइश है। शिष्टमंडल ने विदेशों में इनकी बिक्री के लिए विज्ञापन देने की सलाह दी है।

औद्योगिक आंकड़े

शिष्टमंडल ने सब उद्योगों के पूरे आंकड़े इकट्ठा करने पर जोर दिया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि योजनाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आंकड़े इकट्ठा करने वाली संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत औद्योगिक अंक अनुसंधान निदेशालय बनाया जाना चाहिए। शिष्टमंडल ने यह भी सुझाव दिया है कि भारतीय अंक अनुसंधान संस्था को औद्योगिक आंकड़े इकट्ठा करने और औद्योगिक पड़तालों की सूची तैयार करने में सहायता देनी चाहिए।

अच्छे किस्म का माल

शिष्टमंडल ने छोटे उद्योगों में अच्छे किस्म का सामान बनाने पर जोर दिया है। शिष्टमंडल ने सिफारिश की है कि इस काम के लिए भारतीय मानक संस्था के मानकों के अनुसार ही सामान बनाया जाना चाहिए। छोटे उद्योगों के मालिकों को सही और अच्छा कच्चा माल चुनने और नई तथा सुधरी हुई विधियां इस्तेमाल करने में लघु उद्योग सहायक संस्थाओं को सहायता देनी चाहिए।

निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार परिषद की बैठक

नई दिल्ली में १४ फरवरी को निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार परिषद की बैठक का उद्घाटन करते हुए, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मन्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति को देखते हुए, इस बात की पूरी सम्भावना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३० अरब रु० से अधिक का सामान विदेशों को भेजा जा सकेगा। दूसरी योजना में ३० अरब रु० के सामान के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

श्री शास्त्री ने कहा कि पिछले साल ६ अरब २६ करोड़ रु० के सामान का निर्यात हुआ। कोरिया की लड़ाई के समय के निर्यात को छोड़कर, इतना निर्यात इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

देश को आयात की आवश्यकताओं का जिक्र करते हुए, श्री शास्त्री ने कहा कि आने वाले सालों में हमें प्रतिवर्ष लगभग १० अरब रु० का सामान बाहर से मंगाना पड़ेगा। अतः विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरी करने के लिए निर्यात बढ़ाना नितान्त आवश्यक है। हमें इस वर्ष पिछले साल से कम से कम ५० करोड़ रु० का अधिक सामान विदेशों को भेजने का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि यह प्रगति जारी रहे, तो देश १९६१ में निर्यात ■ अरब रु० कमा सकता है।

श्री शास्त्री ने कहा कि जनवरी १९५९ के अन्त में देश का पौंड-पावना १ अरब ९२ करोड़ ८० लाख ० था और वह बढ़कर १ जनवरी, १९६० को २ अरब १३ करोड़ २८ लाख रु० हो गया है। पिछले वर्ष अधिक आयात के कारण २ अरब ४३ करोड़ की विदेशी मुद्रा की कमी पड़ी। यह कमी अधिकांश मित्र-देशों की सहायता से पूरी हुई। पर, पश्चिमी यूरोप के देशों से जो माल मंगाया गया है, उसकी भुगतान-स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन देशों से आयात की समस्याओं पर विचार करने के लिए हमारा एक शिष्टमण्डल यूरोप गया और उसे अपने काम में पर्याप्त सफलता मिली है।

एशिया और अफ्रीका के देशों को निर्यात करने की चर्चा करते हुए, श्री शास्त्री ने कहा कि मुझे इस बात पर खेद है कि इन देशों को जितना निर्यात सम्भव था, उतना निर्यात नहीं हो सका है। यह स्पष्ट ही है कि हम अपनी सामान्य स्थिति और अन्य सम्बन्धों के कारण इन देशों से अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ये देश भी अपने यहां नये-नये उद्योग और कल-कारखाने चालू करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यदि हम किसी भी रूप में इन देशों को इस काम में सहायता दे सकें, तो हमें इसमें बहुत प्रसन्नता होगी। पर इन देशों में हमारा माल अन्य देशों के माल के मुकाबले में बेचा जाए, तो उचित ही है। अतः यह अच्छा होगा कि एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए हमारे यहां से शिष्टमण्डल जाए।

श्री शास्त्री ने कहा कि जिन देशों में राज्य की ओर से भी व्यापार होता है, वहां पर हमारा निर्यात बढ़ा है।

पिछले साल की भाँति विदेशों को अधिक मात्रा में भेजा गया, उसकी चर्चा करते हुए श्री शास्त्री ने कहा कि इस वर्ष के ११ महीनों के जो आंकड़े मिले हैं, उनके अनुसार सबसे अधिक वृद्धि सन्नी के निर्यात में हुई है। नवम्बर १९५८ तक ११ करोड़ ६० लाख रु० की सन्नी विदेशों को भेजी गई। यह जनवरी से नवम्बर १९५८ के निर्यात से १० करोड़ ५० लाख रु० अधिक है। १९५९ में २८ करोड़ ७० लाख रु० का कमाया हुआ चमड़ा विदेशों को भेजा गया, जो पिछले वर्ष के निर्यात से १०॥ करोड़ रु० अधिक है। इसके अलावा सूत और दस्तकारी के सामान, लोहे और इस्पात की वस्तुएं, कच्चा लोहा, सीमेंट, खाल और चमड़े, आलू, मूंगफली के तेल और कच्चे लोहे का निर्यात बहुत बढ़ा है। अभ्रक, मछली, साधारण और इमारती लकड़ी, गोंद, रेजन, कालीन और कम्बल, नारियल के रेशे का सामान और सिलाई की मशीनों के निर्यात में भी कुछ वृद्धि हुई है। श्री शास्त्री ने कहा कि हमें सबसे अधिक विदेशी मुद्रा चाय के निर्यात से मिलती है, पर इस वर्ष १० करोड़ रु० की कम चाय विदेशों को भेजी गयी। इतना होने पर भी, देश के कुल निर्यात में वृद्धि होना उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा कि अपने वक्तव्य को पूर्णता देने के लिए यह जरूरी है कि राज्य व्यापार निगम ने निर्यात-वृद्धि के लिए जो काम किया है, मैं उसकी भी चर्चा करूं। इस वर्ष निगम ने निर्यात बढ़ाने में बहुत सहायता दी है। मैं यह जानता हूं कि व्यापारी वर्ग निगम के प्रति विशेष आकर्षित नहीं है, पर यह बात सही है कि निगम का महत्व बढ़ गया है और सरकार इसकी आवश्यकता दिन प्रति दिन अधिक महसूस करती जा रही है। यदि मैं यह कहूं कि कुछ उद्योगों को निगम की बहुत आवश्यकता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

छोटे उद्योगों के माल का निर्यात बढ़ाने का जिक्र करते हुए श्री शास्त्री ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस माल के निर्यात की बहुत सम्भावना है। जैसे, डिब्बा-बन्द फल, दस्तकारी का समान, मसाले, अचार-मुरब्बे और ऐसी ही बहुत-सी चीजें विदेशों के बाजारों में आसानी से बेची जा सकती हैं। इन चीजों के निर्माता देश भर में फैले हैं। मैं समझता हूं कि इन वस्तुओं के निर्यात के लिए किसी संस्था का गठन किया जाए।

श्री शास्त्री ने अन्त में कहा कि एक समय ऐसा लगता था कि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्यात के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे, पर अब यह निश्चित ही है कि लक्ष्य से अधिक का निर्यात हो सकेगा। पर तीसरी पंचवर्षीय योजना की अपनी आवश्यकता को देखते हुए हमें अपने निर्यात को और भी अधिक बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने चोर-भावने पर अधिक निर्भर नहीं रह सकते। यह कार्य निर्यात की वृद्धि के द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

१९५९ के पूर्वार्द्ध में औद्योगिक प्रगति

औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में जो तथ्य मिले हैं, उनसे पता चलता है कि सन् १९५९ की पहली छमाही में सरकारी और निजी क्षेत्र में कुल ३५ कारखाने चालू हुए।

सरकारी क्षेत्र में जिन कारखानों ने उत्पादन शुरू किया, उनमें राउरकेला और भिलाई के इस्पात कारखाने भी शामिल हैं। इस अवधि में निजी क्षेत्र में अलुमिनियम के पिंड, सीमेंट, चाय की मशीनें, साइकिल के चेन आदि बनाने वाले कारखाने चालू हुए।

इसके अलावा १९५९ की पहली छमाही में ३१ कारखानों का विस्तार कार्यक्रम पूरा हुआ। इनमें सीमेंट, पोलियीन और कागज बनानेवाले कारखाने भी शामिल हैं। रॉक ड्रिल, अलकाइड रेजिन्स, फेनोलिक आदि कुछ वस्तुएं पहली बार देश में बननी शुरू हुईं।

जनवरी-जून, १९५९ में उद्योग विकास और नियमन कानून के अन्तर्गत ४४७ लाइसेंस दिए गए थे। इनमें से ८८ लाइसेंस नये कारखानों के लिए और ८६ लाइसेंस नयी चीजें बनाने के लिए दिए गए। इस अवधि में ६८ लाइसेंस इंजीनियरी का सामान और ५४ लाइसेंस लोहा और इस्पात बनाने वालों को, ४४ लाइसेंस बिजली का सामान और ४१ लाइसेंस रासायनिक पदार्थ ...९ बनाने के लिए दिए गए।

सरकारी क्षेत्र के कारखाने

सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, प्राग टूल्स कारपोरेशन, हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और हिन्दुस्तान केबल्स कारखानों के उत्पादन में वृद्धि जारी रही। पैरेम्बूर कोच फाउण्ड्री और सिन्द्री उर्वरक कारखानों का उत्पादन कुछ कम हो गया।

निजी क्षेत्र में भी कारखानों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। कोयले, इस्पात, सीमेंट, मशीनें, गाड़ियां, रासायनिक चीजों आदि के उत्पादन में विशेष रूप से वृद्धि हुई। किन्तु सूती कपड़ा उद्योग, मशीनी पेच, चक्की के पाट, कमरा ठंडा करने के यन्त्रों और माचिसों के उत्पादन में कुछ कमी आई।

छोटे उद्योगों से सामान बना कर भारत सरकार को देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने सरकार से ४६० ठेके प्राप्त किए, जबकि इससे पहली छमाही में ३५६ ठेके ही लिए गए थे। इस निगम ने छोटे उद्योगों को ५५ लाख रु० की ६३७ मशीनें किश्तों पर दीं। इस अवधि में निगम ने कुल १,१९२ मशीनें देने के लिए छोटे उद्योगों से अर्जियां मंजूर कीं, जिनकी कीमत १ करोड़ २९ लाख रु० बैठती है।

कागज उद्योग विकास परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में १ फरवरी को कागज, लुगदी और सम्बन्धित उद्योगों की विकास परिषद की पहली बैठक का आरम्भ करते हुए उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने बताया कि तीसरी योजना में कागज उद्योग का उत्पादन लक्ष्य ७ लाख टन है और उत्पादन क्षमता ९ लाख टन होगी। उन्होंने बताया कि दूसरी योजना में जो ४॥ लाख टन का लक्ष्य था, वह पूरा हो चुका है। और जितने कारखाने लग चुके हैं और जिन मशीनों के आर्डर दिए जा चुके हैं, उन सबको मिलाकर कागज उद्योग की पूरी क्षमता ६ लाख ८८ हजार टन होगी। श्री शाह ने बताया कि १९५९ में २ लाख ९२ हजार टन कागज बनाया गया। सन् १९
... १३॥ करोड़ रु० का कागज
... जबकि पिछले साल २० ...

। तीसरी योजना के पूरा होने पर ४८ रोड रु० का बनने लगेगा।

अखबारी कागज

उद्योग मंत्री ने बताया कि नेफा मिल का बराबर बढ़ रहा है और इसकी क्षमता ०० टन कागज प्रति दिन बनाने की की जा है। १०० टन कागज प्रति दिन बनाने ३-४ और मिलों को स्थापित करने के स्तावों पर भारत सरकार विचार कर रही । शुरू में अखबारी कागज की लुगदी बाहर मंगायी जाएगी। बाद में देशी सामान से बनने लगेगा।

उद्योग मंत्री ने बताया कि इस समय देश में रेयन किस्म की लुगदी बनाने का सामान कठिनाई से मिलता है। सन् १९६१ में इस प्रकार की ७४ हजार लुगदी की जरूरत होगी। अब इस काम के लिए बांस की लुगदी को काम में लाने के परीक्षण किए जा रहे हैं। केरल में १०० टन रेयन किस्म की लुगदी बनाने का कारखाना बिठाया जा रहा है और तीन और योजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है। आशा है कि सन् १९६३ तक देश में रेयन की जितनी लुगदी की दरकार होगी, सब यहां बनने लगेगी।

श्री शाह ने बताया कि दूसरी योजना के आरम्भ में दफ्ती बनाने के २३ कारखाने देश में थे, जिनकी क्षमता ७० हजार टन की थी। तब से ९ और कारखाने कायम करने की और ६ को बढ़ाने की मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे करीब ५० लाख टन दफ्ती और बन सकेगी। इस प्रकार पूरी क्षमता १२ लाख टन की हो जाएगी। उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि देश में टिशू कागज बनाने का एक कारखाना चल रहा है और दूसरा शुरू हो गया है।

श्री शाह ने यह भी बताया कि अभी हाल में भारत सरकार ने ५० से १०० टन प्रति दिन कागज बनाने के छः कारखानों की योजना और प्रति दिन ५ से १० टन के चार छोटे कारखानों की योजना स्वीकार की है। खास किस्म के कागज बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। श्री शाह ने बताया कि इस समय देश में कागज का एक कारखाना ईख की खोई से कागज बना रहा है, और करीब १५ हजार टन खोई इस समय कागज बनाने के काम आ रही है। यदि चीनी मिलों से निकलने वाली सारी खोई का इस्तेमाल किया जाए तो इससे प्रति वर्ष २७ लाख टन कागज बन सकता है।

श्री शाह ने बताया कि राज्य व्यापार निगम २५ से ५० हजार टन तक कागज बाहर से मंगा रहा है, जिससे देश में कागज की बढ़ती हुई मांग पूरी हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रति वर्ष २,५०० टन कागज निर्यात भी किया जाता है।

कपड़े की कीमतें

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो ने १० फरवरी को राज्यसभा में बताया कि कपड़े के दाम घटाने के लिए सरकार ने जो उपाय किए, उनसे बाजार में भाव स्थिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगले कुछ सप्ताहों में और भाव गिरने की आशा है। सरकार स्थिति का अध्ययन कर रही है। यह सूचना वाणिज्य मंत्री ने प्रश्नोत्तर के समय दी।

श्री कानूनगो ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कपड़े का थोक और फुटकर भाव बढ़ गया है। इस वृद्धि के कुछ कारण ये हैं: (१) देश और विदेशी रुई की कीमतों में वृद्धि; (२) कई कारणों, जैसे महंगाई भत्ते में वृद्धि आदि से उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी; और (३) सट्टेबाजी। उन्होंने बताया कि पिछले मौसम में भारतीय रुई की फसल अच्छी नहीं हुई, जिससे सट्टेबाजी तेजी से चली। सरकार ने काफी मात्रा में रुई आयात करने का प्रबन्ध किया है और उद्योग को कच्चा माल सप्लाई होने में कमी न होगी।

श्री कानूनगो ने बताया कि देशी रुई के वितरण का प्रबन्ध किया गया है। सरकार ने उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बात की है और वे सट्टेबाजी के खिलाफ और भाव गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर भाव स्थिर करने के लिए प्रमुख केन्द्रों में अपने बिक्री केन्द्र खोल सकते हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री कानूनगो ने बताया कि सूती धागों की कीमतों में वृद्धि करने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था। उन्होंने कहा कि सरकार सूती धागों की कीमतों को चौकसी से देख रही है और उम्मीद है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी।

क्या आप जानते हैं?

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

● अक्तूबर-नवम्बर १९५६ में भारत से एक प्रतिनिधिमंडल जापान में उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों के अध्ययन के लिए गया था। इसी के बाद देश में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद स्थापित करने का विचार हुआ।

● राष्ट्रीय धन बढ़ाने और लोगों का रहन-सहन अच्छा करने के लिए उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि सब प्रकार के साधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके, कम लागत पर बढ़िया चीजें बनाई जाए।

● केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस विषय पर विचार करने के लिए नवम्बर १९५७ में एक बैठक बुलाई। इसमें मालिकों और मजदूरों की संस्थाओं, प्रबन्ध संघों और शिल्पिक संस्थाओं के विशेषज्ञों तथा अमरीका के शिल्प सहयोग मंडल और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक की सिफारिश पर १२ फरवरी, १९५८ को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद स्थापित और रजिस्टर हुई।

● यह परिषद देश में ५ क्षेत्रीय उत्पादकता निदेशालय स्थापित कर चुकी है। इनमें उत्पादकता बढ़ाने की शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञ रखने की व्यवस्था है, जिनसे उद्योगों को मदद मिले।

● यह परिषद अब तक देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ३४ स्थानीय उत्पादकता परिषद खोल चुकी है। कानपुर, फरीदाबाद, बड़ौदा, लुधियाना, कलकत्ता और अमृतसर में भी शीघ्र ही स्थानीय परिषद खुल जाएगी। लगभग २० अन्य स्थानों पर भी परिषद खोलने के बारे में प्रारम्भिक कार्रवाई की जा चुकी है।

● अमरीका के शिल्प सहयोग मंडल की सहायता से १२ विदेशी शिल्पिकों और विशेषज्ञों को बुलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कुछ विशेषज्ञ भेज रहा है, जो उत्पादकता बढ़ाने की शिक्षा देंगे।

● राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का कार्यक्रम बनाने और चलाने के लिए भारतीय विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं।

● प्रबन्ध कर्मचारियों, फोरमैनों आदि को भी सिखाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान करने और दूसरे देशों से निश्चित ज्ञान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

● उत्पादकता के तरीकों और विशेष उद्योगों का अध्ययन करने के लिए विदेशों में अध्ययन टोलियां भी भेजी जाएंगी।

चंडीगढ़ में एंटिबायोटिक औषधियां बनाने का कारखाना

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १० फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने एक अमरीकी कम्पनी को चंडीगढ़ में टेट्रासाइक्लिन औषधियां बनाने का कारखाना खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्री महोदय ने बताया कि कारखाना खोलने का प्रस्ताव मेसर्स इंडुफेन (प्राइवेट) लि० ने रखा था। इस कारखाने के अधिकांश हिस्से अमरीकी कम्पनी फाइजर्स के होंगे। श्री शाह ने कहा कि कम्पनी को लाइसेंस दिया जा चुका है।

रेयन बनाने में देश में मिलने वाले कच्चे माल का प्रयोग

भारत में आजकल रेयन बनाने के तीन कारखाने हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग ढाई करोड़ पौंड रेयन के धागे बनाते हैं। अनुमान है कि देश की रेयन की आवश्यकता लगभग ६.८ करोड़ पौंड है। देश में रेयन उद्योग का निरन्तर विस्तार हो रहा है। रेयन को बनावटी रेशम भी कहा गया है। इसके धागे सेलूलोस की पिट्ठी या विस्कोस से तैयार किए जाते हैं। सेलूलोस विभिन्न वनस्पतियों से तैयार किया जा सकता है। विभिन्न वनस्पतियों के सेलूलोस रेयन बनाने के लिए कहां तक उपयोगी हैं, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली के श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान में एक यन्त्र लगाया गया है। इस यन्त्र में एक किलोग्राम लुगदी एक घान में इस्तेमाल की जा सकती है। इस यन्त्र का आकार निश्चित करते समय इस प्रकार के अनुसंधान करने वाले दूसरे अनुसंधान संस्थानों में लगे ऐसे यन्त्रों की क्षमता को ध्यान में रखा गया।

बिक्री के लिए पौने दो लाख टन चीनी

खाद्य और कृषि मंत्रालय के चीनी और वनस्पति निदेशालय की ४ फरवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने बिक्री के लिए १ लाख ७५ हजार टन चीनी देने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और पंजाब की चीनी मिलों से खुली बिक्री के लिए चीनी नहीं दी जाएगी। यहां से केवल वहीं के कर्मचारियों के लिए कुछ चीनी दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प० बंगाल, उड़ीसा, केरल, बम्बई, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में नियन्त्रित दरों को मिलों से वहां की राज्य सरकारों के नामजदों को चीनी दी जाएगी। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में सीधे राज्य सरकार को या उनके नामजदों को दी जाएगी। दिल्ली में चीनी के वितरण का यही तरीका रहेगा, जो इस समय प्रचलित है।

चीनी का भाव भी वही रहेगा, जो २५ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी एस आर ११८८। ई स स-सी ओ एस सुगर में दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में चीनी का कारखाना भाव ३७ रु० ८५ न० पै० मन है। पंजाब की मिलों में आई एस एस डी-२९ ग्रेड की चीनी का भाव ३८ रु० ३५ न० पै० मन है और अन्य प्रकार की चीनी के भाव इससे कुछ कम-बेश हैं। कानपुर और कलकत्ता में आई एस एस डी-२९ ग्रेड चीनी का भाव स्टेशन पर क्रमशः ३८ रु० ६० न० पै० और ३९ ० ८५ न० पै० है।

भिलाई इस्पात कारखाने का उत्पादन

जनवरी १९६० में भिलाई इस्पात कारखाने में २१,२६२ टन इस्पात पिंड बनाए गए, जबकि दिसम्बर १९५९ में १५,३०६ टन बने थे।

इस कारखाने की खुली भट्ठी में १२ अक्तूबर १९५९ से इस्पात बनना शुरू हुआ था। तब से अब तक कुल ५०,००० टन इस्पात बनाया जा चुका है। जनवरी १९६० के अन्त तक लगभग ५,५०० टन [illegible] छड़ें देश के विभिन्न भागों को भेजी

जनवरी १९६० में कुल ५८,३८८ टन लोहे के ढोके बने, जबकि दिसम्बर १९५९ में ३४,९७५ टन बने थे। ४ फरवरी, १९५९ को पहली धमन भट्ठी चालू हुई थी। तब से अब तक कुल ३,८०,००० टन लोहे के ढोके बनाए जा चुके हैं। जनवरी १९६० तक ३ लाख टन लोहा कारखाने के बाहर भेजा गया।

नंगल उर्वरक कारखाने की प्रगति

लोकसभा में १२ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीशचन्द्र ने नंगल में उर्वरक कारखाने की प्रगति के बारे में एक विवरण सदन की मेज पर रखा। विवरण में बताया गया है कि एलेक्ट्रोलाइसिस शाखा की इमारत बनाने का काम एक तरह से पूरा हो गया है और सभी यन्त्र लगाए जा चुके हैं। बिजली सम्बन्धी काम अभी हो रहे हैं। बिजली शाखा की इमारत अभी बन रही है और उस का लगभग ८५ प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इसका सभी साज-सामान पहुंच गया है और लगाया जा रहा है। फर्टिलाइजर ग्रुप आफ प्लान्ट्स के लिए सभी उपकरण आगए हैं और इसके काफी यन्त्र लगाए जा चुके हैं और बाकी यन्त्र लगाने का काम जारी है। भारी पानी शाखा की इमारत का डिजाइन बनाया जा चुका है और खुदाई का काम शुरू हो गया है। इसके लिए सामान फरवरी १९६० में जहाज से रवाना कर दिया जाएगा। यहां के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए बस्ती का काम भी शुरू कर दिया गया है और लगभग ९१ प्रतिशत क्वार्टर बन चुके हैं और इनमें बिजली भी पहुंचाई जा चुकी है।

सीमेंट का उत्पादन

केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने ९ फरवरी को लोकसभा में बताया कि १९६०-६१ में देश के सीमेंट कारखानों की क्षमता १ करोड़ टन सीमेंट की है और वर्ष कुल ९० लाख टन सीमेंट बनने [illegible]। है। श्री शाह ने बताया कि १९५९ में २० हजार टन सीमेंट बना था।

क्या आप जानते हैं ?

देश में चमड़े की कमाई का काम

● भारत में लगभग २० करोड़ मवेशी हैं। यह संख्या अमरीका के मवेशियों की संख्या से तिगुनी है।

● भारत में प्रतिवर्ष लगभग २ करोड मवेशियों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है। इनमें ८५ से ९० प्रतिशत तक ऐसे जानवर होते हैं, जो अपनी प्राकृतिक मौत मरते हैं।

● इनके अतिरिक्त भारत में साढ़े सात करोड़ बकरियां और चार करोड़ भेड़े हैं। इनमें से प्रतिवर्ष साढ़े तीन करोड़ बकरियों और १ करोड़ ७० लाख भेड़ों की खाल से चमड़ा बनता है। इनमें लगभग ८५ प्रतिशत भेड़-बकरियां ऐसी होती हैं, जिनका मास बेचा जाता है।

● बकरियों की खाल ज्यादातर निर्यात की जाती है। अन्य सभी जानवरों की खालों और कुछ आयातित खालों की भारत में ही कमाई की जाती है।

● भारत में चमडे की कमाई का ज्यादातर काम छोटे पैमाने पर होता है। वैसे मद्रास, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई में कमाई करने के कुछ बड़े कारखाने भी हैं। देश में चमड़े की कमाई के लगभग ७२५ कारखाने ऐसे है, जहां ५० से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। यह उद्योग लगभग सारा ही निजी क्षेत्र में है।

● गांवों में इस उद्योग का काफी सुधार किया जा सकता है। उत्तर भारत में कई गावों में खाल के थैले बनाकर सिझाई की जाती है। सिझाई करने वालों को इकट्ठा करके किसी खास स्थान पर बसाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस प्रकार इनकी सहकारी समितिया बनाई जाएगी और चमड़े की कमाई की सभी सुविधाएं दी जाएगी। थैला बनाकर सिझाई करने की प्रथा हटाकर आधुनिक तरीकों का प्रयोग कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत-से गावों में चमडे की कमाई करने के केन्द्र खोले जा रहे हैं, जहां आधुनिक तरीकों का प्रचार किया जाएगा। आजकल पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, बम्बई, मद्रास, प० बंगाल, बिहार और केरल में इस तरह के केन्द्र चालू हैं।

● इस देशी उद्योग के विकास और कमाई किए हुए चमड़े का निर्यात बढाने के लिए भारत सरकार ने १५ जून, १९५९ से बकरियों की खाल के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया है।

● भारत में चमडे की कमाई करने वाले सामान, जैसे छडी आदि की काफी कमी है। देश में इस प्रकार की लगभग १५,००० टन छड़ियां प्रति वर्ष आयात हो रही हैं।

● इन छडियों की खेती करने का भी विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। आशा है, दूसरी योजना के अन्त तक २७ हजार एकड़ जमीन पर इसकी खेती होने लगेगी।

● मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और जालंधर में क्षेत्रीय संस्थाए हैं, जहा चमड़े की कमाई करना सिखाया जाता है। जनवरी १९५३ मे मद्रास में केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था भी खोली गई थी। यहा प्रशिक्षण और अनुसंधान की सभी सुविधाएं दी जाती है।

● कानपुर के चमडा प्रशिक्षण स्कूल को सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया है। अब यहा उच्च शिल्पिक प्रशिक्षण की भी सुविधाए दी जाती है।

तापसह ईंटें बनाने की नयी विधि

जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने नये प्रकार की तापसह ईंटें बनाने का तरीका निकाला है। तापसह ईंटे लोहा और इस्पात बनाने की भट्ठियों में लगाई जाती हैं। इन नयी ईंटो मे यह विशेष गुण होगा कि भट्ठी को पहली बार तापने पर, रासायनिक क्रिया द्वारा इनके जोड़ मिल जाएंगे और पूरी सतह हमवार हो जाएगी।

ये तापसह ईंटे बहुत अधिक ताप बर्दाश्त कर सकती हैं और इन पर इस्पात के कचरे का भी कोई असर नही होता।

इन ईंटों को बनाने में मैगनेसाइट, क्रोमाइट और मैगनेशियम क्लोराइड काम आता है। अच्छे किस्म के मैगनेसाइट और मैगनेशियम क्लोराइड के सलेम और मैसूर में भण्डार हैं। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में भी मैगनेसाइट के भण्डार मिले हैं। क्रोमाइट के भण्डार बिहार और उड़ीसा में हैं। समुद्र के पानी से नमक बनाने में मैगनेशियम क्लोराइड उपजात (बाइ-प्राडक्ट) के रूप में मिलता है।

दूसरी योजना के अंत तक ८३,१२० टन तापसह ईंटे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी योजना में इस्पात का अधिक उत्पादन होने पर ज्यादा तापसह ईंटें बनाई जाएंगी।

उक्त प्रकार की ईंटें इस समय देश में नही बनायी जा रही हैं। इन तापसह ईंटों को बनाने के लिए विशेष यंत्रों की आवश्यकता नही होती। इन्हें साधारण तापसह ईंटे बनाने की मशीनों से ही तैयार किया जा सकता है। हर साल १५ हजार टन ईंटें बनाने वाले कारखाने को खड़ा करने मे २७ लाख ९१ हजार रु० का पूजीगत व्यय होगा।

मकानों की छत डालने की एस्फाल्ट की चादरें

राष्ट्रीय इमारत सगठन ने मकानों की छतों में लगाने के काम की एस्फाल्ट की चादरें देश में ही बनाने के लिए कारखाना खड़ा करने की योजना बनाई है। इस सम्बन्ध में इमारत संगठन ने जो पड़ताल की थी, उस से पता चला है कि इन चादरों को देश में ही बनाने की पर्याप्त गुंजाइश है।

संगठन का अनुमान है कि एस्फाल्ट की चादरें बनाने पर एस्बस्टस सीमेंट की चादरों से आधी लागत आएगी। साथ ही एस्बस्टस सीमेंट की चादरें बनाने के लिए कच्चा माल विदेशों से मंगाने पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है उसमें भी बचत होगी।

कैल्शियम-युक्त नमक

मैसूर की खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधानशाला ने खाने का जो कैल्शियम-युक्त नमक तैयार किया है, वह भारतीय खुराक की आमतौर से पाई जाने वाली कैल्शियम की मौजूदा कमी को पूरा कर देगा। यह सूचना वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, श्री हुमायूं कबीर ने एक प्रश्न के उत्तर में ९ फरवरी को राज्य-

सभा में दी। उन्होंने बताया कि मैडिकल कालेज नगर के पौष्टिक नाश्ते के बारे में अनुसंधान संस्था में प्रयोग हो रहे हैं। नतीजा अच्छा रहा है लेकिन प्रयोग अभी पूरे नहीं हुए।

प्लास्टिक उद्योग का विकास

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने राज्यसभा में १५ फरवरी को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चे सामान, जैसे पालीथीन आदि का उत्पादन शुरू हो गया है। आशा है इनकी सहायता से प्लास्टिक की चीजें बनने लगेंगी, जिनका निर्यात भी काफी बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक उद्योग के लिए देश में आवश्यक रासायनिक पदार्थों आदि के उत्पादन की योजनाएं सरकार ने मंजूर की हैं।

खनिज मैंगनीज का निर्यात

वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री, श्री सतीश-चन्द्र ने १२ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि राज्य व्यापार निगम अपने सहयोगी कुछ अनुभवी व्यापारियों को खनिज मैंगनीज निर्यात करने के दीर्घ-कालीन ठेके दिलवा रहा है।

इसका कारण पूछे जाने पर श्री सतीशचन्द्र ने कहा कि पुराने खरीदारों में यह विश्वास बनाए रखना जरूरी है कि खनिज मैंगनीज के निर्यात में कोई कमी नहीं आए गी। इसके लिए उचित दामों पर दीर्घकालीन ठेके लेना भी जरूरी है। छोटे-मोटे निर्यातक व्यक्तिगत रूप से ३ से ५ साल तक के ठेके लेने में असमर्थ हैं। अतः राज्य व्यापार निगम से कहा गया है कि वह अनुभवी निर्यातकों से मिल कर खनिज मैंगनीज का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न करे और उनकी सहायता से दीर्घकालीन ठेके प्राप्त करे।

स्टूडियो के समान का आयात

भारत सरकार ने आयातकों को बाहर से जितने मूल्य की गैर-इस्तेमाली फिल्में मंगाने के लाइसेंस दिए हैं, अब वे उसके २५ प्रतिशत मूल्य तक के स्टूडियो उपकरण मंगा सकते हैं। सरकार ने यह निर्णय निर्यात बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत किया है। यह घोषणा आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक नोटिस में कर दी गई है।

दिसम्बर १९५९ में भारत का विदेशी व्यापार

१९५९ में भारत के विदेशी व्यापार में कुल मिलाकर वार्षिक घाटा कम रहा और दिसम्बर के महीने में निर्यात व्यापार में बना रहा। व्यापारिक आंकड़े संकलित करने वाले विभाग ने अनुमान लगाया है कि दिसम्बर में व्यापार संतुलन १ करोड़ १८ लाख रु० से भारत के पक्ष में रहा।

इस महीने में भारत से ७० करोड़ ९४ लाख रु० का माल निर्यात या पुनर्निर्यात किया गया। पिछले वर्ष दिसम्बर में यह संख्या ५२ करोड़ ३९ लाख थी। दिसम्बर १९५९ में व्यापारिक माल और सोने का आयात ६९ करोड़ ७६ लाख रु० का रहा। दिसम्बर १९५८ में ८५ करोड़ ८३ लाख रु० का माल और सोना आयात किया गया था। १९५९ में कुल मिलाकर निर्यात-आयात व्यापार में २४३ करोड़ १६ लाख रु० का घाटा रहा। यह संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा ४३ करोड़ १ लाख रु० कम है। इस वर्ष ६१९ करोड़ ९० लाख रु० के माल का निर्यात किया गया, जबकि १९५८ में यह संख्या ५७० करोड़ ५६ लाख थी। इस वर्ष विभिन्न प्रकार के माल के आयात में केवल ४ करोड़ ४५ लाख रु० की वृद्धि हुई।

डाक्टरी सामान का आयात

जनवरी-नवम्बर १९५९ की अवधि में कुल १ करोड़ १७ लाख रु० के डाक्टरी सामान का आयात हुआ था।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने लोकसभा में १२ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय दी। उन्होंने बताया कि देश में नये-नये कारखानों को डाक्टरी और दन्त चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण बनाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल ही में एक्स-रे और चिकित्सा सम्बन्धी बिजली का सामान बनाने की चार योजनाएं मंजूर की गई हैं। पिछले साल थर्मामीटर बनाने की भी तीन योजनाएं मंजूर की गई थीं। सरकारी क्षेत्र में रूस की सहायता से चीर-फाड़ के औजार बनाने की एक योजना पर आजकल विचार किया जा रहा है।



मजदूरों के लिए मकान : राज्य सरकारों द्वारा सहायता

मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और बम्बई की राज्य सरकारों ने नवम्बर १९५९ में ९५७ मकान बनाने की स्वीकृति दी है। ये मकान, मजदूरों के मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता देने की योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। ये योजनाएं लगभग २६ लाख ६५ हजार रु० की हैं। इन योजनाओं को या तो राज्य सरकार स्वयं या उनकी एजेन्सियां लागू करेंगी और इसमें मजदूरों को ५० प्रतिशत रकम सहायता के रूप में और बाकी रुपया ऋण के तौर पर दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने सतना में एक कमरे वाले ७५ मकान बनाने की स्वीकृति दी। इस पर लगभग २ लाख ४६ हजार रु० खर्च बैठेगा।

मैसूर सरकार ने जिस योजना की स्वीकृति दी है उसके अन्तर्गत कम्पली में लगभग ४ लाख ४ हजार रु० की लागत में एक कमरे वाले १०० और २ कमरे वाले १२ मकान बनाए जाएंगे। इसके अलावा बेतरायनपुर में ४ लाख रु० की लागत के २ कमरे वाले १०४ मकान बनाए जाएंगे।

पंजाब सरकार ने लुधियाना में २ कमरे वाले ३६, पानीपत में दो कमरे वाले ९६, हिसार में एक कमरे वाले १२४, जगाधरी और यमुना नगर में दो कमरे वाले ३६-३६ मकान बनाने की योजना को स्वीकार किया है। इन योजनाओं पर क्रमशः १ लाख ५२ हजार रु०; ४ लाख ३ हजार रु०; ४ लाख ९ हजार रु०; १ लाख ५१ हजार रु० खर्च बैठेगा। यमुना नगर के मकानों को बनाने में भी १ लाख ५१ हजार रु० खर्च होगा।

राजस्थान में जिस योजना की स्वीकृति दी गई है उसके अन्तर्गत पाली में १२ लाख ७२ हजार रु० की लागत के १ कमरे वाले १९२ और २ कमरे वाले १२० मकान

एंगे।

बम्बई सरकार ने सूरत में लगभग ७७ हजार ० की लागत के एक कमरे वाले २६ मकान नाने की श्रमजीवी कोआपरेटिव हाउसिंग सायटी की योजना स्वीकार कर ली है।

आसाम सरकार ने खरगली में एक कमरे ाले ६५ मकान और तिनसुकिया में एक कमरे ाले ३४ मकान बनाने की योजना स्वीकार ी है। इन पर ३ लाख २६ हजार रु० खर्च ोगा।

श्री गंगानगर मे २ कमरे वाले ५० और एक कमरे वाले २०० तथा जवार खानों के पास एक कमरे वाले १०० मकान बनाने की योजना पर राजस्थान सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इन योजनाओं पर क्रमशः ८ लाख २४ हजार रु० और ३ लाख ३० हजार रु० खर्च होगा।

नवम्बर १९५९ में औद्योगिक झगड़े

भारत सरकार के श्रम कार्यालय से जानकारी मिली है कि नवम्बर १९५९ में औद्योगिक झगड़े औसतन ५.३ दिन तक चले जबकि अक्तूबर में ऐसे झगडे ४.० दिन तक चले थे।

नवम्बर १९५९ में ९३ नये औद्योगिक झगड़े हुए। इस प्रकार इस महीने एक समय में अधिक से अधिक १३९ झगड़े रहे, जिसमें १० तालाबंदियां भी शामिल हैं। इससे पहले महीने १३१ नये औद्योगिक झगडे हुए और १६८ झगड़े चालू रहे।

इस महीने ९६ औद्योगिक झगड़े समाप्त हुए। इनमें से ७३ झगड़े ५ दिन से अधिक नही चले। ६ झगडे ३० दिन से अधिक चले।

इस महीने 'निर्माण उद्योगों' मे १,८९,३७२; 'खानों' म २४,४२७; और 'परिवहन तथा संचार' में २४,१७५ जन-दिनों की हानि हुई।

नवम्बर १९५९ में पश्चिम बंगाल में १,३०,७७०, राजस्थान में ३९,५९८, बम्बई में ३४,०३९ और बिहार में २२,७७८ कार्य-घंटों की हानि हुई।

निर्माण उद्योग में नवम्बर १९५९ में औद्योगिक झगड़ों का सूचक अंक (आधार १९५१ =१००) ४९ (अस्थायी) रहा, जवकि इससे पिछले महीने ६३ था।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन

भारत सरकार ने १९५७ के श्रमजीवी पत्रकार (नौकरी की शर्तें) और विविध नियमों में कुछ संशोधन किए हैं और ये संशोधन भारत सरकार के सूचना-पत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

नियम ७ में काम के घंटे के बारे में दिया गया है और उसके उपनियम (२) में संशोधन किया है। इसके अनुसार अब किसी ऐसी समाचार एजेन्सी अथवा समाचार-पत्र के कार्यालय में, जहां एक से ज्यादा पत्र-प्रतिनिधि, संवाददाता या फोटोग्राफर काम करते हैं और जो समाचार-पत्र कार्यालय छापेखानों से दूर हैं, उनके पत्र-प्रतिनिधियों, संवाददाताओ और फोटोग्राफरो को उक्त उपनियम (२) की सुविधाएं दी जाएंगी। पहले इस उपनियम के अन्तर्गत केवल उन्ही पत्र-प्रतिनिधियों, संवाददाताओं और फोटोग्राफरों को उक्त सुविधाएं दी जाती थीं, जो समाचार-पत्र के प्रकाशन स्थान में ही काम करते थे।

नियम २ के उपनियम (ई) में जो 'पुत्र' और 'पुत्री' शब्द दिए गए हैं, उसके अन्तर्गत गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री भी शामिल होगा।

नियम २९ प्रसूति छुट्टी के बारे में है। सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है। संशोधित नियम के अनुसार महिला श्रमजीवी पत्रकार को किसी मान्यता-प्राप्त डाक्टर के सर्टिफिकेट दिखाने पर कुछ समय के लिए सवेतन प्रसूति छुट्टी दी जाएगी।

राज्यों के कर्मचारियों के लिए मकान

भारत सरकार ने निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की किराये पर मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत ९ राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष में ८२ लाख रु० की और सहायता देना मजूर किया है।

राज्यों की मांग, दिए गए रुपये और वर्तमान अनुदान तथा कुल रुपये का ब्योरा इस प्रकार है:—

(लाख रु० में)

राज्य	राज्य की मांग	राज्य को दिया गया रु०	वर्तमान अनुदान	कुल जोड़
आंध्र प्रदेश	४५	१५	१२.४५	२७.४५
बिहार	२०	६	६.२०	१२.२०
केरल	२०	६	६.२०	१२.२०
मध्य प्रदेश	१००	३३	२८.००	६१.००
मद्रास	३०	१०	८.३०	१८.३०
मैसूर	१७	४	६.३०	१०.३०
उड़ीसा	२०	६	६.२०	१२.२०
राजस्थान	२०	८	४.२०	१२.२०
प० बंगाल	१५	५	४.१५	९.१५

यह योजना निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय ने मार्च १९५९ में चालू की थी और जीवन बीमा निगम ने राज्यों को १९५८-५९ से १९६०-६१ तक प्रति वर्ष १ करोड़ रु० ऋण देना स्वीकार किया था। चालू वित्त वर्ष में बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर निगम ने यह रकम बढ़ाकर १ करोड़ ७५ लाख रु० कर दी है। यह ऋण २० वर्ष में चुकाना पड़ेगा और इस पर ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा।

समाचार और परिशिष्ट

रेल मंत्रालय की १९५८-५९ की रिपोर्ट

रेल मंत्रालय की १९५८-५९ की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष माल-यातायात में १.८ प्रतिशत तथा यात्री-यातायात में ०.७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष रेलों ने १३ करोड़ ६० लाख टन माल ढोया, जबकि पिछले वर्ष १३ करोड़ ४० लाख टन माल ढोया गया था। १९५७-५८ में यात्री-संख्या १ अरब ४३ करोड़ थी, जबकि इस वर्ष १ अरब ४४ करोड़ १० लाख रही।

कुल १३ करोड़ ६० लाख टन माल में से १३ करोड़ ५० लाख टन माल सरकारी रेलों ने ढोया। इसी प्रकार कुल १ अरब ४४ करोड़ १० लाख यात्रियों में से १ अरब ४३ करोड़ ७० लाख यात्रियों ने सरकारी रेलों से यात्रा की।

रेल-मीलों की संख्या बढ़ी

१९५८-५९ में माल की ढुलाई ८६ हजार ७५२ टन-मील रही, जबकि पिछले वर्ष ८५ हजार ६४४ टन-मील थी।

इस वर्ष यद्यपि यात्रियों की संख्या बढ़ी, लेकिन यात्री-मीलों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हो गई। पिछले वर्ष रेलों ने ४३ अरब ३२ करोड़ ९० लाख यात्री-मील तय किए थे, जबकि इस वर्ष यात्री-मीलों की संख्या ४२ अरब ५० करोड़ १० लाख रही। तीसरे दर्जे के यात्री-मीलों की संख्या कम होने का कारण यह रहा कि इस वर्ष औसतन एक यात्री ने २८.७ मील यात्रा की, जबकि पिछले वर्ष यह औसत २९.६ मील था।

माल-डिब्बा लदान

इस वर्ष रेलवे ने अपने काम के लिए लादे गए माल-डिब्बों को छोड़कर प्रति दिन बड़ी लाइन पर औसतन १२ हजार ८५० और छोटी लाइन पर ८,०५० डिब्बे लादे गए, जबकि पिछले वर्ष बड़ी लाइन पर १२,६६२ और छोटी लाइन पर ८,३३१ डिब्बे लादे गए थे। इस प्रकार बड़ी लाइन पर माल-डिब्बा लदान में १.४८ प्रतिशत की वृद्धि और छोटी लाइन पर ३.३७ प्रतिशत की कमी हुई।

यदि रेलों के अपने काम के लिए लादे गए माल-डिब्बों को भी जोड़ लिया जाए तो बड़ी और छोटी लाइनों पर क्रमशः प्रतिदिन औसतन १५ हजार १५७ और ९ हजार ५३ माल-डिब्बे लादे गए। पिछले वर्ष यह संख्या क्रमशः १४ हजार ९५२ और ९ हजार ३१२ थी। इस प्रकार बड़ी लाइन पर १.३४ प्रतिशत अधिक और छोटी लाइन पर २.७८ प्रतिशत कम माल-डिब्बे लादे गए।

आय और व्यय

इस वर्ष सरकारी रेलों को यातायात से कुल ३९०.२१ करोड़ रु० की आय हुई, जिसमें से ११६.७४ करोड़ रु० की आय यात्री-यातायात से और २४०.८२ करोड़ रु० की आय माल-यातायात से हुई। शेष ३२.६५ करोड़ रु० की आय पार्सलों तथा दूसरे फुटकर सामान की ढुलाई से हुई।

इस वर्ष यात्री-यातायात से २.३६ करोड़ रु० की कम आय हुई। माल-यातायात से ११.१४ करोड़ रु० की अधिक आय हुई, लेकिन आय में यह वृद्धि उतनी नहीं जितनी आशा थी।

पिछले वर्ष की अपेक्षा आलोच्य वर्ष में रेलों का साधारण संचालन व्यय १२.१५ करोड़ रु० अधिक रहा। पिछले वर्ष यह व्यय २६४.१८ करोड़ रु० था, जबकि आलोच्य वर्ष में २७६.३३ करोड़ रु० हुआ। घिसाई खाते में ४५.८७ करोड़ रु० डाले गए।

इस वर्ष रेलों के संचालन व्यय का अनुपात ८२.७२ प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष ८१.२१ प्रतिशत था।

रेलों के संचालन व्यय में वृद्धि होने के कई कारण हैं। कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। वार्षिक वृद्धि के कारण वेतन का हिसाब खाता भी बढ़ा। ३०० रु० से कम मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पूरे वर्ष अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिया गया। रेल-डिब्बों तथा पटरियों आदि की मरम्मत में भी खर्चा बढ़ा। कोयले के भाव बढ़ गए। रेलों के लिए आवश्यक दूसरे सामान के भाव भी बढ़े। कोयले पर बिक्री कर लगा। कर्मचारी लाभ निधि तथा कर्मचारियों के भलाई के कामों में अधिक अंशदान किया गया। खर्च कम करने के लिए तथा खर्च पर बड़ी निगरानी रखने के लिए १९५८-५९ में विशेष व्यवस्था की गई। रेलों का सारा खर्च पूरा करने तथा ४५ करोड़ रु० घिसाई खाते में डालने के बाद आलोच्य वर्ष में ५९.३२ करोड़ रु० की विशुद्ध आय हुई, जिसमें से ५०.३९ करोड़ रु० लाभांश के रूप में केन्द्रीय राजस्व में दिए गए।

इस प्रकार इस वर्ष ८.९३ करोड़ रु० की आय हुई, जबकि १९५७-५८ में १३.३८ करोड़ रु० की आय हुई थी।

कार्यकुशलता

इस वर्ष यात्री रेल-मीलों की संख्या १.४८ प्रतिशत बढ़कर १२ करोड़ ३१ लाख ८० हजार हो गई। लेकिन यात्री-मीलों की संख्या १.८२ प्रतिशत कम हुई। मालगाड़ी-मीलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा १.१३ प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस तरह इस वर्ष मालगाड़ी-मीलों की कुल संख्या ९ करोड़ २० लाख ४० हजार हुई। टन-मीलों में भी इस वर्ष २.३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

१९५७-५८ में प्रति वैगन दिन टन-मीलों का सूचक अंक बड़ी लाइन पर उससे पहले वर्ष के सूचक अंक ५७० से बढ़कर ५९८ और छोटी लाइन पर २१० से बढ़कर २२५ हो गया था। लेकिन १९५८-५९ में यह सूचक अंक गिर गया और बड़ी तथा छोटी लाइनों पर क्रमशः ५७३ तथा २१६ रहा। सूचक अंक गिरने का मुख्य कारण यह था कि माल-यातायात जितना बढ़ने की आशा थी और उसके हिसाब से जितने डिब्बे बढ़ाए गए, उतना नहीं बढ़ा और बहुत-से डिब्बे खाली खड़े रहे।

मालगाड़ी के प्रति इंजन पीछे टन मीलों के दैनिक सूचक अंक का प्रतिशत बड़ी लाइन पर बढ़ा, लेकिन छोटी लाइन पर घट गया। प्रति वैगन प्रति दिन औसत मील ढुलाई का प्रतिशत भी बड़ी लाइन पर ३.५९ और लाइन पर ४.३२ कम हो गया।

बड़ी लाइन पर १९५७-५८ की अपेक्षा आलोच्य वर्ष में मालगाड़ियों की रफ्तार (मील प्रति घंटा) में भी सुधार हुआ। वह पिछले वर्ष के ९.३२ से बढ़कर आलोच्य वर्ष में ९.४२ हो गई, लेकिन छोटी लाइन पर रफ्तार कम रही। [illegible] की कठिनाइयों, नये ढंग के यार्ड [illegible] का काम शुरू होने के कारण तथा लाइनों [illegible] गाड़ियां बढ जाने के कारण रफ्तार में और [illegible] सुधार नहीं किया जा सका।

इस वर्ष छोटी और बडी दोनों ही लाइनों [illegible] गाडियों के ठीक समय पर अपने स्थान पर [illegible] के मामले में सुधार हुआ, लेकिन डाक-[illegible]डियों तथा कुछ खास-खास सीधी गाड़ियों (थ्रू ट्रेन्स) के समय पर पहुचने का प्रतिशत [illegible] लाइन पर कुछ गिर गया और १९५७-५८ [illegible] ७०.८१ प्रतिशत की बजाय १९५८-५९ में ६९.६० रह गया।

दूसरी योजना का तीसरा वर्ष

आलोच्य वर्ष दूसरी योजना का तीसरा वर्ष है। इस वर्ष रेलों ने २४५.१७ करोड रु० [illegible] किए। इस तरह योजना के [illegible]न तीन वर्षों [illegible] कुल मिलाकर रेलों ने ६७५.५९ करोड रु० [illegible] किए।

रेलों के लिए आवश्यक सामान देश में ही [illegible] करने और इस प्रकार आत्मनिर्भर होने [illegible] दिशा में, इस वर्ष कुछ और प्रगति हुई।

चित्तरंजन कारखाने में १९५८-५९ में [illegible]६४ डब्ल्यू जी इंजन तैयार किए गए। इस [illegible] पहला डब्ल्यू टी इंजन भी तैयार हुआ। [illegible] लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी [illegible] ने इस वर्ष छोटी लाइन के १०३ इंजन [illegible] किये, जबकि पिछले वर्ष ८५ इंजन तैयार [illegible] गए थे। पैराम्बूर के रेल डिब्बा कारखाने [illegible] उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी पाली शुरू [illegible] गई, जिससे कारखाने में प्रति वर्ष रेल-[illegible] के ३५० ढाचों की बजाय ६५० ढाचे [illegible] किए जा सके। विदेशी फर्मों की सहायता [illegible] निजी क्षेत्र में डीजल इंजन भारत में ही [illegible] करने के लिए कदम उठाए गए। सरकारी [illegible] में बिजली-गाड़ियों के लिए इंजन बनाने लिए भी कदम उठाए गए।

१९५८-५९ में १,७४० नये सवारी-डिब्बे [illegible] हुए, जिनमें से १,६४५ डिब्बे भारत में [illegible] किए गए थे। इस वर्ष १६,७०१ नये [illegible] लाइनों पर आए, जिनमें से १२,९६३ देश में तैयार किए गए थे।

रेलों के लिए आवश्यक और उपकरण भी देश में तैयार किए जा रहे है और चालू वर्ष में इनका उत्पादन बढ़ा है। दुर्गापुर में रेलों के पहिये बनाने का कारखाना खड़ा करने के बारे में बातचीत पूरी हुई। इस कारखाने के बनने से सब तरह के रेल-पहिये देश में ही बनने लग जाएंगे।

नयी लाइनें और निर्माण-कार्य

आलोच्य वर्ष में १९१ मील नयी रेल-लाइनें चालू हुईं। इनमें डेहरी-रोहतास लाइट रेलों की १७ मील की लाइन भी शामिल है। हावड़ा-बर्दवान रेल-लाइन और शेओराफुली-तारकेश्वर शाखा पर बिजली की रेलें शुरू हुईं और शाखाओं पर भी बिजली की रेलें शुरू करने के काम में सन्तोषजनक प्रगति हुई। १९५८-५९ में बिजली की रेलों के लिए कुल ५४४ मील लम्बी लाइनें बिछाने की स्वीकृति दी गई, जिनमें से कुछ लाइनें बिछायी जा रही हैं। विभिन्न रेलों पर कितने ही यार्डों में सुधार और विस्तार किया जा रहा है। इस वर्ष २९९ मील लम्बी पटरियों को दोहरा करने की स्वीकृति दी गई। भीमावरम-गुडिवाड़ा लाइन पर ४१ मील लम्बी छोटी लाइन बड़ी लाइन में बदलने की स्वीकृति दी गई।

इस वर्ष बडी तथा छोटी, दोनों लाइनों पर १,२६४ मील लम्बी पुरानी पटरियों की जगह नयी पटरियां बिछाई गईं तथा १,२६१ मील लाइन पर स्लीपर बदले गए। इस तरह दूसरी योजना में जब से पुरानी पटरियों को हटाकर नयी पटरियां बिछाने और स्लीपर बदलने का काम शुरू हुआ है, तब से अब तक ३,०८० मील पटरियां बदली जा चुकी है और ३,७०५ मील लम्बी लाइन पर स्लीपर बदले गए है।

इस वर्ष सिगनल-व्यवस्था में बहुत-से सुधार किए गए। सुरक्षा के लिए कुछ नए उपाय किए गए तथा लाइन-क्षमता बढाने के लिए तथा अधिक गाडियां चलाने के वास्ते कुछ नये निर्माण-कार्य किए गए।

रिपोर्ट में ब्रह्मपुत्र पर आसाम में अलीगाव के पास बनने वाले पुल तथा गडक पर हाजीपुर और सोनपुर के बीच बनने वाले पुल के निर्माण में हुई प्रगति के बारे में भी बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष अनेक पुलों को मज-बूत बनाया गया तथा इसी तरह सुरक्षा के लिए और भी निर्माण-कार्य शुरू किए गए।

यात्रियों की सुविधा

पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रेलों से यात्रा करने वालों तथा अन्य प्रकार से रेलों का प्रयोग करने वालों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इन सुविधाओं पर इस वर्ष कुल २.७२ करोड़ रु० खर्च हुए। एक निश्चित दूरी से अधिक यात्रा करने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए स्थान सुरक्षित करने की योजना तीन और गाडियों पर लागू की गई। छः और स्टेशनों पर, जहां विश्राम के लिए कमरे नहीं है, ऐसे डिब्बे रखे गए जिनमें यात्री विश्राम कर सकें। चार और गाड़ियों पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सोने की व्यवस्था की गई। बड़ी लाइन पर नये डिजाइन के तीन वर्थ वाले सोने के दो डिब्बे यात्रियों की राय जानने के लिए चलाए गए।

इस समय सभी सवारी-डिब्बे नये से नये डिजाइन के अनुसार बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिल सके। १९५८-५९ में बड़ी लाइन पर तीसरी श्रेणी के ८२२ सवारी डिब्बे, छोटी लाइन पर ४६१ सवारी डिब्बे और सवारी लाइन पर १२ सवारी-डिब्बे नये चालू किए गए।

गरीब यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े-बडे स्टेशनों पर सस्ती तथा स्वास्थ्यकर खाने की चीजें बेचने की व्यवस्था की गई। जिन स्टेशनों पर अच्छा दूध मिल सकता है, वहां दूध की दुकानें खोली गईं। इनके अतिरिक्त और भी सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई—स्टेशनों पर प्रतीक्षा-गृह बनाए गए, कुछ नये स्टेशन खोले गए, आराम से टिकट खरीदने के लिए व्यवस्था की गई, स्टेशनों पर बिजली लगाई गई तथा बिजली के पंखों की व्यवस्था की गई, कुछ स्टेशनों पर प्लेटफार्म ऊंचे किए गए, कुछ पक्के प्लेटफार्म बनाए गए तथा कुछ प्लेटफार्मों पर छाया की व्यवस्था की गई, स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई, कुछ प्लेट-फार्मों पर आधुनिक ढंग से शौचालय तथा स्नानागार बनाए गए।

रेलों में लगी कुल पूंजी

३१ मार्च, १९५९ तक नयी बनने वाली लाइनों को शुमार करके सब रेलों में कुल १६ अरब २१ करोड २० लाख [illegible]० की पूंजी लगी हुई थी। इसमें से १६ अरब १४ करोड़ ८९ लाख रु० की पूजी सरकारी रेलों की थी।

इसमें पूंजी (ऋण खाते) की १३ अरब ५६ करोड़ ५९ लाख रु० की राशि, घिसाई कोष की ७३ करोड़ १७ लाख की राशि, विकास कोष की १ अरब २१ करोड़ ९७ लाख रु० की राशि तथा रेल राजस्व की ६३ करोड़ १६ लाख रु० की राशि थी। शेष ६ करोड़ ३१ लाख रु० की पूंजी गैर-सरकारी रेलों पर विभिन्न कम्पनियों तथा जिला बोर्डों की लगी हुई थी।

आलोच्य वर्ष के अन्त में सारे देश में रेल-पटरियों की कुल लम्बाई ३५,०८१ मील थी, जिसमें से ३४,६३६ मील लम्बी रेल-पटरियां सरकारी रेलों की थीं।

सामान की खरीद

इस वर्ष रेलों ने २ अरब ५४ करोड़ रु० का सामान खरीदा, जबकि पिछले वर्ष २ अरब २२ करोड़ रु० का सामान खरीदा था। इस प्रकार इस वर्ष सामान की खरीद में ३२ करोड़ रु, यानी १४.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से १ अरब ६७ करोड़ ९३ लाख रु० का देशी माल खरीदा गया। ४३ करोड़ ९२ लाख रु० का माल रेलों ने विदेशों से अपने-आप मंगाया तथा ४२ करोड़ २३ लाख रु० का विदेशी माल एजेंटों के द्वारा मंगाया।

इस वर्ष ६७ लाख रु० की खादी खरीदी गई, जबकि पिछले वर्ष लगभग ६२ लाख रु० की खरीदी गई थी। २ करोड़ १५ लाख रु० का ऐसा सामान खरीदा गया, जो कुटीर उद्योगों तथा छोटे उद्योगों में तैयार किया गया था।

रेलों ने इस वर्ष कुल २ अरब ३९ करोड़ १२ लाख रु० के आवश्यक उपकरण तथा अन्य सामान खरीदने का आर्डर दिया। इसमें से ७२ करोड़ २३ लाख रु० का आर्डर विभिन्न रेलों ने तथा ६९ करोड़ ६७ लाख रु० का आर्डर रेल मण्डल ने दिया। ६८ करोड़ ६१ लाख रु० के सामान का आर्डर निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की मार्फत तथा २८ करोड़ ८१ लाख रु० के सामान का आर्डर दूसरे मंत्रालयों की मार्फत दिया गया।

दावों का निपटारा

इस वर्ष रेलों ने ४ लाख ६२ हजार ५७९ दावों का फैसला किया, जबकि पिछले वर्ष ४ लाख ८९ हजार ११५ दावों का फैसला किया गया था। ४४ हजार ८४ दावों का फैसला वर्ष के अन्त तक नहीं किया जा सका। गत वर्ष ऐसे अनिर्णीत दावों की संख्या ४२,५९२ थी। इस वर्ष औसतन १ दावे के निपटारे में ५२ दिन लगे, जबकि पिछले साल यह औसत ४९ दिन था।

कर्मचारियों की स्थिति

भारतीय रेलों में जितने कर्मचारी काम करते हैं, उतने देश के किसी भी अन्य एक उद्योग में नहीं करते। ३१ मार्च, १९५९ को सरकारी रेलों में काम करने वाले स्थायी, अस्थायी तथा अन्य सभी प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या ११,४३,९१८ थी। पिछले वर्ष यह संख्या ११,१२,९९६ थी। इस वर्ष रेलों ने कर्मचारियों को वेतन, भत्ता, भविष्य निधि अंशदान, तथा ग्रेचुटी के रूप में कुल १ अरब ८३ करोड़ ५ लाख रु० दिए, जबकि पिछले वर्ष १ अरब ७३ करोड़ ६१ लाख रु० दिए गए थे। इस वर्ष माल-यातायात में काफी वृद्धि होने की आशा थी, अतएव उसके आधार पर नये कर्मचारी भर्ती किए गए। लेकिन यातायात में आशानुकूल वृद्धि नहीं हुई। भविष्य में भर्ती पर नियंत्रण रखने के लिए कारंवाई कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार ही रहे। कर्मचारियों पर खर्च में वृद्धि मुख्यत. संख्या बढ़ने, पूरे वर्ष अतिरिक्त मंहगाई-भत्ता देने तथा कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि के कारण हुई है।

आलोच्य वर्ष में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ११ हजार ४८१ क्वार्टर बनाए गए।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक रेलों के चिकित्सा संगठन के अन्तर्गत ७० अस्पताल और ४४८ डिस्पेंसरियां थीं, जिनमें रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए ४,४०४ रोगी-शैयाओं की व्यवस्था थी। इस वर्ष १२ नयी डिस्पेंसरियां खोली गईं, ३८४ रोगी-शैयाएं बढ़ाई गईं, ५ चलते-फिरते अस्पताल खोले गए तथा ४९ प्रसूति-केन्द्र खोले गए। ६ तपेदिक के अस्पताल भी खोले गए। तपेदिक के मरीजों के लिए स्वीकृत अस्पतालों में सुरक्षित रोगी-शैयाओं की संख्या ५३८ से बढ़ाकर ९२८ कर दी गई। इनके अतिरिक्त २२८ रोगी-शैयाओं की व्यवस्था रेल-अस्पतालों में है।

रेलों की आय में से कर्मचारी लाभ कोष में अंशदान की दर प्रति व्यक्ति पीछे २ ० से बढ़ाकर पहली अप्रैल, १९५८ से ४ रु० कर दी गई, जिससे कर्मचारियों की भलाई के कामों पर अधिक खर्च किया जा सके तथा कर्मचारियों के बच्चों की ट्रेनिंग के लिए अधिक छात्र-वृत्तियां दी जा सकें। यह भी निश्चय किया गया कि प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाकर ५१० कर दी जाए और और ये स्कूल जून १९५९ तक खोल दिए जाएं।

रेलों के निगरानी संगठन ने भी बड़ी सजगता से काम किया। विभागीय कारंवाई के बाद इस वर्ष १,३४९ कर्मचारियों को सजाएं दी गईं। पिछले वर्ष ७६४ कर्मचारियों को सजा दी गई थी। इस वर्ष २४२ कर्मचारियों को कसूरवार होने के कारण नौकरी से अलग किया गया। पिछले वर्ष १६३ को बर्खास्त किया गया था। इसके अतिरिक्त रेल मण्डल के केन्द्रीय जांच-पड़ताल विभाग ने भ्रष्टाचार के २६० मामलों की जांच की।

कर्मचारियों से सम्बन्ध

रेल प्रशासन और कर्मचारियों के सम्बन्ध इस वर्ष सामान्यतः अच्छे रहे। कर्मचारियों से सम्बन्ध बनाए रखने तथा कर्मचारियों और प्रशासन के बीच होने वाले मतभेदों को दूर करने के लिए १९५२ में जो स्थायी संगठन बनाया गया था, उसका काम संतोषजनक रूप से चलता रहा।

राष्ट्रीय रेल कर्मचारी संघ की कार्य समिति की इस वर्ष चार बैठकें हुईं। अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ, जो पिछले वर्ष फिर से गठित किया गया था, संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करता रहा और इसके प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से सम्बन्धित कुछ मामलों पर रेल मण्डल से दो बार बातचीत की। राष्ट्रीय रेल उपयोक्ता सलाहकार परिषद की इस वर्ष एक बैठक हुई और उसमें बहुत-से मामलों पर बातचीत की गई। इसके अलावा क्षेत्रीय रेल उपयोक्ता सलाहकार समितियों की १८३ बैठकें हुईं।

विदेशों से सहायता

भारतीय रेलों को विकास के लिए विदेशों से सहायता मिली। इस वर्ष विश्व बैंक ने ८ करोड़ ५० लाख डालर (४० [illegible] लाख रु०) की [illegible] दी। सहायता [illegible]

दूली गई। १९५७-५८ में विश्व बैंक ने भारतीय रेलों के लिए जो ऋण देना स्वीकार किया था, उसमें से १६ करोड़ ४१ लाख रु० इस वर्ष लिए गए। भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए अमरीका के विकास ऋण कोष ने ४ करोड़ तथा ३ करोड़ ५० लाख डालर के दो ऋण स्वीकार किए, जिनकी अदायगी रुपयों में की जाएगी।

कोलम्बो योजना के अंतर्गत आस्ट्रेलिया से ६६० छोटी लाइन के माल-डिब्बे तथा बड़ी लाइन की १२ डीज़ल रेल-कारें मिलीं। अमरीका के शिल्पिक सहयोग मिशन ने अपने सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ४ करोड़ ८ लाख ३१ हजार रु० की कीमत का विभिन्न सामान भारतीय रेलों को दिया।

तीसरे दर्जे के लम्बे सफर के यात्रियों के लिए सोने की व्यवस्था

५०० मील से अधिक यात्रा करने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए अधिक गाड़ियों में सोने की जगह की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए इन गाड़ियों में नये डिब्बे लगाए जाएंगे। इस सुविधा के शुरू होने की तारीख की घोषणा सम्बंधित रेलें बाद में करेंगी।

हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस, बम्बई-मद्रास मेल, अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस, पूना-बंगलौर मेल और बरौनी तथा अमिनगांव के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के सोने के लिए डिब्बे लगाए जाएंगे। सप्ताह में एक बार चलने वाली हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस में भी सोने की जगह की व्यवस्था की जाएगी।

५०० मील से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों से सोने की जगह के लिए अतिरिक्त भाड़ा नहीं लिया जाएगा।

रेल मंडल ने विभिन्न रेलों को यह सलाह दी है कि यदि ५०० मील से अधिक सफर करने वाले यात्रियों के सोने के लिए लगाए गए डिब्बों में जो जगह बचे वह ५०० मील से कम सफर करने वाले यात्रियों को दे दी जानी चाहिए। पर इसके लिए उनसे ३ रु० प्रति यात्री के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा लेना चाहिए।

५०० मील से ऊपर की यात्रा करने वाले यात्रियों के सोने के डिब्बे इस समय मद्रास-हावड़ा मेल और दिल्ली-बम्बई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस में लगाए जाते हैं।

रेल-स्टेशनों पर टेलीफोन

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने १० फरवरी को लोकसभा में बताया कि अगस्त १९५७ में सरकार ने उन सभी कस्बों के रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन लगाने का आदेश दिया था, जहां डाक-तार विभाग द्वारा टेलीफोन के तार पहुंचाए जा चुके हैं। इसमें उपनगर के वे स्टेशन नहीं शामिल हैं, जहां माल या पार्सल गाड़ियां नहीं आती-जाती हैं।

श्री शाहनवाज खां ने बताया कि इस आदेश के जारी करने के पहले ४७० रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन थे, तब से लगभग ३८० स्टेशनों पर टेलीफोन लगाए जा चुके हैं तथा २३० स्टेशनों पर और टेलीफोन लगाने की मांग पर डाक-तार विभाग अभी विचार कर रहा है।

बरौनी-समस्तीपुर रेल-लाइन की मंजूरी

रेल-मण्डल ने ३३ मील लम्बी बरौनी-समस्तीपुर रेल लाइन बनाने की मंजूरी दे दी है। उत्तर-पूर्वी रेलवे की यह बड़ी लाइन (ब्रॉड गेज) होगी। इसका निर्माण उत्तर-पूर्वी रेल प्रशासन करेगा।

पिछले मई में मोकामा में गंगा नदी पर पुल बन जाने से बड़ी लाइन बरौनी तक ले आई गई। उसके बाद इस लाइन को बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। अत: यह लाइन उत्तरी बिहार में समस्तीपुर तक बढ़ाई जाएगी।

रेलों में आकाशवाणी का कार्यक्रम

रेल उपमंत्री, श्री रामास्वामी ने ११ फरवरी को राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आकाशवाणी ने प्रयोग के तौर पर रेलों में समाचार-बुलेटिन और वाद्य-संगीत सुनाने का निर्णय किया है। यह कार्यक्रम हावड़ा-नयी दिल्ली-मद्रास वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों में शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस पर १,००० रु० खर्च होंगे, जिसमें लाउड-स्पीकरों का खर्च शामिल नहीं है।

भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच हवाई-करार

भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच विमान चलाने के बारे में समझौता करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि ८ फरवरी, १९६० से जो बात कर रहे थे, वह १३ फरवरी को समाप्त हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने करार सम्बन्धी पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब करारनामे पर दोनों देशों की सरकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होंगे।

एयर इंडिया इंटरनेशनल के विमान १९५६ से चेकोस्लोवाकिया के रास्ते और चेकोस्लोवाकियन एयर लाइन के विमान अगस्त १९५९ से भारत के रास्ते आते-जाते हैं। इनकी उड़ान के लिए अभी तक अस्थायी व्यवस्था थी, अब करार के बाद यह व्यवस्था पक्की हो जाएगी।

बंदरगाहों पर अवैतनिक व्यापार सलाहकारों की नियुक्ति

भारत सरकार ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बंदरगाहों पर चार प्रमुख व्यापारियों को, अवैतनिक विशेषज्ञ सलाहकारों के पद पर नियुक्ति की है। इनके नाम हैं: सर्वश्री आर० जी० सरय्या (बम्बई के लिए), बी० पी० सिंह राय (कलकत्ता), और सर्वश्री फिलिप हैडफील्ड तथा नायल टाड (मद्रास)।

ये सलाहकार वाणिज्य तथा उद्योग और वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ सम्पर्क रखेंगे और ये इन अधिकारियों तथा अन्य व्यापारियों के बीच की कड़ी के तौर पर होंगे। ये निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और व्यापारियों तथा सरकारी अफसरों के साथ बातचीत करके व्यापारियों की कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

खाद्य और कृषि

सहकारी खेती कार्यकारी दल की रिपोर्ट

सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में यह विश्वास प्रकट किया है कि छोटे और मध्यम किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए सहकारी खेती का तरीका बहुत अच्छा होगा।

कार्यकारी दल में १० सदस्य थे और इसके अध्यक्ष श्री एम० निजलिंगप्पा थे। इसकी रिपोर्ट का पहला भाग १४७ पन्नों का है। इसमें कहा गया है कि भारत में सहकारी खेती सफल हो सकती है और इसके लिए प्रारम्भिक कार्यक्रम सुझाया गया है। रिपोर्ट के दूसरे भाग में कुछ सहकारी खेती समितियों के काम का अध्ययन है और यह अलग से प्रकाशित होगी।

भारत सरकार ने जून १९५९ में इस कार्यकारी दल को नियुक्त किया था और इसे संयुक्त सहकारी खेती का कार्यक्रम सुझाने का काम सौंपा था। इस दल ने ८ राज्यों में भ्रमण किया और वहां अनेक सहकारी खेती समितियों के काम को देखा और सरकारी तथा गैर-सरकारी लोगों से विचार-विमर्श किया। कार्यकारी दल ने सहकारी खेती समिति की परिभाषा इस प्रकार की है

यह किसानों का स्वेच्छा संगठन है जिसका उद्देश्य जमीन, श्रम और खेती के साधनों की पैदावार बढ़ाना और लोगों को काम देने के लिए अच्छी तरह उपयोग करना है और जिसके अधिकांश सदस्य स्वयं खेती करते हैं। कार्यकारी दल ने इस बात पर जोर दिया है कि सहकारी खेती बिलकुल स्वेच्छा से होनी चाहिए। कुछ राज्यों में ऐसे कानून हैं जिनके अनुसार बहुमत यदि सहकारी खेती के पक्ष में हो तो अल्पमत को भी सहकारी खेती संगठन में शामिल होने को बाध्य किया जा सकता है, कार्यकारी दल ने इसे अनुचित माना है और यह राय दी है कि इन कानूनों को चाहे वे लागू होते हो या नहीं, रद्द कर देना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अभी तक सहकारी खेती का विकास नियोजित ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए इसके फायदों को प्रत्यक्ष दिखाना कठिन है। इसमें और भी कई बाधाएं हैं। साधारणतः किसान को यह डर है कि सहकारी खेती से उसकी आमदनी कम हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों का रुख भी बहुत सहायता पूर्ण नहीं रहा है और सहकारी खेती समितियों को कानून और नियम की कठिनाइयों के कारण रुपया उधार मिलने में भी कठिनाई होती है।

नमूने की योजनाएं

दल ने सुझाव दिया है कि चुने हुए सामुदायिक विकास क्षेत्रों के विस्तार खण्डों में जहां सहकारिता का काम अच्छा हुआ है अगले चार साल में फी जिले में एक के हिसाब से ३२० नमूने की सहकारी खेती योजनाएं शुरू की जाएं। प्रत्येक योजना में १० सहकारी खेती समितियां बनाई जाएं। इस प्रकार १९६३-६४ के अन्त तक ३,२०० समितियां काम करने लगेंगी। इनके काम में जो सफलता मिलेगी उससे आशा है कि अन्य क्षेत्रों में भी २०,००० और सहकारी खेती समितियां बन जाएंगी।

सहकारी खेती में सफलता के लिए दल ने इन बातों पर बहुत जोर दिया है (१) सहकारी खेती समिति के सदस्य ही इस काम में अगुवा हों। (२) समिति के सदस्यों के हितों या स्वार्थों में संघर्ष न हो। (३) सदस्यों की संख्या या समिति का आकार इतना ही होना चाहिए कि लोग एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते हों, साथ ही सहकारी खेती लाभप्रद हो। (४) प्रत्येक सदस्य को प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार हो चाहे उसकी जमीन छोटी हो या बड़ी।

जमीन का स्वामित्व

दल की राय में सहकारी खेती में जो जमीनें शामिल हों वे साधारणतः ५ वर्ष के लिए होनी चाहिएं। जमीनों पर सदस्यों का अधिकार अक्षुण्ण रहना चाहिए और अलग होने वाले सदस्य को यदि वही जमीन न दी जा सके तो उतनी ही पैदावार की जमीन वापस मिलनी चाहिए। सहकारी खेती का प्रबन्ध और सचालन का काम सदस्यों की चुनी हुई समिति के हाथ में रहना चाहिए। इस समय कुछ राज्यों में सरकार समिति के सदस्यों या सभापति को नामजद करती है। यह प्रथा बन्द होनी चाहिए। दल ने यह राय भी दी है कि सहकारी समिति के काम को आंकने के लिए एक स्वतन्त्र समिति बननी चाहिए। सदस्यों में से एक आदमी को जो हिसाब-किताब रख सके, समिति का मंत्री बनना चाहिए।

खेती समिति की सदस्यता

दल की राय में सहकारी खेती समिति में ऐसे सदस्यों को नहीं शामिल करना चाहिए जो खुद खेती का काम न कर सकें। इनकी जमीन को सहकारी खेती में शामिल करने की बजाय पट्टे पर लेना चाहिए। सदस्यों को अपने एवज में काम करने के लिए दूसरे आदमी देने की भी इजाजत न देनी चाहिए। अच्छा काम करने में सदस्य एक-दूसरे से होड़ कर सकें इसलिए काम करने वालों की टोलियां बना देनी चाहिएं। परन्तु फसल की कटाई और एकत्रित करने का काम सम्मिलित रूप से होना चाहिए। सहकारी खेती समितियों को ऐसे घरेलू और ग्रामीण धंधे भी चलाने चाहिएं जिनमें सदस्यों को काम मिल सके और उनकी श्रम शक्ति का पूरा उपयोग हो सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सहकारी खेती की सफलता इस बात से आंकी जानी चाहिए कि उसके सदस्यों की सम्मिलित या कुल आय कितनी हुई, न कि दैनिक मजदूरी से। योग्य और मेहनती कार्यकर्ताओं को ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। सहकारी खेती में जो मुनाफा हो उसमें से खेती के विकास, सुरक्षित कोष, भोजन कोष आदि के लिए यथोचित धन रखकर बाकी रकम सदस्यों को उनके काम के अनुसार बोनस के तौर पर दे देनी चाहिए। बोनस जमीन के हिसाब से भी दिया जा सकता है।

कार्यकारी दल ने ऐसी मशीनों से काम लेने की राय दी है, जिससे लोगों की रोजी न छिनें, जैसे सिंचाई के लिए पम्प आदि।

कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि सहकारी खेती की योजना बनाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में सलाहकार मण्डल बनाए जाएं। ये मण्डल जो सुझाव दें, उन्हें तेजी से चलाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के सहकारिता विभाग सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लें। इसके अलावा प्रत्येक योजना खण्ड में निश्चित सहायता देने के लिए विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया जाए।

शिक्षा और ट्रेनिंग

दल ने यह भी सुझाव दिया है कि लगभग २ लाख युवक किसानों को सहकारी खेती की

शिक्षा देने के लिए दो-दो सप्ताह की ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया जाए, ताकि प्रत्येक ५-५ गावों के समूह में कम से कम दो-दो ट्रेनिंगशुदा कर्मचारी हो जाए।

कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि सहकारी खेती के लगभग २६ हजार मन्त्रियों को भी तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाए। ग्राम सेवकों, सहकारी खेती के कर्मचारियों आदि को नयी ट्रेनिंग देने के लिए अगले चार वर्षों में १६० ट्रेनिंग केन्द्र खोले जाएं।

दल ने यह भी सुझाव दिया है कि शिक्षकों, विशेष अधिकारियों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सम्बन्धित कर्मचारियों को नयी ट्रेनिंग देने के लिए तथा अनुसंधान करने के लिए सहकारी खेती की राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाए।

आर्थिक सहायता

रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों आदि द्वारा सहकारी खेती का महत्त्व न समझने, सहकारी खेती समिति द्वारा जमीन आदि की जमानत देने में असमर्थता के कारण सहकारी खेती समितियों को काफी कठिनाई हुई है। इसलिए सरकार को उपज के कार्यक्रम को देखते हुए प्रत्येक समिति को अधिक से अधिक ४ हजार रु० तक का ऋण देना चाहिए। जो ऋण थोड़े ही अर्से में चुकाया जाने वाला हो, उसे बिना सरकार की गारंटी लिये ही केन्द्रीय सरकारी बैंकों से सीधे मिलना चाहिए।

कार्यकारी दल ने सुझाया है कि समितियों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार हरेक सोसाइटी से अधिक से अधिक २ हजार रु० के शेयर ले। यह शेयर समिति की शक्ति बढ़ाने के लिए है, उस पर नियन्त्रण रखने के लिए नहीं। इसलिए समिति में सरकारी प्रतिनिधि का होना जरूरी नहीं है। ये शेयर १० वर्ष में समिति द्वारा खरीद लिये जाए।

जरूरत पड़ने पर सरकार गोदाम बनाने तथा गोशाला बनाने के लिए समितियों को ऋण तथा सहायता के रूप में ५ हजार रु० तक दे। समिति के प्रबन्ध के लिए भी तीन साल के लिए १,८०० रु० की सहायता दे।

व्यवस्था

सहकारी खेती के कार्यक्रम पर लगभग ३५ करोड़ २६ लाख रु० खर्च होगा। इसमें से २८ करोड़ ६५ लाख रु० समितियों को सहायता देने के लिए, ४ करोड़ २४ लाख रु० ट्रेनिंग और शिक्षा देने तथा २ करोड़ ३७ लाख रु० कारीगरों पर खर्च किया जाए।

कार्यकारी दल ने कहा है कि उसने जो सिफारिशें की हैं, उनको परिस्थितियों के अनुसार घटा बढ़ा कर लागू किया जा सकता है।

भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित विभागों की सलाह लेने के बाद, कार्यकारी दल की इन सिफारिशों पर निर्णय करेगी।

सहकारी खेती समितियां

१९५८ में देश में १,४४० संयुक्त और सामूहिक सहकारी खेती समितियां थीं। इनमें से १,०९८ समितियां काम कर रही हैं। यह सूचना सामूहिक खेती के विचारक वर्ग की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट १५ फरवरी को प्रकाशित हुई है।

इन सहकारी समितियों के ३९ हजार ७५ सदस्य हैं, पर केवल २४ हजार ६८७ व्यक्ति खेतों में काम करते हैं। इन सहकारी समितियों के पास ३ लाख एकड़ जमीन थी, जिसमें से १९५७-५८ में २ लाख १२ हजार एकड़ पर खेती हो रही थी।

सबसे कम सहकारी समितियां जम्मू-कश्मीर और मद्रास में हैं। यहां ४-४ सहकारी समितियां हैं।

अफीम का उत्पादन

लोकसभा में वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने बताया कि देश में १९५९ में २०,३९२ मन अफीम तैयार की गई, जबकि १९५८ में १७,५७२ मन और १९५७ में १२,९५० मन और १९५६ में ९,२७९ मन तैयार की गई थी।

श्री देसाई ने बताया कि अफीम खाने पर जो रोक लगाई है, उससे अफीम के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अफीम अब मुख्यतया विदेशों को निर्यात करने के लिए तैयार की जाती है, जहां यह दवा आदि बनाने के काम आती है। इसकी मांग गत कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत बढ़ गई है।



विकास आयुक्तों का सम्मेलन

नयी दिल्ली में २१ और २२ जनवरी को राज्यों के विकास आयुक्तों की बैठक हुई। बैठक का उद्घाटन केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्री, श्री सुरेन्द्र कुमार दे ने किया।

विकास आयुक्त इस बात से सहमत हुए कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ग्रामदान वाले गांवों की ग्राम सभाओं को ऋण दें, जो ऐसे लोगों को कर्ज दे सकें जिनके पास सिक्योरिटी देने के वास्ते अचल सम्पत्ति नहीं है।

सामुदायिक विकास मन्त्री, श्री दे ने कहा कि ग्रामदान वाले गांवों के गरीब निवासियों की सहायता करना राज्य का विशेष उत्तरदायित्व है। योजना आयोग के सदस्य श्रीयुत श्रीमन्नारायण ने बैठक में यह विचार व्यक्त किया कि ग्रामदान एक नयी विचारधारा है और ग्राम सभा सरीखी संस्थाओं की सहायता करना आवश्यक है।

इस सम्मेलन ने इस बात पर फिर जोर दिया कि खण्ड विकास अधिकारियों और खण्ड विकास समितियों अथवा पंचायत समितियों से ग्रामदान वाले गांवों के विकास को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया जाना चाहिए। अखिल भारत सर्व सेवा संघ के इस सुझाव का भी अनुमोदन किया गया कि उन खण्डों में जहां ग्रामदान वाले गांव अधिक हैं, जन-संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं का खर्च नियत करने और कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीके के सम्बन्ध में पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए।

सम्मेलन में सब इस बात से सहमत थे कि बीजों के उत्पादन व उसके टेकनिकल पहलुओं की देखभाल कृषि विस्तार एजेंसी के जिम्मे रहे, लेकिन खरीद, भण्डार और वितरण की जिम्मेदारी सहकार समितियों की होनी चाहिए।

पंचायत राज कानून की प्रगति के सम्बन्ध में सम्मेलन ने सिफारिश की कि कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को जो वित्तीय साधन प्रदान किए गए हैं उनसे कम-से-कम एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आमद होनी चाहिए।

सम्मेलन में सामुदायिक विकास खण्डों में कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन, छोटी सिंचाई योजनाओं, स्वास्थ्य-सफाई और संचार व्यवस्था की समस्याओं पर भी विचार किया गया।

श्री दे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पंचायती राज्य के तीन मुख्य पहलू हैं—शिक्षा, उत्पादन और अपने यत्न से काम की शुरुआत।

राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों से आने वाले किसानों से अपनी बातचीत का उल्लेख करते हुए श्री दे ने कहा कि मुझे यह विश्वास हो चला है कि राज्यों में आवेदनपत्र देने और अपनी शिकायतें पेश करने का युग बीत चुका है। राज्यों में विकास कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने का सारा उत्तर-दायित्व जनता पर ही आ गया है।

मंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में पंचायती राज्य प्रणाली ने काफी प्रगति की है और केरल के २० विकास खण्डों में भी यह प्रणाली शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मद्रास, मैसूर, आसाम और उड़ीसा में भी शीघ्र ही पंचायती राज्य प्रणाली शुरू कर दी जाएगी।

नदी योजनाएं और बिजली

भाखड़ा बांध की मरम्मत : सिंचाई उपमंत्री का वक्तव्य

सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ९ फरवरी को लोकसभा में एक वक्तव्य में बताया कि १९६०-६१ के जाड़ों में भाखड़ा बांध के गोविन्दसागर जलाशय से सिंचाई और बिजली के लिए लगभग ३,३०,००० एकड़-फुट पानी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि १९५९-६० में अक्तूबर १९५९ से मई १९६० तक जो पानी छोड़ा जाना था, वह कुछ कारणों से अक्तूबर और नवम्बर १९५९ में ही छोड़ दिया गया, इसलिए बाकी महीनों में पानी की सप्लाई में कमी रही। परन्तु अब १९६१-६२ में वहां से पानी की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि भाखड़ा-दुर्घटना के होते हुए भी रबी फसल बोते समय लगभग १० लाख एकड़-फुट पानी दिया गया और उसके बाद भी नदी के पानी के अलावा ८०,००० एकड़-फुट और पानी दिया गया। इससे पंजाब में ही रबी के ५,९२,००० एकड़ अधिक खेतों में सिंचाई हुई और गंगुवाल तथा कोटला बिजली-घरों में बिजली तैयार करने में भी मदद मिली।

हायस्ट चेम्बर में पानी रोकने की समस्या

श्री हाथी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अब भाखड़ा बांध अधिकारियों के सामने हायस्ट चेम्बर में जाने वाला पानी रोकने की समस्या है। यह काम १० फरवरी, १९६० को बन्द कर दिया जाएगा। इसके बाद पानी के बहाव को दाहिनी ओर से बहने वाली सुरंग को बन्द करने का काम शुरू किया जाएगा। हायस्ट चेम्बर के नीचे सुरंग को जून १९६० के अन्त तक काफी दूर तक पक्की तरह बन्द कर दिया जाएगा, जिससे वह जलाशय के पानी के दबाव को सह सके।

प्रशंसनीय काम

श्री हाथी ने कहा कि मैंने २३ नवम्बर, १९५९ को संसद में बताया था कि भाखड़ा बांध के बाएं बिजलीघर से पूरी तरह पानी निकाल दिया गया है और अब दाहिनी सुरंग बन्द करने का काम बाकी रह गया है, जो अप्रैल १९६० तक पूरा हो जाएगा।

यह खुशी की बात है कि हमें दिसम्बर १९५९ के अन्त तक दाहिनी सुरंग का मुंह बन्द करने में आशातीत सफलता मिली। पहले वहां से ३,७०० क्यूसेक पानी जाता था और अब केवल लगभग ३०० क्यूसेक पानी जाता है। यह सुरंग पानी की ऊपरी सतह से १८० फुट नीचे है और इसका व्यास २० फुट है। इसे बन्द करने में जो सफलता मिली वह जल-इंजीनियरी के क्षेत्र में अद्वितीय है। इस सफलता का श्रेय भाखड़ा बांध के सलाहकारों, अधिकारियों और भारतीय सेना के इंजीनियरों को है।

हायस्ट चेम्बर

दाहिनी सुरंग का मुंह बन्द करने के बाद हायस्ट चेम्बर में पानी गिरकर फर्श की सतह तक आ गया था। तब वहां देखा गया कि सभी यंत्र आदि बह गए और वहां मलबा जमा हो गया। अब उसे साफ कर दिया गया है।

हायस्ट चेम्बर का पानी बन्द करने से पहले वहां जाने वाले लगभग ३०० क्यूसेक पानी को रोकना पड़ा। इसके लिए प्रयत्न किया गया और ८ फरवरी को हायस्ट चेम्बर का पानी पूरी तरह निकाल दिया गया। अब हायस्ट चेम्बर बन्द करने का काम १० फरवरी को शुरू किया जाएगा।

मरम्मत पर खर्च

श्री हाथी ने बताया कि भाखड़ा बांध की मरम्मत पर जनवरी के अन्त तक ७७ लाख रु० खर्च हुआ। अनुमान है कि पूरी मरम्मत पर १ करोड़ १० लाख रु० के लगभग खर्च होगा।

१९६०-६१ में जलाशय में १,४४० फुट तक पानी आ जाएगा। बाएं बिजली घर के लिए इतने ही ऊंचे पानी की जरूरत है। यह बिजली घर अक्तूबर १९६० में चालू हो जाएगा।

यह भी डर था कि बांध के अन्दर की गैल-रियों को भी नुकसान पहुंचा होगा। उन गैल-रियों में अब पानी नहीं है और केवल कुछ स्थानों को छोड़कर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

जांच समिति

श्री हाथी ने आगे बताया कि भाखड़ा-दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी, परन्तु हायस्ट चेम्बर में पानी भरे रहने के कारण समिति जांच नहीं कर सकी। वहां से पानी निकल जाने के फौरन बाद ८ फरवरी को समिति की बैठक हुई और उसने चेम्बर तथा उसकी दाहिनी सुरंग को देखा। समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे देगी।

अन्त में उन्होंने कहा कि हायस्ट चेम्बर की जल्दी ही मरम्मत हो जाएगी और दाहिनी सुरंग भी बरसात से पहले ही बन्द कर दी जाएगी। इस दुर्घटना से बांध बनाने का काम पूरा करने और सिंचाई तथा बिजली के लिए पानी देने में अधिक देर नहीं होगी।

शिक्षा देने के लिए दो-दो सप्ताह की ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया जाए, ताकि प्रत्येक ५-५ गांवों के समूह में कम से कम दो-दो ट्रेनिंगयुदा कर्मचारी हो जाए।

कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि सहकारी खेती के लगभग २६ हजार मन्त्रियों को भी तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाए। ग्राम सेवकों, सहकारी खेती के कर्मचारियों आदि को नयी ट्रेनिंग देने के लिए अगले चार वर्षों में १६० ट्रेनिंग केन्द्र खोले जाएं।

दल ने यह भी सुझाव दिया है कि शिक्षकों, विशेष अधिकारियों, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं और सम्बन्धित कर्मचारियों को नयी ट्रेनिंग देने के लिए तथा अनुसंधान करने के लिए सहकारी खेती की राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाए।

आर्थिक सहायता

रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों आदि द्वारा सहकारी खेती का महत्त्व न समझने, सहकारी खेती समिति द्वारा जमीन आदि की जमानत देने में असमर्थता के कारण सहकारी खेती समितियों को काफी कठिनाई हुई है। इसलिए सरकार को उपज के कार्यक्रम को देखते हुए प्रत्येक समिति को अधिक से अधिक ४ हजार रु० तक का ऋण देना चाहिए। जो ऋण थोड़े ही अर्से में चुकाया जाने वाला हो, उसे बिना सरकार की गारंटी लिये ही केन्द्रीय सरकारी बैंकों से सीधे मिलना चाहिए।

कार्यकारी दल ने सुझाया है कि समितियों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार हरेक सोसाइटी से अधिक से अधिक २ हजार रु० के शेयर ले। यह शेयर समिति की शक्ति बढ़ाने के लिए हैं, उस पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं। इसलिए समिति में सरकारी प्रतिनिधि का होना जरूरी नहीं है। ये शेयर १० वर्ष में समिति द्वारा खरीद लिये जाए।

जरूरत पड़ने पर सरकार गोदाम बनाने तथा गोशाला बनाने के लिए समितियों को ऋण तथा सहायता के रूप में ५ हजार रु० तक दे। समिति के प्रबन्ध के लिए भी तीन साल के लिए १,८०० रु० की सहायता दे।

व्यवस्था

सहकारी खेती के कार्यक्रम पर लगभग ३५ करोड़ २६ लाख रु० खर्च होगा। इसमें से २८ करोड़ ६५ लाख रु० समितियों को सहायता देने के लिए, ४ करोड़ २४ लाख रु० ट्रेनिंग और शिक्षा देने तथा २ करोड़ ३[illegible] लाख रु० कारीगरों पर खर्च किया जाए।

कार्यकारी दल ने कहा है कि उसने जो सिफारिशें की है, उनको परिस्थितियों के अनुसार घटा बढ़ा कर लागू किया जा सकता है।

भारत सरकार, राज्य सरकारें और अन्य सम्बन्धित विभागों की सलाह लेने के बाद, कार्यकारी दल की इन सिफारिशों पर निर्णय करेगी।

सहकारी खेती समितियां

१९५८ में देश में १,४४० संयुक्त और सामूहिक सहकारी खेती समितियां थी। इनमें से १,०९८ समितियां काम कर रही है। यह सूचना सामूहिक खेती के विचारक वर्ग की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट १५ फरवरी को प्रकाशित हुई है।

इन सहकारी समितियों के ३९ हजार ७५ सदस्य है, पर केवल २४ हजार ६८७ व्यक्ति खेतों में काम करते हैं। इन सहकारी समितियों के पास ३ लाख एकड़ जमीन थी, जिसमें से १९५७-५८ में २ लाख १२ हजार एकड़ पर खेती हो रही थी।

सबसे कम सहकारी समितियां जम्मू कश्मीर और मद्रास में है। यहां ४-४ सहकारी समितियां हैं।

अफीम का उत्पादन

लोकसभा में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने बताया कि देश में १९५९ में २०,३९२ मन अफीम तैयार की गई, जबकि १९५८ में १७,५७२ मन और १९५७ में १२,९५० मन और १९५६ में ९,२७९ मन तैयार की गई थी।

श्री देसाई ने बताया कि अफीम खाने पर जो रोक लगाई है, उससे अफीम के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अफीम अब मुख्यतया विदेशों को निर्यात करने के लिए तैयार की जाती है, जहां यह दवा आदि बनाने के काम आती है। इसकी माग गत कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत बढ़ गई है।



विकास आयुक्तों का सम्मेलन

नयी दिल्ली में २१ और २२ जनवरी को राज्यों के विकास आयुक्तों की बैठक हुई। बैठक का उद्घाटन केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री, श्री सुरेन्द्र कुमार दे ने किया।

विकास आयुक्त इस बात से सहमत हुए कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ग्रामदान वाले [illegible]वों की ग्राम सभाओं को ऋण दे, जो ऐसे लोगों को कर्ज दे सके जिनके पास सिक्योरिटी देने के वास्ते अचल सम्पत्ति नहीं है।

सामुदायिक विकास मंत्री, श्री दे ने कहा कि ग्रामदान वाले गावों के ग[illegible]ीब निवासियों की सहायता करना राज्य का विशेष उत्तरदायित्व है। योजना आयोग के सदस्य श्रीयुत श्रीमन्नारायण ने बैठक में यह विचार व्यक्त किया कि ग्रामदान एक नयी विचारधारा है और ग्राम सभा सरीखी संस्थाओं की सहायता करना आवश्यक है।

इस सम्मेलन ने इस बात पर फिर जोर दिया कि खण्ड विकास अधिकारियों और खण्ड विकास समितियों अथवा पंचायत समितियों से ग्रामदान वाले गावों के विकास को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया जाना चाहिए। अखिल भारत सर्व सेवा संघ के इस सुझाव का भी अनुमोदन किया गया कि उन खण्डों में जहां ग्रामदान वाले गाव अधिक है, जन-संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं का खर्च नियत करने और कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीके के सम्बन्ध में पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए।

सम्मेलन में सब इस बात से सहमत थे कि बीजों के उत्पादन व उसके [illegible]कनिकल पहलुओं की देखभाल कृषि विस्तार एजेन्सी के जिम्मे रहे, लेकिन खरीद, भण्डार और वितरण की जिम्मेदारी सहकार समितियों की होनी चाहिए।

पंचायत राज कानून की प्रगति के सम्बन्ध में सम्मेलन ने सिफारिश की कि कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को जो वित्तीय साधन प्रदान किए गए हैं उनसे कम-से-कम एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आमद होनी चाहिए।

सम्मेलन में सामुदायिक विकास खण्डो में कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन, छोटी सिंचाई योजनाओं, स्वास्थ्य-सफाई और संचार व्यवस्था की समस्याओं पर भी विचार किया गया।

श्री दे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पंचायती राज्य के तीन मुख्य पहलू हैं—शिक्षा, उत्पादन और अपने यत्न से काम की शुरुआत।

राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों से आने वाले किसानों से अपनी बातचीत का उल्लेख करते हुए श्री दे ने कहा कि मुझे यह विश्वास हो चला है कि राज्यों में आवेदनपत्र देने और अपनी शिकायतें पेश करने का युग बीत चुका है। राज्यों में विकास कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने का सारा उत्तरदायित्व जनता पर ही आ गया है।

मंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में पंचायती राज्य प्रणाली ने काफी प्रगति की है और केरल के २० विकास खण्डों में भी यह प्रणाली शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मद्रास, मैसूर, आसाम और उड़ीसा में भी शीघ्र ही पंचायती राज्य प्रणाली शुरू कर दी जाएगी।

नदी योजनाएं और बिजली

भाखड़ा बांध की मरम्मत : सिंचाई उपमंत्री का वक्तव्य

सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ९ फरवरी को लोकसभा में एक वक्तव्य में बताया कि १९६०-६१ के जाड़ों में भाखड़ा बांध के गोविन्दसागर जलाशय से सिंचाई और बिजली के लिए लगभग ३,३०,००० एकड़-फुट पानी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि १९५९-६० में अक्तूबर १९५९ से मई १९६० तक जो पानी छोड़ा जाना था, वह कुछ कारणों से अक्तूबर और नवम्बर १९५९ में ही छोड़ दिया गया, इसलिए बाकी महीनों में पानी की सप्लाई में कमी रही। परन्तु अब १९६१-६२ में वहां से पानी की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि भाखड़ा-दुर्घटना के होते हुए भी रबी फसल बोते समय लगभग १० लाख एकड़-फुट पानी दिया गया और उसके बाद भी नदी के पानी के अलावा ८०,००० एकड़-फुट और पानी दिया गया। इससे पंजाब में ही रबी के ५,९२,००० एकड़ अधिक खेतों में सिंचाई हुई और गंगुवाल तथा कोटला बिजली-घरों में बिजली तैयार करने में भी मदद मिली।

हायस्ट चेम्बर में पानी रोकने की समस्या

श्री हाथी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अब भाखड़ा बांध अधिकारियों के सामने हायस्ट चेम्बर में जाने वाला पानी रोकने की समस्या है। यह काम १० फरवरी, १९६० को बन्द कर दिया जाएगा। इसके बाद पानी के बहाव को दाहिनी ओर मोड़ने वाली सुरंग को बन्द करने का काम शुरू किया जाएगा। हायस्ट चेम्बर के नीचे सुरंग को जून १९६० के अन्त तक काफी दूर तक पक्की तरह बन्द कर दिया जाएगा, जिससे वह जलाशय के पानी के दबाव को सह सके।

प्रशंसनीय काम

श्री हाथी ने कहा कि मैंने २३ नवम्बर, १९५९ को संसद में बताया था कि भाखड़ा बांध के बाएं बिजलीघर से पूरी तरह पानी निकाल दिया गया है और अब दाहिनी सुरंग बन्द करने का काम बाकी रह गया है, जो अप्रैल १९६० तक पूरा हो जाएगा।

यह खुशी की बात है कि हमें दिसम्बर १९५९ के अन्त तक दाहिनी सुरंग का मुंह बन्द करने में आशातीत सफलता मिली। पहले वहां से ३,७०० क्यूसेक पानी जाता था और अब केवल लगभग ३०० क्यूसेक पानी जाता है। यह सुरंग पानी की ऊपरी सतह से १८० फुट नीचे है और इसका व्यास २० फुट है। इसे बन्द करने में जो सफलता मिली वह जल-इंजीनियरी के क्षेत्र में अद्वितीय है। इस सफलता का श्रेय भाखड़ा बांध के सलाहकारों, अधिकारियों और भारतीय सेना के इंजीनियरों को है।

हायस्ट चेम्बर

दाहिनी सुरंग का मुंह बन्द करने के बाद हायस्ट चेम्बर में पानी गिरकर फर्श की सतह तक आ गया था। तब वहां देखा गया कि सभी यंत्र आदि बह गए और वहां मलवा जमा हो गया। अब उसे साफ कर दिया गया है।

हायस्ट चेम्बर का पानी बन्द करने से पहले वहां जाने वाले लगभग ३०० क्यूसेक पानी को रोकना पड़ा। इसके लिए प्रयत्न किया गया और ८ फरवरी को हायस्ट चेम्बर का पानी पूरी तरह निकाल दिया गया। अब हायस्ट चेम्बर बन्द करने का काम १० फरवरी को शुरू किया जाएगा।

मरम्मत पर खर्च

श्री हाथी ने बताया कि भाखड़ा बांध की मरम्मत पर जनवरी के अन्त तक ७७ लाख रु० खर्च हुआ। अनुमान है कि पूरी मरम्मत पर १ करोड़ १० लाख रु० के लगभग खर्च होगा।

१९६०-६१ में जलाशय में १,४४० फुट तक पानी आ जाएगा। बाएं बिजली घर के लिए इतने ही ऊंचे पानी की जरूरत है। यह बिजली घर अक्तूबर १९६० में चालू हो जाएगा।

यह भी डर था कि बांध के अन्दर की गैलरियों को भी नुकसान पहुंचा होगा। उन गैलरियों में अब पानी नहीं है और केवल कुछ स्थानों को छोड़कर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

जांच समिति

श्री हाथी ने आगे बताया कि भाखड़ा-दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी; परन्तु हायस्ट चेम्बर में पानी भरे रहने के कारण समिति जांच नहीं कर सकी। वहां से पानी निकल जाने के फौरन बाद ८ फरवरी को समिति की बैठक हुई और उसने चेम्बर तथा उसकी दाहिनी सुरंग को देखा। समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे देगी।

अन्त में उन्होंने कहा कि हायस्ट चेम्बर की जल्दी ही मरम्मत हो जाएगी और दाहिनी सुरंग भी बरसात से पहले ही बन्द कर दी जाएगी। इस दुर्घटना से बांध बनाने का काम पूरा करने और सिंचाई तथा बिजली के लिए पानी देने में अधिक देर नहीं होगी।

शिक्षा सलाहकार मंडल की बैठक

'छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना महामारी के समान बढ़ती जा रही है और इसने हमारे दिमाग परेशान कर डाले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दो विश्वविद्यालय बन्द करने पड़े। मैसूर में अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के अवसर पर भी अवांछनीय घटनाएं हुई।' ये शब्द ६ फरवरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल की २७वीं बैठक में अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए कहे।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों ने जरा-जरा-सी बातों पर हड़तालें की हैं। वे शिक्षा शुल्क घटवाना चाहते हैं, सांस्कृतिक समारोहों में मुफ्त प्रवेश चाहते हैं, अयोग्य छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, अध्यापकों को निकलवाना चाहते हैं, इत्यादि। जब विश्वविद्यालय के अधिकारी ये मांगें नहीं मानते तो छात्र हड़तालें, भूख-हड़तालें, प्रदर्शन आदि करते हैं और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। इससे विश्वविद्यालयों की बदनामी होती है। आज जबकि हमारे विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ने आ रहे हैं और जबकि देश में विकास-कार्य हो रहे हैं, ये घटनाएं बड़ी लज्जाजनक हैं। अगर इस अनुशासनहीनता पर अभी से रोक न लगाई गई तो देश का भविष्य अंधकारमय और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये छात्र ही आगे चलकर देश के कर्णधार बनने वाले हैं।

इस अनुशासनहीनता के बहुत-से कारण हो सकते हैं। देश की बुरी आर्थिक स्थिति और नौकरी की सुविधाएं न होना भी इसके मुख्य कारण हैं। कुछ भी हो, हमें इस स्थिति को सुधारना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों की अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाने के लिए समिति नियुक्त की है। डा० श्रीमाली ने कहा कि इस अनुशासनहीनता के लिए छात्रों के अभिभावक और अध्यापक दोनों ही कसूरवार हैं। सबसे अधिक दुःख की बात तो यह है कि कभी-कभी तो अध्यापक छात्रों को आन्दोलन करने के लिए भड़काते हैं और राजनीतिक दलों के नेता अशान्त छात्रों से अपना मतलब सिद्ध करवाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई अन्य सामाजिक अपराध नहीं है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे छात्रों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी जो जायज मांगें हैं, उन्हें स्वीकार करें। किन्तु उन्हें छात्रों से साफ कह देना चाहिए कि वे किसी भी हालत में छात्रों की धमकी में नहीं आएंगे। छात्रों की भलाई के लिए काम करना विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है, किन्तु जुलूस निकालना, हड़ताल आदि करना भी छात्रों को शोभा नहीं देता। जो छात्र विश्वविद्यालय की शान्ति भंग करते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।

डा० श्रीमाली ने बताया कि अगर छात्र मिलकर अध्यापकों के व्यवहार के खिलाफ खुले आम कोई आन्दोलन करते हैं तो स्वाभाविक है कि अध्यापकों की ही उसमें कोई गलती है। अतः विश्वविद्यालयों को ऐसे अध्यापकों के भी खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अध्यापक अपने कार्य और छात्रों में रुचि लें तो निःसंदेह छात्रों में उनके प्रति आदर पैदा होगा और वे अनुशासनहीन नहीं बनेंगे। छात्रों में अशान्ति तभी होती है, जबकि अध्यापक पद-लोलुप होते हैं और उनमें तथा छात्रों में व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं होता। अतः विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को ऐसे अध्यापकों को निकाल देना चाहिए। इसके अलावा छात्र-अध्यापक सम्पर्क बढ़ाने के पूरे प्रयत्न किए जाएं, तभी यह समस्या हल हो सकती है।

डा० कालूलाल श्रीमाली ने कहा कि बहुत समय से सरकार यह विचार कर रही है कि 'राष्ट्रीय सेवा' नाम की योजना चालू की जाए, ताकि राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में छात्रों से पूरा सहयोग लिया जाए। पिछले शिक्षा मंत्री सम्मेलन में भी इस योजना पर विचार हुआ था। इस सम्मेलन ने इस योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक समिति बनाने की सिफारिश की। डा. चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख की अध्यक्षता में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। इसने यह सिफारिश की है कि हायर सेकेण्डरी स्कूल और पूर्व-विश्वविद्यालय-क्लास पास करने के बाद प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से ९ महीने से १ साल तक राष्ट्र-सेवा के काम में लगाया जाए। इस अवधि में उन्हें सैनिक अनुशासन में रखा जाए और विकास-कार्यों में उनका योग लिया जाए, ताकि समाज को भी कुछ फायदा हो। डा० श्रीमाली ने कहा कि मेरे खयाल से इस प्रकार की राष्ट्रीय सेवा से छात्रों को जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने का मौका मिलेगा। जो छात्र आगे पढ़ाई बन्द करना चाहेंगे उन्हें जीवन में लाभ होगा और जो छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहेंगे वे उच्च शिक्षा अच्छी प्रकार ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि इस दौरान उनका काफी मानसिक विकास हो चुकेगा। इस प्रकार देश के युवक-युवतियां राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में सहयोग देंगे, अनुशासनहीन भी नहीं बनेंगे और आपत् काल में देश की रक्षा में भी हाथ बटा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मण्डल सदस्यों के विचार सुन कर इन सिफारिशों पर निर्णय करेगी।

अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा

डा० श्रीमाली ने कहा कि तीसरी योजना में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना। इसके अन्तर्गत स्कूलों में लगभग २ करोड़ बच्चे और ४ लाख अतिरिक्त अध्यापक भर्ती किए जाएंगे और लगभग ३०० करोड़ रु० का खर्च आएगा। यह बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा जनता को पूरा सहयोग देना होगा।

अन्त में डा० श्रीमाली ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं को काफी प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। किन्तु इधर कुछ वर्षों में कर आदि बढ़ जाने से निजी संस्थाओं के पास रुपये की कमी होती जा रही

है। कुछ लोग यह चाहते हैं कि सरकार ऐसी संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले। किन्तु ऐसा सोचना गलत है। सरकार तो इन संस्थाओं के व्यवस्थापकों को मदद देना चाहती है। जनतांत्रिक ढांचे में जनता को भी शिक्षा के विकास में अपना पूरा योग देना चाहिए। अतः सरकार निजी संस्थाओं, ट्रस्टों आदि को आर्थिक सहायता दे रही है। मुझे पता है कि कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं में काफी गड़बड़ है। बहुत-सी संस्थाएं अध्यापकों का शोषण करती है, जनता के रुपये का दुरुपयोग करती हैं और उनके सदस्यों में भ्रष्टाचार तथा साम्प्रदायिकता का बोलबाला है। मेरे खयाल से अगर इन बुराइयों पर नियन्त्रण रखा जाए तो इन्हें दूर किया जा सकता है। अतः निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना अनुचित होगा। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय महत्व की संस्थाओं को सहायता दे रही है। राज्य सरकारों को भी ऐसी संस्थाओं को अनुदान देने के अपने नियम और आसान बना देने चाहिएं।

स्थायी समितियों की बैठक

इससे पूर्व मण्डल की विभिन्न स्थायी समितियों की बैठक ३ फरवरी से ५ फरवरी तक नयी दिल्ली में हुई। बुनियादी शिक्षा की स्थायी समिति की बैठक, योजना आयोग के सदस्य, श्री श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किये गये बुनियादी शिक्षा के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करने के अलावा स्त्री-शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद के कामों की रिपोर्ट तथा अक्तूबर १९५८ और नवम्बर १९५९ के बीच प्रारम्भिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद द्वारा किए गए कामों पर भी विचार किया गया।

समाज शिक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय उपकुलपति, श्री वी० एस० झा ने की। समिति में अन्य बातों के अलावा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चलायी गयी शिक्षा की विकास योजनाओं की प्रगति पर विचार किया गया।

माध्यमिक शिक्षा की स्थायी समिति की बैठक, श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई विषयों पर विचार किया गया। इसने यह प्रस्ताव रखा कि उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए दो प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए। एक उन छात्रों के लिए जो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी लेते हैं तथा एक उन छात्रों के लिए जो उच्च माध्यमिक कक्षा में अंग्रेजी नहीं लेते। इसके अलावा राज्यों में छात्रों की प्रतिभा आंकने की संस्थाओं की स्थापना, हर माध्यमिक स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था, विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव रखा गया। सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों की वर्तमान स्थिति पर भी विचार किया गया। समिति ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में पिछली अखिल भारतीय परिषद के कामों की रिपोर्ट तथा माध्यमिक शिक्षा के विस्तार-कार्यक्रम निदेशालय की रिपोर्ट पर भी विचार किया।

उच्च शिक्षा की स्थायी समिति ने विश्वविद्यालय शिक्षा योजनाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थाओं के काम, विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रोफेसरों तथा लेक्चररों को एक दूसरे कालेज या विश्वविद्यालयों में भेजने की योजना, सरकारी कालेजों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता आदि पर विचार किया। इस समिति की बैठक की अध्यक्षता कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति, प्रो० एन० के० सिद्धान्त ने की।

सामान्य कार्यसमिति की अध्यक्षता डा० सुशीला नायर संसद सदस्य ने की। इसमें अन्य बातों के अलावा सहायताप्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों की प्रबन्ध-व्यवस्था और उनकी स्थिति, और हिन्दी के प्रसार तथा विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय की हिन्दी शाखा के कामों की रिपोर्ट, राष्ट्रीय अनुशासन योजना की प्रगति, भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं की रिपोर्ट तथा अंक-संकलन शाखा के कामों के बारे में विचार किया गया।

सभी समितियों में धर्म और नैतिक निर्देशन समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया।

शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार मण्डल की बैठक में इन समितियों की उपयुक्त सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

ऐतिहासिक आलेख आयोग का ३५वां अधिवेशन

प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने ४ फरवरी को नयी दिल्ली में भारतीय ऐतिहासिक आलेख आयोग के ३५वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब युग बदल रहा है और उसी हिसाब से युग के इतिहासकारों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के भारत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक पुराने ढंग को छोड़कर टेक्नोलोजी के युग में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ ही एक बात और भी महत्त्व की है। पहले इतिहास में किसी एक व्यक्ति का—राजा या बादशाह का महत्व होता था, लेकिन आज का इतिहास जनता का इतिहास है।

पिछले युग का इतिहास लिखने वालों का केन्द्र-बिन्दु कोई खास व्यक्ति रहा करता था, क्योंकि उस जमाने में किसी राजा का हुक्म या बात सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी और वही इतिहास था। आज के इतिहासकार को अपना आधार बदलना पड़ेगा।

प्रधान मंत्री ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि भारत में अब वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अध्ययन करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि कोई भी इतिहासकार किसी भी युग का वास्तविक इतिहास तभी लिख सकता है जब वह उस युग में रम जाए। हो सकता है कि ऐसा करने पर उसकी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का इतिहास लिखने पर कुछ प्रभाव पड़े और वह इतिहास निरपेक्ष न रह जाए, लेकिन वह निरपेक्ष भले ही न हो, सजीव जरूर होगा और साथ ही रोचक होगा। जब तक इतिहास में यह सजीवता नहीं होगी, तब तक वह किसी विद्यार्थी की परीक्षा पास करने के लिए कोई ऐतिहासिक घटनाओं का लेखा-जोखा भले ही हो जाए, उसे कोई और नहीं पढ़ेगा।

डा० श्रीमाली का भाषण

अधिवेशन के अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा. कालूलाल श्रीमाली ने अपने ... में कहा—"देश में अभी इस बात

... नहीं दिया जाता कि इतिहास हमें ... इन कठिनाइयों को दूर करने में बहुत ... दे सकता है। वास्तव में इतिहास ... घटनाओं की तारीखवार सूची नहीं है, बल्कि ... में पुरानी घटनाओं को आज की परि- ... में आंका जाता है। इससे मनुष्य को ... से बचने और सर्वोपयोगी काम करने ... प्रेरणा मिलती है।"

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार ... से ऐतिहासिक महत्व के कागज-पत्रों ... भेंट स्वरूप लेने या खरीदने का कार्यक्रम ... है। इस संबंध में अभिलेखागार के ... को मदद देने के लिए सरकार ने एक ... समिति नियुक्त की है।

अभिलेखागार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ... महत्वपूर्ण कागज-पत्र प्राप्त कर चुका ...। डा० एन० बी० खरे के पत्र जो उन्होंने ... गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित ... जवाहरलाल नेहरू और डा० श्यामा प्रसाद ... को लिखे थे या उनसे डा० खरे के पास ... थे, अभिलेखागार को भेंट स्वरूप मिले हैं। ... पब्लिक लाइब्रेरी ने भी लाला ... को एक पाण्डुलिपि भेजी है। अब ... अभिलेखागार १७० कागज-पत्र और ... खरीद चुका है। इसके अलावा ... अनेक कागज-पत्रों की माइक्रोफिल्म भी ली हैं।

अभिलेखागार ने इसके साथ ही उन महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की सूची तैयार करने की भी योजना बनायी है, जो अभी लोगों के पास हैं। पर्याप्त जानकारी न मिलने के कारण इसमें कठिनाई हो रही है। यह कठिनाई राज्य सरकारें दूर कर सकती हैं।

सरकार ने महत्वपूर्ण कागज-पत्रों और पाण्डुलिपियों की ४-४ माइक्रोफिल्में तैयार करने की योजना बनायी है, ताकि इन्हें देश के चार चुने हुए पुस्तकालयों में रखा जा सके। इससे उनके खोने का भय नहीं रहेगा। सरकार विदेशों से भी महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की माइक्रोफिल्में मंगाने का प्रयत्न कर रही है।

भारतीय अभिलेखागार ने इस साल ६ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उसने अपने यहां के पुराने कागज-पत्रों के अलावा बाहर अन्य लोगों के पास पड़े हुए महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की भी मरम्मत की है, ताकि वे सुरक्षित रहें। इनमें गांधी स्मारक निधि के महात्मा गांधी संबंधी पत्र, 'इंडियन ओपीनियन' की पूरी फाइल और श्री मगन लाल-गांधी पत्र-व्यवहार की फाइल उल्लेखनीय है।

भारत सरकार ने आयोग की सिफारिश पर अगस्त १९५९ में डा० ताराचन्द की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जो सरकार को अभिलेखागार संबंधी कानून बनाने के बारे में सलाह देगी। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसंधान के हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ा दी गयी है। ट्रेनिंग योजना में भी सुधार किया गया है और अब इसके अन्तर्गत अधिक छात्रवृत्तियां दी जाने लगी हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में १९५९ में १५० छात्र अनुसंधान कर रहे थे, जबकि १९४७ में केवल ६३ थे।

१८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल शासन: मेजर जेम्स ब्राउन के पत्र प्रकाशित

१८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल शासन का जो विघटन हो रहा था, उसकी अच्छी जानकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित मेजर जेम्स ब्राउन के पत्रों से मिलती है। इन पत्रों को भारतीय अभिलेख प्रकाशन माला में प्रकाशित किया गया है।

वारेन हेस्टिंग्स ने मेजर जेम्स ब्राउन को शाह आलम के दरबार में वहां की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा देने के लिए भेजा था। मेजर ब्राउन ने अपने पत्रों में शाह आलम के दरबार के षड्यंत्रों और तत्कालीन मुगल शासन की शक्तिहीनता और विशृंखलता का विशद वर्णन किया है।

१७८२ में नजफखां की मृत्यु के बाद शाह आलम के सरदारों के गुटों में अधिकार और प्रभाव के लिए होड़ लग गई थी। मुगल शहंशाह अपने सरदारों को काबू में रखने में सर्वथा असमर्थ और अशक्त था। वह तो सबसे प्रभावशाली गुट को अपना संरक्षण देने को तैयार रहता था।

स्थिति यह भी थी कि मुगल शासन केवल दिल्ली पर ही रह गया था और आसपास के इलाके में इसका जरा भी प्रभाव नहीं था। पर मुगल साम्राज्य के बड़े नाम की शक्ति अभी बची थी। मुगल सम्राट के नाम का असर था और इसे सर्वोच्च सत्ता और अधिकार का स्रोत समझा जाता था। भारत की राजनीति में शाह आलम का अभी भी महत्व था। इसका कारण उसका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं था बल्कि यह इसलिए था कि वह शक्तिशाली मुगल सम्राटों का वंशज था। जो लोग अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए शाह आलम का साथ बहुत महत्वपूर्ण था।

इतिहासकारों ने इस काल का इतिहास लिखने में जेम्स ब्राउन के पत्रों का उपयोग किया है, पर अब ब्राउन के पूरे पत्रों का मूल रूप में प्रकाशन हो रहा है। घटनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए पुस्तक में जो टिप्पणियां दी गई हैं, उनसे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसमें दी गई अनुक्रमणिका, संदर्भ पुस्तकों की सूची और तत्कालीन भारत के नक्शे ने इस पुस्तक की उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है।

संग्रहालय शास्त्र की विदेशों में ट्रेनिंग

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूं कबीर ने ११ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि संग्रहालय शास्त्र की ट्रेनिंग लेने के लिए चार अधिकारी विदेश भेजे गए थे, जिनमें से एक वापस आ गया है।

उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों को चित्रों की मरम्मत तथा संग्रहालय के काम में विशेष ट्रेनिंग दी गई है। मंत्री महोदय ने बताया कि वापस आने वाले अधिकारी को राजस्थान सरकार ने भेजा था और वह राजस्थान के संग्रहालयों के विकास के लिए काम कर रहा है।

रेडियो सप्ताह

आकाशवाणी ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ७ फरवरी से १३ फरवरी, १९६० तक रेडियो सप्ताह मनाया। इस अवसर पर विभिन्न केन्द्रों में आमंत्रित व्यक्तियों के सामने विशेष कार्यक्रम किए गए।

राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन

राष्ट्रमंडल प्रसारण मंडल, जो नयी दिल्ली में २२ जनवरी को शुरू हुआ था, ११ फरवरी को समाप्त हो गया। सम्मेलन में आस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, घाना, भारत, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और इंगलैंड की राष्ट्रीय प्रसारण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रसारण संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान के अलावा राष्ट्रमंडल देशों में प्रसारण के विकास के लिए भी कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

देहाती कार्यक्रम

देहाती कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए विशेष उपसमिति नियुक्त की गई। समिति ने राय दी है कि इन कार्यक्रमों में खेती संबंधी जानकारी देने के साथ लोक-कथाएं, गीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने चाहिए। सम्मेलन में देहाती कार्यक्रमों की पत्रिका का प्रकाशन जारी रखने का निश्चय हुआ। अब तक आस्ट्रेलिया इस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा था। अब इसके सम्पादन की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई है।

सम्मेलन ने रेडियो रूपकों को मिल-जुल कर तयार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है।

सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्कूलों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से पूरा लाभ हो, इसके लिए प्रसारण अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों में सहयोग होना चाहिए।

टेलीविजन का विकास

ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में हुए टेलीविजन के विकास में प्रतिनिधियों ने विशेष दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा आकाशवाणी ने तो अभी हाल ही में आजमाइशी तौर पर टेलीविजन शुरू किया है और न्यूजीलैंड, मलाया, घाना और पाकिस्तान में इसे शुरू करने की योजना है। अतः इन देशों में टेलीविजन शुरू करने में अधिक विकसित राष्ट्रमंडल देशों की मदद पर विस्तार से विचार किया गया।

सस्ते रेडियो के लाइसेंस शुल्क में कमी

घरों में लगाये जाने वाले जिन रेडियो सेटों का मूल्य १२० रु० से कम है, उनका लाइसेंस शुल्क घटाकर ७॥ रु० प्रतिवर्ष कर दिया गया है। यह नियम १ जनवरी, १९६० को या उसके बाद जारी किये गये लाइसेंसों पर लागू होगा। जो लोग ऐसे रेडियो सेटों का लाइसेंस १५ रु० में बनवा चुके हैं, उन्हें आवेदन-पत्र देने पर बाकी रुपया वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित पोस्टल सर्किल के पास ३१ जुलाई, १९६० तक आवेदन भेजने चाहिए। इसके बाद भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

यह रियायत केवल उन रेडियो सेटों पर दी जा रही है, जो लाइसेंसशुदा रेडियो की दुकानों से १ जनवरी, १९६० के पहले या बाद में खरीदे गये हैं। इसके लिए अधिकृत दुकानदारों से रेडियो खरीदने का प्रमाणपत्र निर्धारित फार्म में भरवाकर देना होगा। यह नियम १२० रु० या उससे कम दाम में खरीदे गये उन पुराने रेडियो सेटों पर नहीं लागू होगा, जिनकी कीमत पहले उससे अधिक थी।

यह नियम उन व्यक्तियों द्वारा बनाये गये रेडियो सेटों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्होंने डाक तार विभाग से रेडियो बनाने का लाइसेंस नहीं लिया है।

एक ही घर में दो रेडियो होने पर १२० रु० से कम कीमत वाले रेडियो पर २.५० रु० के हिसाब से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा।

यह सूचना डाक तार महानिदेशालय की ५ फरवरी की एक विज्ञप्ति में दी गई है।

वैज्ञानिक प्रकाशनों की प्रदर्शनी

७ फरवरी, १९६० को केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूं कबीर ने विश्व कृषि प्रदर्शनी के विज्ञान मंडप में भारत में प्रकाशित वैज्ञानिक और शिल्पिक पुस्तकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन नयी दिल्ली की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किया। इसमें अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित लगभग ५,००० पुस्तकें रखी गई। इन पुस्तकों में विश्व कोष, निबन्ध, विचार-गोष्ठियों की कार्रवाई, वैज्ञानिक पड़तालों आदि की रिपोर्ट, बुलेटिन और पत्रिकाएं थीं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत बच्चों को ट्रेनिंग

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने ९ फरवरी को राज्यसभा में बताया कि बम्बई, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और प० बंगाल में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अंतर्गत ३ लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस समय ६२२ शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन योजना चालू है। अनुशासन योजना सफल रही है और इसे देश के अन्य भागों में भी लागू किया जाएगा।

शारीरिक शिक्षा योजनाओं की मूल्यांकन समिति

देश की शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, चरित्र-निर्माण और अनुशासन सम्बन्धी जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार ने पं० हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की है। यह समिति इनमें से सर्वोत्तम योजनाओं को चुन कर उनके सुधार के बारे में सिफारिशें देगी।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्नावली तैयार करके देश के सभी कालेजों और हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को भेजी गई है।

केन्द्रशासित क्षेत्रों के उम्मीदवार को छात्रवृत्ति

प्रतिवर्ष केन्द्रशासित क्षेत्रों से एक उम्मीदवार को अध्ययन या अनुसंधान के लिए विदेश भेजने की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अर्जियां मांगी हैं। इसके अन्तर्गत उस उम्मीदवार को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो जन्म से या स्थायी रूप से अन्दमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लका, मिनिकाय और अमिनद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा या पांडीचेरी का निवासी है।

यह छात्रवृत्ति इतिहास आदि किसी विषय में अध्ययन या अनुसंधान करने के लिए दी जाएगी, जिसकी भारत में पर्याप्त सुविधा नहीं है। छात्रवृत्ति ३ साल के लिए या २.. समय के लिए होगी।

...नहीं दिया जाता कि इतिहास हमें ...न कठिनाइयों को दूर करने में बहुत ...ता दे सकता है। वास्तव में इतिहास ...की तारीखवार सूची नहीं है, बल्कि इतिहास में पुरानी घटनाओं को आज की परिस्थितियों में आंका जाता है। इससे मनुष्य को ... से बचने और सर्वोपयोगी काम करने की प्रेरणा मिलती है।"

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार ने लोगों से ऐतिहासिक महत्व के कागज-पत्रों को भेंट स्वरूप लेने या खरीदने का कार्यक्रम बनाया है। इस संबंध में अभिलेखागार के निदेशक को मदद देने के लिए सरकार ने एक सलाहकार समिति नियुक्त की है।

अभिलेखागार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण कागज-पत्र प्राप्त कर चुका है। डा० एन० बी० खरे के पत्र जो उन्होंने महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और डा० श्यामा प्रसाद ...ओं को लिखे थे या उनसे डा० खरे के पास आए थे, अभिलेखागार को भेंट स्वरूप मिले हैं। ... पब्लिक लाइब्रेरी ने भी लाला लाजपतराय की एक पाण्डुलिपि भेजी है। अब तक अभिलेखागार १७० कागज-पत्र और पाण्डुलिपियां खरीद चुका है। इसके अलावा उसने अनेक कागज-पत्रों की माइक्रोफिल्म भी ली है।

अभिलेखागार ने इसके साथ ही उन महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की सूची तैयार करने की भी योजना बनायी है, जो अभी लोगों के पास हैं। पर्याप्त जानकारी न मिलने के कारण इसमें कठिनाई हो रही है। यह कठिनाई राज्य सरकारें दूर कर सकती हैं।

सरकार ने महत्वपूर्ण कागज-पत्रों और पाण्डुलिपियों की ४-४ माइक्रोफिल्में तैयार करने की योजना बनायी है, ताकि इन्हें देश के चार चुने हुए पुस्तकालयों में रखा जा सके। इससे उनके खोने का भय नहीं रहेगा। सरकार विदेशों से भी महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की माइक्रोफिल्में मंगाने का प्रयत्न कर रही है।

भारतीय अभिलेखागार ने इस साल ६ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उसने अपने यहां के पुराने कागज-पत्रों के अलावा बाहर अन्य लोगों के पास पड़े हुए महत्वपूर्ण कागज-पत्रों की भी मरम्मत की है, ताकि वे सुरक्षित रहें। इनमें गांधी स्मारक निधि के महात्मा गांधी संबंधी पत्र, 'इंडियन ओपीनियन' की पूरी फाइल और श्री मगन लाल-गांधी पत्र-व्यवहार की फाइल उल्लेखनीय है।

भारत सरकार ने आयोग की सिफारिश पर अगस्त १९५९ में डा० ताराचन्द की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जो सरकार को अभिलेखागार संबंधी कानून बनाने के बारे में सलाह देगी। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसंधान के हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ा दी गयी है। ट्रेनिंग योजना में भी सुधार किया गया है और अब इसके अन्तर्गत अधिक छात्रवृत्तियां दी जाने लगी हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में १९५९ में १५० छात्र अनुसंधान कर रहे थे, जबकि १९४७ में केवल ६३ थे।

१८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल शासन : मेजर जेम्स ब्राउन के पत्र प्रकाशित

१८वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुगल शासन का जो विघटन हो रहा था, उसकी अच्छी जानकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित मेजर जेम्स ब्राउन के पत्रों से मिलती है। इन पत्रों को भारतीय अभिलेख प्रकाशन माला में प्रकाशित किया गया है।

वारेन हेस्टिंग्स ने मेजर जेम्स ब्राउन को शाह आलम के दरबार में वहां की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा देने के लिए भेजा था। मेजर ब्राउन ने अपने पत्रों में शाह आलम के दरबार के षड्यन्त्रों और तत्कालीन मुगल शासन की शक्तिहीनता और विशृंखलता का विशद वर्णन किया है।

१७८२ में नजफखां की मृत्यु के बाद शाह आलम के सरदारों के गुटों में अधिकार और प्रभाव के लिए होड़ लग गई थी। मुगल शहंशाह अपने सरदारों को काबू में रखने में सर्वथा असमर्थ और अशक्त था। वह तो सबसे प्रभावशाली गुट को अपना संरक्षण देने को तैयार रहता था।

स्थिति यह भी थी कि मुगल शासन केवल दिल्ली पर ही रह गया था और आसपास के इलाके में इसका ज़रा भी प्रभाव नहीं था। पर मुगल साम्राज्य के बड़े नाम की शक्ति अभी बची थी। मुगल सम्राट के नाम का असर था और इसे सर्वोच्च सत्ता और अधिकार का स्रोत समझा जाता था। भारत की राजनीति में शाह आलम का अभी भी महत्व था। इसका कारण उसका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं था बल्कि यह इसलिए था कि वह शक्तिशाली मुगल सम्राटों का वंशज था। जो लोग अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए शाह आलम का साथ बहुत महत्वपूर्ण था।

इतिहासकारों ने इस काल का इतिहास लिखने में जेम्स ब्राउन के पत्रों का उपयोग किया है, पर अब ब्राउन के पूरे पत्रों का मूल रूप में प्रकाशन हो रहा है। घटनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए पुस्तक में जो टिप्पणियां दी गई हैं, उनसे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसमें दी गई अनुक्रमणिका, संदर्भ पुस्तकों की सूची और तत्कालीन भारत के नक्शे ने इस पुस्तक की उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है।

संग्रहालय शास्त्र की विदेशों में ट्रेनिंग

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूं कबीर ने ११ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि संग्रहालय शास्त्र की ट्रेनिंग लेने के लिए चार अधिकारी विदेश भेजे गए थे, जिनमें से एक वापस आ गया है।

उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों को चित्रों की मरम्मत तथा संग्रहालय के काम में विशेष ट्रेनिंग दी गई है। मंत्री महोदय ने बताया कि वापस आने वाले अधिकारी को राजस्थान सरकार ने भेजा था और वह राजस्थान के संग्रहालयों के विकास के लिए काम कर रहा है।

रेडियो सप्ताह

आकाशवाणी ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ७ फरवरी से १३ फरवरी, १९६० तक रेडियो सप्ताह मनाया। इस अवसर पर विभिन्न केन्द्रों में आमन्त्रित व्यक्तियों के सामने विशेष कार्यक्रम किए गए।

राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन

राष्ट्रमंडल प्रसारण मडल, जो नयी दिल्ली में २२ जनवरी को शुरू हुआ था, ११ फरवरी को समाप्त हो गया। सम्मेलन में आस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, घाना, भारत, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और इगलैंड की राष्ट्रीय प्रसारण सस्थाओं के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रसारण संबधी जानकारी के आदान-प्रदान के अलावा राष्ट्रमंडल देशो में प्रसारण के विकास के लिए भी कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

देहाती कार्यक्रम

देहाती कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए विशेष उपसमिति नियुक्त की गई। समिति ने राय दी है कि इन कार्यक्रमों में खेती सबधी जानकारी देने के साथ लोक-कथाएं, गीत और अन्य सास्कृतिक कार्यक्रम भी होने चाहिए। सम्मेलन में देहाती कार्यक्रमों की पत्रिका का प्रकाशन जारी रखने का निश्चय हुआ। अब तक आस्ट्रेलिया इस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा था। अब इसके सम्पादन की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई है।

सम्मेलन ने रेडियो रूपको को मिल-जुल कर तयार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है।

सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्कूलों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से पूरा लाभ हो, इसके लिए प्रसारण अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों में सहयोग होना चाहिए।

टेलीविजन का विकास

ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में हुए टेलीविजन के विकास में प्रतिनिधियों ने विशेष दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा आकाशवाणी ने तो अभी हाल ही में आजमाइशी तौर पर टेलीविजन शुरू किया है और न्यूजीलैंड, मलाया, घाना और पाकिस्तान में इसे शुरू करने की योजना है। अत इन देशों मे टेलीविजन शुरू करने में अधिक विकसित राष्ट्रमडल देशों की मदद पर विस्तार से विचार किया गया।

सस्ते रेडियो के लाइसेंस शुल्क में कमी

घरों में लगाये जाने वाले जिन रेडियो सेटो का मूल्य १२० रु० से कम है, उनका लाइसेंस शुल्क घटाकर ७॥ रु० प्रतिवर्ष कर दिया गया है। यह नियम १ जनवरी, १९६० को या उसके बाद जारी किये गये लाइसेंसो पर लागू होगा। जो लोग ऐसे रेडियो सेटों का लाइसेंस १५ रु० में बनवा चुके हैं, उन्हें आवेदन-पत्र देने पर बाकी रुपया वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए सबधित पोस्टल सर्किल के पास ३१ जुलाई, १९६० तक आवेदन भेजने चाहिए। इसके बाद भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगे।

यह रियायत केवल उन रेडियो सेटों पर दी जा रही है, जो लाइसेंसशुदा रेडियो की दुकानों से १ जनवरी, १९६० के पहले या बाद में खरीदे गये हैं। इसके लिए अधिकृत दुकानदारों से रेडियो खरीदने का प्रमाणपत्र निर्धारित फार्म में भरवाकर देना होगा। यह नियम १२० रु० या उससे कम दाम में खरीदे गये उन पुराने रेडियो सेटों पर नहीं लागू होगा, जिनकी कीमत पहले उससे अधिक थी।

यह नियम उन व्यक्तियों द्वारा बनाये गये रेडियो सेटों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्होंने डाक तार विभाग से रेडियो बनाने का लाइसेंस नहीं लिया है।

एक ही घर में दो रेडियो होने पर १२० रु० से कम कीमत वाले रेडियो पर २ ५० रु० के हिसाब से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा।

यह सूचना डाक तार महानिदेशालय की ५ फरवरी की एक विज्ञप्ति म दी गई है।

वैज्ञानिक प्रकाशनों की प्रदर्शनी

७ फरवरी, १९६० को केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसधान और संस्कृति मत्री, डा० हुमायू कबीर ने विश्व कृषि प्रदर्शनी के विज्ञान मडप में भारत में प्रकाशित वैज्ञानिक और शिल्पिक पुस्तकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन नयी दिल्ली की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किया। इसमें अंग्रेजी और भारतीय भाषाओ में प्रकाशित लगभग ५,००० पुस्तके रखी गईं। इन पुस्तको में विश्व कोष, निबन्ध, विचार-गोष्ठियों की कार्रवाई, वैज्ञानिक पड़तालो आदि की रिपोर्ट, बुलेटिन और पत्रिकाएं थी।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत बच्चों को ट्रेनिंग

केन्द्रीय शिक्षा मत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने ९ फरवरी को राज्यसभा में बताया कि बम्बई, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और प० बगाल में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अतर्गत ३ लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मत्री महोदय ने कहा कि इस समय ६२२ शिक्षा सस्थानों में अनुशासन योजना चालू है। अनुशासन योजना सफल रही है और इसे देश के अन्य भागों में भी लागू किया जाएगा।

शारीरिक शिक्षा योजनाओं की मूल्यांकन समिति

देश की शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, चरित्र-निर्माण और अनुशासन सम्बन्धी जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उनका मूल्याकन करने के लिए भारत सरकार ने प० हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता मे समिति नियुक्त की है। यह समिति इनमें से सर्वोत्तम योजनाओं को चुन कर उनके सुधार के बारे में सिफारिशें देगी।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्नावली तैयार करके देश के सभी कालेजों और हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलो को भेजी गई है।

केन्द्रशासित क्षेत्रों के उम्मीदवार को छात्रवृत्ति

प्रतिवर्ष केन्द्रशासित क्षेत्रों से एक उम्मीदवार को अध्ययन या अनुसंधान के लिए विदेश भेजने की योजना के अतर्गत केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय ने अर्जियां मागी हैं। इसके अन्तर्गत उस उम्मीदवार को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो जन्म से या स्थायी रूप से अण्डमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लका, मिनिकाय और अमिनद्वीप, मनिपुर, त्रिपुरा या पांडीचेरी का निवासी है।

यह छात्रवृत्ति इतिहास आदि किसी विषय में अध्ययन या अनुसंधान करने के लिए दी जाएगी, जिनकी भारत में पर्याप्त सुविधा नहीं है। छात्रवृत्ति ३ साल के लिए ... समय के लिए होगी।

अनुसूचित जातियों के छात्रों की शिक्षा पर व्यय

दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन सालों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं और इसी तरह के दूसरे कामों पर १०.६ करोड़ रु० खर्च किया जा चुका है।

इसके अलावा भारत में और विदेशों में मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने १९५८-५९ के अन्त तक पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ६.१४ करोड़ रु० की छात्रवृत्तियां दीं। छात्रवृत्तियां मिलने में देर न हो, इसके लिए शिक्षा संस्थाओं को इकट्ठी रकम देने और बाकायदा छात्रवृत्ति की मंजूरी मिलने से पहले तदर्थ सहायता देने की व्यवस्था काफी सफल रही है। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को पढ़ाई शुरू करते ही छात्रवृत्ति मिलने लगती है।

पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या इधर कुछ सालों में काफी बढ़ी है। १९५१-५२ में मैट्रिक से पहले की कक्षाओं में इन जातियों के जितने छात्र प्रवेश करते थे, १९५५-५६ में उनकी संख्या ५० प्रतिशत बढ़ गई। इसके अगले साल इनकी संख्या में ३.८ प्रतिशत और वृद्धि हुई। इसी प्रकार मैट्रिक के आगे की कक्षाओं में १९५१-५२ और १९५५-५६ के बीच पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या में १४५.११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५६-५७ में तो इससे भी २०.४ प्रतिशत अधिक छात्रों ने ऊंची कक्षाओं में दाखिला लिया।

सार्वजनिक स्कूलों के लिए छात्रवृत्तियां

शिक्षा मंत्रालय की ८ फरवरी की एक विज्ञप्ति में उन ६० छात्रों के नाम दिए गए हैं जिन्हें सार्वजनिक स्कूलों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत इस साल के लिए चुना गया है। इनमें से १७ छात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के हैं।

योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना शिक्षा मंत्रालय ने १९५२ में चलाई थी, जिससे कम आय वालों के बच्चे सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा पा सकें। यह छात्रवृत्ति छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की कुल आय ध्यान में रखकर दी जाएगी और विशेष मामलों में स्कूल और छात्रावास की फीस देने के अलावा स्कूल आने-जाने का खर्च भी दिया जाएगा।

हिन्दी अध्यापकों की गोष्ठी

मद्रास में ३ फरवरी, से हिन्दी अध्यापकों की १० दिन की एक गोष्ठी हुई। इस गोष्ठी में प्रत्येक राज्य से दो अध्यापकों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के केन्द्र शासित क्षेत्रों से एक-एक अध्यापक प्रतिनिधि ने भाग लिया। गोष्ठी का आयोजन हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अन्तर्गत किया गया। गोष्ठी के आयोजन का काम मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को सौंपा गया था।

ये गोष्ठियां इसलिए की जाती हैं कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों के बीच सम्पर्क हो सके। इसके अतिरिक्त गोष्ठियों का उद्देश्य अध्यापकों की योग्यता के स्तर को बढ़ाना तथा हिन्दी भाषा की नवीनतम गतिविधियों से उन्हें परिचित कराना है। अब तक इस प्रकार की चार गोष्ठियां ग्वालियर, वाराणसी, पटना और उदयपुर में हो चुकी हैं। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अध्यापक प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इन गोष्ठियों में स्थानीय साहित्यिक और अध्यापक तथा हिन्दी क्षेत्रों के कवि, लेखक, विद्वान और शिक्षाविद् भी बुलाए जाते हैं।

उदीयमान कलाकारों को छात्रवृत्तियां

वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय की १६ जनवरी की एक विज्ञप्ति में उन ३२ कलाकारों के नाम दिए गए हैं जिनको नये कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में यह छात्रवृत्ति देने के लिए चुना गया है।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार होनहार कलाकारों को देश में संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां देती है। एक बार अधिक से अधिक १०० कलाकारों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है।

उत्तर भारत में उर्दू की पढ़ाई की सुविधाएं

उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया है कि उनके यहां उर्दू की पढ़ाई की क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के ऐसे स्कूलों में उर्दू के माध्यम से पढ़ाई होती है जहां कम से कम ४० छात्र उर्दू बोलते हैं या किसी एक क्लास में कम से कम १० छात्र उर्दू लेते हैं। पंजाब सरकार ने उन क्षेत्रों के स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई की सुविधाएं दे रखी हैं जहां उर्दू की मांग है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर रखा है, जो यह देखता है कि सरकार की उर्दू संबंधी नीति ठीक प्रकार लागू की जा रही है या नहीं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में भी उर्दू की पढ़ाई का उचित प्रबन्ध है। पंजाब सरकार भी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें

उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने तो उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें लिखवाने का भी प्रबन्ध कर रखा है। पंजाब सरकार उन्हीं पाठ्य-पुस्तकों से काम चलाती है जो जामिया मिल्लिया, दिल्ली से प्रकाशित होती हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू के अध्यापकों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है। दिल्ली की सह-शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्थापित किया गया है।

अदालतों में उर्दू

उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों और दफ्तरों में ऐसी अर्जियां और आवेदन-पत्र मंजूर कर लिए जाते हैं जो फारसी लिपि में उर्दू में लिखे होते हैं। दिल्ली प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं कि आवेदन-पत्र उर्दू में भी मंजूर किए जाएं। भूतपूर्व पंजाब राज्य के क्षेत्रों की अदालतों में उर्दू के आवेदन-पत्र मंजूर कर लिए जाते हैं। सारे बिहार में उर्दू के कागज-पत्रों का

रजिस्ट्रेशन हो जाता है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में और लखनऊ शहर में सभी महत्वपूर्ण कानून, आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि उर्दू में भी जारी होती हैं। राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग के विज्ञापन उर्दू में भी प्रकाशित करवाने का निश्चय किया है।

पंजाब में कुछ कानून आदि उर्दू में भी छपे हुए हैं। दिल्ली के जन-संपर्क निदेशालय में उर्दू का एक टाइपिस्ट है और विज्ञप्तियां आदि उर्दू में भी जारी होती हैं। बिहार सरकार कुछ क्षेत्रों में कानून, सूचनाएं आदि उर्दू में प्रकाशित करवाने पर विचार कर रही है।

कुछ दिन पहले भारत सरकार ने राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि संविधान में उर्दू भी राष्ट्रीय भाषा मानी गई है। अतः जिन क्षेत्रों में उर्दू बोली जाती है वहां निम्नलिखित सुविधाएं दी जानी चाहिए :

(१) जो मां-बाप बच्चों को प्रारम्भिक स्कूलों में उर्दू पढ़वाना चाहें, उन्हें उर्दू पढ़ाई जाए और उर्दू में परीक्षा ली जाए।

(२) उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने और उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करने की व्यवस्था की जाए।

(३) माध्यमिक स्कूलों में भी उर्दू पढ़ाने का प्रबन्ध हो।

(४) सभी अदालतों और दफ्तरों में उर्दू के कागज-पत्र मंजूर किए जाने चाहिए।

(५) आवश्यक कानून, अधिसूचनाएं, आदेश आदि उर्दू में भी जारी किए जाने चाहिए।

राष्ट्र सेवा समिति की रिपोर्ट

डाक्टर सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में नियुक्त राष्ट्र सेवा समिति ने छात्रों के लिए ९ से १२ महीने तक की अनिवार्य राष्ट्र सेवा की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि इससे छात्रों में अनुशासन पैदा होगा, वे समाज सेवा का मूल्य तथा श्रम का सम्मान करना सीखेंगे और उनमें राष्ट्र भक्ति की भावना पैदा होगी।

समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। अपनी सिफारिश में समिति ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था वह होगी, जब छात्र हायर सेकेंडरी या विश्वविद्यालय से पहले की शिक्षा पूरी करके निकलें।

राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम बनाने तथा उसे अमल में लाने के लिए समिति ने एक राष्ट्रीय मंडल बनाने का सुझाव दिया है।

राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम

राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम के बारे में समिति ने सुझाव दिया है कि इस दौरान छात्रों का जीवन ऐसा होना चाहिए, जैसा सैनिकों का होता है। काम करने के लिए कुछ क्षेत्र चुन लिए जाने चाहिए और उनमें प्रत्येक छात्र से प्रतिदिन कम से कम ४ घंटे काम कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होने चाहिए, जिनमें छात्रों में एकता की भावना तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में रुचि पैदा हो।

समिति ने सिफारिश की है कि धीरे-धीरे राष्ट्र सेवा की इस योजना का इतना प्रसार हो जाना चाहिए कि देश का प्रत्येक नौजवान उसमें आ जाए। लेकिन इसके लिए पहले यह आवश्यक होगा कि १७ वर्ष की आयु से कम के सभी युवक हायर सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त कर चुके हों।

अनिवार्य क्यों ?

राष्ट्र सेवा को अनिवार्य बनाने के बारे में समिति ने कहा है कि यदि उसे स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाएगा तो बहुत-से युवक उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जब तक राष्ट्र सेवा की योजना में शामिल होने के लिए कोई विशेष प्रलोभन नहीं होगा तब तक बहुत-से छात्र उसमें शामिल नहीं होंगे और इस तरह योजना सफल नहीं हो पाएगी। समिति ने कहा है कि इसमें किसी को भी किसी भी आधार पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग बीमार हों, उन्हें बीमारी की अवधि में छूट दी जा सकती है। जो छात्र शारीरिक श्रम करने के योग्य न हों, उनसे कोई दूसरा उपयुक्त काम कराया जा सकता है।

समिति ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के इस कार्यक्रम से शिक्षा अधिकारियों को किताबी शिक्षा के साथ ही साथ अन्य योग्यताओं को देखने तथा उच्च शिक्षा के लिए इन आधारों पर छात्र चुनने की सुविधा हो जाएगी। अवधि में जो छात्र योग्य प्रतीत हों, उन्हें छात्र-वृत्तियां तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और सुविधाएं देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

[अगस्त १९५९ में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रकट किए गए विचारों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र सेवा की एक योजना बनाई थी। इसी योजना पर फिर से विचार करने के लिए तथा संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए २८ अगस्त, १९५९ को भारत सरकार ने डा० सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्र सेवा समिति नियुक्त की थी। समिति के अन्य सदस्य ये हैं : डा० डी० सी० पवाटे, उपकुलपति कर्नाटक विश्वविद्यालय; प्रोफेसर डी० जी० कर्वे, उपकुलपति, पूना विश्वविद्यालय; डा० बी० प्रसाद, उप कुलपति, पटना विश्वविद्यालय; डा० ए० सी० जोशी, उप-कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय; श्री एच०सी० सरीन, संयुक्त सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय; श्री के० बालचन्द्रन, संयुक्त सचिव, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय; श्री पी० एन० कृपाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, तथा डा० एन० एस० जुनानकर, शिक्षा उपसलाहकार, शिक्षा मंत्रालय (मंत्री)]

भारत-रूस सांस्कृतिक समझौता

भारत और रूस के मध्य १२ फरवरी को नयी दिल्ली में एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों की मित्रता को और सुदृढ़ करने तथा एक-दूसरे को संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, कला, कारीगरी आदि में और अधिक सहयोग देने के लिए यह समझौता हुआ है।

समझौते पर रूस की ओर से वहां के विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध की मंत्रि-समिति के अध्यक्ष, श्री जी० ए० जुकोव और भारत की ओर से वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूं कबीर ने हस्ताक्षर किए।

इस समझौते का अनुसमर्थन मास्को में किया जाएगा और उसके बाद यह लागू हो जाएगा।

समझौते में कहा गया है कि दोनों देश परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना चाहते हैं, सहयोग बढ़ाना चाहते हैं और विज्ञान, शिल्प विज्ञान, संस्कृति, ...

अनुसूचित जातियों के छात्रों की शिक्षा पर व्यय

दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन सालों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं और इसी तरह के दूसरे कामों पर १०.६ करोड़ रु० खर्च किया जा चुका है।

इसके अलावा भारत मे और विदेशों में मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने १९५८-५९ के अन्त तक पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ६.१४ करोड़ रु० की छात्रवृत्तियां दीं। छात्रवृत्तियां मिलने में देर न हो, इसके लिए शिक्षा संस्थाओं को इकट्ठी रकम देने और बाकायदा छात्रवृत्ति की मंजूरी मिलने से पहले तदर्थ सहायता देने की व्यवस्था काफी सफल रही है। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को पढ़ाई शुरू करते ही छात्रवृत्ति मिलने लगती है।

पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या इधर कुछ सालों में काफी बढ़ी है। १९५१-५२ में मैट्रिक से पहले की कक्षाओं में इन जातियों के जितने छात्र प्रवेश करते थे, १९५५-५६ में उनकी संख्या ५० प्रतिशत बढ़ गई। इसके अगले साल इनकी संख्या में ३.८ प्रतिशत और वृद्धि हुई। इसी प्रकार मैट्रिक के आगे की कक्षाओं में १९५१-५२ और १९५५-५६ के बीच पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या में १४५.११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५६-५७ में तो इससे भी २०.४ प्रतिशत अधिक छात्रों ने ऊंची कक्षाओं में दाखिला लिया।

सार्वजनिक स्कूलों के लिए छात्रवृत्तियां

शिक्षा मंत्रालय की ८ फरवरी की एक विज्ञप्ति में उन ६० छात्रों के नाम दिए गए हैं जिन्हें सार्वजनिक स्कूलों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत इस साल के लिए चुना गया है। इनमें से १७ छात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के हैं।

योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना शिक्षा मंत्रालय ने १९५२ में चलाई थी, जिससे कम आय वालों के बच्चे सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा पा सकें। यह छात्रवृत्ति छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की कुल आय ध्यान में रखकर दी जाएगी और विशेष मामलों में स्कूल और छात्रावास की फीस देने के अलावा स्कूल आने-जाने का खर्च भी दिया जाएगा।

हिन्दी अध्यापकों की गोष्ठी

मद्रास में ३ फरवरी, से हिन्दी अध्यापकों की १० दिन की एक गोष्ठी हुई। इस गोष्ठी में प्रत्येक राज्य से दो अध्यापकों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के केन्द्र शासित क्षेत्रों से एक-एक अध्यापक प्रतिनिधि ने भाग लिया। गोष्ठी का आयोजन हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अन्तर्गत किया गया। गोष्ठी के आयोजन का काम मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को सौंपा गया था।

ये गोष्ठियां इसलिए की जाती हैं कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों के बीच सम्पर्क हो सके। इसके अतिरिक्त गोष्ठियों का उद्देश्य अध्यापकों की योग्यता के स्तर को बढ़ाना तथा हिन्दी भाषा की नवीनतम गतिविधियों से उन्हें परिचित कराना है। अब तक इस प्रकार की चार गोष्ठियां ग्वालियर, वाराणसी, पटना और उदयपुर में हो चुकी हैं। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अध्यापक प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इन गोष्ठियों में स्थानीय साहित्यिक और अध्यापक तथा हिन्दी क्षेत्रों के कवि, लेखक, विद्वान और शिक्षाविद् भी बुलाए जाते हैं।

उदीयमान कलाकारों को छात्रवृत्तियां

वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय की १६ जनवरी की एक विज्ञप्ति में उन ३२ कलाकारों के नाम दिए गए हैं जिनको नये कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में यह छात्रवृत्ति देने के लिए चुना गया है।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार होनहार कलाकारों को देश में संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां देती है। एक बार अधिक से अधिक १०० कलाकारों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है।

उत्तर भारत में उर्दू की पढ़ाई की सुविधाएं

उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया है कि उनके यहां उर्दू की पढ़ाई की क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के ऐसे स्कूलों में उर्दू के माध्यम से पढ़ाई होती है जहां कम से कम ४० छात्र उर्दू बोलते हैं या किसी एक क्लास में कम से कम १० छात्र उर्दू लेते हैं। पंजाब सरकार ने उन क्षेत्रों के स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई की सुविधाएं दे रखी हैं जहां उर्दू की मांग है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर रखा है, जो यह देखता है कि सरकार की उर्दू संबंधी नीति ठीक प्रकार लागू की जा रही है या नहीं।

उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में भी उर्दू की पढ़ाई का उचित प्रबन्ध है। पंजाब सरकार भी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें

उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने तो उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें लिखवाने का भी प्रबन्ध कर रखा है। पंजाब सरकार उन्हीं पाठ्य-पुस्तकों से काम चलाती है जो जामिया मिल्लिया, दिल्ली से प्रकाशित होती हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू के अध्यापकों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है। दिल्ली की सह-शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्थापित किया गया है।

अदालतों में उर्दू

उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों और दफ्तरों में ऐसी अर्जियां और आवेदन-पत्र मंजूर कर लिए जाते हैं जो फारसी लिपि में उर्दू में लिखे होते हैं। दिल्ली प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं कि आवेदन-पत्र उर्दू में भी मंजूर किए जाएं। भूतपूर्व पंजाब राज्य के क्षेत्रों की अदालतों में उर्दू के आवेदन-पत्र मंजूर कर लिए जाते हैं। सारे बिहार में उर्दू के कागज-पत्रों का

डरहैरान हो जाता है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर, बिजनौर, बरेली, रादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर लों में और लखनऊ शहर में सभी महत्वपूर्ण ानून, आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि उर्दू ं भी जारी होती हैं। राज्य सरकार ने लोक वा आयोग के विज्ञापन उर्दू में भी प्रकाशित रवाने का निश्चय किया है।

पंजाब में कुछ कानून आदि उर्दू में भी छपे ए हैं। दिल्ली के जन-संपर्क निदेशालय में उर्दू का एक टाइपिस्ट है और विज्ञप्तियां आदि उर्दू में भी जारी होती हैं। बिहार सरकार कुछ क्षेत्रों में कानून, सूचनाएं आदि उर्दू में प्रकाशित करवाने पर विचार कर रही है।

कुछ दिन पहले भारत सरकार ने राज्य रकारों का एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा या था कि संविधान में उर्दू भी राष्ट्रीय भाषा ानी गई है। अतः जिन क्षेत्रों में उर्दू बोली ाती है वहां निम्नलिखित सुविधाएं दी जानी चाहिए :

(१) जो मां-बाप बच्चों को प्रारम्भिक स्कूलों में उर्दू पढ़वाना चाहें, उन्हें उर्दू पढ़ाई जाए और उर्दू में परीक्षा ली जाए।

(२) उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने और उर्दू की पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करने की व्यवस्था की जाए।

(३) माध्यमिक स्कूलों में भी उर्दू पढ़ाने का प्रबन्ध हो।

(४) सभी अदालतों और दफ्तरों में उर्दू के कागज-पत्र मंजूर किए जाने चाहिए।

(५) आवश्यक कानून, अधिसूचनाएं, आदेश आदि उर्दू में भी जारी किए जाने चाहिए।

राष्ट्र सेवा समिति की रिपोर्ट

डाक्टर सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में नियुक्त राष्ट्र सेवा समिति ने छात्रों के लिए ९ से १२ महीने तक की अनिवार्य राष्ट्र सेवा की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि इससे छात्रों में अनुशासन पैदा होगा, वे समाज सेवा का मूल्य तथा श्रम का सम्मान करना सीखेंगे और उनमें राष्ट्र भक्ति की भावना पैदा होगी।

समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। अपनी सिफारिश में समिति ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था वह होगी, जब छात्र हायर सेकेंडरी या विश्वविद्यालय से पहले की शिक्षा पूरी करके निकलें।

राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम बनाने तथा उसे अमल में लाने के लिए समिति ने एक राष्ट्रीय मंडल बनाने का सुझाव दिया है।

राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम

राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम के बारे में समिति ने सुझाव दिया है कि इस दौरान छात्रों का जीवन ऐसा होना चाहिए, जैसा सैनिकों का होता है। काम करने के लिए कुछ क्षेत्र चुन लिए जाने चाहिए और उनमें प्रत्येक छात्र से प्रतिदिन कम से कम ४ घंटे काम कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे छात्रों में एकता की भावना तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में रुचि पैदा हो।

समिति ने सिफारिश की है कि धीरे-धीरे राष्ट्र सेवा की इस योजना का इतना प्रसार हो जाना चाहिए कि देश का प्रत्येक नौजवान उसमें आ जाए। लेकिन इसके लिए पहले यह आवश्यक होगा कि १७ वर्ष की आयु से कम के सभी युवक हायर सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त कर चुके हों।

अनिवार्य क्यों ?

राष्ट्र सेवा को अनिवार्य बनाने के बारे में समिति ने कहा है कि यदि उसे स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाएगा तो बहुत-से युवक उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जब तक राष्ट्र सेवा की योजना में शामिल होने के लिए कोई विशेष प्रलोभन नहीं होगा तब तक बहुत-से छात्र उसमें शामिल नहीं होंगे और इस तरह योजना सफल नहीं हो पाएगी। समिति ने कहा है कि इसमें किसी को भी किसी भी आधार पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग बीमार हों, उन्हें बीमारी की अवधि में छूट दी जा सकती है। जो छात्र शारीरिक श्रम करने के योग्य न हों, उनसे कोई दूसरा उपयुक्त काम कराया जा सकता है।

समिति ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के इस कार्यक्रम से शिक्षा अधिकारियों को किताबी शिक्षा के साथ ही साथ अन्य योग्यताओं को देखने तथा उच्च शिक्षा के लिए इन आधारों पर छात्र चुनने की सुविधा हो जाएगी। इस अवधि में जो छात्र योग्य प्रतीत हों, उन्हें छात्र-वृत्तियां तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और सुविधाएं देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

[अगस्त १९५९ में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रकट किए गए विचारों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र सेवा की एक योजना बनाई थी। इसी योजना पर फिर से विचार करने के लिए तथा संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए २८ अगस्त, १९५९ को भारत सरकार ने डा०सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्र सेवा समिति नियुक्त की थी। समिति के अन्य सदस्य ये हैं : डा० डी० सी० पवाटे, उपकुलपति कर्नाटक विश्वविद्यालय; प्रोफेसर डी० जी० कर्वे, उपकुलपति, पूना विश्वविद्यालय; डा० बी० प्रसाद, उप कुलपति, पटना विश्वविद्यालय; डा० ए० सी० जोशी, उप-कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय; श्री एच०सी० सरीन, संयुक्त सचिव, प्रतिरक्षा मंत्रालय, श्री के० बालचन्द्रन, संयुक्त सचिव, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय, श्री पी० एन० कृपाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, तथा डा० एन० एस० जुनानकर, शिक्षा उपसलाहकार, शिक्षा मंत्रालय (मंत्री)]

भारत-रूस सांस्कृतिक समझौता

भारत और रूस के मध्य १२ फरवरी को नयी दिल्ली में एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों की मित्रता को और सुदृढ़ करने तथा एक-दूसरे की संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, कला, कारीगरी आदि में और अधिक सहयोग देने के लिए यह समझौता हुआ है।

समझौते पर रूस की ओर से वहां के विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध की मंत्रि-समिति के अध्यक्ष, श्री जी० ए० जुकोव और भारत की ओर से वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्री, डा० हुमायूं कबीर ने हस्ताक्षर किए।

इस समझौते का अनुसमर्थन मास्को में किया जाएगा और उसके बाद यह लागू हो जाएगा।

समझौते में कहा गया है कि दोनों देश परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना चाहते हैं, सहयोग बढ़ाना [illegible] और शिक्षा, विज्ञान, शिल्प [illegible] और

लाख रुपयों में

राज्य	राज्य की माग	राज्य को दिया गया रु०	अतिरिक्त अनुदान	कुल जोड
आंध्र प्रदेश	७५	१८ ७५	५६-२५	७५
आसाम	१०	८ २५	१.७५	१०
बिहार	२०	१५.५०	४.५०	२०
जम्मू कश्मीर	५	२.२५	२ ७५	५
केरल	६	६	—	६
मध्य प्रदेश	२५ ५०	९ ७५	१५ ७५	२५.५०
मद्रास	४०	२६ २५	१३ ७५	४०
मैसूर	३५	१५ ५०	१९ ५०	३५
उडीसा	१५	४ २५	१०.७५	१५
पंजाब	९० ८५	१४	७६ ८५	९०.८५
राजस्थान	२७ २५	१२ २५	१५	२७ २५
उत्तर प्रदेश	५०	३४	१६	५०
प० बंगाल	४४	४४	—	४४

यह योजना ६,००० रु० से १२,००० रु० की सालाना आय वालों को मकान बनाने में सहायता देने के लिए चलायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है उस पर ५॥ प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और मूलधन तथा ब्याज की कुल रकम २५ बराबर किश्तों में वसूल की जाती है।

यह योजना फरवरी १९५९ में चालू हुई थी। केन्द्र-शासित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम ऋण देता है और राज्य मकान बनाने वालों को इस रकम से कर्ज देता है। शुरू में निगम ने १९५८ से १९६१ तक तीन वर्षों में ३ करोड़ रु० प्रति वर्ष देना मंजूर किया था। परन्तु बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर निगम ने चालू वित्त वर्ष में और बडी रकम देना स्वीकार किया है।



चेचक उन्मूलन आंदोलन

चेचक उन्मूलन आन्दोलन के अन्तर्गत भारत सरकार ने १९६०-६१ में प्रत्येक राज्य के एक-एक जिले में तथा केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली में आजमाइशी योजना शुरू करने का निश्चय किया है। यह भी निश्चय किया गया है कि आजमाइशी योजना के लिए जो क्षेत्र चुना जाए, उसकी जनसंख्या १० लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारत सरकार ने यह निर्णय चेचक तथा हैजे की रोकथाम के लिए नियुक्त की गई केन्द्रीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर किया है। इस समिति ने चेचक उन्मूलन के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की थी, जिससे तीन साल के अन्दर-अन्दर सब लोगों को चेचक के टीके लगा दिए जाएं। यह समिति भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की देखरेख में कायम की थी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब सब राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन को लिखा है कि वे चेचक उन्मूलन की आजमाइशी योजना शुरू करें। राज्य सरकारों से एक ऐसा संगठन बनाने के लिए भी कहा गया है, जो इन आजमाइशी योजना क्षेत्रों में किए गए काम की निगरानी करे।

देश भर के आजमाइशी योजना क्षेत्रों में होने वाले काम के समन्वय के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करेगा।

चेचक उन्मूलन की आजमाइशी योजनाओं पर लगभग ३४ लाख रु० खर्च होगा। यह खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे आजमाइशी योजना के लिए तुरंत ही क्षेत्रों का चुनाव कर ले तथा कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था कर ले, जिससे १ अप्रैल तक ये योजनाएं शुरू हो जाएं।

आंखों में पुतली लगाने की व्यवस्था

स्वास्थ्य मंत्री, श्री दत्तात्रेय परशुराम करमरकर ने ११ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय राज्यसभा में बताया कि निम्नलिखित अस्पतालों में आंखों में पुतली लगाने के आपरेशन की व्यवस्था है:

मद्रास गवर्नमेंट आप्थेलमिक अस्पताल, मद्रास, गवर्नमेंट स्टेनले अस्पताल, मद्रास, गवर्नमेंट अस्किन अस्पताल, मदुराई; और मेडिकल कालेज अस्पताल, वेल्लोर। बम्बई: ग्रांट मेडिकल कालेज, बम्बई, सी० जे० आप्थेलमिक अस्पताल, बम्बई, के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई, रामवेदी फ्री आई अस्पताल, बम्बई, और बी० वाई० ई० नायर चैरिटेबल अस्पताल, बम्बई। मध्य प्रदेश: मेडिकल कालेज, इन्दोर, मेडिकल कालेज, ग्वालियर, और मेडिकल कालेज, जबलपुर। पंजाब: बी० जे० अस्पताल, अमृतसर, और राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला। आसाम: आसाम मेडिकल कालेज। उत्तर प्रदेश: मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, लखनऊ, मेडिकल कालेज, कानपुर, आई अस्पताल, सीतापुर, और गांधी आई अस्पताल, अलीगढ़। मैसूर: मिंटो आप्थेलमिक अस्पताल, बंगलोर। प० बंगाल: मेडिकल कालेज, कलकत्ता। बिहार: मेडिकल कालेज, दरभंगा। दिल्ली: इरविन अस्पताल, नयी दिल्ली; और डा० सराफ चैरिटी अस्पताल, दिल्ली।



राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों को स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है

मैसूर का पशु बलि निरोधक विधेयक, १९५९

इसमें मैसूर राज्य भर में हिन्दू मंदिरों में पशु बलि की मनाही की गई है। इस समय मैसूर में पशु बलि निरोधक अधिनियम, १९४८ और मद्रास में पशु और पक्षी बलि निरोधक अधिनियम, १९५० लागू है, किन्तु राज्य के अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई नियम नहीं लागू है। इस कानून में एकरूपता लाने के लिए ही यह विधेयक पास किया गया है।

राजस्थान का मृत्यु-भोज प्रतिबन्ध विधेयक, १९५९

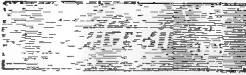
इसमें मृत्यु के बाद दी जाने वाली दावतों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। राज्य के अनेक भागों में इस प्रकार की दावतें करने की प्रथा है। कहीं-कहीं तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सबंधियों तथा जाति-बन्धुओं में कुछ सामान बांटने का भी रिवाज है। यद्यपि ये रीति-रिवाज कुछ धार्मिक संस्कारों से संबंधित हैं, लेकिन इनका आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरा प्रभाव होता है और कभी-कभी तो मरने वाले व्यक्ति के लड़कों अथवा आश्रितों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है।

इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक संस्कारों में हस्तक्षेप करना नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस प्रकार की दावतों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझती है।

आसाम का नगर और गांव योजना विधेयक, १९५९

दूसरे महायुद्ध के बाद आसाम के शहरों की आबादी बहुत बढ़ी है। शहरों में मकान आदि बनाने का जो काम हो रहा है, उस पर नगरपालिकाओं और नगर समितियों का पर्याप्त नियंत्रण नहीं रह पाता।

सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और सड़कों तथा खुली जगह की कमी के कारण ऐसी बहुत-सी समस्याएं उठ खड़ी हुई जिनकी ओर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है। अतः राज्य सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए यह कानून बनाया।



राष्ट्रमण्डल देशों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास

१४ फरवरी को कोचीन में राष्ट्रमण्डल देशों की नौसेनाओं के वार्षिक संयुक्त अभ्यास और ट्रेनिंग का दूसरा कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के जंगी जहाज कोचीन बन्दरगाह से रवाना हुए। भारतीय जहाजी बेड़े का नेतृत्व ध्वजपोत 'मैसूर' कर रहा था, जिस पर कमांडिंग फ्लैग-अफसर रियर-एडमिरल ए० चक्रवर्ती का झंडा फहरा रहा था। इसके साथ क्रूज़र 'दिल्ली', विध्वंसक 'गोदावरी', 'गोमती' और 'गंगा', लड़ाकू 'कृपाण', 'कुठार', 'खुकरी' और 'कावेरी'; टैंकर 'शक्ति' और रसद जहाज 'धारिणी' थे।

अभ्यास में ब्रिटिश नौसेना की पनडुब्बी 'टैक्टीशियन' को लक्ष्य बना कर पनडुब्बी नष्ट करने का अभ्यास किया गया। अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाजों के अलावा, ब्रिटिश नौसेना के जहाज 'लोचफिन', लंका की नौसेना के जहाज 'विजया' और शाही नौसेना के सहायक बेड़े के 'गोल्ड रेंजर' ने भी भाग लिया।

एयर वाइस-मार्शल राजा राम

एयर कमोडोर आर० राजा राम को नयी दिल्ली के नेशनल डिफेंस कालेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पद पर वे एयर वाइस-मार्शल की हैसियत से काम करेंगे।

एयर वाइस-मार्शल राजा राम हाल ही में इंग्लैंड के इम्पीरियल डिफेंस कालेज में प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं। इससे पहले वे आपरेशनल कमान में सीनियर एयर स्टाफ आफिसर के पद पर काम कर रहे थे।

आपात सेना के सैनिक दुर्घटनाग्रस्त

संयुक्त राष्ट्र आपात सेना की भारतीय टुकड़ी के दो सैनिक ५ जनवरी को एक रेल-मोटर ट्रक भिड़न्त में मर गए। इस दुर्घटना में ९ अन्य सैनिक घायल हुए, जो अस्पताल में भर्ती किए गए। दुर्घटनाग्रस्त सभी सैनिक सिख थे, जो गुरुद्वारे से एक मोटर ट्रक में आ रहे थे। लगभग १० बजे रात को खान यूनिस नामक स्थान पर रेल लाइन पार करते समय उनकी मोटर ट्रक का पिछला हिस्सा बाईं ओर से आने वाली एक तेज ट्रेन से टकरा गया। रेल-क्रासिंग पर कोई चौकीदार नहीं था और बत्ती भी नहीं थी। कहा जाता है कि ट्रेन में (एक इंजन और एक टैंक कार) भी रोशनी नहीं थी और बिना सिगनल के जा रही थी। भारतीय सैनिकों का मोटर ट्रक लगभग ८०० गज तक पटरी पर घिसटता चला गया। संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के कार्यकारी कमाण्डर और भारतीय टुकड़ी के कमांडर, कर्नल आई० जे० रिखी, भारतीय टुकड़ी के मनोनीत कमाण्डर कर्नल आर० के० रजीत सिंह और कमांडिंग अफसर ले० कर्नल तेग बहादुर कपूर घटनास्थल पर पहुंच गए। खान यूनिस और डेर-इल-बलाह के गवर्नर और स्थानीय अधिकारियों ने पहले पहुंचकर घायलों की सहायता की। ई० एम० ई० के कारीगर मोहर सिंह तत्काल मर गए। चौथी कुमायूं रेजिमेंट के सिपाही विजय सिंह की मृत्यु दूसरे दिन दोपहर बाद हो गई। ६ जनवरी को चार घायल सैनिक तेल अवीव के हशोमर अस्पताल में ले जाए गए। संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के अस्पताल में बाकी घायल सैनिकों को भर्ती किया गया।

उड़ीसा के एक सिपाही को वीरता के लिए पुलिस पदक

उड़ीसा के बोलनगिर जिले के कांस्टेबल श्री ब्रजबिहारी जेना को ६ स्त्रियों को जलते हुए मकानों से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया है। यह सूचना और इससे सम्बद्ध प्रशस्ति ६ फरवरी के भारत सरकार के सूचना-पत्र में दी गयी है।

लाख रुपयों में

राज्य	राज्य की माग	राज्य को दिया गया रु०	अतिरिक्त अनुदान	कुल जोड़
आंध्र प्रदेश	७५	१८ ७५	५६.२५	७५
आसाम	१०	८ २५	१.७५	१०
बिहार	२०	१५.५०	४.५०	२०
जम्मू कश्मीर	५	२.२५	२.७५	५
केरल	६	६	—	६
मध्य प्रदेश	२५ ५०	९.७५	१५ ७५	२५ ५०
मद्रास	४०	२६ २५	१३ ७५	४०
मैसूर	३५	१५ ५०	१९ ५०	३५
उड़ीसा	१५	४.२५	१०.७५	१५
पजाब	९० ८५	१४	७६.८५	९०.८५
राजस्थान	२७ २५	१२ २५	१५	२७ २५
उत्तर प्रदेश	५०	३४	१६	५०
प० बगाल	४४	४४	—	४४

यह योजना ६,००० रु० से १२,००० रु० की सालाना आय वालों को मकान बनाने में सहायता देने के लिए चलायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है उस पर ५॥ प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और मूलधन तथा ब्याज की कुल रकम २५ बराबर किश्तों में वसूल की जाती है।

यह योजना फरवरी १९५९ में चालू हुई थी। केन्द्र-शासित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम ऋण देता है और राज्य मकान बनाने वालों को इस रकम मे कर्ज देता है। शुरू में निगम ने १९५८ से १९६१ तक तीन वर्षों में ३ करोड़ रु० प्रति वर्ष देना मजूर किया था। परन्तु बढ़ती हुई माग को ध्यान में रखकर निगम ने चालू वित्त वर्ष में और बड़ी रकम देना स्वीकार किया है।



चेचक उन्मूलन आंदोलन

चेचक उन्मूलन आन्दोलन के अन्तर्गत भारत सरकार ने १९६०-६१ में प्रत्येक राज्य के एक-एक जिले में तथा केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली में आजमाइशी योजना शुरू करने का निश्चय किया है। यह भी निश्चय किया गया है कि आजमाइशी योजना के लिए जो क्षेत्र चुना जाए, उसकी जनसख्या १० लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारत सरकार ने यह निर्णय चेचक तथा हैजे की रोकथाम के लिए नियुक्त की गई केन्द्रीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर किया है। इस समिति ने चेचक उन्मूलन के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की थी, जिससे तीन साल के अन्दर-अन्दर सब लोगों को चेचक के टीके लगा दिए जाए। यह समिति भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिषद की देखरेख में कायम की थी।

स्वास्थ्य मत्रालय ने अब सब राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन को लिखा है कि वे चेचक उन्मूलन की आजमाइशी योजना शुरू करें। राज्य सरकारों से एक ऐसा सगठन बनाने के लिए भी कहा गया है, जो इन आजमाइशी योजना क्षेत्रों में किए गए काम की निगरानी करे।

देश भर के आजमाइशी योजना क्षेत्रों में होने वाले काम के समन्वय के लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय एक केन्द्रीय सगठन स्थापित करेगा।

चेचक उन्मूलन की आजमाइशी योजनाओं पर लगभग ३४ लाख रु० खर्च होगा। यह खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाएगी।

स्वास्थ्य मत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे आजमाइशी योजना के लिए तुरंत ही क्षेत्रों का चुनाव कर लें तथा कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था कर लें, जिससे १ अप्रैल तक ये योजनाए शुरू हो जाए।

आंखों में पुतली लगाने की व्यवस्था

स्वास्थ्य मत्री, श्री दत्तात्रेय परशुराम करमरकर ने ११ फरवरी को प्रश्नोत्तर के समय राज्यसभा में बताया कि निम्नलिखित अस्पतालों में आंखों में पुतली लगाने के आपरेशन की व्यवस्था है:

मद्रास . गवर्नमेंट आप्थेलमिक अस्पताल, मद्रास, गवर्नमेंट स्टेनले अस्पताल, मद्रास, गवर्नमेंट अर्स्किन अस्पताल, मदुराई; और मेडिकल कालेज अस्पताल, वेल्लोर। बम्बई: ग्राट मेडिकल कालेज, बम्बई; सी० जे० आप्थेलमिक अस्पताल, बम्बई; के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई, रामवेदी फ्री आई अस्पताल, बम्बई, और बी० वाई० ई० नायर चैरिटेबल अस्पताल, बम्बई। मध्य प्रदेश मेडिकल कालेज, इन्दौर, मेडिकल कालेज, ग्वालियर; और मेडिकल कालेज, जबलपुर। पजाब: बी० जे० अस्पताल, अमृतसर; और राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला। आसाम: आसाम मेडिकल कालेज। उत्तर प्रदेश मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, लखनऊ, मेडिकल कालेज, कानपुर; आई अस्पताल, सीतापुर; और गांधी आई अस्पताल, अलीगढ़। मैसूर: मिंटो आप्थेलमिक अस्पताल, बगलोर। प० बगाल: मेडिकल कालेज, कलकत्ता। बिहार . मेडिकल कालेज, दरभगा। दिल्ली: इरविन अस्पताल, नयी दिल्ली; और डा० सराफ चैरिटी अस्पताल, दिल्ली।



राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों को स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दी है :

मैसूर का पशु बलि निरोधक विधेयक, १९५९

इसमें मैसूर राज्य भर में हिन्दू मंदिरों में पशु बलि की मनाही की गई है। इस समय मैसूर में पशु बलि निरोधक अधिनियम, १९४८ और मद्रास में पशु और पक्षी बलि निरोधक अधिनियम, १९५० लागू है, किन्तु राज्य के अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार का कोई नियम नहीं लागू है। इस कानून में एकरूपता लाने के लिए ही यह विधेयक पास किया गया है।

राजस्थान का मृत्यु-भोज प्रतिबन्ध विधेयक, १९५९

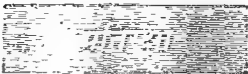
इसमें मृत्यु के बाद दी जाने वाली दावतों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। राज्य के अनेक भागों में इस प्रकार की दावतें करने की प्रथा है। कहीं-कहीं तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सबंधियों तथा जाति-बन्धुओं में कुछ सामान बांटने का भी रिवाज है। यद्यपि ये रीति-रिवाज कुछ धार्मिक संस्कारों से संबंधित हैं, लेकिन इनका आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरा प्रभाव होता है और कभी-कभी तो मरने वाले व्यक्ति के लड़कों अथवा आश्रितों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है।

इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक संस्कारों में हस्तक्षेप करना नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस प्रकार की दावतों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझती है।

आसाम का नगर और गांव योजना विधेयक, १९५९

दूसरे महायुद्ध के बाद आसाम के शहरों की आबादी बहुत बढ़ी है। शहरों में मकान आदि बनाने का जो काम हो रहा है, उस पर नगरपालिकाओं और नगर समितियों का पर्याप्त नियन्त्रण नहीं रह पाता।

सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और सड़कों तथा खुली जगह की कमी के कारण ऐसी बहुत-सी समस्याएं उठ खड़ी हुई जिनकी ओर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है। अतः राज्य सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए यह कानून बनाया।



राष्ट्रमण्डल देशों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास

१४ फरवरी को कोचीन में राष्ट्रमण्डल देशों की नौसेनाओं के वार्षिक संयुक्त अभ्यास और ट्रेनिंग का दूसरा कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के जंगी जहाज कोचीन बन्दरगाह से रवाना हुए। भारतीय जहाजी बेड़े का नेतृत्व ध्वजपोत 'मैसूर' कर रहा था, जिस पर कमांडिंग फ्लैग-अफसर रियर-एडमिरल ए० चक्रवर्ती का झंडा फहरा रहा था। इसके साथ क्रूजर 'दिल्ली', विध्वंसक 'गोदावरी', 'गोमती' और 'गंगा', लड़ाकू 'कृपाण', 'कुठार', 'खुकरी' और 'कावेरी'; टैंकर 'शक्ति' और रसद जहाज 'धारिणी' थे।

अभ्यास में ब्रिटिश नौसेना की पनडुब्बी 'टैक्टीशियन' को लक्ष्य बना कर पनडुब्बी नष्ट करने का अभ्यास किया गया। अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाजों के अलावा, ब्रिटिश नौसेना के जहाज 'लोचफिन'; लंका की नौसेना के जहाज 'विजया' और शाही नौसेना के सहायक बेड़े के 'गोल्ड रेंजर' ने भी भाग लिया।

एयर वाइस-मार्शल राजा राम

एयर कमोडोर आर० राजा राम को नयी दिल्ली के नेशनल डिफेंस कालेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पद पर वे एयर वाइस-मार्शल की हैसियत से काम करेंगे।

एयर वाइस-मार्शल राजा राम हाल ही में इंग्लैंड के इम्पीरियल डिफेंस कालेज में प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं। इससे पहले वे आपरेशनल कमान में सीनियर एयर स्टाफ आफिसर के पद पर काम कर रहे थे।

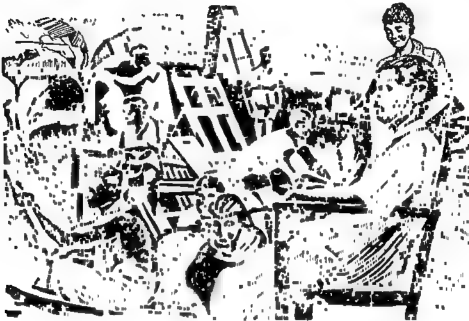
आपात सेना के सैनिक दुर्घटनाग्रस्त

संयुक्त राष्ट्र आपात सेना की भारतीय टुकड़ी के दो सैनिक ५ जनवरी को एक रेल-मोटर ट्रक भिड़न्त में मर गए। इस दुर्घटना में ९ अन्य सैनिक घायल हुए, जो अस्पताल में भर्ती किए गए। दुर्घटनाग्रस्त सभी सैनिक सिख थे, जो गुरुद्वारे से एक मोटर ट्रक में आ रहे थे। लगभग १० बजे रात को खान यूनिस नामक स्थान पर रेल लाइन पार करते समय उनकी मोटर ट्रक का पिछला हिस्सा बाईं ओर से आने वाली एक तेज ट्रेन से टकरा गया। रेल-क्रासिंग पर कोई चौकीदार नहीं था और बत्ती भी नहीं थी। कहा जाता है कि ट्रेन में (एक इंजन और एक टैंक कार) भी रोशनी नहीं थी और बिना सिगनल के जा रही थी। भारतीय सैनिकों का मोटर ट्रक लगभग ८०० गज तक पटरी पर घिसटता चला गया। संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के कार्यकारी कमाण्डर और भारतीय टुकड़ी के कमांडर, कर्नल आई० जे० रिखी, भारतीय टुकड़ी के मनोनीत कमाण्डर कर्नल आर० के० रजीत सिंह और कमांडिंग अफसर ले० कर्नल तेग बहादुर कपूर घटनास्थल पर पहुंच गए। खान युनिस और डेर-इल-बलाह के गवर्नर और स्थानीय अधिकारियों ने पहले पहुंचकर घायलों की सहायता की। ई० एम० ई० के कारीगर मोहर सिंह तत्काल मर गए। चौथी कुमायूं रेजिमेंट के सिपाही विजय सिंह की मृत्यु दूसरे दिन दोपहर बाद हो गई। ६ जनवरी को चार घायल सैनिक तेल अवीव के हशोमर अस्पताल में ले जाए गए। संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के अस्पताल में बाकी घायल सैनिकों को भर्ती किया गया।

उड़ीसा के एक सिपाही को वीरता के लिए पुलिस पदक

उड़ीसा के बोलनगिर जिले के कान्स्टेबल श्री ब्रजविहारी जेना को ३ स्त्रियों को जलते हुए मकानों से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया है। यह सूचना और इससे सम्बद्ध प्रशस्ति ६ ... सरकार के सूचना-पत्र में ...

ग्रामीण-उद्योगों से अधिक रोजगार



स्थानीय लोगों के उत्साह और कुशल संगठन द्वारा उड़ीसा के पुरी जिले के तैजपुर गांव में रोजगार की सुविधाएं बढ़ गयी हैं।

इस गांव के निवासी श्री अर्जुनदास ने एक बहुमुखी सहकारी समिति शुरू की। यह समिति बढ़ई का काम सिखलाती है। इसके कारखाने में मेज, कुर्सियां और खिड़कियों व दरवाजों की चौखटें बनाई जाती हैं, जिन्हें सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं खरीद लेती हैं।

साथ ही एक और उपयोगी धंधा इस समिति ने शुरू किया है—नारियल रेशे का उद्योग। इससे रस्से, रस्सियां, चटाइयां और अन्य चीजें तैयार की जाती हैं, जो आस पास के गांवों में बिक जाती हैं।

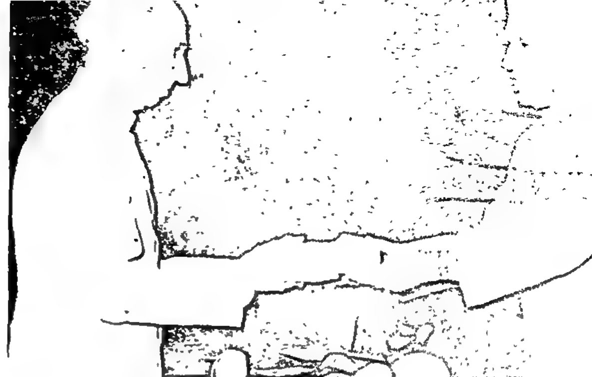
गांवों की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दीजिये। इनसे रोजगार बढ़ता है और आय भी

योजना की सिद्धि आपकी समृद्धि

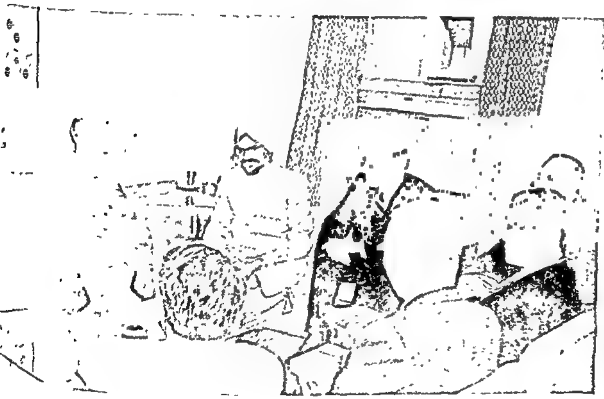
[illegible]/314

[illegible], प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली-८ द्वारा सम्पादित तथा [illegible] प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली-६ द्वारा मुद्रित

भारतीय भाषाओं की १९५९ की १८ पुस्तकों पर पुरस्कार देने के साहित्य अकादमी द्वारा १३ को नयी दिल्ली में आयोजित में अपनी मराठी भाषा की पर श्री जी० टी० देशपांडे के अध्यक्ष, श्री नेहरू से लेते हुए

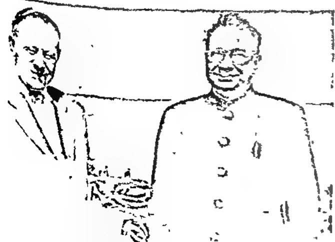


फरवरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय खान और ईंधन मंत्री, सरदार सिंह अमरीका से आए इस्पात के साथ



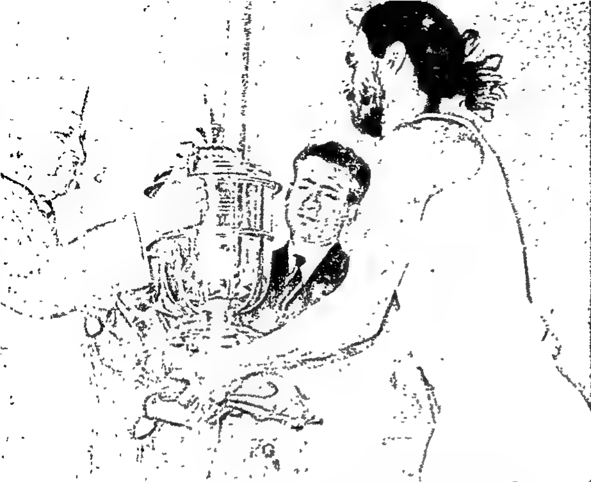
(नीचे बायें) सोवियत संघ शक्ति के उपयोग से सम्बद्ध समिति के केन्द्रीय प्रशासन के प्रोफेसर वी० एस० येमेल्यानो दिल्ली के पालम हवाई अ आगमन के समय राष्ट्रीय प्रयोगशाला के निदेशक, डा एस० कृष्णन के साथ

(नीचे दायें) १३ फरवरी को दिल्ली में नागरिक उड्डयन श्री अहमद मोहिउद्दीन और चेक वाकिया के परिवहन श्री कारेल स्टेकल (बाए से भारत और चेकोस्लोवाकिया के एक हवाई सेवा समझौते पर करते हुए





रजिस्टर्ड नं०
डी०—६४१



रवरी को दिल्ली में अखिल भारत पुलिस खेल-कूद प्रतियोगिता के समापन पर प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू
पुलिस को चैम्पियनशिप ट्राफी प्रदान करते हुए

नौसेनाध्यक्ष, वाइस एडमिरल कटारी (बाएं से दूसरे) नौसेना के उन सैनिकों के साथ जो ७ जनवरी को विशाखापत्तनम से एक खुली साधारण नाव में पोर्ट ब्लेयर गए और वहां से उसी नाव में ८ फरवरी को मद्रास पहुंचे

भारतीय समाचार



र्ष ३ १५ फरवरी, १९६० (२६ माघ, १८८१) अङ्क २

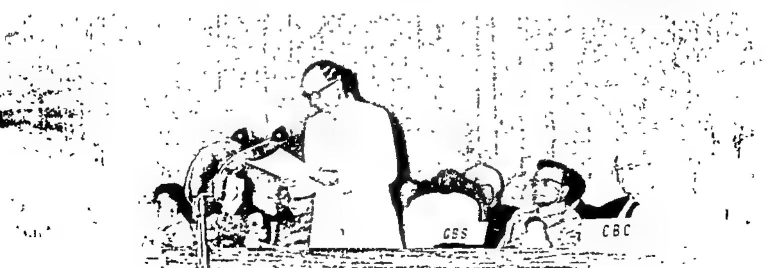


पोलिश कानून-शास्त्रियों का शिष्ट-मण्डल, जोकि आजकल भारत का दौरा कर रहा है, २३ जनवरी नयी दिल्ली में प्रधान मन्त्री श्री लाल नेहरू के साथ



ब्रिटेन की एसोशिएटेड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष लार्ड २५ जनवरी को नयी दिल्ली में के वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसा साथ

नयी दिल्ली में हुए राष्ट्रमण्डल प्रस सम्मेलन का २२ जनवरी को उद्घ करते हुए केन्द्रीय सूचना तथा प्रस मन्त्री डा० बी० वी० केसकर



भारतीय समाचार

वर्ष ३ | १५ फरवरी, १९६० / २६ माघ, १८८१ | अङ्क २

एक प्रति रु० ०.३५ १ शिलिंग १४ सेंट

वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

आवरण चित्र : राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली, में २४ जनवरी को नेपाल के प्रधान मन्त्री के सम्मान में भारतीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए एक भोज में प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू का नेपाल के प्रधान मन्त्री श्री बी० पी० कोइराला के साथ आगमन

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)

मुख्य विषय

राजनीतिक और सामान्य

गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को राष्ट्रपति का सन्देश

गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में, २५ जनवरी की रात को आकाशवाणी से राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने राष्ट्र के नाम निम्नलिखित सन्देश प्रसारित किया :—

११वें गणतन्त्र दिवस के अवसर पर मैं अपने देशवासियों का अभिनन्दन करता हूं और नये वर्ष में उनकी सुख-समृद्धि की कामना करता हूं। इस शुभ अवसर पर हम हर साल एक-दूसरे को बधाई देते हैं, देश की स्थिति पर दृष्टि डालते हैं और राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था तथा साधनों का विकास होते देख खुश होते हैं। इन घटनाओं की हम अपनी दीर्घकालीन योजनाओं और अपने सुनहले स्वप्नों से तुलना करते हैं। करोड़ों की आबादी वाले एक पिछड़े हुए देश को ऐसे सम्पन्न राज्य में बदल देना, जिसका प्रत्येक नागरिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्वस्त हो, सुखी जीवन बिता सके—यही हमारा स्वप्न है। राज्य की सारी शक्तियां ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के सभी साधन इसी एक स्वप्न को यथार्थ में बदलने के लिए लगाये जा रहे हैं।

जब से हम स्वाधीन हुए और हमने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली, हम अधिकतर घरेलू कामकाज में अर्थात् अपनी आन्तरिक समस्याओं को निबटाने में व्यस्त रहे हैं, यद्यपि, जैसा कि सभी जानते हैं, इस अवधि में हम बराबर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते रहे हैं—ऐसी नीति, जिसे हम भारत के लिए सर्वोत्तम समझते हैं। दूसरे देशों की स्वाधीनता का आदर करना, अन्य राष्ट्रों के प्रति दोस्ती की भावना रखना, प्रत्येक देश अपने विचारों और इच्छा के अनुसार अपने जीवन का नियमन करने में स्वच्छन्द है—इस बात में विश्वास रखना, हिंसा और पशुबल के प्रयोग का परित्याग करना और विश्व-शान्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहना—हमारी विदेश नीति के ये कुछ प्रमुख सिद्धान्त हैं। इस नीति को, जिसे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का नाम भी दिया गया है, संसार के बहुतेरे देशों ने भी अपनाया है।

इधर कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, जिनसे इस सिद्धान्त में हमारी आस्था को कुछ धक्का लगा है। हमारे एक पड़ोसी ने जिसके साथ सदा से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे हैं और जो पंचशील के सिद्धान्तों के प्रतिपादन में हमारे साथ था, हमारी सीमा में आकर हमारे देश के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया है। देश में व्यापक क्षोभ की भावना होते हुए भी, हम इस या और भी किसी प्रकार के झगड़े को शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए बराबर बातचीत पर ही भरोसा

आ रहे हैं। किन्तु मैत्री बनाये रखने और बल का प्रयोग न करने की हमारी उत्कण्ठा की अभीष्ट प्रतिक्रिया दूसरी ओर से अभी तक नही हुई है। मगल कामना करते हुए हमें सतर्क और सगठित रहना होगा। यद्यपि शान्ति और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व मे हमारा विश्वास पहले की तरह ही दृढ बना है, फिर भी हम इस बात की अवहेलना नही कर सकते कि सतत सतर्कता ही एक राष्ट्र की स्वाधीनता का मूल्य होता है।

हाल की घटनाओ के कारण सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए, हम राष्ट्र-निर्माण की योजनाओ को कार्य-रूप देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। हमारी कुछ योजनाए पहले ही पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने जा रही है। दूसरी योजनाओं पर कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है। बिहार मे गगा पर पुल बनकर तैयार हो चुका है और इसी वर्ष यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके फलस्वरूप उत्तर बिहार और आसाम का, दक्षिण बिहार और पश्चिम बगाल का सीधा सम्पर्क हो गया है। इस महान सफलता से प्रेरणा पाकर अब हमने गुहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने का निश्चय किया है और इसी महीने हमारे प्रधान मत्री ने इस पुल की नीव रखी है। भाखड़ा, नागार्जुनसागर, चम्बल, नैवेली और कुण्डा नदी घाटी योजनाओं के काम में भी प्रगति हो रही है। लोहे के तीन बडे कारखाने राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में चालू हो गए है और भट्ठिया लोहा तैयार करने लगी हैं। आशा है कि इन कारखानो द्वारा हमारी घरेलू जरूरतों से भी अधिक लोहा तैयार किया जा सकेगा।

कुछ समय हुआ इस वर्ष खाद्य स्थिति कुछ अधिक गम्भीर होती दिखायी दी थी, किन्तु देश भर में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने और सप्लाई की स्थिति में सुधार कर देने से जल्दी ही कीमतें उचित स्तर पर आ गईं। तब से स्थिति में सुधार के लक्षण दिखायी दे रहे हैं और मौजूदा फसलों की स्थिति और काफी मात्रा में विदेशों से अनाज के आयात को देखते हुए ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि इस प्रवृत्ति से स्थिति में और भी सुधार हो सकेगा।

बहनो और भाइयो, मैं चाहता हू कि आप सब इन गम्भीर प्रश्नों पर विचार करे जो हमारे देश के सामने हैं। मुझे आपको यह विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं कि आपके नेतागण, जिनके हाथो में आपने देश की व्यवस्था सौपी हैं, इन प्रश्नो पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं, किन्तु एक प्रजातन्त्र राज्य में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न प्रत्येक नागरिक द्वारा विचार के विषय होते हैं।

एक बार फिर मैं आप सब का अभिनन्दन करता हू और सब की सुख-समृद्धि की कामना करता हू।

प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रपति का सन्देश

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयो के नाम राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सन्देश प्रसारित किया :

एक बार फिर गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों का अभिनन्दन करने में मुझे खुशी हो रही है। हम अपने घरेलू कामो में चाहे कितने ही व्यस्त हों, आप लोगो की तरफ हमारा ख्याल प्राय जाता है और आपका कल्याण हमें बहुत प्रिय है। मेरी यही कामना है और प्रार्थना है कि आप लोग सुखी रहें और अपने सत्कार्यों और अच्छे व्यवहार से अपने देश का नाम उज्ज्वल करे।

आज हमारा गणराज्य अपने जीवन के ग्यारहवे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इन १० वर्षों में हम अपने भौतिक साधनों का विकास करने और भारत को शाति और सम्पन्नता का देश बनाने मे प्रयत्नशील रहे है। हमने औद्योगीकरण का मार्ग ग्रहण किया है और द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो योजनाए हमने हाथ मे ली थी, उनमें से आशिक अथवा पूर्ण रूप से कइयो को हम कार्यरूप दे सके है। जब कभी भी आप अब स्वदेश आएगे, मेरा विश्वास है कि आपको कई सुखद आश्चर्य देखने को मिलेगे। कई राज्यो के देहातों में आप बिजली की चमक-दमक देखेंगे, नई सड़के और रेलें बनी देखेंगे, वरद जल से पूर्ण बहती हुई नहरे आपको मिलेगी और आप इस्पात के तीन महान कारखाने हर समय लोहा उगलते हुए देखेंगे। इसके साथ ही देश भर में सामुदायिक विकास और समाज सुधार के केन्द्रो का जाल बिछा हुआ भी आप देखेंगे।

मैं जानता हू कि यह सब देख कर आपको खुशी होगी। किन्तु आप यह समझ ले कि यह इस क्रम का आरम्भ मात्र है। हमारे महान लक्ष्य तक पहुचने का मार्ग बहुत लम्बा और कष्टप्रद है। फिर भी, भारत के भविष्य में हमारी आस्था और हमारे लोगों के सकल्प ने इस महान कार्य मे हमे यथोचित बल दिया है। ऐसे बड़े काम में कठिनाइया और जोखिम होना स्वाभाविक है, और निश्चय ही इन सबसे हमे लोहा लेना पड रहा है, यद्यपि अन्त में ईश्वर की कृपा से निश्चय ही हम इन पर विजय पा सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे।

बहनो और भाइयो, आप भी आज भारत के सम्बन्ध मे सोच रहे होंगे। मैं चाहूगा कि आप भारत के आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों का भी ध्यान करे, जिनसे हमने अपनी घरेलू और विदेशी नीतियो के निर्धारण में प्रेरणा ली है।

आप लोग जहा भी हैं और जैसे भी है, एक बार फिर मैं आप सबकी सम्पन्नता और सुख की कामना करता हू।

गणराज्य दिवस के अवसर पर अलंकार

ग्यारहवें गणराज्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने ३१ व्यक्तियो को अलकार दिए हैं। इनमें से एक पद्म विभूषण, १० पद्म भूषण और २० पद्म श्री हैं। अलकार पाने वालों में ४ महिलाएं भी हैं।

इन अलंकारों की घोषणा और उनके नाम २६ जनवरी, १९६० के भारत सरकार के असाधारण सूचना-पत्र में दिए गए हैं।

पद्म विभूषण

श्री नारायण राघवन पिल्लै, महासचिव, परराष्ट्र मंत्रालय।

पद्म भूषण

श्री अय्यादेवरा कालेश्वर राव, अध्यक्ष, आन्ध्र विधान सभा; पडित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', कवि, नयी दिल्ली; उस्ताद हाफिज अली खा, सगीतज्ञ, नयी दिल्ली; श्री हरिदास सिद्धान्तवागीश, सस्कृत के विद्वान, कलकत्ता; काजी नजरुल इस्लाम, कवि, कलकत्ता; डा० नीलकठ दास, अध्यक्ष, उड़ीसा विधानसभा;

डा० रवीन्द्र नाथ चौधरी, निदेशक, स्कूल आफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, कलकत्ता; पंडितराज राजेश्वरदत्त शास्त्री द्रविड़, संस्कृत के विद्वान, वाराणसी; श्री शिवपूजन सहाय, हिन्दी के विद्वान, पटना; डा० विट्ठल नागेश शिरोड़कर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बम्बई।

पद्म श्री

डा० आदिनाथ लहरी, निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, धनबाद; श्री अनिल कुमार दास, उप महानिदेशक, कोडईकनाल पर्यवेक्षणशाला; कुमारी आरती साहा, तैराक, कलकत्ता; डा० आर्त्तवल्लभ महन्ती, अवकाश-प्राप्त प्रोफेसर, उत्कल विश्वविद्यालय; श्री अय्यागिरि सम्भा शिवराव, एटामिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट, ट्राम्बे; श्री बेलारी शमन्ना केशवन्, पुस्तकालयाध्यक्ष, कलकत्ता, श्रीमती वीणादास, समाज कार्यकर्त्री, कलकत्ता; श्री दया भाई जीवनजी नायक, समाज कार्यकर्ता, बम्बई; श्री हरकृष्ण लाल सेठी, जनरल मैनेजर, गंगा पुल योजना, कैप्टेन हरमन्दर सिंह, पॉलिटिकल आफिसर, कामेंग फ्रंटियर डिवीजन, नेफा; श्री जस्सू पटेल, क्रिकेट खिलाड़ी, अहमदाबाद; श्री कालपत्ति रामा अय्यर दोरायस्वामी, निदेशक, प्रीमियर रेडियोलाजिकल इंस्टिट्यूट एण्ड कैंसर हास्पिटल, मईलापुर, मद्रास; श्रीमती कुलसुम सयाणी, समाज और शिक्षा कार्यकर्त्री, बम्बई; श्री नानाभाई भट्ट, शिक्षा और समाज कार्यकर्त्ता, सौराष्ट्र, श्री नुयक्की भानु प्रसाद, एटामिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट, ट्राम्बे, श्री रुस्तम सोरावजी अल्पईवाला, बम्बई स्थित अन्धों के राष्ट्रीय एसोसिएशन के अध्यक्ष; श्रीमती सोफिया वाडिया, समाज कार्यकर्त्री, बम्बई, डा० विद्यानाथ सुब्रह्मण्यम, निदेशक केन्द्रीय खाद्य और शिल्प विज्ञान अनुसंधानशाला, मैसूर; श्री विजय हजारे, क्रिकेट खिलाड़ी, बड़ौदा, और श्रीमती वीरवती, वास्तुकलाकार, दिल्ली।

स्थल सेना में अवैतनिक कमीशन

इस साल गणराज्य दिवस के अवसर पर स्थल सेना के उन चुने हुए जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसरों को, जो सामरिक सूची पर हैं, अवैतनिक कमीशन और जूनियर कमीशन-प्राप्त तथा गैर कमीशन वाले अफसरों को सेवा निवृत्त होने पर अवैतनिक पद दिए गए हैं। ये कमीशन और पद इन अफसरों की असाधारण सेवाओं के लिए दिए गए हैं।

पुरस्कृत व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है :

सामरिक सूची से

अवैतनिक कप्तान

जे सी-२२१२५ रिसा० मेजर और अवैतनिक ले० काशीराम, सेंट्रल इंडिया हॉर्स; जे सी-१४२८७ रि० मे० और अवै० ले० अमीरसिंह, ६२वीं कैवलरी, जे सी-२१३५६, सूबे० मे० और अवै० ले० रामचंद, तोपखाना; जे सी-१३६२९, सूबे० मे० और अवै० ले० वी० गोपालराम, वीरचक्र, ब्रिगेड आफ गार्ड्स, जे सी-४३३६७ सूबे० और अवै० ले० प्रीतम सिंह, एम० सी०, पैराशूट रेजिमेंट; जे सी-१७९३१ सूबे० मे० और अवै० ले० हुकमसिंह, आई० ओ० एम०, पंजाब रेजिमेंट, जे सी-१४८६६ सूबे० मे० और अवै० ले० अमोन्द्र कोलोथ नारायणन नम्बियार, मद्रास रेजिमेंट; जे सी-१३१३१ सूबे० मे० और अवै० ले० श्रीलाल राम, ग्रिनेडियर्स; जे सी-२२७०२ सूबे० मे० और अवै० ले० छाजूसिंह, एम० सी०, राजपूताना राइफल्स, जे सी-४५६९९ सूबे० और अवै० ले० कालू राम, एम० सी०, राजपूताना राइफल्स; जे सी-२१०१४ सूबे० मे० और अवै० ले० धरमपालसिंह, राजपूत रेजिमेंट, जे सी-१२८९२ सूबे० मे० और अवै० ले० जोगिन्दर सिंह, एम० सी०, सिख रेजिमेंट, जे सी-२०५५० सूबे० मे० और अवै० ले० दरयाव सिंह राम, एम० सी०, बिहार रेजिमेंट, जे सी-२६९८७ सूबे० मे० और अवै० ले० प्रेम बहादुर थापा, ८-गोरखा राइफल्स, जे सी-२३४२४ सूबे० मे० और अवै० ले० खड़ग बहादुर सुवर, एम० सी०, ११-गोरखा राइफल्स।

अवैतनिक लेफ्टिनेंट

जे सी-१२१९३ रिसा० मे० अब्दुल अजीज, १६ केवेलरी; जे सी-१३७९२ रिसा० विशाल सिंह, २ लैन्सर्स, जे सी-४३५६५ रिसा० मे० सिदर सिंह, १७ हॉर्स, जे सी-३५०८२ रिसा० नजर सिंह, १४ हॉर्स, जे सी-४५९८७ रिसा० रामभज, आई० ओ० एम०, आई० डी० एस० एम०, सेंट्रल इंडिया हॉर्स; जे सी-१८८०८ सूबे० मे० सूरत सिंह, एम० सी० आर्टिलरी, जे सी-४४३५८ सूबे० मे० पी० के० गोविन्द राजू, आर्टिलरी; जे सी-१४१८३ सूबे० मे० मुनिस्वामी, मद्रास इंजीनियर्स; जे सी-५३२७ सूबे० मे० नजारस जान, मद्रास इंजीनियर्स; जे सी-१२६७२ सूबे० मे० अजायब सिंह, बंगाल इंजीनियर्स; जे सी-२७०९९ सूबे० मे० उदय राम, बंगाल इंजीनियर्स; जे सी-१५०६२ सूबे० मे० विक्रम सोर, बम्बई इंजीनियर्स; जे सी-१५२६५ सूबे० मे० रणसिंह, कोर आफ सिगनल्स; जे सी-१८३४८ सूबे० मे० ज्ञान सिंह, कोर आफ सिगनल्स; जे सी-१७६६१ सूबे० मे० जे० वी० मोजेज, कोर आफ सिगनल्स; जे सी-५७६६९ सूबे० लछमन सिंह, पंजाब रेजिमेंट; जे सी-१८६८४ सूबे० मे० वी० मुथू कृष्ण, मद्रास रेजिमेंट; जे सी-२७७८३ सूबे० धरमसिंह, ग्रिनेडियर्स, जे सी-४२३७१ सूबे० काशीनाथ फदतारे, मराठा लाइट इन्फेण्टरी; जे सी-६०५९६ सूबे० जे एफ एक्स फिलिप्स, एम० एम०, मराठा लाइट इन्फेंण्टरी; जे सी-४८११८ सूबे० मेघ सिंह, वीर चक्र, राजपूताना राइफल्स, जे सी-१७७० सूबे० अनुमान सिंह, राजपूताना राइफल्स, जे सी-१९९४४ सूबे० मोहन राम, राजपूत रेजिमेंट, जे सी-४३९२३ सूबे० सरदारा सिंह, आई डी एस एम, सिख रेजिमेंट, जे सी-५९६१३ सूबे० प्रीतम सिंह, सिख रेजिमेंट, जे सी-३०१६६ सूबे० छज्जू राम, आई ओ एम, डोगरा रेजिमेंट, जे सी-४७९०१ सूबे० शामलाल, डोगरा रेजिमेंट, जे सी-३१०७१ सूबे० गोपाल सिंह गोसाईं, वीर चक्र, गढ़वाल राइफल्स; जे सी-२७८१५ सूबे० मे० भवन सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट, जे सी-२३६२ सूबे० मे० सरनाम सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट; जे सी-१८०५५ सूबे० मे० धानी चन्द, कुमाऊं रेजिमेंट, जे सी-६१३२४ सूबे० शेर सिंह, वीर चक्र, कुमाऊं रेजिमेंट, जे सी-३५५२८ सूबे० मे० तरुण चन्द्र राजखोवा, आसाम रेजिमेंट; जे सी-२६१७० सूबे० मे० समीच सिंह, सिख लाइट इन्फेन्ट्री, जे सी-४६९८६ सूबे० छब्बी लाल गुरुग, आई डी एस एम, ३ गोरखा राइफल्स, जे सी-२९९४३ सूबे० मे० लछिमन राणा, ५-गोरखा राइफल्स, जे सी-५३४१७ सूबे० जस बहादुर गुरुग, आई डी एस एम,

आ रहे हैं। किन्तु मैत्री बनाये रखने और बल का प्रयोग न करने की हमारी उत्कण्ठा की अभीष्ट प्रतिक्रिया दूसरी ओर से अभी तक नही हुई है। मगल कामना करते हुए हमें सतर्क और सगठित रहना होगा। यद्यपि शान्ति और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व मे हमारा विश्वास पहले की तरह ही दृढ बना है, फिर भी हम इस बात की अवहेलना नही कर सकते कि सतत सतर्कता ही एक राष्ट्र की स्वाधीनता का मूल्य होता है।

हाल की घटनाओ के कारण सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए, हम राष्ट्र-निर्माण की योजनाओ को कार्य-रूप देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। हमारी कुछ योजनाए पहले ही पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने जा रही हैं। दूसरी योजनाओ पर कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है। बिहार मे गगा पर पुल बनकर तैयार हो चुका है और इसी वर्ष यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके फलस्वरूप उत्तर बिहार और आसाम का, दक्षिण बिहार और पश्चिम बगाल का सीधा सम्पर्क हो गया है। इस महान सफलता से प्रेरणा पाकर अब हमने गुहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने का निश्चय किया है और इसी महीने हमारे प्रधान मत्री ने इस पुल की नीव रखी है। भाखडा, नागार्जुनसागर, चम्बल, नैवेली और कुण्डा नदी घाटी योजनाओ के काम मे भी प्रगति हो रही है। लोहे के तीन बड़े कारखाने राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में चालू हो गए हैं और भट्ठिया लोहा तैयार करने लगी हैं। आशा है कि इन कारखानो द्वारा हमारी घरेलू जरूरतों से भी अधिक लोहा तैयार किया जा सकेगा।

कुछ समय हुआ इस वर्ष खाद्य स्थिति कुछ अधिक गम्भीर होती दिखायी दी थी, किन्तु देश भर में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने और सप्लाई की स्थिति मे सुधार कर देने से जल्दी ही कीमतें उचित स्तर पर आ गईं। तब से स्थिति में सुधार के लक्षण दिखायी दे रहे हैं और मौजूदा फसलों की स्थिति और काफी मात्रा में विदेशों से अनाज के आयात को देखते हुए ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि इस प्रवृत्ति से स्थिति में और भी सुधार हो सकेगा।

बहनो और भाइयो, मैं चाहता हूं कि आप सब इन गम्भीर प्रश्नो पर विचार करे जो हमारे देश के सामने हैं। मुझे आपको यह विश्वास दिलाने की जरूरत नही कि आपके नेतागण, जिनके हाथों में आपने देश की व्यवस्था सौपी है, इन प्रश्नो पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं, किन्तु एक प्रजातन्त्र राज्य मे राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न प्रत्येक नागरिक द्वारा विचार के विषय होते हैं।

एक बार फिर मैं आप सब का अभिनन्दन करता हू और सब की सुख-समृद्धि की कामना करता हूं।

प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रपति का सन्देश

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयो के नाम राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सन्देश प्रसारित किया :

एक बार फिर गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों का अभिनन्दन करने में मुझे खुशी हो रही है। हम अपने घरेलू कामो मे चाहे कितने ही व्यस्त हों, आप लोगों की तरफ हमारा खयाल प्राय जाता है और आपका कल्याण हमे बहुत प्रिय है। मेरी यही कामना है और प्रार्थना है कि आप लोग सुखी रहे और अपने सत्कार्यों और अच्छे व्यवहार से अपने देश का नाम उज्ज्वल करें।

आज हमारा गणराज्य अपने जीवन के ग्यारहवे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इन १० वर्षो मे हम अपने भौतिक साधनो का विकास करने और भारत को शाति और सम्पन्नता का देश बनाने मे प्रयत्नशील रहे हैं। हमने औद्योगीकरण का मार्ग ग्रहण किया है और द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो योजनाए हमने हाथ मे ली थी, उनमें से आशिक अथवा पूर्ण रूप से कइयो को हम कार्यरूप दे सके हैं। जब कभी भी आप अब स्वदेश आएगे, मेरा विश्वास है कि आपको कई सुखद आश्चर्य देखने को मिलेंगे। कई राज्यों के देहातों में आप बिजली की चमक-दमक देखेंगे, नई सडके और रेले बनी देखेंगे, वरद जल से पूर्ण बहती हुई नहरे आपको मिलेंगी और आप इस्पात के तीन महान कारखाने हर समय लोहा उगलते हुए देखेंगे। इसके साथ ही देश भर में सामुदायिक विकास और समाज सुधार के केन्द्रों का जाल बिछा हुआ भी आप देखेंगे।

मैं जानता हूं कि यह सब देख कर आपको खुशी होगी। किन्तु आप यह समझ लें कि यह इस क्रम का आरम्भ मात्र है। हमारे महान लक्ष्य तक पहुचने का मार्ग बहुत लम्बा और कष्टप्रद है। फिर भी, भारत के भविष्य में हमारी आस्था और हमारे लोगों के संकल्प ने इस महान कार्य में हमें यथोचित बल दिया है। ऐसे बड़े काम में कठिनाइया और जोखिम होना स्वाभाविक है, और निश्चय ही इन सबसे हमें लोहा लेना पड रहा है, यद्यपि अन्त में ईश्वर की कृपा से निश्चय ही हम इन पर विजय पा सकेगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगे।

बहनो और भाइयो, आप भी आज भारत के सम्बन्ध में सोच रहे होंगे। मैं चाहूगा कि आप भारत के आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों का भी ध्यान करे, जिनसे हमने अपनी घरेलू और विदेशी नीतियो के निर्धारण में प्रेरणा ली है।

आप लोग जहा भी हैं और जैसे भी हैं, एक बार फिर मैं आप सबकी सम्पन्नता और सुख की कामना करता हू।

गणराज्य दिवस के अवसर पर अलंकार

ग्यारहवें गणराज्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने ३१ व्यक्तियों को अलकार दिए हैं। इनमें से एक पद्म विभूषण, १० पद्म भूषण और २० पद्म श्री हैं। अलकार पाने वालों में ४ महिलाए भी हैं।

इन अलकारों की घोषणा और उनके नाम २६ जनवरी, १९६० के भारत सरकार के असाधारण सूचना-पत्र मे दिए गए हैं।

पद्म विभूषण

श्री नारायण राघवन पिल्लै, महासचिव, परराष्ट्र मंत्रालय।

पद्म भूषण

श्री अय्यदेवरा कालेश्वर राव, अध्यक्ष, आन्ध्र विधान सभा; पडित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', कवि, नयी दिल्ली; उस्ताद हाफिज अली खां, संगीतज्ञ, नयी दिल्ली; श्री हरिदास सिद्धान्तवागीश, संस्कृत के विद्वान, कलकत्ता; काजी नजरुल इस्लाम, कवि, कलकत्ता; डा० नीलकठ दास, अध्यक्ष, उड़ीसा विधानसभा;

पुलिस अधिकारियों को पदक

गणराज्य दिवस समारोह के अवसर पर इस बार राष्ट्रपति ने ६१ पुलिस अफसरों को उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के लिए पदक प्रदान किए हैं।

पांच अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस और अग्निसेवा पदक तथा ५६ को पुलिस पदक दिया गया है। पुलिस और अग्निसेवा पदक पाने वाले अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं :—

श्री घनीराम कोंवर, सहायक कमांडेंट, इस समय दूसरी आसाम बटालियन से संबंधित, आसाम; श्री तेरेन्स जान विल्सन, कमांडेंट, स्पेशल आर्म्ड पुलिस, चौथी बटालियन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश; श्री कुरूपथ विश्वनाथन् नायर, आई० पी० एस०, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, तंजौर, मद्रास; श्री शरद चन्द्र मिश्र, आई० पी०, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, खुफिया विभाग उत्तर प्रदेश; और श्री वीरेन्द्र चन्द्र चक्रवर्ती, आई० पी० एस०, सहायक इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, पश्चिम बंगाल।

पुलिस पदक पाने वाले अधिकारियों के नाम निम्न प्रकार हैं —

श्री वेमपल्ली वेंकटरमण, इंस्पेक्टर आफ पुलिस, स्पेशल ब्रांच, खुफिया विभाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, श्री मल्लेला सत्यनारायण, इंस्पेक्टर आफ पुलिस, स्पेशल ब्रांच, खुफिया विभाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश; श्री रवीन्द्र नाथ राय, आई० पी० एस०, सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस, पटना, बिहार; श्री स्नेहमय घोष, आई० पी० एस०, इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस के सहायक, पटना, बिहार, श्री मेहरजी दिनशा फ्रेमरोज, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, बृहत्तर बम्बई; श्री सोहराब हारमोसजी जहांगीरजी, कागा, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, बृहत्तर बम्बई, श्री गोपाल केशव भूपतकर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, एन्टी करेप्शन एंड प्रोहिबिशन इंटेलीजेंस ब्यूरो, बम्बई, श्री दिलीप सिंह जी जय सिंह जी जदेजा, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, पश्चिम रेल, अहमदाबाद, बम्बई; श्री नरसिंह तोताराम पवार, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, उमार सब-डिवीजन, जिला यवतमल, बम्बई, श्री यशवन्त त्र्यम्बक बावले, इंस्पेक्टर पुलिस, बृहत्तर बम्बई; श्री शंकर हरि यादव, पुलिस नायक, बृहत्तर बम्बई; श्री लछमन दास ठाकुर, आई० पी० एस०, डी० आई० जी० पुलिस, जम्मू और कश्मीर; श्री छक्कराज गोपाल नायडू, आई० पी० एस०, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, दुर्ग, मध्य प्रदेश, श्री बापू साहिब बाबू राव माणे, आई० पी० एस०, एस० पी०, खण्डवा, मध्य प्रदेश; श्री चैन सिंह कदम, आई० पी० एस०, एस० पी०, मुरैना, मध्य प्रदेश; श्री विलियम एथनी ग्रिफ्सन, आई० पी० एस०, कमांडेंट, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, दूसरी ट्रेनिंग बटालियन, इन्दौर, मध्य प्रदेश; श्री अब्दुल रहमान सिद्दीकी, डी० एस० पी० (मुकदमा), जबलपुर, मध्य प्रदेश, श्री चिन्तामण सीताराम चफेके, सहायक कमांडेंट, स्पेशल आर्म्ड पुलिस, चौथी बटालियन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, श्री बाबू साहब शिंदे, कम्पनी कमांडर, पहली बटालियन, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, श्री बाला साहिब महाडिक, प्लाटून कमांडर, पहली बटालियन, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, श्री कोल्लाइकल परमेश्वर मेनन, डी० एस० पी०, (स्थानापन्न), उदकमंडल, जिला नीलगिरि, मद्रास, श्री पेरूनयोत्तम नटेश अय्यर सुब्रमण्यन्, इंस्पेक्टर पुलिस, स्पेशल ब्रांच, खुफिया विभाग, मद्रास; श्री परमीवल जोसेफ लेविस, आई० पी० एस० एस० पी०, मद्रास; श्री अप्पनराव बेंकोबाराव, स्पेशल सुपरिंटेंडेंट पुलिस, मैसूर, श्री लॉर्ड हैरोल्ड स्माले, कमांडेंट, मैसूर राज्य रिजर्व पुलिस, बंगलौर, मैसूर; श्री आर० मरिस्वामी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, मैसूर, श्री गुरिकर मुवल्ला, इंस्पेक्टर पुलिस, मैसूर, श्री बी० एल० एस० कृष्णमूर्ति, सब इंस्पेक्टर पुलिस, मैसूर, श्री रामकृष्ण पाढी, आई० पी०, डी० आई० जी०, उड़ीसा; श्री नारायण चन्द, आई० पी० एस०, एस० पी०, उड़ीसा; श्री कोरी अप्पा राव, सूबेदार, उड़ीसा मिलिट्री पुलिस, उड़ीसा; श्री शंकर सामन्त सिनहार इंस्पेक्टर आफ पुलिस (स्थानापन्न), उड़ीसा, श्री दलीपसिंह साहू, इंस्पेक्टर पुलिस (स्थानापन्न), न० ए।१६६, पंजाब, श्री दलीप सिंह ढिन्डसा, इंस्पेक्टर पुलिस (स्थानापन्न), न० ए।३, पंजाब; श्री एजाजुल हक, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच, खुफिया विभाग, उत्तर प्रदेश; श्री करीम बख्श, सब-इंस्पेक्टर, घुड़सवार पुलिस, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश; श्री परिमल चन्द्र बोस, असिस्टेंट कमिश्नर आफ पुलिस (स्थानापन्न), यातायात विभाग, कलकत्ता, श्री रवीन्द्र कुमार [illegible], इंस्पेक्टर आफ पुलिस गोलाबाड़ी [illegible], जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल; श्री [illegible] रंजन चन्द, इंस्पेक्टर पुलिस, इन्टेलीजेंस ब्रांच, पश्चिम बंगाल; श्री प्रमथ नाथ चक्रवर्ती, इंस्पेक्टर पुलिस, कलकत्ता; श्री सत्येन्द्र नाथ भट्टाचारजी, सब-इंस्पेक्टर पुलिस, कलकत्ता; श्री मनोरंजन बनर्जी, सब-इंस्पेक्टर पुलिस, गुप्तचर विभाग कलकत्ता; श्री त्रिवेणी सिंह, सब-इंस्पेक्टर पुलिस, अंडमान और निकोबार द्वीप, श्री अमर सिंह, डी० एस० पी०, दिल्ली, श्री लालचन्द, इंस्पेक्टर पुलिस (स्थानापन्न), दिल्ली, श्री गोविन्द सिंह मेहता, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, सिरमूर जिला, हिमाचल प्रदेश, श्री विशेश्वर चटर्जी, आई० पी०, डिप्टी डाइरेक्टर, इन्टेलीजेंस ब्यूरो, स्वराष्ट्र मंत्रालय, भारत सरकार, श्री तारक दास बोस, असिस्टेंट डाइरेक्टर, सबसीडियरी इन्टेलीजेंस ब्यूरो, जमशेदपुर; श्री मदबुशी श्रीनिवास आचार्य, सेंट्रल इन्टेलीजेंस आफिसर, विजयवाड़ा, श्री पी० के० नारायण नायर, डिप्टी सेंट्रल इन्टेलीजेंस आफिसर, पूना, श्री शैलेन्द्र कुमार हलधर, भूतपूर्व डिप्टी सेंट्रल इन्टेलीजेंस आफिसर, सबसीडियरी इन्टेलीजेंस ब्यूरो, कलकत्ता, श्री लक्ष्मण स्वरूप दरबारी, सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस, एण्टी फ्राड्स्क्वाड, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, नयी दिल्ली, श्री रामचन्द्र बलवन्त पैमकर, इंस्पेक्टर आफ पुलिस, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, बम्बई और श्री जेठानन्द, इंस्पेक्टर पुलिस, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, नयी दिल्ली।

वायुसैनिक को अवैतनिक कमीशन

भूतपूर्व वारंट अफसर, बेअन्त सिंह को, जो वायुसेना से १५ मई, १९५८ को रिटायर हो गए थे, फ्लाइंग अफसर का अवैतनिक कमीशन दिया गया है। श्री बेअन्त सिंह वायुसेना में अवैतनिक कमीशन पाने वाले दूसरे रिटायर वायुसैनिक हैं।

५ गोरखा राइफल्स; जे सी-५१८७३ सूबे० सिंग बहादुर लिम्बू, ११ गोरखा राइफल्स; जे सी-२४७८४ सूबे० मे० जगदीश सिंह, आर्मी सर्विस कोर (सप); जे सी-२०९२५ सूबे० मे० आई० स्वामी, आर्मी सर्विस कोर (सप); जे सी-४२५२९ सूबे० मे० प्रेम स्वरूप वाल, आर्मी सर्विस कोर (सप); जे सी-१७३४२ सूबे० रामसरूप राम, आर्मी सर्विस कोर (एम टी), जे सी-२२७९ सूबे० एस एम एम शेरसिंह गिल, आर्मी मेडिकल कोर; जे सी-१३७३२ सूबे० मे० रिसाल सिंह, आर्मी आर्डिनेंस कोर, जे सी-१३७३३ सूबे० मे० अमर सिंह राम, कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मकेनिकल इंजीनियर्स, जे सी-२५१२८ सूबे० मे० ज्योती राम सिंह, कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मकेनिकल इंजीनियर्स, जे सी-२७९१७ सूबे० कृष्णलाल, कोर आफ इलेक्ट्रिकल एंड मकेनिकल इंजीनियर्स; जे सी-२८२६८ सूबे० मे० जोगिन्दर सिंह, आर्मी एजुकेशन कोर, जे सी-२१५३६ सूबे० मे० मुल्क राज, आर्मी एजुकेशन कोर, जे सी-१९०१९ सूबे० रामशरण दास, इंटेलिजेंस कोर, जे सी-३९०७६ सूबे० मे० नारायण सिंह, कोर आफ मिलिटरी पुलिस, जे सी-२१४७४ सूबे० मे० ओ० पी० बालकृष्णन, पायनियर कोर ।

अवकाश-प्राप्ति पर

अवैतनिक कप्तान

जे सी-१९४९१ सूबे० मे० और अवै० ले० इदरसिंह, आर्टिलरी, जे सी-२२०२७ सूबे० मे० और अवै० ले० मोनाराम सिंह, बंगाल इंजीनियर्स, जे सी-२२९०७ सूबे० मे० और अवै० ले० गंगा राम, कोर आफ सिगनल्स, जे सी-३६९०४ सूबे० मे० और अवै० ले० किशन चन्द, आर्मी सर्विस कोर (सप), जे सी-३६९४७ सूबे० मे० और अवै० ले० ए० एन० भानू पंत, आर्मी सर्विस कोर (सप); जे सी-१११३९ सूबे० मे० और अवै० ले० धरम सिंह, आर्मी आर्डिनेंस कोर; जे सी-५५०८४ सूबे० मे० और अवै० ले० अमर सिंह, आर्मी आर्डिनेंस कोर; जे सी-५२३२५ सूबे० मे० और अवै० ले० मोहन सिंह, कोर आफ इलेक्ट्रिकल और मकेनिकल इंजीनियर्स; जे सी-२०६०० सूबे० मे० और अवै० ले० प्यारा सिंह थापा, आर्मी एजुकेशन कोर ।

अवैतनिक लैफ्टिनेंट

जे सी-३१९८३ रि० उमराव सिंह, ७ केवेलरी; जे सी-५२६५९ सूबे० हरबन्स सिंह, ब्रिगेड आफ गार्ड्स; जे सी-४५३९६ सूबे० हरबन्स सिंह, पैराशूट रेजिमेंट; जे सी-१७२२६ सूबे० शुभ राम, ग्रिनेडियर्स, जे सी-४८४८२ सूब० शेर बहादुर थापा, एम० सी०, ३ गोरखा राइफल्स; जे सी-४६९८८ सूबे० बहादुर थापा, ३ गोरखा राइ०; जे सी-३६९४८ सूबे० मे० बिहारी लाल आहूजा, आर्मी सर्विस कोर; जे सी-५५५२२ सूबे० मे० मूल राज, आर्मी आर्डिनेंस कोर, जे सी-४८६६६ रिसा० मे० हर गोविन्द लाल, रिमाउण्ट्स, वेटरिनरी और फार्मस कोर; जे सी-२०६१७ सूबे० मे० राम चरन सिंह यादव, आर्मी एजुकेशन कोर ।

अवैतनिक रिसालदार सूबेदार मेजर

जे सी- ५६ सूबे० रतन सिंह, आर्टिलरी, जे सी-२७१०३ सूबे० हरि दत्त, बंगाल इंजीनियर्स, जे सी-५०३८१ सूबे० रण सिंह पंजाब रेजी०; जे सी-४६४५१ सूबे० मघर सिंह, सिख रेजी०, जे सी-३५१३१ सूबे० जोवन्द सिंह, सिख रेजीमेंट, जे सी-६१८५३ सूबे० झम्मन सिंह राणा, ३ गोरखा राइ० ।

अवैतनिक रिसालदार सूबेदार

जे सी-५७८१ जमा० अमरीक सिंह, १४ हॉर्स, जे सी-७०३१ जमा० मरवनसिंह, ६३ कैवलरी, जे सी-६५७ जमा० भागल सिंह, बंगाल इंजीनियर्स; जे सी-८०७ जमा० शकर सिंह, बम्बई इंजीनियर्स, जे सी-५८३८७ वामन वाग्मले, बम्बई इंजीनियर्स, जे सी-६५९३ जमा० करम सिंह, पैराशूट रेजीमेंट, जे सी-२६६८ जमा० दिगम बहादुर गरुग, ५ गोरखा राइ०, जे सी-५४३१ जमा० बलबीर राणा, ५ गोरखा राइ०, जे सी ३०१९ जमा० जय सिंह, आर्मी सर्विस कोर (एम टी); जे सी-३०३० जमा० नन्द लाल, आर्मी सर्विस कोर (एम टी); जे सी-३०२७ जमा० शिव चन्द, आर्मी सर्विस कोर (एम टी); जे सी-४४२८६ जमा० एस० के० शेरिफ, आर्मी मेडिकल कोर; जे सी-५२४१९ जमा० तरलोक सिंह, आर्मी मेडिकल कोर; जे सी-३४४१ जमा० शिव देव सिंह, कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स ।

अवैतनिक जमादार

१०१८४१८ दफेदार कृष्णजी सावंत, ६१ कैवलरी; ११५६१५५ हव० सीता राम आर्टिलरी; २९३२१८६ हव० जसवंत सिंह आर्टिलरी; ११०७०६५ हव० ईशर सिंह आर्टिलरी; २७४४८३२ हव० महादू सलुंक, आई डी एस एम, मद्रास इंजीनियर्स; १३१६२११ हव० वीररागावेलू, मद्रास इंजीनियर्स; १३१६२०९ हव० शेक बहादुर, मद्रास इंजीनियर्स; १५१२९७२ हव० येमाजी मणे, बम्बई इंजीनियर्स; १५१२९७३ हव० जेल सिंह, बम्बई इंजीनियर्स, ६२७४९७३ सी क्यू एम एच शिवराम नायर, कोर आफ सिग्नल्स, ६२७४८१० सी एच एम नरजन सिंह, कोर आफ सिग्नल्स; ६२७४९५२ सी एच एम प्रेम सिंह, कोर आफ सिग्नल्स; ६२७४९९७ आर क्यू एम एच सत राम, कोर आफ सिग्नल्स; १३६००१०७ बी ओ एम एच गोविन्द भोसले, पैराशूट रेजी०; २४३१४८२ हव० करोड़ी राम, पंजाब रेजी० ३३३१८९६ हव० सुजन सिंह, पंजाब रेजी०; २९१५४४७ हव० अनन्त सिंह, ग्रिने०; २९३१९०५ हव० छोटे, राजपूत रेजीमेंट; २९३१०७१ हव० राम सरूप राम, आई डी एस एम, राजपूत रेजी०; ३३४७०२७ हव० गुरमित सिंह, सिख रेजी०; ३३३४२५४ हव० भजन सिंह, सिख रेजी०; ४१४४८८९ हव० दान सिंह, कुमायू रेजी०; ५३१११९५ हव० दीवान सिंह, थापा, आई डी एस एम, आसाम रेजी०; ९०१५१२० हव० करनैल सिंह, माहर मशीनगन रेजी०, ९३०९२२२ हव० करतार सिंह, माहर मशीनगन रेजी०, ५२३४८१२ हव० हरका बहादुर गुरुंग, ३ गोरखा राइ०; ५३३०९५९ हव० रमन सिंह थापा, ४ गोरखा राइफल्स; १३७१११६० हव० मोजीराम, जम्मू-कश्मीर इन्फेंटरी, ६७९२२१३ हव० के० डी० अप्पन, आर्मी मेडिकल कोर; ६८४५९९३ हव० तारा सिंह, आर्मी आर्डिनेंस कोर; ६८४५२८० हव० महाबीर सिंह, आर्मी आर्डिनेंस कोर; ३३३१४७७ हव० मेहर सिंह, आर्मी एजुकेशनकोर; ९५५००४६ सी० एच० एम० जोगिन्दर सिंह, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर ।

कलकत्ता; श्री नारद वरन महन्ता, मुख्याध्यापक, पी० पी० इन्स्टिट्यूशन, गदाकारा; श्री गौरी प्रसन्न विश्वास, कृष्णनाथ कालेज स्कूल, बरहमपुर; श्री अजित चन्द्र बोस, दुर्गादेवी दीनबन्धु प्राइमरी स्कूल, मान्दा, श्री ज्योतिशचन्द्र विश्वास, प्राइमरी स्कूल, जीतपुर; और श्री रवि लोचन राउत, मुख्याध्यापक, प्राइमरी स्कूल, बडपुर ।

केन्द्रशासित क्षेत्र डा० कृष्णदत्त भारद्वाज, माडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल, नयी दिल्ली; और श्री केशम गुरमानी सिंह, मुख्याध्यापक, वाबागयी वायज एल० पी० स्कूल, वाबागयी, मणिपुर ।

अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सभा

गणराज्य दिवस समारोह के उपलक्ष में नयी दिल्ली के *इाउकार्निटग हाउस* में २५ जनवरी, १९६० को अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सभा हुई । इस कवि सभा में भाग लेने वाले विभिन्न कवियों के नाम इस प्रकार हैं :—

संस्कृत : श्री महालिंग शास्त्री,
असमिया : श्री आनन्द चन्द्र बरुआ;
उड़िया : श्री वैकुण्ठनाथ पट्टनायक;
उर्दू : डा० मोईन अहसन जजबी;
कन्नड : श्री वी० सीतारमैया,
कश्मीरी : श्री गुलाम नबी 'फिराक',
गुजराती : डा० कृष्ण लाल श्रीधराणी,
तामिल : श्रीमती सरस्वती भारती,
तेलगू : श्री अनुमत शास्त्री;
पंजाबी : श्री एन० एस० ढंढल,
बंगला : श्री अजित दत्त;
मराठी : श्री ना० घ० देशपांडे,
मलयालम : श्री विलोप्पिल्लि श्रीधर मेनन,
हिन्दी : श्री सुमित्रा नंदन पंत, और श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'

पिछले चार वर्षो से आकाशवाणी इस कवि सभा का आयोजन कर रही है । इस अवसर पर भारत के संविधान में गिनाई गई सभी भारतीय भाषाओं के प्रमुख कवि एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी-अपनी कविताओं का पाठ करते हैं । यह कवि सभा भारत की विशालता, भिन्नता, एकता और नई उमंगों की प्रतीक है ।

गणतन्त्र दिवस की सांस्कृतिक झांकियों पर पुरस्कार

गणराज्य दिवस की परेड में मध्य प्रदेश की झांकी सर्वोत्तम ठहराई गयी है । यह चुनाव उस निर्णायक मण्डल ने किया है, जो इस आशय के लिए खास तौर पर नियुक्त किया गया था । इस झांकी में ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया गया था, जिस में चावल की फसल की कटाई दिखायी गयी थी । एक ओर तो एक किसान धान की पूलियां बना-बना कर बैलगाड़ी में लाद रहा था और दूसरी ओर ऊंचे मचान पर कुछ औरतें बैठी खेत की रखवाली कर रही थीं ।

आवास, निर्माण और पूर्ति मंत्रालय के उद्यान विभाग की झांकी दूसरे नम्बर पर रखी गयी है । इसमें रंग-बिरंगे फूलों का बना एक रथ दिखाया गया था । इसमें प्राचीन परम्परानुसार रथ के ध्वज और बुर्जी बड़े आकर्षक थे, जिन पर बड़े कलात्मक ढंग से बनाए गए फूलों के इन्द्र-धनुष की छटा दिखायी गयी थी ।

मन्दिरों, मस्जिदों और गिर्जाघरों के प्रदेश केरल के सामाजिक और धार्मिक मेले तयट्टम का सांस्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत करने वाली केरल की झांकी को तीसरा स्थान दिया गया है ।

इस निर्णायक मण्डल में ये व्यक्ति शामिल थे —*शर्म्स वीकली के श्री के शंकर पिल्ले*, दिल्ली पालीटेक्नीक के कला विभाग के अध्यक्ष, श्री वी० सान्याल और स्टेट्समैन के डा० चार्ल्स फाबरी ।

२६ जनवरी को समापन-समारोह

शुक्रवार, २९ जनवरी को सूर्यास्त के समय नयी दिल्ली के विजय चौक में गणराज्य दिवस समारोह का अन्तिम समारोह—'बीटिंग रिट्रीट' हुआ । इसमें स्थल, नौ और वायुसेना के १२ बैंडों और बिगुल बजाने वालों ने भाग लिया । इस अवसर पर रंग-बिरंगी पोशाकों में ड्रम और तुरही बजाते हुए और संगीत की मधुर ध्वनि पर परेड करते हुए बैंड वालों ने बड़ा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया ।

जिस जमाने में सूर्यास्त या उसके फौरन बाद युद्ध बन्द कर दिया जाता था, उसी जमाने में बिगुल बजाकर सैनिकों को लड़ाई बन्द करने और हथियारों को म्यान में रखने का संकेत दिया जाता था । 'बीटिंग रिट्रीट' की यह सैनिक प्रथा उसी जमाने की है । आजकल इस समारोह का यही उद्देश्य है कि इससे यह घोषणा की जाती है कि गणराज्य दिवस समारोह समाप्त हो गया है और इस अवसर पर झंडे नीचे कर लिये जाते हैं ।

इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री भी उपस्थित थे ।

सैनिकों के लिए छः नये पदक

२६ जनवरी के भारत सरकार के सूचना-पत्र में सेनाओं के लिए छः नए पदक और वर्तमान जनरल सर्विस मेडल (पदक) के साथ पहनने के लिए एक नये फीते की शुरुआत की घोषणा की गयी है ।

ये पदक (१) सैन्य सेवा, (२) विदेश सेवा, (३) सेना, (४) नौसेना, (५) वायुसेना और (६) विशिष्ट सेवा के लिए *दिये जाएंगे । 'नागा हिल्स' से अंकित फीता* १९४७ के जनरल सर्विस मेडल के साथ पहना जाएगा ।

भारत की सेनाओं ने जम्मू-कश्मीर, नागा पहाड़ियों और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के दुर्गम स्थानों और असह्य जलवायु में बड़ा पराक्रम दिखाया है । इसी प्रकार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरोध पर विदेशों में जाकर भी बहुत से काम किये हैं । जिम्मेदारी और वीरता के इस तरह के असाधारण कार्यों के लिए सैनिकों को पुरस्कृत करना अभीष्ट था और ये पदक और फीते १५ अगस्त, १९४७ से अब तक और आगे की सेवाओं के लिए दिए जाएंगे ।

विदेश सेवा पदक भारत से बाहर की सेवाओं के लिए दिया जाएगा । इसके नीचे एक फीते पर उस स्थान का नाम होगा, जहां सैनिक ने सेवा की । यदि दूसरे स्थान पर उसी सैनिक ने फिर इसी पदक के योग्य सेवा की होगी, तो दूसरी बार या अगली बार उसे फीते ही मिलेंगे पदक नहीं ।

सेना, नौसेना और वायुसेना पदक इन सेनाओं के हर स्तरों के सिपाही या अफसर को

शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

२५ जनवरी, १९६० को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने देश के राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के माध्यमिक तथा आरम्भिक स्कूलों के ७१ शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिये।

केन्द्रीय सरकार ने शिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं की कदर करने और समाज में उनका सम्मान बढ़ाने के लिए पिछले साल से राष्ट्रीय पुरस्कार देना शुरू किया है। प्रत्येक पुरस्कृत शिक्षक को ५०० रु० नकद और योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

पुरस्कृत शिक्षकों के नाम इस प्रकार हैं

आंध्र प्रदेश श्री सी० ए० चारी, विवेकवर्धिनी हाई स्कूल, हैदराबाद, श्री ए० मल्लीकार्जुनिया, मुख्याध्यापक, बोर्ड आफ सीनियर बेसिक स्कूल, चिन्नावेंकुकर, श्री के० वाई० सुब्रह्मण्यम, मुख्याध्यापक, म्यूनिसिपल हायर एलिमेंटरी स्कूल, तिरुपति, श्री दाविद अनन्त जगन्नाथराय, मुख्याध्यापक, बोर्ड एलिमेंटरी स्कूल, जालमुरु, और श्री एम० रुद्रैया, बोर्ड एलिमेंटरी स्कूल, नदीकोटकुर।

आसाम श्री हरेन्द्र नाथ शर्मा, मुख्याध्यापक, पनचारकुची विद्यापीठ, पतचारकुची, श्री प्राणेश्वर शर्मा, मुख्याध्यापक, रंगिया हाई स्कूल, रंगिया, श्री प्रभात चन्द्र चौधरी, लेटाशील एल० पी० स्कूल, गुवाहाटी, और श्री शिवनाथ मेकिया, मुख्य पंडित, टाउन माडल जूनियर बेसिक स्कूल, गोलाघाट।

बिहार श्री रामानुग्रह नारायण शर्मा, मुख्याध्यापक, एम० एम० हाई स्कूल, सिमडेगा, श्री शिगुर कुमार, मुख्याध्यापक, एम० एल० अकादमी, लेहरिया सराय; श्री नवल किशोर झा, मुख्याध्यापक, टी० एन० बी० कालिजियेट स्कूल, भागलपुर; श्री बाबू राम पाठक, मुख्याध्यापक, टी० ए० वी० हाई स्कूल, सिवान; श्री ईश्वर दयाल पाठक, मुख्याध्यापक, प्रैक्टिसिंग अपर प्राइमरी स्कूल, डुमराव; श्री राम चन्द्र सिन्हा, बोर्ड मिडल स्कूल, भगवानपुर; श्री लोकनाथ मिश्र, मुख्याध्यापक, म्यूनिसिपल मिडल स्कूल, वैकापुर; और श्री जगन्नाथ प्रसाद, हिन्दी मिडल स्कूल, लोहारडगा।

बम्बई श्री ईश्वरभाई जेठाभाई पटेल, मुख्याध्यापक, डी० एन० हाई स्कूल, आनन्द; श्री सदाशिव चिन्तामण वालिंबे, मुख्याध्यापक, अमेरिकन मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, अहमदनगर, डा० जी० एम० खेर, मुख्याध्यापक, महाराष्ट्र विद्यालय, पूना; श्री चन्द्रवदन चुनीलाल शाह, प्रिंसिपल, जीवन भारती, सूरत; श्री सी० के० शंखोलकर, विलसन हाई स्कूल, गिरगाव, बम्बई, श्री महादेव कोंडिबा घालमे, कोरेगाव प्राइमरी स्कूल, थठार, श्रीमती अमृतबेन कल्याणजी पाड्या, मुख्याध्यापिका, तालुका गर्ल्स स्कूल, जामनगर; श्री सदाशिव सीताराम भूटे, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर बेसिक स्कूल, पौनार, श्री बी० एम० नायक, मुख्याध्यापक, डी० एस० बी० स्कूल, बजीपुरा, और श्री जी० के० रावत, डी० एस० बी० स्कूल, वाल्की (बम्बई)।

जम्मू-कश्मीर: श्री हुसैन अली अन्सारी, मुख्याध्यापक, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, सोपुर, और श्री गौरीशंकर, बेसिक स्कूल, जम्मू तवी।

केरल: डा० सी० टी० कोट्टाराम, मुख्याध्यापक, सेंट थामस हायर सेकेंडरी स्कूल, पलाई; श्री सी० जे० चेरिया, एम० टी० एम० हाई स्कूल, कोट्टायम; और श्री कृष्णन नायर, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट बेसिक एण्ड अपर प्राइमरी स्कूल, कोनगाड।

मध्य प्रदेश श्री वासुदेव शर्मा, मुख्याध्यापक, हाई स्कूल, बदनावर; श्री श्याम बिहारी वर्मा, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, डिंडोरी; श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव, हाई स्कूल, लश्कर; श्री शिव प्रसाद स्वर्णकार, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, डामडा; श्री नीलकंठ नायक, मुख्याध्यापक, मराठी प्राइमरी स्कूल, इन्दौर; और श्रीमती ठाकुर बेटी बाई श्रीवास्तव, मुख्याध्यापिका, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, दतिया।

मद्रास: श्री एन० चिन्नास्वामी नायडू, मुख्याध्यापक, मणि हाई स्कूल, कोयमुत्तूर; श्री एन० वेंकटाचलम, मुख्याध्यापक, पी० एम० एम० सीनियर बेसिक स्कूल, कुलसेकारापतनम; श्री वी० मणिकावसगम, कारपोरेशन हायर एलिमेंटरी स्कूल, गंगाधेश्वरम्, मद्रास; और श्री ए० अम्बालवानन, मुख्याध्यापक, बोर्ड बेसिक स्कूल, वरकलपट्टू।

मैसूर: श्री वी० टी० शेट्टार, मुख्याध्यापक, दूरगड हाई स्कूल, होनशावी; श्री एन० एस० सिम्पी, मुख्याध्यापक, कन्नडब्वायज स्कूल, चडावन; और श्री पुट्टशर्मया, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, मिलनाहल्ली।

उड़ीसा श्री दिव्य सिन्हा पट्टानायक, बख्शी जगबंधु विद्याधर हाई स्कूल, खुर्दा; श्री लिंगराज पंडा, मुख्याध्यापक, कारावालना अपर प्राइमरी स्कूल, गंजाम; और श्री अर्जुन बिसवाल, मुख्याध्यापक, हेमामुरपाडा अपर प्राइमरी स्कूल, ढेंकानल।

पंजाब कुमारी कामिनी बी० घोष, मुख्याध्यापिका, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फार गर्ल्स, जालंधर शहर; श्री ईशरदास सैनी, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, पठानकोट; श्री शानू राम, एम० बी० टीचर, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, तरौरी, और श्री मुरजन सिंह, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, घोरेवाह।

राजस्थान श्री डी० एम० जैन, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट एम० पी० हायर सेकेंडरी स्कूल, अजमेर; और श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, आदर्श प्राइमरी स्कूल, श्री माधोपुर।

उत्तरप्रदेश: श्री पी० सी० जोशी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, नैनीताल; श्री प्रेम सिंह, प्रिंसिपल, गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल, कानपुर; श्री हरिहर पांडे, जे० पी० मेहता म्यूनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, वाराणसी, श्री बी० एस० भटनागर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इलाहाबाद; श्रीमती शाह लता सिंह, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फार गर्ल्स, फतेहगढ़; श्री विशन गोपाल माथुर, स्काउट मास्टर और फिजिकल इंस्ट्रक्टर, अन्तरिम जिला परिषद, अलीगढ़; श्री शिशुपाल सिंह 'शिशु', प्राइमरी स्कूल, ऊंदी, श्री मथुरा सिंह, जूनियर बेसिक स्कूल, रौनगर कोठी; और श्री अत्तार सिंह, सीनियर बेसिक स्कूल, देहरादून।

प० बंगाल : श्री ज्योतिर्विकाश मित्र, मुख्याध्यापक, शैलेन्द्र सरकार विद्यालय,

कलकत्ता; श्री नीरद वरन महता, मुख्याध्यापक, पी० पी० इन्स्टिट्यूशन, गमकारा; श्री गौरी प्रसन्न विश्वास, कृष्णाथ कालेज स्कूल, बरहमपुर, श्री अजित चन्द्र बोस, दुर्गादेवी दीनबन्धु प्राइमरी स्कूल, मालदा; श्री ज्योतिशचन्द्र विश्वास, प्राइमरी स्कूल, जोलपुर; और श्री रवि लोचन राउत, मुख्याध्यापक, प्राइमरी स्कूल, बडपुर।

केन्द्रशासित क्षेत्र: डा० कृष्णदत्त भारद्वाज, माडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल, नयी दिल्ली; और श्री वैसम गुरमानी सिंह, मुख्याध्यापक, वाबागयी बायज एल० पी० स्कूल, वाबागयी, मणिपुर।

अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सभा

गणराज्य दिवस समारोह के उपलक्ष में नयी दिल्ली के ब्राडकास्टिंग हाउस में २५ जनवरी, १९६० को अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सभा हुई। इस कवि सभा में भाग लेने वाले विभिन्न कवियों के नाम इस प्रकार हैं :—

संस्कृत: श्री महालिंग शास्त्री,
असमिया: श्री आनन्द चन्द्र बरुआ;
उड़िया: श्री बैकुण्ठनाथ पट्टनायक;
उर्दू: डा० मोईन अहसन जज़्बी;
कन्नड़: श्री वी० सीतारमैया,
कश्मीरी: श्री गुलाम नबी 'फिराक',
गुजराती: डा० कृष्ण लाल श्रीधराणी,
तामिल: श्रीमती तन्नम्मल शास्त्री,
तेलगू: श्री अनुमत शास्त्री,
पंजाबी: श्री एन० एस० देवल,
बंगला: श्री अजित दत्त,
मराठी: श्री ना० घ० देशपांडे,
मलयालम: श्री विलोप्पिल्लि श्रीधर मेनन;
हिन्दी: श्री सुमित्रा नंदन पंत, और श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'

पिछले चार वर्षों से आकाशवाणी इस कवि सभा का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर भारत के संविधान में गिनाई गई सभी भारतीय भाषाओं के प्रमुख कवि एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी-अपनी कविताओं का पाठ करते हैं। यह कवि सभा भारत की विशालता, भिन्नता, एकता और नई उमंगों की प्रतीक है।

गणतन्त्र दिवस की सांस्कृतिक झांकियों पर पुरस्कार

गणराज्य दिवस की परेड में मध्य प्रदेश की झांकी सर्वोत्तम ठहराई गयी है। यह चुनाव उस निर्णायक मण्डल ने किया है, जो इस आशय के लिए खास तौर पर नियुक्त किया गया था। इस झांकी में ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया गया था, जिस में चावल की फसल की कटाई दिखायी गयी थी। एक ओर तो एक किसान धान की पूलियां बना-बना कर बैलगाड़ी में लाद रहा था और दूसरी ओर ऊंचे मचान पर कुछ औरतें बैठी खेत की रखवाली कर रही थीं।

आवास, निर्माण और पूर्ति मंत्रालय के उद्यान विभाग की झांकी दूसरे नम्बर पर रखी गयी है। इसमें रंग-बिरंगे फूलों का बना एक रथ दिखाया गया था। इसमें प्राचीन परम्परानुसार रथ के ध्वज और बुर्जी बड़े आकर्षक थे, जिन पर बड़े कलात्मक ढंग से बनाए गए फूलों के इन्द्र-धनुष की छटा दिखायी गयी थी।

मन्दिरों, मस्जिदों और गिर्जाघरों के प्रदेश केरल के सामाजिक और धार्मिक मेले तयट्टम का सांस्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत करने वाली केरल की झांकी को तीसरा स्थान दिया गया है।

इस निर्णायक मण्डल में ये व्यक्ति शामिल थे —मर्म वीकली के श्री के शंकर पिल्ले, दिल्ली पालीटेक्नीक के कला विभाग के अध्यक्ष, श्री बी० सान्याल और स्टेट्समैन के डा० चार्ल्स फाबरी।

२९ जनवरी को समापन-समारोह

शुक्रवार, २९ जनवरी को सूर्यास्त के समय नयी दिल्ली के विजय चौक में गणराज्य दिवस समारोह का अन्तिम समारोह—'बीटिंग रिट्रीट' हुआ। इसमें स्थल, नौ और वायुसेना के १२ बैंडों और बिगुल बजाने वालों ने भाग लिया। इस अवसर पर रंग-बिरंगी पोशाकों में ड्रम और तुरही बजाते हुए और संगीत की मधुर ध्वनि पर परेड करते हुए बैंड वालों ने बड़ा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया।

जिस जमाने में सूर्यास्त या उसके फौरन बाद युद्ध बन्द कर दिया जाता था, उसी जमाने में बिगुल बजाकर सैनिकों को लड़ाई बन्द करने और हथियारों को म्यान में रखने का संकेत दिया जाता था। 'बीटिंग रिट्रीट' की यह सैनिक प्रथा उसी जमाने की है। आजकल इस समारोह का यही उद्देश्य है कि इससे यह घोषणा की जाती है कि गणराज्य दिवस समारोह समाप्त हो गया है और इस अवसर पर झंडे नीचे कर लिये जाते हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री भी उपस्थित थे।

सैनिकों के लिए छः नये पदक

२६ जनवरी के भारत सरकार के सूचना-पत्र में सेनाओं के लिए छः नए पदक और वर्तमान जनरल सर्विस मेडल (पदक) के साथ पहनने के लिए एक नये फीते की शुरूआत की घोषणा की गयी है।

ये पदक (१) सैन्य सेवा, (२) विदेश सेवा, (३) सेना, (४) नौसेना, (५) वायुसेना और (६) विशिष्ट सेवा के लिए दिये जाएंगे। 'नागा हिल्स' से अंकित फीता १९४७ के जनरल सर्विस मेडल के साथ पहना जाएगा।

भारत की सेनाओं ने जम्मू-कश्मीर, नागा पहाड़ियों और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के दुर्गम स्थानों और असह्य जलवायु में बड़ा पराक्रम दिखाया है। इसी प्रकार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरोध पर विदेशों में जाकर भी बहुत से काम किये हैं। जिम्मेदारी और वीरता के इस तरह के असाधारण कार्यों के लिए सैनिकों को पुरस्कृत करना अभीष्ट था और ये पदक और फीते १५ अगस्त, १९४७ से अब तक और आगे की सेवाओं के लिए दिए जाएंगे।

विदेश सेवा पदक भारत से बाहर की सेवाओं के लिए दिया जाएगा। इसके नीचे एक फीते पर उस स्थान का नाम होगा, जहां सैनिक ने सेवा की। यदि दूसरे स्थान पर उसी सैनिक ने फिर इसी पदक के योग्य सेवा की होगी, तो दूसरी बार या अगली बार उसे फीते ही मिलेंगे पदक नहीं।

सेना, नौसेना और वायुसेना पदक, इन सेनाओं के हर श्रेणी के सिपाहियों [illegible] को

शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

२५ जनवरी, १९६० को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने देश के राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के माध्यमिक तथा आरम्भिक स्कूलों के ७१ शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिये।

केन्द्रीय सरकार ने शिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं की कदर करने और समाज में उनका सम्मान बढ़ाने के लिए पिछले साल से राष्ट्रीय पुरस्कार देना शुरू किया है। प्रत्येक पुरस्कृत शिक्षक को ५०० रु० नकद और योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

पुरस्कृत शिक्षकों के नाम इस प्रकार हैं:

आंध्र प्रदेश: श्री सी० ए० चारी, विवेकवर्धिनी हाई स्कूल, हैदराबाद; श्री ए० मल्लीकार्जुनिया, मुख्याध्यापक, बोर्ड आफ सीनियर बेसिक स्कूल, चिन्नावेरुकुर; श्री के० वाई० सुब्रह्मण्यम, मुख्याध्यापक, म्यूनिसिपल हायर एलिमेंटरी स्कूल, तिरुपति; श्री दाविड अनन्त जगन्नाथराव, मुख्याध्यापक, बोर्ड एलिमेंटरी स्कूल, जालुमुरु, और श्री एम० रुद्रैया, बोर्ड एलिमेंटरी स्कूल, नडीकोटकुर।

आसाम: श्री हरेन्द्र नाथ शर्मा, मुख्याध्यापक, पलचारकुची विद्यापीठ, पलचारकुची; श्री प्राणेश्वर शर्मा, मुख्याध्यापक, रांगिया हाई स्कूल, रांगिया, श्री प्रभात चन्द्र चौधरी, लोटासिल एल० पी० स्कूल, गुवाहाटी; और श्री शिवनाथ सैकिया, मुख्य पंडित, टाउन माडल जूनियर बेसिक स्कूल, गोलाघाट।

बिहार: श्री रामानुग्रह नारायण वर्मा, मुख्याध्यापक, एस० एम० हाई स्कूल, सिमडेगा, श्री शिशुर कुमार, मुख्याध्यापक, एस० एल० अवादर्शा, लेहरिया सराय, श्री नवल किशोर झा, मुख्याध्यापक, टी० एन० बी० कालिजियेट स्कूल, भागलपुर; श्री बाबू राम पाठक, मुख्याध्यापक, डी० ए० वी० हाई स्कूल, सिवान; श्री ईश्वर दयाल पाठेय, मुख्याध्यापक, प्रैक्टिसिंग अपर प्राइमरी स्कूल, डुमराव; श्री राम चन्द्र सिन्हा, बोर्ड मिडल स्कूल, भगवानपुर, श्री लोरनाथ मिश्र, मुख्याध्यापक, म्यूनिसिपल मिडल स्कूल, बंकापुर; और श्री जगन्नाथ प्रसाद, हिन्दी मिडल स्कूल, लोहारडगा।

बम्बई: श्री ईश्वरभाई जेठाभाई पटेल, मुख्याध्यापक, डी० एन० हाई स्कूल, आनन्द; श्री सदाशिव चिन्तामण वालिंबे, मुख्याध्यापक, अमेरिकन मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, अहमदनगर; डा० जी० एस० खैर, मुख्याध्यापक, महाराष्ट्र विद्यालय, पूना, श्री चन्द्रवदन चुनीलाल शाह, प्रिंसिपल, जीवन भारती, सूरत; श्री सी० के० शखोलकर, विलसन हाई स्कूल, गिरगाव, बम्बई; श्री महादेव कोदिबा घालगे, कारेगाव प्राइमरी स्कूल, वठार, श्रीमती अमृतबेन कल्याणजी पाड्या, मुख्याध्यापिका, तालुका गर्ल्स स्कूल, जामनगर; श्री सदाशिव सीताराम भूटे, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर बेसिक स्कूल, पौनार, श्री बी० एम० नायक, मुख्याध्यापक, डी० एम० बी० स्कूल, बजीपुरा, और श्री जी० के० रावत, टी० एस० बी० स्कूल, वाल्की (बम्बई)।

जम्मू-काश्मीर: श्री हुसैन अली अन्सारी, मुख्याध्यापक, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, सोपुर, और श्री गौरीशंकर, बेसिक स्कूल, जम्मू तवी।

केरल: डा० सी० टी० कोट्टाराम, मुख्याध्यापक, सेंट थामस हायर सेकेंडरी स्कूल, पलाई; श्री सी० जे० चैरिया, एम० टी० एम० हाई स्कूल, कोट्टायम; और श्री कृष्णन नायर, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट बेसिक एण्ड अपर प्राइमरी स्कूल, कोनगाड।

मध्य प्रदेश: श्री वासुदेव शर्मा, मुख्याध्यापक, हाई स्कूल, बदनावर; श्री श्याम बिहारी वर्मा, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, डिंडोरी; श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव, हाई स्कूल, लश्कर; श्री शिव प्रसाद स्वर्णकार, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, डामडा; श्री नीलकंठ नायक, मुख्याध्यापक, मराठी प्राइमरी स्कूल, इन्दौर; और श्रीमती ठाकुर बेटी बाई श्रीवास्तव, मुख्याध्यापिका, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, दतिया।

मद्रास: श्री एन० विश्वास्वामी नायडू, मुख्याध्यापक, मणि हाई स्कूल, कोयमुत्तूर, श्री एन० वेंकटाचलम, मुख्याध्यापक, पी० एम० एम० सीनियर बेसिक स्कूल, कुलसेकरापतनम; श्री वी० मणिकावसगम्, कारपोरेशन हायर एलिमेंटरी स्कूल, गंगाधेश्वरर, मद्रास; और श्री ए० अम्बालवानन, मुख्याध्यापक, बोर्ड बेसिक स्कूल, वरकलपट्टू।

मैसूर: श्री बी० टी० शेट्टार, मुख्याध्यापक, दुरगड हाई स्कूल, होनशावी; श्री एन० एस० सिम्पी, मुख्याध्यापक, कन्नडब्बायज स्कूल, बडाचन; और श्री पुट्टशर्मया, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, मिलनाहल्ली।

उड़ीसा: श्री दिव्य सिन्हा पट्टनायक बख्शी जगबंधु विद्याधर हाई स्कूल, खुर्द, श्री लिंगराज पंडा, मुख्याध्यापक, कारावालना अपर प्राइमरी स्कूल, गंजाम; और श्री अर्जुन बिसवाल, मुख्याध्यापक, हेमासुरपाडा अपर प्राइमरी स्कूल, ढेंकानल।

पंजाब: कुमारी कामिनी बी० घोष, मुख्याध्यापिका, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फार गर्ल्स, जालधर शहर; श्री ईशरदास सैनी, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट हायर सेकिंडरी स्कूल, पठानकोट; श्री शानू राम, एस० बी० टीचर, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, तरौरी; और श्री सुरजन सिंह, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, घोरेवाह।

राजस्थान: श्री डी० एम० जैन, मुख्याध्यापक, गवर्नमेंट एम० पी० हायर सेकेंडरी स्कूल, अजमेर; और श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, आदर्श प्राइमरी स्कूल, श्री माधोपुर।

उत्तरप्रदेश: श्री पी० सी० जोशी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, नैनीताल; श्री प्रेम सिंह, प्रिंसिपल, गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल, कानपुर; श्री हरिहर पाडे, जे० पी० मेहता म्यूनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, वाराणसी; श्री बी० एस० भटनागर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इलाहाबाद; श्रीमती तारु लता सिंह, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फार गर्ल्स, फतेहगढ़; श्री विशन गोपाल माथुर, स्काउट मास्टर और फिजिकल इंस्ट्रक्टर, अन्तरिम जिला परिषद, अलीगढ़; श्री शिशुपाल सिंह 'शिशु', प्राइमरी स्कूल, ऊदी; श्री मथुरा सिंह, जूनियर बेसिक स्कूल, रौनसर कोठी; और श्री अत्तार सिंह, सीनियर बेसिक स्कूल, देहरादून।

प० बंगाल: श्री ज्योतिर्विकाश मित्र, मुख्याध्यापक, शैलेन्द्र सरकार विद्यालय,

नयी ग्राम सहकारिताएं खोली जानी हैं ।

परिवहन के विकास के लिए ३ करोड़ रु० और उद्योगों के लिए २ करोड़ रु० रखा गया है। इस साल पटना, रांची और आदित्यपुर में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा ।

राजस्थान

राजस्थान सरकार और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया गया कि राजस्थान की दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, १९६०-६१ में वहां के विकास-कार्यों पर २८ करोड़ १० लाख रु० खर्च किया जाएगा ।

इसमें से ९ करोड ९० लाख रु० सिंचाई और बिजली योजनाओं पर खर्च होगा । इसमें चम्बल योजना का ३ करोड ९० लाख रु० का खर्च भी शामिल है। कृषि और सहकारिता आदि पर ४ करोड १८ लाख रु० खर्च होगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में ६ लाख ७० हजार टन अधिक पदावार बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जमीन सुधार कर और अधिक फसलें बो कर यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा। सरकार इस साल १००-१०० एकड के ४१ बीज फार्म खोलने का लक्ष्य भी पूरा करेगी । अब तक ३७ फार्म खोले जा चुके हैं ।

१९६०-६१ में गावों में १,७८५ सहकारी समितियां खोलने और १,५०० समितियों को पुनर्गठित करने का विचार है। इसके अलावा अधिक बडी सहकारी समितियां, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जमीन बंधक रखकर ऋण देने वाले बैंक, खत्तियां, ऋण देने की संस्थाएं, अनाज की खरीद-बिक्री की समितियां आदि भी खोली जाएंगी ।

१९६०-६१ में सामुदायिक विकास पर २ करोड रु० और परिवहन पर २ करोड २९ लाख रु० खर्च किया जाएगा । अजमेर क्षेत्र में और अधिक सड़कें बनाई जाएंगी । शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, पिछडी जातियों के हित, समाज कल्याण और मजदूरों के हित आदि समाज सेवाओं पर ▪ करोड ३० लाख रु० खर्च किया जाएगा । राज्य सरकार ने हायर सेकेण्डरी स्कूलों की समीक्षा करने और उनका स्तर उठाने के लिए सुझाव देने के हेतु एक समिति नियुक्त की है। बीकानेर में इस साल एक पॉलिटेक्निक संस्था खोलने का विचार है।

गांवों में पानी पहुंचाने की योजना के अंतर्गत, हरेक गांव में कुएं खोदे जाएंगे। स्वास्थ्य योजनाओं पर २ करोड़ ४० लाख रु० खर्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत २६ आरम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और ४ तपेदिक के अस्पताल खोले जाएंगे ।

छोटे तथा ग्राम उद्योग और खानों के विकास पर १ करोड़ ५ लाख रु० खर्च किया जाएगा। इसमें से ८८ लाख ५८ हजार रु० छोटे और ग्राम उद्योगों पर खर्च होगा। इसके अंतर्गत सोडियम सल्फेट निकालने के लिए डिडवाना में आजमाइशी कारखाना खोला जाएगा। राजस्थान में अभ्रक पीसने का एक कारखाना भी खोला जाएगा ।

दूसरी योजना में राजस्थान के लिए १ अरब ५ करोड २७ लाख रु० रखे गए हैं। इसमें से १९५६-५७ में १३ करोड ३० लाख रु० और १९५७-५८ में १५ करोड ३० लाख रु० खर्च किया गया । १९५८-५९ में २० करोड रु० (अनुमानित) खर्च हुआ और १९५९-६० में २४ करोड १० लाख रु० खर्च होने का अनुमान है ।

केरल

केरल राज्य और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया गया कि केरल की दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, १९६०-६१ में वहां के विकास-कार्यों पर २१ करोड रु० खर्च किया जाए ।

इसमें से ८ करोड़ रु० सिंचाई और बिजली योजनाओं पर खर्च होगा। इसमें काफी रकम पम्बा बिजली योजना के पहले दौर पर और पनियार बिजली योजना पर खर्च की जाएगी।

१९६०-६१ में समाज सेवाओं पर ५ करोड ७० लाख रु० खर्च होगा । पालघाट में सरकारी इंजीनियरी कालेज खोला जाएगा । केन्द्रीय सरकार फीलरोग की रोकथाम के लिए १६ लाख रु० और परिवार आयोजन कार्यक्रम के लिए ५ लाख रु० की सहायता देगी । गांवों में पानी देने और सफाई की ११ योजनाओं पर २५ लाख रु० खर्च किया जाएगा और शहरों में पानी तथा सफाई की भी ६ योजनाएं चलाई जाएंगी । कम आय वालों के लिए मकान बनाने की योजना पर ४५ लाख रु० और गंदी बस्तियों की सफाई योजना पर १० लाख रु० खर्च किया जाएगा।

१९६०-६१ में कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर २ करोड़ ६० लाख रु० खर्च किया जाएगा। दूसरी योजना में २४ बीज फार्म बनाने का लक्ष्य है । इनमें से १० बीज फार्म बन चुके हैं और ६ चालू वित्तीय वर्ष में बनाए जाएंगे । बाकी ८ फार्म अगले साल बनाए जाएंगे। १९६०-६१ में कृषि कालेज के लिए ६६ एकड़ अतिरिक्त जमीन लेने का भी विचार है । सिंचाई की छोटी योजनाओं की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए उन्हें चलाने के लिए ७० लाख रु० रखे गए हैं। मछली-पालन पर भी २३ लाख रु० खर्च किया जाएगा । भू-संरक्षण पर ६ लाख ८० हजार रु० खर्च किया जाएगा। उद्योगों के अंतर्गत टायर और ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे तथा साबुन और प्लाईवुड के कारखानों में नये यंत्र लगाए जाएंगे। इस पर १ करोड ७० लाख रु० खर्च होगा ।

सामुदायिक विकास पर १ करोड २० लाख रु० खर्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत १९६०-६१ में १०० नयी ग्राम सहकारी समितियां बनाई जाएंगी और खरीद-बिक्री की समितियों तथा बडी सहकारी समितियों के लिए गोदाम बनाने के हेतु सहायता दी जाएगी । सड़क परिवहन और पर्यटन पर १ करोड रु० खर्च किया जाएगा । इसके अंतर्गत कोवालम में पर्यटक होटल बनाने को ऊंची प्राथमिकता दी जाएगी । यह स्थान केरल की राजधानी, त्रिवेन्द्रम् के निकट समुद्र के तट पर है।

उड़ीसा

उड़ीसा राज्य और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया गया कि उड़ीसा की दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६०-६१ में वहां के विकास कार्यों पर २१ करोड ६० लाख रु० खर्च किया जाए ।

इसमें से ८ करोड ८३ लाख रु० सिंचाई और बिजली योजनाओं पर खर्च होगा । इसके अन्तर्गत हीराकुड के दूसरे खण्ड और मुहाने पर सिंचाई की योजनाएं चलायी जाएंगी । इसी साल हीराकुड की बिजली की सप्लाई का भी पूरा प्रबन्ध कर दिया जाएगा ।

१९६०-६१ में सामुदायिक विकास पर ३ करोड रु० और कृषि सम्बन्धी कामों पर १

सहकार विकास योजना के अधीन ५०० नई ग्राम सहकार समितियां सगठित करने का और ५०० मौजूदा समितियों को शक्तिशाली बनाने का कार्यक्रम है। १०० अतिरिक्त ऋण-यूनियने और उनसे सम्बद्ध ५०० ग्राम सहकार समितियां तथा ५ भूमि बन्धक रखने वाले बैंक १९६०-६१ में सगठित किए जाएगे।

वार्षिक योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए ३ २० करोड़ रुपया निश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत २० खण्डों का पहले चरण के खण्डो में परिवर्तन किया जाएगा और २६ पूर्व विस्तार खण्ड खोलने का फैसला किया गया है।

१० करोड रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, समाज कल्याण, पिछले वर्गों के कल्याण, श्रम और श्रम कल्याण आदि सामाजिक सेवाओं के लिए निश्चित किया गया है। सामान्य शिक्षा के लिए ३.७६ करोड रुपया रखा गया है। इस योजना मे शिक्षित बेरोजगारो की मदद और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार भी सम्मिलित है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को इस तरह शुरू किया जाएगा कि अगली योजना के अन्त तक राज्य मे सब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का लक्ष्य पूरा हो जाए।

स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत १९६०-६१ में २० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत १,७९२ पक्के घर और ३,६४५ खुले विकसित प्लाट बनाने की योजनाए राज्य सरकार पहले ही मजूर कर चुकी है तथा इस तरह की योजनाए अगले वर्ष आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

ग्राम आवास योजना पर अमल करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम आवास इकाई सगठित की है, जो मकानों के वास्ते ऋण देने के उद्देश्य से १०८ गावों का चुनाव कर चुकी है। इकाई ने ९६ गावों का सामाजिक-आर्थिक सर्वे और ६९ गावों का सामान्य सर्वे कर लिया है। १९६०-६१ में समाज कल्याण कार्यक्रम के अधीन २० कल्याण विस्तार योजना-कार्य शुरू किए जाएगे।

उद्योगों के लिए वार्षिक योजना मे २.४६ करोड़ रु० नियत किया गया है, जिसमे से २.४१ करोड रु० ग्राम और लघु उद्योगों पर खर्च किया जाएगा। इस राशि में से १.०३ करोड़ रु० हथकरघा उद्योग और १-करोड रुपया लघु उद्योग के लिए है।

परिवहन के लिए १.३६ करोड ० नियत किया गया है। आशा है कि दूसरी योजना में सडको के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

दूसरी पचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य के लिए १५२ ३ करोड रुपया रखा गया था। १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में क्रमश लगभग २८४६ करोड, ३०.२१ करोड रु० और ३४.५० करोड रु० खर्च हो चुका है। १९५९-६० में अनुमान है ३७ ५० करोड रु० खर्च हुआ होगा। अत सम्भावना है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना की अवधि मे विकास योजनाओं पर उस राशि से अधिक खर्च होगा, जितने की व्यवस्था आरम्भ मे की गई थी।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश की १९६०-६१ की वार्षिक योजना के लिए ३७ करोड रु० मजूर किया गया है। योजना आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक मे चालू वर्ष का कार्यक्रम तय किया गया।

इस वर्ष की योजना में सिंचाई और बिजली पर सबसे अधिक, १० करोड ८५ लाख रु० खर्च किया जाएगा, जिसमें से चम्बल योजना के लिए ५॥ करोड रु० निर्धारित है। बिजली योजनाओ के लिए ४ करोड रु० की व्यवस्था है, जिसमे से १ करोड ० कोरबा से भिलाई को बिजली पहुचाने पर खर्च किया जाएगा।

कृषि, सहकारिता, पचायत आदि के लिए ६ करोड ६३ लाख रु० की व्यवस्था है जिसमे से २ करोड १० लाख रु० सिचाई की छोटी योजनाओ पर खर्च किये जाएगे। इनके अतर्गत छोटे तालाबों और कुओं का निर्माण तथा मरम्मत, नलकूप खोदना, पप लगवाना आदि शामिल है।

हीराकुड बांध से प्रभावित क्षेत्र मे भू-सरक्षण की योजना इस वर्ष के कार्यक्रम मे शामिल है। सहकारी विकास कार्यक्रम के अतर्गत ५०० नई सहकारी समितियां बनाई जाएगी और वर्तमान २,५०० समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा।

सामाजिक सेवाओं के लिए ९ करोड ६ लाख रु० मजूर किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पिछडे वर्गों की भलाई, समाज कल्याण, श्रम और श्रमिकों के भलाई के काम आदि शामिल है। इस राशि मे से ३ करोड ६५ लाख रु० शिक्षा पर और २ करोड ८८ लाख रु० स्वास्थ्य पर खर्च किए जाएगे।

सामुदायिक विकास के लिए ३ करोड २८ लाख ०, परिवहन के लिए १ करोड ८१ लाख रु०, उद्योग तथा खनिज के लिए १ करोड ३९ लाख रु० की व्यवस्था है, जिसमें से ९६ लाख रु० छोटे और ग्राम उद्योगों पर खर्च किए जाएगे। बड़े और मझोले उद्योगों के अतर्गत सूती और कताई मिल और पावर अल्कोहल डिस्टिलरी खोलने की व्यवस्था की गई है।

बिहार

हाल ही मे बिहार सरकार और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया गया है कि १९६०-६१ में बिहार की वार्षिक योजना पर ४५ करोड ६० लाख रु० खर्च किया जाएगा।

दूसरी पचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में १९० करोड २० लाख रु० खर्च किया जाता है। आशा है, चौथे साल के अत तक वहा १२५ करोड २० लाख रु० खर्च हो चुकेगा।

सन् १९६०-६१ मे सबसे ज्यादा—१३ करोड रु० सिंचाई और बिजली के लिए रखा गया है। इसमे से १ करोड रु० गण्डक योजना पर खर्च होगा। सामाजिक सेवाओं पर भी १३ करोड रु० खर्च होगा। शिक्षा सबधी कार्यक्रमों पर ६ करोड ६० लाख रु० खर्च किया जाएगा। शिल्प शिक्षा के अतर्गत जमशेदपुर मे इंजीनियरी कालेज और पूर्णिया तथा दरभंगा में एक-एक पॉलिटेक्निक खोला जाएगा।

खेती के लिए ८ करोड १० लाख रु० निर्धारित हुआ है। छोटी सिंचाई योजनाओं पर १ करोड़ ६२ लाख रु० खर्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम की प्रगति बिहार में काफी सतोषजनक रही है। बिहार पशु चिकित्सा कालेज, पटना में एम०एस-सी० का कोर्स शुरू करने के लिए २ लाख ४० हजार रु० की व्यवस्था की गई है।

सामुदायिक विकास के लिए ६ करोड १० लाख रु० निर्धारित हुआ है। इस साल ५००

आयोग ने नही किया है। पिछले वर्षो के व्यय के आधार पर १९६०-६१ के लिए खर्च की राशि नियत की गई है।

इस वर्ष की योजना में ७० लाख रु० सडक-विकास और ५० लाख रु० समाज-सेवाओं के लिए नियत किया गया है। समाज-सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और समाज-कल्याण के कार्यक्रम सम्मिलित है। ३० लाख रु० तो केवल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए रखा गया है।

१३ लाख रु० सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए रखा गया है। १९५९-६० मे ९ खण्ड खोलने की योजना है। इसमें से २ पूर्व विस्तार खण्ड, ५ प्रथम चरण के और २ दूसरे चरण के खण्ड होंगे। १९६०-६१ में २ और पूर्व-विस्तार खण्ड खोले जाएगे।

कृषि तथा तत्सम्बन्धी मदों के लिए १२ लाख रु० रखा गया है। कोहिमा जिले में एक बीज फार्म खोला जाएगा। इस तरह के और फार्म खोलने के बारे में प्रशासन बाद में निर्णय करेगा। चकी घाटी में फल की डिब्बाबन्दी करने का केन्द्र खोलने की भी योजना है। कोहिमा मे सुअर-पालन तथा कुक्कुट पालन केन्द्र खोलने की व्यवस्था भी की गई है।

पानी की व्यवस्था के लिए वार्षिक योजना में ११ लाख रु० रखा गया है चालू वर्ष मे चार शहरों में बिजली लग जाने की उम्मीद है और १९६०-६१ में तीन और कस्बों मे भी बिजली पहुचाने का प्रस्ताव है। इसके लिए डीजल यत्र प्राप्त हो चुके है और उन्हे लगाया जा रहा है।

ग्राम और लघु उद्योगो के लिए १ लाख रु० निश्चित किया गया है। इसके अन्तर्गत बुनकरों और छोटी औद्योगिक इकाइयो को कर्ज देने की व्यवस्था है।

रिज़र्व बैंक के नये डिप्टी गवर्नर

वित्त मत्रालय के आर्थिक विभाग की २५ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने वित्त मत्रालय के आर्थिक विभाग के विशेष सचिव, श्री एम० वी० रगाचारी को पाच साल के लिए रिजर्व बैंक आफ इडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति श्री के० जी० अम्बेगावकर के स्थान पर की जा रही है, जो कि १ मार्च, १९६० से बैंक की नौकरी से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं।

देश के आर्थिक विकास में उत्पादन शुल्क का महत्व

देश में ३३ जिन्सों पर, विभिन्न दरों से, उत्पादन शुल्क पडता है। अनुमान है कि इससे चालू वित्त वर्ष में ३ अरब २६ करोड ७० लाख रु० की आय होगी। यह रकम करो से होने वाली कुल आय (७ अरब १३ करोड ५० लाख रु०) का ४६ प्रतिशत है। परन्तु सरकार इन करों को केवल आमदनी का ही साधन नही समझती, वरन् वह इनके द्वारा छोटे उद्योगों की रक्षा करने का भी प्रयत्न करती है।

देश में उत्पादन शुल्क का इतिहास मुगल काल में आरम्भ होता है। उस समय नमक पर यह शुल्क लगाया गया था। ब्रिटिश शासन काल में सन् १८८२ में नमक पर नियमित रूप से उत्पादन शुल्क लगाया गया। इसके बाद युद्ध के फलस्वरूप आर्थिक स्थिति गिरने के कारण अन्य चीजों पर भी उत्पादन शुल्क लगाया गया।

इस समय देश में लगभग केवल १० लाख लोग ही आय कर देते है। इसके अलावा आयात पर प्रतिबन्ध होने से सीमा शुल्क की आय में भी काफी कमी हुई। परन्तु दूसरी ओर उद्योगों के बढने से उत्पादन शुल्क की आय में काफी वृद्धि हुई है। तात्पर्य यह कि इस समय देश की विकास योजनाओं को चलाने के लिए उत्पादन शुल्क सरकार की आय का बडा स्रोत है।

आर्थिक उन्नति का साधन

परन्तु उत्पादन शुल्क केवल आय बढाने का ही जरिया नही है, यह देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का भी साधन है।

यदि उत्पादन शुल्कों द्वारा हमारे घरेलू और छोटे उद्योगो को सहायता न दी जाती तो वे मिलों के सामने समाप्त हो गए होते। उत्पादन शुल्क की दरे यह देखकर निश्चित की जाती है कि किस धधे को कितनी सहायता की आवश्यकता है और उसका उत्पादन कितना है। छोटे उद्योगों की कसौटी यह है कि उसमें मशीनों या बिजली का उपयोग होता है या नही, कितने मजदूर लगे है, किस किस्म का माल तैयार होता है आदि।

उदाहरण के लिए दियासलाई के बहुत छोटे या घरेलू कारखानो पर, जहां थोडा माल बनता है, सबसे कम शुल्क लगाया गया है। शुल्क की इन कम दरों के बल पर ही दियासलाई के छोटे कारखाने चल रहे है, अन्यथा ये कभी के खतम हो गए होते। इसी प्रकार अन्य उद्योगो के सामान पर भी कारखानों के आकार के हिसाब से शुल्क लगाया गया है। वनस्पति उद्योग के छोटे कारखानों पर भी उत्पादन शुल्क की दर बहुत कम है।

इस प्रकार बिजली इस्तेमाल करने या न करने पर भी उत्पादन शुल्क की दर निर्भर है। चीनी, कपडा, रेयन, नकली रेशम और ऊन के जो कारखाने बिजली से नही चलते, उन पर उत्पादन शुल्क नही लगता। कपडे की मिलो पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाने के ही कारण आज हथकरघा उद्योग पनप रहा है। इसी प्रकार उत्पादन शुल्क की अधिकता के कारण मशीनों से बीडी बनाना महगा पडता है, बजाय हाथ से बनाने के, क्योंकि इस पर यह शुल्क नही पडता। इसी से देश में हाथ से बीडिया बनना बद नही हुआ है और देश के हजारो मजदूरो की रोजी छिनने से बची है।

मजदूरों की संख्या

उत्पादन शुल्क की दर निश्चित करते समय कारखानों के मजदूरों की सख्या को भी ध्यान में रखा जाता है, मसलन, जूते बनाने के जिन कारखानों में ५० से कम या बैटरी बनाने के जिन कारखानों में ५ से कम मजदूर है, उन पर उत्पादन शुल्क नही लगता।

इसी तरह सूत, नकली रेशम और ऊन के जिन कारखानों में बिजली के ५ से कम करघे है, उन पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता। इससे अधिक करघे वाले कारखानों पर करघों की सख्या के अनुसार शुल्क बढता जाता है। छोटे कारखानों में बनने वाले साबुन पर भी शुल्क नहीं लगता। खाड पर चीनी के मुकाबले कम शुल्क लगता है।

देश में खपत घटाने या सरप्लस कर के निर्यात बढाने के प्रयोजन से भी उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। जैसे, मई १९५७ में चीनी का उत्पादन शुल्क बढा दिया गया था, ताकि देश में इसकी खपत कम हो और निर्यात

करोड़ ९५ लाख रु० खर्च किया जाएगा। उड़ीसा में बीज के ६८ फार्म बनाए जा चुके हैं और अगले साल ३२ नये फार्म बनाए जाएंगे। ११ नलकूप लगाए जा चुके हैं और अब बलसोर, कटक तथा अन्य तटवर्ती जिलों में नलकूप लगाए जाएंगे, क्योंकि वहां इसके अलावा सिंचाई करने का और कोई साधन नहीं है। व्यापारी फसलों की पैदावार बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत पटसन और कोको की पैदावार की योजनाएं चलाई जाएंगी। इसके अलावा अधिक मछली पैदा करने के केन्द्र भी खोले जाएंगे।

शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, समाज-कल्याण आदि समाजसेवाओं पर ५ करोड़ ५ लाख रु० खर्च किया जाएगा, जिसमें से शिक्षा पर २ करोड़ २ लाख रु० खर्च होगा। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत मार्च १९५९ तक ६२ आरम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए थे। चालू वर्ष में ५४ और १९६०-६१ में ५२ केन्द्र खोले जाएंगे। उद्योग और खानों के विकास पर ९८ लाख ९६ हजार रु० खर्च किया जाएगा, जिसमें से छोटे तथा ग्राम-उद्योगों पर ९२ लाख ८९ हजार रु० खर्च होगा। परिवहन पर ९४ लाख २० हजार रु० खर्च किया जाएगा।

दूसरी योजना में उड़ीसा के लिए ९९ करोड़ ९७ लाख रु० रखा गया था, जिसमें से १९५९-६० तक लगभग ६९ करोड़ ८६ लाख रु० खर्च हो जाएगा।

आसाम

हाल ही में आसाम सरकार और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निश्चय किया गया है कि आसाम की १९६०-६१ की योजना पर १४ करोड़ ४० लाख रु० खर्च किया जाएगा।

दूसरी पचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू में आसाम के लिए ५७ करोड़ ९० लाख रु० निर्धारित किया गया था। इसमें से बाद में १ करोड़ ९० लाख रु० नागा पहाड़ी क्षेत्र के लिए निर्धारित कर दिया गया। योजना के पहले चार वर्षों में आसाम में ३९ करोड़ रु० खर्च हो चुकेंगे।

सन् १९६०-६१ में सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा, ५ करोड़ ५० लाख रु० खर्च होगा। कम आय वालों के लिए मकान बनाने की योजना आसाम में काफी सफल हुई है। अतः इसके लिए ८९ लाख रु० निर्धारित किया गया है। आसाम में दूसरी योजना में प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य भी अगले साल पूरा हो जाएगा।

खेती आदि के लिए २ करोड़ ३० लाख रु० की व्यवस्था की गई है। इस राज्य में एक कृषि कालेज खोलने की भी व्यवस्था की गई है। इससे तीसरी पचवर्षीय योजना के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सकेंगे। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पुनस्सस्थापन की भी व्यवस्था की गई है। किसानों को उधार और सहायता के रूप में पम्प भी दिए जाएंगे। १९६०-६१ में १५० पम्प बांटने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें योजना के अन्तर्गत मछली पालन के लिए भी कुछ रकम रखी गई है।

परिवहन विकास के लिए १ करोड़ ४० लाख रु० और शिक्षा के लिए १ करोड़ ९० लाख रु० रखा गया है। शिल्प शिक्षा के अन्तर्गत गुवाहाटी और जोरहट में एक-एक इंजीनियरी कालेज और सिल्चर में पालीटेकनीक खोलने की व्यवस्था की गई है।

सामुदायिक विकास पर १ करोड़ २० लाख रु० खर्च किया जाएगा। १९६०-६१ में ३०० नयी ग्राम सहकारिताएं खोली जाएंगी और ९०० का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा २० नयी हाट-समितियां भी खोली जानी हैं। सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए २ करोड़ ३० लाख रु० रखा गया है। बड़ापानी पनबिजली योजना से २-३ साल बाद पानी मिलना शुरू होगा। अतः फिलहाल बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए ८ स्थानों पर डीजल के इंजन लगाने की योजना मंजूर की गई है, ताकि राज्य के औद्योगिक विकास में कोई बाधा न पड़े।

उद्योगों के विकास के लिए कुल १ करोड़ २० लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

जम्मू-कश्मीर

हाल में ही योजना आयोग और जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधियों में राज्य के १९६०-६१ की वार्षिक योजना संबंधी व्यय पर विचार-विमर्श हुआ और इस साल के लिए ८ करोड़ ३७ लाख ५० हजार रु० खर्च करना स्वीकार किया गया। सबसे अधिक धन, १ करोड़ ७१ लाख रु० सिंचाई और बिजली योजनाओं के लिए दिया गया है। बिजली की योजनाओं में जम्मू से पठानकोट तक बिजली की एक और लाइन डालने की व्यवस्था की गयी है। सड़क और परिवहन के लिए १ करोड़ ३७ लाख रु० और उद्योगों की उन्नति के लिए, जिसमें खनिजों की खुदाई भी शामिल है, १ करोड़ १६ लाख ६० हजार रु० रखा गया है। राज्य सरकार चालू वर्ष में ५० लाख रु० की पूंजी से एक वित्त निगम स्थापित करेगी। जम्मू-कश्मीर में १९६०-६१ में मिट्टी की चीजें बनाने का एक कारखाना खोला जाएगा और आशा है टाइल और ईंटें बनाने की योजना भी इसी साल पूरी हो जाएगी।

ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए वार्षिक योजना में ४५ लाख रु० रखा गया है। खानों के विकास के लिए राज्य सरकार का खान तथा खनिज पदार्थ निगम स्थापित करने का भी विचार है।

खेती और खेती से सम्बद्ध दूसरे कामों के लिए ९४ लाख रु० दिया गया है। इस मद के अन्तर्गत राज्य में एक कृषि कालेज खोलने का विचार है। मछली पालने और पकड़ने के धंधे को बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास खण्डों में से किसी एक स्थान पर आजमायशी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

सामुदायिक विकास के लिए ९० लाख रु० और शिक्षा, स्वास्थ्य, मकानों के निर्माण और समाज कल्याण आदि समाज सेवाओं के लिए १ करोड़ ८३ लाख रु० नियत किया गया है। इस वर्ष श्रीनगर में मेडिकल कालेज के लिए इमारत बनाने का विचार है। राज्य में १५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह के २३ केन्द्र इस समय जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे हैं।

नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र

नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र की १९६०-६१ की योजना पर लगभग १.५८ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसका निश्चय योजना आयोग ने परराष्ट्र मंत्रालय तथा तुएनसांग क्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के उपरान्त किया है।

इस क्षेत्र में दूसरी योजना के अधीन कितना रुपया खर्च हो, इसका अन्तिम फैसला योजना



भारी उद्योगों का पिछले दशक में विकास

इस समय देश में १३ लाख टन इस्पात (फिनिश्ड), १२ हजार माल डिब्बे और डिब्बों के नीचे के ढांचे और चीनी मिलों की बहुत-सी मशीनें तैयार होती हैं। २॥ करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी मिलों की मशीनों के अलावा, सीमेंट, रसायन, इमारती और खेती की ३ करोड़ रु० के मूल्य की मशीनें बनती हैं, ४ करोड़ रु० के मशीनी औजार, ३० हजार डीज़ल इंजन, ३४ हजार मोटर गाड़ियां, २० लाख बाल बियरिंग, ६ लाख अश्व शक्ति की बिजली की मोटरें और बहुत-से बिजली के ट्रांसफार्मर तथा ढालने के यंत्र बनते हैं। पांच साल पहले भारत में १० करोड़ रु० से कम की मशीनें बनती थीं। आज इसके मुकाबले १ अरब २० करोड़ रु० की मशीनें बनती हैं। अब वह दिन दूर नहीं, जब भारत के तीनों सरकारी इस्पात कारखानों में काफी इस्पात बनने लगेगा। तब तो मशीनों का निर्माण और भी बढ़ जाएगा।

धातु उद्योग

अब धातु उद्योग को लीजिए। इस समय देश में १६ हजार टन अलमुनियम, ७ हजार टन तांबा, १६ हजार टन लौह-मैंगनीज तथा जस्त, सीसा और एंटीमनी तैयार होता है। रसायन उद्योग में भी देश काफी आगे बढ़ा है और कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, गन्धक का तेजाब तथा सीमेंट आदि काफी मात्रा में बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, खानों के खोदने और अन्य उद्योगों में काम आने वाले विस्फोटक पदार्थ, एमोनियम नाइट्रेट, एसीटोन आदि पदार्थों के नये उद्योग हमारे देश में शुरू हुए हैं।

अगले तीन वर्षों में विस्तार

यद्यपि देश में अभी भी भारी उद्योगों की स्थिति नगण्य नहीं है, फिर भी अगले तीन सालों में इसका बहुत अधिक विस्तार होगा। इस समय सरकार जो बहुत-से उद्योग खड़े कर रही है, वे इन तीन सालों में पूरे हो जाएंगे। इन उद्योगों में भोपाल का भारी बिजली का सामान बनाने का कारखाना, रांची का भारी मशीन और ढलाई कारखाना, दुर्गापुर के कोयले की खानों की मशीनें बनाने वाले कारखानों की स्थापना और बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में ढलाई विभाग खोलने का काम उल्लेखनीय है। भोपाल के कारखाने में बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर, मोटर स्विच और कंट्रोल गियर, जेनरेटर और टर्बाइन आदि बनेंगे। यहां इसी साल के मध्य में उत्पादन शुरू हो जाएगा और १९६३-६४ में यहां १२॥ करोड़ रु० का माल तैयार होने लगेगा। रांची के कारखाने में धमन भट्ठियों में काम आने वाला सामान, क्रेन, इस्पात ढालने की मशीनें और भट्ठियां आदि के हिस्से तैयार होंगे। आशा है यह कारखाना १९६३ में चालू हो जाएगा। रांची के ढलाई कारखाने के पहले भाग में ७० हजार टन वजन की भारी मशीनें ढाली जाएंगी। दुर्गापुर के कारखाने में ३० हजार टन की खानों में काम आने वाली मशीनें बना करेंगी। यह कारखाना भी १९६३ में चालू हो जाएगा। इस कारखाने में भी गढ़ाई और ढलाई का काम हुआ करेगा। इसी प्रकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में जो गढ़ाई और ढलाई विभाग खोला जा रहा है, उससे भी देश में मशीनों का निर्माण काफी बढ़ेगा।

निजी उद्योगों की प्रगति

निजी उद्योगों में भी काफी प्रगति हो रही है। चीनी कारखानों की काफी मशीनें निजी कारखानों में तैयार होती हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर और इमारतों में काम आने वाला इस्पात का सामान भी बनता है। नये कारखाने बनने और पुराने कारखानों के विस्तार से अलुमुनियम का उत्पादन बढ़ेगा—अलुमुनियम का ९० हजार टन, जस्ते का १५ हजार टन और सीसे का ८ हजार टन हो जाएगा।

अगले दो-तीन सालों में कारखानों की बड़ी-बड़ी मशीनें बनाने वाले कुछ और कारखाने चालू हो जाएंगे। पश्चिम जर्मनी की प्रमुख फर्मों के सहयोग से कागज, उर्वरक, रसायन और दूसरे उद्योगों की मशीनें उड़ीसा में बनने लगेंगी। दुर्गापुर में एक ब्रिटिश फर्म की सहायता से सीमेंट कारखाने की मशीनें बनाने का विचार है।

भावी विकास

अगली पंचवर्षीय योजना में देश को अपने भारी उद्योगों का और अधिक विस्तार करना होगा, क्योंकि अब देश, विदेशों से आयात पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके लिए कई उद्योगों को तेजी से बढ़ाने का निश्चय किया गया है। रांची के भारी मशीन बनाने के कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर ८० हजार टन करने का विचार है। जब यह काम पूरा हो जाएगा तो देश में प्रति वर्ष १० लाख टन इस्पात तैयार करने के कारखाने की मशीनें यहां बनने लगेंगी।

भोपाल के कारखाने के उत्पादन को चार गुना बढ़ाकर ५० करोड़ रुपया का कर देने की योजना है। यह काम चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू तक हो जाने की उम्मीद है। देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी बिजली की मशीनों की जरूरत होगी। दुर्गापुर के कोयला खानों की मशीनों के कारखाने को भी लगभग दुगुना करने की योजना है। इसके अलावा, यहां तेल खोदने की मशीनें भी बनेंगी। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना भी १९६३ तक अपनी क्षमता तिगुनी कर लेगा। भारत सरकार ने हाल में ही स्ट्रक्चरल प्लेटें और वेसिल वर्क्स बनाने के दो कारखाने और खोलने की घोषणा की है। ये दोनों १९६२ के शुरू में चालू हो जाएंगे। और यहां प्रतिवर्ष १० हजार टन प्लेटें और १२ हजार वेसिल वर्क्स बनेंगे।

विचाराधीन योजनाएं

इसके अलावा भारत सरकार और बहुत-से भारी उद्योगों की कई योजनाओं पर विचार कर रही है। इनमें बिजली के भारी सामान बनाने के कारखाने मुख्य होंगे। इनमें से एक कारखाना सोवियत सरकार के सहयोग से और दूसरा चेकोस्लोवाकिया की सरकार के सहयोग से खड़ा किया जाएगा। भारी मशीनी औजार बनाने के एक कारखाने के लिए भी चेकोस्लोवाकिया की सहायता मिलेगी। इन कारखानों के आकार आदि के बारे में अभी विचार होना है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केवल यही नहीं, और भी बहुत-से काम होंगे और इस प्रकार हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

के लिए अधिक चीनी उपलब्ध हो। अगस्त १९५७ में बिनौले के तेल पर उत्पादन शुल्क की छूट दे दी गयी थी, जिससे वनस्पति बनाने में उसका उपयोग हो सके और इस प्रकार मूंगफली का तेल निर्यात के लिए बच सके।

इस प्रकार देश की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन शुल्क काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश की आय बढ़ती है, जो विभिन्न विकास-कार्यों पर खर्च की जाती है।

कनाडा से २.५ करोड़ डालर की सहायता

कनाडा के परराष्ट्र मंत्री, श्री हावर्ड सी० ग्रीन ने १८ जनवरी को ओटावा में घोषणा की कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में भारत को २.५ करोड़ डालर की सहायता दी जाएगी।

यह पिछले वित्तीय वर्ष में भारत को दी गई सहायता से ८० लाख डालर अधिक है, परन्तु इसमें कनाडियन विशेषज्ञों को भेजने और शिल्पिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए रखी गई रकम शामिल नहीं है। यह रकम भी मिलती रहेगी और आगामी वर्ष में बढ़ा दी जाएगी।

यह घोषणा उस समय की गई, जब कोलम्बो योजना के सदस्य राष्ट्र योजना की दसवीं जयन्ती मना रहे थे।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम: अमरीका से नया समझौता

भारत के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अमरीका ने ३०.९ लाख रु० (६,६५,५५० डालर) की और सहायता देना मंजूर किया है।

२२ जनवरी को नयी दिल्ली में भारत सरकार और अमरीका के शिल्पिक सहयोग मिशन के बीच एक पूरक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अन्तर्गत भारत को क्लोरोफोन और प्रोडनास्तीन फास्फेट टिकिया, १५० जीपें, माइक्रोस्कोप, स्लाइड और हिसाब-किताब की मशीनें खरीदने के लिए धन दिया जाएगा। यह सामान भारत से बाहर खरीदा जाएगा।

इस नवीनतम समझौते के अन्तर्गत दी जाने वाली रकम मिलाकर, अमरीका मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम के लिए २९ करोड़ रु० से अधिक (६.१५ करोड़ डालर) की सहायता दे चुका है। यह पिछले वर्ष दिए गए ८ करोड़ रु० के पी०एल० ४८० अनुदान के अलावा है।

आज के समझौते पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री सेनगुप्त और शिल्पिक सहयोग मिशन के निदेशक, श्री सी० टाइलर वुड ने हस्ताक्षर किए।

स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिए धन

दूसरी योजना के आखिरी साल १९६०-६१ में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिए ३ करोड़ रु० की अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन कामों के लिए सहायता दी जाएगी, जिनको जनता श्रमदान या अन्य तरीकों से बनाएगी। जैसे गांव के कुएं, स्कूल-इमारत, गांव की पक्की सड़कें या स्टेशनों से मिलाने वाली सड़कों का निर्माण। अप्रैल १९५९ में राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी बैठक में यह सुझाव दिया था कि तीसरी योजना में तीन बुनियादी सुविधाओं—पीने के पानी, गांव के स्कूलों और गांव की सड़कों को स्थानीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा किया जाए। इससे देहाती जनता के खाली समय का भी इस्तेमाल होगा।

दूसरी योजना में इस विकास-कार्य की मद में १५ करोड़ रु० रखे गए थे। योजना के पहले तीन सालों में यह धन-राशि राज्य सरकारों को दे दी गई। फिर भी विभिन्न राज्य सरकारों ने सहायता की मांग जारी रखी। अतः १९५९-६० में ३ करोड़ रु० की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई।

दिसम्बर १९५९ में योजना आयोग ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत १८ योजनाओं को सहायता देना मंजूर किया। इनका आधा खर्च लगभग ८१,००० रु० केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। आधा खर्च जनता स्वयं उठाएगी। इन कार्यों में रिंग-वेल और नलकूपों (ट्यूब वेल) का लगाना, तालाब खोदना और जलकल-व्यवस्था का निर्माण शामिल है। उड़ीसा के कटक और बालासोर जिलों में १० और बम्बई के अहमदाबाद और मेहसाना जिलों में ८ योजनाएं पूरी की जाएंगी।

सीमा शुल्क में और रियायत

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की २८ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के कार्यक्रम के अंतर्गत सूती कपड़ा बनाने वाली मशीनों की ढरकी, बॉबिन (अण्टी) और जमीन छेदने के बरमों, जस्ते के पहियों तथा वजन के कांटों के बनाने में काम आने वाली चीजों के सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में रियायत देने का निर्णय किया है। नकली रेशम के कपड़े, रेशों के सूत और बोतलों के ढक्कन पर दी जाने वाली रियायत की दर में परिवर्तन किया गया है। कई तरह के रोगनों पर नियत दर पर रियायत दी गयी है।

भिलाई में बचत योजना का उद्घाटन

केन्द्रीय वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने ३० जनवरी को भिलाई इस्पात कारखाने में बचत योजना का उद्घाटन किया। इसके अनुसार कर्मचारियों के वेतन का उतना अंश लिया जाएगा जिसके लिए वे आवश्यक अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। इस रकम से नेशनल सेविंग और ट्रेजरी सर्टिफिकेट खरीदे जाएंगे।

क्षेत्र में ७ लाख २० हजार व्यक्तियों को नौकरी मिल सकती है।

शिल्पिक सहायता

मण्डल ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक विस्तार सेवा को और भी बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए। राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं का और विकास किया जाना चाहिए तथा मशीनी औजारों की दुकानें भी और खोली जानी चाहिए। उद्योग मंत्री, श्री शाह ने कहा कि छोटे उद्योगों को शिल्पिक सलाह आदि देने की सभी राज्यों में व्यवस्था होनी चाहिए।

नमूने की मशीनें और प्रशिक्षण

मण्डल ने यह निश्चय किया कि तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में वर्तमान नमूनों की मशीनें बनाने का केन्द्र खोला जाए।

लघु उद्योग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए। मण्डल ने कार्यकारी दल की यह सिफारिश मान ली कि केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्था खोली जाए। मण्डल ने फैसला किया कि तीसरी योजना में यह संस्था तुरन्त खोल दी जाए, जहां विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो।

राज्यों की योजनाएं

राज्य सरकारों की लघु उद्योग योजनाओं ने काफी प्रगति की है। मण्डल ने यह विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की जो औद्योगिक योजनाएं राज्यों के मण्डल चला रहे हैं, वे सीधी केन्द्रीय मण्डल द्वारा बनाई जानी चाहिएं।

औद्योगिक सहकारिताएं

मण्डल ने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक सहकारी समितियां काफी बड़ी संख्या में खोली जाएं। इस सम्बन्ध में कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक सहकार समितियों का विकास किया जाना चाहिए।

औद्योगिक बस्तियां

तीसरी योजना में ५० करोड़ रु० के खर्च से लगभग ५०० औद्योगिक बस्तियां खोली जानी चाहिएं। इन बस्तियों से औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिला है।

आर्थिक सहायता

दूसरी योजना में आर्थिक सहायता कार्यक्रम काफी सफल रहा है। तीसरी योजना में इसे और तेज गति से चालू रखना चाहिए। छोटे उद्योगों को ऋण आदि देने के लिए तीसरी योजना में कम-से-कम ३०० करोड़ रु० की व्यवस्था की जाए। इसमें से ५० करोड़ रु० उद्योगों को सरकारी सहायता देने के अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाएं और बाकी की रकम अन्य साधनों से जुटाई जाए। श्री शाह ने कहा कि ऋण देने वाली संस्थाओं और बैंकों का विकास किया जाना चाहिए और उनसे पूरी सहायता लेनी चाहिए।

बिक्री की व्यवस्था

मण्डल ने सिफारिश की है कि छोटे उद्योगों के सामान की और ज्यादा बिक्री का प्रबन्ध किया जाए। जहां तक हो सरकार अपने लिए इन उद्योगों से सामान खरीदे, निर्यात को प्रोत्साहन दे और जगह-जगह दुकानें खुलवाए। लोहा और इस्पात का कोटा देने के सम्बन्ध में आधारभूत योजनाओं के बाद छोटे उद्योगों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मण्डल ने यह भी सिफारिश की कि छोटे उद्योगों को, खासकर गांवों में, बिजली आजकल से ज्यादा मात्रा में और सस्ते दामों पर दी जानी चाहिए।

आसाम और आंध्र प्रदेश के कोयला खान क्षेत्रों में कोयले का दाम

कोयला दाम पुनर्निर्धारण समिति ने आंध्र और आसाम क्षेत्र की कोयला खानों तथा साफ्ट कोक के दामों के बारे में जो सिफारिशें की थी, उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

आसाम के कोयला खान क्षेत्रों में कोयलों के वर्तमान दाम में जो परिवर्तन किया गया है, उसकी अधिसूचना फौरन ही खान मालिकों को दी जा रही है।

समिति ने सिंगरेनी कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के लिए किस्म के अनुसार कोयले का दाम निर्धारित करने की सिफारिश की है। इस समय कोयला मण्डल इस क्षेत्र के कोयले की किस्म का निर्धारण कर रहा है और जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, वहां कोयले की किस्म के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा।

समिति ने हार्ड कोक के दामों के बारे में जो सिफारिश की थी, सरकार उस पर विचार कर रही है।

समिति ने जो सिफारिशें की हैं, वे इस प्रकार हैं :

आसाम

(१) आसाम के कोयला खान क्षेत्रों के कोयलों के वर्तमान दाम किसी विशेष सिद्धांत के आधार पर निर्धारित नहीं किए गए हैं। यहां समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार दाम बदलते रहे हैं। अतः बंगाल और बिहार की कोयला खानों की तरह आसाम की कोयला खानों के लिए दाम निर्धारित करने का कोई साधारण सिद्धांत नहीं बन पाया है। यहां एकसी कीमतों का सिद्धांत न तो अपनाया जा सकता है और न ही उसे लागू करना ही संभव है। समिति ने जो आंकड़े जमा किए हैं, उनके आधार पर खान के बाहर कोयले का उचित दाम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए समिति ने सिर्फ इस बात की जांच की है कि खान के बाहर कोयलों का जो दाम है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

(२) आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के मार्घरीता कोयला खान क्षेत्र के कोयले का रेल से पहुंचता मूल्य २८.४४ रु० है। समिति का विचार है कि इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं।

(३) डिल्ली, जयपोर कोयलाजन और नजीरा कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के दाम के बारे में समिति का विचार है कि खान से रेल तक कोयला ले जाने में जो खर्च बैठता है यदि उसे घटा दिया जाए तो वहां के कोयले का जो वर्तमान दाम २५.९४ रु० है, वह बिल्कुल उचित है और इन क्षेत्रों में खान से बाहर कोयलों का यही दाम रहना चाहिए। किन्तु इन क्षेत्रों के कोयलों का रेल से पहुंचते दामों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां खान से रेल तक माल की ढुलाई का खर्च बहुत ज्यादा है। इस हिसाब से नजीरा कोयला खानों को छोड़कर बाकी अन्य कोयला खानों में माल की ढुलाई का भाड़ा प्रति टन

१९५९ में लघु उद्योगों की प्रगति

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के अंतर्गत छोटे उद्योगों के मरम्मत और विस्तार केन्द्रों के शिल्पिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति पिछले वर्ष बहुत तेज रही। इस अवधि में केन्द्रों ने लगभग २०,००० यूनिटों की सहायता की। इसमें उन्नत तरीके, सही मशीनों का चुनाव, उत्पादन का आयोजन, माल की बिक्री आदि शामिल हैं। उद्योग-विस्तार कर्मचारियों ने इस सिलसिले में लगभग ३०,००० छोटे उद्योग-धंधों को देखा।

१९५९ में दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के डिजाइनों में सुधार के हेतु औद्योगिक डिजाइन केन्द्र खोला गया। इसने अभी तक लगभग ६०० मौलिक डिजाइन तैयार किये हैं, जिनमें से अधिकांश डिजाइनों का उपयोग किया गया है।

इस अवधि में छोटे उद्योग चालू करने के लिए आवश्यक जानकारी देने के हेतु नमूने के तौर पर ४० योजनाएं तैयार की गईं। लोगों को काम सिखाने का कार्यक्रम भी बढ़ाया गया। इसके अलावा छोटे उद्योगों के सिलसिले में २०० से अधिक रिपोर्टें तैयार की गईं और जांच-पड़ताल भी की गई। देश के पिछड़े हिस्सों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। यह कार्यक्रम शुरू में १० राज्यों में चालू किया गया और शीघ्र ही अन्य राज्यों में चालू किया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। मैसूर राज्य के कोलार जिले में फाउन्टेनपेन, प्लास्टिक के खिलौने आदि का उद्योग आरम्भ करने के लिए १२ टोलियों ने आवेदन दिया। दिल्ली के पास अलीपुर में लगभग १०० लोग बढ़ईगिरी, चमड़े का काम, लोहारगिरी आदि सीखने के लिए तैयार हुए। आंध्र प्रदेश और मद्रास में भी सराहनीय प्रयत्न किए गए।

कच्चा माल

छोटे उद्योगपतियों को कच्चा माल मुहैया करने के लिए कई कदम उठाए गए। इन उद्योगों को १९५७-५८ में ५२,७०० टन लोहा और इस्पात दिया गया था, जिसे बढ़ाकर १९५९-६० में २ लाख ७५ हजार ५०० टन कर दिया गया। इनके लिए निर्धारित कोटा इन्हें प्राप्त हो इसके लिए कोशिश की गई। राज्य सरकारों ने जो प्रगति की है उसका अनुमान उनकी बढ़ी हुई लागत के प्रतिशत से लगाया जा सकता है। १९५६-५७ में यह ४१.७ प्रतिशत था, जबकि १९५८-५९ में वह ७६.३ प्रतिशत हो गया।

पिछले साल राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंकों और सहकारी बैंकों ने मिलकर छोटे उद्योगों के लिए १२ करोड़ से अधिक का ऋण दिया। *इनको ऋण की अधिक सुविधाएं देने के लिए* रिजर्व बैंक ने एक योजना बनाई है जो इस वर्ष मार्च से लागू हो जाएगी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने छोटे उद्योगपतियों की सहायता का कार्यक्रम तेज रफ्तार से जारी रखा। निगम को मार्फत १९५५-५६ में ४ लाख ७० हजार रु० के ठेके मिले थे, जबकि १९५८-५९ में २ करोड़ ६० लाख रु० के मिले। १९५९-६० के पहले ९ महीनें में १ करोड़ ७० लाख रु० के ठेके प्राप्त हो चुके हैं। *निगम ने कुछ उद्योगों को बड़े कारखानों* के लिए सहायक माल तैयार करने का काम भी दिला दिया।

छोटे उद्योगों में बने माल के निर्यात की, विशेषतया जूतों के निर्यात की प्रगति काफी अच्छी रही। अभी तक रूस, पोलैंड तथा पूर्वी जर्मनी को ६ लाख जोड़ी जूते भेजे जा चुके हैं।

किस्तों पर मशीनें देने की योजना के अनुसार १९५९ में १ करोड़ रु० की ९७० मशीनें दी गईं। मशीनें देने की शर्तें काफी ढीली कर दी गई हैं और मशीनें भी जल्दी-जल्दी मुहैया की जाती हैं।

पिछले वर्ष 'लघु उद्योग' की व्याख्या विस्तृत करके इसमें वह उद्योग भी शामिल किए गए जिनकी पूंजी ५ लाख रु० थी।

प्रोटोटाइप एवं उत्पादन केन्द्र

दिल्ली के पास ओखला में प्रोटोटाइप एवं उत्पादन केन्द्र खोले जा रहे हैं जिनके कारखाने का काम पूरा हो चुका है। केन्द्र के लिए आवश्यक उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। इनके लिए पश्चिम जर्मनी ने ३६ लाख रु० की मशीनें देने का वायदा किया है, जिसमें से २५ लाख रु० की मशीनें आ चुकी हैं।

राजकोट के केन्द्र में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लकड़ी का काम और नमूने आदि बनाने का काम सिखाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। इस केन्द्र के लिए शिल्पिक सहयोग मिशन (टी० सी०एम०) ने यंत्र आदि देना मंजूर किया है और *अधिकांश सामग्री वहां भेजी जा चुकी* है।

लघु उद्योग मंडल का अधिवेशन

नयी *दिल्ली में* २१ और २२ जनवरी को लघु उद्योग मण्डल का अधिवेशन हुआ। इसने सिफारिश की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार को छोटे उद्योगों के विकास के लिए २३२ करोड़ रु० रखने चाहिए। यह रुपया केवल सरकारी क्षेत्र में खर्च किया जाए। दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के लिए ६१ करोड़ रु० रखे गए थे।

उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई शाह ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें कई राज्यों के मन्त्रियों ने भाग लिया। मण्डल ने यह विचार प्रकट किया कि अब तक छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है, वह तीसरी योजना में जारी रखा जाए और उस कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाए।

यह रुपया छोटे उद्योगों को शिल्पिक सहायता, प्रशिक्षण योजना; औद्योगिक बस्तियों और औद्योगिक सहकारिता की स्थापना; आर्थिक सहायता; सामान की बिक्री के प्रबन्ध आदि पर खर्च किया जाना चाहिए।

बैठक में कहा गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर कम विकसित भागों में आधुनिक किस्म के छोटे-छोटे उद्योग खोलकर देश का औद्योगीकरण करना ही तीसरी योजना का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

सदस्यों ने यह सन्तोष प्रकट किया कि दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के क्षेत्र में १ लाख ६० हजार नौकरियों की व्यवस्था करने का जो लक्ष्य रखा था, वह पूरे से भी बढ़ जाएगा। योजना के पहले चार वर्षों में ही इतने लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तीसरी योजना में भी अगर उक्त प्रस्ताव के अनुसार छोटे उद्योगों का विकास किया जाए तो इस

क्षेत्र में ७ लाख २० हजार व्यक्तियों को नौकरी मिल सकती है।

शिल्पिक सहायता

मण्डल ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक विस्तार सेवा को और भी बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए। राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं का और विकास किया जाना चाहिए तथा मशीनों औजारों की दुकानें भी और खोली जानी चाहिए। उद्योग मंत्री, श्री शाह ने कहा कि छोटे उद्योगों को शिल्पिक सलाह आदि देने की सभी राज्यों में व्यवस्था होनी चाहिए।

नमूने की मशीनें और प्रशिक्षण

मण्डल ने यह निश्चय किया कि तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में वर्तमान नमूनों की मशीनें बनाने का केन्द्र खोला जाए।

लघु उद्योग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए। मण्डल ने कार्यकारी दल की यह सिफारिश मान ली कि केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्था खोली जाए। मण्डल ने फैसला किया कि तीसरी योजना में यह संस्था तुरन्त खोल दी जाए, जहां विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो।

राज्यों की योजनाएं

राज्य सरकारों की लघु उद्योग योजनाओं ने काफी प्रगति की है। मण्डल ने यह विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की जो औद्योगिक योजनाएं राज्यों के मण्डल चला रहे हैं, वे सीधी केन्द्रीय मण्डल द्वारा बनाई जानी चाहिए।

औद्योगिक सहकारिताएं

मण्डल ने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक सहकारी समितियां काफी बड़ी संख्या में खोली जाएं। इस सम्बन्ध में कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक सहकार समितियों का विकास किया जाना चाहिए।

औद्योगिक बस्तियां

तीसरी योजना में ५० करोड़ रु० के खर्च से लगभग ५०० औद्योगिक बस्तियां खोली जानी चाहिए। इन बस्तियों से औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिला है।

आर्थिक सहायता

दूसरी योजना में आर्थिक सहायता कार्यक्रम काफी सफल रहा है। तीसरी योजना में इसे और तेज गति से चालू रखना चाहिए। छोटे उद्योगों को ऋण आदि देने के लिए तीसरी योजना में कम-से-कम २०० करोड़ रु० की व्यवस्था की जाए। इसमें से ५० करोड़ रु० उद्योगों को सरकारी सहायता देने के अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाएं और बाकी की रकम अन्य साधनों से जुटाई जाए। श्री शाह ने कहा कि ऋण देने वाली संस्थाओं और बैंकों का विकास किया जाना चाहिए और उनसे पूरी सहायता लेनी चाहिए।

बिक्री की व्यवस्था

मण्डल ने सिफारिश की है कि छोटे उद्योगों के सामान की और ज्यादा बिक्री का प्रबन्ध किया जाए। जहां तक हो सरकार अपने लिए इन उद्योगों से सामान खरीदे, निर्यात को प्रोत्साहन दे और जगह-जगह दुकानें खुलवाए। लोहा और इस्पात का कोटा देने के सम्बन्ध में आधारभूत योजनाओं के बाद छोटे उद्योगों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मण्डल ने यह भी सिफारिश की कि छोटे उद्योगों को, खासकर गांवों में, बिजली आजकल से ज्यादा मात्रा में और सस्ते दामों पर दी जानी चाहिए।

आसाम और आंध्र प्रदेश के कोयला खान क्षेत्रों में कोयले का दाम

कोयला दाम पुनर्निर्धारण समिति ने आंध्र और आसाम क्षेत्र की कोयला खानों तथा सापट कोक के दामों के बारे में जो सिफारिशें की थी, उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

आसाम के कोयला खान क्षेत्रों में कोयलों के वर्तमान दाम में जो परिवर्तन किया गया है, उसकी अधिसूचना फौरन ही खान मालिकों को दी जा रही है।

समिति ने सिंगरेनी कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के लिए किस्म के अनुसार कोयले का दाम निर्धारित करने की सिफारिश की है। इस समय कोयला मण्डल इस क्षेत्र के कोयले की किस्म का निर्धारण कर रहा है और जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, वहां कोयले की किस्म के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा।

समिति ने हार्ड कोक के दामों के बारे में जो सिफारिश की थी, सरकार उस पर विचार कर रही है।

समिति ने जो सिफारिशें की हैं, वे इस प्रकार हैं :

आसाम

(१) आसाम के कोयला खान क्षेत्रों में कोयलों के वर्तमान दाम किसी विशेष सिद्धांत के आधार पर निर्धारित नहीं किए गए हैं। यहां समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार दाम बदलते रहे हैं। अतः बंगाल और बिहार की कोयला खानों की तरह आसाम की कोयला खानों के लिए दाम निर्धारित करने का कोई साधारण सिद्धांत नहीं बन पाया है। यहां एकसी कीमतों का सिद्धांत न तो अपनाया जा सकता है और न ही उसे लागू करना ही सम्भव है। समिति ने जो आंकड़े जमा किए हैं, उनके आधार पर खान के बाहर कोयले का उचित दाम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए समिति ने सिर्फ इस बात की जांच की है कि खान के बाहर कोयलों का जो दाम है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

(२) आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के मार्घरीता कोयला खान क्षेत्र के कोयले का रेल से पहुंचता मूल्य २८.४४ रु० है। समिति का विचार है कि इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं।

(३) डिल्ली, जयपोर कोयलाजन और नजीरा कोयला खान क्षेत्रों के कोयले के दाम के बारे में समिति का विचार है कि खान से रेल तक कोयला ले जाने में जो खर्च बैठता है यदि उसे घटा दिया जाए तो वहां के कोयले का जो वर्तमान दाम २५.९४ रु० है, वह बिल्कुल उचित है और इन क्षेत्रों में खान से बाहर कोयलों का यही दाम रहना चाहिए। किन्तु इन क्षेत्रों के कोयलों का रेल से पहुंचते दामों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां खान से रेल तक माल की ढुलाई का खर्च बहुत ज्यादा है। इन हिसाब कोयला खानों को छोड़कर बाकी खानों में माल की ढुलाई,

१९५९ में लघु उद्योगों की प्रगति

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के अंतर्गत छोटे उद्योगों के मरम्मत और विस्तार केन्द्रों के शिल्पिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति पिछले वर्ष बहुत तेज रही। इस अवधि में केन्द्रों ने लगभग २०,००० यूनिटों की सहायता की। इसमें उन्नत तरीके, सही मशीनों का चुनाव, उत्पादन का आयोजन, माल की बिक्री आदि शामिल हैं। उद्योग-विस्तार कर्मचारियों ने इस सिलसिले में लगभग ३०,००० छोटे उद्योग-धंधों को देखा।

१९५९ में दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के डिजाइनों में सुधार के हेतु औद्योगिक डिजाइन केन्द्र खोला गया। इसने अभी तक लगभग ६०० मौलिक डिजाइन तैयार किये हैं, जिनमें से अधिकांश डिजाइनों का उपयोग किया गया है।

इस अवधि में छोटे उद्योग चालू करने के लिए आवश्यक जानकारी देने के हेतु नमूने के तौर पर ४० योजनाएं तैयार की गई। लोगों को काम सिखाने का कार्यक्रम भी बढ़ाया गया। इसके अलावा छोटे उद्योगों के सिलसिले में २०० से अधिक रिपोर्टें तैयार की गईं और जांच-पड़ताल भी की गई। देश के पिछड़े हिस्सों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। यह कार्यक्रम शुरू में १० राज्यों में चालू किया गया और शीघ्र ही अन्य राज्यों में चालू किया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। मैसूर राज्य के कोलार जिले में फाउन्टेनपेन, प्लास्टिक के खिलौने आदि का उद्योग आरम्भ करने के लिए १२ टोलियों ने आवेदन दिया। दिल्ली के पास अलीपुर में लगभग १०० लोग बढ़ईगिरी, चमड़े का काम, लोहारगिरी आदि सीखने के लिए तैयार हुए। आंध्र प्रदेश और मद्रास में भी सराहनीय प्रयत्न किए गए।

कच्चा माल

छोटे उद्योगपतियों को कच्चा माल मुहैया करने के लिए कई कदम उठाए गए। इन उद्योगों को १९५७-५८ में ५२,७०० टन लोहा और इस्पात दिया गया था, जिसे बढ़ाकर १९५९-६० में २ लाख ७५ हजार ५०० टन कर दिया गया। इनके लिए निर्धारित कोटा इन्हें प्राप्त हो इसके लिए कोशिश की गई। राज्य सरकारों ने जो प्रगति की है उसका अनुमान उनकी बढ़ी हुई लागत के प्रतिशत से लगाया जा सकता है। १९५६-५७ में यह ४१.७ प्रतिशत था, जबकि १९५८-५९ में वह ७६.३ प्रतिशत हो गया।

पिछले साल राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंकों और सहकारी बैंकों ने मिलकर छोटे उद्योगों के लिए १२ करोड़ से अधिक का ऋण दिया। इनको ऋण की अधिक सुविधाएं देने के लिए रिजर्व बैंक ने एक योजना बनाई है जो इस वर्ष मार्च से लागू हो जाएगी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने छोटे उद्योगपतियों की सहायता का कार्यक्रम तेज रफ्तार से जारी रखा। निगम की मार्फत १९५५-५६ में ४ लाख ७० हजार रु० के ठेके मिले थे, जबकि १९५८-५९ में २ करोड़ ६० लाख रु० के मिले। १९५९-६० के पहले ९ महीने में १ करोड़ ७० लाख रु० के ठेके प्राप्त हो चुके हैं। निगम ने कुछ उद्योगों को बड़े कारखानों के लिए सहायक माल तैयार करने का काम भी दिला दिया।

छोटे उद्योगों में बने माल के निर्यात की, विशेषतया जूतों के निर्यात की प्रगति काफी अच्छी रही। अभी तक रूस, पोलैंड तथा पूर्वी जर्मनी को ६ लाख जोड़ी जूते भेजे जा चुके हैं।

किश्तों पर मशीनें देने की योजना के अनुसार १९५९ में १ करोड़ रु० की ९७० मशीनें दी गईं। मशीनें देने की शर्तें काफी ढीली कर दी गई हैं और मशीनें भी जल्दी-जल्दी मुहैया की जाती हैं।

पिछले वर्ष 'लघु उद्योग' की व्याख्या विस्तृत करके इसमें वह उद्योग भी शामिल किए गए जिनकी पूंजी ५ लाख रु० थी।

प्रोटोटाइप एवं उत्पादन केन्द्र

दिल्ली के पास ओखला में प्रोटोटाइप एवं उत्पादन केन्द्र खोले जा रहे हैं जिनके कारखाने का काम पूरा हो चुका है। केन्द्र के लिए आवश्यक उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। इनके लिए पश्चिम जर्मनी ने ३६ लाख रु० की मशीनें देने का वायदा किया है, जिसमें से २५ लाख रु० की मशीनें आ चुकी हैं।

राजकोट के केन्द्र में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लकड़ी का काम और नमूने आदि बनाने का काम सिखाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। इस केन्द्र के लिए शिल्पिक सहयोग मिशन (टी० सी०एम०) ने यंत्र आदि देना मंजूर किया है और अधिकांश सामग्री वहां भेजी जा चुकी है।

लघु उद्योग मंडल का अधिवेशन

नयी दिल्ली में २१ और २२ जनवरी को लघु उद्योग मण्डल का अधिवेशन हुआ। इसने सिफारिश की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार को छोटे उद्योगों के विकास के लिए २३२ करोड़ ० रखने चाहिए। यह रुपया केवल सरकारी क्षेत्र में खर्च किया जाए। दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के लिए ६१ करोड़ रु० रखे गए थे।

उद्योग मन्त्री, श्री मनुभाई शाह ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें कई राज्यों के मन्त्रियों ने भाग लिया। मण्डल ने यह विचार प्रकट किया कि अब तक छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है, वह तीसरी योजना में जारी रखा जाए और उस कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाए।

यह रुपया छोटे उद्योगों को शिल्पिक सहायता; प्रशिक्षण योजना; औद्योगिक बस्तियों और औद्योगिक सहकारिता की स्थापना; आर्थिक सहायता; सामान की बिक्री के प्रबन्ध आदि पर खर्च किया जाना चाहिए।

बैठक में कहा गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर कम विकसित भागों में आधुनिक किस्म के छोटे-छोटे उद्योग खोलकर देश का औद्योगीकरण करना ही तीसरी योजना का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

सदस्यों ने यह सन्तोष प्रकट किया कि दूसरी योजना में छोटे उद्योगों के क्षेत्र में १ लाख ६० हजार नौकरियों की व्यवस्था करने का जो लक्ष्य रखा था, वह पूरे से भी बढ़ जाएगा। योजना के पहले चार वर्षों में ही इतने लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तीसरी योजना में भी अगर उक्त प्रस्ताव के अनुसार छोटे उद्योगों का विकास किया जाए तो इस

खान (संशोधन) अधिनियम का पालन

भारत सरकार ने १६ जनवरी से खान (संशोधन) अधिनियम, १९५९ लागू कर दिया है। यह विधेयक संसद ने पिछले अधिवेशन में पास किया था।

इस संशोधित अधिनियम में 'खान' का अर्थ और विस्तृत कर दिया गया है। अब पत्थर निकालने की खानें, मुली ढलाई के कारखाने, निजी रेलें, 'रोप-वे' आदि भी इसमें शामिल कर लिये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार अब उन खानों में जहां १५० से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, प्रारम्भिक चिकित्सा का इंतजाम करना होगा। पहले इस अधिनियम के अनुसार ५०० से ज्यादा मजदूरों के लिए यह इंतजाम करना होता था।

अगर कोई खान मालिक खान निरीक्षणालय के ऐसे नोटिस की अवहेलना करे, जिसमें मजदूरों की जान आदि का खतरा दूर करने के लिए कहा गया हो, तो इस अधिनियम के अनुसार वह खान कोई मजदूर नियुक्त नहीं कर सकेगी। इसके अनुसार खानों के अन्दर और बाहर काम करने वाले, दोनों प्रकार के मजदूरों को एक-सा अतिरिक्त कार्य का भत्ता देना पड़ेगा।

इस अधिनियम की धाराओं की अवहेलना करने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी गयी है और कैद की भी व्यवस्था की गयी है।

१९५९ में मोटर गाड़ियों का उत्पादन

सन् १९५९ में देश में मोटर गाड़ियों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण कारों, ट्रकों और अन्य मोटर गाड़ियों के पुर्जों का काफी मात्रा में देश में ही बनना और आयात में काफी वृद्धि होना था।

इस साल ३६,४६८ कारें, ट्रकें, बसें और जीपें बनीं। इतनी मोटर गाड़ियां अब तक कभी नहीं बनी थीं। पिछले तीन सालों, १९५६, १९५७ और १९५८ में क्रमशः ३२,१३८, ३३,०५८ और २६,७८८ मोटर गाड़ियां बनी थीं। मोटर गाड़ियों की अलग-अलग संख्या इस प्रकार है: ट्रक और बसें १९,०९९; कारें ११,९९३ और जीपें ५,३७६।

१९५८ में कुल ८,११३ मोटर कारें बनी थीं, जबकि १९५९ के नवम्बर में १,३२१ और दिसम्बर में १,६०० मोटर कारें तैयार हुईं।

बिजली इंजीनियरी में व्यावहारिक अनुसंधान के लिए केन्द्र

बिजली इंजीनियरी में व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिए देश में एक स्थायी बिजली अनुसंधान केन्द्र खोला जाएगा। इसके लिए बंगलौर में प्रारम्भिक कार्य किया जा चुका है। वहां एक छोटा-सा केन्द्र खुल चुका है, जहां अनुसंधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस संस्था के दो मुख्य भाग होंगे। एक भाग बंगलौर में और दूसरा भोपाल में खोला जाएगा। बंगलौर वाले केन्द्र में उच्च वोल्टेज, साधारण बिजली इंजीनियरी, मेकैनिकल और पनबिजली इंजीनियरी में अनुसंधान किये जाएंगे।

भोपाल वाले केन्द्र में एक प्रयोगशाला स्थापित होगी, जहां स्विच-गीयर के बारे में परीक्षण आदि होंगे। बिजली की उच्च शक्ति के सम्बन्ध में व्यावहारिक समस्याओं पर भी यहां पड़ताल की जाएगी।

इन अनुसंधानों से बिजली बनाने के अच्छे तरीके निकाले जाएंगे और बिजली की खपत में बचत की जा सकेगी। इसकी सहायता से देश में बिजली का सामान बनाने के भी तरीके निकाले जाएंगे।

इस संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष कोष ने ९१ लाख रु० की विदेशी मुद्रा भी दे दी है। अगले चार वर्षों में इस संस्था पर २ करोड़ रु० खर्च होगा। इसे पूरी तरह चालू होने में ७ साल लगेंगे और लगभग ५ करोड़ रु० खर्च होगा।

स्पार्क प्लग के लिए पोर्सलिन इनसुलेटर बनाने की विधि

कांच और चीनी मिट्टी की केन्द्रीय अनुसंधान संस्था (सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट) में विस्तृत अनुसंधान के पश्चात १४ एम-एम मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग के लिए स्वदेशी कच्चे पदार्थों से पोर्सलिन इनसुलेटर बनाने की विधि का विकास किया गया है। इसके बनाने की विधि वैसी ही है जैसी हाई टेंशन इनसुलेटर बनाने की विधि है, लेकिन इसमें कच्चे पदार्थ और क्रिया में अधिक नियन्त्रण की आवश्यकता होती है।

स्पार्क प्लग मोटर गाड़ियों के इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वे फुएल एयर मिक्सर को अधिक गरम करने में, विद्युत स्पार्क के उत्पादन में और बिजली-उत्पादन में उपयोग में लाये जाते हैं। सिरेमिक इनसुलेटर का बनाना एक विशिष्ट कार्य है। अभी ये भारत में नहीं बनते।

१९५६-५७ में भारत में अनुमानतः तमाम प्रकार की मोटर गाड़ियां ४५ लाख चलती थीं, और प्रत्येक गाड़ी में औसतन ४-६ स्पार्क प्लगों की आवश्यकता होती है। १९५७ में ३१,९३२ गाड़ियों का उत्पादन हुआ था। टटकर आयोग के आंकड़ों के अनुसार १९५५ में १५,००,००० स्पार्क प्लग की वार्षिक खपत थी और निकट भविष्य में बढ़कर २० लाख तक होने की सम्भावना है। भारत में केवल दो फर्में स्पार्क प्लग के धात्विक भाग को बना रही हैं और पोर्सलिन वाले भाग सेंट्रल इलेक्ट्रोड के साथ आयात किये जा रहे हैं। १९५८ में स्पार्क प्लग की उत्पादन संख्या ७३६,२५१ थी।

अनुसंधान संस्था द्वारा निकाली गयी विधि से बने माल की तुलना विदेशों से आयात होने वाले माल से की जा सकती है।

हाई टेन्शन इनसुलेटर बनाने वाले कारखानों में स्पार्क प्लगों के लिए पोर्सलिन इनसुलेटर बड़ी सुविधा से बनाये जा सकते हैं। आवश्यकता होने पर अलग यूनिट भी स्थापित किया जा सकता है। सिरेमिक उद्योग में काम आने वाले सयन्त्र और मशीनों की ही इस उद्योग में आवश्यकता है। केवल टनल भट्ठियों का विदेशों से आयात करना होगा। जरूरत होने पर स्पार्क प्लग टर्निंग और स्पन वाल्टिन ग्लेजिंग मशीन आयात की जा सकती हैं।

खड़गपुर की विज्ञानशाला में कोयले से तरल ईंधन का उत्पादन

खड़गपुर की भारतीय शिल्प-विज्ञानशाला में कोयले से तरल ईंधन (सिंथेटिक) तैयार करने के लिए एक आजमायशी कारखाना खड़ा किया गया है। देश में सम्भवतः यह अपनी किस्म का पहला कारखाना है। यह जनवरी के मध्य से चालू हो गया है।

कोयले के लिए प्रति मील ५० नये पैसे के हिसाब से होना चाहिए। नजीरा कोयला खानों से कोयले की ढुलाई ३ रु० प्रति टन के हिसाब से लगा दी जानी चाहिए। कोयला कन्ट्रोलर यदि उचित समझेगा तो माल की ढुलाई के भाड़े में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।

(४) सभी परिस्थितियों पर विशेषकर खासी क्षेत्र की कोयला खानों पर विचार करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस क्षेत्र की कोयला खानों के कोयलों के दामों में वृद्धि करने की जरूरत नहीं है और वर्तमान दाम जारी रहने चाहिए।

(५) समिति ने नजीनाथ के कोयला खान क्षेत्र की कोयला खानों के कोयले के दाम बढ़ाने की सिफारिश नहीं की। जहां तक मैसर्स चेरा—चट्टक रोपवे कम्पनी की चेरापूंजी खानों का प्रश्न है, वहां के कोयलों का दाम घटाकर कखासी पहाड़ी की अन्य कोयला खानों के कोयलों के दाम के बराबर कर देने की सिफारिश की गई है।

सिंगरेनी

(१) समिति ने मध्य प्रदेश की कोयला खानों के बारे में जो नियम निर्धारित किए हैं, उनकी तुलना में सिंगरेनी समूह की कोयला खानों में 'मजदूरी', 'मजदूरों की सुविधा' और 'भण्डार' खर्च को छोड़कर कोयले का वास्तविक मूल्य उचित है। समिति की राय में उक्त तीन कारणों से वस्तुत कोयले की कीमत ऊंची हो जाती है, क्योंकि इस समूह की खानों को न केवल मजदूरों को बल्कि १२,५०० आबादी के पूरे कस्बे को भी कई प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ती हैं। ये सुविधाएं जारी रहनी चाहिएं।

(२) सिंगरेनी खान के कोयलों को भी बम्बई, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की अन्य खानों की तरह किस्म के अनुसार बांटा जाना चाहिए। इनके ग्राहक अनेक साइज के कोयले लेने के आदी हो गए हैं, अतः सात आकार के कोयलों का दाम नियत किए जाते रहना चाहिए।

(३) समिति ने किस्मों के अनुसार दाम निर्धारित करने की सिफारिश की है, जिसमें मुनाफा प्रति टन १ रु० ७५ न० पै० से कम होगा, जिसे समिति ने अन्य कोयला खानों के लिए उचित माना है। कम्पनी उत्पादन को बढ़ाकर और कोयला निकालने के खर्च में कमी कर इसकी पूर्ति कर सकती है।

साफ्ट कोक

समिति ने साफ्ट कोक के उत्पादन की लागत के बारे में काफी आंकड़े एकत्र किए हैं क्योंकि साफ्ट कोक का उत्पादन एक सहायक-उत्पादन है और यह घटिया किस्म के कोयले से बनाया जाता है। इन परिस्थितियों में कच्चे कोयले के दाम के अनुसार साफ्ट कोक का भाव निर्धारित किया जाए। इसलिए अब तक सरकार जो रूपांतर सिद्धान्त—१ टन कच्चे कोयले का एक-तिहाई टन साफ्ट कोक—काम में ला रही है, वह ठीक है। अतः साफ्ट कोक का वर्तमान भाव जारी रहना चाहिए।

संदर्भ भारत सरकार ने मई १९५७ में कोयला दाम पुनर्निर्धारण समिति, देश की खानों में कोयला और साफ्ट कोक के उत्पादन के खर्च का पता लगाने और उसके मूल्य पुनः निर्धारित करने के लिए नियुक्त की थी।

समिति ने दिसम्बर १९५८ में आसाम और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य कोयला खानों के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को २४ अगस्त, १९५९ को स्वीकार किया था।

पेट्रोलियम-पदार्थों से सम्बद्ध समिति नियुक्त

भारत सरकार ने पेट्रोलियम से तैयार होने वाली चीजों की समस्याओं पर विचार करने के लिए १५ सदस्यों की समिति नियुक्त की है। यह समिति इन चीजों की मांग, सप्लाई, वितरण और खपत का विशेष रूप से अध्ययन करेगी और इसके बारे में सरकार को सलाह देगी।

केन्द्रीय खान और तेल मंत्री, श्री केशवदेव मालवीय इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं : सर्वश्री फीरोज गांधी, संसद सदस्य; एस० निजलिंगप्पा; ए० के० राय; ओ० पुल्ला रेड्डी; एस० रंगनाथन; किरपाल सिंह; त्रिलोक सिंह; डा० नगेन्द्र सिंह; के० के० साहनी; एल० डी० सूद; जे० एस० सिनक्लेयर; जे० आर० ब्राइस; डब्ल्यू० पी० जी० मैकलाचलन और एम० आर० कोठावाला।

समिति के अध्यक्ष को किसी भी अन्य व्यक्ति को समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार होगा। समिति की बैठक, तीन महीने में कम से कम एक बार जरूर होगी।

नवम्बर १९५९ में खनिज-लौह का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुमान के अनुसार नवम्बर १९५९ में ६,५४,००० मैट्रिक टन खनिज लोहा निकाला गया। इसे मिलाकर नवम्बर १९५९ तक कुल ७०,५४,००० मैट्रिक टन खनिज लोहा निकाला गया। यह उत्पादन पिछले साल की इसी अवधि से २७ प्रतिशत अधिक है।

बिहार और उड़ीसा में कुल २,५२,००० मैट्रिक टन खनिज लोहा निकाला गया। इसके अलावा मैसूर में ७७,०००; बम्बई में २६,००० और मध्य प्रदेश में १७,००० मैट्रिक टन खनिज लोहा निकाला गया।

नवम्बर में लोहा और इस्पात कारखानों को ४,८३,००० मैट्रिक टन खनिज लोहा भेजा गया। इसी महीने १,९६,००० मैट्रिक टन खनिज लोहा विदेशों को भेजा गया।

खनिज सीसे और जस्ते का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार देश में जनवरी से नवम्बर, १९५९ तक १ लाख ४७ हजार मैट्रिक टन खनिज जस्ते और सीसे का उत्पादन हुआ है।

यह उत्पादन पिछले वर्ष के इसी अवधि के उत्पादन से लगभग ४० प्रतिशत अधिक है। यह जस्ता और सीसा राजस्थान के उदयपुर जिले में निकाला गया।

सीसे को शुद्ध करने के लिए बिहार राज्य में टुंडू के कारखाने में भेजा जाता है। भारत में जस्ता शुद्ध करने का कोई कारखाना नहीं है, इसलिए इसे शुद्ध करने के लिए जापान भेजा जाता है।

जनवरी से नवम्बर, १९५९ तक ३,६७४ मैट्रिक टन शुद्ध सीसा तैयार किया गया जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में २,९६३ मैट्रिक टन सीसा तैयार किया गया था।

खान (संशोधन) अधिनियम का पालन

भारत सरकार ने १६ जनवरी से खान (संशोधन) अधिनियम, १९५९ लागू कर दिया है। यह विधेयक संसद ने पिछले अधिवेशन में पास किया था।

इस संशोधित अधिनियम में 'खान' का अर्थ और विस्तृत कर दिया गया है। अब पत्थर निकालने की खानें, खुली ढलाई के कारखाने, निजी रेलें, 'रोप-वे' आदि भी इसमें शामिल कर लिये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार अब उन खानों में जहा १५० से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, प्रारम्भिक चिकित्सा का इतजाम करना होगा। पहले इस अधिनियम के अनुसार ५०० से ज्यादा मजदूरों के लिए यह इतजाम करना होता था।

अगर कोई खान मालिक खान निरीक्षणालय के ऐसे नोटिस की अवहेलना करे, जिसमे मजदूरों की जान आदि का खतरा दूर करने के लिए कहा गया हो, तो इस अधिनियम के अनुसार वह खान कोई मजदूर नियुक्त नहीं कर सकती। इसके अनुसार खानों के अन्दर और बाहर काम करने वाले, दोनों प्रकार के मजदूरों को एक-सा अतिरिक्त कार्य का भत्ता देना पड़ेगा।

इस अधिनियम की धाराओं की अवहेलना करने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी गयी है और कैद की भी व्यवस्था की गयी है।

१९५९ में मोटर गाड़ियों का उत्पादन

सन् १९५९ में देश में मोटर गाड़ियों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण कारों, ट्रकों और अन्य मोटर गाड़ियों के पुर्जों का काफी मात्रा में देश में ही बनना और आयात में काफी वृद्धि होना था।

इस साल ३६,४६८ कारें, ट्रकें, बसें और जीपें बनी। इतनी मोटर गाड़िया अब तक कभी नहीं बनी थी। पिछले तीन सालों, १९५६, १९५७ और १९५८ में क्रमश ३२,१३८, ३३,०५८ और २६,७८८ मोटर गाड़िया बनी थी। मोटर गाड़ियों की अलग-अलग सख्या इस प्रकार है ट्रक और बसें १९,०९९; कारें ११,९९३ और जीपें ५,३७६।

१९५८ में कुल ८,११३ मोटर कारें बनी थी, जबकि १९५९ के नवम्बर में १,३२१ और दिसम्बर मे १,६०० मोटर कारें तैयार हुई।

बिजली इंजीनियरी में व्यावहारिक अनुसंधान के लिए केन्द्र

बिजली इंजीनियरी में व्यावहारिक अनुसधान करने के लिए देश में एक स्थायी बिजली अनुसधान केन्द्र खोला जाएगा। इसके लिए बंगलौर में प्रारम्भिक कार्य किया जा चुका है। वहा एक छोटा-सा केन्द्र खुल चुका है, जहा अनुसधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस सस्था के दो मुख्य भाग होंगे। एक भाग बंगलौर में और दूसरा भोपाल में खोला जाएगा। बंगलौर वाले केन्द्र में उच्च वोल्टेज, साधारण बिजली इंजीनियरी, मैकेनिकल और पनबिजली इंजीनियरी में अनुसधान किये जाएगे।

भोपाल वाले केन्द्र में एक प्रयोगशाला स्थापित होगी, जहा स्विच-गीयर के बारे में परीक्षण आदि होंगे। बिजली की उच्च शक्ति के सम्बन्ध में व्यावहारिक समस्याओं पर भी यहा पड़ताल की जाएगी।

इन अनुसधानों से बिजली बनाने के अच्छे तरीके निकाले जाएंगे और बिजली की खपत में बचत की जा सकेगी। इनकी सहायता से देश में बिजली का सामान बनाने के भी तरीके निकाले जाएगे।

इस सस्था के लिए सयुक्त राष्ट्र सघ के विशेष कोष ने ९१ लाख रु० की विदेशी मुद्रा भी दे दी है। अगले चार वर्षों में इस सस्था पर २ करोड़ रु० खर्च होगा। इसे पूरी तरह चालू होने में ७ साल लगेंगे और लगभग ५ करोड़ रु० खर्च होगा।

स्पार्क प्लग के लिए पोर्सलिन इनसुलेटर बनाने की विधि

कांच और चीनी मिट्टी की केन्द्रीय अनुसधान सस्था (सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट) में विस्तृत अनुसधान के पश्चात १४ एम-एम मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग के लिए स्वदेशी कच्चे पदार्थों से पोर्सलिन इनसुलेटर बनाने की विधि का विकास किया गया है। इनके बनाने की विधि वैसी ही है जैसी हाई टेंशन इनसुलेटर बनाने की विधि है, लेकिन इसमें कच्चे पदार्थ और क्रिया में अधिक नियन्त्रण की आवश्यकता होती है।

स्पार्क प्लग मोटर गाड़ियों के इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वे फ्युएल एयर मिक्सर को अधिक गरम करने में, विद्युत स्पार्क के उत्पादन में और बिजली-उत्पादन में उपयोग में लाये जाते हैं। सिरेमिक इनसुलेटर का बनाना एक विशिष्ट कार्य है। अभी ये भारत में नहीं बनते।

१९५६-५७ में भारत में अनुमानित तमाम प्रकार की मोटर गाड़िया ४५ लाख चलती थी, और प्रत्येक गाड़ी में औसतन ४-६ स्पार्क प्लगों की आवश्यकता होती है। १९५७ में ३१,९३२ गाड़ियों का उत्पादन हुआ था। टटकर आयोग के आकड़ों के अनुसार १९५५ में १५,००,००० स्पार्क प्लग की वार्षिक खपत थी और निकट भविष्य में बढ़कर २० लाख तक होने की सम्भावना है। भारत में केवल दो फर्में स्पार्क प्लग के धात्विक भाग को बना रही है और पोर्सलिन वाले भाग सेंट्रल इलेक्ट्रोड के साथ आयात किये जा रहे हैं। १९५८ में स्पार्क प्लग की उत्पादन सख्या ७३६,२५१ थी।

अनुसधान सस्था द्वारा निकाली गयी विधि से बने माल की तुलना विदेशों से आयात होने वाले माल से की जा सकती है।

हाई टेन्शन इनसुलेटर बनाने वाले कारखाने में स्पार्क प्लगों के लिए पोर्सलिन इनसुलेटर बड़ी सुविधा से बनाये जा सकते हैं। आवश्यकता होने पर अलग यूनिट भी स्थापित किया जा सकता है। सिरेमिक उद्योग में काम आने वाले सयन्त्र और मशीनों की ही इस उद्योग में आवश्यकता है। केवल टनल भट्ठियों को विदेशों से आयात करना होगा। जरूरत होने पर स्पार्क प्लग टरनिंग और स्वत चालित ग्लेजिंग मशीन आयात की जा सकती हैं।

खड्गपुर की विज्ञानशाला में कोयले से तरल ईंधन का उत्पादन

खड्गपुर की भारतीय शिल्प-विज्ञानशाला में कोयले से तरल ईंधन (सिंथेटिक) तैयार करने के लिए एक आत्मनिर्भर कारखाना खड़ा किया गया है। देश में सम्भवत यह अपनी किस्म का पहला कारखाना है। यह जनवरी के मध्य में चालू हो गया है।

कारखाने को शिल्प-विज्ञानशाला के रासायनिक इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों ने बनाया है। इसमे रोजाना १०० गैलन तरल ईंधन तैयार होता है।

कारखाने मे फिशर-ट्रोप्स प्रणाली से तरल ईंधन तेल तैयार किया जाता है। इसमें ५ मुख्य खण्ड है, जहा कोयले को विभिन्न तरीकों से तरल ईंधन में बदला जाता है।

इस कारखाने में कम मात्रा मे ही तरल ईंधन तैयार किया जा रहा है। यहा अन्य आजमायशी कारखाने खोलने के लिए डिजाइन, निर्माण, कारखाने के सचालन आदि के बारे में जानकारी और आकडे एकत्र किए जाएगे। यहा रासायनिक इंजीनियरी विभाग के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी और अनुसधान भी किया जाएगा।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में लकड़ी सिझाने का यंत्र

नयी दिल्ली की हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में ४ भट्ठों में लकडी सिझाने के सफल परीक्षण किए गए है। हर भट्ठे में ५०० घन फुट लकडी आ सकती है और इसका आकार २५ फुट × ११ फुट × १० फुट है। सिझाई लकडी के आकार, किस्म और नमी पर निर्भर है। मुलायम लकडी के सिझाने मे ५ से १० दिन लगते है और सागौन जैसी लकडी के सिझाने पर १० से २० दिन तक।

दो छोटे भट्ठे भी यहा बनाए जा रहे हैं। इनमें ४००-४०० घन फुट लकडी आ सकेगी। लकडी सिझाने के छहों भट्ठों के बनाने और मशीनरी आदि पर लगभग २ लाख रु० खर्च होगा और इनके पूरे हो जाने पर एक साथ ३,००० घन फुट लकडी सिझाई जा सकेगी।

इंडोनेशिया के साथ व्यापार-करार की अवधि

भारत और इडोनेशिया के व्यापार-करार की अवधि ३० जून, १९६० तक बढ़ा दी गई है। इस सम्बन्ध में जकार्ता में भारत के राजदूत और इडोनेशिया के परराष्ट्र विभाग के महासचिव ने एक-दूसरे को करारनामे दिए।

क्या आप जानते हैं ?

ह थ क र घा उ द्यो ग

● दूसरी पचवर्षीय योजना के शुरू में ही देश में हथकरघे के कपडे का उत्पादन २५ प्रतिशत से भी अधिक बढ गया है। १९५५ में हथकरघे का १ अरब ५० करोड गज कपडा तैयार हुआ था और १९५९ में १ अरब ९० करोड गज कपडा बनाये जाने का अनुमान है।

● जुलाई १९५९ तक देश में रजिस्टर्ड हथकरघों की सख्या २८ लाख थी और इस समय भारत में १० हजार बुनकर सहकार समितिया काम कर रही है। उनकी सदस्य-सख्या लगभग १२ लाख है। हथकरघे का माल बेचने के लिए देश भर में १,६०० दुकाने खोली गई है।

● अप्रैल १९५५ में जहा केवल ९ लाख से भी कम हथकरघे सहकारी ढग से चलाए जाते थे, वहा अप्रैल १९५९ में इनकी संख्या १२ लाख तक पहुच गई और इस प्रकार सहकारी हथकरघों की सख्या में ३५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

● हथकरघे के कपडे को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के लिए कलेंडर करने और कपडे पर आब देने वाले ९ केन्द्र, ४२३ रगाई-घर और नमूने तैयार करने वाले ४१ कारखाने स्थापित किए गए हैं।

● विभिन्न राज्यों में बुनकरों की बस्तियां बसाने की ३८ योजनाएं अब तक मजूर की जा चुकी है और १ हजार मकान बन चुके है और इतने ही बन रहे है।

● १९५९ के पहले ८ महीनों में लगभग ३॥ करोड रु० का हथकरघे का कपडा बाहर भेजा गया। १९५८ के इन्हीं ८ महीनों में ३ करोड़ १० लाख रु० के हथकरघे के कपडे का निर्यात हुआ था।

भारत और उत्तरी वियतनाम के बीच व्यापार करार की अवधि

२२ दिसम्बर, १९५६ को भारत और उत्तरी वियतनाम के बीच जो व्यापार-करार हुआ था, वह तीन साल के लिए था। कुछ समय से भारत सरकार इस करार को बढाने पर विचार कर रही थी। अब यह निश्चय किया गया है कि दोनों देशों के व्यापार पर २२ दिसम्बर, १९५६ की करार की शर्तें ही लागू रहेगी और यह २२ सितम्बर, १९६२ तक लागू रहेगा। इस आशय के कागज-पत्रों पर हनोई में दोनो सरकारों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मत्रालय की २४ जनवरी की एक विज्ञप्ति में दी गई है।



अक्तूबर १९५९ में औद्योगिक झगड़े

भारत सरकार के श्रम कार्यालय से जानकारी मिली है कि अक्तूबर १९५९ में औद्योगिक झगड़े औसतन ४ दिन तक चले जबकि सितम्बर में ३.४ दिन तक चले थे।

अक्तूबर १९५९ में १३१ नये औद्योगिक झगडे हुए। इस प्रकार इस महीने एक समय में अधिक से अधिक १६८ झगड़े रहे, जिसमें १० तालाबंदिया भी शामिल हैं। १२९ झगड़े इस महीने समाप्त हुए। इनमें से १०९ झगड़े पाच दिन, और ३ झगडे ३० दिन से अधिक नहीं चले।

इस महीने 'निर्माण उद्योग' में १,८९,५३६; 'खानों' में २९,३६८; 'कृषि, वन, मछली-पालन आदि' में १८,१८८ और 'परिवहन तथा सचार' (कारखानों के अलावा) में १२,६१६ जन-दिनों की हानि हुई।

अक्तूबर १९५९ में प० बगाल में १,५६,९४४; बम्बई में २९,१३९; बिहार में २३,८६५; मद्रास में २०,७४६ और आध्र प्रदेश में १०,२२० कार्य-घटों की हानि हुई।

निर्माण उद्योग में अक्तूबर १९५९ में औद्योगिक झगडों का सूचक अंक (१९५१ को आधार=१०० मानकर) ६३ (अस्थायी) रहा, जबकि इससे पिछले महीने केवल ४४ था।

खनिक बूट समिति की रिपोर्ट

भारत सरकार ने जो खनिक बूट समिति नियुक्त की थी, उसने अपनी रिपोर्ट देदी है। समिति ने सिफारिश की है कि कोयला खानों के मजदूरों को दो साल तक बूट और जूतों में से किसी को भी पहनने की छूट देनी चाहिए। पर दो साल के बाद उन्हें सिर्फ बूट ही दिए जाने चाहिए। जूतों के बाद बूट पहनने में मजदूरों को दिक्कत महसूस न हो, इसके लिए समिति ने सुझाव दिया है कि बूट और जूते, दोनों एक ही प्रकार के चमड़े के बनाए जाने चाहिए और जूते, बूटों के निचले भाग जैसे ही होने चाहिए।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि खानों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें अधिकाश मजदूरों की टांगों में ही चोट आती है। इनमें से ६० प्रतिशत लोगों के टखनों और अंगुलियों में चोट आती है। झरिया की कोयला-खानों में हुई पड़ताल से पता चला है कि खानों के भीतर काम करने वाले ५५ प्रतिशत मजदूर और बाहर काम करने वाले ४९ प्रतिशत मजदूर कृमि रोग से पीड़ित रहते हैं। जूता पहनने से इस रोग से बहुत बचाव होता है।

जूतों की खरीद

समिति ने सुझाव दिया है कि जूतों और बूटों की खरीद के लिए खान-मालिकों, मजदूरों के प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की एक समिति बनाई जानी चाहिए। जहां तक हो, जूतों की खरीद के बड़े आर्डर दिए जाने चाहिए। समिति का अनुमान है कि जैसे जूते वे चाहते हैं, उनकी कीमत १९ रु० और बूटों की २२ रु० पड़ेगी। यह उचित ही होगा कि इस दाम का कुछ भाग खान-मालिक और कुछ मजदूर दें।

उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

तीस जनवरी, १९६० की अर्धरात्रि से उड़ीसा के राजगंगपुर, चौद्वार, बारंग, कटक और ब्रजराजनगर के कारखानों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू हो जाने से लगभग १८ हजार २०० मजदूरों को लाभ होने लगा है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत इन मजदूरों को आर्थिक और डाक्टरी सहायता मिलेगी।

डाक्टरी सहायता के लिए राज्य सरकार ने ६ राज्य बीमा डिस्पेंसरियां खोली हैं। मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए तीन स्थानीय कार्यालय और दो उपस्थानीय कार्यालय खोले गए हैं।

अब कारखाने के मालिक कुल मजदूरी का १। प्रतिशत बीमे के लिए विशेष सहायता के रूप में देंगे। इससे पहले कारखानों के मालिक कुल मजदूरी का .७५ प्रतिशत देते थे।

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजनाएं

दिसम्बर १९५९ में तीन राज्य सरकारों ने, निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्रालय के मजदूरों के लिए सरकारी सहायता से मकान बनाने की योजना के अंतर्गत, ५ योजनाएं स्वीकार कीं।

बम्बई सरकार ने ५ लाख ७२ हजार रु० की लागत से पोरबन्दर में १०० मकान और बम्बई में ५२ मकान बनाने की दो योजनाएं स्वीकार की थीं।

दो मालिकों ने ३ लाख ८६ हजार रु० की लागत से अलवई में ५० मकान और कन्ननोर में ५० मकान बनाने का जो कार्यक्रम रखा था, उसे केरल सरकार ने स्वीकार किया।

मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक सहकारी समिति की इंदौर में १ लाख ९२ हजार रु० की लागत से ५० मकान बनाने की योजना को स्वीकार किया।

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार स्वीकृत योजना की लागत का २५ प्रतिशत सहायता के रूप में देती है। इसके अलावा, सरकार मालिकों को स्वीकृत लागत का ५० प्रतिशत और सहकारी समितियों को ६५ प्रतिशत ऋण के रूप में देती है।

दो नये औद्योगिक न्यायाधिकरण

भारत सरकार ने एक औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया है। इसका प्रधान कार्यालय धनबाद में है। श्री जी० पालित इसके प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त किए गए हैं।

सरकार ने एक दूसरा औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया है, जिसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है। इसके प्रिसाइडिंग अफसर श्री सलीम एम० मर्चेंट नियुक्त किए गए हैं। यह न्यायाधिकरण अतिरिक्त न्यायाधिकरण, बम्बई के नाम से पुकारा जाएगा।

नदी योजनाएं और बिजली

भाखड़ा से राजस्थान को बिजली

गंगुवाल और कोटला बिजलीघरों में बनने वाली बिजली में १५.२२ प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का है। इन दोनों बिजलीघरों में अब तक कुल ९६ हजार किलोवाट बिजली बन सकती है। १९६१ में यहां ४८ हजार किलोवाट बिजली बनाने वाले दो यन्त्र और लग जाएंगे।

भाखड़ा-नंगल योजना के गंगुवाल और कोटला बिजलीघरों से राजस्थान के श्रीगंगानगर क्षेत्र को इस महीने के मध्य से बिजली मिलने लगी है। श्रीगंगानगर का बिजलीघर हाल में ही तैयार हुआ था। यहां के लिए मुक्तसर से ६६ के.वी. की लाइन द्वारा बिजली पहुंचाई जाती है।

आशा है कि धीरे-धीरे राजस्थान को और अधिक बिजली दी जाने लगेगी, ताकि कुछ दिनों में उसे भाखड़ा-नंगल योजना में अपने हिस्से की पूरी बिजली मिलने लगे।

कोसी योजना-कार्य के खर्च का अनुमान

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने १६ दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि कोसी योजना-कार्य के खर्च का नया अनुमान ४४.७६ करोड़ रुपये है और यह सारा खर्च बिहार सरकार उठाएगी।

खाद्य और कृषि

अन्तर्जल की खोज

अभी हाल में जमीन के नीचे जल खोजने के कार्यक्रम का पहला भाग भारत में सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। केन्द्रीय कृषि और खाद्य मंत्रालय के एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स आर्गनाइजेशन ने अमरीकी विशेषज्ञों की सहायता से देश के विभिन्न भागों में २८२ स्थानों पर पानी के लिए जमीन को बेधा। इसका परिणाम बड़ा उत्साहवर्धक रहा और कहीं-कहीं तो आशातीत सफलता मिली।

इस आजमाइशी कार्यक्रम की सफलता के बाद भारत सरकार ने दूसरा कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसे भारतीय इंजीनियर बिना किसी विदेशी सहायता के चला रहे हैं। नलकूप संगठन के इंजीनियर भूगर्भ सर्वे के बताए स्थानों पर जाकर जमीन में पानी निकालने के लिए छेद करते और नलके बिठाते हैं।

भारतीय भूगर्भ सर्वे की सलाह पर आरम्भ में १५ चुने हुए क्षेत्रों में खुदाई की गई थी। इसके लिए नदी घाटियां, समुद्र के पास के इलाकों और उन स्थानों को चुना गया, जहां जमीन के भीतर सख्त चट्टानें नहीं हैं और जहां बहुत अधिक पानी होने की सम्भावना थी।

राजस्थान में सफलता

राजस्थान के जैसलमेर जिले के चदन नामक स्थान पर अत्यधिक पानी मिला है। यहां के नलकूप से एक घंटे में ५१ हजार गैलन पानी निकाला जा सकता है। आशा है कि जल्दी ही इसके आसपास और नलकूप लगाए जा सकेंगे। मालूम होता है कि यहां पर जमीन के भीतर कोई बड़ी झील या पुरानी नदी है। पर यह आश्चर्य की बात है कि इसी क्षेत्र में पश्चिम में जैसलमेर और बीकानेर से पूरब में रतनगढ़ और सीकर तक ८० हजार वर्गमील में ९ और स्थानों पर जो कुएं खोदे गए, उनमें पानी कहीं नहीं मिला यद्यपि कहीं-कहीं तो १ हजार फुट की गहराई तक खुदाई की गई।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर, फैजाबाद और सुल्तानपुर जिलों में खुदाई करने से पता चला है कि यहां ५०० से ६०० फुट की गहराई पर काफी पानी है। इन जिलों में अब तक जो नलकूप लगाए गए हैं, उनकी गहराई ३०० फुट से ज्यादा नहीं है। अतः इनसे पर्याप्त पानी नहीं मिल सका और इन जिलों को नलकूपों के लिए अनुपयुक्त समझा जाने लगा। पर इस नई खोज से इन जिलों के किसानों को बहुत लाभ होगा।

बम्बई राज्य में नलकूप संगठन ने पूर्णा और ताप्ती घाटियों और सौराष्ट्र तथा कच्छ के कुछ भाग में पानी की खोज में कुएं खोदे। यहां पर सफलता तो मिली है, पर उतनी नहीं, जितनी आशा थी। फिर भी कच्छ में कुछ नलकूप लगाने की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मद्रास में भी पानी की खोज की गई और कुछ स्थानों पर नलकूप लगाने की राय दी गई। इन नलकूपों से इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी में भीतरी जल की खोज जारी है और अब तक संतोषजनक सफलता मिली है।

देश की सिंचाई की आवश्यकताओं को देखते हुए भीतरी जल की खोज निरन्तर चलनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि इस पर निगाह रखी जाए कि ऋतु के अनुसार पानी की सतह कितनी घटती-बढ़ती है और अत्यधिक पानी न निकाला जाए। नहीं तो उसकी सतह बहुत नीची हो जाएगी और फिर पानी निकालने में दिक्कत होगी।

आशा है कि वैज्ञानिक ढंग से अन्तर्जल की खोज जारी रखने से एक दिन रेगिस्तानों के नीचे बड़ी-बड़ी झीलें और सूखे मैदानों के नीचे बहती हुई नदियां मिलेंगी, क्योंकि नदियों और वर्षा का पानी भूगर्भ में रिसता रहता है और इस प्रकार वहां करोड़ों गैलन पानी मौजूद है।

जलाशयों में पानी के सूखने में कमी : रासायनिक परीक्षण

बम्बई में लोनावला के पास वालवाहन झील में पानी के धूप से सूखने को रोकने के परीक्षण किए जाएंगे। इसी तरह के परीक्षण *दिल्ली के पास बड़कल, मद्रास में पुंडी के पास* बुदेरी और मैसूर में कुकराहल्ली झीलों में १९५८-५९ में किए गए हैं।

इन परीक्षणों से पता लगा कि पानी की सतह पर सिटाइल अलकोहल छिड़क देने से २० से २५ प्रतिशत तक पानी कम उड़ता है। लेकिन सिटाइल अलकोहल पानी पर बराबर पड़ा रहना चाहिए तभी इसका पूरा लाभ होता है।

आजकल सिटाइल अलकोहल विदेशों से आता है। इसलिए इसकी जगह कोई दूसरी देसी चीज काम में लाने के परीक्षण किए जा रहे हैं। शुद्ध सिटाइल अलकोहल की अपेक्षा सिटाइल और स्टियरील अलकोहल को आधा-आधा मिला कर पानी पर छिड़कने से अधिक फायदा देखने में आया है। भविष्य में इसी मिश्रण से परीक्षण किए जाएंगे।

कृषि अनुसन्धान में रेडियो आइसोटोप : अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

"अनाज की पैदावार बढ़ाने में विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से सहायता लेनी बहुत आवश्यक है। कृषि उपज की समस्या हल करने में सभी क्षेत्रों से उपयुक्त मदद और जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए।" ये शब्द २० जनवरी को नयी दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री, डा० पंजाबराव देशमुख ने कहे। उन्होंने कृषि अनुसंधान में रेडियो आइसोटोपों के प्रयोग पर एक मास के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उत्तरी अमरीका और यूरोप में रेडियो आइसोटोपों और विकिरण की सहायता से खेती के विषय में काफी अनुसंधान हो रहे हैं। लेकिन भारत और उसके आसपास के देशों में ये अनुसंधान इधर कुछ ही वर्षों से किए जाने शुरू हुए हैं। यह वांछनीय है कि कम विकसित देशों में शीघ्र ही यह काम शुरू हो जाए, क्योंकि इन देशों में अनाज की उपज बढ़ाने और अनाज को गोदामों में सुरक्षित रखने की बहुत आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अणु-शक्ति की मदद से कृषि की समस्या हल करने पर भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए अणु-शक्ति विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में विशेष

सलाहकार समितियां बनाई गई हैं। १९५६ से हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में रेडियो आइसो टोपो के इस्तेमाल के संबंध में ३ महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी हो रहा है।

डा० देशमुख ने कहा कि दक्षिण एशिया के देशों की समृद्धि खेती की पैदावार बढ़ाने पर ही निर्भर है। उर्वरक, कीड़े मारने की दवाइयां आदि डालने के तरीकों में और पौधों की किस्म सुधारने में रेडियो आइसोटोपों की मदद ली जा सकती है। विकिरण की सहायता से कीड़ों की सन्तानोत्पत्ति रोकी जा सकती है।

उक्त पाठ्यक्रम में बर्मा, लंका, पाकिस्तान, थाईदेश और भारत के २५ प्रशिक्षार्थी भाग ले रहे हैं। यह पाठ्यक्रम युनेस्को, खाद्य और कृषि संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति संस्था और भारत सरकार की ओर से हो रहा है।

कृषि प्रदर्शनी में खाद्य-पदार्थों की सुरक्षा और पौष्टिकता सम्बन्धी ट्रेनिंग

विश्व कृषि प्रदर्शनी के विज्ञान मण्डप में मुख्य सेविका ट्रेनिंग केन्द्रों की अध्यापिकाओं को खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और पौष्टिकता के सम्बन्ध में १५ दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका समारम्भ १८ जनवरी को सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय के सचिव ने किया।

यह ट्रेनिंग मैसूर की केन्द्रीय खाद्य-विज्ञान अनुसंधानशाला के सहयोग से दी जा रही है और इसमें १० मुख्य सेविका ट्रेनिंग केन्द्रों की १-१ अध्यापिका शिक्षा ले रही है।

ट्रेनिंग के अन्तर्गत उन्हें फल और सब्जी को सुरक्षित रखने के सिद्धान्त तथा उन्हें डिब्बा में बन्द करने और उनका रस निकालने की व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें मुरब्बा, चटनी आदि बनाना भी सिखाया जा रहा है।

यह ट्रेनिंग गांव की जरूरतों को देखते हुए दी जा रही है। मुख्य सेविकाएं यहां जो कुछ सीखेंगी, उसे वे ग्राम सेविकाओं को बताएंगी और ग्राम सेविकाएं उसे गांव की हजारों स्त्रियों को सिखाएंगी।

क्या आप जानते हैं ?

भारत में तम्बाकू की उपज

● भारत की अर्थ-व्यवस्था में तम्बाकू का बहुत महत्त्व है। इसकी खेती से देश भर में किसानों को करीब ४० करोड़ रु० की वार्षिक आय होती है और इस पर उत्पादन-कर से सरकार को हर साल ५० करोड़ रु० की आय होती है। उसकी खेती और इसके विभिन्न उद्योगों से लाखों आदमियों को रोजी मिल रही है।

● तम्बाकू पैदा करने वाले देशों में अमरीका और चीन के बाद भारत का ही नम्बर है। अनुमान है कि १९५८-५९ में देश में ८,७७,००० एकड़ जमीन में तम्बाकू की खेती हुई।

● १९५८ में देश से सबसे अधिक—लगभग १६ करोड़ रु० की १० करोड़ ६० लाख पौंड—तम्बाकू निर्यात हुई।

● भारत में होने वाली तम्बाकू में निकोटियाना टवैकुम और निकोटियाना रस्टिका बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। निकोटियाना टवैकुम को वर्जीनिया भी कहते हैं। इसकी विदेशों में काफी मांग है। इसका रंग सुनहरा होता है और इसकी महक बहुत पसंद की जाती है। इसमें कुछ और किस्म का तम्बाकू मिला कर सिगरेट, सिगार, चुरुट और बीड़ियां बनाई जाती हैं। निकोटियाना रस्टिका से हुक्के का और खाने का तम्बाकू तथा सूंघने का नस्वार बनाया जाता है।

● आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती सबसे ज्यादा होती है। देश में वर्जीनिया तम्बाकू का ३३ प्रतिशत उत्पादन इसी राज्य में होता है। आंध्र प्रदेश के बाद बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश का नम्बर है।

● देश में तम्बाकू की उन्नति के लिए भारत सरकार ने १९४५ में स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति स्थापित की।

● इस समिति ने राजामुन्द्री (आंध्र प्रदेश) में केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था खोली। बाद में चार अनुसंधान केन्द्र और खोले गए (१) गुंटूर में सिगरेट तम्बाकू अनुसंधान उप केन्द्र, (२) वेदसन्दूर (मद्रास) में सिगार और चुरुट का तम्बाकू, (३) पूसा (बिहार) में हुक्के और खाने का तम्बाकू, और (४) दिनहाटा (प० बंगाल) में लपेटने और हुक्के के तम्बाकू के अनुसंधान केन्द्र। दूसरी योजना में हन्सूर (मैसूर) में भी तम्बाकू अनुसंधान केन्द्र खोला जाएगा।

○ इनके अलावा केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था की देखरेख में ये योजनाएं भी चालू हैं. बीड़ी तम्बाकू अनुसंधान उपकेन्द्र, निपानी (बम्बई), बीड़ी तम्बाकू अनुसंधान योजना, आनन्द (बम्बई), और हुक्का तम्बाकू अनुसंधान उपकेन्द्र, फिरोजपुर (पंजाब)।

○ कच्ची और बनी हुई तम्बाकू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए १९५६ में तम्बाकू निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापित की गयी।

भण्डार निगमों के मैनेजिंग डायरेक्टरों का सम्मेलन

नयी दिल्ली में २५ जनवरी को राज्यों के भण्डार निगमों के मैनेजिंग डायरेक्टरों का सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें इस बात पर विचार किया गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य भण्डार निगम, किन-किन स्थानों पर नये भण्डार खोलें। केन्द्रीय भण्डार निगम के अध्यक्ष, श्री एल०जी० राजवाड़े ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।

१९५६ के कृषि उपज (विकास तथा भण्डार) नियम अधिनियम के अनुसार जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के सब राज्यों में भण्डार निगम स्थापित किए गए हैं। इनकी हिस्सा पूंजी में राज्य के निगम और केन्द्रीय निगम आधा-आधा देते हैं। केन्द्रीय भण्डार निगम अखिल भारतीय महत्त्व की मंडियों में भण्डार बनाता है और राज्यों के राज्यों के लिए जरूरी स्थानों पर

सामुदायिक विकास

भुवनेश्वर में विधायक शिविर

उड़ीसा विधानसभा और संसद सदस्यों का ६ दिन का एक अध्ययन-शिविर ४ से ९ जनवरी, १९६० तक भुवनेश्वर में लगा। पिछले साल इस प्रकार के तीन शिविर आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगे थे। लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिए ये शिविर काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

भुवनेश्वर शिविर का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्य मंत्री, डा० हरेकृष्ण मेहताब ने किया। शिविर में केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री, श्री सुरेन्द्र कुमार दे, उपमंत्री, श्री बी० एस० मूर्ति, संसद के ८ सदस्य, उड़ीसा के सामुदायिक विकास मंत्री, श्री एल० पी० मिश्र, विधानसभा के ३० सदस्य जिनमें दो महिला सदस्य थीं, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के महामंत्री और विकास क्षेत्रों के प्रधान और विकास क्षेत्र अधिकारियों ने भाग लिया।

इस शिविर में प्रति दिन एक अध्यक्ष चुना जाता था। सवेरे ९ बजे से १ बजे तक और दोपहर बाद ३ बजे से ६ बजे तक विभिन्न समस्याओं पर साफ और खुली बहस होती थी। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। बहस के विषय थे (१) भारतीय संविधान, (२) तीन बुनियादी संस्थाएं—पंचायत, सहकारी समितियां और गांव-स्कूल, (३) पंचायत राज, (४) सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण, (५) सहायक संस्थाएं और कार्यशील लोकतंत्र, (६) योजना और विकास-कार्य का विकास खण्ड द्वारा प्रशासन और (७) विकास कार्य में जनता के प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य।

प्रशासन व्यवस्था

उड़ीसा के मुख्य मंत्री, श्री महताब ने अपने उद्घाटन भाषण में विकास योजनाओं की असफलता के लिए प्रशासन व्यवस्था को दोषी ठहराने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर खेद प्रकट किया। जब योजना बनाते समय सरकारी कर्मचारियों से परामर्श नहीं लिया जाता तो असफलता के लिए उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता।

दूसरे दिन भाषण करते हुए केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री, श्री दे ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों ने विकास खण्ड पंचायत समितियों को योजना बनाने और विकास कार्यक्रम को पूरा करने का अधिकार सौंपा है। अतः इन समितियों के सदस्यों पर योजना को पूरा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व है।

उड़ीसा के सामुदायिक विकास मंत्री, श्री एल० पी० मिश्र ने शिविर में भाग लेने वालों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज से स्थानीय जनता में अगुवा पैदा होंगे। स्वेच्छा से संस्थाएं संगठित होंगी। जब तक ऐसी संस्थाएं जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अच्छा बनाने में पूरा योगदान नहीं करतीं, तब तक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। गांव, क्षेत्र, जिला और राज्य स्तर पर वास्तविक योजना बनाने के लिए कार्यकर्त्ताओं को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। इस प्रकार के शिविर बहुमूल्य राय दे सकेंगे।

केन्द्रीय उपमंत्री, श्री बी० एस० मूर्ति ने कहा कि विधायकों के इस प्रकार के शिविरों की परमावश्यकता है। अपनी सहायता और आत्म-निर्भरता से लोगों का रहन-सहन ऊंचा उठाने के लिए विधायकों और पंचायत समितियों के सदस्यों में काफी विचार-विमर्श होना चाहिए। श्री मूर्ति ने कहा कि पंचायत राज एक क्रांतिकारी उपाय है, जिसे सफल करने में प्रत्येक विधायक को हिस्सा बटाना चाहिए।

संविधान

संविधान और उसके लागू होने के बाद देश की उन्नति की पहले दिन समीक्षा की गयी। इस बात पर विचार किया गया कि क्या स्थानीय संस्थाओं को पूरा उत्तरदायी बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है? सुझाव में कहा गया है कि संविधान में संघीय, और सम्मिलित सूचों की भांति 'स्थानीय सूची' भी शामिल की जाए। इस स्थानीय सूची में गांव पंचायत, क्षेत्र समितियां, जिला परिषद आदि रहेंगे।

श्री दे ने इस बहस में भाग लेते हुए कहा कि हमारा संविधान काफी लचीला है। केवल कानून बना देने से कार्य पूरा नहीं हो सकता। जनता में राजनीतिक जागृति और उत्तरदायित्व निभाने की भावना पैदा करनी चाहिए।

अधिकार और उत्तरदायित्व

अधिकार और उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में श्री दे ने कहा कि बलवन्त राय मेहता समिति के सुझावों के अनुसार पंचायती राज की स्थापना की जा रही है, जिससे सबसे नीचे की इकाइयां विकास-कार्य में पूरा योग दे सकें।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री एम० आर० भिडे की अध्यक्षता में जयपुर में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का दो दिन का सम्मेलन ३० जनवरी को समाप्त हो गया। श्री भिडे ने अपने भाषण में कहा कि भूमि के सुधार के लिए किसानों को मध्य अवधि के ऋण देना आवश्यक है। इससे जमीन का कटाव रोकना, सिंचाई, कृषि के उन्नत तरीके अपनाना आदि काम किए जा सकेंगे। खेती की उपज बढ़ाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है।

बैठक में भाग लेने वाले कुछ रजिस्ट्रारों ने यह सुझाव दिया कि जमीन के बंधक पर रिजर्व बैंक जो ऋण देता है, उस के नियमों में कुछ ढील देना आवश्यक है, क्योंकि इस योजना से वे किसान लाभ नहीं उठा पाते जो दूसरों की जमीन जोतते हैं।

बैठक ने कुछ बहस के बाद अध्यक्ष का यह सुझाव स्वीकार कर लिया कि यदि उचित जमानत के बिना मध्यम अवधि के ऋण नहीं दिए जा सकते तो कम से कम पशु आदि खरीदने के लिए कुछ रकम उधार देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बैठक में सहकारिता की शिक्षा, इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की ट्रेनिंग आदि की बम्बई और मद्रास में चालू योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री विष्णुसहाय ने ट्रेनिंग को केवल लेक्चरों तक सीमित रखने की बजाय व्यावहारिक बनाने का सुझाव दिया।



राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन

नयी दिल्ली में २२ जनवरी को राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन आरम्भ हुआ, जिसमें दस देशों के तीस से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रसारण और टेलीविजन सम्बन्धी टेक्निकल विषयों पर विचार किया गया। सूचना और प्रसारण मन्त्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर ने सम्मेलन की बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत जैसे देश के लिए, जो अभी अपनी उन्नति के पहले ही चरण में है, रेडियो और टेलीविजन बहुत महत्त्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि देश में रेडियो का आरम्भ देर से हुआ। १९४७ में जब देश स्वतन्त्र हुआ था, तब यहां केवल ६ रेडियो-केन्द्र थे। बाद में इसने काफी उन्नति की और अब यहां २८ रेडियो केन्द्र हैं। इनसे १५ से भी अधिक भाषाओं में कार्यक्रम होते हैं। रोजाना लगभग ११॥ घंटों में ४५ से भी अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। इस समय देश भर के लिए सभी केन्द्रों से कुल १,०९,२२७ घंटे कार्यक्रम होता है। इस प्रकार अब तक हमने १९४७ से ४-५ गुनी उन्नति कर ली है। परन्तु हमें अभी और भी उन्नति करनी है और इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

भारत की प्रसारण सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा करते हुए, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सचिव, श्री आर० के० रामध्यानी ने कहा कि हमारे देश में बहुत-से प्रसारण केन्द्र हैं, पर रेडियो सुनने वालों की संख्या, रेडियो सेटों के अनुसार, २० लाख से कम है। वैसे हमारे गावों में लगभग ७० हजार रेडियो-सेट लगे हैं, जहां बहुत-से लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम सुनते हैं। पर अभी भी हमारी सबसे बड़ी समस्या सुनने वालों की संख्या बढ़ाना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश में ऐसी स्थिति हो, जिससे लाखों लोग रेडियो सेट खरीद सकें।

स्नातकोत्तर इंजीनियरी पाठ्यक्रम विकास समिति की बैठक

हाल ही में भारत सरकार ने इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास की समीक्षा करने के लिए जो विशेष समिति नियुक्त की थी, १७ जनवरी को उसकी पहली बैठक नयी दिल्ली में हुई। वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्रालय के सचिव और समिति के प्रधान प्रो० एम० एस० ठाकर इस बैठक के अध्यक्ष थे।

समिति के प्रधान ने देश और विदेश में इंजीनियरी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के बारे में एक टिप्पणी तैयार की थी। उक्त बैठक में इस पर विचार किया गया। सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि देश में इंजीनियरी और प्रौद्योगिक शिक्षा में सुधार करने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय सुझाए जाए। अगर आवश्यक समझा जाए तो इसका ढांचा बदलने की भी सिफारिश करनी चाहिए।

समिति ने एक प्रश्नावली के मसौदे पर भी विचार किया, जो देश की विभिन्न संस्थाओं, औद्योगिक संगठनों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएगी।

आशा है कि यह समिति इस साल जुलाई या अगस्त में अपनी रिपोर्ट दे देगी। यह समिति स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं का दौरा करेगी और वहां के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करेगी। समिति के अन्य सदस्यों के नाम हैं डा० ए० एन० खोसला, डा० के० एस० कृष्णन्, डा० डी० एस० कोठारी, डा० एच० एल० राय, श्री पी० आर० रामकृष्णन् (संसद सदस्य), प्रो० बी० सेनगुप्त, डा० पी० के० केलकर, डा० एम० भगवन्तम और श्री जी० के० चंडीरमानी।

माध्यमिक स्कूलों के छात्रों की अखिल भारतीय रैली

२२ से २८ जनवरी तक नयी दिल्ली में देश भर के माध्यमिक स्कूलों से आए हुए छात्रों की रैली हुई, जिसका उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने किया। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति और विचारधारा की आंतरिक एकता पर जोर दिया। उन्होंने देश में कुछ क्षुद्रता और संकीर्णता की प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

रैली में १०० छात्रों और २० अध्यापकों ने भाग लिया। इसमें सिक्किम के १० छात्र और २ अध्यापक भी शामिल हुए।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिन्न-भिन्न राज्यों के अध्यापकों और विद्यार्थियों को इकट्ठे होकर एक-दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने और मित्रभाव बढ़ाने के अवसर देने के कई कार्यों को स्थान दिया गया है।

बुनियादी शिक्षा सप्ताह

२० से २६ जनवरी तक देश भर में इस वर्ष भी बुनियादी शिक्षा सप्ताह मनाया गया। इसका उद्देश्य बुनियादी शिक्षा का विस्तार करना और जन-साधारण को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना है।

इस साल इस सप्ताह में बहुत-से गैर-बुनियादी स्कूलों को बुनियादी ढंग में बदलने की शुरुआत की जा रही है। इन स्कूलों को एकदम बुनियादी स्कूलों में नहीं बदला जा रहा है, बल्कि इनकी पढ़ाई में बुनियादी शिक्षा को कुछ स्थान दिया जा रहा है। धीरे-धीरे हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा एक नये ढंग की बन जाएगी, जिसे हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कह सकेंगे।

सप्ताह में बुनियादी शिक्षा और इसके मूल तत्वों के बारे में भाषण, गोष्ठियां, रेडियो भाषण आदि हुए और स्थान-स्थान पर इस शिक्षा से सम्बद्ध फिल्में दिखाई गईं। बहुत-सी जगह बुनियादी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों के हाथ की बनी हुई चीजों की प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं।

कई प्रकार की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं और खेल आदि हुए तथा संवाद भाषाओं में बुनियादी शिक्षा को दिखाने सम्बन्धी पुस्तिकाएं और इश्तहार बांटे गए।

धार्मिक और नैतिक शिक्षा समिति की रिपोर्ट

देश भर की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अगस्त १९५९ में धार्मिक और नैतिक शिक्षा समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि विद्यार्थियों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए।

समिति की राय है कि शिक्षा संस्थाओं में इसका प्रबन्ध करना सम्भव है और यदि कुछ कठिनाइयां हैं भी, तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल में शिक्षा मंत्रालय को दी है।

बम्बई के राज्यपाल श्रीयुत श्रीप्रकाश इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति के अन्य सदस्य ये थे : राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति श्री जी० सी० चटर्जी, जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री ए० ए० ए० फैजी और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी० एन० कृपाल (सदस्य सचिव)।

समिति का मत है कि शिक्षा संस्थाओं और समाज में जो अनुशासनहीनता है और जो उपद्रव होते रहते हैं, उनका प्रमुख कारण लोगों में धार्मिकता का अभाव है।

अतः इसका एकमात्र हल यही है कि सब लोगों को बचपन से ही धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाए।

समिति ने कहा है कि धार्मिकता और नैतिकता के अभाव में हमारा राष्ट्र आत्म-संस्कार विहीन हो जाएगा। साथ ही दूसरे देशों के रीति-रिवाज और रहन-सहन के ढंग के अंधानुकरण से देश में विशृंखलता और गड़बड़ ही फैलेगी।

अनेक धर्म

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के अनेक धर्म हमारे राष्ट्रीय जीवन के विशेष अंग हैं। यह बहुत ही लाभप्रद होगा कि प्रत्येक शिक्षित भारतीय अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों की महत्वपूर्ण बातें भी जाने। अतः समिति ने प्रमुख भारतीय धर्मों का [illegible] और सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन [illegible] किया है।

समिति की राय में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से परिवार और समाज पर छोड़ना अच्छा न होगा। इससे बच्चों और युवाओं में धार्मिक अनुष्ठानों में ही अधिक रुचि रहेगी और वे लोग धर्म की आध्यात्मिक और आचार सम्बन्धी मान्यताओं से दूर ही रहेंगे।

शिक्षक का प्रभाव

अध्यापकों के महत्त्व को बताते हुए समिति ने कहा है कि शिक्षा संस्थाओं के वातावरण के निर्माण में अध्यापकों का सबसे बड़ा योग रहता है। अतः यह जरूरी है कि अध्यापकों की भर्ती और ट्रेनिंग की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें योग्य और मेहनती लोगों को लाने के लिए यह जरूरी है कि अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाए। साथ ही यह भी जरूरी है कि अध्यापक को समाज में वह सम्मान और स्थान मिले जो उसे पुराने जमाने में प्राप्त था।

समस्याएं और समाधान

समिति ने कहा है कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के मार्ग में बहुत-सी कठिनाइयां हैं, यह सही है। पर देश की भावात्मक एकता के लिए इन कठिनाइयों का दूर होना बहुत जरूरी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव संस्कृति और परम्परागत मान्यताओं का महत्त्व, जिसने सदा मनुष्य के आचरण को प्रभावित किया है, धर्म की ही देन है। हमारे आज के समाज में भी धर्म का प्रभाव और महत्त्व स्पष्ट रूप से रक्षित है। अतः इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए और इसके अनुसार ही शिक्षा की योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

वर्धा के हिन्दुस्तानी तालीम संघ के डिप्लोमा को मान्यता

भारत सरकार ने, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सलाह से वर्धा (सेवाग्राम) के हिन्दुस्तानी तालीम संघ के टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा को मान्यता देना स्वीकार कर लिया है। यह डिप्लोमा सरकारी नौकरियों के लिए विश्वविद्यालयों या राज्य सरकारों के बी० टी०, बी०एड०, एल०टी० या बुनियादी शिक्षा के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बराबर माना [illegible]।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये सदस्य

शिक्षा मंत्रालय की २ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त किया है :

१. प्रो० एन० के० सिद्धांत, उप-कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (पुनर्नियुक्ति);
२. डा० ए० सी० जोशी, उप-कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (डा० ए० एल० मुदालियार के स्थान पर);
३. डा० वी० एस० कृष्ण, उप-कुलपति, आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर, (श्री जी० सी० चटर्जी के स्थान पर)।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

हेग की अंतर्राष्ट्रीय कानून अकादमी ने १९६० के लिए (११ जुलाई से १९ अगस्त तक) ३००-३०० गिल्डर (लगभग ३७६ रु०) की कुछ छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया है। इनमें से दो भारतीयों को दी जा सकती हैं।

उम्मीदवार अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पुस्तकें, निबन्ध और लेख आदि लिखने वाले विद्वान अथवा छात्र होने चाहिए। उम्र की कोई रोक नहीं है। यात्रा-व्यय उम्मीदवारों को स्वयं उठाना पड़ेगा।

ब्रिटिश कौंसिल की वृत्तियां

शिक्षा मंत्रालय की २९ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ब्रिटिश कौंसिल ने अंग्रेजी भाषा और साहित्य, (२) अर्थशास्त्र, (३) इतिहास, और (४) समाज विज्ञान में अध्ययन या अनुसंधान करने के लिए १९६०-६१ में १० छात्रवृत्तियां देने का निर्णय किया है।

ये छात्रवृत्तियां १० महीने के लिए दी जाएंगी। इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्र को

रहने का खर्च, पढ़ाई की फीस और पुस्तकों के लिए सालाना १० पौंड दिया जाएगा। इसके अलावा, इंग्लैंड आने और जाने का खर्च तथा पढ़ाई के सम्बन्ध मे इंग्लैंड में ही यहीं भी आने-जाने का खर्च भी ब्रिटिश कौंसिल ही देगी।

लाओस के शिक्षाशास्त्री का भारत-आगमन

लाओस के शिक्षाशास्त्री, श्री चाओ सेथीन, भारत सरकार के निमन्त्रण पर २४ जनवरी को भारत पधारे हैं। वे यहां लगभग एक महीने रहेंगे। श्री चाओ लाओस सरकार के प्राइमरी शिक्षा के उप-निरीक्षक हैं।

यहां वे नयी दिल्ली, भोपाल, बम्बई, हैदराबाद, आगरा, साँची, बंगलौर, मैसूर, मद्रास और कलकत्ता जाएंगे तथा शिक्षा-संस्थाएं, शिक्षकों के ट्रेनिंग केन्द्र, सामुदायिक विकास योजना, बौद्धों के धर्म-स्थान और ऐतिहासिक स्थान देखेंगे।

श्री चाओ अच्छे नर्तक भी हैं। इसलिए वे नृत्य-संस्थाओं और ललित कला तथा दस्तकारी की ट्रेनिंग संस्थाओं को देखने भी जाएंगे।

टेलीविज़न पर छात्रों के लिए कार्यक्रम

१९ जनवरी, १९६० से टेलीविज़न पर छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम दिल्ली तथा दिल्ली के और पास के हायर सेकेंडरी दर्जों के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का छात्रगण पूरा लाभ उठा सकें, इस उद्देश्य से टेलीविज़न पर मंगलवार का कार्यक्रम शाम को ७ बजे से ८ बजे की बजाय ३ बजे से ४ बजे तक हुआ करेगा।

छात्रों के लिए टेलीविज़न पर कार्यक्रम रखने का उद्देश्य यह पता करना है कि टेलीविज़न किस हद तक शिक्षा का माध्यम हो सकता है। शुक्रवार के कार्यक्रम शाम को ७ बजे से ८ बजे तक ही होते रहेंगे।

१९६०-६१ के लिए इटली की छात्रवृत्तियां

इटली की सरकार ने १९६०-६१ में भारतीय छात्रों को साहित्य आदि विषयों तथा ललित विज्ञान में ३० छात्रवृत्तियां देने का निर्णय किया है।

क्या आप जानते हैं ?

भारत में समाज शिक्षा

● केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने १९४८ में साक्षरता मात्र के स्थान पर नये ढंग की समाज शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में समाज शिक्षा में नागरिकता के सम्बन्ध में शिक्षा देने पर जोर दिया। इसने स्वास्थ्य, कृषि और दस्तकारियों को भी समाज शिक्षा में स्थान देने की सिफारिश की। इसी से समाज के नवनिर्माण में समाज शिक्षा का उपयोग हो सकता था।

● पहली पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा के व्यापक स्वरूप को स्थान दिया गया और इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आवश्यक अंग बनाया गया। समाज शिक्षा की यह नई व्याख्या की गई—"सामूहिक कार्य द्वारा सामूहिक उन्नति"। साथ ही साक्षरता और पुस्तकालयों के अलावा मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यों, प्रदर्शनियों, युवकों और स्त्रियों के भलाई के कामों, रेडियो मंडलियों और सामुदायिक केन्द्रों आदि की व्यवस्था भी समाज शिक्षा के अन्तर्गत लाई गई।

हर सामुदायिक विकास खंड में इन सब कार्यों को चलाने के लिए दो-दो समाज शिक्षा संगठक नियुक्त किए गए। १९५५ में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से जिला समाज शिक्षा संगठक और संयुक्त या उप-शिक्षा निदेशक आदि अधिकारी नियुक्त करने का भी सुझाव दिया।

● विकास खंडों में और अन्य स्थानों पर राज्य सरकारों ने साक्षरता का आयोजन किया या इस काम में सहायता दी। केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकारों ने ये योजनाएं हाथ में लीं (क) कुछ क्षेत्रों को चुन कर वहां ५ आदर्श सामुदायिक केन्द्र, पुस्तकालय और जनता कालेज स्थापित करना, (ख) कुछ स्कूलों को सामुदायिक केन्द्रों का रूप देना, और (ग) जिलों में और राज्य भर के लिए पुस्तकालय स्थापित करना।

● दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक ये काम हुए हैं - (क) शिक्षा विभागों द्वारा चलाई जाने वाली कक्षाओं में ५५ लाख प्रौढ़ों ने नाम लिखाया और विकास खंडों द्वारा चलाई जाने वाली कक्षाओं में १२ लाख ने। इन ६७ लाख प्रौढ़ों में से लगभग ३५ लाख साक्षर बने होंगे, (ख) आदर्श सामुदायिक केन्द्र और स्कूल एवं सामुदायिक केन्द्र योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः ८०० और ६३,६०० केन्द्र खोले गये, (ग) ५३,००० युवक क्लब और अन्य सामुदायिक संगठन शुरू हुए, (घ) सात राज्य पुस्तकालय, १०० जिला पुस्तकालय और ३२ हजार अन्य पुस्तकालय चलाए गए।

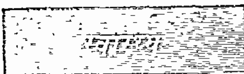
● भारत सरकार ने अपनी योजनाओं के अनुसार ये काम किए : (क) समाज शिक्षा देने वाले अध्यापकों की शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया, (ख) जिला पुस्तकाध्यक्षों और अन्य विशेष पुस्तकालयों को चलाने वालों को काम सिखाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकाध्यक्ष शिक्षण संस्था खोली, और (ग) इन्दौर में मजदूरों को नागरिकता की शिक्षा देने के लिए मजदूर शिक्षा संस्था स्थापित की।

इसके अलावा भारत सरकार ने कम पढ़ों के लिए किताबें आदि लिखवाने और समाजसेवी संस्थाओं को समाज शिक्षा के कार्य में प्रवृत्त करने की कई योजनाएं सफलता के साथ पूरी कीं।

● पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में समाज शिक्षा पर ४ करोड़ रु० खर्च हुआ था। इसमें ८५,६३,९४२ रु० की भारत सरकार की सहायता से चलने वाली समाज शिक्षा योजनाएं भी शामिल हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा के लिए ५ करोड़ रु० रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय वृत्तचित्र को प्रथम पुरस्कार

चिली विश्वविद्यालय ने २५ जनवरी का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया था, जिसमें भारतीय वृत्तचित्र 'रावाकृष्ण' को प्रथम पुरस्कार [illegible] है। वृत्त-[illegible] चित्रों में [illegible] गया।



तपेदिक की सार्वदेशिक पड़ताल

देश भर में तपेदिक के सम्बन्ध में जो पड़ताल की गई थी, उससे पता लगा है कि लगभग ५० लाख लोगों को फेफड़े की तपेदिक है। यह संख्या देश की कुल जनसंख्या का १.३ प्रतिशत होती है। पड़ताल से पता लगा है कि अनुमान से कहीं अधिक लोगों को तपेदिक है। इनमें से कम से कम १५ लाख यानी जनसंख्या के ०.४ प्रतिशत लोगों की स्थिति काफी गम्भीर है और उनके लिए तुरन्त इलाज आदि की व्यवस्था जरूरी है।

पहले यह अनुमान किया जाता था कि देहातों की अपेक्षा शहरों में तपेदिक अधिक है। लेकिन पड़ताल से पता चला है कि वास्तव में देहात और शहरों में कोई अन्तर नहीं है। ऐसे गांवों में, जहां आसानी से जाया जा सकता था, विशेष रूप से पड़ताल की गई, जिससे पता लगा कि यहां भी शहरों की तरह ही तपेदिक के काफी मरीज हैं।

पड़ताल में कहा गया है कि इतनी भारी संख्या में लोगों को तपेदिक होना बड़ी चिन्ता की बात है। हमें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में तपेदिक की रोकथाम और इलाज के कामों को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह पड़ताल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तपेदिक उपसमिति ने की थी। इस उपसमिति के अध्यक्ष भारत सरकार के तपेदिक सम्बन्धी सलाहकार, डा० पी० वी० बेंजमिन हैं। यह पड़ताल केवल फेफड़ों की तपेदिक के संबंध में ही की गई थी। पड़ताल १९५५ के अन्त में शुरू हुई और १९५८ के आरम्भ में पूरी हुई।

दिल्ली में तपेदिक के बारे में पड़ताल

सन् १९५६ में नयी दिल्ली के तपेदिक केन्द्र ने दिल्ली में तपेदिक के बारे में जो पड़ताल की थी, उससे पता लगा है कि राजधानी में इस रोग के लगभग २० हजार रोगी थे। इनमें से लगभग आधों को तुरन्त चिकित्सा की आवश्यकता थी। लगभग ६,००० रोगी ऐसे थे, जिनसे दूसरों को इस रोग के लगने का भय था। भारत के अन्य स्थानों की तरह दिल्ली में भी तपेदिक से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पीड़ित पाए गए। ३५ वर्ष तक की अवस्था के रोगियों में तो पुरुषों की संख्या और अधिक है। ये आंकड़े दिल्ली प्रदेश की शहरी आबादी लगभग १५ लाख मानकर इकट्ठे किए गए हैं।

पड़ताल में १-१ हजार की आबादी के ३० खण्डों को लिया गया था। बाकी आबादी में से लगभग २३ हजार व्यक्तियों का एक्स-रे किया गया। इस एक्स-रे से पता लगा कि १ हजार पुरुषों में से २४५ प्रतिशत को और १ हजार स्त्रियों में से १५.६ प्रतिशत पर तपेदिक का काफी प्रभाव था। इसी प्रकार १ हजार पुरुषों में ५ पुरुष और १ हजार स्त्रियों में २.९ स्त्रियां ऐसी पाई गईं, जिनसे दूसरों को तपेदिक होने का डर था।

तपेदिक के रोगियों की संख्या भिन्न-भिन्न खण्डों में अलग-अलग थी। बीमारी का संबंध बहुत कुछ देश की गन्दगी आदि से भी था। कुछ क्षेत्रों में तो १ हजार व्यक्तियों में से ४९ क्षय रोग से ग्रसित थे।

कोढ़ सलाहकार समिति की बैठक

कोढ़ सलाहकार समिति की चौथी बैठक हाल ही में नयी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमरकर की अध्यक्षता में हुई। उसने सिफारिश की है कि तीसरी योजना में कोढ़ की रोकथाम का कार्यक्रम उन सभी क्षेत्रों में चलाया जाए, जहां इस रोग का अधिक प्रकोप है।

समिति ने कोढ़ की रोकथाम सम्बन्धी तीसरी योजना के मसौदे पर विचार किया और वह इस बात पर सिद्धांत रूप से राजी हुई कि तीसरी योजना में कोढ़ की रोकथाम का क्षेत्र बढ़ाया जाए, काम तेजी से किया जाए, अधिक डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाए और कुछ विषयों की स्नातकोत्तर ट्रेनिंग के लिए अखिल भारतीय केन्द्र स्थापित किया जाए।

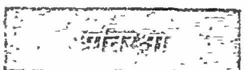
अधिक क्षेत्र में कार्यक्रम

समिति ने तीसरी योजना में और अधिक क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने के लिए ये काम सुझाए हैं: (१) कोढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उसकी रोकथाम के लिए केन्द्र खोलना, (२) वर्तमान दवाखानों में कोढ़ का इलाज करने वाले कर्मचारी रखे जाएं, (३) सार्वजनिक संस्थाएं अपने क्षेत्र के आसपास कोढ़ रोग की पड़ताल करें और घरों में जाकर इलाज करें, (४) सामान्य चिकित्सा कार्य के साथ ही कोढ़ सम्बन्धी रोकथाम का काम भी मिला दिया जाए (यह मद्रास सरकार की वल्लाजा योजना में सुझाया गया था)।

समिति का कहना है कि अभी वल्लाजा योजना केवल आजमाइशी तौर पर चलाई जाए। साथ ही कोढ़ का पहले ही से पता लगाने का प्रयत्न किया जाए।

संस्थाओं का सहयोग

समिति की बैठक में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय बैठकें होनी चाहिए। इन बैठकों के हो चुकने पर अप्रैल के मध्य में समिति की अगली बैठक हो।



प्रादेशिक सेना में महिला डाक्टरों को कमिशन

प्रादेशिक सेना में अब महिला डाक्टरों को भी पुरुष अफसरों की ही तरह चिकित्सा टुकड़ी में कमिशन दिया जाएगा। उनकी नौकरी की शर्तें आदि भी वही होंगी, जो डाक्टरों (पुरुष) की हैं; केवल महिला डाक्टर फिलहाल युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएंगी। वे अस्पतालों में ही काम करेंगी।

स्मरण रहे कि नवम्बर १९५८ में महिला

डाक्टरों को भी पुरुष डाक्टरों की ही तरह सेना चिकित्सा दल में नियमित कमिशन दिया जाने लगा था। इससे पहले दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान देश की महिला डाक्टरों को सेना चिकित्सा दल में इमरजेंसी और शार्ट सर्विस रेगुलर कमिशन दिया गया था और उन्होंने देश तथा विदेशों में काफी काम किया था। इसके बाद उन पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा दिए गए और उन्हें नियमित कमिशन दिया जाने लगा था।

लोक सहायक सेना के शिक्षार्थी दिल्ली में

लोक सहायक सेना के १६१ सर्वोत्तम शिक्षार्थी गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए दिल्ली आए हैं। इन्हें १९५५ के शिविरों में सबसे अच्छे शिक्षार्थी होने के कारण योग्यता के प्रमाणपत्र दिए गए थे।

इन शिक्षार्थियों ने दिल्ली में ऐतिहासिक महत्व के स्थान देखे और सेना की परेड, तथा लोकनृत्य समारोह भी देखा। नागरिकों में आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए १९५५ में लोक सहायक सेना की स्थापना हुई। शिक्षार्थियों को फौजी शिक्षा देने के लिए प्रत्येक राज्य में ३०-३० दिन के शिविर लगाए जाते हैं। प्रत्येक शिविर में ५०० शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हरेक शिविर के सर्वोत्तम शिक्षार्थी को योग्यता का प्रमाणपत्र दिया जाता है और उन्हें सरकार के खर्च पर गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए दिल्ली लाया जाता है। १९५९ में देश भर में १९६ शिविर लगाए गए, जिनमें ८७ हजार व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई। १९५५ में लोक सहायक सेना की स्थापना के बाद, अब तक ४ लाख ४५ हजार व्यक्तियों को फौजी ट्रेनिंग दी गई है।

पांच पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार

राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के दो और मैसूर, आसाम तथा आंध्र प्रदेश के एक-एक पुलिस अधिकारी को उनके अदम्य साहस के लिए पुलिस पदक प्रदान किए हैं।

उनके नाम इस प्रकार हैं श्री उम्मेदसिंह, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, फायर ब्रिगेड (पुलिस), इन्दौर; श्री रामशंकर, कांस्टेबल, इन्दौर; श्री कासिमसाहब इमाम हुसैन सौदागर, आर्म्ड हेड कांस्टेबल, बीजापुर; श्री नृपेन्द्र कुमार चक्रवर्ती, कांस्टेबल, सेकिंड बार्डर सिक्योरिटी फोर्स, शिलांग और श्री बचन सिंह, जमादार, फर्स्ट बटालियन, आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस।

उन्हें ये पुरस्कार उनके अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता के लिए दिए गए हैं। पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार के २३ जनवरी के सूचना-पत्र में की गई है।

महिला नर्सों को सेना में कमिशन

प्रतिरक्षा मंत्रालय की १६ जनवरी, १९६० को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, सरकार ने सैनिक नर्स सेवा (स्थानीय) में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति के लिए असैनिक नर्सों (औरत) से आवेदनपत्र मांगे हैं। ये नर्सें विवाहित या बच्चों वाली विधवाएं होनी चाहिए। उक्त सेवा में उन्हें कमीशन भी दिया जाएगा।



राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

बम्बई गोदाम विधेयक, १९५९

बम्बई राज्य के विभिन्न भागों में इस समय गोदाम सम्बन्धी जो कानून लागू हैं, उनमें एकरूपता लाने के लिए यह कानून बनाया गया है। इस विधेयक से सरकार को कुछ सामानों को गोदामों में भरने और स्वतन्त्र गोदामों को कायम करने में सहायता मिलेगी। इस विधेयक में इन गोदामों की देखरेख और नियन्त्रण की भी व्यवस्था है।

केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के अधीन जो गोदाम बनाए गए हैं या जिन्हें लाइसेंस दिया गया है, उन पर वह विधेयक लागू नहीं होगा।



बेलग्राड में भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी

गणराज्य दिवस के अवसर पर, यूगोस्लाविया के सांस्कृतिक आयोग के सचिव श्री द्वोर्कोल ने बेलग्राड में आधुनिक भारतीय चित्रों की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें ५७ तैल चित्र और वाटर कलर के चित्र रखे गए हैं, जो भारत की आधुनिक चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जकार्ता में भारतीय कला प्रदर्शनी

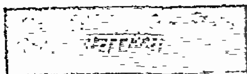
इण्डोनेशिया के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री, प्रो० प्रिजोनो ने १५ जनवरी को जकार्ता की गवर्नमेंट आर्ट्स गैलरी में भारतीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में प्राचीन तथा नवीन भारतीय कलाकृतियां रखी गई हैं।

भारत में स्विट्ज़रलैंड के नये राजदूत

परराष्ट्र मंत्रालय की २२ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जैक्वेस एलबर्ट कट्टट भारत में स्विट्ज़रलैंड के असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी नियुक्त हुए हैं।

भारत में हंगरी के नये राजदूत

परराष्ट्र मंत्रालय की १९ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि डा० लाजलो रेवडेई भारत में हंगरी के नये असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।



तपेदिक की सार्वदेशिक पड़ताल

देश भर में तपेदिक के सम्बन्ध में जो पड़ताल की गई थी, उससे पता लगा है कि लगभग ५० लाख लोगों को फेफड़े की तपेदिक है। यह संख्या देश की कुल जनसंख्या का १.३ प्रतिशत होती है। पड़ताल से पता लगा है कि अनुमान से कहीं अधिक लोगों को तपेदिक है। इनमें से कम से कम १५ लाख यानी जनसंख्या के ०.४ प्रतिशत लोगों की स्थिति काफी गम्भीर है और उनके लिए तुरन्त इलाज आदि की व्यवस्था जरूरी है।

पहले यह अनुमान किया जाता था कि देहातों की अपेक्षा शहरों में तपेदिक अधिक है। लेकिन पड़ताल से पता चला है कि वास्तव में देहात और शहरों में कोई अन्तर नहीं है। ऐसे गावों में, जहां आसानी से जाया जा सकता था, विशेष रूप से पड़ताल की गई, जिससे पता लगा कि यहां भी शहरों की तरह ही तपेदिक के काफी मरीज हैं।

पड़ताल में कहा गया है कि इतनी भारी संख्या में लोगों को तपेदिक होना बड़ी चिन्ता की बात है। हमें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में तपेदिक की रोकथाम और इलाज के कामों को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह पड़ताल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तपेदिक उपसमिति ने की थी। इस उपसमिति के अध्यक्ष भारत सरकार के तपेदिक सम्बन्धी सलाहकार, डा० पी० वी० बेंजमिन हैं। यह पड़ताल केवल फेफड़ों की तपेदिक के सम्बध में ही की गई थी। पड़ताल १९५५ के अन्त में शुरू हुई और १९५८ के आरम्भ में पूरी हुई।

दिल्ली में तपेदिक के बारे में पड़ताल

सन् १९५६ में नयी दिल्ली के तपेदिक केन्द्र ने दिल्ली में तपेदिक के बारे में जो पड़ताल की थी, उससे पता चला है कि राजधानी में इस रोग के लगभग ३० हजार रोगी थे। इनमें से लगभग आधों को तुरन्त चिकित्सा की आवश्यकता थी। लगभग ६,००० रोगी ऐसे थे, जिनसे दूसरों को इस रोग के लगने का भय था। भारत के अन्य स्थानों की तरह दिल्ली में भी तपेदिक से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पीड़ित पाए गए। ३५ वर्ष तक की अवस्था के रोगियों में तो पुरुषों की संख्या और अधिक है। ये आंकडे दिल्ली प्रदेश की शहरी आबादी लगभग १५ लाख मानकर इकट्ठे किए गए हैं।

पड़ताल में १-१ हजार की आबादी के ३० खण्डों को लिया गया था। बाकी आबादी में से लगभग २३ हजार व्यक्तियों का एक्स-रे किया गया। इस एक्स-रे से पता लगा कि १ हजार पुरुषों में से २४५ प्रतिशत को और १ हजार स्त्रियों में से १५.६ प्रतिशत पर तपेदिक का काफी प्रभाव था। इसी प्रकार १ हजार पुरुषों में ५ पुरुष और १ हजार स्त्रियों में २.९ स्त्रियां ऐसी पाई गईं, जिनसे दूसरों को तपेदिक होने का डर था।

तपेदिक के रोगियों की संख्या भिन्न-भिन्न खण्डों में अलग-अलग थी। बीमारी का संबंध बहुत कुछ देश की गन्दगी आदि से भी था। कुछ क्षेत्रों में तो १ हजार व्यक्तियों में से ४९ क्षय रोग से ग्रसित थे।

कोढ़ सलाहकार समिति की बैठक

कोढ़ सलाहकार समिति की चौथी बैठक हाल ही में नयी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमरकर की अध्यक्षता में हुई। उसने सिफारिश की है कि तीसरी योजना में कोढ़ की रोकथाम का कार्यक्रम उन सभी क्षेत्रों में चलाया जाए, जहां इस रोग का अधिक प्रकोप है।

समिति ने कोढ़ की रोकथाम सम्बन्धी तीसरी योजना के मसौदे पर विचार किया और वह इस बात पर सिद्धांत रूप से राजी हुई कि तीसरी योजना में कोढ़ की रोकथाम का क्षेत्र बढ़ाया जाए, काम तेजी से किया जाए, अधिक डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाए और कुछ विषयों की स्नातकोत्तर ट्रेनिंग के लिए अखिल भारतीय केन्द्र स्थापित किया जाए।

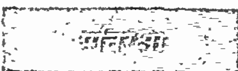
अधिक क्षेत्र में कार्यक्रम

समिति ने तीसरी योजना में और अधिक क्षेत्र में कार्यक्रम चलाने के लिए ये काम सुझाए हैं: (१) कोढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उसकी रोकथाम के लिए केन्द्र खोलना, (२) वर्तमान दवाखानों में कोढ़ का इलाज करने वाले कर्मचारी रखे जाएं, (३) सार्वजनिक संस्थाएं अपने क्षेत्र के आसपास कोढ़ रोग की पड़ताल करें और घरों में जाकर इलाज करें, (४) सामान्य चिकित्सा कार्य के साथ ही कोढ़ सम्बन्धी रोकथाम का काम भी मिला दिया जाए (यह मद्रास सरकार की वल्लाजा योजना में सुझाया गया था)।

समिति का कहना है कि अभी वल्लाजा योजना केवल आजमाइशी तौर पर चलाई जाए। साथ ही कोढ़ का पहले ही से पता लगाने का प्रयत्न किया जाए।

संस्थाओं का सहयोग

समिति की बैठक में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय बैठकें होनी चाहिए। इन बैठकों के हो चुकने पर अप्रैल के मध्य में समिति की अगली बैठक हो।



प्रादेशिक सेना में महिला डाक्टरों को कमिशन

प्रादेशिक सेना में अब महिला डाक्टरों को भी पुरुष अफसरों की तरह चिकित्सा टुकड़ी में कमिशन दिया जाएगा। उनकी नौकरी की शर्तें आदि भी वही होंगी, जो डाक्टरों (पुरुष) की हैं; केवल महिला डाक्टर फिलहाल युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएंगी। वे अस्पतालों में ही काम करेंगी।

स्मरण रहे कि नवम्बर १९५८ से महिला

डाक्टरों को भी पुरुष डाक्टरों की ही तरह सेना चिकित्सा दल में नियमित कमिशन दिया जाने लगा था। इससे पहले दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान देश की महिला डाक्टरों को सेना चिकित्सा दल में इमरजेंसी और शार्ट सर्विस रेगुलर कमिशन दिया गया था और उन्होंने देश तथा विदेशों में काफी काम किया था। इसके बाद उन पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा दिए गए और उन्हें नियमित कमिशन दिया जाने लगा था।

लोक सहायक सेना के *शिक्षार्थी दिल्ली में*

लोक सहायक सेना के १६१ सर्वोत्तम शिक्षार्थी गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए दिल्ली आए हैं। इन्हें १९५५ के शिविरों में सबसे अच्छे शिक्षार्थी होने के कारण योग्यता के प्रमाणपत्र दिए गए थे।

इन शिक्षार्थियों ने दिल्ली में ऐतिहासिक महत्व के स्थान देखे और सेना की परेड, तथा लोकनृत्य समारोह भी देखा। नागरिकों में आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए १९५५ में लोक सहायक सेना की स्थापना हुई। शिक्षार्थियों को फौजी शिक्षा देने के लिए प्रत्येक राज्य में २०-३० दिन के शिविर लगाए जाते हैं। प्रत्येक शिविर में ५०० शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हरेक शिविर के सर्वोत्तम शिक्षार्थी को योग्यता का प्रमाणपत्र दिया जाता है और उसे सरकार के खर्च पर गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए दिल्ली लाया जाता है। १९५९ में देश भर में १९६ शिविर लगाए गए, जिनमें ८७ हजार व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई। १९५५ में लोक सहायक सेना की स्थापना के बाद, अब तक ४ लाख ४५ हजार व्यक्तियों को फौजी ट्रेनिंग दी गई है।

पांच पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार

राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के दो और मैसूर, आसाम तथा आंध्र प्रदेश के एक-एक पुलिस अधिकारी को उनके अदम्य साहस के लिए पुलिस पदक प्रदान किए हैं।

उनके नाम इस प्रकार हैं : श्री उम्मेदसिंह, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फायर ब्रिगेड (पुलिस), इन्दौर; श्री रामशंकर, कांस्टेबल, इन्दौर; श्री कासिमसाहब इमाम हुसैन सौदागर, आर्म्ड हेड कांस्टेबल, बीजापुर; श्री नृपेन्द्र कुमार चक्रवर्ती, कांस्टेबल, सेकिंड बार्डर सिक्योरिटी फोर्स, शिलांग और श्री बचन सिंह, जमादार, फर्स्ट बटालियन, आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस।

उन्हें ये पुरस्कार उनके अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता के लिए दिए गए हैं। पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार के २३ जनवरी के सूचना-पत्र में की गई है।

महिला नर्सों को सेना में कमिशन

प्रतिरक्षा मंत्रालय की १६ जनवरी, १९६० की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, सरकार ने सैनिक नर्स सेवा (स्थानीय) में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति के लिए असैनिक नर्सों (औरत) से आवेदनपत्र मांगे हैं। ये नर्सें विवाहित या बच्चों वाली विधवाएं होनी चाहिए। उक्त सेवा में उन्हें कमीशन भी दिया जाएगा।

राज्य

राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

बम्बई गोदाम विधेयक, १९५९

बम्बई राज्य के विभिन्न भागों में इस समय गोदाम सम्बन्धी जो कानून लागू हैं, उनमें एकरूपता लाने के लिए यह कानून बनाया गया है। इस विधेयक से सरकार को कुछ सामानों को गोदामों में भरने और स्वतंत्र गोदामों को कायम करने में सहायता मिलेगी। इस विधेयक में इन गोदामों की देखरेख और नियंत्रण की भी व्यवस्था है।

केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों के अधीन जो गोदाम बनाए गए हैं या जिन्हें लाइसेंस दिया गया है, उन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा।

भारत और अन्य देश

बेलग्राड में भारतीय चित्रों की प्रदर्शनी

गणराज्य दिवस के अवसर पर, यूगोस्लाविया के सांस्कृतिक आयोग के सचिव श्री इवोफोल ने बेलग्राड में आधुनिक भारतीय चित्रों की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें ५७ तैल चित्र और वाटर कलर के चित्र रखे गए हैं, जो भारत की आधुनिक चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जकार्ता में भारतीय कला प्रदर्शनी

इण्डोनेशिया के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री, प्रो० प्रिजोनो ने १५ जनवरी को जकार्ता की गवर्नमेंट आर्ट्स गैलरी में भारतीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में प्राचीन तथा नवीन भारतीय कलाकृतियां रखी गई हैं।

भारत में स्विट्ज़रलैंड के नये राजदूत

परराष्ट्र मंत्रालय की २२ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जैक्वेस एलबर्ट कट्टट भारत में स्विट्ज़रलैंड के असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी नियुक्त हुए हैं।

भारत में हंगरी के नये राजदूत

परराष्ट्र मंत्रालय की १९ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि डा० लासलो रेकडेई भारत में हंगरी के नये असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

समाचार-दर्शन

१६ जनवरी से ३१ जनवरी तक

जनवरी

१७—भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर नेपाल के प्रधान मन्त्री महामहिम श्री बी० पी० कोइराला का पटना आगमन

—भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर पोलैण्ड के ५ कानून-शास्त्रियों के एक शिष्टमण्डल का बम्बई से नयी दिल्ली आगमन

—मद्रास में हुए क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया भारत पर विजयी

१८—कनाडा सरकार के विदेश मन्त्री श्री हावर्ड ग्रीन द्वारा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९५९-६० के वित्तीय वर्ष के लिए भारत को २॥ करोड डालर की सहायता देने की ओटावा में घोषणा

२०—रूस की सर्वोच्च सोवियत की प्रेजीडियम के अध्यक्ष, महामहिम श्री वोरोशिलोव और उनके दल का भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन—उनके दल में महामहिम श्री एफ० आर० कोज़लोव, रूस के मन्त्रिमण्डल के प्रथम उपाध्यक्ष और महामहिम मैडम फुर्तसेवा, रूस के सर्वोच्च सोवियत की डिप्टी भी शामिल हैं

२१—१ जनवरी, १९६० से आरम्भ होकर तीन साल के लिए भारत और यूगोस्लाविया में एक नये व्यापार और भुगतान समझौते पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर—साथ ही एक ऋण समझौते और दोनों देशों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग सम्बन्धी समझौते पर भी हस्ताक्षर

—बम्बई में रोवर्स कप के फाइनल मैच में कलकत्ता की ईस्ट बंगाल को हराकर कलकत्ता की मोहमडन स्पोर्ट्स टीम विजयी

२२—नयी दिल्ली में राष्ट्रमण्डल प्रसारण सम्मेलन का उद्घाटन

जनवरी

२३—पेट्रोल-उत्पादनों सम्बन्धी समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए भारत सरकार द्वारा १५ सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने की घोषणा

२४—भारत सरकार द्वारा भारत–उत्तर वियतनाम व्यापार समझौते को तीन साल के लिए २० सितम्बर, १९६२ तक बढ़ाने की घोषणा

२५—हावड़ा में प्रोटोटाइप प्रोडक्शन और ट्रेनिंग केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में जापान से समझौते पर हस्ताक्षर

२६—देश भर में गणराज्य दिवस मनाया गया

२८—कलकत्ता में हुआ ५वां भारत-आस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट मैच अनिर्णीत समाप्त—आस्ट्रेलिया ने रबर जीता

२९—आसाम और आन्ध्र प्रदेश की कोयला खानों के कोयले के मूल्यों के संशोधन के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार

—भिलाई इस्पात कारखाने के रिफैक्ट्री मटीरियल प्लाण्ट का उद्घाटन

३०—सारे देश में महात्मा गांधी की बरसी शहीद दिवस के रूप में मनाई गई

३१—भारत सरकार द्वारा भारत-इण्डोनेशिया व्यापार समझौते को ३० जून, १९६० तक बढ़ाने की घोषणा

—राज्यों के दलित वर्ग कल्याण मन्त्रियों का दो दिन का सम्मेलन नयी दिल्ली में आरम्भ

—सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन के पश्चात् जयपुर ही में राज्यों के सहकार मन्त्रियों का दो दिन का सम्मेलन आरम्भ

—सातवां अखिल भारतीय हथकरघा सप्ताह आरम्भ

टिकट सावधानी से चिपकाइये

इससे

डाक प्रेषण में शीघ्रता आती है



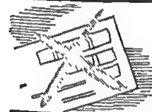
• तोल के अनुसार ठीक टिकट लगाइये

कम टिकटों और बिना टिकटों वाली चिट्ठियां देरी से पहुंचती है, क्योंकि छंटाई के समय उन्हें हिसाब लगाने के लिए अलग रख दिया जाता है।



• टिकट, पते वाली तरफ ऊपर के दाहिने कोने में चिपकाइये

इससे छंटाई के काम में कम समय लगता है और साथ ही स्वचालित मशीन से मुहर लगाने का काम तेजी से होता है।



• आवश्यक मूल्य की दाम से कम टिकटें लगाइये

इससे साफ पता लिखने के लिए काफी जगह बच रहेगी और टिकटों पर मुहर लगाने में भी सुविधा होगी।



• टिकट अच्छी तरह चिपकाइये

अच्छी तरह न लगे टिकट यदि गिर गए तो उन पत्रों को बैरंग अथवा कम टिकट वाले पत्र समझा जाता है। इनके जाने में देरी भी हो सकती है।

अपर्याप्त और ठीक ढंग से टिकट न लगाने से पत्रों के पहुंचने में देर ही नहीं लगती अपितु उससे समूची डाक-व्यवस्था में अड़चनें पैदा हो जाती हैं।

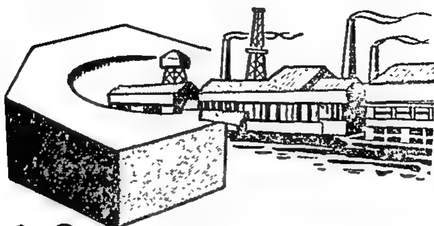
अपने टिकट ध्यान-पूर्वक लगाइये

DA 59/356

हमें उत्तम
सेवा का अवसर दीजिये

डाक-तार विभाग

और उद्योगों में भी



मेट्रिक की शुरूआत

१ अक्तूबर, १९५८ से मेट्रिक प्रणाली का आरम्भ हुआ था, तब से अनेक उद्योगों जैसे कि पटसन, लोह व इस्पात, वस्त्र, सीमेण्ट, कागज, नमक, इंजीनियरी, कॉफी, अलोह धातुओं, कच्चे रबर आदि, ने मेट्रिक माप-तौल को अपनाना शुरू कर दिया था। तब से इस दिशा में और भी प्रगति हो रही है।

मार्टियल रेडी [illegible] उद्योग में मेट्रिक प्रणाली अपनाने की अक्तूबर, १९५९ से अनुमति दे दी गई थी, चीनी उद्योग ने इस प्रणाली का प्रयोग १ नवम्बर १९५९ से आरम्भ कर दिया।

अप्रैल, १९६० से इस काम में और भी गति आ जायेगी जब वनस्पति और रंग-रोगन उद्योग भी मेट्रिक प्रणाली अपना लेंगे।

१ अप्रैल, १९६० से पेट्रोल और पेट्रोल की वस्तुओं का समूचा वितरण लिटरों और मेट्रिक इकाइयों में ही होगा।



इस दिशा में एक और भी महत्वपूर्ण कदम अगस्त १९६० से उठाया जायेगा जब कस्टम और सेण्ट्रल एक्साइज़ विभाग भी मेट्रिक प्रणाली अपना लेंगे।

अपनाइये

मेट्रिक प्रणाली

सरलता व एकरूपता के लिए

भारत सरकार द्वारा प्रसारित

डी ए ५९/४१२

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली–८ द्वारा सम्पादित तथा
ओरियण्ट प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली–१ द्वारा मुद्रित

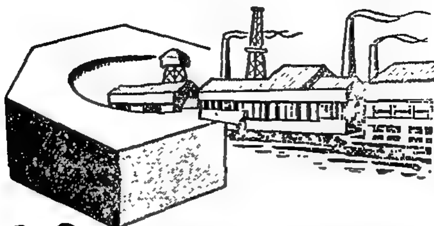
तीन भारतीय बालिकाएं (बाएं से दाए) दोमा, श्री तेनज़िग की भतीजी, और पेम पेम और नीमा, श्री तेनज़िग नोर्के की बेटियां, जोकि चो ओयू के अन्तर्राष्ट्रीय महिला अभियान दल की सदस्य थीं, भारत सरकार के निमन्त्रण पर दिल्ली में गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए आईं

साहित्य अकादमी के सचिव श्री के० आर० कृपलानी (दाएं) नयी दिल्ली में १५ जनवरी को जापान के ओसाका विश्वविद्यालय की फैकल्टी आफ लैटर्स के डीन प्रोफेसर मसाकियो मियामोतो को अकादमी के प्रकाशन भेंट करते हुए

आस्ट्रिया के वित्त मन्त्री डा० रेनहार्ड कामिट्ज, नयी दिल्ली में १८ जनवरी को केन्द्रीय उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शाह के साथ



और उद्योगों में भी



मेट्रिक की शुरूआत

१ अक्तूबर, १९५८ से मेट्रिक प्रणाली का आरम्भ हुआ था, तब से अनेक उद्योगों जैसे कि पटसन, लोह व इस्पात, वस्त्र, सीमेण्ट, कागज़, नमक, इंजीनियरी, कॉफी, अलौह धातुओं, कच्चे रबर आदि, ने मेट्रिक माप-तोल को अपनाना शुरू कर दिया था। तब से इस दिशा मे और भी प्रगति हो रही है।

नारियल रेशे के उद्योग मे मेट्रिक प्रणाली अपनाने की अक्तूबर, १९५९ से अनुमति दे दी गई थी, चीनी उद्योग ने इस प्रणाली का प्रयोग १ नवम्बर १९५९ से आरम्भ कर दिया।

अप्रैल, १९६० से इस काम में और भी गति आ जायेगी जब वनस्पति और रंग-रोगन उद्योग भी मेट्रिक प्रणाली अपना लेंगे।

१ अप्रैल, १९६० से पेट्रोल और पेट्रोल की वस्तुओं का समूचा वितरण लिटरों और मेट्रिक इकाइयों मे ही होगा।



इस दिशा में एक और भी महत्वपूर्ण कदम अगस्त १९६० से उठाया जायेगा जब कस्टम और सेण्ट्रल एक्साइज़ विभाग भी मेट्रिक प्रणाली अपना लेंगे।

अपनाइये

मेट्रिक प्रणाली

सरलता व एकरूपता के लिए

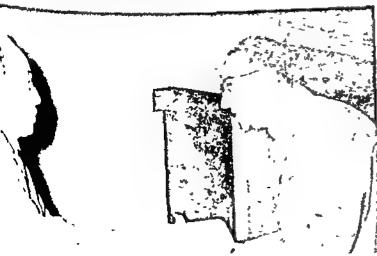
भारत सरकार द्वारा प्रसारित

डी ए ५९/४१२

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली-८ द्वारा सम्पादित तथा
ओरियण्ट प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली-१ द्वारा मुद्रित

तीन भारतीय बालिकाएं (बाएं से दाएं) दोमा, श्री तेनजिंग की भतीजी, और पेम पेम और नीमा, श्री तेनजिंग नोर्के की बेटियां, जोकि चो ओयू के अन्तर्राष्ट्रीय महिला अभियान दल की सदस्य थीं, भारत सरकार के निमन्त्रण पर दिल्ली में गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए आईं

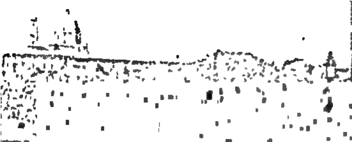
साहित्य अकादमी के सचिव श्री के० आर० कृपलानी (दाएं) नयी दिल्ली में १५ जनवरी को जापान के ओसाका विश्वविद्यालय की फैकल्टी आफ लैटर्स के डीन प्रोफेसर मसाकियो मियामोतो को अकादमी के प्रकाशन भेंट करते हुए



आस्ट्रिया के वित्त मन्त्री डा० रेनहार्ड कामिटज, नयी दिल्ली में १८ जनवरी को केन्द्रीय उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शाह के साथ



रजिस्टर्ड नं०
डी०—६४१



२६ जनवरी को गणराज्य दिवस समारोह के अवसर पर नयी दिल्ली के राजपथ के ऊपर सलामी देने वाले विमान-दल में शामिल तीन तूफानी विमान तिरंगा धूआं छोड़ते हुए आकाश में भारतीय राष्ट्र-ध्वज बनाते हुए

आसाम के लोक-नर्तक गणराज्य दिवस समारोह पर नयी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 'काशी' नृत्य प्रस्तुत करते हुए

भारतीय समाचार

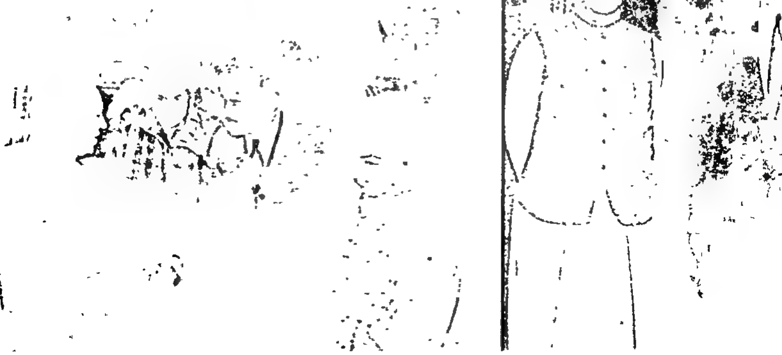


वर्ष ३ | १ फरवरी, १९६० (१२ माघ, १८८१) | अङ्क १

यूनेस्को के महानिदेशक डा० वित्तोरीनो वेरोनीज़ नयी दिल्ली में १५ जनवरी को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के साथ

प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू भारत-पाक सीमा वार्ता के लिए आए हुए पाकिस्तानी शिष्टमण्डल के नेता लेफ्टिनेण्ट जनरल के० एम० शेख को नयी दिल्ली में ८ जनवरी को दिए गए एक स्वागत समारोह में अगवानी करते हुए

पश्चिम जर्मनी के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री एल्फ्रेड क्रैप, जो आजकल भारत के दौरे पर आए हुए हैं, नयी दिल्ली में वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई के साथ



भारतीय
समाचार

वर्ष ३ | १ फरवरी, १९६० | अङ्क १
१२ माघ, १८८१

एक प्रति रु० ०.३५ १ शिलिंग १४ सेंट | वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

आवरण चित्र : रूसकी सर्वोच्च सोवियत की प्रिसीडियम के अध्यक्ष, महामहिम श्री वोरोशिलोव का राजकीय यात्रा पर २० जनवरी को नयी दिल्ली पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री द्वारा स्वागत । रूसी सर्वोच्च सोवियत की डेपुटी श्रीमती फुर्त् सेवा, जो प्रेसिडेन्ट वोरोशिलोव के साथ आई हैं, चित्र में दाईं ओर सिरे पर हैं ।

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है । ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए ।)

मुख्य विषय



भारत-पाक सीमा वार्ता पर संयुक्त विज्ञप्ति

भारत-पाक सीमा वार्ता के अन्त में ११ जनवरी को निम्नलिखित संयुक्त विज्ञप्ति नयी दिल्ली से जारी की गयी :—

पूर्वी पाकिस्तान और भारत की बहुत-सी सीमा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए अक्तूबर १९५९ में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन में किये गये निर्णय के अनुसार लाहौर, रावलपिंडी और दिल्ली में ४ जनवरी से ११ जनवरी, १९६० तक पश्चिम पाकिस्तान और भारत के सीमा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिए मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन हुआ । पाकिस्तान के प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व लेफ्टीनेंट जनरल, के० एम० शेख और भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व सरदार स्वरन सिंह ने किया ।

२ इस प्रदेश में पांच विवादास्पद क्षेत्र थे : (१) चक लद्देके, (२) थेह सर्जा-मर्जा, (३) हुसेनीवाला, (४) सुलेमान के हेड-वर्क्स (५) कच्छ-सिंध सीमा । इनमें से पहले चार विवादों का कारण यह था कि रेडक्लिफ एवार्ड पर भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच मतभेद था । इन विवादों को सीमा सम्बन्धी थोड़ा-सा हेरफेर करके हल कर लिया गया, जो पैरा ३ के अनुसार है ।

३ पाकिस्तान ने चक लद्देके से अपना अधिकार छोड़ दिया और भारत ने थेह मर्जा-मर्जा, राख हरदितसिंह तथा पठानके गांवों से अपना अधिकार छोड़ दिया । हुसेनीवाला हेडवर्क्स के सम्बन्ध में फिरोजपुर और लाहौर जिलों की सीमा को सीमा मान लिया गया । सुलेमानके हेड वर्क्स के सम्बन्ध में भी समझौता हुआ और जिले की सीमाओं में आवश्यक हेरफेर करने का समझौता किया गया ।

४ कच्छ-सिंध सीमा के सम्बन्ध में दोनों देशों ने और अधिक विवरण इकट्ठा करने का फैसला किया । इस विवाद को हल करने के लिए बाद में विचार-विनिमय होगा ।

५ पश्चिम पाकिस्तान और भारत की सीमा के सम्बन्ध में कुछ स्थल-नियम भी निर्धारित किये गये ।

६. पश्चिम पाकिस्तान और पंजाब (भारत) की सीमा सम्बन्धी हदबन्दी के बारे में यह तय किया गया कि इस काम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए और अप्रैल १९६० तक पूरा कर लिया जाए । यह तय किया गया कि इस क्षेत्र में एक-दूसरे देश के अधीन जो ऐसे क्षेत्र हों, जिन पर उनका अधिकार नहीं है, उनकी अदला-बदली १५ अक्तूबर, १९६० तक पूरी कर ली जाए ।

७ पाकिस्तान के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री ने १ सितम्बर, १९५९ को अपनी

भेंट में दोनों देशों के बीच मित्र पड़ोसियों जैसे सम्बन्ध बढ़ाने को कहा था। पूर्वी पाकिस्तान और भारत तथा पश्चिम पाकिस्तान और भारत की बहुत-सी सीमा सम्बन्धी समस्याओं को हल करके दोनों देशों की सरकारों ने अपने सम्बन्धों को मित्रतापूर्ण बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है।

भारत-पाक वित्त वार्ता

वित्त मंत्रालय (अर्थ विषय विभाग) की ४ जनवरी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों में पिछले सप्ताह विभाजन सम्बन्धी अनिर्णीत वित्तीय विषयों के बारे में जो बातचीत शुरू हुई थी, वह चार दिन के बाद कल समाप्त हो गयी। सारी बातचीत बहुत सहयोग और मित्रतापूर्ण वातावरण में हुई। दोनों देशों की केन्द्रीय सरकारों को विभाजन के फलस्वरूप जो लेना या देना है, उनके बारे में भिन्न-भिन्न रकमों का फैसला हो गया। इसी प्रकार बंटे हुए प्रान्तों के बारे में भी लेन-देन तय हुआ। अधिशेष सीजा के बारे में निर्णय हो गया है और जिनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, उन्हें दोनों देशों के वित्त सचिवों के सम्मेलन तक के लिए छोड़ दिया गया। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने अन्य बड़े-बड़े वित्तीय मामलों पर विचार किया और उनके तय करने के उपाय भी सोचे।

इस बातचीत के नतीजे दोनों देशों के अधिकारी अपनी-अपनी सरकारों को बताएंगे और दोनों देशों के वित्त मंत्री आगे इन पर विचार करेंगे। दोनों देशों के मंत्रियों की बैठक का स्थान और तारीख आदि बाद में निश्चित होगी।

पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डल के नेता वहां के वित्त सचिव, श्री एम॰ ए॰ मजीद और भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता वित्त मंत्रालय के विशेष सचिव, श्री एस॰ वी॰ रंगाचारी थे।

नये महालेखा परीक्षक

राष्ट्रपति भवन की ३० दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने श्री अशोक कुमार चन्द के स्थान पर श्री अरुण कुमार राय को भारत का महालेखा परीक्षक और नियंत्रक नियुक्त किया है। श्री चन्द के कार्यभार छोड़ने पर श्री राय अपना काम संभालेंगे।

स्वराष्ट्र मंत्रालय के कुछ काम शिक्षा मंत्रालय को सौंपे गये

मंत्रिमण्डल सचिवालय की ५ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से ४ जनवरी, १९६० (पौष १४, १८८१) से स्वराष्ट्र मंत्रालय के कुछ काम शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिये गये हैं। राष्ट्रपति का यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद ७७ के खण्ड (३) के अनुसार जारी किया गया है।

स्वराष्ट्र मंत्रालय से ये काम लेकर शिक्षा मंत्रालय को दिये गये हैं

(क) अनाथों और अनाथालयों का प्रबन्ध,

(ख) सामाजिक तथा नैतिक उत्थान के काम, जैसे—पतित स्त्रियों के आश्रम तथा उनकी देखभाल के केन्द्र इत्यादि—

(१) १९५६ के स्त्रियों और लड़कियों से व्यभिचार कराने की पाबन्दी के कानून पर अमल,

(२) रक्षा सदनों की स्थापना और देखभाल,

(ग) वे समाज कल्याण योजनाएं, जो पुनर्स्थापन मंत्रालय से स्वराष्ट्र मंत्रालय को सौंपी गयी थीं। इनमें समाज कल्याण और पुनर्स्थापन विभागों का प्रबन्ध भी शामिल है।

स्वीडन के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा

स्वीडन के प्रधान मन्त्री, श्री टी॰ आर्लेण्डर १२ दिन की यात्रा के लिए १८ दिसम्बर की रात को नयी दिल्ली पधारे। इस अवधि में उन्होंने राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्र प्रसाद और प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू से बातचीत की और जयपुर, आगरा, मद्रास, बंगलौर, बम्बई आदि अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने ३० दिसम्बर को भारत से प्रस्थान किया।

संसदीय समितियों की रिपोर्ट : सम्बद्ध मंत्रालयों से जवाब तलब

सार्वजनिक लेखा और प्राक्कलन समितियों ने अपनी रिपोर्टों में सरकारी मंत्रालयों की जो आलोचना की है, वह सम्बन्धित मंत्रालयों के पास, वास्तविक स्थिति मालूम करने के लिए भेजी जा रही है। भारत सरकार का प्रशासनिक निगरानी विभाग संसदीय समितियों की रिपोर्टों की जांच करता है। इन रिपोर्टों के आधार पर विभिन्न मंत्रालय जो कार्रवाई करते हैं, उनके बारे में भी यह विभाग पूछताछ करता रहता है। यह विभाग संसद की कार्रवाई का अध्ययन करके, काम में विलम्ब, अनियम आदि की ओर भी सरकारी विभागों का ध्यान दिलाता है।

सरकारी कर्मचारी

प्रत्येक मंत्रालय में समय-समय पर सचिव की अध्यक्षता में बैठकें होती रहती हैं। इनमें भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो दिक्कत होती है, उस पर विचार और जांच आदि की जाती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानूनों में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। उदाहरणार्थ, रिश्वत देना अपराध है, किन्तु अगर कोई रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाले के खिलाफ बयान दे तो उसे कानूनी संरक्षण दिया जाता है।

फौजदारी कानून (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत सार्वजनिक निगमों और सरकार द्वारा स्थापित अन्य स्वायत्त विभागों के कर्मचारी भी अब सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। प्रथम श्रेणी अथवा अखिल भारतीय सेवाओं का कोई अधिकारी अवकाश प्राप्ति के दो साल बाद तक बिना सरकार की आज्ञा के किसी फर्म आदि में नौकरी नहीं कर सकता।

भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्तर्गत अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाता है तो उसे कम से कम एक साल की कैद की सजा देना आवश्यक कर दिया गया है। इससे कम सजा देने पर रिकार्ड में उसके कारण लिखना जरूरी होता है। ऐसे मामलों में जुर्माना भी उतना ही किया जाता है, जितने की उस कर्मचारी ने रिश्वत आदि ली हो।

एक हजार रु॰ से ज्यादा की चल-सम्पत्ति बेचने या खरीदने पर सरकारी कर्मचारी को उसका हवाला देना पड़ता है तथा १ हजार रु॰

से ज्यादा की अचल सम्पत्ति बेचने या खरीदने से पहले सरकार का अनुमति लेनी पड़ती है।

नौकरी-नियमों में संशोधन

नौकरी-नियमों में यह संशोधन किया गया है कि अगर अवकाश-प्राप्त कर्मचारी के खिलाफ यह साबित हो जाए कि उसने अपनी नौकरी में कोई अपराध किया है तो इस अपराध के चार साल बाद तक भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

अगर प्रथम श्रेणी के किसी अधिकारी का कोई लड़का, लड़की या उसका आश्रित कोई अन्य सम्बन्धी किसी ऐसी फर्म में नौकरी करना चाहे, जिसका सम्बन्ध उस अधिकारी या भारत सरकार से रहता है, तो उस अधिकारी को सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है।

भारत और रूस में ऋतु सम्बन्धी सूचना का आदान-प्रदान

ऋतु सम्बन्धी सूचना के आदान-प्रदान के लिए नयी दिल्ली और मास्को के मध्य एक सीधी रेडियो टेली-टाइप सेवा १ जनवरी से शुरू हो गई है।

विश्व ऋतु-विज्ञान संगठन की सिफारिश के अनुसार यह सेवा स्थापित की गयी है। इस संगठन ने सिफारिश की थी कि पूरे उत्तरीय गोलार्द्ध में ऋतु सम्बन्धी सूचना के आदान-प्रदान के लिए ५ केन्द्रों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। इस तरह के केन्द्र न्यूयार्क, फ्रैंकफर्ट, मास्को, नयी दिल्ली और टोकियो में होंगे। इनमें से प्रत्येक केन्द्र काफी बड़े विभाग की सूचना इकट्ठी करके रेडियो टेली-टाइप द्वारा दूसरे केन्द्रों को भेजेगा। इस तरह कुछ ही घण्टों के अन्दर हर केन्द्र के पास सम्पूर्ण उत्तरीय गोलार्द्ध के बारे में सूचना इकट्ठी हो जाएगी और मौसम सम्बन्धी नक्शे आदि तैयार किये जा सकेंगे।

भारत और रूस के बीच रेडियो टेली-टाइप सेवा शुरू हो जाने के बाद अब नयी दिल्ली और टोकियो के बीच भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी और तब पांचों केन्द्र एक दूसरे से सम्बद्ध हो जाएंगे।

नयी दिल्ली का केन्द्र एशिया के दक्षिणी भाग में अरब से लेकर बर्मा तक २०० केन्द्रों से सूचना एकत्रित करके ३-३ घण्टे बाद दूसरे केन्द्रों को भेजा करेगा।

यह व्यवस्था पूरी हो जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, जहाजरानी, कृषि और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो जाया करेगी। जेट-युग में इस प्रकार की सूचना और भी आवश्यक है।

महात्मा गांधी की समाधि

निर्माण, आवास और पूर्ति उपमन्त्री, श्री ए० के० चन्दा ने १७ दिसम्बर को राज्यसभा में प्रश्नोत्तर के समय बताया कि दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी स्मारक के निर्माण में देरी होने का कारण यह था कि नक्शे और खर्च आदि का अनुमान तैयार होने में कुछ समय लग गया।

इस कार्य के लिए ३४.०९ लाख रुपये और ८% प्रतिशत विभागीय खर्च मंजूर किया जा चुका है। जैसे ही ठेके देने का काम पूरा हो जाएगा, समाधि का निर्माण आरम्भ हो जाएगा। समाधि के बनने में लगभग ४ वर्ष लगेंगे।

चेकोस्लोवाक संसदीय शिष्टमण्डल की भारत यात्रा

चेकोस्लोवाकिया का एक संसदीय शिष्टमण्डल १५ दिन के लिए भारत आया, जिसने ३ जनवरी से १४ जनवरी, १९६० तक देश का दौरा किया। चेकोस्लोवाकिया की नेशनल एसेम्बली के अध्यक्ष जडनेक फिलिन्गर इस शिष्टमण्डल के नेता थे। शिष्टमण्डल के अन्य सदस्य थे: सर्वश्री पावेल तोनहाउजर, जोसेफ सेमांक, एंतोनिन क्लेक्का, जान डेनिस, एंतोनिन अत्रादोविच, जोसेफ सफारिक, जड्नेक वाचा, मिरोस्लाव कुबिन, फ्रांतिसेक जर्वोदन् और श्रीमती अलेना वर्नास्कोवा।

भारतीय पत्रकार प्रतिनिधिमण्डल बर्मा में

परराष्ट्र मन्त्रालय की १२ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत के ७ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमण्डल १० जनवरी को रंगून पहुंचा। यह प्रतिनिधिमण्डल बर्मा सरकार के निमंत्रण पर वहां गया है और १५ दिन तक वहां का दौरा करेगा।

११ जनवरी को भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रंगून के शहीद स्मारक पर फूलमालाएं चढ़ाई और वहां का प्रसिद्ध पगोडा देखा। ये लोग रंगून के मेयर से भी मिले। बर्मा के शिक्षा तथा सूचना मंत्रियों ने भी भारतीय पत्रकारों से भेंट की।

रूसी न्यायाधीशों और वकीलों का शिष्टमण्डल भारत में

सात रूसी न्यायाधीशों और वकीलों का एक शिष्टमंडल ५ जनवरी, १९६० को दिल्ली पहुंचा है। शिष्टमंडल १५ दिन तक देश का दौरा करेगा।

रूस के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष श्री ए० एफ० गोर्किन शिष्टमंडल के नेता हैं। शिष्टमंडल के अन्य सदस्य ये हैं: रूस के डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री वी०वी० कुलीकोफ; यूक्रेन की न्यायमंत्रिणि श्रीमती ई० आई० जुर्स्काया; किरगीज के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष श्री ए० ओ० अर्दोबाएव; लेनिनग्राड के वकील मंडल की प्रेसिडियम के अध्यक्ष श्री टी० पी० मोकोलेफ; आल-यूनियन इंस्टिट्यूट आफ जूरिडिसियल साइंस के फौजदारी कानून विभाग के अध्यक्ष श्री वी० एस० निकिफोरोफ और विदेश मंत्री और सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषदों के यूनियन के कानून विभाग के प्रधान मंत्री श्री वी० एम० नेस्तेरोफ।

टेलि-कम्यूनिकेशन संस्था की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा को मान्यता

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की १२ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इंस्टिट्यूशन आफ टेलि-कम्यूनिकेशन इंजी-नियर्स (इंडिया) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र की शिक्षा-योग्यता भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा में बैठने के लिए मान्य है।

यह बात १९६० की उक्त [illegible] बैठने पर भी लागू होगी। इन [illegible] २६ दिसम्बर, [illegible]

आयोजन और वित्त

कोलम्बो योजना की वार्षिक रिपोर्ट

१६५८-५६ में भारत की आर्थिक स्थिति

कोलम्बो योजना की सलाहकार समिति की १९५८-५९ की रिपोर्ट में बताया गया है कि यद्यपि इस साल भारत की आर्थिक अवस्था पर काफी बोझ रहा, किन्तु फिर भी पिछले साल १९५७-५८ से इसमें काफी सुधार हुआ है। विदेशी मुद्रा कोष मे जिस गति से ह्रास हो रहा था, वह काफी धीमी पड गई है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष केन्द्र और राज्यो के बजट का घाटा भी कम रहा। १९५६-५७ मे विदेशी मुद्रा कोष में २ अरब २१ करोड ३० लाख रु०, १९५७-५८ मे २ अरब ५९ करोड़ ९० लाख रु० और इस वर्ष यानी १९५८-५९ मे केवल ४६ करोड़ ६० लाख रु० की कमी हुई। इसी प्रकार केन्द्र और राज्यो के बजट मे १९५७-५८ म ४ अरब ९९ करोड रु० का घाटा था, जो इस साल घटकर १ अरब ५६ करोड़ रु० का रह गया। इस वर्ष पैदावार पिछले साल से १४ प्रतिशत अधिक रही। १९५७-५८ में ६ करोड २५ लाख टन अनाज पैदा हुआ था और इस साल १९५६-५७ से भी, जो तब तक का सबसे अच्छा साल था, ४७ लाख टन अधिक पैदा हुआ।

१९५८-५९ की आर्थिक और वित्तीय नीतिया वही थी, जिनकी पिछले साल शुरुआत हुई थी। इनके कारण साधनो और माग के अन्तर को कम करने में सहायता मिली। व्यापार सम्बन्धी नीति का उद्देश्य, देश के आन्तरिक साधनो को और बढाने तथा पूजी सम्बन्धी नीति का उद्देश्य माल को दबाकर बाद में ऊचे दामों पर बेचने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करन का रहा, फिर भी अधिक पूजी लगाने को प्रोत्साहन दिया गया। निर्यात बढाने और आयात को कम करने की बराबर कोशिश की गई। दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध देशी और विदेशी साधनों का फिर से अदाज लगाया गया और साधनो के अनुसार ही योजना पर खर्च करने का विचार किया गया।

यद्यपि इस वर्ष देश की आर्थिक स्थिति मे स्पष्ट सुधार हुआ है, लेकिन इसका बडा कारण पैदावार मे काफी वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में थोडी सी वृद्धि और विदेशी सहायता मे अधिक वृद्धि होना है। फिर भी, अर्थ-व्यवस्था पर अधिक बोझ न डालते हुए तेजी से विकास की आवश्यकता है।

उत्पादन

अनाज : देश के बहुत से भागो मे सूखा पड़ने के कारण १९५७-५८ मे अनाज की उपज १० प्रतिशत घट गयी थी। लेकिन १९५८-५९ में अन्न की पैदावार पिछले साल से अधिक ७ करोड ३५ लाख टन या १८ प्रतिशत अधिक और १९५६-५७ से भी ७ प्रतिशत अधिक हुई। इस साल विदेशों से ३४ लाख टन अनाज मगाया गया, जबकि पिछले साल ३६ लाख टन मगाया गया था। अन्न का सरकारी स्टाक १९५८ के अप्रैल के शुरू मे १५ लाख १० हजार टन था, जो मार्च १९५९ के अन्त तक ११ लाख ५० हजार टन रह गया। इस प्रकार देशवासियों को इस साल अधिक अन्नाज मिल सका। अधिक लाभकारी फसलों की पदावार भी इस साल पिछले साल से अधिक हुई। अनाज आदि की पैदावार का इस साल का अस्थायी सूचक अक १३१ है जबकि १९५६-५७ का यह सूचक अंक १२३ ६ और १९५७-५८ का ११४.६ था।

उद्योग : इसी प्रकार कल-कारखानो में बनने वाली चीजों का उत्पादन भी १९५८-५९ मे ऊचा रहा। १९५१ के उत्पादन को १०० मानकर इस साल का सूचक अक १४१ है, जबकि १९५६-५७ का १३५.६ और १९५७-५८ का १३७.९ ही था। बहुत से उद्योगों की उत्पादन-क्षमता भी इस वर्ष काफी बढी। इस दृष्टि से कागज, गधक के तेजाब, कास्टिक सोडा, रग-रोगन, दियासलाई, सीमेंट, अल्मुनियम, रेयन, सिलाई की मशीन, बिजली के पखे, और साइकिल इत्यादि उद्योग उल्लेखनीय हैं। वर्तमान इस्पात कारखानो को बढाने का काम प्राय पूरा हो चला है और आशा है कि १९५९-६० में कारखानों के विस्तार के फलस्वरूप इस्पात का उत्पादन भी लगभग ५ लाख टन बढ जाएगा। १९५९-६० के शुरू के दिनो मे भी औद्योगिक उत्पादन अच्छा रहा। पटसन और सूती कपड़े के उद्योगो में जमा माल की निकासी सतोषजनक रही। वर्तमान रुख से यह आशा होती है कि १९५९-६० मे औद्योगिक उत्पादन पिछले दोनों सालों से अधिक रहेगा।

मूल्य

थोक मूल्यों का सूचक अंक (१९५२-५३=१००) इस वर्ष पिछले साल से ४ प्रतिशत अधिक रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजो के सूचक अंक के बढने (लगभग ८ प्रतिशत) के कारण हुई। १९५६-५७ के शुरू मे थोक मूल्यों का सूचक अक ९८ था, जो इसी साल के अन्त में १०६ हो गया। अगले साल यानी १९५७-५८ का सूचक अक पिछले साल से ३ प्रतिशत अधिक था।

१९५८-५९ मे मूल्यों पर अच्छी फसल का कुछ असर तो अवश्य पड़ा, लेकिन मांग के बढने और कोयले आदि उद्योगो में कर्मचारियों के वेतन बढने से अनाज को छोडकर अन्य चीजो के मूल्य ऊपर ही गये।

भुगतान सतुलन की स्थिति

दूसरी योजना के शुरू से ही भुगतान सतुलन की स्थिति अच्छी नही रही है। १ अप्रैल, १९५६ को यानी दूसरी योजना के शुरू के दिन भारत के रिजर्व बैंक की विदेशी लेनदारी ७ अरब ४६ करोड १० लाख रु० थी, जो मार्च १९५७ के अन्त में घटकर २ अरब १९ करोड ३० लाख रु० रह गई थी, यद्यपि इस बीच अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी ६० करोड ७० लाख रु० निकाल लिया गया था। मार्च १९५८ के अन्त तक इस लेनदारी मे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ३४ करोड ५० लाख रु० लेने पर भी २ अरब ५९ करोड ८० लाख रु० की कमी रही और मार्च १९५९ तक तो यह ५३ करोड ९० लाख रु० और घटकर २ अरब १३ करोड १० लाख रु० ही रह गयी।

भुगतान की इस प्रतिकूलता का मुख्य कारण योजना के पहले तीन सालों में भारत के विदेशी व्यापार में जबर्दस्त घाटा था। आयात और निर्यात में १९५५-५६ में जहा १ अरब २१ करोड़ २० लाख रु० का अन्तर था, वहा अगले साल, १९५६-५७ में यह अतर बढकर ४ अरब ६४ करोड ३० लाख रु० और १९५७-५८ में ६ अरब ९ करोड ५० लाख रु० का हो गया। १९५८-५९ म यह घाटा ४ अरब ७० करोड ४० लाख रु० का, यानी १९५६-५७ से कुछ ही अधिक रहा।

१९५६-५७ में कुल आयात ३ अरब ३८ करोड़ १० लाख रु० बढकर १० अरब ९९ करोड़ ५० लाख रु० का हो गया। इस प्रकार इस साल आयात में ४४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगले साल १९५७-५८ में आयात में १ अरब ४ करोड़ ७० लाख रु० या लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु आयात घटाने के प्रयत्नों के फलस्वरूप १९५८-५९ में आयात में १ अरब ५७ करोड ७० लाख रु० की कमी की जा सकी। १९५७ के शुरू से ही विदेशों से कम माल मगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

निर्यात

१९५८-५९ मे निर्यात में कमी रही। निर्यात से १९५६-५७ में ६ अरब ३५ करोड २० लाख रु० और १९५७-५८ में ५ अरब ९४ करोड़ ७० लाख रु० की आय हुई। १९५८-५९ में निर्यात में १८ करोड़ ६० लाख रु० अर्थात ३ प्रतिशत की कमी हुई।

इस साल चाय और कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। इस साल १७ करोड ७० लाख रु० की चाय और ७ करोड १० लाख रु० की कपास भेजी गयी। पर पटसन के सामान, सूती माल और वनस्पति तेल के निर्यात में कमी हुई। इस साल ११ करोड ९० लाख रु० का पटसन का सामान, १३ करोड २० लाख रु० का सूती माल और ५ करोड रु० का वनस्पति तेल भजा गया। कच्चे मैंगनीज का निर्यात भी १९५७-५८ के २९ करोड ४० लाख रु० से गिरकर १९५८-५९ में १३ करोड़ २० लाख रु० रहा।

साल के आरम्भ में यूरोप और अमरीका में इन चीजों की माग कम रही, सूती कपड़े की बिक्री में अन्य देशों के साथ काफी मुकाबला रहा और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में विदेशी मुद्रा की कठिनाई रही। इन्ही कारणो से निर्यात गिरा। अब फिर निर्यात बढ़ने लगा है और कुछ नई चीजों का निर्यात किया जाने लगा है।

विदेशी सहायता

अप्रैल १९५६ के आरम्भ से जुलाई १९५९ के अन्त तक ११ अरब ९ करोड २० लाख रु० का ऋण तथा अनुदान मिला। पहली योजना से भी १ अरब ९३ करोड ४० लाख रु० बचा हुआ था। इस प्रकार जुलाई १९५९ के अन्त में दूसरी योजना के लिए १३ अरब २ करोड ६० लाख रु० विदेशी सहायता के रूप में उपलब्ध था। इसमें वह ३५ करोड डालर भी शामिल है, जो अत र्ष्ट्रीय बैंक और पाच देशों की सरकारो ने दिया था। बैंक ने अगस्त १९५८ में भारत की कठिनाइयों के बारे में विस्तार से विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी और उस समय यह सहायता देने का निर्णय किया था।

मार्च १९५९ के अन्त तक इस रकम में से ७ अरब रु० खर्च किया गया था। इस प्रकार अप्रैल १९५९ के आरम्भ में ६ अरब २ करोड ६० लाख रु० बाकी रह गया था।

मार्च में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और उक्त ५ सरकारो के साथ फिर बातचीत हुई और अब चौथे साल के लिए और सहायता मिलने की आशा है।

बैंक और विभिन्न देशों ने जो सहायता दी थी, उसका कुछ भाग निजी क्षेत्र के विकास के लिए भी खर्च किया गया।

मुद्रा कोष

मार्च १९५८ के अन्त में देश में २३ अरब ८९ करोड रु० चलन में रहा। १९५८-५९ में इसमें १ अरब ९ करोड रु० की वृद्धि हुई, जबकि १९५७-५८ में ७५ करोड ९० लाख रु० और १९५६-५७ में १ अरब २८ करोड ६० लाख रु० की वृद्धि हुई थी।

रोजगार

देश में कामदिलाऊ कार्यालय ही बेकारी के आकडे देते है। मार्च १९५८ के अन्त में इन कार्यालयों की संख्या १९७ थी, जो मार्च १९५९ के अन्त में बढ़कर २२३ हो गयी।

इन कार्यालयों की मारफत [illegible] ढने वालो की सख्या मार्च १९५८ ९,३२,००० थी, जो मार्च १९५९ के अन्त में बढ़कर १२,१७,००० हो गई।

नौकरी देने वालों ने कामदिलाऊ कार्यालयों से १९५८-५९ मे ३,७२,००० व्यक्ति मागे, जबकि १९५७-५८ में केवल ३,०३,००० व्यक्ति मागे थे। सामान्यत नौकरियों की सख्या बढ रही है, परन्तु उतनी नही, जितनी कि बेकारो की सख्या।

१९५८-५९ में देश की अर्थ-नीति प्राय. वही रही जो पिछले साल थी। आय बढाने के लिए १९५७ मे जो काम किये गये थे, वे १९५८-५९ में भी किये गये, यथा—करों में वृद्धि, बैंक दर में ृद्धि, आयात पर नियन्त्रण, निर्यात को प्रोत्साहन आदि।

उत्पादन बढाने में जो दिक्कतें आ रही थी, उन्हे दूर करने का प्रयत्न किया गया। उद्योगों को अधिक कच्चा माल दिलाने का प्रबन्ध किया गया, ताकि वहां पूरी सामर्थ्य से उत्पादन हो सके।

अगस्त १९५८ मे लगभग २५० चीजो पर से निर्यात सम्बन्धी नियंत्रण हटाया गया, ताकि उनका अधिक निर्यात हो और आय बढे।

१९५८-५९ में पैदावार बढने से गल्ले का भाव नही बढा; फिर भी अनाज के भावों में उतना परिवर्तन नही हुआ, जितने की आशा थी। बाजारो में अनाज की आमद कम रही।

इस साल राज्यों में जहा अधिक गल्ला हुआ, उसे खरीदकर सरकारी गोदामों में रखा गया। १९५८ में सरकारी सस्ते गल्ले की ६,००० से भी अधिक दुकानें खोली गयीं। इस प्रकार कुल दुकानों की संख्या ४५,००० हुई, जहा से ३६ लाख ७० हजार टन गल्ला बेचा गया।

अनुमान

वर्तमान स्थिति को देखकर आशा की जाती है कि दूसरी योजना के लिए जो रकम रखी गयी है, वह योजना को पूरा करने के लिए कम नही पड़ेगी। फिर भी भाव बढने और अनुमानो में संशोधन करने से हो सकता है कि १०-२० प्रतिशत की कमी पड़े।

पहली योजना में राष्ट्रीय आय के प्रतिशत पूजी, जो कारोबार में [illegible] थी, वह बढकर लगभग ७ [illegible]

सहयोग पाने के लिए उसे योजना के बारे में तथा उससे होने वाले फायदे की पूरी और सही जानकारी देना आवश्यक है। वास्तव में यही कार्य सरकार के सूचना विभागों का है।

मकान के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

वित्त उपमन्त्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि पॉलिसी होल्डरों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की एक योजना तैयार की गई है जिस पर जीवन बीमा निगम विचार कर रहा है।

सम्पत्ति और सिक्योरिटियों को बन्धक रख कर ऋण देने की योजना के बारे में वित्त उपमन्त्री ने बताया कि बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास स्थित सम्पत्तियों और सिक्योरिटियों पर ही ऋण दिया जाएगा। यह व्यवस्था पॉलिसी होल्डरों और दूसरे लोगों के लिए भी है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि यह ऋण केवल अनुमोदित पार्टियों को ही दिया जाएगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि अनुमोदित सम्पत्ति पर ही ऋण दिया जाएगा और ऋण की अधिकतम अवधि १५ वर्ष होगी। ऋण, बन्धक सम्पत्ति के मूल्य के मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा ऋण की रकम सामान्य रूप से कम से कम २५ हजार रुपये और अधिक से अधिक ५ लाख रुपये होगी। इस पर ७ प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा और ठीक समय पर अदायगी की दशा में ब्याज की दर ६॥ प्रतिशत कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बन्धक रख कर कर्ज देने की यह योजना बहुत कुछ उसी तरह की है जैसी राष्ट्रीयकरण के पूर्व बीमा कम्पनियों की होती थी। उन्होंने दोनों योजनाओं में तीन मुख्य अन्तर बताये.

(१) जीवन बीमा निगम बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित सम्पत्तियों पर ही ऋण देगा, जबकि बीमा कम्पनियां ऐसा भेद नहीं बरतती थीं और कुछ मामलों में भारत के बाहर की सम्पत्ति पर भी ऋण

(२) निगम ने ऋण की राशि सीमित कर दी है, यानी कम से कम २५ हजार रुपये और अधिक से अधिक ५ लाख रुपये दिये जा सकते हैं, जबकि बीमा कम्पनियों ने इस तरह की कोई सीमा निश्चित नहीं की थी।

(३) निगम एक ही दर से ब्याज लेगा जबकि बीमा कम्पनियों की ब्याज की दरें कई थीं और उनमें काफी अन्तर होता था।

अमरीकी विकास ऋण कोष के प्रबन्ध निदेशक की भारत-यात्रा

अमरीका के विकास ऋण कोष के प्रबन्ध निदेशक, श्री वान्स ब्राड १० दिन की भारत-यात्रा पर ५ जनवरी, १९६० को कलकत्ता पहुंचे। उनके साथ कोष के उप-प्रबन्ध निदेशक, श्री एडविन किर्बी, ऋण अधिकारी, श्री जान उलिन्सकी और बिजली इंजीनियर श्री फेल्ट भी भारत आये। श्री ब्राड ७ जनवरी को नयी दिल्ली पहुंचे। यहां वे प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह और औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष श्री के० आर० के० मेनन से मिले। वे वित्त, वाणिज्य और उद्योग, रेल, लोहा और इस्पात तथा सिंचाई और बिजली मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिले।

बम्बई में वे रिजर्व बैंक के अध्यक्ष श्री एच० वी० आर० आयंगार से भी मिले। अपनी यात्रा के दौरान श्री ब्राड ने राउरकेला इस्पात कारखाना, जमशेदपुर में टाटा इस्पात कारखाना आदि भी देखा।

श्री ब्राड द्वारा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

नयी दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म पर ११ जनवरी को श्री वान्स ब्राड को भारत में बना डीजल इंजन दिखाया गया। इस इंजन के कुछ हिस्से उक्त कोष के ऋण से खरीदे गए थे। उन्हें भाप का एक इंजन और कुछ वैगन भी दिखाए गए, जो अमरीका शिल्प सहयोग मण्डल से प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर श्री ब्राड को यह जानकारी दी गयी कि भारतीय रेलें किस प्रकार अमरीकी सहायता का उपयोग कर रही हैं। रेल विभाग के आर्थिक कमिश्नर श्री ज० दयाल ने उन्हें चित्तरंजन में बने एक इंजन और मद्रास के रेल-डिब्बा कारखाने में बने एक डिब्बे के नमूने दिए। श्री दयाल ने कहा कि भारतीय रेलों को कई देशों से सहायता मिली है, किन्तु अमरीका से सबसे ज्यादा सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलों को विकास ऋण कोष से ७ करोड़ ५० लाख डालर का ऋण और शिल्प सहयोग मण्डल से ५ करोड़ डालर की जो सहायता मिली, वह किस प्रकार खर्च की गयी।

दुहरे आयकर से बचाव के लिए भारत-जापान करार

नयी दिल्ली में ५ जनवरी को भारत और जापान की सरकारों में दोनों देशों में दुहरे आयकर के बचाव के लिए एक करार हुआ। करार पर जापान की ओर से वहां के राजदूत डा० सिरोशी नासू और भारत की ओर से राजस्व तथा नागरिक व्यय मंत्री, डा० गोपाल रेड्डी ने हस्ताक्षर किये।

इस करार की पुष्टि होने पर भारत में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। जिस साल दोनों देशों की ओर से पुष्टि के दस्तावेजों का आदान-प्रदान होगा, उसके जनवरी महीने की पहली तारीख को या बाद में शुरू होने वाले सालों की आय के बारे में नयी व्यवस्था लागू होगी। पिछले साल अक्तूबर में टोकियो में दोनों देशों की सरकारों के अधिकारियों में इस करार के बारे में बातचीत हुई थी और उसी समय करार के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिये गये थे।

दशमिक सिक्कों में सीमा शुल्क की वसूली

भारत सरकार ने उत्पादन और सीमा शुल्क लगाने और वसूल करने में अगस्त १९६० से दशमिक प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है। व्यापारियों और अन्य सम्बन्धित लोगों के कहने पर यह निश्चय किया गया है। पहले इसे १ अप्रैल, १९६० से लागू करने की घोषणा की गयी थी।

उक्त निश्चय को लागू करने की सही तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की २२ नवम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

मशीन के पुर्जों पर सीमा शुल्क में रियायत

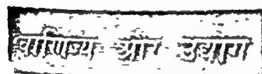
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की १० जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार उचित मामलों में मशीन के पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में रियायत करने पर विचार करेगी।

आयात होने वाली पूरी मशीनों पर रियायती दर से मूल्यानुसार १० प्रतिशत सीमा शुल्क लिया जाता है। मशीन के पुर्जे या ऐसे पुर्जे मशीन नहीं माने जाते, इसलिए उन पर साधारण दर से शुल्क लिया जाता है और इस प्रकार इनमें से कुछ पर ऊंची दर से शुल्क देना पड़ता है।

देश में मशीनों के निर्माण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार मशीन या यंत्रों के ऐसे भागों के आयात की अनुमति देती है, जो यहां नहीं बनते। भारत सरकार यह नहीं चाहती कि इस प्रकार के मशीनी भागों को मंगाने वालों को ऊंची दर से शुल्क देना पड़े, इसलिए भारत सरकार इस प्रकार के उचित मामलों में शुल्क में रियायत करने पर विचार करेगी।

ट्रावनकोर बैंक के हिस्सेदारों को मुआवजा

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) की १२ जनवरी की एक विज्ञप्ति में ट्रावनकोर बैंक के हिस्सेदारों से मुआवजे की अर्जियां मांगी गयी हैं। एक अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार ने स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम १९५९ की धारा १३ (३) के अनुसार हिस्सेदारों से यह अर्जियां मांगी हैं। इस अधिनियम में स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के हिस्सेदारों को मुआवजा देने की व्यवस्था है।



संरक्षित उद्योगों की वार्षिक समीक्षा

तटकर आयोग के सितम्बर १९५९ को समाप्त साल की समीक्षा से पता चला है कि जिन उद्योगों को तटकर सम्बन्धी संरक्षण मिला है, उन्होंने इस साल काफी उन्नति की है।

भारी मशीनों के संरक्षित उद्योगों में से कपड़े बनाने की मशीनों के उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की। अनुमान है कि १९५९ में ४७७ स्वचालित करघे बने, जबकि १९५८ में केवल ३६ स्वचालित करघे ही बने थे। अनुमान है कि १९५९ में रिंग फ्रेम भी २५ प्रतिशत अधिक बने हैं। कुछ उद्योगों में कई कारणों से उत्पादन में कमी भी हुई है।

दैनिक इस्तेमाल की चीजें

इस समय रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों में केवल दियासलाई और प्लास्टिक के बटनों के उद्योग को ही संरक्षण मिला हुआ है। १९५९ के पहले ९ महीनों में, १९५८ के इन्हीं महीनों की तुलना में, ३४ प्रतिशत अधिक बटन बने। दियासलाइयां भी इसी अवधि में ३ प्रतिशत अधिक बनीं।

औद्योगिक कच्चा माल

औद्योगिक कच्चे माल के अन्तर्गत १७ उद्योगों को संरक्षण प्राप्त है। इनमें से अलमुनियम का उत्पादन ७८ प्रतिशत, पीतल के तार का १०० प्रतिशत से अधिक, कैल्सियम लैक्टेट का ९० प्रतिशत, काले गंधक का ५३ प्रतिशत और ओलिक ऐसिड का ६६ प्रतिशत बढ़ा है। परन्तु हाइड्रोक्विनोन, सीसा, जस्ता आदि कुछ चीजों का उत्पादन गिरा है।

इस उद्योग वर्ग में इस साल कुछ नये कारखाने भी बने। कास्टिक सोडा के तीन कारखाने खुले और १९५९ के पहले ९ महीनों में इसका उत्पादन, १९५८ की इसी अवधि के उत्पादन से, १० प्रतिशत बढ़ा। साथ ही तरल क्लोरीन का उत्पादन भी २२ प्रतिशत बढ़ा। मोल्डिंग पाउडर और कांच की चद्दरें बनाने का भी १-१ कारखाना खुला और इनका उत्पादन क्रमशः २९ और १५ प्रतिशत बढ़ा।

परिवहन उद्योग

१९५९ के पहले नौ महीनों में, १९५८ की इसी अवधि की तुलना में, ३५ प्रतिशत कारें और ४२ प्रतिशत जीपें अधिक बनीं। डीजल गाड़ियां भी लगभग २९ प्रतिशत अधिक बनीं।

मशीन टूल्स उद्योग का विकास

देश में दूसरे विश्वयुद्ध से पहले मशीनी औजार नहीं के बराबर बनते थे। उस समय हर साल लगभग २ करोड़ रु० के मशीनी औजार विदेशों से मंगाये जाते थे और यहां मामूली खराद, धातु काटने की आरी आदि साधारण औजार ही बनाये जाते थे। कारखानों में ये औजार भी महीने में २-३ से अधिक नहीं बन पाते थे।

दूसरे विश्वयुद्ध में जब विदेशों से मशीनी औजार आना मंद-सा हो गया, तब सरकार ने इन्हें यहीं बनवाने का प्रयत्न किया। उसने यंत्र और कारीगर दिये, जिससे १९४२ में १,८०० मशीनी औजार बने। बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई और १९४५ में १ करोड़ ६० लाख रु० के लगभग ११,००० मशीनी औजार बने। इस प्रकार युद्ध के छः वर्षों में (सितम्बर १९३९ से सितम्बर १९४५ तक) देश में ६ करोड़ रु० के लगभग २०,००० मशीनी औजार फौजी सप्लाई के लिए बने और ११ करोड़ ६० लाख रु० के लगभग २८,००० औजार विदेशों से मंगायें गये।

परन्तु देश में जो औजार बनते थे, वे मामूली और पुराने ढंग के होते थे। वे छोटे-छोटे कामों में तो इस्तेमाल हो सकते थे परन्तु अच्छे रेल-कारखानों, आयुध कारखानों और बड़े उद्योगों के लिए वे उपयुक्त नहीं थे।

पहली योजना में सरकार ने मशीनी औजार बनाने का कारखाना लगाने का कार्यक्रम बनाया। इसमें १९५२-५३ में ६५ लाख रु० के २,१७० और १९५५-५६ में १ करोड़ रु० के ३,३०० साधारण औजार बनाने का लक्ष्य रखा गया। पहली योजना में मुख्य ध्येय उद्योगों को शुरू करने के लिए तैयारी करना था। इसलिए १९५५-५६ तक अधिक मशीनी औजार नहीं बन पाये।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी

१९५१ में बंगलौर के निकट जलहाली में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना खड़ा किया गया। यहां सूक्ष्म यंत्र (प्रेसीजन टूल्स) भी बनाये जाते हैं। इस कारखाने से देश के उद्योगों को तो मदद मिलेगी ही, इससे मशीनी औजार बनाने के और जो कारखाने खड़े किये जाएंगे, उनके लिए भी जमीन तैयार हुई।

इस कारखाने को चालू करने में कुछ देर लगी। यह मई १९५६ में चालू हुआ और इसने बहुत अच्छा काम किया है। निजी क्षेत्र के सफल कारखानों में उत्पादन बढ़ाने और किफायत करने के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं, वे इस कारखाने में भी किये गये। मसलन, दो-तीन पाली चलाना, विभिन्न प्रकार की चीजें तैयार करना, बोनस देना, बिक्री बढ़ाना, कारखाने को बढ़ाना आदि। इससे कारखाने का उत्पादन बढ़ा है, खर्च कम हुआ है और आर्थिक स्थिति सुधरी है।

कारखाने की उन्नति का अनुमान वहां बनने वाले औजारों के उत्पादन से लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है :

वर्ष	हि०म० टूल्स कारखाने का उत्पादन	देश भर का उत्पादन
	(करोड़ रु० में)	(करोड़ रु० में)
१९५६-५७	०.४७	१.०८
१९५७-५८	१.५५	२.३५
१९५८-५९	२.००	३.०४
१९५९-६० (अनुमानित)	२.५०	३.८२

सन् १९५६-५७ में यहां केवल एक प्रकार का खराद ही बनता था। सन् १९५७-५८ में ६ प्रकार की मिलिंग मशीनें और सन् १९५८-५९ में १० तरह की बर्मी और ४४ तरह की खरादें बनने लगीं। शुरू ही में इन मशीनों में बहुत कम विदेशी पुर्जे लगाये गये। दूसरे साल खरादों में केवल १० प्रतिशत और मिलिंग मशीनों में २० प्रतिशत तथा पहले साल रेडियल बर्मियों में २० प्रतिशत ही विदेशी पुर्जे लगाए गये।

कारखाने को औजार बनाने के लिए अच्छी ढलाई का माल पाने में कठिनाई पड़ी है। इसलिए वह ६० लाख रु० की लागत से अपनी फाउण्डरी बना रहा है।

मूल्य में कमी

कारखाने में बने मशीनी औजारों का मूल्य भी उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। पहले हिन्दुस्तान लेथ का दाम ३६,००० रु० था; १ जून, १९५७ से इसके मूल्य में ३,००० रु० की और १ जून, १९५८ से पुनः ३,५०० रु० की कमी कर दी गई है। नं० २ वर्टिकल मिलिंग मशीन का दाम पहले ४०,५०० रु० था; १ जून, १९५८ से इसमें १,५०० रु० की कमी कर दी गई है। इसी प्रकार नं० ३ होरिजेण्टल मिलिंग मशीन के मूल दाम (५५,५०० रु०) में १ जून, १९५८ से २,००० रु० की कमी की गई है।

मार्च १९५६ से कारखाने की खपत १ करोड़ ८२ लाख रु० से बढ़कर ३१ मार्च, १९५९ को ३ करोड़ ९३ लाख रु० हो गई है। पिछले तीन वर्षों की प्रगति को देखकर अब कारखाने में १९६०-६१ में १,००० और तीसरी योजना के अन्त तक २,००० मशीनी औजार बनाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

मांग में वृद्धि

दूसरी योजना में उद्योग, खानों का काम, बिजली का उत्पादन और यातायात बढ़ने से मशीनी औजारों की मांग भी बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से १९५४ में ३ करोड़ ८६ लाख रु०, १९५५ में ५ करोड़ २९ लाख रु०, १९५६ में ८ करोड़ ३७ लाख रु०, १९५७ में १४ करोड़ ६४ लाख रु०, १९५८ में १५ करोड़ ३१ लाख रु० और १९५९ में (जनवरी से अक्तूबर तक) ८ करोड़ ५६ लाख रु० के मशीनी औजार मगाने पड़े।

इस तरह मांग बढ़ने और विदेशी मुद्रा की किल्लत पड़ने से दूसरे निर्माताओं ने मशीनी औजार बनाने शुरू किये हैं। इन्हें बनाने के लिए सरकार ने अनेकों लाइसेंस दिये हैं। १९५९ में सरकार ने इसकी पड़ताल कराई कि तीसरी योजना में मशीनी औजार उद्योग को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। अनुमान लगाया गया है कि १९६५-६६ तक इस उद्योग पर हर साल ३० करोड़ रु० लगाने की जरूरत पड़ेगी। यह भी कहा गया है कि एक विशेषज्ञ समिति जल्दी ही इस उद्योग का अध्ययन करे, ताकि उसके आधार पर कारखाने खोले जाएं, जो लाभ से चलें।

सभी जानते हैं कि कल-कारखाने बढ़ाने के लिए मशीनी औजारों की कितनी जरूरत है। इस उद्योग को बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार और गैर-सरकारी निर्माता, दोनों पर है। अतः इसके विकास का कार्यक्रम ऐसा बनना चाहिए, जिससे दोनों के काम में मेल रहे और उद्योग की तेजी से प्रगति हो। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मशीनी औजार विकास परिषद इस संयोजित विकास के लिए प्रयत्नशील है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का विस्तार कार्यक्रम

भारत सरकार ने बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की उत्पादन-क्षमता १,००० मशीन सालाना से बढ़ा कर २,००० मशीन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कारखाने का विस्तार करने पर २ करोड़ ८० लाख रु० का पूंजीगत व्यय होगा। इसमें से १ करोड़ १५ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का उत्पादन बहुत बढ़ा है। दूसरी योजना में हर साल ४०२ मशीनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य १९५७-५८ में ही पूरा हो गया। इन मशीनों पर १ करोड़ ४० लाख रु० लागत आई। समय से तीन साल पहले ही लक्ष्य पूरा हो जाने का श्रेय कारखाने के पुनर्गठन और कई पारियों में काम होने को है।

चालू वर्ष (१९५९-६०) में हर साल २॥ करोड़ रु० की लागत से लगभग ७०० मशीनें बनेंगी। आशा है कि दूसरी योजना की समाप्ति (१९६०-६१) तक ३॥ करोड़ रु० की लागत पर हर साल १,००० मशीनें बनने लगेंगी। जब १९६३ में हर साल प्रस्तावित २,००० मशीनें बनने लगेंगी तो उत्पादन का खर्च ७ करोड़ रु० हो जाएगा।

कम्पनी को मशीन बनाने में इस समय भी लाभ हो रहा है। आशा है कि १ करोड़ ६७ लाख रु० के सरकारी ऋण पर ४॥ प्रतिशत

की दर से ब्याज और हिस्सेदारों को लाभांश देने के बाद भी कम्पनी को बचत होगी, जो कारखाने को बढ़ाने के कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी।

मशीनें बनाने की लागत में भी काफी कमी हुई है। इससे मशीनों की कीमत घटा दी गयी है। पहले १ हजार सिलिंडर की मशीन की कीमत ३९ हजार रु० से घटाकर ३६ हजार रु० की गई। बाद में १ जून, १९५८ से इसकी कीमत २९।। हजार रु० कर दी गयी। बाहर से मंगाई हुई इसी किस्म की मशीनों की कीमत लगभग ४० हजार रु० पड़ती है।

सरकारी इस्पात कारखानों के विकास के लिए समन्वय समिति

इस्पात के तीनों सरकारी कारखानों के विस्तार की व्यापक योजना बनाने वाले विभिन्न संगठनों के काम को समन्वित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति में रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के तीनों जनरल मैनेजर, इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय के खान और ईंधन विभाग तथा लोहा और इस्पात विभाग का एक-एक प्रतिनिधि होगा। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के जनरल मैनेजर (निर्माण विभाग) और भारत सरकार के लोहा और इस्पात नियन्त्रक भी इस समिति के सदस्य होंगे। लोहा और इस्पात विभाग का प्रतिनिधि समिति का संयोजक होगा।

यह समिति विभिन्न वर्गों के इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में तीनों इस्पात कारखानों के विकास की योजना बनाएगी। उम्मीद है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के तुरन्त बाद विभिन्न वर्गों के इस्पात की मांग बढ़ जाएगी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास के कार्यक्रम के बारे में इस समय अध्ययन कार्य हो रहा है। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए अन्ततः चाहे जो लक्ष्य निर्धारित किया जाए, इतना तो स्पष्ट ही है कि रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों का विस्तार आवश्यक है क्योंकि इनमें काफी पूंजी लगाई जा चुकी है।

इन इस्पात कारखानों के विस्तार के कार्यक्रम बनाने में जो विभिन्न संगठन संलग्न हैं उनके कार्य का समन्वय करते समय यह समिति ढांचे के अलावा कोयला, लोहा, चूना और बिजली व पानी की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेगी।

रूरकेला में एल० डी० विधि से इस्पात का निर्माण

भारत सरकार के इस्पात, खान और ईंधन मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह ने १० जनवरी को राउरकेला इस्पात कारखाने में एल० डी० विधि से इस्पात बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। अब इस कारखाने में एल० डी० विधि से इस्पात बनने लगा है।

यह विधि आस्ट्रिया में निकाली गई थी। इसमें कम लागत आती है और अधिक माल तैयार होता है। इस विधि में पिघले हुए लोहे पर ऊपर से भी अधिक तेजी से आक्सीजन फूंकी जाती है।

इस विधि से राउरकेला ७।। लाख टन इस्पात बनायेगा। इसके अलावा २।। लाख टन इस्पात पुरानी विधि खुली भट्ठी (ओपन हर्थ फर्नेस) से बनेगा। तीनों सरकारी कारखानों में केवल राउरकेला में ही इस विधि से इस्पात बनेगा।

इसके पूर्व ११ जनवरी को उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कारखाने की ब्लूमिंग और स्लेबिंग मिल का उद्घाटन किया।

भिलाई इस्पात कारखाने का दिसम्बर १९५९ का उत्पादन

दिसम्बर १९५९ में भिलाई इस्पात कारखाने में ३४,९७५ टन लोहे के ढोके बनाए गए। इसमें से लगभग २५,१२२ टन लोहे के ढोके देश के विभिन्न कारखानों को भेजे गए। इस कारखाने की बिलेट मिल २४ दिसम्बर, १९५९ को शुरू हुई थी। इस मिल में ३१ दिसम्बर तक १,२०० टन बिलेटें बनायी गयीं। इसमें से ६९० टन देश की विभिन्न रोलिंग मिलों को भेजी गयी।

इस कारखाने में १५ दिसम्बर से उर्वरक बनाने की मशीन चालू हुई थी, जिसमें ३१ दिसम्बर तक ३२४ टन सल्फेट की खाद बनायी गयी। इसमें से मध्य प्रदेश के बिलासपुर और अन्य जिलों को १११ टन खाद भेजी गयी।

सरकारी कारखानों में थर्मामीटर और बिजली की मोटरें बनाने की योजना

तीन सरकारी कारखानों में विभिन्न प्रकार का सामान बनाने की योजना तैयार की जा चुकी है।

कलकत्ता के राष्ट्रीय औजार कारखाने ने एक जापानी कम्पनी के सहयोग से डाक्टरी थर्मामीटर बनाने का निर्णय किया है। यहां पर १९६२-६३ तक हर साल ६ लाख थर्मामीटर बनने लगेंगे। इन थर्मामीटरों की कीमत बाहर से मंगाये हुए थर्मामीटरों से कुछ कम ही होगी। राष्ट्रीय औजार कारखाना देश में ही थर्मामीटर बनाने वाला दूसरा कारखाना होगा।

नाहन फाउन्ड्री ने बिजली की मोटरें बनाने का निश्चय किया है। यहां पर शुरू में हर साल १,२०० मोटरें बनाई जाएंगी। बाद में कारखाने का विस्तार किया जाएगा और हर साल ३,६०० मोटरें बनने लगेंगी। यहां पर कई किस्म की मोटरों के नमूने तैयार किये जा चुके हैं।

बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने इटली की एक कंपनी के सहयोग से १६ किस्म की पिसाई की बेलनाकार मशीनें बनाने का निश्चय किया है। आशा है कि १९६० के अंत तक कुछ मशीनें बनकर तैयार हो जाएंगी।

छोटे कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं

भारत सरकार ने छोटे कारखाने खोलने के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे छोटे कारखाने खोलने के लिए, जिनमें बिजली इस्तेमाल नहीं होती और मजदूरों की संख्या १०० से कम है अथवा बिजली इस्तेमाल पर मजदूरों की संख्या ५० से कम है,

अथवा राज्य सरकार से इजाजत या लायसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

किन्तु, इसमें एक अपवाद है। जिन कारखानों में इस्पात के छड़ और तार आदि बनाए जाएंगे, उन्हें लोहे और इस्पात नियंत्रक से इजाजत लेनी होगी, चाहे उन कारखानों में ५० से कम मजदूर काम करें।

इसी प्रकार देशी मशीनें अथवा देश में उपलब्ध विदेशी मशीनें खरीदने के लिए भी किसी से लाइसेंस या इजाजत लेने की जरूरत नहीं। यह इजाजत तब लेनी पड़ती है, जब इन कारखानों को विदेशों से मशीनें मंगानी पड़ती हैं।

कागज़ के नये कारखाने

भारत सरकार ने ११ नए छोटे कारखानों को कागज बनाने के लाइसेंस दिए हैं। इन कारखानों को लगभग २२ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। ये कारखाने देश के विभिन्न भागों में खोले जाएंगे, जिनमें प्रतिवर्ष २१,२०० टन कागज बनेगा।

तीन कारखाने बम्बई राज्य में खोले जाएंगे, जिनमें ७,२०० टन कागज बनेगा। उत्तर प्रदेश में भी प्रतिवर्ष ४,२०० टन कागज बनाने वाली तीन मिलें खोली जाएंगी। पंजाब में लगभग २,७०० टन कागज बनाने वाली दो मिलें खुलेंगी। तीन कारखाने प० बंगाल में खुलेंगे, जहां प्रतिवर्ष लगभग ७,००० टन कागज बनेगा।

देश में, १९५९ में लगभग ३ लाख टन कागज बनाया गया, जबकि १९४८ में १ लाख टन से भी कम बना था। आशा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक ४ लाख २० हजार टन कागज बनने लगेगा।

अहमदाबाद की कम्पनी की जांच

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की २५ दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने अहमदाबाद (बम्बई राज्य) की मेसर्स हथीसिंह मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० की जांच करने के लिए उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, १९५१, की धारा-१५ के अन्तर्गत, एक समिति नियुक्त की है। श्री मदनमोहन मंगलदास इस समिति के अध्यक्ष हैं और श्री थामस डैसा तथा श्री एस० एम० यूसुफ इसके सदस्य हैं।

खेतड़ी और दरीबो में तांबे की खोज

भारत सरकार ने कुछ समय पहले राजस्थान में खेतड़ी और दरीबो के क्षेत्र में तांबे के लिए जो आजमायशी खुदाई की थी, उससे वहां बड़ी मात्रा में तांबा मिलने के आसार प्रगट हुए हैं।

खेतड़ी की पट्टी में जो लगभग १६ मील में फैली हुई है ३ स्थानों पर तांबा खोजा गया है। यह स्थान राजस्थान के झुन्झुनू जिले में हैं। इन स्थानों में अब और अधिक खुदाई की जाएगी। इसी प्रकार अलवर जिले के दरीबो क्षेत्र में भी एक स्थान पर बड़ी मात्रा में तांबा मिलने के लक्षण हैं।

इस आजमायशी खुदाई के पूरे हो जाने पर पता लगेगा कि इन दोनों स्थानों पर कितना तांबा मिल सकता है। इसी बात को देख कर तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन के लक्ष्य स्थिर किये जाएंगे। यदि यहां तांबे की अच्छी खानें मिलीं तो लगभग १० हजार टन तांबा निकाले जाने का अनुमान है।

आजकल देश में प्रतिवर्ष विभिन्न रूप में लगभग ५० हजार टन तांबा खपता है। १९६१ तक देश की खपत ६० हजार टन तक बढ़ने की संभावना है और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में तो ७५ से ८० हजार टन तक। इस समय केवल बिहार की खानों से लगभग ८ हजार टन तांबा निकलता है। इन खानों का प्रबन्ध भारतीय तांबा निगम के हाथ में है।

लम्बे रेशे के कपास के अधिकतम मूल्य का पुनर्निर्धारण

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की १४ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने १-१/३२" रेशे वाले तथा अन्य लम्बे रेशे के कपास का अधिकतम मूल्य तुरंत ही फिर से निर्धारित करने का निश्चय किया है।

लम्बे रेशे की कपास उगाने वाले किसानों की यह शिकायत थी कि मौजूदा अधिकतम मूल्य से उन्हें बहुत हानि है। अधिकतम मूल्य फिर से निर्धारित करने का यह निश्चय किसानों की इस शिकायत पर विचार करने के बाद किया गया है।

भारत सरकार लम्बे रेशे के कपास का उत्पादन बढ़ाना चाहती है। शुरू में लम्बे रेशे के कपास का अधिकतम मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से कुछ अधिक निर्धारित किया गया था। लेकिन अब और देशों के बाजार में लंबे रेशे के कपास का मूल्य बढ़ गया है। अतएव भारत सरकार का यह खयाल है कि और देशों के बाजारों में लंबे रेशे के कपास के मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसका कुछ लाभ भारतीय किसानों को भी मिलना चाहिए, जिससे इस किस्म के कपास के उत्पादन पर असर न पड़े।

मीट्रिक माप-तोल के बाटों का निर्माण

मीट्रिक माप-तोल के बाट और पैमाने बनाने के लिए आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर और पंजाब तथा दिल्ली शासन के १०६ कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं। इस समय ३०५ ऐसे कारखाने हैं, जो देश की जरूरत पूरी करने के लिए काफी संख्या में बाट और पैमाने बना सकते हैं। इनमें से कुछ सरकारी क्षेत्र में भी हैं।

नेशनल सैम्पल सर्वे ने यह अनुमान लगाया है कि इस समय देश में ५ करोड़ ४० लाख बाट और १० लाख पैमाने काम में लाये जा रहे हैं। अगले २ साल में इनके स्थान पर मीट्रिक बाट और पैमाने चलाये जाएंगे।

नये बाट और पैमानों की बिक्री लाइसेंस-प्राप्त दुकानदार करेंगे।

तांबे का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय से जानकारी मिली है कि जनवरी से नवम्बर १९५९ तक खानों से ३,७३,००० टन तांबा (खनिज) निकाला गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ३,७५,००० टन निकाला गया था। यह तांबा बिहार राज्य के सिंहभूम जिले में निकाला गया।

जनवरी से नवम्बर १९५९ तक ७,४६५ टन तांबा (धातु) तैयार किया गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ७,२३५ टन तैयार किया गया था।

भारतीय फिल्मों के पुराने आयातक हैं, लेकिन इनके अलावा ब्रिटेन, रूस, घाना, अमरीका और कनाडा भी भारतीय फिल्मों का आयात करते हैं।

निर्यात में वृद्धि

भारत सरकार ने एक अनेक उपाय किये हैं जिनसे विदेशों में और भारतीय फिल्में भेजी जा सकें। फिल्म निर्यात वृद्धि समिति की सिफारिश पर विदेशों में फिल्में बनाने का प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया है।

सरकार ने विदेशों में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन के लिए व्यवस्था भी की है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास बन्दरगाहों में प्रदर्शन [illegible] बनायी गयी हैं, जो विदेशियों को सुविधा देती हैं कि किस देश में और फिल्म भेजना सुविधाजनक है।

इस देश में करीब-करीब सभी विदेशी भाषाओं में फिल्में तैयार करने की सुविधाएं प्राप्त हैं। पहले ये सुविधाएं न होने के कारण बड़ी रुकावट थी।

नई आयात नीति में सिनेमा-फिल्मों के हुए बाहर से कच्ची फिल्में आयात करने की भी व्यवस्था की गयी है। निर्यातक सिनेमा-फिल्मों के निर्यात के प्राप्त-मूल्य का २ प्रतिशत कच्ची फिल्में खरीदने पर लगा सकते हैं।

फिल्म निर्यात वृद्धि समिति की बैठक

नई दिल्ली में ९ जनवरी को फिल्म निर्यात वृद्धि समिति की बैठक में यह बताया गया कि फिल्मों के निर्यात से १९५९ में जनवरी से सितम्बर तक, देश को १,२३,१७,००० रु० की आमदनी हुई। इसके मुकाबले १९५८ के पूरे साल में १,१३,०९,००० रु० की फिल्मों का निर्यात हुआ था। समिति की बैठक के सभापति केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर थे।

समिति ने अकारा, जकार्ता (इंडोनेशिया) और सिंगापुर में भारतीय फिल्म समारोह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार काहिरा में जल्दी ही होने वाले अफ्रीकी-एशियाई फिल्म समारोहों में भाग लेने का भी निश्चय किया गया।

नवम्बर १९५९ में भारत का विदेशी व्यापार

कलकत्ता के वाणिज्य, सूचना और अंक विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवम्बर १९५९ में जल, थल और हवाई मार्ग से निजी और सरकारी तौर पर भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आंकड़े इस प्रकार हैं:

व्यापारी माल

इसमें नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान के साथ स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार शामिल नहीं है। निर्यात—६१ करोड़ २६ लाख रु०; पुनर्निर्यात—५० लाख रु०; आयात—६९ करोड़ ९९ लाख रु०। आयात के आंकड़ों में उस सरकारी सामान का मूल्य शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना अभी बाकी है।

कोष

नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—८९ लाख रु०; सोना—नगण्य; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—नगण्य। नोटों का आयात—३७ लाख रु०; सोना—११ लाख रु०; चालू सिक्के (सोने के सिक्को के अलावा)—नगण्य।

व्यापार तुला

व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात से ८ करोड़ ३४ लाख रु० कम रहा।

भारत-हंगरी व्यापार समझौते की अवधि बढ़ी

भारत और हंगरी के बीच व्यापार समझौते की अवधि ६ महीने बढ़ाने के सम्बन्ध में १२ जनवरी को नयी दिल्ली में हंगरी के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नेता और भारत सरकार की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव में आवश्यक कागज-पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। अब समझौते की अवधि बढ़कर ३० जून, १९६० तक हो गई है। भारत मुख्यत. खनिज लोह, जूट का सामान, वनस्पति तेल, कच्ची ऊन, कॉफी और अभ्रक हंगरी भेजता है। हंगरी से भारत मुख्यत इस्पात का सामान, मशीनी औज़ार, ये = और दवाएं आदि मंगाता है।

साइकिलों का निर्यात

भारतीय साइकिलों की ६ देशों में बहुत माग है। सन् १९५९ में नवम्बर तक के ११ महीनों में लगभग ४ लाख २० हजार रु० की २,८०४ साइकिलें निर्यात की गयी। १९५८ की इसी अवधि में केवल ५ साइकिलें निर्यात हुई थी।

बर्मा, लका, मलाया, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक और नाइजीरिया भारतीय साइकिले आयात कर रहे है।

सन् १९५९ मे नवम्बर तक लगभग १ लाख ८० हजार रु० के साइकिल-पुर्जों का भी निर्यात हुआ। इसके अलावा भारत मे बनी तीन पहियां वाली साइकिलो की भी विदेशों मे माग बढती जा रही है।

भारतीय साइकिलो का निर्यात बढाने के लिए कई प्रयत्न किए गए है। एक ऐसी योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत विदेशो मे भारत से सस्ते दामो पर भारतीय साइकिलें बेची जाती है। निर्यात के लिए साइकिल बनाने वालों को लोहा और इस्पात घटी दरों पर दिया जाता है। साइकिले बनाने मे जो कुछ कच्चा माल लगता है, उसके आयात की भी छूट दी जाती है।

फैक्ट्रियों से उन बन्दरगाहों तक, जहा से साइकिलें निर्यात होती है, साइकिलों के रेल-भाडे मे भी ५० प्रतिशत तक की रियायत दी जाती है। निर्यात की जाने वाली साइकिलों को रेल द्वारा बन्दरगाहों तक भेजने मे भी प्राथमिकता दी जाती है।

अमरीका महाद्वीप में इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न

अमरीका महाद्वीप के देशों में भारत के बने इंजीनियरी माल की खपत की क्या गुजाइश है, इसका अध्ययन करने के लिए यहां के निर्यातकों और निर्माताओं का एक प्रतिनिधिमडल इस महीने के अत तक रवाना होगा। यह ६ हफ्ते तक वेस्ट इडीज, दक्षिण अमरीका, संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा में घूमेगा।

भारत में करीब १।। करोड का माल इस समय [illegible] जा रहा है, जिसमें अधि- [illegible] को जाता है। कोशिश करने से इस महाद्वीप के अन्य देशों मे भी भारतीय माल का निर्यात बढने की सम्भावना है।

यह प्रतिनिधिमडल निर्यात वृद्धि परिषद के प्रयत्न से भेजा जा रहा है। इसके पहले ६ और शिष्टमडल दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड को जा चुके है।

रंगून में इंजीनियरी की चीजों का शो रूम

इंजीनियरी की चीजों का निर्यात करने के खयाल से इजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद ने रगून में अपना कार्यालय खोला है। यह कार्यालय बर्मा के आयातको, वाणिज्य सघों आदि से सम्पर्क स्थापित करेगा। भारतीय इजीनियरी की चीजें दिखाने के लिए रगून में एक शो रूम खोला गया है।

कुछ समय पहले इजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद ने बर्मा को इजीनियरी की भारतीय चीजें निर्यात करने की सम्भावनाओं का अध्ययन किया था। इसमें पता चला कि बर्मा में इन चीजों की काफी खपत हो सकती है। इसलिए रगून मे शो रूम खोलने का निश्चय किया गया है।

सन् १९५९ में अक्तूबर तक के १० महीनों में बर्मा को लगभग २५ लाख रु० का भारतीय इजीनियरी का सामान निर्यात हुआ। इसमे खेती के औजार, साइकिलें, बिजली का सामान, बिजली के पखे, लोहे का फर्नीचर, रेडियो सेट, सिलाई की मशीनें आदि थी।

मोम्बासा में भारतीय माल की प्रदर्शनी

अभी हाल मे मोम्बासा में भारत मे बनी चीजों की प्रदर्शनी हुई। प्रदर्शनी बहुत लोकप्रिय रही और रोजाना प्रदर्शनी का मडप दर्शकों से खचाखच भरा रहा। प्रदर्शनी शुरू होने के दिन ही लोगों ने बिजली के पखो और सिलाई की मशीनों के बहुत से आर्डर दिए। साइकिलो, बेदाग इस्पात के बर्तनो, अस्पताल के सामान आदि के व्यापार के लिए खरीद के बारे में भी बहुत पूछताछ हुई।

यह प्रदर्शनी अफ्रीका के दारुस्सलाम, कम्पाला और नैरोबी शहरों मे भी लगाई जाएगी।

निर्यात प्रोत्साहन के लिए रेल-भाड़े में रियायत

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए रेल मण्डल ने कुछ स्टेशनो से कुछ विशेष बन्दरगाहों तक कुछ और चीजों के रेल-भाडे में रियायत दी है। यह रियायत बिजली की मोटरों, सूती और बालों के पट्टो, चक्की के पाटो, मशीनी पेचों, चाय की प्लाईवुड की पेटियों आदि के रेल-भाडे में दी गयी है।

रियायत देने की योजना के अन्तर्गत मालगाडी के किराये में ५० प्रतिशत की छूट दी जाती है। कुछ अन्य चीजों मे यह रियायत पहले भी दी जा चुकी थी।

सजावटी बर्तन निर्यात करने वालों को सुविधाएं

भारत सरकार ने अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल को ताबे और पीतल के सुन्दर सजावटी बर्तन और जरी के काम की चीजें निर्यात करने वालों के नाम रजिस्टर करने का काम सौंपा है। नाम रजिस्टर करने का यह निश्चय इसलिए किया गया है, ताकि इन निर्यातकों को तांबा, जस्ता, टिशू कागज, पालिश करने का सामान, विभिन्न रासायनिक पदार्थ आदि आसानी से मिल सके।

जस्ते के आयात की व्यवस्था

भारत सरकार ने जस्ते की वर्तमान किल्लत दूर करने के लिए भारी मात्रा में जस्ते का आयात करने का प्रबन्ध किया है। अगले दो महीनों मे बाजार में लगभग १० हजार टन जस्त आ जाएगा।

इसमे से कुछ जस्त राज्य व्यापार निगम के जरिये मंगाया जाएगा। निगम ने विदेशी व्यापारियो से इस बारे में सौदे किये है। कुछ माल रवाना भी हो चुका है और जल्द ही बाजार में पहुच जाएगा। बाकी जस्त भी चालू लाइसेंस अवधि के समाप्त होने, यानी मार्च १९६० से पहले ही पहुच जाएगा।

इसके अलावा व्यापारियों और उपयोक्ताओं को भी चालू अवधि के लिए जस्ते के आयात के लाइसेंस दिये गये है।

पिछले दो महीनों में जस्ते के भाव बहुत, करीब ५० प्रतिशत, चढ़े है। इसका एक कारण व्यापारियों की सट्टेबाजी और दूसरा, उपभोक्ताओं की घबराहट है।

भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए वार्ता

भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ाने के विषय पर ईरान के व्यापार प्रतिनिधि मंडल और भारतीय अधिकारियों के एक दल मे जो बातचीत चल रही थी, वह ६ जनवरी को नयी दिल्ली मे समाप्त हो गई।

दोनो प्रतिनिधिमडलों ने इस बात पर विचार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं। दोनों पक्षों का यह विचार था कि आम तौर पर जो वस्तुएं भेजी जाती है, उनकी मात्रा बढायी जा सकती है और ईरान से नयी वस्तुए, जैसे—गन्धक, जस्ता, सीसा और खनिज ताबा, कपास और खाल आदि और भारत से इजीनियरी सामान, रैयन, डीजल इजन, बाइसिकले, दवाइया और रसायन आदि अधिक मात्रा में भेजे जा सकते है।

ईरान का व्यापार प्रतिनिधिमडल श्री आगा अली असगर पीरजाद के नेतृत्व में १० दिसम्बर, १९५९ को भारत आया था। प्रतिनिधिमडल में पाच सदस्य थे। भारतीय दल के नेता केन्द्रीय, वाणिज्य एव उद्योग मत्रालय के सयुक्त सचिव, श्री के० आर० एफ० खिलनानी थे।

पाकिस्तान से आयात के लिए खुले लाइसेंस

भारत सरकार ने पाकिस्तान से इन चार चीजों के आयात के लिए खुले लाइसेस दिये है। ऐसी मछलियां, जिनके आयात के बारे में कोई अन्य आदेश नही है; नमक छिड़की मछलियां; चमड़ा और खाले कच्ची अथवा नमक छिड़की; और सेमल की रुई। इन खुले लाइसेंसों की अवधि ३१ मार्च, १९६० तक रहेगी।

क्या आप जानते हैं ?

देश में हथकरघा उद्योग

● आदि काल से ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कपड़े बुनने की अपनी-अपनी परम्परा रही है। इन क्षेत्रों में बने कपड़े दूर-दूर के देशों में प्रसिद्ध हुए। देश मे कपड़े का इतिहास ईसा पूर्व ५,००० वर्ष पुराना माना गया है। उस समय यूनान मे ममी (मसालों मे सुरक्षित शव) को यहा की बनी मलमल मे ढका जाता था। हेरोडोटस, मेगस्थनीज, प्लिनी आदि ग्रीकवासियों ने यहा के कपड़े की बहुत प्रशसा की थी।

● सातवीं शताब्दी मे फ्रांस का एक कलाप्रेमी यहा आया। उसने एक पगड़ी का जिक्र करते हुए लिखा है कि ६० हाथ लम्बी वह पगड़ी इतनी महीन थी कि सर पर उसका जरा भी भार मालूम नही होता था। १५ गज मलमल का वजन केवल ९०० ग्राम था। ढाका की मलमल तथा कुछ अन्य कपड़े तो इतने महीन और सुन्दर होते थे कि उन्हें अनेक काव्यात्मक नाम दिये गये, जैसे—'शाम की शबनम', 'वायु जाल', आदि।

● परन्तु देश तथा विदेशों में कपड़े की मिलें बन जाने से यह उद्योग काफी गिरा। फिर भी यह अपनी विशेषता के कारण चलता ही रहा। यहां तक कि आज भी यह देश का प्रमुख उद्योग है और इससे लगभग २ करोड़ लोगों की रोजी चलती है। यह उद्योग देश में कपड़े की तिहाई माग पूरी कर रहा है और गाव की आर्थिक स्थिति सुधारने मे बहुत मदद दे रहा है।

● भारत सरकार ने १९५३ मे हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उपकर कोष बनाया। इस कोष के अन्तर्गत १९५४ से योजनाएं चालू हुई। अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल ने, राज्य सरकारों की मारफत, इसका भरसक प्रयत्न किया है कि देश में हथकरघा उद्योग स्वावलम्बी बन सके।

● जुलाहे के सामने एक कठिनाई यह है कि वह यह नही जानता कि खरीदार कैसा कपड़ा चाहता है। इसलिए उसकी मदद के लिए मण्डल ने बम्बई, मद्रास, वाराणसी और कलकत्ता मे डिजाइन केन्द्र तथा काचीपुरम, सूरत और चदेरी मे उपकेन्द्र खोलने का निर्णय किया है। इन केन्द्रों के दो मुख्य काम है: (१) उस क्षेत्र की परम्परा को देखते हुए पुराने डिजाइनों से नये डिजाइन बनाना, और (२) आजकल प्रचलित डिजाइनों से नये डिजाइन बनाना। प्रत्येक केन्द्र में कपड़ा रगने और छाप लगाने की प्रयोगशाला होती है। वहा रगने और छापने के अच्छे तरीके निकाले जाते है और वे तरीके हथकरघा उद्योग में काम करने वालों को बताये जाते है।

● मण्डल ने महसूस किया है कि देश भर में हथकरघा उद्योग का प्रचार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मण्डल ने योजना बनाई है, जिसे वह आजकल चला रहा है। मण्डल ने यह भी महसूस किया है कि यदि उद्योग को बढ़ाना है, तो जुलाहों का सगठन बनाया जाना चाहिए, जो उन्हे ठीक तरीके समझाये, हिदायतें दे और उन्हे उद्योग चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी दे। यह काम सहकारिता के माध्यम से ही हो सकता है।

● इसलिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे अधिक से अधिक जुलाहों को सहकारी समितियों में शामिल करने का प्रयत्न कर रही है, जिससे उन्हें सस्ते दाम पर कच्चा माल मिल सके, उनका कपड़ा अच्छे दाम पर बिक सके और उन्हे अन्य प्रकार की भी सहायता मिल सके। अब तक देश में ४० प्रतिशत से भी अधिक जुलाहे सहकारी समितियों के सदस्य बन चुके है।

लार्ड शंडोस की भारत-यात्रा

इंगलैंड की एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष लार्ड शडोस (पहले श्री ओलिवर लिटिलटन) उद्योग मत्री, श्री मनुभाई शाह, के निमन्त्रण पर चार सप्ताह की भारत-यात्रा पर ७ जनवरी को बम्बई पहुचे। इंग्लैंड के सहयोग से जो उद्योग भारत मे चालू किये गये है, लार्ड शडोस उनका निरीक्षण करेंगे।

लार्ड शंडोस ब्रिटेन के मत्रि-मंडल के सदस्य रह चुके है। आप इंग्लैंड के उपनिवेश मंत्री, व्यापार मडल के अध्यक्ष, उत्पादन मंत्री और युद्धकालीन मत्रि-मडल के स... भी रहे है।

फेनाल एसिटिक अम्ल और फेनाल-ऐसिटेमिड बनाने की विधि

रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, हैदराबाद में फेनालऐसिटिक अम्ल और फेनाल-ऐसिटेमिड बनाने की विधि निकाली गयी है। फेनालऐसिटिक अम्ल और फेनालऐसिटेमिड पेनसिलीन बनाने के लिए सहायक पदार्थ हैं। भारत में हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पिम्परी में इन उत्तम रसायनों का विशेष रूप मे उपयोग हो रहा है। इनकी वर्तमान वार्षिक माग क्रमश. ३५,१०० किलोग्राम और ९,००० किलोग्राम है, जिनका मूल्य दो लाख रुपये से अधिक है। सम्पूर्ण मात्रा आयात की जाती है। १९६१ तक पेनसिलीन उत्पादन की योजनाओं के बढने पर इनकी माग और भी अधिक होने की आशा है। इन रसायनो का सुगन्ध-द्रव्य उद्योगों में भी उपयोग होता है।

इस विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रयुक्त स्लफ्यूरिक अम्ल और बेन्जील क्लोराइड उपोत्पादन (बाइ-प्रोडक्ट) के रूप मे प्राप्त होते है। बेन्जील क्लोराइड रग, बेन्जाल्डिहाइड, बेन्जीलऐसिटेट, बेन्जील बेन्जोयेट और बेन्जील्ब्यूटीरेटस के बनाने में प्रयोग होता है।

इनके बनाने के लिए मुख्य पदार्थ टोलवीन, क्लोरीन-इथाइल-अलकोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम साइनाइड है। सोडियम साइनाइड के अतिरिक्त दूसरे कच्चे पदार्थ भारत मे उपलब्ध है।

पदार्थ जो उपयोग में लाये जाते है, उनकी तीव्रनाशक प्रकृति के कारण और उत्पादन की अति शुद्धता के लिए इसका कारखाना स्थापित करने के लिए ग्लास-लाइण्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील या अगम्य ग्रेफाइट की आवश्यकता है। दो टन माल प्रतिदिन बनाने वाले उद्योग के लिए लगभग १६ लाख रुपये की पूजी की आवश्यकता होगी।

वनस्पति के वायदा बाजार पर प्रतिबन्ध

भारत सरकार ने वनस्पति से बनी चीजो के १९४७ के नियन्त्रण आदेश के खड २ (ई) के अतर्गत वनस्पति और वनस्पति से बनी चीजो के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह प्रतिबन्ध तुरन्त लागू होगा।

७ जनवरी, १९६० को या इससे पहले जो सौदे हो चुके है, उनका भुगतान ७ जनवरी का वायदा बाजार बद होने के समय की दरो के अनुसार होगा।

भारत सरकार के ७ जनवरी के विशेष सूचना-पत्र मे, १९५२ के वायदे के सौदों के अधिनियम के अतर्गत यह अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

भूरे कोयले के नैवेली कारखाने के लिए इंजीनियर

भूरे कोयले के नैवेली कारखाने के लिए २७ इजीनियर रूस, प० जर्मनी और पूर्व जर्मनी मे प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे है। यह प्रशिक्षण ९ महीने से ३ साल तक का होगा।

यह सूचना खान, इस्पात और ईधन मत्री, श्री स्वरन सिह ने १७ दिसम्बर को लोकसभा मे एक प्रश्न के उत्तर मे दी। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण योजना पर ४ लाख ८९ हजार रु० खर्च होंगे। इन इजीनियरो को कुछ समय के लिए भारत सरकार के अन्तर्गत नौकरी करने का बाड भी भरना होगा।



श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

केन्द्रीय श्रम मंत्री, श्री गुलजारीलाल की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में ३ और ४ जनवरी को श्रम मत्रियो का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने सिफारिश की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना उन स्थानों मे भी लागू की जाए जहा ५०० या अधिक कर्मचारी ऐसे हो जिनका बीमा किया जा सकता हो। अभी तक १,५०० बीमा कराने योग्य कर्मचारियो वाले क्षेत्रों में ही यह योजना लागू हो सकती है। सम्मेलन ने कर्मचारियो के कुटुम्बियो के लिए अस्पतालों में रहकर इलाज कराने की सुविधा देने की भी सिफारिश की है।

सम्मेलन में कहा गया कि किसी केन्द्रीय स्थान पर कर्मचारियों के लिए तपेदिक का अस्पताल भी बनाना चाहिए। दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बम्बई, मद्रास, बगलौर, कानपुर और पश्चिम बगाल में जो ५ अस्पताल बनाये जा रहे है वे १९६१ तक तैयार हो जाने चाहिए।

सम्मेलन ने सिफारिश की कि कारखानो आदि में दुर्घटनाओं की रोकथाम के बारे में बराबर अनुसधान होना चाहिए और साथ ही कारखानों के निरीक्षको को भी इन उपायो और तरीकों की आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कारखानो मे वे रक्षा-व्यवस्था को अधिक कारगर बना सकें। सभापति, श्री गुलजारी लाल नन्दा ने कहा कि श्रम कानूनो को सरकारी उद्योगों मे भी अधिकाधिक लागू किया जा रहा है और इस मामले मे सरकारी और निजी उद्योगों मे कोई भेद करने का हमारा इरादा नही है और न इसका कोई औचित्य ही है। श्रम मत्री ने सम्मेलन मे यह भी कहा कि भारत सरकार न्यूनतम वेतन अधिनियम को, जो ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गया, बढ़ाने के पक्ष में नही है। न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारो को अपनी-अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कानून बना लेने चाहिए। अनुशासन सहिता के सम्बन्ध मे श्री नन्दा ने ३ जनवरी को अपने भाषण कहा कि उद्योग-धधों का काम चलाने के लिए जो अनुशासन सहिता बनाई गई थी, उस पर अमल करने पर नजर आने लगा है कि उससे बहुत लाभ हो सकता है। यह सहिता १९५८ के मध्य मे लागू की गयी थी, मगर थोड़े ही अर्से में इसके फायदे साफ नजर आने लगे है।

स्थायी श्रम समिति की बैठक

नयी दिल्ली मे ५ और ६ जनवरी को स्थायी श्रम समिति की बैठक हुई, जिसमे तीसरी पचवर्षीय योजना मे शामिल करने के लिए श्रम नीति और कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तावो पर विचार किया गया। यह बैठक केन्द्रीय

श्रम मंत्री, श्री गुलजारीलाल नन्दा की अध्यक्षता में हुई। समिति ने मालिक-मजदूर सम्बन्ध, ट्रेड यूनियन, प्रबन्ध मे मजदूरो की हिस्सेदारी, सरकारी और गैर-सरकारी कारखानो में श्रम सम्बन्धी अधिनियमों का समान रूप से पालन, श्रमिकों का वैज्ञानिक वर्गीकरण आदि विषयो पर ब्योरेवार विचार किया।

समिति ने यह सिफारिश की कि वेतन मण्डलों को अनुविहित बनाने का प्रस्ताव अभी स्थगित रखा जाए, क्योंकि इससे स्वेच्छा से वेतन निर्धारण करने की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। समिति ने यह भी कहा कि वेतन मण्डल की सर्वसम्मत सिफारिशों को सभी पक्षों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि जब सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू करने में देर की जाए तो सरकार को उन्हें कानून का रूप दे देना चाहिए।

स्थायी श्रम समिति में श्री नन्दा का भाषण

श्रम मंत्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा ने ५ जनवरी को स्थायी श्रम समिति के १८वें अधिवेशन मे कहा कि हम अगले कुछ वर्षों में देश का तेजी से आर्थिक विकास करना चाहते हैं और साथ ही देश की रक्षा करना भी जरूरी है। इसलिए जब हम तीसरी योजना के बारे में सोचते हैं तब हमें व्यक्तिगत लाभ के बजाए परिश्रम और आत्मत्याग ही मुख्यत ध्यान में रखना चाहिए। हमें विकास के साथ साथ रक्षा के लिए भी योजना बनानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए जो योजना बने, उसे देश की योजना का अभिन्न अंग होना चाहिए। श्रमिकों को भी चाहिए कि वे अपने को योजना का अंग माने और उसे सफल बनाने का भरसक प्रयत्न करे। वे देश की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए जो भी प्रयत्न करेंगे, उससे उद्योग दृढ़ होंगे।

मजदूर संघ

श्री नन्दा ने कहा कि मजदूर संघ देश का हित कर सकते हैं और देश की सुनियोजित उन्नति में महत्त्वपूर्ण भाग ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मैं उस दिन की बाट जोह रहा हूं जब मजदूर भी उद्योग के प्रबन्ध में पूरी तरह भाग लेंगे। अब तीसरी योजना में हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि इस समय संयुक्त परिषद बनाकर हमने प्रबन्ध मे मजदूरों के भाग लेने की जो योजना बनायी है, वह आगे देश के सभी उद्योगों मे चालू हो जाए।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० में बोनस

पिंपरी के सरकारी कारखाने, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड मे उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए १९५७-५८ और १९५८-५९ में मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों को २,४३,००० रु० के नकद पुरस्कार दिये गये। यह सूचना १५ दिसम्बर को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने लोकसभा में दी।



रेल-इंजन कारखाने के १० वर्ष

१० साल पहले, २६ जनवरी के दिन जब पहला गणराज्य दिवस मनाया जा रहा था, देशबन्धु चितरंजन दास की पत्नी ने एक छोटे-से सन्थाल गाव में रेल के इंजन के कारखाने का उद्घाटन किया, जिसे देश ने अपने महान नेता की याद में 'चित्तरंजन' नाम दिया और जो आज भारत के सबसे बड़े कारखानों में है।

इस कारखाने में पहला इंजन १ नवम्बर, १९५० को तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने किया। उन्होंने इस गाव का नाम भी चित्तरंजन रख दिया। यह गाव बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है।

अब यह अच्छी खासी बस्ती बन चुकी है, जहा ८,००० मजदूर और उनके परिवारों के रहने की पूरी सुविधाएं हैं। इस कारखाने मे ९५० इंजन और बन चुके हैं और आशा है कि मार्च १९६० में, यहा हजारवा इंजन बन कर तैयार हो जाएगा और यह कारखाना अपना 'हजारा' पूरा कर लेगा।

कारखाने की प्रगति

इन दस वर्षों में यह कारखाना लगातार विकास और प्रगति करता आ रहा है। १९५४ में जहा इस कारखाने में प्रति मास ६ इंजन बनते थे, वहा १९५५ के दिसम्बर से प्रति मास १२ इंजन बनने लगे। अगस्त १९५६ से यहा प्रतिमास १४ डब्ल्यू०जी० इंजन बन रहे हैं। यह उत्पादन प्रतिवर्ष साधारण आकार के २०० इंजनों के बराबर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यहा साधारण आकार के १२० इंजनों का लक्ष्य था। अर्थात् इस कारखाने का काम लक्ष्य से कहीं आगे पहुंच चुका है। आजकल चित्तरंजन में हर ४८ घंटे में एक इंजन तैयार हो जाता है।

दिसम्बर १९५९ में अन्तर्राष्ट्रीय रेल कांग्रेस संघ के प्रधान, श्री डी० बोस ने कलकत्ता में कहा था कि चित्तरंजन कारखाने का काम किसी भी देश के कारखाने से टक्कर ले सकता है।

इस कारखाने के इंजनों में विदेशी पुर्जों का इस्तेमाल भी बराबर कम होता जा रहा है। इंजन में लगने वाले ५,३३० पुर्जों में केवल १४ पुर्जे ही विदेशी होते हैं। जब तीनों सरकारी इस्पात कारखानों मे पूरा उत्पादन होने लगेगा, तब आशा है चित्तरंजन कारखाने के इंजनों में लगभग शत-प्रतिशत देशी पुर्जे लगने लगेंगे।

चित्तरंजन कारखाने मे भारी मालगाड़ी के डब्ल्यू० जी० इंजन (बड़ी लाइन) के अलावा उपनगरीय और शहरी रेलों के हलके डब्ल्यू०टी० इंजन भी बनाये जा रहे हैं। २८ एस्स डी बॉयलर भी बनने शुरू हो गये हैं।

जून १९५८ से बॉयलरों का आयात भी बंद हो चुका है और इंजनों के लिए सब डब्ल्यू० जी० बॉयलर यहीं बन रहे हैं।

अन्य वस्तुएं

इस कारखाने ने कई और चीजों को बनाने में भी काफी प्रगति की है। पिछले साल मई में गाल्वनाइजिंग संयंत्र लगाया गया था, जिसमें बिजली चालित रेल के खम्भों पर इस्पात चढ़ाया जा रहा है। इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

एक ब्रिटिश फर्म की सहायता से यहां पर निकट भविष्य में इस्पात का ढलाई कारखाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। लोहे और पीतल के ढलाई कारखाने यहां पहले ही चालू हैं। इस्पात के ढलाई कारखाने के लिए जगह चुनी जा चुकी है और शीघ्र ही इसका निर्माण भी शुरू होने वाला है। इसमें आरम्भ में प्रतिवर्ष ७,००० टन इस्पात की चीजें ढलेंगी।

बिजली के इंजन

शीघ्र ही चित्तरंजन कारखाने में बिजली के इंजन भी बनने लगेंगे। इस कारखाने को डी०सी० बिजली के १० इंजनों का आर्डर दिया जा चुका है और आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक ये इंजन तैयार हो जाएंगे। इनका डिजाइन भारतीय इंजीनियरों ने ही बनाया है।

आशा है कि इस साल नवम्बर में इस कारखाने में बिजली का पहला इंजन बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसमें लगने वाला बिजली का सामान आयात किया जाएगा। भोपाल में भारी बिजली का सामान बनाने वाले कारखाने का उत्पादन शुरू हो जाने पर चित्तरंजन कारखाने में बनने वाले बिजली के इंजनों की लागत में काफी कमी होगी।

सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति की बैठक

सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति की बैठक नयी दिल्ली में ६ जनवरी को हुई। इसमें परिवहन और संचार मन्त्रालय में मन्त्री, श्री राजबहादुर ने भाषण किया। उन्होंने बताया कि राज्यों में सड़क परिवहन प्रशासन के पुनर्गठन से सम्बन्धित मसानी समिति की सिफारिशों पर परिवहन विकास परिषद की अगली बैठक में, जो फरवरी १९६० में होगी, अन्तिम निर्णय किया जाएगा। श्री राजबहादुर ने कहा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के प्रारम्भिक विचार सरकार के पास पहुंच गये हैं और राज्य सरकारें मसानी समिति की सिफारिशों को लगभग पूरा-पूरा अमल में लाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 'लगभग पूरे' से मेरा आशय यह है कि राज्य अपनी विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए थोड़े-बहुत संशोधन के साथ उन सिफारिशों को स्वीकार करना चाहते हैं।

मन्त्री महोदय ने कहा कि मसानी समिति की सिफारिशों को अमल में लाने का काम मुख्यत: राज्य सरकारों के हाथ में है, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि विकास परिषद जब अन्तिम निर्णय कर लेगी तो उन पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा।

मोटरगाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कहा कि सभी राज्यों ने करों को समन्वित करने की बात सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है, लेकिन व्यवहार में अधिक प्रगति नहीं हुई है।

श्री राजबहादुर ने कहा कि मोटरगाड़ियों पर कर लगाने के सम्बन्ध में संविधान में केन्द्र को कुछ सिद्धान्त बनाने का भी अधिकार है। उन्होंने बताया कि सिद्धान्तों की रूपरेखा बना ली गई है और आशा है कि विभिन्न संस्थाओं और सम्बन्धित व्यक्तियों की सहायता से उन्हें अन्तिम रूप देने के बाद केन्द्रीय कानून बनाए जाएंगे।

कुम्भ मेले के लिए इलाहाबाद में गंगा पर पुल

भारतीय सेना के इंजीनियरों ने इलाहाबाद में गंगा पर ३,००० फुट लम्बा एक पुल बनाया है, जिससे अर्द्धकुम्भ मेले के अवसर पर यात्री और गाड़ियां नदी पार कर सकें। अर्द्धकुम्भ के अवसर पर लगभग ५० लाख यात्रियों के आने का अनुमान है।

यह पुल गत दिसम्बर १९५९ के आरम्भ में बनना शुरू हुआ था। १० जनवरी को पुल पर यातायात शुरू हो गया। मेला १३ जनवरी से शुरू हो गया है।

पुल बनाने का काम ६२४ कोर ट्रूप्स इंजीनियर्स को सौंपा गया था। इस दस्ते के अफसरों और सैनिकों ने कड़ी मेहनत करके तीन सप्ताह में ही पुल तैयार कर दिया।

नेफा में विमान दुर्घटना

केन्द्रीय परिवहन तथा संचार मन्त्रालय की ७ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ३ जनवरी को उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण (नेफा) में तकसेंग क्षेत्र में जो विमान गिरकर नष्ट हो गया था, उसका कारण विमान का थोड़ी सी जगह में मुड़ने के कारण पहाड़ी से टकरा जाना था।

भारत सरकार को इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के इस 'वी टी-सी जी जी' डकोटा विमान की दुर्घटना पर, जिसमें इसके आठों कर्मचारी भी मारे गये, बहुत खेद है और परिवहन तथा संचार मंत्री ने मृत कर्मचारियों के सम्बन्धियों से गहरी संवेदना प्रकट की है।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह विमान सुबह ९ बजकर ३२ मिनट पर अच्छे मौसम में जोरहट के हवाई अड्डे से उड़कर तकसेंग क्षेत्र में खाना गिरा रहा था। दुर्घटना १० बजकर ४० मिनट पर हुई। विमान में चार विमान कर्मचारी थे और चार खाना गिराने वाले कर्मचारी। अगले दिन ४ जनवरी को कारपोरेशन के जनरल मैनेजर एयर वाइस-मार्शल पी० सी० लाल हेलीकोप्टर से दुर्घटना स्थल पर उड़े। तकसेंग से सहायक दल ३ जनवरी को तीसरे पहर ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया था और उसने आठों लाशों को निकाला और उन्हें दाह कर्म के लिए तकसेंग ले जाया गया।

सरकार इस समाचार का जोरदार खंडन करती है कि यह विमान केवल खाने की सामग्री गिराने नहीं गया था और इसको गोली मारकर नीचे गिराया गया। विमान भारतीय क्षेत्र में काफी अन्दर था और केवल खाद्य सामग्री गिराने ही भेजा गया था। इसी में यह पहाड़ी से टकराने से गिरकर चूर चूर हो गया।

दक्षिण-पूर्वी रेल पर प्रतीक्षालय

लोकसभा में २ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने बताया कि १९५८-५९ में दक्षिण-पूर्वी रेल पर १२ प्रतीक्षालय बनाये गये हैं।

नदी योजनाएं और बिजली

राज्य बिजली मण्डलों के अध्यक्षों का सम्मेलन

केन्द्रीय सिंचाई एवं बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ८ जनवरी को नयी दिल्ली में कहा कि देश में बिजली के विकास के कार्यक्रम को अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्य बिजली मण्डलों की है जो इस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए योजनाएं तैयार करने में लगे हुए हैं। उपमंत्री महोदय राज्य बिजली मण्डलों के अध्यक्षों के २ दिन के सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे।

अपने भाषण में श्री हाथी ने कहा कि बिजली मण्डलों को अपने काम में जो दिक्कतें पेश आती हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि समाज के लिए उनकी उपयोगिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है।

उपमंत्री महोदय ने यह भी कहा कि इस समय राज्य बिजली मण्डलों के काम के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, जिससे बिजली मण्डल देश में बिजली के विकास का काम अच्छे ढंग से कर सकें।

सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बिजली मण्डलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। ८ जनवरी की बैठक में केन्द्रीय सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय और केन्द्रीय जल एवं बिजली आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य बिजली मण्डलों के शिल्पिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

श्री हाथी ने बताया कि बिजली (सप्लाई) अधिनियम १९४८ में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है, क्योंकि वर्तमान अधिनियम में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि एक से अधिक राज्यों के तत्वाधान में चलने वाली बहुद्देशीय बिजली योजनाओं को एक बिजली मण्डल के सुपुर्द कर दिया जाए।

उपमंत्री महोदय ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन जो भी सिफारिशें करेगा उन पर निर्णय करने से पहले भारत सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करेगी।

[सन् १९४८ के बिजली (सप्लाई) अधिनियम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, प० बंगाल, केरल, राजस्थान, मद्रास, मैसूर, बिहार, आसाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सरकारें अपने यहां राज्य बिजली मंडल स्थापित कर चुकी हैं। ये मंडल अर्ध-स्वायत्त हैं और व्यापारिक तौर से काम करते हैं। बिजली के उत्पादन और वितरण में सामंजस्य बनाए रखना और गांवों में बिजली पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी इन मंडलों पर है]

बड़ापानी बिजली योजना-कार्य का उद्घाटन

प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने ९ जनवरी को आसाम की बड़ापानी बिजली योजना के निर्माण-कार्य का शुभारम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत बड़ापानी पुल से ढाई मील नीचे की तरफ उमियम नदी के आरपार एक बांध बनाया जाएगा। नदी की तलहटी से यह बांध लगभग २१० फुट ऊंचा होगा और इसके बनने से जो जलाशय बनेगा, उसमें एक लाख बीस हजार एकड़ फुट पानी जमा हो सकेगा। यह बांध गुहाटी से लगभग ५४ मील और शिलांग से ९ मील पर होगा।

बड़ापानी योजना आसाम की इस तरह की सबसे बड़ी योजना होगी। यहां जो बिजलीघर बनाया जाएगा, उसमें ९-९ हजार किलोवाट बिजली बनाने के तीन यन्त्र लगाए जाएंगे। बाद में इतनी ही क्षमता का एक और यन्त्र भी लगाया जाएगा। इस बिजलीघर के अलावा दो और स्थानों पर भी बिजली बनाने की व्यवस्था की जा सकती है। बड़ापानी के बिजलीघर को मिलाकर उमत्रू घाटी में कुल ७५ हजार किलोवाट बिजली बन सकेगी। समूची बड़ापानी योजना का निर्माणकार्य इस ढंग से चलेगा कि मांग को देखकर उतनी ही जरूरत लायक काम किया जाए।

बड़ापानी की बिजली से गुहाटी, चेरापूंजी और तिनसुकिया-मकुम क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों की लगभग ११ हजार किलोवाट बिजली की जरूरत पूरी हो सकेगी। इसके अलावा कामरूप, नौगांव, खासी और जयन्तिया पहाड़ियों, धारंग तथा ग्वालपाड़ा जिलों को भी यहां से बिजली मिलेगी।

अनुमान है कि इस योजना पर ७ करोड़ ५ लाख ९८ हजार रु० खर्च होगा और यह १९६३-६४ तक पूरी हो जाएगी।

अगस्त-सितम्बर १९५९ में बिजली का उत्पादन और खपत

सितम्बर १९५९ में भारत के सार्वजनिक बिजली केन्द्रों में १२३ करोड़ ५६ लाख किलोवाट घण्टे बिजली पैदा की गयी। इसमें से ९९ करोड़ ६२ लाख किलोवाट घण्टे बिजली उपभोक्ताओं को बेची गयीं। सितम्बर १९५९ के ये अखिल भारतीय आंकड़े विभिन्न सार्वजनिक बिजली केन्द्रों की सूचना पर आधारित हैं।

सितम्बर १९५८ में १०५ करोड़ ९ लाख किलोवाट घण्टे बिजली पैदा हुई थी और ८४ करोड़ ३१ लाख किलोवाट घण्टे बिजली बेची गयी थी। सितम्बर १९५१ के ये आंकड़े क्रमश: ४९ करोड़ २४ लाख और ४० करोड़ ३४ लाख हैं।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि बिजली के उत्पादन में प्रति वर्ष १७.६ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। इस साल बिजली की खपत में भी १८.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अगस्त में

अगस्त १९५९ में देश के सार्वजनिक बिजलीघरों में १ अरब २४ करोड़ ३६ लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई, जिसमें से ९३ करोड़ ४८ लाख किलोवाट उपभोक्ताओं को दी गयी। अगस्त १९५८ में १ अरब ४ करोड़ ७ लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई और ८३ करोड़ १९ लाख खर्च हुई, जबकि अगस्त १९५१ में ५० करोड़ ६८ लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई और ४० करोड़ ९३ लाख किलोवाट बिजली खर्च हुई थी।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि बिजली का वार्षिक उत्पादन १९.५ प्रतिशत बढ़ा। अगस्त १९५९ तक देश में ८१३ बिजली सप्लाई संस्थानें थीं।

खाद्य और कृषि

अन्न उत्पादन की समस्या : श्री पाटिल का ब्राडकास्ट

केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, श्री सदाशिव राव कान्होजी पाटिल ने ८ जनवरी को आकाशवाणी दिल्ली से एक ब्राडकास्ट में कहा कि खाद्यान्न उत्पादन की समस्या ऐसी नहीं है जिसे हम जीत नहीं सकते।

श्री पाटिल ने कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के अवसर ने जहां देश के इतिहास में गर्व और हर्ष का एक अध्याय जोड़ा, उसके साथ ही साथ अनेक समस्याएं भी उपस्थित की। इन बड़ी समस्याओं में एक खाद्यान्न की वार्षिक कमी की समस्या थी। पहले भी बर्मा के पृथक् होने से और बाद में द्वितीय महायुद्ध के समय आयात बन्द हो जाने के कारण देश के असावधान रहने से उत्पन्न होने वाली खाद्य संबंधी समस्याओं का संकेत मिला। देश के विभाजन के फलस्वरूप, जहां तक निकट भविष्य का संबंध था, एक कठिन स्थिति पैदा हो गयी क्योंकि इससे पूर्वी बंगाल का धान्य-क्षेत्र तथा सिन्ध व पश्चिम पंजाब के अतिरिक्त गेहूं-उत्पादक क्षेत्र हम से चले गये। आजकल भारत पिछले दस वर्ष की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है। लेकिन बढ़ी हुई आबादी तथा अधिक विकास व्यय के कारण जनता की बढ़ी क्रय-शक्ति ने इन मांग को एक धक्का दिया और कुछ अवस्था में तो खाद्य आदतों को ही बदल दिया। जनता मोटे अनाज के स्थान पर बारीक अनाज खाने लगी। इन कारणों से खाद्य समस्या ने बड़ा भारी रूप ले लिया है, अन्यथा ऐसा नहीं होता।

यह है सामान्य पृष्ठभूमि जिसमें कि यह खाद्य समस्या अपने पूर्ण रूप में उपस्थित है और इसी रूप में इसका हल किया जा रहा है। आज मैं केवल उत्पादन की समस्या पर बोल रहा हूं, यद्यपि परिवहन, संग्रहण और बाजार में क्रय-विक्रय भी इस समस्या के कुछ पहलू हैं। फिर भी, जब मैं खाद्यान्न उत्पादन की समस्या के संबंध में बोलता हूं तो जोरदार शब्दों में कह सकता हूं कि यह ऐसी कठिनाई नहीं है जिसे हम जीत नहीं सकते। वास्तव में उत्पादन १९४९-५० के ५४० लाख टन की तुलना में १९५८-५९ में ७३५ लाख टन से भी ऊपर चला गया है। इन दस वर्षों में आबादी भी बढ़ी है परन्तु पूर्ण रूप से देखा जाए तो आबादी की बढ़ोतरी की दर खाद्यान्नों के उत्पादन की दर से बहुत कम है। दस वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग ३६ प्रतिशत की बढ़ोतरी होना और यह वास्तविकता कि यह बढ़ोतरी आबादी की बढ़ोतरी से कहीं अधिक है, भविष्य के बारे में विश्वास दिलाती रहेगी। उत्पादन में इस बढ़ोतरी के अतिरिक्त भी यह कठिनाई है कि देश भिन्न-भिन्न मात्रा में खाद्यान्नों का आयात अभी तक कर रहा है और वार्षिक उत्पादन के विरोधी प्राकृतिक प्रभाव भी काबू से बाहर रहे। उदाहरण के लिए सन् १९५७-५८ में उत्पादन को अनुपयुक्त मौसम के कारण अचानक और गम्भीर धक्का लगा। इस प्रकार के धक्कों को भी भविष्य में हटाना है।

मंत्री महोदय ने कहा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव ने खाद्यान्न उत्पादन की आगे बढ़ोतरी की गुंजायश दिखा दी है। इन्होंने भिन्न-भिन्न प्रदेशों में आने वाली कठिनाइयों को बता दिया है; मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि इन कठिनाइयों का अधिकतर हल भी बता दिया है। हमारे पास बड़ी मात्रा में कृषि योग्य बेकार भूमि पड़ी है जिसको बड़े पैमाने पर सुधारा जा रहा है। कृषि के लिए अभी तक प्राप्त बेकार भूमि कितनी है, इसकी जानकारी करने के लिए आजतक के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। जहां पर भूमि खुश्क या आधी खुश्क पड़ी हुई है, उसको सिंचाई और भूमि संरक्षण उपायों के द्वारा कृषि योग्य बनाने और सुधारने का काम किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में २० लाख एकड़ से अधिक भूमि में संरक्षण उपाय किये जाने, १५ लाख एकड़ को कृषि योग्य बनाने और अन्य २० लाख एकड़ से अधिक भूमि में भूमि सुधार का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। १९५८-५९ के अन्त तक लगभग १० लाख एकड़ भूमि, संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ चुकी थी। इस दिशा में काम तीव्र गति से चल रहा है, तथा योजना में रखे गये लक्ष्य पूरे होने की आशा है। कुल मिलाकर २१ लाख एकड़ भूमि को बड़ी, बीच की और छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। अनेक कारणों से जहां सिंचाई की सुविधाएं मिली हैं वहां बहुत जगह ऐसी भूमि नहीं है कि तुरन्त ही खेती शुरू कर दी जाए। इसके लिए कुछ कदम उठाए गये हैं। प्राप्त सिंचाई साधनों का उचित संरक्षण व देखभाल भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। सिंचाई साधनों की देखभाल और उनसे लाभ उठाने में ग्राम समुदाय विशेष कार्य कर सकते हैं।

खेतों के सुधार की समस्या

श्री पाटिल ने कहा कि हमारे खेत और हमारे पशु दोनों ही उन अनेक देशों की तुलना में कम उपज देते हैं, जिनमें यथोचित रूप से कृषि विकास हो चुका है। वास्तव में भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या, विशेषकर खाद्य के संबंध में, खेतों के सुधार की है और जो बात हमारी उपज के बारे में सच है वही हमारे पशुधन के बारे में भी सच है। इस दिशा में हम फिर उत्साहित हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि हमारी भूमि और जनता ने उस नये ढंग की कृषि कार्य-प्रणाली को अपनाया है जिसका प्रचार किया जा रहा है। मैंने बहुत-से किसानों से सुना है कि साधारण भारतीय किसान खेती करने के नये तरीकों को नहीं अपनाना चाहता। मेरे विचार में यह गलत है। वैज्ञानिक खाद की मांग प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और मुझे विश्वास है कि यदि हम पर्याप्त मात्रा में खाद दे सकें और उसका ठीक तरीके से प्रयोग करें, तो देश की खाद्य समस्या पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

नई भूमि को कृषि योग्य बनाने की एक सीमा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसी भूमि की कमी है। फिर भी, मैं काफी खाद, अच्छे बीज आदि के पर्याप्त प्रयोग पर जोर देता हूं। इन वैज्ञानिक खादों में प्राकृतिक कार्बनिक खाद सम्मिलित हैं जिनके प्रयोग से बहुत से लाभ हो सकते हैं। बहुत से राज्यों में, इस संबंध में, हम काफी आगे तक चले

गये हैं। विभिन्न राज्यों में अच्छे बीजों का वितरण तथा प्रचार, पचायतों द्वारा उचित कम्पोस्ट बनाना, छोटे ग्रामों में कूड़े का उचित प्रयोग, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्डों तथा नगर-कम्पोस्ट योजनाओं में स्थानीय खाद से अधिक से अधिक लाभ उठाने में जीवजात खाद मुहैया करने में बहुत सहायता मिल रही है। भावी विकास का एक लक्ष्य यह है कि सारे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर वैज्ञानिक खाद की फैक्टरियां अधिक से अधिक बनाई जाएं।

जिन्स का सुधार

यद्यपि भूमि के सरक्षण और सुधार में वैज्ञानिक खाद का बहुत बड़ा हाथ है फिर भी अच्छे बीजों का महत्व भी उनके बराबर ही है। गन्ने के सबध में हम यह देख ही चुके हैं कि सुधरी हुई जिन्स कितनी अधिक उपज दे सकती है। हमारे विशेषज्ञों ने कई खाद्यान्नों के लिए, जिन में गेहूं, चावल और ज्वार शामिल हैं, अधिक उपज वाली किस्मों को विकसित किया है और उनका परीक्षण किया है। उदाहरण के लिए ज्वार की एक-दो किस्म निकाली गयी हैं जो प्रति एकड़ लगभग ८० मन उपज दे सकती हैं जबकि आजकल हम लगभग २० मन उपज प्राप्त कर रहे हैं। द्वितीय योजना के अन्तर्गत अच्छे बीज के फार्म स्थापित करने का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक बीज-फार्म बना लेना है। सुधरे हुए बीज से फलों, सब्जियों और जड़ों की अधिक उपज होती है। अनेक अवस्थाओं में, फसल के सरक्षण में कीड़ों आदि को मारने वाली दवाइयों का भी बहुत बड़ा योग है। जिन लोगों के जिम्मे इन समस्याओं के उपयुक्त अध्ययन का काम है उनके लिए काम करने को इस क्षेत्र में बहुत कुछ है। इस दिशा में अनूठा कार्य किया भी गया है और अन्य देशों के अनुभव से प्राप्त जानकारी का खेती में प्रयोग भी किया जाने लगा है। इसमें सदेह नहीं है कि हम एक आधुनिक ढग की और उन्नतिशील कृषि व्यवस्था का मजबूत आधार बना रहे हैं।

११ करोड टन अनाज

खाद्य एवं कृषि मत्री ने कहा कि फोर्ड फाउडेशन दल ने, जो हाल ही में भारत आया, सुझाव दिया है कि तृतीय पचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य १० से ११ करोड़ टन तक होना चाहिए। हमारा अनुमान है कि तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक देश की खपत १० करोड टन होगी और यदि हम खाद्यान्न की सप्लाई का प्रबन्ध करना चाहते हैं, तो तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें ११ करोड टन अन्न उपजाने योग्य हो जाना चाहिए, अर्थात् इन सात वर्षों में उपज लगभग ३ करोड ७० लाख टन बढ़ानी है। फोर्ड फाउडेशन टीम की सिफारिशों के अनुसार आजमायशी तौर पर सात राज्यों में विशेष प्रयत्न के लिए एक-एक जिला चुना गया है। इस योजना में ऐसे सारे कार्य सम्मिलित होंगे, जिनमे खाद्य उत्पादन शीघ्र बढाने में सहायता मिल सकती है।

यत्रों से अधिक किसान का महत्व

यत्रों से भी कहीं अधिक महत्व कृषक का अपना होता है। यह महत्त्व दो कारणों से है। किसान की समझदारी और जोश से ही नये विचारों और यत्रों के उपयोग के बारे में अतिम निर्णय हो सकता है। यह तो उसके समझने की शक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने काम से अधिक से अधिक लाभ उठाए। जमींदारी, कृषि भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व की सीमा, गारटी मूल्य, नियमित बाजार, कम दर और समय पर ऋण और अच्छी भडार सुविधाएं वे तरीके हैं जिनसे किसान को यह प्रोत्साहन मिलता है। खेत में काम करने वाले किसान को, चाहे वह भूमि का मालिक है या नहीं है, अपनी मेहनत से पैदा किये हुए खाद्यान्न का जितना बडा भाग आज मिलता है उतना कभी नहीं मिलता था।

श्री पाटिल ने कहा कि आगामी कुछ वर्षों के लिए आबादी की बढ़ोतरी की दर में कोई विशेष कमी की आशा करना यथार्थ नहीं होगा। इसलिए इन वर्षों के लिए, खाद्यान्नों की देश में ही धीरे-धीरे बढोतरी की ओर राष्ट्रीय प्रयत्नों को अधिक लगाना होगा। यह एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए जिसमें राज्य एजेंसियां और किसान दोनों ही घनिष्ट और लगातार सम्पर्क में काम करें। वे दोनों एक-दूसरे की आवश्यकताओं को समझें और उन आवश्यकताओं को वहीं पर शीघ्रता से पूरा करें। इसमें सदेह नहीं कि हमारे पास और उपयुक्त ढग के स्थानीय नेतागण की कमी है, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि यह कमी प्रयत्नों द्वारा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हमें यह भी देखना है कि इस समन्वित प्रयत्न में उत्पादन बढाने के व्यक्तिगत कार्यक्रम भी सहायक हों।

खुली बिक्री के लिए चीनी

खाद्य तथा कृषि मत्रालय के चीनी और वनस्पति विभाग की ४ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने १॥। लाख टन चीनी खुली बिक्री के लिए देने का निश्चय किया है। अब अपने कर्मचारियों को देने के लिए छोडी जाने वाली चीनी के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पजाब की चीनी मिलों से खुली बिक्री के लिए और चीनी नहीं दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उडीसा, मद्रास, केरल, बम्बई, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा को नियत्रित क्षेत्र की चीनी मिलों से केवल राज्य सरकारों द्वारा नामजद व्यक्तियों को चीनी का कोटा दिया जाएगा। पजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए सीधे राज्य सरकारों या उनके नामजद व्यक्तियों को चीनी दी जाएगी। पश्चिम बगाल के जिलों और कलकत्ता के लिए भी राज्य सरकार के नामजद व्यक्ति ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही चीनी मिलती रहेगी।

उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की मिलों की चीनी का मिल पर का भाव ३७ रु० ८५ न० पै० प्रति मन निश्चित किया गया है और पजाब की मिलों का ३८ रु० ३५ न० पै० प्रति मन तय किया गया है। यह भाव 'ई एस एस डी–२९' किस्म की चीनी का है। दूसरी किस्मों की चीनी के भाव अलग-अलग हैं। इसी किस्म की चीनी का कानपुर और कलकत्ता पहुंचकर भाव क्रमश: ३८ रु० ६० न० पै० और ३९ रु० ८५ न० पै० मन पड़ेगा।

खाद्य और कृषि

अन्न उत्पादन की समस्या : श्री पाटिल का ब्राडकास्ट

केन्द्रीय खाद्य एव कृषि मत्री, श्री सदाशिव राव कान्होजी पाटिल ने ८ जनवरी को आकाशवाणी दिल्ली से एक ब्राडकास्ट मे कहा कि खाद्यान्न उत्पादन की समस्या ऐसी नही है जिसे हम जीत नही सकते।

श्री पाटिल ने कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के अवसर ने जहा देश के इतिहास में गर्व और हर्ष का एक अध्याय जोड़ा, उसके साथ ही साथ अनेक समस्याए भी उपस्थित की। इन बडी समस्याओं में एक खाद्यान्न की वार्षिक कमी की समस्या थी। पहले भी बर्मा के पृथक् होने से और बाद में द्वितीय महायुद्ध के समय आयात बन्द हो जाने के कारण देश के असावधान रहने से उत्पन्न होने वाली खाद्य संबंधी समस्याओं का सकेत मिला। देश के विभाजन के फलस्वरूप, जहा तक निकट भविष्य का सबध था, एक कठिन स्थिति पैदा हो गयी क्योंकि इससे पूर्वी बगाल का धान्य-क्षेत्र तथा सिन्ध व पश्चिम पजाब के अतिरिक्त गेहू-उत्पादक क्षेत्र हम से चले गये। आजकल भारत पिछले दस वर्ष की तुलना में कही अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है। लेकिन बढ़ी हुई आबादी तथा अधिक विकास व्यय के कारण जनता की बढी क्रय-शक्ति ने इस माग को एक धक्का दिया और कुछ अवस्था मे तो खाद्य आदतों को ही बदल दिया। जनता मोटे अनाज के स्थान पर बारीक अनाज खाने लगी। इन कारणों से खाद्य समस्या ने बडा भारी रूप ले लिया है, अन्यथा ऐसा नही होता।

यह है सामान्य पृष्ठभूमि जिसमें कि यह खाद्य समस्या अपने पूर्ण रूप में उपस्थित है और इसी रूप में इसका हल किया जा रहा है। आज मैं केवल उत्पादन की समस्या पर बोल रहा हू, यद्यपि परिवहन, सग्रहण और बाजार में क्रय-विक्रय भी इस समस्या के कुछ पहलू हैं। फिर भी, जब मैं खाद्यान्न उत्पादन की समस्या के सबध में बोलता हूं तो जोरदार शब्दों मे कह सकता हू कि यह ऐसी कठिनाई नहीं है जिसे हम जीत नही सकते। वास्तव में उत्पादन १९४९-५० के ५४० लाख टन की तुलना में १९५८-५९ मे ७३५ लाख टन से भी ऊपर चला गया है। इन दस वर्षो में आबादी भी बढी है परन्तु पूर्ण रूप से देखा जाए तो आबादी की बढोतरी की दर खाद्यान्नों के उत्पादन की दर से बहुत कम है। दस वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग ३६ प्रतिशत की बढोतरी होना और यह वास्तविकता कि यह बढोतरी आबादी की बढोतरी से कही अधिक है, भविष्य के बारे मे विश्वास दिलाती रहेगी। उत्पादन में इस बढोतरी के अतिरिक्त भी यह कठिनाई है कि देश भिन्न-भिन्न मात्रा में खाद्यान्नों का आयात अभी तक कर रहा है और वार्षिक उत्पादन के विरोधी प्राकृतिक प्रभाव भी काबू से बाहर रहे। उदाहरण के लिए सन् १९५७-५८ में उत्पादन को अनुपयुक्त मौसम के कारण अचानक और गम्भीर धक्का लगा। इस प्रकार के धक्कों को भी भविष्य में हटाना है।

मत्री महोदय ने कहा कि पहली और दूसरी पचवर्षीय योजनाओं के अनुभव ने खाद्यान्न उत्पादन की आगे बढ़ोतरी की गुंजायश दिखा दी है। इन्होंने भिन्न-भिन्न प्रदेशो में आने वाली कठिनाइयों को बता दिया है; मैं यह भी बतला देना चाहता हू कि इन कठिनाइयों का अधिकतर हल भी बता दिया है। हमारे पास बड़ी मात्रा में कृषि योग्य बेकार भूमि पडी है जिसको बडे पैमाने पर सुधारा जा रहा है। कृषि के लिए अभी तक प्राप्त बेकार भूमि कितनी है, इसकी जानकारी करने के लिए आजतक के आकडे इकट्ठे किये जा रहे हैं। जहा पर भूमि खुश्क या आधी खुश्क पडी हुई है, उसको सिंचाई और भूमि सरक्षण उपायों के द्वारा कृषि योग्य बनाने और सुधारने का काम किया जा रहा है। दूसरी पचवर्षीय योजना मे २० लाख एकड से अधिक भूमि मे सरक्षण उपाय किये जाने; १५ लाख एकड को कृषि योग्य बनाने और अन्य २० लाख एकड से अधिक भूमि में भूमि सुधार का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। १९५८-५९ के अन्त तक लगभग १० लाख एकड़ भूमि, संरक्षण कार्यक्रमो के अन्तर्गत आ चुकी थी। इस दिशा में काम तीव्र गति से चल रहा है, तथा योजना में रखे गये लक्ष्य पूरे होने की आशा है। कुल मिलाकर २१ लाख एकड़ भूमि को बड़ी, बीच की और छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। अनेक कारणो से जहा सिचाई की सुविधाए मिली हैं वहां बहुत जगह ऐसी भूमि नही है कि तुरन्त ही खेती शुरू कर दी जाए। इसके लिए कुछ कदम उठाए गये हैं। प्राप्त सिंचाई साधनों का उचित सरक्षण व देखभाल भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। सिंचाई साधनों की देखभाल और उनसे लाभ उठाने मे ग्राम समुदाय विशेष कार्य कर सकते है।

खेतों के सुधार की समस्या

श्री पाटिल ने कहा कि हमारे खेत और हमारे पशु दोनों ही उन अनेक देशों की तुलना में कम उपज देते हैं, जिनमें यथोचित रूप से कृषि विकास हो चुका है। वास्तव में भारतीय कृषि की सबसे बडी समस्या, विशेषकर खाद्य के सबध में, खेतो के सुधार की है और जो बात हमारी उपज के बारे में सच है वही हमारे पशुधन के बारे मे भी सच है। इस दिशा में हम फिर उत्साहित हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि हमारी भूमि और जनता ने उस नये ढग की कृषि कार्य-प्रणाली को अपनाया है जिसका प्रचार किया जा रहा है। मैंने बहुत-से किसानों से सुना है कि साधारण भारतीय किसान खेती करने के नये तरीकों को नही अपनाना चाहता। मेरे विचार में यह गलत है। वैज्ञानिक खाद की मांग प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और मुझे विश्वास है कि यदि हम पर्याप्त मात्रा मे खाद दे सकें और उसका ठीक तरीके से प्रयोग करें, तो देश की खाद्य समस्या पर नियन्त्रण किया जा सकेगा।

नई भूमि को कृषि योग्य बनाने की एक सीमा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसी भूमि की कमी है। फिर भी, मैं काफी खाद, अच्छे बीज आदि के पर्याप्त प्रयोग पर जोर देता हू। इन वैज्ञानिक खादों में प्राकृतिक कार्बनिक खाद सम्मिलित हैं जिनके प्रयोग से बहुत से लाभ हो सकते हैं। बहुत से राज्यों में, इस सबध में, हम काफी आगे तक चले

गये है। विभिन्न राज्यों में अच्छे बीजों का वितरण तथा प्रचार, पचायतों द्वारा उन्नित कम्पोस्ट बनाना, छोटे ग्रामों में कूड़े का उचित प्रयोग, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास खण्डों तथा नगर-कम्पोस्ट योजनाओं में स्थानीय खाद से अधिक से अधिक लाभ उठाने से जीवजान खाद मुहैया करने में बहुत सहायता मिल रही है। भावी विकास का एक लक्ष्य यह है कि सारे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर वैज्ञानिक खाद की फैक्टरियां अधिक से अधिक बनाई जाए।

जिन्स का सुधार

यद्यपि भूमि के सरक्षण और सुधार मे वैज्ञानिक खाद का बहुत बड़ा हाथ है फिर भी अच्छे बीजों का महत्त्व भी उनके बराबर ही है। गन्ने के संबंध में हम यह देख ही चुके है कि सुधरी हुई जिन्स कितनी अधिक उपज दे सकती है। हमारे विशेषज्ञों ने कई खाद्यान्नों के लिए, जिन में गेहू, चावल और ज्वार शामिल है, अधिक उपज वाली किस्मों को विकसित किया है और उनका परीक्षण किया है। उदाहरण के लिए ज्वार की एक-दो किस्म निकाली गयी है जो प्रति एकड लगभग ८० मन उपज दे सकती है जबकि आजकल हम लगभग ३० मन उपज प्राप्त कर रहे है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत अच्छे बीज के फार्म स्थापित करने का एक विस्तृत कार्य-क्रम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक बीज-फार्म बना लेना है। सुधरे हुए बीज से फलों, सब्जियों और जड़ों की अधिक उपज होती है। अनेक अवस्थाओं मे, फसल के सरक्षण मे कीटों आदि को मारने वाली दवाइयों का भी बहुत बड़ा योग है। जिन लोगों के जिम्मे इन समस्याओं के उपयुक्त अध्ययन का काम है उनके लिए काम करने को इस क्षेत्र में बहुत कुछ है। इस दिशा में अनूठा कार्य किया भी गया है और अन्य देशों के अनुभव से प्राप्त जानकारी का खेती में प्रयोग भी किया जाने लगा है। इसमें सदेह नही है कि हम एक आधुनिक ढग की और उन्नतिशील कृषि व्यवस्था का मजबूत आधार बना रहे है।

११ करोड़ टन अनाज

खाद्य ए कृषि मत्री ने कहा कि फोर्ड फाउंडेशन दल ने, जो हाल ही मे भारत आया, सुझाव दिया है कि तृतीय पचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य १० से ११ करोड टन तक होना चाहिए। हमारा अनुमान है कि तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक देश की खपत १० करोड टन होगी और यदि हम खाद्यान्न की सप्लाई का प्रबन्ध करना चाहते है, तो तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें ११ करोड टन अन्न उपजाने योग्य हो जाना चाहिए, अर्थात् इन सात वर्षों मे उपज लगभग ३ करोड ७० लाख टन बढानी है। फोर्ड फाउंडेशन टीम की सिफारिशों के अनुसार आजमायशी तौर पर सात राज्यों में विशेष प्रयत्न के लिए एक-एक जिला चुना गया है। इस योजना मे ऐसे सारे कार्य सम्मिलित होंगे, जिनमे खाद्य उत्पादन शीघ्र बढाने में सहायता मिल सकती है।

यंत्रों से अधिक किसान का महत्त्व

यत्रों से भी कही अधिक महत्त्व कृषक का अपना होता है। यह महत्त्व दो कारणों से है। किसान की समझदारी और जोश से ही नये विचारों और यत्रों के उपयोग के बारे में अतिम निर्णय हो सकता है। यह तो उसके समझने की शक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने काम से अधिक से अधिक लाभ उठाए। जमीदारी, कृषि भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व की सीमा, गारटी मूल्य, नियमित बाजार, कम दर और समय पर ऋण और अच्छी भडार सुविधाए वे तरीके है जिनसे किसान को यह प्रोत्साहन मिलता है। खेत मे काम करने वाले किसान को, चाहे वह भूमि का मालिक है या नही है, अपनी मेहनत से पैदा किये हुए खाद्यान्न का जितना बड़ा भाग आज मिलता है उतना कभी नही मिलता था।

श्री पाटिल ने कहा कि आगामी कुछ वर्षो के लिए आबादी की बढोतरी की दर में कोई विशेष कमी की आशा करना यथार्थ नहीं होगा। इसलिए इन वर्षो के लिए, खाद्यान्नों की देश मे ही धीरे-धीरे बढोतरी की ओर राष्ट्रीय प्रयत्नों को अधिक लगाना होगा। यह एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए जिसमें राज्य एजेंसियां और किसान दोनों ही घनिष्ट और लगातार सम्पर्क में काम करें। वे दोनों एक-दूसरे की आवश्यकताओं को समझें और उन आवश्यकताओं को वहीं पर शीघ्रता से पूरा करें। इसमें संदेह नहीं कि हमारे पास और उपयुक्त ढग के स्थानीय नेतागण की कमी है, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि यह कमी प्रयत्नों द्वारा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हमें यह भी देखना है कि इस समन्वित प्रयत्न में उत्पादन बढाने के व्यक्तिगत कार्यक्रम भी सहायक हों।

खुली बिक्री के लिए चीनी

खाद्य तथा कृषि मत्रालय के चीनी और वनस्पति विभाग की ४ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने १॥। लाख टन चीनी खुली बिक्री के लिए देने का निश्चय किया है। अब अपने कर्मचारियों को देने के लिए छोडी जाने वाली चीनी के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पजाब की चीनी मिलों से खुली बिक्री के लिए और चीनी नही दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, केरल, बम्बई, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा को नियत्रित क्षेत्र की चीनी मिलों से केवल राज्य सरकारों द्वारा नामजद व्यक्तियों को चीनी का कोटा दिया जाएगा। पजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए सीधे राज्य सरकार या उनके नामजद व्यक्तियों को चीनी दी जाएगी। पश्चिम बगाल के जिलों और कलकत्ता के लिए भी राज्य सरकार के नामजद व्यक्ति ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही चीनी मिलती रहेगी।

उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की मिलों की चीनी का मिल पर का भाव ३७ रु० ८५ न० पै० प्रति मन निश्चित किया गया है और पजाब की मिलों का ३८ रु० ३५ न० पै० प्रति मन तय किया गया है। यह भाव 'आई एस एस डी–२९' किस्म की चीनी का है। दूसरी किस्मों की चीनी के भाव अलग-अलग है। इसी किस्म की चीनी का कानपुर और कलकत्ता पहुचवार भाव क्रमश ३८ रु० ६० न० पै० और ३९ रु० ८५ न० पै० मन होगा।

केन्द्रीय मछली पालन मंडल की सिफारिशें

केन्द्रीय मछली पालन मंडल ने नयी दिल्ली में दिसम्बर के अन्त में हुई अपनी बैठक में ऐसे उपायों की सिफारिश की है, जिनसे देश में मछली पालन का विकास हो सके तथा अधिक मछलियां निर्यात की जा सकें। मंडल ने मछुओं, उनकी सहकारी संस्थाओं तथा मछली उद्योग को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने की भी सिफारिश की है।

अच्छी किस्म की मछलियां पैदा करने के लिए मंडल ने सिफारिश की है कि राज्यों के मछली पालन विभाग बीज के लिए अच्छी मछलियां देने के उपाय करें तथा बीज की मछलियां देने के अधिक केन्द्र बनाए। इस बारे में मंडल ने यह सुझाव दिया है कि बीज की मछलियां तैयार करने के लिए छोटे-छोटे तालाब बनाने के काम को प्राथमिकता दी जाए।

तीसरी योजना में तथा उसके बाद प्रशिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के बारे में मंडल ने सिफारिश की है कि राज्यों के मछली पालन विभाग तथा मछली पालन उद्योग के लोग केन्द्रीय संस्था तथा अन्य ट्रेनिंग केन्द्रों में प्राप्त सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं।

मछलियों का निर्यात बढ़ाने के बारे में मंडल ने सिफारिश की है कि मछली पकड़ने के जहाजों के अच्छे डिजाइन तैयार किये जाएं तथा दूसरे देशों से जहाज आयात करने के लिए अधिक सुविधाएं दी जाएं। पैकिंग का सामान, ठंडी अलमारियां तथा डिब्बाबन्दी का सामान आयात करने के लिए भी अधिक सुविधाएं देने की मंडल ने सिफारिश की है।

मंडल ने यह भी सिफारिश की है कि चुंगी अधिकारी मछलियां आदि की निकासी को प्राथमिकता दें। दूसरे देशों को मछलियां भेजने के लिए कम जहाज-भाड़े के लिए भी मंडल ने सिफारिश की है। पैकिंग के सामान पर आयात कर में छूट देने के लिए मंडल ने जल्दी कार्रवाई करने को कहा है।

मंडल ने सिफारिश की है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अच्छा होगा कि राज्य सरकारें बिक्री या खरीद कर न लगायें और जहां पर ऐसे कर लगे हैं, उन्हें हटा दिया जाए। जब तक मछली पालन उद्योग अच्छी तरह जम नहीं जाता, तब तक निर्यात कर भी न लगाया जाए।

मंडल की बैठक में आसाम, बम्बई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों के मछली पालन विभाग के मंत्रियों, राज्यों के कृषि निदेशकों, मछुओं की सहकारी संस्थाओं तथा मछली उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री, श्री सदाशिव कान्होजी पाटिल ने बैठक की अध्यक्षता की।

कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश को अनुदान

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए १ करोड़ ९० लाख रु० के खर्च की स्वीकृति दी है। यह विश्वविद्यालय रुद्रपुर में खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और यह अमरीका के लैंड ग्रांट कालेजों के नमूने पर बनाया जाएगा। तराई का १६ हजार एकड़ का सरकारी फार्म अनुसंधान और प्रयोगों के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा।

यह विश्वविद्यालय भारत में अपने किस्म का पहला विश्वविद्यालय होगा और इसमें कृषि कालेज, पशु-पालन और पशु रोग विज्ञान कालेज तथा कृषि इंजीनियरी कालेज होंगे। इनके अलावा एक विज्ञान विभाग भी होगा। विश्वविद्यालय में कृषि और सम्बंधित विषयों की शिक्षा दी जाएगी।

विश्वविद्यालय में हर साल १२५ विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और २५ प्रतिशत स्थान अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रहेंगे।

[१९४८ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने *ग्राम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव* दिया था। डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे। १९५४ में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय ने जो संयुक्त भारतीय-अमरीकी टोली नियुक्त की थी, उसने भी इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की और इस सम्बन्ध में निश्चित सुझाव भी दिये। अमरीका के इलिनोयस विश्वविद्यालय के डीन एच० डब्ल्यू० हन्ना ने इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा अमरीका के लैंड ग्रांट कालेजों के नमूने पर तैयार की। इन कालेजों ने अमरीका में कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण योग दिया है।]

गोदाम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था

केन्द्रीय गोदाम निगम ने नयी दिल्ली में मार्च १९६० में गोदाम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का निर्णय किया है। इन्हें रबी की फसल तैयार होने से पहले केन्द्र तथा राज्यों के अन्न-भण्डारों में नियुक्त कर दिया जाएगा।

केन्द्र तथा राज्यों के गोदाम निगम देश के विभिन्न भागों में नये अन्न-भण्डार बना रहे हैं। इनके लिए गोदाम कर्मचारियों और टेक्निकल सहायकों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

इस ट्रेनिंग में लगभग १५० उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनमें से १३० राज्य गोदाम निगम और बाकी केन्द्रीय गोदाम निगम की ओर से आएंगे। ट्रेनिंग भारतीय कृषि अनुसंधानशाला में होगी। उम्मीदवारों को व्यावहारिक शिक्षा के लिए स्थानीय मण्डी और मोगा तथा नदौसी के केन्द्रीय गोदामों में ले जाया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान बैंकिंग, हिसाब-किताब, बीमारी और कीड़ों की रोकथाम, गोदाम की सफाई आदि की शिक्षा दी जाएगी।

यह ट्रेनिंग, नागपुर में गोदाम कर्मचारियों और टेक्निकल सहायकों को दी जाने वाली सालाना ट्रेनिंग के अलावा है। नागपुर में अन्तिम ट्रेनिंग अगस्त-सितम्बर १९५९ में दी गयी थी, जिसमें केन्द्रीय और राज्य गोदाम निगमों के १३३ उम्मीदवारों ने शिक्षा ली थी।

केन्द्रीय गोदाम निगम ऐसे लोगों को भी यह ट्रेनिंग देने पर विचार कर रहा है, जो केन्द्रीय या राज्य गोदाम निगमों के कर्मचारी नहीं हैं।

क्या आप जानते हैं ?

भारत में घरेलू ईंधन की खपत

● भारत की ८० प्रतिशत से भी ज्यादा जनता गावों में रहती है। ये लोग घरों में पेड़ की लकड़िया, सूखे पत्ते, टहनिया, उपले आदि ईंधन के रूप में जलाते हैं। आम तौर से ये चीजें मुफ्त मिल जाती हैं। बिना किसी विस्तृत सर्वेक्षण के यह अनुमान लगाना कि देश में ऐसे ईंधन की कितनी खपत है, असम्भव है। किन्तु गैर-सरकारी तौर पर भारत सरकार के एक भूतपूर्व अधिकारी ने घरेलू ईंधन के बारे में कुछ आकड़े इकट्ठे किये हैं जिन पर विचार करके १९५४-५५ की जनसख्या के आधार पर ईंधन की खपत का अनुमान लगाया गया है। इसमें रोशनी के लिए बिजली की खपत के आकड़े शामिल नहीं हैं। घरों में खाना पकाने और कुछ चीज गरम करने में जितने ईंधन की खपत हुई, उसी के बारे में ये आकड़े इकट्ठे किये गये हैं।

● देश भर में अनुमानत ८ करोड़ २० लाख ४० हजार टन सूखी लकड़ी के बराबर घरेलू ईंधन की खपत हुई। इसमें से लगभग ७८ प्रतिशत की खपत गावों में और २० प्रतिशत की शहरों में हुई। इसमें से ८९ ६ प्रतिशत उपले, ३८ ७ प्रतिशत लकड़ी और लकड़ी के कोयले, ८ ५ प्रतिशत पेड़-पौधों का कूड़ा-करकट, २ ७ प्रतिशत पत्थर का कोयला, ०.४ प्रतिशत मिट्टी का तेल और ० १ प्रतिशत बिजली जली।

● देश भर में कुल १०३ करोड़ ६० लाख टन गोबर होता है। इसमें से ६९ करोड़ ६० लाख टन गोबर विभिन्न कामों में इस्तेमाल होता है, जिसमें से ३० करोड़ टन के उपले बनाये जाते हैं।

● शहरी घरों में गाव के घरों से ज्यादा ईंधन जलता है। प्राय गावों में जो ईंधन जलता है, वह शहरों में नहीं जलता। गाव के लोग आम तौर से ईंधन खरीदना पसन्द नहीं करते। इसके अलावा, गावों में अच्छी सड़कें न होने और बहुत कम लागत होने के कारण शहरी ईंधन वहा तक पहुच भी नहीं पाता।

● जलगोरा की केन्द्रीय ईंधन अनुसधानशाला और हैदराबाद की क्षेत्रीय अनुसधानशाला में कुछ परीक्षण किये गये, जिनसे पता चला है कि यदि कोयलों से धुआ न देने वाला ईंधन बनाया जाए तो वह सस्ते दामों पर बिक सकता है। इसकी माग भी काफी हो सकती है।

● हैदराबाद में एक सयत्र लगाया गया है, जिसमे आजमाइशी तौर पर घरों में जलने वाला २५ टन कोयला प्रतिदिन बन रहा है। इसे लोगों ने काफी पसन्द किया है। जलगोरा में भी एक सयत्र चालू है, जो सब तरह के कोक से घरेलू कोयला बना रहा है।

● अगर बिक्री के लिए पत्थर का कोयला और धुआ न देने वाला ईंधन बड़े पैमाने पर बनाया जाए और उसे काफी लोकप्रिय बनाया जाए तो लकड़ी और उपलों की खपत में काफी कमी हो सकती है। तीसरी पचवर्षीय योजना में घरेलू कोक बनाने के कार्यक्रम पर काफी गहन विचार किया जा रहा है।

तम्बाकू के बीज से वनस्पति

कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान और शिल्प-विज्ञान कालेज के व्यावहारिक रसायन शास्त्र विभाग में जो खोजें की गयी हैं, उनमे अब तम्बाकू के बीज के तेल से भी वनस्पति तैयार करने की सम्भावना बढ गयी है। तम्बाकू के बीज का तेल इतना सस्ता है कि इससे तैयार वनस्पति का मूल्य अन्य तेलों से बने वनस्पति से कम पडता है।

आसाम में चावल और धान के भाव का नियंत्रण

भारत सरकार ने चावल और धान (आसाम) भाव नियंत्रण आदेश, १९६० जारी किया है और इससे आसाम राज्य में लागू इस ढग का पहला आदेश रद्द हो गया है।

यह नया आदेश १ जनवरी, १९६० से लागू हुआ है और इसमे आसाम राज्य के तीनो क्षेत्रों में धान की बिक्री के अधिकतम और न्यूनतम भाव तथा मिलों में तैयार चावल के अधिकतम भाव निर्धारित कर दिये गये हैं। यह आदेश शीत और शरद् ऋतु के धान और चावल की अनेक किस्मों पर भी लागू होगा, जबकि पहला आदेश सर्दी की फसल के मोटे धान और चावल पर ही लागू था। इस प्रकार, इस आदेश से आसाम सरकार को अनेक किस्मों का धान और चावल खरीदने में सहायता मिलेगी।



इंजीनियरी अनुसंधान संस्थाओं के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ से सहायता

संयुक्त राष्ट्र सघ की सहायता से दुर्गापुर में केन्द्रीय यात्रिक इंजीनियरी अनुसधानशाला और बगलौर तथा भोपाल में बिजली इंजीनियरी अनुसधान सगठन स्थापित किये जाएगे। इस काम के लिए यूनेस्को यानी सयुक्त राष्ट्र सघ के शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति सगठन के जरिये सहायता मिलेगी। तीनो अनुसधान सस्थाओं की स्थापना पर जो खर्च आएगा, उसका डालर वाला भाग यानी २६ लाख २० हजार २०० डालर यूनेस्को देगा और बाकी खर्च, जो ५८,५१,५५० डालर के बराबर होगा, भारत सरकार उठायेगी। तीनों काम जल्दी ही शुरू हो जाएगे।

दुर्गापुर की अनुसधान सस्था के लिए, यूनेस्को तीन साल के लिए तीन विशेषज्ञ, दो-दो साल के लिए चार वृत्तिया और ४,७५,००० डालर का सामान देगा। इस प्रकार इस सस्था के लिए ६,९१,४०० डालर की सहायता मिलेगी। भोपाल और बगलौर की सस्थाओं के लिए यूनेस्को दो विशेषज्ञ देगा। बगलौर में एक विशेषज्ञ तीन साल काम करेगा और भोपाल में दो साल। बगलौर में दो-दो साल की तीन और भोपाल में दो-दो साल की पाच वृत्तिया दी जाएगी। भोपाल के लिए १४,६०,००० डालर और बगलौर के लिए २,९५,००० डालर का सामान दिया जाएगा। इन सब चीजों का खर्च १९,२८,८०० डालर बैठेगा।

तीनों सस्थाओं की योजनाओं को १५

जनवरी को नयी दिल्ली में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री एन० सी० सेन गुप्त, आई० सी० एस०, सयुक्त राष्ट्र सघ के शिल्प सहायता मडल के स्थायी प्रतिनिधि श्री जेम्स कीन और यूनेस्को के महानिदेशक डा० वित्तोरिनो वैरोनीज की स्वीकृति मिल गई है।

ये योजनाए उस करार का भाग हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सघ के विशेष कोष और भारत सरकार मे २० अक्तूबर, १९५९ को हुआ था।

विश्व शिक्षाविद सम्मेलन में राष्ट्रपति का भाषण

नयी दिल्ली मे ६ जनवरी को १०वें विश्व शिक्षाविद सम्मेलन मे भाषण करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कहा कि यदि हमें ऐसे समाज की रचना करनी है, जिसमे सब सुखी और सन्तुष्ट हों, तो हमें होड़ के स्थान पर सहयोग और भौतिक समृद्धि की बजाय सुख और आत्मसन्तोष पर अधिक जोर देना होगा। मनुष्य में यह परिवर्तन लाने के लिए हमें न केवल बच्चों और नवयुवकों की शिक्षा में, बल्कि बडों और बुद्धिजीवियों के विचारों में भी परिवर्तन करने का उद्योग करना होगा। तभी आगामी पीढी को मित्रता और सहयोग के वातावरण में पनपने का अवसर मिलेगा। तभी वे लोग समझेंगे कि भौतिक साधनों और लाभ से मनुष्य को कभी वास्तविक आनन्द नही मिल सकता।

आपने कहा कि यह कोई दावा नही कर सकता कि सासारिक वस्तुओं ने किसी एक व्यक्ति को भी आजन्म और पूरा-पूरा सुख दिया हो। लेकिन हर युग और हर देश में ऐसे बहुत से स्त्री-पुरुष हुए हैं, जो भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर महान आन्तरिक सुख भोग सके। यह कहना गलत होगा कि अज्ञान के कारण ही ऐसे स्त्री-पुरुष सुखी रह सके और उनका सन्तोष और शान्ति मरघट की शान्ति के समान था। वास्तव में वे अत्यन्त ज्ञानी व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने सब भौतिक पदार्थों की असलियत को समझा। आधुनिक शिक्षा सब देशों के सब लोगों तक नहीं पहुंचायी जा सकती, क्योंकि इसके लिए साधनों की आवश्यकता है। किन्तु आत्मसन्तोष का सन्देश हर देश के हर आबालवृद्ध और स्त्री-पुरुष तक पहुचाया जा सकता है। इससे वे जहां और जिस हाल में हैं, सन्तुष्ट रह सकते हैं। इससे उनकी आगे बढने या अपना सुधार करने की इच्छा मर नही जाएगी, बल्कि वे असफलता के भय से मुक्त होकर निष्काम कर्म करेंगे।

प्रतिस्पर्धा और सहयोग का अन्तर समझाते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के मूल में हिंसा है और सहयोग के मूल में प्रेम। इसलिए व्यक्तियों और राष्ट्रों के मन को बदलने के लिए मानव समाज के हर उपक्रम में प्रेम को ही सर्वोपरि स्थान देना होगा और यह शिक्षाविद ही कर सकता है।

अपने देश में शिक्षा की स्थिति के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हम भी अपने देश में अपने हर देशवासी को शिक्षित करने के लिए प्रयत्नशील हैं, किन्तु अपने सीमित साधना के कारण हमें अपने इस लक्ष्य पूर्ति मे कुछ बाधाए आती दिखायी देती हैं। आज से बीस वर्ष पहले हमारे राष्ट्रनेता महात्मा गांधी ने इस कठिनाई को भलीभांति अनुभव किया था। बहुत से शिक्षा-शास्त्रियों से विचार-विमर्श करके ही उन्होंने इस बुनियादी शिक्षा को पूर्ण रूप दिया। स्वतन्त्र होने के बाद हम अपने देश में इस शिक्षा प्रणाली को निरन्तर फैला रहे हैं। अभी यह कहना अत्युक्ति होगी कि इसमें हमें पूरी-पूरी सफलता मिली है। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आज या कल हम अवश्य ही यह अनुभव करेंगे कि हमारे देश के लिए यही शिक्षा-प्रणाली उपयुक्त है। मैं आशा करता हूं कि आपने अपने इन थोड़े दिनों के भारत-प्रवास में बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों और इसके व्यावहारिक पक्ष को देखा और समझा होगा। हमारी सब योजनाओं में नये विचारों और सलाह की गुजाइश है और शिक्षा के मामले में लकीर का फकीर हो ही कौन सकता है।

युनेस्को के महानिदेशक की भारत-यात्रा

१४ जनवरी को सयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और सस्कृति सगठन के महानिदेशक डा० वित्तोरीनो वेरोनीज २ दिन की भारत-यात्रा पर नयी दिल्ली पहुंचे। नयी दिल्ली में आप ने राष्ट्रपति, केन्द्रीय शिक्षा मत्री और वैज्ञानिक अनुसधान और सस्कृति मत्री से भेंट की और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और दिल्ली विश्वविद्यालय देखने गये। इडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, इडियन इटरनेशनल सेंटर और सयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और सस्कृति सगठन के विज्ञान सहयोग कार्यालय ने डा० वित्तोरीनो के स्वागत के लिए समारोह किये।

डा० वित्तोरीनो एशियाई राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने मनीला जा रहे थे।

रूसी शिक्षाविदों का शिष्टमण्डल भारत में

भारत सरकार के निमंत्रण पर सोवियत सघ के ६ शिक्षाविदों का एक शिष्टमण्डल २ जनवरी को नयी दिल्ली पहुंचा। यह शिष्टमण्डल ३ सप्ताह तक भारत की यात्रा करेगा।

सोवियत शिष्टमण्डल के नेता अध्यापन विज्ञान अकादमी के सदस्य, श्री ए० एम० ओसोव हैं। दिल्ली के अलावा ये शिक्षाविद बम्बई, बडौदा, बंगलोर, मद्रास और कलकत्ता की यात्रा भी करेंगे और वहां के विद्यालय और आगरा तथा फतहपुर सीकरी जैसे ऐतिहासिक स्थान भी देखेंगे।

राजधानी में शिष्टमण्डल उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन और शिक्षा मंत्री डा० कालूलाल श्रीमाली से भेंट करेगा।

शिष्टमण्डल के सदस्य हैं :—

श्री एम० जे० मखुदोव, तातार गणराज्य के शिक्षा मत्री, श्री ए० आई० इस्काकोव, कज्जाक गणराज्य के अध्यापन अनुसंधान सस्था के निदेशक, श्री ए० एन० मखोव, आर० एस० एफ० आर० की अध्यापन विज्ञान अकादमी के कार्यकर्ता, कु० आर० वसूमोवा, सोवियत स्कूलों के लिए कई हिन्दी व उर्दू पुस्तकों की लेखिका; और श्री एस० ई० जोतोव, मास्को के माध्यमिक, स्कूल के निदेशक।

फिल्मों पर राज्य पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि

सन् १९५९ की फिल्मों पर दिये जाने वाले राज्य पुरस्कारों की सख्या में अब दो की वृद्धि कर दी गयी है। पिछले वर्षों में

जो राज्य पुरस्कार दिये गये, उनके अलावा इस साल सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्म को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और निर्माता को ४,००० रु० तथा निर्देशक को १,००० रु० के नकद पुरस्कार और सर्वोत्तम छोटे फिल्म को राष्ट्रपति का रजत पदक दिया जाएगा। इस श्रेणी में दूसरे और तीसरे नम्बर के चित्र को श्रेष्ठता का अखिल-भारतीय प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया निदेशक मंडल

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के निदेशक मंडल का १ जनवरी, १९६० से पुनर्गठन किया है।

नये मंडल के निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं : वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मंत्रालय के सचिव, प्रो० एम० एस० ठैकर (अध्यक्ष), प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार, डा० डी० एस० कोठारी; वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री ए० वी० वेंकटेश्वरन; वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ उद्योग सलाहकार, डा० जी० पी० काने और डा० बी० डी० कालेलकर; जे० इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के श्री टी० आर० गुप्त; नेशनल रेयन कारपोरेशन लि० बम्बई के डा० एम० वी० पारीख; सिम्पसन एंड कम्पनी, मद्रास के श्री अनन्तराम कृष्णन् और एटलस साइकल लि०, सोनीपत (पंजाब) के श्री बी० डी० कपूर।

नये निदेशक तीन साल तक अपने-अपने पद पर काम करेंगे।

नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों की सातवीं प्रतियोगिता

शिक्षा मंत्रालय ने नवसाक्षरों के लिए लिखे जाने वाले उत्तम साहित्य पर पुरस्कार देने के लिए इस वर्ष भी सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तकें और पाण्डुलिपियां मांगी हैं।

उत्तम पुस्तकों या पाण्डुलिपियों के लेखकों को लगभग ४० पुरस्कार दिये जाएंगे। ५ पुरस्कार एक-एक हजार रु० और लगभग ३५ पुरस्कार ५-५ सौ रु० के हैं।

पुस्तक या पाण्डुलिपि किसी भी भारतीय भाषा में और किसी भी विषय पर हो सकती है; परन्तु उसे वयस्क नवसाक्षरों के आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक जीवन के लिए लाभदायक होना चाहिए। पुस्तक या पाण्डुलिपि डिमाई अठपेजी साइज के ४८ पृष्ठों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसकी भाषा सरल तथा यह सचित्र होनी चाहिए।

कला वस्तुओं के निर्यात के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक

वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्रालय की १५ जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि कला वस्तु (निर्यात नियंत्रण) कानून, १९४७ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस लिये बिना कला वस्तुओं को विदेशों को नहीं भेज सकता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी भवन का शिलान्यास

प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने १७ दिसम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के पहले गांधी भवन की नींव रखी।

गांधी स्मारक निधि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गांधी जी के जीवन और आदर्शों के अध्ययन की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों में गांधी भवन स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया है। शुरू में दिल्ली, केरल, इलाहाबाद, पटना, पंजाब, नागपुर और राजस्थान विश्वविद्यालयों में गांधी भवन स्थापित किए जाएंगे।

ब्राजील की पुस्तकों पर कापीराइट कानून लागू

भारत सरकार के १३ जनवरी के असाधारण सूचना-पत्र में घोषणा की गयी है कि भारत सरकार ने १९५७ का कापीराइट कानून ब्राजील की पुस्तकों पर भी लागू कर दिया है। ब्राजील द्वारा विश्व कापीराइट समझौता स्वीकार करने पर यह निश्चय किया गया है।

कापीराइट अधिनियम चेकोस्लोवाकिया पर भी लागू

भारत सरकार ने ६ जनवरी, १९६० के असाधारण सूचना-पत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि चेकोस्लोवाकिया की पुस्तकों पर भी कापीराइट अधिनियम, १९५७ लागू होगा। यह निर्णय इसलिए किया गया है कि अब चेकोस्लोवाकिया ने भी विश्व कापीराइट समझौते (यूनिवर्सल कापीराइट कन्वेन्शन) को मान लिया है।

स्वास्थ्य

तीसरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्य सरकारों को पत्र

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को तीसरी योजना में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में एक नोट भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि जहां विशेषज्ञ उपलब्ध हों, वहां राज्यों के स्वास्थ्य विभागों में मानसिक स्वास्थ्य की विशेष शाखा खोली जाए।

इस पत्र में यह भी कहा गया है कि नमूने के तौर पर कुछ शहर और देहातों में पागलपन, मिरगी आदि मानसिक रोगों के बारे में जांच-पड़ताल की जाए और उनके निरोध की योजना बनाई जाए। फिर १० साल के बाद यह पता लगाया जाए कि इन बीमारियों का अनुपात बढ़ा तो नहीं।

साधनों की पड़ताल

यह भी देखा जाए कि मानसिक रोगों के इलाज के लिए देश में क्या साधन हैं। पागल-

पन और अन्य मानसिक व्याधियों तथा बच्चों के बिगड़ने या आवारागर्दी की समस्याओं में जनता का कितना ध्यान है, इसका पता लगाया जाए ।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि वे आत्महत्या की घटनाओं और उसके कारणों के बारे में भी पड़ताल करें ।

इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बच्चों और बड़ों के बिगड़ने और पागलपन के कारणों में भी अनुसंधान किया जाए और सुधार के उपाय सोचे जाएं ।

रोकथाम

मंत्रालय ने तीसरी योजना में मानसिक रोगों की रोकथाम के आवश्यक उपाय भी सुझाये हैं जैसे मानसिक रोग चिकित्सा केन्द्र और बाल-सुधार केन्द्र और विवाह और दाम्पत्य जीवन के बारे में सलाह देने वाली संस्थाएं खोलना और स्कूलों और कालेजों में मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था करना ।

मानसिक अस्पतालों में रोगियों की भीड़ कम करने और बूढ़े और पुराने रोगियों को अलग रखने का सुझाव दिया गया है ।

नोट में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मानसिक रोग संस्था कायम होनी चाहिए । मानसिक अस्पतालों के सभी या अधिकांश डाक्टरों को मनोविश्लेषण की ट्रेनिंग दी जाए, मेडिकल कालेज के और अन्य अस्पतालों में भी अलग विभाग खोले जाएं और बहुत गम्भीर मानसिक रोगियों के लिए अलग संस्थाएं खोली जाएं।

प्रशिक्षण

डाक्टरी के छात्रों को इस विषय में आकृष्ट करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएं । मानसिक अस्पतालों के डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए और साधारण डाक्टरों तथा मानसिक रोग चिकित्सकों को नयी बातें बताने और ज्ञान ताजा करने के लिए कक्षाएं चलाई जाएं ।

रोकथाम पर जोर

सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा की योजनाएं बनाते समय, बीमारियों की रोकथाम और उनसे बचाव पर अधिक जोर दिया जाए। भारत की बड़ी जनसंख्या और डाक्टरों की कमी को देखते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम लाभप्रद है ।

अनुमान है कि इस समय भारत में १५ लाख पागल तथा अन्य मानसिक रोगियों को अस्पताल में रखना आवश्यक है । भारत के मानसिक अस्पतालों में कुल १५,००० रोगियों की जगह और योग्य डाक्टरों की संख्या केवल १०० है । इसके अलावा, १,००० ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो विशेष योग्यता प्राप्त नहीं हैं ।

दूसरी समस्याएं

इस समय मानसिक विकृतियों और समस्याओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्महत्या, जो खासकर सौराष्ट्र की स्त्रियों में अधिक है, और छात्रों की उद्दंडता की समस्या भी विचारणीय है ।

अंग्रेज़ी चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा

देश को इस समय जहां दो-तीन लाख डाक्टरों की आवश्यकता है, दूसरी योजना की अवधि के अन्त तक देश में कुल ९० हजार डाक्टर होंगे । किन्तु १,५०० या २,००० व्यक्ति पीछे एक डाक्टर के हिसाब से अभी यह संख्या बहुत कम रह जाएगी । इस समय देश में ५४ मेडिकल कालेज हैं और यहां से हर साल ४,५०० डाक्टर निकलते हैं । इस हिसाब से तो देश की आवश्यकतानुसार डाक्टरों की संख्या होने में लगभग अभी ५० साल लगेंगे । यह अनुमान है कि डाक्टरी शिक्षा देने के लिए १२५ कालेजों की और आवश्यकता होगी जो कि वर्तमान कालेजों की संख्या से दुगुने से अधिक है ।

नये मेडिकल कालेज

इन ५४ कालेजों में से २५ कालेज अभी हाल ही में खोले गये हैं । इन कालेजों की संख्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार है— आंध्र में ७, आसाम में १, मध्य प्रदेश में ४, मद्रास में ५, मैसूर में ४, उड़ीसा, पांडीचेरी और जम्मू-कश्मीर में १-१, पंजाब में ३, राजस्थान में २, उत्तर प्रदेश में ३ और प० बंगाल में ५ । भारत सरकार ने ३ कालेज, २ नयी दिल्ली में और १ पांडीचेरी में, खोले हैं ।

नये कालेज खोलने तथा वर्तमान कालेजों को बढ़ाने के लिए दूसरी योजना में ६ करोड़ ५० लाख रु० की व्यवस्था की गयी है । इस समय कालेजों में १०० छात्र भर्ती किये जाते हैं । इनकी क्षमता १५० छात्रों तक बढ़ाने के लिए भारत सरकार इन कालेजों को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

देश में इस समय कुल ८ गैर-सरकारी मेडिकल कालेज हैं, लुधियाना के क्रिश्चियन मेडिकल कालेज के सिवा किसी अन्य कालेज को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है । एम० बी०बी०एस० पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे १२॥ लाख रु० का अनुदान देना स्वीकार किया था । यह रकम १० वर्षों में दी जाएगी ।

अगली पंचवर्षीय योजना में ७ या ८ मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । इसके अलावा दूसरी योजना की अवधि में तंजोर, औरंगाबाद और काकीनाड़ा में जो मेडिकल कालेज खोले गये हैं, उनका भी विस्तार करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी । अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक इन कालेजों से प्रतिवर्ष ५,५०० डाक्टर निकलेंगे ।

स्नातकोत्तर शिक्षा

इस समय देश में डाक्टरी शिक्षा की ऐसी ३२ संस्थाएं हैं, जहां डाक्टरी की स्नातकोत्तर शिक्षा दी जाती है । हाल ही में केन्द्रीय सहायता से देश के विभिन्न भागों के ११ कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है । लखनऊ के गांधी स्मारक मेडिकल कालेज के कुछ विभागों में स्नातकोत्तर शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने उसे आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया है ।

चिकित्सा की स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी पक्षों पर विचार करने तथा उसके विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में प० बंगाल के मुख्य मंत्री, श्री विधान चन्द्र राय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है । यदि समिति सिफारिश करेगी तो भविष्य में अन्य संस्थाओं में भी स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी ।

पहली तथा दूसरी योजना में डाक्टरी शिक्षा के इस पक्ष की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था । किन्तु भोर समिति और

पहली क्रमोन्नति समिति (अपग्रेडिंग कमेटी) की सिफारिशों के परिणामस्वरूप डाक्टरी शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए नयी दिल्ली में आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गयी। जैसी कि सम्भावना है कि देश में तीसरी योजना के अन्त तक ६० या इससे अधिक मेडिकल कालेज और खुल जाएंगे, यह स्पष्ट है कि डाक्टर शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए एक ही संस्था से काम नहीं चल पायेगा। यह विचार है कि सभी श्रेणी के विशेषज्ञों की भरपूर ट्रेनिंग के लिए विशेष संस्थाएं खोलनी पड़ेंगी और वर्तमान कालेजों या संस्थाओं में से ४ कालेजों या संस्थाओं में इस ट्रेनिंग के लिए उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये ४ कालेज क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में काम करेंगे। हर केन्द्र में प्रतिवर्ष १०० से १५० डाक्टरों को स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए भर्ती किया जा सकता है। यह पाठ्यक्रम दो से तीन साल तक का होगा और इस हिसाब से इन केन्द्रों के खुल जाने पर तीसरी योजना में लगभग १,२०० विशेषज्ञों को ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना की अवधि में हर केन्द्र पर लगभग २ करोड़ ५० लाख रु० खर्च होगा।

डाक्टरी अनुसंधान

चिकित्सा शिक्षा में भी अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। दूसरी योजना में इसके लिए ४ करोड़ १२ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। उच्च मेडिकल कालेजों में अनुसंधान की और अधिक व्यवस्था की जाएगी और प्रतिभाशाली स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों को अनुसंधान-कार्य के लिए चुना जाएगा। अनुसंधान कार्य में लगे वर्तमान डाक्टरों तथा इस कार्य में अपना सारा समय लगाने के इच्छुक डाक्टरों को खपाने के लिए एक अनुसंधानकर्ता वर्ग बनाया जा रहा है।

देशी चिकित्सा प्रणाली का विकास

सरकार देशी तथा होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के विकास की ओर से भी उदासीन नहीं है। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में ३७ लाख ५० हजार रु० की व्यवस्था की गयी थी। इसमें से काफी रकम जामनगर केन्द्र को अनुदान के रूप में दी गयी और ३ लाख से अधिक रुपया आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए दिया गया।

इन चिकित्सा प्रणालियों के लिए दूसरी योजना में ५ करोड़ २५ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। इस रकम में से जामनगर के अनुसंधान केन्द्र और स्नातकोत्तर संस्था का विस्तार किया जाएगा, आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा के ५ कालेज खोले जाएंगे और १३ वर्तमान कालेजों का विस्तार किया जाएगा।

देशी चिकित्सा प्रणाली को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुसंधान कार्यों की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार करने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

दांतों के इलाज की शिक्षा

दंत-चिकित्सा शिक्षा में भी भारत बहुत पिछड़ा है। इस समय देश में इसके सिर्फ ८ कालेज हैं। इन कालेजों के विस्तार तथा नये कालेजों की स्थापना के लिए दूसरी योजना में १ करोड़ ५० लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु यह राशि घटाकर अब ७५ लाख रु० कर दी गयी है। मद्रास, लखनऊ, अमृतसर, बम्बई और कलकत्ता के दन्त चिकित्सा कालेजों का विस्तार करने तथा तिरुअनन्तपुरम और हैदराबाद में नये कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया है। जिन दन्त-चिकित्सकों के नाम राज्य के दन्त-चिकित्सक रजिस्टर में 'ख' श्रेणी में दर्ज है, उन्हें उच्च शिक्षा देने के लिए लखनऊ के गांधी स्मारक अस्पताल में एक केन्द्र खोला गया है। इस केन्द्र में ट्रेनिंग लेने के बाद उनके नाम 'ख' श्रेणी से हटाकर 'क' श्रेणी में रजिस्टर कर दिये जाएंगे। बम्बई के सर सी० ई० एम० डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल तथा नायर हास्पिटल डेन्टल कालेज के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभागों में दन्त-चिकित्सकों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया है। बम्बई सरकार नागपुर में एक दन्त चिकित्सा कालेज खोलने का विचार कर रही है।

एक ओर जहां सरकार अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रही है, वहां दूसरी ओर वर्तमान तथा नये खुलने वाले अस्पतालों और दवाखानों के लिए डाक्टरों की शिक्षा की व्यवस्था करने का भी प्रयत्न कर रही है।

डाक्टरी अनुसंधान के लिए वेट स्मारक छात्रवृत्ति

स्वास्थ्य मंत्रालय की १० जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि डाक्टरी तथा उससे सम्बन्धित अन्य किसी विज्ञान में अनुसंधान करने के हेतु भारतीय भी वेट स्मारक छात्रवृत्ति के लिए अर्जी भेज सकते हैं।

मई १९६० में कनिष्ठ छात्रवृत्तियां देने के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा। छात्रवृत्ति तीन साल तक क्रमश: ९०० पौण्ड, ९५० पौण्ड और १,००० पौण्ड की होगी। छात्र अपनी छात्रवृत्ति का ५ प्रतिशत कटवाता रहेगा और वेट स्मारक ट्रस्ट उसमें अपनी ओर से छात्रवृत्ति का १० प्रतिशत जोड़ेगा। अनुसंधान पूरा होने के बाद छात्र को यह रकम एकमुश्त दे दी जाएगी।

ट्रेनिंग में दाइयों का वजीफा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दाइयों को ट्रेनिंग के दौरान २० रु० माहवार की जगह ३० रु० माहवार वजीफा देने का फैसला किया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् १९५६ में दाइयों को ट्रेनिंग देने की योजना चालू की गई थी। इस योजना के अनुसार ३६,००० दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यह प्रशिक्षण ६ महीने तक दिया जाता है और इसके लिए भारतीय नर्सिंग परिषद् ने ...२०० निर्धारित किया है।

समाज कल्याण

कश्मीर के विस्थापितों को विशेष सहायता

पुनर्वास मंत्रालय की १० जनवरी की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से उद्वासित लोगों को सरकार ने विशेष सहायता देने का निश्चय किया है।

जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों पर पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद वहां से उजड़कर आने वालों को पहले योल, नगरोटा और होशियारपुर के शिविरों में रखा गया और बाद में देश में अन्यत्र भेजा गया। खेतिहर परिवारों को जमीनें दी गई और शहरी परिवारों को कश्मीर में और बाहर शहरों और कस्बों में बसाया गया।

ये विस्थापित भारत सरकार से आग्रह करते रहे हैं कि उनकी जो अचल सम्पत्ति पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में छूट गई है, उसका उन्हें मुआवजा दिया जाए। यद्यपि इन विस्थापितों को बसाने में वही प्रयत्न किया गया, जो पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए किया गया, पर चूंकि ये जिस क्षेत्र से आये हैं, वह भारत का भाग है, पाकिस्तान का नहीं, इसलिए निष्क्रांत सम्पत्ति कानून इन पर नहीं लागू होता।

परन्तु इनकी मुसीबत का खयाल करके भारत सरकार ने कश्मीर सरकार से सलाह करके इन्हें विशेष रूप से बखशीश के तौर पर नगद सहायता देने का फैसला किया है।

(क) जो परिवार खेती की जमीन पर बसे हैं, उन्हें दिया गया १,००० रु० तक का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। जिन्हें १,००० रु० से कम कर्ज मिला है, उन्हें और रुपया देकर एक हजार की रकम पूरी कर दी जाएगी।

(ख) जिन खेतिहर परिवारों को कर्ज नहीं मिला है, उन्हें १,००० रु० नगद बखशीश दी जाएगी।

(ग) जिन परिवारों को खेती की जमीन पर नहीं बसाया गया है, उन्हें ३,५०० रु० प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाएगा, पर इसमें से बकाया कर्ज और सूद, किराया, अलाट सम्पत्ति का दाम आदि काट कर लिया जाएगा।

शहरी परिवारों में जिनकी वर्तमान आय १५० रु० मासिक से कम होगी, उन्हीं को बखशीश मिलेगी। जिनकी आय इससे अधिक होगी, उन्हें ३,५०० रु० तक बकाया कर्ज आदि की माफी दी जाएगी।

ठीक पहचान और पाकिस्तान अधिकृत भाग से आने का सबूत देने पर ही सहायता दी जाएगी। यह सहायता मुख्य बंदोबस्त अफसर के अधीन नियुक्त विशेष अफसर देंगे।

पंजाब में विस्थापित ट्रस्टों की सम्पत्ति राज्य सरकार के सुपुर्द

देश के विभाजन के बाद, दान से चलने वाली अथवा धार्मिक संस्थाओं के मुस्लिम ट्रस्ट के ट्रस्टी इनकी सम्पत्ति को छोड़ गए थे। इन्हें बाद में विस्थापित सम्पत्ति के संरक्षक (कस्टोडियन) ने इस विचार से अपने अधीन कर लिया था कि जब तक दीवानी अदालतें नए ट्रस्टी नियुक्त न कर दें तब तक संरक्षक ही इनकी देखभाल करे।

१९५६ में, भारत सरकार ने जल्दी ही नए ट्रस्टी नियुक्त करने के लिए विस्थापित सम्पत्ति कानून में संशोधन करके इन सम्पत्तियों के लिए ट्रस्टी नियुक्त करने का विशेष अधिकार अपने हाथ में लिया।

फलतः केन्द्रीय पुनस्संस्थापन मंत्रालय के प्रयत्न से बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली और राजस्थान के लगभग ६५० ट्रस्टों की सम्पत्तियां नए ट्रस्टियों को सौंप दी गयी। इसमें विशेष कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि इन राज्यों में मुसलमानों की संख्या काफी है। वक्फ सम्पत्तियां भी राज्य वक्फ मण्डलों, सुन्नी मजलिस-ए-औकाफ और अन्य संस्थाओं को सौंप दी गयीं।

पंजाब में भी, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, करनाल, रोहतक, शिमला, अमृतसर और मलेरकोटला शहरों में नए मुतवल्ली नियुक्त किए गए और उन्हें लगभग ८० मस्जिदें सौंप दी गयी। फिर भी अभी काफी विस्थापित ट्रस्ट सम्पत्ति बाकी है, जिन्हें सौंपने के लिए, राज्य में मुसलमानों की कमी के कारण, उपयुक्त मुतवल्ली नहीं मिल सके।

अब पुनस्संस्थापन मंत्रालय अपना पश्चिमी क्षेत्र का काम समाप्त कर रहा है, इसलिए यह निर्णय किया गया है कि पंजाब में मुसलमानों के धार्मिक तथा दान से चलने वाले ट्रस्टों की सम्पत्ति पंजाब सरकार को सौंप दी जाए। जब तक वहां मुस्लिम वक्फ मंडल नहीं बनाया जाता, तब तक यह सम्पत्तियां पंजाब सरकार के उप-आयुक्तों के अधीन रहेंगी। इस काम के लिए उन्हें विस्थापित सम्पत्ति का पदेन उपसंरक्षक भी नियुक्त किया गया है।

यह भी निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के पास पंजाब की वक्फ सम्पत्ति का जो बाकी काम है, वह पुनस्संस्थापन मंत्रालय से लेकर स्वराष्ट्र मंत्रालय को सौंप दिया जाए।

यह सूचना पुनस्संस्थापन मंत्रालय की ११ जनवरी की एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है।

१९५८-५९ में राज्यों में हरिजनों को मुफ्त जमीन

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के भूमिहीन किसानों को १९५८-५९ में ६२ लाख एकड़ से भी अधिक जमीन दी गयी। इसमें से कुछ जमीन राज्यों में बेकार पड़ी थी और कुछ भूदान में प्राप्त हुई थी।

यह जानकारी आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तथा केन्द्र-शासित राज्य मणिपुर और त्रिपुरा से प्राप्त हुई है। सबसे अधिक जमीन—लगभग ३१ लाख एकड़—बम्बई राज्य में दी गयी। इन राज्यों ने अभी पूरी जानकारी नहीं भेजी है।

इन जातियों को सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन सुधारने के लिए सहायता मिलती है। इसके अलावा उन्हें विशेष सहायता भी दी जाती है। विशेष सहायता के अन्तर्गत १९५८-५९ में उन पर लगभग ७८ लाख रु० खर्च किया गया, जिसमें से आधा केन्द्रीय सरकार ने और आधा राज्य सरकारों ने किया। केन्द्रीय सरकार ने अपनी योजनाओं के अन्तर्गत लगभग ४० लाख रु० दिया।

दूसरी योजना में पिछड़ी जातियों के हित के लिए लगभग ९१ करोड़ रु० रखा गया है। इसमें से ४७ करोड़ रु० अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों पर, २७ करोड़ ५० लाख रु० अनुसूचित जातियों पर, लगभग ४ करोड़ रु० विमोचित जातियों पर, ९ करोड़ ७० लाख रु० अन्य पिछड़ी जातियों पर और २ करोड़ ९० लाख रु० कार्य-सचालन आदि पर खर्च किया जाएगा। यह खर्च उन पर विशेष रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, राज्यों में आम लोगों के हित के लिए जो काम होते हैं, उनसे भी इन्हें लाभ होता है।

वेश्यावृत्ति उन्मूलन कानून पर अमल

वेश्यावृत्ति उन्मूलन कानून को अमल में लाने के लिए आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, प० बगाल, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में विशेष पुलिस अफसर नियुक्त किये गये हैं। अन्य चार राज्यों और त्रिपुरा में भी इस बारे में विचार किया जा रहा है।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में स्वराष्ट्र उपमंत्री, श्रीमती वायलट अल्वा ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में दी।

उन्होंने बताया कि अडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीन द्वीपसमूह तथा मणिपुर में वेश्यावृत्ति नहीं है, इसलिए वहा विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं।

श्रीमती अल्वा ने कहा कि अभी तक केवल बम्बई राज्य और दिल्ली शासन ने यह बताया है कि उन्होंने विशेष पुलिस अफसरों की सहायता के लिए गैर-सरकारी सलाहकार सस्थाएं बनायी हैं। ऐसी गैर-सरकारी सस्थाएं बनाना कानून की दृष्टि से जरूरी नहीं, बल्कि राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है।

ग्राम आवास योजना की प्रगति

केन्द्रीय निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की ग्राम आवास योजना के अन्तर्गत इस समय दस राज्यों में काम हो रहा है। ये राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उडीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

इन राज्यों में इस योजना के लिए लगभग १,९०० गाव चुने गये हैं और उनमें उन ग्रामीणों को, जो अपने मकान नये सिरे से बनाना चाहते हैं, ६८ लाख रु० का ऋण देना स्वीकार किया गया है। करीब ८०० से अधिक मकान बन चुके हैं और ९०० बन रहे हैं। मैसूर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा इस योजना का अधिक स्वागत हुआ है।

इस योजना के अन्तर्गत मकान बनाने की कुल लागत का आधा भाग ऋण के रूप में दिया जाता है, लेकिन एक मकान पीछे १,५०० रु० से अधिक का ऋण नहीं दिया जाता। राज्य सरकारें इस योजना के लिए सामुदायिक विकास खण्डों के गाव चुनती हैं। प्रत्येक राज्य में नये मकानों के नक्शे बनाने के लिए अलग से विभाग बनाए गए हैं। पुराने मकानों को नये सिरे से बनाने या नये मकान बनाने के लिए इस विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे ही काम में लाये जाते हैं।

इस योजना का उद्देश्य गाव वालों को आर्थिक सहायता देकर गाव की आवास-स्थिति में सुधार करना है। जिन गावों में यह योजना लागू की जाती है, वहा सड़कों, नालियों तथा पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाती है।



प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसन्धान के लिए छात्रवृत्तियां

केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली में प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसधान करने वालों को छात्रवृत्ति देने की योजना चालू की है। इस साल से ही डाक्टरेट, एम० एस-सी०, इजीनियरी और धातु विज्ञान के स्नातकों के लिए ५० छात्रवृत्तिया चालू की गयी है। ये वृत्तियां २५० रु० प्रतिमास की होंगी। अति योग्य उम्मीदवारों को कुछ खास विषयों में ६ बड़ी छात्रवृत्तिया भी दी जा सकती है जो ४०० रु० प्रतिमास की होंगी। शुरू में ये छात्रवृत्तिया १ साल के लिए दी जाएंगी, किन्तु कुछ खास विषयों में यह २ साल तक भी दी जा सकती है।

इन छात्रवृत्तियों के लिए इस साल ४० उम्मीदवार चुने गए, जिनमें से लगभग २४ को प्रतिरक्षा विज्ञानशाला में प्रशिक्षण मिलना शुरू भी हो गया है। डा० आर० एस० वर्मा इस प्रयोगशाला के निदेशक हैं। पहले यह दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में थी, किन्तु हाल ही में यह दिल्ली मेटकाफ हाउस में चली गयी है। इन उम्मीदवारों को प्रतिरक्षा अनुसंधानशालाओं और शिल्प विकास सस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें सैनिक विज्ञान और अनुसधान की साधारण शिक्षा के अलावा, उनके विषयों में ऊंची ट्रेनिंग और अनुसधान की व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें उत्तीर्ण होने के बाद इन्हें अनुसधान और विकास सगठन में जगह दी जा सकेगी और सेना विज्ञान विभाग में उच्च पदों तक पहुचने का भी अवसर मिलेगा।

वार्षिक स्थल सेना दिवस

हर साल की तरह इस साल भी १५ जनवरी को देश में वार्षिक दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली छावनी में सेनाध्यक्ष, जनरल के० एस० थिमैया ने ३,००० से अधिक अफसरों और जवानों की एक परेड की सलामी ली। दिल्ली और राजस्थान के जनरल आफिसर कमाडर, मेजर-जनरल विक्रम सिंह ने सेना दिवस परेड का सचालन किया।

सन् १९५४ से हर साल स्थल सेना दिवस पर धूमधाम से परेड होती है। हमारी इस सेना की शुरुआत लगभग २०० साल पहले हुई थी। समय-समय पर इसमें न-

रेजिमेण्टें जुड़ती गयी, जिनमे से प्रत्येक का रिकार्ड बड़ा गोरवपूर्ण है। भारतीय सेना का उद्देश्य किसी पर हमला करना नही। इसका उद्देश्य है बाहरी हमलो से देश की रक्षा करना और सकट में सरकार की मदद करना। स्वतन्त्रता के बाद से हमारी सेना विश्व शाति के हित मे चार बार विदेशो मे अपने जवान भेज चुकी है। *हिन्दचीन और गाजा में अब* भी हमारी सेना की टुकड़िया शाति रक्षा में लगी है। विदेशो मे हमारे सैनिक जवानों और अधिकारियों के सद्व्यवहार से भारतीय सेना और देश का यश बढ़ा है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हाल ही मे एक भारतीय अधिकारी को मिस्र मे सयुक्त राष्ट्र की आपात सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिला।

नौसैनिक बेड़े का नया पनडुब्बीनाशक जहाज़—'त्रिशूल'

भारतीय नौसैनिक बेडे का नया पनडुब्बीनाशक जहाज 'आइ०एन०एस० त्रिशूल' १३ जनवरी को भारतीय बेडे में शामिल हो गया।

'आइ०एन०एस० त्रिशूल' नौसेना के पनडुब्बीनाशक जहाजो में अपने किस्म का पहला जहाज है। इसमें आधुनिकतम पनडुब्बीनाशक यंत्र लगाए गए हैं। त्रिशूल के ठीक ढग से काम करने के बारे में इग्लैंड के आसपास के समुद्र में परीक्षण भी किए जाएगे। त्रिशूल के कमाडर कैप्टेन ी० ए० कामत है और इसमें लगभग २३० अफसर और नौसैनिक होंगे।

बिहार पुलिस के अधिकारी को वीरता के लिए पुरस्कार

राष्ट्रपति ने बिहार के पलामू जिले के डाल्टनगज थाने के रिजर्व हवलदार मेजर श्रीनिवास सिह को वीरता और कर्तव्य-परायणता के लिए पुलिस-पदक दिया है।

यह सूचना ९ जनवरी के सरकारी सूचनापत्र में दी गयी है।

भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में नाव से यात्रा

भारतीय नौसेना ने पहली बार खुली नाव द्वारा विशाखापत्तनम् से पोर्ट ब्लेयर (*अण्डमान द्वीप समूह*) तक और फिर वहा से वापस आने का प्रबन्ध किया है। ७ जनवरी को विशाखापत्तनम् से चली इस नाव मे ७ व्यक्ति है, जिनमें से ४ अधिकारी है और ३ नाविक। उन्होंने यह यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से अपना नाम दिया था। इस यात्रा का नेतृत्व नौसेना के लेफ्टिनेण्ट एम०एन० सामन्त कर रहे है। यात्रियों में स्थल सेना के कैप्टेन जी०डी० शर्मा और नौसेना के डाक्टर सर्जन-ले० डी०के० थापा भी है।

ये लोग २० दिन तक समुद्र में रहेंगे और १,५०० समुद्री मील (लगभग १,७५० मील) की दूरी तय करेगे। इस यात्रा से यह भी आका जा सकेगा कि देश में बनी नावें और डिब्बाबन्द खाना समुद्र के गर्म वातावरण में कितना उपयोगी हो सकता है। साथ ही लोगों पर समुद्र में खुली हवा और अकेलेपन का क्या प्रभाव पडता है।

पुलिस के वायरलेस अफसरों का सम्मेलन

स्वराष्ट्र मत्रालय के सचिव, श्री बी० एन० झा ने २१ दिसम्बर को नयी दिल्ली मे पुलिस के वायरलेस अफसरों के ९वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाषण करते हुए श्री झा ने कहा कि हमारे सचार के साधन सीमित है। ऐसी दशा में इसकी शिल्पिक समस्याओं पर विचार करने के लिए वायरलेस अफसरो के सम्मेलन बहुत लाभदायक होंगे।

श्री झा ने बताया कि सन्देश भेजने और पाने के बहुत से यत्र बाहर से मंगाकर राज्यों को दिये गये है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड राज्यों को वायरलेस का जो सामान सप्लाई करता है, ये उसके अलावा है।

राज्य

हिमाचल प्रदेश सलाहकार समिति की बैठक

नयी दिल्ली में २३ नवम्बर को स्वराष्ट्र मत्रालय में मंत्री, श्री बलवन्त नगेश दातार की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें हिमाचल प्रदेश में मुफ्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में विधेयक का मसौदा मंजूर किया गया।

इस विधेयक के अनुसार अभिभावको का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने बच्चो को स्कूल भेजें। ऐसा न करने से उन पर २५ रु० तक का जुर्माना किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश सवारी और माल कर नियम, १९५७ के अन्तर्गत कर की दरो में सशोधन करने का भी एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके अनुसार अब पजाब की तरह हिमाचल प्रदेश में भी पहाडी क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों पर ८१० रु० प्रति वर्ष और अन्य क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों पर ५४० रु० प्रति वर्ष की दर से कर लिया जाएगा।

पंचायतें

बैठक में बताया गया कि हिमाचल में ४६८ की जगह ५१८ पचायतें बना दी गयी है और दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक ६०० बना दी जाएगी।

तपेदिक की रोकथाम

हिमाचल प्रदेश के पाचो जिलो में १०-१० पलंगो का तपेदिक चिकित्सालय खोला गया है। ४० पलगो का एक सैनेटोरियम है ही और तीसरी योजना में एक और सैनेटोरियम खुल जाएगा।

राज्यों में होम गार्ड

विभिन्न राज्य सरकारो ने केन्द्र को सूचित किया है कि वे अपने यहां बाढ, महामारिया, आग, भूकम्प आदि दैवी संकटों में लोगों की सहायता करने के लिए होम गार्ड स्थापित कर रही है।

पजाब सरकार का कहना है कि सन् १९४७ के पंजाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल अधिनियम

के अन्तर्गत एक संस्था बनायी गयी है, जो अगले दो महीनों में चालू हो जाएगी।

राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान होम गार्ड विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है। उड़ीसा ने इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनायी है। जम्मू-कश्मीर राज्य ने सूचना दी है कि सरकार ने होम गार्ड स्थापित करना सिद्धान्त रूप में मान लिया है।

आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों ने कहा है कि उनके यहां इस प्रकार की संस्थाएं पहले ही काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी रक्षा दल नाम की संस्था है। बम्बई और दिल्ली में होम गार्ड स्थापित हो ही चुके हैं।

मध्य वर्ग के लोगों के लिए मकान योजना : दिल्ली के लिए ३० लाख रु०

मध्य वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन को ३० लाख रु० देने मंजूर किये हैं। इस योजना के अन्तर्गत ६,००० से १२,००० रु० तक की सालाना आय वाले लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाता है। इस ऋण पर ५॥ प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और मूल धन तथा ब्याज की कुल रकम २५ वार्षिक किस्तों में वसूल की जाती है।

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है —

मद्रास हिन्दू पूर्त एवं धार्मिक धर्मस्व विधेयक, १९५९

इस विधेयक के कानून बन जाने से मद्रास के १९५४ के हिन्दू पूर्त एवं धार्मिक धर्मस्व (संशोधन) अधिनियम की कुछ ऐसी कमियां दूर हो जाएंगी, जिनका कानून के पालन में अनुभव हुआ और जिनकी ओर अदालतों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था।

वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत मद्रास के हिन्दू सार्वजनिक और धार्मिक संस्थाएं तथा धर्मस्व आ जाते हैं। केवल नियमित देवस्वोम और कन्या कुमारी जिले और तिरुनेलवेली के शेंकोट्टा तालुके के अनियमित देवस्वोम इसमें नहीं आएंगे।

सौराष्ट्र किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५९

इस संशोधन के द्वारा सौराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५१ की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६० तक बढ़ा दी गयी है। राज्यों के पुनर्गठन के समय से बम्बई के विभिन्न भागों में कई प्रकार के किराया नियंत्रण कानून लागू हैं। पूरे बम्बई राज्य के लिए एक किराया नियंत्रण कानून का मसौदा सरकार तैयार कर रही है। इस नये कानून के पास होने में अभी देर है। अतः सौराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी गयी है।



मांडले विश्वविद्यालय को भारतीय पुस्तकें भेंट

बर्मा में भारत के राजदूत, श्री लालजी मेहरोत्रा ने १२ जनवरी को मांडले विश्वविद्यालय के पहले दीक्षान्त समारोह के अवसर पर बर्मा के उप-प्रधान मंत्री तथा मांडले विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ऊ लुन वा को १५२ भारतीय पुस्तकों का संग्रह भेंट किया। ये पुस्तकें भारतीय इतिहास, दर्शन, कला, साहित्य तथा आर्थिक विषयों की हैं। इन्हें अब मांडले विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखा जाएगा।

जनरल सर रिचर्ड हल की भारत-यात्रा

पूर्वी एशिया में ब्रिटिश स्थल सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ, जनरल सर रिचर्ड हल दस दिन के भारत-यात्रा पर एक रात कलकत्ता रहने के बाद, ४ जनवरी को दिल्ली पहुंचे। जनरल हल ६ जनवरी तक राजधानी में रुके। इस दौरान वे प्रतिरक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिले।

वे पंजाब, पूना और विलिंगटन में सैनिक केन्द्र और कारखाने भी देखने गए। १४ जनवरी को वे लंका रवाना हो गए।

घाना में भारतीय उच्चायुक्त

रोम में भारत के वर्तमान राजदूत श्री खूबचन्द को घाना में भारत का उच्चायुक्त और साथ ही नाइजीरिया के लिए आयुक्त नियुक्त किया गया है। आशा है आप मार्च १९६० में अपना कार्यभार संभाल लेंगे। यह सूचना परराष्ट्र मंत्रालय की ७ जनवरी की एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है।

चेकोस्लोवाकिया के राजदूत द्वारा परिचय-पत्र पेश

भारत में चेकोस्लोवाकिया के नव-नियुक्त राजदूत, डा० लेडिस्लाव सिमोविच ने १४ जनवरी को नयी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद को अपने परिचय-पत्र पेश किए।

भारतीय राजदूत द्वारा क्यूबा के प्रेसीडेंट को परिचय-पत्र पेश

अमरीका में भारत के राजदूत, श्री मुहम्मद अली करीमभाई छागला ने
१९६० को क्यूबा के प्रेसि
अपने परिचय-पत्र पेश

समाचार-दर्शन

१ जनवरी से १५ जनवरी तक

जनवरी

१—भारत सरकार द्वारा चावल और धान (आसाम) मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९६०, जारी

२—तीनो सरकारी इस्पात कारखानो के विस्तार की योजना बनाने वाली विभिन्न सस्थाओ के कार्य को समन्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त

३—विभाजन सम्बन्धी वित्तीय मामलो के बारे में भारत और पाकिस्तान की वार्ता का अन्तिम दौर नयी दिल्ली में समाप्त

—प्र ान मन्त्री, श्री नेहरू द्वारा बम्बई मे भारतीय विज्ञान काग्रेस के ४७वें अधिवेशन का उद्घाटन

—नयी दिल्ली में १६वां श्रम मन्त्री सम्मेलन आरम्भ

—भारत की १२ दिन की यात्रा पर चेकोस्लावाकिया से ११ सदस्यो के एक ससदीय शिष्टमण्डल का बम्बई में आगमन

—भारत की तीन सप्ताह की यात्रा पर ६ सदस्यो के एक रूसी शिक्षाविद् शिष्टमण्डल का नयी दिल्ली आगमन

४—भारत और यूगोस्लाविया मे व्यापार और अदायगी समझौते के नवीकरण के लिए नयी दिल्ली में वार्ता आरम्भ

५—दुहरे आय कर से बचने के लिए भारत और जापान में एक समझौते पर हस्ताक्षर

—४ दिन की भारत-यात्रा पर फील्ड मार्शल माटगोमरी का नयी दिल्ली आगमन

६—भारत की दो सप्ताह की यात्रा पर रूस के ७ वकीलों और न्यायाधीशों के एक शिष्टमण्डल का नयी दिल्ली आगमन

—बम्बई में भारत और आस्ट्रेलिया का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच हार-जीत का फसला हुए बिना समाप्त

—ईरानी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल और भारतीय अधिकारियो के दल में दोनों देशो के आपसी व्यापार बढाने के सम्बन्ध में नयी दिल्ली में होने वाली वार्ता समाप्त

९—प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू द्वारा आसाम में बडापानी पनबिजली योजना के निर्माण-कार्य का उद्घाटन

—पी० एल० ४८० के अन्तर्गत ३ लाख गाठ रूई के आयात के लिए भारत द्वारा अमरीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर

१०—पाडु (आसाम) में ब्रह्मपुत्र नदी पर १० करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रेल और सड़क पुल का प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू द्वारा शिलान्यास

जनवरी

११—लाहौर और नयी दिल्ली में ४ जनवरी से १० जनवरी तक मन्त्रिस्तर पर हुई भारत-पाक सीमा वार्ता के पश्चात् एक सयुक्त विज्ञप्ति जारी

—रूरकेला इस्पात कारखाने की ब्लूमिंग और स्लैबिंग मिल, दूसरी कोक ओवन बैटरी, दूसरी खुली भट्ठी, उपोत्पादनो के कारखानो की तीन इकाइया और दूसरा जेनरेटर चालू

—भारत सरकार और अमरीकी प्रौद्योगिक सहयोग मिशन द्वारा सयुक्त रूप से नयी दिल्ली में आयोजित कृषि विस्तार कर्मचारियो के दो सप्ताह के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

—नयी दिल्ली में राज्यो के सूचना निदेशकों का तीन दिन का सम्मेलन आरम्भ

—नयी दिल्ली में डूरेण्ड फुटबाल टूर्नामेण्ट के फाइनल में कलकत्ता का मोहन बगान क्लब कलकत्ता ही के मोहमडन स्पोर्टिंग क्लब पर विजयी

१२—एल० डी० विधि से हर वर्ष ७॥ लाख टन इस्पात तैयार करने की क्षमता वाला एल० डी० सयंत्र रूरकेला में चालू

१३—भारत और हगरी के वर्तमान व्यापार समझौते की अवधि में ६ महीने की वृद्धि करने, अर्थात् उसे ३० जून, १९६० तक लागू करने से सम्बद्ध कागज-पत्रों का नयी दिल्ली म आदान-प्रदान

—भोपाल के भारी मशीन कारखाने में मशीनी औजारो की पहली मशीन प्रस्थापित

—ब्रिटेन में हुए एक समारोह में एक नया पनडुब्बी-नाशक फ्रिगेट 'आई० एन० एस० त्रिशूल' भारतीय नौसेना में सम्मिलित

१४—नयी दिल्ली में भारत और जोर्डन में एक वर्ष तक की अवधि के लिए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

—यूनेस्को के महानिदेशक डा० वित्तोरीनो विरोनीस का अपनी प्रथम सरकारी यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन

१५—संयुक्त राष्ट्र संघ विशष कोष की सहायता से तीन इजीनियरी अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में नयी दिल्ली में कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली-८ द्वारा सम्पादित तथा
ओडियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली-६ द्वारा मुद्रित



ब्रिटेन के राष्ट्रमण्डलीय देशों के संबंधों के मन्त्री श्री सी० जे० एम० एल्पोर्ट का नयी दिल्ली के समीप शमसपुर गांव के लोगों द्वारा स्वागत—श्री एल्पोर्ट ३ जनवरी को इस गांव में हुआ सामुदायिक विकास कार्य देखने गये थे



नयी दिल्ली में १४ जनवरी को भारत-जोर्डन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के संयुक्त सचिव श्री के० आर० एफ० खिलनानी जोर्डन के प्रतिनिधिमण्डल के नेता (बायें) से हाथ मिलाते हुए



भारत के तीन सप्ताह के दौरे पर आए हुए रूसी शिक्षाविद शिष्टमण्डल के सदस्य ३ जनवरी को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय देखते हुए

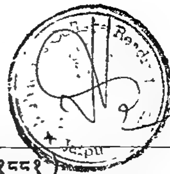
रजिस्टर्ड नं०
डी०-९४१

आसाम में पाण्डु और अमीनगांव को सम्बद्ध करने वाले ब्रह्मपुत्र पुल का १० जनवरी को प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू शिलान्यास करते हुए

दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर ५ जनवरी को प्रधान सेनापति जनरल थिमैया फील्ड मार्शल मांटगोमरी की अगवानी करते हुए



भारतीय समाचार





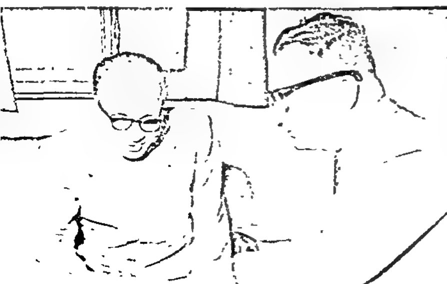
वर्ष २ | १५ जनवरी, १९६० (२५ पौष, १८८१) | अङ्क २४



नयी दिल्ली में २१ दिसम्बर को हुए एक समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद १९५९ की राजकीय छपाई और डिजाइन प्रतियोगिता के एक विजेता को पुरस्कार देते हुए



प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू १७ दिसम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी भवन का शिलान्यास करते हुए



आजकल भारत के दौरे पर आए हुए जापानी सद्भावना और सांस्कृतिक शिष्टमण्डल के नेता, श्री फूम्यू कोजिमा, २८ दिसम्बर को नयी दिल्ली में केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री डा० केसकर के साथ

एक बार फिर आपको धन्यवाद। नये वर्ष के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

भवदीय,

(ह०) जवाहरलाल नेहरू

नयी दिल्ली,
२५ दिसम्बर, १९५९

लोक सेवा आयोग की १९५८-५९ की रिपोर्ट

केंद्रीय लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट १७ दिसम्बर को ससद में रखी गयी। रिपोर्ट में बताया गया है कि १९५८-५९ में सरकार ने आयोग की एक भी सिफारिश अस्वीकार नही की।

रिपोर्ट मे बताया गया है कि मन्त्रालय और विभागों ने सविधान की व्यवस्थाओं और नियमों का पालन करने में आयोग को पूरा सहयोग दिया। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षा लेने में राज्य सरकारो, राज्यों के लोक सेवा आयोगों, विदेशों मे भारतीय दूतावासों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा सस्थाओं ने आयोग को सहायता दी।

भविष्य का कार्यक्रम

कमीशन की राय में सरकारी नौकरियों मे भर्ती के लिए, विशेषकर पचवर्षीय योजनाओं के लिए, उपयुक्त व्यक्ति चुनने का कार्यक्रम पहले से ही तैयार करना अधिक अच्छा रहेगा।

यह देखने के लिए कि आयोग द्वारा चुने हुए व्यक्ति ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, आयोग सबधित मन्त्रालयों और विभागों से इनके दो साल तक के काम की रिपोर्ट मगाता है। आयोग ने १९५८ में इन रिपोर्टों की जो नमूने की पडताल की है, उससे पता चलता है कि ९४.५ प्रतिशत उम्मीदवारो का काम पूरी तरह से सतोषजनक पाया गया। १.१ प्रतिशत उम्मीदवारो का काम सतोषजनक नही रहा और शेष ४.४ प्रतिशत की रिपोर्ट मध्यम दर्जे की रही।

नियुक्तियों में देर

१९५८-५९ में आयोग द्वारा चुने हुए बहुत-से उम्मीदवारो के नियुक्ति-पत्र जारी होने मे देर हुई। इनमे से कुछ उम्मीदवार शिल्पिक और वैज्ञानिक पदो के लिए थे। इनके नियुक्ति-पत्र जारी होने मे अधिक विलम्ब होने से इन लोगों का मिलना साधारणतया कठिन ही रहता है। अतः इस विलम्ब के कारण कुछ पदों पर नियुक्तियां नहीं हो सकी।

आयोग के प्रतियोगिता द्वारा चुनाव के तरीके से कुछ पदो के लिए उपयुक्त व्यक्ति नही मिले। १९५८-५९ मे २,११४ पदो के लिए प्रतियोगिता हुई। इनमे से ७२ पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति नही मिले। अध्यापन के अनुभव वाले उम्मीदवारो की भी काफी कमी है।

सेना के अवकाश-प्राप्त अफसर

इस वर्ष आयोग ने सेना के २२ अवकाश-प्राप्त अफसरो की असैनिक पदों पर नियुक्ति करने की सिफारिश की।

रिटायर होने वाले ३६६ अफसरो को फिर से नौकरी में रखने के बारे में आयोग की सलाह मांगी गयी। इनमें पिछले साल के भी ३६ मामले शामिल थे। आयोग ने इनमें से ३५१ अफसरों को फिर से नौकरी देने की सिफारिश की। इतने अधिक अफसरों को फिर से नौकरी देने की सिफारिश करने का मुख्य कारण यह है कि अनुभवी अफसरों, विशेषकर शिल्पिक अनुभव वाले पदों पर काम करने वाले अफसरों की कमी है।

अस्थायी नियुक्तियां

६८४ मामलों में आयोग इस बात पर राजी हुआ कि आयोग द्वारा उम्मीदवार चुने जाने तक मत्रालय इन पदो पर अस्थायी नियुक्तिया कर ले। इनके अलावा आयोग ने मत्रालयों के सुझाव पर ४६७ पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की नौकरी जारी रखने या नई नियुक्तिया करने के बारे मे भी सलाह दी।

आयोग ने १२३ व्यक्तियों को एक सेवा से दूसरी सेवा मे भेजने के प्रश्न पर सलाह दी। इनमे से ९४ ऐसे पद है, जिन पर निश्चित अवधि के लिए नियुक्तिया की गई थी या जिन पदों पर साधारण तरीके से नियुक्तिया नही की जा सकी।

अनुशासन की कार्रवाई के मामले

१९५८-५९ के शुरू में आयोग के पास अनुशासन की कार्रवाई सबधी ३८ मामले थे। इनके अलावा इस वर्ष ११६ और मामले आये। इन १५४ मामलों में से १२६ पर आयोग ने अपनी राय सरकार को भेज दी है। सरकार ने इनमे से ९५ मामलों पर, आयोग की राय के अनुसार आवश्यक आदेश दे दिये हैं। ३१ मामलों पर अभी आदेश जारी होने हैं।

शिक्षा मंत्रालय के कहने पर आयोग ने विदेशो में अध्ययन के लिए भारत सरकार की १२ छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़ी हुई जातियो के उम्मीदवार चुनने का काम अपने ऊपर लिया। ये छात्रवृत्तियां विशेषकर इजीनियरी, टेक्नालाजी, विज्ञान, डाक्टरी आदि के अध्ययन के लिए है। आयोग ने छात्रवृत्तियों के लिए विज्ञापन निकाला। ४३१ उम्मीदवारों ने अर्जियां भेजी। इनमे से १२९ को इटरव्यू के लिए बुलाया गया। १०४ उम्मीदवार इटरव्यू के लिये आए। इनमे से अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछडी हुई जातियो के ४-४ उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की गई।

संगठन तथा रीति विभाग की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट

भारत सरकार के भिन्न-भिन्न मन्त्रालयों और विभागों के काम मे पहले से और अधिक तेजी और कुशलता आयी है और बकाया काम मे भी पहले से कमी हुई है। इस दृष्टि से कम्पनी कानून प्रशासन विभाग, लोहे और इस्पात विभाग, पुनर्वास मत्रालय, नागरिक उडान के महानिदेशक के कार्यालय तथा डाक-तार के महानिदेशक के कार्यालय के कामकाज मे काफी सुधार देखने मे आया है। यह बात मत्रिमण्डल सचिवालय के सगठन तथा रीति विभाग की १९५८-५९ की रिपोर्ट में कही गयी है, जिसकी प्रतिया १८ दिसम्बर को लोकसभा और राज्यसभा में रखी गयी।

सगठन तथा रीति विभाग का काम विभिन्न मत्रालयों और विभागों में उन्ही के सगठन तथा रीति-अनुभागों के द्वारा होता है। १९५८-५९ में इन अनुभागों की सख्या ६० से ६६ तक रही। सरकारी कामकाज को तेजी और जिम्मेदारी से करने के लिए ये अनुभाग अपने-अपने मत्रालयों और विभागों में अफसरों से विचार-विमर्श, निरीक्षण और अन्य प्रकार के उपाय करते है। इस साल सगठन तथा रीति विभाग ने २,३८६ निरीक्षण किए। यह विभाग इस बात पर बराबर निगाह रखता है कि कहां कमी या बुराई है और उनको किस तरह

किया जा सकता है। किस काम में कितना समय लगा और किस तरह से वह काम और जल्दी किया जा सकता था, इस पर भी यह विभाग कड़ी नजर रखता है।

लोअर डिवीजन क्लर्कों का शिक्षण

इस वर्ष सचिवालय शिक्षण स्कूल (सेक्रेटेरियट ट्रेनिंग स्कूल) की सलाह से लोअर डिवीजन क्लर्कों को सरकारी कामकाज सिखाने के लिए एक सामान्य शिक्षा-क्रम तैयार किया गया और उसे सब मंत्रालयों के पास भेजा गया। पिछले साल १,१५१ क्लर्कों को शिक्षा दी गयी थी और इस साल भिन्न-भिन्न कार्यालयों और मंत्रालयों के १,९०० क्लर्कों को। इसके अलावा कुछ सेक्शन-अफसरों को भी काम आंकने (वर्क स्टडी) की विधियों की शिक्षा दी गयी।

केन्द्रीय मितव्यय मंडल के निर्णय के अनुसार संगठन तथा रीति विभाग ने शासन-व्यय में कमी करने के भी कुछ उपाय किये। मंत्रिमण्डल सचिव इस मण्डल के अध्यक्ष हैं और वित्त सचिव तथा संगठन व रीति विभाग के निदेशक इसके सदस्य हैं।

कागज और दूसरी चीजों की बचत करने के लिए कुछ चिट्ठियों के नीचे ही नोट देकर, दूसरी चिट्ठी नत्थी करने का रिवाज खत्म कर दिया गया। सरकारी विभागों द्वारा किये जाने वाले उत्सवों और समारोहों के निमंत्रणों में भी किफायत करने के सुझाव दिए गए। भारत सरकार के विभागों की पृथक टेलीफोन डायरेक्टरी छापनी बन्द कर दी गयी और मंत्रालयों से कहा गया कि वे अपने इस्तेमाल के लिए जो डायरेक्टरी तैयार करते हैं, उसकी प्रतियां ही एक-दूसरे को दे दिया करें। इस वर्ष छोटे अफसरों को कुछ और अधिकार देने पर जोर दिया गया और मंत्रालयों को कहा गया कि वे उन नियमों पर फिर से विचार करें, जिनके कारण छोटे-मोटे मामले भी ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों को भेजने पड़ते हैं। इन पर यदि नीचे के अधिकारी ही फैसला दे सकें, तो काफी काम बच जाएगा। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ मंत्रालयों ने कुछ नीचे के कार्यालयों के अध्यक्षों को अधिक वित्तीय और शासन सम्बन्धी अधिकार दे दिये हैं। बहुत-से मंत्रालयों ने संगठन तथा रीति विभाग के सुझाव पर अपने सेक्शन-अफसरों को पहले से अधिक अधिकार दे दिए हैं।

मितव्यय मण्डल ने यह आदेश दिया कि किसी भी मामले पर एक मंत्रालय में दो से अधिक अधिकारियों को नोट नहीं लिखना चाहिए। जो अनुभवी असिस्टेंट हैं, वे सीधे अपने ब्रांच अफसरों या डिप्टी-सेक्रेटरियों को कागज भेज सकते हैं। ऐसा करने से सेक्शन अफसरों को अपने देखभाल करने के मूल कार्य की ओर अधिक ध्यान देने का समय मिल सकता है।

स्वराष्ट्र मंत्रालय ने संगठन तथा रीति विभाग का कर्मचारियों को जल्दी अर्ध-स्थायी बनाने का सुझाव मान लिया है। राष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय की सलाह से इस वर्ष ऐसे तरीके सोचे गये, जिनके अनुसार उन पुराने सरकारी कागज-पत्रों को नष्ट किया जा सकता है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है।

पिछले साल वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में छोटे रूप में अलग-अलग चपरासी रखने की बजाय, सन्देशवाहक रखने की जो प्रणाली शुरू की गयी थी, उसे इस वर्ष, इस मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय, कृषि और सहकार विभाग तथा आयोजन आयोग में भी जारी किया गया। अन्य विभागों तथा मंत्रालयों में भी ऐसा ही करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में संगठन तथा रीति विभाग के प्रयत्न से निदेशों से सम्बन्ध रखने वाले काम को जल्दी निपटाने के बारे में विशेष अध्ययन किया गया और ऐसी तरकीबें बतायी गयीं, जिनसे इस काम में देर न लगे। खर्च में कमी करने और काम को अच्छी तरह करने के लिए परराष्ट्र मंत्रालय के पन्द्रह अनुभागों का पुनर्गठन किया गया; श्रम तथा नियोजन मंत्रालय में उद्योगों में काम सीखने की योजना की तरह कार्यालय में ही देखभाल की शिक्षा लेने की एक योजना शुरू की गयी। वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति मंत्रालय में इस बात का रिकार्ड रखा जाने लगा है कि अफसर ने स्वयं कितने मामलों का फैसला किया। इससे ऊंचे अफसरों के पास कम कागजात भेजे जाएंगे। अन्य मंत्रालयों ने भी कामकाज में गति और कुशलता लाने के प्रयत्न किये हैं।

अक्तूबर १९५९ में विशेष पुलिस संगठन का कार्य

भारत सरकार के विशेष पुलिस संगठन ने अक्तूबर १९५९ में ९४ मामले खुली जांच के लिए अपने हाथ में लिये। इन मामलों में फंसे लोगों में ८७ सरकारी कर्मचारी थे जिनमें से १७ गजेटेड अफसर थे।

सरकारी कर्मचारियों में रेलवे, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, आय कर विभाग और केन्द्र-शासित प्रदेशों के दो-दो और वाणिज्य एवं उद्योग, आयात, निर्माण और पूर्ति और श्रम मंत्रालयों, डाक-तार विभाग, हीराकुड बांध योजना, हिन्दुस्तान स्टील, कांडला बन्दरगाह, राष्ट्रीय बचत योजना और सेना का एक-एक कर्मचारी था। रेलवे के दो और टेलीफोन विभाग के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

इस महीने में १० सरकारी कर्मचारियों पर, जिनमें ४ गजेटेड अफसर भी थे, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और धोखा-देही का मुकदमा चलाया गया।

एक मामले में लाइट हाउस और लाइट शिप विभाग के एक इंजीनियर पर घूसखोरी का मुकदमा चलाया गया। एक और मामले में एक पशु-फार्म के उप-सहायक निदेशक पर सरकारी धन का गबन करने और आय से अधिक की सम्पत्ति रखने के अपराध में मुकदमा चलाया गया।

इसके अलावा ३३ मामले, जिनमें १० गजेटेड अफसर और ३९ अन्य सरकारी कर्मचारी फंसे हुए थे, उचित कार्रवाई के लिए सम्बद्ध विभागों को सौंप दिये गये।

जिन ४ सरकारी कर्मचारियों और ५ अन्य लोगों को सजाएं मिलीं उनमें से १ उत्तर रेलवे का विशेष टिकट निरीक्षक था जिसे अधिक भाड़ा वसूल करके पैसा खा जाने के अपराध में १ साल की कैद की सजा दी गयी।

१७ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जिनमें २ गजेटेड अफसर थे, विभागीय कार्रवाई की गयी। एक गजेटेड अफसर की पेंशन १०० रु० महीना घटा दी गयी। दूसरे गजेटेड अफसर

की निन्दा की गयी । ४ गैर-गजेटेड सरकारी कर्मचारियों में से १ बरखास्त कर दिया गया, २ को नौकरी से हटा दिया गया और १ की नौकरी खतम कर दी गयी । ६ सरकारी कर्मचारियों के ओहदे या तनख्वाह में कमी कर दी गयी और ५ अन्य को दूसरी सजाएं मिलीं ।

अर्ध-सरकारी दफ्तरों में हरिजन कर्मचारी

अनुविहित और अर्ध-सरकारी संस्थाओं और दफ्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी लगभग १५ प्रतिशत हैं । इन नौकरियों में इनके लिए १२॥ प्रतिशत कोटा निर्धारित है ।

कुछ समय पहले इस प्रकार का सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि ९५ अर्ध-सरकारी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के २०,००० से भी ज्यादा और अनुसूचित आदिम जातियों के १,३०० कर्मचारी काम कर रहे हैं । इन संस्थाओं के कुल कर्मचारियों की संख्या १,३६,००० है । इस प्रकार यह औसत करीब १४.८ प्रतिशत बैठता है, जो इन दफ्तरों के लिए निर्धारित कोटे से २ प्रतिशत ज्यादा है ।

कैण्टोनमेण्ट बोर्ड्स में सबसे ज्यादा, ६३.३ प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार हैं, जबकि सेण्ट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, करायकुडी, दक्षिण भारत, में सबसे कम, ०.९ प्रतिशत हैं । इंडियन लैक सेस समिति में सबसे ज्यादा ४७.७ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार हैं ।

खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में दो बार बैठने की अनुमति

अगस्त १९६० से नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी उम्मीदवार को केवल दो बार ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी ।

यह प्रतिबन्ध अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित आदिम जातियों के, विस्थापित तथा कुछ नौकरियों के लिए विभागीय उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । यह प्रतिबन्ध शिल्पिक तथा व्यवसाय विशेष की नौकरियों तथा विशेषज्ञों की भर्ती पर भी लागू नहीं होगा ।

लोक सेवा (भर्ती के लिए योग्यता) समिति ने यह सिफारिश की थी कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता को एक बार और अधिक से अधिक दो बार की परीक्षाओं से पूरी तरह से जांचा जा सकता है । समिति ने यह राय प्रकट की थी कि जो व्यक्ति पहली दो परीक्षाओं में सफल नहीं हो सका वह, उन दो परीक्षाओं के अनुभव से सम्भव है कि तीसरी बार की परीक्षा में सफल हो जाए । लेकिन यह सफलता उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं होगी ।

पाकिस्तान रेडक्रास कोष में भारत का अंशदान

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री दत्तात्रेय परशुराम करमरकर ने २१ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने पाकिस्तान की रेडक्रास सोसायटी को उसके हिस्से का अधिकांश रुपया अदा कर दिया है ।

मंत्री महोदय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूंजी के विनिमय का कोई समझौता न होने के कारण यह तय किया गया कि रेडक्रास कोष का उनके हिस्से का धन अवरुद्ध खाते में जमा कर दिया जाए । अतः ४५ लाख ४४ हजार ६०० रु० की हुंडिया पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी के अवरुद्ध खाते में, स्टेट बैंक आफ इंडिया, नयी दिल्ली, में जमा कर दी गयी ।

वित्त मंत्रालय ने इन हुंडियों पर ब्याज की भी सुविधा दी । इन हुंडियों पर ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ७ लाख ७२ हजार ३२८ रु० ब्याज हुआ । रेडक्रास कोष की पूंजी में पाकिस्तान के हिस्से का जो ५ लाख २९ हजार ६६ रु० शेष है, वह भी पाकिस्तान रेडक्रास सोसायटी के अवरुद्ध खाते में जमा किया जा रहा है ।

भारतीय रेडक्रास सोसायटी के कोष को भारत और पाकिस्तान में बांटने के लिए २२ अप्रैल, १९४८ को बैठक हुई थी । यह बटवारा इसी बैठक के निर्णयों के अनुसार किया गया है ।

प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

भारत के बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए ७ अक्तूबर, १९५९ से ८ दिसम्बर, १९५९ तक, प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में ६,६२,७४२ रु० जमा हुआ है । इसमें से २,३०,५८१ रु० पश्चिम बंगाल के बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए वहां के मुख्य मंत्री को भेजा गया है । इसके अलावा मुख्य मंत्री ने अपनी ओर से भी एक और कोष खोला है । इसमें भी बहुत-सा धन इकट्ठा हुआ है ।

यह सूचना प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रश्न के उत्तर में १० दिसम्बर को लोकसभा में दी ।

राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के राजनीतिक पीड़ितों को अब तक स्वराष्ट्र मंत्री के ऐच्छिक सहायता कोष में से ८ लाख रु० से भी ज्यादा के अनुदान दिए जा चुके हैं । यह सूचना एक प्रश्न के लिखित उत्तर में १ दिसम्बर को लोकसभा में स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्दवल्लभ पंत ने दी ।

उन्होंने बताया कि कुल राशि से दिल्ली में २ लाख ६४ हजार रु०, बम्बई में १ लाख ११ हजार रु०; उत्तर प्रदेश में ९४ हजार रु० और मद्रास में ७१ हजार रु० दिए गए ।

[प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्री को ३ लाख रु० दे दिए जाते हैं । इसमें से स्वराष्ट्र मंत्री अपनी इच्छानुसार उन लोगों को अनुदान देते हैं जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा की है । ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को भी यह सहायता दी जाती है जो जन-हित में वीरता या सार्वजनिक सेवा का काम करती हैं ।]

केरल के चुनावों में चिन्ह लगाकर मतदान

केरल में होने वाले आम चुनावों में मतपत्रों पर चिन्ह लगाकर मत देने की प्रणाली अपनायी जाएगी । पहले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग मतदान पेटियां होती थीं । नयी प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक-एक ही पेटी होगी । प्रत्येक मतदाता को एक मतदान पत्र दिया जाएगा, जिस पर प्रत्येक उम्मीदवार का नाम, दल का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होगा । इस पर उम्मीदवार के नाम अथवा चुनाव चिन्ह के आगे निशान लगाकर मत पेटी में डाल देना होगा ।

हवाई अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मन्त्री का वक्तव्य

लोकसभा में १ दिसम्बर को प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री कृष्ण मेनन ने कहा कि पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी, आसाम के कामरूप जिले और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के इलाकों पर अज्ञात विमानों के उडान करने की खबरें निराधार हैं। प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा कि जाच-पडताल के बाद सरकार अब यह कह सकती है कि पूर्वोत्तर इलाके के ऊपर किसी अज्ञात विमान ने उडान नहीं की है, भारतीय वायुसेना के विमानों ने सामान्य उडानें जरूर की है। प्रतिरक्षा मन्त्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि निगरानी के काम मे किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। अगर किसी विदेशी विमान ने हमारे इलाके पर उडान की तो सरकार यथोचित कार्रवाई करेगी।

मन्त्री महोदय ने कहा कि भारतीय प्रदेश पर बिना आज्ञा के उड़ान किये जाने की जो खबरें फैली हुई हैं उनका आधार ज्यादातर अखबारों की खबरें या अफवाहें हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र

संसद के दोनों सदन २२ दिसम्बर को अनिश्चित समय के लिए स्थगित हो गये। इस सत्र में लोकसभा की २७ और राज्यसभा की २२ बैठकें हुई।

लोकसभा में १७ विधेयक पेश किए गए, जब कि सत्र होने के पहले ही ८ विधेयक विचाराधीन थे। इनमें से १८ विधेयक पास हुए। मन्त्रियो ने १४ वक्तव्य दिये और ३,२०५ सवाल पूछे गये। इस सत्र में २७,८८८ दर्शकों ने सदन की कार्रवाई देखी।

राज्यसभा ने १५ विधेयक स्वीकार किये। ६२३ सवाल पूछे गये और ५,८१० दर्शकों ने सदन की कार्रवाई देखी।

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक

केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मन्त्री, डा० हुमायू कबीर ने १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का ७० फीसदी काम पिछले नवम्बर तक पूरा हो गया। मन्त्री महोदय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक स्मारक बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इस पर २७ अक्तूबर, १९५९ तक कुल ५,१५,८०० रु० खर्च हुआ है।

चुनाव न्यायाधिकरणों में उच्च न्यायालयों के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश

जन प्रतिनिधित्व कानून, १९५१ की धारा ८६ (३) के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९५७ से उच्च न्यायालयों के १४ अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश चुनाव न्यायाधिकरण के सदस्य नियुक्त किये जा चुके हैं। ३० सितम्बर, १९५९ तक चुनाव न्यायाधिकरणों पर कुल १,८०,०२० रु० खर्च हो चुके हैं। इसमें उन न्यायाधिकरणों का खर्च शामिल नहीं है, जिनके अध्यक्ष उच्च न्यायालयों के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश रह चुके हैं।

यह सूचना विधि उपमंत्री श्री रामचन्द्र मार्तंड हजारनवीस ने १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

नेपाल का संसदीय शिष्टमंडल भारत में

नयी दिल्ली में २२ दिसम्बर, १९५९ को नेपाल के संसदीय शिष्टमंडल ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों से भेंट की। नेपाली शिष्टमण्डल उन दिनों भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत के दौरे पर आया था।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने शिष्टमंडल को पंचवर्षीय योजनाओं के संगठन और प्रगति के बारे में बताया और शिष्टमण्डल के सदस्यों ने अधिक अनाज उपजाने और भूमि सुधार के कामों में विशेष रुचि दिखायी।

कम्बोडिया के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा

कम्बोडिया के प्रधान मन्त्री, राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक २७ दिसम्बर को कराची से विमान द्वारा नयी दिल्ली पधारे और २९ दिसम्बर को स्वदेश जाने के लिए उन्होंने नयी दिल्ली से कलकत्ता प्रस्थान किया। इस अवधि में उन्होंने प्रधान मन्त्री श्री नेहरू से बातचीत की और उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन से भी भेंट की।

हवाई अड्डे पर एक वक्तव्य मे राजकुमार सिंहनुक ने श्री नेहरू से अपनी बातचीत की चर्चा की और कहा कि हमने एक दूसरे की दिलचस्पी के कई विषयों पर विचार-विनिमय किया जिसमें घरेलू समस्याएं भी थी और अन्तर्राष्ट्रीय मामले भी। उन्होंने कहा कि श्री नेहरू के साथ एक बार फिर सभी मामलों पर मेरी पूर्ण सहमति थी।

भारत का पहला अणुशक्ति केन्द्र

भारत के पहले अणुशक्ति केन्द्र के लिए जगह का चुनाव करने के काम में काफी प्रगति हुई है। मार्च १९६० तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा। आजकल इस सम्बन्ध में जल विज्ञान और मिट्टी सम्बन्धी जो सर्वेक्षण किये जा रहे हैं, वे मार्च, १९६० तक समाप्त हो जाएंगे।

यह सूचना प्रधान मन्त्री ने १८ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस केन्द्र में २५० मेगावाट की एक अणु भट्टी लगायी जाए या १५० मेगा वाट की दो भट्टियां लगायी जाए। इस सम्बन्ध में योजना आयोग की सलाह से शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

फांसी की सजा की माफी

जुलाई १ से ३० नवम्बर, १९५९ की अवधि में २८ कैदियों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली गयी और एक की सजा घटायी गयी।

यह सूचना स्वराष्ट्र मन्त्रालय में मंत्री, श्री बलवन्त नगेश दातार ने एक प्रश्न के उत्तर में २२ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

सरकारी दफ्तरों में शनिवारों को काम के घंटे

१ जनवरी, १९६० से भारत सरकार के असैनिक कार्यालयों में शनिवार को भी काम के वही घंटे हुआ करेंगे, जो सप्ताह के अन्य दिनों में होते हैं। महीने के अंतिम शनिवार को कार्यालय बन्द रहा करेंगे।

यह सूचना २३ दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

भारत-पाकिस्तान वित्त वार्ता :

वित्त मंत्री का वक्तव्य

वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने १८ दिसम्बर को लोकसभा में ८ दिसम्बर से १३ दिसम्बर, १९५९ तक नयी दिल्ली में हुई भारत-पाक वित्त वार्ता के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुए बताया कि केन्द्रीय सरकार के हिसाब-किताब सम्बन्धी कुछ मुद्दे अभी साफ होने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि इन पर विचार करने के लिए इस महीने के आखिर में फिर बैठक करने का निश्चय किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस वार्ता की पहली बैठक गत अक्तूबर महीने में कराची में हुई थी। इसके सम्बन्ध में १९ नवम्बर को मैंने सदन में वक्तव्य दिया था। उस बैठक में जिन बातों पर विचार शुरू किया गया था उन्हीं पर पिछले हफ्ते की बैठक में भी विचार हुआ और बहुत से महत्वपूर्ण मामलों की अधिकांश बातों को तय किया गया।

वित्त मंत्री ने बताया कि जैसा मैंने पिछले वक्तव्य में भी कहा था यह बातचीत विभाजन के बाद के देने-पावने के मामलों को तय करने के बारे में हो रही है। मैं समझता हूं कि सदन इस वक्त यह नहीं चाहेगा कि इन बैठकों में जिन मामलों पर समझौता हुआ है या नहीं हुआ है, उनका मैं विस्तृत विवरण इस समय पेश करूं। यह बात तभी ठीक होगी जब वार्ता पूरी हो जाए और दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डल अपनी-अपनी सरकारों को रिपोर्ट पेश करदें तथा सरकार उन पर विचार कर चुके। इस बीच मैं यह सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि इन बैठकों के बारे में अखबारों में जो समाचार छप रहे हैं उनको प्रामाणिक न माना जाए।

इस प्रकार का एक वक्तव्य आज राज्य-सभा में भी दिया गया।

उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया कि १९५७ और १९५८ में तथा १९५९ के पहले ९ महीनों में व्यापारियों, छात्रों आदि को जो विदेशी मुद्रा दी गयी, वह इस प्रकार है :

(लाख रु० में)

	१९५७	१९५८	जनवरी-सितम्बर १९५९
व्यापारी	८७	९१	९६.५५
छात्र,	३१०	३४९	२११.८४
अन्य (सरकार द्वारा यात्रा पर तथा व्यापार और शिक्षा के लिए भेजे जाने के अलावा)	२६५	२७४	२९४.८२

उन्होंने बताया कि सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्यों को विदेश स्थित भारतीय दूतावासों की मार्फत उनके दैनिक भत्ते और वेतन का कुछ भाग दिया जाता है।

[illegible]

विदेशी व्यापार कम्पनियों द्वारा भारत से भेजा गया मुनाफा और लाभांश

वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में बताया कि विदेशी फर्मों और कम्पनियों तथा विदेशों द्वारा नियन्त्रित उन ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों ने जो भारत में व्यापार करती हैं, १९५८-५९ में मुनाफे और लाभांश के रूप में भारत से बाहर कुल ४८२.६ लाख रुपये भेजे। उन्होंने कहा कि यह आकड़े अभी पक्के नहीं हैं। वित्त मन्त्री महोदय ने यह भी बताया कि १९५७-५८ में ४००.५ लाख और १९५६-५७ में २७८.९ लाख रुपया बाहर भेजा गया।

मन्त्री महोदय ने विभिन्न देशों को भेजी गयी रकमों का जो विवरण दिया वह इस प्रकार है : ब्रिटेन को १९५६-५७ में ९१.९ लाख, १९५७-५८ में १७०.४ लाख और १९५८-५९ में ३४५.५ लाख रुपया भेजा गया। अमरीका को १९५६-५७ में १५४.८ लाख रुपया, १९५७-५८ में २१८.१ लाख रुपया और १९५८-५९ में १३० लाख रुपया भेजा गया। स्विटजरलैण्ड को १९५६-५७ में २०.२ लाख रुपये, १९५७-५८ में १.२ लाख रुपये और १९५८-५९ में ०.४ लाख रुपये भेजे गये।

इसके अलावा अन्य देशों को जो मुनाफा और लाभांश भेजा गया वह इस प्रकार है : १८५९ में ५.६ लाख रुपये, १९५७-५८ में १०.३ लाख रुपये और १९५६-५७ में १२ लाख रुपये। श्री देसाई ने यह भी बताया कि १९५५-५६ और १९५४-५५ में जो रुपया भेजा गया उसके आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय पर्यटकों के लिए विदेशी मुद्रा

केन्द्रीय सरकार भारतीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध में ढील देने पर विचार नहीं कर रही है। यह सूचना २२ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने दी और एक [illegible] के

अक्तूबर १९५९ में भारत का विदेशी व्यापार

कलकत्ता के वाणिज्य सूचना और अंक विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्तूबर १९५९ में जल, थल और हवाई मार्ग से निजी और सरकारी रूप में भारत के विदेशी व्यापार के कच्चे आकड़े इस प्रकार हैं :

व्यापारी माल

इसमें नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान के साथ स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार शामिल नहीं है। निर्यात—५९ करोड़ ५८ लाख रु०, पुनर्निर्यात—[illegible] लाख रु०, आयात—६५ करोड़ [illegible] लाख रु०। आयात के आकड़ों में उस सरकारी सामान का मूल्य शामिल नहीं है, जिसका हिसाब होना अभी बाकी है।

कोष

नोटों का निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)—१ करोड़ ८३ लाख रु०, [illegible] [illegible] (नोटों के सिवाय के [illegible]) [illegible]। नोटों का आयात—[illegible]

सोना—८ लाख रु०; चालू सिक्के (सोने के सिक्कों के अलावा)—१ लाख रु० ।

व्यापार तुला

व्यापारी माल और सोने का कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) आयात से ५ करोड़ ३७ लाख रु० कम रहा ।

राज्यों को विकास ऋण

वित्त उपमंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५८-५९ में विभिन्न राज्यों को विविध विकास-योजनाओं के लिए जो ऋण दिया गया है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश–४४ लाख ४० हजार रु०; विहार–१५ लाख रु०, बम्बई–२० लाख रु०; मध्य प्रदेश–४ लाख रु०; उड़ीसा–६५ लाख रु०; केरल–२३ लाख रु०; राजस्थान–१५ लाख रु०, उत्तर प्रदेश–३८ लाख रु० और मैसूर–६० लाख रु० ।

छोटी बचत योजना

लोकसभा में १७ दिसम्बर को वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि १९५८-५९ में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत कुल ७९ करोड़ ७० लाख रु० जमा किये गए । उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत १९५७-५८ में ७० करोड़ ७५ लाख रु० और १९५६-५७ में ६१ करोड़ ६४ लाख रु० जमा हुए थे। सन् १९५९ में अप्रैल से अक्तूबर तक ३१ करोड़ ६४ लाख रु० जमा हो चुके हैं ।

यह सूचना उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में दी । श्री देसाई ने कहा कि १९५८-५९ में सबसे ज्यादा—२३ करोड़ ७८ लाख रु० बम्बई में जमा हुए । प० बंगाल में १० करोड़ ४६ लाख रु० और उत्तर प्रदेश में ९ करोड़ ३० लाख रु० जमा हुए । १९५७-५८ में भी बम्बई में ही सबसे ज्यादा—१५ करोड़ ५१ लाख रु० जमा किये गए ।

इससे पहले १९५६-५७ में भी बम्बई में सबसे अधिक रुपये जमा हुए थे । उस वर्ष बम्बई में १६ करोड़ २४ लाख रु०, उत्तर प्रदेश में ९ करोड़ ४३ लाख रु० और पंजाब में ८ करोड़ ३ लाख रु० जमा हुए थे ।

यही नहीं, इस वर्ष अप्रैल से अक्तूबर तक की अवधि में भी बम्बई में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा—१२ करोड़ १० लाख रु०, जमा हो चुके हैं । प० बंगाल में ५ करोड़ ७७ लाख रु० और विहार में ४ करोड़ १९ लाख रु० जमा हो चुके हैं ।

कम्पनियों को पूंजी जारी करने की स्वीकृति

वित्त उपमंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने एक प्रश्न के उत्तर में २० दिसम्बर को बताया कि १९५७, १९५८ और १४ दिसम्बर, १९५९ तक ८८२ कम्पनियों को पूंजी जारी करने के लिए स्वीकृति दी गयी । इनमें से १८ को अधिक मूल्य पर हिस्सा पूंजी जारी करने के लिए स्वीकृति दी गयी ।

उन्होंने कहा कि अधिक मूल्य पर पूंजी जारी करने की स्वीकृति देने के लिए कोई खास नियम नहीं बनाए गए हैं । यह स्वीकृति प्रत्येक कम्पनी की स्थिति को देखकर दी जाती है, जैसे—उसके हिस्सों का क्या मूल्य है, उनका बाजार में क्या भाव है, कम्पनी कितना लाभांश देती है, कम्पनी की कितनी पूंजी है और वह कितनी पूंजी बढ़ाना चाहती है, आदि ।

पीली इकन्नी और पीला अधन्ना बंद

१ जनवरी, १९६० से पीली इकन्नियां और पीले अधन्नों का चलन बंद हो जाएगा और इसके बाद ये कानूनी सिक्के नहीं रहेंगे । लेकिन अगले छ: महीने तक याने ३० जून, १९६० तक ये सिक्के बैंक के सब कार्यालयों, सरकारी काम करने वाली रिजर्व बैंक के सब एजेंसी बैंकों तथा सभी ट्रेजरियों और सब-ट्रेजरियों में लिये जाएंगे । इतने समय तक ये सिक्के रेलवे के दफ्तरों तथा डाकघरों में भी लिये जाएंगे । छ: महीने बाद भी, अगला आदेश जारी होने तक, रिजर्व बैंक के सिक्का जारी करने वाले विभाग के दफ्तरों में ये सिक्के लिये जाएंगे ।

यह सूचना ३० दिसम्बर की एक प्रेस-विज्ञप्ति में दी गयी है ।

१९५९ में अगस्त तक जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोग

जीवन बीमा निगम ने सन् १९५९ के पहले ८ महीनों में कुल जितनी पूजी उद्योगों में लगायी, उसका ८८.९२ प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र में और ११.०८ प्रतिशत निजी क्षेत्र में लगाया गया । सन् १९५८ में सरकारी उद्योगों में ८६.५२ प्रतिशत और निजी क्षेत्र के उद्योगों में १३.४८ प्रतिशत पूंजी लगी हुई थी ।

यह सूचना केन्द्रीय राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री, डा० बी० गोपाल रेड्डी ने एक प्रश्न के उत्तर में २५ नवम्बर को राज्यसभा में दी ।

भारतीय बैंकों द्वारा आयात-निर्यात व्यापार में सहायता

१९५८ में भारतीय बैंकों ने आयात व्यापार के लिए लगभग २ अरब २० करोड़ ६० लाख रु० और निर्यात व्यापार के लिए २ करोड़ १ लाख ४० हजार रु० दिया । १९५७ में बैंकों ने आयात के लिए ३ करोड़ २५ लाख ६० हजार रु० और निर्यात के लिए २ करोड़ ४ लाख ५० हजार रु० दिया था ।

यह सूचना १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने दी ।

खांडसारी पर उत्पादन कर

२२ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में वित्त उपमन्त्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने बताया कि खांडसारी पर मिश्रित कर लगाने की योजना अभी विचाराधीन है । उन्होंने यह भी बताया कि १९५९ में नवम्बर के महीने तक खांडसारी से कुल मिला कर ७,३८,००० रुपया उत्पादन कर के रूप में उगाहा गया ।

योजना आयोग के नये सदस्य

योजना आयोग की १९ दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री ए० एन० खोसला को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपना कार्य-भार सम्हाल लिया है ।



दुर्गापुर इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्ठी का उद्घाटन

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २९ दिसम्बर, १९५९ को दुर्गापुर इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्ठी का उद्घाटन किया। यह कारखाना भारत सरकार और ब्रिटेन की फर्मों के सगठन के बीच एक समझौते के अन्तर्गत बनाया जा रहा है। इस धमन भट्ठी के चालू हो जाने से अब कारखाने में लोहा तैयार होना शुरू हो गया है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हर साल १० लाख टन इस्पात, ३ लाख ५० हजार टन लोहा, और अमोनियम सल्फेट, बेंजीन, एक्मीलीन, नेपथलीन, कोलतार आदि तैयार होगा।

राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में कहा :—

मेरा खयाल है कि लोगों को अभी इसका पूरा अहसास नही है कि इन इस्पात कारखानों का हमारे उद्योग और अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यों तो इसके बारे मे समय-समय पर समाचार पत्रों मे तथ्य छपते ही रहते है, परन्तु इसका असली महत्व तभी ठीक तरह से समझा जाएगा, जब इन कारखानों का लोहा और फिर इस्पात बाजार मे विकने लगेगा।

उद्योगों को बढ़ाने के लिए निर्णय करते समय यह भी विचार किया गया कि इसके लिए इस्पात का उत्पादन बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि सभी छोटे-बड़े उद्योगों में मुख्य रूप मे इस्पात की ही जरूरत पड़ती है। देश मे इस्पात तैयार करने मे सबसे अधिक सुविधा की बात यह है कि इसके लिए हमें खनिज लोहा और कोयला नजदीकी क्षेत्रों मे ही मिल जाता है।

जब देश मे तीनों इस्पात कारखानों में उत्पादन शुरू हो जाएगा, तब उससे देश की इस्पात की माग तो पूरी होगी ही, साथ ही हम उसका कुछ भाग विदेशों को भी भेज सकेगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम देश के उद्योगों की बुनियाद मजबूत बना रहे हैं।

दुर्गापुर में कई बार आया हू। यह स्थान बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र बनेगा। यह कलकत्ता के निकट है और यहा काफी मात्रा मे खनिज है। इसलिए इसे भारत का रूर कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में उद्योग बढ़ाने के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाना बहुत महत्वपूर्ण है।

मुझे बताया गया है कि इस कारखाने मे ३५,००० कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि १९६१ मे इस कारखाने के पूरी तरह से बन जाने के बाद भी यहां के कर्मचारियों की अधिक छटनी नही होगी। इस कारखाने की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहा लोहा और इस्पात बनने के अलावा, ऐसी अनेक अन्य चीजे भी बनेगी, जिनकी देश मे काफी माग है और जो देश के, और विशेषकर इस क्षेत्र के, उद्योगों को बढ़ाने मे बहुत सहायक होंगे।

इस सम्बन्ध मे समय-समय पर समाचार-पत्रों में अनेक तथ्य और आकड़े छपे है, फिर भी यहा कुछ का उल्लेख करना उचित होगा। दुर्गापुर कारखाने का रकबा २॥ वर्गमील होगा और इसे बनाने मे १० करोड़ पौण्ड खर्च होगा। इसके लिए ब्रिटेन की सरकार और बैंकों से कुछ रकम पौण्ड मे उधार लेने की व्यवस्था की गई है। जब कारखाना पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तब यहा १० लाख टन लोहा और इस्पात के अलावा अन्य चीजे भी तैयार होंगी। आज इसके निर्माण का पहला दौर पूरा हो गया है और आज से यहा देश के लिए, तथा निर्यात के लिए भी, लोहा बनने लगेगा। नजदीकी देशों में लोहे की माग काफी है। कारखाने का दूसरा दौर अप्रैल १९६० के अन्त मे पूरा होगा और १९६२ मे यह कारखाना पूरी तरह बन जाएगा। इस कारखाने का और इसमे लगने वाली मशीनों आदि की कुल तौल ४,५०,००० टन होगा। इसमें से अधिकाश इस्पात और मशीने आदि ब्रिटेन से आएगी।

इस कारखाने में ३५,००० कर्मचारी है, जिनमे से ३५० ब्रिटिश इंजीनियर और १५,००० भारतीय कारीगर, क्लर्क और दक्ष कर्मचारी है। यहा भारतीय कारीगरो को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा ब्रिटेन में लगभग ३५० भारतीय कारीगर ट्रेनिंग पा रहे हैं, जिन्हें कारखाने के विभिन्न विभागों में लगाया जाएगा।

मैं ब्रिटिश कम्पनी—इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि० (इस्कोन) को धन्यवाद देता हू, जिसने दुर्गापुर इस्पात कारखाना बनाने का बीड़ा उठाया है। इस कम्पनी में ब्रिटेन के अनेक विशेषज्ञ और कारीगर है। साथ ही यह ऐसी अनेक कम्पनियों को मिला कर बनाई गई है, जिन्हे ब्रिटेन के इस्पात उद्योग को आधुनिक रूप देने का श्रेय है। इस कम्पनी ने सभी प्रकार की मशीनें प्राप्त करने और उन्हे भारत भेजने तथा ब्रिटेन के इंजीनियरों और कारीगरों से शिल्पिक सहायता दिलाने का जिम्मा लिया है। मैं उन सभी को तथा भारतीय कर्मचारियों को धन्यवाद देता हू, जिन्होंने इस कारखाने का पहला दौर पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने यहा जो काम किया है, उसकी उन्हे खुशी होगी।

ब्रिटिश सरकार ने भी भारत के उद्योग बढ़ाने में दिलचस्पी ली है। यह दोनों देशों के सहयोग का प्रतीक है। मैं उसके सहयोग के लिए कृतज्ञ हू। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि हमारी इस खुशी मे शामिल होने के लिए ब्रिटेन के राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध के मंत्री और भारत में ब्रिटेन के स्थानापन्न उच्चायुक्त भी आये है।

भिलाई कारखाने की बिलेट मिल का उद्घाटन

केन्द्रीय इस्पात खान और ईंधन मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने २८ दिसम्बर को भिलाई इस्पात कारखाने की बिलेट मिल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रूस की आर्थिक सम्बन्ध [illegible] के [illegible], श्री एन० ए० [illegible] श्री [illegible] १५ दिसम्बर, १

सदस्यों के एक शिष्टमंडल के अध्यक्ष हो कर यहा आए थे।

बिलेट मिल के चालू होने से कारखाने के निर्माण का तीसरा और अन्तिम दौर शुरू हो गया है।

पहले दौर में, पिछली फरवरी में पहली धमन भट्ठी चालू की गयी थी और लोहा तैयार होना शुरू हुआ था। १२ अक्तूबर को २५० टन की क्षमता की खुली भट्ठी में इस्पात बनाना शुरू करके निर्माण का दूसरा दौर आरम्भ किया गया। ७ नवम्बर, १९५९ को ब्लूमिंग मिल चालू की गयी और अब बिलेट मिल चालू करके, कारखानों के लिए इस्पात की चद्दरें बनानी शुरू कर दी गयी है।

भिलाई इस्पात कारखाने में फिलहाल १० लाख टन इस्पात और ३ लाख टन लोहा बनाने की योजना है। जब कारखाना पूरी तरह चालू हो जाएगा, तब वहा ७ लाख ७० हजार टन रेल की पटरिया, बिलेट, इमारती सामान आदि बनाया जाएगा। कारखाना इस तरह बनाया गया है, जिससे वह बाद में बढाया जा सके और वहा पहले १३ लाख टन तथा बाद में २५ लाख टन इस्पात तैयार हो सके।

इसके अलावा वहा १ लाख से ३ लाख टन तक फाउण्डरी का लोहा भी तैयार किया जाएगा। वहा कोयले की गैस से लगभग ६० हजार टन अमोनियम सल्फेट, बेंजोल आदि भी बनाया जाएगा।

रासायनिक कारखाने

भिलाई कारखाने में दो रासायनिक कारखाने भी चालू हो गए हैं। गंधक का तेजाब बनाने के कारखाने मे हर साल १२,००० टन तेजाब बनाया जाएगा। यह कारखाना ५ दिसम्बर, १९५९ को चालू हो गया था। अमोनियम सल्फेट बनाने का कारखाना १५ दिसम्बर को चालू हुआ। वहा कोक भट्ठी की गैस से हर साल लगभग १६,३०० टन रासायनिक खाद तैयार की जाएगी।

भिलाई इस्पात कारखाना रूस सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत और रूस के बीच फरवरी १९५५ में एक समझौता हुआ था।

इस्पात मंत्री का संदेश

भिलाई इस्पात कारखाने की दूसरी धमन भट्ठी (ब्लास्ट फरनेस) चालू होने के अवसर पर इस्पात मत्री ने अपने सदेश मे कहा "भारत के इस्पात उद्योग के लिए १९५९ का वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष है। यह वर्ष समाप्त होने से पहले ही इस्पात के तीन सरकारी कारखानों मे उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारतीय उद्योगों के लिए जितना लोहा चाहिए वह भारत तैयार कर रहा है। उसके अलावा काफी मात्रा मे लोहा निर्यात भी होता है। वह दिन दूर नही जब भारत अपनी आवश्यकता के लायक इस्पात भी तैयार करने लगेगा। यह सब एक बडी कल्पना की शुरुआत है। तीसरी योजना मे और भी अधिक विकास होगा। भिलाई इस्पात कारखाने का विकास भी तीसरी योजना का महत्वपूर्ण कार्य होगा। हमे इस विस्तार पर बहुत हर्ष है। भारत को रूस से सहयोग भी निरन्तर मिलता रहेगा।" इस अवसर पर प्रधान मन्त्री ने भी एक सदेश भेजा जिसमे कारखाने मे काम करने वालों को बधाई दी गयी है।

लोहे के छोटे कारखानों की स्थापना

भारत सरकार ने निजी क्षेत्र में लोहे के ८ छोटे कारखाने खोलने के लिए लायसेंस दे दिये है। इनमें से तीन बम्बई मे, तीन मद्रास मे, तथा एक-एक उडीसा और बगाल में होगा। यह सूचना केन्द्रीय इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री, सरदार स्वर्णसिंह ने १६ दिसम्बर को राज्यसभा मे प्रश्नोत्तर के समय दी।

मन्त्री महोदय ने यह भी बताया कि कोयम्बटूर और बारबिल (उडीसा राज्य) मे एक-एक कारखाना चालू हो चुका है।

रॉल्सरायस इंजन-निर्माताओं से समझौता

ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त, श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित ने ३० दिसम्बर को रॉल्सरायस लिमिटेड के साथ एक करारनामे पर हस्ताक्षर किए। इसके अन्तर्गत यह कम्पनी भारत में रॉल्सरायस डार्ट इंजन बनायेगी।

ये इंजन ए वी आर ओ ७४८ ट्रान्सपोर्ट विमान पर लगाये जाएगे। ये विमान भी देश में ही बनाये जाएगे। देश मे डार्ट प्रोप-जेट काफी प्रसिद्ध है। भारतीय वायुसेना इसके दो वाइकाउट विमानों को १९५५ से चला रही है। इसके अलावा, इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के पास भी डार्ट इजन के वाइकाउट विमान है, जिन्हे वह १९५७ से सफलतापूर्वक चला रहा है।

बिजली के सामान का कारखाना : १९५८-५९ की रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार ने भोपाल के बिजली के भारी साज-सामान बनाने के कारखाने के दूसरे और तीसरे चरण पर जल्दी अमल करने का फैसला किया है। यह सूचना हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तीसरी अर्थात् १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

अधिकारियों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के इस कारखाने का उत्पादन बढाने की ऐसी योजना बनाए कि वहा प्रति वर्ष २५ करोड रुपये का माल तैयार हो सके।

विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण १९५७-५८ के अन्त में फैसला किया गया था कि इस कारखाने के उत्पादन का कार्यक्रम ३ चरणों मे बाट दिया जाए और प्रथम चरण का ही काम हाथ में लिया जाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी और चौथी पचवर्षीय योजनाओं मे बिजली की अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता जितनी बढ जाएगी उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि कारखाने का उत्पादन दुगना करने तथा इसकी क्षमता अधिकतम उचित सीमा तक बढाने के लिए दूसरे और तीसरे चरणों पर शीघ्र अमल किया जाए।

ट्रेनिंग

रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन के बढे हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग स्कूल में अप्रेण्टिसों की संख्या बढाई जाए। २४ महीने की ट्रेनिंग को १८ महीने की ट्रेनिंग करके अप्रेण्टिसों की संख्या दुगुनी करने का विचार है।

१५ सितम्बर, १९५९ को कारखाने में १,७४६ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

इसके अलावा, ब्रिटेन में भी १३८ आदमी प्रशिक्षण पा रहे हैं।

ट्रेनिंग स्कूल के लिए लगभग १ करोड़ रुपये के जिन मशीन-टूलों और साज-सामान की ज़रूरत थी उन्हें लगा दिया गया है। इन मशीनों का काफी हिस्सा बंगलौर की हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड से लिया गया है।

संयन्त्र और साज-सामान

रिपोर्ट में बताया गया कि इस कारखाने के प्रथम चरण के लिए जितनी मशीनों की आवश्यकता थी उनके ५० प्रतिशत के लिए आर्डर दिया जा चुका है। इन मशीनों का मूल्य लगभग २॥ करोड़ रुपये होगा। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए योजना-कार्य के अधिकारियों ने एक सर्वे करके यह पता लगाया कि देश में मशीन-टूलों की उत्पादन क्षमता कितनी है। अनुमान किया जाता है कि कुल जरूरत के लगभग २० प्रतिशत मशीन-टूल देश में ही उपलब्ध हो सकते हैं। पहले चरण में जितने बिजली के ओवर हेड ट्रैवलिंग क्रेनों की आवश्यकता होगी उनको तैयार करने का आर्डर एक प्रसिद्ध भारतीय फर्म को दे दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, हालांकि आरम्भ में उत्पादन थोड़ा ही होगा। सबसे पहले प्रशिक्षण कार्यशालाओं में स्विचगियर बनाये जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार जून १९६० में ट्रांसफारमरों का उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए।

भारतीय मानक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय मानक संस्था की १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि संस्था ने जो मानक निर्धारित किये, उन पर निर्माताओं और उपभोक्ताओं ने काफी अमल किया।

इस वर्ष संस्था ने १९६ मानक प्रकाशित किये। इनको मिलाकर अब तक कुल १,२१९ मानक प्रकाशित किये जा चुके हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के बढ़ते हुए उद्योगों और विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मानकों का बहुत महत्व है। संस्था के पास नये भारतीय मानक निर्धारित करने के लिए १९१ प्रार्थनापत्र आये हैं। काम बढ़ जाने के कारण मानक तैयार करने वाली शिल्पिक समितियों की संख्या भी ७०८ से बढ़कर ७९१ हो गयी है। इस वर्ष संस्था की सदस्यता में वृद्धि हुई और वह १,५१० से बढ़कर १,७६८ हो गयी।

इस वर्ष नयी दिल्ली में चौथा भारतीय मानक सम्मेलन हुआ। इसमें ८०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पिछले किसी भी मानक सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या इतनी नहीं रही है। पहली बार सम्मेलन में महिला संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी काफी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के बाद भारतीय मानक संस्था ने महिलाओं की एक सलाहकार समिति बनाई है, जो उपभोग्य वस्तुओं के, विशेषकर घरेलू उपयोग की वस्तुओं के, मानक तैयार करने तथा उन्हें अमल में लाने के बारे में सलाह देगी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष इस सलाहकार समिति की प्रधान हैं।

सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के परिणाम-स्वरूप ही हाल में एक भारतीय उपभोक्ता संघ भी बनाया गया है। ऐसी आशा है कि यह संघ लोगों को मानकों की उपयोगिता समझाने में सहायक सिद्ध होगा।

भारतीय मानक संस्था का पांचवां सम्मेलन

हैदराबाद में २८ दिसम्बर को भारतीय मानक संस्था का पांचवा सम्मेलन शुरू हुआ। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री एन० संजीव रेड्डी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, व्यापारी कम्पनियों, स्थानीय संस्थाओं, शिल्पिक और अनुसंधान संस्थाओं के ६०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें ५५ महिलाएं थीं। इस सम्मेलन में जापान और लेबनान के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इससे पहले किसी भी सम्मेलन में विदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था।

मानकों के अनुसार वस्तुएं बनाने, छोटे कारखानों के माल पर संस्था के प्रमाण-चिन्ह इस्तेमाल करने के लाइसेंस देने और दाशमिक प्रणाली के अनुसार मानक तैयार करने आदि पर सम्मेलन में विचार हुआ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने छोटे कारखानों से १९५८-५९ में इससे पिछले साल की तुलना में, चौगुना माल खरीदा। सरकार ने १९५८-५९ में निगम को २ करोड़ ५० लाख रु० से भी अधिक के माल के आर्डर दिये, जबकि १९५७-५८ में केवल ६२ लाख रु० के माल के आर्डर दिये थे। निगम यह माल सरकार को छोटे कारखानों से दिलवाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने १९५८-५९ से छोटे कारखानों से ११ और चीजें खरीदनी शुरू की हैं। इस समय सरकार छोटे कारखानों से २७ चीजें खरीदती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि रेल मण्डल भी छोटे कारखानों से माल खरीदने की योजना बनायेगा।

किश्तों पर मशीनें

निगम ने १९५६ में छोटे कारखानों के मालिकों को किश्तों पर मशीनें दिलाने की योजना चलाई थी। १९५८-५९ में इस योजना के अन्तर्गत कारखानों के मालिकों ने १ करोड़ रु० से भी अधिक मूल्य की १,२५६ मशीनें खरीदीं। इस योजना के फलस्वरूप अब छोटे कारखानों में हर साल ८० लाख रु० से अधिक का माल तैयार होने लगा है।

१९५८-५९ में इस योजना में कुछ सुधार किये गये हैं। अब मालिक शुरू में मशीन के मूल्य का केवल २० प्रतिशत मूल्य ही देंगे। इसके अलावा अब उनसे अगली किश्त छः महीने की बजाय एक साल के बाद ली जाएगी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम देश में ऐसी मशीनें बनाने का प्रबन्ध कर रहा है, जो अभी विदेशों से मंगाई जाती हैं।

निर्यात

१९५८-५९ में निगम ने रूस, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी को लगभग ३० लाख रु० के जूते भेजे। अब निगम विदेशों को खेल का सामान, बनियाइन, मोजे आदि, रस-रोगन, ... आदि भी भेजने के लिए प्रयत्नशील है।

नमूने के लिए मशीनें

रिपोर्ट में बताया गया है कि ओखला में, पश्चिम जर्मनी की सहायता से नमूने की मशीनें बनाने और ट्रेनिंग देने के लिए जो केन्द्र खोला जा रहा है, उसके लिए इस साल के अन्त तक सारा सामान पहुच जाएगा। राजकोट में अमरीका की सहायता से जो केन्द्र खोला जा रहा है, उसके लिए वहा कुछ विभाग स्थापित किये जा चुके हैं।

१९५८-५९ में निगम ने कलकत्ता में इसी प्रकार का केन्द्र खोलने के लिए जापान सरकार से और गुण्डी (मद्रास) में खोलने के लिए फ्रास सरकार से बातचीत की है।

क्या आप जानते हैं ?

भारत में औद्योगिक बस्तियां

- दूसरी योजना में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सी औद्योगिक बस्तियां बनायी हैं। औद्योगिक बस्तियां ऐसे स्थानों में स्थापित की जाती हैं, जहा छोटे उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं मिल सकें।

- केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को औद्योगिक बस्तियां बसाने का पूरा खर्च ऋण के रूप में देती है। राज्य सरकारें जमीन लेकर उसका सुधार करती हैं तथा सड़कें और कारखानों की इमारतें बनाती हैं। ये इमारतें छोटे उद्योगपतियों को किराये या किश्तों पर दे दी जाती हैं या बेच दी जाती हैं।

- दूसरी योजना में इस कार्यक्रम के लिए धन राशि १० करोड़ रु० से बढ़ाकर १५ करोड़ रु० कर दी गयी है।

- अब तक ३१ औद्योगिक बस्तियां पूरे तौर से बसायी जा चुकी हैं और ६५ का निर्माण हो रहा है। इन पर कुल ११ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। इनमें ३,६०० कारखाने होंगे और ५०,००० मजदूरों को काम मिलेगा।

- इनमें २० औद्योगिक बस्तियां देहात में बनेंगी और ९ आजमाइशी सामुदायिक विकास क्षेत्रों में। नयी दिल्ली की ओखला औद्योगिक बस्ती देश की सबसे बड़ी बस्ती है।

- इन औद्योगिक बस्तियों के दो उद्देश्य हैं। छोटे उद्योगों को घनी आबादी के शहरी क्षेत्रों से हटाने से आबादी का बोझ हल्का होता है। दूसरे छोटे उद्योगों को रियायती किराये पर कारखाना बनाने को ऐसा स्थान मिल जाता है, जहा आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।

- औद्योगिक बस्तियों से छोटे उद्योगों के नियोजित विकास में सहायता मिलती है। गंदी बस्तियों की सफाई की समस्या हल होती है और छोटे औद्योगिकों में सहकारिता की भावना पैदा होती है।

भारत और पूर्व जर्मनी के मध्य नया व्यापार समझौता

जर्मन लोक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल के नेता, श्री एरिक रेनीमेन और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के संयुक्त सचिव, श्री खिलनानी के मध्य १८ दिसम्बर को नयी दिल्ली में व्यापार और अदायगी से सम्बन्धित कागज-पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। यह नया व्यापार समझौता १ जनवरी, १९६० से ३ वर्ष के लिए लागू होगा। पिछले व्यापार समझौते की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ तक थी।

नयी व्यवस्था के अन्तर्गत सब वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक लेन-देन की अदायगी अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में होगी और व्यापार उच्चतर स्तर पर सन्तुलित आधार पर होगा।

भारत पूर्व जर्मनी को लोहा, खनिज, मैंगनीज, चाय-काफी, मसाले, काजू, कपड़ा और तैयार कपड़े के अलावा जूट का सामान, दस्तकारी का सामान, खेल-कूद का सामान, डिब्बे बन्द फल और फलों से बना सामान, जूते, ऊनी और रेशमी कपड़े, प्लाईवुड और रेफ्रीजरेटर आदि भेजेगा।

इसके बदले में जर्मन लोक गणराज्य भारत को मुख्यत ये सामान देगा : मशीनें, जैसे सूती कपड़े की मशीनें, स्वचालित कर्घे, छपाई के काम आने वाली मशीनें, मशीन-टूल, आदि ; तथा कच्ची फिल्में, रासायनिक खाद और सूक्ष्म यन्त्र आदि।

इस नये व्यापार समझौते के अन्तर्गत दोनों देशों का व्यापार काफी बढ़ जाएगा।

डालर क्षेत्र से आयात

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की १८ दिसम्बर को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार डालर क्षेत्र से आयात पर प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर अर्से से विचार कर रही थी और अब उसका खयाल है कि पूंजीगत सामान को छोड़ कर गैर-डालर क्षेत्र से ही माल मगाने का प्रतिबन्ध आवश्यक नही रह गया है। १८ दिसम्बर को प्रकाशित आयात व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी सार्वजनिक नोटिस में आयातकों को यह इजाजत दे दी गयी है कि वे सुलभ मुद्रा क्षेत्र के लिए अपने लायसेंस के पूरे मूल्य की चीजें, पूंजीगत माल को छोड़ कर डालर क्षेत्र से मगा सकते हैं। इसके फलस्वरूप आयात के मामले में अब डालर क्षेत्र और सुलभ मुद्रा क्षेत्र में भेद नही रह गया है।

कम मूल्य के पूंजीगत सामान को छोड़ कर अन्य पूंजीगत सामान के आयात पर विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को देखते हुए अभी यह नियन्त्रण रखने की जरूरत है कि किस देश या किन देशों से माल मगाया जाए। अत: पूंजीगत सामान के लिए जारी किये गये आयात लायसेंसों पर उस देश या उन देशों के नाम अंकित होंगे जहा से माल मगाया जा सकता है।

इंजीनियरी के सामान के निर्यात में वृद्धि

पिछले साल की तुलना में १९५९ के पहले दस महीनों में इंजीनियरी के सामान का निर्यात काफी बढ़ा है। इस अवधि में ४ करोड़ ७० लाख रु० का सामान निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल ३ करोड़ २५ लाख रु० का निर्यात हुआ था। इसमें लोहे के ढोंके शामिल नही हैं। यह वृद्धि सभी प्रमुख क्षेत्रों में हुई है।

इस साल विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में जो वृद्धि हुई है, उसमें बिजली के पंखों का निर्यात ६८ प्रतिशत, सिलाई मशीन का १०८ प्रतिशत, डीजल इंजन का ९८ प्रतिशत, सूती कपड़े की मशीनों का निर्यात ३९२ प्रतिशत बढ़ा। इनके अतिरिक्त पानी के हाथ-पम्प, तेल कारखानों की मशीनों और कैंचो, छुरी इत्यादि का भी निर्यात बढ़ा है।

अफ्रीका और एशिया के पुराने बाजारों के अलावा, ब्रिटेन और अमरीका जैसे औद्योगिक देशों में भी नियमित व्यापार चल रहा है। मिसाल के तौर पर, ब्रिटेन को इस समय सिलाई की मशीनें और डीजल इंजन काफी संख्या में भेजे जाते हैं। सिलाई मशीनों के कुल निर्यात का ३७ प्रतिशत ब्रिटेन को भेजा जाता है, जो सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा अमरीका, बेल्जियम और कनाडा को भी सिलाई मशीनें भेजी जाती हैं।

गोआ सीमा पर घड़ियों की तस्करी

सरकार को सूचना मिली है कि गोआ सीमा पर घड़ियों का तस्कर व्यापार होता है और दमन से बम्बई को घड़ियां भेजी जाती हैं। १९५९ में १ जनवरी से अक्तूबर के अन्त तक ६९,८०० रु० की घड़ियां जब्त की जा चुकी हैं।

यह सूचना १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त उपमंत्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि इस तस्करी को रोकने के लिए समय-समय पर सरकार कारवाई करती रहती है जिसमें से कुछ मुख्य कारवाइयां इस प्रकार हैं —

(१) पुलिस और सीमा सुरक्षा कर्मचारियों की सहायता से सीमा शुल्क अधिकारियों ने समुद्र तट पर और भारत-गोआ सीमा पर ज्यादा निगरानी रख दी है।

(२) खुफिया रूप से तस्करी की सूचना प्राप्त करने और इस सूचना के आधार पर तस्करी रोकने के तरीकों में सुधार किया गया है।

(३) सीमा शुल्क सम्बंधी कानून और कड़े कर दिए गए हैं और सजा भी कड़ी कर दी गयी है।

सोने का तस्कर व्यापार

वित्त उपमंत्री, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने २२ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि देश में चोरी-छिपे सोना लाने की रोकथाम के लिए रिजर्व बैंक ने पश्चिम एशिया में चलाने के लिए जो विशेष नोट जारी किये हैं, उनसे सोने के तस्कर व्यापार में कमी हुई है। श्रीमती सिन्हा ने कहा कि तस्कर व्यापार के लिए विदेशों में सोना खरीदने में भारतीय नोटों के अलावा अन्य साधनों का भी प्रयोग होता है, जिसकी रोकथाम करना बहुत कठिन है। पर इधर सोने के तस्कर व्यापार में विशेष वृद्धि होने का कोई समाचार नहीं मिला है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्रीमती सिन्हा ने बताया कि अक्तूबर १९५८ के बाद से सोने की जो कीमत बढ़ी है, उसका एक कारण यह भी समझा जाता है कि बाहर से चोरी-छिपे सोना लाने में कमी हुई है।

एक तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीमती सिन्हा ने कहा कि यह समाचार मिलने पर कि बम्बई के एक व्यक्ति के पास अदन से डाक द्वारा लिफाफों में सोने का चूरा आता है, बम्बई के सीमाकर अधिकारियों ने उसके मकान की तलाशी ली। तलाशी में तीन लिफाफों में १-१ तोला सोने का चूरा निकला। इन लिफाफों के मिलने के तुरन्त बाद विदेशी डाक देखी गयी, जिसमें १-१ तोले सोने के चूरे वाले २१ लिफाफे मिले।

जापान को नमक का निर्यात

भारत सरकार का जापान को बड़ी मात्रा में नमक निर्यात करने का इरादा है। १९६० की जनवरी से मार्च, १९६१ तक जापान को ४॥ लाख टन नमक भेजा जाएगा। इसकी कीमत २० शिलिंग प्रति लाख टन होगी। यह नमक राज्य व्यापार निगम और जापान के व्यापारियों में हुए करार के अनुसार निर्यात होगा। इसके अलावा भारतीय व्यापारी भी इस अवधि में १३ लाख टन नमक भेजने का सौदा कर चुके है। इस प्रकार कुल ५८ लाख टन नमक का जापान को निर्यात होगा। देश में अपनी आवश्यकता से १० लाख टन अधिक नमक तैयार होता है। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १७ दिसम्बर को राज्यसभा में दी।

सूती तौलियों पर उत्पादन कर की छूट

भारत सरकार केन्द्रीय उत्पादन कर नियमावली १९४४ के नियम १९१-ए के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाले ऐसे सामान पर उत्पादन कर की छूट देती है, जो विदेशों से मंगाया जाता है। सरकार ने यह छूट अब सूती तौलियों (नेपकिन) में काम आने वाले विदेशी सामान पर भी देने का निर्णय किया है। यह छूट पहले ही तैयार वस्त्रों, तम्बुओं, चीनी की बनी चीजों, सूती थैलों, छातों, चद्दरों, तकिए के गिलाफों, मेजपोशों और अनेक अन्य वस्तुओं पर दी जाती है।

सरकार ने नियम १९१-बी के अन्तर्गत, इस शर्त पर सूती तौलिए बनाने की इजाजत देने का भी निर्णय किया है कि वे निर्यात किये जाए।

अक्तूबर १९५९ में खनिज लोह का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय की सूचना के अनुसार अक्तूबर १९५९ में, भारत में खनिज लोह का उत्पादन ७,१९,००० मीट्रिक टन हुआ।

१९५९ के आरम्भ से लेकर अब तक ६३,८६,००० मीट्रिक टन खनिज लोह निकाला जा चुका है। १९५८ में इस अवधि तक ५०,३६,००० मीट्रिक टन खनिज लोह निकाला गया था। इस हिसाब से इस वर्ष खनिज लोह के उत्पादन में २७ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सबसे अधिक खनिज लोह बिहार तथा उड़ीसा की खानों से निकाला गया। इन दोनों स्थानों से क्रमशः २,७७,००० और [illegible] मीट्रिक टन खनिज लोह निकाला गया। इसके अतिरिक्त मैसूर से १,०३,०००, बम्बई में २७,००० और मध्य प्रदेश से १८,००० मीट्रिक टन खनिज लोह निकाला गया।

इस महीने लोहे तथा इस्पात कारखानों को ५,०४,००० मीट्रिक टन खनिज लोह भेजा गया और १,६१,००० मीट्रिक टन खनिज लोह निर्यात किया गया।

भारत में क्रोमाइट का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार जनवरी-सितम्बर १९५९ में कुल ६५[illegible] मीट्रिक टन क्रोमाइट का उत्पादन [illegible]

पिछले वर्ष की इसी अवधि में ४८,८२४ मीट्रिक टन क्रोमाइट का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष ३४ प्रतिशत अधिक क्रोमाइट का उत्पादन हुआ।

सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में हुआ जहां ५९,९०६ मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया। बिहार में ५,२५५ और मैसूर राज्य में ३९२ मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया।

छोटे कारखानों की रजिस्ट्री

देश में बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों का भी विकास करने के लिए भारत सरकार ने छोटे कारखानों के कर्मचारियों और उत्पादन के आंकड़े इकट्ठे करने का निश्चय किया है। छोटे कारखानों के मालिकों को इस काम के लिए आवश्यक सूचना देने को कहा गया है। उन्हें राज्यों के उद्योग निदेशकों और लघु उद्योग सहायक संस्थाओं के कार्यालयों में अपने कारखाने रजिस्टर कराने को भी कहा गया है।

रजिस्टर होने के बाद छोटे कारखानों को सरकार से आर्थिक सहायता और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से किस्तों पर मशीनें खरीदने में बहुत आसानी होगी। इससे इन कारखानों को कच्चा माल और विदेशों से मंगाए हुए मशीनों के पूर्जे आदि खरीदने में भी आसानी होगी।

यूरोपियनों द्वारा चाय बागानों की बिक्री

वित्त मंत्री ने १ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय बताया कि इस साल कुछ यूरोपियनों ने भारत के अपने कुछ चाय बागान बेचे हैं। बिक्री से मिलने वाली रकम को बाहर भेजने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन बागों को बेचने के लिए नहीं। रिजर्व बैंक की अनुमति से १ जनवरी, १९५९ से ३० सितम्बर, १९५९ तक ३४ लाख ६० हजार रु० ब्रिटेन को भेजा जा चुका था। यह रकम चाय-बागों की बिक्री की ही थी।

अमरीका के वाणिज्य मंत्री दिल्ली में

अमरीका के वाणिज्य मंत्री, श्री फ्रेडरिक एच० म्यूलर ३ दिन की भारत यात्रा पर १७ दिसम्बर को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो, वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीशचन्द्र तथा भारत में अमरीका के राजदूत श्री एलस्वर्थ बंकर ने उनका स्वागत किया।

हाई वैक्यूम विधि की ट्रेनिंग

नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में १८ जनवरी, १९६० से हाई वैक्यूम विधि (हवा निकालने के तरीके) की तीन सप्ताह की ट्रेनिंग शुरू हुई। यह ट्रेनिंग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और यूनेस्को की ओर से हो रही है और इसमें अफगानिस्तान, बर्मा, लंका, नेपाल, पाकिस्तान तथा भारत के २० शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं।

ट्रेनिंग के निदेशक, क्वीन्सलैंड (आस्ट्रेलिया) विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के रिसर्च प्रोफेसर ए० रेमन हैं और लीवरपूल विश्वविद्यालय के बिजली इंजीनियरी के वरिष्ठ लेक्चरर डा० जे० एच० लीक तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के शिक्षक उनकी सहायता कर रहे हैं।

ट्रेनिंग के अन्तर्गत, विज्ञान और उद्योग में हाई वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके बताये जाएंगे और हवा निकालने के पम्प (वैक्यूम पम्प), हवा का दबाव नापने के यंत्र (प्रेशर मेजरमेंट गेज) आदि के बारे में बताया जाएगा।

पाइराईट से गंधक बनाने का फैसला

भारतीय खान कार्यालय की रिपोर्ट पर देश में पाइराईट से गंधक बनाने का निश्चय कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार में अमजोर में पाइराईट की खानों में पाइराईट काफी है। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १८ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

श्री शाह ने यह भी बताया कि नार्वे की एक फर्म से बातचीत करके यह अनुमान लगा लिया गया है कि गंधक बनाने पर क्या खर्च बैठेगा। फर्म का एक विशेषज्ञ पाइराईट की खानों के स्थान को भी देख चुका है, ताकि इसके निकालने आदि के बारे में विस्तार से रिपोर्ट तैयार की जा सके। यह रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। आजकल देश में प्रतिवर्ष लगभग १.१ लाख टन से १.२ लाख टन तक गंधक काम आती है और यह सारी की सारी विदेशों से मंगानी पड़ती है।

एन्थ्रासीन तेल से कार्बन ब्लैक

ईंधन अनुसन्धान संस्था, जलगोरा (बिहार) में कुछ परीक्षण किए गए, जिनसे पता चला है कि एन्थ्रासीन तेल की छाछ से कार्बन ब्लैक बनाया जा सकता है। यह तेल कोलतार गरम करने से बनता है। अनुमान है कि १९६०-६१ तक इस्पात कारखानों की कोक भट्ठियों से लगभग २५ हजार टन एन्थ्रासीन तेल निकलने लगेगा।

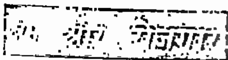
आशा है १९६०-६१ तक देश में १२ हजार टन कार्बन ब्लैक की मांग होगी, जब कि आजकल केवल १,२०० टन कार्बन ब्लैक ही बनता है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था में कार्बन ब्लैक बनाने के परीक्षण करने के संबंध में आजमायशी तौर पर एक मशीन लगाई जा रही है, जहां प्रतिदिन १ हंडरवेट कार्बन ब्लैक बन सकेगा।

यह पदार्थ रबड़ की चीजें, छपाई आदि की स्याहियां, रोगन, कार्बन पेपर, ग्रामोफोन रिकार्ड आदि बनाने के काम में इस्तेमाल होता है। उक्त लेख में यह भी बताया गया है कि तपेदिक रोग की एक दवाई बनाने में भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल हो सकता है।

मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स के बारे में जांच

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में भीलवाड़ा (राजस्थान) की टेक्सटाइल मिल्स लि० के प्रबन्ध आदि के बारे में जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की घोषणा की गयी है। उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन सरकार को ऐसी समिति बनाने का अधिकार है।

समिति के अध्यक्ष, संसद सदस्य, श्री जी० डी० सोमानी और सदस्य सर्वश्री एम० एम० रामनाथ और एम० एम० यूसुफ हैं।



खान मजदूर हितकारी संगठन की वार्षिक रिपोर्ट

मजदूर हितकारी संगठन की १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष खान मजदूरों के लिए संगठन ने डाक्टरी चिकित्सा की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की, मकान बनाने के लिए अधिक अनुदान और ऋण दिये तथा मजदूरों के बच्चों के लिए ज्यादा संख्या में छात्रवृत्तियां दी। संगठन की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है।

[इस संगठन की स्थापना १९४७ के खान मजदूर हितकारी निधि अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है। इसका उद्देश्य खान मजदूरों की भलाई के काम करना है।] मजदूरों की भलाई के निधि के लिए खानों से बाहर भेजे जाने वाले कोयले तथा कोक पर प्रतिटन ३७५ नये पैसे के हिसाब से कर लिया जाता है। इस वर्ष इस कर से निधि में १ करोड़ ७३ लाख ८३ हजार ४५३ रु० जमा होने की आशा है। यह राशि पिछले वर्ष प्राप्त हुई राशि से २२ लाख ६० हजार रु० अधिक है।

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष २,१५३ मकान बनाये गये। मकान बनाने के लिए ऋण और सहायता देने की योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के ४,०३७ प्रार्थना-पत्र खान मजदूर मकान मण्डल ने स्वीकार किये। इनमें से १,८०४ मकान तैयार हो चुके हैं। खान मजदूरों की रिहायश का प्रबन्ध करने की नयी योजना के अन्तर्गत भी मकान बनाये जा रहे हैं। १९५८-५९ के अन्त तक खान मजदूर मकान मण्डल ने १०,८७९ मकान मजदूरों को अलाट किये।

चिकित्सा सुविधाएं

धनबाद के केन्द्रीय अस्पताल और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पताल में रोगी शैयाओं की संख्या बढ़ा कर २५० कर दी गयी। अस्पतालों में तपेदिक के मरीजों के लिए रोगी शैयाएं बढ़ाई गई। आसनसोल तथा धनबाद दोनों ही अस्पतालों में १००-१०० रोगी शैयाओं के अलग तपेदिक कक्ष बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के जिन खान मजदूरों को तपेदिक के अस्पतालों में दाखला नहीं मिल सका उन्हें घर पर ही इलाज कराने के लिए सुविधाएं दी गयीं। घर पर इलाज की सुविधाएं देने की योजना के अन्तर्गत संगठन मजदूरों के मुफ्त इलाज, अच्छे भोजन के लिए सहायता तथा परिवार में केवल एक ही कमाने वाला होने पर उसके आश्रितों को अधिक से अधिक ५० रु० महीने तक का भत्ता देता है। इस योजना से करीब ३०० रोगियों ने लाभ उठाया।

तेतुलमारी के कुष्ठ अस्पताल में १५ अगस्त, १९५८ से १० रोगी शैयाओं का अतिरिक्त वार्ड खोला गया। संगठन की ओर से कोढी खान मजदूरों के इलाज के लिए ४६ रोगी शैयाएं हैं।

जिन खान मालिकों ने मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए अस्पताल खोले हुए हैं उन्हें अस्पतालों में सुधार करने के लिए सहायता देने की इस वर्ष नयी योजना शुरू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत अस्पतालों को ६०,००० रु० का ऋण दिया गया।

बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं

खान कर्मचारियों के लड़कों तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए खान मजदूर निधि की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत २० रु० महीना अनुदान दिया जाता है। उच्च शिल्पिक शिक्षा के लिए यह अनुदान ३० रु० महीना है। इस वर्ष छात्रवृत्तियों की संख्या ५० से बढ़ाकर ७५ कर दी गयी। शिल्पिक शिक्षा के लिए २२ छात्रवृत्तियां दी गयीं। इसके अतिरिक्त पुनर्संस्थापन और रोजगार महानिदेशालय की योजना के अतर्गत सिलाई की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ट्रेनिंग पाने वाले खान मजदूरों के लड़कों तथा लड़कियों को ५० छात्रवृत्तियां भी दी गयीं।

खान मजदूरों की विधवाओं तथा दुर्घटनाओं में मरे खान मजदूरों के पढ़ने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ३५ हजार ३४० रु० दिये गये। सहायता पाने वालों में १४२ विधवाएं तथा ७ बच्चे थे। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधवा को २ वर्ष तक प्रति मास १० रु० की वृत्ति और मृत कर्मचारी के प्रत्येक बच्चे को ३ वर्ष तक ५ रु० महीना छात्रवृत्ति दी जाती है।

चिनाकुरी खान दुर्घटना (१९ फरवरी, १९५८) में मरे मजदूरों की विधवाओं तथा आश्रित स्त्रियों को विशेष रूप से खोले गये केन्द्र में सिलाई की शिक्षा दी गयी। इन कलाओं के लिए आर्थिक व्यवस्था, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हुए दानों से की गयी। १५ स्त्रियों ने सिलाई के इस पाठ्यक्रम में भाग लिया, जिन्हें ३० रु० महीना वृत्ति दी गयी। उन्हें सिलाई की एक मशीन भी दी गयी।

कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल जांच समिति की रिपोर्ट

भारत सरकार ने कलकत्ता गोदी कर्मचारी (नौकरी के नियम) योजना, १९५६ की समीक्षा करने के लिए जो एक सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की थी, उसने सिफारिश की है कि कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल के संचालन संगठन को मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि उसने मण्डल के अधिकारियों की अवहेलना की है और बार-बार अवैधानिक ढंग से काम किया है।

समिति ने सिफारिश की है कि वर्तमान संचालन संगठन का काम उपाध्यक्ष को सौंप दिया जाए और वही योजना के अनुच्छेद ५ (१) के अन्तर्गत संचालन संगठन बनाए।

यह जांच समिति मई में नियुक्त की गयी थी और इसके एकमात्र सदस्य श्रम और नियोजन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आर० एल० मेहता थे।

कलकत्ता गोदी कर्मचारी (नौकरी के नियम) योजना १९५६ में लागू हुई थी। इसे चलाने के लिए त्रिदलीय गोदी मजदूर मण्डल बनाया गया था और मण्डल के निर्णयों को अमल में लाने तथा दैनिक कार्य करने के लिए इसके अधीन एक संचालन संगठन नियुक्त किया गया था। योजना में यह भी कहा गया था कि गोदी के मजदूरों और मालिकों को रजिस्टर किया जाए। मजदूरों को दो श्रेणियों

पिछले वर्ष की इसी अवधि में ४८,८२४ मीट्रिक टन क्रोमाइट का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष ३४ प्रतिशत अधिक क्रोमाइट का उत्पादन हुआ।

सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में हुआ जहां ५९,९०६ मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया। बिहार में ५,२५५ और मैसूर राज्य में ३९२ मीट्रिक टन क्रोमाइट निकाला गया।

छोटे कारखानों की रजिस्ट्री

देश में बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों का भी विकास करने के लिए भारत सरकार ने छोटे कारखानों के कर्मचारियों और उत्पादन के आंकड़े इकट्ठे करने का निश्चय किया है। छोटे कारखानों के मालिकों को इस काम के लिए आवश्यक सूचना देने को कहा गया है। उन्हें राज्यों के उद्योग निदेशकों और लघु उद्योग सहायक संस्थाओं के कार्यालयों में अपने कारखाने रजिस्टर कराने को भी कहा गया है।

रजिस्टर होने के बाद छोटे कारखानों को सरकार से आर्थिक सहायता और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से किस्तों पर मशीनें खरीदने में बहुत आसानी होगी। इससे इन कारखानों को कच्चा माल और विदेशों से मंगाए हुए मशीनों के पुर्जे आदि खरीदने में भी आसानी होगी।

यूरोपियनों द्वारा चाय बागानों की बिक्री

वित्त मंत्री ने १ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय बताया कि इस साल कुछ यूरोपियनों ने भारत के अपने कुछ चाय बागान बेचे हैं। बिक्री से मिलने वाली रकम को बाहर भेजने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन बागों को बेचने के लिए नहीं। रिजर्व बैंक की अनुमति से १ जनवरी, १९५९ से ३० सितम्बर, १९५९ तक ३४ लाख ६० हजार रु० ब्रिटेन को भेजा जा चुका था। यह रकम चाय-बागों की बिक्री की ही थी।

अमरीका के वाणिज्य मंत्री दिल्ली में

अमरीका के वाणिज्य मंत्री, श्री फेडरिक एच० म्यूलर ३ दिन की भारत यात्रा पर १३ दिसम्बर को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो, वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीशचन्द्र तथा भारत में अमरीका के राजदूत श्री एलस्वर्थ बंकर ने उनका स्वागत किया।

हाई वैक्यूम विधि की ट्रेनिंग

नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में १८ जनवरी, १९६० से हाई वैक्यूम विधि (हवा निकालने के तरीके) की तीन सप्ताह की ट्रेनिंग शुरू हुई। यह ट्रेनिंग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और यूनेस्को की ओर से हो रही है और इसमें अफगानिस्तान, बर्मा, लंका, नेपाल, पाकिस्तान तथा भारत के २० शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं।

ट्रेनिंग के निदेशक, क्वीन्सलैंड (आस्ट्रेलिया) विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के रिसर्च प्रोफेसर ए० रेमन हैं और लीवरपूल विश्वविद्यालय के बिजली इंजीनियरी के वरिष्ठ लेक्चरर डा० जे० एच० लीक तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के शिक्षक उनकी सहायता कर रहे हैं।

ट्रेनिंग के अन्तर्गत, विज्ञान और उद्योग में हाई वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके बताये जाएंगे और हवा निकालने के पम्प (वैक्यूम पम्प), हवा का दबाव नापने के यंत्र (प्रेशर मेजरमेंट गेज) आदि के बारे में बताया जाएगा।

पाइराईट से गंधक बनाने का फैसला

भारतीय खान कार्यालय की रिपोर्ट पर देश में पाइराईट से गंधक बनाने का निश्चय कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार में अमझोर में पाइराईट की खानों में पाइराईट काफी है। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १८ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

श्री शाह ने यह भी बताया कि नार्वे की एक फर्म से बातचीत करके यह अनुमान लगा लिया गया है कि गंधक बनाने पर क्या खर्च बैठेगा। फर्म का एक विशेषज्ञ पाइराईट की खानों के स्थान को भी देख चुका है, ताकि इनके निकालने आदि के बारे में विस्तार से रिपोर्ट तैयार की जा सके। यह रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। आजकल देश में प्रतिवर्ष लगभग १.१ लाख टन से १.२ लाख टन तक गंधक काम आती है और यह सारी की सारी विदेशों से मंगानी पड़ती है।

एन्थ्रासीन तेल से कार्बन ब्लैक

ईंधन अनुसन्धान संस्था, जलगोरा (बिहार) में कुछ परीक्षण किए गए, जिनसे पता चला है कि एन्थ्रासीन तेल की छाछ से कार्बन ब्लैक बनाया जा सकता है। यह तेल कोलतार गरम करने से बनता है। अनुमान है कि १९६०-६१ तक इस्पात कारखानों की कोक भट्ठियों से लगभग २५ हजार टन एन्थ्रासीन तेल निकलने लगेगा।

आशा है १९६०-६१ तक देश में १२ हजार टन कार्बन ब्लैक की मांग होगी, जब कि आजकल केवल १,२०० टन कार्बन ब्लैक ही बनता है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था में कार्बन ब्लैक बनाने के परीक्षण करने के संबंध में आजमायशी तौर पर एक मशीन लगाई जा रही है, जहां प्रतिदिन १ हंडरवेट कार्बन ब्लैक बन सकेगा।

यह पदार्थ रबड़ की चीजें, छपाई आदि की स्याहियां, रोगन, कार्बन पेपर, ग्रामोफोन रिकार्ड आदि बनाने के काम में इस्तेमाल होता है। उक्त लेख में यह भी बताया गया है कि तपेदिक रोग की एक दवाई बनाने में भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल हो सकता है।

मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स के बारे में जांच

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में भीलवाड़ा (राजस्थान) की टेक्सटाइल मिल्स लि० के प्रबन्ध आदि के बारे में जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की घोषणा की गयी है। उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन सरकार को ऐसी समिति बनाने का अधिकार है।

समिति के अध्यक्ष, संसद सदस्य, श्री जी० डी० सोमानी और सदस्य सर्वश्री एम० एन० रामनाथ और एस० एम० यूसुफ हैं।

श्रम और रोजगार

खान मजदूर हितकारी संगठन की वार्षिक रिपोर्ट

मजदूर हितकारी संगठन की १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष खान मजदूरों के लिए संगठन ने डाक्टरी चिकित्सा की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की, मकान बनाने के लिए अधिक अनुदान और ऋण दिये तथा मजदूरों के बच्चों के लिए ज्यादा संख्या में छात्रवृत्तियां दीं। संगठन की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है।

[इस संगठन की स्थापना १९४७ के खान मजदूर हितकारी निधि अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है। इसका उद्देश्य खान मजदूरों की भलाई के काम करना है।] मजदूरों की भलाई के निधि के लिए खानों से बाहर भेजे जाने वाले कोयले तथा कोक पर प्रतिटन ३७.५ नये पैसे के हिसाब से कर लिया जाता है। इस वर्ष इस कर से निधि में १ करोड़ ७३ लाख ८३ हजार ४५३ रु० जमा होने की आशा है। यह राशि पिछले वर्ष प्राप्त हुई राशि से २२ लाख ६० हजार रु० अधिक है।

मजदूरों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ७,१५३ मकान बनाये गये। मकान बनाने के लिए ऋण और सहायता देने की योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के ४,०३७ प्रार्थना-पत्र खान मजदूर मकान मण्डल ने स्वीकार किये। इनमें से १,८०४ मकान तैयार हो चुके हैं। खान मजदूरों की रिहायश का प्रबन्ध करने की नयी योजना के अन्तर्गत भी मकान बनाये जा रहे हैं। १९५८-५९ के अन्त तक खान मजदूर मकान मण्डल ने १०,८७९ मकान मजदूरों को अलाट किये।

चिकित्सा सुविधाएं

धनबाद के केन्द्रीय अस्पताल और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पताल में रोगी शैयाओं की संख्या बढ़ा कर २५० कर दी गयी। अस्पतालों में तपेदिक के मरीजों के लिए रोगी शैयाएं बढ़ाई गई। आसनसोल तथा धनबाद दोनों ही अस्पतालों में १००-१०० रोगी शैयाओं के अलग तपेदिक कक्ष बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के जिन खान मजदूरों को तपेदिक के अस्पतालों में दाखला नहीं मिल सका उन्हें घर पर ही इलाज कराने के लिए सुविधाएं दी गयीं। घर पर इलाज की सुविधाएं देने की योजना के अन्तर्गत संगठन मजदूरों के मुफ्त इलाज, अच्छे भोजन के लिए सहायता तथा परिवार में केवल एक ही कमाने वाला होने पर उसके आश्रितों को अधिक से अधिक ५० रु० महीने तक का भत्ता देता है। इस योजना से करीब ३०० रोगियों ने लाभ उठाया।

नेतुरमारी के कुष्ठ अस्पताल में १५ अगस्त, १९५८ से १० रोगी शैयाओं का अतिरिक्त वार्ड खोला गया। संगठन की ओर से कोढ़ी खान मजदूरों के इलाज के लिए ४६ रोगी शैयाएं हैं।

जिन खान मालिकों ने मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए अस्पताल खोले हुए हैं उन्हें अस्पतालों में सुधार करने के लिए सहायता देने की इस वर्ष नयी योजना शुरू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत अस्पतालों को ६०,००० रु० का ऋण दिया गया।

बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं

खान कर्मचारियों के लड़कों तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के लिए खान मजदूर निधि की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत २० रु० महीना अनुदान दिया जाता है। उच्च शिल्पिक शिक्षा के लिए यह अनुदान ३० रु० महीना है। इस वर्ष छात्रवृत्तियों की संख्या ५० से बढ़ाकर ७५ कर दी गयी। शिल्पिक शिक्षा के लिए २२ छात्रवृत्तियां दी गयीं। इसके अतिरिक्त पुनर्संस्थापन और रोजगार महानिदेशालय की योजना के अंतर्गत भिलाई की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ट्रेनिंग पाने वाले खान मजदूरों के लड़कों तथा लड़कियों को ५० छात्रवृत्तियां भी दी गयीं।

खान मजदूरों की विधवाओं तथा दुर्घटनाओं में मरे खान मजदूरों के पढ़ने वाले [illegible] को आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ३५ हजार ३४० रु० दिये गये। सहायता पाने वालों में १४२ विधवाएं तथा ७ बच्चे थे। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधवा को २ वर्ष तक प्रति मास १० रु० की वृत्ति और मृत कर्मचारी के प्रत्येक बच्चे को ३ वर्ष तक ५ रु० महीना छात्रवृत्ति दी जाती है।

चिनाकुरी खान दुर्घटना (१९ फरवरी, १९५८) में मरे मजदूरों की विधवाओं तथा आश्रित स्त्रियों को विशेष रूप से खोले गये केन्द्र में सिलाई की शिक्षा दी गयी। इन क्लासों के लिए आर्थिक व्यवस्था, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हुए दानों से की गयी। १५ स्त्रियों ने सिलाई के इस पाठ्यक्रम में भाग लिया, जिन्हें ३० रु० महीना वृत्ति दी गयी। उन्हें सिलाई की एक मशीन भी दी गयी।

कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल जांच समिति की रिपोर्ट

भारत सरकार ने कलकत्ता गोदी कर्मचारी (नौकरी के नियम) योजना, १९५६ की समीक्षा करने के लिए जो एक सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की थी, उसने सिफारिश की है कि कलकत्ता गोदी मजदूर मण्डल के संचालन संगठन को मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि उसने मण्डल के अधिकारियों की अवहेलना की है और बार-बार अवैधानिक ढंग से काम किया है।

समिति ने सिफारिश की है कि वर्तमान संचालन संगठन का काम उपाध्यक्ष को सौंप दिया जाए और वही योजना के अनुच्छेद ५ (१) के अन्तर्गत संचालन संगठन बनाए।

यह जांच समिति मई में नियुक्त की गयी थी और इसके एकमात्र सदस्य श्रम और नियोजन मन्त्रालय के संयुक्त सचिव श्री आर० एल० मेहता थे।

कलकत्ता गोदी कर्मचारी (नौकरी के नियम) योजना १९५६ में लागू हुई थी। इसे चलाने के लिए त्रिदलीय गोदी मजदूर मण्डल बनाया गया था और मण्डल के निर्णयों को अमल में लाने तथा दैनिक कार्य करने के लिए इसके अधीन एक संचालन संगठन नियुक्त किया गया था। योजना में यह भी कहा गया था कि गोदी के मजदूरों और मालिकों को रजिस्टर किया जाए। मजदूरों को [illegible]

में बांटा जाए—एक तो वे जो मासिक वेतन पाते हैं और दूसरे वे जो जरूरत पड़ने पर लगाये जाते हैं। गोदी मजदूरों को महीने में कम से कम १२ दिन मजदूरी दी जाए और जिस दिन वे दफ्तर आते हैं, परन्तु उनको कोई काम नही मिलता, उस दिन उन्हें १ रु० हाजिरी का दिया जाए।

समिति ने रिपोर्ट में बताया है कि मण्डल के शासन में अनियमितताएं हैं और उसने बहुत फजूलखर्ची की है। मण्डल ने मजदूरों के हित के लिए कोई काम नही किया और संचालन संगठन मण्डल के निर्णयों को अमल में नही लाई। संगठन पर पत्र आदि का काफी बकाया है और वह मजदूरों का रजिस्टर भी ठीक तरह से नही बना सकी। इसलिए संगठन को समाप्त कर दिया जाए।

दूसरी योजना में अतिरिक्त नौकरियों का अनुमान

योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में खेती के अलावा अन्य कामों में ३० लाख लोगों को और नौकरी मिल सकेगी। योजना की शेष अवधि के लिए ३५ लाख अतिरिक्त नौकरियों का अनुमान है।

यह सूचना श्रम उपमंत्री, श्री आबिदअली ने १७ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।



विद्यार्थियों द्वारा रेल रोकने की घटनाएं

रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में २१ दिसम्बर, १९५९ को लोकसभा में बताया कि पिछले ६ महीनों में विद्यार्थियों ने ८९२ बार रेल-गाड़ियां रोकीं। उपमंत्री महोदय ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा गाड़ी रोकने की घटनाएं सिर्फ उत्तर और उत्तर-पूर्वी रेलों पर ही बढ़ रही हैं।

उन्होंने बताया कि इन घटनाओं की रोक-थाम के लिए स्कूल-कालेजों के प्रिंसिपलों से अनुरोध किया गया है कि विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना पैदा करें, जिससे वे बिना टिकट सफर करने और व्यर्थ में रेल की जंजीर खींचने जैसे गैर-कानूनी काम न करें। इसके अलावा जिन गाड़ियों को जानबूझकर जंजीर खींचकर बारबार रोका गया है, उनके जंजीर खींचने से गाड़ी रुकने के यंत्र हटा दिये गये हैं, तथा उत्तर रेल के कुछ स्टेशनों पर फाटक लगायी गयी हैं और इनका समय विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर नियत किया गया है।

—

प्लेटफार्म टिकट

१ जुलाई से ३१ अक्तूबर, १९५९ तक १० नये पैसे मोसम के प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से १२,३१,२९८ रुपये मिले जब कि १९५८ की इसी अवधि में ८,८३,६३७ रुपये मिले थे। यह सूचना रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने २१ दिसम्बर को एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में दी।

—

बिजली से रेलें चलाने के लिए पश्चिम बंगाल को ऋण

भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को ४८ लाख रु० ऋण देना मंजूर किया है। यह ऋण पश्चिम बंगाल में बिजली से रेल चलाने के लिए दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस काम के लिए ३ करोड़ २० लाख रु० की मांग की थी, जिसमें से यह पहली किस्त है।

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलों में इस काम के लिए ९३ मील में १३२ किलोवाट बिजली के तार लगाये जाएंगे और बिजली के १० छोटे स्टेशन और स्विच स्टेशन बनाए जाएंगे।

—

विश्व कृषि प्रदर्शनी के अवसर पर विशेष डाक टिकट

विश्व कृषि प्रदर्शनी के अवसर पर, डाक-तार विभाग ने ३० दिसम्बर, १९५९ को १५ नये पैसे का एक विशेष डाक टिकट जारी किया है।

इण्टीगरल कोच फैक्टरी का विस्तार

रेल उपमन्त्री, श्री शाहनवाज खां ने १६ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि पेराम्बूर की इण्टीगरल कोच फैक्टरी की विस्तार योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

उपमन्त्री महोदय ने कहा कि अब वहां दूसरी शिफ्ट में भी काम होगा। इससे कारखाने की मशीनों और संयंत्रों का अधिक उपयोग होगा, फलतः उत्पादन भी बढ़ेगा। इस कार्य के लिए फिलहाल ८९.४४ लाख रुपया नियत किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि डिब्बों में भीतरी साज-सामान फिट करने की यूनिट तैयार हो गयी है, जिस पर अनुमान है कि ३.७ करोड़ रुपये खर्च आया है।

—

परिवहन नीति और समन्वय समिति

परिवहन नीति और समन्वय समिति, राज्य सरकारों के सहयोग से, कुछ चुने हुए मार्गों पर यातायात सम्बन्धी आंकड़े जमा कर रही है। यह समिति योजना आयोग ने नियुक्त की है और इसके अध्यक्ष श्री के० सी० नियोगी हैं। समिति ने अमृतसर-दिल्ली, और दिल्ली-कानपुर मार्ग पर आंकड़े जमा करने के लिए पड़ताल पूरी कर ली है।

अब समिति कलकत्ता-पटना मार्ग पर ५ जनवरी से १२ जनवरी, १९६० तक पड़ताल करेगी।

—

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में छोटी लाइन का यार्ड

रेल उपमन्त्री, श्री रामास्वामी ने १६ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि अहमदाबाद में इस समय केवल मीटरगेज के यार्ड को दुबारा बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्य पर लगभग १६६.२५ लाख रुपये व्यय होंगे।

उपमन्त्री महोदय ने बताया कि इस योजना में अहमदाबाद स्टेशन की मौजूदा इमारत का पुनर्निर्माण शामिल नहीं है।

पूर्वी चावल-क्षेत्र

खाद्य और कृषि मंत्रालय के खाद्य विभाग की २१ दिसम्बर १९५९ की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार उड़ीसा और प० बंगाल को मिलाकर एक चावल-क्षेत्र बनाने के विषय पर कुछ समय से प० बंगाल और उड़ीसा की सरकारों से बातचीत कर रही थी और अब यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकारों की सहमति से यह चावल-क्षेत्र बनाया जाए। इस आशय की सूचना भारत सरकार के २१ दिसम्बर, १९५९ के असाधारण सूचना-पत्र में प्रकाशित कर दी गयी है।

चावल-क्षेत्र बनने से प० बंगाल में चावल का भाव उचित स्तर पर बनाये रखने में मदद मिलेगी और उड़ीसा के किसानों को भी अपनी फसल के ऊंचे दाम मिल सकेंगे।

उड़ीसा और प० बंगाल राज्यों को मिलाकर जो चावल-क्षेत्र बनाया गया है, उसमें चावल खुले रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकेगा।

उड़ीसा में चावल के भाव न बढ़ें, इसके लिए यह निर्णय किया गया है कि कलकत्ता में सरकारी स्टाक से चावल बांटा जाता रहे और उड़ीसा में भी रिजर्व स्टाक रखा जाए, जो उड़ीसा के उन क्षेत्रों में बांटा जाए, जहां भाव बढ़ने लगें।

सेब उत्पादन के लिए *'उद्यान पण्डित'* *की उपाधि*

गोपालपुर, कोटगढ़ (हिमाचल प्रदेश) के सेब के बगीचे के मालिक, श्री मनोहर दास ने इस वर्ष सेब पैदा करने के लिए 'उद्यान पण्डित' की उपाधि प्राप्त की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सेब उत्पादन के सम्बन्ध में जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता की थी, उसमें गोपालपुर का बगीचा सर्वश्रेष्ठ समझा गया। श्री मनोहर दास को ५ हजार रु० नकद और 'उद्यान पण्डित' का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

देश में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आम, सेब, केला, संतरा आदि फलों के उत्पादन के सम्बन्ध में अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं करने का निश्चय किया है। इस वर्ष केवल सेब प्रतियोगिता हुई थी। यह पारितोषिक १९६० में होने वाले अखिल भारतीय फल-प्रदर्शन के समय दिया जाएगा।

पटसन और मेस्टा का *अन्तिम प्राक्कलन*

इस साल देश में पटसन और मेस्टा का उत्पादन गत वर्ष से १४ लाख गांठ अधिक होने का अनुमान है।

यह जानकारी खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ और अंक निदेशालय से मिली है। उसने बताया है कि चालू मौसम के आरम्भ में २४ लाख ५० हजार गांठें जमा थीं, और चालू मौसम की उपज से पटसन की ४५ लाख ५० हजार तथा मेस्टा की १९ लाख गांठें तैयार होने का अनुमान है। इस प्रकार इस साल कुल ८१ लाख गांठें तैयार होंगी, जबकि देश में इसकी मांग केवल ६७ लाख गांठ है।

१९५९-६० के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन में पटसन की खेती का क्षेत्रफल १७ लाख ७ हजार एकड़ और उत्पादन ४५ लाख ४८ हजार गांठ आंका गया है, जब कि पिछले साल यह क्रमशः १८ लाख ११ हजार एकड़ और ५१ लाख ५८ हजार गांठ आंका गया था।

पिछले साल पटसन का भाव गिरने और इस साल फसल बोते समय मौसम अनुकूल न होने के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में खेती में कमी हुई। परन्तु आसाम में पटसन की खेती का क्षेत्रफल बढ़ा है। उत्पादन में भी मौसम अनुकूल न होने और खेती का क्षेत्रफल कम होने से कमी आई है; परन्तु आसाम में पैदावार बढ़ने से यह कमी काफी सीमा तक दूर हुई है।

यदि पिछले पांच वर्षों का औसत देखा जाए तो इस साल पटसन की भी खेती का क्षेत्रफल १.१ प्रतिशत और उत्पादन १०.३ प्रतिशत बढ़ा है।

पशु विकास-कार्य जांच समिति की नियुक्ति

भारत सरकार ने अखिल भारतीय आदर्श पशु ग्राम योजना के अन्तर्गत किए गए पशु विकास के काम की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।

यह समिति पशु विकास कार्यक्रम के आर्थिक पहलू और उपयोगिता का अध्ययन करेगी। साथ ही तीसरी योजना में पशु और डेरी के विकास का कार्यक्रम बनाने के बारे में अपने सुझाव देगी।

समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :

श्री एल० सहाय, पशुपालन आयुक्त (अध्यक्ष); श्री रामा रेड्डी, माडल डेरी फार्म, बंगलौर; श्री वाई० एम० पर्लेकर, सचिव अखिल भारतीय सर्वसेवा संघ, वर्धा; श्री ए० सी० माथुर, क्वैरंटाइन अफसर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; श्री एस० कृष्णमूर्ति, सहायक मवेशी अफसर, कृषि विभाग।



राजकीय छपाई और डिज़ाइन प्रतियोगिता

२१ दिसम्बर, १९५९ को ... हुए एक ... में ... राजेन्द्रप्रसाद ने १९५९ ... और डिज़ाइन ... । सूचना और प्रसारण मंत्रालय ... दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा ... वार्षिक प्रतियोगिता है। ... प्रकार हैं :

श्रेणी १–बाल साहित्य (१० वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए)

पुरस्कार	पुस्तक	मुद्रक/प्रकाशक
पहला पुरस्कार	तमिल एल्फाबेटिकल बुक	मैसर्स एसोशिएटिड प्रिंटर्स (मद्रास) प्रा० लि०, मद्रास (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार
दूसरा पुरस्कार	विच्चू बादर बच्चू (बंगला)	मैसर्स आर्ट एशिया प्रिंटिंग वर्क्स, प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र		
	(१) हिंदी अक्षर बोधिनी	मैसर्स एसोशिएटिड प्रिंटर्स (मद्रास) प्रा० लि०, मद्रास (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार
	(२) मानुष एलो कथा हथे (मनुष्य की कहानी—बंगला)	मैसर्स ईगल लियोग्राफिंग क०, प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक)। मैसर्स चण्डी चरन दास एण्ड क० प्रा० लि०, कलकत्ता (प्रकाशक)

श्रेणी २–बाल साहित्य (१० वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए)

पुरस्कार	पुस्तक	मुद्रक/प्रकाशक
पहला और दूसरा पुरस्कार		नहीं दिया गया
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र		
	(१) हमारे पक्षी	गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, फरीदाबाद (मुद्रक); पब्लिकेशन्स डिवीजन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (प्रकाशक)
	(२) बानेर डाक (बंगला)	मैसर्स नवाना प्रिंटिंग वर्क्स प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक); श्री अरुण कुमार दे, कलकत्ता (प्रकाशक)

श्रेणी ३–सचित्र पुस्तकें

पुरस्कार	पुस्तक	मुद्रक/प्रकाशक
पहला पुरस्कार	पोल्ट्री कीपिंग इन इंडिया	श्री सरस्वती प्रेस, कलकत्ता (मुद्रक); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	अलकनंदा (हिंदी)	टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (प्रकाशक)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	इंडियाज न्यू होराइजन्स	एल्बियन प्रेस, दिल्ली (मुद्रक); यूनाइटेड स्टेट्स इन्फार्मेशन सर्विसेज, इंडिया (प्रकाशक)

श्रेणी ४–कला पुस्तकें

पुरस्कार	पुस्तक	मुद्रक/प्रकाशक
पहला पुरस्कार	किशनगढ़ पेंटिंग	मैसर्स वकील एण्ड संस (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); ललित कला अकादमी, भारत (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	वीरभूम टेराकोटाज	मैसर्स वकील एण्ड संस (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); ललित कला अकादमी, भारत (प्रकाशक)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र		
	(१) राजा	मैसर्स वकील एण्ड संस (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); सारंगा पब्लिकेशन्स, बम्बई (प्रकाशक)
	(२) एशियन फोटोग्राफी	मैसर्स गोसाईं एण्ड कं० प्रिंटर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता (मुद्रक); प्रकाशन विभाग, फेडरेशन आफ इंडियन फोटोग्राफी (पाण्डीचेरी (प्रकाशक)

श्रेणी ५–पुस्तकें (अंग्रेजी)

पुरस्कार	पुस्तक	मुद्रक/प्रकाशक
पहला पुरस्कार	पोयम्स एंड एपिग्राम्स	श्री सरस्वती प्रेस लि०, कलकत्ता (मुद्रक); मैसर्स रूप एण्ड क०, कलकत्ता (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	नहीं दिया गया	
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	दि विलेज हैड नो वाल्स	बम्बई नेशनल प्रिंटर्स (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेणी ६–पुस्तक (देशी भाषाएं)

पुरस्कार	पुस्तक	मुद्रक/प्रकाशक
पहला पुरस्कार	दीवान-गालिब	अदबी प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई (मुद्रक); हिन्दुस्तानी बुक ट्रस्ट, बम्बई (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	परिशुद्ध वेदागमन (तमिल) (बाइबिल)	सी० एल० एस० प्रेस, बंगलौर (मुद्रक); बाइबिल सोसाइटी आफ इंडिया एंड सीलोन, बंगलौर (प्रकाशक)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

(१) एकोतरसतो (हिंदी) — श्री सरस्वती प्रेस, कलकत्ता (मुद्रक), साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली (प्रकाशक)

(२) आतिया (पंजाबी) — नवयुग प्रेस, दिल्ली (मुद्रक व प्रकाशक)
एक पुरस्कार

श्रेणी ७—दैनिक समाचार पत्र (अंग्रेजी)

पहला पुरस्कार — स्टेट्समैन, कलकत्ता — स्टेट्समैन प्रिंटिंग प्रेस, कलकत्ता (मुद्रक व प्रकाशक)
एक पुरस्कार

दूसरा पुरस्कार — (१) हिंदुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली — हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस, नयी दिल्ली (मुद्रक व प्रकाशक)
एक पुरस्कार

(२) ट्रिब्यून, अम्बाला — ट्रिब्यून प्रेस, अम्बाला (मुद्रक व प्रकाशक)
एक पुरस्कार

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

(१) हिंदू, मद्रास — नेशनल प्रेस, मद्रास (मुद्रक व प्रकाशक)
एक पुरस्कार

(२) टाइम्स आफ इंडिया बम्बई — टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक व प्रकाशक)
एक पुरस्कार

श्रेणी ८—दैनिक समाचारपत्र (देशी भाषाएं)

पहला पुरस्कार — हिन्दुस्तान, नयी दिल्ली (हिंदी) — हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस, नयी दिल्ली (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार

दूसरा पुरस्कार — प्रजावाणी (कन्नड़), बंगलौर — दक्कन हेरल्ड प्रेस, बंगलौर (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र — लोकसत्ता (मराठी) बम्बई — कृष्णन रोड स्टैंडर्ड प्रेस, बम्बई (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार

श्रेणी ९—सजावटी विज्ञापनों की बनावट

पहला पुरस्कार — फ़ाबिक्स फॉर दि फेस्टिव अकेजन (हैंडलूम हाउस) — आल इंडिया हैंडलूम फैबरिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, बम्बई (विज्ञापक); शिल्पी एडवरटाइजिंग प्रा० लि०, बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)

दूसरा पुरस्कार — दि फाइनेस्ट मोल्डिंग्स (अल्कार्थीन) — इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता (विज्ञापक); क्लेरियन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज (प्रा०) लि०, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र — ट्रिपलेट्स—थ्राऊ थ्री फ्लाइट्स ए वीक टू टोकियो — एअर इंडिया इंटरनेशनल, बम्बई (विज्ञापक); मैसर्स जे० वाल्टर थाम्पसन एण्ड क०, बम्बई डिजाइन बनाने वाले

श्रेणी १०—कला पत्रिका

पहला पुरस्कार — ललित कला — मैसर्स वकील एण्ड संस (प्रा०) लि०, (बम्बई) (मुद्रक); ललित कला अकादमी, भारत (प्रकाशक)

दूसरा पुरस्कार — मार्ग, बम्बई — कार्मशियल प्रिंटिंग प्रेस (प्रा०) लि०, टाटा प्रेस, बम्बई (मुद्रक); मार्ग पब्लिकेशंस, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

(१) डिजाइन — मैसर्स जी० क्लेरिज एंड कं० लि०, बम्बई (मुद्रक); विल्डर्स पब्लिकेशन्स आफ इंडिया (प्रा०) लि०, बम्बई (प्रकाशक)

(२) दि टाइम्स आफ इंडिया एनुअल—१९५९ — टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक व प्रकाशक)
एक पुरस्कार

श्रेणी ११—व्यवसायी प्रतिष्ठानों के पत्र

पहला पुरस्कार — दि लिंक — नवाना प्रिंटिंग वर्क्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता (मुद्रक); इंडियन अल्युमिनियम कं० लि०, कलकत्ता (प्रकाशक)

दूसरा पुरस्कार — डनलप गजेट — गोसाईं एण्ड कं० (प्रिंटर) प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक); क्लेरियन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज (प्रा०) लि०, कलकत्ता (प्रकाशक)

श्रेष्ठता प्रमाणपत्र — ए०सी०सी० संदेश (हिंदी) — थैकर्स प्रेस, बम्बई (मुद्रक); प्रचार विभाग, एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लि०, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेणी १२—पत्रिकाएं (वार्षिक पत्रिकाओं के अलावा) अंग्रेजी

पहला और दूसरा पुरस्कार		नही दिया गया
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	रिसर्च एण्ड इंडस्ट्री	कैथोलिक प्रेस, रांची (मुद्रक); विज्ञान और उद्योग अनुसधान परिषद, नयी दिल्ली (प्रकाशक)

श्रेणी १३—पत्रिकाएं (वार्षिक पत्रिकाओं के अलावा) देशी भाषाएं

पहला और दूसरा पुरस्कार		नही दिया गया
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	(१) खेती (हिंदी)	नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली (मुद्रक); भारतीय कृषि अनुसधान परिषद, नयी दिल्ली (प्रकाशक)
	(२) सस्कृत प्रतिमा	बसत प्रेस, मद्रास (मुद्रक), साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली (प्रकाशक)
	(३) सैनिक समाचार (तेलुगु)	यूनियन प्रिंटर्स कोआपरेटिव इडस्ट्रियल सोसाइटी लि०, दिल्ली (मुद्रक); सेना सूचना अधिकारी, प्रतिरक्षा मत्रालय, नयी दिल्ली (प्रकाशक)

श्रेणी १४—इश्तिहार

पहला पुरस्कार	आपुर समार	इम्पीरियल आर्ट काटेज कलकत्ता (मुद्रक); श्री सत्यजित राय, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाला)
दूसरा पुरस्कार	न्यू डिजाइन्स इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स	गुलाब संस आफसेट वर्क्स, दिल्ली (मुद्रक), अ० भा० दस्तकारी मण्डल नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	(१) भागडा डास (इंडिया)	मैसर्स ईगल लियोग्राफिंग क० प्रा० लि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)
	(२) नेशनल डिजाइन कम्पीटीशन आफ हैंडीक्राफ्ट्स	इंडिया आफसेट प्रेस, दिल्ली (मुद्रक); अ० भा० दस्तकारी मण्डल, नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेणी १५—फोल्डर

पहला पुरस्कार	मिस्टेक्लिन ५	मैसर्स बोल्टन फाइन आर्ट्स लियो वर्क्स, बम्बई (मुद्रक); साराभाई कैमिकल्स, बम्बई (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	गाइड मैप आफ मैसूर	ईगल लियोग्राफिंग क० (प्रा०) लि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली (प्रकाशक)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	(१) मेडिकल एथ्रोपोलोजी (एडवेक ड्राप्स)	जी० क्लेरिज एण्ड कं० लि०, बम्बई (मुद्रक); मैसर्स पार्क डेविस इंडिया, प्रा० लि०, बम्बई (प्रकाशक)
	(२) क्वालिटी मार्किंग स्कीम (हैंडलूम फैबरिक्स)	श्री सरस्वती प्रेस, लि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली (प्रकाशक)

श्रेणी १६—फोल्डर—(लैटरप्रेस)

पहला पुरस्कार	गोदरेज-स्टील विडोज, डोर्स एण्ड वेंटीलेटर्स	मैसर्स वकील एण्ड सन्स (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); मैसर्स गोदरेज एण्ड बोयस मैन्युफैक्चरिंग कं० (प्रा०) लि०, बम्बई (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	हैंडलूम रैनेसेंस	जी० क्लेरेज एण्ड क० लि०, बम्बई (मुद्रक); आल इंडिया हैंडलूम फैबरिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, बम्बई (प्रकाशक)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	(१) विटमाइसेटिन	मैसर्स वकील एण्ड सन्स (प्रा०) लि०, बम्बई (मुद्रक); ज्योफरी मैनर्स (प्रा०) लि०, बम्बई (प्रकाशक)
	(२) नेवासल्फ	दि एवरेस्ट प्रेस, बम्बई (मुद्रक); ह्यूमैक्स प्रा० लि०, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेणी १७—कलेण्डर (आफसेट या फोटोग्रेव्योर)

पहला पुरस्कार	एअर इंडिया इंटरनेशनल १९५९, कलेण्डर	टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); एअर इंडिया इंटरनेशनल, बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)
दूसरा पुरस्कार	नेशनल टुबैको लि०, कलेण्डर-१९५९	नशनल लियोग्राफिक एण्ड प्रिंटिंग प्रेस, कमरहट्टी, प० बंगाल (मुद्रक); एडवर्टाइजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	इंडिया १९५९, कलेण्डर	ग्लासगो प्रिंटिंग क०, हावडा (मुद्रक); विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेणी १८—कलेण्डर (लेटरप्रेस)

पहला पुरस्कार	एन एल्बम आफ पेंटिंग्स बाई कन्टेम्पोरेरी इंडियन आर्टिस्ट्स टाटा कलेण्डर १९५९	कामर्शियल प्रिंटिंग प्रेस (प्रा०) लि०, टाटा प्रेस, बम्बई (मुद्रक); मेसर्स जे० वाल्टर थाम्पसन एण्ड क० लि०, बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)
दूसरा पुरस्कार	बर्मा-शेल १९५९ कलेण्डर	टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); मेसर्स बर्मा-शेल, बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	आल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड कलेण्डर १९५९	मेसर्स एसोसियेटेड प्रिंटर्स (मद्रास) प्रा० लि०, मद्रास (मुद्रक), विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेणी १९—डायरियां

पहला पुरस्कार	इंडिया १९५९—प्रेस्टिज डायरी	श्री सरस्वती प्रेस लि०, कलकत्ता (मुद्रक); विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नयी दिल्ली, (डायरी बनाने वाले)
दूसरा पुरस्कार	मार्क डेस्क डायरी १९६० (चमड़े की जिल्द)	मेसर्स मार्क एण्ड क०, बम्बई (मुद्रक व प्रकाशक) एक पुरस्कार
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	(१) सीमेंस पाकेट डायरी १९५९	थैकर्स प्रेस, बम्बई (मुद्रक) मेसर्स सीमेन्स इंजीनियर एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० आफ इंडिया प्रा० लि०, बम्बई (प्रकाशक)
	(२) मार्क पाकेट डायरी १९६० (प्लास्टिक जिल्द)	मेसर्स मार्क एण्ड क०, बम्बई (प्रकाशक व मुद्रक) एक पुरस्कार

श्रेणी २०—देवनागरी टाइप फेसेज

पहला पुरस्कार	१६ पाइन्ट सुधा श्री (इनलाइण्ड)	श्री जे० सी० मुई श्री टाइप फाउण्डरी, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले)
दूसरा पुरस्कार	(१) १८ पाइन्ट भारत	श्री जे० सी० मुई श्री टाइप फाउण्डरी, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले)
	(२) १२ पाइन्ट मिटा बोल्ड	श्री नन्दलाल राय, फ्रेंड्स टाइप फाउण्डरी, कलकत्ता (डिजाइन बनाने वाले)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र		नहीं दिया गया

श्रेणी २१—प्रचार पुस्तिकाएं

पहला पुरस्कार	देवीदयाल स्टेनलेस स्टील	मेसर्स जी० क्लेरिज एण्ड क० लि०, बम्बई (मुद्रक), मेसर्स देवीदयाल स्टेनलेस स्टील इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई (प्रकाशक)
दूसरा पुरस्कार	सिक्सटी इयर्स आफ मोटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया	मेसर्स गोसाई एण्ड क० (प्रिंटर्स) लि०, कलकत्ता (मुद्रक), दि डनलप रबर क० (इंडिया) लि०, कलकत्ता (प्रकाशक)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	कामदार सिलवर जुबली सोवनियर १९३४-५९	टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बम्बई (मुद्रक); कामदार प्रा० लि०, बम्बई (प्रकाशक)

श्रेणी २२—लेबुल

पहला पुरस्कार	लिली कार्बन पेपर	हिंद यूनियन प्रेस, नयी दिल्ली (मुद्रक), श्री रोशन लाल, दिल्ली (डिजाइन बनाने वाले)
दूसरा पुरस्कार	चौवस टोमेटो केचप	शिवराज फाइन आर्ट लिथो वर्क्स, नागपुर (मुद्रक); श्री एम० डी० रागिनवार, एडवर्टाईजिंग एसोसिएट्स, नागपुर (डिजाइन बनाने वाले)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	पॉलसन प्योर इंडियन कॉफी	शिवराज फाइन आर्ट लिथो वर्क्स, नागपुर (मुद्रक), श्री एच० एम० अब्बासी, बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)

श्रेणी २३—सबसे अच्छी जिल्द बंधी किताब

पहला पुरस्कार	हिंदी विश्व भारती खण्ड २	नारदर्न रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नालाजी, इलाहाबाद (जिल्दसाज)
दूसरा पुरस्कार	दि आर्ट आफ द नार्थ ईस्ट फंटियर आफ इंडिया	बासंती बाइंडिंग वर्क्स, कलकत्ता (जिल्दसाज)
श्रेष्ठता प्रमाणपत्र	(१) इंडियन प्रिमिटिव आर्ट	स्वप्न प्रिंटिंग एण्ड बाइंडिंग वर्क्स, कलकत्ता (जिल्दसाज)
	(२) सरकार्स लॉ आफ एवीडेंस	बासंती बाइंडिंग वर्क्स, कलकत्ता (जिल्दसाज)

श्रेणी २४—पैकिंग

पहला पुरस्कार	सेपोटेक्स	मेसर्स जी० क्लेरिज एण्ड कं०, (बम्बई) (मुद्रक) मेसर्स [illegible] एडवर्टाईजिंग ([illegible] बम्बई (डिजाइन बनाने वाले)

हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में अनिवार्य शिक्षा

केन्द्रशासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य आरम्भिक शिक्षा शुरू करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध मे संसद की अगली बैठक मे एक विधेयक पेश किया जाएगा।

विधेयक में ये बाते होंगी (१) प्रशासन द्वारा मान्य स्कूलों में आरम्भिक पढाई करने वाले बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी; (२) बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी उनके मा-बाप पर होगी; और (३) यदि किसी बच्चे के मा-बाप उसे स्कूल नहीं भेजते तो उन पर २५ रु० तक जुर्माना किया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद ४५ मे कहा गया है कि सरकार, संविधान के लागू होने से १० साल के अन्दर, १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य आरम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार ने यह सिद्धान्त रूप से मान लिया है कि १९६५-६६ के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

विकलांगों की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशें

विकलांगों की शिक्षा की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है कि प्रत्येक बडे राज्य में तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक विकलांगों के लिए विशेष कामदिलाऊ दफ्तर खोले जाएं। परिषद ने यह सुझाव दिया है कि दूसरी योजना की शेष अवधि मे भी ऐसे ५ दफ्तर खोल दिये जाएं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक नयी दिल्ली मे ७ और ८ दिसम्बर को शिक्षा मत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री आर० पी० नायक की अध्यक्षता में हुई थी।

इस परिषद ने ४ समितिया स्थापित करने की भी सिफारिश की है, जो विकलांगों को शिक्षा देने वाली संस्थाओं, अध्यापकों के प्रशिक्षण, प्रौढ बधिरों की शिक्षा और मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में काम करेंगी।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुसधान विकास निगम की पाचवी वार्षिक रिपोर्ट मे बताया गया है कि १९५८-५९ में २० अनुसधानशालाओं ने ५६ नए आविष्कार किए। इस प्रकार ३१ मार्च, १९५९ तक कुल ५०३ आविष्कार हो चुके है, जिनमे से ५ के अनुसार उत्पादन शुरू भी हो चुका है। १९५८-५९ मे २४ आविष्कारो के अनुसार सामान बनाने के लिए निर्माताओं से बातचीत हुई।

१९५८-५९ मे योजनाओं के विकास के लिए ३ लाख ९१ हजार रु० देना स्वीकार किया गया, जबकि १९५७-५८ मे केवल ८३ हजार रु० स्वीकार किया गया था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम ने जो काम शुरू किए थे, उनसे अच्छे परिणाम निकलने लगे हैं। पिछले साल जो ईजाद पेटेंट किए गए थे और जिन आविष्कारो के अनुसार उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए गए थे, उनमे से अनेक के अन्तर्गत चीजों का व्यापारिक रूप में उत्पादन शुरू हो गया है, और इस साल और चीजों का भी उत्पादन शुरू हो जाएगा।

भारतीय आविष्कारो का अमरीका में विकास करने के लिए न्यूयार्क के रिसर्च कारपोरेशन से प्रबन्ध किया गया है।

अनुसन्धानशालाओं का काम

इस साल विज्ञान और उद्योग अनुसधान परिषद ने जो योजनाए चलाई, उनके अन्तर्गत ९ नए आविष्कार हुए। पूना की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला मे ७, नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला मे ६, जीलगोड़ा की केंद्रीय ईंधन अनुसधानशाला मे ५ और जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुशोधन प्रयोगशाला, मैसूर की केन्द्रीय खाद्य-शिल्प विज्ञान अनुसधानशाला तथा दिल्ली की श्रीराम उद्योग अनुसंधानशाला मे ४-४ नए आविष्कार हुए।

इस साल आविष्कारों को पेटेंट कराने के लिए ५ अर्जियां आयी। इनमें से २ प्रतिरक्षा मत्रालय और १-१ खाद्य और कृषि मत्रालय, रेल मत्रालय तथा बंगलौर की भारतीय विज्ञानशाला से आयीं। इसके अलावा श्रीराम इंस्टिट्यूट और रेल मण्डल के कुछ आविष्कारों को विदेशों में पेटेंट कराने का भी प्रबंध किया गया।

विकास योजनाएं

रिपोर्ट मे बताया गया है कि इस साल कपास के बीज के तेल को साफ करने के बारे मे दिल्ली के श्रीराम इंस्टिट्यूट मे जाच की गयी और कापर क्लोरोफिल को देशी कच्चे माल से बनाने की सम्भावना पर खोज की गयी और अनुमान लगाया गया कि इस पर कितना खर्च बैठेगा।

इस साल हैदराबाद की क्षेत्रीय अनुसधान प्रयोगशाला मे बनने वाले हाइकोल ब्रैंड एक्टिवेटेड कारबन की बिक्री शुरू हुई। साथ ही निगम द्वारा लाइसेंस प्राप्त कारखाने मे बनी अभ्रक की ईंटों और कारबन का भिलाई इस्पात कारखाने में उपयोग किया गया।

इस साल, व्यापारिक तौर पर काजू को गोदाम में अधिक समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने, बिजली के ताप देने वाले मेंटल बनाने, मूंगफली में विटामिन मिलाने, झागदार काच बनाने आदि के लिए २४ लाइसेंस देने के बारे मे बातचीत हुई।

स्वास्थ्य

दवाओं और रसायनिक पदार्थों के कारखाने

उद्योग मत्री, श्री मनुभाई शाह ने २२ दिसम्बर को संसद के दोनों सदनों की मेज पर एक विवरण रखा, जिसमे बताया गया है कि दवाओं और रसायनों के कारखाने कहा-कहा खोले जाएगे। इस तरह के कारखानों की स्थापना के बारे में जाच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट पर विचार करके भारत सरकार ने अस्थायी रूप से इस प्रकार कारखाने बनाने का निश्चय किया है :—

(१) एण्टीबायटिक्स या प्रतिजीव और-

जिले—हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) में, (२) स्थान औरंगाबाद—जननगर (हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश), (३) चौक्काड के कोंगर—मद्रास के आस-पास, (४) वनस्पति रसायन—केरल में किसी उपयुक्त स्थान पर, (५) कहीं से निकलने वाली चीजें (दो कारखाने)—(क) बम्बई का आधुनिक ढंग का बूचड़खाना, (ख) कलकत्ता का आधुनिक ढंग का बूचड़खाना, (६) मूल तथा सम्बद्ध रसायन—पश्चिम के पास आरे मारपडा में (बम्बई)।

कहीं का पक्का चुनाव पहले पाच कारखानों के लिए सोवियत विशेषज्ञों की सलाह से किया जाएगा और मूल तथा सम्बद्ध रसायनों के कारखाने के लिए पश्चिमी जर्मनी की फर्म, बेयर्स की सलाह से। दूसरे दोनों देशों के सहयोग से ये कारखाने स्थापित किये जाएंगे।

भारत सरकार ने देश के इन क्षेत्रों में आवश्यक जड़ी-बूटियां लगाने के फार्म बनाने का भी अस्थायी रूप से निर्णय किया है : जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, केरल, मद्रास की नीलगिरि पहाड़ियां, उत्तर प्रदेश की चकरौता की पहाड़ियां और आसाम की खासी पहाड़ियों का क्षेत्र।

एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की जाएगी, जो यह बताएगी कि कौन-सी बूटी कहां उगाना अच्छा रहेगा और उनसे इन कारखानों के लिए कौन-सी चीजें मिल सकती हैं।

वनस्पति रसायनों का एक और कारखाना भी पूर्वी क्षेत्र में खोला जा सकता है।

आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद की बैठक

नयी दिल्ली में १८ दिसम्बर को केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद की पहली बैठक स्वास्थ्य मन्त्री, श्री डॉ० पी० करमरकर की अध्यक्षता में हुई।

यह परिषद आयुर्वेदिक सलाहकार समिति के स्थान पर उडुपा समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप हाल ही में बनायी गयी थी। समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी कार्यों में एक साथ शोध कार्य होना चाहिए और परिषद को शोध के तौर-तरीकों पर विचार करके उनमें एकरूपता लानी चाहिए। श्री करमरकर ने कहा कि परिषद को अनुसन्धान-कार्य के लिए अपने अलग संस्थान खोलने चाहिए और उसे जड़ी-बूटियां उगाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि परिषद को प्रथम श्रेणी के अस्पतालों में शोध-कार्य और परीक्षण के लिए शैयाए उपलब्ध करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी राय में परिषद के पास बहुत-सी शैयाओं वाला एक अस्पताल होना चाहिए, जिस पर उसका पूरा नियन्त्रण हो।

मन्त्री महोदय ने कहा कि आयुर्वेदिक अनुसन्धान के लिए प्रशासन ने अब तक जो कुछ किया है वह अनुदान मंजूर करने और जामनगर में एक संस्थान खोलने तक ही सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि शोध का अन्तिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो नतीजे निकलें उनको लोकप्रिय बनाया जाए।

परिषद को जो काम करने हैं उन्हें स्पष्ट करते हुए श्री करमरकर ने कहा कि पहला काम यह होना चाहिए कि सब रोगों के लक्षणों को स्थिर करके उन पर एकमत हुआ जाए। आयुर्वेदज्ञों को यह नहीं समझना चाहिए कि वे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से मुकाबला कर रहे हैं, वरन् यह समझना चाहिए कि ज्ञान के कोष में वृद्धि करनी है। उन्हें चाहिए कि निष्पक्ष होकर, जहां जरूरत हो, पुरानी दवाओं की जगह नयी और कारगर दवाओं का प्रयोग करें, चाहे वे किसी भी चिकित्सा पद्धति की क्यों न हों। मन्त्री महोदय ने कहा कि परिषद का एक मुख्य कार्य यह भी है कि देश के विभिन्न भागों में जो दवाएं और नुस्खे जनता में सामान्य रूप से प्रचलित हैं उनका संग्रह किया जाए। संग्रह के उद्देश्य से परिषद को स्थानीय दवाओं और प्रयोगों का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए। इनमें बहुत-से प्रयोग ऐसे भी होंगे जो आयुर्वेदिक ग्रन्थों में नहीं पाये जाते, लेकिन स्थानीय वैद्य और जनता उनका व्यवहार करती हैं।

उन्होंने परिषद से अनुरोध किया कि वह यह बताये कि किस हद तक आयुर्वेद शास्त्र आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के सिद्धान्तों को स्वीकार कर सकता है और उसके बैक्टीरियोलॉजी सरीखे विषयों पर क्या विचार है।

मन्त्री महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि परिषद को प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन का भार भी लेना चाहिए। उन्होंने एक केन्द्रीय चिकित्सा पुस्तकालय खोलने का भी सुझाव दिया और कहा कि परिषद आयुर्वेद की ऐसी पुस्तकों के नाम सुझाए जो इस पुस्तकालय में रखी जानी चाहिए। मन्त्री महोदय ने कहा कि जहां तक सम्भव हो केन्द्रीय परिषद को चाहिए कि वह अपने संस्थान खोले, जहां समन्वित रूप से काम हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अनुदान की मंजूरी तो केन्द्रीय परिषद का गौण कार्य होना चाहिए।

परिवार आयोजन दिवस

१७ दिसम्बर को सारे देश में राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, परिवार आयोजन संघों और अन्य संगठनों द्वारा परिवार आयोजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर परिवार आयोजन केन्द्रों और अन्य संस्थाओं ने गोष्ठियों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जिसमें पोस्टर और नमूने आदि प्रदर्शित किये गए। गर्भ निरोधक उपकरणों की जांच करने वाले परिवार आयोजन केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र जनता के लिए खोल दिये गये और उनके इस्तेमाल लोगों को समझाये गए।

स्वास्थ्य मंत्री की आकाशवाणी पर भेंट

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री, श्री डी० पी० करमरकर ने १७ दिसम्बर को नयी दिल्ली में आकाशवाणी पर एक भेंट में कहा कि देश के साधनों को ध्यान में रखकर देश की आबादी को बढ़ने से रोकना चाहिए। मन्त्री महोदय ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि परिवार आयोजन के तरीकों के प्रचार में सब लोग सहयोग देंगे।

श्री करमरकर ने कहा कि देश की आबादी ७० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। इससे देश का रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं हो पाता। अतः यह जरूरी हो जाता है कि परिवार आयोजन किया जाए। मंत्री महोदय ने कहा कि दूसरी योजना के शुरू ... १४७ परिवार आयोजन केन्द्र ...

चाहिए कि गावों के मकानों के लिए एक नमूने के हों। स्कूलों की इमारत तथा शिक्षकों के क्वार्टर बनाते समय भी यही नीति अपनायी जानी चाहिए।

गावों के मकानों के बारे में जो मैसूर सम्मेलन हुआ था, उसी की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने राज्य सरकारों के पास यह आदेश भेजा है।

केन्द्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि विकास खडों में इमारतें स्थानीय वातावरण के अनुकूल होने के अलावा, बहुत ही सादे डिजाइन की तथा सरल ढग से बनायी जानी चाहिए। गावों में मकानों के बारे में हरेक क्षेत्र के लिए अलग-अलग नये मानक तैयार किये जाएगे। किन्तु इन मानकों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

केन्द्रीय मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को जो आदेश भेजा है, उसमें यह भी कहा गया है कि गावों के कार्यकर्ताओं के मकान बनाने में स्थानीय वस्तुए अधिक से अधिक काम में लायी जानी चाहिए तथा उनके डिजाइन आदि इतने सरल हों कि बाहर से कारीगरों को बुलाने की आवश्यकता न पड़े। इनमें रोशनी, हवा, बिना धुए के चूल्हे, ढग के पाखाने आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

दिल्ली में 'न्याय' पंचायत

केन्द्रीय सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री, श्री बी० एम० मूर्ति ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में १६ दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि दिल्ली प्रशासन क्षेत्र में २२ ऐसी सर्किल पचायतों की स्थापना की गयी है, जो अदालती काम भी करेगी। अनुमान है कि इन पचायतों द्वारा इस महीने के अन्त तक काम आरम्भ कर दिया जाएगा। न्याय पचायतों के पंचों को ट्रेनिंग देने के बारे में मत्री महोदय ने बताया कि अनुभवी सब-जज, मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी इनको एक सप्ताह तक काम सिखाएगे।



विदेशों से सेना-सामान की खरीद

आयुध कारखानों में उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हाल में ससद में इस सम्बन्ध में एक विवरण रखा गया, जिसमें बताया गया कि १९५९ के पहले ८ महीनों (जनवरी-अगस्त) में १९५८ के पहले ८ महीनों से २५ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ।

विवरण में यह भी बताया गया कि १९५९-६० में ३० सितम्बर, १९५९ तक विदेशों से लगभग २६ करोड ५१ लाख रु० के मूल्य का सेना-सामान मगाया गया। इसे मगाने से पहले सिविलियन अधिकारी इसकी जाच कर लेते हैं कि यह सामान देश में भी बनाया जाता है या नहीं और इसे देश में ही खरीदा जा सकता है या नहीं। जब यह देख लिया जाता है कि यह देश में उपलब्ध नहीं है, तभी उसे विदेशों से मगाया जाता है।

आयुध कारखानों में बने ट्रैक्टर

प्रतिरक्षा मत्री, श्री मेनन ने हाल ही में ससद में आयुध कारखाने में बने ट्रकों की उपयोगिता के बारे में बताया कि गन कैरेज फैक्टरी में बने 'शक्तिमान' ट्रक डीजेल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, क्रूड आयल अथवा अन्य तरल ईंधन से चलाये जा सकते हैं तथा ढांचा मजबूत होने के कारण कहीं भी ले जाये जा सकते हैं। वे अधिक अश्व शक्ति के हैं और उनकी बोझ ढोने की क्षमता ३० प्रतिशत अधिक है। इसकी लागत ३६,००० रु० बैठती है और इसमें कम से कम ३० प्रतिशत सामान देशी लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसका सबसे बडा लाभ यह है कि अब तक सेना में जो ट्रक उपयोग में आते थे, उनके मुकाबले इनको चलाने में प्रति ट्रक ७,५०० रु० बचत होती है।

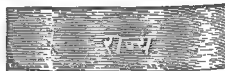
पुलिस कर्मचारियों की आवास-व्यवस्था के लिए सहायता

पिछले तीन सालों में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य की सरकारों को पुलिस कर्मचारियों के लिए अच्छे मकान बनाने के लिए ६ करोड २९ लाख रु० दे चुकी है। इस साल के बजट में भी ३ करोड रु० की व्यवस्था है और राज्यों की आवश्यकतानुसार रुपये दिये जाएगे।

इसके पहले इस शर्त पर ऋण भी दिये गये कि आधा खर्च राज्य सरकारें उठायेंगी और आधा भारत सरकार देगी। बाद में केन्द्र ने ऋण के बराबर राज्यों द्वारा रुपया लगाने पर जोर देने का निश्चय किया।

राज्य सरकारों को दिये गये ऋण की अदायगी २० किश्तों में होगी। पहली किश्त रुपया दिये जाने के ५ वर्ष बाद ली जाएगी।

१९५६-५७ से १९५८-५९ के बीच राज्यों को दी गयी धन-राशि का ब्योरा इस प्रकार है: मद्रास १०६ लाख रु०; उत्तर प्रदेश ६७ लाख रु०; पश्चिम बंगाल ७० लाख रु०; बम्बई ६३ लाख रु०; आन्ध्र प्रदेश और उडीसा ५८-५८ लाख रु०; मध्य प्रदेश ३८ लाख रु०; बिहार ३ लाख रु०; पजाब १५ लाख रु० राजस्थान २१ लाख रु० और जम्मू और कश्मीर ९ लाख रु०।



राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों को स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है:

बिहार सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५९

इस सशोधन के द्वारा १९४९ के सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था विधेयक की अवधि दो वर्ष और बढा दी गयी है। यह अवधि ३ जनवरी, १९६० को समाप्त होने को थी बिहार सरकार की राय है कि राज्य में अभी ऐसी स्थिति है, जिसमें शान्ति भंग होने और अनिवार्य सेवाओं तथा सप्लाई के बन्द होने

की सम्भावना है। समाज-विरोधी तत्वों के दमन तथा शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए इस विधेयक की अवधि बढ़ायी गयी है।

पश्चिम बंगाल का जंगली जीव सुरक्षा विधेयक, १९५९

यह कानून १९१२ के जंगली पक्षी और जानवरों के सुरक्षा सम्बन्धी कानून के स्थान पर बनाया गया है। प० बंगाल में जंगली जीवों की बहुत-सी जातियां खत्म होती जा रही हैं। पिछला कानून उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह कारगर सिद्ध नहीं हुआ।

नये अधिनियम में कानून भंग करने वालों को कड़ी सजा देने की व्यवस्था की गयी है। अधिनियम में कानून की व्यवस्थाओं का पालन कराने के लिए अधिकारियों आदि की नियुक्ति के लिए भी कहा गया है।

दिल्ली का बालगृह

स्वराष्ट्र उपमन्त्री, श्रीमती वायलेट अल्वा ने १७ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दिल्ली के बालगृह में जितने बच्चे भेजे गये उनकी वहां समुचित देखभाल की गई। श्रीमती अल्वा ने यह भी बताया कि १९५७ से लेकर अब तक १४९ लड़कों को सुधारा गया। इस समय वहां २०० बच्चे हैं और चालू वित्त वर्ष के लिए १,२७,४०० रुपये मंजूर किये गये हैं।

आन्ध्र प्रदेश-मद्रास सीमा अधिनियम

१९५९ का आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम १ अप्रैल, १९६० से लागू हो जाएगा। अधिनियम में आंध्र प्रदेश और मद्रास की सीमाओं में परिवर्तन करने की व्यवस्था है। इसमें राज्यों की विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व, लेन और देनदारियों की फेरबदल और खर्च आदि के बारे में भी बताया गया है।



भारत में चेकोस्लोवाकिया के नये राजदूत

परराष्ट्र मन्त्रालय की २१ दिसम्बर, १९५९ की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि डा० लेडिस्लाव सिमोविक को भारत में चेकोस्लोवाकिया का असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति डा० जिरी नोसेक के स्थान पर हुई है। श्री नोसेक को वापस बुला लिया गया है।

बर्लिन में महावाणिज्य दूतावास

भारत सरकार ने बर्लिन में भारत के वाणिज्य दूतावास को बढ़ाकर महावाणिज्य दूतावास बनाया है। इसके प्रधान श्री के० आर० सेठी हैं।

समाचार-दर्शन

१६ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर तक

दिसम्बर

१६—नेपाली संसद के सदस्यों के एक शिष्टमण्डल का भारत के तीन सप्ताह के दौरे पर नयी दिल्ली आगमन

—नयी दिल्ली में हुए क्रिकेट टैस्ट मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत को हराया

१७—प्रधान मन्त्री द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में गान्धी भवन का शिलान्यास

—राज्य सभा द्वारा लोकसभा द्वारा पहले ही स्वीकृत एक सरकारी विधेयक स्वीकृत, जिसके अन्तर्गत कलकत्ता की इण्डियन स्टेटिस्टीकल इन्स्टीट्यूट को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है

—बम्बई में सातवां अखिल-भारतीय कुष्ठ रोग कार्यकर्ता सम्मेलन आरम्भ

—मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डा० पट्टाभि सीतारमैया का हैदराबाद में देहावसान

—अमरीका के वाणिज्य मन्त्री श्री फैड्रिक एच० म्यूलर का नयी दिल्ली में आगमन

१८—स्वीडन के प्रधान मन्त्री परमश्रेष्ठ श्री आरलैण्डर का १२ दिन की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन

—१ जनवरी, १९६० से तीन साल तक की अवधि के लिए भारत और पूर्वी जर्मनी में एक नये व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

—नयी दिल्ली में आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद की प्रथम बैठक सम्पन्न

—अखिल-भारतीय परिवार आयोजन दिवस सम्पन्न

—लखनऊ में पंजाब की टीम को हराकर बम्बई पुन महिलाओं की राष्ट्रीय हाकी चैम्पियनशिप में विजयी

१९—नयी दिल्ली के नजदीक दूर-संचार के एक अन्तर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन

दिसम्बर

—१९५६ की कलकत्ता गोदी कर्मचारी योजना की जांच समिति की रिपोर्ट नयी दिल्ली में प्रकाशित

२०—भारत में सबसे बड़ा, रूरकेला का टनेज आक्सीजन प्लांट चालू

२१—पुस्तकों की छपाई और डिजाइनों की ५वीं राजकीय प्रतियोगिता के विजेताओं को नयी दिल्ली में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पुरस्कार दिये गये

—उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का संयुक्त चावल क्षेत्र बनाने के निर्णय की भारत सरकार द्वारा घोषणा

२२—संसद का शरद्कालीन सत्र समाप्त

२४—कानपुर में दूसरे क्रिकेट टैस्ट मैच में भारत ने आस्ट्रेलिया की टीम को पराजित किया

२५—बड़ौदा में अखिल-भारतीय कृषि अर्थ सम्मेलन आरम्भ

—श्रीरंगपट्टण, मैसूर में केन्द्रीय अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्री डा० हुमायूं कबीर द्वारा टीपू सुल्तान संग्रहालय का उद्घाटन

२७—भिलाई इस्पात कारखाने की दूसरी धमन भट्ठी चालू

—कम्बोडिया के प्रधान मन्त्री परमश्रेष्ठ राजकुमार नोरोत्तम सिंहनुक का तीन दिन की यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन

२८—नव-शिक्षा फैलोशिप के १०वें विश्व सम्मेलन का नयी दिल्ली में प्रधान मन्त्री द्वारा उद्घाटन

२९—दुर्गापुर इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्ठी का राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा उद्घाटन

—नयी दिल्ली में केन्द्रीय मछली पालन समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न

३१—नयी दिल्ली में भारत-पाक वित्तीय वार्ता का अन्तिम दौर आरम्भ।

५ से ५० मन

उपज में १० गुनी वृद्धि करने का श्रेय है शेख अब्दुल गफ्फार और उनके पांच भाइयों को, जिन्होंने नये तरीकों और संयुक्त ढंग से खेती करके यह आश्चर्यजनक सफलता पाई है।

बिहार के बाटगंज गांव के इन किसानों ने नया रास्ता पकड़ा। इन्होंने खेती के आधुनिक तरीके इस्तेमाल किये, उन्नत किस्म के बीजों को कतारों में बोया और काफी मात्रा में रासायनिक खाद डाली। इन्होंने अपनी ४५ एकड़ भूमि में संयुक्त खेती की, अपने दिमाग से उन्होंने नये ढंग के औजार बनाये और नये तरीके निकाले।

इसका फल यह निकला कि जहां पुराने तरीकों से प्रति एकड़ औसतन ४ या ५ मन गेहूं या धान मुश्किल से होता था, वहां अब नये तरीकों से ४० से ५० मन प्रति एकड़ उपज होती है।

आप भी अपनी धरती से अधिक उपजा सकते हैं। खेती के उन्नत तरीके अपनाइये और चौगुनी पचगुनी फसल काटिये। इसमें आपका भी लाभ है और आपके देशवासियों का भी, जिन्हें आप खाने के लिए अधिक अन्न देंगे।

योजना की सिद्धि
आपकी समृद्धि



डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली–८ द्वारा सम्पादित तथा
ओडियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली–६ द्वारा मुद्रित

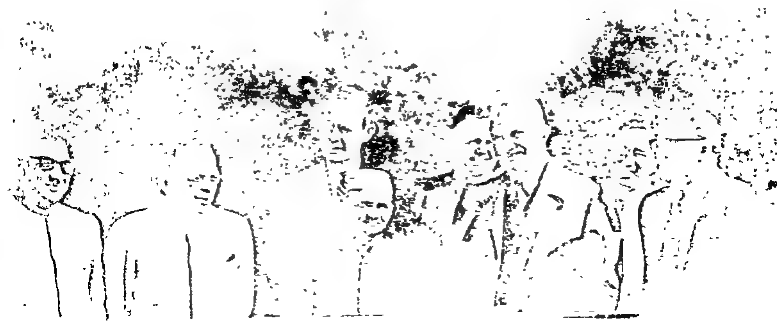


स्वीडन के प्रधान मंत्री परमश्रेष्ठ श्री आरलेंडर और श्रीमती आरलेंडर, जो १२ दिन की राजकीय यात्रा पर १८ दिसम्बर को नयी दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के निकट लोनी सामुदायिक विकास खण्ड देखते हुए



सोवियत संघ से, आर्थिक सम्बन्धों की राजकीय समिति के अध्यक्ष, श्री स्काचकोव के नेतृत्व में आया हुआ छः सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल नयी दिल्ली में १९ दिसम्बर को योजना आयोग के सदस्यों से बातचीत करते हुए

अमरीकी वाणिज्य मंत्री, श्री फ्रेड्रिक एच० म्यूलर १७ दिसम्बर को नयी दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ



रजिस्टर्ड नं०
डी०-६४१



प्रतिरक्षा मंत्री, श्री वी० के० कृष्ण मेनन, जो हाल ही में लद्दाख के दौरे पर गए थे, २७ दिसम्बर को चूशूल में ले० जनरल पी० एन० थापड़ और ले० जनरल एल० पी० सेन के साथ

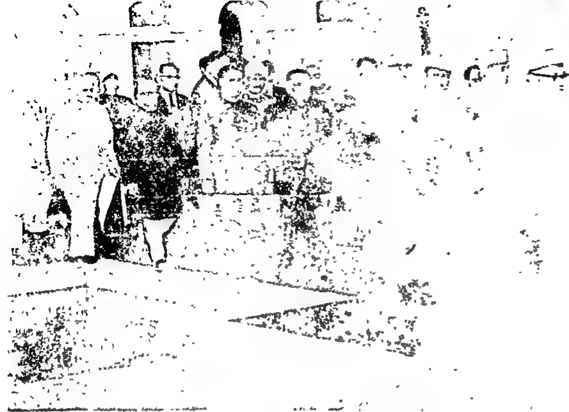
२० दिसम्बर को रूरकेला में चालू हुआ टनेज आक्सीजन प्लाण्ट, जो देश में सबसे बड़ा है

भारतीय समाचार





वर्ष २ — १ जनवरी, १९६० (११ पौष, १८८१) — अङ्क २३



अमरीका के प्रेजीडेण्ट, परमश्रेष्ठ श्री ड्वाइट डी० आइजनहावर १० दिसम्बर को नयी दिल्ली में संसद-सदस्यों के समक्ष भाषण करने के लिए संसद के केन्द्रीय कक्ष की ओर जाते हुए



७ दिसम्बर को नयी दिल्ली में सेना झण्डा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद चन्दा देते हुए



४ दिसम्बर को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में चेकोस्लोवाकिया के फिलार-मोनिक आरकेस्ट्रा के नेता, श्री एन्सर्ल प्रधान मन्त्री नेहरू का अभिनन्दन करते हुए

भारतीय समाचार



वर्ष २ | १ जनवरी, १९६० | ११ पौष, १८८१ | अङ्क २३

एक प्रति रु० ०.३५ १ शिलिंग १४ सेंट

वार्षिक मूल्य रु० ७.०० १७ शि. ६ पेंस २.५ डालर

मुख्य विषय

आवरण चित्र : अमरीका के प्रेजीडेण्ट, परमश्रेष्ठ श्री ड्वाइट आइज़नहावर को ५ दिन की भारत की राजकीय यात्रा पूरी होने पर राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद उन्हें १४ दिसम्बर को नयी दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर विदाई देते हुए

('भारतीय समाचार' में सरकारी गतिविधियों और घोषणाओं का संक्षिप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। स्थान संकोच के कारण अनेक विषयों को संक्षेप में ही दिया जाता है। ऐसे विवरणों को पूर्ण अधिकृत विवरण नहीं समझना चाहिए।)



प्रेजीडेंट आइज़नहावर की भारत-यात्रा पर संयुक्त विज्ञप्ति

अमरीका के प्रेजीडेंट आइज़नहावर भारत की राजकीय यात्रा पर ९ दिसम्बर को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य नेताओं से बातचीत की। प्रेजीडेण्ट आइज़नहावर की यात्रा की समाप्ति पर १४ दिसम्बर को निम्नलिखित संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी :—

भारत सरकार के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका के प्रेजीडेंट भारत आए और ९ दिसम्बर से १४ दिसम्बर तक यहां रहे। दिल्ली आने पर प्रेजीडेंट आइज़नहावर का जनता ने बड़े उत्साह और सौहार्द से स्नेहपूर्ण हार्दिक स्वागत किया। जितने दिन वे यहां ठहरे और जहां-जहां वे गये, दिल्ली के लाखों नागरिकों ने और उन लोगों ने जो उनके स्वागत के लिए दिल्ली आए थे, उनका बड़ी मित्रता और सौहार्द से अभिनन्दन किया। इन चार व्यस्त दिनों में उन्होंने बहुत-से सार्वजनिक आयोजनों में भाग लिया। उन्होंने भारतीय संसद के सदस्यों के सामने भाषण किया, दिल्ली विश्वविद्यालय की डाक्टर आफ लॉज की सम्मानार्थ उपाधि ग्रहण की, विश्व कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन में भाग लिया, दिल्ली नगर की ओर से नागरिक स्वागत में शामिल हुए और आगरा के निकट देहातों में गए।

इस प्रकार प्रेजीडेंट आइज़नहावर ने अपनी वर्षों पुरानी एक अभिलाषा पूरी की और भारत की जनता ने उनका जैसे प्रेम से स्वागत किया, सरकार ने जैसे उनकी खुलकर खातिरदारी की और उनके लिए जितना अच्छा इंतजाम किया, उससे प्रेजीडेंट बहुत ही प्रभावित हुए।

भारत की लोकतंत्रीय संस्थाओं, उसकी संसद, समाचार-पत्र और विश्वविद्यालय की सजीवता से और भारत के व्यावहारिक आदर्शवाद और आत्मिक बल से प्रेजीडेंट प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि संयुक्त राज्य की भांति भारत ने भी किस प्रकार अनेकता से राष्ट्रीय एकता का निर्माण किया है और दोनों ही देश यह दम्भ नहीं करते कि उन्हीं का रास्ता एकमात्र रास्ता है। उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के समान आदर्शों के बन्धन को, उनके ध्येयों की एकता को और स्थायी तथा न्यायोचित शान्ति के लिए उनके समान प्रयत्नों को पुष्ट किया।

प्रेज़ीडेंट आइज़नहावर ने भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री और भारत सरकार के अन्य सदस्यों से भेंट की। उनमें और प्रधान मंत्री में घनिष्ठता से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने संसार की स्थिति पर विचार किया और दोनों पक्षों के समान हित के विषयों पर विचार-विनिमय किया। और बातों के साथ-साथ, प्रेज़ीडेंट ने प्रधान मंत्री को बताया कि उन्हें यह कहने में खुशी होती है कि अपनी इस यात्रा में जिन-जिन देशों में वे गये, सब के नेताओं ने उनमें यह आशा प्रकट की कि विचारों और हितों में विरोध के कारण जितनी भी समस्याएं या विवाद हैं, वे सब शान्तिपूर्ण तरीकों और बातचीत से सुलझाये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इटली, तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब पर यह बात लागू होती है। प्रेज़ीडेंट का इस बात में दिल बड़ा और यह उनके अपने विचार से भी मिलती थी। कुछ समस्याओं में जो कठिनाइयां हैं या उनका जो महत्व है, उसे वे किसी भी प्रकार कम नहीं करना चाहते। पर उन्होंने जो भाव देखा, वह अच्छा था और उससे प्रगति की आशा बनती है।

प्रधान मंत्री ने प्रे० आइज़नहावर की भारत-यात्रा पर संतोष और खुशी जाहिर की और उनके स्नेहपूर्ण और उदार उद्गारों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रेज़ीडेंट महोदय को आश्वासन दिया कि विश्व शांति के लिए वह जो अथक प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें भारत उनका हार्दिक समर्थन करेगा। भारत स्वयं शांति की नीति में आस्था रखता है और अपने इस विश्वास में अडिग है कि राष्ट्रों के बीच मतभेद बातचीत और समझौते द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से मिटने चाहिए, बल प्रयोग द्वारा नहीं। इस प्रकार की जो भी समस्याएं उसके या दूसरे देशों के सामने आई हैं, उनको लेकर भारत ने निरन्तर इसी नीति का अनुसरण किया है। प्रधान मंत्री ने ऐसी कुछ समस्याओं के मुख्य पहलू प्रे० आइज़नहावर के सामने रखे और इस संबंध में हाल की घटनाओं से उन्हें परिचित कराया।

जनता के रहन-सहन का स्तर शीघ्रातिशीघ्र ऊंचा उठाने के लिए अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कृषि और उद्योग दोनों में देश को उन्नत करने का जो महान प्रयत्न भारत कर रहा है, उसका भी प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया। ४० करोड़ लोगों के भविष्य पर असर डालने वाले इस महान कार्य को भारत पूरी शक्ति और निश्चय के साथ करने में जुटा है।

प्रेज़ीडेंट महोदय और प्रधान मंत्री ने दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बहुत सन्तोष प्रकट किया और यह दृढ़ विश्वास प्रकट किया कि उनके समान आदर्श और ध्येय और शांति के लिए उनके प्रयत्न दोनों देशों के बीच गहरा रिश्ता कायम कर सकेंगे और इस रिश्ते को बनाये रख सकेंगे।

प्रे० आइज़नहावर की भारत-यात्रा ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात का और प्रेज़ीडेंट महोदय तथा भारत के प्रधान मंत्री की मैत्री को नया जीवन देने का सुखद अवसर प्रदान किया। प्रेज़ीडेंट महोदय को सरकार के अन्य सदस्यों और शहरों और गांवों, संसद और विश्वविद्यालय में वृद्ध और युवा स्त्री-पुरुषों से मिलकर और उन्हें व्यक्तिगत रूप से भारत की जनता के प्रति अमरीका की जनता की सच्ची मैत्री और भारत के कल्याण में उनकी सच्ची और निरन्तर दिलचस्पी का आश्वासन देकर प्रसन्नता हुई। इस यात्रा से, जिसकी बहुत समय से आस थी, भारत की जनता को अमरीका की जनता के प्रति *अपनी मैत्री, सद्भावना और सहानुभूति* प्रदर्शित करने का अवसर मिला है।

संसद में प्रेज़ीडेंट आइज़नहावर का भाषण

भारत की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में १० दिसम्बर, १९५९ को प्रेज़ीडेंट आइज़नहावर ने जो भाषण दिया वह इस प्रकार है —

आपके सामने भाषण करने का निमंत्रण स्वीकार करने में मैंने बड़े गौरव का अनुभव किया। यह मेरा बहुत बड़ा सम्मान है और आप और मैं, जिन राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं, उनकी सच्ची मैत्री का यह उज्ज्वल प्रतीक है।

४० करोड़ जनता के इस राष्ट्र के लिए मैं अपनी जनता की ओर से यह आश्वासन लाया हूं कि वे अमरीका की भलाई को भारत की भलाई से बंधी समझते हैं। भारत की तरह अमरीका भी स्वतंत्रता, मानव-सम्मान और न्यायपूर्ण शांति के साथ जीवन बिताने का प्रबल इच्छुक है।

पिछले दशकों में वैज्ञानिकों ने जो चमत्कारी कार्य किये हैं उससे सभी मनुष्यों को इस प्रकार का जीवन बिताने का नया और महान अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमारे सामने स्पष्ट रूप से यही प्रश्न है कि हम विज्ञान का किस बात के लिए उपयोग करें।

हमारे सामने एक लम्बे और नये युग का दृश्य दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रतिवर्ष मनुष्य धरती से अधिक से अधिक पैदावार उगा सकता है, जिसमें वह प्रकृति की शक्तियों को वश में लाकर मानव जाति की भलाई में लगा सकता है और जिसमें वह एक-दूसरे से अधिक व्यापार करता हुआ और ज्ञान और विद्या का लेन-देन करता हुआ शांति से साथ-साथ रह सकता है।

पर इतिहास में हमें अधिकतर शंका और अविश्वास से बंटे हुए विश्व का चित्र दिखाई पड़ता है। बार-बार विभिन्न देशों ने इस पृथ्वी को मनुष्य के रक्त से रंगा है और युद्ध के अस्त्रों से क्षत-विक्षत किया है। उन्होंने विज्ञान द्वारा प्राप्त प्रकृति की शक्तियों का उपयोग दूसरों को दबाने में किया है और व्यापार को भी शोषण का अस्त्र बनाया है।

आज दुनिया में सबसे आशाजनक, सबसे अधिक हिम्मत बंधाने वाली बात यह है कि जनता में गहरी जागृति हुई है। वे अनुभव करते हैं कि गुजरे जमाने में जो बुराइयां हुई हैं वे धर्म और नीति के विरुद्ध अपराध हैं और उनसे अपराध करने वाले को भी नुकसान पहुंचा है और उसके शिकार को भी। वे यह मानते हैं कि नीति के राज्य में ही हमारी सबसे ऊंची और सबसे गहरी आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं।

मैं आपसे और उन सब लोगों से, जिन्हें मेरी तरह जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है, एक साफ सवाल पूछता हूं—क्या हम उन दुर्भावनाओं, तौर-तरीकों और नीतियों को बनाये रखेंगे जिनके कारण हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे असहाय होकर उसी पुराने ढंग पर चलते रहें और विनाशकारी युद्ध की प्रतीक्षा करते रहें?

हैम सब हृदय से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा न हो। वास्तव में दुनिया में जो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस विश्वव्यापी प्रार्थना में शामिल नहीं होता वह राजनीतिज्ञता से रहित है।

संसार के अधिकांश भाग में स्त्री और पुरुष यह संकल्प कर चुके हैं कि एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार करने के बजाय एक-दूसरे से बातचीत और समझौता किया जाए। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को धमकी दे और दोषारोपण करे, इसके बजाय उनमें ज्ञान का आदान-प्रदान हो और शस्त्रीकरण में एक-दूसरे से जी तोड़ कर होड़ करने के बजाय शांति के कल्याणकारी कामों में शक्ति लगाई जाए।

हमारी आशा है कि हम पहले से अच्छे जमाने में आ रहे हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं एक मनुष्य की हैसियत से दूसरे मनुष्यों के साथ मिलकर अपनी शक्तिभर शांति की ओर, स्वतन्त्रता की ओर, सभ्यता की ओर और संसार के प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालक का उज्ज्वल भविष्य बनाने की ओर बढ़ने की कोशिश करूंगा।

यदि हममें जो कुछ है उस सब को हम इस कार्य में लगा दें तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमें आशीर्वाद देंगी। यदि हम इस काम से जी चुराएं और युद्ध के रास्ते पर चलें—जो रास्ता मनुष्य जाति की हत्या और विनाश का है—तो हमारे बाद आने को और पीढ़ियां ही न रह जाएंगी।

मैं यहां ऐसे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में आया हूं जो दूसरे राष्ट्र की जमीन का एक एकड़ भी नहीं चाहता, जो दूसरे राष्ट्र की सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं करना चाहता, जो व्यापार या राजनीति में विस्तारवाद के रास्ते पर नहीं चलता, या जो दूसरे राष्ट्रों को दबाकर किसी प्रकार की शक्ति नहीं प्राप्त करना चाहता। यह वह राष्ट्र है जो शांति और स्वतंत्रता के लिए मनुष्य जाति की गहरी और सनातन आकांक्षा को पूरी करने के लिए ठोस योगदान करने को तैयार है।

मैं यहां भारत के मित्र के रूप में आया हूं और भारत के १८ करोड़ मित्रों की ओर से बोल रहा हूं। अपनी एक बहुत वर्षों की इच्छा को पूरी करते हुए, मैं व्यक्तिगत रूप से, भारतीय जनता को, उनकी संस्कृति को, उनकी प्रगति को और स्वतंत्र राष्ट्रों में उनकी शक्ति को अमरीका का अभिनन्दन लाया हूं।

सारी मनुष्य जाति इस देश की ऋणी है। पर, हम अमरीकियों का तो आपसे एक विशेष नाता है।

आपने और हमने पहले ही दिन से अपनी राष्ट्रीय नीति द्वारा लोकतंत्र का विस्तार करने का प्रयत्न किया है। आपने और हमने जहां अनेक जाति और अनेक रक्त के लोग रहते हैं, अनेक भाषा बोलते हैं, अनेक धर्मों का आचरण करते हैं, अनेकता से राष्ट्रीय एकता की शक्ति प्राप्त की है। आपने और हमने कभी यह दंभ नहीं किया है कि हमारा ही रास्ता एकमात्र रास्ता है। हम दोनों को अपनी कमजोरियों और दोषों का भान है। हम दोनों अपने राज्य को अपनी जनता का सेवक बना कर, उसका या दूसरी किसी जाति का मालिक बना कर नहीं, अपने सब नागरिकों की भलाई और तरक्की करने का प्रयत्न करते हैं।

और सब से बढ़कर हमारे मूल लक्ष्य एक ही हैं।

दस वर्ष पहले जब न्यूयार्क के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में मैंने आपके आदरणीय प्रधान मंत्री का स्वागत किया था तब उन्होंने कहा था :

"यदि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं तो हमें राजनीतिक पराधीनता, जातिगत भेद-भाव और आर्थिक दरिद्रता की बुराइयों को दूर करना होगा।"

अपनी स्थापना के दिन ही से हमारे लोकतंत्र ने इन्हीं तीनों बुराइयों के विरुद्ध, राजनीतिक पराधीनता, जातिगत भेद-भाव और आर्थिक दरिद्रता के विरुद्ध निरन्तर घोर युद्ध छेड़ रखा है।

इन बुराइयों पर अपने किसी विशेष आक्रमण में अमरीका को हमेशा ही तुरत सफलता नहीं मिली है। अभी इनके ऊपर जीत भी नहीं हासिल हुई है और वास्तव में पूरी जीत तब तक हो भी नहीं सकती जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल जाता। परन्तु हमारे देश में प्रायः २०० वर्षों से हमारे सबसे आदरणीय नेता हमें इन बुराइयों पर विजय पाने में अपना सर्वस्व और अपना जीवन लगा देने का उपदेश देते आये हैं और अपने सब लोगों के कल्याण के इस प्रयत्न में न हम थकेंगे न कभी इससे विरत होंगे।

जब श्री नेहरू ने ये वाक्य कहे थे तब से दस वर्ष बीत चुके हैं। निराशावादी लोग कह सकते हैं कि न केवल ये तीनों बुराइयां दुनिया में बनी हैं और मजबूती से जमी हैं, बल्कि यह भी कि ये कभी कम न होंगी। और वह यह भी कह सकते हैं कि भविष्य में भी वहीं होगा जो पहले हो चुका है। दुनिया एक संकट से दूसरे संकट में गिरती रहेगी। चिन्ता और तनाव से कोई राहत न मिलेगी। और यह भय हमेशा छाया रहेगा कि कभी कोई आक्रमण निश्चित रूप से विश्वव्यापी युद्ध की ज्वाला भड़का देगा।

निराशावादी यह कह सकते हैं और यदि हम केवल निराशाओं और विफलताओं पर ही नजर डालें तो हमें उनसे सहमत होना पड़ेगा।

हम अमरीकियों ने भी चिन्ता, कष्ट और संकट का अनुभव किया है। अभी जो पिछला दशक बीता है उसमें भी कोरिया के लोकतन्त्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था और न्याय के पक्ष की रक्षा के लिए हमारे लाखों परिवारों ने गहरा बलिदान किया है। हमारे लाखों घरों में एक ऐसे पुत्र की कुर्सी खाली रही है जिसने आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए अपनी जवानी के कुछ वर्षों की बलि चढ़ाई है। पिछले दस वर्षों में दूर और पास के स्थानों से अमरीका में जो खबरें आई हैं, उनमें संकट की सूचनाओं का एक तांता बंधा रहा है।

इन संकटों का जन्म प्रबल फौजी ताकत से समर्थित एक विदेशी विचारधारा के आक्रमणकारी इरादों से हुआ था। इस बात को देखते हुए अमरीका में हम लोगों ने यह जरूरी समझा कि यथेष्ट सेना का बन्दोबस्त करके हम इस आक्रमण का प्रतिरोध करने का अपना संकल्प साफ जाहिर कर दें। हमारी सेनाएं केवल हमारे ही लिए नहीं बल्कि हमारे उन मित्रों और साथियों की सेवा के लिए भी हैं, जो हमारी तरह इस खतरे का अनुभव करते हैं। परन्तु हमारी सेनाएं केवल आत्मरक्षा के लिए हैं। हमारा विश्वास है कि अपनी

इस शक्ति का निर्माण करके हमने वर्तमान में और भविष्य में भी शांति को स्थिर रखने में आवश्यक योगदान किया है।

संयुक्त राज्य का यह इतिहास और स्वभाव रहा है कि वह अतर्राष्ट्रीय प्रश्नो और झगड़ो को शक्ति से निपटाने में विश्वास नही करता। यद्यपि हम स्वतंत्र संसार की सुरक्षा के लिए अपनी शक्तिभर यत्न करते रहेंगे, पर इसके साथ ही हम हथियार बदी को घटाने और इस काम पर एक-दूसरे द्वारा प्रभावपूर्ण निगरानी रखने के लिए बराबर अनुरोध करते रहेंगे।

पिछले दशको मे यदि हमें कुछ निराशाएं हुई है और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हमें रचनात्मक कार्य करने पडे हैं तो हम अमरीकियों ने ससार की राजनीतिक, शिल्पिक और भौतिक उन्नति के लिए बड़े कामो मे सफलतापूर्वक हाथ भी बटाया है। हमे विश्वास है कि इन कार्यों से मनुष्य की स्वतत्रता और गरिमा के आदर्शों को बल मिलता है। इनसे अमरीका को यह उत्साह होता है कि आगे भी ऐसे ही और इनसे भी बडे कार्य किए जाए। और अमरीका मित्रतापूर्ण उत्सुकता से दूसरे राष्ट्रों के उन हिम्मत भरे प्रयत्नो को देख रहा है जो वे अपनी उन्नति के लिए कर रहे है, खासकर उन राष्ट्रो के जो अभी हाल में स्वतत्र हुए हैं।

दस वर्ष पूर्व जब भारत ने स्वतत्रता प्राप्त की उसमें हिम्मत और सकल्प भरा था, परन्तु उसके सामने जितनी अधिक, जितनी गहरी और जितनी भारी समस्याए थी, वर्तमान इतिहास में शायद ही किसी राष्ट्र के सामने रही हो। आपने जो सफलता प्राप्त की है उस समय बडे से बड़ा आशावादी भी उनकी भविष्यवाणी नही कर सकता था।

आज भारत दूसरे देशों मे आतरिक विश्वास के बल से बात करता है और उसकी बात आदरपूर्वक सुनी जाती है। उसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना अब प्राय पूरी हो रही है और यह इस बात का प्रमाण है कि कठिनाई जितनी बड़ी होती है उतना ही यह दृढ़ संकल्प स्त्रियों और पुरुषों को उत्साह देता है। भारत की एक ऐसी विजय है जो पिछले दशक में ससार में जो भी विफलता हुई हो उसकी पूर्ति कर देती है। यह विजय ऐसी है जो आज १०० वर्ष बाद जब लोग हमारा इतिहास पढ़ेंगे तो वे इसे सारी विफलताओ की पूर्ति मानेंगे।

भारत ने दूसरे महादेशों के लोगों को प्रेरित, उत्साहित और अनुप्राणित किया है। कोई भी आदमी ससार का नक्शा ले ले और ऐसी जगहो पर निशान लगाए जहा पिछले १० वर्ष में राजनीतिक पराधीनता का अंत हुआ है, जातिगत भेद-भाव घटा है और आर्थिक दरिद्रता कम से कम कुछ अशो मे दूर हुई है तो वह देखेगा कि ये १० वर्ष इन तीनो बुराइयों के विरुद्ध चलने वाले चिर सघर्ष के इतिहास में सबसे सफल रहे।

इन १० वर्षों के कारण ही आज हमारे पैर ऐसे मार्ग पर हैं जो समस्त मनुष्यजाति को उन्नति की ओर ले जाता है।

वे कौन-सी बाधाएं है जो हमें तुरंत शाति और समृद्धि के युग में प्रवेश करने से रोकती है। जवाब स्पष्ट है . हमने दुनिया के देशों मे भय के भाव को नही मिटा पाया है। इसका फल यह है कि आज कोई भी देश अपने समस्त साधनों का उपयोग केवल अपनी जनता की भलाई के ही लिए नही कर पाता।

आज सरकारों के ऊपर व्यर्थ खर्च का भार है। वे अपनी रक्षा के लिए ऐसी फौजी मोर्चेबंदियों में लगी है जो आज के नये-नये दूरवेधी अस्त्रो के सामने व्यर्थ होती जा रही है।

अधिकाश संसार इसी विषाक्त चक्र में फसा है। शक्ति की कमी से प्राय: आक्रमण या उच्छेदन या बाहर से प्रेरित क्रान्ति को बढ़ावा मिलता है। किसी एक राष्ट्र की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति से उत्पन्न भय उन्हें अपने साधन शस्त्रास्त्रो और सामरिक कार्यों पर व्यय करने के लिए और भी उकसाता है। शस्त्रास्त्रो की होड अधिकाधिक देशों में फैलती जाती है। इन शस्त्रास्त्रों के वास्तविक उद्देश्य के बारे में शका तनाव को गहरा कर देती है। राष्ट्रो से अपने शान्तिपूर्ण विकास का अवसर छिन जाता है। न्यायपूर्ण शान्ति और सद्भावना की भूख अनिवार्य रूप से और तेज हो जाती है।

संसार भर में नियत्रित रूप से नि.शस्त्रीकरण इस युग की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि उन लाखों-करोड़ो लोगों की यह मांग, जिनकी मुख्य चिन्ता अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में है,-इतनी सर्वव्यापी और गहरी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति और कोई सरकार उसका विरोध नहीं कर सकेगी।

मेरा राष्ट्र ऐसे उपाय ढूंढने का सतत् प्रयत्न कर रहा है, जिनसे वास्तव में नि:शस्त्रीकरण हो सके और मेरी सरकार, जैसा कि मैंने ६ वर्ष से भी अधिक पूर्व, अप्रैल, १९५३ में कहा था, अब भी "अपने लोगो से यह कहने के लिए तैयार है कि नि.शस्त्रीकरण से जो बचत हो, उसका कुछ प्रतिशत संसार की सहायता और पुनर्निर्माण के कोष में देने के काम में वे सब राष्ट्रों का हाथ बटाए।"

परन्तु शस्त्रास्त्र स्वय युद्ध को जन्म नही देते. . . . . युद्ध को जन्म देता है मनुष्य।

और मनुष्य अपने गुजरे जमाने से प्रभावित होता है—उस गुजरे जमाने से, जिसमें शक्ति और उत्तरदायित्व का दुरुपयोग होता था और जिसमें यह निष्फल विश्वास जड पकडे हुए था कि शक्ति से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है।

मै मानवता की दुहाई देकर कहता हूं कि क्या हम पाच वर्ष या पचास वर्ष की ऐसी योजना में शामिल नही हो सकते, जो अविश्वास, शंका और पूर्वकाल के दोषों मे चिपके रहने के खिलाफ हो? क्या हम संसार में वर्तमान तनाव के कारणो को मिटाने या कम करने के काम में नहीं जुट सकते? यह सब सरकारो की सृष्टि है, जिसे सरकारें ही चाहती हैं और पालती-पोसती हैं। राष्ट्रों को यदि प्रचार और दबाव से छुटकारा मिले तो वे उन्हें कभी भी अनुभव नहीं करें।

कृपया मुझे अपने अनुभव से दो साधारण उदाहरण पेश करने की अनुमति दें। सयुक्त राज्य के प्रेज़ीडेंट के नाते, पिछले वर्ष मैंने सघ में एक नये सार्वभौम राज्य—हवाई—का स्वागत किया, जहां ससार की सभी जातियों के लोग रहते हैं। इस नए राज्य के स्त्री-पुरुषों के प्राचीन निवास-स्थान एशिया, अफ्रीका, योरप, उत्तरी और दक्षिणी अमरीका और संसार भर में छिटके हुए द्वीपों में है। ये लोग सभी तरह के मतावलम्बी और वर्णों के है, फिर भी ये पड़ोसियों की भांति मैत्री के साथ और एक-दूसरे में विश्वास रखकर रहते हैं और उनमें से प्रत्येक सब की भलाई

में योग देकर अपना भी भला कर सकता है।

हवाई विभाजित संसार को पुकार-पुकार कर यह कहता है कि जाति और वंश के हमारे भेद, हमारे भ्रातृत्व की महान और अखंड एकता के सम्मुख हेय है।

कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के नाते, हमने प्रतिवर्ष वहां सभी महाद्वीपों, अपना झंडा रखने वाले लगभग सभी राष्ट्रों और कुछ आदिम जातियों और अब तक पराधीन उपनिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों का स्वागत किया। भारत, चीन और जापान के सैंकड़ों युवक-युवतियों की उपस्थिति की याद विशेष रूप से अभी तक ताजा है, क्योंकि उनमें ज्ञान-वृद्धि के लिए उत्सुकता और उत्साह भरा था। और वे पारस्परिक द्वेष या पिछले अन्यायों को लेकर हठ नहीं रखे हुए थे—वास्तव में किसी भी राष्ट्र के युवकों में ये दोष आसानी से नहीं झलकते।

अपने अनुभव की इन दो साधारण बातों से मुझे विश्वास हो गया है कि संसार में जो भय, सन्देह और पूर्वाग्रह है, उसे मिटाया जा सकता है। जरूरत केवल इस बात की है कि सर्वत्र स्त्रियां और पुरुष अपनी नजरें उस ऊंचाई पर टिकाएं, जहां वे मिलकर पहुंच सकते हैं और जो हो चुका है, उसकी उपेक्षा करके, उधर अग्रसर हों जो हो सकता है।

अभी तक चुभने वाले वर्षों पूर्व के किसी अन्याय, आज की किसी समस्या, दूसरे की कमजोरी से उठाये जा सकने वाले किसी क्षणिक लाभ के कारण हमें उस लक्ष्य से विमुख नहीं होना चाहिए, जिसके सामने प्रत्येक समस्या और अन्याय गौण होकर रह जाता है।

हमारे पास शक्ति है, साधन है और ज्ञान है। ईश्वर करे, हमें उस विश्वव्यापी निश्चय और बुद्धि की प्रेरणा मिले, जिनकी आज सर्वप्रथम आवश्यकता है।

आपके राष्ट्र के इतिहास से मुझे मालूम है कि इस महान आन्दोलन में भारत सदैव नेतृत्व करेगा।

प्रेज़ीडेंट महोदय का कार्यक्रम

दिल्ली में प्रेज़ीडेंट आइजनहावर ने १० दिसम्बर को गान्धी जी की समाधि पर फूल चढ़ाये और उनके सम्मान में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिये गये एक भोज में भाग लिया। ११ दिसम्बर को दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षान्त समारोह में डाक्टर आफ लॉज की डिग्री उन्हें दी गयी—उसी दिन सायंकाल उन्होंने दिल्ली में विश्व कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। १३ दिसम्बर को प्रेज़ीडेंट महोदय आगरा ताजमहल देखने गये। उसी दिन सायंकाल उन्होंने दिल्ली के नागरिकों द्वारा दिये गये सार्वजनिक सम्मान में भाग लिया। १४ दिसम्बर को प्रातःकाल वह नयी दिल्ली से तेहरान के लिए रवाना हो गये।

विशेष पुलिस दल के काम की तिमाही रिपोर्ट

स्वराष्ट्र मंत्रालय के विशेष पुलिस दल की तिमाही (जुलाई-सितम्बर, १९५९) रिपोर्ट में बताया गया है कि ३६ कम्पनियों को भविष्य में आयात और निर्यात के लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बेईमानी की है। दल ने रिपोर्ट में २५ अन्य कम्पनियों और व्यक्तियों का नाम भी काटने की सिफारिश की है।

इस तिमाही में १३९ व्यक्तियों को अदालत और विभागों ने दण्ड दिया, जिनमें से १२२ सरकारी कर्मचारी थे। इन पर कुल २,१६,४०० रु० जुर्माना किया गया और अधिक से अधिक ६ साल की जेल की सजा दी गयी। अदालत में कुल ४८ मामले गये, जिनमें २७ सरकारी कर्मचारी और १७ अन्य व्यक्ति शामिल थे।

जालसाजी के लिए सजा

एक प्रसिद्ध व्यापारी को जालसाजी और धोखाधड़ी करने के फलस्वरूप एक मामले में ४ साल की कड़ी सजा और २ लाख रु० जुर्माना और तीन मामलों में ६-६ साल की कड़ी सजा दी गयी। एक अन्य मामले में बम्बई के तीन व्यापारियों को ३ से १८ महीने तक की सजा दी गयी और उन पर कुल २,००० रु० जुर्माना किया गया।

सरकारी कर्मचारियों में, एक आय कर अधिकारी और एक क्लर्क को धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार करने के फलस्वरूप १८ महीने की सजा दी गयी। लघु बचत के एक जिला संगठक को हिसाब में गड़बड़ी करने के फलस्वरूप ४ साल की सजा दी गयी। उसने लोगों द्वारा राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट खरीदने के लिए दी गयी रकम के हिसाब में गड़बड़ी की थी।

विभागीय दण्ड

इस तिमाही में ९५ सरकारी कर्मचारियों को विभागीय दण्ड दिया गया। इनमें से ७ गजटेड अधिकारी थे। इन गजटेड अधिकारियों में से ३ अधिकारियों का वेतन घटाया गया, २ की वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक दी गयी और २ को अन्य दण्ड दिये गये।

गैर-गजटेड कर्मचारियों में से ३२ या तो नौकरी से हटा दिये गये या बर्खास्त कर दिये गये, एक की नौकरी समाप्त कर दी गयी, एक को अनिवार्यतः रिटायर कर दिया गया, ३ के पद या वेतन घटा दिये गये, १८ की वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक दी गयी और २३ को अन्य दण्ड दिये गये।

भारतीय सीमा प्रशासन सेवा में भरती

भारत सरकार जल्दी ही भारतीय सीमा प्रशासन सेवा की श्रेणी-२ (ग्रेड-२) में भरती करेगी। यह सेवा १९५६ में देश के सीमा क्षेत्रों में शासन संबंधी बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तरह बनायी गयी थी। इस सेवा के लिए विशेष प्रकार के अफसरों की जरूरत है, जिनमें शारीरिक क्षमता के साथ सूझ-बूझ आदि भी काफी हो। इन अफसरों को आदिम-जातियों के रहन-सहन और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए और उन क्षेत्रों में रहने के लिए इनको तैयार होना चाहिए जहां संचार के साधन और सामाजिक सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। इन अफसरों को कार्यालयों में रहकर उनकी भाषा सीखनी होगी और उनकी समस्याओं को समझ कर उनका विश्वास प्राप्त करना होगा।

वेतन आयोग की रिपोर्ट

वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने ३० नवम्बर को लोकसभा की मेज पर रखी। साथ ही आयोग की कुछ सिफारिशों पर सरकार का निर्णय भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। वेतन आयोग की रिपोर्ट का संक्षेप इस प्रकार है :

वेतन आयोग को ये काम सौंपे गये थे : उन सिद्धान्तों पर विचार करना जिनके अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नौकरी की स्थिति और वेतन का ढांचा या क्रम निर्धारित किया जाए; विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन-क्रम और नौकरी की स्थितियों में क्या परिवर्तन उचित और व्यावहारिक हैं इस पर विचार और सिफारिश करना और विशेषकर यह बताना कि किस हद तक सुख-सुविधाओं के रूप में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुचाया जा सकता है। आयोग से कहा गया था कि अपनी सिफारिशें करते समय यह देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति और विकास योजनाओं की आवश्यकता और प्रभाव, तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय शासन और सहायता-प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनों आदि के अंतर पर भी विचार करे।

आयोग की रिपोर्ट के पांच भाग हैं। पहले भाग में प्रस्तावना है, दूसरे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और नौकरी की स्थिति के आधार और सिद्धान्त, न्यूनतम और अधिकतम वेतन और मंहगाई भत्ते पर विचार, तीसरे में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन, मकान भाड़ा और अन्य भत्तों के संबंध में सिफारिशें, चौथे में काम के घंटे, आकस्मिक और अन्य छुट्टियां, सार्वजनिक छुट्टियां, रिटायर होने की उम्र और तत्संबंधी उपादान और चिकित्सा, मकान, शिक्षा, कैंटीन, वर्दी, हितकारी कार्य, छुट्टी में यात्रा की रियायतें, तरक्की, कैरक्टर रोल, राजनीतिक अधिकार, संगठन और बातचीत करने के जरिये आदि पर विचार और पांचवें भाग में कार्यकुशलता और अंक संकलन पर विचार और आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले खर्च का अनुमान दिया गया है।

मुख्य सिफारिशों का सारांश निम्नलिखित है :—

नौकरी को स्थिति और वेतन के आधार

नौकरी की स्थिति और वेतन का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिससे विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त योग्यता के आदमी मिल सकें और उनकी कुशलता बनी रह सके। यद्यपि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह आदि के मामले में सरकार पर आदर्श मालिक की कसौटी नहीं लागू हो सकती, फिर भी सरकार निजी मालिकों से जिन सामाजिक सिद्धान्तों और व्यवहार के अनुसरण की आशा करती है, उनका ध्यान सरकारी नौकरी के मामले में भी साधारणत: रखा जाना चाहिए। सरकारी काम में कुशलता की व्यवस्था करना सबसे जरूरी है पर इसके बाद सामाजिक न्याय की खातिर जहां तक हो सके अधिकतम और न्यूनतम वेतन में अंतर कम से कम रखना चाहिए। इस प्रकार न्यूनतम और अधिकतम वेतन निर्धारित करने के बाद बीच का वेतन-क्रम निर्धारित करने में सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि विभिन्न श्रेणियों के वेतन-क्रम में उचित संबंध रहे। न्यूनतम वेतन के ऊपर की श्रेणियों में भी सरकार को अपने कर्मचारियों को यथोचित वेतन देना चाहिए। सरकारी नौकरों के नौकरी की स्थिति और वेतन के निर्धारण में राष्ट्रीय उत्पादन को स्वत: कोई आधार नहीं माना जा सकता, सिवा इसके कि उससे देश की साधारण आर्थिक स्थिति का पता मिले। उपभोग्य वस्तुओं का मूल्य अवश्य ही सरकारी नौकरों के वेतन निर्धारण का एक आधार माना जाएगा।

विकास आयोजन और आर्थिक स्थिति

देश की आर्थिक स्थिति, विकास की जरूरतें और उपलब्ध साधनों पर विचार करने के बाद आयोग का निष्कर्ष यह है कि जब तक देश का काफी विकास नहीं हो जाता, जन-साधारण या अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की स्थिति में कोई खास सुधार संभव नहीं है। देश की जो स्थिति है उसमें आर्थिक विकास के लिए वर्तमान खर्च और रहन-सहन में काफी संयम बरतना होगा। राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, उसमें हमारा खर्च काफी कम हो तभी विकास के कामों में लगाने के लिए रुपया बच सकेगा। पर विकास आयोजन का अर्थ यह नहीं है कि हमारा रहन-सहन या दशा और खराब हो जाए। धनी लोगों से जरूर कहा जा सकता है कि वे अपना खर्च घटायें, अन्य लोगों से भी कहा जा सकता है कि विकास योजनाओं के फलस्वरूप जो बढ़ती हो उससे वे अपना खर्च या उपभोग न बढायें, पर आयोग का यह मत है कि सबसे नीची श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन और दशा में विकास आयोजन के कारण कोई अवनति या गिरावट न आनी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि योजना के केवल आर्थिक ही नहीं सामाजिक लक्ष्य भी हैं और जन-साधारण की दशा सुधारने के लिए भी जो खर्च होता है उसे बेकार या कम महत्व का नहीं समझना चाहिए।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों में असमानता

विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों के वेतनों में भी काफी असमानता है और कुछ राज्यों के कर्मचारियों के वेतनों में तो केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनों से बहुत अंतर है। एक राज्य में भी राज्य सरकार और स्थानीय शासन या सहायता-प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के भी वेतन समान नहीं हैं। केवल राज्य सरकार की आमदनी या राजस्व ही नहीं इसके कारण और भी हैं, जैसे सरकार किस चीज या सेवा को ज्यादा जरूरी समझती है और किसको कम। यह समस्या बड़ी जटिल है और इसका कोई एक सरल समाधान नहीं है। परन्तु राज्य सरकारें किसी चीज को कम या ज्यादा महत्व देती हैं और इस हिसाब से उस कार्य के लिए कम या अधिक वेतन देती हैं, महज इसी कारण से वेतन आयोग यह ठीक नहीं समझता कि केन्द्रीय कर्मचारी को न्याय्यसुविधा या प्राप्य से वंचित रखा जाए; हां यह असमानता अपव्यय पर अंकुश का काम अवश्य करे।

न्यूनतम वेतन

केन्द्रीय सरकार में इस समय न्यूनतम वेतन सब मिला कर ७५ रु० है, निजी कारोबारों में भी इससे अधिक नहीं दिया जाता और इतने

पर सरकार को इस श्रेणी में अच्छे आदमी मिल जाते हैं : पर वरदाचारियार कमीशन ने जिस समय की कीमतों पर विचार करके इतने वेतन की सिफारिश की थी और सन् १९५८ में उपभोग्य वस्तुओं के जो औसत भाव थे, तथा इस समय तीन आदमियों के परिवार के भोजन, वस्त्र और निवास आदि पर जो साधारण खर्च पड़ता है, इन सबको और देश की समाई को ध्यान में रख कर आयोग ने केन्द्रीय सरकार के नौकरों के लिए ८० रुपये महीने न्यूनतम वेतन (१० रु० महगाई शामिल करके) की सिफारिश की है।

सबसे ऊंची तनखाहें

प्रतिष्ठित निजी या गैर-सरकारी कारोबारों मे समकक्ष कर्मचारियो को जितनी ऊची तनखाहे दी जा रही है, वरदाचारियार कमीशन की सिफारिशो के फलस्वरूप ऊचे सरकारी वेतनो मे जो काफी कमी की जा चुकी है, भाव अधिक बढ़ने से वास्तविक आय मे जो कमी हो गयी है, और ऊची श्रेणियो मे ऊची योग्यता के आदमियो की जरूरत, इन सबको ध्यान में रखते हुए आयोग ने सर्वोच्च श्रेणियो के वर्तमान वेतनों मे किसी कमी की सिफारिश नही की है।

महगाई भत्ता

श्रमिकों के व्यवहार की वस्तुओं के मूल्य के सूचक अक (आधार १९४९=१००) के आधार पर तथा इस धारणा पर कि इसके १०० के नीचे जाने की सभावना नही है, आयोग ने सिफारिश की है कि कम तनखाह पाने वाले कर्मचारियो का मूल वेतन, सूचक अक १०० के हिसाब से उनकी जरूरतो का ध्यान रख कर, निश्चित किया जाए और यदि सूचक अक ९० तक भी गिर जाए तो उनके मूल वेतन में कोई कमी न की जाए। फिलहाल भावों के बढने की ही सभावना है, इसलिए महगाई भत्ता, वेतन से अलग बना रहना चाहिए, पर अभी यह उन्ही कर्मचारियों को मिलना चाहिए जिनका वेतन ३०० रु० महीने से अधिक न हो। उपरोक्त बातो को ध्यान मे रखते हुए ३०० तक के वेतन पर वर्तमान दर से महगाई भत्ते (जिसमे ५ रु० की अतरिम सहायता शामिल नही है) को और इसके ऊपर की श्रेणी में पूरे भत्ते को १,००० रु० तक के मूल वेतन में मिला दिया जाए।

उपभोग्य वस्तुओं के मूल्य के सूचक अक ११५ के आधार से १५० रु० तक के वेतन पर १० रु० और १५० से ३०० रु० के वेतन पर २० रु० के हिसाब से, ३२० रु० तक मार्जिनल एडजस्टमेंट या संशोधन करते हुए, महगाई भत्ता देने की सिफारिश की गई है। यह दर तब तक जारी रहे जब तक सूचक अंक १०० के नीचे न जाए। यदि किसी १२ मास की अवधि के भीतर सूचक अक औसतन ११५ से १० अंक ऊपर रहे तो सरकार को भत्ते की दर बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, इसी प्रकार यदि सूचक अक मे इतनी अवधि मे औसतन इतना हो, यानी १० अक की कमी हो तब भी सरकार को स्थिति पर विचार करके भत्ते की दर मे हेर-फेर करना चाहिए। भविष्य में यदि भत्ता बढ़ाया जाए तो वह ४०० रु० से कम मूल वेतन पाने वालो को भी इस हिसाब से मिलना चाहिए कि भत्ते को मिला कर उनकी तनखाह ४०० रु० से अधिक न पड़े। आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि यदि मूल्य बढ़ते रहे तो उस समय की स्थिति के अनुसार ४०० रु० से १,००० रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी भत्ता देने पर विचार किया जाए।

आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन-क्रम

वेतन आयोग ने उपरोक्त सिद्धान्तो के आधार पर निम्नलिखित वेतन-क्रमों की सिफारिश की है :

प्रथम श्रेणी

	रुपये
सुपरटाइम स्केल और फिक्स्ड वेतन	३०००
	२७५०
	२५००
	२२५०
	२०००–१२५–२२५०
	१८००–१००–२०००–१२५–२२५०
	२०००
	१८००–१००–२०००
	१६००–१००–१८००
	१३००–६०–१६००–१००–१८००
	११००–५०–१३००–६०–१६००–१००–१८००
	१३००–६०–१६००
	११००–५०–१४००
टाइम स्केल	
इडियन फारेन सर्विस	
सीनियर स्केल	९००–५०–१३००–१३००–६०–१६००–१००/२–१८००
जूनियर स्केल	४००–४००–५००–४०–७००–३०–१०००
क्लास १ नान-टेक्निकल सर्विस	४००–४००–४५०–३०–५१०–७००–४०–११००–५०/२–१२५०
साइटिफिक सर्विसेज	
सीनियर स्केल	७००–५०–१२५०
जूनियर स्केल	६००–४०–८००–५०–९५०
इजीनियरी और अन्य नौकरिया	
सीनियर स्केल	७००–६०–११००–५०/२–१२५०
जूनियर स्केल	४००–४००–४५०–३०–६००–३५–९५०
मेडिकल सर्विसेज	
सीनियर स्केल	८५०–४५–१२[illegible]

	१४०० (कन्सालिडेटेड स्केल)
	या
	६७५–३५–८५०–४०–१०५०–५०–११५० और प्रैक्टिस न करने का भत्ता
जूनियर स्केल	५७५–२५–६००–३०–७५०–४०–११५० (कनसालिडेटेड)
	या
	४२५–२५–४५०–३०–६००–३५–९५० और प्रैक्टिस न करने का भत्ता

दूसरी श्रेणी

स्टैंडर्ड स्केल	३५०–२५–५००–३०–८३०–३५–९००
अकाउट्स विभाग	५९०–३०–८३०–३५–९००
स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट (रेलवे)	५९०–३०–८३०–३५–९००
डाक्टरी नौकरियां	६७५–२५–६५०–३०–९५० (कनसालिडेटेड)
	या
	३२५–२५–५००–३०–८०० और प्रैक्टिस न करने का भत्ता
आकाशवाणी के प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, केन्द्रीय इन्फार्मेशन सर्विस की तीसरी श्रेणी/स्टोर्स आफिसर आदि	३५०–२५–५००–३०–८००
रिसर्च असिस्टेंट/टेक्निकल असिस्टेंट आदि	३२५–१५–४७५–२०–५७५
केन्द्रीय सचिवालय के असिस्टेंट	२१०–१०–२९०–१५–५३०

तीसरी श्रेणी

क्लेरिकल स्टाफ

सुपरवाइजरी ग्रेड १	४५०–२५–५७५
,, ,, २	३५०–२०–४५०–२५–४७५
,, ,, ३	३३५–१५–४२५
,, ,, ४	२१०–१०–२९०–१५–३८०
अपर डिवीजन क्लर्क	१३०–५–१६०–८–२८०–१०–३००
लोअर डिवीजन क्लर्क	११०–३–१३१–४–१७५–५–१८०
स्टेनोग्राफर	३२०–१५–५३०
	२१०–१०–२९०–१५–४२५
	१५०–५–१६०–८–२८०–१०–३००
	१३०–५–१६०–८–२८०–१०–३००

वैज्ञानिक स्टाफ

रिसर्च असिस्टेंट/साइंटिफिक असिस्टेंट/लिबोरेटरी असिस्टेंट आदि	३२५–१५–४७५–२०–५७५
	२१०–१०–२९०–१५–४२५
	१५०–५–१६०–८–२८०–१०–३०० (अगर चारों ग्रेड रखे जाए)
	या
	१६०–८–२८०–१०–३०० (अगर तीन ग्रेड रखे जाए)
	११०–४–१७०–५–२००

इंजीनियरिंग स्टाफ	४५०–२५–५७५
	३३५–१५–४८५
	३३५–१५–४२५
	२५०–१०–२९०–१५–३८०
	२०५–७–२४०–८–२८०
	१८०–१८०–२०५–७–२४०–८–२८०
	१८०–६–२४०
	१७५–६–२०५–७–२४०
	१५०–५–१७५–ई बी–६–२०५–७–२४०
	११०–४–१७०–५–२००
	११०–३–१३१–४–१७५–५–१८०
	कुछ लोगों को १० रु० स्पेशल तनखाह

अकाउंट्स स्टाफ

एस० ए० एस० अकाउट्स	२७०–१५–४३५–२०–५७५
डिविजनल अकाउट्स	१८०–१०–२९०–१५–४४०

राजस्व

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स (सिलेक्शन ग्रेड, केवल तभी जब ग्रेड २ में सीधे नियुक्त हों)	३२५–१५–४७५–२०–५७५
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स (साधारण ग्रेड)	२१०–१०–२९०–ई० बी०–१५–४८५
नोटिस सर्वर्स	७५–१–८५–२–९५

सीमा शुल्क

प्रिवेंटिव आफिसर्स ग्रेड १/ एक्जामिनर्स (सिलेक्शन ग्रेड)	३२५–१५–४७५–२०–५७५
प्रिवेंटिव आफिसर्स ग्रेड १/ एक्जामिनर्स	२१०–१०–२९०–ई बी–१५–४८५
प्रिवेंटिव आफिसर्स ग्रेड २	१५०–५–१६०–८–२८०–१०–३००

केन्द्रीय उत्पादन कर

डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स	३५०–२०–४५०–२५–५७५
इंस्पेक्टर्स (सिलेक्शन ग्रेड)	३२०–१५–४८५
इंस्पेक्टर्स (आर्डिनरी ग्रेड)	२१०–१०–२९०–१५–३८०
सुपरवाइजर्स	११०–४–१७०–५–१८०
तलाशी लेने वाली स्त्रियां	१३०–४–१७०–५–२२५

डाक-तार

आपरेटिंग स्टाफ—	
सुपरवाइजरी ग्रेड	३३५–१५–४२५
	२१०–१०–२९०–१५–३२०
बुनियादी ग्रेड	१५०–५–१७५–६–२०५–७–२४०
	११०–४–१७०–५–२२५
असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट आफ पोस्ट आफिसेज एंड आर० एम० एस०	३३५–१५–४२५
इंस्पेक्टर्स आफ पोस्ट आफिसेज एंड आर० एम० एस०	२१०–१०–२९०–१५–३८०
वायरलेस आपरेटर्स / रिपीटर स्टेशन एसिस्टेंट	२७०–१०–२९०–१५–३५० (सिलेक्शन ग्रेड) १५०–५–१६०–८–२४०–ई बी–८–२८०–१०–३००
टेलीफोन इंस्पेक्टर्स	१५०–५–१६०–८–२४०–ई बी–८–२८०–१०–३००
लाइन इंस्पेक्टर्स	१५०–५–१६०–८–२१६
मैकेनिक्स, केबल जौइंटर्स	१७५–६–२०५–७–२४० (सिलेक्शन ग्रेड)
	११०–३–१३१–४–१५५ ई बी–४–१७५–५–१८०
सब-इंस्पेक्टर्स टेलीग्राफ्स	१०५–३–१३५–ई बी–४–१५५
हेड पोस्टमैन और एलाइड-कैटेगरीज	१३५–४–१५५ (सिलेक्शन ग्रेड) १०५–३–१३५
पोस्ट मैन, लाइन मैन, मेल गार्ड्स	७५–१–८५–ई बी–२–९५

रेलवे

चीफ कंट्रोलर, हेड टिकट कलेक्टर, हेड ट्रैवलिंग टिकट इक्जामिनर, इंस्पेक्टर (कमर्शियल), इंस्पेक्टर (लोको), इंस्पेक्टर (ट्रांसपोर्टेशन), स्टेशन सुपरिंटेंडेंट / डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, यार्ड फोरमैन, यार्ड मास्टर	४५०–२५–५७५
डिप्टी चीफ कंट्रोलर, हेड टिकट कलेक्टर, हेड ट्रैवलिंग टिकट इक्जामिनर, इंस्पेक्टर (कमर्शियल), इंस्पेक्टर (ट्रांसपोर्टेशन), इंस्पेक्टर (लोको), पावर कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट / डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, यार्ड फोरमैन, यार्ड मास्टर	३७०–२०–४५०–२५–४७५
लोको इंस्पेक्टर, पावर कंट्रोलर	३३५–१५–४८५ (यदि वर्तमान दो ग्रेड २६०–३५०–३५०–और ३००–४०० एक साथ रखे जाए)
चीफ वायरलेस इंस्पेक्टर, ड्राइवर ग्रेड ए, हेड टिकट कलैक्टर, हेड ट्रैवलिंग टिकट इक्जामिनर, इंस्पेक्टर (कमर्शियल), इंस्पेक्टर (ट्रांसपोर्टेशन), इंस्पेक्टर (लोको), पावर कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर, ग्रेड १, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, यार्ड मास्टर	३३५–१५–४२५
सेक्शन कंट्रोलर	२७०–१०–२९०–१५–४२५–(यदि ग्रेड मिला दिये

१	२	३	४
१५० रु० से कम	वेतन का १० प्र० श० पर ७ रु० ५० न० पैं० से कम नही और १२ रु० ५० न० पैं० से ऊपर नही	वेतन का ५ प्र०श० पर ५ रु० से कम नही और १० रु० से अधिक नही; उन सब लोगों के लिए जो ५०० रु० से नीचे तनखा पाते हो	कुछ नही
१५० रु० और उससे ऊपर पर ३०० रु० से नीचे	वेतन का ८ प्र०श० पर १२ रु० ५० न०पैं० से कम नही और १७ रु० ५० न० पैं० से अधिक नही		
३०० रु० और उससे ऊपर	वेतन का ६ प्रतिशत पर ७५ रु० से अधिक नही		

जहा संशोधित दरो के लागू होने से वर्तमान भत्ते में कमी होती हो वहां ऐसी कमी ३ साल में फैला देनी चाहिए। मकान भत्ता पाने के लिए निर्धारित नगर में रहने की शर्त गजटेड और गैर-गजटेड दोनो प्रकार के कर्मचारियों पर लागू न होनी चाहिए और उन लोगों को भी मकान भत्ता मिलना चाहिए जिनका कार्यालय निर्धारित नगर के बाहर किन्तु पास में हो और जिनको मजबूरन नगर के अन्दर रहना पड़ता है।

यात्रा भत्ता

दौरे या यात्रा के समय दैनिक भत्ता और आनुषंगिक खर्च की दरो पर पुनर्विचार होना चाहिए। तबादले पर जाने के कारण यात्रा के आनुषंगिक खर्च के भत्ते की वर्तमान दर आधी कर दी जानी चाहिए। पर शेष आधे भाग के बदले कर्मचारी को आधे महीने की तनखाह, जो १५० रु० से अधिक न हो, मिलनी चाहिए। कुछ स्थितियों में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को और नौकरी के क्रम में चोट आदि से अशक्त होकर हटने वाले कर्मचारियों को अपने घर के नगर तक यात्रा का भत्ता मिलना चाहिए।

घर से कार्यालय तक जाने का प्रबन्ध

घर से कार्यालय तक जाने के लिए भत्ता न देने की वर्तमान प्रथा जारी रहनी चाहिए। पर, कुछ विशेष स्थितियों में यातायात की सुविधा देने पर विचार होना चाहिए। बड़े नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों की यातायात की दिक्कतों को सुलझाने का भी प्रबन्ध होना चाहिए।

काम के घंटे

दफ्तरों के कर्मचारियों के काम के घंटे कम ही है और उन्हे बढ़ाना उचित होगा पर; पहले वर्तमान समय में ही अधिक काम कराने की कोशिश होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए प्रति सप्ताह काम के जितने घंटे नियत है वे जारी रहने चाहिएं और इस सबंध में समानता लाने की या एक से घंटे या समय निर्धारित करने की जरूरत नही है, न ऐसा करना व्यावहारिक है। जिन प्रतिष्ठानो मे औद्योगिक और गैर-औद्योगिक, दोनों प्रकार के आदमी काम करते है वहा दोनों के काम के घंटे समान होने चाहिए।

साप्ताहिक छुट्टी

जिन दफ्तरो में इस समय शनिवार को आधे दिन काम होता है, उनमे क्रमश. एक शनिवार को पूरे दिन काम हो और उससे अगले शनिवार को पूरी छुट्टी रहे। आपरेटिंग स्टाफ को छोड़ कर बाकी कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी के बारे में मौजूदा व्यवस्था ही ठीक रहेगी। आपरेटिंग स्टाफ के लिए सिफारिश की गयी है कि उन्हे जो साप्ताहिक छुट्टी दी जाए वह सामान्यत ३० घंटे से कम नही होनी चाहिए और इन तीस घंटों में एक पूरी रात अवश्य शामिल होनी चाहिए। जब आपरेटिंग स्टाफ से किसी छुट्टी के दिन काम लिया जाए तो उसके बदले में दो महीने के अंदर-अदर जितनी जल्दी हो सके एवजी छुट्टी दे देनी चाहिए।

छुट्टियां

जिन दफ्तरो मे १६ से अधिक छुट्टिया होती है उनमें छुट्टियों की सख्या घटा कर १६ कर देनी चाहिए। जिन कर्मचारियों की कोई छुट्टी नही होती उनको तीन राष्ट्रीय छुट्टियां का हकदार माना जाना चाहिए और इन दिनों भी यदि उनको छुट्टी न दी जा सके तो उन्हें नकद मुआवजा दिया जाना चाहिए। वर्कशाप स्टाफ की छुट्टियों के बारे मे कहा गया है कि छुट्टियों की सख्या किसी भी हालत में १६ से अधिक नही होनी चाहिए। सरकारी कारखानो में गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को भी उतनी ही छुट्टिया मिलनी चाहिएं जितनी औद्योगिक कर्मचारियो को मिलती है। ओवर टाइम के अधिकारी कर्मचारियो को यदि छुट्टी के दिन काम पर बुलाया जाए तो ओवर टाइम दिया जाना चाहिए।

ओवर टाइम भत्ता

ओवर टाइम भत्ता, विशेष स्थितियों में, केवल ऐसे गैर-गजटेड कर्मचारियों को ही दिया जाना चाहिए जिनका मासिक वेतन ५०० रु० से अधिक न हो। कार्यालय कर्मचारियों को किसी भी दिन दफ्तर के निश्चित समय के बाद ४५ मिनट से अधिक समय तक ड्यूटी देने पर ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। वर्कशाप स्टाफ को वर्कशाप के निश्चित घंटों से अधिक काम के लिए, जो सप्ताह में ४८ घंटों से कम न हो, ऐसे निश्चित नियमों के आधार पर ओवर टाइम दिया जाना चाहिए जिससे

विभिन्न कारखानों में कम से कम ओवर टाइम हो। सभी कर्मचारियों का ओवर टाइम, मकान किराये भत्ते को छोड़ कर शेष वेतन और भत्ते के आधार पर लगाया जाना चाहिए।

आकस्मिक छुट्टी

कार्यालय कर्मचारियों को साल में १५ के स्थान पर १२ आकस्मिक छुट्टियां दी जानी चाहिए। आपरेटिंग स्टाफ तथा अन्य ऐसे ही कर्मचारियों को जिनकी सार्वजनिक छुट्टियां नहीं होतीं या कम होती हैं १५ दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है। वर्कशाप तथा अन्य औद्योगिक कर्मचारियों को साल में ७ आकस्मिक छुट्टियां दी जानी चाहिए।

अन्य छुट्टियां

अर्जित छुट्टी नौकरी के अर्से के आधार पर लगायी जानी चाहिए।

कार्यालय कर्मचारियों को पहले पांच वर्ष की नौकरी में एक महीने पीछे १ ७५ दिन के हिसाब से और १५ वर्ष की नौकरी के बाद अधिक से अधिक २ ५ दिन के हिसाब से अर्जित छुट्टी दी जानी चाहिए।

औद्योगिक कर्मचारियों को पहले पांच वर्ष की नौकरी में एक महीने पीछे एक दिन और १५ वर्ष के बाद १.७५ दिन के हिसाब से अर्जित छुट्टी दी जानी चाहिए। यह अर्जित छुट्टी वर्ष में १० दिन की पूरी तनखाह पर और १० दिन की आधी तनखाह पर मिलने वाली बीमारी की छुट्टियों से अलग होगी।

यह सिफारिश की गयी है कि कर्मचारियों को, विशेषत. वैज्ञानिक, शिल्पिक और प्रशासनिक कर्मचारियों को, अध्ययन के लिए छुट्टी देने में उदारता बरती जानी चाहिए।

सेवा निवृत्ति की उम्र

दूसरे देशों में असैनिक कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, मृत्यु संख्या में कमी, पेंशन प्राप्त लोगों की पेंशन के बाद भी काफी आयु, बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था में शिक्षित लोगों की कमी और रोजगार की स्थिति को देखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र ५८ वर्ष कर देनी चाहिए। वैज्ञानिक और शिल्पिक कर्मचारियों को दो वर्ष के लिए और, अथवा दुबारा नौकरी देकर ६० वर्ष तक रखा जा सकता है।

सेवा निवृत्ति पर लाभ

जो अस्थायी कर्मचारी स्थायी हो जाएं उनकी अस्थायी नौकरी भी पेंशन के लिए शामिल कर लेनी चाहिए। यदि क्वालीफाइंग सर्विस कर्मचारी की नौकरी के पूरे वर्षों से छ. महीने से अधिक हो तो कर्मचारी को आधे वर्ष की पेंशन का अतिरिक्त लाभ दे देना चाहिए। मृत्यु-धन, सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की दरों में इस प्रकार संशोधन करना चाहिए कि पेंशन के समान ही ३० वर्ष की क्वालीफाइंग सर्विस पूरी होने पर कर्मचारी को अधिक से अधिक राशि मिल जाए।

औद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी होने के बाद स्टैंडर्ड पेंशन योजना में शामिल कर लेना चाहिए।

ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के लिए, जो पांच वर्ष की निरंतर नौकरी के बाद निवृत्त हों या नौकरी से अलग किये जाएं, एक वर्ष की नौकरी के पीछे एक-तिहाई महीने के वेतन के हिसाब से टर्मिनल ग्रेच्युटी देने की सिफारिश की गयी है।

जो कर्मचारी नौकरी में रहते हुए मर जाएं उनके परिवारों को सुविधाएं देने की सिफारिश की गयी है। जो अस्थायी कर्मचारी एक वर्ष की नौकरी के बाद मर जाएं उनके परिवारों को एक महीने से तीन महीने तक की तनख्वाह ग्रेच्युटी के रूप में दी जाए। अर्ध-स्थायी (क्वासी परमानेंट) कर्मचारियों के परिवारों को अधिक से अधिक चार महीने की तनख्वाह के बराबर ग्रेच्युटी देनी चाहिए। सेवा निवृत्ति या छंटनी की स्थिति में टर्मिनल ग्रेच्युटी देने के लिए जो दर सुझायी गयी है यदि वह अधिक हो तो कर्मचारी की मृत्यु पर ग्रेच्युटी उसी दर से देनी चाहिए।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि यदि कोई स्थायी कर्मचारी पांच वर्ष की क्वालीफाइंग नौकरी पूरी करने से पहले मर जाए तो उसके परिवार को कम से कम छ: महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी दी जाए। लेकिन यदि नौकरी स्थायी होने के एक वर्ष बाद ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो कम से कम दो महीने की तनख्वाह के बराबर ग्रेच्युटी दी जानी चाहिए। यदि मृत कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल रहा हो, तो उसके परिवार को कर्मचारी के पेंशन व्यवस्था में शामिल होने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और भविष्य निधि योजना में ब्याज सहित सरकारी हिस्से के अंतर के बराबर ग्रेच्युटी देनी चाहिए।

मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को अधिक सुविधाएं देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर विचार करने के बाद आयोग ने मृत व्यक्ति के परिवार को दी जाने वाली सुविधाओं की मौजूदा व्यवस्था के बजाय अंशदायी आधार पर विधवा तथा बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है। इस प्रस्तावित योजना के अंतर्गत वेतन में से बहुत थोड़ी राशि इस योजना के लिए देने अथवा ग्रेच्युटी का कुछ भाग छोड़ने पर, मृत कर्मचारी की विधवा पत्नी को जीवन भर अथवा दूसरा विवाह होने तक उस राशि का एक-तिहाई भाग पेंशन के रूप में मिलता रहेगा जो मृत कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिल रही थी अथवा मरने के एक दिन बाद पेंशन के रूप में मिलती, बच्चों को १८ वर्ष की आयु तक अथवा शिक्षा पूरी होने तक पेंशन के बारहवें हिस्से से एक-तिहाई हिस्से तक की राशि के बराबर, जो बच्चों की संख्या के अनुसार निर्धारित होगी, पेंशन मिलती रहेगी।

यह भी सुझाव रखा गया है कि जिन लोगों की पेंशन २०० रु० से अधिक नहीं है उनको सरकार रहन-सहन का खर्च बढ़ने पर कुछ राहत देने के बारे में विचार करे।

अधिकारियों को जिन जगहों के लिए विज्ञान, शिल्प अथवा व्यावसायिक क्षेत्र की विशेष योग्यता अथवा अनुसंधान की योग्यता होना आवश्यक है उन पर २७ वर्ष से अधिक उम्र के जो अधिकारी नियुक्त किये जाएं उनके लिए आयोग ने पेंशन के लिए क्वालीफाइंग नौकरी में अधिक से अधिक पांच वर्ष जोड़ने की व्यवस्था फिर शुरू करने की सिफारिश की है।

चिकित्सा

सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को [illegible] की सुविधाएं होनी चाहिए और जहां [illegible] हो

वहां इलाज और डाक्टरी सहायता की व्यवस्था का रूप मोटे तौर पर दिल्ली की अशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की तरह होना चाहिए।

औद्योगिक कर्मचारियो को भी गैर-औद्योगिक कर्मचारियो के समान चिकित्सा और डाक्टरी सहायता की सुविधाएं होनी चाहिए।

रहने की सुविधा

सरकार को कर्मचारियो की रहने की व्यवस्था के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाना चाहिए। इस समय मकान बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसे, विशेषतः बम्बई और कलकत्ता में, काफी बढाना चाहिए। जिन स्थानो पर सरकारी कर्मचारियो की संख्या काफी है वहां रहने की व्यवस्था पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है। जब तक आवश्यक सख्या में स्थायी मकान तैयार नही होते तब तक सस्ते और अस्थायी मकान बनाने का कार्यक्रम तुरन्त शुरू कर देना चाहिए। जिन कर्मचारियो का मासिक वेतन १५० रु० से कम है उनसे वेतन का ७॥ प्रतिशत किराया काटना चाहिए। जिन कर्मचारियो की एक स्थान से दूसरे स्थान को बदली की जाए उनको मकान देने के सम्बन्ध में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

ऐसे कर्मचारियो को, जिन्हे काम या ड्यूटी के कारण मुफ्त मकान न देने पर वेतन अधिक देना पडता हो, किराया काटे बिना ही मकान देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार को चाहिए कि वह कर्मचारियो को अपने मकान, विशेषत सहकारी आधार पर, बनाने के लिए प्रोत्साहन दे।

शिक्षा सहायता

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो तथा काम के कारण बार-बार स्थान बदलने के लिए विवश अन्य लोगों के हित के लिए ऐसे स्कूलो की स्थापना को बढावा देना चाहिए जिनका पाठ्यक्रम और शिक्षा का माध्यम समान हो।

रेल विभाग ने ३०० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियो की सहायता के लिए विभिन्न भाषा क्षेत्रो मे होस्टल बनाये हैं जिनमें बच्चो को रहने और खाने-पीने की सुविधाए प्राप्त है जिससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, जहां वे काम कर रहे है, वहा शिक्षा की उपयुक्त सुविधाए न होने पर, अपने बच्चो को अपने मनचाहे स्थान को भेज सकें। ये सुविधाए अन्य विभागों के समान वेतन पाने वाले कर्मचारियो को भी देनी चाहिएं।

वर्दी आदि

कुछ विशेष सरकारी नौकरियो में वर्दी, हिफाजत के लिए पहने जाने वाले अन्य कपडे तथा कुछ और वस्तुएं होना आवश्यक है। इन चीजों को तनख्वाह से अतिरिक्त मिलने वाला लाभ नही समझना चाहिए। जिन कर्मचारियों की तनख्वाह ५० रु० से अधिक न हो उन्हें वर्दी की धुलाई का भत्ता भी दिया जाना चाहिए।

काम करने के लिए आवश्यक सुविधाएं, कैंटीन और कर्मचारियों की भलाई के काम

काम करने के लिए आवश्यक स्थितियों में काफी सुधार की गुंजाइश है। सफाई, रोशनी, वातानुकूलन, फर्नीचर तथा अन्य सामान आदि के बारे में तो तुरन्त ही सुधार किया जा सकता है। कार्यालयों की इमारतें बनाने का एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि कुछ ही वर्षों में सब दफ्तरो के लिए जगह की सन्तोषजनक व्यवस्था हो जाए।

आपरेटिंग स्टाफ के लिए बने विश्राम घरों और ठहरने के कमरो की जांच की जानी चाहिए। जहा कर्मचारियों की सख्या कम हो वहां टिफिन-रूम और जहा ५० से अधिक हो वहां कैण्टीन की व्यवस्था होनी चाहिए। कैण्टीनो और टिफिन-रूम आदि के लिए विभाग से मिलने वाली कम से कम सहायता के बारे मे व्यवस्था होनी चाहिए।

सभी केन्द्रीय कर्मचारियो की भलाई के लिए एक सम्मिलित कार्यक्रम बनाने के लिए पहला काम यह होना चाहिए कि विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिनिधि लेकर एक केन्द्रीय एजेंसी या समिति बनायी जाए जो भलाई के कामों की देखरेख करे और जहां तक संभव हो सबके लिए समान रूप से भलाई के काम कराये। कर्मचारियों की भलाई के कामो में स्टाफ का अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए। भलाई के काम करने के लिए की गयी मौजूदा व्यवस्था की जांच और उसमें सुधार के सुझाव देने के लिए एक समिति बनायी जाए। भलाई के कामों पर अभी जो खर्च किया जा रहा है वह बढ़ाया जाना चाहिए और विभिन्न विभागों में सामान्यत. भलाई के कामों के लिए समान अनुदान मिलने चाहिएं।

सामाजिक, सास्कृतिक और मनोरजन के कार्यक्रमो के अतिरिक्त सहकारिता समितियां बनाने तथा कुछ स्थितियों में कर्मचारियो अथवा उनके आश्रितो को सहायता देने की योजना के बारे में विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए।

छुट्टियों में यात्रा की सुविधा

विभिन्न श्रेणी के रेल कर्मचारियों को प्राप्त यात्रा सुविधाएं एक सी होनी चाहिएं और इनमें यह कमी करनी चाहिए कि सभी श्रेणियों के लोगों को वर्ष में एक बार फ्री पास और दो बार रियायती टिकट मिले।

अन्य कर्मचारियो के लिए मौजूदा सुविधाएं जारी रहनी चाहिए लेकिन ये सुविधाएं औद्योगिक तथा काम से वेतन पाने वाले उन कर्मचारियो को भी मिलनी चाहिएं जिन्हें नियमित छुट्टी मिलती है। जिन कर्मचारियों के घर ऐसी जगह है जहां रेल नही पहुंचती उन्हें निकटस्थ रेलवे स्टेशन से घर तक की यात्रा की भी सुविधा दी जानी चाहिए। जो कर्मचारी अपने परिवार घरो पर ही रखते है उन्हे वर्ष में केवल एक बार घर जाने के लिए रियायत देनी चाहिए।

पदोन्नति तथा आचरण रिपोर्ट

बडी जगहों पर तरक्कियो के लिए योग्यता ही आधार रहना चाहिए लेकिन छोटी जगहो के लिए सीनियरिटी और योग्यता दोनो ही का सिद्धांत ठीक रहेगा। केवल उन स्थानो को छोड कर जिनके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता हो, तरक्कियो के लिए आमतौर पर परीक्षा का तरीका नही अपनाना चाहिए।

केवल तरक्की की सुविधाएं बढाने के लिए ही वेतन-क्रम आदि में सशोधन नही होने चाहिएं। क्लास दो और क्लास तीन के जवान अधिकारियो को क्लास एक और क्लास दो में तरक्की देने के लिए विशेष सीमित प्रतियोगिताए करने की प्रणाली होनी चाहिए।

कर्मचारी की गुप्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखे जाने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, लेकिन उससे ऊंचे अधिकारी को रिपोर्ट देने वाले अधिकारी की राय पर सही और स्वतन्त्र निर्णय करना चाहिए। यह देख लेना चाहिए कि गुप्त रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी तत्संबंधी आदेशों के अनुरूप ही काम करते हैं।

अस्थायी काम से वेतन पाने वाले तथा अन्य कर्मचारी

इतनी बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। इस संबंध में शीघ्र से शीघ्र निर्णय करना चाहिए कि प्रत्येक श्रेणी के कितने स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस काम के लिए एक या दो सरकारी समितियां बना दी जाएं और यह देख लिया जाए कि इस संबंध में सरकार के निर्णयों पर छ: महीने या एक साल के अंदर-अंदर अमल हो जाए।

काम से वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारियों को, जिन की स्थायी और अर्ध-स्थायी तौर पर आवश्यकता है, स्थायी या अर्ध-स्थायी (क्वासी परमानेंट) कर देना चाहिए। काम के अनुसार उनके औद्योगिक या गैर-औद्योगिक वर्ग बना देने चाहिए और उनको नौकरी की वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो ऐसे वर्ग के कर्मचारियों को मिलती हैं।

जो काम बिल्कुल ही आकस्मिक रूप का हो केवल उसी के लिए आकस्मिक रूप में काम करने वाले रखने चाहिए और इस बारे में मौजूदा स्थिति की जांच की जानी चाहिए। 'गैर अनुसूचित जगहों' पर आकस्मिक काम करने वालों के लिए भी रोजी की वही दर निश्चित करनी चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत अनुसूचित जगहों पर आकस्मिक काम करने वालों के लिए है अथवा जो कम से कम दर ऐसी जगहों के लिए राज्य सरकारों ने निश्चित की है।

केन्द्रीय सरकार के सभी आकस्मिक काम करने वालों को साप्ताहिक छुट्टी, काम के घंटों, रात की पारी तथा ओवर टाइम काम करने के लिए अतिरिक्त रोजी के बारे में वही सुविधाएं दी जानी चाहिएं जिनकी न्यूनतम वेतन (केन्द्रीय) नियम, १९५० में व्यवस्था है।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियम

सरकारी कर्मचारियों पर सार्वजनिक रूप से राय जाहिर करने, सरकार की आलोचना करने, जायदाद खरीदने और बेचने, उपहार स्वीकार करने तथा अन्य मामलों में प्रतिबंध के लिए आचरण नियमों में जो व्यवस्था है वह उचित है, और उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन इसलिए आवश्यक है क्योंकि सरकार उनके आचरण के लिए समाज के सामने उत्तरदायी है, अतएव उसे यह निगरानी रखने की जरूरत है कि कर्मचारियों का आचरण समाज तथा समाज की प्रतिनिधि सरकार द्वारा निश्चित नियमों के अनुकूल हो।

लेकिन, आयोग ने यह सिफारिश की है कि सार्वजनिक रूप से राय जाहिर करने पर सामान्य प्रतिबन्ध लगा कर जैसी कि इस समय व्यवस्था है, फिर, कुछ स्थितियों में छूट देने की बजाय बौद्धिक विषयों पर बोलने की सामान्य छूट दे दी जाए और केवल आवश्यक प्रतिबंध लगा दिये जाएं।

राजनीतिक अधिकार

कर्मचारियों पर राजनीतिक अधिकारों के उपभोग के संबंध में जो प्रतिबंध हैं उनको हटाना या ढीला करना सार्वजनिक हित में अथवा कर्मचारियों के हित में नहीं होगा।

एसोसिएशन बनाने का अधिकार

ट्रेड यूनियन कार्यों के लिए उचित छूट दी जानी चाहिए। कर्मचारियों के एसोसिएशनों को मान्यता के बारे में नियम होने चाहिए और उनको मान्यता देने में उदारता बरती जानी चाहिए।

अमान्य एसोसिएशन की सदस्यता ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जिस पर अनुशासन की कार्रवाई की जा सके। लेकिन यदि ऐसा कोई भी एसोसिएशन कोई ऐसा काम करे या किसी ऐसे काम में सहायता दे जिसे करने पर सरकारी कर्मचारी-आचरण-नियम भंग होते हों तो सरकारी कर्मचारियों को बता देना चाहिए कि वे यदि सदस्यता नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जा सकती है।

आयोग इस बात को निश्चित रूप से गलत समझता है कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल करें या हड़ताल की धमकी दें अथवा जो लोग समाज के लिए आवश्यक सेवाओं को चला रहे हैं वे अपने काम के लिए उन-सेवाओं में बाधा डालें। इस संबंध में कानून में संशोधन किये बिना ही कर्मचारियों को स्वयं ऐसा परिवर्तन करना चाहिए कि हड़ताल अथवा प्रदर्शन के तरीके न अपनाये जाएं और सरकार ऐसी परम्परा डाले कि यदि कुछ महत्त्वपूर्ण मामले समझौते से हल न हों तो वह उन्हें पंच फैसले के लिए सौंप देगी।

बातचीत और समझौते का साधन

इस राय के साथ ही कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन के तरीके न अपनायें, आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि बातचीत करने और विवादों को हल करने के लिए कोई ऐसी केन्द्रीय संयुक्त परिषद बनायी जाए जिसमें केन्द्रीय सरकार के तमाम कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हो। इसी प्रकार विभागों में भी संयुक्त परिषदें होनी चाहिए।

बातचीत और समझौतों के लिए संयुक्त परिषदें बनाने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि अनिवार्य पंच फैसले की भी व्यवस्था हो, जिसमें केवल मान्य एसोसिएशन ही शामिल हों जिनका काम मौजूदा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों तक के वेतन, भत्ते, साप्ताहिक काम के घंटे और छुट्टियों तक ही सीमित हो।

महत्त्वपूर्ण मामलों में श्रम मंत्रालय का भी निकट संपर्क रहना चाहिए। प्रस्तावित केन्द्रीय संयुक्त परिषद में वह अवश्य सम्मिलित होना चाहिए और यदि पंच फैसला आवश्यक ही हो जाए तो पंच मण्डल का अध्यक्ष भी उसी के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।

अनुशासन की कार्रवाई

अनुशासन संबंधी जांच संबंधित कर्मचारी के वरिष्ठ अधिकारी अथवा उस अधिकारी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए जिसके कहने पर जांच शुरू हुई हो। नौकरी से बर्खास्त करने, अलग करने, अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने अथवा पद अवनति जैसी बड़ी सजाओं के —

केन्द्रीय सरकार के पास जो अपील, अर्जी या याचिकाएं आयें उन पर लोकसेवा आयोग की सलाह से निर्णय करना चाहिए। अपील, अर्जियों, याचिकाओं को रोकने का अधिकार उस अधिकारी से ऊपर के अधिकारी को होना चाहिए जिस की आज्ञा के विरुद्ध अपील, अर्जी या याचिका आदि दी गयी है।

नौकरियों का वर्गीकरण

प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरियों का मौजूदा वर्गीकरण बेमतलब है और उसे खत्म कर देना चाहिए।

किसी भी पत्र-व्यवहार, आज्ञा आदि में कर्मचारी के नाम के साथ नौकरी की श्रेणी के उल्लेख की मौजूदा प्रणाली को आयोग ने बुरा बताया है।

सरकारी दफ्तरों में कुशलता

आयोग ने यह विचार प्रकट किया है कि सरकारी दफ्तरों तथा सरकार द्वारा संचालित रेल, डाक, तार आदि सेवाओं तथा सेवाओं तथा कारखानों में कुशलता और उत्पादकता की समस्या पर तुरन्त और व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। आयोग ने वेतन दर और नौकरी की स्थितियों में सुधार की सिफारिशें यह मानकर की हैं कि कर्मचारी पूरा काम करेंगे और सरकार पूरा काम लेगी।

आंकड़े इकट्ठे किये जाएं

गैर सरकारी नौकरियों में रोजी, वेतन और नौकरी की स्थितियों के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से आंकड़े इकट्ठे करने और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, नौकरी की स्थितियों आदि से उनकी तुलनात्मक समीक्षा का काम बराबर करते रहने के लिए आयोग ने एक विशेष यूनिट जल्दी से जल्दी बनाने की सिफारिश की है।

आयोग की सिफारिशों के कारण अतिरिक्त व्यय

आयोग का अनुमान है कि संशोधित वेतन दरों, भत्तों और नौकरी की स्थितियों में प्रस्तावित सुधारों तथा सुविधाओं आदि के कारण अतिरिक्त वार्षिक व्यय लगभग ४० करोड़ रुपये होगा। इसमें संशोधित वेतन दरों और भत्तों के कारण होने वाला २२ करोड़ रु० का व्यय तथा जो अंतरिम सहायता दी जा चुकी है उसके कारण होने वाला ११ करोड़ रु० का व्यय भी सम्मिलित है। महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने, तथा उसके कारण वेतन दर में होने वाली वृद्धि तथा अन्य सिफारिशों के परिणामस्वरूप सेवा निवृत्ति पर मिलने वाले अतिरिक्त लाभ के कारण जो और व्यय होगा उसका अनुमान आयोग ने नहीं लगाया है।

सिफारिश १ जुलाई, १९५९ से लागू

वेतन आयोग ने यह सुझाव दिया है कि संशोधित वेतन दर तथा महंगाई भत्ता १ जुलाई, १९५९ से लागू हो।

आयोग की सिफारिशों पर वित्त मंत्री का वक्तव्य

आयोग की सिफारिशों के बारे में वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ३० नवम्बर को लोकसभा में एक वक्तव्य दिया, जिसमें केन्द्र सरकार के तत्सम्बन्धी निर्णयों पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि "सदन को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और काम की स्थिति संबंधी सिद्धान्तों की जांच के लिए अगस्त १९५७ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जगन्नाथदास की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग को वांछनीय फेरबदल करने के बारे में सिफारिश करनी थी। आयोग ने १९५७ के अंत में एक अंतरिम प्रतिवेदन पेश किया, जिस पर सरकार ने दिसम्बर १९५७ में आदेश जारी किये। आयोग का अंतिम प्रतिवेदन अगस्त १९५९ के अंत में मिला। इस प्रतिवेदन पर सरकार ने अब विचार कर लिया है और मुख्य सिफारिशों में से कुछ पर निर्णय भी कर लिया है। मैंने सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा है, जिसमें ये सिफारिशें और उन पर किये गये सरकारी निर्णय दिये गये हैं। सरकारी निर्णयों के विषय में एक प्रस्ताव अलग से जारी किया जा रहा है।

मुख्य सिफारिशें

"आयोग की मुख्य सिफारिशों में से एक यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी का कम से कम वेतन, जो इस समय ७५ रु० है, बढ़ाकर ८० रु० प्रतिमास कर दिया जाए। दूसरी मुख्य सिफारिश यह है कि १९५७ में अंतरिम सहायता देने से पहले जितना महंगाई भत्ता मिलता था, उसे वेतन में ही मिला दिया जाए। तीसरी मुख्य सिफारिश यह है कि ८० रु० प्रतिमास के न्यूनतम वेतन को ७० रु० मूल वेतन और १० रु० पृथक् महंगाई भत्ते में बांट दिया जाए। मूल वेतन का सम्बन्ध व्यवहार की वस्तुओं के मूल्य के सूचक अंक (आधार १९४९=१००) से माना जाए और १० रु० के अलग महंगाई भत्ते का सम्बन्ध १९५८ के औसत सूचक अंक से माना जाए। दस रुपये की यह दर १५० रु० से कम वेतन पर लागू हो। उसके बाद ३०० रु० प्रतिमास तक के वेतन पर बीस रुपये प्रति मास महंगाई भत्ता दिया जाए और ३२० रु० तक मार्जिनल एडजस्टमेंट किया जाए। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन वर्तमान ५० रु० (३० रु० वेतन और २० रु० महंगाई भत्ता) के स्थान पर ७० रु० प्रतिमास हो जाएगा। ऊंचे वेतनों में भी काफी वृद्धि होगी, क्योंकि रिटायर होने के समय उन्हें जितना मिल रहा होगा, उसी के हिसाब से निवृत्ति लाभ मिलेंगे। सरकार ने इन सब सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा सरकार ने रिटायर होने के विषय में आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है। महंगे नगरों में मकान भत्ता और शहर भत्ता देने के विषय में आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, उनको भी कुछ सुधार के साथ सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

अतिरिक्त व्यय

"वेतन और भत्तों में जो विभिन्न सुधार किये गये हैं, उनके फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग १६ करोड़ रु० और खर्च होंगे। यह सुधार १ नवम्बर, १९५९ से लागू होंगे। १ जुलाई, १९५९ से ३१ अक्तूबर, १९५९ तक की सेवा के लिए राशि का हिसाब संशोधित वेतन-दर और भत्तों के आधार पर लगाया जाएगा और यह रकम सरकार की ओर से कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप पेंशन आदि में जो बढ़ोतरी होगी, उससे

२ करोड़ रु० प्रतिवर्ष और खर्च होगा। अधिक वेतन, भत्ते और पेंशन देने के विषय में सरकार का उत्तरदायित्व अगले कई वर्ष तक बढ़ता जाएगा और इस प्रकार अंत में न्यूनतम आवर्तक सरकारी खर्च १८ करोड़ रु० प्रतिवर्ष से कहीं अधिक बैठेगा।

"सदन यह मानेगा कि राष्ट्र की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, जबकि विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करना बहुत जरूरी है, इन निर्णयों से वर्तमान साधनों पर बहुत बोझ पड़ेगा। सरकार का इरादा है कि इस बोझ के असर को कम करने और वेतन आदि में बढ़ोतरी के कारण मुद्रा-स्फीति की संभावना को टालने के लिए कुछ कदम उठाये जाएं। सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि जनरल प्राविडेंट फंड में पैसा जमा करना सब कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। जो कर्मचारी अंशदायी या गैर-अंशदायी प्राविडेंट फंड में ८॥ प्रतिशत की ऊंची दर के हिसाब से पैसा कटा रहे हैं, वे उसी दर पर पैसा कटाते रहेंगे। अन्य कर्मचारियों को अपने वेतन का ६ प्रतिशत जनरल प्राविडेंट फंड में देना होगा। सरकार का यह भी इरादा है कि सरकारी कार्यालयों, विशेषकर ऐसी एग्जीक्यूटिव और आपरेशनल एजेंसियों में जो सार्वजनिक व्यय के बहुत बड़े भाग के लिए जिम्मेदार हैं, काम करने के मौजूदा तरीकों को सुधारा जाए। काम के तरीकों के बारे में जो पड़ताल हो चुकी है, उससे मुझे यह आशा हो चली है कि खर्च में काफी बचत की जा सकती है और प्रशासन के खर्च को बढ़ने से रोका जा सकता है। यह अनुमान है कि वर्तमान तरीकों में सुधार के फलस्वरूप कुछ कर्मचारी फालतू हो जाएंगे। सरकार का इरादा है कि इन फालतू कर्मचारियों को वर्तमान नौकरियों से हटाया न जाए और भविष्य में जो नौकरियां निकलें, उन पर रख दिया जाए।

सेवा-निवृत्ति की उम्र

"आयोग ने सिफारिश की है कि जो लोग इस समय ५५ वर्ष की अवस्था में सेवा से निवृत्त होते हैं, उनकी सेवा-निवृत्ति की उम्र बढ़ा कर ५८ वर्ष कर दी जाए। ऐसे कर्मचारी जो ६० वर्ष की उम्र तक सेवा कर सकते हैं, उनकी सेवा-निवृत्ति उम्र घटा कर ५८ वर्ष कर देने की सिफारिश की गयी है, हालांकि इस समय जो लोग काम कर रहे हैं, वे ६० वर्ष तक की उम्र तक ही सेवा कर सकते हैं। सरकार ने इस विषय पर सावधानी से विचार किया और इस निर्णय पर पहुंची कि सेवा-निवृत्ति की उम्र वही रखी जाए, जो इस समय है और इसमें कोई फेरबदल न की जाए। यह निर्णय करते समय सरकार के सामने ये दो बातें रही हैं :

(१) सेवा-निवृत्ति की उम्र बढ़ने पर वर्तमान कर्मचारियों के तीन साल और सेवा करने से शिक्षित युवकों और युवतियों को निकट भविष्य में नौकरी मिलने का अवसर कम रहेगा;

और

(२) अयोग्य लोगों को ५५ वर्ष की उम्र के बाद भी सेवा में रखने का बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इन दो बातों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि काम के तरीकों के सुधार के फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों के फालतू हो जाने की संभावना है। सेवा-निवृत्ति की उम्र तीन साल बढ़ा देने की दशा में ऐसे कर्मचारियों को नौकरी दिलाने के काम में देर होगी। सरकार का इरादा है कि सेवा-काल में वृद्धि वर्तमान नियमों के अनुसार ही की जाए; वैज्ञानिक और शिल्पिक कर्मचारियों का सेवा-काल बढ़ाने की छूट खुले तौर पर दी जाए, लेकिन अन्य कर्मचारियों का सेवा-काल तभी बढ़ाया जाए, जब ऐसा करना सार्वजनिक हित में हो।

छुट्टियां और काम के घंटे

"सरकार ने केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारियों की छुट्टियों, आकस्मिक छुट्टी और काम के घंटों के बारे में आयोग की सिफारिशों पर भी निर्णय कर लिया है। यह प्रस्ताव है कि छुट्टियां २३ से घटा कर १६ कर दी जाएं, आकस्मिक छुट्टियां १५ से घटा कर १२ कर दी जाएं और महीने में एक शनिवार को पूरी छुट्टी रहे। महीने के बाकी शनिवारों को उतने ही घंटे काम हो, जितना अन्य दिनों में होता है। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में जो सुधार किये गये हैं और रिटायर होने पर उन्हें जो लाभ होगा, उसे देखते हुए सरकार को यह विश्वास है कि जनता काम के घंटों में यह मामूली बढ़ोतरी करने का समर्थन करेगी और सरकारी कर्मचारियों से अधिकाधिक काम और अधिक उत्पादन की अपील में सरकार का साथ देगी।

"जिन सिफारिशों के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है, उनके अलावा अन्य कई विषयों पर भी आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की हैं। इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है और उन पर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय कर लिया जाएगा।

"मैं इस अवसर पर यह कह देना चाहता हूं कि आयोग ने इस कठिन कार्य को निपटाने और बहुत साफ और सुलझा हुआ प्रतिवेदन पेश करने के रूप में जो बहुमूल्य कार्य किया है, उसकी सरकार बहुत सराहना करती है।"

आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय

(१) देश में वर्तमान बेकारी और काम की कमी को देखते हुए ७५ रु० न्यूनतम वेतन काफी है। गैरसरकारी कारोबारों में इससे अधिक नहीं मिलता तथा इतने पर सरकार को उपयुक्त आदमी मिल जाएंगे। यद्यपि देश में मुद्रा विस्तार पर नियंत्रण रखना जरूरी है फिर भी कर्मचारियों को संतुष्ट रखने के लिए इस वेतन में थोड़ी वृद्धि आवश्यक है। इसलिए न्यूनतम वेतन ७५ रु० से बढ़ा कर ८० रु० महीना कर दिया जाए।

स्वीकार

(२) ३०० रु० महीने से कम पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अलग से निम्नलिखित दर से मिलना चाहिए :

१५० रु० से कम मूल वेतन	१० रु०
१५० रु० या उससे अधिक, परन्तु ३०० रु० से कम मूल वेतन	२० रु०

३०० रु० से ३२० रु० महीना तक पाने वाले कर्मचारियों के लिए मार्जिनल हेरफेर कर देना चाहिए।

स्वीकार

(३) इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पूरा पारिश्रमिक वेतन के ही रूप में मिलना चाहिए और महंगाई भत्ता अलग से नहीं मिलना चाहिए।

स्वीकार

(४) कमीशन ने सभी नौकरियों और पदों के लिए वेतन-क्रम निर्धारित किया है।

सरकार इन पर विचार रही है और आवश्यक परिवर्तनों के बाद इन्हें स्वीकार करेगी।

(५) मकान भाड़ा भत्ता : जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण जारी रहना चाहिए और भत्ते की संशोधित दरें इस प्रकार होनी चाहिए :

(८) नगर भत्ते के वर्तमान आधार और ढांचे में संशोधन की जरूरत नहीं है, परन्तु इसकी दर इस प्रकार होनी चाहिए :

	नगरों की श्रेणियाँ		
	'ए'	'बी'	'सी'
१५० रु० से कम	वेतन का १० प्र०श० पर न्यूनतम ७.५० और अधिकतम १२.५०	वेतन का ५ प्र०श० पर ५०० रु० महीने के नीचे वालों को न्यूनतम ५ रु० और अधिकतम	कुछ नहीं

(११) दफ्तर के कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टी घटा कर साल में १२ दिन कर देनी चाहिए।

स्वीकार

(१२) हर श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की रिटायर होने की उम्र, उनकी भी जिनकी वर्तमान रिटायर होने की उम्र ६० वर्ष है, ५८ वर्ष होनी चाहिए। परन्तु इस समय जो ६० वर्ष में रिटायर होने के हकदार हैं उनको ६० वर्ष तक नौकरी करने देना चाहिए।

(१३) वैज्ञानिक और टेक्निकल कर्मचारियों को साधारणतः दो साल का एक्सटेंशन देकर या फिर से नियुक्त करके ६० वर्ष तक नौकरी करने देना चाहिए।

रिटायर होने की वर्तमान उम्र और नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नौकरी की अवधि बढ़ाने के लिए जो वर्तमान आदेश हैं उन्हीं के अनुसार काम होना चाहिए, अर्थात् वैज्ञानिक और टेक्निकल कर्मचारियों की मुक्त रूप से नौकरी बढ़ायी जाए, पर बाकी लोगों के लिए सार्वजनिक हित में होने पर ही विशेष स्थिति में नौकरी की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

(१४) ग्रेच्युटी की दर में इस प्रकार संशोधन होना चाहिए कि ३० वर्ष की क्वालीफाइंग नौकरी पूरी करने पर सबसे अधिक रकम मिले।

स्वीकार। तदनुसार नौकरी के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक महीने के कुल वेतन के ६।२० के बजाय १०।२० के हिसाब से ग्रेच्युटी दी जाएगी।

(१५) अस्थायी नौकरी यदि उसी या दूसरे किसी पद पर स्थायी हो जाए तो पेंशन के लिए पूरी गिनी जानी चाहिए।

स्वीकार

(१६) यदि भारत के बाहर छुट्टी ली जाए तो पेंशन के लिए वह उसी प्रकार मानी जाएगी जैसे भारत के अन्दर लेने पर मानी जाती है।

स्वीकार

(१७) जब क्वालीफाइंग नौकरी की पूरी अवधि समाप्त वर्षों से ६ महीने से अधिक हो तो आधे साल की अतिरिक्त पेंशन दी जाए।

निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ स्वीकार :

(क) अतिरिक्त पेंशन उस समय भी दी जाएगी जब अतिरिक्त अवधि पूरे छः महीने होगी, और

(ख) ग्रेच्युटी के बारे में भी यही नियम लागू होगा।

(१८) १. फिलहाल जिन लोगों की आफिशियेटिंग, स्पेशल और परसनल तनखाह पूरी गिनी जाती है वह उसी प्रकार गिनी जाती रहे।

२. बाकी लोगों के लिए नौकरी के आखरी ३ सालों में जो आफिशियेटिंग, स्पेशल और परसनल तनखाह मिलती हो वह इस प्रकार गिनी जाए :

(क) आफिशियेटिंग वेतन (अर्थात् सब्स्टांटिव वेतन और ऊंचे आफिशियेटिंग पद के वेतन में जो अंतर हो) और नान-सब्स्टांटिव पद पर मिलने वाला वेतन आधा गिना जाए; और

(ख) स्पेशल या परसनल वेतन पूरा गिना जाए, यदि वह पद सबस्टेंटिव रूप में रहा हो और बाकी सब मामलों में ये वेतन आधे गिने जाएं; टेन्योर पदों का स्पेशल वेतन भी आधा गिना जाए।

१. परसनल वेतन पूरा गिना जाए यदि वह मुख्य वेतन की क्षति पूरी करने के लिए दिया गया हो या वह पद मुख्य (सबस्टेंटिव) हैसियत का हो। बाकी सब मामलों में परसनल वेतन आधा गिना जाए।

२. हर मामले में आफिशियेटिंग वेतन आधा गिना जाएगा।

३. किसी भी स्थिति में स्पेशल वेतन नहीं गिना जाएगा।

(१९) जो कर्मचारी इस समय प्राविडेंट फंड में अपने वेतन का ८-१।३ प्र०श० देते हों या जो पेंशन योजना में शामिल होने के बाद उस दर पर दे वे इसी दर पर देते रहें। बाकी कर्मचारी कम से कम अपनी तनखाह का ६।प्र० श० जनरल प्राविडेंट फंड में कटायें।

इस समय जो कर्मचारी ८⅓ न० पै० प्रति रुपया देते हों या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिन्हें देना पड़े उनके अलावा बाकी सब कर्मचारियों को जनरल प्राविडेंट फंड में ६ न० पै० प्रति रुपये के हिसाब से देना अनिवार्य किया जाएगा।

(२०) संशोधित वेतन क्रम में कर्मचारी को प्रारम्भिक वेतन उसी पाइंट पर दिया जाएगा जिस पाइंट पर वह पुराने क्रम में रहा हो, बशर्ते कि

(क) इस पुनर्निर्धारण से उसके कुल वेतन में कमी न हो, और

(ख) अतिरिक्त वेतन निर्धारित अधिकतम सीमा से ऊपर न जाए।

स्वीकार

(२१) संशोधित वेतन क्रम में आने के बाद भी कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि उसी तारीख से मिलनी चाहिए जिसमें पहले मिलती।

स्वीकार

(२२) वेतन क्रमों में संशोधन के फलस्वरूप जहां साधारणतः वेतनों में वृद्धि होगी वहां कुछ मामलों में कुछ कर्मचारियों को नुकसान भी होना अनिवार्य है। इन कर्मचारियों को उनका वर्तमान वेतन मिलता रहना चाहिए।

स्वीकार

(२३) वेतन और भत्तों का संशोधित क्रम १-७-१९५९ से लागू होना चाहिए।

वेतन, मंहगाई, मकान और नगर भत्ता आदि का संशोधित क्रम १ नवम्बर, १९५९ से लागू होगा, परन्तु १ जुलाई, १९५९ से ३१ अक्तूबर, १९५९ तक जो वास्तविक नौकरी की गयी है उसके लिए सरकार उचित रकम अनुग्रह धन के रूप में देगी। यह रकम संशोधित वेतन और भत्ता दर के हिसाब से कूती जाएगी कर्मचारी के प्राविडेंट फंड में जमा कर दी ...

भारतीय बन्दियों के साथ अमानुषिक व्यवहार : चीन को नया पत्र

भारत सरकार ने चीन सरकार से अनुरोध किया है कि जिन लोगों ने हाल ही में लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा पकडे गए निस्सहाय भारतीय बन्दियों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया था, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। इस आशय का एक पत्र १५ दिसम्बर को नई दिल्ली में चीनी दूतावास को दिया गया।

भारत सरकार ने इस पत्र मे फिर यह कहा है कि भारतीय पुलिस कर्मचारी जब चीनियों की हिरासत मे थे तब उनके साथ निन्दनीय व्यवहार किया गया। यह जाहिर है कि चीन सरकार को लद्दाख मे कोंगका दर्रे की घटना और बाद में भारतीय कर्मचारियों के साथ किये गये बर्ताव के बारे मे अपने सीमा-रक्षा अधिकारियों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह बिल्कुल गलत है।

भारतीय पुलिस कर्मचारियों के साथ किये गये व्यवहार के बारे में भारत सरकार और चीन सरकार ने एक-दूसरे को जो पत्र लिखे हैं, उनकी प्रतियां १५ दिसम्बर को प्रधान मंत्री ने लोकसभा की मेज पर रखीं। भारत सरकार ने चीन को अपनी ताजा चिट्ठी में लिखा है कि रिहा किए गए भारतीय कर्मचारियों से अब इस बात का पूरा-पूरा ब्योरा मिल गया है कि घटना कैसे हुई और चीनियों की हिरासत मे उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। इस ब्योरे से उन बातों की पुष्टि होती है जो भारत सरकार ने चीन को अपनी पिछली चिट्ठियों में लिखी थी। पत्र मे लिखा गया है कि १२ अगस्त, १९४९ के जनेवा समझौते के अनुसार युद्धबन्दियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए भारतीय कर्मचारियों के साथ वैसा भी व्यवहार नही किया गया।

भारत सरकार ने अपनी चिट्ठी के साथ भारतीय पुलिस दल के नेता श्री कर्मसिंह का बयान भी भेजा है। इस बयान से पता चलता है कि भारतीय बंदियों को न तो भरपेट खाना दिया गया और न उनके रहने का उचित प्रबन्ध किया गया। इससे यह भी पता चलता है कि श्री कर्मसिंह से १२ दिन तक पूछताछ की जाती रही और चीनियों ने उन मे जबर्दस्ती अपनी मर्जी के मुताबिक बयानों पर दस्तखत कराए। इस लिए इन हालात मे अगर श्री कर्मसिंह या किसी अन्य भारतीय बन्दी ने कोई बयान दिया हो तो उसे ठीक नही समझा जाना चाहिए।

भारत सरकार ने चीन सरकार के इस बयान पर भी हैरानी जाहिर की है कि कास्टेबल अब्दुल मजीद बिल्कुल ठीक था और उसने कभी यह नही कहा कि मैं बीमार हूं। असल बात यह है कि जब भारतीयों और चीनियों की झडप हुई तो कास्टेबल अब्दुल मजीद को गोली लग गई थी। गोली का एक टुकडा अब भी उनकी पीठ में है। कुछ दिन तो उनकी चिकित्सा की ओर ध्यान नही दिया गया। चीन सरकार ने यह भी कहा था कि उन्हे इस बात का कुछ पता नही कि कास्टेबल माखनलाल कहा है ? भारत सरकार ने इसके जवाब मे कहा है कि श्री कर्मसिंह के बयान से पता चलता है कि कास्टेबल माखनलाल के पेट मे घाव आया था। इस पर भी वे श्री कर्मसिंह और अन्य कांस्टेबल की सहायता से दो मील तक पैदल चल कर गए। इसके बाद उन्हें दो चीनी सैनिकों की देख-रेख में छोड़ दिया गया। इसलिए चीन सरकार को अपने सीमा-रक्षा अधिकारियों से फिर यह पूछना चाहिए कि कास्टेबल माखनलाल को किन हालात में पीछे छोड़ा गया और बाद मे उनका क्या हुआ।

श्री कर्मसिंह ने सत्रह पृष्ठ का एक बयान दिया है जिसमे उन्होंने बताया है कि चीनी सैनिकों ने किस प्रकार भारतीय पुलिस दल को बन्दी बनाया, उनमे किस प्रकार पूछताछ की जाती रही और चीनियों की इच्छा के अनुसार बयानो पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर करने के लिए उन पर क्या-क्या सख्तियां की गयी।

श्री कर्मसिंह ने अपने बयान मे कहा है कि चीनियों ने हम पर अचानक ही गोली चलानी शुरू कर दी। हमने भी जवाब मे गोली चलाई लेकिन उसका कुछ असर नही हुआ, क्योंकि चीनियों ने ज्यादा अच्छी जगह पर मोर्चा बना रखा था, उनकी संख्या हम से बहुत ज्यादा थी और उनके पास हथियार भी ज्यादा अच्छे थे। ऐसी हालत में मैंने हथियार डाल देना ही उचित समझा। गिरफ्तार करने के बाद चीनी हमें कोंगका की चौकी पर ले गए जो सोलह हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर है। रास्ते में चीनी सैनिक हमें राइफल के कुन्दे मार-मार कर धकेलते रहे। रात को हमें बिस्तर भी नही दिये गये और हमें इतनी सर्दी में रात जमीन पर ही बितानी पड़ी। तीन चार दिन तक हमें खाने को सूखी रोटी दी जाती रही। चीनियों से कई बार चिकित्सा के लिए कहा गया और गर्म पानी मांगा गया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नही दिया।

चीनियों ने श्री कर्मसिंह से जो पूछताछ की उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि चीनियों ने मुझे इस बयान पर दस्तखत करने के लिए कहा कि गोली पहले भारतीयों ने चलाई थी। जब मैंने दस्तखत करने से इन्कार किया तो मुझे यह धमकी दी गई कि मुझे गोली मार दी जाएगी। आखिर चीनियों ने मुझे इस बयान पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया कि मैं यह नही कह सकता, गोली किसने पहले चलाई। मुझे इस बात पर दस्तखत करने के लिए भी मजबूर किया गया कि मुझे पहले से यह मालूम था कि जिस जगह पर यह घटना हुई वह चीनी इलाके में है। मैंने चीनियों से कहा कि मैं इस बयान पर दस्तखत नहीं कर सकता क्योंकि मैं यह जानता हूं कि वह जगह कई मील भारतीय इलाके अन्दर है। लेकिन वे इसी बात पर जोर दे रहे कि वह चीन का इलाका है और चीन अधिकार मे है। इस पर चीनियों ने यह लिर कि कर्मसिंह को अब मालूम हो गया है कि य इलाका चीन के अधिकार में है।

भारत में रहने वाले विदेशी

नयी दिल्ली में ३ दिसम्बर को जारी व गयी एक अधिसूचना के अनुसार, भार में रहने वाले ऐसे सब विदेशियों को, जिन पास भारत मे रहने का अनुमति-पत्र नही है ५ जनवरी, १९६० तक अनुमति-पत्र प्राप्त करने होंगे।

यह आदेश राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों, राजदूतों, विदेशी दूतावासों मे काम करने वाले लोगों तथा उनके परिवारों पर लागू नही होगा।

यह अनुमति-पत्र उस क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन अधिकारी बनाएगा, जिसमें सम्बन्धित विदेशी रहता है।

इस अधिसूचना का उद्देश्य यह है कि जो विदेशी भारत में १२ अगस्त, १९४३ से भी पहले से रह रहे है, वे भी अनुमति-पत्र बनवा ले। विदेशियों को भारत में रहने का अनुमति-पत्र बनवाने के सम्बन्ध में प्रथम कानून १२ अगस्त, १९४३ को लागू हुआ था।

रजिस्टरशुदा विदेशी

३१ अक्तूबर को भारत में रहने वाले रजिस्टरशुदा व्यक्तियों की सख्या इस प्रकार थी :

१	अफगानिस्तान	७,०९५
२	अर्जेण्टाइना	१५
३	आस्ट्रिया	२८२
४	बेल्जियम	५१३
५	ब्राजील	११
६	बल्गेरिया	२७
७	बर्मा	१,७२८
८	कम्बोडिया	३५
९.	चीन	११,९४२
१०	क्यूबा	१
११	चेकोस्लोवाकिया	२५९
१२	डेन्मार्क	२४०
१३	सयुक्त अरब गणराज्य	१५३
१४	इथियोपिया	३३
१५.	फिनलैंड	७४
१६.	फ्रास	१,०२९
१७	जर्मनी	३,५९७
१८.	हालैंड	५४४
१९.	हगरी	७०
२०	इन्डोनेशिया	२३८
२१.	ईरान	४,२१०
२२	इराक	५२२
२३	इजरायल	१८
२४	इटली	१,०५५
२५.	जापान	७०५
२६	जोर्डन	८
२७.	लाओस	३
२८.	लेबनान	१३
२९.	मेक्सिको	२७
३०.	मगोलिया	१९
३१.	नार्वे	१६८
३२.	फिलीपीन्स	३८
३३	पोलेंड	१५६
३४.	पुर्तगाल	८६६
३५.	रूमानिया	४७
३६	रूस	२,२२९
३७.	सऊदी अरब	३९१
३८	स्पेन	३३३
३९.	सूडान	३२
४०.	स्वीडन	३८७
४१	स्विटजरलैंड	६४९
४२	थाईदेश	३९५
४३	तिब्बत	१०,२३३
		(३१ दिसम्बर, १९५८ को)
४४	तुर्की	९४
४५	अमरीका	४,११९
४६.	वियतनाम	४७
४७	यूगोस्लाविया	५७
४८	जिनका देश निश्चित नही	१४
४९	अन्य	३८३
	कुल जोड	५५,१०४

प्रतिमास विदेशियों का आगमन

१ अक्तूबर, १९५८ से हर महीने औसतन ४ हजार विदेशी भारत आ रहे है। उस दिन से विदेशियो का नाम रजिस्टर कराने का तरीका आसान बना दिया गया था।

अगस्त १९५९ के अत तक ४६,७६० विदेशी भारत आये। इनमें राष्ट्रमण्डलीय और ब्रिटेन द्वारा प्रशासित देशों के नागरिक शामिल नही है।

सबसे अधिक व्यक्ति—१७,८२९—अमरीका से आये। जर्मनी से ४,३२७, रूस से ३,२१०, और बर्मा से २,८७० व्यक्ति आये।

विदेशियो को रजिस्ट्री

बन्दरगाह और हवाई-अड्डे से निकलने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए विदेशियो को अब अपने को रजिस्टर करवाने के लिए और भारत में रहने के अधिकाश विदेशियों को अन्य कामों के लिए केवल एक ही अधिकारी के पास जाना होगा। आजकल इन मामलों के लिए कई अधिकारियो से अनुमति लेनी पड़ती है। आशा की जाती है कि इन सुविधाओं के फलस्वरूप आवेदन-पत्रों का निपटारा करने में आसानी होगी और असुविधाए कम हो जाएगी।

आकाशवाणी के विदेश प्रसार डिवीजन में विदेशी कर्मचारी

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मत्री, डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर ने राज्य-सभा में बताया कि आकाशवाणी की विदेश प्रसार डिवीजन के सुपरवाइजरी पदों पर जहा तक हो भारतीयो को ही नियुक्त करने की सरकार की नीति है। मत्री महोदय ने इस बात को गलत बताया कि विदेश प्रसार डिवीजन के कुछ कर्मचारियो ने अनधिकृत लोगों को समय से पहले खबरें दी हैं। डा० केसकर ने बताया कि चीनी कार्यक्रमों के लिए उक्त डिवीजन में ७ चीनी नागरिक नियुक्त है।

मत्री महोदय ने बताया कि आकाशवाणी के एक भारतीय कर्मचारी को, जिसने चीन में तीन साल अध्ययन किया है, चीनी विभाग में आर्गनाइजर नियुक्त किया गया है। डा० केसकर ने कहा कि आकाशवाणी के भारतीय कर्मचारियों को कुछ विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए विदेश भेजने की योजना पर विचार हो रहा है। इन लोगों को केवल उन्हीं भाषाओं के अध्ययन के लिए बाहर भेजा जाएगा, जिनके अध्ययन की भारत में सुविधा नही है।

लोकसेवा समिति की सिफारिशें

अब नीची श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होना जरूरी नहीं होगा। दफ्तरों के [illegible] केन्द्रीय [illegible] तीसरी श्रेणी की अन्य नौकरियों में छूट दी जाएगी।

यह निर्णय, लोकसेवा (योग्यता और भर्ती) समिति की सिफारिशों पर किया गया है। समिति की सिफारिश पर कुछ नौकरियों में भर्ती की उम्र में भी परिवर्तन किया गया है। अप्रैल १९५५ में यह समिति नियुक्त की गई थी।

ऊंची नौकरियां

ऊंची सरकारी नौकरियों, अखिल भारतीय और केन्द्रीय सरकार की प्रथम श्रेणी की नौकरियों के लिए पहले की तरह ही न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री होगी। समिति ने भी इसकी सिफारिश की है। इन नौकरियों में भर्ती के लिए पहले की तरह उम्र २१ से २४ वर्ष और भारतीय पुलिस सेवा के लिए २० से २४ वर्ष रहेगी।

केन्द्रीय सरकार की, क्लर्कों के अलावा तीसरी श्रेणी की अन्य नौकरियों में भर्ती के लिए भी डिग्री आवश्यक नहीं होगी। उम्मीदवारों को इंटरमीजिएट, सीनियर कैम्ब्रिज, हायर सेकेंडरी या इनके समकक्ष परीक्षा पास होना होगा। पर इन नौकरियों के लिए उम्र १९ से २३ वर्ष रखी गई है जिससे ग्रेजुएट भी इनके लिए आवेदन कर सकें। अब तक इन नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र २५ साल से कम थी।

भारतीय आडिट और एकाउन्ट विभाग के एम० ए० एस० एप्रेंटिसों और डिवीजनल एकाउन्टेंटों को योग्यता और उम्र की यह छूट नहीं दी जाएगी।

अपर डिवीजन क्लर्क

अपर डिवीजन क्लर्कों की भर्ती के लिए भी डिग्री के स्थान पर इंटरमीजिएट, सीनियर कैम्ब्रिज, हायर सेकेंडरी या इनके समकक्ष परीक्षा की योग्यता रखी गई है। इसके लिए १८ से २१ साल तक की उम्र रखी गई है। अब तक इनके लिए विभिन्न स्थानों पर कम से कम उम्र १७ से २० साल और अधिक से अधिक उम्र २२ से २५ साल तक थी।

लोवर डिवीजन क्लर्क

जब तक सब जगह हायर सेकेण्डरी शिक्षा शुरू नहीं हो जाती, तब तक लोवर डिवीजन क्लर्कों की भर्ती के लिए पहले की तरह ही न्यूनतम योग्यता मैट्रिक रहेगी। उम्मीदवार की उम्र कम से कम १८ साल और ज्यादा से ज्यादा २१ साल होनी चाहिए। अब तक लोवर डिवीजन क्लर्क के लिए कम से कम उम्र १७ साल और अधिकतम उम्र विभिन्न स्थानों पर २० साल से २५ साल तक रही है।

केन्द्रीय सरकार की दूसरी श्रेणी की गजटेड और गैर-गजटेड नौकरियों के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री की योग्यता जारी रहेगी। जो कार्यालय केन्द्रीय सचिवालय सेवा की योजना के अंतर्गत नहीं आते, उनके असिस्टेंट भी इसमें शामिल हैं। गजटेड पदों के लिए पहले की तरह ही २१ से २४ साल तक की उम्र रहेगी पर गैर-गजटेड पदों के लिए उम्र २० से २४ साल कर दी गई है।

नियम संशोधन के बाद निर्णय लागू

नौकरी में भर्ती के वर्तमान नियमों में औपचारिक रूप से संशोधन हो जाने पर कम योग्यता और उम्र संबंधी सरकार के निर्णय लागू कर दिए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, विस्थापितों आदि को इस समय उम्र संबंधी जो छूट दी जाती है वह जारी रहेगी।

ये आदेश शिल्पिक, व्यावसायिक और विशेषज्ञों की नौकरियों पर लागू नहीं होंगे।

विभागीय पदोन्नति

कुछ विभागों में पदोन्नति के लिए भी शिक्षा संबंधी योग्यताएं रखी गई हैं। पर सब विभागों में ऐसा नहीं है। जिन विभागों में पदोन्नति के लिए शिक्षा संबंधी योग्यताएं रखी गई हैं, वहां इनमें इन निर्णयों के आधार पर संशोधन किया जाएगा।

जहां तक भारतीय आडिट और एकाउन्ट विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश महालेखा परीक्षक से सलाह करने के बाद जारी किये गये हैं।

डा० रामास्वामी मुदालियर लोक सेवा समिति के अध्यक्ष थे।

केन्द्रीय सेवा में अपर डिवीजन क्लर्कों की पुष्टि

केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल सेवा में अपर डिवीजन (ग्रेड १) में नौकरियों की पुष्टि के लिए १ सितम्बर, १९५९ को आदेश दिये गए।

इस आदेश के अनुसार १ मई, १९५७ और १ मई, १९५८ को जितनी जगहें खाली थीं, उन पर निम्न श्रेणियों की नौकरियां पक्की की जा रही हैं या की जाएंगी :

१. अधीन (सबार्डिनेट) कार्यालयों के स्थायी अपर डिवीजन क्लर्क, जो केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के लिए चुने गये हैं।

२. वे स्थायी अपर डिवीजन क्लर्क जो सचिवालय में स्वीकृत संख्या से अधिक पदों पर हैं और जिनको नियमित स्थायी पदों पर हक दिया जाता है।

३ स्थायी ग्रेड २ क्लर्क;

४ अर्ध-स्थायी अपर डिवीजन क्लर्क, और

५ वे लोग जो शुरू में ग्रेड १ में स्थानों के अभाव में या अन्य कारणों से पुष्ट (कनफर्म) नहीं किये जा सके।

यह सूचना स्वराष्ट्र मंत्रालय में मंत्री, श्री बलवन्त नगेश दातार ने ८ दिसम्बर को राज्य-सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त १, २ और ३ नम्बर की श्रेणियों में पुष्टि के लिए टाइप की परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं है। ४थी और ५वीं श्रेणियों में पुष्टि में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो टाइप की परीक्षा पास होंगे। इसके बाद यदि जगह होगी तो टाइप परीक्षा न पास करने वालों की भी नौकरी पक्की कर दी जाएगी और उनकी सीनियारिटी न मारी जाएगी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों के सेक्शन अफसर

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों के ५१ सेक्शन अफसर हैं। इनमें से ११ दूसरे ग्रेड के और ४० तीसरे

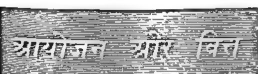
ग्रेड के हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि अनुसूचित जातियों के अफसरों को पदोन्नति में कुछ रियायत दी जाती है।

यह सूचना स्वराष्ट्र मंत्रालय में मंत्री, श्री बलवन्त नगेश दातार ने १४ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता

विभाजित प्रांतों और केन्द्र के हिसाब-किताब की स्थिति का ब्योरा तैयार करने के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों के अधिकारियों की बातचीत का जो दूसरा दौर ८ दिसम्बर, १९५९ को शुरू हुआ था, वह १२ दिसम्बर को नयी दिल्ली में समाप्त हो गया। उन्होंने विभाजित प्रांतों के बारे में बातचीत पूरी कर ली और केन्द्र के मामले में भी बहुत-सी मुख्य बातों पर विचार कर लिया। अभी कुछ विषयों पर विचार होना बाकी है और इसके लिए अधिकारियों की अगली बैठक दिसम्बर के अन्त में होगी। उस समय उनका काम पूरा हो जाने की आशा है और तब वे बातचीत के परिणाम की सूचना अपने-अपने मंत्रियों को दे देंगे।

यह सूचना वित्त मंत्रालय की १४ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।



पी. एल ४८० के अंतर्गत अमरीका से ऋण

अमरीका के पी०एल० ४८० ऋण कोष से आर्थिक विकास के कामों के लिए ऋण देने के बारे में योजनाओं का चुनाव भारत सरकार और अमरीकी अधिकारियों की सहमति से होता है। अब तक १७ योजनाओं के लिए १ अरब ४६ करोड़ २६ लाख रु० के ऋण के बारे में करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने १४ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

उन्होंने बताया कि पुनर्वित्त निगम के लिए ५ करोड़ रु०; चम्बल योजना के लिए ४ करोड़ ६ लाख ४२ हजार ८०० रु०, हीराकुड योजना के लिए १९,२३,८४२ रु०; कोसी योजना के लिए २,२०,६०,००० रु०, कुंडा बिजली योजना के लिए १,७२,८२,४१९ रु० और कोयना बिजली योजना के लिए १,६१,४४,१४९ रु०, यानी कुल १४ करोड़ ८० लाख ५३ हजार २१० रु० उधार मिल चुका है।

श्री देसाई ने कहा कि अमरीका की सरकार ने वहां के 'एक्जिम' (आयात-निर्यात) बैंक के अधिकार में जितना रुपया कोष में दे रखा है उसमें से यह बैंक अमरीकी व्यापारियों और उनके भारतीय साझेदारों को कर्ज देता है। अभी तक एक्जिम बैंक ने १० लाख रु० कर्ज दिया है। कर्ज की इच्छुक भारतीय फर्म एक्जिम बैंक से कर्ज की प्रार्थना करती है। बैंक भारत सरकार से इन फर्मों के बारे में राय मांगता है। इसके बाद फर्म को कर्ज मिलता है। इसलिए निजी फर्म को ही पहला कदम उठाना पड़ता है। बाद में बैंक अपनी कार्रवाई करता है, जिस में भारत सरकार की सलाह लेना भी शामिल है।

नया पन्द्रह साला वार्षिक वृत्तिपत्र

वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की १५ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि २ जनवरी, १९६० से १५ साला वार्षिक वृत्तिपत्रों (एन्युइटी सर्टिफिकेट) में एक नयी राशि का वृत्तिपत्र और शुरू किया गया है। १,३३० रुपये देकर यह वृत्तिपत्र लेने वाले को १५ वर्ष तक १० रु० महीने मिलते रहेंगे। १९५७ में जितनी राशियों के वार्षिक वृत्तिपत्र शुरू किये गये थे, उन पर वृत्तिपत्र की राशि के अनुसार खरीदने वाले को २५ रु०, ५० रु०, १०० रु० और २०० रु० प्रति महीने तक मिलते हैं। नयी राशि के इस वृत्तिपत्र के नियम भी १९५७ में जारी किये गये वृत्तिपत्रों के अनुसार ही हों।

१,३३० रु० देकर वृत्तिपत्र लेने वाले को वृत्तिपत्र लेने की तारीख के एक महीने बाद से १५ वर्ष तक के लिए १० रु० महीना मिलना शुरू हो जाएगा। प्रति मास मिलने वाली इस राशि पर आयकर या अधिकर नहीं लगेगा। *आयकर लगाने के लिए कुल आय का हिसाब* लगाते समय वृत्तिपत्र लेने वाले को मिलने वाली यह राशि आय में शामिल नहीं की जाएगी। इन वृत्तिपत्रों में लगायी गयी राशि पर लगभग ४½ प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा।

वार्षिक वृत्तिपत्रों में एक व्यक्ति अधिक से अधिक २६,६०० रु० अथवा दो व्यक्ति मिल कर अधिक से अधिक ५३,२०० रु० लगा सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने १९५४ में जारी किये गये वार्षिक वृत्तिपत्र ले रखे हैं, वे मौजूदा सिरीज *तथा नयी राशि के वृत्तिपत्रों को मिलाकर एक* व्यक्ति अधिक से अधिक २८,००० रु० और दो व्यक्ति मिल कर अधिक से अधिक ५६,००० रु० तक के वार्षिक वृत्तिपत्र ले सकेंगे।

चीनी के उत्पादन शुल्क की वसूली

१ जनवरी, १९५९ से ३१ अक्तूबर, १९५९ तक चीनी पर उत्पादन शुल्क के रूप में कुल ५० करोड़ ५० लाख ८४ हजार रु० वसूल किये गये। इसमें खाण्डसारी पर उत्पादन शुल्क भी शामिल है, जो कुल ६ लाख ३३ हजार रु० था। यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में ३ दिसम्बर को राज्यसभा में राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री, डा० गोपाल रेड्डी ने दी।

सीमा शुल्क की वापसी

भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि पाल बांधने की रस्सियां और टेरीलिन मिश्रित कपड़ा बनाने में काम आने वाला माल बाहर से मंगाने पर जो सीमा और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लिया जाता है, वह वापस कर

१ जनवरी, ...

दिया जाएगा। यह निश्चय, पाल बांधने की रस्सियों और टेरीलिन मिश्रित कपडे का निर्यात बढाने की दृष्टि से किया गया है।

यह सूचना वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग की ८ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

डाकखाने की जीवन बीमा पालिसियों पर बोनस

भारत सरकार ने डाकखाने की उन जीवन बीमा पालिसियां पर जो ३१ मार्च, १९५७ तक जारी हो चुकी थीं, निम्नलिखित दरों पर बोनस देने की घोषणा की है :

(क) असैनिक और सेना शाखाओं की जीवन भर की पालिसियां पर १ अप्रैल, १९५२ से ३१ मार्च, १९५७ तक के समय के लिए १ हजार रु० की पालिसी पर १६ रु० के हिसाब से साधारण रिवर्शनरी बोनस;

(ख) निश्चित अवधि की उन पालिसियों पर जो ३१ मार्च, १९४० को या इससे पहले जारी हो चुकी थीं, १ अप्रैल, १९५२ से ३१ मार्च, १९५७ तक के समय के लिए १ हजार रु० के बीमे पर १४ रु० के हिसाब से साधारण रिवर्शनरी बोनस,

(ग) असैनिक और सेना शाखाओं की निश्चित अवधि की उन पालिसियों पर जो १ अप्रैल, १९४० को या उस के बाद जारी हुई हैं, १ अप्रैल, १९५२ से ३१ मार्च, १९५७ तक के समय के लिए १ हजार रु० के बीमे पर १२ रु० के हिसाब से साधारण रिवर्शनरी बोनस।

१ अप्रैल, १९५७ और अगली बार बोनस दिये जाने के समय के बीच दातव्य पूरे जीवन की पालिसियों पर १२ रु० प्रति हजार रु० और निश्चित अवधि की पालिसियों पर १०॥ रु० प्रति हजार रु० के हिसाब से अतरिम बोनस दिया जाएगा।

यह सूचना डाकतार विभाग के महानिदेशक की ७ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

राष्ट्रीयकरण से विदेशी पूंजी की हानि : भारत और अमरीका में करार

भारत और अमरीका के बीच ■ दिसम्बर को वाशिंगटन में एक करार हुआ, जिससे अमरीका के व्यापारियों को भारत में व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बढ़ावा मिलेगा।

करारनामे पर निकट पूर्वी और दक्षिणी एशिया के सहायक सचिव श्री जी० ओ० लिविस जोन्स और भारतीय राजदूतावास के निसृष्टार्थ श्री डी० एन० चटर्जी ने हस्ताक्षर किये।

इस नये करारनामे से उस करारनामे में संशोधन कर दिया गया है, जो पूंजी को डालर में बदलने के बारे में सितम्बर १९५७ में हुआ था।

नये करारनामे में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि पूंजी लगाने वाले अमरीकी को यदि राष्ट्रीयकरण से कुछ नुकसान होता है और यदि वह बीमे की किश्तें देता है, तो अमरीकी सरकार उसे बीमे की रकम डालर में बदल कर दे देगी।

सितम्बर १९५७ में जब करार हुआ था, तभी से पूंजी लगाने वाले अमरीकियों को गारंटी दे दी गयी थी। अब तक उन्हें यही गारंटी दी जाती थी कि केवल पूंजी और भारत में अमरीकी व्यापारियों की नयी तथा बढ़ी हुई निजी कम्पनियों से भारत में जो धन मिलता था, वही डालर में बदला जाएगा।

त्रिपुरा की १९६०-६१ की योजना

सन् १९६०-६१ में त्रिपुरा की वार्षिक योजना पर २ करोड़ ६७ लाख ९ हजार रु० खर्च किये जाएंगे। इसमें से ४७ लाख ८८ हजार रु० उन योजनाओं पर खर्च होंगे, जो क्षेत्रीय परिषद को दे दी गयी हैं।

इस वार्षिक योजना में सड़क विकास पर ७५ लाख रु०, कृषि पर २४ लाख ५१ हजार रु०, सामुदायिक विकास पर १९ लाख रु० खर्च होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि योजनाओं के लिए ६२ लाख ८० हजार रु०, ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए १४ लाख ५५ हजार रु० तथा बिजली योजनाओं के लिए ११ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

हाल ही में त्रिपुरा प्रशासन के प्रतिनिधियों और योजना आयोग में १९६०-६१ की योजना पर विचार हुआ था।

दूसरी पचवर्षीय योजना में त्रिपुरा के लिए कुल ८ करोड ४६ लाख ५५ हजार रु० रखे गये थे। आशा है योजना के पहले चार वर्षों में कुल ६ करोड ५८ लाख रु० खर्च हो जाएंगे। अब तक जो विकास-कार्य हुए हैं, उन्हें पूरा करने के खयाल से ही आखिरी साल का योजना खर्च निर्धारित किया गया है।



बौक्साइट के नये भंडार

भारत सरकार के भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग का अनुमान है कि बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में २ करोड १० लाख टन अच्छी किस्म के बौक्साइट के भंडार हैं जो लगभग १,४०,००० वर्गमील में फैले हुए हैं और २२ तथा २५ डिग्री अक्षांश और ७६ तथा ८५ डिग्री देशान्तर रेखाओं के बीच स्थित हैं। यह सूचना सर्वेक्षण विभाग की एक पुस्तिका में प्रकाशित की गयी है।

फिलहाल प्रारंभिक जांच-पड़ताल से इस खनिज पदार्थ का पूरा पता नहीं लगाया जा सका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खानों की खुदाई और खनिज पदार्थ के रासायनिक परीक्षण से बौक्साइट के किस्म तथा खनिज की सही मात्रा का पता लगाया जाएगा।

[बौक्साइट ही एक ऐसा खनिज है जो अलमुनियम धातु के बनाने में काम आता है। इस खनिज के बाहुल्य के कारण अलमुनियम बनाने में अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। द्वितीय विश्व युद्ध में केवल इटली और जापान ने अलमुनियम बनाने में इस खनिज के अलावा अन्य चीजों का उपयोग किया।

बॉक्साइट से अलमुनियम फ्लोराइड, अलमुनियम सल्फेट, अ० हाइड्रेट, अ० क्लोराइड, अ० एसीटेट और सोडियम अलुमिनेट आदि भी बनाये जाते हैं। अलमुनियम सीमेंट बनाने, तेल साफ करने और लोहा ढालने में भी बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है।

१९५८ में कुल १,१४,९९९ टन बॉक्साइट का उत्पादन हुआ।]

कागज की कीमतें : तटकर आयोग की सिफारिशें स्वीकृत

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ४ दिसम्बर की विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत सरकार ने कागज और पेपर बोर्ड की कारखाना-कीमतों और बिक्री की दरों के बारे में तटकर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

तटकर आयोग ने २४ किस्म के कागज और पेपर बोर्डों की उचित कारखाना-कीमतें निश्चित की हैं। इन कीमतों में बिक्री का खर्च, भाड़ा या बेचने का कमीशन शामिल नहीं है। कागज और पेपर बोर्डों की बिक्री की दर भी तय कर दी गयी है। इनमें भाड़ा और बिक्री का कमीशन शामिल है, लेकिन उत्पादन कर और राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाये जाने वाले कर शामिल नहीं हैं।

कागज की नयी कीमतें १ जनवरी, १९६० से लागू होंगी।

तटकर आयोग ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार के कागज और पेपर बोर्ड बनाने की प्रत्येक कारखाने की क्षमता का अन्दाज लगाने के लिए सरकार शीघ्र कार्रवाई करे और उत्पादन की ऐसी योजना बनाये कि किसी प्रकार का कोई असंतुलन न रहे।

आयोग का अनुमान है कि १९६०, १९६१, १९६२ और १९६३ में कागज और पेपर बोर्ड की मांग क्रमश: ३ लाख ५० हजार टन, ४ लाख टन, ४ लाख ६० हजार टन और ५ लाख २० हजार टन रहेगी। इसमें अखबारी कागज और स्ट्राबोर्ड शामिल नहीं है। यह सिफारिश की गयी है कि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये कागज बनाने की सामर्थ्य बढ़ायी जाए।

कमीशन ने यह भी सुझाया है कि देश में बनने वाले उन सब प्रकार के खास कागजों की पूरी सूची प्रकाशित की जाए जिन की कीमतों पर कंट्रोल नहीं है। इस सूची में सरकार की सम्मति से ही नाम बढ़ाये या घटाये जाएं।

उद्योग का विकास

आयोग ने कागज उद्योग के विकास के बारे में भी कुछ सिफारिशें की हैं। यह सुझाव दिया गया है कि कागज मिलों को दीर्घकालीन पट्टे पर जंगलात दे दिये जाएं। यह सिफारिश भी की गयी है कि कागज के लिये गूदा तैयार करने वाले कारखाने कागज मिलों से अलग स्थापित किये जाएं और सरकारी विभाग अपना रद्दी कागज बिचौलियों को न देकर सीधे कागज मिलों को दें।

भारत सरकार इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिये जरूरी कदम उठायेगी।

कागज उद्योग का ध्यान आयोग के इस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है कि कागज बनाने वालों को कीमतों और वितरण के मामले में समाज विरोधी कार्रवाई रोकने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी, जैसे इन्स्पेक्टर आदि रखने चाहिए।

पृष्ठभूमि

कागज की कीमतें, जो पिछले महीनों में काफी ऊंची हो गयी थीं, अब कम हो जाएंगी और उतनी रह जाएंगी जितनी तटकर आयोग की सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए।

कागज का वर्तमान अभाव तेजी से बढ़ती हुई मांग के कारण है। १९४८ से देश में कागज का उत्पादन तिगुना बढ़ा है। कागज बनाने के कई नये कारखाने खुले हैं और मौजूदा कारखानों की उत्पादन-क्षमता भी बढ़ी है। राज्य व्यापार निगम लिखाई और छपाई का कागज काफी मात्रा में आयात करने की व्यवस्था कर रहा है। मांग इतनी बढ़ी है कि कागज की सप्लाई फिर भी कम है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि जितना भी कागज प्राप्त है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। कागज की कीमतें उचित होने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसका उचित वितरण भी हो।

जब १९५० में कागज की कीमतों पर से नियंत्रण उठाया गया था तो कागज के उद्योगपतियों ने यह आश्वासन दिया था कि कागज की कीमतें वगैरह सरकार को सूचित किये बिना नहीं बढ़ाई जाएंगी। वास्तव में कागज की कीमतें अप्रैल १९५८ तक ५ बार बढ़ी हैं।

तटकर आयोग की अन्य सिफारिशें

अन्ततः १ सितम्बर, १९५८ को भारत सरकार ने कागज की उचित कीमतों का मामला तटकर आयोग के सुपुर्द किया, जिसने प्रचलित भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया तथा वितरण की व्यवस्था में सुधार की सिफारिशें कीं। आयोग ने सभी बड़ी जगहों में वितरक तथा थोक-व्यापारी नियुक्त करने की सिफारिश की है तथा कहा है कि कागज मिलों को निगरानी की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वितरक और थोक व्यापारी अपना काम ठीक तरह पूरा करें।

तटकर आयोग ने २४ प्रकार के कागज और दफ्तियों की कीमतें निर्धारित की हैं और उन्हें चार श्रेणियों में विभक्त किया है (१) छापने और लिखने का कागज (२) पैक करने और बांधने तथा लपेटने का कागज (३) सोख्ता कागज, और (४) दफ्तियां।

आयोग द्वारा निर्धारित कीमतें चालू कीमतों से कम हैं। आयोग ने सफेद प्रिंटिंग कागज की बिक्री कीमत ६८ नये पैसे और क्रीम-लेड कागज की ७१ नये पैसे निर्धारित की है, जिसमें उत्पादन-शुल्क और स्थानीय कर शामिल नहीं हैं। कारखाने इन कागजों को अभी क्रमश: ७३.५ नये पैसे और ७८.५ नये पैसे के हिसाब से बेचते हैं, जबकि इनका बाजार भाव उत्पादन शुल्क और स्थानीय करों को मिला कर एक रु० से सवा रु० के बीच रहता है।

इस समय सबसे अधिक कमी छपाई और लिखने के कागज की है। तटकर आयोग के अनुमान के अनुसार इन कागजों की मांग कुल मांग का ६८ प्रतिशत है जबकि १९५८ में इनका उत्पादन केवल ६०.८ प्रतिशत था। १९६० में ६०.६ प्रतिशत होने का अनुमान है। अत: तटकर आयोग ने सिफारिश की है कि कागज बनाने में विभिन्न किस्मों के कागजों [illegible] ध्यान में रखना चाहिए।

अलौह धातु उद्योग को संरक्षण

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय की ५ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति मे बताया गया है कि भारत सरकार ने अलौह (नानफेरस) धातु उद्योग को संरक्षण जारी रखने का निश्चय किया है। यह निश्चय तटकर आयोग की सिफारिश पर किया गया है।

सरकार द्वारा स्वीकृत तटकर आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है . (क) तांबे और पीतल की चादरो, चाय की पेटियो मे काम आने वाली सीसे की चादरो और सीसे की पत्तियो को दिया जाने वाला सरक्षण, जिसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो रही है, बन्द कर दिया जाए, (ख) चाय की पेटियों मे काम आने वाली सीसे की चादरो के अलावा सीसे की अन्य चादरो, जस्ते की चादरों, जस्ते की पत्तियो, तांबे की छडो (बिजली के काम आने वाली छडों को छोड कर) और नलियों, पीतल के नल और नलियों और पीतल की छडो को वर्तमान दरों के अनुसार ही १ जनवरी, १९६० से और तीन साल के लिए सरक्षण दिया जाए।

सरकार ने कमानी मेटरस एड एलॉयज लि० और इडियन स्मेल्टिग एड रिफाइनिग कम्पनी लि० का ध्यान तटकर आयोग की सिफारिशो की ओर दिलाते हुए कहा है कि उन्हे भी इडियन कॉपर कारपोरेशन की तरह ही तांबे और पीतल की चादरों के मूल्यों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके एजेंट या स्टाकिस्ट सूची के मूल्यो से अधिक दाम न ले।

तटकर आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अलौह धातु उद्योग के सभी कारखानो को शीघ्र ही अपने मूल्य निर्धारित करने चाहिए। सब कारखानों का ध्यान इस सिफारिश की ओर दिलाया गया है।

मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण बन्द

सरकार ने तटकर आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद मशीनी पेच उद्योग को सरक्षण न दिया जाए। यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की १ दिसम्बर की विज्ञप्ति में दी गयी है।

इस उद्योग को सहायता देने के बारे में आयोग की अन्य सिफारिशों के संबंध में सरकार का कहना है कि इन्हें लागू करने के पूरे प्रयत्न किये जाएंगे।

मशीनी पेच बनाने वालों का ध्यान आयोग की इस सिफारिश पर दिलाया गया है कि उन्हे प्रत्येक नाप के तार के छड और तार के लिए आवेदन-पत्र देने चाहिए। तटकर आयोग ने कहा है कि मशीनी पेच बनाने वाले केवल जाच किये हुए नरम इस्पात के तार की छडे और तार ही इस्तेमाल करे और उत्पादन के तरीको का ठीक-ठीक निरीक्षण करते रहे, ताकि देश मे अच्छी किस्म के पेंच बन सकें। सरकार ने इस सिफारिश पर भी उद्योग का ध्यान दिलाया है।

[सन १९५१ से मशीनी पेंच उद्योग को सरक्षण दिया जा रहा है। प्राय सभी उद्योगों में मशीनी पेच इस्तेमाल होते है और औद्योगिक विकास में इनका विशिष्ट स्थान है। आजकल देश में कुल १६ कारखाने है जो मशीनी पेंच बना रहे है। ये कारखाने प्रतिवर्ष ३५ लाख ग्रुस से भी ज्यादा पेंच बनाते है। १९५८ मे कुल २६ लाख ६० हजार ग्रुस का उत्पादन हुआ।

तटकर आयोग का अनुमान है कि इस समय देश मे प्रतिवर्ष ३० लाख ग्रुस मशीनी पेचो की जरूरत है। १९६१ तक यह माग ६० लाख ग्रुस तक हो जाने की सभावना है।]

सूत और बालों के पट्टे उद्योग का संरक्षण

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की २ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने तटकर आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि सूत और बालो के पट्टे उद्योग को ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद सरक्षण न दिया जाए।

तटकर आयोग की रिपोर्ट पर भारत सरकार का यह सकल्प २ दिसम्बर को प्रकाशित हो गया है। आयोग ने सिफारिश की है कि बालों के पट्टे बनाने में जो ऊनी धागा और बाल इस्तेमाल होते है उन्हे आजकल की तरह सीमा शुल्क से मुक्त रखा जाए। सरकार ने यह सिफारिश मान ली है और इन चीजों को सीमा शुल्क से छूट मिलती रहेगी।

सरकार ने तटकर आयोग की अन्य सिफारिशों पर भी विचार किया है और उन पर यथासम्भव अमल किया जाएगा।

[इस उद्योग को १९४८ से संरक्षण दिया जा रहा था। इस समय देश मे ९ कारखाने सूत और बालों के पट्टे तैयार करते हैं। इन में १ पाली के काम करने पर वर्ष मे १,१४० टन पट्टे तैयार हो सकते है। १९५९ में पट्टों का उत्पादन ७७७ टन रहा।]

तटकर आयोग ने अनुमान लगाया है कि अगले तीन वर्षों में देश मे सूती पट्टों की माग २०० टन और बालों के पट्टों की ४५० टन से अधिक नही बढ़ेगी। देशी पट्टे काफी अच्छे बनने लगे है। यद्यपि इस उद्योग का सरक्षण समाप्त किया जा रहा है, लेकिन उद्योग को यह विश्वास दिलाया गया है कि विदेशों से पट्टों का आयात काफी कम किया जाएगा।

प्लास्टिक उद्योग को संरक्षण

भारत सरकार ने तटकर आयोग की सिफारिश पर फीनोल फारमेल्डीहाइड की चीजें ढालने यानी प्लास्टिक उद्योग को वर्तमान शुल्क, मूल्यानुसार ३५ प्रतिशत कर ३१ दिसम्बर, १९६२ तक सरक्षण देना स्वीकार कर लिया है। साथ ही सरकार ने प्लास्टिक बटन उद्योग को ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद संरक्षण समाप्त करने का भी निश्चय किया है। तटकर आयोग की रिपोर्ट पर भारत सरकार का सकल्प ८ दिसम्बर को प्रकाशित कर दिया गया है।

प्लास्टिक उद्योग को सहायता की तटकर आयोग की अन्य सिफारिशों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है और उनके बारे में आवश्यक कारवाई की जाएगी।

हथकरघा कपड़े का निर्यात

जुलाई १९५९ मे जो शिष्टमंडल अमरीका गया था, उसने वहा से १ करोड़ ४५ लाख रु० की हथकरघा से बनी चीजों के आर्डर प्राप्त किये थे। ये आर्डर विभिन्न किस्म

के हथकरघा कपड़ों के लिए मिले जिनकी अमरीका में काफी मांग है। यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने २ सितम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

अमरीका को हथकरघे के कपड़े का निर्यात

वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द कानूनगो ने १५ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९५९ के पहले ८ महीनों में अमरीका को ११ लाख २० हजार गज हथकरघे का कपड़ा निर्यात किया गया, जिसका मूल्य २४ लाख १० हजार है। पिछले वर्ष कुल ६ लाख ३० हजार गज कपड़ा निर्यात किया गया था, जिसका मूल्य १३ लाख १० था।

अमरीका को हथकरघे के कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये उपायों के बारे में बोलते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में अखिल भारतीय हथकरघा मंडल ने अमरीका में हुई ८ नुमाइशों में भाग लिया है। भारत में १९५६ और १९५८ में अमरीका के जो व्यापार विकास मिशन आये थे, उन्होंने निर्यात बढ़ाने के बारे में कुछ सुझाव दिये थे। राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत बनाया गया निर्यात संगठन भी कुछ अन्य देशों को हथकरघे के कपड़े के निर्यात के लिए प्रयत्न कर रहा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कागज का आयात

भारत सरकार ने निश्चय किया है कि राज्य व्यापार निगम अधिक मात्रा में लिखने और छपाई के काम आने वाला कागज बाहर से मंगाये, जिससे देश में अधिक कागज मिल सके।

जिन देशों से भारत का रुपये में भुगतान करने का समझौता है, उन देशों से निगम लिखने और छपाई के काम का २५ हजार टन कागज मंगायेगा। आवश्यकता होने पर निगम और भी कागज मंगायेगा।

यह सूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ४ दिसम्बर की विज्ञप्ति में दी गयी है।

दशमिक बाट और नपुए

देश में लगभग ३०५ ऐसे कारखाने हैं, जो दशमिक बाट और नपुए बना सकते हैं। इनमें सरकारी कारखाने भी सम्मिलित हैं। आंध्र, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर और पंजाब राज्यों की सरकारों ने तथा दिल्ली प्रशासन ने अब तक १०६ कारखानों को दशमिक बाट बनाने के लाइसेंस दिये हैं। अन्य राज्य सरकारें तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों की सरकारें भी जल्दी ही अपने क्षेत्रों के कारखानों को लाइसेंस देंगी।

नेशनल सैम्पल सर्वे की पड़ताल के अनुसार इस समय देश में लगभग ५ करोड़ ४० लाख बाट और १० लाख नपुए हैं। आगामी दो या तीन वर्षों में इतनी ही संख्या में नये बाट और नपुए बनाने की जरूरत है। ये बाट और नपुए राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंसशुदा कारखाने ही बनायेंगे और उन्हें लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही बेच सकेंगे।

यह सूचना ९ दिसम्बर को राज्यसभा में वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीश चन्द्र ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

क्या आप जानते हैं?

भारतीय मानक संस्था

- भारत सरकार ने उद्योग अनुसंधान योजना समिति (१९४५) की सिफारिश पर १९४७ में भारतीय मानक संस्था स्थापित की। इसे साधारणतया आई. एस. आई. भी कहते हैं। सरकार ने ३ सितम्बर, १९४६ को एक प्रस्ताव में संस्था के ये ध्येय निर्धारित किये— (१) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर मानक तैयार करना, (२) उद्योग और वाणिज्य में चीजों के मानक को अमल में लाना और किस्म पर नियंत्रण रखना, (३) सामान, तैयार चीजों, उपकरणों और चीजें तैयार *करने के तरीकों को सुधारने के लिए निर्माताओं* और खरीदारों में सहयोग रखना, (४) मानक-चिन्हों को रजिस्टर करना, (५) चीजों को जांचने का प्रबन्ध करना, और (६) सदस्यों को मानक सम्बन्धी सभी बातों की जानकारी देना।

- भारतीय मानक संस्था अर्ध-सरकारी संगठन है। इसे चलाने के लिए एक परिषद है, जिसके सदस्य केन्द्रीय और राज्य सरकार, उद्योग, व्यापार, तथा विज्ञान संगठनों के प्रतिनिधि हैं।

- मानक तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की अनेक समितियां नियुक्त की गयी हैं। ३० सितम्बर, १९५९ को ऐसी १९७ समितियां और ६४६ उपसमितियां थीं, जिनके कुल ९,३८७ सदस्य थे। जो मानक तैयार होते हैं, वे बाद में प्रकाशित कर दिये जाते हैं।

- संस्था इन समितियों में मेल रखती है और इनके लिए आंकड़े जमा करती है, सदर्भ-पुस्तक सूची तैयार करती है, जांच और अनुसंधान करती है, टैक्नीकल जानकारी प्राप्त करती है और मानक का मसौदा तैयार करने में मदद देती है।

- संस्था अब तक कपड़ा, इंजीनियरी, भवन-निर्माण, रसायन, कृषि और खाद्य पदार्थ, इमारती सामान और धातु व बिजली के सामान और सुरक्षा सम्बन्धी १,३०० मानक प्रकाशित कर चुकी है।

- किसी व्यक्ति अथवा उद्योग के लिए संस्था के मानक मानना अनिवार्य नहीं है, परन्तु इन मानकों के महत्व को देखकर अनेक कम्पनियां इनका पालन कर रही हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, अब सरकारी विभाग इन्हीं मानकों के आधार पर खरीद करते हैं।

- भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) कानून, १९५२ के अन्तर्गत संस्था ने मानक के अनुसार बनी हुई चीजों पर अपना प्रमाण-चिन्ह लगाने की योजना चलायी है।

- भारतीय मानक संस्था सभी प्रकार के कामों में अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन से सहयोग रखती है। ४० देश (भारत सहित) इस संगठन के सदस्य हैं।

- संस्था का अगला अधिवेशन २७ दिसम्बर, १९५९ से २ जनवरी १९६० तक हैदराबाद में होगा। इससे पहले कलकत्ता (१९५[illegible]) बम्बई (१९५६), मद्रास (१९५७) और नई दिल्ली (१९५८) में भी अधिवेशन हो चुके हैं।

चीनी मिलों की मशीनों का निर्माण

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने २ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि देश में चीनी मिलों की मशीनें बनाने में काफी प्रगति हुई है। १९५६ में यहां ३२ लाख रु० की ऐसी मशीनें बनीं, जब कि १९५९ में ३ करोड़ रु० से भी ज्यादा की मशीनें बनने का अनुमान है।

१९५८-५९ में इन मशीनों के पुर्जे आयात करने के लिए ६४ लाख ३० हजार रु० की विदेशी मुद्रा दी गयी थी।

श्री शाह ने कहा कि १९६१-६२ तक देश में पूरी तरह चीनी बनाने की मशीनों का निर्माण होने लगेगा। इसके बाद प्रति वर्ष १४ मशीनें बनने लगेंगी, जो देश की जरूरत पूरी करने के लिए काफी हैं। इसके बाद केवल टर्बो-आल्टरनेटर्स और मिल इंजनों की ही कमी रह जाएगी।

डाक्टरी थर्मामीटरों का निर्माण

कलकत्ता के नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड को एक जापानी कम्पनी के सहयोग से डाक्टरी थर्मामीटर बनाने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड सरकारी कारखाना है। १९६२-६३ तक इस कारखाने में हर साल ६ लाख थर्मामीटर बनने लगेंगे।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह १४ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

श्री शाह ने कहा कि इस समय केवल एक कम्पनी ही डाक्टरी थर्मामीटर बना रही है। इसके कारखाने की हर साल २ लाख १६ हजार थर्मामीटर बनाने की क्षमता है। पर १९५८ में १ लाख ३७ हजार और १९५९ में (अक्तूबर तक) १ लाख ८३ हजार थर्मामीटर बनाये गये।

बिजली के मोटरों का निर्माण

नाहन फाउन्ड्री लि० को बिजली के मोटर बनाने की इजाजत दे दी गयी है। शुरू में यह कम्पनी भिन्न-भिन्न आकार के १,२०० मोटर बनाएगी और आगे चल कर ३,६०० मोटर बनाने लगेगी। यहां ½ अश्व शक्ति से लेकर २० अश्व शक्ति तक के मोटर बनेंगे, लेकिन खास तौर से ¼ से लेकर १ अश्व शक्ति के सिंगल फेज के और ५, ७.५ और १० अश्व-शक्ति के तीन फेज के मोटर बनाये जाएंगे।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में, उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १४ दिसम्बर को राज्यसभा में दी।

मंत्री महोदय ने बताया कि यह फाउन्ड्री कुछ किस्म के बिजली के मोटर आजमाइशी तौर पर बना चुकी है। अभी तक बड़े पैमाने पर मोटर नहीं बने हैं, इसलिए इनकी कीमत बताना सम्भव नहीं।

पेनिसिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन का निर्माण

अगले वर्ष के अन्त तक देश की आवश्यकता की पेनिसिलीन देश में ही बनने लगेगी। इस समय देश में प्रतिवर्ष ६ करोड़ मेगा यूनिट पेनिसिलीन की जरूरत होती है। यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में १४ दिसम्बर को दी।

श्री शाह ने कहा कि आशा है कि १९६१ के अंत तक देश स्ट्रेप्टोमाइसीन और टेट्रासाइक्लीन में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस समय प्रतिवर्ष ५० टन स्ट्रेप्टोमाइसीन और ५ टन टेट्रासाइक्लीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ८ टन क्लोरमफेनीकोल की भी जरूरत होती है। आशा है कि १९६० के अन्त तक इतना उत्पादन होने लगेगा।

छपाई की मशीनों का कारखाना

कोयमुत्तूर (मद्रास) की एक कम्पनी ने नमूने की एक स्टोरिओ रोटरी प्रिंटिंग मशीन बनायी है। मशीन की आजमाइश की जा रही है। सरकार ने टीटागढ़ की एक अन्य कम्पनी को फ्लैट बेड मशीनें बनाने की अनुमति दी है। आशा है कि इस तरह की कुछ मशीनें अप्रैल १९६० तक बनकर तैयार हो जाएंगी।

यह सूचना उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १४ दिसम्बर को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

उद्योगों में माप-तोल की दशमिक प्रणाली

१ अप्रैल, १९६० से वनस्पति रंग-रोगन, बिस्कुट और साबुन उद्योग में भी माप-तोल की दशमिक प्रणाली शुरू हो जाएगी। वनस्पति और साबुन उद्योगों में छ: महीने तक, रंग-रोगन उद्योग में साल भर तक और बिस्कुट उद्योग में दो साल तक नयी और पुरानी, दोनों प्रणालियां चलती रहेंगी।

पटसन, कपास, सूती कपड़ा, लोहा और इस्पात, अलौह धातु, इंजीनियरी, भारी रसायन, सीमेण्ट, नमक, कागज आदि १८ उद्योगों में पहले से ही दशमिक प्रणाली शुरू हो चुकी है।

अगस्त १९६० से सीमा शुल्क के काम में भी दशमिक प्रणाली शुरू कर दी जाएगी।

छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए व्यय

छोटे और घरेलू उद्योगों की उन्नति के लिए सरकारी खर्च १९५६-५७ के बाद से बराबर बढ़ता जा रहा है। १९५६-५७ में इस काम पर २८ करोड़ ४८ लाख रु० खर्च हुआ, १९५७-५८ में ३२ करोड़ ६८ लाख रु० और १९५८-५९ में ३९ करोड़ ३४ लाख रु०। १९५९-६० में ४१ करोड़ ५० लाख रु० खर्च करने की योजना है।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने ७ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

सूती कपड़े का निर्यात

वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री, श्री सतीशचन्द्र ने १० दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि जनवरी से अगस्त १९५९ तक ४६ करोड़ गज कपड़ा निर्यात किया गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ४१.४ करोड़ गज कपड़ा निर्यात हुआ था।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सतीशचन्द्र ने बताया कि पश्चिम एशियाई देशों को १९५९ के प्रथम ८ महीनों में ६.३१ करोड़ गज कपड़ा भेजा गया, जबकि १९५८ की इसी अवधि में ५.८९ करोड़ गज कपड़ा भेजा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में बने कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गयी हैं और निर्यात की स्थिति पर बराबर ध्यान रखा जाता है।

इंगलैंड को सूती कपड़े का निर्यात : करार की शर्तें

वाणिज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द काननगो ने १० दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारत और इंगलैंड में हाल में सूती कपड़ा निर्यात करने के बारे में जो करार हुआ था, उसकी मुख्य शर्तें ये हैं :

(१) इंगलैंड को भारत से १७ करोड़ ५० लाख वर्ग गज तक का सूती कपड़ा निर्यात हो सकता है,

(२) यह करार अगले साल जनवरी से तीन साल तक के लिए लागू रहेगा;

(३) पुनर्निर्यात होने वाला कपड़ा १७ करोड़ ५० लाख वर्ग गज वाली शर्त में शामिल नहीं होगा, और

(४) अगर किसी साल निर्धारित कोटा निर्यात न हो सका तो बाकी का कोटा अगले साल निर्यात हो सकता है।

श्री कानूनगो ने कहा कि यह निर्यात पिछले वर्षों के निर्यात से काफी ज्यादा बैठेगा। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि इस करार से भारतीय कपड़ा उद्योग को वास्तव में कितना फायदा होगा।

मिलों के पास कपड़े का भंडार

उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह ने १५ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में कहा कि इस साल के शुरू से मिलों में कपड़े का जमा भंडार कम होता जा रहा है, किन्तु सरकार को सूचना मिली है कि कपड़े की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई और न देश में कपड़े का अकाल पड़ने की ही कोई आशंका है।

श्री शाह ने यह भी बताया कि जून १९५९ से लेकर हर महीने के अंत में मिलों के पास कपड़े का कितना भंडार जमा था। अक्तूबर के अंत में मिलों के पास कुल ३ लाख ३४ हजार गाठें थीं। इनमें से १ लाख ५६ हजार गाठें बिना बिके कपड़े की और १ लाख ७८ हजार गाठें बिके हुए कपड़े की थीं। जून १९५९ के अंत में ३ लाख ९९ हजार गाठें थीं। इनमें से २ लाख ४ हजार गाठें बिना बिके कपड़े की और १ लाख ९५ हजार गाठें बिके हुए कपड़े की थीं।

अक्तूबर १९५९ में सूती कपड़ा मिलों का उत्पादन

टेक्सटाइल कमिश्नर कार्यालय, बम्बई, से प्रकाशित १२ दिसम्बर की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अक्तूबर १९५९ में सूती कपड़ा मिलों में १४८ करोड़ पौण्ड सूत और ४१.४ करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ जो लगभग २ ७६ लाख गाठ कपड़े के बराबर है।

१९५९ के पहले १० महीनों में १४२ ७ करोड़ पौण्ड सूत और ४१० करोड़ गज सूती कपड़ा तैयार हुआ। १९५७ और, ५८ को इसी अवधि में जो उत्पादन हुआ वह क्रमश इस प्रकार है : १४७.८ और १३९.५ करोड़ पौंड सूत, तथा ४४४ ८ और ४११ १ करोड़ गज सूती कपड़ा।

अनुमान है कि नवम्बर १९५९ में १४ करोड़ पौण्ड सूत और ३९ ६ करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ है।

कपड़ा मिलों को नकली रेशम का धागा

वस्त्र कमिश्नर ने जनवरी-मार्च, १९६० की अवधि के लिए चालू, अधिकारप्राप्त और आयुक्त को अपने काम की रिपोर्ट भेजने वाली कपड़ा मिलों को, जुलाई-सितम्बर, १९५९ की अवधि में चालू करघों की औसत सख्या को देख कर प्रति करघा २५० पौंड नकली रेशम का धागा देने का निश्चय किया है। यह धागा उन्हीं कारखानों को दिया जाएगा, जो वस्त्र कमिश्नर के पास अपना मासिक विवरण नियमित रूप से भेजते रहे हैं।

यह सूचना वस्त्र कमिश्नर की १४ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

निर्यात के लिए खाद्य-सामग्री में इस्तेमाल होने वाले तेल पर उत्पादन शुल्क

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ४ दिसम्बर की विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत से निर्यात होने वाली खाद्य-सामग्री में इस्तेमाल होने वाले निर्गन्ध वनस्पति तेलों (बिनौले के तेल के अलावा) के उत्पादन-शुल्क में भारत सरकार ने और छूट देने का निश्चय किया है। अभी तक इन पर १०५ ० का ६० न० पै० प्रति टन की दर से छूट दी जाती थी, जबकि ५ दिसम्बर, १९५९ से ११० रु० प्रति टन की छूट दी जाया करेगी।

खनिज लोह का निर्यात

सन् १९५८-५९ (जुलाई-जून) में भारत से जितने खनिज लोह का निर्यात हुआ, उतना कभी नहीं हुआ था। इस अवधि में २४ लाख टन खनिज लोह का निर्यात हुआ, जबकि इससे पिछले साल २१ लाख टन, १९५५-५६ में १६ लाख टन और १९५१-५२ में ३ लाख टन का हुआ था।

सन् १९५८-५९ का यह कुल निर्यात राज्य व्यापार निगम की ही मार्फत हुआ, जो लगभग १२ करोड़ ४० लाख रु० का था।

जापान को इसके ५८ प्रतिशत, यानी १४ लाख १० हजार टन खनिज लोह का निर्यात हुआ। चेकोस्लोवाकिया का दूसरा नम्बर है। इस देश को १९५५-५६ में ३ लाख टन से भी कम का निर्यात हुआ था, जबकि १९५८-५९ में ७ लाख टन से ज्यादा का हुआ। अन्य पूर्व यूरोपीय देशों—जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया और हंगरी तथा इटली और पूर्व जर्मनी को भी अब ज्यादा से ज्यादा खनिज लोह निर्यात हो रहा है।

निर्यात में यह वृद्धि सरकार के विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों का ही फल है। राज्य व्यापार निगम को घटिया किस्म के खनिज लोह का निर्यात बढ़ाने में भी काफी सफलता मिली है। १९५८-५९ में ऐसे खनिज लोह का निर्यात कुल निर्यात का १६ प्रतिशत था, जबकि पहले बहुत थोड़ी मात्रा में ही इसका निर्यात होता था।

अनुमान है कि भारत की खानों में बढ़िया किस्म के २२ अरब टन लोह का भंडार है, जो विश्व भर के भंडार का लगभग एक-चौथाई है। इसके अलावा भारत में लगभग ८५ अरब टन घटिया किस्म के खनिज लोह का भंडार है।

भारत में इसकी मांग बहुत नहीं है। १९५८ में कुल ५८ लाख टन लोहा खानों से निकाला गया, जिसमें से भारतीय इस्पात उद्योगों में करीब ३२ लाख टन की ही खपत हुई। भविष्य में इस्पात उद्योग का विस्तार हो जाने पर भी देश में बहुत-सा खनिज निर्यात के लिए बचता रहा करेगा।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

लोकसभा में २ दिसम्बर को एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्री, डा० बी० वी० केसकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा चुकी है। उन्होंने बताया कि विदेशों में भारतीय राज दूतावासों से उनके देशों में भारतीय फिल्मों की खपत के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने को कहा गया है। कुछ चुनी हुई फिल्में हमारे राजदूतों द्वारा अव्यापारिक रूप में जनता को दिखायी जाती हैं। कुछ भारतीय और विदेशी कम्पनियों से फिल्म डिवीजन के वृत चित्रों का अन्य देशों में वितरण करने के सम्बन्ध में समझौता किया गया है।

भारत अब समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मी समारोहों में अपनी फिल्में और प्रतिनिधिमण्डल भेजकर भाग ले रहा है। अन्य देशों में जहां भी सम्भव है, भारतीय फिल्म समारोहों का आयोजन किया गया है। चुनी हुई फिल्में अन्य देशों में होने वाली प्रदर्शनियों और व्यापारिक मेलों में दिखायी जाती हैं। फिल्म उद्योग पर एक सूवनेर बनाया जा रहा है।

विदेशी पत्रिकाओं में भारतीय फिल्मों के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित लेखों के प्रकाशन की व्यवस्था हमारे व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। विदेशों से व्यापार और सांस्कृतिक समझौतों के अन्तर्गत फिल्मों का लेन-देन हो रहा है।

फिल्मों में सब-टाइटल देने के लिए उपयुक्त मशीनें मंगवाने के लिए आयात लायसेंस दिये गये हैं।

वक्तव्य में बताया गया है कि जनवरी से सितम्बर १९५९ तक भारतीय फिल्मों ने १ करोड़ २३ लाख ११ हजार रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन किया।

निर्यात-व्यापार में चीन से मुकाबला

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री, श्री सतीशचन्द्र ने १५ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कपड़ा, कोयला, इंजीनियरी का सामान तथा वनस्पति तेलों के निर्यात-व्यापार में भारत को चीन से मुकाबला करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारत के साथ चीन के इस मुकाबले का पता लगा, क्योंकि उस वर्ष इन देशों में चीन का निर्यात-व्यापार बहुत अधिक बढ़ा। मंत्री महोदय ने आगे बताया कि इस वर्ष चीन अपना निर्यात-व्यापार पिछले वर्ष के बराबर नहीं रख सका है।

भिलाई में सल्फ्यूरिक ऐसिड का कारखाना खुला

भिलाई इस्पात योजना का पहला बड़ा रसायन कारखाना, सल्फ्यूरिक ऐसिड का कारखाना ५ दिसम्बर को चालू हो गया है। इस कारखाने का उद्‌घाटन केन्द्रीय भिलाई इस्पात योजना के जनरल मैनेजर, श्रीयुत श्रीवास्तव ने किया। इस कारखाने की ऐसिड उत्पादन की वार्षिक क्षमता १२ हजार टन है। यह कारखाना देश के सबसे बड़े और आधुनिकतम कारखानों में से एक है।

भिलाई इस्पात योजना की ऐसिड की पूरी मांग इस कारखाने से पूरी होगी। मांग पूरी करने के बाद जितना ऐसिड बच रहेगा उसे बाजार में बेचा जाएगा।

एमोनियम सल्फेट कारखाना खड़ा करने का काम भी समाप्तप्राय है और इस मास के मध्य में वह भी चालू हो जाएगा। एमोनियम सल्फेट एक खाद है जिसके लिए मण्डी की कमी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार से १,८०० टन सल्फेट के आर्डर तो मिल भी चुके हैं। यहां ४० लाख रुपये के मूल्य का १६ हजार टन सल्फेट प्रति वर्ष तैयार होगा।

खनिज सीसे और जस्ते का उत्पादन

भारतीय खान कार्यालय के अनुसार देश में जनवरी से सितम्बर, १९५९ तक १ लाख २१ हजार २७५ मेट्रिक टन खनिज सीसा और जस्ता निकाला गया। यह पिछले साल की इसी अवधि के उत्पादन से ४७ प्रतिशत अधिक है। खनिज जस्ते और सीसे से इस वर्ष ४ हजार ८३२ मेट्रिक टन सीसा और ७ हजार २७१ मेट्रिक टन जस्ता निकला, जबकि पिछले साल ३ हजार ८२८ मेट्रिक टन सीसा और ५ हजार ३२ मेट्रिक टन जस्ता निकला था।

यह जस्ता और सीसा उदयपुर की खानों से ही निकाला गया।

सीसे को शुद्ध करने के लिए बिहार राज्य में टूण्डू के कारखाने में भेजा जाता है। भारत में जस्ता शुद्ध करने का कोई कारखाना नहीं है, इसलिए इसे शुद्ध करने के लिए जापान भेजा जाता है।

जनवरी से सितम्बर १९५९ तक भारत में ३ हजार २८ मेट्रिक टन शुद्ध सीसा तैयार किया गया। यह पिछले साल से २२ प्रतिशत अधिक है।

क्या आप जानते हैं ?

व्यवसाय चुनने में सलाह-मशविरा

● अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासम्मेलन की एक सिफारिश में 'व्यावसायिक मार्गदर्शन' की इस प्रकार व्याख्या की गयी है—"यह ऐसी सहायता है, जो किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय के चुनाव और उसमें आगे तरक्की करने के बारे में व्यक्ति की विशेषताओं और अवसर को ध्यान में रख कर दी जाती है।"

● यद्यपि माध्यमिक शिक्षा में कुछ कामधंधे सिखाने की आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव की जाती रही है, किन्तु इसको व्यावहारिक रूप स्वतन्त्रता के बाद ही दिया जा सका है।

● माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जिसकी नियुक्ति १९५२ में हुई थी, सिफारिश की थी कि सब स्कूलों में दस्तकारियां सिखाने और चीजें तैयार करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसने सुझाया था कि स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे लड़के वहां से निकल कर अपनी रुचि के अनुसार खेती-बाड़ी, व्यापार या अन्य काम-धंधों से अपनी जीविका चला सकें।

● आयोग की अन्य सिफारिशें, विद्यार्थियों के कल-कारखानों को जाकर देखने, विद्यालयों में काम-धंधा चुनने के बारे में सलाह देने वाले अधिकारी नियुक्त करने और इन सलाहकारों की शिक्षा की केन्द्रीय सरकार की ओर से व्यवस्था करने आदि के बारे में थीं।

● भारत सरकार ने १९५४ में केन्द्रीय शिक्षा तथा व्यवसाय-मार्गदर्शन कार्यालय की स्थापना की। व्यवसाय-मार्गदर्शन व्यवस्था को, शिक्षा मंत्रालय और श्रम तथा नियोजन मंत्रालय मिलकर चला रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय स्कूलों में व्यवसाय के बारे में सलाह-मशविरा देने का प्रबंध करता है और श्रम तथा नियोजन मंत्रालय आगे चलकर नवयुवकों को काम-धंधे की अधिक शिक्षा या नौकरी दिलाने में सहायता करता है।

● काम सिखाने और काम दिलाने की व्यवस्था के पुनर्गठन से सम्बन्धित समिति (१९५२) की सिफारिश पर कामदिलाऊ केन्द्रों को नवयुवकों को रोजगार सम्बन्धी सलाह देने का काम भी दिया गया है।

● दूसरी पंचवर्षीय योजना में (१) कामदिलाऊ केन्द्रों में युवकों और अनुभवहीन छात्रों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार काम का चुनाव करने के लिए सलाह देने वाले विशेष विभाग खोलने, (२) वयस्क लोगों के लिए सलाह देने की व्यवस्था करने, और (३) ऐसी रुचि-परीक्षाएं तथा मनोवैज्ञानिक विधियां निकालने का यत्न होगा, जिनसे कामदिलाऊ केन्द्रों को यह पता लग जाए कि कौन व्यक्ति किस काम में अधिक उन्नति कर सकता है।

● दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश के ५३ कामदिलाऊ केन्द्रों में युवकों और अन्य लोगों को व्यवसाय सम्बन्धी सलाह देने के अनुभाग स्थापित हो जाएंगे।

श्रम और रोजगार

खान-दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता

फरवरी १९५८ में चिनाकुरी कोयले की खान (आसनसोल सब-डिवीजन, जिला बर्दवान) दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए जो दान प्राप्त हुआ था, उसमें से बचे हुए धन के द्वारा सरकार ने खान-मजदूरों की सहायता का आकस्मिक कोष स्थापित किया है। इस कोष से खान में काम करने वालों को दुर्घटना आदि होने पर उनको या उनके आश्रितों को सहायता दी जाया करेगी। चिनाकुरी दुर्घटना में जो लोग मर गये थे या अपाहिज हो गये थे, उनकी सहायता के लिए प्राप्त ५२,६६० रु० से खान मजदूर सहायता कोष स्थापित किया गया था। इस कोष को केन्द्रीय श्रम और नियोजन मंत्रालय चलाता है।

इस कोष से निम्न प्रकार के एक या अधिक कामों के लिए सहायता दी जा सकेगी

(१) प्रारम्भिक खर्च के लिए एकमुश्त सहायता, (२) आश्रितों को निश्चित अवधि तक मासिक सहायता ; (३) स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को छात्रवृत्ति ; (४) किसी व्यवसाय आदि की शिक्षा के लिए सहायता, (५) सिलाई की मशीन तथा औजार आदि खरीदने के लिए सहायता, जिससे कि आश्रित काम में लग सकें; और (६) इसी प्रकार के और कामों के लिए सहायता।

प्रत्येक मामले में ऊपर के कामों के अनुसार सहायता देने का निश्चय किया जाएगा। भारी आघात लगने पर लोगों के नकली अंग लगाने या यदि वे अपने मौजूदा काम के लिए अयोग्य हो जाएं तो कोई नया काम सिखाने के लिए भी खर्च दिया जाएगा।

यह सूचना श्रम और नियोजन मंत्रालय की ६ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

कारखानों की सद्भावना समितियों के सिद्धांतों पर त्रिपक्षीय समिति द्वारा विचार

१ दिसम्बर को नयी दिल्ली में त्रिपक्षीय समिति की बैठक में कारखानों की सद्भावना समितियों के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के बारे में विचार किया गया। बैठक के सभापति श्रम मंत्रालय के सचिव श्री पी० एन० मेनन थे। यह त्रिपक्षीय समिति पिछली जुलाई में भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार बनायी गयी थी।

समिति की बैठक में कर्मचारियों और मालिकों के संगठनों के चार-चार प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों और कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह निश्चय किया गया कि सद्भावना समितियों के अध्यक्ष पद पर बारी-बारी से कर्मचारियों और मालिकों के प्रतिनिधियों को रखने के वर्तमान नियम को आजमाइशी तौर पर तीन साल के लिए बदल दिया जाए और प्रबन्धकों का ही कोई उच्च प्रतिनिधि इन समितियों का सभापति रहे।

इस बैठक में उन विषयों की भी सूची तैयार की गयी जो सद्भावना समितियों के अधिकार-क्षेत्र में आने चाहिए। सूची में कारखानों में सफाई, अन्य सुविधाएं, सुरक्षा दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय, कल्याण-कोष का प्रबन्ध, कर्मचारियों के मनोरंजन के कार्य तथा पैसा बचाने आदि जैसी बातों को स्थान दिया गया है।

कानून के अनुसार जहां १०० कर्मचारी या अधिक काम करते हैं, वहां सरकार के निर्देश करने पर कर्मचारियों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों की सद्भावना समितियां बनायी जानी चाहिए।

प्रबन्ध में मजदूरों का भाग : समिति की बैठक

प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने और उद्योग में अनुशासन बनाये रखने के लिए जो उपसमिति नियुक्त की गयी है, उसकी ८ दिसम्बर को नयी दिल्ली में पांचवी बैठक हुई। इसमें उद्योगों में दक्षता बढ़ाने और मजदूरों के हित के लिए काम करने पर विचार हुआ।

बैठक की अध्यक्षता श्रम और नियोजन मंत्री, श्री गुलजारीलाल नन्दा ने की। यह उप-समिति भारतीय श्रम सम्मेलन ने जुलाई १९५७ में नियुक्त की थी। इसमें मालिकों, मजदूरों तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं।

समिति इस पर सहमत हुई कि पहले कुछ सिद्धान्त बनाये जाएं और उन्हें आजमाइशी योजनाओं पर लागू किया जाए और बाद में अनुभव प्राप्त करने पर उन सिद्धान्तों में सुधार किया जाए।

श्री नन्दा ने कहा कि प्रबन्धकों और मजदूरों को अपने अनुभव तथा विचार एक-दूसरे को बताने चाहिए, क्योंकि मजदूरों के ऊपर ही उद्योग की दक्षता और उत्पादकता निर्भर है। इसके लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के सहयोग से एक अध्ययन मण्डल बनाया गया, जिसमें श्रम मंत्रालय, मजदूर तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधि हैं। इसका काम एक कार्यक्रम तैयार करना और उद्योग [illegible] करना है।

खाद्य और कृषि

विश्व कृषि प्रदर्शनी

नयी दिल्ली में ११ दिसम्बर, १९५९ को विश्व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि यह बहुत सन्तोष और खुशी की बात है कि विश्व कृषि प्रदर्शनी का आयोजन सम्भव हो सका है, जिससे भारतीय किसानों को संसार में खेती में हुई उन्नति और भारतीय खेती देखने का अवसर मिल सके और वे कृषि और अन्य विषयों, ग्रामोद्योगों और भारत में ग्राम और सामुदायिक विकास में हुई प्रगति का तुलनात्मक मूल्यांकन कर सके।

भारत कृषि-प्रधान देश है। हम अपने साधनों और सामर्थ्य के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र बहुत बड़े पैमाने पर बड़े, छोटे और घरेलू उद्योगों की स्थापना का प्रयत्न कर रहे हैं। हमे आशा है कि हम इस दिशा में अच्छी प्रगति करेंगे और अच्छे परिणाम दिखा सकेंगे। तो भी, भारत काफी लम्बे अर्से तक मुख्य रूप से कृषि-प्रधान देश ही रहेगा। इस देश में खेती से सबसे अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे लोगों की संख्या, संगठित या असंगठित अन्य सभी उद्योगों से रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। खेती से जितनी सम्पदा उत्पन्न होती है, उसका मूल्य भी यदि सब उद्योगों के कुल मूल्य से नहीं तो कम से कम अन्य किसी भी एक उद्योग से अर्जित सम्पदा से अधिक है। उससे मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक पदार्थ मिलता है और उतनी ही आवश्यक कुछ अन्य चीजें तैयार करने के लिए कच्चा माल मिलता है। अतः प्राचीन भारत में खेती को सबसे उत्तम धंधा मानना अकारण ही नहीं था, और मेरा विश्वास है कि खेती का अब भी वही आसन है।

इस देश में ऐसी ही अनेक समस्याएं भी हैं, जो बहुत कठिन और उलझी हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम हालांकि कृषि-प्रधान देश हैं, फिर भी अभी हम अपनी आवश्यकता के लिए पूरा अन्न पैदा नहीं करते और हमें अपनी कमी पूरी करने के लिए अमरीका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

अतः केवल भारतीय किसान के ही लिए नहीं, बल्कि सारे देश के लिए सबसे पहले सवाल यह है कि अपनी दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए पूरा अन्न पैदा किया जाए। इसमें कठिनाई स्वाभाविक है, क्योंकि जमीन, जिसके बिना खेती नहीं हो सकती, सीमित है और वह बढ़ नहीं सकती। देश में जिस जमीन पर अभी खेती नहीं होती, उस सारी जमीन पर यदि खेती होने भी लगे, तो भी यह बढ़ती बहुत ज्यादा न होगी। खेती योग्य जमीन को बढ़ाने में भी कठिनाइयां हैं। हम जानते हैं कि इस समय जितनी जमीन पर खेती होती है और जितनी जमीन पर वन हैं, उसे देखते हुए वनों को काटकर खेती के लिए जमीन निकालना ठीक नहीं है। बहुत-से इलाके सूखे हैं, क्योंकि वहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती और न ही वहां सिंचाई के दूसरे साधन हैं। इसके अलावा इस प्रकार जो जमीन निकलती है, वह छोटे-छोटे खेतों में बंट जाती है और बंटती जा रही है। हमारे लोग बहुत मेहनती और अच्छे किसान रहे हैं और उन्होंने कठिन स्थानों में भी भूमि को खेती योग्य बनाने में हिम्मत, विवेक और कौशल का परिचय दिया है। यद्यपि इस प्रकार के इलाकों में कुछ और भूमि को खेती योग्य बनाना सम्भव है, फिर भी, कोई खास वृद्धि होगी, इसमें मुझे सन्देह है। इस प्रकार सब बातों को ध्यान में रखकर और खेती में विस्तार की बात मानकर भी हम इस विषय में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह बढ़ती हुई आबादी को पाल सकती है। इस समय भी स्थिति यह है कि देश में ४० करोड़ लोग रहते हैं और पहाड़ों, वनों, झीलों और रेगिस्तानों जैसे खेती के अयोग्य क्षेत्रों सहित उसकी धरती पर प्रति वर्गमील ३०० से अधिक लोग रहते हैं। छोटे-बड़े शहरों को छोड़ दें तो भी ऐसे देहाती क्षेत्र हैं जहां की जनसंख्या प्रति वर्गमील १,२०० तक है। हमें यह भी याद रखना है कि इस जनसंख्या में प्रतिवर्ष ४० से ५० लाख तक और लोग शामिल होते जाते हैं।

स्वभावतः अन्न की समस्या हमारी सबसे कठिन समस्या है, जिसकी ओर तुरन्त ध्यान देना है। दूसरी ओर, हमारी प्रति एकड़ उपज कम है और मुझे बताया गया है कि और देशों की प्रति एकड़ उपज से वह बहुत कम है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पिछले जमाने के किसान पिछड़े हुए या आदिम किस्म के नहीं थे और उन्होंने कई सदियों के दौरान में खेती की विधियों और उपायों में बहुत तरक्की की थी। इन विधियों और उपायों के मूल तत्व आज भी पूरी तरह पुराने नहीं पड़े हैं। हमारे किसानों को मालूम है कि विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए कैसी जमीन चाहिए; सिंचाई के लिए कब और कैसे पानी की जरूरत होती है और विभिन्न प्रकार की जमीन और फसलों के लिए किन विभिन्न तरीकों से खेती और जुताई होनी चाहिए। उनके पास अपने परम्परागत खेती के औजार भी हैं, जिन्हें वे अपने ही गांवों में तैयार कर लेने के आदी भी हैं। उन्होंने कुओं और तालाबों से छोटे पैमाने पर और बड़े-बड़े जलाशय बना कर और उनसे नहरें निकाल कर, बड़े पैमाने पर सिंचाई करने के साधनों का विकास भी किया। जहां-जहां उनके पास साधन थे, वहां-वहां उन्होंने नदियों का भी इस्तेमाल किया। अवसर और साधनों की कमी होने के कारण वे आधुनिकतम और सर्वाधिक कार्यकारी कृषि-यन्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सके या बिजली से पानी खींचने की सुविधा का उतना इस्तेमाल नहीं कर सके जितना आवश्यक था। यह अच्छी बात है कि इन सब दिशाओं में काफी प्रगति हो रही है और सौभाग्य से विदेशों से मिली मदद और विस्तार-सेवाओं तथा ग्राम विकास संगठनों के जरिये इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इन सब चीजों से पूरा-पूरा फायदा उठाने में किसानों की मदद की जाए।

हम यह समझते हैं कि कृषि उत्पादन में सुधार और संगठन ही ऐसी चीजें हैं, जिनसे देश ऐसे राज्य के रूप में उन्नति कर सकता है जहां कोई अभाव या कष्ट न हो। मैं उसी दृष्टि से इस प्रदर्शनी का स्वागत करता हूं, जिसमें दूर और पास से आये हमारे किसान अपने देश के विभिन्न भागों ही में नहीं, बल्कि संसार के सुदूर देशों में हुई प्रगति को भी अपनी आंखों से देख सकेंगे। यह पक्की बात है कि हमारे किसानों का अपने पुराने अनुभवों से, जो मूल्यवान तो हैं, सन्तुष्ट रहना ठीक नहीं। उन्हें वैज्ञानिक तरीकों के प्रकाश में नयी-नयी विधियों को अपनी आवश्यकता और साधनों के अनुसार अपनाकर खेती को आधुनिक बनाना चाहिए।

जापानी तरीके से धान की खेती

पता चला है कि १९५८-५९ में लगभग ५६ लाख एकड़ जमीन में जापानी तरीके से धान की खेती की गयी। १९५७-५८ में इस तरीके से प्रति एकड़ २८ मन ३३ सेर धान की उपज हुई। १९५८-५९ मे इस तरीके से धान की खपत के आकड़े अभी प्राप्त नही हुए है।

यह सूचना कृषि उपमत्री, श्री एम० वी० कृष्णप्पा ने ८ दिसम्बर को लोकसभा मे एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

१९५८-५९ में आलू की पैदावार

खाद्य और कृषि मत्रालय के अर्थ और अक निदेशालय से जानकारी मिली है कि १९५८-५९ मे, पिछले साल की अपेक्षा, आलू की खेती का क्षेत्रफल २८ हजार एकड, अर्थात् ३.५ प्रतिशत और उपज ३ लाख ५३ हजार टन, अर्थात् १८ प्रतिशत बढी है।

१९५८-५९ के अखिल भारतीय प्राक्कलन में आलू की खेती का क्षेत्रफल ८ लाख २२ हजार एकड और उपज २३ लाख १९ हजार टन आकी गयी है, जबकि पिछले साल क्षेत्रफल ७ लाख ९४ हजार एकड (सशोधित) और उपज १९ लाख ६६ हजार टन (सशोधित) आकी गयी थी।

यह सूचना खाद्य और कृषि मत्रालय के अर्थ और अक निदेशालय की ५ दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

नदी योजनाएं और बिजली

गंडक योजना के बारे में भारत-नेपाल करार

भारत और नेपाल ने गडक की सिंचाई और बिजली योजना के बारे मे जिस करार पर हस्ताक्षर किये है, वह इन दोनों स्वतन्त्र देशों के निकट सहयोग का परिचायक है और इससे दोनो को समान लाभ होगा।

इस योजना के बारे मे बातचीत भारत की स्वतन्त्रता के कुछ ही समय बाद शुरू हुई थी। जब वर्तमान राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मत्री थे, तब उन्होंने बिहार सरकार को यह सुझाव दिया था कि वह गडक से नहरे निकाल कर बिहार के अन्नाभाव ग्रस्त क्षेत्रों में पैदावार बढाने के बारे मे जाच-पड़ताल करे।

१९४८ से १९५४ तक इस योजना के बारे मे आवश्यक जाच-पडताल चलती रही और नेपाल के भारतीय राजदूत ने वहा की सरकार से विचार-विमर्श किया। दो साल बाद दोनों सरकारों में एक समझौता हुआ है, जो दोनो देशो को मान्य है।

योजना की रूपरेखा

गडक योजना के अन्तर्गत भैसालोटन के पास नदी के आर-पार एक बाध बनेगा। इसका एक सिरा नेपाल में होगा और दूसरा भारत मे। इसी प्रकार पश्चिमी और पूर्वी किनारों से निकलने वाली दो मुख्य नहरे भी नेपाली और भारतीय प्रदेश मे पडेगी। इस बाध और नहरों आदि की सहायता से दोनो देशो की ३७ लाख एकड भूमि मे सिंचाई हो सकेगी। नेपाल और भारत की सीमाओं मे जो दो बिजलीघर बनेगे, उनकी क्षमता १०-१० हजार किलोवाट होगी। इस योजना से दोनो देशों मे रोजगार बढेगा। सारी योजना का निर्माण-व्यय भारत देगा। इस योजना पर ५०॥ करोड रु० खर्च होने का अनुमान है। इसमे से ३९ करोड ५० लाख रु० बिहार को खर्च करना होगा और ११ करोड़ रु० उत्तर प्रदेश को। आशा है, सारी योजना दस वर्ष में पूरी हो जाएगी।

करार की मुख्य बातें

इस योजना के बाध तथा नहरो की जमीन के लिए मुआवजा दोनो सरकारें देगी। इसके अलावा, भारत जो पत्थर आदि नेपाली क्षेत्र मे खोदेगा, उसके लिए भी वह मुआवजा देगा। नेपाल को यह अधिकार होगा कि वह अपनी इच्छानुसार गडक से सिंचाई या और किसी काम के लिए गडक या इसकी सहायक नदियों से अपनी जरूरत लायक पानी ले सके।

नदी मे पानी कम रहने पर दोनो देश अपने-अपने हिस्से के पानी मे उसी हिसाब मे कमी कर लेगे। दोनो देशों के अन्य अधिकारो के बारे मे भी उचित सरक्षण दिये गये है।

नेपाल को लाभ

योजना के पूरे हो जाने पर नेपाल को १॥ लाख एकड जमीन मे सिचाई के लिए पानी मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा राप्ती, दून और अन्य क्षेत्रों मे २ लाख एकड मे सिचाई के लिए पानी सुरक्षित रहेगा, जिसका आगे चल कर नेपाल उपयोग कर सकेगा।

भारत सरकार ने अपनी ओर से नेपाल के क्षेत्र मे २० घनफुट प्रति सेकेंड के प्रवाह वाली नहरे और इनकी शाखाए बनाना स्वीकार कर लिया है। २० घनफुट प्रति सेकंड से कम प्रवाह वाली नालिया और रजवहे बनाने के लिए भी भारत १५ लाख रु० तक खर्च करेगा। इस प्रकार नेपाल मे सिचाई की सुविधाए बढाने के लिए भारत सरकार लगभग २ करोड ३० लाख रु० खर्च करेगी।

नेपाल मे जो नया बिजलीघर बनेगा उस पर और बिजलीघर को बिहार की सीमा पर भैसालोटन से जोडने वाली बिजली की लाइनो और वहा से सगौली होकर रक्सौल तक की बिजली की लाइनों पर भारत सरकार ४ करोड ५१ लाख रु० खर्च करेगी, जिसमें से ३ करोड़ ५० लाख रु० केवल नेपाल के लाभ के कामों पर ही खर्च होगा।

इस व्यवस्था से नेपाल को लागत मूल्य पर बिजली मिला करेगी। करार में नहरें और इनसे सम्बद्ध सड़कें तथा अन्य चीजें नेपाल सरकार को देने की व्यवस्था है। इसी प्रकार नेपाल सरकार पश्चिमी बिजली घर को भी मुफ्त ले सकेगी। इन सुविधाओं के अलावा, इस योजना से नेपाल में सड़कें, बांध के ऊपर पुल, टेलीफोन, तार और रेडियो सम्पर्क आदि की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी।

भारत को लाभ

भारत को इस योजना से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बिहार के सारन, चम्पारन

मुंजफ्फरपुर और दरभंगा तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिले सिंचाई आदि की सुविधा बढ़ने से अकाल-मुक्त हो जाएंगे। यह सारा क्षेत्र बहुत घना आबाद है और यहां हमेशा अन्न की कमी रहती है। यहां वर्षा भी यथासमय नहीं होती। गंडक योजना के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में क्रमशः २७ लाख एकड़ और ६ लाख एकड़ में सिंचाई हो सकेगी।

पूर्वी नहर के बिजलीघर से भारत को बिजली मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी नहर के बिजलीघर की नेपाल की जरूरत से बची हुई बिजली भी बिहार को मिल सकेगी।

भारत-नेपाल कोसी सहयोग समिति

कोसी सहयोग समिति की २४ सितम्बर, १९५९ की बैठक में जो काठमाडू में हुई थी, योजना के लिए जमीन लेने, विस्थापितों को बसाने, शांति कायम रखने, जमीन को कटने से रोकने और अन्य ऐसे विषयों पर विचार किया गया जिनमें भारत और नेपाल दोनों का हित है।

यह सूचना सिंचाई तथा बिजली उपमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य में दी, जिसे उन्होंने ७ दिसम्बर को राज्यसभा की मेज पर रखा।

वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने कोसी योजना की इन तीन बातों पर खासतौर से विचार किया (१) चतरा की नहर इस नहर को जल्दी से जल्दी बनाने और धन की मंजूरी देने की सिफारिश की गयी है, (२) पश्चिमी नहर कोसी योजना प्रशासन, सप्तारी जिले में नहर के पानी के इस्तेमाल की योजना के बारे में जांच-पड़ताल करने को राजी हो गया है; (३) चन्द्रा नहर का सुधार . कोसी योजना प्रशासन ने कार्यक्रम के अनुसार धन मिलने पर इस नहर को ठीक करना स्वीकार कर लिया है।

कोसी योजना की प्रस्तावित नहरों से सिंचाई

कोसी योजना से जो नहरें निकाली जाएंगी उनमें लगभग १२ लाख ४५ हजार एकड़ अतिरिक्त जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। कोसी योजना क्षेत्र में ४ नहरें बनाने के लिए पड़ताल आदि की जा रही है।

यह सूचना केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमंत्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ८ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

पांछेत बांध का उद्घाटन

दामोदर घाटी निगम का सबसे बड़ा बांध पांछेत और उसका बिजलीघर ६ दिसम्बर को एक सन्थाल मजदूरिन द्वारा भारतीय जनता को समर्पित किया गया।

बांध के उद्घाटन के इस अवसर भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू ने कहा कि इस बांध से पश्चिम बंगाल और बिहार के लाखों लोगों को बहुत समय तक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत अपना कायाकल्प करने में लगा हुआ है। यह लोगों के कठिन परिश्रम से ही हो सकता है। श्री नेहरू ने इस बात पर खुशी प्रकट की कि बांध का उद्घाटन योजना की एक मजदूरिन ने किया।

इससे पूर्व प्रधान मन्त्री का स्वागत करते हुए दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष ने कहा कि यह बांध और बिजलीघर उन दृढ़ संकल्प वाले लोगों के कठिन परिश्रम का परिणाम है जिन्होंने पिछले ६ वर्षों में कठिनाइयों और मुसीबतों के बावजूद दिन-रात जम कर काम किया। उन्होंने कहा कि दामोदर घाटी निगम ने जो ४ बांध तैयार किये हैं उनसे ६॥ लाख घनफुट प्रति सेकेण्ड की बाढ़ रोकी जा सकती है। इस वर्ष निगम ने सिंचाई की जो व्यवस्था की है उससे ९ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकती है। यह शुरू के लक्ष्य से, जो ७॥ लाख करोड़ से तो अधिक है, लेकिन संशोधित लक्ष्य से, जो १०॥ लाख एकड़ रखा गया था, कम है।

बांध का आकार-प्रकार तथा व्यय

पांछेत बांध दामोदर घाटी निगम के चारों बांधों में सबसे बड़ा है। इस बांध और बिजलीघर के बनाने पर अनुमान है कि लगभग १९.२५ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। पांछेत बांध मिट्टी और कंकरीट से बनाया गया है। यह कोई ४.२५ मील लम्बा और १३४ फुट ऊंचा है। बांध के जलाशय का क्षेत्रफल ५९ वर्गमील है। बांध के सभी मुख्य-मुख्य निर्माण-कार्य निगम ने स्वयं पूरे कराये हैं, उनके लिए कोई ठेका नहीं दिया गया।

योजना के अनुसार बिजली घर में ४०-४० हजार किलोवाट की क्षमता के दो यूनिट बनाने की व्यवस्था है। अभी केवल एक यूनिट स्थापित हुआ है।

गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना की प्रगति

गांवों में जल्दी ही बिजली पहुंचाने के लिए सिंचाई और बिजली मंत्रालय ने एक नियमावली बनायी है। राज्य इसी नियमावली का पालन करेंगे। नियमावली में गांवों में बिजली पहुंचाने के तरीके और बिजली के सामान के बारे में भी बताया गया है। इससे इस काम में काफी बचत होगी।

नियमावली में कहा गया है कि गांवों में बिजली के तार के खम्भे लकड़ी के बनाये जाएं। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से सिझाया जाए। इस तरह के खम्भों पर इस्पात और कंकरीट के खम्भों से आधा खर्च पड़ेगा। नियमावली में इन खम्भों के मानक भी दिये गये हैं, ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में आंधी-तूफान और सर्दी-गर्मी-बरसात में टिक सकें। इससे खर्च में बचत होगी, खम्भे तेजी से बन सकेंगे और इस प्रकार गांवों में जल्दी ही बिजली पहुंच सकेगी।

केन्द्रीय सहायता

गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने १९५८-५९ में राज्यों को २ करोड़ २५ लाख ८० हजार रु० ऋण देना स्वीकार किया है। इसमें, कनाडा ने कोलम्बो योजना के अंतर्गत बिजली तैयार करने के जो डीजल सेट दिये हैं, उनका मूल्य भी शामिल है।

ऋण का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है: मैसूर—८,५७,१४९ रु० (१९५७-५८ और १९५८-५९); पंजाब—९,४३,५३८ रु० (१९५८-५९); मद्रास—३५,७३,८३९ रु० (१९५८-५९); आंध्र प्रदेश—८,५५,१२४ रु० (१९५८-५९); मध्य प्रदेश—४,८४,९१० रु० (१९५८-५९); केरल—१०,७७,६११

रु० (१९५८-५९); बम्बई—५,३७,७६२ रु० (१९५८-५९); आंध्र प्रदेश—१३,६०,६९० रु० (१९५७-५८); उत्तर प्रदेश—३,४८,१८५ रु० (१९५८-५९); आसाम—४,२८,६४३ रु० (१९५८-५९); मध्यप्रदेश—१२,६५,४८६ रु० (१९५८-५९); बिहार—७,६३,०५२ रु० (१९५८-५९); उड़ीसा—५,५४,६९१ रु० (१९५७-५८), और राजस्थान—९,१६,०५१ रु० (१९५८-५९)।

दूसरी योजना के आरम्भ में ३१ मार्च, १९५९ तक लगभग ८,८७० गांवों में बिजली पहुंचायी जा चुकी है।

क्या आप जानते हैं ?

बिजली का विकास

● भारत में ताप-बिजली और पनबिजली के विकास का काम स्वतन्त्रता के बाद ही आयोजित ढंग से शुरू हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय देश में २३ लाख किलोवाट बिजली पैदा होती थी। पहली योजना की अवधि में ११ लाख किलोवाट बिजली और बनने लगी।

● दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३४ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है और तीसरी योजना में और भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

● देश में बिजली उत्पादन की मुख्य योजनाएं दामोदर घाटी निगम, हीराकुड, भाकड़ा-नंगल, कोयना, चम्बल, नागार्जुनसागर, रेंड और शरावती हैं। इनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं और कुछ शीघ्र ही हो जाएंगी तथा कुछ का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से मछकुंड, मोयार, बोकारो और पथरी बिजलीघरों में भी बिजली पैदा होने लगी है।

● बुनियादी उद्योगों के विकास और नित्य के व्यवहार की वस्तुओं के यथेष्ट उत्पादन से ही देश में समृद्धि होगी। यह तभी सम्भव है, जब देश में सस्ती बिजली पैदा की जाए। अतः भारत सरकार सस्ती बिजली बनाने और लोगों को उपयोग के लिए देने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। देश में कितनी बिजली की जरूरत है, और कितनी बन रही है, इसकी पड़ताल की जा रही है, ताकि इसी हिसाब से और बिजलीघर बनायें जा सकें।

● भारत की ८० प्रतिशत जनता गावों में बसती है। इन गांवों में भी बिजली पहुंचाना आवश्यक है। हो सकता है कि गावों में बिजली की व्यवस्था लाभप्रद न हो, क्योंकि गावों में बिजली की मांग बहुत कम है, तथापि गावों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उन्हें बिजली देना परम आवश्यक है। इस ओर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

● पहली योजना के शुरू होते समय ३,००० गावों में बिजली लगी थी, और इसके अंत में यह संख्या बढ़कर ७,००० हो गयी। दूसरी योजना में १०,००० और गावों में बिजली लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

● बिजली बनाने का खर्च घटाने के लिए अलग-अलग बिजलीघरों को एक शृंखला (ग्रिड) में जोड़ दिया गया है, कुछ राज्यों में इस तरह की बिजली शृंखलाएं काम कर रही हैं।

● जिन राज्यों में अधिक बिजली बनती है, वहां से दूसरे राज्यों में भी बिजली पहुंचाने के लिए तीसरी योजना में कुछ राज्यों को मिलाकर ग्रिड या समूह बनाया जाएगा।

आसाम और गुजरात में बिजली

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली उपमन्त्री, श्री जयसुखलाल हाथी ने ११ दिसम्बर को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि १९६५-६६ में आसाम की अधिकतम आवश्यकता ५० हजार किलोवाट आंकी गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बिजली मुख्यतः उम्त्रु और उमियम (बड़ापानी) पनबिजली घरों से प्राप्त होगी।

गुजरात

श्री हाथी ने ८ दिसम्बर को प्रश्नोत्तर के समय लोकसभा में बताया कि गुजरात में १ लाख ७२ हजार किलोवाट बिजली तैयार करने योग्य बिजलीघर हैं और १ लाख ६७ हजार बिजली बनने का अनुमान था।

जुलाई १९५९ में बिजली का उत्पादन और खर्च

देश में बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में जुलाई १९५९ के लिए ८१३ सार्वजनिक बिजलीघरों के आंकड़े उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष के इसी महीने के आंकड़ों से तुलना करने पर पता लगता है कि बिजली के उत्पादन में १९ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है और खपत में १८ प्रतिशत की।



रेलों के जनरल मैनेजरों की बैठक

रेल मंत्री, श्री जगजीवन राम ने ७ दिसम्बर को नयी दिल्ली में क्षेत्रीय रेलों के जनरल मैनेजरों की बैठक में कहा कि चलती गाड़ियों में डकैतियों आदि की जो घटनाएं होती हैं, उनका सबंध उन क्षेत्रों की सामान्य स्थिति से है, जहां ये घटनाएं घटती हैं। इनको रोकने के लिए राज्य सरकारें भी आवश्यक कार्रवाई कर सकती हैं, किन्तु कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें रेलें स्वयं कर सकती हैं और जिनसे अपराध अवश्य कम होंगे।

रेल मंत्री ने कहा कि रेलों के जिम्मेदार अधिकारियों को अचानक छापे मारकर यह देखना चाहिए कि रेलों के डिब्बों आदि में सुरक्षा के लिए चटखनियां आदि जो यन्त्र लगायें गये हैं, वे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। कुछ गाड़ियों के साथ सशस्त्र गार्ड चलती हैं, लेकिन सब गाड़ियों के साथ ऐसे पहरे की व्यवस्था करना सम्भव नहीं।

देश भर में रेलों पर जितने अपराध होते हैं, उनकी संख्या सम्भवतः देश के किसी भी बड़े शहर के अपराधों से कम होगी। लेकिन रेलों ने अभी तक सुरक्षा की अच्छी मिसाल कायम की है, इसलिए उन पर छोटी-मोटी वारदातें होने पर भी जनता चौंक उठती है। उन्होंने जनरल मैनेजरों से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकारों

से मिल कर रेलों पर अपराध रोकने का पूरा प्रयत्न करे।

बैठक मे रेल उपमंत्री और श्री रामस्वामी, रेल मण्डल के अध्यक्ष तथा रेलों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। रेल मंडल के अध्यक्ष, श्री के० वी० माथुर ने रेल-परिवहन की आम स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए माल को और अधिक तेजी से पहुचाने की अपील की। बैठक मे कर्मचारियों की भलाई के कामो आदि पर भी विचार किया गया।

उत्तर-पूर्व रेल की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक

गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस रेलगाडियों पर सोने के लिए जो डिब्बे लगाये जाते हैं, वे अब जनवरी १९६० से पैसेंजर गाडियों (३१ अप और ३२ डाउन) पर लगाये जाएगे। यह जानकारी रेल मत्री, श्री जगजीवनराम ने उत्तर-पूर्व रेल की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक मे दी। यह बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली मे रेल मत्री की अध्यक्षता में हुई।

बैठक मे उत्तर-पूर्व रेल के जनरल मैनेजर ने बताया कि समिति की पहली बैठक मे जो सुझाव आये थे, उनमे से अधिकाश पर अमल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ खण्डों मे रेल की रफ्तार मे जो कमी है, वह अगले साल मार्च मे काफी सीमा तक और अक्तूबर के बाद पूरी तरह दूर हो जाएगी।

बैठक में रेल उपमत्री, श्री शाह नवाज खा और श्री रामस्वामी, ससद सदस्य, उत्तर-पूर्व रेल के जनरल मैनेजर, रेल मडल के अध्यक्ष और सदस्य तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

१९५९-६० की पहली छमाही में रेल दुर्घटनाएं

सन् १९५९-६० में सितम्बर १९५९ तक जितनी रेल दुर्घटनाए हुईं, वे पिछले साल की इसी अवधि में हुई दुर्घटनाओ की अपेक्षा काफी कम थी। अप्रैल से सितम्बर १९५९ तक ४८ बार रेलों की भिड़न्त हुई और ७६२ बार रेलें पटरियो से उतरी। यह सूचना रेल उपमत्री, श्री एस० वी० रामस्वामी ने ३ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

श्री रामस्वामी ने बताया कि अप्रैल १९५९ से जुलाई १९५९ तक रेल कर्मचारियो की गलती से २९०; रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी की गलती से २; मशीनी गडबड से ४३; पटरियों में खराबी के कारण १९; तथा जानबूझ कर तोड-फोड़ से २ दुर्घटनाए हुईं। इनके अतिरिक्त ४९ घटनाए दुर्घटनापूर्ण कही जा सकती है, १ ऐसी है जिसके कारण का पता नही चल सका और ७७ के कारणो की अभी जाच हो रही है। इस प्रकार कुल मिला कर ४८३ दुर्घटनाए हुई।

हताहत व्यक्तियो की संख्या

अप्रैल से जुलाई १९५९ तक इन दुर्घटनाओ में १ व्यक्ति मरा, ७ सख्त घायल हुए और १३७ को मामूली चोटें आयी। इसी अवधि में इन दुर्घटनाओं में १२ रेल कर्मचारी मरे, १९ घायल हुए और १२० को मामूली चोटें आई।

रेल-मण्डल द्वारा नाइजीरिया के छात्रों की ट्रेनिंग

केन्द्रीय रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने एक प्रश्न के उत्तर में ३ दिसम्बर को लोकसभा मे बताया कि रेल मण्डल नाइजीरिया के छात्रों को मेकैनिकल और सिविल इजीनियरी की शिक्षा देगा। मेकैनिकल और सिविल इजीनियरी में चार-चार छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नाइजीरिया का रेल निगम छात्रो का पूरा खर्च देगा।

बिहार में बिजली की रेलें

भारत सरकार ने बिहार राज्य सरकार को बिहार में बिजली की रेलें चलाने की व्यवस्था के लिए ७७ लाख रु० का कर्ज देना मजूर किया। बिहार को इस काम के लिए ४ करोड रु० चाहिए। इसमें से यह पहला ऋण है।



भारती विद्या समिति की बैठक

३ दिसम्बर को नयी दिल्ली में भारती विद्या समिति की आठवी बैठक श्री नीलकठ शास्त्री की अध्यक्षता में हुई।

इसमें भारती विद्या के विभिन्न विषयो के अनुसधान को आगे बढाने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए तीसरी योजना में एक केन्द्रीय अध्ययन और अनुसधान सस्था खोले जाने की सभावना पर विचार किया गया।

समिति ने दुर्लभ पाडुलिपियों के प्रकाशन की प्रगति पर विचार किया। समिति ने पाडुलिपियों की प्रतियां बनाने की दर भी तय कर दी।

सदस्यो ने सिद्धान्त यह स्वीकार किया कि ब्रिटेन, जर्मनी और रूस मे पायी जाने वाली मध्य-एशियाई सस्कृत बौद्ध पाडुलिपियों का दो वर्ष तक अध्ययन और सम्पादन करने के लिए इन देशो में एक-एक छात्र भेजा जाए।

समिति ने पांडुलिपियों की सूची तैयार करने और उन्हे प्रकाशित करने के लिए एक निर्धारित फार्म भी स्वीकार किया, जिसे सभी सस्थाए काम मे लाएगी, और यह भी तय किया कि सरकार किस आधार पर सहायता प्रदान करे।

समिति ने देश की कई सस्थाओं और पुस्तकालयों को दुर्लभ पाडुलिपियां प्राप्त करने और उनकी सूची तैयार करने के लिए उन्हें सहायता के रूप में अनुदान देने की सिफारिश की।

बैठक के प्रारभ मे डा० सरदेसाई और डा० अल्तेकर की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इस बैठक मे डा० एम० निजामुद्दीन, डा० पी० राघवन, प्रो० हादी हसन, डा० एस० एम० कत्रे, डा० आर० एन० डाडेकर, श्री ए० घोष और सदस्य-सचिव, श्री टी० एस० कृष्णामूर्ति ने भाग लिया।

साहित्य अकादमी के १९५९ के पुरस्कार

साहित्य अकादमी के कार्यकारी मण्डल ने १९५६-५८ में प्रकाशित भारतीय भाषाओं की कुछ उत्कृष्ट पुस्तकों को ५-५ हजार रु० का वार्षिक पुरस्कार (१९५९ के लिए) देने के लिए चुना है। मण्डल की बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में अकादमी के अध्यक्ष, श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई।

लेखकों समेत पुरस्कृत पुस्तकों के नाम ये हैं

(१) हिन्दी संस्कृति के चार अध्याय (भारतीय संस्कृति संबंधी), श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'; (२) बंगला कलकत्तार कच्छेई (उपन्यास), श्री गजेन्द्र कुमार मित्र; (३) कन्नड यक्षगान बयलता (कन्नड लोकनाट्य संबंधी), श्री के० एम० करंत; (४) मराठी भारतीय साहित्य शास्त्र (भारतीय काव्य-शास्त्र सम्बन्धी), श्री जी० टी० देशपाण्डे, (५) पंजाबी वड्डा वेला (काव्य-संग्रह), श्री मोहन सिंह, (६) उर्दू उर्दू ड्रामा और स्टेज (उर्दू नाटक और रंगमंच का इतिहास), सैयद मसूद हसन रिज़वी, (६) सिंधी कवर (जीवनी), श्री तीर्थ बसन्त।

असमिया, गुजराती, कश्मीरी, मलयाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी की किसी भी पुस्तक को पुरस्कार योग्य नहीं माना गया।

लेखकों के ये पुरस्कार १३ फरवरी, १९६० को नयी दिल्ली में एक विशेष समारोह में प्रधान मंत्री द्वारा दिये जाएंगे।

छात्रों के शौक को प्रोत्साहन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १७ विश्वविद्यालयों और ३९ कालेजों को चुना है, जहां छात्रों के शौकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था करने की योजना है। इन विश्वविद्यालयों के नाम हैं आगरा, आन्ध्र, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गौहाटी, गोरखपुर, गुजरात, केरल, मद्रास, मैसूर, नागपुर, पंजाब, पूना, राजस्थान, सागर और सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने १४ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति

अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय, आगरा, पुनर्गठन तथा कार्य संचालन के लिए जो केन्द्रीय शिक्षण मण्डल बनाया गया है, उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी गयी है।

संसद सदस्य, श्री सत्यनारायण मण्डल के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं। मण्डल के सदस्यों में दो तो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, (शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग के उपसचिव और शिक्षा मंत्रालय में सम्बद्ध वित्त उपसलाहकार), शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामजद १३ सदस्य (जिस में २ लोकसभा और १ राज्यसभा का सदस्य है) और हिन्दी के विकास में संलग्न १७ संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं।

अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए अखिल भारतीय हिन्दी परिषद, आगरा, १९५२ से आगरा में एक अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय चला रही है। १९५५-५६ से इस महाविद्यालय का पूरा खर्च उठाने के लिए केन्द्र सरकार ने अनुदान देना शुरू किया।

[जून १९५८ में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के दो अधिकारी महाविद्यालय का निरीक्षण करने गये कि उसके काम को कितना तथा किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और उसकी प्रबन्ध व्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता है।

इन अधिकारियों की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने महाविद्यालय को पुनर्गठित करने का निर्णय किया, जिससे वह हिन्दी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और हिन्दी शिक्षा के सम्बन्ध में अनुसंधान की आदर्श संस्था बन सके। अतः सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल नाम की एक स्वशासी संस्था बनाने का निर्णय किया, जो महाविद्यालय का काम संभाल सके। यह भी निर्णय किया गया कि इस मंडल को १८६० के सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करा लिया जाए।]

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने प्रश्नोत्तर के समय १ दिसम्बर को लोकसभा की मेज पर एक विवरण रखा, जिसमें देशभर के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की ट्रेनिंग योजना की प्रगति का विवरण दिया गया है।

विवरण में बताया गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राइमरी शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना देने के लिए अध्यापकों की ट्रेनिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है। भारत सरकार के आदेशानुसार विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। हर राज्य में व्यय और कार्य का विवरण इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश—६,६७,०८० रु०; २५ अतिरिक्त ट्रेनिंग विभाग खोले गये और प्रत्येक में प्रति वर्ष ५० शिक्षार्थी भर्ती किये जा सकते हैं। आसाम—१७,०१,५०० रु०, (क) वर्तमान टीचर्स संस्थाओं में ५२० स्थानों की वृद्धि; (ख) ८ नयी ट्रेनिंग संस्थाएं खोली गयी। बिहार—५५,८२,१३८ रु०; (क) वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में १,७०० और स्थानों की वृद्धि; (ख) २१ नयी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। बम्बई—२४,६६,००० रु०, २० नये बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोले गये। मध्य प्रदेश—४९,६५,०५० रु०, (क) वर्तमान कालेजों में ४०० और स्थान बढ़ाये गये, (ख) २३ नये कालेज खोले गये। उड़ीसा—२,८८,००० रु०; वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में २,००० और सीटें बढ़ायी गयी। राजस्थान—२४,०५,५९२ रु०; १६ नये एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल खोले गये। उत्तर-प्रदेश—४०,७३,९३८ रु०; (क) वर्तमान नार्मल स्कूलों में २५० स्थान बढ़ाये गये, (ख) महिला नार्मल स्कूलों में १०० स्थानों की वृद्धि; (ग) अध्यापकों के ४२ नये नार्मल स्कूल और अध्यापिकाओं के ६ नये नार्मल स्कूल खोले गये। पश्चिम बंगाल—२६,६७,३०० रु०, (क) १८ जूनियर ट्रेनिंग कालेजों में ३२० शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ायी गयी; (ख) वर्तमान प्राइमरी ट्रेनिंग स्कूलों में ६६० स्थान बढ़ाये गये; (ग) ९ कालेजों की स्थापना की गयी।

से मिल कर रेलो पर अपराध रोकने का पूरा प्रयत्न करे।

बैठक में रेल उपमंत्री और श्री रामस्वामी, रेल मण्डल के अध्यक्ष तथा रेलो के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। रेल मंडल के अध्यक्ष, श्री के० बी० माथुर ने रेल-परिवहन की आम स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए माल को और अधिक तेजी से पहुचाने की अपील की। बैठक में कर्मचारियों की भलाई के कामो आदि पर भी विचार किया गया।

उत्तर-पूर्व रेल की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक

गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस रेलगाडियां पर सोने के लिए जो डिब्बे लगाये जाते हैं, वे अब जनवरी १९६० से पैसेंजर गाडियों (३१ अप और ३२ डाउन) पर लगाये जाएगे। यह जानकारी रेल मंत्री, श्री जगजीवनराम ने उत्तर-पूर्व रेल की ससदीय सलाहकार समिति की बैठक में दी। यह बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में रेल मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में उत्तर-पूर्व रेल के जनरल मैनेजर ने बताया कि समिति की पहली बैठक में जो सुझाव आये थे, उनमें से अधिकाश पर अमल किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ खण्डों मे रेल की रफ्तार में जो कमी है, वह अगले साल मार्च में काफी सीमा तक और अक्तूबर के बाद पूरी तरह दूर हो जाएगी।

बैठक मे रेल उपमंत्री, श्री शाह नवाज खा और श्री रामस्वामी, संसद सदस्य, उत्तर-पूर्व रेल के जनरल मैनेजर, रेल मंडल के अध्यक्ष और सदस्य तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

१९५९-६० की पहली छमाही में रेल दुर्घटनाएं

सन् १९५९-६० में सितम्बर १९५९ तक जितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं, वे पिछले साल की इसी अवधि में हुई दुर्घटनाओं की अपेक्षा काफी कम थी। अप्रैल से सितम्बर १९५९ तक ४८ बार रेलों की भिड़न्त हुई और ७६२ बार रेलें पटरियों से उतरी। यह सूचना रेल उपमंत्री, श्री एम० वी० रामस्वामी ने ३ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

श्री रामस्वामी ने बताया कि अप्रैल १९५९ से जुलाई १९५९ तक रेल कर्मचारियों की गलती से २९०; रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी की गलती से २; मशीनी गडबड से ४३; पटरियों में खराबी के कारण १९; तथा जानबूझ कर तोड-फोड से २ दुर्घटनाएं हुई। इसके अतिरिक्त ४९ घटनाए दुर्घटनापूर्ण कही जा सकती हैं, १ ऐसी है जिसके कारण का पता नही चल सका और ७७ के कारणों की अभी जाच हो रही है। इस प्रकार कुल मिला कर ४८३ दुर्घटनाए हुई।

हताहत व्यक्तियों की संख्या

अप्रैल से जुलाई १९५९ तक इन दुर्घटनाओं मे १ व्यक्ति मरा, ७ सख्त घायल हुए और १३७ को मामूली चोटें आयी। इसी अवधि में इन दुर्घटनाओं में १२ रेल कर्मचारी मरे, १९ घायल हुए और १२० को मामूली चोटें आई।

रेल-मण्डल द्वारा नाइजीरिया के छात्रों की ट्रेनिंग

केन्द्रीय रेल उपमंत्री, श्री शाहनवाज खां ने एक प्रश्न के उत्तर में ३ दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि रेल मण्डल नाइजीरिया के छात्रों को मेकेनिकल और सिविल इंजीनियरी की शिक्षा देगा। मेकेनिकल और सिविल इंजीनियरी में चार-चार छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नाइजीरिया का रेल निगम छात्रो का पूरा खर्च देगा।

बिहार में बिजली की रेलें

भारत सरकार ने बिहार राज्य सरकार को बिहार में बिजली की रेले चलाने की व्यवस्था के लिए ७७ लाख रु० का कर्ज देना मजूर किया है। बिहार को इस काम के लिए ४ करोड रु० चाहिए। इसम से यह पहला ऋण है।



भारती विद्या समिति की बैठक

३ दिसम्बर को नयी दिल्ली में भारती विद्या समिति की आठवीं बैठक श्री नीलकंठ शास्त्री की अध्यक्षता में हुई।

इसमें भारती विद्या के विभिन्न विषयों के अनुसंधान को आगे बढाने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए तीसरी योजना में एक केन्द्रीय अध्ययन और अनुसधान संस्था खोले जाने की सभावना पर विचार किया गया।

समिति ने दुर्लभ पाडुलिपियों के प्रकाशन की प्रगति पर विचार किया। समिति ने पाडुलिपियो की प्रतियां बनाने की दर भी तय कर दी।

सदस्यो ने सिद्धान्त यह स्वीकार किया कि ब्रिटेन, जर्मनी और रूस में पायी जाने वाली मध्य-एशियाई सस्कृत बौद्ध पाडुलिपियों का दो वर्ष तक अध्ययन और सम्पादन करने के लिए इन देशो में एक-एक छात्र भेजा जाए।

समिति ने पाडुलिपियों की सूची तैयार करने और उन्हे प्रकाशित करने के लिए एक निर्धारित फार्म भी स्वीकार किया, जिसे सभी सस्थाएं काम में लाएगी, और यह भी तय किया कि सरकार किस आधार पर सहायता प्रदान करे।

समिति ने देश की कई सस्थाओं और पुस्तकालयों को दुर्लभ पाडुलिपिया प्राप्त करने और उनकी सूची तैयार करने के लिए उन्हें सहायता के रूप में अनुदान देने की सिफारिश की।

बैठक के प्रारभ में डा० सरदेसाई और डा० अल्तेकर की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इस बैठक में डा० एम० निजामुद्दीन, डा० पी० राघवन, प्रो० हादी हसन, डा० एस० एम० कत्रे, डा० आर० एन० डाडेकर, श्री ए० घोष और सदस्य-सचिव, श्री टी० एस० कृष्णामूर्ति ने भाग लिया।

साहित्य अकादमी के १९५९ के पुरस्कार

साहित्य अकादमी के कार्यकारी मण्डल ने १९५६-५८ में प्रकाशित भारतीय भाषाओं की कुछ उत्कृष्ट पुस्तकों को ५-५ हजार रु० का वार्षिक पुरस्कार (१९५९ के लिए) देने के लिए चुना है। मण्डल की बैठक ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में अकादमी के अध्यक्ष, श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई।

लेखकों समेत पुरस्कृत पुस्तकों के नाम ये हैं

(१) हिन्दी : संस्कृति के चार अध्याय (भारतीय संस्कृति संबंधी), श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'; (२) बंगला : कलकत्तार कच्छेई (उपन्यास), श्री गजेन्द्र कुमार मित्र, (३) कन्नड : यक्षगान बयलता (कन्नड लोकनाट्य संबंधी), श्री के० एम० करंत, (४) मराठी : भारतीय साहित्य शास्त्र (भारतीय काव्य-शास्त्र सम्बन्धी), श्री जी० टी० देशपाण्डे; (५) पंजाबी : वड्डा वेला (काव्य-संग्रह), श्री मोहन सिंह, (६) उर्दू : उर्दू ड्रामा और स्टेज (उर्दू नाटक और रंगमंच का इतिहास), सैयद मसूद हसन रिज़वी; (६) सिंधी : कवर (जीवनी), श्री तीर्थ वसन्त।

असमिया, गुजराती, कश्मीरी, मलयाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी की किसी भी पुस्तक को पुरस्कार योग्य नहीं माना गया।

लेखकों के ये पुरस्कार १३ फरवरी, १९६० को नयी दिल्ली में एक विशेष समारोह में प्रधान मंत्री द्वारा दिये जाएंगे।

छात्रों के शौक को प्रोत्साहन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १७ विश्वविद्यालयों और ३९ कालेजों को चुना है, जहां छात्रों के शौकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था करने की योजना है। इन विश्वविद्यालयों के नाम हैं : आगरा, आन्ध्र, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गौहाटी, गोरखपुर, गुजरात, केरल, मद्रास, मैसूर, नागपुर, पंजाब, पूना, राजस्थान, सागर और सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ।

यह सूचना एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने १४ दिसम्बर को लोकसभा में दी।

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति

अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय, आगरा, पुनर्गठन तथा कार्य संचालन के लिए जो केन्द्रीय शिक्षण मण्डल बनाया गया है, उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी गयी है।

संसद सदस्य, श्री सत्यनारायण मण्डल के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं। मण्डल के सदस्यों में दो तो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, (शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग के उपसचिव और शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध वित्त उपसलाहकार), शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामजद १३ सदस्य (जिस में २ लोकसभा और १ राज्यसभा का सदस्य है) और हिन्दी के विकास में संलग्न १७ संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं।

अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए अखिल भारतीय हिन्दी परिषद, आगरा, १९५२ से आगरा में एक अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय चला रही है। १९५५-५६ से इस महाविद्यालय का पूरा खर्च उठाने के लिए केन्द्र सरकार ने अनुदान देना शुरू किया।

[जून १९५८ में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के दो अधिकारी महाविद्यालय का निरीक्षण करने गये कि उसके काम को कितना तथा किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और उसकी प्रबन्ध व्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता है।

इन अधिकारियों की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने महाविद्यालय को पुनर्गठित करने का निर्णय किया, जिससे वह हिन्दी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और हिन्दी शिक्षा के सम्बन्ध में अनुसंधान की आदर्श संस्था बन सके। अतः सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल नाम की एक स्वशासी संस्था बनाने का निर्णय किया, जो महाविद्यालय का काम संभाल सके। यह भी निर्णय किया गया कि इस मंडल को १८६० के सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करा लिया जाए।]

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, डा० कालूलाल श्रीमाली ने प्रश्नोत्तर के समय १ दिसम्बर को लोकसभा की मेज पर एक विवरण रखा, जिसमें देशभर के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की ट्रेनिंग योजना की प्रगति का विवरण दिया गया है।

विवरण में बताया गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राइमरी शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना देने के लिए अध्यापकों की ट्रेनिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है। भारत सरकार के आदेशानुसार विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। हर राज्य में व्यय और कार्य का विवरण इस प्रकार है :

आंध्र प्रदेश—६,६७,०८० रु०; २५ अतिरिक्त ट्रेनिंग विभाग खोले गये और प्रत्येक में प्रति वर्ष ५० शिक्षार्थी भर्ती किये जा सकते हैं। आसाम—१७,०१,५०० रु०, (क) वर्तमान टीचर्स संस्थाओं में ५२० स्थानों की वृद्धि, (ख) ८ नयी ट्रेनिंग संस्थाएं खोली गयीं। बिहार—५५,८२,१३८ रु०; (क) वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में १,७०० और स्थानों की वृद्धि; (ख) २१ नयी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। बम्बई—२४,६६,००० रु०, २० नये बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोले गये। मध्य प्रदेश—४९,६५,०५० रु०, (क) वर्तमान कालेजों में ४०० और स्थान बढ़ाये गये, (ख) २३ नये कालेज खोले गये। उड़ीसा—२,८८,००० रु०, वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में २,००० और सीटें बढ़ायी गयी। राजस्थान—२४,०५,५९२ रु०; १६ नये एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल खोले गये। उत्तर-प्रदेश—४०,७३,९३८ रु०, (क) वर्तमान नार्मल स्कूलों में २५० स्थान बढ़ाये गये; (ख) महिला नार्मल स्कूलों में १०० स्थानों की वृद्धि, (ग) अध्यापकों के ४२ नये नार्मल स्कूल और अध्यापिकाओं के ६ नये नार्मल स्कूल खोले गये। पश्चिम बंगाल—२६,६७,३०० रु०, (क) १८ जूनियर ट्रेनिंग कालेजों में २७० शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ायी गयी; (ख) वर्तमान प्राइमरी ट्रेनिंग स्कूलों में ६६० स्थान बढ़ाये गये, (ग) १ नये कालेजों की स्थापना की

विकलांगों की शिक्षा के लिए सहायता

भारत सरकार ने विकलांगों और अविकसित मस्तिष्क के व्यक्तियों की शिक्षा और ट्रेनिंग का प्रबंध करने वाली समाजसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है।

निम्नलिखित कार्य करने वाली संस्थाओं को ही सहायता दी जाएगी :

(१) अस्थि-विकार वाले बच्चों को शिक्षा देने वाली संस्थाएं,

(२) अस्थि-विकार वाले वयस्कों को ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं,

(३) अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चों के स्कूल,

(४) वयस्क बहरों को ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं,

(५) बहरे बच्चों के स्कूल,

(६) वयस्क अंधों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं,

(७) बहरों के लिए अस्पताल खोलने की इच्छुक संस्थाएं।

आकाशवाणी अन्तर-विश्वविद्यालय रेडियो नाटक प्रतियोगिता

१९५९ की अन्तर-विश्वविद्यालय रेडियो-नाटक प्रतियोगिता में विभिन्न विश्वविद्यालयों के १३ छात्रों को पहला और ८ छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। यह वार्षिक प्रतियोगिता १३ प्रमुख भारतीय भाषाओं में की गयी थी। इसके अलावा अहिन्दी भाषी छात्रों के लिए हिन्दी में भी प्रतियोगिता की गयी।

प्रतियोगिता में ८९ नाटक आये थे। सबसे अधिक (१६) नाटक मलयालम के आये। असमी भाषा के १४, हिन्दी भाषी छात्रों के १२, अहिन्दी भाषी छात्रों के १०, उर्दू और उड़िया के ७-७, गुजराती के ५, बंगला और पंजाबी के ४-४, तेलुगु और कन्नड के ३-३ तथा तमिल मराठी के २-२ नाटक आये। कश्मीरी भाषा का एक भी नाटक नहीं आया।

आकाशवाणी १९५४ से हर साल यह प्रतियोगिता आयोजित करती है।

छठा अन्तर-विश्वविद्यालय युवक समारोह

छठा अन्तर-विश्वविद्यालय युवक समारोह ७ दिसम्बर से मैसूर में शुरू हुआ। इसमें ३४ विश्वविद्यालयों के लगभग १,४०० छात्रों ने भाग लिया। यह पहली बार है कि जब युवक समारोह पूर्णतः किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। इससे पहले के पांचों समारोह दिल्ली में हुए थे और उनका आयोजन केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया था।

समारोह के विभिन्न आयोजनों का संगठन करने में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालय से यह कहा गया है कि वह अपने यहां से राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के तीन स्वयंसेवक भेजे—दो लड़के और एक लड़की—जो समारोह को चलाने में सहायता करें।

स्वास्थ्य

अक्तूबर १९५९ में देश में स्वास्थ्य की स्थिति

देश के ३० हजार या इससे अधिक आबादी वाले नगरों में सितम्बर १९५९ में प्रति हजार आबादी पर जन्म-संख्या ३४ और मृत्यु-संख्या १२ रही। अगस्त १९५९ में यह संख्या (संशोधित) ३१ और १२ थी।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार २९ सितम्बर से ५ नवम्बर, १९५९ तक हिमाचल प्रदेश के महासू जिले की रोहडू तहसील में १५ आदमियों को प्लेग हुआ और ५ व्यक्ति मरे। और किसी जिले में यह बीमारी नहीं फैलने पायी।

देश के कुछ भागों से अब भी हैजे और चेचक की सूचनाएं मिली हैं। २४ अक्तूबर, १९५९ को समाप्त सप्ताह तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हैजे और चेचक की स्थिति निम्न प्रकार रही।

हैजा : बिहार के पटना तथा गया जिलों में काफी लोगों को हैजा हुआ। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में, उड़ीसा के पुरी जिले और कलकत्ता शहर में भी कुछ लोगों को हैजा हुआ। बम्बई के गोहिलवाद और बिहार के हजारीबाग जिले में भी कुछ लोगों को यह बीमारी हुई।

चेचक : मद्रास शहर में चेचक का जोर रहा। मद्रास के मदुराई और उत्तरी अर्काट, मैसूर के बेलगाम, मंड्या, कोलार, बीजापुर, शिमोगा और बेलारी जिलों में भी कुछ लोगों को चेचक हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ और इलाहाबाद जिलों में और उड़ीसा के कोरापट जिले तथा पाण्डिचेरी में भी कुछ लोगों को यह बीमारी हुई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी और कृष्णा और चित्तूर जिलों में, और आसाम के काम रूप, बिहार के हजारीबाग, बम्बई के बृहत्तर बम्बई और पूना जिलों में तथा मद्रास के कोयमुत्तूर जिले में भी चेचक होने की सूचना मिली है।

गैस्ट्रोएण्ट्राइटिस : १७ अक्तूबर को समाप्त होने वाले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में १६ व्यक्ति बीमार पड़े, परन्तु किसी की मृत्यु नहीं हुई, जबकि इसके पिछले सप्ताह में १९ रोगियों में

बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए पुरस्कृत निदेश-पुस्तकें

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए तैयार की गयी ८ निदेश-पुस्तिकाओं पर पारितोषिक दिये हैं। सब से बड़ा पुरस्कार एक हजार दो सौ पचास रुपये का है।

संस्कृत पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संस्कृत पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है। यह निश्चय केन्द्रीय संस्कृत मंडल की सिफारिश पर किया गया है।

यह सूचना शिक्षा मंत्रालय की १० दिसम्बर की एक विज्ञप्ति में दी गयी है।

से ५ की मृत्यु हुई। ३ अक्तूबर, १९५९ को समाप्त होने वाले सप्ताह मे २९ रोगियों में से ३ की मृत्यु हुई। इस महीने में राजस्थान के कोटा जिले में १२५ लोगों को यह बीमारी हुई, जिनमें से ३४ की मृत्यु हुई।

क्यासनूर जंगल-रोग : १० अक्तूबर को समाप्त होने वाले पखवारे मे मैसूर के शिमोगा जिले में २० व्यक्ति इस रोग के शिकार हुए।

इन्फ्लुएंजा : आसाम और बम्बई से छिटपुट सूचनाएं मिली।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से छात्रवृत्तियां

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से महामारियों की रोकथाम, प्रसूति तथा बाल-स्वास्थ्य की देखभाल, गैर-अस्पताली चिकित्सा की शिक्षा और मलेरिया उन्मूलन आदि जैसे कुछ विषयों के अध्ययन के लिए १९६० में कुछ छात्रवृत्तियां और विदेशों को आने-जाने का खर्च मिलने की सम्भावना है।

वृत्तियों और यात्रा-व्यय के उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय या गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों आदि के कार्यकर्ता होने चाहिएं। सामान्यत सबके लिए पांच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। केवल ऐसे अवैतनिक कार्यकर्ताओं को ही वृत्ति या अनुदान मिलेगा, जो यह गारंटी देंगे कि विदेशों में शिक्षा पाकर लौटने के बाद वे अपनी संस्था की कम से कम तीन वर्ष तक सेवा करेंगे।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

मार्च ३१, १९५९ तक १,३९९ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल चुके थे और १९५६-६० में ६८० केन्द्र खोलने का विचार है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे ३,००० केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। आशा है मार्च १९६१ के अन्त तक २,६०० केन्द्र खुल जाएंगे।

यह सूचना स्वास्थ्य मंत्री, श्री दत्तात्रेय परशुराम करमरकर ने १५ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर मे दी। उन्होंने सदन की मेज पर एक वक्तव्य भी रखा, जिसमें बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्त करने में जो कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किये हैं।

बी० सी० जी० वैक्सीन का निर्माण

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री, श्री करमरकर ने ८ दिसम्बर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में हर वर्ष लगभग २६ लाख सी० सी० बी० सी० जी० वैक्सीन और ४५ लाख सी० सी० ट्यूबरकुलिन बनाया जाता है। यह देश की आवश्यकता के लिए काफी है। अफगानिस्तान, मलाया, लंका, बर्मा, सागर और पाकिस्तान को बी० सी०, जी०, वैक्सीन और ट्यूबरकुलिन निर्यात भी किया जाता है।

तपेदिक की नयी दवा

लोकसभा में ८ दिसम्बर को एक प्रश्न के उत्तर मे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री, श्री करमरकर ने बताया कि दिल्ली में वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट में एक नयी एण्टीबायटिक औषधि तैयार की गयी है जो तपेदिक-निरोधात्मक है।

समाज कल्याण

गन्दी बस्तियों की सफाई और आवास योजनाओं की प्रगति

राज्यसभा में ९ दिसम्बर को केन्द्रीय निर्माण आवास और पूर्ति उपमन्त्री, श्री अनिल कुमार चन्द ने निम्नलिखित वक्तव्य गन्दी बस्तियों की सफाई और आवास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध मे सदन की मेज पर रखा।

पहली पचवर्षीय योजना में आवास के लिए ३८.५ करोड रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इसमे से २४.१८ करोड रुपये राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों ने औद्योगिक मजदूरों और कम आय वाले वर्गों के वास्ते मकानों की योजनाओं के लिए लिये।

आरम्भ मे दूसरी योजना मे १२० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जो बाद में घटा कर ८४ करोड रुपये कर दी गई। उसमें से ३.४० करोड रुपये राज्य सरकारें अपने साधनों से जुटाएंगी, बकाया ८०.६० करोड रुपये केन्द्रीय सरकार उनको सहायता के रूप में देगी। १९५८-५९ के अन्त में विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों ने आवास योजना के लिए ४३ करोड रुपये और गन्दी बस्तियों की सफाई योजनाओं के लिए ३३ करोड़ रुपये केन्द्र से लिये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में १९ करोड रुपये की केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है। यह मानते हुए कि वर्तमान वर्ष में इस पूरी रकम का उपयोग कर लिया जाएगा तो भी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए २९ करोड रुपये बाकी रह जाएंगे। गन्दी बस्तियों की सफाई और आवास योजनाओं को चलाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। अगर वे इन योजनाओं को अन्य विकास कार्यक्रमों के मुकाबले अधिक महत्व देतीं तो कहीं ज्यादा प्रगति होती। मकान आदि बनाने के सामान और उपयुक्त और सस्ते प्लाटों की कमी आदि के कारण भी काम के आगे बढने में काफी रुकावट पडी है।

आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और उनको तेजी से बढ़ाने के लिए सिफारिशें आवास मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में की जाती हैं।

समाजसेवी संस्थाओं को सहायता : नियम बनाने के लिए समिति

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल ने समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान देने का कार्यक्रम तैयार करने के लिए समिति नियुक्त की है। यह समिति अनुदान देने के नियम भी बनायेगी जिन पर केन्द्रीय और राज्यों के समाज कल्याण मण्डल अमल करेंगे। डा० जे० एफ० बुलसरा समिति के अध्यक्ष हैं। श्रीमती अवन्ती मपारा, श्रीमती अशोक गुप्ता, श्रीमती इन्दुमती चमन लाल, श्रीमती ताराभवी बेग समिति के सदस्य हैं। इनके अलावा योजना आयोग, वित्त और शिक्षा मंत्रालयों का एक-एक प्रतिनिधि भी समिति में होगा।

गांवों में मकान बनाने की योजना

निर्माण, आवास और पूर्ति उपमंत्री, श्री अनिल कुमार चन्द ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में १० दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि १९६०-६१ में गावों में मकान बनाने की योजना पर २॥ करोड रु० खर्च किया जाएगा।

श्री चन्द ने कहा कि मकान बनाने के लिए ऋण देने से पहले राज्य सरकारें कुछ आरभिक कार्रवाई करती हैं। आसाम, पजाब और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सब राज्यों ने आरम्भिक कार्रवाई पूरी कर ली है। इन तीनो राज्यों से भी इसे शीघ्र पूरा करने को कहा गया है।

इस योजना में कुछ सुधार भी किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकारें कुछ चुने हुए गावो में जमीन खरीदने पर ऋण का कुछ रुपया खर्च कर सकती है। साथ ही राज्य सरकारो को उन गाव वालो को मकान बनाने के लिए जमीन देने का अधिकार दिया गया है, जो मकान बनाने के लिए दिया जाने वाला रुपया नही चुका सकते। ये लोग अपनी मेहनत से अपने लिए मकान बनायेंगे।

मत्री महोदय ने इस योजना का विस्तृत ब्योरा भी सदन की मेज पर रखा।

बाल-हित का काम शिक्षा मंत्रालय के जिम्मे

भारत सरकार ने निश्चय किया है कि बाल-हित के कार्यक्रमो की प्रशासनिक जिम्मेदारी शिक्षा मत्रालय को सौंप दी जाए। शिक्षा मत्रालय अन्य मत्रालयों और बाल-हित में लगे संगठनों के काम में समन्वय करेगा।

इस समय बाल-हित का काम सामुदायिक विकास और सहकार, स्वास्थ्य, स्वराष्ट्र और शिक्षा आदि अनेक केन्द्रीय मत्रालय करते हैं।

भारत सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि समन्वय के काम के लिये एक समिति नियुक्त की जाए और मत्रिपरिषद के सचिव इस समिति के अध्यक्ष हों। समिति में स्वास्थ्य मत्रालय के सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल के अध्यक्ष, स्वराष्ट्र मत्रालय के सचिव, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग) के सचिव, शिक्षा मत्रालय के सचिव और योजना आयोग के अतिरिक्त सचिव भी होंगे। समिति यह देखेगी कि अधिकारी आवश्यक कार्यक्रम बनायें, एक ही काम को दोहराया न जाए और बाल-हित के काम की ओर समुचित ध्यान दिया जाए।

विस्थापितों को ब्याज संबंधी रिआयत

पुनस्संस्थापन मंत्रालय की २ दिसम्बर की विज्ञप्ति में बताया गया है कि फरवरी १९५९ में सब रीजनल सेटलमेंट कमिश्नरों को आदेश दिये गये थे कि पुनर्स्संस्थापन वित्त प्रशासन के कर्ज को छोडकर, किसी परिवार के गैर-दावेदार सदस्य के जिम्मे जो सरकारी देनदारी हो उसके विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनस्संस्थापन) नियमो के ७वें नियम के अनुसार, परिवार के दूसरे व्यक्ति के मुआवजे में से काटने पर ब्याज उसी तरह माफ कर दिया जाएगा जिस तरह कर्ज लेने वाले व्यक्ति को माफ किया जाता। जून १९५९ में यह रिआयत पुनस्संस्थापन वित्त प्रशासन के कर्ज के बारे में भी बढा दी गयी थी।

अब सरकार को यह बताया गया है कि किश्तों में खरीदे हुए मकानों की बाकी किश्तों के मुजरा करने में ब्याज की छूट नही दी जा रही।

किश्तों पर खरीदी हुई जायदाद की बाकी किश्तें भी सरकारी धन हैं और इसे भी नियम ७ के अनुसार या तो जायदाद खरीदने वाले या उसके परिवार के अन्य सदस्य से वसूल किया जाएगा। इसलिए ब्याज के बारे में उपर्युक्त रियाअत, नियम ७ में वर्णित परिवार के व्यक्तियों के मुआवजे में से सरकारी धन की वसूली के मामले में भी लागू होगी।



नौसेना दिवस

१५ दिसम्बर, १९५९ को ११वां नौसेना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधान मत्री, प्रतिरक्षा मत्री और नौसेनाध्यक्ष ने नौसेना के जवानो को बधाई के सदेश भेजे।

१४ दिसम्बर से आरम्भ होने वाला सप्ताह नौसेना सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सारे देश में नौसेना की छावनियों में परेडें आदि हुई और जनता को नौसेना के जहाज देखने के लिए आमंत्रित किया गया।

१९५९ में नौसेना की प्रगति

इधर कुछ सालो में नौसेना में बडे-बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन सालों में जहाजी बेड़े और नौसैनिक केन्द्रो को आधुनिक शस्त्रास्त्रों और युद्धसज्जा से सज्जित किया गया है, सिपाहियों और अफसरो को अच्छी ट्रेनिंग देने से जहाजो और सैनिको की कुशलता बढी है और सबसे बढकर यह कि हमारी नौसेना पहले से कही सशक्त हुई है।

इस साल नौसेना की शक्ति बढाने के जो प्रयत्न हुए हैं, उनमें दो फ्रिगेटों का बढाया जाना उल्लेखनीय है। ये पिछले महीने ही भारत पहुचे हैं। इस साल ब्रिटेन से 'तलवार', 'त्रिशूल' 'ब्यास' और 'बेतवा' नामक चार जहाज और लिये गये हैं और ये अगले वर्ष हमारे बेड़े में शामिल हो जाएगे। ब्रिटेन में नौसेना के लिए १९ हजार टन का एक विमान-वाहक जहाज भी फिर से फिट किया जा रहा है। आशा है, यह भी हमें १९६१ तक मिल जाएगा। इस वाहक के लिए 'सी हॉक' और अन्य किस्म के विमान प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।

इन जहाजों के भारत आ जाने के साथ ही ब्रिटेन में भारत के लिए जहाज बनने बन्द हो जाएगे, क्योंकि देश में ही जहाज बनाने के उद्योग को बढाने का यत्न किया जा रहा है। विशाखपत्तनम के हिन्दुस्तान शिपयार्ड नामक कारखाने में नौसेना के लिए दो जहाज बनाये जा रहे हैं। व्यापारी जहाज बनाने वालों को नौसेना के लिए छोटे-छोटे जहाज या नावें आदि बनाने का काम सौंपा गया है।

नौ बेड़े के बढने के कारण बम्बई की नौसैनिक गोदियों का भी विस्तार होना स्वाभा-

किया। इनको बढ़ाने के दूसरे चरण का कार्य शुरू हो चुका है।

शिक्षण की सुविधाएं

नौसेना के कर्मचारियों के लिए बहुत-से विशेष शिक्षण प्रारम्भ किये गये हैं। नौसेना से सम्बद्ध उड़ान की सुविधाएं पहले से बहुत काफी बढ़ गयी हैं। भारतीय नौसैनिकों को जिस ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग दी जाती है, उसका फल भी हमारे सामने आया है। इस वर्ष हमारी नौसेना ने जिन अभ्यासों में हिस्सा लिया, उनमें बड़ी योग्यता का परिचय दिया। यह सब अच्छी ट्रेनिंग का ही परिणाम है। राष्ट्रमंडल नौसैनिक अभ्यास में तो हमारे जहाजों और नौसैनिकों ने कमाल ही दिखाया। अब कुछ इने-गिने ऊंचे विषयों को छोड़कर बाकी सारी सिखाई भारत में ही होती है।

मुसीबत में नागरिकों की सहायता

देश की नौसेना को पूरी तरह आधुनिक ढंग का बनाने के लिए बहुत-सी अनुसंधान समितियां स्थापित की गयी हैं। इनको यह काम सौंपा गया है कि वे यह बताएं कि नौसेना की जरूरत का कितना सामान और दूसरी चीजें देश में ही मिल या बन सकती हैं। वास्तव में अब नौसेना की काफी जरूरतें देश में ही पूरी हो जाती हैं। इस काम में नौसेना के असैनिक कर्मचारियों का कार्य भी कम सराहनीय नहीं है। नौसेना के सर्वे करने वाले जहाजों ने समुद्र के नक्शे तैयार किये हैं। इस साल मद्रास और एलफिंस्टन (अंडमान) बन्दरगाहों के बारे में जो सही चार्ट बनाये गए हैं, वे समस्त देश के विकास के लिए बहुत महत्त्व रखते हैं। देश के छोटे बन्दरगाहों को बढ़ाने के लिए कुछ और पड़तालें की गई।

देश में बहुत-से स्थानों पर बाढ़ आदि के कारण प्रायः बड़ी मुसीबत आती है। ऐसे अवसर पर नौसेना ने पीड़ितों की सहायता करके बहुत नाम पाया है। स्वयं प्रधान मंत्री ने भाखड़ा बांध पर तैनात नौसैनिक कर्मचारियों के कार्य को सराहा है। अमरीका और नार्वे के जहाजों की विपत्ति के समय सहायता करके हमारी नौसेना ने अन्य देशवासियों के मन में भी जगह बना ली है। आंध्र की बाढ़ों में नौसेना ने पीड़ितों को बचाने और दूसरी तरह की सहायता देने में जो साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा दिखाई, उसके कारण उसके लीडिंग स्टीवार्ड, डी० स्विट्जर को अशोक चक्र (तीसरी श्रेणी) मिला है।

अन्य सफलताएं

कुमायूं की पहाड़ियों में हिमालय की २२,५१० फुट ऊंची चोटी 'नन्दाकोट' पर चढ़कर नौसैनिक अफसरों में असाधारण ख्याति पाई है। नौसेना के इतिहास में इस तरह की यह दूसरी सफलता है। इस चोटी पर चढ़ने वाले सीनियर कमीशंड इंस्पेक्टर आफिसर एम० एस० कोहली और के० पी० शर्मा की पदोन्नति कर दी गयी है।

नौसेना के आकार और बल के बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। वरिष्ठ अधिकारी निरन्तर नौसैनिकों की भलाई का ध्यान रखते हैं। कर्मचारियों के लिए नौसैनिक छावनियों में अधिक मकान बनाये गये हैं और उनके बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक ऐसी योजना शुरू की गयी है, जिसमें कर्मचारी और नौसेना दोनों अपना हिस्सा देते हैं। इसी प्रकार नौसेना की ओर से बम्बई और कोचीन में दो हाई स्कूल खोलने का भी प्रबन्ध किया गया है।

नौसेना दिवस पर एडमिरल कटारी का भाषण

१५ दिसम्बर को नौसेना दिवस के अवसर पर *भारतीय नौसेनाध्यक्ष वाइस* एडमिरल आर० डी० कटारी ने आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से भाषण देते हुए *भारतीय नौसेना की प्रगति की समीक्षा की।*

उन्होंने बताया कि इंगलैंड में हमारे लिए चार बड़े जहाज बन रहे हैं और चार यहां पहुंच भी चुके हैं। हवाई जहाज ले जाने वाला "विक्रांत" जहाज भी दो वर्षों में यहां पहुंच जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। कुछ साल पहले तक हमारे अधिकारी उच्च प्रशिक्षण के लिए *इंगलैंड भेजे जाते थे।* अब कोचीन, विशाखापत्तनम, लोनावला और जामनगर के प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिक किस्म की सभी मशीनें आ गयी हैं और भारतीय नौसेना के अधिकारियों और जवानों को यहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हम प्रशिक्षण के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं।

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के कैडेटों की सेना में भर्ती

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के जो कैडेट सेना में भर्ती होने को तैयार हैं, उन्हें उच्च सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न राज्यों के छात्र सैनिक दलों में अफसरों की ट्रेनिंग देने वाली टुकड़ियां बनायी जाएंगी। छात्र सैनिक दलों के शिक्षा-प्राप्त कैडेटों को सेना में अधिक संख्या में लिये जाने के कारण सरकार ने यह फैसला किया है। इसके फलस्वरूप सेना के कमीशन-प्राप्त अफसरों के चुनाव में छात्र सैनिक दल का कोटा १० प्रतिशत से बढ़ाकर १५ प्रतिशत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल का इतना विकास हुआ है कि सेना में कमीशन के पूर्व ट्रेनिंग के लिए भर्ती किये गये कुल उम्मीदवारों में से आधे सैनिक दल के कैडेट या सैनिक दल में ट्रेनिंग पाये हुए लोग हैं। यह भी निर्णय किया गया है कि कमीशन के पूर्व की ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण काल की अवधि १८ महीने से घटा कर १ साल कर दी जाए। छात्र सैनिक दलों की अफसर प्रशिक्षण टुकड़ियों में उच्च स्तर की ट्रेनिंग लेने के बाद यह सम्भव है कि भारतीय मिलिटरी अकादमी में ट्रेनिंग का समय घटा दिया जाए।

सबसे पहले उत्तर-प्रदेश में अफसर प्रशिक्षण टुकड़ी (ओ० टी० यू०) कायम की गयी है और इसके लिए प्रारंभिक चुनाव हो रहे हैं। इन टुकड़ियों में बख्तरबन्द, तोपखाना, इंजीनियरी, संकेत (सिगनल्स), पैदल, मेडिकल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरी की टुकड़ियां रहेंगी। इनमें भर्ती के लिए चुनाव सम्बन्धी नियमावली बनायी गयी है। जो कैडेट अफसर प्रशिक्षण टुकड़ियों में भर्ती होंगे, उन्हें स्थिति के अनुसार नियमित सेना या प्रादेशिक सेना या अफसरों के रिजर्व में जाना पड़ेगा। लेकिन आई० ए० एम० या आई० एफ० एस० में चुने गये कैडेटों पर यह प्रतिबन्ध नहीं होगा।

अफसर ट्रेनिंग टुकड़ी के कैडेटों को आमतौर के सैनिक दल के सीनियर डिवीजन के प्रशिक्षण से उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों में छः सप्ताह के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर भी हुआ करेंगे।

कैडेटों को अफसर प्रशिक्षार्थियों के साथ तीसरे साल में स्पेशल 'सी' क्लास सर्टिफिकेट पास करना होगा। भारतीय मिलिटरी अकादमी में भर्ती के पहले डिग्री और 'सी' क्लास स्पेशल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

योग्यता क्रम से ७५ कैडेट भारतीय मिलिटरी अकादमी में शिक्षा के लिए भेजे जाएंगे। अफसर प्रशिक्षण टुकडी के शेष कैडेटों में से कुछ मेडिकल कोर, नौसेना और वायुसेना में कमीशन लिये जाएंगे और बचे हुए लोग प्रादेशिक सेना और नियमित अफसर रिजर्व में ले लिये जाएंगे।

राष्ट्रीय छात्र सेना दिवस समारोह

६ दिसम्बर को पिछले वर्षों की तरह देश भर में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल दिवस मनाया गया। इस दिन राष्ट्रीय छात्र सेना की विभिन्न टुकडियों ने औत्सविक परेड, खेल-कूद प्रतियोगिताएं, हवाई-करतब, कवायद, झण्डोत्तोलन आदि का आयोजन किया।

सेना सेवा दल की वर्षगांठ

८ दिसम्बर, १९५९ को देश में सेना सेवा दल की वर्षगांठ मनायी गयी। इस अवसर पर देश भर में दल की सब टुकडियों और मेरठ तथा बंगलौर के दोनों प्रशिक्षण-केन्द्रों में औत्सविक परेड और अन्य कार्यक्रम करके यह दिन मनाया गया।

सेना सेवा दल की सन् १७६० में स्थापना हुई थी। सब तरह की मुसीबतों में इस दल ने बहुत सराहनीय काम किये हैं। लडाई के मैदान में और दैवी संकट में पडे लोगों में हवाई जहाज से चीजें पहुंचाने का काम इस दल ने पिछले महायुद्ध से शुरू किया है। इस प्रकार इस दल ने सेवा-कार्यों में काफी प्रशंसनीय काम किये हैं।

सैनिक अनुसन्धान केन्द्रों का विदेशी विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन

इंगलैंड के विस्फोटक पदार्थ अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष, डा० ए० के० ब्रेविन प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और शिल्प विकास केन्द्रों का अध्ययन करने के लिए २८ नवम्बर को भारत आए। उन्होंने शस्त्र अध्ययन संस्था, शस्त्र अनुसंधान और विकास केन्द्र तथा विस्फोटक पदार्थ कारखाने भी देखे।

डा० ब्रेविन भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां आये हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की फेलोशिप योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा

प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार, डा० डी० एस० कोठारी ने १५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा अनुसंधान फेलोशिप योजना का उद्घाटन किया।

प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष से प्रति वर्ष अधिक से अधिक ५० फेलोशिप देना शुरू किया है। इस बार जो ४० व्यक्ति चुने गये, उनमें से लगभग दो दर्जन शामिल हो चुके हैं और उन्होंने प्रतिरक्षा प्रयोगशाला में काम भी शुरू कर दिया है। यह प्रयोगशाला पहले राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में थी और अब मेटकाफ हाउस, दिल्ली में चल रही है। डा० आर० एस० वर्मा प्रयोगशाला के निदेशक हैं।

फेलोशिप २५० रु० महीने की है। उच्च योग्यता वाले उमीदवारों के लिए ६ सीनियर फेलोशिप हैं, जिनके अंतर्गत ४०० रु० महीना दिया जाता है। फेलोशिप की अवधि एक साल है, जो आवश्यकता के अनुसार और ? साल के लिए बढ़ायी जा सकती है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य पूरा होने पर उम्मीदवारों को प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में नौकरी दी जा सकती है। प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा में लिये जाने पर उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।



केन्द्र-शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक विभागों का पुनर्गठन

केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक विभागों का इस तरह पुनर्गठन किया जा रहा है कि उनके खर्चों में ज्यादा से ज्यादा किफायत की जा सके और सचिवालय के कामों को कम से कम विभागों में बांटा जा सके।

दिल्ली के सचिवालय का १ दिसम्बर, १९५८ को पुनर्गठन किया गया था। उस समय सचिवों की संख्या घटाकर तीन कर दी गयी थी। अब दिल्ली में ■ मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की जगह केवल तीन—मुख्य सचिव, वित्त सचिव और न्याय सचिव—ही रह गये हैं। इसी प्रकार सहायक सचिवों और सहायक-इन्चार्जों के पद भी समाप्त कर दिये गये हैं। अब इनके स्थान पर अवर सचिव नियुक्त किये गये हैं और विभागों में सुपरिन्टेन्डेन्ट, एसिस्टेंट आदि काम कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन में अब ५ सचिवों की जगह ३ सचिव और ८ अवर सचिवों की जगह ५ अवर सचिव ही रह गये हैं। अब हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली की तरह के ही तीन सचिव हैं। विकास और सहकार सचिव तथा शिक्षा और पूर्ति सचिव के पद समाप्त कर दिये गये हैं। इनके अलावा वहां ६ विभाग अधिकारी हैं, जो सीधे उप-राज्यपाल की देखरेख में काम करते हैं।

मणिपुर और त्रिपुरा के प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इस उद्देश्य से यह पुनर्गठन किया जा रहा है कि सचिवालय में मुख्य अधिकारियों की संख्या घटा दी जाए और विभाग अधिकारी सीधे चीफ कमिश्नर की देखरेख में ही काम करें। इससे काम जल्दी निपटने की सम्भावना रहेगी।

सरकारी काम शीघ्रता और कुशलतापूर्वक चलाने के खयाल से ही केन्द्र-शासित क्षेत्रों में यह पुनर्गठन किया जा रहा है। दिल्ली में नगर निगम और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में क्षेत्रीय परिषदें स्थापित हो जाने से इन केन्द्र-शासित क्षेत्रों का बहुत-सा प्रशासनिक काम भी इन संस्थाओं को सौंपा जा रहा है।

मध्य प्रदेश के दो अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक

राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के [illegible] जिले के पुलिस सब-इंस्पेक्टर, श्री रामनारायण [illegible] और उत्तर प्रदेश की सशस्त्र पुलिस की [illegible] बटालियन के कांस्टेबल श्री रामचन्द्र सिंह को वीरता के लिए पुलिस पदक दिये हैं।

इन पुलिस कर्मचारियों को ये पुरस्कार उनके साहस और कर्तव्यपरायणता के लिए दिये गये हैं। भारत सरकार के गृह-मन्त्रालय में इन पुरस्कारों की घोषणा के साथ दोनों कर्मचारियों की सेवा का भी उल्लेख किया गया है।

केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

स्वराष्ट्र मन्त्रालय की १० दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने पी० गोविन्द मेनन, बी० ए०, बी० एल० एडवोकेट और टी० सी० राघवन, एम० ए०, बी० एल०, एडवोकेट को दो-दो वर्ष के लिए केरल के उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। जिस दिन से वे अपना कार्यभार सम्हालें उसी दिन से उनकी नियुक्ति मानी जाएगी।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

स्वराष्ट्र मन्त्रालय की ५ दिसम्बर, १९५९ की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि १५ दिसम्बर, १९५९ से राष्ट्रपति ने श्री गोविन्दराजपुरम् रंगैया जगदीशन को मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।

केरल में चुनाव

केरल में चुनाव १ फरवरी, १९६० को होंगे और उसी दिन समाप्त हो जाएंगे। नामजदगी की अन्तिम तारीख २ जनवरी, १९६० नियत की गयी है।

यह सूचना निर्वाचन आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है।

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

मद्रास का प्राइवेट वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, १९५९

इस विधेयक से मद्रास में प्राइवेट वन संरक्षण कानून, [illegible] की अवधि २ साल के लिए बढ़ गयी है। इसकी अवधि २ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली थी।

पंजाब आबकारी कानून दिल्ली में लागू

पंजाब आबकारी (संशोधित) अधिनियम, १९५९ दिल्ली में भी लागू किया गया है।

इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार के नशीले द्रव्यों के निर्माण के लिए भट्ठी या भपका रखना गैर-जमानती अपराध करार दिया गया है।

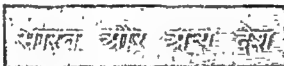
इसके अन्तर्गत इस जुर्म के सजायाफ्ता लोगों को और अधिक सजा देने की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में पहले सजा पा चुका है तो फिर उसे पहले से दूनी सजा दी जाएगी, जो तीन साल की कैद और २,००० रु० जुर्माने से अधिक नहीं होगी।

दिल्ली में पानी की सप्लाई : वजीराबाद बांध का उद्घाटन

स्वराष्ट्र मन्त्री, श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने २८ नवम्बर को दिल्ली में वजीराबाद बांध का उद्घाटन किया। इस बांध से दिल्ली को बारहों महीने पानी मिलेगा।

यह बांध यमुना के बहाव को ठीक रखेगा, जिससे इसके दाहिनी ओर की मुख्य नहर को बराबर पानी मिलता रहे। यह नहर वाटर-वर्क्स के निकट है।

बांध की लम्बाई १,४९१ फुट है। इसके दाहिनी ओर जमा रेत आदि को बहाने के लिए पानी के नीचे ६० फुट के ६ फाटक हैं। पानी भेजने के लिए ५८-५८ फुट के १७ फाटक हैं। पानी के नीचे के फाटकों की ऊंचाई इन फाटकों से ४ फुट कम है, ताकि वाटर-वर्क्स के निकट के नदी के दाहिने किनारे पर पानी के बहाव को नियन्त्रित रखा जा सके।



युगोस्लाविया की नृत्य-गायन टोली भारत में

भारत सरकार के निमन्त्रण पर युगोस्लाविया के नर्तकों और गायकों की एक टोली 'कोलो' एक पखवारे के लिए भारत की यात्रा पर १३ दिसम्बर को नयी दिल्ली पहुंची। इस टोली में ५० प्रसिद्ध कलाकार हैं और इसका नेतृत्व श्रीमती ओल्गा स्कोवर्न कर रही हैं।

यह टोली राजधानी में चार कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी और राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री से भी भेंट करेगी।

बेल्जियम के राजदूत द्वारा प्रमाणपत्र पेश

बेल्जियम के मनोनीत राजदूत, डा० फ्रांसिस लियो गोफर्ट ने राष्ट्रपति भवन में १ दिसम्बर को राष्ट्रपति को अपने प्रमाण-पत्र पेश किये।

अर्जेण्टाइना में भारतीय राजदूत द्वारा प्रमाण पत्र पेश

परराष्ट्र मन्त्रालय की ३ दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अर्जेण्टाइना में भारतीय राजदूत, श्री पी० अच्युत मेनन ने ब्यूनेज-आयर्स में हुए एक समारोह में २ दिसम्बर, १९५९ को अर्जेण्टाइना के प्रेसीडेण्ट को अपना प्रमाण पत्र पेश किया।

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त

परराष्ट्र मन्त्रालय को ३ दिसम्बर की विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री ए० के० ब्रोही को डा० उमर हयात मलिक के स्थान पर भारत में पाकिस्तान का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।

कैडेटों को अफसर प्रशिक्षार्थियों के साथ तीसरे साल में स्पेशल 'सी' क्लास सर्टिफिकेट पास करना होगा। भारतीय मिलिटरी अकादमी में भर्ती के पहले डिग्री और 'सी' क्लास स्पेशल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

योग्यता क्रम से ७५ कैडेट भारतीय मिलिटरी अकादमी में शिक्षा के लिए भेजे जाएंगे। अफसर प्रशिक्षण टुकडी के शेष कैडेटों में से कुछ मेडिकल कोर, नौसेना और वायुसेना में कमीशन लिये जाएंगे और बचे हुए लोग प्रादेशिक सेना और नियमित अफसर रिजर्व में ले लिये जाएंगे।

राष्ट्रीय छात्र सेना दिवस समारोह

६ दिसम्बर को पिछले वर्षों की तरह देश भर में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल दिवस मनाया गया। इस दिन राष्ट्रीय छात्र सेना की विभिन्न टुकडियों ने औत्सविक परेड, खेल-कूद प्रतियोगिताएं, हवाई-करतब, कवायद, अण्डोत्तोलन आदि का आयोजन किया।

सेना सेवा दल की वर्षगांठ

८ दिसम्बर, १९५९ को देश में सेना सेवा दल की वर्षगांठ मनायी गयी। इस अवसर पर देश भर में दल की सब टुकडियों और मेरठ तथा बंगलौर के दोनों प्रशिक्षण-केन्द्रों में औत्सविक परेड और अन्य कार्यक्रम करके यह दिन मनाया गया।

सेना सेवा दल की सन् १७६० में स्थापना हुई थी। सब तरह की मुसीबतों में इस दल ने बहुत सराहनीय काम किये हैं। लडाई के मैदान में और दैवी संकट में पड़े लोगों में हवाई जहाज से चीजें पहुंचाने का काम इस दल ने पिछले महायुद्ध से शुरू किया है। इस प्रकार इस दल ने सेवा-कार्यों में काफी प्रशसनीय काम किये हैं।

सैनिक अनुसन्धान केन्द्रों का विदेशी विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन

इंगलैंड के विस्फोटक पदार्थ अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष, डा० ए० के० ब्रेविन प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और शिल्प विकास केन्द्रों का अध्ययन करने के लिए २८ नवम्बर को भारत आए। उन्होंने शस्त्र अध्ययन संस्था, शस्त्र अनुसंधान और विकास केन्द्र तथा विस्फोटक पदार्थ कारखाने भी देखे।

डा० ब्रेविन भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां आये हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की फेलोशिप योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा

प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार, डा० डी० एम० कोठारी ने १५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा अनुसंधान फेलोशिप योजना का उद्घाटन किया।

प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष से प्रति वर्ष अधिक से अधिक ५० फेलोशिप देना शुरू किया है। इस बार जो ४० व्यक्ति चुने गये, उनमें से लगभग दो दर्जन शामिल हो चुके हैं और उन्होंने प्रतिरक्षा प्रयोगशाला में काम भी शुरू कर दिया है। यह प्रतियोगशाला पहले राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में थी और अब मेटकाफ हाउस, दिल्ली में चल रही है। डा० आर० एस० वर्मा प्रयोगशाला के निदेशक हैं।

फेलोशिप २५० रु० महीने की है। उच्च योग्यता वाले उमीदवारों के लिए ६ सीनियर फेलोशिप हैं, जिनके अंतर्गत ४०० रु० महीना दिया जाता है। फेलोशिप की अवधि एक साल है, जो आवश्यकता के अनुसार और [illegible] साल के लिए बढ़ायी जा सकती है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य पूरा हो[illegible] पर उम्मीदवारों को प्रतिरक्षा अनुसंधा[illegible] और विकास संगठन में नौकरी दी जा सकत[illegible] है। प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा में लिये जाने प[illegible] उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकत[illegible] है।



केन्द्र-शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक विभागों का पुनर्गठन

केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक विभागों का इस तरह पुनर्गठन किया जा रहा है कि उनके खर्चों में ज्यादा से ज्यादा किफायत की जा सके और सचिवालय के कामों को कम से कम विभागों में बांटा जा सके।

दिल्ली के सचिवालय का १ दिसम्बर, १९५८ को पुनर्गठन किया गया था। उस समय सचिवों की संख्या घटाकर तीन कर दी गयी थी। अब दिल्ली में ७ मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की जगह केवल तीन—मुख्य सचिव, वित्त सचिव और न्याय सचिव—ही रह गये हैं। इसी प्रकार सहायक सचिवों और सहायक-इन्चार्जों के पद भी समाप्त कर दिये गये हैं। अब इनके स्थान पर अवर सचिव नियुक्त किये गये हैं और विभागों में सुपरिन्टेन्डेन्ट, एसिस्टेंट आदि काम कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन में अब ५ सचिवों की जगह ३ सचिव और ८ अवर सचिवों की जगह ५ अवर सचिव ही रह गये हैं। अब हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली की तरह के ही ती[illegible] सचिव हैं। विकास और सहकार सचिव त[illegible] शिक्षा और पूर्ति सचिव के पद समाप्त कर दि[illegible] गये हैं। इनके अलावा वहां ६ विभाग अधिका[illegible] हैं, जो सीधे उप-राज्यपाल की देखरेख में का[illegible] करते हैं।

मणिपुर और त्रिपुरा के प्रशासनिक पुन[illegible]गंठन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इ[illegible] उद्देश्य से यह पुनर्गठन किया जा रहा है कि[illegible] सचिवालय में मुख्य अधिकारियों की संख्या घटा दी जाए और विभाग अधिकारी सीधे चीफ कमिश्नर की देखरेख में ही काम करें। इससे काम जल्दी निपटने की सम्भावना रहेगी।

सरकारी काम शीघ्रता और कुशलतापूर्वक चलाने के खयाल से ही केन्द्र-शासित क्षेत्रों में यह पुनर्गठन किया जा रहा है। दिल्ली में नगर निगम और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में क्षेत्रीय परिषदें स्थापित हो जाने [illegible] इन केन्द्र-शासित क्षेत्रों का बहुत-सा प्रशासनिक काम भी इन संस्थाओं को सौंपा जा रहा है।

मध्य प्रदेश के दो अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक

राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के [illegible] जिले के पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री [illegible] और उत्तर प्रदेश की सशस्त्र पुलिस के [illegible] को वीरता के लिए पुलिस पदक दिये हैं।

इन पुलिस अधिकारियों को ये पुरस्कार [illegible] और [illegible] के लिए दिये गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इन पुरस्कारों की घोषणा के साथ इन अधिकारियों की सेवा का भी उल्लेख किया गया है।

केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

स्वराष्ट्र मंत्रालय की १० दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने श्री० गोविन्द मेनन बी० ए०, बी० एल०, एडवोकेट और टी० सी० राघवन, एम० ए०, बी० एल०, एडवोकेट को दो-दो वर्ष के लिए केरल के उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। जिस दिन से वे अपना कार्यभार संभालेंगे उसी दिन से उनकी नियुक्ति मानी जाएगी।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

स्वराष्ट्र मन्त्रालय की ५ दिसम्बर, १९५९ की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि १५ दिसम्बर, १९५९ से राष्ट्रपति ने श्री गोविन्दराजपुरम् रंगैया जगदीशन को मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।

केरल में चुनाव

केरल में चुनाव १ फरवरी, १९६० को होंगे और उसी दिन समाप्त हो जाएंगे। नामजदगी की अन्तिम तारीख २ जनवरी, १९६० नियत की गयी है।

यह सूचना निर्वाचन आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है।

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है —

मद्रास का प्राइवेट वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, १९५९

इस विधेयक से मद्रास के प्राइवेट वन संरक्षण कानून, १९४९ की अवधि ५ साल के लिए बढ़ गयी है। इसकी अवधि ७ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली थी।

पंजाब आबकारी कानून दिल्ली में लागू

पंजाब आबकारी (संशोधित) अधिनियम, १९५९ दिल्ली में भी लागू किया गया है।

इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार के नशीले द्रव्यों के निर्माण के लिए भट्ठी का मालिक होना गैर-जमानती अपराध करार दिया गया है।

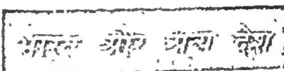
इसके अन्तर्गत इस जुर्म के सजायाफ्ता लोगों को और अधिक सजा देने की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में पहले सजा पा चुका है तो फिर उसे पहले से दूनी सजा दी जाएगी, जो तीन साल की कैद और २,००० रु० जुर्माने से अधिक नहीं होगी।

दिल्ली में पानी की सप्लाई : वजीराबाद बांध का उद्घाटन

स्वराष्ट्र मंत्री, श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने २८ नवम्बर को दिल्ली में वजीराबाद बांध का उद्घाटन किया। इस बांध से दिल्ली को बारहों महीने पानी मिलेगा।

यह बांध यमुना के बहाव को ठीक रखेगा, जिससे इसके दाहिनी ओर की मुख्य नहर को बराबर पानी मिलता रहे। यह नहर वाटर-वर्क्स के निकट है।

बांध की लम्बाई १,४९१ फुट है। इसके दाहिनी ओर जमा रेत आदि को बहाने के लिए पानी के नीचे ६० फुट के ६ फाटक हैं। पानी भेजने के लिए ५८-५८ फुट के १७ फाटक हैं। पानी के नीचे के फाटकों की ऊंचाई इन फाटकों से ४ फुट कम है, ताकि वाटर-वर्क्स के निकट के नदी के दाहिने किनारे पर पानी के बहाव को नियन्त्रित रखा जा सके।



यूगोस्लाविया की नृत्य-गायन टोली भारत में

भारत सरकार के निमन्त्रण पर यूगोस्लाविया के नर्तकों और गायकों की एक टोली 'कोलो' एक पखवारे के लिए भारत की यात्रा पर १३ दिसम्बर को नयी दिल्ली पहुंची। इस टोली में ५० प्रसिद्ध कलाकार हैं और इसका नेतृत्व श्रीमती ओल्गा स्कोवर्न कर रही हैं।

यह टोली राजधानी में चार कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी और राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से भी भेंट करेगी।

बेल्जियम के राजदूत द्वारा प्रमाणपत्र पेश

बेल्जियम के मनोनीत राजदूत, डा० फासिस लियो गोफर्ट ने राष्ट्रपति भवन में १ दिसम्बर को राष्ट्रपति को अपने प्रमाण-पत्र पेश किये।

अर्जेण्टाइना में भारतीय राजदूत द्वारा प्रमाण पत्र पेश

परराष्ट्र मन्त्रालय की ३ दिसम्बर की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अर्जेण्टाइना में भारतीय राजदूत, श्री पी० अच्युत मेनन ने ब्यूनेज-आयर्स में हुए एक समारोह में २ दिसम्बर, १९५९ को अर्जेण्टाइना के प्रेसीडेण्ट को अपना प्रमाण पत्र पेश किया।

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त

परराष्ट्र मन्त्रालय की ३ दिसम्बर की विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री ए० के० ब्रोही को डा० उमर हयात मलिक के स्थान पर भारत में पाकिस्तान का [illegible] किया गया है।

समाचार-दर्शन

१ दिसम्बर से १५ दिसम्बर तक

दिसम्बर

१—नयी दिल्ली में प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू द्वारा इकाफे क्षेत्र की सार्वजनिक उद्योग प्रबन्ध सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का उद्‌घाटन

२—बच्चों के अपहरण और उन्हें अपंग बनाने से सम्बन्धित विधेयक राज्यसभा द्वारा अनुमोदित, जिसे लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है

४—सरकार द्वारा वायदा बाजार निदेशालय, जिसका मुख्यालय बम्बई में होगा, खोलने का निर्णय घोषित

—कागज और गत्ते के उचित कारखाना-मूल्य और बाजार-मूल्य से सम्बन्धित तट कर आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत

५—गण्डक सिंचाई और बिजली योजना-कार्य के बारे में भारत और नेपाल के मध्य नयी दिल्ली में एक समझौता सम्पन्न, जिसके अनुसार ५०.५ करोड़ रुपये का सम्पूर्ण अनुमित व्यय भारत उठायेगा

—भिलाई इस्पात कारखाने का सल्फ्यूरिक एसिड संयन्त्र चालू; यह इस कारखाने का सबसे बड़ा रासायनिक पदार्थ संयन्त्र है

—वियतनाम लोक गणराज्य के सांस्कृतिक शिष्टमण्डल का, जिसमें ४५ नर्तक और गायक हैं, नयी दिल्ली आगमन

६—प्रधान मन्त्री श्री नेहरू द्वारा दामोदर घाटी निगम के चौथे और सबसे बड़े पांछेत बांध का उद्‌घाटन

—खान दुर्घटना की चपेट में आने वाले मजदूरों और उनके आश्रितों की भलाई के लिए भारत सरकार द्वारा 'खान श्रमिकों का आपातकालीन सहायता कोष' स्थापित

७—मैसूर में छठें अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह का समारम्भ

—नयी दिल्ली में केन्द्रीय रेल मन्त्री, श्री जगजीवन राम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे कांग्रेस संघ के स्थायी आयोग की छठवीं बैठक का उद्‌घाटन

दिसम्बर

—राज्यसभा द्वारा संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, १९५९, अनुमोदित

—नयी दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री, श्री एस० के० पाटिल द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्र की पौधा संरक्षण समिति की तीसरी बैठक का उद्‌घाटन

८—राज्यसभा में भारत-चीन सम्बन्ध पर दो दिन की बहस आरंभ

९—अमरीका के प्रेज़ीडेण्ट, परमश्रेष्ठ श्री ड्वाइट आइज़नहावर का ५ दिन की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली आगमन

११—नयी दिल्ली में राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा विश्व कृषि प्रदर्शनी का उद्‌घाटन

१४—नयी दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय वार्ता का दूसरा दौर समाप्त

—परमश्रेष्ठ श्री आइज़नहावर की भारत यात्रा की समाप्ति पर नयी दिल्ली में संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित

—नयी दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री, श्री एस० के० पाटिल द्वारा एशिया और दूरपूर्व की [illegible] सम्बन्धी समस्याओं पर बैठक का उद्‌घाटन

१५—देश भर में नौ सेना दिवस मनाया गया

—सार्वजनिक सेवा (योग्यताएं और भर्ती) समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के फैसले घोषित

—प्रधान मन्त्री ने लोकसभा में वह सब पत्र और ज्ञापन रखे जो भारत और चीन सरकारों ने एक दूसरे को भेजे थे, और लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा बन्दी बनाये गये भारतीय पुलिस दल के प्रति चीनी सैनिकों के व्यवहार के सम्बन्ध में करमसिंह का वक्तव्य भी रखा।

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली–८ द्वारा सम्पादित तथा
[illegible] प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली–६ द्वारा मुद्रित

प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री वी० के० कृष्ण-मेनन ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में दीक्षान्त परेड के अवसर पर सहायक वायुसेना के ५१वें स्क्वाड्रन (दिल्ली) के सहायक अधिकारियों की वर्दी पर वायुसेना के चिन्ह लगाते हुए



७ दिसम्बर को नयी दिल्ली के सफदर-जंग हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के वित्तीय शिष्टमण्डल के सदस्य



नयी दिल्ली में ६ दिसम्बर को वियत-नाम की नृत्य और नाट्य मण्डली के सदस्य, केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्री श्री हमायूं कबीर



रजिस्टर्ड नं०
डी०–६४१



प्राचीन भारतीय कला और कारीगरी

भारतीय कारीगर लकड़ी, धातु, पत्थर और कपड़े पर उत्कृष्ट कलापूर्ण कारीगरी करने में सदियों से अग्रणी रहा है। चित्र में कारीगर तांबे के बर्तन पर फूल-पत्ती नक्काश रहा है

दक्षिण भारत में, खास कर तंजौर, मदुराई और तिरुनेलवेली के कुछ परिवारों में प्राचीन और परम्परागत मूर्तिकला आज भी फल-फूल रही है। चित्र में कारीगर धातु की मूर्तियां बना रहे हैं

डायरेक्टर, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली—८ द्वारा सम्पादित तथा
ओडियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली—६ द्वारा मुद्रित

प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री वी० के० कृष्ण-मेनन ५ दिसम्बर को नयी दिल्ली में दीक्षान्त परेड के अवसर पर सहायक वायुसेना के ५१वें स्क्वाड्रन (दिल्ली) के सहायक अधिकारियों को वर्दी पर वायुसेना के चिन्ह लगाते हुए





७ दिसम्बर को नयी दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के वित्तीय शिष्टमण्डल के सदस्य



नयी दिल्ली में ६ दिसम्बर को वियतनाम की नृत्य और नाट्य मण्डली के सदस्य, केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्री श्री हुमायूं कबीर के साथ

रजिस्टर्ड नं०
डी०—६४१



प्राचीन भारतीय कला और कारीगरी

भारतीय कारीगर लकड़ी, धातु, पत्थर और कपड़े पर उत्कृष्ट कलापूर्ण कारीगरी करने में सदियों से अग्रणी रहा है। चित्र में कारीगर तांबे के बर्तन पर फूल-पत्ती नक्काश रहा है

दक्षिण भारत में, खास कर तंजौर, मदुराई और तिरुनेलवेली के कुछ परिवारों में प्राचीन और परम्परागत मूर्तिकला आज भी फल-फूल रही है। चित्र में कारीगर धातु की मूर्तियां बना रहे हैं